

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

प्रो. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद

शिक्षा संकाय

द्वारा आयोजित

द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं शोध पत्र वाचन

21-22 सितम्बर 2022 के अवसर पर

विशेषांक

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयामः

आवश्यकतायें, चुनौतियां एवं समाधान

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 14 अंक : 5 □ सितम्बर-अक्टूबर, 2022

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

प्रो. एम. पी. सिंह
कार्यक्रम अध्यक्ष
डॉ. कल्पना जैन
कार्यक्रम समन्वयक
डॉ. रत्नेश कुमार जैन
कार्यक्रम सचिव
विनय कुमार
कार्यक्रम सहसंयोजक
शाजिया सुल्तान
कार्यक्रम सहसमन्वयक

डॉ. नम्रता जैन
कार्यक्रम संयोजक
डॉ. रश्मि मेहरोत्रा
कार्यक्रम निर्देशिका
दीपक मलिक
कार्यक्रम सहसचिव
धमेन्द्र सिंह
कार्यक्रम सहसंयोजक
पायल शर्मा
कार्यक्रम सहसमन्वयक

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

फोन : 011-22753916, 40564514, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610

e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com

Website : www.ugc-care-drishitikon.com

©Editorial India

Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। आज हमें कोरोना महामारी की इस संकट में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। हर किसी का सपना होता है कि वो आत्मनिर्भर बने और यह वास्तव में किसी व्यक्ति में सबसे अच्छा गुण होता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो वह हर मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता है और मुसीबतों से खुद को आसानी से निकाल लेता है। हर व्यक्ति खुद में आत्मनिर्भर बनकर अपनी, अपने परिवार के साथ-साथ अपने देश के उत्थान में भी अपना पूरा सहयोग कर सकता है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना है। आप खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण इस कोरोना संकट में कर सकेंगे और इसके साथ ही आप अपने राष्ट्र में भी अपना योगदान दे सकेंगे।

हालांकि आत्मनिर्भरता शब्द नया नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के द्वारा बनाए गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है। कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामानों को अपने आस-पास के बाजारों में ही बेचा जाता है, यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता का हो तो, अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है। एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे मालों से जो सामान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाई जाती है तो हम उसे लोकल सामग्री कहते हैं पर सत्य यही है कि यही आत्मनिर्भरता का एक रूप है। कुटीर उद्योग सामग्री, मत्स्य पालन इत्यादि आत्मनिर्भर भारत के कुछ उदाहरण हैं। आत्मनिर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी में बनाई गयी सामग्री इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य हैं जो कि हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाकर खड़ा करती हैं। इस प्रकार से हम अपने परिवार से गांव, गांव से जिला, एक दूसरे से जोड़कर देखें तो इस प्रकार पूरे राष्ट्र को योगदान देते हैं। इस तरह से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं।

कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने देश-वासियों से आह्वाहन किया है। संकट की इस घड़ी में सभी को आत्मनिर्भर बन राष्ट्र की सेवा और तरक्की में हर किसी को योगदान देने की अपील की है। देश आत्मनिर्भर होगा तभी इस संकट की घड़ी में हम राष्ट्र को तरक्की के लिए आगे खड़ा कर सकते हैं। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों का देश रहा है। आजादी के बाद भारत की गरीबी और भुखमरी को देखते हुए महात्मा गांधी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, पर उस स्थिति में सुविधाओं की कमी के कारण ये पूरी तरह से संभव न हो सका, लेकिन जहां तक हो सका लोगों ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। महामारी की इस संकट में फिर से महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता के उस सपने को याद कराते हुए प्रधानमंत्री ने अपील की है। भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और अब भारत किसी भी चीज का निर्माण करने में सक्षम है, इसके लिए उसे किसी और से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनने का तात्पर्य है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर होना होगा। भारत को देश में ही हर वस्तु का निर्माण करना होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाना है। आत्मनिर्भर भारत से अपने यहां के उद्योगों में सुधार करना और युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों के लिए पर्याप्त खाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है। यहां हर प्रकार के चीजों को बनाने और उसका अपने जीवन में उपयोग कर अपने राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकता है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं, जो कि बिना किसी देश की मदद से जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण की वस्तुएं बना सकता है और आत्मनिर्भर के सपने को पूरा कर सकता है।

- हालांकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना नया है। यह सपना महात्मा गांधी ने आजादी के बाद ही स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, पर गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार न हो सका।
- कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से सारा विश्व बन्द पड़ा है, जिसके कारण छोटे लोगों से लेकर पूंजीपतियों तक को भारी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों को कमाने खाने की समस्या काफी बढ़ गयी है।
- कोरोना महामारी के कारण किसी भी देश से सामानों का आदान-प्रदान बन्द है। इसलिए मई के महीने में तालाबन्दी के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनने का आह्वाहन किया है। उन्होंने “लोकल फॉर वोकल” का भी नारा दिया। जिसका अर्थ है कि लोकल में बनी वस्तुओं का उपयोग और उनका प्रचार करना और एक पहचान के रूप में आगे बढ़ना।
- महामारी के दौरान ही चीन ने भारत के डोकलाम सीमा क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए। सीमा के इस विवाद में भारत के सैनिकों की क्षति के कारण देश के हर कोने से चीनी सामान को बैन करने की माँग के साथ ही, चीनी सामानों को बन्द कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने सारे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनकर घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा हो सके।

- पिछले कुछ महीनों से विश्व कोरोना वायरस महामारी के कारण बन्द पड़ा है। इसके कारण सारे विश्व में वित्तीय संकट के बादल छाए हैं। इसी कड़ी में भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्र को आगे ले जाने फैसला किया है। विश्व बन्दी के कारण सारे विश्व के उत्पादों पर भारी असर हुआ है, इसलिए भारत ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर देश की तरक्की पर अपना कदम आगे बढ़ाया है।

इन सभी स्थितियों को देखते हुए और भारत की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से आत्मनिर्भरता से लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने को देशवासीयों से अपील की है। भारत इस ओर धीरे-धीरे अग्रसर भी हो रहा है। यदि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता है तो देश को इससे कई सारे फायदे होंगे जो लोगों और देश की तरक्की में बहुत सहायक होंगे।

- आत्मनिर्भर भारत से हमारे देश में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी।
- हमारे देश को और देशों से सहायता कम लेनी होगी।
- हमारे देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
- इससे देश में बेरोजगारी के साथ-साथ गरीबी से मुक्ति में सहायता मिलेगी।
- भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकेगी।
- आत्मनिर्भर बनने के साथ भारत चीजों का भंडारण काफी अधिक कर सकता है।
- देश आगे चलकर अन्य देशों से आयात कम और निर्यात ज्यादा कर सकेगा।
- आपदा की स्थिति में भारत बाहरी देशों से मदद की मांग कम होगी।
- देश में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश की तरक्की को शीर्ष तक ले जाने में सहायता मिलेगी।

कोरोना की महामारी काल में सभी देश अपने आन्तरिक स्थितियों और समस्याओं, बेरोजगारी, भुखमरी, चिकित्सा और कई अन्य समस्याओं से जुझ रहा है और भारत भी उनमें से ही एक है। भारत को इन समस्याओं से लड़ने और देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में अग्रसर है। हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं। इससे आप स्वयं के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में अपना योगदान दे सकते हैं, और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सपने को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

— संपादक

इस अंक में

विद्यार्थियों के व्यक्तिव विकास पर प्रशंसा एवं निंदा के प्रभाव का अध्ययन नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में—डॉ० डी०पी० मिश्रा; गौरव शर्मा	1
आत्मनिर्भर भारत में नारी शिक्षा का महत्व—मो० वकार रजा	7
संस्कृत वाङ्मय में वर्णित भारतीय-संस्कृति एवं आत्मनिर्भर भारत—डॉ० मनीषा सिंह	10
आत्मनिर्भर भारत हेतु वैदिक शिक्षा की उपादेयता—लोकेश शर्मा; डॉ० दीप लता	14
भारत में धर्मांतरण: एक दार्शनिक विमर्श—ऋतुराज सिंह	18
आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका—डॉ० कृष्णा चौधरी; डॉ० गोविन्द प्रसाद मिश्र	21
वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्म निर्भर भारत—डॉ० मीनाक्षी सक्सेना	25
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम, जरूरत और मायने—डॉ० हर्षी खण्डूडी	29
आत्मनिर्भर भारत एवं पर्यटन: विविध आयाम एवं जरूरत—सुरेन्द्र सिंह; भगवती नेगी; डी० एस० परिहार	33
आत्मनिर्भर भारत और विवाह कर्मकांड—डॉ० संतोष कुमार यादव	45
शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० जि० उमानरसिंहमूर्ति	57
आत्मनिर्भरभारतनिर्माणाय नवशिक्षानीते: (2020) आवश्यकता महत्वञ्च—अतुलराय	60
माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आत्म निर्भर भारत में भूमिका—श्याम सिंह; डॉ० वन्दना चतुर्वेदी	63
आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की भूमिका—डॉ० मौ० अतहर हुसैन	67
शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० संगीता	69
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी—सोनी कुमारी	73
स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम—धर्मेन्द्र कुमार पाटनवार; जगदीश पाटनवार	76
महिला सशक्तिकरण: एक ऐतिहासिक अवलोकन—डॉ० श्वेता भारती	79
माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन—दुर्गेश कुमार; डॉ० बी०के० गुप्ता	83
भारत की आत्मनिर्भरता में नारीवादी सिनेमा की भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन—डॉ० आशा बाला; डॉ० उमा बहुगुणा	88
शिक्षण और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भर भारत का योगदान—डॉ० नीलम कैथल	91
भारतीय स्त्री की कपोल कल्पित सत्य—वीरेन्द्र कुमार तिवारी	93
अभिव्यक्त सप्पत ध्वनि विषयक सिद्धान्त का अवलोकन—डॉ० गौरव सिंह	97
कृषि विकास में आत्मनिर्भर भारत—अमिता	99
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप में आत्मनिर्भर भारत; महात्मा गाँधी और स्वतंत्र भारत के सन्दर्भ में—डॉ० श्वेता मोर	102
आत्मनिर्भर भारत अभियान में महिलाओं का योगदान—कु० निशा गौतम	106
आत्मनिर्भर भारत और विद्यालय—विजय सिंह माली	110
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम—श्रीमती कांता वर्मा	112
महिला सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—बृजलता कुमारी; डॉ० सी०एम० सारस्वत जी	115
शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत—कुलदीप कुमार गौतम	121
एक पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम् हमारी भूमिका—श्रवण कुमार उपाध्याय	125

आर्थिकसामाजिकराजनैतिकस्वरूपेषु आत्मनिर्भरभारतम् नूतनशिक्षानीति च—ज्ञानेन्द्र गौतम	128
प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा एवं आत्मनिर्भर भारत—डॉ० वन्दना गुप्ता	132
नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० दीपा पंत	138
आत्मनिर्भर भारत के विशेष संदर्भ में शिक्षा बनाम विद्या का तत्त्वदर्शन—डॉ० गोविन्द प्रसाद मिश्र; डॉ० नीलम मिश्रा; डॉ० कृष्णा चौधरी	141
नारी सशक्तीकरण में आत्मनिर्भर भारत—रचना	145
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम—डॉ० अजय खेमरिया	147
शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत—आशीष कुमार	149
पर्यावरण एवं आत्म निर्भर भारत—डॉ० दीप लता	152
हिंदी कहानी साहित्य में पितृसत्ता का दंश और भय के साये में स्त्रियाँ—दिव्या रामचंद्रन	156
समाज मनोविज्ञान में पर्यावरण की अवधारणा एवं आत्मनिर्भर भारत—डॉ० नरेश कुमार नेमा	159
डबिंग : अर्थ एवं महत्त्व (बांग्ला एवं हिन्दी फिल्मों का एक तुलनात्मक अध्ययन)—डॉ० जोतिमय बाग	162
महिला विकास एवम् सशक्तिकरण में 'नाबार्ड' की भूमिका—डॉ० भारती यादव; श्री अमन गुप्ता	166
आत्म निर्भर भारत के विविध आयाम: आवश्यकताएँ, चुनौतियाँ एवं समाधान के सन्दर्भ में सामाजिक समायोजन—इन्दु कुमार तिवारी	168
मधुबनी जिले के उच्च माध्यमिक विधालयों के छात्रों की सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अध्ययन—सुशील कुमार राय	171
नारी शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत—कल्पना शर्मा	175
प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और उभरता नवाचार—कमल कान्त; डॉ० सुभाष सिंह	179
आत्मनिर्भर भारत: अवसर, सफलता और चुनौतियाँ—कुमारी बसुन्धरा	182
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम—डॉ० कुमारी माधवी	185
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम जरूरत और मायने—रवीन्द्र कुमार	187
सुरक्षा का क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत—डॉ० माया गुप्ता	191
नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—मनोज कुमार	194
मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने के कारक—सलिला सिंह; डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव	197
कामकाजी महिलाएं और जीवन संतुष्टि : महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में—श्रीमती वंदना जैन	200
कृषि तथा आत्मनिर्भर भारत—डॉ० दीप लता; प्रियंका	204
परितोष चक्रवर्ती की रचनाओं में शिक्षित और आत्मनिर्भर के रूप में नारी का स्थान—कलमरेखा; डॉ० राजेश दुबे; डॉ० मधु लता बारा	208
आत्मनिर्भर गांवों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका—डॉ० अश्वनी; संदीप	211
पूर्वोत्तर सांस्कृतिक विरासत—आत्मनिर्भर भारत—श्रीमती आराधना कुमारी	215
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: जरूरत और मायने—सन्दीपना शर्मा	219
जनजातीय महिलाओं में वित्तीय समावेशन—राहुल भारती	222
आत्मनिर्भर भारत में सेवापूर्व अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का एक अध्ययन—मनोज कुमार; डॉ० ज्योति पुरी	224
कला एवं संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत—रंजीत सिंह	227
आत्मनिर्भर भारत में भावी अध्यापक—जहांगीर आलम; डॉ० शेख एहताशामुद्दीन	229
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बौद्ध साहित्यिक ग्रन्थों का योगदान—पदमा ठाकुर	232
भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौशल विकास का योगदान—डॉ० रामसुरेन्द्र यादव; अखिलेश कुमार	235
नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० आरती कुमारी	238

पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत: संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में—डॉ० अशोक कुमार	241
आत्मनिर्भर भारत: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ—डॉ० यशवन्त यादव	244
आत्मनिर्भर भारत- ग्रामीण जीवन में डिजिटल इण्डिया की भूमिका—डॉ० आभा सिंह	249
डिजिटल शिक्षा ग्रामीण सन्दर्भ में—आत्मनिर्भर भारत—डॉ० अदिती गोस्वामी	252
नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० बिन्दु कनौजिया	255
शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्म निर्भर भारत—रेखा शुक्ला	257
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: जरूरत और मायने—डॉ० रामसिया चर्मकार	260
आत्मनिर्भर भारत में सिनेमा जगत की भूमिका—डॉ० सरिता सिंह	266
साहित्य में आत्मनिर्भर भारत का क्षेत्र—सरिता कुमारी	271
आत्म निर्भर भारत में कला योगदान—डॉ० पूर्णिमा वशिष्ठ	274
सशक्त नारी, सशक्त भारत—श्रीमती लेखा मिर्जा	277
कला एवं संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप—डॉ० अंजली राव	281
गाँधी जी और सामाजिक न्याय—अभय कुमार; प्रो० अखिलेश्वर प्रसाद दुबे	284
जनजाति समाज में शैक्षणिक प्रसार एवं सामाजिक समस्याएँ—डॉ० संजय कुमार मीना	287
नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० आरती मीणा	290
आत्मनिर्भर भारत में उच्च शिक्षा का महत्त्व—राशिदी रुकैया	293
आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं समाधान—विनीता सिंह	296
आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास: राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज का योगदान—नीरज वर्मा; डॉ० अखिलेश	299
कला और संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० राखी शर्मा	303
पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत—पूजा साह	304
इन्हीं हथियारों से क्रांतिकारी विचारों का दस्तावेज—अमर कुमार चौधरी	308
शिक्षा तथा कौशल विकास में आत्मनिर्भर भारत—पुष्पा देवी	310
सामाजिक उत्थान और आत्मनिर्भर भारत में भगवत गीता का योगदान—खुशबू लाटा; प्रो० (डॉ०) मंजू शर्मा	312
ग्रामीण भारत की सामुदायिक संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत—डॉ० मनोज कुमार गुप्ता; डॉ० वन्दना गुप्ता	314
शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत : अतीत के झरोखे से—डॉ० पवन कुमार	318
बौद्ध शिक्षा का वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव का अध्ययन—डॉ० बी०के० गुप्ता; वंदना सिंह	321
भारतीय समाज और सिनेमा—खेमराज आर्य	324
महिला सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत—डॉ० चेतना उपाध्याय	327
महिला सशक्तिकरण का गांधीवादी परिपेक्ष—वंदना शर्मा	332
मिथिलेश्वर के उपन्यासों में नारी सशक्तिकरण: एक मूल्यांकन—मधु त्रिवेदी; सुबोध सिंह शिवगीत	335
नारी सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता: स्त्री-विमर्श एवं साहित्यकार डॉ० प्रभा पन्त के साहित्य संदर्भ में—मनीष जोशी	338
महादेवी वर्मा के साहित्य में आत्म निर्भर भारत की सशक्त नारी—विनीता शुक्ला	341
भारत की स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम एवं नारी शक्ति का योगदान—नन्दलाल मणि त्रिपाठी	344
शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता—डॉ० अनूप कुमार मिश्रा	349
साहित्य में आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र—डॉ० फतेह सिंह	351

सामाजिक उत्थान और आत्म निर्भर भारत—डॉ० रीना उनियाल तिवारी	355
‘साहित्य में आत्मनिर्भर भारत’—मनोज मोदनवाल	359
सूचना संप्रेषण तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत: शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में—कु० लवलीन शर्मा	362
स्वस्थ पर्यावरण से आत्मनिर्भर भारत की ओर—डॉ० एस् कृष्णा	364
हजारीप्रसाद द्विवेदी के साहित्य-चिंतन में आत्म-निर्भर समाज—ललित मोहन	367
नारी सशक्तीकरण में आत्म निर्भर भारत—डॉ० श्रद्धा सिंह	369
उद्यमिता से आत्मनिर्भर भारतीय महिलाएं—डॉ० प्रिया सोनी खरे; डॉ० जितेन्द्र कुमार	372
महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारतीय—डॉ० परीक्षित लायेक	376
वर्तमान समय में भारत में मानव अधिकार आयोग की उपयोगिता—डॉ० रणजीत सिंह यादव	378
सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन—अरविन्द कुमार; डॉ० सीताराम सिंह	381
आत्मनिर्भर भारत की पहल : ‘वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल तक’—ममता शत्रुघ्न माली	388
भारत-पाकिस्तान संबंध आतंकवाद के विशेष परिपेक्ष्य में—डॉ० ममता धाकड़	391

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर प्रशंसा एवं निंदा के प्रभाव का अध्ययन नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में

डॉ० डी०पी० मिश्रा

(ऐसोसिएट प्रोफेसर) के०एन०आई०पी०एस०एस०, सुल्तानपुर (उ०प्र०)

गौरव शर्मा

(शोधार्थी) शोध अध्ययन केन्द्र-डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

सारांश

शिक्षण, प्रशिक्षण की प्रक्रिया में कक्षा में प्रतिनिधि अर्थात् शिक्षक की भूमिका बहुत चुनौती पूर्ण है। प्रो० ब्राउन के अनुसार शिक्षकों की भूमिकाओं को रेखांकित किया गया है, जो एक आकर्षक कक्षा व्यवस्था बनाने के लिए अनुकूल है। शिक्षकों के कर्तव्यों में से एक है, कक्षा का प्रबंधन करना। शिक्षक वह है जो पाठ, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की योजना निर्माण करता है और जो संरचना और कक्षा का प्रबंधन करता है। यर्थाथतः कक्षा में शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले आवश्यक क्रियाकलापों में से एक शिक्षक की कक्षा का प्रबंधन करने की योजना एवं तकनीक है, ताकि शिक्षक की सभी भूमिकाएं अनवरत एवं सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चल सकें। कक्षा प्रबंधन शिक्षकों को शिक्षण और प्रशिक्षण के लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु उपयुक्त वातावरण स्थापित करने और उसे अनवरत बनाए रखने में मदद करता है। (वीनस्टीन और नोवोडोस्के, 2011)।

प्रो० मुसफिराह मर्ना के अनुसार, पुरस्कार एवं निंदा के प्रमुख कार्य हैं। छात्रों के ध्यान में संशोधन करना, छात्रों की प्रेरणा में संवर्धन, अनैतिक व्यवहार में नियंत्रण करना, छात्रों के नकारात्मक व्यवहार को संशोधित करना और सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सकारात्मक विचारों को भी विकसित करना। इस बीच, निंदा का कार्य नकारात्मकता को अनुशासित और नियमबद्ध करना है। कक्षा को अधिक प्रवाहकीय, उत्पादक, सक्रिय, छात्रों का नकारात्मक व्यवहार कम रखने के लिए और छात्रों के अधिक सक्रिय बनाने के लिए। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुरस्कार और दंड दोनों ही छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं और कक्षा में छात्रों के नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रशंसा एवं निंदा के प्रयोग से परिणाम स्वरूप पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रशंसा एवं निंदा हेतु अलग-अलग स्वनिर्मित परीक्षण तथा व्यक्तित्व विकास प्राप्त करने के लिए स्वनिर्मित व्यक्तित्व विकास परीक्षण मापनी का उपयोग किया जाएगा। अध्ययन केवल हरदोई जनपद के सरकार द्वारा स्थापित परिषदीय तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्द्ध-सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के कक्षा 8 के अध्ययनरत 490 विद्यार्थियों पर किया गया।

संकलित सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर समकों का संग्रहण किया गया तथा संग्रहित समकों के उद्देश्य अनुसार वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध करके विश्लेषण हेतु प्रतिशत अनुपात माध्यिका तथा परिकल्पना परीक्षण हेतु टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हमें ज्ञात हुआ है, कि विद्यालय में पुरस्कार और निंदा के लिए चरण में कार्य होना चाहिए पहली बार में चेतावनी दूसरी बार में दोहराने पर मौखिक दण्ड तीसरी बार में छात्र को उसकी गलती के अनुसार दण्ड देना अपेक्षित हो तो, दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिए। प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि प्रशंसा एवं निंदा से विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। जो शिक्षक सही शिक्षण विधि को जानता है उनकी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता एवं रुचि अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अच्छी रहती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक होती है।

मुख्य बिन्दु:- विद्यार्थी, प्रशंसा, निंदा एवं व्यक्तित्व विकास।

1. प्रस्तावना-

बालकों की शिक्षा में प्रशंसा एवं निंदा का अपना-अपना एक विशेष महत्व है। मौखिक पुरस्कार को प्रशंसा एवं मौखिक दंड को निंदा कहते हैं। सही प्रतिक्रिया अथवा प्रतिपुष्टि के लिए छात्रों की प्रशंसा की जाती है और गलत प्रतिक्रिया अथवा प्रतिपुष्टि के लिए निंदा इन दोनों का प्रभाव सीखने पर प्रत्यक्ष या सीधे रूप से पड़ता है। आरम्भ में प्रशंसा तथा निंदा का प्रभाव शिक्षण पर लगभग एक समान रूप से छात्रों पर होता है। लेकिन, बाद में प्रशंसा अधिक प्रभावशील प्रमाणित सिद्ध होती है। इस प्रकार शिक्षण के लिए प्रशंसा अधिक प्रबल तथा उपयोगी प्रेरणा साबित हुई है। यह बात विभिन्न उदाहरणों से स्वयं सिद्ध है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में प्रो० ई०बी० हरलॉक ने (1925)¹ में स्कूल के कुछ विद्यार्थियों पर एक महत्वपूर्ण प्रयोग किए गये जिसमें आयु, यौन, बुद्धि तथा शिक्षा आदि में सभी विद्यार्थी समान थे। उन्हें प्रायः चार समूहों में विभाजित कर दिया गया— (1) प्रशंसित समूह (2) निन्दित समूह (3) उपेक्षित समूह तथा (4) नियंत्रित समूह सभी बालकों को कतारों को शीघ्र-से-शीघ्र जोड़ने के लिए कहा गया। इस प्रयोग के आधार पर निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए।

जोड़ में औसत प्राप्तांक

समूह	प्रथम दिन	द्वितीय दिन	चतुर्थ दिन	पंचम दिन	षष्ठम दिन
प्रशंसित समूह	11.81	16.59	18.85	18.81	20.22
निन्दित समूह	11.85	16.59	14.30	13.29	14.19
उपेक्षित समूह	11.84	14.19	13.30	16.92	11.38
नियंत्रित समूह	11.81	12.34	11.65	10.50	12.35

इस प्रयोग के आधार पर प्रो० हरलॉक ने कई प्रकार के प्रयोगों के उपरान्त कुछ निष्कर्ष निकाले, जिसमें प्रथम स्थिति यह है, कि प्रशंसा अथवा निंदा दोनों से ही सीखने की प्रोत्साहन प्राप्त होता है, इसलिए प्रशंसित एवं निन्दित समूह के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर उपेक्षित व नियंत्रित समूहों की अपेक्षा मात्रा एवं गुणों में अधिक अच्छा रहा। दूसरा स्तर यह है, कि आरम्भ में प्रशंसा एवं निंदा का प्रभाव शिक्षण स्तर पर समान रूप से प्रभावी रहा, परन्तु शनैः-शनैः प्रशंसा अधिक प्रबल सिद्ध साबित हुई, क्योंकि निंदा का प्रभाव अस्थायी रहता है। अर्थात् कुछ समय तक ही प्रभावशील रहने वाला, जबकि प्रशंसा का असर स्थायी होता है। प्राप्तांकों से पूर्णतः स्पष्ट है, कि दूसरे दिन के बाद प्रशंसित समूह का शिक्षण अधिक प्रभावी हो गया। तीसरा स्तर यह है कि जो बालक दूसरे बालकों को प्रशंसित या निन्दित होते स्वयं देखता और उसको अनुभव करता है कि वह भी सीखने की ओर प्रेरित हो और वह भी सीखने के प्रति अपनी रुचि एवं इन्द्रियों को जाग्रत करता है। यह बात उपेक्षित तथा नियंत्रित समूह के शिक्षण कार्यक्रमों की तुलना से पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है।

1932 ई० में प्रो० चेज ने प्रशंसा तथा निंदा के प्रभाव के पारस्परिक सम्बन्ध को देखने के लिए कई प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाले कि बालक प्रशंसा की अपेक्षा निंदा से अधिक प्रभावित होते हैं। चेज महोदय के प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि प्रशंसा का प्रभाव कुशाग्र बुद्धि के बालकों से अधिक औसत तथा मंदबुद्धि के बालकों पर प्रभाव पड़ता है। कैंडी एवं विलेट, 1964; एण्डरसन, लॉर्ड 1994; इसी तरह बालकों की अपेक्षा बालिकाएं भी प्रशंसा से अधिक प्रभावित एवं प्रेरित होती हैं। प्रशंसा तथा निंदा का प्रभाव व्यक्तित्व शील गुणों पर भी पड़ता है। कोलाडारकी (1955) ने अपने अध्ययन में पाया कि बहिर्मुखी बालक की प्रशंसा करने पर तथा अंतर्मुखी बालक पर निंदा का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति उन्नत बन जाती है।

2. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण-

अतः प्रशंसा तथा निंदा की प्रभावशीलता को शिक्षार्थियों की बुद्धि, आयु व यौन आदि के प्रसंग में आंकलन करना चाहिए। शिक्षकों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए की प्रशंसा तथा निंदा का इस्तेमाल कहाँ, कब और किस प्रकार किया जाए। व्हीट ने प्रशंसा तथा निंदा की परस्पर प्रभावशीलता को स्पष्ट करते हुए कहा है, “अविवेकी प्रशंसा तथा निंदा की अपेक्षा, सफलता के लिए प्रशंसा और असफलता के लिए निंदा अधिक प्रभावी है।”

शिक्षक प्रशंसा एवं निंदा का उपयोग बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए करते हैं, किंतु क्या प्रशंसा और निंदा समान रूप से उपयोगी हैं। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा शोधार्थी यह अध्ययन करने का प्रयास करेगा की प्रशंसा और निंदा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षिक निष्पत्ति पर क्या प्रभाव डालते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन से पूर्व भी इस क्षेत्र में कुछ शोधकर्ताओं ने शोध कार्य किया है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं-

याकूब, अब्दुलकादिर व ओदिनाका (2019)², छात्रों की धारणा और दृष्टिकोण का विश्लेषण सजा और इनाम के आवेदन के सम्बन्ध में माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा के प्रबन्धन में रणनीति।

उद्देश्य

1. शिक्षक इनाम और सजा को रणनीति के रूप में लागू करते हैं का अध्ययन करना।
2. पुरस्कार और सजा के उपयोग के प्रति छात्रों की धारणा का अध्ययन करना।
3. पुरस्कार और सजा ग्रहण करने वाले शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
4. छात्र इनाम और सजा का उपयोग करना पसन्द करते हैं का अध्ययन करना।

प्रतिदर्श-प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक विद्यालयों के 306 छात्रों का यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले 50 शिक्षकों का चुनाव किया गया है। इसमें से आधे ग्रामीण क्षेत्र के और आधे शहरी क्षेत्र के हैं।

तकनीक एवं उपकरण-छात्रों की अवधारणा की जानकारी हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है इनाम और दण्ड के उपयोग के प्रति सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। सांख्यिकीय गणनाओं के लिए समाज विज्ञान के लिए सांख्यिकीय संवेष्टन (एस.पी.एस.एस.) सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था।

निष्कर्ष-अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है -

1. अधिकांश माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक नियमित रूप से पुरस्कार और दण्ड को कक्षा प्रबन्धन के रूप में अपनाते हैं।
2. माध्यमिक विद्यालय के छात्र दण्ड के उपयोग के अत्यधिक खिलाफ हैं क्योंकि कक्षा प्रबन्धन रणनीति परिणामस्वरूप, छात्र ज्यादातर का उपयोग करना पसन्द नहीं करते हैं।
3. दिये जाने पर अधिकांश छात्र शिक्षक को पूरी तरह से बन्द कर देंगे या नापसन्द करेंगे एक सजा जबकि वे शिक्षकों को पसन्द करके सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की सम्भावना रखते हैं, जब पुरस्कृत किया गया।
4. माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की राय है कि सजा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके बजाय एक मित्रवत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

श्री वाहयूनी (2020)³, मुकोमुको विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षण में छात्रों पर पुरस्कार और दण्ड के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन।

उद्देश्य

1. मुकोमुको विद्यालय के आठवीं के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने में छात्रों पर पुरस्कार और दण्ड के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।
2. मुकोमुको विद्यालय के आठवीं के छात्रों में अंग्रेजी पढ़ाने में छात्रों पर कार्यान्वयन पुरस्कार और दण्ड के बारे में छात्रों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना।

प्रतिदर्श—प्रस्तुत अध्ययन में मुकोमुको विद्यालय के 5 शिक्षकों और 30 छात्रों को शामिल किया गया।

तकनीक एवं उपकरण—ऑकड़ों के संग्रह के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि व प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया। गुणात्मक समकों का विश्लेषण आगमनात्मक रूप से किया गया।

निष्कर्ष—अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर, शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकालता है कि पुरस्कार और दण्ड के कार्यान्वयन से सीखने की प्रक्रिया में छात्र के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। कक्षा का वातावरण अच्छा रहा है। जैसे छात्र खुश, मेहनती, सीखने के लिए उत्साह बढ़ता है, और छात्र अधिक प्रेरित होते हैं। दण्ड बुरे व्यवहार को कम करता है और छात्र शायद ही कभी अपनी गलतियों को दोहराते हैं। इन तकनीकों के कार्यान्वयन के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया बहुत है। सीखने की प्रेरणा बढ़ी और छात्रों के बुरे व्यवहार में कमी आई है।

मो0 फाँद, मो0 आजमी व सुयान्टो (2021)⁴, क्या 'इनाम और सजा' छात्रों की प्रेरणा में सुधार कर सकते हैं?

तकनीक एवं उपकरण—पियर्सन के प्रयोग द्वारा प्रश्नावली का विश्लेषण किया गया। उत्पाद-क्षण सहसम्बन्ध परीक्षण और विश्वसनीयता परीक्षण, जबकि थोटा सहसम्बन्ध गुणांक परीक्षण था यह निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन किया गया कि इसमें इनाम और दण्ड पद्धति का महत्वपूर्ण प्रभाव था।

परिणाम—इनाम और सजा पद्धति कार्यान्वयन सुधार में छात्र प्रेरणा पर मध्यम प्रभाव पड़ता है। छात्र अपने शिक्षक से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और दण्ड से बचने की कोशिश करते हैं। सीखने के दौरान अपने दोस्तों को परेशान करने जैसी गतिविधियाँ, गलतियाँ करने और सक्रिय रूप से शामिल करने कक्षा को जीवंत बनाने के लिए दिया जाता है। प्रेरणा में सुधार के अलावा, पुरस्कार देने से शिक्षकों और छात्रों के मध्य सम्बन्ध और घनिष्ठता हो सकती है। दूसरी तरफ अधिक दण्ड एक अन्तर पैदा कर सकता है क्योंकि छात्र डर महसूस करते हैं और अपने शिक्षक और कक्षा में सीखना से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए सजा देने को सकारात्मक अनुशासन से बदला जा सकता है। छात्रों की प्रेरणा में सुधार के लिए शिक्षकों के लिए इनाम और दण्ड विधि एक समाधान है फिर भी कक्षा में एक अनुकूल और मनोरंजक माहौल बनाने में शिक्षक की बनी हुई रणनीति सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

3. समस्या कथन

“विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर प्रशंसा एवं निंदा के प्रभाव का अध्ययन।”

“नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में”

4. समस्या का परिभाषीकरण

- (क) **विद्यार्थी**—प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों से अभिप्राय हरदोई जनपद के हिंदी माध्यम के सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 8 के विद्यार्थियों से है।
- (ख) **व्यक्तित्व विकास**—व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य व्यक्तित्व के विविध पक्षों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी स्वप्रत्यय, स्वनिर्भरता, परनिर्भरता, स्वभाव, समायोजन आदि में अध्ययन काल में अपेक्षित परिवर्तनों से है।
- (ग) **प्रशंसा**—मौखिक पुरस्कार को प्रशंसा कहते हैं। प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरक है। यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है, तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की संभावना बढ़ जाती है। उचित समय तथा स्थान पर की जाने वाली प्रशंसा निःसंदेह अभिप्रेरणा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत होती है। प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों में अध्यापकों द्वारा बच्चों को अच्छे कार्यों को करने हेतु जो प्रशंसा की जाती है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।
- (घ) **निंदा**—मौखिक दंड को निंदा कहते हैं। निंदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरणा है। निंदा के भय से बालक अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में बालकों के अवांछित व्यवहार को रोकने हेतु अध्यापक द्वारा जो निंदा की जाती है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

5. अध्ययन के उद्देश्य—अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं—

1. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर प्रशंसा के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर निंदा के प्रभाव का अध्ययन करना।

6. परिकल्पनाएं-अध्ययन की परिकल्पना जिसको हमें अपने अध्ययन में परीक्षण करना है-

1. विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्रा) के व्यक्तिव विकास पर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्रा) के व्यक्तिव विकास पर निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

7. शोध विधि-

प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है इसके अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु हरदोई जनपद के नगर क्षेत्र एवं सभी 19 विकासखंडों में सरकार द्वारा स्थापित परिषदीय जूनियर हाई स्कूल तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्द्धसरकारी जूनियर हाई स्कूलों का चयन होगा। जनपद के बी0एस0ए0 कार्यालय द्वारा प्राप्त विद्यालयों की सूची से ज्ञात हुआ कि विद्यालयों की संख्या 2260 है, जिसमें हमने 10 प्रतिशत लॉटरी प्रतिचयन विधि द्वारा 226 विद्यालयों का चयन कर लिया। इन चुने गये विद्यालयों में कक्षा आठ में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों का पंजीकरण 4901 था। जिसमें से प्रशंसा पाने वाले अथवा निंदा पाने वाले कुल, 10 प्रतिशत कुल 490 विद्यार्थियों का चयन लॉटरी विधि द्वारा किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तित्व विकास के प्राप्त के लिए एस0डी0 कपूर द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व मापनी, प्रशंसा एवं निंदा के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रशंसा एवं निंदा हेतु अलग-अलग स्वनिर्मित निष्पत्ति परीक्षण का उपयोग किया जाएगा।

स्वनिर्मित मापनियों की विश्वसनीयता मापन के लिए एस0पी0एस0एस0 सॉफ्टवेयर के क्रॉनबैक अल्फा परीक्षण का प्रयोग किया। प्रस्तुत परीक्षण में हमने 490 विद्यार्थियों पर परीक्षण किया जिसके प्रथम परीक्षण में क्रॉनबैक अल्फा प्राप्तांक निम्नवत् प्राप्त हुए।

क्रॉनबैक अल्फा प्रथम परीक्षण प्राप्तांक

क्रम सं०	प्रभाव मापनी	प्राप्तांक
01	व्यक्तिव विकास मापनी	0.83
02	प्रशंसा प्रभाव मापनी	0.84
03	निंदा प्रभाव मापनी	0.85

प्रथम परीक्षण के ठीक तीन माह बाद प्रथम परीक्षण में सम्मिलित विद्यार्थियों पर पुनः द्वितीय परीक्षण किया गया जिसमें क्रॉनबैक अल्फा प्राप्तांक निम्नवत् प्राप्त हुए।

क्रॉनबैक अल्फा द्वितीय परीक्षण प्राप्तांक

क्रम सं०	प्रभाव मापनी	प्राप्तांक
01	व्यक्तिव विकास मापनी	0.85
02	प्रशंसा प्रभाव मापनी	0.86
03	निंदा प्रभाव मापनी	0.88

दोनों परीक्षणों में लगभग समान प्राप्तांक प्राप्त हुआ इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारी मापनी विश्वसनीय हैं। इन मापनियों की विश्वसनीयता प्राप्त करने के उपरान्त हमने मापनियों द्वारा प्राप्त आँकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर समकों का संग्रहण किया तथा संग्रहित समकों के उद्देश्य अनुसार वर्गीकृत एवं सारणी बंद करके विश्लेषण हेतु प्रतिशत अनुपात, माध्यिका तथा परिकल्पना परीक्षण हेतु टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया।

तालिका - 01

क्रम सं०	परिकल्पित प्राप्तांक	पुरस्कार प्रभाव मापनी	
		परिषदीय विद्यालय	अन्य विद्यालय
01	माध्य	71.43	82.31
02	मानक विचलन	04.08	03.37
03	विद्यार्थियों की संख्या	253	77
04	प्रमाप विचलन	0.46	
05	माध्य अन्तर	10.88	
06	क्रान्तिक अनुपात (सी0आर)	23.56	
07	5% सार्थकता स्तर पर तालिका मान	1.96	

तालिका - 02

क्रम सं०	परिकलित प्राप्तांक	निंदा प्रभाव मापनी	
		परिषदीय विद्यालय	अन्य विद्यालय
01	माध्य	63.76	56.55
02	मानक विचलन	08.82	08.77
03	विद्यार्थियों की संख्या	237	105
04	प्रमाप विचलन	1.03	
05	माध्य अन्तर	07.21	
06	क्रान्तिक अनुपात (सी०आर०)	6.995	
07	5% सार्थकता स्तर पर तालिका मान	1.96	

8. निष्कर्ष- अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है -

1. अधिकांश विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से पुरस्कार और दण्ड को कक्षा में अपनाते हैं।
2. विद्यालय के छात्र दण्ड के उपयोग के विरोध में हैं क्योंकि कक्षा में छात्रों पर शिक्षक ज्यादातर शारीरिक दण्ड का उपयोग करना पसन्द नहीं करते हैं।
3. शारीरिक दण्ड दिये जाने पर अधिकांश छात्र शिक्षक को पूरी तरह से नजर अन्दाज कर देते हैं या नापसन्द करते हैं। इसके विपरीत वे शिक्षकों को पसन्द करके सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की सम्भावना रखते हैं, जब उन्हें मौखिक पुरस्कृत या दण्डित किया जाता है।
4. विद्यालयों के छात्रों की राय है कि सजा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके बजाय एक मित्रवत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
5. विद्यालय में पुरस्कार और दण्ड के लिए चरण में कार्य होना चाहिए पहली बार में चेतावनी दूसरी बार में दोहराने पर मौखिक दण्ड तीसरी बार में छात्र को उसकी गलती के अनुसार दण्ड देना अपेक्षित हो तो दिया जाना चाहिए।

प्राप्त निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि प्रशंसा एवं निंदा से विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। जो शिक्षक इस शिक्षण विधि को जानते हैं उनकी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने क्षमता एवं रुचि अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अच्छी है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी अपेक्षाकृत ज्यादा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Agarwal, Mamta (2001); Punishment when and what the primary teacher NCERT New Delhi
- Iqbal Nadeem, Iqbal Sajid, Jabeen, Haider; *International Letters of Social and Humanistic Sciences* ISSN: 2300-2697, Vol. 59, pp 61-64. E-mail address: talhasaif22@gmail.com, sajid.edu@outlook.com
- Yildiz N.G.: Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2017; 7(1): 155-183. Eskisehir Osmangazi University, Turkey E-mail address: antreh@gmail.com
- Aquino, I.P. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences* Vol. 8 | No. 6 | June 2019 ISSN: 2278-6236. Website: /http://www.garph.co.uk
- Putri, Refnaldi: Journal of English Language Teaching Volume 9 No. 1, ISSN 2302-3198. available at Website://http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jelt
- Fabes, R. A., J. Futtz, N. Eisenbery, T. May-Plumlee And F.S. Christopher (1989); Teacher use children's preferences of Rewards in elementary school. Psychology in the school 28 (2, Apr) : 175-181. E J 430 936.
- Fantuzzo, J. W., C. A. Rohrbeebe, A. D. Hightower and W. C. Work (1991) High field, M and Pinset, A. (1952); A survey of Rewards and Punishment in school, London, Newnes.
- Lakshmi, Manohari, M. (1991); Punishment Patterns adopted by parents & teachers and children's reactions to the punishment with the special reference to elementary school years, M. Phil Home Sci. Sri Venkateswara University.
- Sharma, R. P. and Jain, D. M.; Indian Democracy and Educational Administration Ratan Prakashan Mandir, Agra.
- Putri, Refnaldi: Rreards And Puishments; Given By The Teacher In Teaching English As Foreign Language In Indoasian Ccontext: Journal of English Language Teaching Volume 9 No. 1, ISSN 2302-3198. Available at Website://http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jelt.
- Maag, J.W.; Rewarded by punishment: reflections on the disuse of positive reinforcement in schools; Early Intervention in Deaf Education Vol. 67, No. 2, pp.173-18 6. website://https://sienihan2fontbonne.edu
- Fuad, Mo., Azmi, Mo., Suyanto; Can 'Reward and Punishment' Improve Student Motivation? European Online Journal of Natural and Social Sciences 2021; Vol.10, No 1 pp. 165-171 www.european-science.com
- Wahyuni, Sri: The Implemintation of Rewards and Punishments on Students In Teaching English Of Mukomuko School; State Institute of Islamic Studies of Bengkulu. https://scholar.google.com/scholar repository.iainbengkulu.ac.id

Ching, Gregory S., Looking into the issues of rewards and punishment in Students, International Journal of Research Studies in Psychology: <https://www.researchgate.net/publication/266890375>

Yakubu, Abdulkadir And Odinaka: Analysis Of Student's Perceptions And Attitude Towards The Application Of Punishment And Reward As A Strategy In Managing Classroom In Secondary Schools; International Journal Of Economics Education Research Vol. 2 Issue 1, 2019 ISSN: 2635-3504 (Print) 2635-3512 (Online) Website: <https://iafee.org/ijeer>

फुटनोट

1. **Agarwal, Mamta (2001)**; Punishment when and what the primary teacher NCERT New Delhi
2. **Yakubu, Abdulkadir And Odinaka:** Analysis Of Student's Perceptions And Attitude Towards The Application Of Punishment And Reward As A Strategy In Managing Classroom In Secondary Schools; International Journal Of Economics Education Research Vol. 2 Issue 1, 2019 ISSN: 2635-3504 (Print) 2635-3512 (Online) Website: <https://iafee.org/ijeer>
3. **Wahyuni, Sri:** The Implemintation of Rewards and Punishments on Students In Teaching English Of Mukomuko School; State Institute of Islamic Studies of Bengkulu. <https://scholar.google.com/scholar repository.iaibengkulu.ac.id>
4. **Fuad, Mo., Azmi, Mo., Suyanto;** Can 'Reward and Punishment' Improve Student Motivation? European Online Journal of Natural and Social Sciences 2021; Vol.10, No 1 pp. 165-171 www.european-science.com
5. **Fabes, R. A., J. Futtz, N. Eisenbery, T. May-Plumlee And F.S. Christopher (1989)**; Teacher use children's preferences of Rewards in elementary school. Psychology in the school 28 (2, Apr) : 175-181. E J 430 936.

आत्मनिर्भर भारत में नारी शिक्षा का महत्व

मो० वकार रजा

असिस्टेंट प्रोफेसर बी.एड., स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार मिर्जापुर

सार

सरल शब्दों में आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर निर्भर, अपने बल पर। इसका एक अर्थ यह भी है कि दूसरों पर से निर्भर न होना। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी भारत में जिस वस्तु की जरूरत हो उसका उत्पादन भारत में हो और इसके लिए हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े। स्थानीय स्तर पर सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन शुरू करके भारत और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता। वोकल फॉर लोकल भी आप आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं की शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालत को बता सकते हैं।

प्रस्तावना

एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने स्वयं के लिए सहारा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर रहता है तो किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। प्राचीन काल से आज तक विश्व के सभी विचारकों, दार्शनिकों तथा शिक्षाविदों ने नारी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। आज स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करके समाज के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। वे घर की चहारदीवारी के अंदर भाग्य के भरोसे बैठी अनपढ़ कठपुतली मात्र नहीं हैं। वरन वे अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक में परिपूर्ण हो कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत के विभिन्न नवाचारों और नए उत्पादों के विकास को बढ़ावा दिया इससे भारत का आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा परिणाम स्वरूप लंबे समय में हमारा व्यापार घाटा कम होगा। निर्यात प्रोत्साहन से हमें विदेशी मुद्रा बचाने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारतस अभियान से भारतीय लघु और मझोले उद्योगों को बढ़ाने में मदद मिलेगी और विनिर्माण क्षेत्र में उन्नति होगी। यह कार्यक्रम भारत सरकार की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद आत्मनिर्भरभारतअभियान,आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी ने 12 मई 2020 को इस अभियान की घोषणा की थी। जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह एक अच्छी पहल है। इस अभियान के तहत भारत आने वाले कुछ सालों में अधिकतर वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाएगा। इस कारण से ही इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर रखा गया है। इस अभियान के तहत उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना है जिस वजह से भारत का ज्यादातर व्यापार दूसरे देशों पर निर्भर है। इसमें बाहर की वस्तुओं पर निर्भर न रहकर भारत अपने स्वयं के स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को देश में ही तैयार करना है।

आत्मनिर्भर बनने के पांच स्तंभ

भारत को आप निर्भर के पांच स्तंभ हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे

- अर्थव्यवस्था- वर्तमान की भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिस में परिवर्तन किया जाना संभव है। अर्थव्यवस्था ही एक ऐसा साधन है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर मोर सकता है।
- तकनीकी- भारत में तकनीकी काफी विकसित है और इस तकनीक के चलते भारत में विश्व शक्ति बनने का साहस रखता है। भारत की तकनीकी की इस का एक मुख्य अंग है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर- भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करेगा।
- मांग- भारत में कच्चे माल की मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमें पड़ोसी देश पर निर्भर रहना पड़ता है अगर हम कच्चे माल का निर्माण भारत में करते हैं तो उस स्थिति में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेगा।
- बढ़ती जनसंख्या- भारत की जनसंख्या जंगल में आग की तरह फैल रही है इस पर नियंत्रण भी जरूरी है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद करेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका

नारियों का देश की अर्थव्यवस्था में प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में योगदान रहा है। नारियों के आर्थिक एवं उत्पादक कार्यों का निर्धारण मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही चला आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में कार्य क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता को 25% कम कर लिया जाता है तो इससे देश की जीडीपी में 1 ट्रिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार कार्य स्थलों पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से कई सामाजिक और आर्थिक लाभ देखने को मिले हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से महिलाओं में अपने स्वास्थ्य तथा विकास के प्रति जागरूकता के बढ़ने के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से गरीबी, स्वास्थ्य और आर्थिक अस्थिरता से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य

- भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं की शिक्षा में स्थिति काफी पिछड़ी हुई है।
- जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर देश की कुल साक्षरता दर से भी कम है।
- बहुत कम लड़कियों का स्कूल में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं इसके अलावा कई रूप लड़कियां रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैए के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं।
- कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर एक 11.5 प्रतिशत है जबकि सामान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8% है।
- यदि बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।
- उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है तथा महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हम दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहां तक कि देश के में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। समाज में यह मिथ काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुषों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों की औसत वेतन में काफी अंतर आता है। देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को महत्वपूर्ण संबोधित करने में असफल रहे हैं।

महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकने स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्र में नए वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी। महिला सामाज्य कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।

उपसंहार

1947 के बाद यानी देश की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहा है। आजादी से पूर्व ही भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। जिसमें लोगों से विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रहकर भारत में बनी वस्तुओं पर निर्भर रहने की अपील की गई थी। महात्मा गांधी स्वयं भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे और महात्मा गांधी ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहला कदम उठाया था। परंतु दुख की बात यह है कि आजादी के 70 साल बाद भी भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी जनसंख्या शिक्षा से वंचित है। महिलाओं को शिक्षा दी भी जा रही है तो भी उसमें कौशल विकास के तत्व सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए

महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छम्ह 2020 मे महिलाओं की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल आधारित शिक्षा की बात की गई है।

संदर्भ

1. <https://www.deepawali.co.in/aatm-nirbhar-bharat-essay-hindi.html>
2. <https://indiapublickhabar.in/education-policy-of-self-reliant-india/>
3. https://www.divyarashmi.com/2021/12/blog-post_749.html
4. माथुर, एस.एस. शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार, विनोद पुस्तक मंदिर, जयपुर 2012 पृष्ठ 207
5. कुमार, योगेंद्र एवं शर्मा मधुलिका, शिक्षा के दार्शनिक आधार, नवशिक्षा प्रकाशन वाराणसी 2009 पृष्ठ 179

संस्कृत वाङ्मय में वर्णित भारतीय-संस्कृति एवं आत्मनिर्भर भारत

डॉ० मनीषा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जे.एस.विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (उ०प्र०)

“वयं राष्ट्रे जागृताम पुरोहिताः” मंत्र भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के गौरव का उद्घोष कर रहा है। भारत में संस्कृत साहित्य का इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल रहा है। इसका महत्व सर्वविदित एवं सार्वभौमिक रहा है। यह अवश्य है कि समय, देशकाल एवं वातावरण के अनुसार इसका महत्व त्वरित होता रहा है। भारतीय संस्कृति की विचारधारा का मुख्य प्रवाह संस्कृत- साहित्य, वेद, उपनिषदों, पुराणों आदि में समाहित है, इससे कदापि इनकार नहीं किया जा सकता।

वैदिक कालीन शिक्षा संस्कृत में ही प्रचलित थी। संस्कृत के माध्यम से ही वेद, पुराण आदि पढ़ाये जाते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं ग्रन्थों में संस्कृति की प्रचुरता विद्यमान थी। उसका रसास्वादन आज भी भारतीय जनमानस प्राप्त कर रहा है।

संस्कृत साहित्यों में नैतिक मूल्यों, धर्म सत्य, राष्ट्रीयता आदि का भाव समाहित है। गीता उपदेश जो कि संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। जिसमें भारत की संस्कृति, मूल्य, कर्तव्य और मानवता का पाठ समाहित है। महाभारत का सम्पूर्ण दर्शन राष्ट्रीय भावना के इर्द-गिर्द विचरण करता रहता है। चूँकि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ संस्कृत में ही लिखित है। अतः राष्ट्रीय भावना एवं संस्कृति का प्रवाह संस्कृत की अलौकिकता से मार्गदर्शित है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय विचारधारा को देदीप्यमान करने में वैदिक काल से लेकर आज तक संस्कृत भाषा का माध्यम होकर भी यह भाषा धर्मनिरपेक्ष रही है।

संस्कृत भाषा साहित्य अनेक अमूल्य ग्रन्थों का सागर है। संस्कृत साहित्य मानव जाति की अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसने मानव को राष्ट्रीय भावना के सन्दर्भ में परिष्कृत किया है और उसे कल्पनाशील बनाया है। संस्कृत-साहित्य के स्वरूप एवं प्रयोजन पर समष्टि के कल्याण की भावना लक्षित है। आज भले ही राष्ट्रीयता को एक संकीर्ण अवधारणा के रूप व्याख्यायित किया जा रहा है परन्तु राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के राजनीतिक आयाम भारत में संस्कृत की गौरवशाली वैदिक-प्रणाली एवं साहित्य में परिलक्षित होते हैं। पाश्चात्य देशों की राष्ट्रीयता अहंभाव से ग्रस्त रही है क्योंकि उनके पास भारत जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं है। राष्ट्रीय भावना एक उदात्त अवधारणा है जिसका स्वरूप सांस्कृतिक है और अधिष्ठान आध्यात्मिक, जो बहुआयामी है।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः जैसे मंत्रों में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति है।

दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का प्राचीन साहित्य तो विपुल रूप से समृद्ध है किन्तु आधुनिक काल में भी संस्कृत कवियों और लेखकों की संख्या कम नहीं है। जहां एक ओर पत्र, पत्रिकायें तथा समाचार पत्र आदि संस्कृत भाषा में प्रकाशित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर अनेकानेक कवि एवं लेखक इस भाषा में निरन्तर कविता नाटक कहानी उपन्यास आदि लिखकर इस साहित्य को और समृद्ध बना रहे हैं। संस्कृत साहित्य के आधुनिक काव्यों में राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। ये ग्रन्थ हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की भावना का संचार करते हैं। संस्कृत भाषा में सिर्फ देव स्तुति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने वाली तथा अपने देश भक्तों एवं महापुरुषों के वीरतापूर्ण सम्पादित किये गये कार्यों एवं देश के हित में किये गये उनके अवर्णनीय त्याग एवं बलिदान का वर्णन हमें संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवियों एवं लेखकों द्वारा रचित रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय भावना का शंखनाद करते हुये अनेक संस्कृत कवियों एवं लेखकों ने गद्यकाव्य, खण्डकाव्य, लघुकाव्य, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं में अपनी राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति से पूर्ण भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत किया है।

पं. अम्बिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित शिवराजविजय एक श्रेष्ठ रचना है जिसमें वीर शिवाजी की वीरता एवं मुस्लिम शासकों के साथ उनके संघर्ष एवं विजय का बड़ा ही मार्मिक एवं यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में पं. क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता तथा स्वराजविजय, के०एस० नारायण कृत भारतवैभवम्, शिवदत्त मिश्र कृत भारतवर्ष तथा महादेश शास्त्री कृत भारतशतकम् के अतिरिक्त अनेकों काव्यों में भारत की महिमा गाकर राष्ट्र भक्ति जगाने का कार्य किया गया है। अतः संस्कृत काव्यों में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने वाले, राष्ट्र के प्रति प्रेम, सौहार्द्र एवं सम्मान को उत्पन्न करने वाले साहित्य की अनवरत रचना होती चली आ रही है।

पाष्वात्य राजनीतिज्ञों की भारतीय मनीषियों के प्रति यह अवधारणा प्राचीनकाल से ही रही है कि भारतीय मनीषियों की रुचि प्रायः अध्यात्म यथा लोक-परलोक, ब्रह्म, जीवात्मा, ईश्वर, जगत आदि दार्शनिक विषयों के अध्ययन की ओर ही रही है। राजनीतिक जैसे व्यवहारिक विषय की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु उनकी यह अवधारणा उस समय तक थी जब तक वे भारतीय वाङ्मय से अनभिज्ञ थे। वेद, स्मृति, गीता, पुराण, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, आदि प्रौढ़ ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात् पाश्चात्य राजनीतिज्ञों ने भारतीय राजनीतिज्ञ चिन्तन को अद्वितीय स्वीकार किया है। भारतवर्ष में राजनीतिज्ञ चिन्तन की विधा आधुनिक युग की देन न होकर वैदिककालीन चिन्तन की अमूल्य धरोहर है, जो कि प्रमाणिक रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में विद्यमान है। इनमें

वैदिककालीन राजनीतिज्ञ, सामाजिक, आर्थिक विचारों का वर्णन क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध न होकर यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है यथा ऋग्वेद में राजा के लिए अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम, पूषा और यम आदि देवतावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है।

अपने राष्ट्र की भूमि जन-समूह, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, धर्म, साहित्य, कला, राजनीति, जीवन दर्शन आदि के प्रति लोगों के मन में गरिमा तथा महिमा का जो नैसर्गिक स्वाभिमान है उसे ही हम राष्ट्रीय चेतना की संज्ञा देते हैं। हमारा देश भारत भी राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत कवियों, महाकवियों की जन्म स्थली रहा है। यहाँ पूर्व में भी कई कवियों ने अपने आन्तरिक राष्ट्रीय चेतना को लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया।

उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत गुमानी की अधिकांश रचनाएँ राष्ट्रीय चेतना के स्वरो से सजी-सँवरी हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वदेश प्रेम, स्वभाषा प्रेम, राष्ट्रहित नैतिकता आदि अनेक विषयों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के स्वरो को प्रदर्शित किया है। गुमानी की जन्म तिथि से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का अविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब भारत वर्ष में अंग्रेजों का शासन प्रतिष्ठा पा चुका था तथा कुमाऊँ के अधिकांश भाग चंद राजाओं के पश्चात गोरखा राजाओं के अत्याचार से त्रस्त थे। वस्तुतः उत्तराखण्ड अंग्रेजी शासन तथा गोरखा प्रशासन से एक साथ त्रस्त हो रहा था। यही समय था जब कवि ने रचनाएँ लिखनी प्रारम्भ की।

राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने का माध्यम साहित्य ही रहा है। प्राचीन समय से ही हमारे साहित्य में राष्ट्रीय विचारधाराओं की छवि दिखाई पड़ती है। वेद काल से लेकर आज के साहित्य को यदि हम सामने रखते हैं तो यही पाते हैं कि राष्ट्र हित के लिए हमारा साहित्य सदैव समर्पित रहा है। ऋग्वेद में कहा गया है- “तेनास्मान् ब्रह्मस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय।”

अर्थात् हे ब्रह्मणस्पते-! राष्ट्रहित के लिए हमलोगों को संवर्धन करें। अथर्ववेद में भी राष्ट्रहित की कामना की गई है-“या यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन् पृथिवीमुस्त्रियाभिः।

अथस्मभ्य वरुणो वायुरग्निर्वृहद् राष्ट्रं संवेष्य दधातु।”

अर्थात् अपनी रक्षियों के द्वारा पृथ्वी को व्याप्त करता हुआ मित्र देवता ऋतुओं के द्वारा हमें शतायु बनाने में सक्षम होकर आए। तदुपरांत वरुण, वायु, अग्निदेव आदि हमारे लिए सुख-शांति से सम्पन्न, बड़े देश अथवा राष्ट्र को सुव्यवस्थित करें।’ राष्ट्र और मातृभूमि के प्रति सचेष्ट कई मंत्रों का जिक्र अथर्ववेद में हुआ है। ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में भी राष्ट्र से संबंधित भावनाओं को देखा जा सकता है। संस्कृत के इन प्राचीन ग्रंथों के अलावा संस्कृत साहित्य के अन्य ग्रंथों में भी राष्ट्रीय भावना साकार हुई है। हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का समावेश वीरगाथा काल की कविताओं में हुआ है। रासों ग्रंथों में राष्ट्रधर्म की भावनाएँ देखी जा सकती हैं। यहाँ राजाओं के शौर्य का वर्णन हुआ है। इसलिए इसे चारण काव्य भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो आदि ग्रंथों में राजा के यशोगान के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना भी देखी जा सकती है। कवि भूषण ने शिवाजी की शौर्य-गाथा का वर्णन किया है। जिसमें राष्ट्रीयता का भाव देखा जा सकता है। अपने राष्ट्र के लिए समर्पित ऐसे राजा और कविगण की प्रेरणा संस्कृत साहित्य से ही मिली होगी। परंतु यह भी सत्य है कि राष्ट्र की विपरीत परिस्थितियों अथवा उसपर आई विपत्तियों के कारण भी राष्ट्रहित में यह भावना उत्पन्न हुई है।

“राष्ट्रीय भावनाओं का पूर्ण प्रतिफलन स्वतंत्र्य-संग्राम में दिखाई देता है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जिस राष्ट्रीय आन्दोलन का आरंभ हुआ, वह क्रमशः संघटित होता चला गया। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में जिस द्विवेदी युग का पूर्ण विकास हुआ उसकी मूल प्रेरणा राष्ट्रीय ही कही जाएगी।”

वेद विज्ञान की राशि है। संस्कृत वाङ्मय में वेदों का ज्ञान विज्ञान पाश्चात्य जनों को भी विस्मय में डाल देते हैं। वेदों में जहाँ देवताओं की स्तुति, यज्ञविधान, गीति एवं विज्ञानादि के महत्व का प्रतिपादन किया गया है वहीं जन्मभूमि की महत्ता का प्रदर्शन भी परिलक्षित होता है। ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः जैसे अथर्ववेद के मन्त्र मातृभूमि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, में भी जन्मभूमि की गौरवता का महत्व सर्ववादित है।

हमारे वेदादि शास्त्र जहाँ “बसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना से ओतप्रोत है वहीं राष्ट्रीय भावना को सर्वत्र अंगीकार करते हैं। राष्ट्र का नायक राष्ट्रीय यष के लिए अपने राष्ट्र के अवज्ञाशील शत्रुओं का विनाश करें, अपने राष्ट्र को शत्रुहीन करें, देशद्रोहियों के नाश के लिए शस्त्र धारण करने वाले सैनिकों को सदा संगठित रहना चाहिए, महान राष्ट्र प्रसन्नतादायक होता है।

हम अपनी मातृभूमि के लिए कोई अपराध न करें, हमें विदेशी अन्न ना खाना पड़ें, हम स्वराज्य के लिए प्रयत्न करते रहें, हमारे ऊपर दुष्टों का शासन न हो, हमारी मातृभूमि का विस्तार और विकास हो, देशभक्तों के द्वारा देशद्रोहियों का विनाश होते रहे, इत्यादि वेदों के मन्त्रार्थ भारत के एक्य एवं राष्ट्रीय भावना के द्योतक हैं।

देव वाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आधार है तथा सम्पूर्ण संस्कृतियों एवं राष्ट्रीय तत्वों का वाहक जो सम्पूर्ण रीति-रिवाज तथा अनेकों विषयों तथा भावनाओं को अपने गर्भ में समेटे हुए है। संस्कृत साहित्य, किसी भी देश की राष्ट्रीय संस्कृति एवं जातीय भावनाओं का प्रतीक यह भारत का राष्ट्रगौरव तथा संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला निर्मल दर्पण है। इस प्रकार की विशेषता वाला संस्कृत राष्ट्रीय भावना/राष्ट्रीय तत्व से विरक्त कैसे रह सकता है? यह सम्भव नहीं है। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा वैदिक संस्कृत से ही प्राप्त होने लगती है। सभी वैदिक संहिताओं में ऋषियों द्वारा समाज के लिये कल्याण की कामना की गयी है इसी के साथ ही सम्पूर्ण सृष्टि में समरसता का दर्शन करते हुए ऋषियों ने मनुष्य में भेद बुद्धि को निरस्त करने का सन्देश दिया है।

वेद भारत भूमि के भौगोलिक स्थिति- पर्वत, नदी, वन, सरोवर तथा सजीव-निर्जीव वस्तुओं के विस्तार का वर्णन करता है। जिसमें पौराणिक काल में भारत नामक राष्ट्र की स्थिति स्पष्ट होती है। संस्कृत संस्कृति का पूर्ण श्रद्धा व प्रतिबद्धता ने अनुकरण करता है। यही भारत का यर्थात है। भारत है पुराणों ने तो हमारे देश के लोगों के मन में देश-प्रेम को जागृत करने तथा सामान्य जनों को राष्ट्र के भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराने के दायित्व का शताब्दियों तक निर्वाह किया है। देखा जाये तो जिस भाषा में हमारे वेद, पुराण, उपनिषद् तथा अन्य लौकिक ग्रन्थों का लेखन कार्य हुआ है। जो भाषा हमें तमीज, तहजीव और संस्कार सिखाती है। जिसे वैज्ञानिक आधार बनाकर विकास की सीढ़ी चढ़े हो, उसकी प्रासंगिकता किसी भी समय में कम नहीं हो

सकती है। बल्कि आज संस्कृत की आवश्यकता पहले ही अपेक्षा अधिक है, जब सम्पूर्ण विश्व विकास के माध्यम से परिवर्तित हो चुका है और जो विनाश के पथ पर अग्रसर है। संस्कृत में वर्णित विभिन्न उपायों के माध्यम से बचाया जा सकता है। अतः इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज आधुनिक युग में हमें आवश्यकता है, संस्कृत के विभिन्न आयामों पर फिर से नवीन ढंग से शोध करने की है कि जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में राष्ट्रिय भावना को जागृत किया जा सके क्योंकि संस्कृत हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तथा राष्ट्र के प्रत्येक वस्तु के प्रति व्यक्ति को चिंतन मनन करने के लिये प्रेरित कर हम अपनी धरोहर के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा-स्नेह उत्पन्न करे। वेद पुराण एवं उपनिषद् इनकी रक्षा एवं विकास के लिये संस्कृत को महत्व प्रदान करना अति आवश्यक है। इस विरासत को हमें पुनः शिरोधार्य करना होगा तभी उसका विकास एवं उत्थान सम्भव होगा। इस प्रकार संस्कृत साहित्य की आज के परिपेक्ष्य में आवश्यकता है।

राष्ट्र के प्रति विशिष्ट प्रेमपूर्ण भावना को राष्ट्रियता या राष्ट्रिय भावना मनुष्य की सहज और स्वाभाविक वृत्तियों में से एक है। संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना विषयक अनेक तत्व प्राप्त होते हैं, जो इस भावना को पल्लवित, पुष्पवित तथा फलित करने में उर्वरक का कार्य करते हैं। वेद, उपनिषद्, पुराण व लौकिक साहित्य आदि सब में राष्ट्रिय भावना को पोषित करने वाले अनेक तत्व प्राप्त होते हैं। राष्ट्रिय भावना क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठकर 'जिये तो सदा इसी के लिए, मरे तो सदा इसी के लिए', पर बल देती है। रामायण में महाकवि वाल्मीकि तभी राम के मुख से कहलाते हैं- जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

राष्ट्रिय भावना नागरिकों को राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के उत्थान के प्रति निरन्तर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रियता की भावना के मध्य क्षुद्र स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता, अपितु 'त्याग' इसका मतलब प्राण नहीं त्याग होता है, इसमें व्यष्टि नहीं अपितु समष्टि पर बल दिया जाता है।

यथा -सह नावतु सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

अर्थात् हे ईश्वर हम (गुरु एवं शिष्य) दोनों साथ-साथ विद्या सम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारा किया हुआ अध्ययन तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करें। ऐसी उन्नत भावनायें संस्कृत साहित्य में विद्यमान हैं जो राष्ट्रियता की भावना पर बल देती हैं। भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व वेदों में तो राष्ट्रिय भावना के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं-

यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्याद् योऽभिदासान्मनसा यो वधेन।

तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृतवरि॥

अर्थात् हे मातृभूमे! तुम पर निवास करने वाले हम लोगों से जो द्वेष करे या लड़ाई करें या मन से हानिकारक योजना बनाये उसे नष्ट कर सकें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए।

“आत्म निर्भर” जो अंग्रेजी में एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है “आत्मनिर्भर” जिसका अर्थ दूसरों पर कम निर्भरता या दूसरों पर निर्भर न होना भी है। वोकल फॉर लोकल भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है।

आत्मा निर्भर का उद्देश्य- अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और हमें कुछ धन की आवश्यकता होती है। बैंकों से पैसा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारे दस्तावेज दिखाने होते हैं और कुछ संपत्ति को गिरवी रखने की भी जरूरत होती है। तो, इस योजना में आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत होती है। तो, इस योजना में आपको बस एक डिग्री या एक विशेष प्रतिभा की आवश्यकता है, जो कई मायनों में अद्वितीय होनी चाहिए। कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें आप बैंक दस्तावेजों में पढ़ सकते हैं लेकिन वे ग्राहक के अनुकूल हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों का समर्थन करते हैं।

उन प्रवासी कामगारों के लिए आत्म निर्भर भारत एक विशेष रूप से तैयार की गई योजना है, जिन्होंने इस अंतराल के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। यह कोरोना था जिसने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया। तो, इस संबंध में, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और लोगों को अपने स्वयं के स्टार्ट-अप के लिए बढ़ावा देना शुरू कर दिया।

यहां आत्मनिर्भरता का अर्थ अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन जैसे कारकों से है।

आत्म निर्भर भारत अभियान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। महामारी के आर्थिक प्रभावों को बेअसर करने के लिए मई 2020 में की गई आर्थिक घोषणाओं में इसका पहली बार उल्लेख किया गया था।

आत्म निर्भर भारत अभियान की आधिकारिक तौर पर घोषणा 13 मई 2020 को की गई थी, जब देश महामारी के पहले चरण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्म निर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों को परिभाषित किया, कठिनाइयों को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अवसरों में, बदलने के लिए। आत्म निर्भर भारत निबंध।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ

1. अर्थव्यवस्था
2. आधारभूत संरचना
3. व्यवस्था
4. जीवंत जनसंख्या और
5. मांग

भारत दुनिया भर के कई देशों से आयात पर निर्भर है और निर्यात से बड़ा आयात बिल चुकाता है। महामारी से समय दुनिया भर में सभी आयात और निर्यात गतिविधियों को रोक दिया गया था। माल और सेवाओं पर परिवहन बंद कर दिया गया था। तब संसाधनों के बिना रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि परिवहन गतिविधियों के बंद के कारण माल का आयात संभव नहीं था।

आत्म निर्भर भारत के पांच चरण हैं:

चरण- 1: एमएसएमई सहित व्यवसाय

चरण- 2: गरीब, जिसमें प्रवासी और किसान शामिल हैं

चरण- 3: कृषि

चरण- 4: विकास के नए क्षितिज

चरण- 5: सरकारी सुधार और समर्थक

1. एमएसएमई सहित व्यवसाय- उद्योगों, व्यवसायों, श्रम आदि को पूरा करने के लिए वित्तीय पैकेज।
2. किसानों सहित गरीब- कोविड के बाद गरीबों और किसानों को सीधी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।
3. कृषि- नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के माध्यम से किसानों को विशेष वित्तीय पैकेज और आपातकालीन कार्यशील पूंजी।
4. विकास के नए क्षितिज- एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रयास में फास्ट ट्रैक निवेश मंजूरी और नीति सुधार।

सरकारी सुधार और प्रमोटर- व्यवसाय करने में आसानी स्वास्थ्य सेवा विकास से संबंधित है; ऑनलाइन शिक्षा सहित प्रौद्योगिकी संचालित समाधान, यही आत्म निर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है।

निष्कर्ष- वर्तमान समय में अराजकत्व तत्वों से अत्यधिक दूषित हो चुके वातावरण में देशवासियों में राष्ट्रियता की अलख जगाने हेतु ऐसे वेद मंत्र वास्तव में संजीवनी औषधि तुल्य है। बस आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारा प्रयास हो कि जन-जन तक ऐसी वेदवाणी की गूंज पहुंचे। तभी-

सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्॥

अर्थात् सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सब कल्याण को देखे और किसी को भी कोई दुःख न हो। ऐसी उच्चाकांक्षाएं फलित होगी जो कि पुण्य राष्ट्रिय भावना को पोषित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. भारतीय संस्कृति- डॉ० देवराज, हिन्दी समिति सूचना विभाग 1966
2. भारतीय धर्म और संस्कृति- रामजी उपाध्याय लोक भारती प्रकाशन, 2014
3. प्रतियोगिता दर्पण- 04/12
4. टाइम्स ऑफ इण्डिया- 12/06/2009
5. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति- बम्देव उपाध्याय (1969)
6. भारतीय सभ्यता का इतिहास- दया प्रकाश रस्तोगी
7. शिक्षा के दार्शनिक ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय आधार- एस.पी.चौवे
8. Pandey, Naveen Kumar 12 मई 2020 “आत्मनिर्भर भारत अभियान: पीएम मोदी ने बताया, की पांच पीलरों पर आत्मनिर्भर भारत की इमारत Navbharat time अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022.
9. “प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने का आवहान किया pib.gov.in. 12 मई 2020 अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022.

आत्मनिर्भर भारत हेतु वैदिक शिक्षा की उपादेयता

लोकेश शर्मा

पी-एच.डी. शोधछात्र, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

डॉ० दीप लता

(शोध निर्देशक) सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक वह आत्मनिर्भर न हो। अतः अपने समाज का उत्कर्ष चाहने वाले तथा अपना विकास चाहने वाले राष्ट्र को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता से अर्थ स्वयं के आश्रित रहने से है, जिसके विषय में अंग्रेजी में self-reliant शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मनिर्भर शब्द दो शब्दों आत्मन् और निर्भर से मिलकर बना है जिसमें आत्मन् शब्द मनिन् प्रत्यय लगने पर बनता है, जिससे तात्पर्य स्वरूप, यत्न, देह, मनस्, निज, बुद्धि, सूर्य, वायु, जीव और ब्रह्म आदि शब्दों से है। वहीं निर्भर शब्द के विषय में कहा गया है कि- निःशेषण भरो भरणं यत्र¹ अर्थात् अत्यधिक अतिशय से (आश्रित) रहना। अतः आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ अतिशय से अपने स्वरूप, यत्न, देह, मनस्, निज, बुद्धि आदि के आश्रित रहना अर्थात् स्वयं के आश्रित रहना है।

एक गौरवशाली इतिहास से संपन्न यह भारत देश आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भरता का स्वयं सिद्ध उदाहरण होने के साथ-साथ अपनी अविरल ज्ञान निधि के कारण विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित था। आर्थिक रूप से अत्यधिक विकसित होने पर भी यहां का समाज आत्मा सम्बन्धित चिंतन तथा ज्ञान की निरंतर खोज में व्यस्त रहता था, जो भौतिकता की अंधी दौड़ से ऊपर उठ सम्पूर्ण विश्व को सदाचरण का पाठ पढ़ाता था। यहां के लोगों के लिए सुख से तात्पर्य भौतिकता से ना होकर उस परम ज्ञान से था, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता था- नेह नानास्ति किंचन।² इस प्रकार भारतीय मानस को भौतिकता से ऊपर उठाकर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षा ही थी जो यहां के लोगों को सच्चरित्र, अनुशासन, एकात्मता का पाठ पढ़ाती हुई उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रेरित करती थी तथा हर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता हेतु सहायक थी।

परन्तु वर्तमान में आत्मनिर्भरता से लिया जाने वाला तात्पर्य केवल भौतिकवादिता में ही सीमित रह गया है जिसमें आर्थिक, सैन्य, तकनीकी आदि के विकास में स्वायत्त होने मात्र को ही आत्मनिर्भर होना माना जा रहा है, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। इस मानसिकता की सूत्रधार वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि पद प्रदान कर साक्षर तो बना सकती है, परन्तु उनमें राष्ट्रप्रेम, सामंजस्य, विश्वबन्धुत्व, विश्वशांति, करुणा जैसे आत्मिक गुणों का विकास नहीं कर सकती। सम्प्रति समाज में घटने वाली घटनाओं से भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से यदि समाज का कल्याण हो पाता तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अशांति, युद्धप्रलाप तथा विकृत संस्कृति का प्रचार-प्रसार न हो रहा होता। इन सभी चुनौतियों के उपस्थित रहते आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की पूर्णता कठिन है। शिक्षा के विषय में महर्षि अरविंद कहते हैं कि “जो बौद्धिक शिक्षा नैतिक और भावात्मक प्रकृति की पूर्णता से अलग रहती है वह मानव प्रगति के लिए हानिकारक होती है।”⁴

भारतीय शिक्षण परम्परा में वेद-वेदांग, दर्शन आदि विविध ज्ञानस्तंभों के द्वारा ऐसी ज्ञान की पद्धति की विस्तारपूर्ण व्यवस्था की गई थी जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। परन्तु विभिन्न समय में अनेक आक्रान्ताओं द्वारा किए गए हस्तक्षेपों एवं आघातों के कारण यह परम्परा दुर्बल होती गई। भारतीय परम्परागत शिक्षा का अंग्रेजी उपनिवेशकाल में जो रूपान्तरण हुआ उसने शिक्षा के स्वरूप तथा भारतीय चिन्तन को गम्भीर रूप से प्रभावित किया। जो भारतीय मानस शिक्षा या विद्यार्जन को मुक्ति देने वाला उपक्रम जानकर सा विद्या या विमुक्तये⁵ अथवा ऋते ज्ञानान् मुक्तिः इन वचनों के अनुरूप ज्ञानकी गवेषणा हेतु अपने सम्पूर्ण जीवन को समर्पित कर देता था, वही वर्तमान में अर्थपिपासु होकर सम्पूर्ण जीवन धन एकत्रित करने में लगा देता है। पाश्चात्य ज्ञानकी श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु समृद्ध भारतीय ज्ञान परम्परा को नष्ट कर दिया गया। भारतीय ज्ञान परम्परा की उपेक्षा और अनुपयोग के कारण यह अधिकांश भारतीयों के लिए अपरिचित और अप्रासंगिक सी होती गई। जिसके कारण उसके प्रति दुर्भाव पनपने लगा तथा उसका तिरस्कार होने लगा।

वैदिक शिक्षा का स्वरूप एवं उसकी उपादेयता

1. स्वरूप

शिक्षा शब्द ‘शिक्ष विद्योपादाने’ धातु से निष्पन्न होता है इसका मूलार्थ है- ‘विद्या प्राप्ति’। सारणाचार्य के ऋग्वेदभाष्यभूमिका के अनुसार शिक्षा वह शास्त्र है जिसमें वर्ण, स्वर आदि के उच्चारण के प्रकार का उपदेश किया जाता है। यथा- वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा।⁶ शिक्षा के प्रतिपाद्य विषय

का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषद् में हुआ है जहां वर्ण, स्वर, मात्रा, बल (स्थान और प्रयत्न), साम (उच्चारण) और सन्तान (संहिता) को उसके अंतर्गत बताया गया है। यथा- शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः स्वरो मात्रा बलं साम सन्तान इत्युक्तः शीक्षाध्यायः।⁷ शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उसके द्वारा उनकी रक्षा के प्रयोजन से हुआ। शिक्षा के नियमों के अनुसार वैदिक मंत्रों के वर्ण और स्वरों के शुद्ध उच्चारण न किए जाने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसके विषय में कहा जाता है कि-

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधादिति।⁸

ऋग्वेद के भाष्यकार वेंकटमाधव की तो यह घोषणा है कि वेद के अर्थ की व्यवस्था स्वर से ही हो सकती है - माधवस्य त्वयं पक्षः स्वरेणैव व्यवस्थितिः।⁹ वैदिक वर्णों और स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा, प्रातिशाख्य, व्याकरण आदि शास्त्रों तथा वेदार्थ ज्ञान हेतु षड् वेदाङ्गों का निर्माण हुआ। यह षड् वेदाङ्ग ही वेद रूपी पुरुष के छः अंग कहे जाते हैं- छन्दः पादौ तु वेदस्याः¹⁰ इस प्रकार इन छः अङ्गों द्वारा वेदार्थ को जानने वाला पुरुष ब्रह्मत्व की प्राप्ति हेतु योग्य कहा जाता था। वेदों के सम्यक् अर्थज्ञान हेतु ही शिक्षा शास्त्र तथा सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदार्थ के ज्ञान को ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया? इसका उत्तर है कि वेदों को सभी प्रकार के ज्ञान का आधार कहा गया है- सर्वज्ञानमयो हि सः।¹¹ इस सम्पूर्ण जगत् में जो भी ज्ञान है वह सब वेदों में ही निहित है। इसलिए मनु ने वेदाध्ययन को ही विप्रों का परम कर्तव्य माना है- वेदभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते।¹² तथा सभी गुरुकुलों में पढ़ने वाले द्विजों को विद्याध्ययन हेतु प्रेरित किया है, तथा न पढ़ने वालों को निम्न कहा है यथा- योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।¹³

2. उपादेयता

सदाचार की शिक्षा: प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्यों को सदाचार की शिक्षा दी जाती थी- आचारः परमो धर्मः।¹⁴ जिसके आचरण से ही व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का समावेश हो जाता था। इस प्रकार नैतिक मूल्यों से युक्त समाज का निर्माण करना तथा वास्तविक ज्ञान की निरन्तर खोज करना ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ध्येय था। सदाचार संपन्न व्यक्ति ही यत्न करता हुआ ज्ञान प्राप्ति हेतु योग्य कहा जाता था।¹⁵ व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है तथा क्या अकर्तव्य इसका ज्ञान उन्हें इस शिक्षा पद्धति द्वारा कराया जाता था। आचार की महत्ता के विषय में मनुस्मृतिकार कहते हैं कि मनुष्य आचार से ही आयु, संतति, धन आदि को प्राप्त करता है तथा आचार से ही अनिष्ट लक्षण का नाश करता है-

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्।¹⁶

देवी भागवत में भी आचार को मनुष्य के लिए कल्याण कारक परम धर्म माना गया है जिससे सदाचारी इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुख को प्राप्त होता है।¹⁷ प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी दिनचर्या गुरुकुल वासियों को सदाचार की शिक्षा देने हेतु गुरु द्वारा निरीक्षित की जाती थी। समय के सम्यक् प्रबंधन द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के तीनों स्तरों स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिन्तन स्तर द्वारा अपने अनुभवों का विस्तार किया करता था।¹⁸ इन तीनों स्तरों के द्वारा अनुभूत ज्ञान ही उसके जीवन पथ पर उसका सहयोगी बनता था। इस प्रकार गुरुकुल में सम्यक् आचरण का ज्ञान प्राप्त करता हुआ विद्यार्थी ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर समाज को सदाचरण की शिक्षा देकर समाज को संस्कारवान् बनाता था, क्योंकि आचारवान् मनुष्य को ही सदा पवित्र, सदा सुखी तथा सदा धन्य कहा गया है।¹⁹ वेद कालीन शिक्षा प्रणाली में सदाचार तथा आदर्शों का दिग्दर्शन हमें उस उपदेश से होता है जो आचार्य दीक्षांत के अवसर पर अपने विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन के प्रति प्रेरित करते हुए देता है-

“सत्य बोलो, धर्माचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। आचार्य को प्रिय धन देकर प्रजातन्तु (संतानोत्पत्ति) को मत तोड़ो अर्थात् गृहस्थ में प्रवेश करो। सत्य से प्रमाद न करो, धर्म से प्रमाद न करो, अपने कुशल-क्षेम के प्रति प्रमादी ना बनो। अपनी समृद्धि के प्रति प्रमाद ना करो। देवता-पितर आदि के कार्यों के प्रति प्रमाद न करो। माता को देवता के समान समझो, पिता को देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो। जो अनिन्दीय कर्म हैं उन्हीं का सेवन करो, अन्यो का नहीं।”²⁰

ब्रह्मचर्य की महत्ता

प्राचीन भारतीय जीवनचर्या में आश्रमव्यवस्था का विशेष स्थान था, जिसके अंतर्गत ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यासाश्रम यह चार आश्रम थे। इनमें से ब्रह्मचर्याश्रम का सम्बन्ध शिक्षा प्रणाली से था। ब्रह्मचारी व ब्रह्मचर्य शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति और जीवनचर्या से है जिसमें ब्रह्म अर्थात् सत्य²¹ की खोज हेतु गुरुगृह में निवास किया जाता था हो। इस आश्रम का विकास वैदिक काल से भी पूर्व का था क्योंकि ऋग्वेद में ब्रह्मचारी का स्पष्ट उल्लेख आता है यथा-

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्।

तेन जायामन्वविन्दद्बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः।²²

अर्थात् ब्रह्मचारी परमात्मा की स्तुति करता हुआ विद्वानों की दृष्टि में एकाङ्ग होकर जब गुरु से अध्ययन करके वेदवाणी रूपी पत्नी को प्राप्त करता है, तभी ब्रह्मयज्ञ करने में सफल होता है। क्योंकि यज्ञ, होम आदि पत्नी के साथ ही सफल माना जाता है।

अथर्ववेद में ब्रह्मचारी व ब्रह्मचर्याश्रम के विभिन्न कर्तव्यों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आचार्य ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार करके उसे अन्तेवासी बनाता है।²³ वह ब्रह्मचारी मेखला, कार्ण (मृगचर्म) आदि धारण कर समिधाहरण करता हुआ यज्ञादि कृत्यों हेतु दीक्षित किया जाता है।²⁴ वह तपस्या करता हुआ इस पृथ्वी से भिक्षा प्राप्त करता है।²⁵ इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम को शिष्यों की जीवनचर्या हेतु अनिवार्य मानकर ही प्राचीन शिक्षा प्रणाली में प्रथम

स्थान दिया गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य व तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, ब्रह्मचर्य से कन्या युवा पति को प्राप्त होती है तथा देवताओं ने मृत्यु का हनन भी ब्रह्मचर्य से ही किया।²⁶

समानता तथा सद्भाव की शिक्षा

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक बालक के मन पर यह अंकित कर दिया जाता था कि वह समाज का एक घटक होने के कारण पितृऋण, ऋषिऋण, देवऋण इन तीन ऋणों से युक्त है, जो समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व मात्र है। सात या आठ वर्ष के बालक को गुरुकुल में प्रविष्ट करवाकर गुरुद्वारा उसका उपनयन संस्कार किया जाता था।²⁷ गुरु द्वारा उपनीत शिष्य ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर द्विज कहलाता था- संस्काराद् द्विज उच्यते। गुरुकुल में प्रवेश होने के पश्चात् विद्यार्थी गुरु के परिवार का एक सदस्य बन जाता था, जो परस्पर आत्मीय भाव से युक्त तथा सदैव द्वेष रहित चित्त वाले होते थे-

सह नावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।²⁸

प्रकृति और गुरु के सानिध्य में बैठकर गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी नैसर्गिक आत्मीय शक्तियों का विकास करते हुए विभिन्न विद्याओं का अध्ययन करते थे। गुरुकुल में प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक बालक के हृदय में ऊंच-नीच, छोटा-बड़ा आदि भाव न होकर सदा समानता का भाव अंकित हो जाता था-

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।²⁹

सत्य, तप, त्याग, ज्ञान आदि की साक्षात् मूर्ति उनके गुरु के सच्चरित्र व व्यक्तित्व का प्रभाव भी उन कोमलहृदय ब्रह्मचारियों पर पड़े बिना नहीं रहता था। गुरु भी अपने शिष्यों को उसके केवल अच्छे गुणों को ग्रहण करने हेतु निर्देश देता था- यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।³⁰ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् शिष्य इस भाव को समाज में भी फैलाता था, जिससे समाज का बड़ा हित होता था। इस प्रकार सेवावृत्ति से युक्त गुरुकुल जीवन में स्वावलंबन के सिद्धांत का आचरण करता हुआ ब्रह्मचारी अपने सब कार्य स्वयं कर गुरुसेवा में सदैव तत्पर रहता था। सादगी से रहता हुआ द्विज समिधा एकत्र कर, भिक्षाटन द्वारा अहंकार का त्याग करता हुआ तपस्वियों के समान जीवन यापन कर ज्ञान का अर्जन करता था।

विभिन्न विद्याओं का अध्ययन

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी गुरुसेवा में निरत रहता हुआ स्वयं का आध्यात्मिक विकास करने के साथ-साथ विभिन्न भौतिक विद्याओं को भी ग्रहण करता था। जिनका वर्णन करते हुए छांदोग्योपनिषद् में एक स्थान पर महर्षि सनत्कुमार के पूछने पर नारद मुनि कहते हैं कि- ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पितृयं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि।³¹

अर्थात् हे भगवान् मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराण (History), वेदों के अर्थविधायक ग्रंथ (व्याकरण-Grammar, निरुक्त-Philology, शिक्षा-Phonetics, छंद-Metrics, कल्प-Aphorisms on ritualism, ज्योतिष-Astronomy), पितृविद्या (Anthropology), राशिविद्या (गणित), दैवविद्या अर्थात् उत्पातविद्या जैसे भूकंप, जलप्लावन, वायुकोप आदि (Physical Geography), निधिविद्या अर्थात् खानों की विद्या (Mineralogy), वाकोवाक्य विद्या अर्थात् तर्कशास्त्र (Logic), एकायनविद्या अर्थात् नीतिविद्या (Ethics), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या अर्थात् प्राणियों से सम्बन्धित विद्या जिनमें उनके प्रकार, रचना आदि वर्णित हो (Zoology, Anatomy etc.) क्षत्रविद्या अर्थात् युद्ध से सम्बन्धित धनुर्विद्या आदि (Archery) तथा राजशासन विद्या (Military Science and Art of Government) नक्षत्र विद्या अर्थात् अंतरिक्ष से सम्बन्धित (Astrophysics) और सर्वदेवजन आदि विद्याओं का अध्ययन किया है।

यहां सर्वदेवजन विद्या का विषय स्पष्ट न होने पर इससे तात्पर्य सर्प आदि की विषचिकित्सा तथा देव और जन से सम्बन्धित विद्या का वर्णन हो सकता है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में नाना प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी।

शारीरिक तथा मानसिक विकास

वैदिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास करने हेतु पूर्ण अवसर प्राप्त होता था। गुरुकुल के शुद्ध वातावरण, संयम एवं अनुशासन में रहते हुए उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि नियमों³² द्वारा अपने शारीरिक तथा मानसिक मलों का शमन करते हुए विद्यार्थी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यमों³³ के पालन में निरत रहता था। अपनी आयु के प्रारंभिक पच्चीस वर्षों तक गुरुकुल में ऐसा जीवन व्यतीत करने पर उन विद्यार्थियों का शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट बन जाता था कि वह रोग रहित रहते हुए राष्ट्रकल्याण में युक्त हो सके। ऐसे ही शारीरिक विकास वाले लोग सौ वर्षों तक जीने की कामना कर सकते थे- तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्।³⁴ ईशावास्योपनिषद् के ऋषि भी शास्त्रनियत कर्मों को करते हुए सौ वर्षों तक जीने हेतु प्रेरित करते हैं।³⁵

निष्कर्ष

वेद कालीन संस्कृति उदात्त सिद्धांतों व तत्वों पर आधारित थी। मनुष्य जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति ही उस संस्कृति का ध्येय था, जिसे ध्यान में रख प्राचीन शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रणाली के पुरोधर ऋषि-मुनि आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध, जीवन-मरण की समस्याओं तथा बहुत से सत्य सनातन सिद्धांतों व तत्वों को समझने में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार उन्होंने मानव जीवन को पाशविकता के अंधकार से निकालकर विशाल व उदात्त उद्देश्यों से युक्त कर दिया था। इन उद्देश्यों की पूर्ति भी योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही संभव थी, जिसकी योग्यता प्रदान कराने हेतु ही वैदिक

शिक्षा प्रणाली विकसित की गई। अतः वेद कालीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों का सम्यक् रूपेण विकास कर सही मायने में उसे मानव बनाना था। जो जीवन की पहलियों को सुलझाने में समर्थ हो सके। आज आवश्यकता है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक मूल्य आधारित शिक्षा के समावेश की जो विश्व बन्धुत्व, विश्व शान्ति, उदात्त भावनाओं तथा महान् आदर्शों से ओतप्रोत समाज का निर्माण कर सके। तभी सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर होगा।

संदर्भ

- 1 वाचस्पत्यम्, पृष्ठ- 993
- 2 शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ- 895
- 3 बृहदारण्यकोपनिषद्, 4-4-19
- 4 शिक्षा के आयाम, श्री अरविन्द सोसायटी, पाण्डिचेरी 1986, पृष्ठ-25
- 5 श्रीविष्णुपुराण, 1-19-41
- 6 ऋग्वेदभाष्यभूमिका, सायण
- 7 तैत्तिरीयोपनिषद्, 1-2-2
- 8 पाणिनीय शिक्षा, 52
- 9 ऋगर्थदीपिका, 1-1-26
- 10 पाणिनीय शिक्षा, 41-42
- 11 मनुस्मृति, 2/7
- 12 वही, 2-166
- 13 वही, 2-168
- 14 मनुस्मृति, 1-108
- 15 मुण्डकोपनिषद्, 3-2-4
- 16 मनुस्मृति, 4-156
- 17 देवीभागवत, 11-1-11
- 18 आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । बृहदारण्यकोपनिषत् २-४-५
- 19 देवीभागवत, 11-24-28
- 20 तैत्तिरीयोपनिषद्, 1-11
- 21 ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। छान्दोग्योपनिषद्, 8-3-4
- 22 ऋग्वेद, 10-109-5
- 23 अथर्ववेद, 11-5-3
- 24 वही, 11-5-6
- 25 वही, 11-5-9
- 26 वही, 11-5-17,18,19
- 27 वेदकालीन समाज, डा.शिवदत्त ज्ञानी- 141
- 28 श्वोताश्वतररोपनिषद्, शान्तिपाठ
- 29 ऋग्वेद, 10-191-4
- 30 तैत्तिरीयोपनिषद्, 1-11-2
- 31 छान्दोग्योपनिषद्, 7-1-2
- 32 शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। योगसूत्र, 2-32
- 33 अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः। योगसूत्र, 2-30
- 34 ऋग्वेद- 7/66/16, यजुर्वेद- 36/24
- 35 कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिषेच्छतं समाः। ईशावास्योपनिषद्- 2

भारत में धर्मांतरण: एक दार्शनिक विमर्श

ऋतुराज सिंह

पीएच.डी. शोधछात्र, दर्शनशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)-470003

सभ्यता के आदिकाल से ही संसार के प्रायः सभी सभ्य देशों में धर्म की चर्चा होती रही है। सभ्य ही क्या असभ्य समाज में भी बिना धर्म के तात्पर्य को ठीक तरह हृदयंगम किये, धर्म और उसके कृत्यों का किसी न किसी रूप में प्रचलन रहा है। अनेक देशों में धर्म के साथ दर्शन जुड़ गया है, किन्तु कई जगह वह अपने तक ही सीमित रहा है। वहाँ पूजोपासना या अन्य सम्बन्धित कर्मकाण्डों के अतिरिक्त कोई गम्भीर चिन्तन उसके साथ नहीं जुड़ पाया। धर्म का प्रारम्भ भय से हुआ अथवा किसी गम्भीर चिन्तन से, इस विषय पर विवाद हो सकता है। किन्तु यह निर्विवाद है कि उसके मूल में श्रद्धा रही है। धीरे-धीरे कई समाजों में धर्म ने सम्प्रदायों का रूप ले लिया और इस प्रकार वह अनेक खण्डों में विभक्त हो गया।¹ धर्म एक व्यापक विषय है इसे शब्दों की सीमाओं में बाँधा नहीं जा सकता है। लेकिन कई विद्वानों ने अपने अनुभव को परिभाषाओं में ढालने का प्रयास किया है। धर्म में गतिशीलता है, जिसके चलते समय-समय में कई बदलते हुए अनुभव एवं परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की गई। जिस प्रकार भागवत में लिखा है कि- 'वेद में जो कुछ कहा गया है वह धर्म है उसके विपरीत सब अधर्म है'²

वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्तद्विपर्ययः।

“मनुस्मृति में भी वेदों को ही धर्म का मूल कहा गया है, साथ ही साथ मनु यह भी कथन करते हैं कि माता-पिता आदि के आचरण में चरण चिह्नों पर आचरण को ढालना ही धर्म है”³

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः।

तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन् न रिष्यते॥

“कणाद ने धर्म को उन्नति एवं उत्कर्ष का कारक माना है”⁴

यतोभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः

“धर्म के स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से बोधमय बनाने के लिए महाभारत तथा श्रीमद्भागवत् पुराण में धर्म की पत्तियों की संख्या भी बताई गई है। महाभारत के अनुसार - कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा तथा मति इनके नाम हैं”⁵

कीर्तिलक्ष्मीर्धृतिमेधा- पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा।

बुद्धिलज्जा मतिश्चैव पत्न्यो धर्मस्यता दश।⁶

भागवत् के अनुसार इन पत्तियों के नाम हैं- श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि-पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री तथा मूर्ति।

श्रद्धामैत्रीदयाशान्ति स्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः।

बुद्धिर्मेधा तितिक्षा, ह्रीमूर्तिधर्मस्य पत्नयः।⁷

भारतीय परम्परा में धर्म की व्याख्या के पश्चात् अब धर्म की पाश्चात्य साहित्य की दृष्टि से अवलोकन करना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि आजकल पाश्चात्य साहित्य की ओर देखना अधिकांश लोगों की मानोवृत्ति बन चुकी है। इस प्रकार धर्म का अंग्रेजी रूपांतरण रिलिजन है जो लैटिन भाषा के रेलिगेयर (Religare) से बना है। जिसका अर्थ होता है बाँधना, से निकला है। यदि इस व्युत्पत्ति के आधार पर रिलिजन को समझा जाए तो वह एक ऐसी वस्तु है जो आराध्य तथा आराधक, उपासक एवं उपास्य, व्यक्ति तथा समाज को बाँधती है। अपने मूल रूप में धर्म का यही सर्जनात्मक स्वरूप रहा है।⁸ वही पाश्चात्य दार्शनिक पॉल टिलिच ने लिखा है कि हम सभी धर्म के जूएँ की नीचे चल रहे हैं⁹ और स्पष्टता से समझाते हुए प्रो. मिल्टन यिंगर ने बतलाया है कि यहाँ तो धर्म की 100 से भी अधिक परिभाषाएँ दी जा सकती हैं, किन्तु धर्म की इन परिभाषाओं को गिनाने के स्थान पर उनका वर्गीकरण अधिक लाभप्रद है। यिंगर के अनुसार तीन तरह की परिभाषाएँ हैं, पहले वर्ग की परिभाषा मूल्यात्मक होती है जो बतलाती है कि धर्म क्या होना चाहिए, दूसरे वर्ग परिभाषा वर्णनात्मक होती है जिसमें धर्म का वर्णन स्पष्ट अर्थ में किया जाता है, जैसे टाइलर के अनुसार धर्म का अर्थ आध्यात्मिक प्राणियों में विश्वास। तीसरे वर्ग की परिभाषाएँ क्रियात्मक होती हैं ये बतलाती हैं कि धर्म क्या करता है। इस अंतिम वर्ग में धर्म की परिभाषा बड़ी विराट् हो जाती है। विभिन्नताओं के बावजूद जब हम सभी धर्मों को धर्म के अन्तर्गत मानते हैं तो इसका एकमात्र कारण यही है कि ये सभी एक जैसी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं।¹⁰

आक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म का अर्थ बतलाया गया है कि व्यक्ति का ऐसी उच्चतर अदृश्य शक्ति पर विश्वास जो उसके भविष्य पर नियंत्रण रखती है और जो उसकी आज्ञाकारिता, शील, सम्मान तथा अराधना का विषय है¹⁰ और व्यक्ति को अपने अन्तःकरण से इसका अनुसरण करना चाहिए ताकि सभी कार्यों को नैतिकता से सम्पूर्ण किया जा सके। लेकिन धर्म के अनुशीलन के लिए बुद्धि तथा मेधा को भी आवश्यक माना गया है क्योंकि इनके अभाव में

धर्म को महज कर्मकाण्ड का रूप समझ लिया जाता है, निरर्थक रीतिरिवाजों का पुंज मान लिया जाता है”¹¹ जिससे व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता है इसके परिणाम स्वरूप धर्म अन्तर धार्मिक समस्याओं का तुफान खड़ा हो जाता है जिसे हम सभी धार्मिक आतंकवाद, धार्मिक अन्तर्द्वन्द्व, धर्मांतरण, धार्मिक विद्वेष, लोगों में समरसता का अभाव, अन्तर धार्मिक कट्टरता आदि के नाम से जानते हैं और इन सभी को समाज में किसी न किसी रूप में देखते रहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय धर्मांतरण बना हुआ है क्योंकि प्राचीन से लेकर वर्तमान तक विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर विचारों को अभिव्यक्त किया है। लेकिन अभी की परिस्थिति के अनुसार यह एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है।

धर्म परिवर्तन (Conversion) को स्पष्ट रूप से समझा जाये तो यह एक प्रकार से ‘मन परिवर्तन’, ‘रूपान्तरण’, ‘जीवन परिवर्तन’ है विलियम जेम्स के अनुसार धर्म परिवर्तन को पुनर्जीवन, अनुकम्पा प्राप्त करना, धर्म को अनुभूत करना, आश्वासन प्राप्त करना इत्यादि जैसे विभिन्न पदों से सूचित किया जाता है।¹² साधारण शब्दों में धर्म परिवर्तन का यही अर्थ होता है। इसके द्वारा भूला, भटका, गलत और दुःखी मनुष्य अपने को सही श्रेष्ठ और सुखी महसूस करने लगता है। हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा¹³ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि “धर्म परिवर्तन एक धार्मिक तथा है जो सार्वभौम है यह किसी विशेष धर्म की पत्नी है हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम आदि धर्मों में रूपान्तरण के उदाहरण मिलते हैं। रूपान्तरण का द्वार प्रत्येक मानव के लिए खुला है। ईसा मसीह के इस कथन में ‘तुम्हारा पुनः जन्म होगा’ हमें रूपान्तरण की सार्वभौमिकता का बोध होता है। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के दर्शन प्राप्त हुए थे, बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी, संत पाल को ईसा के दर्शन हुए थे, तुलसी को राम का दर्शन प्राप्त हुआ था, मुहम्मद को अल्लाह के दर्शन हुए थे। इन विभिन्न उदाहरणों में रूपान्तरण का विवरण झलकता है”।

Conversion शब्द प्रयोग दो अर्थों में होता है प्रथम शब्द का प्रयोग धर्म परिवर्तन के अर्थ में होता है। द्वितीय शब्द का अर्थ धर्मांतरण है। धर्मांतरण की प्रक्रिया में मनुष्य जिस धर्म का अनुगमन करता है उसे छोड़कर दूसरे नये धर्म को स्वीकार कर लेता है। धर्मांतरण का अंग्रेजी अनुवाद Proselytism भी है। धर्मांतरण के कई उदाहरण भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलते हैं जैसे ही एक ईसाई, ईसाई धर्म को त्याग कर इस्लाम, हिन्दू धर्म अथवा अन्य किसी धर्म को स्वीकार करता है वैसे ही उस व्यक्ति को धर्मांतरित समझ लिया जाता है। धर्मांतरण के लिए प्रयोग होने वाला अंग्रेजी शब्द Proselytism का वर्णन प्राचीन यहूदी धर्म में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ – किसी धर्म विशेष में धर्मावलम्बी का दीक्षित होना। यहूदी ग्रन्थों में दो प्रकार दीक्षित धर्मावलम्बियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम प्रकार में वे जो केवल यहूदी आचार शास्त्र को स्वीकार करते हैं जिन्हें दूरस्थ एवं दूसरे वे जो यहूदी धर्म को समग्र रूप में स्वीकार करते हैं इन्हें सामयिक (Proselytes of the convonent) कहा जाता है।¹⁴

इसको स्पष्ट करते हुए विद्वान वाल्टेयर ने अपने युग को यह बताने का प्रयत्न किया कि स्वयं ईसाई धर्म यूनान, मिश्र तथा भारत के धार्मिक प्रभावों की उपज है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक धर्म, जैसा कि ईसाई धर्म करता है, अपने आपको सर्वोत्कृष्ट बताने का प्रयास करता है और इस उत्कृष्टता को प्रचारित करने के लिए किंवदन्तियों एवं पौराणिक कल्पनाओं को गढ़ता है। उसका मत था कि इस प्रकार की कल्पनाएँ पादरियों द्वारा गढ़ी जाती है। अपने आपको सर्वप्रथम ईश्वरीय पुरुष कहने वाला सर्वप्रथम धोखा धड़ी करने वाला था जिसने यह बात सर्वप्रथम एक मूर्ख को कही। वाल्टेयर ने इस प्रकार सच्चे धर्म को विकृत कर जनता के सामने पेश करने वालों की प्रताड़ना की है। धर्म के नाम पर जो असंख्य तथा बेहूदे युद्ध किये गये, जो झगड़े पैदा किये गये, उन्हें सामान्य आदमी ने नहीं उत्पन्न किया। इसे उत्पन्न करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म का अनुभव नहीं हुआ, जिन्होंने अपने स्वार्थ भरे स्वप्नों को मूर्त रूप दिया, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आम जनता को भड़काया, उनके दिल दिमाग में भयानक कट्टरता तथा धर्मांधता की सुलगती आग पैदा कर डाली जिससे आम जनता उनकी दास बनकर रहे। उन्होंने यह सब इसलिए नहीं किया कि लोग ईश्वर से डरे और सही मार्ग पर चले। उन्होंने यह सब इसलिए किया जिससे लोग उनसे (पादरियों, पुजारियों आदि) डरे।¹⁵ यह सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं बल्कि सभी बड़े धर्मों में देखने को मिलता है और उनके इशारों पर धर्मांतरण कर लोग उनके ही समुदाय में सम्मिलित होते रहे। अतः अन्तर्धर्म संघर्ष की मूल रचना में सक्रिय भाग लेने वाले वस्तुतः प्रसारवादी धर्म ही हैं इनमें ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। लेकिन अन्तर्धर्म संघर्ष की जब बात आती है तो उसमें बौद्ध धर्म के स्थान पर हिन्दू धर्म आ जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसक रूप से अपनी प्रसारवादी गतिविधियों में संलग्न रहता है।

जब मनुष्य अपना मन-परिवर्तन या रूपान्तरण करता है तो वह या तो संकल्पनात्मक या आत्म-समर्पण भाव से हो सकता है। जो समय के साथ आवश्यक भी है लेकिन ठीक इसके विपरीत धर्मान्तरण की प्रक्रिया में दूसरे धर्म के धर्मावलम्बियों को अपने धर्म में सम्मिलित करने की जो प्रसारवादी धर्मों की क्रूर चेष्टा की जा रही है वह अकल्पनीय है। क्योंकि प्रसारवादी धर्म में एक ईसाई धर्म है जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अर्थात् उनकी गरीबी, अशिक्षा को ढाल बनाकर, व्यक्तियों को कुछ उपहार देकर उनके बच्चों को शिक्षा, रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन आदि का प्रबन्धन करने की बात कहकर उन्हें अपने ईसाई धर्म में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखते हैं और जिस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वही इस्लाम धर्म ने भारत में मुस्लिम शासकों के द्वारा हिन्दू धर्म के लोगों को अपनी तलवार की ताकत से जबरन मुस्लिम धर्म अंगीकार करने को बाध्य किया। मुस्लिम शासकों का इतिहास सिर्फ धर्म के लिए युद्ध, खूनखराबे, निर्दोष लोगों को डराना और मारना इन्हीं क्रूर कृत्यों से भरा पड़ा है। आज इन्हीं सब प्रसारवादी धर्मों के चलते भारत में अन्तर्धर्म संघर्ष चल रहे हैं। इसके भविष्य को भांपते हुए बहुत समय पहले ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि “विश्व विजय के लिए बौद्धों, ईसाईयों एवं मुसलमानों में संघर्ष होगा”।¹⁶ उनकी यह युक्ति आज समसामयिक परिवेश को देखते हुए सत्य प्रतीत होती है। लेकिन ये बातें ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं हैं क्योंकि वैदिक कालीन भारत देश बहु हिन्दू राष्ट्र हुआ करता था और उसमें वर्णव्यवस्था के साथ छुआ-छूत ने जब से जन्म लिया तब से निम्न समाज के लोगों को दरिद्रता, दासता का प्रतीक समझा जाने लगा। जिससे हम सभी अपने ही समाज से एक बहुत बड़े वर्ग को अलग कर दिया और उन्हें निकृष्ट, दरिद्रता असम्मानित आदि समझा जाने लगा। लोगों के द्वारा उनका पूर्णरूपेण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रसारवादी धर्मों ने अपने नये-नये तरीकों से धर्मांतरण का विश्व स्तर पर कार्य शुरू किया। इसे अवसर समझ लोगों ने जहाँ जिसको उचित लगा वहाँ (ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म) अपने धर्म को त्यागकर दूसरे धर्म के अनुयायी बन गये।

सन्दर्भ सूची

1. धर्म दर्शन, डॉ रामनारायण व्यास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, प्रस्तावना
2. वहीं पृ. 16
3. वहीं पृ. 17
4. वहीं पृ. 23
5. कीर्तिर्लक्ष्मीधृतिमेधा- पुष्टि: श्रद्धा क्रिया तथा।
बुद्धिर्लज्जा मतिश्चौव यल्पो धर्मस्यता दश- महाभारत आदि पर्व 66-15
6. भागवत् 4-1-49
7. धर्म दर्शन, डॉ रामनारायण व्यास, पूर्वोक्त, पृ. 23
8. वहीं पृ. 26
9. वहीं पृ. 24-25
10. वहीं पृ. 24
11. वहीं पृ. 24
12. धर्म दर्शन की रूपरेखा, डॉ. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा. मोतीलाल बनारसीदास, चतुर्थ संस्करण, पृ. 305
13. वहीं पृ. 305
14. धर्म दर्शन के आयाम, अखिल भारतीय दर्शन परिषद्, दिल्ली, पृ. 387-88
15. धर्म दर्शन, डॉ रामनारायण व्यास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 31
16. विवेकानंद साहित्य. नवम् खण्ड, अद्वैत आश्रम, संस्करण 2014 पृ. 273

आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका

डॉ० कृष्णा चौधरी

सहायक प्राचार्य-दर्शनशास्त्र, एच.पी.एस. कॉलेज, (भू.ना.म.वि.वि., मधेपुरा) निर्मली, जिला-सुपौल-847452 (बिहार)

डॉ० गोविन्द प्रसाद मिश्र

विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर-दर्शनशास्त्र विभाग, इं.गॉ.रा.ज.वि.वि. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), अमरकंटक-484886 (म.प्र.)

शोध सारांश

नारी के महान अनुदान एवं योगदान के कारण प्राचीन भारत समृद्ध संपन्न एवं अति विकसित था। प्राचीन काल में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ समाज, राजनीति, धर्म, कानून, संगठन आदि सर्वांगीण उन्नति एवं उत्थान में पुरुष की सच्ची सहचरी बनकर रही। भारतीय प्रगति का दीर्घ एवं लंबा इतिहास नारी के बिना अधूरा एवं अपूर्ण रह जाता, यदि नारी इसमें कोई योगदान नहीं देती। पुरुष को नारी द्वारा दी गई प्राणदायी प्रेरणा के बल पर ही भारतीय विकास का आधार खड़ा हो सका।¹

आत्मनिर्भरता मानव जीवन का एक ऐसा सद्गुण है, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति का जीवन सुगम एवं सरल हो जाता है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने कर्म की कुशलता से आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र का भी निर्माण करता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता स्वावलंबी बना देती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर रहता है तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ था, जिसे जगद्गुरु की संज्ञा दी गयी थी। यही कारण था कि वैदिक काल में कन्याओं को शुभ तथा विशेष शक्ति प्राप्त थी। भारतीय महिलाओं के समक्ष जाति प्रथा, धार्मिक परम्पराओं, प्राचीन प्रचलित भूमिकाओं जैसी अन्य चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ ही उसे पहले से अधिक मजबूत भारतीय समाज के पुरुष सत्तात्मक ताने-बाने से भी लोहा लेना है। आज भी इसी चीज की आवश्यकता है। समाज में नारी के विकास के लिए समुचित व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए, सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए, उनके संदर्भ में अपनी मानसिकता एवं दृष्टिकोण को परिवर्तित एवं परिष्कृत किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। नारी के विकास से ही भारत अपनी प्रतिष्ठा सम्मान गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्थव्यवस्था, तकनीकी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मांग को विकसित करना होगा तभी जाकर नये भारत का सपना साकार हो सकेगा तथा महिलाओं का विकास हो सकेगा।

कीवर्ड- आत्मनिर्भर, महिला

प्रस्तावना

प्राचीन काल में भारतीय समाज को विश्व में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। इसके पीछे नारियों का अमूल्य सहयोग, सहकार एवं आत्म निर्भरता की भावना सन्निहित रही है। ज्ञान के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में, हर स्थिति में महिलाएं अनादि काल से ही आत्मनिर्भर होकर पुरुषों के समान रही हैं। अनेक वेद मंत्रों के अवतरण में ऋषियों के ही नहीं, ऋषिकाओं के भी नाम मिलते हैं। नर और नारी को एक समान मानकर समान ऋषि पद प्राप्त होता था। उनके गंभीर ज्ञान से समाज सुपरिचित था।²

आत्मनिर्भर भारत अर्थात् एक ऐसे भारत की कल्पना, जो किसी पर आश्रित न होकर स्वावलंबी हो। आत्मनिर्भरता मानव जीवन का एक ऐसा सद्गुण है, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति का जीवन सुगम एवं सरल हो जाता है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने कर्म की कुशलता से आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र का भी निर्माण करता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता स्वावलंबी बना देती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर रहता है तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ था, जिसे जगद्गुरु की संज्ञा से सुशोभित किया गया था। यही कारण था कि वैदिक काल में कन्याओं को शुभ तथा विशेष शक्ति प्राप्त थी।³ मनुस्मृति में कहा गया है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥”⁴ अर्थात् “जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।”

साहस, शौर्य, पराक्रम के अलावा भी नारियाँ ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक प्रतिभा के क्षेत्र में अग्रणी थीं।⁵ वृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का संवाद आता है, जिससे मैत्रेयी के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की उच्चावस्था का भान होता है।⁶ महाभारत शांति पर्व के अनुसार कार्य सदृश न

तो कोई बंधु है और नहीं धर्म संग्रह में अन्य कोई सहायक। 'गृहिणी गृहमुच्यते' वैदिक युग में नारियों को यह रास्ते में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है।⁷ नारी वस्तुतः परिवार की केंद्र बिंदु मानी जाती थी परिवार का मंगल सौभाग्य एवं कल्याण सब कुछ उस पर आधारित था। महाभारत के आदिपर्व⁸ एवं वनपर्व⁹ के अनुसार नारी सदा आदर की पात्र है, इसलिए उसे दारा कहा गया। शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में वर्णन आता है कि स्त्रियां साम गान करती थीं। वह घरेलू शिक्षा के प्रति भी सचेत थी तथा अपने व्यक्तित्व को आत्मनिर्भर हेतु हर दृष्टि से विकसित करती थी।¹¹

महिलाओं की भूमिका

पुरातन काल के गौरवमयी सतयुगी समाज का श्रेय नारियों की उच्च स्थिति को दिया जाता रहा है। नारियों को हर स्तर पर सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध थे एवं वे हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थीं। गृहकार्यों से लेकर कृषि, प्रशासन एवं यज्ञ कर्म से लेकर अध्यात्म साधना तक के कोई भी क्षेत्र उनके विशिष्ट व्यक्तित्व प्रतिभा एवं कौशल की छाप से अछूते नहीं थे।¹² उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। अपनी बहुआयामी उपलब्धियों के आधार पर वे अपनी जाति के अंदर संजीवनी शक्ति का संचार करती थीं और अपने समाज व राष्ट्र को सशक्त एवं ऊंचा उठाने में अपना अमूल्य योगदान देती थीं।¹³ प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत में महिलाओं की भूमिका का इतिहास काफी महत्वपूर्ण एवं गतिशील रहा है।

भारत वर्ष एक सम्पन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहां महिलाओं का समाज में आज भी प्रमुख स्थान है। वैदिक ग्रंथों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि तब समाज में स्वतंत्रता एवं समानता की भावना ओतप्रोत थी। ग्रामीण परिदृश्य में महिलाओं की बड़ी आबादी है। दुर्भाग्यवश विदेशी शासनकाल में समाज में अनेक कुरीतियां व विकृतियां पैदा हुईं, जिससे महिलाओं को उत्पीड़न हुआ। आजादी के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी व निरक्षरता महिलाओं की प्रगति में गंभीर बाधा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित कर इन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। विशेषकर कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटलीकरण की सहायता से महिलाओं के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण की शुरुआत की जा सकती है। भारतीय महिलाएं ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन्त उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, "हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं।"¹⁴ अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं।¹⁵

इस धरती को मानवता के लिए स्वर्ग समान बनाने के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रमुख है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति हैं।¹⁶ प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।¹⁷ इसलिए, यह इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम "एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता" है।

भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धि से भरा पड़ा है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी¹⁸ (1865-1887) पहली भारतीय महिला चिकित्सक थीं। सरोजिनी नायडू ने साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा की संतोष यादव¹⁹ ने दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। बॉक्सर एमसी मैरी कॉम एक जाना-पहचाना नाम है। हाल के वर्षों में, हमने कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों पर और बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हुए भी देखा है - अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मिश्र, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी, सोमा मंडल, सेल अध्यक्ष, कुछ और नामचीन महिलाएं हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।²⁰

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश में उद्यमिता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना²¹ शुरू की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया, और स्टार्ट-अप सम्बन्धि कई योजनाएं शुरू की हैं। अब एक महिला उद्यमिता मंच पोर्टल का गठन करना एक प्रमुख पहल है, जो नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। यह अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक पटल देता है और उन्हें कई प्रकार के संसाधनों, की सुविधा प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाएं न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती में को भी योगदान दे रही हैं। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं।²² निःसंदेह महिलाओं के पराक्रम ने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर कर रहा है।

आत्मनिर्भर भारत में कोविड-19 के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में महिलाओं डाक्टरों, नर्सों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की प्रवाह न करते हुए मरीजों को सेवाएं दी हैं। भारत बायोटेक की संयुक्त एमडी सुचित्रा एला²³ को स्वदेशी कोविड -19 वैक्सीन कोवैक्सिन विकसित करने में उनकी शानदार भूमिका के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सचमुच महिलाएं और लड़कियां समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की अग्रदूत हैं।

देश बदल रहा है महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है, समय के साथ-साथ नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है। "परिवर्तन प्रकृति का नियम है" ये बात तो सत्य है, किन्तु परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ है और क्या होगा और उस परिवर्तन को आने वाली पीढ़ी किस प्रकार स्वीकार करती है और इससे क्या सीख लेती है, ये बात अधिक महत्व रखती है। देखा जाए तो हर युग में प्रतिभाशाली महिलाएँ रही हैं और हर युग में उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे- सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी आदि पौराणिक देवियों से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई होल्कर, रानी चैनम्मा, रानी पद्मिनी, हाड़ी रानी आदि महान रानियों के साथ-साथ इंदिरा गाँधी, किरण बेदी से लेकर सानिया मिर्जा आदि आधुनिक भारत की

महिलाओं ने भारत को विश्व भर में गौरवान्वित किया और महिलाओं ने धरती पर ही नहीं अपितु अन्तरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है, जिनमें सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला²⁴ प्रमुख हैं।

महिलाओं का विकास देश का विकास है। यह सही है कि हर युग में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया है, लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि हर युग में उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा है। महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता पैदा कर ही खत्म किया जा सकता है। महिलाओं की साक्षरता, उनकी जागरूकता और उनकी उन्नति ना केवल उनकी गृहस्थी के विकास में सहायक साबित होती है बल्कि उनकी जागरूकता एवं साक्षरता देश के विकास में भी अहम् भूमिका निभाती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत प्रदान ही असल में नारी सशक्तिकरण है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना बहुत आवश्यक है। आर्थिक रूप से सक्षम होना केवल परिवार के लिए नहीं अपितु अपने लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का महत्त्व तब पता चलता है, जब परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा हो या किसी भी लड़की के वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी आ जाए। तब शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही एक लड़की को ना तो अपने माता पिता पर और ना ही अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकतीं लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए के लिए धन की आवश्यकता जरूर होती है।

पिछले कुछ सालों में महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे आयी हैं। उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब हर वैसा क्षेत्र जहाँ पहले केवल पुरुषों का ही वर्चस्व था, वहाँ स्त्रियों को काम करते देखकर हमें आश्चर्य नहीं होता है। महिलाओं को काम करते देखना हमारे लिए अब आम बात हो गई है। महिलाओं में इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वे अब किसी भी विषय पर बेझिझक बात करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं रहा है।

चुनौतियाँ

इधर कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है। घर से बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं के साथ ही घरेलू हिंसा और यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। पर्दे में या दरवाजों के भीतर महिलाओं को बन्दिनी बनाकर रखना इन सबका हल नहीं है। जरूरत है उन बंद दरवाजों को खोलने की, रौशनी को अंदर आने देने की, उस प्रकाश में अपना प्रतिबिम्ब देखने की, उसे निहारने की, निखारने की।

भारतीय महिलाओं के समक्ष जाति प्रथा, धार्मिक परम्पराओं, प्राचीन प्रचलित भूमिकाओं जैसी अन्य चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ ही उसे पहले से अधिक मजबूत भारतीय समाज के पुरुष सत्तात्मक ताने-बाने से भी लोहा लेना है। अब वे महिलाएँ नहीं हैं जो स्वयं पर हुए अत्याचारों और असुरक्षा का वर्णन करने वाली पुस्तकों की रचना करती थी, आज की भारतीय नारी की रचनाओं को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो आकांक्षी पुरुष लेखकों को यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कितनी प्रतिभाशाली तथा क्षमतावान हैं।

उपसंहार

किसी भी समाज एवं राष्ट्र की स्थिति को वहाँ की नारियों की दशा को देखकर आंका जाता है। आत्मनिर्भर भारत के विकास एवं प्रगति में आदर्शवादी नारियों ने अपनी प्रतिभा क्षमता और योग्यता का योगदान दिया। नारियाँ स्वयं का विकास करते हुए समाज को भी उन पुष्पित क्षमताओं से लाभान्वित करती थीं। आज भी इसी चीज की आवश्यकता है। समाज में नारी के विकास के लिए समुचित व्यवस्थाएँ की जाएँ, सभी तरह के प्रतिबंध हटाया जाए, उनके संदर्भ में अपने मानवता एवं दृष्टिकोण का परिवर्तित एवं परिष्कृत किया जाए, जिससे कि वे अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। नारी के विकास से ही भारत अपनी प्रतिष्ठा सम्मान गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हो। महिलाओं को जरूरत है अपने अस्तित्व को पहचानने की और इसको बनाये रखने की और एक कदम बढ़ाने की।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा के अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के और विकृत मानसिकता के कारण विभिन्न आडम्बरों एवं अन्धविश्वासों के चलते महिलाओं का शोषण किया जाता है। ऐसे स्थानों पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिये एवं आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाये जाने चाहिये। पुरुषों की भाँति महिलाएँ भी देश की समान नागरिक हैं और उन्हें भी स्वावलम्बी होना चाहिये ताकि समय आने पर वह व्यवसाय कर सकें और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सकें। यही जागरूकता ही तो उनके, उनके परिवार के व देश के विकास को गति देगी एवं एक नई दिशा देगी।

सन्दर्भ सूची

- 1 अखण्ड ज्योति मासिक पत्रिका- नवम्बर 2004, पृष्ठ 16
- 2 अखण्ड ज्योति मासिक पत्रिका- नवम्बर 2004, पृष्ठ 17
- 3 ऋग्वेद- 9/1/6
- 4 मनुस्मृति-3/56
- 5 अखंड ज्योति मासिक पत्रिका नवंबर 2004, पृष्ठ, 16
- 6 वृहदारण्यक उपनिषद्-2/4
- 7 महाभारत शांति पर्व-144/61
- 8 महाभारत आदिपर्व-74/31
- 9 महाभारत वनपर्व-12/70

- 10 शतपथ ब्राह्मण-5/2/1/10
- 11 तैत्तिरीय संहिता-5/7
- 12 ऋग्वेद-8/81/5-13
- 13 ऋग्वेद- 1/135/7 'वि सूनृता ददृशे रीयते घृत'
- 14 <https://www.cram.com/essay/Rabindranath-Tagores-Role-Of-Women-Empowerment-In>
- 15 श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय राज्यपाल, हरियाणा <https://haryanarajbhavan.gov.in/hi/publication>
- 16 <https://haryanarajbhavan.gov.in/hi/publication>
- 17 <https://give.brighamandwomens.org/stories/2016-1606agpb-bwh-magazine-empowering-young-parents-eliminating-disparities/>
- 18 https://en.wikipedia.org/wiki/Anandi_Gopal_Joshi
- 19 https://en.wikipedia.org/wiki/Santosh_Yadav
- 20 <https://haryanarajbhavan.gov.in/hi/publication>
- 21 <https://hindi.nvshq.org/aatm-nirbhar-bharat-abhiyan>
- 22 <https://hi.vikaspedia.in> › social-welfare
- 23 <https://www.thehindubusinessline.com/news/vaccine-makers-krishna-suchitra-ella-cyrus-poonawalla-awarded-padma-bhushan/>
- 24 <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/how-kalpana-chawla-sunita-williams-amp-other-women-across-the-world-fared-in-space>

वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्म निर्भर भारत

डॉ० मीनाक्षी सक्सेना

अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एम० एम० एच० कॉलेज, गाजियाबाद, उ० प्र०

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भरता एक व्यापक संकल्पना है जिसमें स्वाभिमान और स्वावलंबन जैसे दो अहम पहलू समाहित होते हैं। आत्मनिर्भरता एक व्यक्ति से आरंभ होते हुए, परिवार, समाज और राष्ट्र पर आकर पूरी होती है। इसे प्रायः आर्थिक मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। मगर इसमें नागरिक संप्रभुता, सामाजिक समरसता, विज्ञान, तकनीक, नवाचार, परस्पर विश्वास जैसे अंगों का महत्व कतई कम नहीं होता है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की सोच और योजना को देश के सामने रखा है। यह संकल्पना 12 मई 2020 को तब प्रकाश में आई जब प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संबंधित आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। इस आत्मनिर्भर भारत मिशन का लक्ष्य दुनिया के देशों से परस्पर साझेदारी-सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत को अपने पैरों पर खड़े होने का है। इस नए आगाज में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और तकनीक का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत का निहितार्थ देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने से है।

इस अभियान में स्थानीय उत्पादकों (लोकल मैन्यूफैक्चरर) और सेवा प्रदाताओं को सशक्त (वोकलफॉर लोकल) बनाने पर बल दिया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार होगा। इस अभियान के अंतर्गत उत्पादन से लेकर आपूर्ति के हर एक क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि बाहरी देशों से वस्तुओं, सेवाओं के आयात में कमी आए और हमारी सामग्रियों के निर्यात में वृद्धि हो। इस तरह भविष्य की किसी आपदा से देश कम से कम प्रभावित होगा।

आत्मनिर्भर भारत मिशन की मुख्य बातें

- केंद्र सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा का अहम लक्ष्य अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र से मांग, आपूर्ति और उत्पादन को प्रोत्साहन देना है ताकि भारत भविष्य में होने वाले किसी भी संकट या अनहोनी से निपटने हेतु पर्याप्त सक्षम तथा आत्मनिर्भर हो जाए।
- आत्मनिर्भर भारत मिशन से संबंधित पैकेज को चार हिस्सों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में महत्वपूर्ण क्षेत्र समाहित हैं।
- इस मिशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के वंचित और कमजोर समुदाय को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इससे तहत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें रोजगार के प्लेटफॉर्म में तब्दील करना है।
- सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के अतिरिक्त कृषि तथा इससे जुड़ी गतिविधियों को भी महत्व दिया गया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में निजी भागीदारी की संभावना को प्रोत्साहन देना।
- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की अभिवृद्धि करना।
- इस मिशन को सहयोग देने के उद्देश्य से आईआईटी एलुमनाई काउंसिल द्वारा देश में 21000 करोड़ का सबसे बड़ा फंड स्थापित किया गया।
- रिलायंस जियो द्वारा जुलाई 2020 में की गई घोषणा के अनुसार कंपनी शत प्रतिशत स्वदेशी तकनीक के उपयोग से भारत में वर्ल्ड क्लास 5जी सेवा की शुरुआत करने जा रही है।

कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के परिणामस्वरूप लॉकडाउन से देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों जैसे कि निवेश, निर्यात आदि में लगभग 70 प्रतिशत ठहराव उत्पन्न हो गया। इसके कारण देश की जीडीपी में वृद्धि थम गई। इस स्थिति से देश को उबारने और मंद पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के उद्देश्य से इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई जो राष्ट्रीय जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है।

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित कहा:

- प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिये देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, तथा इस बात पर बल दिया कि महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिये।
- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्म-केंद्रित से अलग है।
- भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ:

आत्मनिर्भर भारत पाँच स्तंभों पर खड़ा है:

- अर्थव्यवस्था: जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो;
- अवसंरचना: ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने;
- प्रौद्योगिकी: 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली;
- गतिशील जनसांख्यिकी: जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है;
- मांग: भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग' के लिये क्रेडिट गारंटी:
 - बैंकों द्वारा डैडमे को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण डैडमे की परिसंपत्तियों (संपार्श्विक के रूप में) के आधार पर दिया जाता है। लेकिन किसी संकट के समय परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट होने से बैंक इन उद्यमों की ऋण देना कम कर देते हैं।
 - सरकार द्वारा इस संबंध में बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है कि यदि MSMEs उद्यम ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऋण सरकार द्वारा चुकाया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान और तकनीक का योगदान

कोविड-19 से देश और दुनिया अब धीरे-धीरे उबरने की राह पर दिख रही है या यूँ कहें कि हम सबको अब इसके साथ जीने की आदत पड़ने लगी है। तो इस व्यापक महामारी के साथ और इसके बाद 'आत्मनिर्भर' भारत का जो सपना है, उससे जुड़े आर्थिक पैकेज की बात है, आइये उसके चारों महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में थोड़ी जानकारी करते चलें।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला हिस्सा

इस हिस्से में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएसई), एनबीएफसी-एचएफसी, कांटेक्टर्स, रियल एस्टेट सेक्टर और बेतनभोगी लोगों के लिए अनुदान तथा साथ ही घण गारंटी दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से इस हिस्से के अंतर्गत 594550 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का दूसरा हिस्सा

राहत पैकेज के इस हिस्से के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर और निर्धन लोग आच्छादित किए गए हैं तथा इसमें 310000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का तीसरा हिस्सा

इसके अधीन 150000 करोड़ का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इसमें मुख्य फोकस कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र जैसे कि डेयरी, पशुपालन और मत्स्यपालन को सशक्त बनाना है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का चौथा हिस्सा

अभियान के इस हिस्से में 48100 करोड़ का प्रावधान है और इसमें 8 सेक्टरों को सम्मिलित किया गया है। ये 8 सेक्टर हैं- कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस प्रबंधन, सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबद्ध परियोजनाएं, विद्युत वितरण कंपनी, अंतरिक्ष सेक्टर और परमाणु ऊर्जा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं उत्पादन:

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और इससे जुड़ी तकनीकों तथा सुविधाओं के उत्पादन के क्षेत्रों को भी तवज्जो प्रदान की गई है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस अहम सेक्टर में आत्मनिर्भरता मायने रखती है। रक्षा अस्त्रों की एक सूची केंद्रीय वित्त मंत्री ने जारी कर इनके आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उनका आशय इन अस्त्रों से जुड़े शोध और उत्पादन भारत की स्वदेशी तकनीकों से ही किया जाएगा तथा इनकी खरीद भी केवल देश के भीतर की जाएगी अर्थात् इन अस्त्रों की खरीद विदेशों से नहीं होगी। इन अस्त्रों के स्पेयर पार्ट्स के शीघ्र स्वदेशी विकल्प विकसित करने पर भी सरकार ने बल दिया है।

अंतरिक्ष विज्ञान में मेक इन इंडिया

इसके अंतर्गत निजी सेक्टर को अंतरिक्ष अन्वेषण के मामले में पहल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन प्राइवेट सेक्टर को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान तथा कौशल विकास के लिए इसरो तक पहुंच बनाने की सुविधा भी मुहैया की जाएगी।

भारत सरकार की योजना के अनुसार सरकारी सेक्टर के साथ निकट भविष्य में निजी सेक्टर को भी आउटर स्पेस की सैर की इजाजत दी जाएगी। तकनीक उद्यमियों को रिमोट सेंसिंग डाटा उपलब्ध कराने के लिए एक उदार भू-आकाशीय डाटा पॉलिसी बनाई जाएगी।

भारत में निजी सेक्टर को अंतरिक्ष अन्वेषण से जोड़ने की पहल के फलस्वरूप उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के मामलों में आत्मनिर्भरता आएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान को भी शामिल किया गया है। कैंसर के किफायती उपचार के लिए मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन की दिशा में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान सुनिश्चित किया जाना है। यह अनुसंधान सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड में किया जाएगा।

फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में विकिरण तकनीक का इस्तेमाल कर उपयुक्त वैज्ञानिक सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। यह सुविधा कृषि सुधार में सहायता करने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाएगी।

कृषि और इससे जुड़े सेक्टर

कृषि और इससे जुड़े महत्वपूर्ण सेक्टरों को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा गया है। वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन्स, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, डेयरी जैसे सेक्टरों में सुधार हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। कृषि से जुड़ी बुनियादी व्यवस्थाओं को फंड देने के लिए नाबार्ड अनुदान मुहैया करेगा। इस तरह सप्लाई चेन में फंड से जुड़ी दुशवारियों के समाधान के द्वारा स्थानीय उत्पाद ग्लोबल मार्केट में स्थान पा सकेंगे।

इस क्षेत्र के अंतर्गत समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लाई जाएगी।

ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म, बाधारहित अंतर राज्य व्यापार और आकर्षक मूल्य पर उत्पादों की बिक्री के विकल्प जैसी नवाचारी युक्तियों के जरिये कृषि विपणन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 का विकास किया जा रहा है। इस नीति में विज्ञान, तकनीक और नई सोच (नवाचार) के विकास के लिए एक नई रणनीति को निश्चित किया गया है। इस नीति में समावेशी डिजाइन को महत्व दिया गया है और इसका बृहत्तर लक्ष्य देश के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान की रणनीतियों को पुनर्परिभाषित करना है। इस नीति का संबंध प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विज्ञान, तकनीक और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

आत्मनिर्भर भारत: अवसर और चिंताएँ

यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल (UKIBC) ने 'रोड टू ए यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: एन्हांसिंग द पार्टनरशिप एंड अचीविंग सेल्फ-रिलायंस' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- भारत में व्यापार करने को लेकर 'यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल' के वार्षिक सर्वेक्षण के मुताबिक ब्रिटेन की 77 प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' एक चुनौती के बजाय एक अवसर प्रदान करता है।
- हालाँकि परिषद ने अपनी रिपोर्ट में जोर देते हुए कहा है कि 'आत्मनिर्भर अभियान' के तहत लागू कुछ सुधारों के कारण ब्रिटेन और सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा प्रस्तुत अवसर:

- 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को वर्ष 2014 में शुरू किये गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिये, क्योंकि ये दोनों ही अभियान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विनिर्माण निवेश हासिल करने के उद्देश्य को साझा करते हैं।
- इस अभियान के हिस्से के रूप में घोषित पैकेज के तहत भारतीय समाज के संवेदनशील और वंचित वर्गों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), कृषि क्षेत्र के लिये तथा व्यवसायों हेतु नियमों को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने हेतु अन्य समाधानों की एक शृंखला हेतु कई वित्तीय सहायता उपायों की पेशकश की गई थी।
- इस अभियान ने विदेशी निवेशकों के लिये रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान किये हैं।

बढ़ती चिंता:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का कम होना: इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं जैसे- आयात एवं आयात प्रतिस्थापन पर टैरिफ व गैर-टैरिफ प्रतिबंध में वृद्धि आदि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को कम करने की क्षमता है।
- गैर-टैरिफ बैरियर, जैसे- कोटा (Quota), अधिरोध (Embargo) या सैंक्शन (Sanction) आदि व्यापार अवरोधक हैं, जिनका उपयोग देश अपने राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये करते हैं।

- देश मानक टैरिफ बैरियर (जैसे सीमा शुल्क) के स्थान पर गैर-टैरिफ बैरियर का उपयोग कर सकते हैं।
- DISCOMS द्वारा तदर्थ नीति में परिवर्तन: बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के मामले में बिजली खरीद समझौतों पर दुबारा बातचीत करने के लिये तदर्थ (Ad-Hoc) परिवर्तनों को अपनाती हैं।
- नीतिगत मुद्दे: भारत की बौद्धिक संपदा प्रवर्तन व्यवस्था में कठिनाइयाँ, फार्मा क्षेत्र के नियमों में अंतराल, दवा मूल्य नियंत्रण और डेटा स्थानीयकरण तथा शासन से संबंधित मानदंड।
 - डेटा स्थानीयकरण (देश की सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहीत करना) वैश्विक आपूर्ति शृंखला तक पहुँच सीमित करके स्थानीय कंपनियों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
 - इससे निवेश, पूँजी और ग्राहकों तक पहुँच में कमी हो सकती है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में : अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिये खोलना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रियाओं से संबंधित कई पहलुओं के बारे में 'स्पष्टता की कमी' थी।
 - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (IN-SPACE) भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा।
- रक्षा क्षेत्र में: रक्षा उपकरणों की 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध को 4 वर्ष की अवधि तक या वर्ष 2024 तक लागू करने की योजना है।
 - इसके अतिरिक्त रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में परिवर्तन के कारण यह संभावना सुनिश्चित की गई है कि इस सूची में कोई भी वस्तु कट-ऑफ तिथि से आगे आयात नहीं की जाती है।
 - इससे भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।

सुझाव:

- भविष्य की रणनीति बनाना:
- एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं और स्थान संबंधी निर्णय लेने पर विचार करता है, सफल होने के लिये आवश्यक है।
- भारत में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार हेतु खुलेपन को बढ़ावा देना:
 - भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में निवेश करने और मेक इन इंडिया को एक उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करने के बजाय अपनी क्षमता के कारण निवेशकों को आकर्षित करना चाहिये।
- नवोन्मेषकों के विकास और समर्थन पर ध्यान देना:
- STEM, डिजिटल, रचनात्मक और महत्वपूर्ण विचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से यह ऐसे नेतृत्वकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का निर्माण करेगा जो नवाचार कर सकते हैं तथा समस्याओं को हल कर सकते हैं।
 - भारत को एक नवप्रवर्तक-अनुकूल बौद्धिक संपदा नीति और प्रवर्तन व्यवस्था भी विकसित करनी चाहिये।
- डिजिटल और डेटा:
 - वैश्विक व्यापार में डिजिटल और डेटा सेवाओं का तीव्रता से बढ़ते महत्व के साथ भारत के समक्ष अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक बाजारों के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने का अवसर उपलब्ध है।
 - भारत को अपनी विकास क्षमता को प्राप्त करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), डिजिटल तकनीक (Digital Technology) और डेटा के मौजूद अवसरों का दोहन करने के लिये इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश करना जारी रखना चाहिये।
- भारत की व्यापार और निवेश रणनीति को स्थिरता प्रदान करना:
 - अगर व्यापारिक व्यवस्थाओं को सही ढंग से आकार दिया जाए, तो ये संस्थाएँ गरीबों का समर्थन करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं।
 - देश और विभिन्न व्यापारिक समूह इस तथ्य से अवगत हैं तथा वे अपने व्यापार समझौतों और रणनीतियों में स्थिरता और मानवाधिकारों को तेजी से एकीकृत कर रहे हैं।

सन्दर्भ:

- (1) पीआईबी
- (2) द हिंदू
- (3) <https://www.youtube.com/watch?v=KtenoBtnvoQ>
- (4) https://hi.wikipedia.org/wiki/आत्मनिर्भर;_भारत

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम, जरूरत और मायने

डॉ० हर्षी खण्डूडी

असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल, पी०जी० कालेज गोपेश्वर चमोली, उत्तराखण्ड

वर्तमान समय के अनुसार भारत में आत्मनिर्भरता पर मजबूती दी जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि कितनी आत्मनिर्भरता आयेगी?

मानव और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; दोनों ही संसाधनों के साथ बंधे हैं, संसाधन सीमित और मानव की वर्तमान आवश्यकतायें असीमित, उन्नत होती जा रही हैं।

जहाँ आत्मनिर्भरता की जरूरत और विविध आयाम की बात आती है तो मानव समाज में विविधताओं का बोलबाला प्रारम्भ हो जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कृषि, व्यवसाय, व्यापार, निर्माण जैसे कार्यों को करने में समर्थता दिखायी देती है।

संसाधनों की सीमितता के साथ आत्मनिर्भरता कितनी होगी, यह प्रश्न बड़ा जटिल है, क्योंकि यह एक जटिल समस्या है।

क्योंकि मानव आज आत्मनिर्भरता की ओर जोर दे रहा है, लेकिन संसाधन सीमित हैं, इसलिए यह समस्या मानव के विकास में सदैव से ही बनी रहती है और मानव आत्मनिर्भरता के सपने देखता है। यह सपने कब और कैसे साकार होंगे इसमें सन्देह की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भूमि के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में भी व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की सोच रखता है।

भारत में आत्मनिर्भरता के विविध आयाम:-

भारत में आत्मनिर्भरता के बहु-आयाम प्राचीन समय से ही धरातल के वाह्य, आन्तरिक सामाजिक पृष्ठ पर उपलब्ध है।

आज आवश्यकता है कि उन आयामों को जानने कि जैसे घरेलू उद्योग, कृषि कार्य, भूमि उपयोग, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औषधी उत्पादन, वैदिक शिक्षा का ज्ञान, आत्मविश्वास, सहानुभूति, सहिष्णुता, भारतीय-परम्परा को जाग्रत-चेतन अवस्था में सुरक्षित, संरक्षित रखना भी अपने आप में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है।

विविध आयाम:-

भारतीय-राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में जहाँ विविध-आयाम की बात आती है तो केवल तराशना ही बाकी है, भारतीय जहाँ शब्द आता है, वैदिक, रीति रिवाज परम्परा के आधार पर आत्मनिर्भरता को मजबूती से अपने आप में उतारना ही विविध आयाम है।

इस शोध-पत्र में भारतीयता के आधार पर आत्मनिर्भरता के विविध आयामों का उल्लेखनीय वर्णन किया जा रहा है कि विविधता में आत्मनिर्भरता क्या है, किस प्रकार से मजबूती आयेगी, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यही इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में भारत वर्ष की आत्मनिर्भरता के विविध आयामों का वर्णन किया जा रहा है। भारत वर्ष विविधताओं का देश है, इसमें कितनी विविधताएं हैं, संसाधनों से लेकर मानवीय धर्म, जाति, कार्य के आधार पर बहु-विविधताएं देखने में आती हैं, लेकिन आज की आवश्यकताएं क्या-क्या हैं ? इसकी कितनी जरूरत है और समाज अपनी जरूरतों को किस प्रकार से बढ़ाता है, कि सीमित करता है। आज आत्मनिर्भरता की बात ऊपर के मंच से की जा रही है।

हमारे राजनीतिक दलों के मुखिया मंच के माध्यम से आत्मनिर्भरता का एक नारा देते हैं। अपने कौशल विकास को तरासने की बात करते हैं, लेकिन संसाधन जो प्रकृतिदत्त विभाजित हैं उनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए यह कटु सत्य है कि संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वृद्धि धरातल पर नहीं कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी आज की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी है, कितना सामाजिक नीतिगत स्वरूप का प्रतिबिम्ब दिखायी देता है।

जिससे भारतीय- राष्ट्रीय विविधता में आत्मनिर्भरता के बहु-आयामों को देखा जाता है। यह प्रश्न यहाँ पर उभर कर आता है कि विविधता में एकता और आत्मनिर्भरता को कैसे मजबूती दी जा सके, हमारी वर्तमान आवश्यकता क्या है।

इस बात को हम और हमारा समाज तराश रहा है, कि आज भारत आत्मनिर्भरता का नारा लगा रहा है, लेकिन क्या यह नारा आम समाज पर लागू होगा कि नहीं, क्योंकि समाज की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है।

इस आत्मनिर्भरता में आज की आवश्यकता कितनी कामयाब होती है, क्या हम उससे लाभान्वित होते हैं कि नहीं इस शोध में इन बातों को स्पष्ट किया जा रहा है कि कार्य क्षमता, कार्य कुशलता के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है, समाज के प्रत्येक वर्ग में कार्य विभाजन किया गया है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार पर कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार पर कार्य करता है।

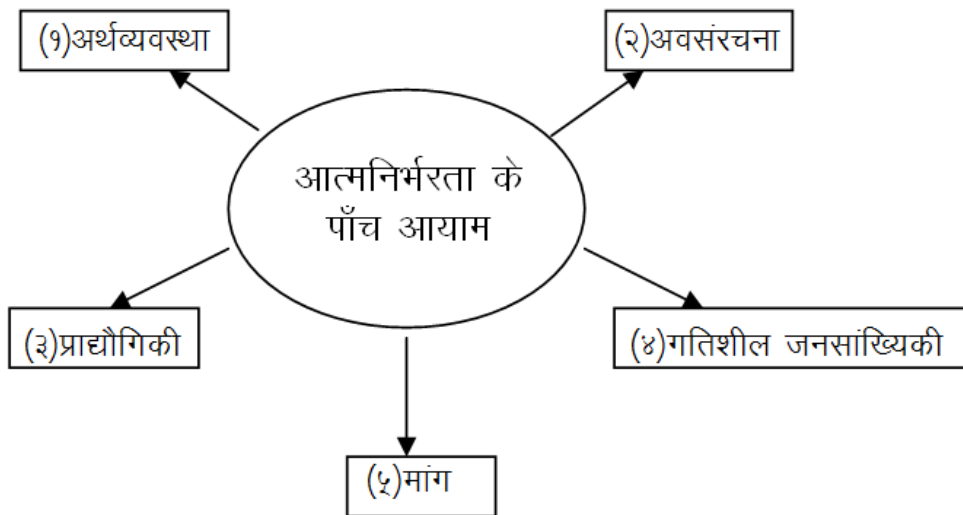
वर्तमान भारत में आत्मनिर्भरता के विविध आयाम:-

2012 में वर्तमान भारत की आत्मनिर्भरता कितनी परिपूर्ण हो चुकी है और कितनी आवश्यकता लोगों में उत्पन्न हो चुकी है और लोगों को कितने कुशल तरीके से प्रेरित कर रही है, इस बात का जिक्र इस शोध-पत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ हैं:

१. अर्थव्यवस्था
२. अवसररचना
३. प्राद्यौगिकी
४. जन सांख्यिकी
५. मांग

आत्मनिर्भर भारत पाँच स्तम्भों पर खड़ा होगा



उपर्युक्त पाँच स्तम्भों को वर्तमान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के आयामों में सम्मिलित किया जा रहा है, यह राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल चली हुई है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन:-

- (१) प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, यह कोविड १९ महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई।
- (२) जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग १०% के बराबर है। पैकेज में भूमि श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

आर्थिक पैकेज का विश्लेषण:-

आज आत्मनिर्भर भारत को योजनाओं के माध्यम से धन वितरण किया जाता है और समय समय पर कार्य प्रगति की आख्याओं को तैयार किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र पर अर्थव्यवस्था का स्तर देखा जाता है, उसके तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्य, संसाधनों और क्षेत्रीय निर्माण कार्य के आधार पर उस क्षेत्र की आर्थिकी का विभाजन किया जाता है।

अर्थव्यवस्था का मूलाधार:-

अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि भूमि-उत्पादन पर निर्भर करती है, क्योंकि अनिवार्य आवश्यकता के रूप से भारत वर्ष में अर्थव्यवस्था कृषि पर परम्परागत रूप से निर्भर करती है। आज प्रत्येक व्यक्ति आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मानव-जीवन का आत्मनिर्भर होना भी आवश्यक है। आज के भौतिक युग में आत्मनिर्भरता, विकसित होना माना गया है।

अवसररचना:-

ऐसी अवसररचना होनी चाहिए जो आधुनिक भारत की पहचान बन सके।

प्राद्यौगिकी:-

२१ वीं सदी प्राद्यौगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली होनी चाहिए।

जनसांख्यिकी:-

जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।

मांग:-

भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भर भारत में नारी जीवन:-

हम भारत वासी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हम और हमारी धरती स्वतंत्र है। लेकिन उसमें क्षेत्रफल और मानव संसाधनों में असंतुलन की स्थिति आ चुकी है।

मानव अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ वैज्ञानिक आधुनिक युग में तीव्रता बढ़ चुकी है, उससे मानव जीवन में आत्मनिर्भरता के बहु-आयाम आवश्यकता पर निर्भर हैं, जिससे कि हम अपनी-अपनी आवश्यकता के आधार पर कार्य करते हैं और आज नारी जीवन में आत्मनिर्भरता अधिक बढ़ चुकी है।

क्योंकि जब से नारी जीवन में शिक्षा का प्रवेश हुआ है, उसी समय से नारी जीवन में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होने लगी है। लेकिन आज एक ओर से देखा जाय तो नारी जीवन सशक्त, मजबूत दिखाई देता है, लेकिन यदि सामाजिक सर्वेक्षण के प्रथम पायदान पर पहुँच करके देखा जाय तो वह आत्मनिर्भरता घरेलू हिंसा का शिकार बनते जा रही है।

महिलाओं का आत्मनिर्भरता में योगदान:-

सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों में नारीयाँ काम कर रही हैं। उसके परिणामस्वरूप वह घरेलू हिंसा का शिकार अपने को बनते जा रही है। यहाँ पर कैसे कार्य किया जाय, यह एक विवाद का विषय बन रहा है।

नैतिक मूल्यों:-

नैतिक मूल्य यहाँ पर नारी जीवन में बाध्य बन जाते हैं और नारीयाँ भावों में बहकर कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि यह पक्ष सक्षम होने के बाद भी हिंसा का शिकार बनते दिखाई दे रहा है।

लेकिन गुलामी के समय से तुलना की जाय तो काफी सुधार की स्थिति दिखायी दे रही है, और आज की आवश्यकता के आधार पर नारीयाँ सभी संस्थाओं में काम कर रही हैं।

सर्वप्रथम घरेलू व्यवस्था को सुव्यवस्थित क्रम देने में, शिक्षण संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में, यातायात सेवाओं में, सुरक्षा बल में, जल, थल, वायु सेना में निर्माण कार्य सम्बन्धी सेवाओं में, व्यापार तथा बाजारीकरण, रा० नीति, वैज्ञानिक शोध शालाओं में, तकनीकी सेवाओं में, निजी तथा सरकारी सेवाओं में, महिलायें अपनी सेवाओं को कर्मठता, कुशलता से साथ दे रही हैं।

आज की आवश्यकता के आधार पर महिलायें तत्परता से कार्य करने को तैयार हैं। आज की आत्मनिर्भरता में भारत राष्ट्र में भी प्रत्येक कार्य में महिलाओं की भूमिका उत्कृष्ट दिखायी दे रही है, लेकिन अभी और आवश्यकता है तो सिर्फ वैचारिक परिवर्तन की, जैसे-जैसे वैचारिक परिवर्तन होते हैं, वैसे-वैसे समाज में परिवर्तन दिखाई देना प्रारम्भ होता है।

विशेष सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य की ग्रामीण महिलाओं का आत्मनिर्भरता में योगदान:-

उत्तराखण्ड राज्य एक पूर्णतः विषम धरातलीय संरचना, जलवायु की विभिन्नता, उच्चावचों में विविधताओं से बना हुआ भौगोलिक परिचय को परिभाषित करता है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी एक चुनौती दिखायी देती है।

क्योंकि विकसित क्षेत्रों की स्थिति और अविकसित क्षेत्रों की स्थिति में बहुत अधिक विविधतायें दिखाई देती हैं। महिलायें आज शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता में भी सक्षम होते जा रही हैं। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं को खुलवाने के लिए प्रयास किये हैं, जो महिलाओं के द्वारा व्यक्तिगत किये गये कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं और यह संस्थान महिलाओं को कार्य करने में सहायक हो रहे हैं। जैसे छद्म योजना, रमसा, मनरेगा, ऊन उद्योग, कड़ाई बुनाई केन्द्रों के माध्यम से महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। बैंकिंग सेवा में निश्चित धनराशि से सम्बन्धित योजनाओं में महिलायें कार्य कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए दिखायी दे रही हैं।

आज की परिस्थिति के अनुसार महिलायें काफी सशक्त तरीके से परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र में काम करते हुए नजर आ रही हैं। उत्तराखण्ड राज्य की विषम धरातलीय संरचना को देखते हुए, महिलाओं ने अपने आप को काफी मजबूती दे रखी है। घरेलू कार्य से ले करके आफिस दफ्तर तक के कार्यों में महिलाओं का सराहनीय योगदान दिखाई दे रहा है।

‘नारीयों का योगदान’, बलिदान, स्वाभिमान, शान

नारीयाँ सब कुछ समेट के रखती हैं।
कुछ भी बर्बाद नहीं करती हैं।
वो सहेजती है, संभालती है।
ढकती है, बांधती है।
उम्मीद के आखिरी छोर तक।
कभी तुरपाई करती, कभी टांका लगाती।
कभी धूप दिखाती, कभी हवा दिखाती।
कभी छाँटकर, कभी बीनकर, कभी तोड़कर, कभी जोड़कर।
देखा होगा कभी अपने ही घर में,
खाली डब्बे जोड़ते हुए, कभी थैलियां मोड़ते हुए।
बची रोटी शाम को खाते हुए।
दोपहर की थोड़ी सी सब्जी में तड़का लगाते हुए।
दीवारों की सीलन तस्वीरों से छुपाते हुए।
बचे हुए खाने से अपनी थाली सजाते हुए।
फटे हुए कपड़े हो, टूटा हुआ बटन हो, पुराना अचार हो।
सीलन लगे बिस्कुट, चाहे पापड़ हो, डिब्बे में पुरानी दाल हो।
गला हुआ फल हो, मुरझाई हुई सब्जी हो, या फिर,
तकलीफ देता रिश्ता, वो सहेजती है, संभालती है।
ढकती है, बांधती, उम्मीद के आखिरी छोर तक
इसलिए अहमियत रखिये, वो जिस दिन मुँह मोड़ेगी,
ढूँढ नहीं पाओगे,
वक्त रहते ही संभल जाओ।
मकान को घर बनाने वाली, रिक्तता उनसे पूछो,
जिन घरों में नारी नहीं वो घर नहीं मकान कहे जाते हैं।

महिलायें जो जी रही हैं, वह जीवन है, पुरुष जो कार्य करते हैं, वह जीविकोपार्जन का जुगाड़ है, जीवन नहीं है। समय पर रोजगार न करने से ज्यादा असर नहीं पड़ता है, महिलायें एक दिन काम न करें तो जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा हो जाता है। सोचकर देखिये कि आज हम और हमारा समाज सुरक्षित, व्यवस्थित, संगठित दिखाई दे रहा है, तो 80% योगदान मातृ शक्ति का है। इसलिए सम्पूर्ण विश्वस्तर में मातृ शक्ति को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाय।

इसी से समाज का कल्याण सम्भव हो सकेगा, यही इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है, कि नारी जीवन में समानता आये, समाज का विकास समानता के व्यवहार से ही सम्भव है। आर्थिक संकट भी समान व्यवहार से सम्भव हो जाता है।

सन्दर्भ:-

- 1 <https://m.hindi.webdunia.com.dau>
- 2 <https://wcd.nic.in> राष्ट्रीय
- 3 <https://hi.m.wikipedia.org.wiki>
- 4 <https://w.w.w.rachanakar.org.2015/08>
- 5 <https://w.w.w.bbc.com.hindi.india>

आत्मनिर्भर भारत एवं पर्यटन: विविध आयाम एवं जरूरत

(SELF-RELIANT INDIA AND TOURISM : DIMENSIONS AND NEEDS)

सुरेन्द्र सिंह

शोधार्थी, भूगोल विभाग, अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी, पी. जी. कॉलेज, बागेश्वर, उत्तराखण्ड (भारत) - 263642।

भगवती नेगी

असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी, पी. जी. कॉलेज, बागेश्वर, उत्तराखण्ड (भारत) - 263642।

डी० एस० परिहार

असिस्टेंट प्रोफेसर (गैस्ट फ़ैकल्टी), भूगोल विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, डी. एस. बी. कैम्पस, नैनीताल, उत्तराखण्ड (भारत) - 263002।

संक्षिप्तिका

आत्मनिर्भरता तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आत्म+निर्भर+ता यानि स्वयं पर निर्भर होने की स्थिति। देश के लिये आत्म निर्भर होने का अर्थ यह है कि देश के लिये आवश्यक किसी भी वस्तु का निर्माण देश के भीतर ही हो एवं उस वस्तु के लिये देश किसी और बाहरी देश पर निर्भर ना हो। लेकिन वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता (Self reliant) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्म केन्द्रित (Self centered) से अलग है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम् की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगतिकर्ता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जायेगा। अपितु दुनिया के विकास में मदद की जायेगी। पर्यटन उद्योग आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ एक प्रमुख रोजगार का साधन है जो भारत सहित विश्व में कई देशों का आर्थिक आधार है अतः पर्यटन को सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख कारक माना जा सकता है। भारत में पर्यटन के विभिन्न संसाधनों ने यहां पर पर्यटकों को आकर्षित किया है जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। पर्यटन के बढ़ते बाजार में भारत की भूमिका को स्पष्ट करते हुये वर्ल्ड टूरिज्म एण्ड ट्रेवल काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के पहले तक वैश्विक पर्यटन बाजार प्रतिवर्ष 3.5% की दर के साथ बढ़ रहा था। दुनिया की जी.डी.पी. में इसका योगदान 8.9 ट्रिलियन डॉलर है तो 330 मिलियन लोगों को यह रोजगार देता है। भारत में यह 87.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है तो जी.डी.पी. में इसका हिस्सा 194 बिलियन डॉलर है। कोरोना महामारी के दौरान जब जब दुनिया आर्थिक और भौतिक रूप से एक दायरे के भीतर सिमट कर रह गया। ऐसे समय में देशों के अंदर अपने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य हेतु ऐसे आर्थिक, सामाजिक और मानवीय संकटों से बचने के लिये अनेकों कार्यक्रमों की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा 12 मई 2020 को एक महत्वपूर्ण और भविष्योन्मुखी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को अपनी जरूरतों के लिये आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत लगभग 27 लाख करोड़ रुपये तक जारी किये गये हैं। जो कुल जी.डी.पी. का 13% है। आत्मनिर्भर मिशन के तहत मुख्य रूप से देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर किसान, मजदूरों की आय में वृद्धि, कुशल प्रशासन तथा महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जायेगा।

शब्द कुंजी- पर्यटन, आत्मनिर्भर, आयाम, जरूरत, विविध।

1.0 प्रस्तावना

पर्यटन किसी क्षेत्र विशेष में पर्यटकों द्वारा मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली अल्पकालिक यात्रा को पर्यटन कहा जाता है। इसी संदर्भ में अग्रवाल विनोद (2018) ने पर्यटन के आर्थिक पहलू को समझाते हुये कहा है कि 'पर्यटन एक स्वच्छ और धुआं रहित उद्योग है। जो पर्यटन की गुणवत्ता बढ़ाने में ही योगदान नहीं देता बल्कि अर्थव्यवस्था के दूरस्थ और पिछड़े हुये क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कर कर लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन समृद्ध

बनाता है। यह देश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का संरक्षण कर मूल संरचना सुविधायें जैसे-सड़क, दूर संचार, और चिकित्सा सेवाओं का अर्थव्यवस्था में विकास करता है जो अर्थिक विकास का मूल आधार है। पर्यटन एक शिक्षा सम्बंधी विषय है। यह विभिन्न देशों के रहन-सहन, रिति-रिवाज, संस्कृति और कला और विभिन्न जीवन-शैलियों का साक्षात्कार करता है। पर्यटन से विभिन्न संस्कृतियां एक-दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं।

मसहूर साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन कहते थे- 'मेरी समझ में दुनियां की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है-घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता'। इनकी कही गई बात अब भी इसलिये प्रासंगिक है। क्योंकि हर साल 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दरअसल घूमना-फिरना सिर्फ हमारे जीवन में खुशी के लम्हों को वापस लाने में ही मद नहीं करता है बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में भी पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन गया है जो देश की जी.डी.पी. में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। देश के कई राज्य सैलानियों के पसंदीदा स्थल बन चुके हैं। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुये ही संयुक्त राष्ट्र ने 1990 से 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने का निर्णय लिया और हर साल अलग-अलग देश इसकी मेजबानी करते हैं। लेकिन 2017 में इस खास दिन की मेजबानी भारत ने की थी। और इसकी थीम- "Tourism and job- a better future to all" थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 6 दशकों में दुनियां के पर्यटन क्षेत्र में लगातार विस्तार हुआ है। पर्यटन आज विश्वभर में सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक बन गया है। आंकड़े इसकी तजदीक करते हैं। 1950 में दुनियां भर में अंतराष्ट्रीय पर्यटन की आबादी 2.5 करोड़ थी। यह 2015 में 120 करोड़ हो गई, इसी तरह 1950 में अंतराष्ट्रीय पर्यटन राजस्व 200 करोड़ डॉलर था जो 2015 में 1260 ट्रिलियन डॉलर पहुँच चुका है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पर्यटन क्षेत्र का वैश्विक जी.डी.पी में 10 प्रतिशत योगदान है और दुनियां की हर 10 में से 1 नौकरी पर्यटन से जुड़ी हुई है। और इसका यह भी अनुमान है कि 2030 तक सालाना 3.3 फिसदी की दर से बढ़ता रहेगा। इस शोध पत्र के माध्यम से पर्यटन से रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे हासिल किया जाय इस सम्बंध में शोधार्थी द्वारा इस शोध पत्र के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है। जिसका वर्णन आगे इसी शोध पत्र में किया गया है।

2.0 उद्देश्य

- भारत में पर्यटन के संसाधनों का मूल्यांकन करना।
- ग्रामीण पर्यटन का भविष्य में आत्मनिर्भर रोजगार संसाधन के रूप में अध्ययन करना।
- पर्यटन से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

3.0 विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन कार्य को पूर्ण करने हेतु, शोधार्थी द्वारा विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन "आत्मनिर्भर भारत एवं पर्यटन: विविध आयाम एवं जरूरत" में शोधकर्ता के द्वारा द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों को प्राप्त करने के लिये तथा इस शोध अध्ययन कार्य को पूर्ण करने के लिये पत्रिकायें, विभिन्न पुस्तकों टी.वी. समाचार व समाचार पत्रों की सहायता ली गई है।

4.0 भारत में पर्यटन की स्थिति

भारत दुनियां की सबसे प्रचीन सभ्यताओं में से एक है जो विविध रूपी सांस्कृतिक आयातों के अनुभव प्रदान करती है। देश में एक समृद्ध विरासत और अनेक आकर्षण मौजूद हैं। यह हिमाच्छादित हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों तक 32,872,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह दुनियां का 7वाँ सबसे बड़ा देश है जो पहाड़ियों और समुद्र द्वारा एशिया के शेष भागों से अलग है और देश को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान करता है। यह एक अभूतपूर्व पर्यटन स्थल है जो आगन्तुकों को विविध अनुभव प्रदान करता है। भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित विभिन्न विरासत संपदायें हैं जिनमें विशाल धरोहर से लेकर अण्डमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप में नैसर्गिक समुद्र तट शामिल हैं। जिससे भारत में भी, पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन गया है जो देश की जी.डी.पी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

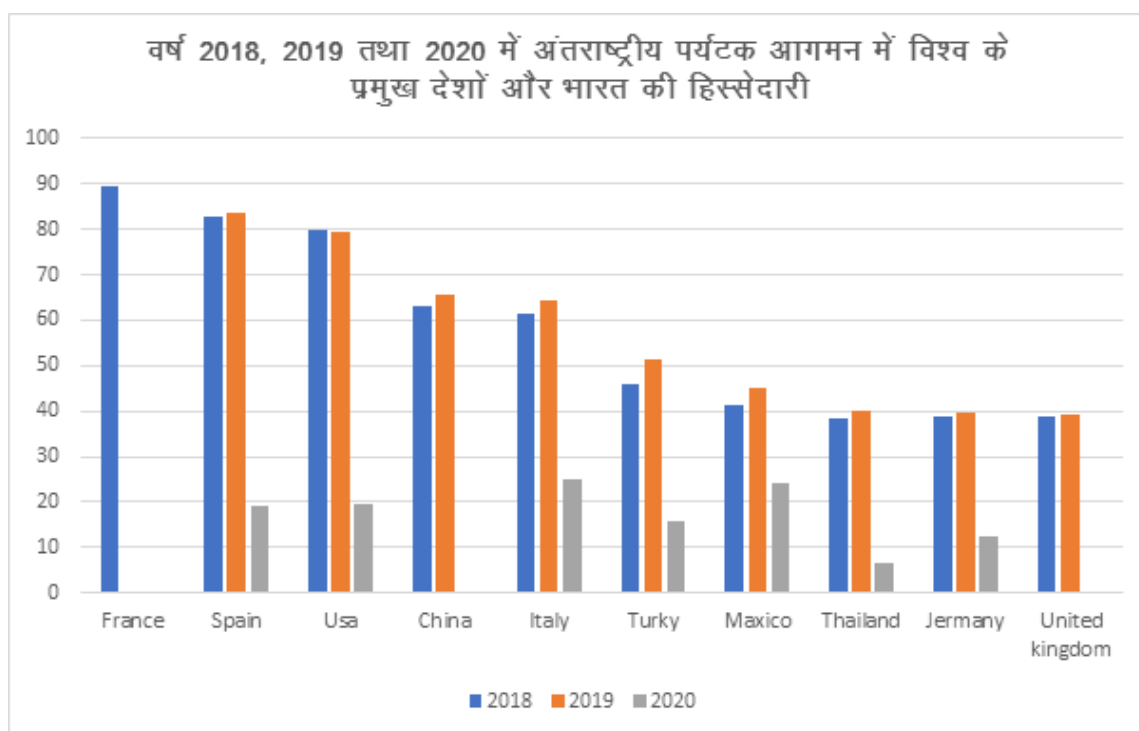
आर्थिक मोर्चे पर तेजी से तरक्की कर रहा- भारत में पर्यटन का योगदान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हर साल विदेशी पर्यटकों का आगमन भारत में बढ़ता जा रहा है, उससे न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ रही है बल्कि देश में आर्थिक विकास के साथ ही जी.डी.पी में भी पर्यटन उद्योग की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते नये-नये रोजगार पैदा हो रहे हैं। हालांकि इस दिशा में चुनौतियां भी कई हैं बावजूद इसके पर्यटन उद्योग भारत में लगातार तरक्की करता जा रहा है। बदलते हुये समय में भारत के पर्यटन उद्योग में घरेलू सैलानियों की संख्या काफी बढ़ी है, और पर्यटन उद्योग में इनकी हिस्सेदारी बेहद अहम है (तालिका: 4)। लेकिन भारत में जिस तरह पर्यटन का मिजाज बदला है इसने बड़ी मात्रा में विदेशीयों को लुभाना शुरू कर दिया है। और सालदर साल विदेशी पर्यटकों का आगमन भारत में बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के भारत में आगमन की बात करें तो वर्ष 2014-15 में दूसरे देशों से 77 लाख 70 हजार पर्यटक भारत घुमने आये। सिर्फ जनवरी से मार्च 2015 के करीब 23 लाख सैलानी भारत आये। इससे भारत को 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हुई। संरक्षित स्मारकों और अन्य राष्ट्रीय महत्व के भवनों में टिकट बिक्री से ही करीब 52 करोड़ 24 लाख

रूपये की आमदनी हुई। 2016 में यह तादाद और बढ़ गई, और 2016 में कुल 88 लाख 90 हजार विदेशी सैलानी भारत आये जो कि बीते वर्ष से 10.7 फिसदी ज्यादा थी। वहीं 2018 में करीब 1 करोड़ 56 हजार पर्यटक दुनियां भर से भारत आये, और ये वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले 5.2 फिसदी ज्यादा थी। 2019 जनवरी में 10 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आये। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 5.30 फिसदी ज्यादा थी। मई 2019 में ई-टूरिस्ट वीजा के जरिये विदेशी पर्यटकों का आगमन पिछले वर्ष के मुकाबले 21.7 फिसदी ज्यादा थी (तालिका: 5)। 2027 तक पर्यटन से भारत को 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की उम्मीद है जो जी.डी.पी की 10 फिसदी होगी।

तालिका: 1 वर्ष 2018, 2019 और 2020 में अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में विश्व के प्रमुख देशों और भारत की हिस्सेदारी

क्र.सं.	देश	अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (मिलियन में)			प्रतिशत (%) हिस्सा	
		2018	2019	2020 (अ)	2018	2019
1	फ्रांस	89.4	-	-	6.33	-
2	स्पेन	82.8	83.5	19.0	5.86	5.70
3	यूएसए	79.7	79.4	19.4	5.64	5.42
4	चीन	62.9	65.7	-	4.45	4.48
5	इटली	61.6	64.5	25.2	4.36	4.40
6	टर्की	45.8	51.2	15.9	3.24	3.49
7	मेक्सिको	41.3	45.0	24.3	2.92	3.07
8	थाईलैण्ड	38.2	39.9	6.7	2.70	2.72
9	जर्मनी	38.9	39.6	12.4	2.75	2.70
10	यूनाइटेड किंगडम	38.7	39.4	-	2.74	2.69
	अन्य देश	851.1	975.7	-	60.23	66.56
	भारत	17.4	17.9	-	1.23	1.22
	विश्व योग	1413.0	1466.0	399.0	100.00	100.00

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

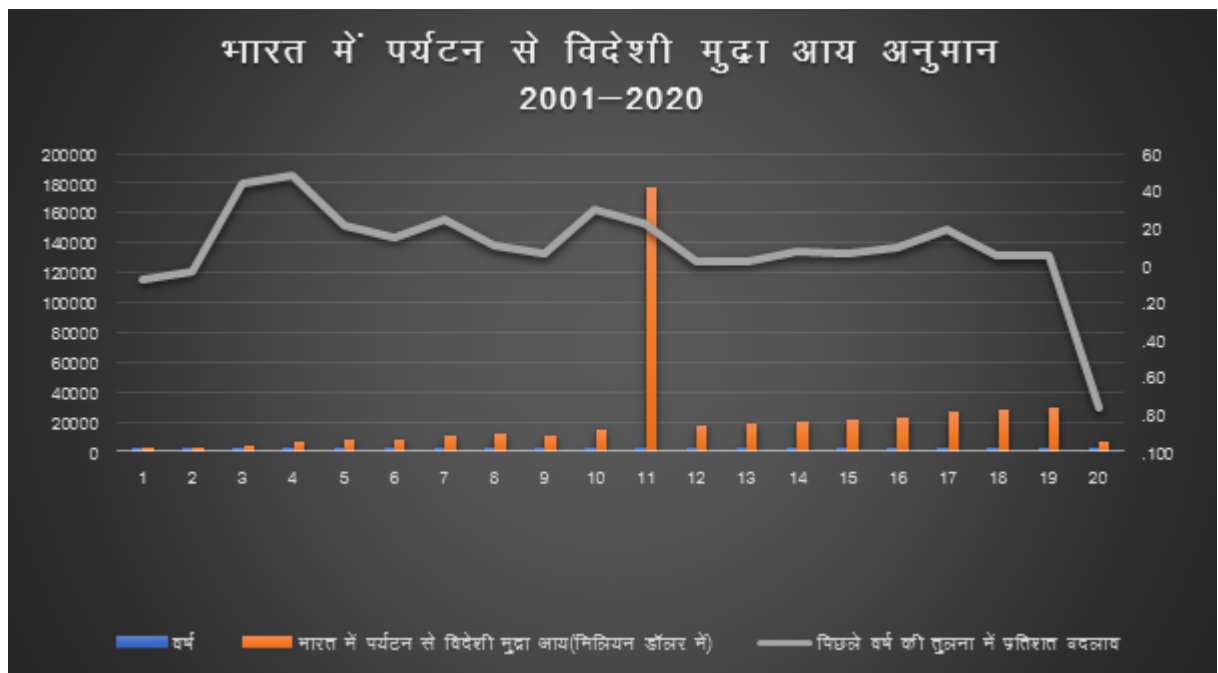


स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका: 2 भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय अनुमान, मिलियन अमेरिकी डॉलर में 2001-2020

वर्ष	भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	पिछले वर्ष की तुलना में (%) प्रतिशत बदलाव
2001	3198	-7.6
2002	3103	-3.0
2003	4463	43.8
2004	6170	38.2
2005	7493	21.4
2006	8634	15.2
2007	10729	24.3
2008	11832	10.3
2009	11136	-5.9
2010	14490	30.1
2011	17707	22.2
2012	17971	1.5
2013	18397	2.4
2014	19700	7.1
2015	21013	6.7
2016	22923	9.1
2017	27310	19.1
2018	28586	4.7
2019	30058	5.1
2020	6958	-76.8

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

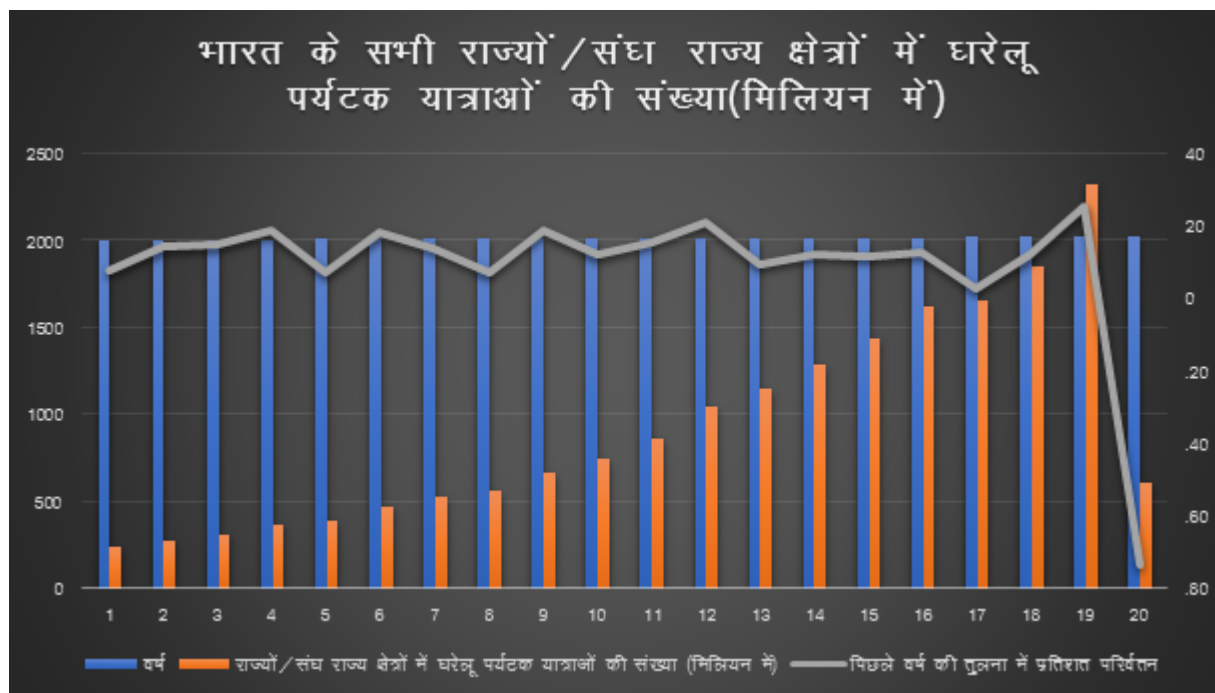


स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

तालिका: 3 भारत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या, 2001-2020

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या(मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में(%) प्रतिशत परिवर्तन
2001	236.47	7.4
2002	269.60	14.0
2003	309.04	14.6
2004	366.27	18.5
2005	392.04	7.0
2006	462.44	18.0
2007	526.70	13.9
2008	563.03	6.9
2009	668.80	18.8
2010	747.70	11.8
2011	864.53	15.6
2012	1045.05	20.9
2013	1142.53	9.3
2014	1282.80	12.3
2015	1431.97	11.6
2016	1615.39	12.8
2017	1657.55	2.6
2018	1853.79	11.8
2019	2321.98	25.3
2020	610.22	-73.7

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

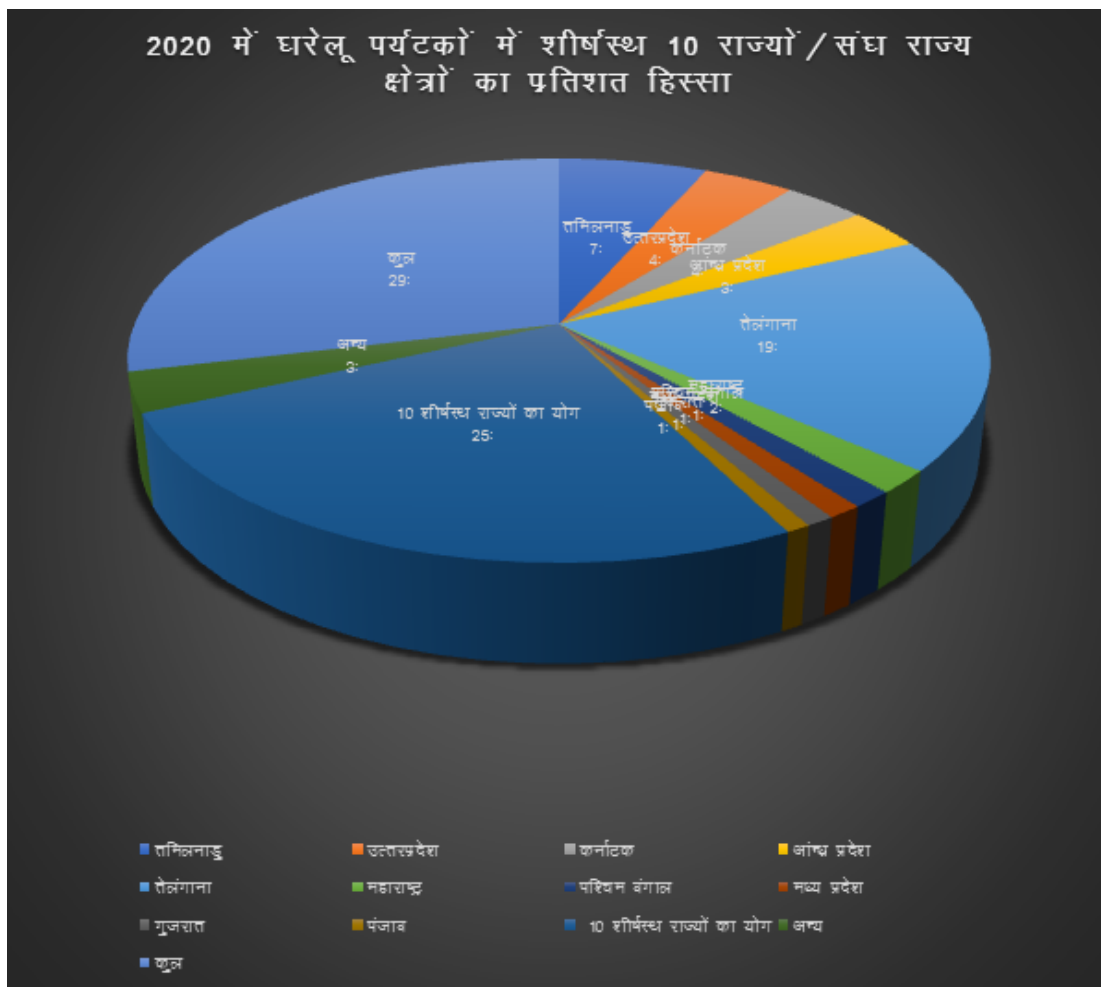


स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका: 4 2020 में घरेलू पर्यटक यात्राओं में भारत के शीर्षस्थ 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा

रैंक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020 में घरेलू पर्यटक यात्राओं संख्या	प्रतिशत(%) यात्रायें
1	तमिलनाडु	140651241	23.0
2	उत्तरप्रदेश	86122293	14.1
3	कर्नाटक	77453339	12.7
4	आन्ध्रप्रदेश	70828590	11.6
5	तेलंगाना	39997001	6.6
6	महाराष्ट्र	39234591	6.4
7	पश्चिम बंगाल	28841732	4.7
8	मध्य प्रदेश	23519632	3.9
9	गुजरात	19464517	3.2
10	पंजाब	16692197	2.7
	शीर्षस्थ 10 राज्यों का योग	542805133	89.0
	अन्य	67411024	11.0
	कुल	610216157	7.0

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

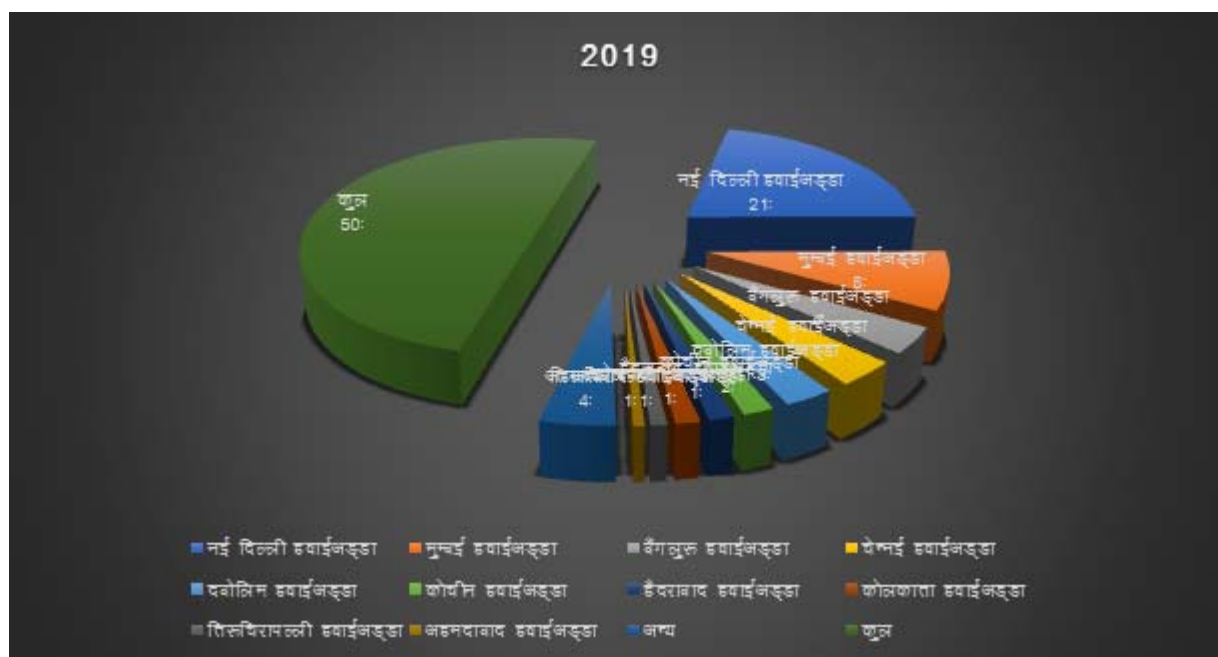


स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका: 5 2019 और जनवरी-मार्च, 2020 के दौरान ई-पर्यटक वीजा का लाभ लेने वाले विदेशी पर्यटकों का प्रमुख हवाई अड्डे-वार आगमन।

क्र.स.	हवाई अड्डे का नाम	2019	प्रतिशत हिस्सा	जनवरी-मार्च, 2020	प्रतिशत हिस्सा
1	नई दिल्ली हवाईअड्डा	1230400	42.0	304599	36.4
2	मुम्बई हवाईअड्डा	484694	16.6	130717	15.6
3	बैंगलुरु हवाईअड्डा	217549	7.4	50499	6.0
4	चेन्नई हवाईअड्डा	208155	7.1	57102	6.8
5	छबोलिम हवाईअड्डा	171226	5.8	97533	11.6
6	कोचिन हवाईअड्डा	105197	3.6	33831	4.0
7	हैदराबाद हवाईअड्डा	83207	2.8	19109	2.3
8	कोलकाता हवाईअड्डा	81983	2.8	22757	2.7
9	तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डा	55825	1.9	16960	2.0
10	अहमदाबाद हवाईअड्डा	38930	1.3	13912	1.7
	अन्य	251137	8.6	90702	10.8
	कुल	2928303	100.0	837721	100.0

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार



स्रोत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

पर्यटन क्षेत्र देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में अत्यधिक योगदान देता है और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 2019 में यह क्षेत्र कुल रोजगार का 8.8 प्रतिशत, कुल निर्यात का 5.8 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 प्रतिशत भाग था। लेकिन अब यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में केवल 4.7 प्रतिशत, कुल रोजगार में 7.3 प्रतिशत और कुल निर्यात में 2.5 प्रतिशत का योगदान देता है। सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में 55 प्रतिशत योगदान पर्यटन उद्योग को देश के समग्र आर्थिक विकास के लिये और भी महत्वपूर्ण बना देता है। विविध संस्कृति और समृद्ध स्थापत्य विरासत के बावजूद भारत के पास स्पेन (5.7%), यूएसए (5.4%), चीन (4.5%), यूके (2.7%) और थाईलैण्ड (2.7%) की तुलना में अंतराष्ट्रीय पर्यटन बाजार का केवल 12% भाग है (2019)। यूके और यूएसए जैसे देशों में क्रमशः केवल 34 और 24 विश्व धरोहर स्थल हैं लेकिन पर्यटन से उनकी विदेशी मुद्रा आय भारत की तुलना में बहुत अधिक है जहां 40 विश्व धरोहर स्थल हैं।

भारत जैसे देशों के लिय पर्यटन का खास महत्व होता है। भारत जैसे देश की पुरातात्विक विरासत या संस्कृति केवल दार्शनिक स्थल के लिय नहीं होती है। इसे राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत माना जाता है और साथ ही पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी होती है। ताज विश्व के लगभग सभी देशों में पुरानी और ऐतिहासिक इमारत है जिसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। भारत असंख्य मोहक एवं पर्यटन स्थलों का देश है। चाहे भव्य स्मारक हो,

प्राचीन मंदिर या मकबरे हों, इनके चमकील रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रौद्योगिकी से चलने वाले इसके वर्तमान से अटूट सम्बंध है। केरल, शिमला, गोवा, आगरा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मथुरा, और काशी जैसी जगहें विदेशी पर्यटकों के लिये हमेशा पहली पसंद रही हैं। भारत में पर्यटन की उपर्युक्त क्षमता है। यहां सभी प्रकार के पर्यटकों को चाहे वे साहसिक यात्रा पर हों, सांस्कृतिक यात्रा पर या वह तीर्थ यात्रा करने आये हों या खूबसूरत समुद्री तटों पर निकले हों सबके लिये खूबसूरत जगहें हैं। अनेक लोग देश के प्रमुख स्थलों की यात्रा कर देश के पर्यटन उद्योग को समउन्नत बनाने में योगदान देते हैं। आधुनिक युग में पर्यटन को एक व्यवसाय का रूप देने में लोगों की बढ़ती आर्थिक समृद्धि का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।

5.0 भारत में पर्यटन के संसाधन एवं मूल्यांकन

भारत अपनी रंग-बिरंगी विविधताओं के कारण हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है। झरनों और नदियों से भरपूर प्राकृतिक खूबसूरती, अनेक तरह के पारंपरिक मेलों, खूबसूरत सामानों से सजे बाजार, विभिन्न मसालों से महकते भोजन, सदियों का इतिहास बताती ऐतिहासिक इमारतें, कहीं नदी का किनारा तो कहीं समुद्र की लहरें आदि अनेक ऐसे खूबसूरत पहलू हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्यटन संसाधनों के अंतर्गत भारत में धार्मिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यटन से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे तथा पारिस्थितिक पर्यटन को शामिल किया जाता है।

भारत धार्मिक स्थलों का देश है। प्राचीन समय से ही भारत में तीर्थाटन यानि धार्मिक पर्यटन की परंपरा रही है। प्राचीन भारत में लोग पैदल या अन्य साधनों से सैकड़ों किमी. की यात्रायें करके तीर्थाटन करते थे। अब परिवहन के नये साधनों ने धार्मिक पर्यटन को ज्यादा व्यापक और लोकप्रिय बना दिया। देश में हर साल पर्यटन से होने वाली कुल आय का 50 फिसदी राजस्व धार्मिक पर्यटन से ही आता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनियां भर में धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2021 के दिसम्बर के शुरूआती दिनों में अमेरिका के शिकागो के 69 वर्षीय वोल्टर साइमन मिलियो और 80 वर्षीय जॉन मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर देखने आये। मार्च 2020 के कोविड लॉकडाउन के बाद पहली बार पर्यटक बीजा पर 18 दिनों के लिए भारत पहुँचे दोनों अतिथियों ने मौजूदा परिस्थितियों में यहां के पर्यटन स्थल को सुरक्षित और उपयुक्त बताया। वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर बताया। उम्र के इस पड़ाव में भ्रमण को लेकर उनका कहना था-पर्यटन के लिये उम्र कोई बन्धन नहीं है। जब तक आप फिट हैं दुनियां देखनी चाहिए। दरअसल वोल्टर और जॉन भारत सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख मुफ्त बीजा देने की पहल के तहत भारत आये थे और कोविड के दौर में उन्हें वातावरण इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सबसे पर्यटन के लिए भारत आने की अपिल भी की।

पर्यटन से मतलब हम सैर सपाटा से लगाते हैं, लेकिन अब पर्यटन के क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म अर्थात् स्वास्थ्य पर्यटन ने क्रान्ति ला दी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, जैसी कहावत वाले हमारे इस देश ने इस कहावत को अपने उत्तम डॉक्टरों, उच्च मेडिकल सुविधाओं के जरिये पूरे विश्व में चरितार्थ कर दिया है। स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में भारत विदेशी निवेश के प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियां के मेडिकल टूरिज्म में भारत का हिस्सा 20 फिसदी से ज्यादा है। भारत में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले 50 फिसदी तक सस्ता इलाज इसकी मुख्य वजह है, केन्द्र सरकार की ओर से लगातार इस दिशा में ध्यान देने का नतीजा है कि 2014 की तुलना में कोविड के ठीक पहले तक मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 350 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली। 2014 में इससे होने वाली कमाई 1.23 लाख करोड़ रुपये थी तो 2019 में यह बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई। यानि जिन-जिन जगहों पर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वहाँ टूरिज्म की संभावनायें और ज्यादा बेहतर होंगी।

भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, पारिस्थितिक, जैविक आदि विविधतायें इतनी प्रचुर हैं कि किसी भी अध्येता के लिये यह आदर्श अध्ययन स्थल हो सकता है। साथ ही तेजी से सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था, लगातार मजबूत होती अवसंरचनायें, विश्वभर के देशों से मधुर रिश्ते बनाने के प्रयास आदि ऐसे कारक हैं जो किसी भी देश से छात्रों को यहां आने के लिये लुभा सकते हैं। ऐसे में नीतिगत स्तर पर कुछ ठोस कदम वास्तव में भारत में शैक्षिक पर्यटन के लिये बेहतर माहौल तैयार कर सकते हैं।

हर व्यक्ति भिन्न उद्देश्य के साथ भ्रमण पर निकलता है लेकिन भिन्न समाजों में घुमने-फिरने से एक परिणाम समान रूप से सामने आता है। वह है उन समाजों के बीच सांस्कृतिक विनिमय। यह परिणाम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। कई बार विवेचक का स्वकेन्द्रित दृष्टिकोण विभिन्न समाजों के बीच गलत फहमियां भी पैदा करता है और कई बार आवश्यक विवादों को जन्म भी देता है। पर्यटन के जरिये कुछ लोग दूसरे समाजों को गहराई से समझ पाते हैं और इस तरह से समाजों में सकारात्मकता की नींव पड़ती है तो वहीं दूसरों के सिरों से खारिज करने की प्रकृति कई बार अन्य समाजों की मौलिकता के सामने ही अस्तित्व का संकट उत्पन्न करने लगती है।

सामान्यतः मनुष्य की हर गतिविधि पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर छोड़ता है और पर्यटन भी इससे अछूता नहीं है। इन दिनों ईको-टूरिज्म के प्रयोग जोर-शोर से हो रहे हैं। लेकिन उनमें भी जोर प्रकृति के बीच सान्निध्य पर ज्यादा है और उसके संरक्षण पर कम। फिलहाल, आवश्यकता है एक ऐसी संतुलित दृष्टि विकसित करने की जो सभी श्वेत-श्याम पक्षों पर समानता से विचार करे और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से साम्य बनाये रखकर पर्यटन की संभावनाओं का फायदा भी उठा सके। वर्तमान समय में पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यटन आपस में जुड़े हुये हैं। भारत के प्राचीन काल के शैक्षिक एवं धार्मिक पर्यटन से वर्तमान के पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास कई काल खण्डों में हुआ है। प्राचीन से लेकर वर्तमान भारत में लगभग हर काल में पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। अशोक सम्राट ने भी पथिकों के आश्रय की व्यवस्था की थी। बाद में समुद्र गुप्त के काल में और उसके बाद शेरशाह के काल में भी इन यात्री सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। आधुनिक काल में पर्यटन को लेकर पहला वास्तविक प्रयास 1945 में हुआ जब तत्कालिन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्रेन्ट के अध्यक्षता में पर्यटन विकास के लिये समिति बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में पहला कदम 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय उठाया गया। जब एकांकी योजना के रूप में एक इकाई सुविधाओं के विकास की बात की गई। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पर्यटन के क्षेत्र में एक नये रूप का प्रारम्भ किया जब पर्यटन को सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया।

इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने अगस्त 2019 में रैंकिंग के लिए पर्वतारोहण वीजा प्राप्त करने के इच्छुक विदेशियों के लिये 137 पर्वत शिखरों को खोल दिया। ये शिखर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड और सिक्किम में स्थित हैं। विदेशियों के लिय सबसे ज्यादा 51 शिखर उत्तराखण्ड में, 15 जम्मू-कश्मीर के पर्वत शिखरों को शामिल किया गया है। यह देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था।

6.0 ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भर/रोजगार का संसाधन

भारत वैभवशाली विरासत और प्रकृति के असीम वरदान के लिए विख्यात है। साथ ही यहाँ कई अद्भुत स्थान हैं जो विश्व में 'भारत के गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। पर्यटन के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों का विकास और प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी और रोजगार बढ़ा सकता है और स्थानीय समुदायों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बना सकता है। पात्र व्यक्तियों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल द्वारा विधिवत योग्यता प्रदान करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे पर्यटन उद्योग में 'विरासत टूर गाइड' के रूप में नौकरी कर सकें। प्रमाणित गाइड लाइसेंस पर्यटकों की नजर में पर्यटक गाइड की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ायेगा, देश में आने वाले पर्यटकों के समग्र अनुभव को बढ़ायेगा और पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा करेगा जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार होगा।

दुनिया भर में पर्यटन उद्योग की अभूतपूर्व प्रगति को देखते हुये भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलों को लागू किया है। 'अतुल्य भारत' को विश्व स्तर पर एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए नये पर्यटन साजो-सामान और पैकेज जैसे व्यापार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, साहसिक पर्यटन और सतत् पर्यटन विकसित किये जा रहे हैं। भारत का ग्रामीण क्षेत्र कला एवं शिल्प, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर पर केन्द्रित विभिन्न जीवन शैलियों का एक अछूता खजाना है। पिछले कुछ दशकों में देश के पर्यटन उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन ग्रामीण पर्यटन पर कभी भी पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत कुछ है। कला, शिल्प और संस्कृति में समृद्ध ग्रामीण भारत में एक पर्यटक आकर्षण का केन्द्र बनने की पूरी संभावना है यदि ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा का बेहता ढंग से प्रचार- प्रसार किया जाता है। तो विकसित देशों के वासी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी जिन्हें पारम्परिक जीवन शैली, कला और शिल्प लुभाते हैं, ग्रामीण भारत की ओर खींचे चले आएंगे।

तालिका: 6 राज्यों में ग्रामीण पर्यटन की संभावना बढ़ाने वाली कुछ प्रसिद्ध लोक कलायें

राज्य	लोक-नृत्य	लोक गीत	लोक कला
राजस्थान	घूमर, गणगौर, झूलन, कालबेलिया, छारी।	कुंकड़ी, झरोवा, मूमल, ढोला मारू, गोरबन्द, घूमर, कांगसिया	मांडणा और फड़।
गुजरात	गरबा, डांडिया रास, टिप्पनी जुरन, भावई।	गरबा, दोहा	पिथोरा और अथिया।
महाराष्ट्र	लवणी, डिंडो, काला, दहीकला।	लावणी, पोवादा, कोली, भरुद, गोंधार, अभंग, तुम्बादी	वर्ली।
पंजाब	भांगड़ा, गिछा, दफ्फ, धामल, दंकारा।	महिया, टप्पा, जुगनी, छल्ला, हीर, रांझा।	फुलकारी और रंगोली।
हरियाणा	झूमर, डाफ, धमाल लूर, गुग्गा, खोर, जागोर।		सांझी।
हिमाचल प्रदेश	झोरा झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी।	बिहाइयां, सुहाग, घोड़ी, झुरी, छीन्जे।	थांका और अरोफ।
पश्चिम बंगाल	लाठी, गंधीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली।	बाउल, भटियाली, रविन्द्र संगीत।	कालीघाट और अल्पना।
तेलंगाना	पेरीनी थंडावम, शिवतांडवम।	ओगु, कथा या ओगु कथा।	चौरियाल।
आन्ध्रप्रदेश	वीरनाट्यम, ब्रुटा बोम्मलू, भामकल्पम, दपू, तपेता गूल्लू, लंबाड़ी, धीमसा, कोलट्टम।	मदिका, दप्पू, माला जमिदिका।	कलमकारी।
कर्नाटक	यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी कुनीथा, करगा, लांबी।	भावगीत।	रंगवाली।
केरल	मोहनीअट्टम, कुरावारकली।	विलपाट्ट, माणिलापाट्ट, वडकन्न, पाट्ट, भूटा।	कलमाजट्ट।
तमिलनाडु	कुमी कुलट्टम, कवाड़ी अट्टम।	अम्मानयीवारी, नातुपुरा पादलगल, कुम्मीपात्तु।	कोल्लम् और तंजौर।
मध्यप्रदेश	जवारा, मटकी, अडा, खाड़ा, फूलपति, गिदा, सालेलाकी।	गवलन, संजा चौकडिया, हारदौली, वैरायटा।	गोंड और बाघ।
उत्तर प्रदेश	नौटंकी, रासलीला, राई, कजरी, चरकुला, धोबिया।	रासीया, कजरी, कवाली, बिरहा, चौता, कहारवा, ठुमरी।	चौकपूर्ण और चिकनकारी।
उत्तराखण्ड	भोटिया, छोलिया, चंफुली।	बसन्ती, घसीयारी, जोड़ा।	ऐपेण।
छत्तीसगढ़	गौर मारिया, पैथी, राउत, पंडवाणी, वेडामति, चंदनानी।	भोजली, सुआ, जवारा।	बिहई चौक और गोवर्धन।
बिहार	पनवारिया, विदेशिया, कजरी।	जोगिड़ा, फगुवा, चौता, कजरी, हिंडोला, मलारा।	टरिपन और मधुबनी।
झारखण्ड	मंडा, सोहराई, दासाई, सरहुल, कर्मा।	झांझइन, अधरतिया, प्रातकली, झूमर।	सोहराय और कोहबर।
उड़ीसा	गोतिपुआ, छाऊ, घुमुरा, रानाप्या, सबलपुरी।	ओडिघसी, संभलपुरी, दशकटिया।	पट्टचित्र।
त्रिपुरा	होजागिरी, गरिया, बौझु, संगराई, चेरव, बूमनी।	जादूकलिजा, चामरीटूनमनी, ममीता, गरीया रूईनानी, हचवग कमानी।	अल्पना।
असम	बिहू, बागुरुम्बा, भोर, ओजापली।	बिहुगीत, टोकरीगीत, कामरूपी, गोलपरिया।	
सिक्किम	सिंगी, छाम, याकछाम, तमांगसेलो, मारूनी, तापी सबदो।	घाटू किटो, मयूललियांग।	थांका।
मिजोरम	छेरव, खुल्लम, चौलम, सोलाकिया, तलंगलगलम।	दामीनी जाई, छेईलाम, सैलो जई, सैवतेजई।	
अरुणाचल प्रदेश	पोंग, दामिंडा, वानचो, तापु, खापटी।	दारी, बैरी, न्योगा।	तंगखा।
नागालैण्ड	रेंगमा, चंगी, आलूयट्टू।	जेलियांग।	योद्धाशांप।
मणिपुर	डोल चोमल, थांगटा, पुंग चोलोम, नुषा, रासलीला।	खुनुंगइशई, लाई हराओबा।	खंबाना काओ फाबा।

स्रोत: कुरुक्षेत्र, ग्रामीण पर्यटन, जून 2022।

भारत सरकार द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 13 मई 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान शुरू किया गया। जो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचे, व्यवस्था, जनसांख्यिकी और मांग के 5 स्तम्भों पर टिका हुआ। और स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होने का आह्वान करता है। यह देश को समृद्ध, मजबूत और विकसित करने के लिये व्यक्तियों और उद्यमों को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है। चूँकि देश का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है और बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वास्तव में ग्रामीण जीवन ही देश की अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता का केन्द्र है, जहाँ आप 'असली भारत' से मुखातिब होते हैं। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना “आत्मनिर्भर भारत” के तहत आवश्यक घटक के रूप में स्थापित किये गये हैं। गांव देश की संस्कृति, परंपरा, शिल्प, विरासत और कृषि प्रथाओं के भण्डार भी हैं। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विकास, विस्तार व प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में आय व रोजगार पैदा कर सकता है। और स्थानीय समुदायों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बना सकता है। अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि को पूरा कर सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने, गरीबी उन्मूलन और सतत् विकास में मदद मिलेगी।

7.0 पर्यटन से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव

पर्यटन आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के विकास को उत्प्रेरित करता है। यह निर्माण की निरन्तर वृद्धि और पर्यटन सुविधाओं सहित आधारीक संरचना तथा पर्यटक अधिरचना की उत्पत्ति और सुधार द्वारा नगरीकरण की अभिवृद्धि करता है। यह पर्यटक सेवाओं से सम्बद्ध उद्योगों को गतिशील बनाता है, यथा होटल, परिवहन आदि, जो प्रतिदान में अन्य उद्योगों के विकास को प्रेरित करते हैं। यह कृषिजन्य उत्पादों की मांग को उपभोग में वृद्धि के कारण बढ़ाता है। यह स्थानीय उत्पादों और वस्तुओं के बाजार को भी विस्तृत करता है। किसी देश के लिए पर्यटन का महत्व उसके आर्थिक प्रतिफल, उस प्रतिफल या लाभ का प्रभाव भुगतान-शेष पर, और समग्र पर्यटक प्राप्ति तथा राष्ट्रीय आय के मध्य सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप होता है। किसी अर्थ-व्यवस्था के राष्ट्रीय अथवा वृहद स्तर पर पर्यटन के प्राथमिक या प्रत्यक्ष प्रभावों में भुगतान-शेष पर इसका प्रभाव, तथा नियोजन पर इसका प्रभाव और आय के पुनर्वितरण पर इसके प्रभाव सम्मिलित हैं।

7.1 पर्यटन और भुगतान शेष

भुगतान-शेष किसी देश-विशेष तथा अन्य सब देशों के मध्य समस्त लेन-देन के दोहरे क्रमबद्ध प्रलेख को निरूपित करता है। अंतराष्ट्रीय खाते में यह आय तथा व्यय का एक विवरण है। भुगतान-शेष, लेखों का एक समुच्चय होता है जो किसी निर्धारित देश के अन्य देशों से एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत सभी वास्तविक और वित्तीय लेन-देनों को सारणीबद्ध करता है। सामान्यतः पणाया अथवा सौदों के तीन समूह होते हैं- वस्तुओं और सेवाओं से सम्बद्ध लेन-देन अथवा सौदे, उपहार तथा अन्य एक पक्षीय सौदे, और पूंजी के प्रवाह। इन खातों को सम्पूर्णतः आंशिक शेषों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यापारिक शेष केवल वस्तुओं के हस्तांतरण से सम्बद्ध है। चालू खाते या सौदों पर भुगतान शेष, व्यापार शेष सहित, सेवाओं के हस्तांतरण तथा साथ ही उपहारों और अन्य एक पक्षीय लेन-देनों को आवृत करता है। भुगतान-शेष को पूर्ववर्ती अवशेषों को संयुक्त करता है जिसमें पूंजी के प्रवाह भी जोड़ दिये जाते हैं।

7.2 पर्यटन और विनियोजन

पर्यटन उद्योग, मुख्यतः सेवा-परख होने से, श्रम प्रबलित है और इसलिए नियोजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक विस्तृत प्रकार की क्रियाकलापों को उत्पन्न करता है और इस तरह रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर आर्थिक-सामाजिक लाभ प्रदान करता है। अपने सभी पक्षों के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन का एक विशिष्ट लक्षण इसका धन्धों के सृजन कर प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह लोगों के एक बड़े वर्ग, जिनकी गतिविधि पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बद्ध है, की आय के लिए प्रत्यक्ष रूप से रीति उत्तरदायी है। पर्यटन का नियोजन और श्रम के विनियोजन के रूप में योगदान तीन कारकों और विश्लेषण की समस्याओं के कारण कठिन हो जाता है फिर भी पर्यटन-जनित नियोजन को तीन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 1. उस व्यवसाय में सीधी नियुक्ति जो पर्यटकों को प्रत्यक्ष रीति से वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करते हैं, जैसे होटल, भोजनालय, दुकानों इत्यादि। 2. पर्यटन व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले क्रियाओं में पर्यटन व्ययों द्वारा प्रोत्साहित अप्रत्यक्ष नियोजन और 3. निर्माण तथा अन्य पूंजीगत माल के उद्योगों में निवेश-सम्बद्ध नियोजन।

7.3 क्षेत्रीय विकास और आय का पुनर्वितरण

पर्यटन पूर्णतया उन दूरस्थ और अल्प-विकसित क्षेत्रों के, विशेषतः विकासशील देशों में, विकास में सहायक होता है, जिनमें औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल और अन्य साधनों का अभाव होता है, परन्तु जिनका पर्यटनीय महत्व होता है। ऐसे प्रदेशों में पर्यटनीय आकर्षण के क्षेत्रों में निवेश का वितरण, एक पर्यटन विकास कार्यक्रम के अनुसार, स्थानीय और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के उल्लेखनीय विकास की ओर अग्रसर करेगा और औद्योगीकरण के कारण अव्यवस्थित नगरीकरण और क्षेत्रीय विकास जनित असंतुलन को सुधार भी सकता है। पर्यटन जन-संख्या के अल्प-कुशल क्षेत्रों को श्रम और रोजगार के अवसर प्रदान करता है और उनके औद्योगिक तथा नागर-क्षेत्रों के प्रव्रजन का निवारण करता है। “इस प्रकार उद्योग के विपरित, जो प्रायः धन का केन्द्रीकरण करता है, पर्यटन देश भर में बिखरे पर्यटक केन्द्रों में आय की वृद्धि को त्वरित करता है। यद्यपि पर्यटन प्रायः सम्पत्ति और उत्पादन के अन्तरों की पूर्णतः क्षति-पूर्ति में असमर्थ होता है, यह आर्थिक प्रतिपूर्ति को कुछ सीमा तक प्राप्त कर लेता है।”

पर्यटक व्यय का क्षेत्रीय पहलू उसके द्वारा किये गये खर्च का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और इसका उन क्षेत्रों के लिए एक विशेष महत्व है जो अपेक्षतया पृथक तथा अल्प-विकसित हैं और जिनमें बेरोजगारी की समस्याएँ हैं। फ्रान्स में लैंगवेडॉक-रूजिलैं और इटली में मैज्जोर्गिऑर्निओ उन पर्यटक-विकास-योजनाओं के उदाहरण हैं जो परंपरागत अल्पविकसित क्षेत्रों में प्रदेशों के मध्य दीर्घकालिन आर्थिक असंतुलन को सुधारने हेतु अपनाये गये हैं।

8.0 परिणाम एवं चर्चा

डिजिटल होते दुनिया में भारतीय पर्यटन का रंग-रूप भी बदला है। ई-टूरिस्ट वीजा के साथ ही पर्यटकों के आवागमन की सुविधाओं में सुधार होने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिल रहा है (तालिका: 5)। भारत की जी.डी.पी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि अंतराष्ट्रीय औसत से यह अब भी कम है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के मुताबिक भारत की जी.डी.पी में इस वक्त 2019 में पर्यटन का योगदान 9.6 प्रतिशत है। इस मामले में भारत वैश्विक औसत 9.8 के लगभग बराबर पर पहुँच गया है। लिहाजा सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी और मजबूत होगी। पर्यटन इस वक्त देश में लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया बना हुआ है। साल 2017 में देश में पैदा हुए कुल रोजगार के अवसरों में 8 प्रतिशत हिस्सा पर्यटन उद्योग था। 2017 में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार मिला। वर्ष 2028 तक यह संख्या 2 प्रतिशत बढ़कर 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है। सरकार ने हाल के दिनों में पर्यटन को लेकर जिस तरह की गम्भीरता दिखाई है उससे इस उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे रोजगार के अवसर और भी बढ़ें और देश में पर्यटन का और ज्यादा विस्तार होगा।

देश में भले ही पर्यटन उद्योग तरक्की कर रहा हो लेकिन भारत की जितनी क्षमता है, उस लिहाज से अभी दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। भारत ने 2002 में राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाई थी जिसके तहत पर्यटन के जरिये रोजगार निर्माण, सतृप्ता और और टिकाऊ उद्योग बनाने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल सहित कई बातों पर जोर दिया गया। पिछले 5 वर्षों में पर्यटन नीति में कई सकारात्मक बदलाव किये गये ताकि पर्यटन उद्योग मजबूत बने। 2014 में दो भविष्योन्मुखी कार्यक्रमों का उद्घाटन किया गया— पहला स्वदेश दर्शन तथा दूसरा प्रसाद योजना। स्वदेश दर्शन के तहत जहाँ कई तरह के थीम की पहचान की गई है वहीं प्रसाद योजना के तहत 12 शहरों की पहचान की गई है जो धार्मिक गतिविधियों के लिए विख्यात रहे हैं। इनमें द्वारिका, अजमेर, अमृतसर, कोलकाता, केदारनाथ, मथुरा, वाराणसी, गया, कामाख्या, पुरी, वेल्लालकनी, कोच्चीपुरम् और अमरावती को चुना गया है। इन कार्यक्रमों के जरिये 28.59 बिलियन यू एस डॉलर की कमाई हुई है। और 2019 में सिर्फ जनवरी में 2.55 बिलियन यू एस डॉलर विदेशी मुद्रा की कमाई हुई जिससे काफी फायदेमंद कहा जा सकता है।

भारत सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में क्षमताओं को देखते हुये भारत को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम बढ़ाये गये हैं। सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया। उम्मीद है कि इसे देखने दुनिया के सैलानी भारत आयेंगे, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि विश्व के पर्यटकों की संख्या का 2 प्रतिशत 2025 तक भारत आयें। सरकार ने आम बजट 2019-20 में स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के तहत 1160 करोड़ का बजट आवंटित किया। इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। जुलाई 2018 में ही 14 राज्यों ने टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की, तो वहीं नवम्बर में नागालैण्ड ने भी अलग से टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की है।

घुमने-फिरने के अलावा भारत में मेडिकल और वेलनेस पर्यटन में काफी संभावनायें हैं। विदेशी सैलानियों के भारत में सहूलियत के लिए ई-वीजा स्कीम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुमान है कि ई-वीजा सुविधा मिलने से भारत आने वाली सैलानियों की संख्या 2 गुनी बढ़ जायेगी। ए सो चौन और एस बैंक के संयुक्त अध्ययन के मुताबिक भारत में सस्ते इलाज की सुविधा बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों को अपनी ओर खींच रही है। सरकार का ध्यान इस ओर भी है—हेल्थ केयर और वेलनेस सैक्टर की कामयाबी से पर्यटन सैक्टर में 25 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी हो सकती है। आयुर्वेद, योगा, अध्यात्म और प्राचीन थेरपी के लिय पर्यटक भारत का रुख करते हैं। भारत के पर्यटन नीति का अहम् हिस्सा अब भारत के पर्यटक भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को अपने भाषण में लोगों से भारत के पर्यटन स्थलों पर जाने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि विदेश घुमने जाने से पहले अपने देश की अमूल्य और अद्भुत पर्यटक स्थलों को घुमने जरूर जायें। पर्यटन नीति के तहत स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना कार्यक्रम को टूरिस्ट सर्किट और महत्व के हिसाब से अलग-अलग थीम में बांटा गया है। इन थीम्स में पूरे भारत के पर्यटक स्थल लोगों को आकर्षित करेंगे। ये सर्किट हैं—बुद्धिस्ट, तटीय स्थल, मरूस्थलीय, पर्यावरण आधारित, हैरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नार्थ-ईस्ट, रामायण, ग्रामीण, आध्यात्म, सूफी, तीर्थकर, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ।

कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने 15 पर्वत चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब इन चोटियों पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए विदेशी पर्यटकों को सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। गृहमंत्रालय ने कुल 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय किया है। उम्मीद है कि सरकार ने इन प्रयासों से दुनिया में भारतीय पर्यटन को उच्च स्थान मिलेगा। और भारतीय पर्यटन उद्योग में बढ़ोत्तरी के साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा। और पर्यटन के विभिन्न आयामों में वृद्धि के साथ विकास ही हमारी आवश्यकता भी है।

9.0 निष्कर्ष

विश्व के अधिकांश स्थानों में पर्यटन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई देशों ने पर्यटन की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सम्पन्न बना दिया है। पर्यटन में बढ़े पैमाने पर उत्पादक रोजगार पैदा करने की क्षमता है जो विभिन्न प्रकार के हैं जैसे अत्यधिक कुशल से लेकर अर्द्ध-कुशल तक। पर्यटन के क्षेत्र में कई दशकों से विकास और विविधता आई है जिसके कारण यह सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक बन गया है। समकालीन पर्यटन का आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास से गहरा सम्बंध है। वर्तमान में, पर्यटन का एक वाणिज्यिक परिमाण भी है जो रेल निर्यात, खाद्य पदार्थों और वाहनों के समकक्ष है या उससे अधिक है। पर्यटन अंतराष्ट्रीय व्यापार में आवश्यक प्रतिभागियों में गिना जाने लगा है और कई विकासशील देशों के लिए आय के प्राथमिक स्रोतों में से एक बन गया है। इस विस्तार के साथ पर्यटन गंतव्य स्थलों का विविधकरण हुआ है और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक संचालक के रूप में पर्यटन उद्योग का बढ़ता महत्व और विकास तथा साधन के रूप में इसकी क्षमता निर्विवाद है। यह न केवल विकास को गति देता है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करके लोगों के जीवन में सुधार भी लाता है। यह

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय स्थिरता और अंतराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। भारत में पर्यटन अधिकतर चंद पारंपरिक शहरों और कस्बों तक सीमित रहा है जो ऐतिहासिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक अभिरूचि के केन्द्र हैं। बुनियादी ढाँचे और संचार साधनों की कमी और प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण कई शानदार स्थल अज्ञात हैं या कम खोजे गये हैं। भारत में लगभग हर क्षेत्र के अपने नयनाभिराम स्थल हैं जिन्हें पर्यटन के लिए विकसित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिये एक समग्र कार्यनीति और देशभर में एक समान नीति निष्पादन करने आवश्यकता है। इसके अलावा हमें इन सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के लिये राज्य और केन्द्र दोनों से, योजना और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अब ग्राम्य पर्यटन पर ध्यान देने की जरूरत है जो पर्यटन क्षेत्र की प्रगति का भविष्य है।

निश्चित तौर से कोविड के बाद भारत का पर्यटन क्षेत्र तेजी से अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटने का सामर्थ्य रखता है। मार्च 2022 तक 5 लाख विदेशी पर्यटकों को मुफ्त विजा की सुविधा, वैक्सीनेशन की गति, स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता और तकनीक के बेहतर प्रयोग से भारतीय पर्यटन दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाने को आतुर है। लेकिन भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जरूरत है सामुहिक प्रयास की ताकि एक भारत -श्रेष्ठ भारत की भावना विश्व भर में गुंजे।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. तिवारी, एस. पी. (2005). पर्यटन विकास और पर्यावरण (प्रथम संस्करण). डी. के. फाइन आर्ट (प्रा.) लि. दिल्ली. पेज नं.- 35,36,39,45।
2. खुराना, एल. (2022). ग्रामीण पर्यटन. पेज नं.-5,7,15,26। www.publicationsdivision.nic.in
3. लाल, डॉ. कन्हैया. (2021). आत्मनिर्भर भारत एवं इसके विविध पहलू. (65 मेम्बर, एनुअल कॉन्फ्रेंस). इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली. पेज नं. 2,3।
4. पर्यटन से समावेशी विकास. (16-31 जनवरी 2022) न्यू इण्डिया सामाचार. पेज नं.-31।
5. सिंह, जय, पाठक आर. (2015). योजना: पर्यटन उदीयमान उद्योग. पेज नं.-7,9,25,29।
6. भारत पर्यटन आंकड़े एक झलक-2021. पेज नं.-8,12,23,24।
7. सिंह, विनय. 2022. कुरुक्षेत्र मन्थली जी.आई.एस.टी: केन्द्रीय बजट. पेज नं.-1।
8. भुगतान शेष: अर्थ और महत्व. <https://www.drishtiias.com/hindi/daily>.
9. भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन. <http://ignited.in/a/56089>.
10. पर्यटन और प्रभाव. <https://www.hmoob.in>
11. उपाध्याय, जी. (27 सितम्बर, 2019). पधारो हमारे देश, राज्य सभा टी.वी.

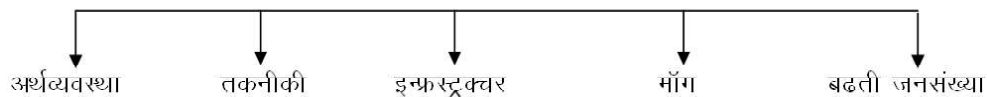
आत्मनिर्भर भारत और विवाह कर्मकांड

(Self-reliant India and Marriage Rituals)

डॉ० संतोष कुमार यादव

Associate professor, Department of sociology, J.S. University shikohabad (Firozabad)

महात्मा बुद्ध ने भी अपने ज्ञान के सुत्रों में से एक सुत्र संसार के समाज को दे गये हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिये एक दीपक के जैसा शिद्ध होता है। “अप्य दीपों भवः” अतः इसका अर्थ है कि अपना प्रकाश खुद बनाएँ तब एक प्रकाश स्तम्भ की तरह हमेशा समाज को दीपक दिखाते रहें यही तो हमारे आत्मनिर्भर भारत का अशन मायना है भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने में पाँच मददगार स्तम्भ होते हैं जिन के माध्यम से हम भारत देश को विकसित बना सकते हैं जो स्तम्भ हैं—



एक आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को इन पाँच स्तम्भों के माध्यम से सर्वोपरि बना सकता है आत्मनिर्भर का मतलब है कि समाज में मनुष्य के पास जो भी हुनर है उस के माध्यम से छोटे-छोटे स्तर से खुद को आगे बढ़ाना, बुलन्दियों की तक पहुँचाना अथवा बड़े स्तर पर खुद को, अपने परिवार, समाज और देश के लिये कुछ कर गुजराना।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का भी यही सपना था कि अपना भारत देश भी स्वदेशी चीजों को अपना कर अपनी व अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अग्रसर रहने का प्रयत्न करे जिससे हमारा भारत देश स्वदेशी बने “आत्मनिर्भर” शब्द कोई नया नहीं है ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के माध्यम से बनाये गये छोटे-छोटे सामानों से तथ उसकी आमदनी के माध्यम से आये पैसों से अपने परिवार का भरण-पोषण किया जाये तो इसे भी हम आत्मनिर्भरता की श्रेणी में ही रखेंगे क्योंकि हम किसी ओर व्यक्ति पर निर्भर नहीं हैं। अतः अब ऐसा समय आने वाला है जब हम विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर महाभारत के अर्जुन की भाँति लक्ष्य भेदन जैसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें क्योंकि हमारे कौशल के प्रति हमें अपना आकर्षण जीवन जीने की वास्तविक ताकत देता है हमारा ज्ञान व कौशल केवल रोजी-रोटी और पैसा कमाने का जरिया मात्र नहीं होता है हमारा कौशल हमें जीने की प्रेरणा बनने का काम करता है अतः हम कह सकते हैं हम जिस भारत देश की मिट्टी में पले बड़े हुये हैं जिस राष्ट्र का हमने नमक खाया है क्यों ना हम उस भारत देश को विकासशील नहीं विकसित देशों में शामिल करें और गर्व कह सकें की हम भारत के निवासी हैं हमारे भारत देश के निवासियों को इस बात पर भी अमल करना होगा की भारत की आवादी बढ़ रही है उस जनसंख्या पर रोक लगाये क्योंकि बढ़ती जनसंख्या का असर आत्मनिर्भर भारत पर पड़ता है जिसकी बजह से हम भारत को विकसित देश ना कहकर विकासशील देश ही समझते हैं लेकिन वास्तविकता के आधार पर देखा जाये तो अब हमारा देश विकासशील ना होकर विकसित देश की श्रेणी में आता है।

सारे विश्व में केवल एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाये जाते होंगे इसलिये भारत बिना किसी देश की मदद लिये जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण की बस्तुएं बना सकता है और आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर सकता है भारत के सामने आत्मनिर्भर बने के लिए राह में कौंटे अधिक हैं और चुनौतियाँ भी सरकार को सबसे पहले उन चुनौतियाँ से दो चार होना पड़ेगा तभी हमारे समाज में भूमंडलीकरण से इस दौर में हम लोकल की स्वीकार्यता तथा व्यापकता को धरातल पर यथार्थ कर सकते हैं कोरोना महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था बर्दहाल है इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सिस्टम में की अभूतपूर्व बदलाव की आवश्यकता है। भारत देश के बने सामान के निर्माण में यह देखने की अधिक आवश्यकता है कि क्या भारत देश में बने उत्पादों की गुणवत्ता अधिक अच्छी है या नहीं भारत को चाहिये की जिस उत्पाद का हम निर्माण करें उस उत्पाद की लागत गुणवत्ता अच्छी हो जिससे हमें लाभ अधिक हो तभी हमारा भारत देश आत्मनिर्भर में सक्षम हो सकता है। और हम भारत की बेटी को अच्छा वर व परिवार देने के लिए विवाह कर्मकांड की व्यवस्था कर सकें जिससे आत्मनिर्भर भारत में बेटीयों की दिशा और दशा उच्च श्रेणी की रहे सकें। अब समय आ गया है कि जब हम विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर अर्जुन की भाँति लक्ष्य भेदन की दिशा में आगे बढ़ें।

विवाह



कर्मकांड

विवाह दो आत्माओं का पवित्र बन्धन है दो प्राणी अपने अलग-अलग अस्तित्वों को सामाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। जिसे हम विवाह कहते हैं। प्राचीन भारत में कई बुरी प्रथाएँ प्रचलित थीं। उनमें से एक बुरी प्रथा थी बाल विवाह। बाल विवाह भारत की एक प्राचीन प्रथा थी तथा प्राचीन समय से पूरे भारत में फैली हुई थी। बाल विवाह अर्थात् बचपन में ही विवाह कर देना। भारत में विवाह को एक पवित्र सूत्र माना गया है तथा यह एक संस्था है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।

बाल विवाह के विरोध में कई छोटे-छोटे संगठन बन गये और जगह-जगह बाल-विवाह के खिलाफ प्रचार करने लगे। इस प्रथा के और भी बहुत दुष्परिणाम थे। जाति प्रथा भी इसका मुख्य कारण था। समाज का एक बहुत बड़ा तबका बाल विवाह के पक्ष में था। ज्यादातर लोग अनपढ़ होते थे। आज भी भारत के कई भागों में लड़कियों का विवाह समय से पहले कर दिया जाता है।

वर्तमान में विवाह की आयु का निर्धारण कर दिया गया है जो लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। परन्तु उत्तर भारत में अभी भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों में बाल विवाह को प्रचलन है। बाल विवाह रोकने के लिए 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006' पारित किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए इस अधिनियम के द्वारा दण्ड का प्रावधान किया गया जिसमें दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया।

भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबन्ध मात्र नहीं है, भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है। 'धन्यो गृहस्थाश्रमः' सदगृह्य ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं।

वर्तमान समय में विवाह दो आत्माओं का पवित्र बन्धन है दो प्राणी अपने अलग-अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं।

विवाह कर्मकांड आरम्भ करने से पूर्व या विवाह बेदी पर बिठाकर दोनों को यह तथ्य भली प्रकार समझा दिया जाए और उनकी सहमति माँगी जाए। यदि दोनों इन आदर्शों को अपनाये रहने की सहमति स्वीकृति देते हैं तो ही विवाह संस्कार आगे सम्पन्न कराया जाए।

1. वर-वरण (तिलक) कर्मकांड विवाह से पूर्व तिलक का विधान होता है जो इस प्रकार है। वर पूर्वाभिमुख तथा तिलक करने वाले बाबा, ताऊ, पापा, चाचा, तथा भाई आदि पश्चिमामुख बैठकर निम्न कृत्य सम्पन्न करें-



मंगलाचरण, षट्कर्म, तिलक, कलावा, कलशपूजन, गुरुवन्दना, गौरी गणेश पूजन सर्वदेव नमस्कार, स्वस्तिवाचन आदि इसके बाद कन्यापक्ष वर का यथोचित स्वागत-सत्कार करें/ तदुपरान्त 'वर' को प्रदान की जाने वाली समस्त सामग्री (थल-धान, फल-फूल, द्रव्य-वस्त्रादि) कन्यापक्ष हाथ में लेकर संकल्प मन्त्र बोलते हुए वर को प्रदान करें -

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्री मद्भगवती महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य, अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये पार्ष्णे श्री श्वेतवाराहकल्पे, वैवस्वतमन्वन्तरे, भूलोक, जम्बूद्वीपे, भरतखण्डे भारतवर्षे.....क्षेत्रे नगरे ग्रामे.....नाम-संवत्सरे.....मासे (शुक्ल/कृष्णा) पक्षे.....तिथौ.....वासरे.....गोत्रोत्पन्न.....(कन्यादाता) नामोह.....(कन्या नाम) नाम्न्या कन्यायाः (भगिन्याः) करिष्यामाण उद्वाहकमार्णि एभिर्वर्णद्रव्यैः(वर का गोत्र) गोत्रोत्पन्न.....(वर का नाम) नामानं वरं कन्यादानार्थं वरपूजनपूर्वकं त्वामाहं वृणे, तन्निमित्तकं यथाशक्ति भाण्डानि, वस्त्राणि, फलमिष्टानानि द्रव्याणि च(वर का नाम) वराय समर्प्ये।

तत्पश्चात् क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, विसर्जन करते हुये कार्यक्रम समाप्त करें।

2. हरिद्रालेपन (हल्दी लेपन समारोह) विवाह से पहले वर-कन्या के प्रायः हल्दी चढ़ाने का प्रचलन है, उसका संक्षिप्त विधान इस प्रकार है- सर्वप्रथम षट्कर्म, तिलक, कलावा, कलशपूजन, गुरुवन्दना, गौरी-गणेश पूजन, सर्वदेवनमस्कार, स्वस्तिवाचन करें। तत्पश्चात् निम्न मंत्र कहते हुए वर/कन्या की हथेली-अंग-अवयवों में (लोकरीति के अनुसार) हरिद्रालेपन करें-



ॐ काण्डात् काण्डात्प्ररोहन्ती, परुषः परुषस्परि।

एवा नो दूवेर् प्र तनु, सहस्रेण शतेन च ॥-13,20

इसके बाद वर के दाये हाथ में तथा कन्या के बायें हाथ में रक्षासूत्र (कंकण) निम्नलिखित मंत्र से पहनाएँ-

ॐ यदाबध्नन्दाक्षयणा, हिरण्य शतानीकाय, सुमनस्यमानाः।

तन्मेआबध्नामि शतशारदाय, आयुष्मांजरदष्टियर्थासम् ॥-34,52

तत्पश्चात् क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, विसर्जन, के साथ कार्यक्रम सम्पन्न करें।

3. द्वार पूजन-विवाह हेतु वारत जब दरवाजे पर आती है, तो सर्वप्रथम 'वर' का स्वागत-सत्कार करते हैं जिस का क्रम इस प्रकार है- 'वर' के द्वार पर आते ही आरती की प्रथा है तो कन्या की माता वर की आरती उतारे तत्पश्चात् वर और कन्यादाता परस्पर अभिमुख बैठकर षट्कर्म, कलावा, कलशपूजन, तिलक, गुरुवन्दना, गौरी-गणेश पूजन, सर्वद्वन्द्वमस्कार स्वस्तिवाचन करें। इसके बाद कन्यादाता वर सत्कार के सभी कृत्य सम्पन्न करायें।



ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा.....से तिलक लगाएँ

ॐ अक्षन्मीमदन्त.....से अक्षत लगाएँ

माल्यार्पण एवं कुछ द्रव्य 'वर' को प्रदान करना हो, तो निम्नस्थ मन्त्रों से सम्पन्न करा दें-

माल्यार्पण मंत्र -

ॐ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड ध्वज।

मंगलम, पुण्डरीकक्ष, मंगलाय तनो हरि॥

माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वैप्रभो।

मयाद्विताछ पुष्पणि पुजानि प्रतिगृहातम्॥

तत्पश्चात् क्षमाप्रार्थना, नमस्कार, देवविसर्जन करें।



4. विवाह कर्मकांड का विशेष संस्कार-विवाह वेदी पर वर और कन्या दोनों को बुलाया जाए प्रवेश के साथ मंगलाचरण करायें कन्या दायी ओर तथा वर बायीं ओर बैठे/कन्यादान करने वाले प्रतिनिधि कन्या के पिता ताऊ, चाचा, तथा भाई जो भी हो उने पत्नी सति कन्या की ओर बिठाया जाए। पत्नी दायीं ओर पति बायीं ओर बैठे सभी के सामने आचमनी, पंचापत्र आदि उपकरण हो पवित्रकरण हो आचमन, शिखा-वन्दन, प्राणायाम, न्यास, प्रथ्वी-पूजन आदि षट्कर्म सम्पन्न कराएं गृहस्थाश्रम में गृह लक्ष्मी का महत्व सर्वोपरि होता है उसे लेने वर के हितैषी व परिजन कन्या के पिता के पास आते हैं श्रेष्ठ आये अतिथियों का स्वागत करना कन्या पक्ष का कर्तव्य हो जाता है वर पक्ष समान पाकर निरर्थक अहं न बढ़ाएँ जिन मानवीय गुणों के कारण श्रेष्ठ मानकर वर सत्कार करने की व्यवस्था बनाई है इन दिव्य भागों के लिय सबसे अधिक घातक है दहेज चढावा आदि के नाम पर यदि एक दूसरे के उपर दबाव डाला जाता है तो प्रेम तो समाप्त हो जाता है द्वेष व प्रतिशोध के दुर्भाव उभर आते हैं वर-वधू के सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसे अप्रिय प्रसंगों को विष मान कर सर्वथा दूर रहेना चाहिए।
5. हस्तपीतकरण कन्या दोनों हथेलियाँ सामने कर दे कन्या दाता गीली हल्दी कन्या की हथेलियों पर मन्त्र के साथ मलें भावना करे की देव सान्निध्य में इन हाथों को स्वार्थपरता के कुसंस्कारों से मुक्त कराते हुए त्याग परमार्थ के संस्कार जागृत किये जा रहे हैं।



ऊँ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः।

हस्तघ्नो विस्वा वयुनानि विद्वान् पुमा सं परिपातु विव्श्रतः ॥-29.51

6. कन्यादान-गुप्तदान कन्या के हाथ हल्दी से पीले करके माता-पिता अपने हाथ में कन्या के हाथ, गुप्तदान का धन और पुष्प से संकल्प बोलते हैं और उन हाथों को वर को सौंप देते हैं। वर इन हाथों को जिम्मेदानी के साथ अपने हाथों में पकड़कर शिरोधार्य करता है। कन्या वर को सौंपते हुए उस के परिवार वाले अपने समग्र अधिकार को सौंपते हैं। कन्या के कुल गोत्र अब पितृ (पिता) परम्परा से नहीं पति परम्परा से होंगे। इस भावना के साथ कन्यादान का संकल्प बोला जाए। संकल्प पूरा होने पर संकल्पकर्ता कन्या के हाथ वर के हाथ में सौंप दें।



कन्यादान-संकल्प

अद्येति.....नामोहं..... नाम्नीम् इमां कन्यां/भगिनीं सुस्नातां यथाशक्ति

अलंकृतां गन्धादि-अर्चितां वस्त्रयुगच्छत्रां प्रजापति दैवत्यां शतगुणीकृत ज्योतिष्टोम-अतिरात्र कामोहं.....नाम्ने विष्णुरूपिणे वराय
भरण-पोषण- आच्छादान-पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायित्व- भारम् अखिलं अद्य तव पत्नीत्वेन तुभ्यं अहं सम्प्रददे।

वर उन्हें स्वीकार करते हुए कहे-

ऊँ स्वस्ति।

7. पाणिग्रहण- मन्त्रोच्चार के साथ कन्या अपना हाथ वर की ओर बढ़ाये, वर उसे अगुँठा सहित पकड़ले।

ऊँ यदैषि मनसा दूरं दिशोनुपवमानो वा।

हिरण्यपर्णो वै कर्णः स

त्वा मन्मनसां करोतु असौ॥ पार0 गू0 सू0 1.4.15

8. ग्रन्थिबन्धन- वर वधू द्वारा पाणिग्रहण एकीकरण के बाद समाज द्वारा दोनों को एक गाँठ में बाँध दिया जाता है। दुपट्टे के छोर बाँधने का अर्थ है दोनों के शरीर और मन से एक संयुक्त इकाई के रूप में एक नई सत्ता का आविर्भाव होता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह बँधे हुए हैं। ग्रन्थिबन्धन आचार्य या कोई मान्य व्यक्ति करे दुपट्टे के छोर एक साथ करके उसमें मंगल द्रव्य रखकर गाँठ बाँध दी जाये। इस प्रकार वर तथा वधू जो सदा जुड़े रहकर जीवन यात्रा में पूरक बनकर चलेगें।



ऊँसमज्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ।

सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ॥

ऋ० 10.85.47, पार० गृ० सू० 1.4.14

9. वर-बधु की प्रतिज्ञा - क्रिया और भावना-वर-बधु स्वयं प्रतिज्ञाएँ करें यदि सम्भव न हो तो आचार्य एक-एक करके प्रतिज्ञाएँ व्याख्या सहित समझायें

A. वर की प्रतिज्ञाएँ - आज से धर्मपति को अर्द्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नये जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह पति का ध्यान रखूँगा।

धर्मपति मिलित्वैव, होकं जीवनमावयोः।

अद्यारभ्य यतो मे त्वम् अर्द्धांगिनिति घोषिता ॥१॥

प्रसन्नतापूर्वक ग्रह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूँगा।

स्वीकरोमि सुखेन त्वां, गहलक्ष्मीमहन्ततः।

मन्त्रयित्वा विधास्यामि, सुकार्याणि त्वया सह ॥ 2॥

रूप स्वस्थ, स्वभावगत गुण-दोष अज्ञानजनित विकारों को चित्त में नहीं रखूँगा, उनके कारण असन्तोष व्यक्त नहीं करूँगा। स्नेह पूर्वक सुधारने तथा सहन करते हुए आत्मियता बनाये रखूँगा।

रूप-स्वास्थ्य, गुणदोषदीन् सर्वतः।

रोगाज्ञान-विकराक्ष, तव विस्मृत्य चेतसः ॥ 3 ॥

पति का मित्र बनकर रहूँगा और पूरा-पूरा स्नेह देता रहूँगा इस वचन का पालन पूरी निष्ठा एवं सत्य के आधार पर करूँगा।

सहचरो भविष्यामि, पूर्णस्नेहः प्रदास्यते।

सत्यता मम निष्ठा च, यस्याधारं भविष्यति ॥ 4 ॥

पति के लिए जिस प्रकार पति-व्रत की मर्यादा कहीं गयी है उसी दृढ़ता से स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करूँगा। चिन्तन और आचरण दोनों से ही परिनारी से वासनात्मक सम्बन्ध नहीं जोड़ूँगा।

यथा पवित्रचितेन, पातिव्रत्य त्वया धृतम्।

तथैव पालयिष्यामि, पत्नीव्रतमहं ध्रुवम् ॥ 5 ॥

गृह व्यवस्था में पति को प्रधानता दूँगा। आमदनी खर्च का क्रम उसकी सहमती से जीवन चर्चा अपनाऊँगा।

गृहस्यार्थव्यवस्थायां, मन्त्रयित्वा त्वया सह।

सञ्चालनं करिष्यामि, गृहस्थोचित- जीवनम् ॥ 6 ॥

धर्मपति की सुख-शान्ति तथा प्रगति-सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूँगा।

समृद्धि- सुख- शान्तिनां, रक्षणय तथा तव।

व्यवस्थां वै करिष्यामि, स्वशक्तित्ववैभवादिभिः ॥ 7 ॥

अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाये रखने का पूरा-पूरा प्रयत्न करूँगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शान्ति के साथ करूँगा। किसी के सामने पत्नी को लाच्छित- तिरस्कृत नहीं करूँगा।

यत्नशीलो भविष्यामि, सन्मार्गसेवितुं सदा।

अवयोः मतभेदांश्च, दोषान्संशोध्य शान्तितः ॥ 8 ॥

पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रती भर भी कमी न रखूँगा।

भवत्यामसमर्थायां, विमुखायाञ्च कर्मणि।

विश्वासं सहयोगञ्च, मम प्रायप्स्यसि त्वं सदा ॥ 9 ॥

ठण कन्या की प्रतिज्ञायें- अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नये जीवन की सृष्टि करूँगी इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्द्धांगिनी बनकर रहूँगी।

स्वजीवनं मेलयित्वा, भवतः खलु जीवने।

भूत्वा चार्द्धांगिनी नित्यं, निवत्स्यामि गृहे सदा ॥ 1 ॥

पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूँगी, उदरतापूर्वक सेवा करूँगी, मधुरता व्यवहार करूँगी।

शिष्टतापूर्वकं सर्वैः, परिवारजनैः सह।

औदार्येण विधास्यामि, व्यवहार च कोमलम् ॥ 2॥

आलस्य को छोड़कर परिश्रमपूर्वक ग्रह कार्य करूँगी। इस पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूँगी।

त्यक्त्वालस्यं करिष्यामि, ग्रहकार्यं परिश्रमम्।

भर्तुर्हर्षं हि ज्ञास्यामि, स्वीयामेव प्रसन्नताम् ॥ 3 ॥

पतिव्रत धर्म का पालन करूँगी, पति के प्रति श्रद्धा-भाव बनाये रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूँगी। कपट- दूराव नहीं करूँगी, निर्देशों के अविलम्ब पालन का अभ्यास करूँगी।

श्रद्धया पालयिष्यामि, धर्म पातिव्रतं परम्।

सर्वदैवानुकूल्येन, पत्युरादेशपालिका ॥ 4 ॥

सेवा, स्वच्छता तथा प्रियभाषण का अभ्यास बनाये रखूँगी। ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूँगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूँगी।

सुश्रूषणरा स्वच्छा, मधुर-प्रियभाषिणी।

प्रतिजाने भविष्यामि, सततं सुखदायिनी ॥ 5 ॥

फिजूलखर्ची से बचकर मितव्ययितापूर्वक गृहस्थी का संचालन नियमितरूप से करूँगी। उत्साहपूर्वक पति की अनुगामिनी बनने का प्रयास करूँगी।

मितव्ययेन गार्हस्थ्य-सज्जचालने हि नित्यदा।

प्रयतिष्ये च सोत्साहं, तवाहमनुगामिनी ॥ 6 ॥

नारी के लिए पति, देव स्वरूप होता है यह मानकर मतभेद भुलाकर, सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूँगी, कभी भी पति का अपमान न करूँगी।

देवस्वरूपो नारीणां, भर्ता भवित मानवः।

मत्वेति त्वां भजिष्यामि, नियता जीवनावधिम् ॥ 7 ॥

जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव सन्तुष्ट रखूँगी।

पूज्यास्तव पितरो ये, श्रद्धया परमा हि मे।

सेवया तोषयिष्यामि, तान्सदा विनयेन च ॥ 8 ॥

परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बाँधे रहने का कौशल अपने अन्दर विकसित करूँगी।

विकासाय सुसंस्कारैः, सूत्रैः सदाववर्द्धिभिः।

परिवारसदस्यानां, कौशलं विकसाम्यहम् ॥ 9 ॥

यज्ञीय प्रक्रिया, प्रायश्चित होम-



शपथ ग्रहण के बाद उनकी श्रेष्ठ भावनाओं के विकास और पोषण के लिए यज्ञीय वातावरण निर्मित किया जाता है। अग्नि स्थापना के बाद वर-बधू हवन सामग्री से आहुति दें। भावना करै कि प्रायश्चित आहुति के साथ पूर्व दुष्कृत्यों की धुलाई हो रही है स्वाहा के साथ आहुति डालें।

ऊँ त्वं ना अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव यासिसीष्टाः।
यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषा सि प्र मुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा॥

इदं अग्नीवरुणाभ्यां इदं न मम।-21.3

ऊँ स त्व नो अग्नेवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या ऽ उपसो व्युष्टौ।
अव यक्ष्व नो वरुण रराणो वीहि मृडीक सुहवो नऽ एधि स्वाहा॥

इदं अग्नीवरुणाभ्यां इदं न मम। - 21.4

ऊँ अयाश्चाग्नेऽस्य नभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमयाऽ असि।
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा॥

इदं अग्नेय अयसे इदं न मम। का०श्रौ०सू० 25.1.11

ऊँ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नोऽअद्य

सवितोत विष्णुः विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥

इदं वरुणाय सवित्रे

विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च इदं न मम। -का०श्रौ०सू० 25.1.11

ऊँ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा॥-12.12

इदं वरुणायादित्यायादितये च इदं न मम।

शिलारोहण- दिशा एवं प्रेरणा- शिलारोहण के द्वारा पत्थर पर पैर रखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार अड्ड ने अपना पैर जमा दिया था, उसी तरह हम पत्थर की लकीर की तरह अपना पैर उत्तरदायित्वों को निबाहने के लिये जमाते हैं। यह धर्मकृत्य खेल-खिलौने की तरह नहीं किया जा रहा, जिसे एक मखौल समझकर तोड़ा जाता रहे, वरन् यह प्रतिज्ञाएँ पत्थर की लकीर की तरह अमिट बनी रहेंगी, ये चट्टान की तरह अटूट रखी जायेंगी।

मन्त्र बोलने के साथ वर- वधू अपने दाहिने पैर को शिला पर रखें, भावना करें कि उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने तथा बाधाओं को पार करने की शक्ति हमारे संकल्प और देव अनुग्रह से मिल रही है।

ऊँ आरोहेममश्मानमश्मेव त्व स्थिरा भव।

अभितिष्ठ पृतन्योऽवबाधस्व पृतनायतः॥- पा०गृ०सू० 1.7.1

लाजाहोम एवं भाँवर- क्रिया और भावना- लाजा होम और परिक्रमा का मिला- जुला क्रम चलता है। शिलारोहण के बाद वर-वधू खड़े-खड़े गायत्री मन्त्र से एक आहुति समर्पित करें। अब मन्त्र के साथ परिक्रमा करें। वधू आगे, वर पीछे चलें।

एक परिक्रमा पूरी होने पर लाजाहोम की एक आहुति करें। आहुति करके दूसरी परिक्रमा पहले की तरह मन्त्र बोलते हुए करें। इसी प्रकार लाजाहोम की दूसरी आहुति करके तीसरी परिक्रमा तथा तीसरी आहुति करके चौथी परिक्रमा करें। इसके बाद गायत्री मन्त्र की आहुति देते हुए तीन परिक्रमाएँ वर को आगे करके परिक्रमा मन्त्र बोलते हुए कराई जाएँ। अगली सातवीं परिक्रमा की समाप्ति पर गायत्री मन्त्र से आहुति दें। आहुति के साथ भावना करें कि बाहर यज्ञीय ऊर्जा तथा अन्तःकरण में यज्ञीय भावना तीव्रतर हो रही है। परिक्रमा के साथ भावना करें कि यज्ञीय अनुशासन को केन्द्र मानकर, यज्ञाग्नि को साक्षी करके आदर्श दाम्पत्य के निर्वाह का संकल्प कर रहे हैं।

ऊँ अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत।

स नोऽ अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा॥

इदं अर्यम्णे अग्नये इदं न मम।

ऊँ इयं नार्युपब्रूते लाजा नावपन्तिका।

आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्ताम् जातयो मम स्वाहा॥

इदं अग्नये इदं न मम।

ऊँ इमाल्लाजानावपाभ्यग्नौ, समृद्धिकरणं तव।

मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामिय स्वाहा॥

इदं अग्नये इदं न मम।- पार०गृ०सू०1.6.2

ऊँ तुभ्यमग्रे पर्यवहन्सूर्या वहतुना सह।

पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह॥-ऋ०10.85.38, पार०गृ०सू०1.7.3

सप्तपदी- क्रिया और भावना-वर-वधू खड़े हों। प्रत्येक कदम बढ़ाने से पहले देव शक्तियों की साक्षी का मन्त्र बोला जाता है, उस समय वर-वधू हाथ जोड़कर ध्यान करें। उसके बाद चरण बढ़ाने का मन्त्र बोलने पर पहले दायाँ कदम बढ़ाएँ। इसी प्रकार एक-एक करके सात कदम बढ़ाये जाएँ। भावना की जाए कि योजनाबद्ध-प्रगतिशील जीवन के लिए देव साक्षी में संकल्पित हो रहे हैं। संकल्प और देव अनुग्रह का संयुक्त लाभ जीवन भर मिलता रहेगा।

1. अन्न वृद्धि के लिए पहली साक्षी-

ऊँ एको विष्णुर्जगत्सर्वं, व्याप्तं येन चराचरम्।

हृदये यस्ततो यस्य, तस्य साक्षी प्रदीयताम्॥

पहला चरण-

ऊँ इष एकपदी भव सा मामनुव्रता भव।

विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥॥॥



2. बल वृद्धि के लिए दूसरी साक्षी-
 ॐ जीवात्मा परमात्मा च, पृथ्वी-आकाशमेव च।
 सूर्यचन्द्रद्वयोर्मध्ये, तस्य साक्षी प्रदीयताम्।
 दूसरा चरण-
 ॐ ऊर्जे द्विपदी भव सा मामनुव्रता भव।
 विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥2॥
3. धन वृद्धि के लिए तीसरी साक्षी-
 ॐ त्रिगुणाश्च, त्रिशक्तिः सत्परायणाः।
 लोकत्रये त्रिसन्ध्यायाः, तस्य साक्षी प्रदीयताम्।
 तीसरा चरण-
 ॐ रायस्पोषाय त्रिपदी भव सा मामनुव्रता भव।
 विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥3॥
4. सुख वृद्धि के लिए चौथी साक्षी-
 ॐ चतुर्मुखस्ततो ब्रह्मा, चत्वारो वेदसम्भवाः।
 चतुर्युगाः प्रवर्तन्ते, तेषां साक्षी प्रदीयताम्।
 चौथा चरण-
 ॐ मायो भवाय चतुष्पदी भव सा मामनुव्रता भव।
 विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥4॥
5. प्रजा पालन के लिए पाँचवीं साक्षी-
 ॐ पञ्चमे पञ्चभूतानां, पञ्चप्राणैः परायणाः।
 तत्र दर्शनपुण्यानां, साक्षिणः प्राणपञ्चधाः॥
 पाँचवाँ चरण-
 ॐ प्रजाभ्यां पञ्चपदी भव सा मामनुव्रता भव।
 विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥5॥
6. ऋतु व्यवहार के लिए छठवीं साक्षी-
 ॐ षष्ठे तु षड्ऋतुणां च, षण्मुखः स्वामिकार्तिकः।
 षड्रसा यत्र जायन्ते, कार्तिकेयाश्च साक्षिणः॥
 छठवाँ चरण-
 ॐ ऋतुभ्यः षट्पदी भव सा मामनुव्रता भव।
 विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥6॥
7. मित्रता वृद्धि के लिए सातवीं साक्षी-
 ॐ सप्तमे सागराश्चौव, सप्तद्वीपाः सपर्वताः।
 येषां सप्तर्षि पत्नीनां, तेषामपादर्शसाक्षिणः॥
 सातवाँ चरण-
 ॐ सखे सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव।
 विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहूँस्ते सन्तु जरदष्टयः॥7॥- पार0गृ0सू01.8.1-2, आ0गृ0सू01.7.19

आसन परिवर्तन- सप्तपदी के पश्चात आसन परिवर्तन करते हैं। अब तक वधू दाहिनी ओर थी अर्थात् बाहरी व्यक्ति जैसी स्थिति में थी। अब सप्तपदी होने के पश्चात प्रतिज्ञाओं में आबद्ध हो जाने के उपरान्त वह घरवाली अपनी आत्मीय बन जाती है, इसलिए उसे बायीं ओर बैठाया जाता है। बायीं से दायें लिखने का क्रम है। बायाँ प्रथम और दाहिनी द्वितीय माना जाता है। सप्तपदी के बाद अब पत्नी को प्रमुखता प्राप्त हो गयी। लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश, सीता-राम, राधे-श्याम आदि नामों में पत्नी को प्रथम, पति को द्वितीय स्थान प्राप्त है। दाहिनी ओर से वधू का बायीं ओर आना, अधिकार हस्तान्तरण है। बायीं ओर के बाद पत्नी गृहस्थ जीवन की प्रमुख सूत्रधार बनती है।

ॐ इह गावो निषीदन्तु, इहाश्वा इह पुरुषाः।

उहो सहस्रदक्षिणो यज्ञ, इह पूषा निषीदतु॥ पा० गृ० सू० 1.8.10

पद प्रक्षालन- आसन परिवर्तन के बाद गृहस्थाश्रम के साधक के रूप में वर-वधू का सम्मान पाद प्रक्षालन करके किया जाता है। कन्या पक्ष की ओर से प्रतिनिधि स्वरूप करने वालों का पवित्रीकरण सिञ्चन किया जाए। हाथ में हल्दी, दूर्वा, थाली में जल लेकर प्रक्षालन करें। प्रथम मन्त्र के साथ तीन बार वर-वधू के पैर पखारें, फिर दूसरे मन्त्र के साथ यथा श्रद्धा भेंट दें।

ॐ या ते पतिध्नी प्रजाध्नी पशुध्नी, गृहध्नी यशोध्नी निन्दिता, तनुर्जार्ध्नी ततऽएनां करोमि, सा जीर्य त्वं मया सह। - पार० गृ० सू० 1.11

ॐ ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम्।

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥ - अथर्व 9.3.19

ध्रुव - सूर्य ध्यान - ध्रुव स्थिर तारा है। अन्य सब तारागण गतिशील रहते हैं, पर ध्रुव अपने निश्चित स्थान पर ही स्थिर रहता है। अन्य तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव दर्शन का अर्थ है - दोनों अपने-अपने परम पवित्र कर्तव्यों पर उसी तरह दृढ़ रहेंगे जैसे ध्रुव तारा स्थिर रहता है।

इसी प्रकार सूर्य की अपनी प्रखरता, तेजस्विता, महत्ता सदा स्थिर रहती हैं। वह अपने निर्धारित पथ पर ही चलता है। यही हमें करना चाहिए।

ॐ ध्रुवमसि ध्रुवं त्वा पश्यामि, ध्रुवैधि पोष्ये मयि।

मह्यं त्वादात् बहस्पतिर्मयापत्या, प्रजावती सज्जीव शरदः शतम्॥ - पार० गृ० सू० 1.8.19

ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रव्रदाम शरदः शतमदीनाः स्याम शतं भूयश्च शरदः शतम्॥ - 36.24

शपथ आश्वासन - पति-पत्नी एक दूसरे के सिर या कंधे पर दाहिना हाथ रखकर समाज के सामने शपथ लेते हैं, आश्वासन देकर अन्तिम प्रतिज्ञा करते हैं कि वे निसन्देह निश्चित रूप से एक-दूसरे को आजीवन ईमानदार, निष्ठावान् और वफादार रहने का विश्वास दिलाते हैं। पति सिर या कंधे पर दाहिना हाथ रखकर कसम खाता है कि दूसरे दुरात्मों की श्रेणी में उसे न गिना जाये। इस प्रकार पत्नी अपनी निष्ठा के बारे में पति को इस शपथ - प्रतिज्ञा द्वारा विश्वास दिलाती है।



ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचितं ते अस्तु।

मम वाचमेकामना जुषस्व, प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्॥ - पार० गृ० सू० 1.8.कृ०

सुमगड.ली - सिन्दूरदान - मन्त्र के साथ वर अँगुठी सलाका या सिक्के से वधू की माँग में सिन्दूर तीन बार लगाए। भावना करे कि मैं वधू के सौभाग्य का बढ़ाने वाला सिद्ध हो।



ॐ सुमंगलीरियं वधूरिमा समेत पश्यत। सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विरेतन।

सुभगा स्त्री साविज्यास्तव सौभग्यं भवतु॥ - पार० गृ० सू० 1.8.9

मंगलतिलक- वधू वर को मंगल तिलक करे। भावना करे कि पति का सम्मान करते हुए उनके गौरव को बढ़ाने वाली सिद्ध होऊँ

ॐ स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः।

बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥ ऋ० 5.51.12

आशीर्वाद



वर कन्या दोनों हाथ जोड़कर सभी समुपस्थित जनों को प्रणाम करें। पुष्प वर्षा के रूप में सभी उपस्थित महानुभाव अपनी शुभकामनाएँ- आशीर्वाद वर-वधू को प्रदान करें।

गणपतिः गिरिजा वृषभध्वजः, षण्मुखो नन्दीमुखडिमडिमा।

मनुज-माल, प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः ॥ 1 ॥

रविशशी- कुज- इन्द्र- जगत्पतिः, भृगुज- भानुज- सिन्धुज- केतवः।

उडङ्गणा- तिथि च राशयः, प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः ॥ 2 ॥

वरुण- इन्द्र कुबेर- हुताशनाः, यम- समीरण।

सुरगणाः सुराश्व महीधराः, प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः ॥ 3 ॥

सुरसरी - रविनन्दिनी- गोमति,

सरयुतामपि सागर-घर्घरा।

कनकयामयि- गण्डकि- नर्मदा,

प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः ॥ 4 ॥

हरिपुरी- मथुरा च त्रिवेणिका, बदरि- विष्णु- बटेश्वर- कौशल।

मय-गयामपि- दर्दर, प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः ॥ 5 ॥

भृगुमुनिश्च पुलस्ति च अडिगरा, कपिलवस्तु- अगस्त्य च नारदः।

गुरुवशिष्ठ- सनातन- जैमिनी, प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः ॥ 6 ॥

ॐ ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो ह्यथर्वणः।

रक्षन्तु चतुरो वेदा, यावच्चन्द्र दिवाकरौ॥

विवाह संस्कार हो जाने के बाद कन्या की विदा की बेला आती है तब विदा की तयारी की जाती है। कन्या के पकवानों की डलिया तयारी की जाती है। यह सब तयारी करते समय महिलाये समवेत् स्वरों में श्री सीता जी को ध्यान करते हुए गाती है।

सिया जू की डलिया खूब सजाई

हरदी से टिपकाई, बाकों फूफा ने टिपवाई

पांच सुपारी हल्दी गांठे, मुहरें पांच धराई

मेवा के लड्डूआ, सक्कर के मांटे गुठवां पूरी बनवाई ।

कन्या की विदा होती है। वह चावल फेंककर माता पिता के पालन कर्ता ऋण से मुक्त होती है। वहीं दूर कहीं मार्मिक ध्वनि सुनाई पड़ती है-

विदा की कीनें बेल बई

मिलकै विछुरन की नई नौनी, जग में रीत दर्ई

सरद जुनैया सी बारी ननदिया की चमक रई उनई
झिलमिल होंय, बंदियो कानन, करन फूल छब नई
सासुल के लेय उसांस, ससुर की हिलकी हिलकी रई 2



बेटी बोझिल मन से अपने माता पिता के घर के विदा होकर अपरिचित घर की ओर उन्मुख होती है। उसके मन विचारों का अन्तर्द्वन्द प्रारम्भ हो जाता और वह अनायास ही विचारों में डूब जाती है-

देहरी में इटिया, न दइयो मोरे बाबुल
बिटिया न दइयो परदेस
देहरी की इटिया, खिसक जैहै बाबुल
बिटिया बिसूरे परदेस 3

लड़की की घर से निकासी हो रही है सभी के नेत्र आसुओं से भरे हैं और ढोलक की हल्की हल्की थपथपाहट के बीच ढोलक बजाने वाली रूदन करते हुये कह रही है-

बन्ना रस-गोदिया न घालो
हमरे लाभ जैइये हैरी
हमरे लाभ जैइये है रे
ननद घर ठन्डे कर हैंरी
ननद घर डन्डे करहैं रे
सास घर गारी दै है री 4

दामाद बेटी की निकासी हो गई। बेटी मां बाप को छोड़कर अपने पति के साथ जा रही तब मां बाप को अपनी प्यारी लाड़ली बेटी की वे सब स्मृतियां उनके मानस चित्रपटल पर घूमने लगती हैं जिन्हे बचपन से लेकर आज तक साथ साथ देखा है। तभी मन उन मधुर स्मृतियों में उलझकर रो रो पड़ता है-

ओ मेरी बेटी पियरी रानी, तोरी बचन भली।
तोरी बचन चली।
ऐसे बाप का घर छोड़ि के बेटी कां को चली।
बेटी कां को चली।
जैसे बन की कोयलिया, उड़ि बागा गई
फुलबगिया गई
तैसे बाबा घर छोडिकें, अब मैं सासुर चली
सासुरिया चली। 5

इधर लड़की अपने माता पिता के साथ व्यतीत किये गये समय का स्मरण करती है। उसे एहसास होता है कि उसके बिना माता पिता को कितना सूना सूना सा लग रहा होगा। उस बालिका की ये वेदना इन पक्तियों में परिलक्षित है-

बाबुल तेरो चौका जो सूना रे
बाबुल लगाय लूंगौ री,
लाड़ो घर जाओ आपने। 6

अतः अंत में कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता राष्ट्र की नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को आत्मसात् करते हुए स्वदेशी व कौशल के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं हम जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बड़े हैं जिस राष्ट्र का हमने नमक खाया है क्यों ना हम उस राष्ट्र का कर्ज स्वदेशी वस्तुओं को अपनाये तभी हम पूरी तरह कह पायेंगे की हम भारत के निवासी हैं एवं आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, मानसिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र देश के आत्मनिर्भर नागरिक हैं। एक प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन व व्यक्तित्व को बोझ बना देगा। आत्मनिर्भर के लक्ष्य की प्रेरणा के विषय में लिखा गया है कि खाद का एक धागा, आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया उसने गुलामी की जंजीरो को तोड़ दिया वही धागा, विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का प्रेरणा – स्रोत बन सकता है भारत की खाद उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे महिला शक्ति बहुत बड़ा योगदान है उधमिता की भावना हमारी बहन बेटियों में कूट-कूट कर भरी है इसी क्रम में हमें विवाह कर्मकांड में विदेशी आडम्बरो को रोक कर फिजूल खर्ची व दहेज प्रथा को रोकना का काम करना होगा तभी हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर भारती की श्रेणी में आ सकेगा

संदर्भ-

1. “अश्रात्मनिर्भर भारत के लिये कोन-कोन से हैं पाँच स्तंभ? और जानने के लिए पढ़ें नरेद्र मोदी 13 मई 2020. अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022.
2. Pandey, Naveen kumar 12 मई 2020 “आत्मनिर्भर भारत अभियान: पीएम मोदी ने बताया, की पाँच पीलरों पर आत्मनिर्भर भारत की इमारत Navbharat time अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022.
3. “प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आवहान किया pib.gov.in. 12 मई 2020 अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022.
4. लोकगीत संग्रह भाग 8 बुन्देलखण्ड संग्रहालय, उरई
5. बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य रामचरण हयारण मित्र पृष्ठ सं0 347
6. बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य रामचरण हयारण मित्र पृष्ठ सं0 348
7. लोकगीत संग्रह भाग 11 बुन्देलखण्ड संग्रहालय, उरई
8. लोकगीत संग्रह भाग 11 बुन्देलखण्ड संग्रहालय, उरई
9. लोकगीत संग्रह भाग 11 बुन्देलखण्ड संग्रहालय, उरई
10. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्रेरणा खादी के विषय में मोदी जी ने कहा amarujala.com अभिगमन तिथि Sunday 28/08/2022 अमर उजाला अखबार

शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० जि० उमानरसिंहमूर्ति

Assistant Professor School of Education, National Sanskrit University, Tirupathi Andhrapadesh

मेरा देश विकास की ओर बढ़ता जा रहा है,
मेरा देश प्रतिदिन नया कुछ रचता जा रहा है।
मेरा देश गौरवमय इतिहास को फिर दोहरा रहा है,
आत्मनिर्भर भारत फिर विश्वगुरु बनने जा रहा है॥

आत्मनिर्भर भारत का अंग्रेजी में अर्थ Self-reliant India होता है। जो भारत को उसके स्वावलंबी के रूप में परिभाषित करती है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य होता है, किसी वस्तु अथवा कार्य हेतु स्वयं पर निर्भर रहना। सामान्य जीवन में भी व्यक्ति को विकसित व पूर्ण तभी माना जाता है, जब वह काफी हद तक स्वयं पर आश्रित हो जाता है। बात चाहे व्यक्ति की हो अथवा देश की कोई भी समाज सही विकसित तभी हो सकता है जब वह पूर्णतः स्वयंसिद्ध हो, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन सुलभ हो तथा उसे किसी और पर आश्रित होने की आवश्यकता न हो।

भारत हमेशा से ही शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, व्यापार आदि में आत्मनिर्भर रहा है। क्योंकि यहाँ दूर-दूर देशों से विद्या प्राप्त करने के लिए छात्र भारत में आते थे, और व्यापार के लिए भी व्यापारी विदेशों से आते थे। जिस देश की नैतिक-सामाजिक-राजनैतिकमूल्य- युक्त शिक्षा रही है, जिस देश के पास विशाल संस्कृत वाङ्मय है, जिस देश ने सारे संसार को ब्रह्माण्ड का रहस्य पढ़ाया है, जिस देश की विद्या सदा आध्यात्मिकविद्या रही है, जिस देश ने सदा आत्मावलंबी की पाठ पढ़ाया है, जिस देश के पास चार वेद एवं षड् आस्तिक दर्शन है वह देश कदापि अन्यो पर आश्रित नहीं हो सकता है।

भारत वह देश है जिसने विश्व को बड़े-बड़े आविष्कार प्रदान किए हैं। धर्म, दर्शन, विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष, खगोल, नृत्यकला, संगीतकला आदि सभी तरह के ज्ञान का जन्म भारत में हुआ है। प्राचीन समय से भारत अपने धन, खनिज, मसाले, सोने और प्राकृतिक संसाधनों के एक विशाल विस्तार के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुखियों में रहा है। यही कारण है कि भारत को एक समय में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। इस देश की सम्पत्ति को लूटने के लिए कई देशों के राजवंशों ने बार-बार भारत पर आक्रमण किया जिनमें, कुषाण, हूण, अफगान, तुर्क, खिलजी, लोधी, मुगलों, तथा अंग्रेज शामिल थे।

हमारा भारत देश इतना सक्षम, प्रबुद्ध एवं कुशल रहा है जो न जाने कितने देशों के विकास का कारण तथा साम्राज्यों के विस्तार की नींव बनता रहा है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना वस्तुतः हमारे स्वतन्त्रभारत की आधारशिला रखने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के आशाओं व अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी है। उनका उद्देश्य भारत में उपलब्ध संसाधनों को भारत में ही यथा संभव उपयोग में लाना था, और भारत में अधिक उद्योगों को सुचारू करना और स्व उत्पादकों को बढ़ाना था। यहाँ हर युवा को रोजगार के लिए आगे बढ़ाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार न कर दुनिया के विकास में मदद करनी चाहिए।

शिक्षा में आत्मनिर्भर भारत

शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या देश को आत्मनिर्भर बना सकती है। शिक्षा प्रत्येक देश की आधारशिला होती है। शिक्षा बहुत प्रकार की होती है। जैसे - भाषा शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, गणितशिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, न्याय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, योग शिक्षा, संस्कृतशास्त्रों की शिक्षा, संगीतशिक्षा, नृत्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि सभी में आज भारत आत्मनिर्भर है। क्योंकि आज भारत देश सब प्रकार की विद्याओं को विद्यालय, कलाशाला, विश्वविद्यालयों आदि के द्वारा स्वयं शिक्षा व्यवस्था करता है। आज भारत देश प्रत्येक छात्र को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत के बहुत सारे शैक्षिक योजनाएँ हैं - जैसे - 1) शिक्षा का अधिकार (RTE) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-A, छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। 2) सर्व शिक्षा अभियान, 2001, 3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 (RMSA) 4) 2020 नव शिक्षानीति के अनुसार 2030 तक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने की योजना, समग्रशिक्षा योजना 2021 आदि हैं। इन योजनाओं से भारत का प्रत्येक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहा है। शिक्षित लोगों के द्वारा ही आज भारत देश विश्व के विविध क्षेत्रों में अपना स्थान बना रहा है। शिक्षित लोगों के कारण ही आज भारत देश विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विकास कर रहा है। जैसे-

1. Food Production (खाद्य उत्पादन)

श्री लाल बाहुदुर शास्त्री जी ने कृषि रणनीतियाँ बनाई थी। उस समय की प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी जी ने 1960 में उन रणनीतियों का अनुसरण किया था। उसके परिणामस्वरूप हरित क्रान्ति योजना का आरम्भ किया गया था। आज विश्व के सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में हम अग्रणी स्थान पर हैं। और सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों का विश्व के अन्य देशों में निर्यात करते हैं।

2. Milk Production (दूध उत्पादन)

सरदार वल्लभभाई पटेल जी के विचारों का अनुसरण करते हुए उस समय की प्रधान मंत्री इन्धिरा गाँधी जी ने 1960 में डेयरी फार्म का निर्माण आरम्भ किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आज भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में नाम है।

3. Nuclear power Plant (परमाणु उर्जा संयंत्र)

भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने Tata Institute of Fundamental research की स्थापना की थी। इसके फलस्वरूप 1974 में भारत सरकार ने इन्धिरा गाँधी जी के नेतृत्व में भारत का प्रथम परमाणु उर्जा परीक्षण किया गया।

4. Health care generic medicine (स्वास्थ्य देखभाल जेनेरिक दवाईयाँ)

1956 में भारत के प्रथमप्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने All India Institute of Medical Science की स्थापना की, उस का परिणाम आज भारत जेनेरिक दवाईयाँ उत्पादन करने में विश्व के प्रसिद्ध देशों में से एक है।

5. Military Strength (सैन्य शक्ति) 1958 में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने Defence Research and Development Organisation of India- की स्थापना की थी। आज भारत के पास विश्व की अत्यन्तबलशाली सैन्य ताकत है।

6. Science and Technology (विज्ञान और तकनीक)

1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने Indian Institutes of Technology (I.I.T) -1969 में Indian Space Research Organisation (I.S.R.O) आदि संस्थाओं के स्थापना की उसका परिणाम आज भारत देश विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी अग्रिम देशों में स्थान रखता है।

7. 2019 कोरोना संकट काल में औषध एवं जीवनावश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना

भारत के माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस कोरोना महामारी के संकट काल में बहुत बुद्धिमत्ता से, कुशलता पूर्वक, भारत के प्रत्येक नागरिक के मनोबल को बढ़ाते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने का कार्य किया है। जैसे- कोरोना के संकट काल में शैक्षणिक व्यवस्था कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थी। बहुत से बच्चों की पढ़ाई में क्षति हुई। कठिन समय अक्सर नए अवसर प्रदान करता है, आजकल ऑनलाइन शिक्षा हमारे एजुकेशन सिस्टम में कल्चर बन गया है। जिस से तमाम विद्यार्थी आनलाइन प्रवेश, आनलाइन शिक्षा और आनलाइन परीक्षा आदि शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगा था। कोरोना को रोकने के लिए हमारे देश के शिक्षित लोगों ने कोरोना की दवाईयाँ बनाकर देश के प्रत्येक कोने तक पहुँचाई थीं। और विदेशों में भी दवाईयाँ को भेजा गया था। इस संकट काल में चिकित्सा के द्वारा बहुत सारे लोगों की जानें बचाकर व कृत्रिम आक्सीजन बनाकर देश के कोने कोने तक पहुँचाने का कार्य किया गया। कोरोना बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्णप्रतिबन्धित व्यवस्था को अपना कर, मास्क, सैनिटेजर, चिकित्सा सामग्री आदि निर्माण कर देश के कोने कोने तक पहुँचाने का कार्य किया गया। ऐसे ही आज हमारे देश में अनेक केंद्र जैसे जटिल रोगों का चिकित्सा किया जाता है। इस से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर है।

इस संकल्पना को पूरा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने 12 मई को 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। जिससे की 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। ताकि भारत का हर व्यक्ति इस मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बन सके।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को यदि भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की पीठिका कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आत्मनिर्भरता की संकल्पना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी ने भी इसे अपने चिंतन और व्यवहार में समावेशित किया था। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन की संकल्पना महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी आदि के जीवन-दृष्टि का सार तत्त्व है। कोरोना संकट ने वैश्विक स्तर पर 'आत्मनिर्भरता' की संकल्पना को पुनः विमर्श के केन्द्र में ला दिया है। ऐसे में, भारत केन्द्रित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक सार्थक पहल है। इसमें समग्रता की दृष्टि का परिचय देते हुए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, हस्तकला, लोक विद्या इत्यादि के पाठ्यक्रम में स्थानीय व्यावसायिक ज्ञान के समावेशन और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास पर बल देने की बातें कही गई हैं, जो कहीं-न-कहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का ही संकेत है।

देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारे छात्रों-युवकों तथा गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिसका महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा ही हो सकती है। हम जिस प्रकार के नागरिक, समाज और राष्ट्र को बनाना चाहते हैं ठीक उसी के अनुरूप ही देश की शिक्षा का स्वरूप भी होना चाहिए। इस शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन के द्वारा छात्र केवल नौकरी के लिए कतार में नहीं खड़े होंगे बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनेंगे। प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा था कि यह सरकार की नहीं समाज की नीति है। वास्तव में इस नीति को समाज की नीति बनाना है तो सरकार एवं शिक्षा जगत के लोगों द्वारा देशव्यापी शिक्षा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ, वेबिनार आदि के आयोजन करके एक अभियान चलाना होगा, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा नीति की बात पहुँचने से परिणाम स्वरूप समाज की इस नीति के क्रियान्वयन में भी भूमिका सुनिश्चित की जा सकेगी। आवश्यकता है इस नीति के उचित क्रियान्वयन की। इस हेतु कई स्तर पर क्रियान्वयन की रणनीति बनाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के साथ-साथ प्रत्येक जिले स्तर पर समितियों का गठन करना चाहिए। इन समितियों के द्वारा प्रत्येक स्तर पर विचार-विमर्श के माध्यम से क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करनी होगी। इस क्रियान्वयन के संदर्भ में कुछ बातें तो सभी स्थानों पर समान होंगी, परंतु कुछ बातों का सम्यक सम्पादन स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना होगा। स्थानीयता को इस शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ताकि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से सम्बन्धित प्रावधानों को हर जिले और क्षेत्रों के स्तर पर आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन हो सके तथा जो स्थानीय कृषि, उद्योग और वहाँ

की नागरिक आवश्यकताओं का सही संस्पर्श कर सके। इसके परिणाम स्वरूप हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना, आर्थिक विकेन्द्रीकरण और स्वावलंबन के मूल्य में भी यही चिन्ता रही है।

स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत

भारतवर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यन्त प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। शारीरिकस्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय व्यायामपद्धति का प्रमुख स्थान है। यह विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली है। आश्रमों तथा गुरुकुलों में छात्र अखाड़ों में जाकर कुस्ती, दंड-बैठक, मुगदर, गदा, बाला, धनुर्विद्या, वज्रमुष्टी, आसन, प्राणायाम, भस्त्रिका, सूर्यनमस्कार, नौली, नेती, धौती, वस्ती इत्यादि प्रमुख क्रियाएँ करके स्वीय शरीर को रोगों से दूर एवं सुस्वास्थ्य रखते थे। और ध्यान करके अपने एकाग्रता करना, चित्तवृत्तियों को निरोध करना, तथा स्मरण शक्ति आदि का वृद्धि करते थे।

मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था

स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरभारत का प्रमाण भारतीय आयुर्वेदशास्त्र से, चरकसंहिता, योगविज्ञान शास्त्र आदि से प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष अत्यन्त प्राचीन काल से ही मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करता रहा है।

मध्याह्न भोजन व्यवस्था

1995 में भारत सरकार ने पोषण सहयोग का राष्ट्रीयकार्यक्रम के रूप में मिड डे मिल योजना भारत के सभी सरकार विद्यालयों में लागू किया गया था। यह योजना छात्रों में कुपोषण निवारण के लिए और सुस्वास्थ्य विकास के लिए किया गया था। इस योजना में छात्रों के लिए पोषक युक्त भोजन व्यवस्था किया गया था।

स्वास्थ्य एवं योग

योग का जन्म भारत में हुआ है। योग को ऋषिमुनियों ने कई वर्षों तक तपस्या करके मानव जीवन को सुस्वास्थ्य और सुखमय तथा शान्तिपूर्ण बनाने के लिए आविष्कार किए हैं। आज पूरे विश्व में योग को मानव कल्याण एवं मनुष्य का सर्वाङ्गीन विकास के प्रमुख साधनों के रूप में स्वीकार किया गया है। इस लिए आज पूरे विश्व में अन्तरजातीययोग दिवस 21st June को मनाया जाता है। और योग को अन्तरराष्ट्रीययोग दिवस के रूप में स्थापित करने में भारत का अहम योग दान रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएँ

भारत सरकार सुस्वास्थ्य समाज के निर्माण हेतु और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूर्ण आत्मनिर्भरता लाने के लिए अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को लागू किया गया है। जैसे-

1. आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 2. एच.आई.वी./एड्स व श्रम जगत 3. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस (वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी गई है) 4. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 5. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 6. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। 7. मिशन इंद्र धनुष, इस में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम-मिशन इंद्रधनुष के बारे में जानकारी दी गई है। 8. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम 9. राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं उसके प्रमुख घटकों की जानकारी दी गयी है। 10. राष्ट्रीय आटिज्म, सेरीब्रल पालसी, मानसिक मंदबुद्धि तथा बहु-विकलांगता कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999, इस अधिनियम में ऑटिज्म, सेरीब्रल पालसी, मानसिक मंदबुद्धि तथा बहु-विकलांगता से जुड़े केंद्र एवं राज्य सरकार के कानून एवं अन्य जानकारी का उल्लेख किया गया है। 11. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 12. राष्ट्रीयमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देश - 2012-17 की जानकारी दी गयी है। 13. राष्ट्रीय रक्त नीति, राष्ट्रीय रक्त नीति के विषय में जानकारी दी गई है। 14. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी दी गयी है। 15. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इस में सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाये जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की जानकारी दी गई है जिससे बच्चों के माता-पिता अपने प्रभावित बच्चों के लिए लाभान्वित हो सकें। 16. रोगियों के लिए सरकारी अनुदान इस में रोगियों के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदानों की विस्तृत जानकारी दी गयी है। 17. स्वच्छभारत मिशन (ग्रामीण) के लिए दिशा, इस में भारत में चलाए जा रहे भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं से संबंधित नियमावली की जानकारी दी गई है। 18. स्वास्थ्य सेवा संरचना एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस में स्वास्थ्य सेवा संरचना की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जानकारी दी गयी है।

भारतवर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र आदि में वैदिककाल से आत्मनिर्भर रहा है। काल-परिस्थिति आदि से कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। इसलिए भारत देश को शिक्षा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में पूर्णरूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। क्योंकि 21 वीं शताब्दी में भी भारत के कुछ विद्यालयों में, कलाशाला आदि में विज्ञान की प्रयोगशालाएँ, शैक्षिक सामग्री आदि पर्याप्त नहीं हैं, जिसके वजह से कुछ विद्यार्थी प्रायोगिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान से अधुरे रह जाते हैं। जिसके लिए हमें 2020 नव शिक्षा नीति को आचरण में लाना होगा। इस नव शिक्षा नीति से भारत के प्रत्येक नागरिक में आत्मावलंबी, कर्तव्यनिष्ठता, लोकतान्त्रिकभावना, अनुसन्धान आदि गुण विकसित होंगे। इस नव शिक्षानीति से प्रत्येक नागरिक में लोकतान्त्रिक-नैतिक-सामाजिक-राजनैतिक-आध्यात्मिकमूल्य बढ़ेंगे।

आत्मनिर्भरभारतनिर्माणाय नवशिक्षानीते: (2020)

आवश्यकता महत्वञ्च

Need and importance of New Education Policy for Self-Reliant India

अतुलराय

शोधछात्रः, शिक्षाशास्त्रविभागः राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपति:

अमूर्तसारः

आत्मनिर्भरभारतस्य चाकचक्यचकित-गौरवमय-भविष्यदर्थं एका विशिष्टा संरचना नवराष्ट्रियशिक्षानीतिः। आषट्वर्ष शिक्षाविदां, बुद्धिजीवीनां, विचारकाणां, शैक्षिकनेतृणां, सर्वकारपरामर्शकाणाम् अहर्निशं प्रयत्नाद् लक्षाधिकग्राम्यजनैः सह सम्पर्कं कृत्वा, संवादात्, सर्वकारैः आयोजितासु कार्यशालासु गम्भीरविमर्शनाच्च चतुस्त्रिंशद्वर्षानन्तरं सर्वकारः नवशिक्षानीतिं सङ्घटनं जातम्। सम्प्रति इमां शिक्षानीतिं लोके प्रयोगाय सर्वकारवर्यः देशस्य जनसमक्षं प्रस्तवीति। सम्प्रति एकविंशताब्द्यां विद्याभसि छात्रकौशलवर्धयन्त्याः संस्कृतिजनयन्त्याः एकात्मयुतायाः सर्वाङ्गीणविशिष्टगुणोपेतायाः अस्याः शिक्षापद्धत्याः आवश्यकता विद्यते, अस्यां प्रवर्तमानायां शिक्षामार्गः इतोऽपि वितनितः।

भारतीयसंस्कृतेः पालकानां महात्मा गान्धीमहाभागानां आदर्शनं प्रचोदितैः डॉ. आम्बेडकरमहोदयैः प्रवर्तितं संविधानं प्रति श्रद्धधानाम्महतां प्रधानमन्त्रिणां नरेन्द्रमोदीमहाभागानाम् आत्मनिर्भरभारतस्य स्वप्नं वास्तवायितुं स्वीकृतेषु सिद्धान्तेषु एकः विशिष्टसिद्धान्तः ‘नवशिक्षानीतेः प्रवर्तनम्’ इति। सम्प्रति शिक्षापद्धतौ याः त्रूटयः सन्ति ताः अनया नवराष्ट्रियशिक्षापद्धत्या दुरीकर्तुं शक्यन्ते। इतोऽपि एकविंशताब्द्याम् इयं शिक्षानीतिः भारताभ्यन्तरेण बहिर्विश्वेन च मेषितुं यूनः स्पर्धासम्मुखिनः कारयिता।

भूमिका -

आधुनिककाले प्रयुक्तविद्यानां भौतिकसौकर्याणां च महान् विकासः समभूत्। परन्तु अस्यां विकासप्रतिस्पर्धायां सामाजिकमहत्वस्य मानवीयानुभूतेश्च महत्त्वं न्यूनं सञ्जातम्। भोगवादीसभ्यतायाः जनैः नाना समस्याः समजानिषता। ते प्रकृतेः पर्यावरणस्य च समस्याः सङ्कटांश्च जनयन्ति। अतः ताः समस्याः दूरीकर्तुं विकासे समता आनेतव्या। इदं लक्ष्यं पाश्चात्य-शिक्षया निवारयितुं न शक्यते। भोगवादिनः स्वयं स्वस्य समस्याः निवारयितुं न शक्नुवन्तिः यतः तेषां चिन्तनं तदनुरूपमेव। परन्तु भारते महानुभावीनां यतिवराणाम् ऋषीणां चिन्तनं शाश्वतम्। तेषाम् इदं चिन्तनम् अद्याऽपि प्रासङ्गिकमेव।

देशस्य अर्थव्यवस्थादृष्ट्या अर्थव्यवस्थां दर्शयितुं भारतसर्वकारप्रकाण्डस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः लोकप्रियावाणी - आत्मनिर्भरभारतमिति। चतुर्दशाधिकद्विसहस्रतमे शताब्देः जुनमासे प्रधानमन्त्रीनरेन्द्रमोदी राष्ट्रियसुरक्षायाम् आत्मनिर्भरतायै ‘आत्मनिर्भरता’ इति शब्दं प्रयुक्तम्। चतुर्दशाधिकद्विसहस्रतमे शताब्देः अगस्तमासे ते आत्मनिर्भरतां ‘डिजिटल-इण्डिया’ इति योजनया सह समभान्तुः। आत्मनिर्भरभारताभियाने पञ्च स्तम्भाः सन्ति - अर्थव्यवस्था, मौलिकसंगठनम्, प्रयुक्तिः, जनसंख्या, आकांक्षा च।

मोदीसर्वकारः भारतस्य संस्कृतिसंस्कारानुगुणमेव नवशिक्षानीतिम् आकाङ्क्षा, सा च नीतिरिदानीं सिद्धतां याति। इयं शिक्षानीतिः सांस्कृतिकचेतनया सह आधुनिककाले विकासस्य महत्वविषयेऽपि अस्मान् ज्ञापयति। मोदीवर्यः अवोचत् राष्ट्रनिर्माणमहायज्ञे अस्याः राष्ट्रियशिक्षानीतेः महदवदानं वर्तते। बहुमुखीशिक्षा अनुसन्धानं च विश्वविद्यालयाय देशाय च नूतनं अवसरं कल्पितारौ। इयं च अनुशासनात्मकानुसन्धानेन सह अनुसन्धाने उन्नयने च विश्वसमक्षं भारतं परिचाययिता। नवराष्ट्रियशिक्षानीतिः भारतस्य उच्चशिक्षापद्धतौ नूतनां शैलीं आनयत्। इयं च आत्मनिर्भरभारतं निर्माणाय तत्सम्बद्धानां लक्ष्याणां रेखाङ्कणं करिष्यति। मोदीमहाभागः अवोचत् नवराष्ट्रियशिक्षानीतिः आत्मनिर्भरभारतं निर्माणाय एकः विशिष्टसिद्धान्तः, इयं पुरातनप्रतिबन्धान् दूरीकृत्य छात्राणां सामर्थ्यं वर्धनाय छात्रेभ्यः स्वतन्त्रतां दापयिता। इतोऽपि नवशिक्षानीतिः यूनां उद्योगेन स्ववृत्त्या च सह शोधार्थं नवोन्मेषणाय च उत्साहयिष्यति, इति तैः औद्यतः।

नवशिक्षानीतिः क्रियान्वयने आत्मनिर्भरभारतस्य अग्रगतिः -

संसदस्य केन्द्रियकक्षायां द्वयोः सदनयोः संयुक्ताऽधिवेशनं सम्बोधयन् राष्ट्रपतिः अकथयत्, ‘आत्मनिर्भरभारतस्य संकल्पं वास्तवायितुं सामर्थ्यं च वर्धयितुं सर्वकारो देशे नवशिक्षानीतिं प्रचालयति’। राष्ट्रियशिक्षानीत्या च प्रादेशिकभाषाः प्रोत्साह्यन्ते। यूनां कौशलवर्धने बालिकाशिक्षायां अधिकं गुरुत्वम् दीयते। वर्तमाने स्नातकस्तरस्य पाठ्यपुस्तकानि, सर्वाः महतीः प्रवेशिकापरीक्षाश्च भारतीयभाषया पाठयितुं यत्नः क्रियते अतः अस्मिन् वर्षे दशानां राज्यानां ऊनविंशति अभियन्ता-महाविद्यालयेषु (Engineer colleges) षण्णां भारतीयभाषाणां पाठनम् आरब्धम्।

स्किल-इंडिया-मिशनाधीनेषु आई.टी.आई.-संस्थायां, जन-शिक्षण-संस्थाने, प्रधानमन्त्री -कौशल- केन्द्रे च सपादद्विकोटिः तदधिकानां वा यूनां कौशलं वर्धितम् कौशलं उच्चशिक्षया सह योजयितुं विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगेन (यू.जी.सी.) विश्वविद्यालयनियमेषु कानिचन नियमानि संस्कृतानि। कोरोनाकीटाणुभ्यः संरक्षणाय स्किल-इण्डिया-मिशन्-संस्था स्वास्थ्यसेवासम्बद्धानि षट् विशेषकार्यक्रमाणि आरब्धानि। एतानि कार्यक्रमाणि स्वास्थ्यसेवाकेन्द्राणां उपयोगाय भवन्ति।

जनजातीनां यूनां शिक्षायै जनजातिप्रधानेषु परिसरेषु ब्लॉक-पर्यन्तं एकलव्य-आवासीय-मॉडेल-विद्यालयानां वितननाय कर्म कुर्वन्तः विद्यालयाः प्रायः सार्धत्रिलक्षपरिमितान् जनान् सशक्तं करिष्यन्ति। देशे स्त्रीशिक्षां वर्धनाय राष्ट्रियशिक्षानीतौ लिङ्ग-समावेशी-कोषस्य (Gender Inclusive Found) अपि व्यवस्था कृता। महतः मोदस्य विषयोऽयं यत् सम्प्रति त्रयस्त्रिंशद्वि(33) सेनाविद्यालयेषु स्त्रीणां प्रवेशः समारब्धः। “स्त्रियः रक्षन्तु, स्त्रीयः पाठयन्तु” (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ) इयं वार्ता पूर्वापेक्षया दृढा प्रतिपन्ना, विद्यालयेषु अपि नारीणां प्रवेशोत्साहः संख्या च उत्तरोत्तरं वर्धते।

राष्ट्रियशिक्षानीतेः अनन्तरं विश्वे भारतस्य स्थानम् -

नवराष्ट्रियशिक्षानीत्या यूनां सुदृढभविष्यद्यात्रायाः शुभारम्भः भवति। ईज-ऑफ-डुइंग-विजनेस्-इत्यस्मिन् परिवर्तनमागतम्। स्वतन्त्रतायाः पञ्चसप्ततितमे वर्षे पञ्चसप्तत्यधिकानि ‘यूनिवर्सिटी’ पञ्चाशत्सहस्राधिकानि ‘स्टार्टअप्’ सन्ति। केवलं षणमासाभ्यन्तरे प्रायः दशसहस्रं ‘स्टार्टअप्’ विकसिताः। विश्वे सर्वापेक्षया द्वितीय- स्टार्टअप-संस्थात्वेन परिणतं भारतम्। विश्वस्य प्रसिद्धान् कांश्चन विकसितदेशान् पराजय्य तृतीयं बृहत् यूनिवर्सिटी देशत्वेन भारतं विपरिणतम्। इण्डियन्-इन्स्टीट्यूट-ऑफ-टेक्नोलोजी वस्तुतस्तु इन्स्टीट्यूट-अफ-इण्डीजेन्स-टेक्नोलोजी-इति स्वरूपेण वर्तते।

आत्मनिर्भरभारतं विद्यार्थी च -

राष्ट्रियशिक्षानीतौ विद्यालयस्य शिक्षाव्यवस्थायां 5+3+3+4 इति आकारपरिवर्तनस्य मूलं कारणं हि पूर्व-प्राथमिकात् उच्चमध्यमापर्यन्तं समग्रशिक्षाव्यवस्थां वृत्तिमूलकशिक्षया सह योजनम्। अनया नीत्या विद्यार्थिनाम् अन्तराष्ट्रियस्पर्धाभिः सह स्पर्धितुं साहसं जनिता। उच्चशिक्षायां बहु-कालाद् महत्परिवर्तनम् अपेक्षते स्म। चतुर्वर्षीये स्नातकपाठ्यक्रमे बहवः प्रवेशसम्बद्धाः चिताः बिन्दवः विद्यार्थिनां हिताय भविष्यन्ति। नैकाः नियामकसंस्थाः विलीय एकस्य दृढनियामकसंस्थानस्य निर्माणसिद्धान्तमपि स्वागतार्हम्। एकेन नवराष्ट्रीयानुसन्धानेन शैक्षिकशोधस्थानां नानाक्षेत्राणाम् एकीकरणं गुणवर्धनञ्च राष्ट्रबलं पुंसयति।

मोदीवर्याणां ‘सर्वैः सह सर्वेषां विकासः’ (सबका साथ सबका विकास) इति लक्ष्यं प्रपूरणाय नवशिक्षानीतौ ‘सर्वेषां शिक्षा’ इयं योजना प्रारब्धा। अस्यां योजनायां ‘शिक्षाधिकारः’ (Right to Education) चतुर्दशवर्षात् वर्धयित्वा शतांशेन जीईआर (100% GER) इत्यनेन सह मध्यमां यावत् ‘सर्वेषां शिक्षा’ (Education for all) अस्याः लक्ष्यं निर्धारितम्। त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमे शताब्दीं (2030) यावत् विद्यालयस्तरे सर्वेषां बालकानां शिक्षा अनिवार्या निःशुल्कं च भविता। इतोपि यूनां शक्तेः उचितोपयोगाय उच्चशिक्षायां पञ्चत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमेशाब्दं (2035) यावत् सार्धत्रिकोटिः नूतनासनानि संयोज्यन्ते। गुणोपेतोच्चशिक्षायै छात्राणां इतस्ततः भ्रमणं यथा न स्यात् तदर्थं त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमे (2030) यावत् प्रतिममण्डलं बहुविषयोपेतम् उच्चशिक्षासंस्थानं भविष्यति।

कस्यचिदपि राष्ट्रस्य प्रगतेः शोधस्य अनुसन्धानस्य वा महदवदानविषये नास्ति कस्यापि सन्देहावकाशः। अतः मोदीसर्वकारः अटलवर्याणां ‘जय विज्ञानम्’ इतः उर्ध्वं गत्वा ‘जय अनुसन्धानम्’ इति लक्ष्यं प्रपूरणाय नवराष्ट्रियशिक्षानीतौ तत्र विशेषदृष्टिं स्थापितवान् देशे एकस्य दृढस्य शोधानुसन्धानस्य संस्कृते तथा शक्तेः विकासाय शीर्षनिकायरूपेण ‘नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन’ इति संस्थाम् व्यवस्थापयत् मोदीसर्वकारः। नवशिक्षानीतौ स्वीकृतेषु बिन्दुषु एकः विशिष्टः बिन्दुः भवति उच्चशिक्षायां एकीकृतसमन्वितनीतेः लक्ष्यं निर्धारणाय विभिन्नानां संस्थानानां एकीकरणं कृत्वा एकनियन्त्रकत्वेन ‘भारतोच्च-शिक्षायोगस्य’ (Higher Education Commission of India) प्रतिस्थापनम्।

भाषायां आत्मनिर्भरः -

नवशिक्षानीतौ अन्यतमो बिन्दुर्भवति भारतीयभाषणामुपरि प्रभावस्थापनम्। विद्यालयीयशिक्षामारभ्य उच्चशिक्षां यावत् ‘भारतीयभाषया अध्यापनेन’ सह ‘भारतीयभाषायाम् अध्ययनस्य’ उपर्यपि प्रभावः स्थापयति। इतोऽपि एकं महत्वपूर्णं निवेदनं यत् मातृभाषायां प्रान्तीयभाषायां वा पठनपाठनव्यवस्था पञ्चमकक्षायाः वर्धयित्वा अष्टमकक्षां यावत् भवितुम् अर्हति। आङ्गलं तु भविष्यत्येव, परन्तु केवलं एकविषयत्वेन। यूनेस्को-इति संस्थायाः तथ्यानुसारं शैक्षणिकमनोविज्ञानानुसारं वा मातृभाषया विषयज्ञानं सहजं भवति, यतः अत्र सम्प्रेषणं संज्ञानं च सरलं शीघ्रं च भवतः। मातृभाषया प्रादेशिकभाषया वा पाठ्यते चेत् बालकाः अवगच्छन्ति परन्तु इतरभाषया पाठ्यते चेत् केवलं छात्राः रटन्ति नावगच्छन्ति। स्वतः स्फूर्तेन वक्तुं न शक्यन्ते। विश्वस्य प्रत्येके विकासशीलदेशेषु मातृभाषया प्रादेशिकभाषया वा पाठः भवति, एवं उच्चशिक्षाऽपि सामान्यतया तस्य देशस्य भाषया भवति। नवशिक्षानीतेः अयं बिन्दुः भारतीयभाषाणां संस्कृतीनाञ्च मेलनं कारयित्वा अस्मद्देशः इतरदेशानां पथप्रदर्शको भविष्यति।

आत्मनिर्भरभारतनिर्माणाय शिक्षानीतेः आवश्यकता

केवलं एकवर्षाभ्यन्तरे देशस्य द्विशताधिकद्विसहस्रतमाधिकाः उच्चशिक्षणसंस्थाः ‘स्किल इण्डिया’ अनया सम्बद्धान् विषयान् प्रारभन्त। नानाभाषासु प्रकौशलस्य (इंजिनियरिंग) पठनं सम्भविष्यति। प्रकौशलविषयस्य एतासु भाषासु अनुवादः प्रारब्धः। मातृभाषया पाठ्यते चेत् दरीद्वानां वा छात्राणां मनोबलं वर्धयिष्यते। प्रारम्भिकशिक्षायामपि मातृभाषाकरणाय दिक्षु प्रचार्यते। शिक्षायां भाषायै सभ्यतायै संस्कृतसामाजिकमूल्येभ्यश्च समुचितं स्थानं कल्पयते। ईदृशी शिक्षानीतिः राष्ट्रस्य स्वाभिमानं जागरयति।

आत्मनिर्भरभारतनिर्माणाय शिक्षानीतेः महत्वम्

भारते तु जीवनस्य चरमं लक्ष्यं मोक्षं इत्युच्यते। तदनुरूपमेव सर्वे कार्यादेशाः वर्तन्ते। आधुनिकयुगे सकारात्मकानि परिवर्तनानि अस्माभिः स्वीकर्तव्यानि। परन्तु तानि अस्माकं महतः गौरवस्य प्रतिकूलानि न भवेयुः। वर्तमानः सर्वाकारः समुचितदिशि पादं प्रसारयत् नवशिक्षानीतिं प्रावर्तत। विद्यालयीयपाठ्यक्रमाय व्यवहारिकं

रूपं दत्तवान। मौलिकयोग्यता पुंसयते। षष्ठकक्षायाः वृत्तिमूला शिक्षा प्रारप्स्यते। पञ्चमकक्षां यावत् मातृभाषायां प्रादेशिकीभाषायां वा पाठयिष्यते। उच्चशिक्षायैः अवसरः पुंसयिता। उच्चशिक्षायाः पाठ्यक्रमेषु नानाविषयाः भविष्यन्ति। 'ट्रान्सफ'अफ् क्रेडिट्' इत्यस्य लाभाय 'अकादमिक् बैंक अफ् क्रेडिट्' इति संस्थाप्यते। भारतस्य संस्कृतिः यथा अक्षुण्णा स्यात् तदर्थं 'राष्ट्रिय अनुसन्धान फाउण्डेशन'— इति संस्था संस्थापयिष्यते।

नवशिक्षानीतिः विद्यालयीयशिक्षायां उच्चशिक्षायां च बहुभाषावादं प्रेरयति। पाली-फारसी-प्राकृतेभ्यो राष्ट्रियसंस्थानम्, भारतीयानुवाद-व्याख्यान-संस्थानं च संस्थापयिष्यते। अकादमिक् बैंक अफ् क्रेडिट्, विद्याप्रवेशोपेत-नवशैक्षणिककार्यक्रमाणि समारब्धानि। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः (Artificial Intelligence) कार्यक्रमाणि यूनः भविष्योन्मुखिनं करिष्यन्ति। अनेन सञ्चालितार्थव्यवस्थायाः मार्गाः प्रतनितारः।

सम्प्रति मैकाल-मॉडल-आश्रित्य प्रवर्तमाना शिक्षा पुस्तकज्ञानं शैक्षणिक-पाठ्यक्रमाणि च प्रभावयति, तस्मात् अस्य पाठस्य समनन्तरं अनावृत्तिमन्तः वृत्तिमन्तः भवन्ति। परन्तु नवशिक्षानीतिः पाठ्येतरक्रियाकलापानां वृत्तिमूलकशिक्षायाः उपरि च प्रभावं वितनोति। महात्मगान्धीवर्याणां श्रमसिद्धान्तानुगुणमेव प्राथमिकस्तरादेव वृत्तिमूलाशिक्षा प्रारप्स्यते, अस्यां शिक्षायां 'कोडिंग'— इत्यादिवत् आधुनिकवृत्तिमूलकप्रशिक्षणान्यपि अन्तर्भवितारः। एवं महाविद्यालयस्तरेऽपि वृत्तिमूलकप्रशिक्षणानि भवितारः। अमेरिकादेशस्य विश्वविद्यालयानां पाठ्यक्रमेषु वृत्तिमूलाशिक्षा विलसत्येव। नवशिक्षायां योजनायां वृत्तिप्रार्थकाः न्यूनाः भविष्यन्तिः वृत्तिदातारः स्वयं वृत्तिमन्तश्च वर्धितारः।

निष्कर्षः

सर्वं पर्यालोच्य वक्तुं शक्यते यत् नवशिक्षानीतिः प्रादेशिकात् सर्वजनेषु, भारतात् विश्वेषु, वृत्तेः अनुसन्धानपर्यन्तं, चारित्रिकसंस्कृतेः भौतिकोपलब्धिं यावत् सार्विकदृष्ट्या एकविंशतिशतकस्य भारतस्य सर्वाणि प्रयोजनानि पूरयितुं विश्वस्य देशान्तरैः सह स्पर्धितुं च यूनः योग्यं कारयिता। परन्तु इदं लक्ष्यं पूरयितुं विश्वस्य देशान्तरैः सह भारतस्य एका स्पर्धा भविता, अतः योग्याः अत्र प्रविशन्ति चेत् तां स्पर्धां वयं अनायासेन जेतुं शक्नुमः।

राष्ट्रियशिक्षानीतेः मूलोद्देश्यं तु साम्प्रतिककाले अपेक्षितशिक्षाणां प्रदानम्, वैज्ञानिकीशिक्षायाः विकासः, भारतीययूनां च कौशलवर्धनम् इयं नीतिः शिक्षणाधिगमप्रक्रियायां प्रयुक्तेः उपयोगाय रूपरेखां, आन्तर्जालिकपाठ्यक्रमस्य विकासं, अकादमिक् बैंक अफ् क्रेडिट् - इत्यस्य स्थापनं च करिष्यति। राष्ट्रिय-शैक्षिक-प्रौद्यौगिकी-मञ्चस्य च स्थापनात् (NCERT) उद्भावनीसंस्कारस्य उन्नतिर्भविता, एतच्च भारतीयपण्डितैः सह विश्वस्य इतरपण्डितानां स्पर्धायै साहाय्यं विधाता।

सन्दर्भग्रन्थसूची (BIBLIOGRAPHY)

- गुप्त. ईश्वर दयाल, आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्या-चिन्तन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, (1991)।
- गुप्ता, एस.पी, एवं गुप्ता, अलका, राष्ट्रिय शिक्षा नीति- 2020 एक सरल परिचय, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, (2020)
- वशिष्ठ. विजेन्द्र कुमार, भारतीय शिक्षा का इतिहास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, (2008)।
- वशिष्ठ, के.के, एवं शर्मा, डी.एल, भारतीय शिक्षा की नई दिशा, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, (1992)।
- सिंह. बंशीधर, स्वतन्त्रभारत में शिक्षा की प्रगति, गयाप्रसाद एण्ड सन्स प्रकाशन, आगरा, (1960)

माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थियों की आत्म निर्भर भारत में भूमिका

श्याम सिंह

शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), आर.के.डी. एफ.विश्वविद्यालय, गाँधी नगर- भोपाल (म.प्र.)

डॉ० वन्दना चतुर्वेदी

शोध निर्देशिका, (शिक्षाशास्त्र) आर.के.डी. एफ.विश्वविद्यालय, गाँधी नगर- भोपाल (म.प्र.)

शोध सारांश: भारत आत्मनिर्भर कैसे बने इसके लिए सिर्फ विद्यार्थी ही मददगार साबित हो सकते हैं। हर विद्यार्थी एक नई ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण होता है। विद्यार्थी जितना उत्साहवर्धक, देश प्रेमी और कौशलयुक्त होगा उतना ही एक देश के विकास के लिए और उसकी उन्नति और तरक्की के लिए प्रबल दावेदार होगा। हर विद्यार्थी के आँखों में अपने देश के भविष्य का इन्द्रधनुष होता है जो उसे हमेशा ही अपने देश और समाज की प्रगति के लिए प्रेरित करता रहता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम भविष्य की संकल्पना है। समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली के प्रावधान के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। हर बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ एक कौशल प्राप्त हो यानी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं एक रोजगार की व्यवस्था, आत्मनिर्भर बनना भी शिक्षा का आयाम है।

महत्वपूर्ण शब्द : माध्यमिक स्तर, किशोर विद्यार्थी, आत्मनिर्भर भारत

प्रस्तावना:-

किसी भी विकासशील और महाशक्तिशाली देश के पीछे एक विद्यार्थी का ही विशेष योगदान होता है। विद्यार्थी ही देश का भविष्य बनाता है और उसे हमेशा एक नई दिशा में ले जाने का काम करता है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए युवा की ही सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। विद्यार्थी एक विकासशील देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हमेशा अपने समाज और देश को नई नई ऊंचाईयों में जाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।

आज भारत की हर सफलता के पीछे एक युवा का ही हाथ है। यह सफलता एक युवा की प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। यदि हमारे देश में जरूरत है तो सिर्फ युवाओं को एक अच्छे मार्गदर्शन की। जो हमेशा उनको एक सकारात्मक रास्ते पर चलने को प्रेरित करता रहे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के युवाओं और नागरिकों को प्रेरित करते हुए भूमि, श्रम, तरलता और कानून से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का बारीकी से अध्ययन कर अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग को और भी ज्यादा मजबूती देने का आह्वान किया है। इन आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ से आसानी से भारत के आत्मनिर्भर होने का सपना पूरा किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए हमें और भारत के हर नागरिक को आगे आना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिससे इस मिशन को सफल बनाया जा सके।

माध्यमिक स्तर के किशोर विद्यार्थी

भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह वह स्तर है जो माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य एक पुल का कार्य करता है व दोनों को जोड़ता है सामान्यतः इस स्तर पर पढ़ने वाले किशोर विद्यार्थी किशोरावस्था के होते हैं। इसलिए इस अवस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है। माध्यमिक शिक्षा ऐसा केन्द्र बिन्दु है, जो प्राथमिक शिक्षा व विश्वविद्यालयी शिक्षा के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। इसके महत्व को हम निम्न बिन्दुओं में लिख सकते हैं-

- यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करती है।
- इस स्तर पर जो अध्ययन करते हैं, उनके व्यक्तित्व की शैली उसी पर निर्धारित होती है।
- यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी आरम्भ हो जाती है।

- माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं।
- यह व्यक्तित्व का विकास करती है।
- यह सामाजिकता व सामुदायिकता का विकास करती है।
- माध्यमिक शिक्षा किशोर/किशोरियाँ की उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है।
- यहीं से छात्र-छात्राएँ जीवन जीने की कला सीखते हैं।

सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा मानव जीवन में माध्यमिक शिक्षा इतना महत्व होते हुए भी यह आज तक अनेक दोषों से ग्रसित रही है। माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर संकेत करते हुए प्रो. के.जी. सैयदन लिखते हैं- सारे संसार के शैक्षणिक क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के आम ढर्रे के प्रति गहरा असंतोष रहा है और वे काफी समय से यह अनुभव करते रहे हैं कि उसकी आमूल पुनर्रचना तत्काल आवश्यक है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बहुमूल्य परिवर्तन हुए हैं और स्वयं हमारे देश में बुनियादी शिक्षण पद्धति ने उसकी समस्याओं के प्रति एक बिल्कुल ही नया रवैया अपनाया है, पर माध्यमिक शिक्षा अभी कुछ समय से पहले तक कुल मिलाकर गतिहीन व अपरिवर्तित रही है।

आत्मनिर्भर भारत में किशोर विद्यार्थियों की भूमिका

हर देश के विकास और उसकी प्रगति के लिए वहां का नागरिक जागरूक और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। हर शिक्षित व्यक्ति की देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका होती है। देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे बच्चे शिक्षित हो और वह देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए।

देश को उन्नतिशील, विकासशील और शक्तिशाली बनाने के साथ साथ उसका सर्वगोण विकास भी जरूरी है। इसके लिए हर नागरिक को शिक्षित होना आवश्यक है। विद्यार्थियों में बहुत ही तीव्र इच्छा शक्ति और ऊर्जा होती है। जिससे वह देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कन्याभ्रूण हत्या, आतंकवाद, अनुशासनहीनता जैसे समस्याओं का विभिन्न प्रकार के अभियान का आयोजन इनका अंत करने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं।

विद्यार्थियों का मार्गदर्शन

विद्यार्थी के पास वह शक्ति होती है जिससे वह चाहे वो संभव कर सकता है। लेकिन इन सबके लिए उसको एक अच्छे और सफल मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। यदि युवाओं को सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं। फिर वह अपनी ऊर्जाओं और क्षमताओं का सही से जगह पर नहीं करते।

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति और मुंगेर विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति प्रो०(डॉ०) नीलिमा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत बनाने का है और आने वाले समय में हर भारतीय को आत्मनिर्भर बनाना उनका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी इसी संकल्प के साथ आत्मनिर्भर यूपी बनाया जा रहा है। इससे प्रेरित होकर ऐसा महसूस हुआ कि विश्वविद्यालयों को आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता में पूरा योगदान देना चाहिए क्योंकि इस संकल्प को पूरा करने में विश्वविद्यालयों की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता यह है कि हम कैसे इस आत्मनिर्भर संकल्प का क्रियान्वयन करें। इस दृष्टि से न्यास ने देश के विख्यात शिक्षाविदों की समितियों का गठन विद्यालय एवं विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर किया है। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य पूरा करने के लिए शिक्षा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी यही दिशा दिखाई है। शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित कौशल शिक्षा (स्किल एजुकेशन) एवं व्यावसायिक शिक्षा युक्त पाठ्यक्रम का स्वरूप भी एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रखता है।

कुलपति प्रो० नीलिमा गुप्ता ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले देश के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का आधारभूत माध्यम शिक्षा है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुलपति ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में देश के किसान एवं हमारा ग्रामीण अंचल आत्मनिर्भर बन सके, यह मूल आवश्यकता है। वीसी प्रो० गुप्ता ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी स्तरों पर समेकित पहल करना जरूरी है।

शोध द्वारा गुणवत्ता वाले उत्पाद -

कुलपति प्रो० नीलिमा गुप्ता ने कहा कि नवीन शोध, अनुसंधान, मेहनत और लगन के द्वारा ऐसे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कराए जाएं जिससे आयात के स्थान पर हमारा निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो सके। मानव संसाधन द्वारा युवा पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दें कि वह गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर सके और उसकी मांग अन्य देशों के द्वारा की जा सके। जितने भी छोटे-छोटे निर्यातक देश हैं उसने इस नीति को अपनाया की अपने उत्पादों में अच्छी क्वालिटी रखी जिससे विदेशों में उनकी मांग बढ़ी। इसी नीति को भारत को भी अपनाना है तथा गुणवत्ता उत्पादों को बनाना है एवं उसका प्रसार भी करना है। भारत की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, आकार और आबादी भी अदभुत है। जिससे गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन ओडिओपी के माध्यम से करके सफलता प्राप्त की जा सकती है।

आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम भविष्य की संकल्पना है नई शिक्षा नीति :

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम भविष्य की संकल्पना है। 6 वर्ष तक शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, विचारकों, शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं, प्रशासकों के परामर्श, एक लाख ग्रामों तक संपर्क, संवाद, अनगिनत सेमिनारों, कार्यशालाओं और गंभीर विमर्श के उपरान्त देश में 34 साल बाद तैयार की गई।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब क्रियान्वयन के लिए देश के समक्ष प्रस्तुत है। यह समग्र एकात्म, सर्व समावेशी तथा उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा की दिशा में से सशक्त कदम होने के साथ ही 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशलों तथा मूल्य आधारित मनुष्य निर्मात्री शिक्षा पद्धति को लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह बात भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांतीय अधिकारी पं. तुलसीदास दुबे ने ओमकार कॉलेज में भारत सरकार के नीति आयोग एवं भारतीय शिक्षण मंडल के तत्वावधान में “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन” पर आधारित जिला स्तरीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में कही।

अधिकांश प्रावधान 2024 तक लागू होंगे :

पं. दुबे ने कहा कि सबको शिक्षा सब को काम देने के मूल विचार पर आधारित नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का दायित्व देश के प्रत्येक शिक्षक तथा सभी स्तर के शैक्षिक नेतृत्व कर्ताओं का है वे अपनी गुरुतर दायित्व के निर्वहन के लिए इसका परिपूर्ण स्वाध्याय कर विद्यार्थियों तक समग्र रूप से पहुंचाएं। केंद्र सरकार ने जो खाका तैयार किया है उसके अनुसार 2024 तक नीति के अधिकांश प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। नीति का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं इस पर अगले 10 वर्षों तक जिले से केंद्र स्तर तक गठित शिक्षाविदों की समिति द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयीन शिक्षा के ढांचे मूलभूत परिवर्तन कर उसे 5+3+3+4 बनाने का उद्देश्य शिक्षा को पूर्व प्राथमिक से सीनियर सेकंडरी तक समग्र बनाकर उसे व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना है। देश के विद्यार्थियों में इस नीति से अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने का साहस पैदा हो सकेगा।

उच्च शिक्षा में भी अनेक परिवर्तन बहुप्रतीक्षित थे। स्नातक स्तर की 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में एकाधिक प्रवेश निर्गम बिंदु दिए जा रहे हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा विकल्प होगा। अनेक नियामक संस्थाओं का विलय कर एक सशक्त नियामक संस्थान का गठन किया जाना भी स्वागत योग्य कदम है। एक नए राष्ट्रीय अनुसंधान के माध्यम से शैक्षिक शोध के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण तथा गुणवत्ता विकास भी राष्ट्र को सबल बनाएगा।

शिक्षा नीति या आत्मनिर्भर भारत :

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बयार यानी आंधी बहोत दिनों से बह रही थी लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ पर भारत के लोग बदलाव चाहें और ना हो ऐसा हो नहीं सकता, शिक्षा में बदलाव पहले भी हुए हैं लेकिन इस बदलाव को शिक्षा क्रांति का नाम देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक के फॉरमेट में लंबे समय से बदलाव की जरूरत थी और बदलाव की आवाज उठ भी रही थी और कई ऐसे बातें हैं जो शिक्षा में नए बदलाव के इंतजार में थे।

1. NEP के अनुसार, 2030 तक SDG4 4 से जुड़ी ECCE से माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिकता होगी।
2. 2025 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमेरेसी कौशल प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NEP के अनुसार, 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% GEW होगी।
4. 2023 तक, शिक्षकों को मूल्यांकन सुधारों के लिए तैयार किया जाएगा।

समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली के प्रावधान के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड परीक्षा में रूढ़ि लगाने के बजाय बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसलिए मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान के अनुप्रयोग का टेस्ट होगा, अब इन बातों को ध्यान से पढ़ें तो लगेगा कि शिक्षा को ये सब बातें और इनमें बदलाव की भी बहोत जरूरत थी। यह लक्ष्य रखा गया है कि हर बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ एक कौशल प्राप्त हो यानी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं एक रोजगार की व्यवस्था, आत्मनिर्भर बनना भी शिक्षा का आयाम है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सीखने के एक मानक होंगे और शुल्क भी एक समान बनाया जाएगा, आज की परिवेश में बात करें तो लगेगा कि शिक्षा का भी बाजारीकरण हो गया है और इसकी रोक धाम बहोत जरूरी है। इसलिए शुल्क यानी मिम के मानक और बराबर को तय करना बहोत जरूरी है, वरना गरीब शिक्षा के लाभ से हमेशा वंचित रहेंगे, उन्हें भी पढ़ने और बढ़ने के अधिकार हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधार :

1. 10 + 2 बोर्ड संरचना को हटाकर अब नई संरचना 5 + 3 + 3 + 4 होगी।
2. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 वीं तक यह प्री स्कूल होगा, 6 से 8 वीं मिडल स्कूल और 8 से 11 वीं हाई स्कूल होगा, जबकि 12 वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा।
3. 6 वीं कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं और 8 वीं से 11 वीं के छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं।
4. सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर विषयों का प्रावधान होगा।
5. 5 वीं कक्षा तक शिक्षण की भाषा मातृभाषा होगी। त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा और उच्च शिक्षा तक संस्कृत को विकल्प के रूप में दिया जाएगा ये एक सबसे खास बात है नई शिक्षा नीति 2020 में।
6. राज्य अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे और उन पर कुछ भी दबाव नहीं होगा, आपको अपनी राज्य भाषा का चयन भी बहोत जरूरी है आपके खुद के विकास और बदलाव के लिए, शिक्षा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, एक माध्यम है जिससे आप अपने समाज और देश में बदलाव ला सकते हैं।
7. किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में छात्रों के अकादमिक मार्क्स के स्थान पर छात्र की कौशल और क्षमताओं का व्यापक रिपोर्ट होगा, एक फिल्म थी 3 पकपवजे जो बहोत शानदार और जानदार चली थीं तो उस फिल्म का सरलार्थ भी यही था और एक फिल्म के नाते ना जोड़कर यदि हम जीवन में भी जोड़े तो लगेगा कि “कौशल,क्षमताओं और आत्मनिर्भरता” का बहोत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में और खासकर के हमारे शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और न्यूमेरेसी पर ध्यान केंद्रित करना है।

8. पाठ्यक्रम के शैक्षणिक संरचना में बड़े बदलाव के बजाय संकाय में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं।
9. व्यावसायिक तथा शैक्षणिक और पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा पाठ्येतर के बीच के सभी तरह की बाधाओं को भी दूर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. ECE, शिक्षकों और वयस्कों के लिए नया National Curriculum framework होगा। बोर्ड परीक्षा नॉलेज एप्लीकेशन पर आधारित होगी।
2. लर्निंग की प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्र की प्रगति को समय-समय पर ट्रैक किया जाएगा।
3. PARAKH नाम का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित होगा।
4. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, HEI में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) होगा।
5. 21 वीं शताब्दी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को एकीकृत करने के लिए पाठ्यक्रम को इसके अनुरूप बनाया जाएगा।
6. मेधावी बच्चों को वर्तमान स्कूल शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा। पाठ्यक्रम को केवल मूल अवधारणाओं तक सीमित किया जाएगा।
7. हम यहाँ पर सभी नवीनतम सरकारी नौकरियों को अपडेट करते रहेंगे। आप या तो इस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं या अपने आप को अपडेट रखने के लिए इसे चेक करते रह सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

- कुलश्रेष्ठ, एस. पी. (2011) शिक्षा मनोविज्ञान. मेरठ, उ. प्र.: आर. लाल. बुक डिपो.
- भटनागर, एस., गुप्ता, एम., एवं सिंह के. पी. (2014) शिक्षा मनोविज्ञान. मेरठ, उ. प्र.: आर. लाल. बुक डिपो.
- मंगल, एस. के. (2009) शिक्षा मनोविज्ञान. नई दिल्ली, दिल्ली: पी. एच. आई. प्राईवेट लिमिटेड.
- <https://vishwakarmakiran.com/dream-of-self-reliant-india-will-be-realized-only-through-education-prof-neelima-gupta/>
- <https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/guna/news/a-new-education-policy-is-the-concept-of-a-self-reliant-indias-golden-future-dubey-128362243.html>
- <https://www.agniban.com/education-policy-of-self-reliant-india/>
- <https://myvoice.opindia.com/2020/08/siksha-neeti-ya-aatmanirbhar-bharat/>

आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की भूमिका

डॉ० मौ० अतहर हुसैन

सहायक प्राध्यापक, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी, हैदराबाद

सार (Abstract):

शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार होती है। शिक्षा व्यक्ति, समाज, देश, विदेश, वातावरण आदि के साथ व्यक्ति का समजस्य स्थापित करती है। शिक्षा अपने में मानव विकास व सामाजिक कल्याण जैसी प्रक्रिया है जो समाज में नवाचार लाने के साथ साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। शिक्षा किसी भी देश के नागरिकों को उसके भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाती है। वह हथियार भी शिक्षा ही है जिसके द्वारा हम समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुपमंडुकताओं, पाखंडों, मिथकों, अंधविश्वासों और पूर्वधारणाओं जैसी सामाजिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और एक आदर्श, शिक्षित, सभ्य व सुस्कृतिक समाज की आधारशिला रख सकते हैं।

शिक्षा के इतने लाभ हैं कि जिनको गिनना बहुत कठिन है। आज शिक्षा के कारण ही हर जगह परिवर्तन की आंधी चल रही है। भूमंडलीकरण, आधुनिकता, औद्योगिकरण और जैनिटी का ये क्रांतिकारी दौर भी शिक्षा के ही चमत्कारों में से हैं। चंद्रयान, मंगलयान से लेकर मेट्रो ट्रेन, ट्रेक्टर से लेकर फर्टिलाइजर, एक बंदूक से लेकर परमाणु बॉम्ब आदि सभी शिक्षा की ही देन हैं। शिक्षा की महत्ता को किसी भी क्षेत्र में नकारा नहीं जा सकता। हमें चारों ओर शिक्षा के ही अविष्कार नजर आते हैं। शिक्षा के कारण ही भूतकाल में असंभव सी प्रतीत होने वाली तमाम चीजें संभव हो गई हैं। यदि हम किसी भी विकसित और आत्मनिर्भर देश पर दृष्टि डालें तो हमें उसकी तरक्की की बुनियाद में शिक्षा ही मिलेगी। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत लेख में लेखक ने आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते भारत में शिक्षा के महत्व एवं भूमिका पर प्रकाश डाला है।

प्रस्तावना:

शिक्षा को अंग्रेजी में स्कनबंजपवद कहते हैं। Education शब्द का उद्भव 'Educatum' से माना जाता है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। Educatum शब्द में E का अर्थ वनज of है, कनबव का अर्थ to extract of यानि आंतरिक को बाहर लाना।

“शिक्षा बालक की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके।”—टी. पी. नन

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है।”

“Education is the manifestation of divine perfection already in man.”

टैगोर के अनुसार, “उच्चतम शिक्षा वह है जो सम्पूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।”

“The highest education is that which makes our life in harmony with all existence-”

महात्मा गांधी के अनुसार, “शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है।”

“By Education I mean an all-round drawing out of the best in child and man—body] mind and spirit-”

शिक्षा एक सदैव चलने वाली सोदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, एवं कला – कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत, कर्मठ एवं योग्य नागरिक बनाता है।

शिक्षा के द्वारा मानव का बौद्धिक विकास होता है एवं उसके व्यवहार को एक निश्चित दिशा मिलती है। शिक्षा के द्वारा ही उसमें विचार करने एवं सत्य असत्य में भेद करने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में राजनीतिक जागरूकता आती है और व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य से परिचित होते हैं। शिक्षा कुरीतियों का दोहन करती है। शिक्षा नवजागरण की आधारशिला है।

शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों को भरती है। वह शिक्षा ही है जो मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रकाशमय बनाती है, आलोकित करती है। यह मनुष्य को समाज में समायोजित करती है। इससे मनुष्य के अंदर मनुष्यता आती है। सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास करती है।

शिक्षा लोगों को बेहतर नागरिक बनाती है, जॉब के लिए तैयार करती है। उचित अनुचित के बीच अंतर दिखाता है। शिक्षा हमें कठिन परिश्रम के महत्व को दिखाती है और साथ ही, हमें बढ़ने और विकसित होने में मदद करती है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है।

किसी शायर ने सत्य ही कहा है,

“इल्म से ही इंसान, इंसान है,
इल्म जो न सीखे वो हैवान है।”

वास्तव में शिक्षा मानव को जानवर से मानव बनाने वाली प्रक्रिया है। जानवर उचित अनुचित में भेद नहीं कर सकते। अशिक्षित मनुष्य का यही हाल होता है। वह सही निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसकी ज्ञानचक्षु खुल जाती है। तब वह प्रत्येक कार्य सोच-समझकर करता है क्योंकि शिक्षा मानव की अंतर्निहित संपूर्णताओं का प्रकाश है। शिक्षा परामर्श देती है, अनुदेशन करती है।

शिक्षा व्यक्ति को सर्वगुण सम्पन्न बनाती है। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होता है। इस ज्ञान से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। वह ज्ञान-विज्ञान के उन क्षेत्रों में महारत हासिल करता है जो उसके लिए नए नए मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा मनुष्य को उसकी बुराइयों की पहचान में मदद करती है ताकि वह इनसे सदा ही दूरी बनाए रख सके।

मानव में सत्य, शिवम्, सुंदरम् जैसे शश्वत और सार्वभौमिक मूल्यों को विकसित करती है। जीवन जीने के तरीके बताती है। संस्कृति को जीवित रखती है और उसका स्थानांतरण व पोषण भी करती है।

इंसान स्वाभाव से ही सामाजिक प्राणी है। यदि उसे समाज से अलग कर दिया जाये। उसका जीवन कठिन हो जायेगा। प्रत्येक बालक समाज में ही जन्म लेता है तथा समाज में ही उसका पालन-पोषण होता है। समाज में ही रहते हुए वह बोलना-चलना, पढ़ना-लिखना तथा दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार करना सीखता है। समाज में ही रहते हुए उसकी विभिन्न आवश्यकताएँ पूरी होती हैं तथा विभिन्न विचारों के आदान-प्रदान द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है समाज की उन्नति से वह जीवन के क्षेत्र में तरक्की करता है तथा समाज की हानि से उसे भी क्षति पहुँचती है। समाज भी व्यक्ति के शरीर की भाँति ही है। समाज की उन्नति मानव की उन्नति है। समाज की उन्नति देश की उन्नति है।

शिक्षा मानव के व्यवहार, जीवन शैली, अचार-विचार तथा आदत एवं चिन्तन शक्ति में परिवर्तन लाती है। शिक्षा मानव में तार्किकता, समस्या समाधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूरदृष्टि जैसे कौशल विकसित करती है जिससे समाज को एक नई दिशा व दशा मिलती है तथा सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अलावा शिक्षा समाज की संस्कृति का हस्तान्तरण, परिवर्तन तथा चयन करके सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज में सकारात्मक परिवर्तनों की भी आधारशिला है।

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। भारत में नयी शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल है। बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक के फॉरमेट में इसीलिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।

- अब पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृ भाषा में होगी।
- इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% भाग खर्च किया जायेगा।
- 29 जुलाई 2020 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को मंजूरी देने की घोषणा की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया।
- 2025 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमेरसी कौशल प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली के प्रावधान के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है।
- शिक्षा का बाजारीकरण रोकने के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सीखने के एक मानक होंगे और शुल्क भी एक समान रखा जाएगा।

शिक्षा में ये सभी सकारात्मक बदलाव आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

उपसंहार:

आधुनिकरण, औद्योगिक क्रांति, कृषि में नवाचार, वैज्ञानिक आविष्कार, चिकित्सा, परिवहन एवं मनोरंजन के क्षेत्रों में आशातीत विकास आदि सभी शिक्षा की ही देन है। शिक्षा समाज को एक नई दिशा देती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने परिवेश से परिचित कराती है। शिक्षा में उन बातों का भी समावेश होता है जिससे मनुष्य का आत्मिक विकास हो सके। विश्वबंधुत्व, सर्व धर्म समभाव, सर्वभ्रवन्ते सुखिन, सर्वभ्रवन्ते निरामया जैसे स्वर्णिम मूल्य भारतीय शिक्षा की पहचान रहे हैं। शिक्षा को जीवन केंद्रित बनाना होगा। जिससे वह मानव को बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण, जुर्म, अन्याय आदि से बाहर निकाल सके। शिक्षा के महत्व को देखते हुए इसे और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

एक सफल राष्ट्र के लिए शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना होगा, ताकि हम अपने विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनने जैसे सपनों को साकार कर सकें।

सन्दर्भ:

एन. आर. स्वरूप सक्सेना, संजय कुमार, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आर. लाल बुक डिपो-मेरठ.

शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० संगीता

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, सीएमपी कॉलेज ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज

आत्मनिर्भरता वह है जो आपको अपने बल पर अपनी शक्ति के अनुरूप सोचने, विचारने और जीवन जीने की शक्ति देती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान से तात्पर्य है भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और स्वउत्पादन होने के संबंध में एक अवधारणा के रूप में किया जाता है।¹ इसका उद्देश्य देश तथा इसमें नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं बल्कि दुनिया के विकास में मदद करने से सम्बन्धित है।^{2,3}

12 मई 2020 को कोविड बीमारी संबंधित आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस शब्द का उल्लेख सार्वजनिक रूप से किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों के कल्याण के लिये घोषणाओं की गई।⁴

आत्मनिर्भर शब्द नवीन नहीं है। भारत ने अपने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान स्वराज्य के लिए राजनीतिक आत्मनिर्भरता की तरफ कदम रखा था।⁵

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्र नाथ टैगोर जैसे विचारकों ने भी न केवल एक राष्ट्र के सन्दर्भ में, बल्कि स्वयं के संदर्भ में भी आत्मनिर्भरता की व्याख्या की है।⁶

विश्व भारती विश्वविद्यालय अरविन्द घोष द्वारा स्थापित पांडिचेरी विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ भारत को शिक्षा में आत्मनिर्भरता के करीब लाने का प्रयास था।⁷

एस0एस0 स्वामीनाथन लिखते हैं कि 1930 के दशक में भारत में अधिकांश देशों की तरह आदर्शवाद और राष्ट्रवाद का दौर था युवा और बुजुर्गों ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता और स्वदेशी आत्मनिर्भरता हमारे लक्ष्य थे।⁸

1960-1970 के दशक में भारत ने आत्मनिर्भरता की कोशिश की और यह कारगर नहीं हुआ। स्वामीनाथ अय्यर कहते हैं कि 1960 के आत्मनिर्भर की ओर वापस जाना फिर से गलत दिशा में जाना प्रतीत होता है।⁹ सदानन्द घूम ने वाक्यांश से संबंधित संदेह को उठाया कि यह पूर्व उदारीकरण के पुनरूद्धार का संकेत था।¹⁰

विश्व की वर्तमान स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है। आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि-एषः पन्थः याति यही रास्ता है- आत्मनिर्भर भारत।¹¹ हालांकि स्वदेशी आन्दोलन को भी वोकल फॉर लोकल जैसे नारों से उद्घोषित किया गया था। परन्तु आत्मनिर्भर भारत घरेलू बाजार के आयात को कसा है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था खोलना और दुनिया में हिस्सों में निर्यात करना है।¹²

आत्मनिर्भर भारत अभियान वास्तव में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का निर्माण करना है। भारत में स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है जो कि भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा है और राष्ट्रवादी तबका इस विचार की वकालत भी करता रहा है। लेकिन पी0एम0 मोदी ने स्वदेशी शब्द का जिक्र उद्बोधन में नहीं किया है। दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिये खुली नहीं थी। बाहरी दुनिया पर संदेह और आत्मविश्वास में कमी थी थी पिछली शताब्दी के अंतिम चार दशकों के भारत ने स्वदेशी मॉडल पर भरोसा करते हुये पाँच साल की नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया और 2.5 से 3 प्रतिशत विकास दर के साथ वृद्धि की। अंत में भारत को अपने आर्थिक संकटों के वजह से साल 1991 में बाहरी दुनिया के लिये अपने दरवाजों को खोलने पर मजबूर होना पड़ा था। पर आत्मनिर्भर भारत अभियान फिर से भारत को भीतर की ओर निवेश के लिये बल दे रहा है। आत्मनिर्भर न तो बहिष्करण है और न ही अलगाववादी रवैया जोर इस बात पर है कि दक्षता में सुधार किया जाये।

प्रत्येक देश के विकास और प्रगति के लिये उस राष्ट्र के निवासित नागरिकों को जागरूक, शिक्षित और स्वस्थ होना अति आवश्यक है। एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। भारत में लचर स्वास्थ्य संसाधन, शैक्षिक पिछड़ापन और महिलाओं की असुरक्षा के प्रति नाराजगी स्वाभाविक है।¹³ आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता के लिये उठाया गया कदम है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, स्वास्थ्यकर्मियों के क्षमता निर्माण तथा देश में आवश्यक वस्तु की भी उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

भारत में आत्मनिर्भर अभियान 20 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिये कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये आवंटित किया गया। इस योजना का उद्देश्य आयातित वस्तुओं के बजाय स्थानीय वस्तुओं पर अधिक भरोसा करके भारत के लोगों और राष्ट्र को हरसंभव तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की चुनौतियों और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किये गये प्रयासों की विवेचना की गई है।

आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है। अपने आप पर निर्भर या आश्रित होना। आत्मनिर्भर का अर्थ है भारत को किसी भी क्षेत्र जैसे खाद्य-पदार्थ, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी की अन्य तरह के उपकरणों, मशीनों, दवाईयों, रक्षा से जुड़े सैन्य सामानों आदि के लिये दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर न रहना पड़े। यदि ट्रेन से लेकर प्लेन तक, सुई से लेकर भवन निर्माण तक, मोबाइल से लेकर सुपर कम्प्यूटर तक हर जरूरत की वस्तु का निर्माण हम अने ही देश में गुणवत्ता व विश्वासनीयता के साथ करे तो हम किसी भी वस्तु को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी निर्भरता अन्य देशों से खत्म होगी तो हम आत्म निर्भर होंगे।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच मूलभूत स्तम्भ हैं-

1. अर्थव्यवस्था (Economy)- अर्थव्यवस्था को वृद्धिशील परिवर्तन Incremental change की जगह बड़ी उछाल Quantum Jump पर आधारित किया जायेगा।
2. तकनीकी/प्रौद्योगिकी (Technology)- प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर जोर दिया जायेगा।
3. अवसंरचना (Infrastructure)- ऐसे अवसंरचना का विकास किया जायेगा जो पूरे विश्व में आधुनिक भारत की पहचान बन जाये।
4. माँग (Remanal)- भारत भी माँग और आपूर्ति शृंखला को मजबूत कर उसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जायेगा।
5. गतिशील जनसंख्या (Vibrant Demography)- भारत दुनिया की सबसे बड़ी Democracy है और हमारी असली ताकत भी यही है। जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत बनेगी।

हमारा देश विविधताओं का देश है यह प्राकृतिक सामाजिक, सांस्कृतिक, जैव विविधताओं से सम्पन्न है। हमें आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी क्षेत्रों में प्रयास करने होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान का पाँचवा और अंतिम भाग-शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार सुगमता को समर्पित है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत-

भारत सरकार का मत है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होगा तभी राष्ट्र स्वस्थ और विकसित होगा। प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत स्तर पर भोजन, घर, कपड़ा, शौच, स्वास्थ्य और कर्मशील जीवन शैली मिले इसके लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। 2015 में माँग अपनाओं और 2020 में अपनाओं जैसे नारे पर बल दिया। पूर्ववर्ती स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को तीव्रता से परिवर्तित करके प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागू किया है। जिसका लक्ष्य भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और नूतन चिकित्सकीय सेवाओं से लैस करना है।

स्वास्थ्य सुधार एवं नई पहल- इसके अन्तर्गत निम्न मार्गों को रखा गया है।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश वृद्धि।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन स्तर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में निवेश।
- महामारी के भविष्य के किसी भी संकट से निपटने के लिये सभी जिलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लाक की स्थापना करना।
- नये एम्स की स्थापना पर बल दिया गया है।
- शोध को बढ़ावा देने के लिये आईसीएमएआर द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु राष्ट्रीयगत, संस्थागत प्लेटफार्म का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का अनुपालन करना।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य पहल है- आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जन औषधिका योजना।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा 2.87 लाख करोड़ रुपये का बजट देकर और स्वास्थ्य बजट में 135 प्रतिशत का इजाफा कर वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मूमीकोल वैक्सीन का प्रयोग पाँच राज्यों से बढ़ाकर पूरे देश में करने और प्रतिवर्ष हो रही 50 हजार बाल मृत्यु दर रोकने और कोविड टीकाकरण शत-प्रतिशत कराने के प्रति सरकार दृढ़ संकल्पित है।

11 राज्यों के सभी जिलों में एकीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशालायें खोलने और 3382 ब्लाक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना और 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल हॉस्पिटल ब्लाक बनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत है। इसलिये वित्त मंत्री सीतारमण के स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया है।

शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान-

कोविड-19 के बाद तकनीक की सहायता से शिक्षा की समान उपलब्धता-

- पीएमई-विधा प्रोग्राम जिसके अन्तर्गत एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफार्म के लिये दीक्षा कार्यक्रम, वन क्लास वन चैनल के आधार पर कक्षा-1 से 12 के लिये टीवी चैनल, शिक्षा के लिये रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पाँडकफ्ट का उपयोग एवं टॉप 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कोर्स प्रारम्भ किया जाना सम्मिलित है।
- छात्रों और शिक्षकों की मनोवैज्ञानिक सहायता के लिये मनोदर्पण पहल का शुभारम्भ।
- विद्यालयों, प्राथमिक आयु वर्ग और शिक्षकों के लिये नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक फ्रेमवर्क का निर्माण।
- वर्ष 2025 तक भारत के कक्षा-5 के छात्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिये राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन का प्रारम्भ।
- मनोदर्पण, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के सिलसिले से छात्रों, शिक्षकों और परिवारों का मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन करने के लिए एक पहल है जो तुरन्त शुरू की जायेगी।

शिक्षा के लिये अब वो कल टू लोकल होने की आवश्यकता है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बनाने की आवश्यकता है जो कौशलों के विकास पर जोर दे, भावी युवाओं को अपनी लोकल संस्कृति के प्रति अवगत कराती हो जिससे की यही पीढ़ी भविष्य में अपनी ही संस्कृति के कौशलों को न केवल समझे, आत्मसात् करे साथ ही आत्मनिर्भर बनते हुए आत्मनिर्भरता के भारतीय सपनों को साकार करने का माध्यम बने। नई शिक्षा नीति-2020 भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये काफी मदद करेगी। इनोवेशन के महत्व को बताते हुये इस पॉलिसी में रिसर्च फाउण्डेशन इंट्रोड्यूस किया गया है जो रिसर्च को बढ़ावा देगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य है-

- ऑप्टिकल फाइबर से 6 लाख गाँवों को जोड़ना- कोविड-19 के दौरान शिक्षा ऑनलाइन करना चुनौती बन गई। ऑनलाइन शिक्षा हमारे एजुकेशन सिस्टम में कल्चर बन गया है। इण्टरनेट कनेक्टिविटी के महत्व को देखते हुए आगामी दिनों में 6 लाख गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने पर बल दिया है।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार पाने का अधिकार है। अतः महिलाओं में आत्मनिर्भरता और जागरूकता आवश्यकता है। शहरी परिवेश में महिलायें अपने प्रति जागरूक हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अब की वह सुधारों से वंचित हैं। अतः लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि को रोके बिना हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नहीं पा सकते। स्त्रियों का प्रत्येक क्षेत्र में उनके निर्णयों का हमें सम्मान करने की संस्कृति विकसित करनी होगी।
- वैल्यू बेस्ड एजुकेशन।
- शिक्षकों की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये तैयार करना।
- बड़े-बड़े कम्पनी शिक्षा को बेहतर के लिये एडाप्ट करे और हुनर को तराशा जाये।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार की अन्य योजनाएँ हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम0 स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिये इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग इ0सी0एल0जी0एस0, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, लिक्विड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री योजना, शहरी निर्माण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता देना।

इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत भविष्य में भारत का नई संकल्पशक्ति और प्राण शक्ति के साथ विकास की राह में आगे बढ़ना। रोजगार के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यमवर्गीय गृह उद्योगों को बढ़ावा देकर देश से गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में रक्षा क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र तथा सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार चुनौतियों के बावजूद भारत को वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावनाओं से युक्त है। यह अभियान डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के मॉडल के करीब है जिसमें डॉ० कलाम ने वैकल्पिक विकास मॉडल 'पुरा' (प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटिज इन रूरल एरिया) सुझाया था। इस योजना के मूल में यह विचार था वह सभी आर्कषण के बिन्दु जो शहरों तक सीमित हैं। जैसे स्वच्छ जल, ऊर्जा, स्वच्छता, हेल्थकेयर, शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, परिवहन और राजकीय सुशासन यह सभी गाँवों तक पहुँचे। इस प्रकार ग्रामीण स्तर एक ऐसी अवसरचना विकास की योजना थी जिससे बेहतर जीवन परिवेश की तलाश में लोग शहरों की ओर न जाये। 'पुरा' योजना की स्थानीय आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास पर बल देती है।

वर्तमान सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान दीनदयाल उपाध्याय में अर्थव्यवस्था विकेन्द्रीकरण और नानाजी देशमुख के स्वावलम्बी गाँव बनाने सम्बन्धी योजनाओं के समीचीन है।

अतः सभी नागरिकों का दायित्व है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार के साथ सहयोग करे और कौशल दक्षता स्वयं में विकसित करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. To Spur Growth : Hirmala Sitaraman on PM Modi's Atamanirbhar, आत्मनिर्भरता अभियान हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी), 13 मई, 2020 अभिगमन तिथि-13 जनवरी, 2022
2. Benrutt University Webinar: Need to tap Artificial intelligence to fight covid, says IT Minister Ravi Shenker Prasad-The Economics Times (in English), 26 मई, 2020, अभिगमन तिथि-13 जनवरी, 2022
- 3- Aatmanirbhar Bharat no self- Containment : PM Assures Global Investors- Outlook India (in English), 9 जुलाई 2020, अभिगमन तिथि-13 जनवरी, 2022
4. Mohanty, Prasanna 14 Nov. 2020- Rebooting Economics, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत एण्ड वयर विल इच्छेक इण्डिया बिजनेस टुडे (इन इंग्लिश), 13 जनवरी 2022
5. सरकार सांख्यनीत, संपा० 19 फरवरी 2021-न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल पाव पाल फॉर-आत्मनिर्भर भारत पी०एम० मोदी, हिन्दुस्तान टाइम्स (इन इंग्लिश), 22 जनवरी 2022
6. श्री निवास अजीम- 1 अक्टूबर 2019, गांधी एट 150: छी बिलिण्ड इन नेचुरल सेल्फ रूल।
7. सरकार सांख्यनीत- संपादन 19 फरवरी 2021, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल पख पाथ और आत्मनिर्भर भारत: पी०एम० मोदी हिन्दुस्तानी टाइम्स (इन इंग्लिश), 22 जनवरी 2022
8. गोपी कृष्णन् गीता (2002), एम०एस० स्वामीनाथन वन मैन्स क्वेस्ट फॉर ए हंगर फ्रीवर्ल्ड (पी.डी.एफ.) प्रोड्यूस्ड फॉर द यूथ एम्प्लायमेंट सम्मिट-2002, एजुकेशन डेवलपमेंट सेन्टर, पृ०-122, 128 पी०डी० से 17 मार्च 2007 को पुरालिखित।
9. Govt. needs to understand the deference between self-sufficiency and self reliance : Swaminat Aiyar- द इकोनॉमिक टाइम्स, 30 जून 2020- 30 जनवरी 2022

10. घूमे सदानन्द (1 जून 2020) द फॉल्स प्रामिस ऑफ सेल्फ-रिलायन्स: एन इनवार्ड: लर्निंग इण्डिया कुड क्वीकली साइड दुवार्डस क्लोज्ड माइन्डनेल क्रोनिज्म फ्राम-टी-01 प्रिंट एडिशन-30 जनवरी 2022
11. गवर्नमेंट नीड्स- मिश्रा उदित-17 अगस्त 2020 एक्समप्लेन स्पीकिंग ऑन इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत-एक क्रीम एण्ड नॉट-जो अफेक्शनेट हिस्ट्री-द इण्डियन एक्सप्रेस-इंग्लिश 30 जनवरी, 2022
12. शर्मा (22 सितम्बर 2020) मोदीस आत्मनिर्भर भारत हैज डाउन साइड रिस्म टू विल इण्डिया टेक प्रिलिथरलाइजेशन स्टैण्ड-अगेन द फाइनेशियल एम्प्रेस, 30 जनवरी 2020

अन्य-

- www.bharat.katitihas.com
- www.indiaspeaksdaily.com
- आत्मनिर्भर भारत लेख- Deepawali.co.in
- इण्डियन एक्सप्रेस-आत्मनिर्भर भारत अभियान
- माई वाइस-आत्मनिर्भर भारत अभियान

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी

सोनी कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड)

अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश की ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी और मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाले मोहन दास करमचन्द्र गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक परिवार में हुआ था। गांधी जी जिन्हें हम सभी राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपिता कहलाना अपनेआप में महात्मा गांधी जी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तन पर एक कपड़ा लपेटे हुए साधारण सा दिखने वाला सख्खा अगर अपनी बात से दुनिया की सोच बदलने की शक्ति रखता है तो यह कल्पना कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल है कि वह कितना दिव्य व्यक्तित्व होंगे।

राष्ट्र के रूप में हमारे देश का विकास केवल यहाँ के भू-भाग और किसी राजनैतिक सत्ता के अस्तित्व के कारण नहीं बल्कि पाँच हजार से भी अधिक पुरानी हमारी संस्कृति के कारण हुआ है। एक बड़े भूभाग में भाषा, क्षेत्रों की परम्पराओं में वैविध्यता के बावजूद हमारे सांस्कृतिक मूल्य निरंतर जीवन्त रहे हैं।

गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में इसी सांस्कृतिक जीवन्तता को अहिंसा और नैतिक जीवन मूल्यों से जोड़ा। यही उनका वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था जिसमें देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने हेतु आंदोलनों का नेतृत्व करके उन्होंने राष्ट्र को सांस्कृतिक दृष्टि से एक किया। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने अपने आंदोलनों में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित की। उनके लिए स्वाधीनता केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे देश में स्वराज की स्थापना पर उनका जोर था इसलिए स्वदेशी को अपनाने के बहाने उन्होंने राष्ट्र और उससे जुड़ी वस्तुओं, संस्कृति से प्रेम करने की राह भी सुझाई।¹

प्रस्तावना

राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूँढ़ लेते हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ भी थी जिनके जरिये राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलोदिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था।²

शब्द सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाषा, इतिहास, साहित्य, गीत, धर्म, विचारधारा, प्रतीको, भूमि या स्मारकों के रूप में साझा विरासत के आधार पर समूह निष्ठा के आंदोलनों को संदर्भित करता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी जाति या जातियता या राज्य के संस्थानों के बजाय विरासत या संस्कृति पर जोर देते हैं।³

दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के साथ गांधी ने अपने राष्ट्रवाद का बिगुल फूँका था। भारत में चम्पारण सत्याग्रह से लेकर खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी के राष्ट्रवाद का हिस्सा रहें हैं। उपवास, धरना, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार एवं अनशन आदि गांधी के राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य, सांप्रदायिक एकता एवं स्वतंत्रता उनके राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व रहे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम उनके राष्ट्रवाद का प्रमुख हिस्सा था।⁴

उनका राष्ट्रवाद समाज के सभी तबकों के साथ बिना किसी भेदभाव के सामूहिक सोच व लक्ष्य की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने जातीय ऊँच-नीच के खिलाफ हमेशा आवाज उठायी और भारत से छुआछूत मिटाने का अथक व गंभीर प्रयास किया। वे भारत को एक ऐसी सभ्यता का देश मानते थे जहाँ विभिन्न सम्प्रदाय, जाति व समुदाय के लोग आपसी समझ व सहनशीलता के साथ वर्षों से रहते आ रहे हैं। यह समुदायों का एक ऐसा समुदाय है जहाँ प्रत्येक अपने कर्म, विचार व दर्शन के लिए स्वतंत्र है पर प्रत्येक का भाग्य एक साझे संस्कृति पर आधारित है।⁵

गांधी जी के राष्ट्रवाद की खासियत सांस्कृतिक स्वराज्य रहा है। राष्ट्रीय भाषा की वकालत करना, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना, सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहित करना और स्वदेशी अपनाने पर जोर देना ये सभी इनकी पुष्टि करते हैं। यही वजह है कि छुआछूत के उन्मूलन, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन, खादी का प्रचार-प्रसार एवं महिला सशक्तीकरण जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों को उन्होंने अपने स्वराज आंदोलन में शामिल कर लिया था।⁶

गांधी जी राजनीति को दूसरे पक्ष के विरोध के बजाय उन्होंने सृजन और सहनशीलता से जोड़ा। चरखे पर सूत काटने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सत्याग्रह, सहनशीलता यह सब प्रत्यक्षतः सृजन सरोकार ही थे। आजादी के आंदोलन में देश के लोगों में परस्पर सद्भाव जगाते जन-मानस में सकारात्मक बदलाव की उन्होंने पहल की। यह एक तरह से उनके द्वारा देश में गुलामी के दौर में भी लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास करने जैसा था।⁷

राष्ट्रवाद सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक राष्ट्रवाद ऐसे राष्ट्र का निर्माण करता है जो देश में मौजूद विभिन्न धार्मिक भाषाएँ जातिगत और सम्प्रदायी भेदों को एक सूत्र में बाँधता है। वो समूची मानवता से अपने को अलग नहीं समझता है और न बाकी दुनिया के विरोध में खड़ा होता है। गांधी जी जब युवा हुए भारत अपनी पराधीनता के प्रति सजग हो रहा था। किसी दूसरे की गुलामी गांधी की प्रकृति के खिलाफ थी। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जिसने भारत को एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में बद्ध किया। गांधी मानते थे कि ब्रिटिश हुकुमत के तहत भारत भले एक राजनीतिक इकाई बना पर इससे पहले उसकी सांस्कृतिक एकता बन चुकी थी जो विरासत के रूप में चलती आती थी।

गांधी का राष्ट्रवाद भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित था। एक संस्कृति जिसने अपने साथ लाख गाँवों के स्वावलंबन को महत्व दिया था जिसकी गहरी जड़ें भारतीय जन्म व उनकी उर्जा में निहित थी। एक ऐसी विरासत जो कई हजार सालों से अवक्षिन्न और अनवरत बनी रही जिसने शरीर के श्रृंगार के बजाये आत्मा के अमरत्व पर भरोसा किया। अपने नेतृत्व के शुरूआती दौर में जिस तरह कार्यक्रम का गांधी ने प्रचार किया उससे भी भारतीय राष्ट्रवाद की जमीन तैयार करने में मदद मिली। भारत अपने गाँवों में रहता है ऐसा कहकर उन्होंने मुट्ठी भर शिक्षित और करोड़ों अशिक्षितों के बीच की विभाजक रेखा मिटा दी। इसने देश को सम्पूर्ण एकत्व का बोध दिया जो कि स्वस्थ राष्ट्रवाद का आधार था। भारत अहिंसक कार्यवाही की उनकी महान प्रयोगशाला था और वे आश्वस्त थे कि अहिंसा के साथ उन्हें जो सफलता देश में मिलेगी वह बाकी दुनिया के लिए भी संदेश का काम करेगी। सत्य और अहिंसा उनके मूल में थे और यही उनके राष्ट्रवाद के आधार भी थे। भारत उनकी व्यवहार भूमि था पर वे जानते थे कि वे सार्वभौमिक मूल्य हैं और अगर इंशानियत को बने रहना है और सौहार्द के साथ जीना है तो राष्ट्रवाद की जिस परिकल्पना में वे पले बढ़े उसे अनवरत विस्तृत करते जाना है और अन्ततः विष्व बंधुत्व में बदल देना है।^९

न्यायसंगत राजनीति का उनका मूल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा इसलिए प्रतीत होता है कि वहाँ भारतीय संस्कृति के अनुरूप विपक्षी पक्ष पर उसके अनैतिक कृत्यों के कारण, क्रोध नहीं कर उसे सहन करने की विकसित किये जाने पर जोर दिया गया। अंग्रेज देश को लम्बे समय तक गुलाम रखे जाने की कुटनीति जानते थे। इसलिए परस्पर लोगों को सम्प्रदाय, जातिवाद और मजहब के नाम पर लड़वाकर प्रायः लोगों को उग्र का अनैतिक हिंसा के लिए उकसाते थे। इसकी आड़ में वह आजादी आंदोलन के लिए लड़ने वालों का भी दमन करते हैं।

नील आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जब प्रतिबंधित किया गया तो 1917 में उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष अपनी जो बात रखी, वह आज भी मन में कौंधती है। उन्होंने कहा, कानून को मैंने तोड़ा है, इसके लिए आप मुझे सजा दे सकते हैं परन्तु मेरा अधिकार है कि मैं अपने देश में कहीं भी आ जा सकता हूँ। निडरता से अहिंसक ढंग से तर्कसंगत अपनी बात रखने का उनका यह जो तरीका था वही आजादी आंदोलन का बाद में बड़ा मंत्र बना। उनकी बातों के तर्क और अहिंसापूर्ण तरीके के आंदोलन से अंततः अंग्रेजों को चम्पारण आंदोलन में झुकना पड़ा।

चम्पारण आंदोलन ने देश को गांधी जी के जरिए वह राह दी जिसमें अलग-अलग पड़े पूरे देश का हिंसक-अहिंसक स्वरूप आजादी आंदोलन के रूप में पूरी तरह से संगठित हुआ। ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसा इसी से एक कारगर हथियार बनी। गांधी जी इस बात को जानते थे इसलिए उन्होंने राज्य की हिंसा का मुकाबला भारतीय संस्कृति में चली आ रही अहिंसा की परंपरा से करने का नैतिक साहस देश की जनता को दिया। अहिंसा का उनका हथियार ऐसा था जिसमें राज्य के दमन के सारे तर्क विफल हो जाते हैं।^{१०}

गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के साथ-साथ छुआछूत उन्मूलन, हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा और खादी को बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और परम्परागत चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर कार्य करना निरंतर जारी रखा। सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था। कि सत्य की सदा विजय होती है और सही रास्ता सत्य का रास्ता ही है। आज मानवता की मुक्ति सत्य का रास्ता अपनाने से ही है। गांधी जी सत्य को ईश्वर का पर्याय मानते थे। गांधी जी का मत था कि सत्य सदैव विजयी होता है।

गांधी जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है।

निष्कर्ष

भारत में राष्ट्र की जो संकल्पना है उसमें एकत्वदृष्टि है, वह टकराव को कभी जन्म नहीं देती है। भारत का राष्ट्र चिंतन भारत के सांस्कृतिक चिंतन के अनुरूप रहा है। भारत के सांस्कृतिक चिंतन में जो “एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति” की भावना रही है जिसका यह प्रभाव रहा कि यहाँ आक्रमणप्रधान पाश्चात्य राष्ट्रचिंतन के विपरीत समन्वय एवं सौहार्द का प्रसार किया गया है।¹¹

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गांधी जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक ऐसा धागा या जो देश को आजादी दिलाने में, देश को भाईचारे व बंधुत्व के साथ बांधकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अभी तक उनका यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे देश को एक अलग पहचान बनाने, सबमें अपने आप को आगे रखने में हमारी सहायता करता है।

गांधी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ‘समायोजन’ पर आधारित था, जिसमें भारत के विभिन्न समुदायों का राष्ट्रीय समरसता कायम करना शामिल था।¹² उनकी राष्ट्रवादी अवधारणा में न केवल धार्मिक समूह बल्कि जातियाँ और प्रजातियाँ भी शामिल थीं।

इस पर रविन्द्र कुमार ने टिप्पणी की है कि चूंकी गांधी के मानस में भारत की वास्तविक तस्वीर वर्गों, जातियों, समुदायों तथा धार्मिक समूह के एक स्वच्छंद घनीभूत के रूप में थी, जो वे इस उपमहाद्वीप के जनमानस में राष्ट्रीय भावना भरने में जितना समर्थ थे उतना इनके पूर्व न कोई था और न बाद में हुआ।

ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के अपने कार्यक्रम में वे सभी जातियों, वर्गों, समुदायों, धर्मांतरितों को एक मंच पर लाये तथा अपने साझे राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित कर लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रेरित किया।

यह काम उन्होंने सारे समूहों को साथ लेकर किया। साथ ही उनका प्रयास था कि विभिन्न मत भिन्नताओं और विभिन्न विचारों वालों को भी जागृत कर एक मंच पर लाया जाये।

गांधी का राष्ट्रवाद धर्म से प्रेरित होने के बावजूद पंथनिरपेक्ष प्रकृति वाला था। यद्यपि गांधी की नजरों में भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, पंथों तथा जातियों का देश था। फिर भी जब कभी भी संश्लेषण विश्लेषण व पारस्परिक अस्तित्व की बात आयी तो अनजाने ही वे हिंदुत्व की तरफ झुके नजर आये।

गांधी द्वारा बार - बार धर्म की बात करने से उनके विचारों में थोड़ी अस्पष्टता और उलझन दिखाई देती है। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था, वे धर्म में मिले तमाम रूढ़ियों, रिवाजों और अंधविश्वासों को तोड़ना चाहते थे।

वे धर्म को व्यक्तिगत मानते थे जहां लोग अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों की शुद्धता पर ध्यान देता तो। इसी प्रकार राष्ट्र के संदर्भ में भी उनकी प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्ष थी। गांधी के धार्मिक विचारों के संदर्भ में विद्वानों ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये।

एम.एन. राय प्रारंभ में गांधी द्वारा 'राजनीतिक व धर्म के घालमेल' के कट्टर आलोचक थे लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि गांधी के धार्मिक विचारों की जड़ नैतिक, मानवतावादी तथा वैश्विक थी तथा उनमें किसी व्यक्ति, पंथ, धर्म, समाज, या राष्ट्र के पश्चात् उनके मन में लेशमात्र भी दुराग्रह नहीं था।

गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखे जाने के समय यह बात बहस का मुद्दा थी कि भारत की राष्ट्र के रूप में स्थापना धार्मिक आधार पर संभव है या नहीं। इस किताब में उन्होंने राष्ट्र शब्द के लिए प्रजा शब्द का इस्तेमाल किया। उनका विश्वास था कि प्रजा नीमक शब्द से भारत में एक साझे संस्कृति का निर्माण होगा।

उन्होंने हिंद स्वराज में 'प्रजा' पर आधारित उदार राष्ट्रवाद को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया और धर्म को धर्मांधता की बुराई से मुक्त कराने और प्रेम तथा आध्यात्म पर आधारित धर्म पर जोर दिया तथा उन्होंने बताया कि प्रेम तथा आध्यात्म धर्म की रास्ता सुगम व आसान होता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि सभी संगठित धर्म की अपनी वाधता होती है।

इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को एक - दूसरे के प्रति सहनशीलता व सम्मान अपनाना चाहिए। यद्यपि गांधी का झुकाव हिंदुत्व के प्रति था, पर उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। इसमें की शक नहीं कि गांधी धर्म - निरपेक्ष तथा धार्मिक आदर्शों के प्रति समर्पित ही नहीं बल्कि इसको अपनाने में अग्रदूत की भूमिका निभाई।

वे साम्प्रदायिक मतभेदों को आपसी मेल - जोल के साथ हल करना चाहते थे, जिसमें समुदायों की भागीदारी अनिवार्य थी। वे एक ऐसे राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहते थे जिसकी बुनियाद सद्भावना, सहअस्तित्व तथा समन्वय पर आधारित थी न कि समावेशीकरण, सम्मिश्रण तथा संयोजन पर।

कुछ विद्वानों का मत यहां तक है कि अंतिम दिनों में उनका धार्मिक बहुलतावाद की सीमा 'बहुल' हिंदुत्व से आगे जाकर बहुधर्मी तानों - बानों में गुंथ गई थी तथा उनके धार्मिक विचारों व दर्शन का स्वरूप पूर्णतः वैश्विक हो गया था।¹²

संदर्भ-सूची

1. <https://www.google.com/url?sa=+andsource=web&url=https://www.amar-ujala.com/amp/columns/blog/mahatma-gandhi-death-anniversarygandhi-non-violence-path-linkedtoculture>.
2. Ncert इववा अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद पेज नं.
3. राष्ट्रवाद और जातीयता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
<https://www-encyclopedia-com.translate.google/socialscience>
4. आज भी प्रासंगिक है गांधी जी का राष्ट्रवाद
www.opennaukri.com/character-of-gandhian-nationalism/amp/&ved=zahUKEwjape
5. गांधी जी का राष्ट्रवाद
<https://www.informise.com/gandhi-ji-andantionalism-in-hindi>
6. आज भी प्रासंगिक है गांधी जी का राष्ट्रवाद
www.opennaukri.com/character-of-gandhian-nationalism/amp/&ved=zahUKEwjape
7. महात्मा गांधी पुण्यतिथि विशेष: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा गांधी का अहिंसा मार्ग
www.amarujala.com/amp/colums/blog/mahatma-gandhi-death-anniversay-gandhi-non-violence-path-linked-to-cultural-nationalism&ved
8. गांधी दर्शन गांधी का राष्ट्रवाद-नारायण भाई देसाई। youtube
9. महात्मा गांधी पुण्यतिथि विशेष : सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा गांधी का अहिंसा मार्ग, <http://www.amarujala.com/ columns/blog/mahatma gandhi- death anniversary-gandhi non-vigence-pathy?>
10. <https://www.drishitias.com>, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता
11. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समसामयिक वातावरण
<https://www.srfindia.org/2020/05/17>
12. <https://www.informise.com/ganshi-ji-and-nationalism-in-hindi/>

स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

धर्मेन्द्र कुमार पाटनवार

सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपटनम, जिला- बीजापुर छत्तीसगढ़, पिन - 494446

जगदीश पाटनवार

सहायक प्राध्यापक हिन्दी, लाल बहादुर शास्त्री आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बलौदा, जांजगीर- चांपा

स्वरोजगार किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की सम्पन्नता एवं प्रगति का भी आधार है स्वरोजगार। आर्थिक विकास की व्यापक प्रक्रिया का ऐसा कारक है जिसके फलस्वरूप उत्पादन के संसाधनों का उचित विदोहन एवं जनजीवन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। स्वरोजगार के माध्यम से देश के सम्पूर्ण आर्थिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। देश के आर्थिक प्रगति में उद्यमी प्रवृत्तियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप ही देश में नए उद्योग, रोजगार एवं आय का निर्माण संभव है।

वर्तमान के प्रतिस्पर्धात्मक युग में आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी स्वरोजगार आधारित क्षेत्रों में जुड़कर आर्थिक स्थायित्व आद्योगिक विकास और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं यदि महिलाएं उद्यमिता एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करें तो स्वावलंबी बनेंगी तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सामाजिक व आर्थिक प्रगति में बराबर सहभागिता प्रदान करेंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ने भी विकास की राह पर बढ़ने हेतु स्वरोजगार को अपना प्रमुख कारण माना है यदि महिलाएं उद्यमिता एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो अपना रोजगार स्थापित कर स्वावलम्बी बनेंगे तथा अपना एवं अपने घर का विकास कर सामाजिक व आर्थिक प्रगति में बराबर सहभागिता प्रदान करेंगी। विगत कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं में स्वरोजगार संबंधी जागरूकता बढ़ी है और जिसके परिणाम स्वरूप अधिकाधिक महिलाओं ने शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं का लाभ उठाते हुये स्वरोजगार प्रारम्भ किए हैं। महिलाओं का अपना पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुये स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन के महिला स्वरोजगार आधारित योजनाओं में विशिष्ट विकास निधि, अनुदान, सूक्ष्म वित्त, आसान शर्तों पर साख सुविधा, प्रशिक्षण एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से महिलाओं के लिए आपार रोजगार के अवसरों का सृजन किया है ताकि महिलाएं स्थापित कर, सशक्त बनकर स्वयं से संबन्धित निर्णय लेने में स्वतंत्र होकर सफलता प्राप्त कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला स्वरोजगार में वृद्धि हेतु शासन द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए ताकि महिलाओं को अपने घर के चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वरोजगार के माध्यम से ऐसा मंच प्राप्त हो सके जिसमें उनमें स्वविवेक से निर्णय लेने एवं अपनी महत्वकांक्षा अनुरूप आय अर्जन कर अपने एवं राष्ट्र के उद्यमिता विकास में सहभागिता बन सके। इस तरह महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मंच प्रदान करने से देश में महिलाओं का सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास दोनों संभव होगा।

अभी तक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी एवं कृषि कार्यों में ही संलग्न रही तथा शहरी क्षेत्रों में सिलाई - कढ़ाई, ब्यूटि पार्लर, आचार-पापड़ आदि परंपरागत कार्य करती थी किन्तु वर्तमान परिदृश्य में महिला स्वरोजगार में संलग्न, महिला उद्यमियों की जानकारी, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त कर वर्तमान परिदृश्य में शासन की इन स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ उठाते हुये महिलाएँ लघु-कुटीर एवं मध्यम आकार के उद्योगों, नवीन तकनीकी पर आधारित निगमी क्षेत्रों में प्रवेश कर शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर प्रगति को दर्शा रही है।

महिला स्वरोजगार के संबंध में मेरी परिकल्पनाएं हैं -

1. अंचल में उद्यमिता विकास से महिलाओं का विकास व सशक्तिकरण आवश्यक है।
2. आज महिला उच्च शिक्षित होने के कारण महत्वकांक्षी है और स्वयं को सशक्त बनाने स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं।
3. पूर्व के अपेक्षा में आज महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है।
4. शिक्षित महिलाओं से प्रेरणा लेकर अब अशिक्षित महिलाएं भी आत्मनिर्भर हेतु स्वरोजगार से जुड़ रही हैं।
5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं से अनेक महिलाएँ स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अग्रसर हो रही हैं।

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला स्वरोजगार विकास कार्यक्रमों से महिला उद्यमियों को संपत्ति सृजन करने में, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा वृद्धि में सहायता मिली।
- परिवार में आर्थिक सहयोग के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती ये महिलाएँ आज राज्य सरकार के स्वरोजगार विकास कार्यक्रम की सफलता एवं प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं।
- शासन की योजनाओं को और सशक्त एवं प्रभावी बना कर आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का एक कारगर साधन बनाया जा सकता है।
- शासन की स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं ने महिलाओं में उद्यमी गतिविधियों का विकास किया।

महिला स्वरोजगार योजनाएँ— देश के विकास एवं महिला स्वरोजगार का गहरा संबंध है इसके महत्ता को सर्वोपरि समझते हुये सरकारों द्वारा महिला स्वरोजगार के विकास हेतु पिछले कुछ समय से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे निश्चित ही महिला स्वरोजगार में भागीदारी बढ़ी एवं महिला आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई है। सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए समय-समय पर नीतियों का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ में विकास, रोजगार संवर्धन व विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रकार के स्वरोजगार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमे कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं -

- छत्तीसगढ़ महिला कोष - महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी गतिविधियों को गति देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने, महिला स्वसहायता समूह के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत 2 फरवरी 2002 को छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया।
छत्तीसगढ़ महिला कोष में महिला उद्यमियों के स्वरोजगार को गति प्रदान कर महिला उद्यमियों को ऋण, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराता है।
- महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण योजना - प्रदेश के महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुये उनके सशक्तिकरण हेतु उन्हें समूह के रूप में संगठित करना ताकि वे समूह में स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनें एवं उनके लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता पूरा करने छत्तीसगढ़ महिला कोष की ओर से स्वयं सहायता समूह एवं उनके सदस्य के लिए ऋण योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं-
 1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्वसहायता समूहों को स्वरोजगार हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराना।
 2. महिला स्वसहायता समूहों को व्यवसायिक गतिविधियों से अवगत कराना तथा बैंकिंग, सहकारी संस्थाएं, अन्य ऋण संस्थाओं एवं विभागों में समन्वय बनाने हेतु, उन्हें विभागों से सहायता प्राप्त करने हेतु उन लोगों को प्रेरित करना तथा विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने स्वरोजगार के विकास हेतु उन्हें प्रेरित करना।

योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए पात्रता -

- योजना अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह ऋण के लिए पात्र होंगे।
- इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के महिला, विधवा, परित्यक्ता, सुखद सहारा योजना के लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराकर सहायता पहुंचाया जाया जाए।
- ऋण आवेदन हेतु स्व सहायता समूह अपने गठन के एक वर्ष बाद पात्र माने जायेंगे।
- स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की अदायगी के एक माह पश्चात पुनः महिला कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र माने जायेंगे।
- महिला स्वयं सहायता समूहों की शिक्षा, पर्यावरण स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्रियाओं में भागीदारी के आधार पर ऋण स्वीकृत होंगी।

इस तरह स्वयं सहायता समूहों के गठन से ग्रामीण घरेलू महिलाएँ घर के चार दिवारी से बाहर निकलकर आज विभिन्न छोटे मोटे उद्योग स्थापित कर अपने आस-पास के दैनिक जरूरत के अनुसार आंचार, पापड़, बड़ी, मूरब्बा, चाक, धूप, अगरबत्ती आदि विभिन्न प्रकार के समान बनाकर आपूर्ति कर रहे हैं, इससे न केवल वे अपने खाली समय का सदुपयोग बल्कि आय भी अर्जित कर रही हैं। जब महिला आय अर्जित करती है तो अपने आय को अपने घर के विकास, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं बचत कर भविष्य के जरूरत को पूरा करने में लगाती है। इस तरह महिलाएँ आज प्रगति के सोपान पर आगे बढ़ चुकी हैं। अनेक स्वसहायता समूह आंगनबाड़ी में प्रदान की जाने वाली पूरक पोषण आहार का निर्माण एवं वितरण भी कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी, प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में संचालित मध्यान भोजन का संचालन भी कर रही हैं, इस तरह रोजगार के साथ बच्चों के सुपोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह आज महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर विभिन्न रोजगार परक कार्य कर अतिरिक्त लाभ अर्जित कर स्वयं, अपने परिवार, समाज, देश के विकास में योगदान दे रही हैं।

गोधन न्याय योजना - छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सुराजी गाँव योजना के अंतर्गत नरवा, गरुवा घुरवा, व बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में गौठान स्थापित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा गौठान की गतिविधियों में विस्तारण करते हुए गौठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहीत गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने हेतु गोधन न्याय योजना का प्रारम्भ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व हरेली दिनांक 20 जुलाई 2020 से किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर, गौ पालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन, जैविक खाद की उपलब्धता, स्वसहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत गौठान का संचालन महिला स्वसहायता समूहों को दिया गया है। समूह गौ पालकों से दो रुपये प्रति किलो के दर से गोबर क्रय करते हैं, फिर क्रय किए गए गोबर से वैज्ञानिक विधि द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए समूह के सदस्यों का दो चक्रों में कृषि विज्ञान केंद्र एवं राष्ट्रीय

ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। समूहों द्वारा क्रय किए गए गोबर को गौठन में स्थित CPT में रखकर वर्मी कम्पोस्ट बनाया जाता है। इस तरह निर्मित वर्मी कम्पोस्ट को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार के साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समूहों द्वारा गौठन में सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, गोबर की रंग-विरंगे दीये बनाकर विक्रय करके अतिरिक्त लाभ अर्जित करते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को रोजगार के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्षम बनने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से 28 किलोमीटर दूर चिरमी गाँव में गौठन के पास ही वर्क-शेड का निर्माण कराया गया, इसके लिए शासन द्वारा अनुदान एवं ऋण प्राप्त हुआ। शेड बन जाने के बाद गंगा माई स्वसहायता समूह की महिलाएं फेसिंग पोल बनाकर आस-पास के गाँवों में आपूर्ति कर रही हैं। इस तरह इन महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ एवं ये समूह आर्थिक स्ववलम्बन की उड़ान भर रही हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते कई कारोबार प्रभावित हुए लघु उद्योगों पर इसका खासा असर पड़ा, कई यूनितें तो बंदी के कगार पर पहुँच गईं, सभी इस माहमारी में खुद को बचाने में लगे थे। इन्हीं में से एक वर्ग ऐसा था, जो महामारी से बचते हुये स्वरोजगार के साधन तलाश रहे थे। अलीगढ़ उत्तरप्रदेश से राजकीय फल संरक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त सुमन चौधरी ने महिला समूह बनाकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय लिया। लॉकडाउन के दौर में समूह में शामिल दस महिलाओं के साथ आचार बनाकर सुमन ने घर-घर पहुँचाया, मांग और आमदनी बढ़ने लगे तो पूरा ध्यान इस पर केन्द्रित कर दिया अब वह ओर्गेनिक आचार बना रही है जिसमें मसाला एवं तेल घर का ही बना उपयोग करते हैं, जिससे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बना रहता है।

इस तरह स्वरोजगार के विभिन्न माध्यम के साथ साथ महिलाएं आज शासकीय सेवा, राजनीति, समाजसेवा, खेल, विज्ञान, अन्तरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रही हैं। आज के समय में महिला ऑटो रिक्शा, ट्रक चलाकर भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। वे दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहती इसलिए हर क्षेत्र में आगे आकर स्वालम्बन को अपना रही हैं तथा अपना घर, परिवार, प्रदेश एवं देश के विकास में बराबर की सहभागिता निभा रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ-

- 1 छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन (अदिति पब्लिकेशन रायपुर छत्तीसगढ़)- डॉ. पदमा सोमनाथे।
- 2 छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क (छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा आकल्पित एवं मुद्रित)- छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना मार्गदर्शिका जुलाई 2020।
- 3 नई दुनिया दैनिक पत्रिका रायपुर छत्तीसगढ़ 2 जनवरी 2021।
- 4 जागरण पत्रिका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 15 जुलाई 2021

महिला सशक्तिकरण: एक ऐतिहासिक अवलोकन

डॉ० श्वेता भारती

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, ए०बी०एम० कॉलेज, जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखण्ड

सारांश:- महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का एक ज्वलंत मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा तथा आर्थिक तरक्की के अवसर मिल सकें। समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता तथा बेहतर नियंत्रण के लिये प्रयास द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिये समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो महिला एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त सक्रिय भागेदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण एवं पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाये तथा उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास का सहभागी माना जाये।

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिये हमें सभी कालखंडों में उनके वैभव तथा समाज के विन्यास को समझना होगा जिस तरह से समाज में उतार चढ़ाव हुये हैं। उसी तरह से नारी के प्रति नजरिये में परिवर्तन आया है। सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप भारतीय नारी पर दिखाई देती है। इतिहास के कालखण्ड कहीं उनकी वैभवगाथा से भरे हैं तो कहीं उनकी पहचान पददलित अबला नारी के रूप में हुयी है भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझने के लिये हमें इतिहास के विभिन्न कालखंडों को समझना होगा। महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक अवलोकन करने हेतु हम इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं।

1. प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण
2. मध्यकाल में महिला सशक्तिकरण
3. आधुनिककाल में महिला सशक्तिकरण

मुख्य शब्द:- सशक्तिकरण, ऐतिहासिक, आन्दोलन, वैदिक।

प्रस्तावना:- अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के निर्णय के लिये महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुये अपने विचार, अधिकार, स्वतंत्रता तथा निर्णय लेते हुये अपने आपको परिपक्व बनाना, महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है किसी भी काल में, कोई भी समाज या देश तभी सशक्त बन सकता है जब वहाँ की महिलायें सशक्त हो महिला की प्रगति पूरे घर, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है।¹

विषय विश्लेषण: भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता सिन्धु सभ्यता मानी जाती है। उत्खनन से प्राप्त नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा, विभिन्न मुहरों पर उत्कीर्ण नारी चित्र तथा एक मुहर पर नारी गर्भ से वनस्पति का जन्म होते हुये दिखना। यह प्रदर्शित करता है कि इस काल में महिलाओं को पूजनीय माना जाता था। सैधव सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में मातृदेवी के चित्र समाज में उनके स्थान को निर्धारित करते हैं। सिन्धु सभ्यता में नारी को उर्वरा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था।²

ऐतिहासिक युग अर्थात् ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक सामाजिक संगठन होने पर भी समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी। बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में उसके स्त्री, कन्या तथा माता के रूप में निरन्तर सम्मान दिया जाता था।³ महिलाओं के लिये गृहस्वामिनी तथा सहधर्मिणी जैसे शब्द उसकी पारिवारिक गरिमा एवं महत्व के परिचायक माने जाते हैं। कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। महिलायें सभाओं में भाग लेती थी।⁴ अनेक स्त्रियाँ रणभूमि में अपने पतियों की सहायता करती थी समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था पुत्र के समान पुत्री को भी उपनयन शिक्षा तथा यज्ञादि का अधिकार प्राप्त था ऋग्वेद में पत्नी के लिये 'जायदेस्तम' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य होता है पत्नी ही गृह है।⁵

वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं में अपाला, घोषा, विश्ववारा लोपामुद्रा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में हमें अनेक देवियों का उल्लेख मिलता है जिसमें अदिति, उषा, सरस्वती श्रद्धा तथा इडा के नाम महत्वपूर्ण हैं।⁶

उत्तर वैदिककाल में पूर्व काल की अपेक्षा उनकी स्थिति में गिरावट आनी प्रारंभ हो गयी। कन्याओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया जिसके कारण उनकी शिक्षा अवरूद्ध हो गयी। इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना की गयी थी। यह वह कालखंड था जब समाज में बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, देवदासी भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियाँ व्याप्त हो गयी। इस काल में महिलाओं का दायित्व गृह कार्य करने तथा सीमित रह गया था और पुरुष घर से बाहर व्यापार तथा अन्य उद्यम करते थे। धर्मशास्त्रों में विधवाओं को समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया या था। इसी कालखण्ड के दौरान पैतृक सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकारों में भी कटौती होने लगी। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्याओं के जन्म की निंदा की गयी है तथा उनके जन्म को

चिन्ता का कारण बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है।⁷ इस काल में स्त्रियों के लिये संगीत नृत्य तथा गायन को महत्वपूर्ण माना गया, हालांकि वह अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। इस काल में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का परम विदुषी महिला के रूप में वर्णन है।⁸ उपनिषद् काल में कात्यायनी, मैत्रेयी तथा गार्गी जैसी महिलाओं के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया।⁹ जैन काल में महावीर स्वामी की माता त्रिशला उनकी पत्नी यशोदा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें मिलता है। महावीर स्वामी के साथ तार्किक वाद-विवाद करने वाली जयन्ती, ज्ञान और दर्शन में पारंगत इस युग की प्रमुख विदुषी महिला थी। इनके अतिरिक्त कामा प्रभावती, पुष्पचूला, शिवा, पद्मावती, देवनंदा, ब्राह्मी और सुन्दरी आदि जैन युग की प्रमुख विदुषी महिलाएँ थीं जिन्होंने इस सुधारवादी धर्म के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।¹⁰ जैन ग्रंथों में वर्णित चन्दना, जो वाद में जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी थी, अत्यधिक महत्वपूर्ण महिला थी, कालांतर में मृगवती ने भी चन्दन वाला से शिक्षा ग्रहण करके उसका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था।

जैन महिलाओं ने अपनी उदारता का परिचय देते हुये कई बाग लगवाये तथा स्तूप भी बनवाये जो उनकी धर्म के प्रति गहन आस्था के द्योतक थे। जैन कला उच्च कोटि की थी। उड़ीसा की हाथी गुम्फा मंदिर व मूर्तियाँ तथा मैसूर की बाहुबली की मूर्ति, कला की श्रेष्ठता का सजीव उदाहरण हैं जैन धर्म की अनुयायी महिलाओं ने अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का अथक प्रयास किया। जैन परिवारों में कन्या का जन्म शुभ माना जाता था। प्रसिद्ध विद्वान हीरा लाल जैन ने अपनी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान' में वर्णन किया है कि कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार दिया जाता था। 'धर्मायुत सागर' से जानकारी प्राप्त होती है कि जैन युग में स्वयंकर प्रथा का भी प्रचलन था। पत्नी को समान अधिकार प्राप्त थे वे पवित्र स्थलों पर यात्रा करने को स्वतंत्र थी पर्या प्रथा का प्रचलन नहीं था।¹¹

इस काल में राजा शतनीक की पत्नी वासवदत्ता ने शिक्षा और कला को प्रोत्साहन दिया था। दशरथ की पत्नी सुप्रभा, प्रसेनजीत की पत्नी मल्लिका आदि कई महिलाएँ राजनीति में निपुण थीं। खारवेल राजा की पत्नी ने कुछ गुहा मंदिरों का निर्माण कराया था। रानी लक्ष्मीमती और कुछ चौहान तथा चन्देल रानियों ने भी जिनालय बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, नर्तकियों को भी जैन धर्म में सम्मान दिया जाता था। चम्पा तथा बोधा जैसी कुछ नर्तकियों ने नृत्य गायन को त्याग जैन धर्म अपना लिया था।

महिला जीवन में स्वतंत्रता का प्रारंभ जैन धर्म में दृष्टिगोचर होता है वे स्वतंत्र व स्वेच्छापूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। वे शिक्षिका, कवियत्री और साध्वी के रूप में ख्याति प्राप्त करती थी। कुछ प्रसिद्ध कवियत्रियों में चन्द्रावती विमलामती, रत्नामती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अतः स्पष्ट है कि जैन धर्म एवं रूढ़िधर्मों में जकड़ी महिलाओं को मुक्ति प्रदान की।¹²

बौद्ध साहित्य में हमें सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी का उल्लेख मिलता है, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार तथा एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। बौद्धकाल की कुछ महिलाओं ने थेरीगाथा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी।¹³

बौद्ध काल में प्राप्त विभिन्न ग्रंथों से यह पता चलता है कि समाज में स्त्रियों को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं था। स्त्री के अस्तित्व को समाज में आदर्श माना जाता था। महात्मा बुद्ध पहले स्त्रियों के संघ प्रवेश के पक्ष में नहीं थे उन्होंने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर बाद में स्त्रियों को संघ प्रवेश की आज्ञा दी।¹⁴ बौद्ध काल में वेश्याओं को भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, दास प्रथा का भी प्रचलन था, अनेक घरों में दासियों के होने का उल्लेख मिलता है, महिलाओं ने अध्यापिकाओं के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी वे ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करके ज्ञान प्राप्त करती थी।¹⁵ खेमा उस युग की बहुत विद्वान महिला थी जिसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुयी थी।¹⁶

मौर्य काल तक आते-आते महिलाओं की स्थिति में पतन का प्रारंभ हो चुका था। निःसंदेह इस युग में भी महिलाएँ वैदिक काल के समान शिक्षा प्राप्त करती थी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों एवं अनुष्ठानों में भाग लेती थी गुप्तचर एवं सम्राट के अंगरक्षक के रूप में उन्हें शासकीय सेवा में रखा जाता था परन्तु वे स्वतंत्र नहीं थी उन पर कई प्रकार के अंकुश लगे हुये थे।¹⁷ इस युग में वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है उन्हें गणिका अथवा सयाजीवा कहा जाता था। राज्य वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं से कर वसूल करता था। इस काल की उल्लेखनीय महिलाओं में सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी व पुत्री संघमित्रा एवं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य की पत्नी यशोमती थी।¹⁸

गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था इस काल में महिलाओं का प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया गया था तथा उनके जन्म को दुर्भाग्य का कारण नहीं माना जाता था यद्यपि पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था कालिदास की रचना कुमार संभव में कन्या को कुल का प्राण कहा गया है स्त्री का पद माता एवं पत्नी के रूप में ऊँचा था तथा उसे स्त्री रत्न एवं उसके वीरप्रसविनी नाम से संबोधित किया जाता था, सती प्रथा का प्रचलन था परन्तु उसे समाज में अधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी।¹⁹ सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमको इसी कालखंड में प्राप्त होता है नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है। गुप्त काल में विवाह की आयु कम हो गयी तथा कन्याओं का विवाह 13 से 14 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाने लगा। इस बाल विवाह का मूल कारण दूसरी शताब्दी ईसा के पूर्व के पश्चात भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण को माना जाता था। बाल-विवाह होने के कारण महिलाओं की शिक्षा प्रभावित होने लगी। याज्ञवल्क्य स्मृति कन्या के लिये उपनयन संस्कार तथा वेदाध्ययन का पूरी तरह निषेध करती है अशिक्षित होने के कारण वह पूरी तरह से पुरुष वर्ग पर निर्भर हो गयी। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। पुराणों एवं कालिदास के ग्रंथ मेघदूत से इसकी पुष्टि होती है। वास्यायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र में गणिकाओं का उल्लेख किया है वह पुत्र जन्म के समय तथा अन्य अवसरों पर नृत्य करने के लिये नगर में भ्रमण करती थी। वसंत सेना नामक गणिका के द्वारा अपना व्यवसाय छोड़कर विवाह करने का उल्लेख मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि गणिकाएँ पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकती थी कालिदास ने उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में नृत्यगान करने वाली देवदासियों का विवरण दिया है।²⁰

गुप्तकाल में पर्या प्रथा का सामान्य प्रचलन नहीं मिलता तथा महिलाएँ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती थी, परन्तु गुप्तकाल में ही पहली बार घूँघट शब्द का प्रचलन मिलता है। संभवतः कुलीन वर्ग की महिलाएँ घर से बाहर जाते हुये अपना मुँह ढँककर चलती थी।²¹

सातवाहन काल के शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी माता के नाम का प्रयोग करके स्त्रियों के सम्मान को प्रदर्शित किया है यद्यपि उत्तराधिकार के रूप में पुरुष का ही चयन होता रहा था। इस काल में शातकर्ण प्रथम की पत्नी नागानिका तथा गौतमी शातकर्ण की माता गौतमी वलक्षी ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कालखंड में स्त्रियों के द्वारा बड़ी मात्रा में दान दिये जाने का उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में प्राप्त होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे। इस काल से प्राप्त अनेक मूर्तियों में महिलाओं को अपने पतियों के साथ बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुये सभाओं में भाग लेते हुये तथा अतिथियों का सत्कार करते हुये देखते हैं।²²

हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के मध्य के काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है इस काल में स्त्रियों के अधिकारों एवं उनकी स्थिति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं विदेशी आक्रमणों की प्रचुरता ने सामाजिक व्यवस्था को अत्यन्त कठोर बना दिया। इस काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पतन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं इस काल के साहित्य में महिलाओं को एक भोग्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है।²³

सातवीं शताब्दी के मध्य से बारहवीं शताब्दी के अंत तक के युग को राजपूत युग की संज्ञा दी गयी है इस काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफी गिरावट आयी हालांकि राजपूत स्त्रियों को स्वतंत्रतापूर्वक स्वयंवर करने का अधिकार था राजपूत काल में मुसलमानों के अत्याचारों के कारण नारी की सुरक्षा को लेकर उनको घर में बंद रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इस काल में महिलाओं के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा हेतु 'जौहर' प्रथा के प्रमाण मिलते हैं कुलीन वर्ग में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा में बढ़ोत्तरी हुयी। कुछ कबीलो ने तो लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। लड़कियों को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिये उनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाने लगा विधवाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा उनके सिर के बाल काट दिये जाते थे। बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा का पतन होता जा रहा था। राजपूतकाल में धीरे-धीरे महिलाओं को क्षुद्रों के समान समझा जाने लगा था। महिलाओं को जो आदर एवं सम्मान प्राचीनकाल में प्राप्त था वह राजपूतकाल में कम होता जा रहा था। इस प्रकार मध्ययुग में नारी घर की चाहरदिवारी तक ही सीमित हो गयी।²⁴

आधुनिक युग का आरंभ 19 वीं शताब्दी से माना जाता है 1857 की क्रांति के भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन किये तथा इस युग में अनेक समाज सुधारक हुये जिन्होंने सदियों से उपेक्षित और प्रताडित नारी की समस्याओं को वाणी देने का महान कार्य किया। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया जिससे महिलायें जागरूक हुयी और अपने अधिकारों को समझने लगी। 1900 ई० में महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और तदन्तर वे राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी। इसके साथ ही अखिल भारतीय महिला परिषद के प्रयासों से शिक्षा का प्रचार-प्रसार पर्व निषेध दहेज प्रथा का विरोध आदि कार्यक्रमों को जारी रखा।²⁵

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये चलाये गये आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया वह जागरूक होने लगी और अपने अधिकारों के लिये लड़ने लगी। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी आदि महान सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और अपना ध्यान केन्द्रित किया एक तरफ सती प्रथा का उन्मूलन बाल विवाह पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति आदि कानून बनाकर महिलाओं को सामाजिक अन्याय से राहत प्रदान की गयी वहीं दूसरी ओर उनकी शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार देने, बाल विवाह समाप्त करने एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करने के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किये।

ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि संस्थाओं ने नारी के उद्धार हेतु अनेक प्रयास किये रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी आदि का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयास से अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया।

शिक्षा के प्रसार और सामाजिक कुरीतियों के कम होने पर नारी में नवीन चेतना का संचार हुआ भारत को स्वतंत्र कराने के लिये नारी भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने गांधी जी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिये प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप पहली बार महिलाएँ घर की चाहरदिवारी से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भागेदारी निभाने लगी।²⁶

ब्रिटिशकालीन प्रमुख क्रांतिकारियों महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई, उषा मेहता, सावित्री बाई फूले, बेगम हजरत महल नायडू, कमला नेहरू, अरूणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुहासिनी गांगुली प्रीतिलता वाडेडार, वीणा दास, रानी चैनम्मा, कनकलता वरूआ, मांतंगिनी हाजरा आदि हैं। इन सबके अतिरिक्त असंख्य महिलायें हैं जिन्होंने अपने अधिकारों को पहचाना तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नयी गति देने के साथ महिलाओं के स्वतः विकास के लिये उन्हें प्रेरित किया।

स्वतंत्रता के पश्चात बदली हुयी सामाजिक स्थितियों में स्त्रियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुयी सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से होने वाले उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है नारी समाज की अपेक्षित मुक्ति उनका घरों की चाहरदिवारियों से निकलकर बाहरी दुनियाँ की गतिविधियों में शामिल होना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये अनेक कानून बनाये गये ऐसे अधिनियमों में हिन्दु विवाह अधिनियमों 1955, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिन्दू नावालिग और संरक्षता अधिनियम 1956, दहेज विरोधक अधिनियम आदि प्रमुख हैं।

निष्कर्षः अतः भारत के इतिहास का विश्लेषण करने से हमारे समक्ष यह तथ्य सामने आता है कि भारतीय महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही थी प्रारंभिक दौर में महिलायें पूर्ण सशक्त थी पूर्व मध्य काल तक आते-आते उनकी स्थिति में गिरावट होने लगी थी और उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा गया, महिला सशक्तिकरण के अधिकार समाप्त हो गये इस कालखण्ड में लिखित साहित्य तथा खजुराहो से प्राप्त मूर्तियाँ उनकी इस स्थिति का द्योतक हैं। मध्यकाल में उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गयी परन्तु आधुनिक काल में ब्रिटिश कालीन भारत से उनकी स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं

ने शैक्षणिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये आयाम तय किये हैं आजादी के पूर्व एवं बाद के कालखंडों में महिलाओं के लिये कानून बनाये गये हैं आज की महिलायें आत्मनिर्भर बनकर न केवल स्वयं को सशक्त कर रही हैं बल्कि परिवार समाज एवं पूरे राष्ट्र को सशक्त एवं समुन्नत बना रही हैं।

संदर्भ सूची

1. डा0 मंजू शुक्ला, महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण, भारत प्रकाशन, लखनऊ, 2011, पृष्ठ -8
2. डा0 के0एल0 खुर्ना एवं डा0 एस0एस0 चौहान, भारतीय इतिहास में महिलाये, लक्ष्मी नारायण, अग्रवाल, आगरा 2014-15, पृष्ठ -12
3. वही पृष्ठ -13
4. वही पृष्ठ- 14
5. सत्यकेतु विद्यालंकार, मार्य समाज का इतिहास, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 2017 पृष्ठ-161
6. ए0एल0वाशम अदभूत भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी आगरा पृष्ठ-40
7. द्विजेन्द्र नारायण झा, कृष्णमोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली 2001, पृष्ठ -232
8. वही पृष्ठ -233
9. डा0 कैलास चन्द्र जैन, प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1987, पृष्ठ 40
10. खुर्ना एवं चौहान, भारतीय इतिहास में महिलाएँ, उपरोक्त वर्णित, पृष्ठ-14
11. वही, पृष्ठ - 130
12. वही पृष्ठ - 30, 31
13. वही पृष्ठ - 31
14. नेमिशरण मित्तल, प्राचीन समाचार, दिल्ली 1988 पृष्ठ-280
15. डा0 राजकुमार, नारी शोषण समस्यायें एवं समाधान, दिल्ली, 2003 पृष्ठ-1
16. वही पृष्ठ -2
17. रोमिला थापर, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 1993, पृष्ठ-85
18. वही पृष्ठ-86
19. नीलकंठ शास्त्री, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1996 पृष्ठ संख्या 39
20. उपेन्द्र ठाकुर, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, अभिनव पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1986 पृष्ठ-120
21. नीरज श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय प्रशासन, समाज एवं संस्कृति ओरियंट ब्लैकमैन, द्वितीय संस्करण 2018 पृष्ठ-15
22. वही पृष्ठ -24
23. डा0 सुष्मिता पांडेय, समाज आर्थिक व्यवस्था एवं धर्म, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 1991, पृष्ठ -189
24. वही पृष्ठ - 191
25. महात्मा गांधी, यंग इंडिया, 1919 - 1922, पृष्ठ - 965
26. वही पृष्ठ 966

माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

दुर्गेश कुमार

शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

डॉ० बी०के० गुप्ता

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

शोध सारांश:-

मनुष्य में स्वाभाविक रूप से प्रेम, क्रोध, जिज्ञासा, भय, चेतना, रुचि, आकांक्षा आदि गुण होते हैं, और इन गुणों के परिणामस्वरूप ही मनुष्य समाज में क्रियाशील रहता है। आज का युग विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक युग के नाम से जाना जाता है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति या अपनी आकांक्षा को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है।

इस प्रकार यदि देखा जाये तो व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन काल संघर्षपूर्ण तथा चुनौतियों से भरा होता है। मनुष्य के द्वारा जीवन में जो उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं, वो पूरे होंगे या नहीं यह उसके द्वारा किये गये प्रयासों पर निर्भर करता है। आकांक्षा में उपलब्धि की इच्छा सन्निहित रहती है। आकांक्षा से यह ज्ञान होता है कि मानव अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा है, इससे केवल यह स्पष्ट होता है कि वह क्या प्राप्त करना चाहता है, व उसका लक्ष्य क्या है? माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को स्वयं की शैक्षिक उपलब्धियों तथा शैक्षिक आकांक्षाओं के अनुकूल स्वस्थ जीवन यापन हेतु आजीविका योग्य बनाना होगा। इस शोध अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा स्तर पर भिन्नता पायी गयी है।

मुख्य शब्द:- शैक्षिक आकांक्षा

प्रस्तावना:-

बेकर एवं सीगल के अनुसार:- “आकांक्षा मनुष्य को कुछ करने के लिये प्रेरित करती है, और यही प्रेरणा उसके भविष्य का निर्धारण करती है।” शैक्षिक आकांक्षा में उपलब्धि की इच्छा निहित रहती है। शैक्षिक आकांक्षा यह नहीं बतलाती कि विद्यार्थी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कितना सफल रहा, यह तो केवल इस बात का उल्लेख करती है कि विद्यार्थी क्या प्राप्त करना चाहता है या उसका लक्ष्य क्या है? शैक्षिक आकांक्षाओं को उच्च आदर्श भी कहा जाता है। अर्थात् हम जहाँ तक पहुँचने की लालसा रखते हैं, किन्तु जरूरी नहीं कि वे प्राप्त हों। प्रत्येक देश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक नागरिक की शिक्षा के संबंध में कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जैसे- धर्म, जाति, वर्ण एवं स्थान के भेदभाव के बिना शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा, शिक्षा में अवसरों की समानता इत्यादि।

प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई लालसा या अभिलाषा अवश्य होती है, जो कि उच्च या निम्न स्तर की हो सकती है। इसी स्तर पर व्यक्तियों का निर्धारण यथार्थवादी एवं निराशावादी श्रेणी में किया जाता है। किसी व्यक्ति में किसी भी क्षेत्र में कुछ कर दिखाने या बनने की विद्यमान अभिलाषा को आकांक्षा कहा जाता है, तथा वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी या आकांक्षी कहलाता है। आकांक्षा व महत्वाकांक्षा में कोई विशेष अंतर नहीं है। आकांक्षा जहाँ लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न हैं वहीं महत्वाकांक्षा उससे आगे का एक कदम।

सोरेन्स के अनुसार:-

“आकांक्षा स्तर व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिये विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना है। आकांक्षा स्तर क्षमता व योग्यता तथा पूर्ण सफलता व असफलता से भली भाँति प्रभावित होता है।

आकांक्षा स्तर का अर्थ:-

आकांक्षा स्तर उस सीमा को निर्धारित करती है, जिस सीमा तक एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा होता है, तो वह अपने लिये एक नया स्तर बना लेता है। जिसे वह पाना चाहता है। इसे ही हम आकांक्षा स्तर कहते हैं। यदि व्यक्ति सफलता प्राप्त

कर लेता है, तो यह स्तर ऊँचा हो जाता है, परन्तु असफल होने पर व्यक्ति इसे नीचा कर देता है। एक ही प्रकार के जीवन ध्येय व्यक्तियों में विभिन्न आकांक्षा स्तर को विकसित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका जीवन-ध्येय शिक्षक बनना है, आकांक्षा स्तर के अनुरूप होता है, किन्तु दो व्यक्तियों जो शिक्षक बनना चाहते हैं किस सीमा तक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यह आकांक्षा स्तर को स्पष्ट करता है।

समस्या की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि:-

शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्र/छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर छात्र/छात्राओं के लिये शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करता है। छात्रों ने शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, यही उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बताता है।

शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य छात्रों द्वारा सीखा गया ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। छात्रों ने किस सीमा तक अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास किया है, यही उनकी शैक्षिक उपलब्धि का सूचक है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व:-

मनुष्य की आकांक्षा विशाल है। आकांक्षा की पूर्ति हेतु मनुष्य अनेकों कार्य सम्पादित करता रहता है। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति जितना कार्य सम्पादित कर सकता है, उससे अधिक करने की इच्छा प्रकट करता है। व्यक्ति के कार्य करने की मात्रा आकांक्षा पर निर्भर होती है। यही आकांक्षा व्यक्ति के लक्ष्य को सही दिशा में निर्धारित करती है। व्यक्ति के सोचने की मात्रा एवं कार्य करने की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता के कारण शैक्षिक आकांक्षाओं का स्तर भी भिन्न-भिन्न होता है। कभी-कभी निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों की आकांक्षाएँ उच्च होती हैं, क्योंकि उनके पास कार्य व आकांक्षा स्तर सम्पादित करने के लिये आवश्यक स्रोत नहीं होते हैं। जबकि औसत उपलब्धि वाले बालकों की औसत या उच्च होती है, तथा उनके पास आकांक्षा स्तर को प्राप्त करने के लिये आवश्यक स्रोत भी होते हैं।

समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा और अर्थ:-

- माध्यमिक स्तर- माध्यमिक स्तर का आशय उत्तर प्रदेश बोर्ड से संचालित 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों से है।
- आकांक्षा स्तर- प्रस्तुत शोध में आकांक्षा स्तर के मानकीकृत परीक्षण पर प्राप्त प्राप्तांकों को आकांक्षा स्तर पर माना गया है।

उद्देश्य:-

माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन:-

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का दत्त संकलन के आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के अनुसार छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन किया गया। इसके परिणाम शैक्षिक आकांक्षा के आधार पर पूर्व में हुए अलग-अलग शोध कार्यों के अनुक्रम में है।

मुथैया बी०सी० (1962) ने शैक्षिक क्षेत्र में उच्च प्राप्तकर्ता एवं निम्न प्राप्तकर्ता की आकांक्षा स्तर पर बुद्धिमता विषय पर पी०एच०डी० स्तरीय शोधकार्य किया।

निष्कर्ष:-

बुद्धिमता, आकांक्षा स्तर एवं नैराश्य में कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है। आयु चर व लक्ष्य भिन्नता प्राप्तांक के मध्य धनात्मक सह सम्बन्ध पाया गया। वे विद्यार्थी जिनका लक्ष्य भिन्नता प्राप्तांक निम्न था, वे उच्च प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की तुलना में अच्छे, सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले थे।

श्रीवास्तव एस०एस० (1968) ने जातीय छात्रों की समस्या, आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन शीर्षक पर पी०एच०डी० स्तरीय शोधकार्य किया।

निष्कर्ष:- सामाजिक मूल्य के सन्दर्भ में जातीय छात्रों व सर्वण छात्रों में सार्थक अन्तर पाया गया। जातीय छात्रों ने सौन्दर्यात्मक व धार्मिक मूल्यों की अपेक्षा ज्ञानात्मक मूल्यों को अधिक महत्व दिया।

माथुर टीबी (1970) ने “किशोरों में नैराश्य का कारण एवं इसका आकांक्षा स्तर के साथ सम्बन्ध” विषय पर पी०एच०डी० स्तरीय अध्ययन किया।

निष्कर्ष- किशोरों में आकांक्षा स्तर उनकी आर्थिक, सामाजिक स्तर से उच्चतर पाया जाता है।

संजीव (2015) ने केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, मूल्य तथा शैक्षिक आकांक्षा के विभिन्न स्तरों पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि विषय पर शोध किया और पाया कि केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों का व्यक्तित्व आवश्यकताएं मूल्य तथा शैक्षिक आकांक्षा के विभिन्न स्तरों पर उनके लिंग तथा विद्यालय के भौगोलिक परिक्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है। राय, गीता (2014) द्वारा किये गये शोध अध्ययन के परिणाम उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक स्तर और अकादमिक प्रदर्शन पर उन विद्यार्थियों के अभिभावकों के प्रोत्साहन प्रभाव का धनात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं। हेन्सन जना मैरी (2013) ने अपने अध्ययन अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुएट स्कूल एस्पाइरेन्स: द इफेक्ट्स ऑफ गुड टीचिंग प्रैक्टिस में पाया कि संबंधित संकाय के शिक्षकों के अच्छे शिक्षण अभ्यास का उनके छात्रों के स्नातक शिक्षा में प्रवेश लेने पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्मा प्रवीण कुमार (2013) ने प्राथमिक विद्यालयों के बी०टी०सी० तथा विशिष्ट शिक्षकों के आकांक्षा स्तर, प्रभावशीलता, सुविधा स्तर, स्व-धारणा एवं कार्यात्मक मूल्यों से सहसंबंध की मात्रा औसत स्तरीय है।, तथा इसकी प्राथमिक

विद्यालयी सुविधा स्तर एवं आकांक्षा स्तर से सहसंबंध की मात्रा निम्न स्तरीय है। एलिस माइल्स एवं रिचर्ड लिन्ने (2012) ने अपनी रिपोर्ट “टीचिंग द वे एन्सपायर टू टीच नाऊ एण्ड द फ्यूचर” में बतलाया कि शिक्षक अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं, जैसे- शिक्षण के लिये उत्तेजना, छात्रों के लिये समर्पण, उनकी देखभाल, अपने छात्रों को जानना तथा उनके व्यवसायिक निर्णय लेने में लचीलाचन आदि के बारे में एकमत होते हैं।

प्रस्तुत शोधकार्य में माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में सार्थक अंतर पाया गया है, जो कि पूर्व में हुए शोध के परिणाम से पुष्टि होता है, किन्तु माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा की तुलना पर आधारित कोई अध्ययन भारत में संपन्न नहीं हुआ है। अतः शोधकर्ता द्वारा यह अध्ययन माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया।

शोध परिकल्पना:-

माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा के माध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि:-

प्रस्तुत शोधकार्य में सर्वेक्षण विधि प्रयोग की गयी है।

शोध उपकरण:-

डॉ० बी०पी० शर्मा तथा डॉ० अनुराधा गुप्ता (2015) द्वारा निर्मित शैक्षिक आकांक्षामापी।

जनसंख्या:-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सम्बद्ध माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी।

शोध न्यादर्श:-

शोधकर्ता द्वारा इस शोधकार्य हेतु न्यादर्श के रूप में बाराबंकी क्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश से संबद्ध माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत कुल चार सौ विद्यार्थियों को, 200 छात्र तथा 200 छात्राओं को चुना गया। जो कि विभिन्न विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शोध में प्रयुक्त न्यादर्शन विधि:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा सम्भाव्य न्यादर्शन की साधारण यादृच्छिक विधि को प्रयुक्त किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी:-

प्रस्तुत शोध में निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है-

01. मध्यमान
02. मानक विचलन
03. मानक त्रुटि
04. स्वतंत्रता अंश
05. टी-मान

परिकल्पना-

माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है।

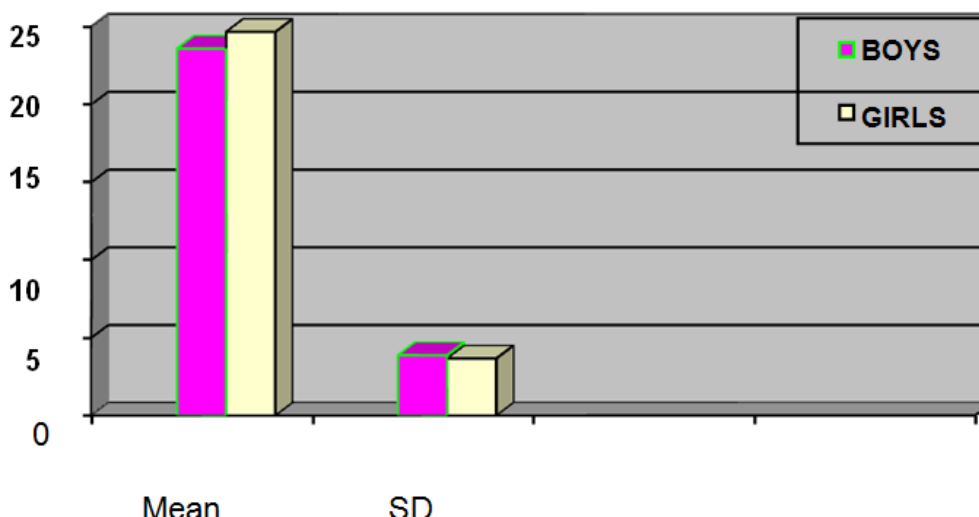
(मध्यमान, मानक विचलन, मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि, मध्यमानों का अन्तर, स्वतंत्रता के अंश तथा आलोचनात्मक अनुपात का प्रदर्शन)

छात्र	संख्या N	मध्यमान M	मानक विचलन SD	अन्तर की मानक त्रुटि SE_D	मध्यमानों का अन्तर D	स्वतंत्रता के अंश df	आलोचनात्मक अनुपात C.R.
छात्र	200	23.6	3.88	0.378	1.07	398	2.83*
छात्राएं	200	24.67	3.67				

*0.1 स्तर पर सार्थक व्याख्या एवं विश्लेषण-

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा के प्राप्ताकों के मध्यमान क्रमशः 23.6 व 24.67 है, तथा दोनों समूहों के मानक विचलन क्रमशः 3.88 व 3.67 है। दोनों समूहों के मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि 0.378 है तथा मध्यमानों का अन्तर 1.07 है। दोनों समूहों के प्राप्ताकों का आलोचनात्मक अनुपात 2.83 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 398 हेतु 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थकता के लिये आवश्यक मान 2.59 से अधिक है। अतः दोनों समूहों के मध्यमानों में सार्थक अन्तर पाया गया है। अतः परिकल्पना 01 को निरस्त किया जाता है।

लेखाचित्र संख्या-1: माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा के मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता का लेखाचित्रिय प्रदर्शन



परिणाम-

दत्त विश्लेषण के अनुसार माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षाओं के मध्यमानों में सार्थक अन्तर पाया गया है। अर्थात् माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक आकांक्षा स्तर में भिन्नता पायी गयी है। हालांकि छात्राओं के प्राप्ताकों का मध्यमान 24.67 के छात्रों के प्राप्ताकों का मध्यमान 23.6 से अधिक है। जो भी अन्तर है वह संयोगवश नहीं है।

उक्त अर्थापन इंगित करता है कि माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राएं शैक्षिक आकांक्षा स्तर की दृष्टि से समान नहीं हैं, उनकी शैक्षिक आकांक्षा में विशेष अन्तर उपस्थित है। जिसका कारण छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकों का उन पर कम ध्यान दे पाना हो सकता है।

निष्कर्ष-

माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा के मध्यमानों में सार्थक अन्तर उपस्थित है।

सुझाव-

01. छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकों को इस विषय में सजग करना चाहिए कि उनकी संतान क्या प्राप्त करना चाहती है, व उसका लक्ष्य क्या है?
02. छात्र एवं छात्राओं हेतु उनकी आकांक्षा स्तर का ध्यान रखते हुए परामर्श कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- गुप्ता एवं गुप्ता (2007) आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गैरेट एच0 ई0 (1981) मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी, दशम संस्करण, बी0एफ0 एण्ड सन्स, बॉम्बे।
- जेनियार्टो (2004) एन इफैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल एम्पायरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सोशियल साइंस क्वार्टरली, 98 (4), 1048-1055
- पीटर एस0ली0 एवं अन्य (2007) एजुकेशनल एम्पायरेशन एण्ड पॉलिसी इम्प्लीकेशन्स: अ स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न चाइना जनरल ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी एण्ड मैनेजमेण्ट 29 (2), 143-158
- शर्मा प्रवीण कुमार(2013) प्राथमिक विद्यालयों के बीटीसी तथा विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के आकांक्षा स्तर, प्रभावशीलता, सुविधा स्तर, स्व धारणा व कार्यात्मक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन, पी0एच0डी0 शिक्षा विभाग, जैन विश्वविद्यालय, लाडनूँ।

शर्मा सुरेन्द्र (2007) रिसर्च मैथडोलॉजी, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, नेहा पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

शर्मा राजलक्ष्मी (2011) स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का आकांक्षा, आत्मविश्वास, सेवा, अवधारणा एवं शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टरल थीसिस, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, लाडनूँ।

हेन्सन जना मैरी (2013) अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुएट स्कूल एस्पेक्ट्स: द इफैक्ट ऑफ गुड टीचिंग प्रैक्टिस, पी0एच0डी0 (एजुकेशन) ग्रेजुएट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, अमेरिका।

वेबसाइट:-

- 01- www.eric.ed.gov
- 02- www.scholar.google.com
- 03- www.shodhganga.inflibnet.ac.in

भारत की आत्मनिर्भरता में नारीवादी सिनेमा की भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ० आशा बाला

असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून

डॉ० उमा बहुगुणा

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, एच.एन.बी गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढवाल

सारांश:

भारत में सिनेमा का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही उसकी प्रभावशीलता भी। नारी का सिनेमा में महत्व भी सिनेमा की जड़ों से जुड़ा है। बिना नारी के सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोमल, दया की मूर्ति, माँ, बहन, बेटी और आदर्श बहू का लबादा ओढ़े सिनेमा आज नारी को कॉरपोरेट, व्यवसाय, मीडिया और उद्यमिता की कूटनीति और राजनीति को समझने वाली और सभी संघर्षों का कड़ाई से सामना करने वाली महिला के तौर उजागर कर रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में सिनेमा में महिलाओं के प्रदर्शनीकरण को आधार बनाया गया है। नारीवादी सिनेमा को प्रदर्शित करने वाली चुनी हुई फिल्मों के आधार पर सिनेमा का समालोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना:

महिला ही समाज की जननी है। संस्कृत में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजंते रमंते तत्र देवता जिसका सीधा तात्पर्य है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। नारी का स्वभाव कोमल होता है। वह परंपरा की ध्वजवाहक है ऐसा सदियों से माना गया है। जिसका खंडन आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में किसी भी पढी लिखी निर्भर नारी द्वारा किया जा सकता है। भारतीय सिनेमा की दृष्टि से नारी की भारत में दशा को देखा जाए तो भारत में फिल्मों की शुरूवात से ही नारी का स्थान देखा जा सकता है। भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरीशचन्द्र में नारी की भूमिका भी पुरुष ने की उसके बाद बनी फिल्मों में दुनिया ना माने, किस्मत, बंदिनी, सुजाता, मदर इंडिया, उमराउजान, रूदाली, अस्तित्व, दामिनी, अर्थ, मिर्च-मसाला, ईशिकया, वाटर, तन्तु वेड्स मनु, मार्गेटा विड स्टो, बेंडिट क्वीन, लक बाँय चांस, चांदनी बार, लज्जा, नो वन किल्ड जेसिका, फिल्लोरी, हाइवे, बॉबी जासूस, मर्दानी, डोर, एन.एच 10, कहानी, इंग्लिश-विंग्लिश, पिकु, एंग्री इंडियन गोडेश, डियर जिंदगी, पिक, क्वीन, डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों ने समाज में नारी का प्रतिनिधित्व किया।

तत्कालीन समाज में समाज में नारी की दशा को दर्शाया गया। वर्ष 2000 के बाद भारत में महिलाओं की साक्षरता के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। जिसे सिनेमा ने भी भुनाया। राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने प्रतिभा का लोहा मनवाया यही कारण है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के मध्य असमानता और एकाधिपत्य को समाप्त करते हुए लैंगिक समानता वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए ब्लू प्रिंट के तहत महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण न केवल 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है बल्कि यह समावेशी और सतत विकास के सभी आयामों का अभिन्न अंग है।

यह शोध पत्र सिनेमा में महिलाओं के चित्रीकरण और भारत में उनकी आत्मनिर्भरता के आयाम को दर्शाने के आधार पर है। आधुनिक सिनेमा में फेमिनिसम यानी नारीवाद एक बड़ा विषय बनकर उभरता है। रानी मुखर्जी अभिनीत हिचकी में शारिरिक बाधा को पार कर एक महिला के संघर्षमय जीवन और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की कहानी को दिखाया गया है। एम.सी मैरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म मैरी कॉम जिसमें उन्हें पुरुष प्रधान खेल बॉक्सिंग की रिंग में संघर्ष करके एक अनोखा मुकाम हासिल किया है। वहीं तीन बच्चों की मां बनने पर भी उनके नाम कई राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय खिताब रहे।

यह फिल्में महिलाओं की दकियानुसी छवि को बदलते हुए उन्हें नये समाज के प्रतिनिधित्व का अधिकार देती हैं। जिसमें केवल पुरुष ही नायक हो सकता है और महिलाओं को समर्थन के लिए उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका से संबंधित हैं। गृहिणी से सुपर महिला तक यह इतिहास में देखा जा सकता है कि महिला प्रधान फिल्मों ने महिलाओं को यह महसूस कराया है

कि वे कमजोर नहीं हैं और अपने लिए लड़ सकती हैं। लैंगिक भेदभाव भारतीय समाज में वास्तविकता है, लैंगिक समानता प्राप्त करना महिला सशक्तिकरण का अभिन्न अंग है।

शोध का उद्देश्य

1. मुख्य नारी प्रधान फिल्मों के आधार पर नारीवादी सिनेमा की विषयवस्तु को जानना
2. नारीवादी सिनेमा में नारी की छवि का समालोचनात्मक अध्ययन करना

अध्ययन विधि: अध्ययन का विषय बहुत व्यापक होने के कारण वर्णनात्मक अध्ययन विधि का चयन किया गया है। जिसमें चुनी हुई नारी प्रधान फिल्मों के आधार पर आधुनिक भारतीय समाज में नारी की दशा को जानने और सिनेमा के द्वारा उनकी छवि के प्रदर्शिकरण को जानने का प्रयास किया गया है।

विश्लेषण:

नारीवाद आज देश में सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया है, जब हर कोई व्यक्ति और संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ योगदान देने के लिए कदम उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में समाज का आईना कहे जाने वाला बालीवुड पीछे नहीं है, बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर महिलाओं पर आधारित होती हैं। चक दे इंडिया, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, गंगू बाई काठिया वाड़ी, पिक, मर्दानी और अकीरा जैसी फिल्मों ने महिलाओं की बेचारी और दासता भरी छवि को तोड़ने का काम किया है। चक दे इंडिया जो महिला हॉकी खिलाड़ियों पर केंद्रित है, महिला सशक्तिकरण का एक और अच्छा उदाहरण है, फिल्म स्टीरियो टाईप छवि को तोड़ती है कि महिलाएं खेल को समझ और खेल नहीं सकती हैं क्योंकि इस विषय को हमेशा से ही पुरुष मानसिकता का माना गया है। फिल्मों भी उस दरार पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो महिला हॉकी खिलाड़ियों के बीच खुद है लेकिन सभी मतभेदों के अंत में हैं जैसे ही वे एक साथ आते हैं और भारत के लिए खेलते हैं और खेल जीतते हैं।

कहानी विद्या बालन 2011 अभिनीत एक ऐसी महिला की कहानी है जो गर्भवती होने के बावजूद अपने लापता पति की तलाश करती है, वह अपनी अंतिम यात्रा में अकेले लंदन से कोलकाता की यात्रा करती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम विद्या के चरित्र को और भी बेहतर तरीके से जानते हैं, वह बहुत धैर्यवान है, निडर है और हास्य की अच्छी समझ रखती है, जब पति के लापता होने पर बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो वह निडरता से उनका सामना करती है और अंत में अपने उद्देश्य में सफल होती है जो फिल्म के अंत में प्रकट होता है।

इंग्लिश- विंग्लिश एक ऐसी महिला जो एक भाषा को समझने में असमर्थ है। कैसे यूरोप जाती है और लोगों के उपहास के कारण अपना मनोबल बढ़ाकर अपरिचित भाषा भी सीखने का प्रयास करती है। फिल्म ठेठ देसी और ग्रामीण परिवेश की घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। महिलाओं को खुद का सम्मान करना चाहिए राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो।

मर्दानी रानी मुखर्जी 2014 की क्राइम हिट फिल्म इसका एक अच्छा उदाहरण है। सक्षम नारीवाद पर आधारित यह फिल्म महिलाओं को किसी भी तरह के संकट से उबरने के लिए पुरुष की तरह बनने का संदेश देती है, फिल्म हिंसा की शिकार महिलाओं युवा लड़कियों को बचाने के लिए एक महिला के संघर्ष को दर्शाती है। फिल्म संदेश देती है कि एक महिला को सेक्स टॉय नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि जब उसके लिए सम्मान के लिए लड़ने की जरूरत होती है तो वह पुरुष समाज का सामना बहादुरी से कर सकती है।

आधुनिक जीवन में महिलाओं के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, पहले के समय में महिलाओं की भूमिकाएं अनुष्ठानों और पितृसत्ता द्वारा प्रतिबंधित थीं, आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में महिला और पुरुष राष्ट्र की प्रगति में सहायक हैं। भारत में लैंगिक रोजगार पर आधारित स्टेटिस्टा के आंकड़ों के अनुसार 51 प्रतिशत महिलाएं देश में रोजगार प्रधान हैं। पेरिओडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की उद्यमिता वर्ष 2020 में 22.2 प्रतिशत रही। जो कई राज्यों में बेहतर रही।

कानून, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, रक्षा और सिनेमा किसी भी क्षेत्र में महिलाओं ने आगे बढ़कर भागीदारी निभाई है। आज महिलाएं खुद को हाइपरकनेक्टेड शब्द में एकीकृत कर रही हैं, शब्द अधिक इंटर रिलायंस हो गया है, इसके लिए महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता है जैसे कि यह उन्हें अपनी विशिष्ट विशेषता को पहचानने की प्रतिभा देता है। महिलाएं बुद्धिमानी से और शारीरिक रूप से स्थिति का प्रबंधन करती हैं और वे दीर्घकालिक कठिनाइयों के साथ परिवर्तनों और प्रतिबंध से निपटने में सक्षम होती हैं इसके अलावा महिलाएं मल्टीटास्किंग भी कही जाती हैं। भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप महिलाओं की स्थिति को देखकर राष्ट्र की स्थिति बता सकते हैं।

मधुर भंडारकर निर्देशित फिल्म फैशन 2008 फैशन मॉडल के जीवन और संघर्ष को दर्शाती है, कहानी दिखाती है कि कैसे एक गांव की लड़की को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह खुद को एक सुपर मॉडल में बदल देती है, सफलता हासिल करने के लिए कई समझौते करने के लिए मजबूर होती है, कैसे उसे सफलता को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल था। हारने के बजाय वह कठिनाइयों पर काबू पाने के साहस और आत्मविश्वास के माध्यम से फिर से सत्ता में आती है और काउंटर और असीमित सफलता प्राप्त करती है। बैंड बाजा बारात 2010 में श्रुति अभिनेत्री का फिल्मी नाम शादी का व्यवसाय करने के लिए परिवार और समाज से लड़ती है। फिल्म संदेश देती है कि लिंग समस्या कोई समस्या नहीं है एक व्यवसाय शुरू करना और चलाना और इच्छाशक्ति वाला कोई भी व्यक्ति और दृढ़ मन वाला पुरुष अथवा महिला उद्यमी बन सकता है। नो वन किल्ड जैसिका फिल्म में एक उच्च रैंकिंग राजनेता के बेटे द्वारा नई दिल्ली में एक उभरती और सपने पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाली मासूम लड़की जो पेशे से एक मॉडल की वास्तविक हत्या पर आधारित भारतीय थ्रिलर फिल्म नो वन किल्ड जैसिका जो वास्तविक जैसिका लाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म राजनीतिक ताने-बाने पर आधारित भ्रष्टाचार के मामले को कमतर आंकने के लिए प्राधिकरण पर नाराजगी व्यक्त करती है जैसिका के साथ वास्तव में क्या हुआ, गिरफ्तार किए गए आरोपित और दोषी को जेल में वापस आने से महिलाओं में साहस और दृढ़ता का संचार होगा, जहां कानूनी व्यवस्था में पक्षपात की भूमिका पुलिस

की नकारात्मक छवि और राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी साबित करती है। फिल्म दंगल रेसलर महावीर सिंह फोगट के समाज की रूढ़िवादिता से लड़ते हुए अपनी बेटियों बबीता और गीता फोगट को पहलवान बनाने की दिलेर कहानी पर आधारित है। फिल्म महिलाओं को पुरुष प्रधान खेल में सफल होने का संदेश देती है। फिल्म में उस जज्बे को भी दिखाया गया है। जो एक सफल खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। फिल्म लैंगिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करती है। फिल्म बेटियों को सशक्त बनाने में पिता की भूमिका को सार्थक बताती है। खेल में कोई अंतर नहीं है जब वे सीखते हैं कि वे लड़कों के खिलाफ मैच जीत सकते हैं खेल आत्मविश्वास इस तरह से पिता भेदभाव खिलाफ बेटियों को प्रेरित करते हैं।

निष्कर्ष:

अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि महिला प्रधान फिल्में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो फिल्मों के मार्केट के आधार पर समझा जा सकता है।

पिछले दो दशकों की नारी प्रधान फिल्में महिलाओं के मुद्दों पर आधारित हैं। जो पिछली चुनिंदा फिल्मों की विषयवस्तु और स्टोरीलाइन के आधार पर समझा जा सकता है।

भारत की आत्मनिर्भरता में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रोजगारपरकता के आधार पर समझा जा सकता है।

सिनेमा को महिलाओं को और सार्थक रूप से दिखाना होगा महिला प्रधान फिल्में भी अधिकतर संघर्ष और अपराधों पर आधारित हैं। विकास पर आधारित फिल्मों की विषयवस्तु को भी देखा जाना चाहिए।

सन्दर्भ:

1. पुरोहित, संभव, फेमिनिज्म एण्ड इट्स चेंजिंग गोल, रिसर्च गेट पब्लिकेशन, 2021
2. जैन जसवीर, फिल्म एण्ड फेमिनिज्म, रावत पब्लिकेशन, 2015 प्रथम एडिशन
3. जैन विद्या, वुमन मिडिया एण्ड वालेंस, रावत पब्लिकेशन, 2019
4. सक्सेना, अंबरीश, बॉलीवुड वुमेन एण्ड इंडियन सोसायटी, कनिष्क पब्लिकेशन
5. जैन जसवीर, फिल्म एण्ड फेमिनिज्म, रावत पब्लिकेशन, 2015 दूसरा एडिशन
6. स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2021 भारत में लैंगिक रोजगार

शिक्षण और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भर भारत का योगदान

डॉ० नीलम कैथल

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षण-प्रशिक्षण विभाग, जे०एस० विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

सरकार आत्म निर्भर भारत के संकल्प एवं सामर्थ्य को आकार देने के लिए देश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। जिसमें स्थानीय भाषा में शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास, बालिका शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, “आत्म निर्भर भारत के संकल्प व सामर्थ्य को आकार देने के लिए सरकार देश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।”

स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा एक उपकरण है जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता को पहचानने और उसकी प्राप्ति का काम करती है अतः शिक्षा के द्वारा बच्चे में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना आवश्यक है। विवेकानन्द की दूरदर्शिता आज की शिक्षा पर सवाल करती है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल होने में एक सहयोग का काम करती है। आत्मनिर्भरता कैसे सिखाई जाए इसके लिए शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों को जानना जरूरी है शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति को उसकी छिपी प्रतिभाओं से रूबरू कराना है और यह सिखाना है कि वह इन प्रतिभाओं को कहां और कैसे अपने जीवन के संघर्षों को चुनौती में बदल सफल हो सकता है इसके लिए व्यक्ति को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। इस साल के बजट में दूसरा सबसे अहम फोकस शिक्षा पर दिया गया है जिससे भारत का आत्मनिर्भर होने का सपना पूरा होगा बजट में उच्च शिक्षा के लिए की गई घोषणाओं को अमल में लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार को संबोधित किया। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के युवाओं को आत्मविश्वास की आवश्यकता है और यह केवल तभी आएगा जब युवाओं को अपने ज्ञान और कौशल पर पूरा भरोसा होगा उन्होंने कहा कि युवा आत्मनिर्भर महसूस करें कि उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वे नौकरी कर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सोच के साथ एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है।

अब जीवन भर सीखने के लिए भी एक प्रणाली है जो की 1993 से “आजीवन शिक्षा” के नाम से मशहूर है और जिसकी जड़ें 1962 के समय से हैं आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था यह 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। आत्मनिर्भर व्यक्ति में दूसरों से ज्यादा आत्मविश्वास होता है, किसी दूसरे पर आश्रित इंसान की तुलना में अधिक साहस होता है और नेतृत्व के गुण में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है स्वयं पर निर्भर होना देश में अपने संसाधनों से हर वस्तु का निर्माण करना और उन्हें उपयोग में लाना आत्मनिर्भर भारत के पांच आधार स्तम्भ हैं। अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने, तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था, प्रजातांत्रिक रूप से सबको समान लाभ तथा मांग और पूर्ति में संतुलित सम्बन्ध रहे। आत्मनिर्भर भारत आज न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इस दिशा में सरकारी और निजी स्तर पर व्यापक प्रयास भी किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है अपने यहां उद्योगों का विकास कर युवा वर्ग के लिए रोजगार और गरीबी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से युक्त करने के लिए वृहद स्तर पर युवक युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन, परिमार्जन, परिष्करण तथा सुधार लाना तथा छात्रों के व्यवहारों में सुनिश्चितता लाना। प्रशिक्षण का प्रमुख ध्येय है प्रशिक्षणार्थियों में वांछित परिवर्तन लाकर उनमें वांछित कौशल एवं दक्षतायें विकसित करना। ग्रीन महोदय (1977) के अनुसार, “वांछित व्यवहार के प्रशिक्षण में बुद्धि के प्रकटीकरण की मात्रा का अनुपात जितना ज्यादा होगा उतनी सरलता से शिक्षण और प्रशिक्षण को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। वांछित व्यवहार में जिस अनुपात में बुद्धि का प्रकटीकरण नहीं होता है, उस अनुपात में हम प्रशिक्षण पद का प्रयोग कर सकते परन्तु शिक्षण का नहीं।”

शिक्षण किसी भी वस्तु के सैद्धान्तिक पक्षों तथा ज्ञान के प्रतिपादन से संबन्धित होता है और प्रशिक्षण का सीधा संबंध व्यवहार परिवर्तन तथा दक्षता विकास से होता है। शिक्षण ज्ञान प्रदान करता है प्रशिक्षण उसे आगे राह दिखा कर कौशल उत्पन्न करने पर ध्यान देता है शिक्षण पूंजी एकत्रित करने का कार्य करता है और प्रशिक्षण उस पूंजी के प्रभावशाली निवेश करने में दक्षता एवं कौशल विकसित करता है।

शिक्षण आधार प्रदान करता है और प्रशिक्षण उस आधार पर महल का निर्माण करता है शिक्षण और प्रशिक्षण आपस में एक दूसरे के पूरक भी कहे जा सकते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पथ प्रशस्त करता है और प्रशिक्षण शिक्षण का प्रभावशाली उपयोग करता है।

प्रशिक्षण से हम किसी भी क्षेत्र में निपुण हो सकते हैं और अपने को आत्मनिर्भर की श्रेणी में रख सकते हैं प्रशिक्षण का मतलब है कि हम किसी भी विशिष्ट कार्य को बड़े ही सरल ढंग से या फिर कह सकते हैं कि कम समय या श्रम का ध्यान रख कर कार्य को समाप्त कर सकते हैं हमेशा से हमें ध्यान

रखना चाहिए कि कार्य को शुरू करने से पहले हमें उस कार्य क्षेत्र में एक विशेष जगह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे कि हम सब को अनुशासन में रह कर ही कार्य को करने या कराने की आदत रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 विकीपीडिया।
- 2 मूल्यांकन, एन0 सी0 आर0 टी0, पब्लिकेशन: दिल्ली।
- 3 शर्मा, आर0 ए0 (1996): शैक्षिक तकनीकी।

भारतीय स्त्री की कपोल कल्पित सत्य

वीरेन्द्र कुमार तिवारी

सहायक आचार्य (इतिहास), शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, ताला सतना (म0प्र0) 485778

पुरा भारतीय इतिहास में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी इस विषय में होने वाले चर्चाओं को लेखन अध्यापन और अध्ययन में एक अजीबो गरीब नजरिये से देखा जाता है। प्राचीन भारत के बारे में लिखी गई किसी भी किताब का हिस्सा महिलाये जरूर रही है। लेकिन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति पर अलग से चर्चा करने की कोई परम्परा नहीं है। प्रारम्भिक भारत में महिलाओं की स्थिति से सम्बंधित सामग्री की अपनी गंभीर सीमाये है। यह सीमाये तब विशेषकर सामने आती है जब हम इस बात पर विचार करते है कि ऐसा क्यों? महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, समाज में स्थान, संपत्ति में अधिकार, परिवार में उनकी स्थिति आदि प्रश्नों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। जिससे हम उनकी हुबहू स्थिति से अवगत हो सके।

यहाँ पर भारतीय स्त्री को परिभाषित करना विषय की प्रासंगिकता को और बढा देगा, जिसे एक उल्लेखनीय, शाब्दिक उपस्थिति प्रदान कर दी गई हैं। स्त्रीत्व के विशेष स्वरूप को समझने के लिए हम कई अवधारणाओं पर आधारित है। भारतीय स्त्री गैर भारतीय स्त्री से भिन्न है, कि वह भारतीय पुरुषों से भिन्न है। और कि भारतीय स्त्रियों के बीच आपस में कोई विभेद नहीं है और वह एक समरूप श्रेणी में आती है। दूसरे शब्दों में, जातिगत/वर्गीय/क्षेत्रीय आधारों पर, संभव विभेदों को ढक दिया गया है, और एक विशिष्ट जेंडर आधारित सोच को केन्द्र में स्थापित किया गया है। और एक साम्प्रदायिक पहचान का यदि निर्माण नहीं किया गया है तो तीखा जरूर किया गया है। इस प्रकार एक तरफ तो सार्वभौमिकता और सामान्यीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और दूसरी तरफ विभेदीकरण की प्रवृत्ति भी सक्रिय है, ताकि समान होने और विशिष्ट होने की दो परस्पर एक दूसरे को स्थापित करने वाली प्रवृत्तियाँ साथ चलती रहे।

भारतीय इतिहास में स्त्री शिक्षा- विश्व की लगभग सर्व सभ्यताओं के इतिहास का अध्ययन करते समय हम जितने प्राचीन काल की ओर जाते हैं, नारी का समाज में उतना ही असन्तोषजनक स्थान पाते हैं। किन्तु हिन्दू सभ्यता इस दृष्टि से अनोखी है क्योंकि इसमें हम इस सामान्य नियम में अपवाद के दर्शन करते हैं। जितने ही प्राचीन काल में हम जाते हैं, हिन्दू समाज में अनेक दृष्टियों में नारी का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण दृष्टिगत होता है। शिक्षा का क्षेत्र तो विशेषतया दर्शनीय है। इस अद्भुत घटना के रहस्य को हम भली प्रकार समझ सकते हैं। यदि हम इसे स्मरण रखें कि सुदीर्घ काल तक भारत में शिक्षा से तात्पर्य वैदिक शिक्षा से ही था तथा जो यज्ञों में सम्मिलित होते थे उन्हें बिना किसी लिंगभेद के वैदिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी।

प्राचीन काल- यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध है कि 200 ई0पू0 तक नारियों को वेदाध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में अनेक मन्त्रों की रचना कवयित्रियों ने की है। हिन्दू श्रुतियों के अनुसार भी ऋग्वेद में 20 कवयित्रियों की रचनाये हैं। उनमें से कुछ का नाम है, विश्ववारा, सिकता, निवावरी, घोषा, रोमशा, लोपमुद्रा, अपाला तथा उर्वशी। पत्नी के साथ ही पुरुष यज्ञ कर सकता था। यज्ञ के पूर्व पति-पत्नी दोनों को एक विशेष प्रकार का उपनयन करना पड़ता था। मौर्यकाल के अन्त तक पत्नी को अकेले प्रतिदिन संध्या के समय व सुबह भी गृह्य अग्नि में हविष देनी पड़ती थी। अग्रहायण विधि के स्रस्तरारोहण संस्कार में पत्नी को कई वैदिक मंत्रों का पाठ करना पड़ता था। लवन-यज्ञ नारियाँ ही करती थी क्योंकि अत्यन्त प्राचीन काल से यही परिपाटी चली आ रही थी।¹ रामायण से पता चलता है कि कौशल्या रानी राम के युवराज पद पर अभिषेक के दिन प्रातः काल से ही यज्ञ कर रही थी। बालि के सुग्रीव से युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उसकी पत्नी तारा भी यज्ञ कर रही थी। यह बात विशेषतया ध्यान में रखने की है कि इन दोनों को रामायण में 'मन्त्रविद्' (वैदिक साहित्य की ज्ञाता) कहा गया है। अतः लंका में रावण के बन्दीगृह में जानकी की सन्ध्या प्रार्थना से भी किसी को आश्चर्य न होना चाहिए। पाण्डवों की जननी कुन्ती अथर्ववेद की पण्डिता थी।²

बालिकाओं का उपनयन संस्कार -

वैदिक संध्या प्रार्थना और यज्ञों में वैदिक मन्त्रों का पाठ वही कर सकता है जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो। अतः आदिकाल में बालकों कि भाँति बालिकाओं का उपनयन संस्कार होता था। इसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद (11-5-18) में कन्याओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ई0पू0 500 तक के सूत्रों से भी यही बात स्पष्ट होती है। मनु ने भी लिखा है कि बालिकाओं के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य है। (मनु 02-66) यद्यपि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से ही बालिकाओं का उपनयन बन्द हो गया था किन्तु यम जैसे 8 वीं शताब्दी तक के स्मृतिकारों ने स्वीकार किया है, कि पूर्वकाल में बालिकाओं का भी उपनयन होता था।³

वैदिक काल में बाल-विवाह का प्रचलन न था। किन्तु विवाह के समय वधु वर से छोटी होती थी। अतः बालिकाएँ उतनी उम्र तक अविवाहित न रह सकती थी जितनी उम्र तक युवक रह सकते थे। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे एक साद्योवधु और ब्रह्मवादिनी साद्योवधु वे छात्राएँ थी, जो विवाह के पूर्व तक वेद मंत्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी, तथा ब्रह्मवादिनी वे थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थी। इस प्रकार कुछ स्त्रियाँ जीवनपर्यन्त अध्ययन में लीन रहती थी, और विवाह नहीं करती थी। जब कि ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती ऐसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी।⁴

दूसरी सदी ई0पू0 तक स्त्री का उपनयन व्यवहारतः बन्द हो चुका था। विवाह के अवसर पर ही उसका उपनयन संस्कार सम्पन्न कर दिया जाता था। इस सम्बन्ध में मनु का कथन है कि पति ही कन्या का आचार्य विवाह ही उनका उपनयन संस्कार पति की सेवा ही उसका आश्रम-निवास और गृहस्थी के कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान थे। कालांतर में शूद्रों की ही तरह वंदों के पठन-पाठन और यज्ञों में सम्मिलित होने के अधिकार से वंचित कर दी गई। परवर्ती भाष्यकार मेघातिथि, विश्वरूप और अपरार्क की भी यही व्यवस्था है। पूर्वमध्य युग तक आकर नारी-शिक्षा का प्रसार अवरूद्ध हो चुका था, किन्तु अभिजात वर्ग में सुसंस्कृत और सुबोध स्त्रियों की कमी नहीं थी। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक रानियाँ और राजकुमारियाँ अपने राज्य के प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेती थीं सातवाहन राज्य वंश की नयनिका (150 ई0पू0) और वाकाटक-राजवंश की प्रभावती गुप्ता (390ई0) अपने पुत्रों की अल्पवयस्कता में विशाल साम्राज्य पर शासन करती थीं। पति की मृत्यु के अनन्तर मसग की रानी ने सिकन्दर के आक्रमण के विरुद्ध अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। कश्मीर की अनेक रानियाँ जैसे सुगन्धा और दिद्वा ने कश्मीर पर शासन किया। चालुक्य वंशीय अनेक रानियाँ जिनमें अक्का देवी, मैला देवी, कुडकुम देवी और लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुस्मृति व अन्य भाष्यकारों द्वारा कालान्तर में स्त्रियों के उपनयन संस्कार समाप्त कर दिया गया, जिससे उनकी शिक्षा व समाज में उनका स्थान कम हो गया। उपर्युक्त वर्णित स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम थी जो राजदरबार तक सिमटी हुई थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी परम्पराओं के भीतर और उनके जरिए विकसित हुई एक धारा जेंडर आधारित असमानता की भी कमी रही है। यह कोई दी गई या मान ली गई बात नहीं है। बल्कि इस प्रवृत्ति को बड़े सोचे-समझे तरीके से और परस्पर एक-दूसरे को स्थापित करने वाली रणनीतियों के जरिए विकसित किया गया है। इस परंपरा को हम गार्गी-याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ से और मजबूती से स्थापित हुआ देख सकते हैं, जब याज्ञवल्क्य से गार्गी के प्रश्न कही ज्यादा सूक्ष्म व तीखे हो उठते हैं। मगर, याज्ञवल्क्य गार्गी द्वारा इनाम में एक हजार गायें जीत लिए जाने की स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं। बहस के इस मोड़ पर वे गार्गी को धमकी देता है कि यदि गार्गी ने उससे प्रश्न पूछना बन्द नहीं किया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह गार्गी प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों को समाज में उतना अधिकार नहीं था जितना पुरुषों को था।

स्त्री का सम्पत्ति में अधिकार

स्त्रियों कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हिन्दू समाज में उनका सम्पत्ति विषयक अधिकार स्वीकार किया गया है। तथा उन विशेष परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया गया है। जिनके कारण सम्पत्ति में वे अपना हिस्सा प्राप्त करती थीं। वैसे वैदिक कालीन कुछ ऐसे विवरण हैं जो उसके उत्तराधिकार पर आक्षेप करते हैं। किन्तु ये अपवाद ही हैं परिवार में वह पुत्र से वह किसी प्रकार कम नहीं समझी जाती रही। दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ पुत्री समझी जाती थी। अपने भाई के न रहने पर वह अपने पिता के सम्पत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाती थी अतः वैदिक युग में स्त्री का सम्पत्ति में अधिकार स्वीकार किया जाता था। जो चौथी सदी ई0पू0 तक थी। किन्तु दूसरी सदी ई0पू0 में आकर स्त्री शिक्षा पर अनेक प्रतिबंध लगाये गए। जिनके कारण स्त्री सम्पत्ति विषयक अधिकार भी क्षतिग्रस्त हुआ। आपस्तम्भ जैसे शास्त्रकारों ने यह व्यवस्था दी है कि उत्तराधिकारी के अभाव में जब सपिण्ड या गुरु या शिष्य कोई न हो तब पुत्री उत्तराधिकारी हो सकती है, यद्यपि उसने पुत्री को उत्तराधिकारी न स्वीकार करके सारी सम्पत्ति धर्मकार्य में लगा देने के लिए निर्देश दिया है। वशिष्ठ और गौतम ने सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार और उसके उत्तराधिकारी के अधिकार को नहीं स्वीकार किया है। इसके विपरीत दूसरे शास्त्रकारों ने अत्यन्त उदारतापूर्वक पुत्री के उत्तराधिकारी होने के मत का प्रतिपादन किया है। महाभारत में उसके स्वत्व को पुत्र के समकक्ष स्वीकार किया गया है।

“यथैवात्म तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।

तस्यामात्यनि तिष्ठन्त्यो कथमन्या धनं हरेत्”।¹⁵

कौटिल्य ने भी पुत्री को अप्रातृ कन्या को उत्तराधिकारिणी घोषित किया, चाहे उसे कम ही हिस्सा क्यों न मिले। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और वृहस्पति जैसे शास्त्रकारों ने पुत्र के अभाव में पुत्री को उत्तराधिकारिणी माना है। अलबरूनी ने भी पुत्र के अभाव में पिता की सम्पत्ति में पुत्री के उत्तराधिकारिणी होने के नियम की पुष्टि की है। बाद में इसे जीमूतवाहन और विज्ञानेश्वर ने भी स्वीकार किया है।¹⁶

इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में पुत्री को कुछ अधिकार था। लेकिन इसी तथ्य को सूक्ष्मता से देखने पर यहाँ और स्पष्ट हो जाता है कि पुत्र के अभाव में ही पुत्री का अधिकार सम्पत्ति पर होता था अन्यथा उसका अधिकार सम्पत्ति पर नहीं बल्कि उसे एक सम्पत्ति समझा जाता था। यह तथ्य कि उसका अधिकार कभी सम्पत्ति पर होता था यह केवल शास्त्रों तक ही सीमित था न कि व्यवहारतः समाज में प्रचलित था।

स्त्रीधन या स्त्री सम्पत्ति-

अधिकांश हिन्दू विद्वानों ने स्त्री धन के अन्तर्गत नारी की विभिन्न सम्पत्ति का उल्लेख किया है। स्त्री की अपनी स्वयं की सम्पत्ति जिस पर उसका पूर्ण स्वत्व होता है, वह स्त्री धन कहा जाता है। मनु के मतानुसार वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति-गृह जाते समय मिलता है, जो स्नेहवश उसे दिया जाता है, जो माता-पिता और भाई से मिलता है, वह स्त्री धन है, जिसके छः प्रकार हैं। भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने भी स्त्री धन को कम से कम छः प्रकार का बताया है, पिता, माता, भ्राता और पति द्वारा दिया हुआ, अग्नि की सन्निधि में विवाह के समय कन्यादान के साथ प्राप्त तथा अधिवेदन के निमित्त मिला हुआ धन। यही नहीं विवाह होने के पश्चात प्रीतिपूर्वक सास, श्वसुर आदि से पादवन्दनानादि प्रथा में स्त्री को जो प्राप्त होता

था, वह भी स्त्री धन था। शनैः शनैः स्त्री धन के घेरे में और सम्पत्ति आने लगी तथा पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इसी स्त्री धन में समाविष्ट हो गयी। थेरीगाथा से विदित होता है कि धर्मदिना को उसके पति ने यह निर्देश दिया था कि अपने माता-पिता के यहाँ जाते समय जो भी धन वह ले जाना चाहे तो ले जाये।⁷ इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति में स्त्री का भाग होता था और वह अपनी इच्छानुसार उसमें से अपने पास रख सकती थी। विज्ञानेश्वर ने स्त्री धन का जैविक विभाजन किया है उनका कथन है। “यह उचित है कि पुत्री को ही माता का स्त्री धन प्राप्त हो, क्योंकि पुरुष का शुक्र अधिक होने से पुमान् (पुरुष) उत्पन्न होता है, स्त्री का रज अधिक होने से पुत्री, अतः कन्या में स्त्री के अवयव अधिक होने के कारण मातृधन उनको प्राप्त होता है, पुत्र में पुरुष का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र को मिलता है।” अतः स्पष्ट है कि स्त्रीधन के विभाजन में भी पितृसत्ता मजबूती से स्थापित है।

समाज और स्त्री आचरण-

समाज को उदार आदर्श सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए यह अपेक्षित था कि स्त्री का चरित्र और आचरण उज्ज्वल और सुसंस्कृत हो। उसकी नैतिकता, चारित्रिक, सौष्ठव और निष्ठा से कुटुम्ब की गरिमा बनती है। हिन्दू समाज में विवाहित स्त्री का दूसरे पुरुष के साथ गमन घेर पाप समझा गया। याज्ञवल्क्य ने ऐसी दुश्चरित्र स्त्री के सभी अधिकार छीन लेने तथा जीवन-निर्वाह के लिए उसे केवल भोजन देने तथा अनादरपूर्वक गन्दे वस्त्र पहनाकर भूमि पर शयन करने के लिए व्यवस्था की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्री चरित्र ही समाज चरित्र था, स्त्री के चरित्र या आचरण सही दिशा में न होने पर उन्हें दण्डित करने का विधान था, लेकिन पुरुषों को दण्डित करने का कोई विधान नहीं था जिसका कारण यह था कि यह विधान पुरुष ही बना रहे थे।

प्राचीन काल में गणिकाओं का स्थान समाज में अन्य साधारण लोगों से श्रेष्ठ था। गायन, वादन और संगीत के प्रेमी लोग गणिकाओं के प्रति आकृष्ट रहते थे। अर्थात् गणिका का जीवन संगीत और ललित कला का सम्मिश्रित स्वरूप था। महाभारत से विदित होता है कि जिस समय गान्धारी गर्भवती थी उस समय उसकी परिचर्या और सेवा के लिए एक वेश्या लगाई गई थी। श्री कृष्ण जब शान्ति-स्थापनार्थवार्ता करने के लिए कौरवों के यहाँ पधारे थे तब वेश्याओं ने उनका स्वागत किया था। बौद्ध-युग में गणिकाओं का विकास तीव्र गति से हुआ था। वैशाली नगर का भ्रमण करके लौटा हुआ एक श्रेष्ठ राजगृह आकर सम्राट बिम्बिसार से वहाँ की सूचना देता है, “महाराज, वैशाली नगर समृद्ध और ऐश्वर्य सम्पन्न है... वहाँ आम्बपाली नाम की गणिका निवास करती है, जो परम सुन्दरी, रमणीया, नयनाभिराम, सुन्दरवाणी गायन-वादन, नृत्य विशारदा तथा अभिसापि बहुदर्शनीया।” इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में गणिकाओं का स्थान उच्च था। यहाँ तक की भगवान बुद्ध ने आम्बपाली का निर्मंत्रण और आतिथ्य स्वीकार करके उसकी प्रतिष्ठा को प्रतिभासित किया। राजगृह की राजनर्तकी सालवती से उत्पन्न जीवक उस काल का विख्यात राजवैद्य बना।⁸ परवर्ती साहित्य में ये गणिकायें विभिन्न पर्यायवाची नाम से विख्यात हुईं। नर्तकी, सामान्या, रूपजीवा, वेश्या, देवदासी आदि नाम इनके लिए व्यवहृत हुए इन्हें समाज में उच्च स्थान या थोड़ा सम्मान इसलिए प्राप्त था क्योंकि ये तत्कालीन समाज की मनोरंजन की साधना थी। इनका प्रोत्साहन करने के लिए यह धारणा स्थापित किया गया था।

सती प्रथा

सती का शाब्दिक अर्थ है, अमर अथवा सत्य पर स्थिर रहने वाली, जो पति पत्नी का अटूट और अविच्छेद सम्बन्ध भी व्यक्त करता है। सती शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्राचीन साहित्य में अन्वारोहण (मृत पति के साथ चिता पर चढ़ना) सहगमन (मृत पति का अनुगमन करना) आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं। मृत पति के साथ ही जीवित ही प्राण त्याग करना भारत की ही अनोखी और अंधविश्वसनीय प्रथा नहीं थी। बल्कि इस प्रकार की प्रथा विश्व के अनेक प्राचीन देशों में भी प्रचलित थी। मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध है जिसमें प्राचीन मिस्र के मृत राजाओं के साथ उनकी प्रिय जीवित रानियाँ और परिचारिकाएँ दफना दी जाती हैं। मिस्र के अतिरिक्त स्लाव, रोम, यूनान आदि अनेक देशों में भी व्यवहृत थी। भारत में सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण गुप्तकाल से प्राप्त होता है। बाद में अन्य शास्त्रकारों ने भी इसका उल्लेख किया है इस तरह सती प्रथा स्त्री की आचरण पवित्रता का घोटक था। लेकिन किसी पति के पत्नी के मरने के बाद पति के कर्तव्य को शास्त्रकारों ने कही भी वर्णन नहीं किया है। क्योंकि पति कोई भी कार्य करे वह सदा से पवित्र ही रहा है। क्योंकि उसने अपना इतिहास स्वयं लिखा है।

प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियों की साफ-सुथरी दशा भारतीय इतिहास लेखन की देन थी। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि विश्व इतिहास में भारतीय नारी का कद किसी भी प्रकार कम आंका जाय। इसलिए भारतीय नारीत्व के खो चुके रूतबे को वापस पाने की कोशिश में भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन कृतियों के कुछ विशेष पहलुओं पर चुनिन्दा फोकस रखा है जिसका बढि़या उदाहरण गार्गी-याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ की राष्ट्रवादी व्याख्या है इसी प्रकार सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार और प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं महिलाओं पर एक सम्यक व्यौरा देने वाले आर० सी० दत्त लिखते हैं कि-“महिलाओं को पूरी तरह अलग-अलग रखना और उन पर पावर्दियाँ लगाना हिन्दू परंपरा नहीं था। मुसलमानों के आने तक यह बातें बिल्कुल अजनबी थी। महिलाओं की ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हिन्दुओं के अलावा और किसी प्राचीन राष्ट्र में नहीं दी गई थी।”⁹ यद्यपि इस बात से थोड़ा सहमत हुआ जा सकता है कि तुर्कों के आ जाने से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है लेकिन इतना भी नहीं था कि वे चर घरेलू में कैद कर दी जाए।

इस प्रकार भारत में स्त्रियों की स्थिति की भारतीय व्याख्या अपने आप में जिस भी नजरिये से किया गया हो लेकिन इसके बावजूद वह न केवल भारतीय इतिहास लेखन को आज भी प्रभावित करता है बल्कि उस पर हावी है। यही वह तस्वीर है जो न केवल भारतीय पुरुष के दिमाग में छाई हुई है बल्कि इसने प्राचीन भारत में जेंडर सम्बंधों की ज्यादा गहरी छानबीन की संभावनाओं को भी कुन्द किया है। इसलिए आज इसकी जरूरत है कि सामाजिक प्रक्रियाओं और

उनसे उत्पन्न होने वाली उन संरचनाओं की जो समाज में स्त्रीयों को एक उच्च स्थान व सम्मान दे सके। जिससे स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को एक नया आकार दिया जा सके।

संदर्भ ग्रंथसूची

1. अलतेकर सदाशिव अनंत- प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति अनुराग प्रकाशन चौक वाराणसी, संस्करण-2014 पृष्ठ संख्या 150-151
2. अलतेकर सदाशिव अनंत- प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति अनुराग प्रकाशन चौक वाराणसी, संस्करण-2014 पृष्ठ संख्या 151
3. अलतेकर सदाशिव अनंत- प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति अनुराग प्रकाशन चौक वाराणसी, संस्करण-2014 पृष्ठ संख्या 151
4. मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रकाशक, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना पृष्ठ 367
5. मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रकाशक, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना पृष्ठ 372
6. मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रकाशक, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना पृष्ठ 372
7. मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रकाशक, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना पृष्ठ 375-76
8. मिश्र जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रकाशक, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना पृष्ठ 37
9. आर्य, साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, - नारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे पृष्ठ 129

अभिवगुप्त सम्मत ध्वनि विषयक सिद्धान्त का अवलोकन

डॉ० गौरव सिंह

सहायक आचार्य, अभिनव गुप्त संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

इससे पहले ध्वनि के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। ध्वनि के भेदों के विषय में यहाँ पर प्रकाश डालना बहुत समीचीन नहीं है किन्तु अभिनवगुप्त की दृष्टि में ध्वनि का क्या स्वरूप है, इसे बताया जाना समीचीन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभिनवगुप्त आचार्य आनन्दवर्धन के ग्रन्थ ध्वन्यालोक की टीका कर रहे हैं। इसलिए आनन्दवर्धन की दृष्टि में ध्वनि का जो स्वरूप है, वही लोचनकार की दृष्टि में भी है। आचार्य ध्वन्यालोक के पहले ही श्लोक में ध्वनि के विषय में कहते हैं ष्काव्यस्यात्मा ध्वनिः “यह वाक्य ग्रन्थ का मुख्य अभिधेय है और अप्रधान रूप से ग्रन्थ का प्रयोजन भी है। जिस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा गया है उसे बुद्धजनों ने पहले से ही स्वीकार कर लिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आनन्दवर्धन के पहले भी ध्वनि की स्थापना करने वाले आचार्य विराजमान थे या उनके समय में ही काव्य तत्त्व को जानने वाले विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ध्वनि की संज्ञा दी है और यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से माना जाता रहा है। यह आत्मा शब्द वास्तव में सबका सारभूत भी है। अभिनवगुप्त ध्वनि को सबका सारभूत स्वीकार करते हुए यह बताते हैं कि बुद्धजन इसकी महत्ता के कारण ही ध्वनि का अच्छी तरह से व्याख्यान कर चुके हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं बुद्ध शब्द में बहुवचन का प्रयोग इसलिए हुआ है कि बिना किसी सन्देह के या प्रमाद आदि के सभी विद्वानों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है और यह मान्यता एक परम्परा से चली आ रही है। भले ही किसी पुस्तक में इसका स्थापन न किया गया हो, क्योंकि बहुत से सिद्धान्त आदरणीय न होने पर भी पुस्तकों में विद्यमान रहते हैं किन्तु ध्वनि को तो विद्वानों ने आदरपूर्वक उपदिष्ट किया है और काफी पूर्व से यह परम्परा चली आ रही है। ऐसे सिद्धान्त के विषय में ध्वनि के अभाव की सम्भावना कहाँ से हो सकती है, इसलिए यदि ध्वनि का कोई अभाव माने तो यह उनकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं हो सकती। इसलिए अभिनवगुप्त की दृष्टि में ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने में कोई दोष नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से प्रत्येक सिद्धान्त में दोष निकाला जायेगा तो दोषों का कोई अन्त नहीं होगा। वाच्य से अतिरिक्त कोई व्यंग्य नहीं है और वह अभिधा वृत्ति से आक्षिप्त होकर शब्दार्थ के द्वारा आदिष्ट होने के कारण भाक्त है, ऐसा कहना समीचीन नहीं है। क्योंकि अभिधा वृत्ति से जो आक्षिप्त न हो वह भी किसी न किसी प्रकार वाणी से अलग से कहा जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ वाच्य अर्थ से भिन्न भी कोई अर्थ हो सकता है। किसी भी तत्त्व में अनिर्वचनीयता नहीं हो सकती, भले ही वह अभिधा, लक्षणा से प्रतीत न होने पर भी व्यञ्जना के द्वारा प्रतीयमान हो सके। ध्वनि के अलावा दूसरा नाम बदल लेना कितना पाण्डित्य है अर्थात् ध्वनि का गुण, अलंकार में अन्तर्भाव कर लेना या इसी प्रकार अन्य नामकरण कर देना उचित नहीं है। विचित्र उक्ति में इसका अन्तर्भाव नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार किसी अन्य साहित्यशास्त्र की संज्ञा में ध्वनि का नाम बदलना उचित नहीं है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि शब्दार्थ को ध्वनि न माना जाय और केवल शब्दार्थ को ही वांछित अर्थ मान लिया जाय तो इस प्रकार संज्ञा मात्र से क्या लाभ। यह कहना समीचीन नहीं है कि शब्द और अर्थ का चारुत्व ध्वनि है। यह भी कहना उचित नहीं है कि अर्थों का चारुत्व अलंकारों से और संघटना धर्म का चारुत्व अर्थ गुणों से होता है और इसलिए गुण और अलंकार के अतिरिक्त ध्वनि नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि ध्वनि चारुत्व का हेतु है। अतः वह उससे व्यतिरिक्त नहीं। ध्वनि चारुत्व का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि न तो यह शब्द रूप है न तो अर्थ रूप। यह चारुत्व का हेतु इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह गुण तथा अलंकार से व्यतिरिक्त है।

यदि ध्वनि को शब्द अर्थ के स्वभाव का न माना जाय और चारुत्व का हेतु भी न माना जाय तो भी वह गुण और अलंकार से व्यतिरिक्त होगा। इस प्रकार ध्वन्यात्मक अपूर्व काव्य को जो जानते हैं वे सहृदय हैं और उनका जो मत है वह काव्यलक्षण के प्रस्थानों के अतिरिक्त होगा। यदि है। अर्थ सभी लोगों के द्वारा संवेद्य नहीं होता, केवल अर्थ मात्र से महाकाव्य का व्यपदेश नहीं होता। इसीलिए सहृदयजनों के द्वारा प्रशंसनीय अर्थ ही स्वीकार करने योग्य होता है। शब्दार्थ और ध्वन्यर्थ दोनों अर्थ होते हुए भी सहृदयों के द्वारा केवल एक की ही प्रशंसा होती है, क्योंकि वह विशेष रूप से प्रतीयमान अर्थ होता है। विशेष होने के कारण विवेकी लोगों द्वारा आत्मा के रूप में उसे व्यवस्थापित किया जाता है। इसलिए सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय एक ही अर्थ होता है, दोनों नहीं। शब्द के दो अर्थ अवश्य होते हैं, किन्तु सहृदय श्लाघ्य एक ही अर्थ होता है, जिसको प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। जो वाच्य अर्थ उपमा आदि अलंकारों से प्रसिद्ध है, उसका व्याख्यान अन्य विद्वानों द्वारा किया गया है लेकिन जो प्रतीयमान अर्थ है वह वाच्यार्थ से कुछ और ही वस्तु है—

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु॥'

अर्थात् आनन्दवर्धन के अनुसार महाकवियों के वचनों में प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु है, जो वह प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त रूप में स्त्रियों में लावण्य की भाँति विशेष भाषित होता है।

उक्त कारिका में पुनः शब्द की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि पुनः शब्द वाच्य विशेष का द्योतक है। अर्थात् प्रतीयमान अर्थ उस वाच्य से व्यतिरिक्त और सारभूत है और यह तत्त्व महाकवियों के समस्त विषयों में प्रतिपाद्य प्रतीयमान अर्थ को द्योतित करता है। महाकवि वही होता है जो प्रतीयमान अर्थ से अनुप्रमाणित काव्य के निर्माण में निपुण ध्वनि शोभा का हेतु है तो गुण और अलंकार से व्यतिरिक्त नहीं है और शयदि वह गुण, अलंकार से व्यतिरिक्त है तो वह शोभा का हेतु नहीं है यह कहना समीचीन नहीं है।

अभिनवगुप्त ने अभाववादियों और भाक्त का खण्डन किया है, क्योंकि भक्ति लक्षणा है जैसे- अभिधेय के द्वारा तट आदि सामीप्य धर्म लक्षित होता है। उसी प्रकार अभिधेय के द्वारा वाच्यार्थ बाधित होकर लाक्षणिक अर्थ भाक्त भी है। यह कहना उचित नहीं है कि ध्वनि केवल उपचार है, क्योंकि उपचार के अभाव में भी ध्वनि होती है। यह ध्वनि रूप भेद के कारण भक्ति के साथ एकत्व प्राप्त नहीं करती। अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण यह लक्षित नहीं होती। ध्वनि के किसी भेद का वह भक्ति उपलक्षण नहीं हो सकती है। आनन्दवर्धन कहते हैं-

योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ।¹

अर्थात् सहृदय जनों के द्वारा प्रशंसनीय जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, जिसके वाच्य और प्रतीयमान नाम के दो भेद माने जाते हैं। अभिनवगुप्त कहते हैं यदि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं तो उसके अनुसार शरीर ग्रहण से ही उसे अनुप्राणित करने के लिए किसी आत्मा को होना ही चाहिए। शब्द काव्य शरीर के भाग में स्थान प्राप्त करता प्रतिमा का भाजन हो। चूँकि प्रतीयमान अर्थ की सत्ता है इसलिए वह प्रकाशित होता है क्योंकि जो असत् है उसका भान नहीं हो सकता।

अभिनवगुप्त कहते हैं प्रसिद्ध जो वाच्य धर्मी है, वह अपने से व्यतिरिक्त प्रतीयमान से युक्त है और वह उसी प्रकार से भाषित होता है। जैसे लावण्य से युक्त अंगना का अंग। लावण्य वह धर्म विशेष है, जो अवयवों के संस्थान से अभिव्यक्त होकर अवयवों से व्यतिरिक्त रहता है। अवयवों की निर्दोषता अथवा उनका भूषणों से संयोग लावण्य नहीं है। सहृदयों के द्वारा ऐसी स्त्री के विषय में “यह लावण्य रूपी अमृत की चन्द्रिका है” इस प्रकार अनुभव होता है। लावण्य अंगों से व्यतिरिक्त रूप में प्रसिद्ध है उसी प्रकार वह प्रतीयमान अर्थ सबसे भिन्न है। प्रतीयमान अर्थ के दो भेद हैं- लौकिक और काव्य व्यापारिकगौचर। लौकिक वह है जो स्व शब्द वाच्य होने की स्थिति को प्राप्त करता है। वह विधि निषेध आदि अनेक प्रकार का होता हुआ वस्तु शब्द से कहा जाता है।

अभिनवगुप्त के अनुसार शब्दों द्वारा समर्पित और सहृदयों के हृदय से संवाद रखने के कारण सुन्दर विभाव, अनुभाव, रति आदि वासनाओं के अनुराग के द्वारा सुकुमार और सहृदय की संवित् का आनन्दमय चर्वणा रूप व्यापार के द्वारा रसन के योग्य रस है। काव्य के व्यापार का एक मात्र गोचर रस ध्वनि है और वही ध्वनि ही ध्वनि मात्र ही है, वही मुख्य रूप से आत्मा कवि का शोक ही समुचित शब्द, छन्द, वृत्त आदि से नियंत्रित हुआ श्लोक की अवस्था को प्राप्त होता है-

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।²

अर्थात् हे! व्याध काम से मोहित क्रौञ्च पक्षी के जोड़े में से एक को तूने मार डाला है, इसलिए अनन्तकाल तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकोगे।

अभिनवगुप्त के अनुसार अर्थ अपने आप को गुणीभूत करता है और शब्द अपने को गुणीभूत करता है। इसके बाद वे प्रतीयमान अर्थ का द्योतन करते हैं। शब्द और अर्थ दोनों का उल्लेख करने का तात्पर्य है कि अविवक्षितवाच्य की ध्वनि में अर्थ की सहकारिता रहती है और शब्द व्यञ्जक होता है। इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में अर्थ व्यञ्जक होता है और शब्द सहकारी होता है। इस प्रकार सर्वत्र ध्वनन शब्द और अर्थ दोनों का ही व्यापार है। जहाँ प्रतीयमान अर्थ होता है उसको विशेष काव्य कहते हैं और विद्वानों द्वारा उसी को ध्वनि कहा जाता है। ‘ध्वनति’ या ध्वनन करता है इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाच्य अर्थ ध्वनि है और इस प्रकार शब्द भी श्वन्यतेः इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्यंग्य ध्वनि है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ का व्यापार ‘ध्वनन’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार ध्वनि है। कारिका द्वारा तो प्रधानतया समुदाय ही काव्य मुख्य रूप से ध्वनि है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार गुण और अलंकार से व्यतिरिक्त यह ध्वनि है।

संदर्भ

- 1 ध्वन्यालोक, 1/4
- 2 ध्वन्यालोक, 1/2
- 3 ध्वन्यालोक, पृ. 88 पर उद्धृत ।

कृषि विकास में आत्मनिर्भर भारत

अमिता

शोध छात्रा, ईश्वर शरण पी0जी0 कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

शोध सारांश :-

‘कृषि’ जीवन का एक ऐसा सजीव हिस्सा है कि जिसके बिना जीवन की सम्भावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। अनाज है तो हम हैं और देश का कल है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज कृषि पर आत्मनिर्भर थे वह अन्य श्रम कार्य को महत्व न देते हुए कृषि को ही सर्वोपरि मानते थे। परन्तु बदलते भारत के परिदृश्य में दिशा और दशा दोनों का बदलाव तेजी से हुआ है। प्राचीन भारत में जिस किसान को अपने किसान होने पर गर्व होता था आज वहीं किसान अपने अपनी ही समस्याओं के साथ संघर्ष करता हुआ जीवन को समेटे हुए दम तोड़ता नजर आ रहा है। वर्तमान परिदृश्य में कृषि? कृषक? दोनों ही संकट में हैं। क्या आज भी किसान पूर्णरूप से कृषि पर निर्भर हैं?

पूंजीवादी शासक एवं सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती हैं जिनमें से कुछ ही योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पाता है और शेष योजनाओं के विषय में जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इन सभी विषयों पर ध्यान, अन्न विपणन का उचित निर्धारित मूल्य एवं तकनीकीकरण का सुचारू रूप से प्रयोग कर हम अपने देश की कृषि स्थिति में सुधार की पहल कर सकते हैं। अतः इसी शोध आलेख में इन्हीं बिन्दुओं पर विभिन्न दृष्टिकोण से मैने देखने का प्रयत्न किया है।

बीज शब्द :- प्राचीन काल में कृषि विकास की स्थिति, वर्तमान परिदृश्य में कृषि पर आत्मनिर्भरता, कृषि का वैश्विक स्तर, कृषि का बदलता स्वरूप, किसान की स्थिति, किसानों की समस्या, तकनीकीकरण, योजनाओं का लाभ।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं किसान (कृषक) दोनों की महत्वपूर्ण कृषक भूमिका रही है। कृषि हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हमारे जीवन के एवं देश के विकास एवं श्रम का महत्व इसी कृषि पृष्ठभूमि से लिया जाता रहा है, लेकिन आज के बदलते भारत के स्वरूप को देखते हुए बात करें तो कृषि एवं कृषक दोनों की स्थिति सोचनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक वर्ग का जन-जीवन आज भी कृषि पर ही निर्भर है। समाज का एक बड़ा हिस्सा/समूह पूर्ण रूप से जो कि आज भी कृषि पर निर्भर तो है लेकिन इस कृषि के माध्यम से केवल कृषक के परिवार का पेट भरना ही सम्भव हो पाया है परिवार की अन्य जरूरतें, दवा, कपड़े एवं शिक्षा व्यवस्था के लिए अभी भी पर्याप्त मुद्रा या कीमतें नहीं मिल पाती हैं। भारत के बड़े समूह की बात करें तो कृषक समाज सभी का पेट भरकर पालन-पोषण कर रहा है, लेकिन स्वयं उसका पुत्र या पुत्री यह महंगी शिक्षा व्यवस्था एवं सस्ती दर पर अन्न की सस्ती कीमत के कारण वह उससे वंचित रह जाते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि एवं उससे सम्बंधित कार्यों में लगी हुई है।¹

वर्तमान की मतों के अनुसार वर्ष 1950-51 में भारत श्री जी. डी. पी. में कृषि का योगदान 51.81 प्रतिशत था जो वर्ष 2013-14 में 18.20 प्रतिशत रह गया। केन्द्रीय सख्यिकी कार्यालय (CSO) के अनुसार 2016-17 में कृषि सम्बंधित क्षेत्रों का योगदान गिरकर 17.40 प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार घट रही कृषि विकास की जनगणना से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि एवं कृषक की हालत किस प्रकार से बची रह गयी है।²

कृषि के विकास में घट रही उन्नति एवं कृषक के जीवन में उनकी आय का निरन्तर कम होना उनके सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। केवल कृषि को ही जीवन का आधार मानकर चल रहे किसानों की स्थिति दिन प्रति दिन बैंक लोन, कर्ज, जमींदारों से दबती जा रही है जिसके कारण कृषक जीवन को खत्म करना ही अपने जीवन का अन्तिम लक्ष्य समझता है। और बहुत सारे किसान अपनी जमीन (खेत) को बेचकर कर्ज से मुक्त होने के लिए स्वयं को बेगारी तथा मजदूरी करने की ओर उन्मुख हो रहा है। जो कि भारत के लिए भारत के प्रति चिंता एवं चिंतन की स्थिति व्यक्त कर रहा है। किसान की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वह स्वयं को किसान हूँ? बताने से हिचकता है।

प्राचीन समय में किसानों की स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। ग्रामीण किसान के जीवन का आधार सभी कर्मकाण्ड, कृषि जीवन से ही जुड़े हुए थे भारतीय जनजीवन में आय का स्रोत ही केवल कृषि थी। प्रेमचंद के उपन्यास ‘गोदान’ का को नायक ‘होरी’ जिसको अपने कृषक होने पर गर्व होता है। होरी कृषक जीवन को महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित एवं समस्त कृषक जीवन के गुण-दोषों को समाहित किए भारतीय कृषक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वर्तमान में संजीव का उपन्यास ‘फांस’ पढ़ते हैं तो 21 सदी के किसान जीवन का सटीक वर्णन दिखाई देता है। जिसमें इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार किसान अपनी छोटी-छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है और अंत में चुका नहीं पाता वह आत्महत्या कर लेता है ऐसे में हम देखते हैं कि स्थिति कितनी

दर्दनाक हो जाती है। जहाँ एक तरफ, एक समय में किसान को किसान होने पर गर्व होता था वहीं वर्तमान समय में किसान आत्महत्या कर रहा है। वह कर्ज, और पैदावार के प्रति इतना निराश हो गया है कि स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है।

“वर्ष 1908 में ‘हिन्द स्वराज’ में गांधी जी ने किसानों को आत्मबल युक्त समुदाय के रूप में देखा था और उसे सत्याग्रह का परम्परागत प्रयोग कर्ता बताया था। उनके अनुसार हिन्दुस्तान का अर्थ मुट्ठीभर राजगण न होकर वे करोड़ों किसान हैं जिनके सहारे राजा और अन्य सभी जी रहे हैं। किसान किसी के तलवार बल के बस में न तो कभी हुए हैं और न होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, न किसी तलवार से वे डरते हैं। वे मौत को हमेशा अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा है, उन्होंने मौत का डर छोड़ दिया। इसलिए सबका डर छोड़ दिया।”⁴

गांधी जी के इस विचार से समझ सकते हैं। कि भारत की कृषि एवं कृषक किस प्रकार समृद्ध थे।

गांधी जी हमेशा भारतवासियों को सुखी एवं समृद्ध देखना चाहते थे लेकिन अंग्रेजों का भारत आना यहाँ की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने में इनकी विशेष भूमिका रही क्योंकि इन्होंने किसानों की भूमि व्यवस्था को बदलकर जमींदारी व्यवस्था को केंद्र में रखा और वही ले कृषि एवं कृषकों की उन्नति एवं स्थिति दोनों विपरीत होने लगी।⁵ ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति के कारण इस देश में कृषि का कोई विकास नहीं हुआ। इन अंग्रेजी शासकों ने जमींदारों का एक नया वर्ग खड़ा कर दिया जिनका मुख्य काम किसानों का शोषण था। मजबूर किसान उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान के रूप में काश्तकारों, किसानों से छीन लेते थे जिससे वास्तविक काश्तकार के पास केवल जीवन निर्वाह के लिए ही अनाज मिल पाता था। इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्व किसान दबे सहमे जीवन जीते रहे।⁶

स्वतंत्र भारत में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, 1966 ई0 में हरित क्रान्ति के आगमन से किसानों में उत्सव आया है जो कि ‘भारतीय अर्थव्यवस्था - वी0के0 पुरी एस0के0 मिश्र भारत गर्ग द्वारा सम्पादित: पुस्तक में अतिरिक्त है -

- कृषक वर्ग ने कृषि को व्यवसाय के रूप में देखने को प्रेरित हुए।
- सिचाई की अनुकूल व्यवस्था
- खाद्य, उर्वरक की समता को बढ़ावा
- उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा मिला

कृषि विकास के समक्ष चुनौतियाँ भी विशेष रूप से रहीं जिन्हें हम क्रमिक रूप से ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ नामक पुस्तक में देख सकते हैं।

- भारतीय किसान का मानसून पर निर्भर रहना
- भूमि की कम उत्पादक क्षमता
- रासायनिक खादों का प्रयोग न होना
- उन्नत बीजों का उपलब्ध न होना
- परम्परागत तरीकों से कृषि करना
- तकनीकी उपकरणों का विकास न होना।⁷

बदलते भारत के स्वरूप में किसानों को भी बदलाव की जरूरत है। कम समय में तकनीकी करण के माध्यम से अधिक उपजाने की आवश्यकता है। भूमि को उर्वरक बनाने के लिए जिन निमित्त संसाधनों एवं योजनाओं का लाभ लिया जाना चाहिए उन संसाधनों का आयोजन लेना आवश्यक है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिन योजनाओं का निर्धारण किया है निम्नलिखित है -

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- (RKVY) - सरकार ने 6 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुवात की है। इस योजना के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है इस योजना का उद्देश्य : कृषि और सम्बद्ध सेलों का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करके व्यावहारीक पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% की वार्षिक सवृद्धि दर प्राप्त करना।⁸
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-(NFSM) राष्ट्रीय विकास परिषद (NDCO) की कृषि उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर 2007 में इल योजना का व प्रारम्भ किया गया। 2007-08 से राज्य में गेहूँ एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया था।⁹

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत (2012-17) मिलिगन तन अनाज उत्पादन के लक्ष्य को रखा गया। इसके बाद मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों को NESM-1 के दायरे में शामिल किया गया। NFSM वर्तमान में देश में 638 जिलों में लागू किया जा रहा है।¹⁰

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMIFBY) - 13 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य

- (i) प्राकृतिक विपत्तियों के कारण जो कीटों या बिमारियों के कारण सूचीबद्ध फसलों की जो हानि होती है उसके लिए किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा सहायता प्रदान करना।
- (ii) किसानों के आय में स्थापित्व लाना जिससे किसान खेती-बाड़ी में लगे रहे।
- (iii) किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे आधुनिक कृषि विधियाँ अपनाएं।¹¹

राष्ट्रीय मृदा- स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना -

- (i) मृदा स्वास्थ्य तथा इसकी उर्वरता बढ़ाने हेतु द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैविक खादों एवं जैव उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के जरिए एकीकृत पोषण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना उसे बढ़ावा देना।
- (ii) उर्वरक नियंत्रण आदेश को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने हेतु राज्य सरकारों के क्रियान्वार रहे अधिकारियों को प्रशिक्षित करने सहित फर्टिलाइजर कंट्रोल सुविधाओं को बल प्रदान कर उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना।¹²
 - सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन- इसे मिशन के रूप में 2010 में आरम्भ किया गया था। NMMI पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय वृद्धि करने के लिए (NFSM) तिलहनों, दालों एवं मक्का की एकीकृत योजना (ISOPOM) कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (TMC) आदि जैसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के समावेश को बढ़ावा देगा। पानी के खारेपन व जलभराव जैसी मुद्दों का हल भी प्रदान करेगा।¹³

वर्तमान समय में कृषक एवं सरकार दोनों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। कृषक को भी परम्परागत ढाँचे से निकलकर तकनीकीकरण की ओर उन्मुख होकर कृषि विकास को उन्नति प्रदान करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वयं का एवं कृषि को प्रगतिशील करना है।

कृषि क्षेत्र में गिरावट के बावजूद इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान वैश्विक औसत 6.1 प्रतिशत से अधिक है। विश्व में कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत 15.74 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होने के कारण दूसरा स्थान है। दुनिया में मात्र 15 जलवायु क्षेत्र हैं, जबकि भारत में 20 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत दुनिया में अग्रणी 15 कृषि उत्पादन निर्यातक देशों में शामिल है। यह सब भारतीय कृषि और किसान को गर्व अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इतना होते हुए भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का ध्यान रखते हुए भारतीय किसान और भारतीय कृषि की दशा को सुधारने और इसे नई दिशा में देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 के बजट में ग्रामीण, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों के लिए आवंटन 24 प्रतिशत बढ़ाकर एक लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये कर दिया था। वर्ष 2022 तक किसानों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। इनके माध्यम से किसानों की दशा में सुधार लाकर उन्हें दिशा दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सही नीति बनाई जाए और सही नीयत से उसे कार्यान्वित किया जाए। हमारे यहां की एक प्रसिद्ध कहावत थी, “उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी अधम समान” अर्थात् आजीविका श्रेष्ठ साधन कृषि है, व्यापार और नौकरी का स्थान उसके बाद आता है। इसे पुनः चरितार्थ किया जा सकता है।

संदर्भ

1. <https://rajbhasha.gov.in&> भारतीय किसान दशा और दिशा, आलेख पृष्ठ सं.-24
2. वही, पृष्ठ सं.-24
3. वही, पृष्ठ सं.-24-25
4. वही, पृष्ठ सं.-25-26
5. भारतीय अर्थव्यवस्था -वी0के0 पुरी, एस0के0 मिश्र, भारत गर्ग, 34वां संस्करण हिमालय पब्लिशिंग हाऊस पृष्ठ सं. -189
6. वही, पृष्ठ सं.-196
7. वही, पृष्ठ सं.-196
8. वही, पृष्ठ सं.-196
9. वही, पृष्ठ सं.-197
10. वही, पृष्ठ सं.-197
11. वही, पृष्ठ सं.-198
12. hi.vikaspeadia.in
13. hi.vikaspeadia.in

आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप में आत्मनिर्भर भारत; महात्मा गाँधी और स्वतंत्र भारत के सन्दर्भ में

डॉ० श्वेता मोर

सहायक प्राध्यापक, शा.क.ने.कन्या महाविद्यालय, बालाघाट, म.प्र.

सारांश

आत्म का अर्थ होता है स्वयं। किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता वह स्थिति है जिसमें वह स्वयं की आवश्यकताओं के लिए अन्य किसी के सहयोग पर निर्भर नहीं होता। सामान्य शब्दों में आत्मनिर्भरता अपने सामर्थ्य पर जीवन यापन करने की अवस्था है सामान्यतः आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति को ही आत्मनिर्भर समझा जाता है परंतु ऐसा नहीं है, वास्तव में यह स्वयं पर पूर्ण रूप से निर्भर होने की अवस्था है। एक राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता की परिभाषा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हर कार्य को करने की क्षमता से है। आधुनिक भारत के इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार के प्रस्तावकों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत आलेख में गाँधी जी के विचारों एवं विविध प्रधानमंत्रियों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गए कार्यों की विवेचना के साथ अलग-अलग दृष्टिकोणों से आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक स्वरूप में आत्मनिर्भर भारत को किस प्रकार अस्तित्व में लाया जा सकता है प्रस्तुत तथ्य का विवेचन ही इस आलेख में किया जाएगा।

कीवर्ड्स – आत्मनिर्भरता, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, नैतिकता, सामाजिक, सामाजीकरण, उत्पादन, राजनीतिक

1. आत्मनिर्भर भारत का अर्थ

आत्म का अर्थ होता है स्वयं। किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता वह स्थिति है जिसमें वह स्वयं की आवश्यकताओं के लिए अन्य किसी के सहयोग पर निर्भर नहीं होता। देश के लिए आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह है कि देश अपने आंतरिक शासन एवं नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी बाहरी देश पर आश्रित ना हो। भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है, हम हर प्रकार की चीजों को बनाने और उसका अपने जीवन में उपयोग करके राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकते हैं। सैकड़ों वर्ष तक विदेशी दासता में रहने के कारण भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अत्यंत सोचनीय हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत के नीति निर्माताओं और समाज सुधारकों को इंगित करते हुए कहा था – “जो सबसे कमजोर और गरीब आदमी तुमने देखा हो उसे याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा.... क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा,.... यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है।” आत्मनिर्भर भारत का अभिप्राय है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर निर्भर रहना होगा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हर वस्तु का निर्माण भारत में होगा भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाया जाएगा पहले से विद्यमान उद्योगों में सुधार किया जाएगा युवाओं के लिए रोजगार गरीबों के लिए पर्याप्त खाना ही सच्चे अर्थ में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगा। मेरे लिए सामाजिक स्वरूप में आत्मनिर्भरता का अर्थ है व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर होते हुए समाज के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण ढंग से जीवन बिताये और उनके विकास में मदद करे। राजनीतिक स्वरूप में आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश का शासन इस तरह से चलाया जाये जो अधिकतम लोक कल्याण पर आधारित हो इसके लिए राजनीति स्वार्थपरिता, हिंसा, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता आदि से मुक्त होना चाहिए। सम्पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि भारत हर उस क्षेत्र (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) में सक्षम होगा जिसमें वह दूसरे देशों की मदद लेता है फिर उस क्षेत्र में सक्षम होगा जिससे देश के विकास को लाभ पहुंचेगा इस तरह भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा।

2. महात्मा गांधी और आत्मनिर्भरता

आधुनिक भारत के इतिहास में आत्मनिर्भरता के विचार के प्रस्तावकों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्थान महत्वपूर्ण है उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट और वैकल्पिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की उन्होंने

एक और जहाँ स्थानीय क्षेत्र के प्रति झुकाव, स्थानीय समुदाय के भीतर उत्पादन, सभी की जरूरतें पूरी करने की उसकी क्षमता और चिरस्थायी जीवन यापन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए वहीं दूसरी तरफ इस हेतु उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए कहने का तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना गांधीवाद के अंतर्गत स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। जिसे निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है -

2.1 आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को परिभाषित करते गांधीवादी सिद्धांत

- स्वराज - हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित वह पुस्तक है जिसमें उनके अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित विचार प्रकट होते हैं। गांधी जी ने जीवन के बुनियादी पहलुओं में ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता के बारे में अपनी परिकल्पना को विवेचित किया है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति कोई गांव कोई देश केवल आत्मनिर्भर बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भरता नैतिक विकास से संबंधित है, जो मस्तिष्क शरीर और आत्मा के विकास के माध्यम से संभव है, तथा यह सत्य, अहिंसा अपरिग्रह या गैर अधिकार की भावना द्वारा किए गए आचरण में परिलक्षित होती है। गांधीजी का मानना है कि व्यक्ति इस तरह आचरण करके आत्म बल प्राप्त कर सकता है जो व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं, भावनात्मक अतिरेक और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इंसानी प्रवृत्तियों को सीमित करने की क्षमता रखता है, इसी से सतत विकास भी संभव होता है तथा किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भरता प्रबल रहती है। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में गांधी जी की यह विचार कहीं न कहीं सामाजिक आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं क्योंकि व्यक्ति सामाजिक जीवन की वह इकाई है जिससे मिलकर ही समाज का निर्माण होता है, और व्यक्तिगत रूप से यदि व्यक्ति आत्म नियंत्रण और नैतिक विकास प्राप्त करता है तो निश्चित ही इससे सामाजिक आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी।
- स्थानीय शासन - गांधी जी द्वारा रचित हिंद स्वराज पुस्तक में हमें स्थानीय शासन और आर्थिक विकास के पहलुओं के रूप में आत्मनिर्भरता की धारणा भी दृष्टिगत होती है। गांधी जी एक ऐसे शासन में विश्वास रखते थे जिसमें जनता की अधिकतम सहभागिता हो तथा वरीयता क्रम में ऊपर के स्तर के शासन के साथ उसका संबंध हो उनका मानना था कि कोई देश केवल आत्मनिर्भर होकर ही स्वतंत्र हो सकता है और इसकी शुरुआत ग्रामीण शासन स्थानीय स्तर पर ग्रामवासियों द्वारा संचालित करने से ही होगी गांधी जी का यह विचार राजनीतिक आत्मनिर्भरता के स्वरूप को प्रगट करता है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वदेशी महात्मा - गांधी जी ने गांव की आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गांवों में नई जान डालने की जरूरत पर अधिक बल दिया। उन्होंने लिखा कि भारतीय गांव भारतीय कस्बों और शहरों की जरूरत की सभी चीजों का उत्पादन और आपूर्ति करते थे। भारत उस समय दरिद्र हो गया जब हमारे शहर विदेशी बाजार बन गए तथा विदेशों से आई सस्ती और घटिया वस्तुओं को भरकर गांवों को खोखला करने लगे। उनके यह विचार स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं महात्मा गांधी ने कृषि और शिल्पकारी के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रस्ताव भी व्यावहारिक रूप में देश के समक्ष रखा। गांवों में बुनाई और कताई पर अधिक जोर देते हुए उन्होंने ग्रामीणों के परंपरागत व्यवसाय रहे सभी प्रकार की शिल्पों पर जोर दिया और इस प्रकार उन्होंने शिल्पकारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया किंतु यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आधुनिक मशीनी सभ्यता दूसरे शब्दों में औद्योगिकीकरण के प्रति उन्होंने अरुचि भी व्यक्त की। और उनका विश्वास था कि खपत केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित होनी चाहिए जिनका निर्माण मशीनों के बगैर किया जा सकता है। उनके इस विचार के पीछे उनका यह विश्वास था कि श्रम बचाने के लिए मशीनें रखने का विचार परोपकार की भावना से संचालित नहीं है, वरन इसके पीछे लालच की भावना होती है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। उनका मानना था मशीनों से अधिकाधिक कार्य करने से यह व्यक्तियों का स्थान ले लेगी और इसका उपयोग अधिकाधिक धन का संचय करने के लिए किया जाता है।
- रचनात्मक कार्यक्रम - महात्मा गांधी ने अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया जो 1941 में लिखी गई पुस्तक में निहित थे साथ ही साथ उनके द्वारा इस विषय पर की गई चर्चाओं और भाषणों से भी इन कार्यक्रमों की पुष्टि होती है। गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, सर्वोदय की विचारधारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार, नई तालीम का विकल्प, खादी के उपयोग तथा ग्राम स्वराज को बढ़ावा देने की पहल इत्यादि उनके द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्यक्रमों का व्यवहारिक रूप स्पष्ट करते हैं

3. महात्मा गांधी के पश्चात भारत में आत्मनिर्भरता

आजादी के बाद भारत की गरीबी और भुखमरी को देखते हुए महात्मा गांधी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था पर उस स्थिति में सुविधाओं की कमी के कारण यह स्वप्न पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया था लेकिन जहां तक हो सका लोगों ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को आरंभ हुई तथा नेहरू के बाद विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव आज से करीब 27 साल पहले हुआ था। उस समय देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था और बजट से उम्मीदें थी कि इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को सभी जरूरी कदम उठाने की छूट दी। उस समय भुगतान को संतुलित करने के लिए कई कदम उठाने पड़े - दुनिया की कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया, बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण कम हुआ, लाइसेंस-परमिट राज की समाप्ति की गई,

निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, सरकारी कंपनियों को विनिवेश करने की भी मंजूरी डी गई, आयात शुल्क में भारी गिरावट भी की गई। इस बजट के तहत जिन नीतियों को प्रस्तुत किया गया, उससे देश में स्वदेशी की गूंज उठने लगी थी। साल 1991 में मुंबई में आरएसएस प्रमुख बालासाहेब देवरस ने स्वदेशी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था— तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा था— “विचारधारा से परे जाकर भी मैं देशहित को सर्वोपरि मानते हुए बालासाहेब के स्वदेशी अभियान को पूर्ण समर्थन देता हूँ।” भारत में साल 1991 से लेकर 1995 तक एक स्वदेशी अभियान चला। जब 1996 तथा 1998 में, केंद्र में भाजपा की सरकार आयी, तो स्वदेशी को लेकर जो भी अभियान चल रहे थे, उन सभी पर वाजपेयी सरकार ने मौन साध लिया। इस तरह से स्वदेशी का एक बड़ा आंदोलन धराशायी हो गया।

वर्तमान कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता की पहल की है। आत्मनिर्भरता अपने-आप में एक पूरा दर्शन है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे परिभाषित करने की कोशिश की है। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया की मुख्यधारा से कट जायें, बल्कि इसका अर्थ है कि जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी दूसरे देशों की मदद कर सकेंगे।

कोरोनावायरस के संकट में फिर से महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता के उस सपने को याद करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की है। जिससे की 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाएँ। कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आवाहन किया कि संकट की घड़ी में सभी को आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र की सेवा और विकास में योगदान देना होगा। इस समय लॉकडाउन के कारण देश के मजदूर और किसान बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी किसान, गरीब नागरिक, काश्तगार, प्रवासी मजदूर, कुटीर उद्योग में काम करने वाले नागरिक, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग, मछुआरे, पशुपालक, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति थे।

कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी के समय देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर आदि का बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता था। लेकिन ऐसी भयानक स्थिति में खुद पर निर्भर होने का बहुत ही बड़ा उदारहण हमने अन्य देशों को दिया है। इनका स्वयं उत्पादन करना आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अहम और पहला कदम है और यह सफल भी हुआ है। इससे हमारा देश दूसरे देशों की नजरों में और भी ऊँचा हो गया है।

कोविड-19 के तहत देश के सभी नागरिकों को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को चलाया गया था। ये एक प्रकार का अभियान है जिसके अंतर्गत तीन चरण बनाये गए हैं जिसमें हर एक चरण में अलग-अलग योजनाओं को चलाया गया। योजना को तीन चरणों में शामिल किया गया— 1.0, 2.0 और 3.0 । पहले और दूसरे चरण के गुजरने के बाद सरकार द्वारा 3.0 को लांच किया गया है। तीसरे फेज के अंतर्गत 12 स्कीम को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगो में जागरूकता आएगी और लाभार्थी को आर्थिक मदद दी जाएगी। जिससे की गरीब लोगो किसी के आगे ना झुकना पड़े। सरकार की मदद से भारत एक नई ऊँचाई पर पहुँचेगा। इस योजना का उद्देश्य समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना है।

4. आलोचना

यह बहुत बड़ा प्रश्न है की वर्तमान भारत के परिपेक्ष्य में क्या महात्मा गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों और व्यवहारिक कार्यों को वास्तविक जीवन में अपनाया जा सकता है ? वास्तव में महात्मा गांधी के आदर्शों और कार्यों का क्रियान्वयन होना असंभव नहीं है। सच्चाई यह है कि पर-निर्भरता, मशीनीकरण, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली तथा जीवन शैली में, झूठ, बेईमानी, स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच की बीमारियाँ घर-घर में है, ऐसे में महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी, श्रम आधारित उत्पादन पद्धति, संसाधनों का विकेंद्रीकरण, न्यास धारिता का उत्पादन और वितरण के कार्यों में क्रियान्वयन, संयम, विलासिता और आडंबरपूर्ण जीवन शैली का त्याग इत्यादि परिस्थितियों की उपलब्धता अत्यंत कठिन है।

सामाजिक रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मार्ग में भी अनेक बाधाएँ हैं जैसे समाज में अभी भी व्याप्त अस्पृश्यता जैसी कुरीतियाँ, जनमानस में सांप्रदायिकता की भावना, नागरिकों में निरंतर नैतिकता का हनन, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का युवा वर्ग में नकारात्मक प्रभाव आदि। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्रजातांत्रिक शासन में नागरिकों की उदासीनता, भ्रष्टाचार, चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अनैतिक साधनों का प्रयोग, नागरिकों में जागरूकता का अभाव स्वार्थ परिता, वोट बैंक की राजनीति, राजनीतिक दल के विभिन्न नेताओं का नैतिक पतन, हिंसा की राजनीति आदि वे नकारात्मक बाधाएँ हैं जो संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत के हमारे उद्देश्य को क्रियान्वित होने से रोकती है।

5. निष्कर्ष

आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह भी है कि जब हमारे देश में जहाँ पर्याप्त संसाधन, सरकारों के पास करोड़ों का बजट और धार्मिक संस्थाओं और अन्यो के पास खरबों रुपये की पूंजी और हीरे जवाहरात उपलब्ध है, तो करोड़ों लोगों के रोजगार पर संकट क्यों उत्पन्न होता है..... भारत कैसे दुसरो पर निर्भर हो जाता है ? वास्तव में आत्मनिर्भर भारत को लेकर हर सरकार की सोच चाहे कितनी अच्छी हो लेकिन बेहतर होगा कि इससे सम्बंधित योजनाओ के क्रियान्वयन से पूर्व महात्मा गांधी की तरह देश के भीतरी हिस्से में जाकर अध्ययन करें, स्थानीय लोगों से बातचीत कर योजनाओं पर आम आदमी की राय लें और व्यवहारिक मुश्किलों को ध्यान में रखकर योजनाओ को बनाकर उसे पूरे मनोयोग और निःस्वार्थ भाव से क्रियान्वित करे निष्कर्षतः यदि आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करना है तो आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक का प्रयोग करते हुए नीतियां/योजना बनाई जाये एवं महात्मा गांधी द्वारा सुझाये गए सत्य, अहिंसा, नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए उसे क्रियान्वित किया जाये तो, इस लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।

कोरोनाकाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में 'आत्मनिर्भर भारत' की बात कही। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ सिर्फ आयात कम करना नहीं है, बरन हमारी क्षमता, सृजनशीलता और योग्यता को भी बढ़ाना है। भारत के लिए प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली का विकास किया जाएगा, अर्थात ऐसी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगी। भारतीय प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत का यह दृष्टिकोण कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न का 21वीं सदी के अनुसार रूपांतरण ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गाँधी मोहनदास करमचंद; "हिन्द स्वराज", राजपाल एंड संस, दिसम्बर 2019
2. गाँधी मोहनदास करमचंद; मेरे सपनों का भारत, नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद, 1960
3. कुमारप्पा जे. सी.; "गाँधी-अर्थ विचार" सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी
4. गाँधी मोहनदास करमचंद; अनुवादक काशीनाथ त्रिवेदी "रचनात्मक कार्यक्रम- उसका रहस्य और स्थान", नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद, 1946
5. गाँधी मोहनदास करमचंद; "सर्वोदय", सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन 2011
6. <https://www.amarujala.com/columns/opinion/economic-reforms>; नारायण कृष्णमूर्ति 14 जुलाई 2021 "भारत को बदलने वाले सुधार: 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने की थी"
7. <https://hindi.nvshq.org/aatm-nirbhar-bharat-abhiyan/>; आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2022, अगस्त 10, 2022
8. <https://pmmodiyojana.in/aatm-nirbhar-bharat-abhiyan/>; "आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 ", 24th May 2022 by Reena Sharma

आत्मनिर्भर भारत अभियान में महिलाओं का योगदान

कु० निशा गौतम

शोध-छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, मंगलायतन विश्वविद्यालय, बेसवान अलीगढ़ उ.प्र

सारांश: “अपने हौसलों से नारी भर रही ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान- एक लेखक की कलम से राष्ट्र तभी सशक्त बन सकता है जब उसका हर नागरिक सशक्त हो। इसमें भी महिलाओं की भूमिका ही सबसे आगे है। परिवार में वह एक मां के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है। राष्ट्र निर्माण में उसके इस योगदान का लंबा इतिहास रहा है। विद्वानों का मानना है, कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा हासिल था। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान काफी गिरावट आई। यह काल महिलाओं के लिए अंधकार का काल था। वर्तमान में महिलाओं ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। महिलाएं आज ने केवल अपने परिवार को संभाल रही, हैं बल्कि विधि, अकादमी साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला आयरन लेडी ने प्रधानमंत्री बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलित समाज से मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का योगदान अतुलनीय है। वर्तमान में डॉक्टर थॉमस को मिसाइल वूमेन अथवा अग्निपुत्री नामों से संबोधित किया जाने लगा और थल सेनासेना-नौसेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान बखूबी दे रही है।

संकेत शब्द: सशक्त, अग्निपुत्री, राष्ट्रीय निर्माता, बखूबी योगदान, नीतिनिर्माण, आयरन लेडी

प्रस्तावना: हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों किरदार निभाती हैं। वह अपने सभी किरदारों में अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने के लिए जानी जाती हैं। आज के आधुनिक युग में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती देखी जाती हैं परंतु आज भी बहुत सारी महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। समाज में आज भी लोग महिलाओं की योग्यता को पुरुषों से कमतर आंकते हैं। महिलाएं दोहोरी जिंदगी जीती हैं उन्हें अपनी जिंदगी का ख्याल रखने के साथ-साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। वह अपनी जिंदगी में बेटी, बहन, पत्नी, बहू, मां, प्रियसी, वैश्य, जैसे कई किरदारों को निभाते हैं परंतु इन सभी रिश्तों को निभाने के साथ-साथ आज कई महिलाएं नौकरियां भी कर रही हैं और अपना व अपने परिवार के साथ ही अपने देश का भविष्य उज्ज्वल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए कई जागरूक कार्यक्रम, अनगिनत योजनाएं चलाई गईं जिनसे महिलाएं सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ सके और अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। महिलाओं के उत्थान के लिए स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, उनमें सफलता भी हासिल हुई। उन्हीं में से एक आता है-आत्मनिर्भर भारत। मई 2020 भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। यह भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की एक दृष्टि है। मोदी जी ने कहा था कि संरचनात्मक सुधार एक प्रणालीगत नियोजन एकीकृत अंतर जुड़े और भविष्य की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे देश के आत्मनिर्भर बनने के पाठ्यक्रम को बदल देंगे। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब बाकी दुनिया से कट जाना नहीं है। इस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत एक बड़ा होने का अनुवाद करता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोविड-19 महामारी आई थी उस समय उसने समाज के हर वर्ग विशेष रूप से गरीबों दैनिक ग्रामीणों और महिलाओं के जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया था। इस संकट में आर्थिक प्रभाव काफी बड़ा था। इसने हर क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ऐसे में महिलाएं खामोश पड़ी थी। महिलाएं समाज की रीढ़ हैं, और उन्होंने हमेशा हमारे समाज को आकार देने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं को एकीकृत करने का सबसे व्यवहार समाधान है। अतः महिलाओं को शामिल करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना अनिवार्य है। क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं आज भी हर क्षेत्र में पीछे ही हैं। इसके बाद भी हम आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना शुरू किया है। जिसका परिणाम रास्ते की समुचित प्रगति के पथ पर उनका निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ, सुचेता कृपलानी, दक्षिणी वेलयुद्धन, झलकारी बाई, सावित्रीबाई फूले, अमृत, कौर सरोजिनी नायडू जैसी स्त्रियों ने आगे बढ़कर पूरी क्षमता एवं उत्साह के साथ देश सेवा के कार्य में भाग लिया। भारत के उत्थान हेतु समर्पित विदेशी नारियों में एनी बेसेंट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता आदि से भी यहां की नारियों को अत्यधिक प्रेरणा मिली। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्रियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया है और अभी भी प्रयास कर रही हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष बनीं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल थी जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय को दिए जाने वाली योगदान को भला कौन भूल सकता है जो लंबे समय तक भारत की पीएम रही। दलित समाज से संविधान सभा में महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली एकमात्र महिला सदस्य दक्षिणी वेलयुद्धन को भुलाया नहीं जा सकता।

अब वर्तमान में देखा जाए तो चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का क्षेत्र हो या बैंक या पुलिस हो या फौज, वैज्ञानिक हो या व्यवसाय, थलसेना, नौसेना क्षेत्र में। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सम्मान के साथ किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा कुमार, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मायावती, ममता बनर्जी निर्मला सीतारमण, संतोष यादव दुती चंद्र, कर्ण मल्लेश्वरी आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज नारियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश को आत्मनिर्भर बना रही हैं। आधुनिक नारी के संदर्भ में ऋतुराज रचना में प्रमुख कन्यादान की पंक्तियां-

मैं एक जागी हुई स्त्री हूँ
मैंने अपनी राह देख ली है
अब मैं लौटूंगी नहीं
मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं
मैंने सोने के गहने तोड़ फेंक दिए हैं
मैं वह नहीं जो पहले थी
मैं एक जागी हुई स्त्री हूँ

वर्तमान में महिलाओं ने अपनी नई छवि का निर्माण किया है। अब वह चूल्हा चौके तक सीमित ने होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई। अब वह सिसक-सिसक कर रोने वाली ने रही उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अगर देखा जाए तो रास्ते के निर्माण में स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान घर एवं परिवार को संभालने के रूप में हमेशा रहा है। किसी भी समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत कुछ सदस्यों का घर एवं बच्चों को संभालना एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। अधिकांश स्त्रियां इस दायित्व का निर्वहन बखूबी करती हैं। घर को संभालने के लिए जिस कुशलता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है। उसका पुरुषों के पास सामान्यता अभाव होता है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है।

स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की वर्तमान में शिक्षा दर इस प्रकार है।

वर्ष	व्यक्ति	महिलाएं	पुरुष
1951	18.33	8.86	27.16
1961	28.30	15.35	40.40
1971	34.45	21.97	45.96
1981	43.57	29.76	56.38
1991	52.21	39.29	64.13
2001	65.21	54.16	75.85
2011	74.04%	65.46%	82.14%

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में कार्य क्षेत्र में व्यापक लैंगिक असमानता को 25% कम कर लिया जाता है, तो इससे देश की GDP में 1 ट्रिलियन डॉलर तक वृद्धि हो सकती है।

1. विश्व आर्थिक मंच के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक लाभ देखने को मिलते हैं।
2. शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से महिलाओं में अपने स्वास्थ्य तथा विकास के प्रति जागरूकता के बढ़ने के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला है।
3. देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए, बेहतर योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से गरीबी, स्वास्थ्य और आर्थिक अस्थिरता से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
4. विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सर्वर पावर (SERB-POWER) नामक इस योजना की शुरुआत की गई इसका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है जिससे वे अपना उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रही हैं परंतु तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान नहीं दे पाईं। 21वीं सदी में भी इतनी स्वतंत्र होने के बाद भी महिला पुरुषों के मुकाबले हर क्षेत्र में कम है।

भारत में कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में कमी के कारणों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि: कहने को तो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं पर कहीं ना कहीं आज भी समाज प्राचीन परंपराओं को संजोए हुए है। इसका अधिक प्रभाव महिला स्थिति पर दिखाई देता है। भारत में लगभग सभी धर्म और वर्गों के लोग लंबे समय से समाज की मुख्यधारा में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को लेकर अधिक स्वीकार्यता नहीं है। वर्तमान में भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं को घरेलू कामकाज या अध्यापक अथवा नर्स आदि जैसी भूमिकाओं में ही कार्य करने को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक दबाव और विरोध की वजह से कुछ पारंपारिक क्षेत्रों को छोड़कर आम तौर पर अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम ही रही है। भारतीय समाज में व्यापक इस भेदभाव को बच्चे के जन्म से शुरू किया जाता है। इस भेदभाव को भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात में भारी असमानता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार 910 के आधार पर समझा जा सकता है।

उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों में कमी अगर देखा जाए कि पुरुष व महिला शिक्षा में यह अंतर क्यों है तो पता चलता है कि युवा होने पर युवतियों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाने नहीं दिया जाता जब उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की होती है, तो उनकी शादी कर दी जाती है। वैसे पिछले दो दशक में देश में प्रारंभिक शिक्षा के मामले में व्यापक लैंगिक असमानता को दूर करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई हालांकि उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में कमी अभी भी बनी हुई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AICT) 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी तकनीकी से संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र की तुलना में महिला छात्रों की भागीदारी काफी कम है।

संसाधनों की कमी; कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी शिक्षा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के साथ-साथ आवश्यक संसाधनों पर भी निर्भर करती है। कार्यस्थल से अधिकांश ग्रामीण स्थल या छोटे शहरों में 24 घंटे यातायात के सुरक्षित साधन, सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन या अन्य आवश्यक संसाधन न होना और इनकी वहीनीयता भी महिलाओं की भागीदारी में कमी का एक प्रमुख कारण है। संसाधनों की अनुपलब्धता का प्रभाव उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है।

कार्यस्थल पर भेदभाव व शोषण; कार्यस्थल पर होने वाला भेदभाव महिलाओं के विकास में एक बड़ी बाधा है। देश में सक्रिय सार्वजनिक सेना, राजनीति, पुलिस आदि और निजी क्षेत्र के अधिकांश संस्थाओं में शीर्ष निर्णायक पदों पर महिला अधिकारियों की कमी इस भेदभाव का एक स्पष्ट प्रभाव है। कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रियता अधिक होने के बाद भी समाज के साथ-साथ सरकार की योजनाओं में इसकी स्वीकार्यता की कमी दिखाई देती है। कार्य स्थलों पर भेदभाव और शोषण की घटनाएं पीड़ित व्यक्ति के साथ आकांक्षी युवाओं के मनोबल को भी कमजोर करती हैं। METO अभियान के तहत सामने आई महिलाओं के अनुभवों ने इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

नीतिगत असफलताएं: देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सरकार की नीतियां अधिक सफल नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण भारतीय राजनीति में लगभग 13%-14% महिला सांसद स्वतंत्र भारत में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधि में कमी को माना जा सकता है।

आर्थिक असमानता: संविधान में स्त्री-पुरुष को समान अधिकार एवं समान स्वतंत्रता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात कही गई है। परंतु यह व्यवहारिक जीवन में नहीं देखा जाता है। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को काम का वेतन कम ही मिलता है। घंटे दोनों के बराबर होंगे परंतु वेतन में असमानता होगी। यह सबसे बड़ी असमानता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होगा वह विकास के हर क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। अतः स्पष्ट रूप से देखा जाए तो यही पता चलता है। कि महिलाओं की कार्य क्षमता में कमी नहीं है। कमी है तो उनको वह अधिकार प्रदान करने की जो स्वार्थ वश पितृसत्तात्मक समाज ने उससे छीन रखे हैं। अगर महिलाओं को पुरुषों के समान भागीदारी मिले हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिले और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले कार्यस्थल पर शोषण न हो राजनीति में भागीदारी बढ़े तो महिलाएं देश को विकसित करने में अपनी बखूबी भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि जब भी महिलाओं को मौका मिला है, कार्यस्थल में कार्य करने का उन्होंने परचम लहराया है जिसका विवरण इस प्रकार है।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू
- प्रथम क्रांतिकारी महिला मैडम कामा
- प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान शांता रंगास्वामी (कर्नाटक)
- देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (1963) न्द
- देश की प्रथम महिला बैरिस्टर कोनोलिया सौरावजी
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी
- ममता बनर्जी, मायावती, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव
- सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान न्यायधीश हीमा कोहली, बीवी नागरत्नन, बेला एम त्रिवेदी, इंदिरा बनर्जी
- वर्तमान में महिला उद्यमी वाणी कोला, शायरी चहल किरण मजूमदार शा, नीलम धवन
- मैरी कॉम, पीवी सिंधु, दुती चंद, इत्यादि
- रक्षा क्षेत्र में अवनी चतुर्वेदी एकल रूप से लड़ाकू विमान 21 बाइसन का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला
- संगीत में लता मंगेशकर, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल आदि

निष्कर्ष: भारत की कला संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से आत्मनिर्भर है। परंतु समय एवं परिस्थितियों ने भारत की स्थिति को भी बदल कर रख दिया था। उस बदली परिस्थिति में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ और देश, समाज पर पितृसत्तात्मक शासन स्थापित हो गया। महिलाएं हाशिए पर आ गईं एक समय ऐसा आया महिलाएं पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर हो गईं, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया गया परंतु समय के साथ महिलाओं की स्थिति में फिर से परिवर्तन आया वे अपनी नई छवि का निर्माण कर रही हैं। एक तरफ तो परिवार को संभाल रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय महिलाएं विधि, अकादमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वह स्वयं तो आत्मनिर्भर बन ही रही हैं साथ में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. AICTE सर्वे रिपोर्ट 2020-21
2. शोधगंगा, शोधगंगोत्री, शोध पत्र
3. *women's empowerment pdf* से 22 मई 2012 को पूरालेखित अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017 ।
4. जानिए क्या है, मी टू मूवमेंट कब, कहाँ, कैसे हुई शुरुआत मूल से 17 अक्टूबर 2018 को पूरालेखित अभिगमन तिथि।
5. लैंगिक असमानता रिपोर्ट।
6. सेंने एके (1999) स्वतंत्रता के रूप में विकास न्यूयॉर्क नेआपफ
7. सेठ, एम (2001) महिला और विकास भारतीय अनुभव रियांश नई दिल्ली : साधु ।
8. सुमन कृष्णकांत (1 सितंबर 2001) 21वीं सदी की ओर राजकमल प्रकाशन आईएसबीएन 978- 81- 267- 0 244 -2
9. डॉ. जेपी. सिंह (1 अप्रैल 2016) आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन *HHI learning PVT. Ltd ISBN 978-81-203 523-22*
10. श्री बंडारू दत्तधत्रीय नवभारत के निर्माण में महिलाओं की बड़ी भूमिका (2022)
11. विश्व बैंक महिला - व्यवसाय और कानून (2020) में
12. मीनू लोकराज नयन भारतीय महिलाएं अगस्त 16, 2014 लेख

आत्मनिर्भर भारत और विद्यालय

विजय सिंह माली

प्रधानाचार्य, रा.बा.उ.मा.वि., सादड़ी, जिला पाली, राजस्थान

हर जीव आत्मनिर्भर रहना चाहता है। आत्मनिर्भरता यानी स्वयं पर निर्भरता। आत्मनिर्भरता विश्वास की कुंजी है, आत्म प्रगति की प्रस्तावना है। कहावत है- परमात्मा उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। आत्मनिर्भरता के बल पर ही भारत विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया कहलाता था। आत्मनिर्भरता को सूत्र बनाकर हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र चिंतन मनन, अध्ययन-अनुसंधान किया था। कबीर ने तो बहुत पहले ही कह दिया था- अपने हाथ पर भरोसा करो, दूसरों की आस मत करो।

जब से भारत पराधीन हुआ तब से आत्मनिर्भरता का भाव शनैः शनैः समाप्त होने लगा। हम परामुखापेक्षी हो गए। लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हमें सदैव परामुखापेक्षी बनाए रखने का कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वराज्य और स्वदेशी ने आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया। आत्मनिर्भर भारत का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा। आत्मनिर्भरता गांधी जी की जीवन दृष्टि का सार था। गांधीजी का मानना था -जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। कोविड-19 वैश्विक महामारी में आत्मनिर्भरता की संकल्पना को पुनः विमर्श के केंद्र में ला दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश को संबोधित करते हुए कहा- विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है- आत्मनिर्भर भारत। भारत की आत्मा ,भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यह अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। यह भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत ही विश्व समुदाय का भला कर सकता है। चाहे शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो ,चाहे कला संस्कृति का,चाहे ज्ञान विज्ञान का हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो,चाहे कृषि औद्योगिक विकास हो,चाहे महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो,चाहे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उत्थान का क्षेत्र हो।हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनें,हर क्षेत्र में भारत के स्व का जागरण हो ,वोकल फोर लोकल को मान्यता मिले, स्वदेशी का भाव जागृत हो तभी भारत पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के साथ पुनः विश्वगुरु बन सकेगा,सोने की चिड़िया बन सकेगा।

देश को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा होती है। शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी स्व का जागरण किया जा सकता है। बल्लाल कवि के अनुसार- विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित में लगाती है, प्रिया के समान खेद को दूर कर आनंद प्रदान करती है,दिशाओं में विमल कीर्ति फैलाती है तथा लक्ष्मी प्रदान करती है। कल्प लता के समान विद्या क्या-क्या नहीं करती अर्थात् सब कुछ करती है। सचमुच विद्या कल्पलता के समान है उससे सब कुछ मिल सकता है लेकिन कब ?जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, प्रयत्नशील हो, कर्म योगी हो। व्यक्ति स्वयं के बाहुबल और बुद्धि से जब कुछ अर्जित करता है तब उसका स्वाभिमान जागृत होता है और जब वह कृपा पात्र बन जाता है तब उसमें और मिट्टी के बर्तन में कुछ अंतर नहीं रह जाता।

वर्तमान में विद्या प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है विद्यालय। विद्यालय ईट और गारे का बना हुआ भवन मात्र नहीं है, विद्यालय साधना स्थली है, जहां चरित्र का विकास होता है। विद्यालय ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति के गतिशील केंद्र है जो समाज में जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। आत्मनिर्भर भारत में विद्यालय की महती भूमिका हो सकती है। हमारे विद्यालय की सभी व्यवस्था आत्मनिर्भर हो, विद्यालय का प्रबंधन आत्मनिर्भर हो, शिक्षक आत्मनिर्भर हो, छात्र आत्मनिर्भर हो, शिक्षण सामग्री आत्मनिर्भरता के सूत्रों से ओतप्रोत हो, शिक्षण विधि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाली हो, पाठ्यक्रम आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला हो। सचमुच हमारे विद्यालय आत्मनिर्भर भारत के प्रतिमान केंद्र हो सकते हैं।

विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों में स्व का जागरण किया जा सकता है, अपने प्रति, अपने समाज और राष्ट्र के प्रति, अपने रहन सहन, रीति-रिवाज, भाषा- भूषा के प्रति स्वाभिमान का बोध सहज कराया जा सकता है जो आत्मनिर्भरता प्राप्ति का पहला सोपान है -

देश उठेगा अपने पैरों

निज गौरव के भान से

स्नेह भरा विश्वास जगाकर

जिए सुख सम्मान से।

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विद्यालयों में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में देनी पड़ेगी। कहा भी गया है -मां, मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं होता। सचमुच बालक मातृभाषा में पदार्थों और भावों को स्वभाविक रूप से शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है अतः उसमें आत्मनिर्भरता का भाव स्वयं में पनपेगा। महात्मा गांधी ने कहा था-मातृभाषा का अनादर मां के अनादर के बराबर है, जो मातृभाषा का अपमान करता है वह स्वदेश भक्त कहलाने

के लायक नहीं। मातृभाषा का ठोस आधार जिन बच्चों को प्राप्त होता है उनकी अवधारणात्मक क्षमता और चिंतन की पद्धति अधिक पुष्ट और विकसित देखी जाती है। मातृभाषा में अध्ययन से बच्चे तेजी से सीखते हैं क्योंकि सोच विचार, चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया मातृभाषा के द्वारा ही संभव हो पाती है। आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए अवधारणात्मक क्षमता एवं चिंतन की प्रक्रिया जितनी सरलता से मातृभाषा के माध्यम से ग्रहण की जा सकती है उतना किसी आयातित भाषा के माध्यम से नहीं।

विद्यालय में बालकों में कला कौशल के विकास के समुचित अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत की एक स्थायी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। महात्मा गांधी का विचार था - तुम्हारे ज्ञान की कीमत तुम्हारे कामों से होगी। सैकड़ों किताबें दिमाग में भर लेने से कुछ लाभ मिल सकता है किंतु उसकी तुलना में काम की कीमत कई गुना ज्यादा है। दिमाग में भरे हुए ज्ञान की कीमत उसके अनुसार किए गए काम के बराबर ही है। बाकी का सब ज्ञान दिमाग के लिए व्यर्थ का बोझ है। काम करना ही आत्मनिर्भरता है।

हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। स्वयं हाथ मुंह धोना, स्वयं दंतमंजन करना एवं स्नान करना, स्वयं कपड़े पहनना, स्वयं जूते मौजे पहनना, बालों में तेल लगाना, कंधी करना, स्वयं कक्षा कार्य और गृह कार्य करना उसे आना चाहिए। 8 से 11 वर्ष के विद्यार्थियों को इसके साथ गीत गाना, वाद्य बजाना, नृत्य करना चित्र बनाना, अभिनय करना, देव पूजन हेतु फूल चुनना, माला गूँथना, अतिथियों को पानी पिलाना, देशकाल के अनुसार वस्त्र आभूषण धारण करना, शरीर की मालिश करना, व्यायाम करना आना ही चाहिए। 11 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को पुस्तक वाचन, योग प्राणायाम, दौड़नाकूदना, तैरना, चाय बनाना, शरबत बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, सब्जी भोजन तैयार करना, कपड़ों की इस्त्री करना, कपड़ों के रफू करना, कपड़ों के बटन लगाना, टांका लेना, झाड़ू लगाना, बिस्तर बिछाना, बिस्तर समेटना, पानी भरना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना, सुखाना, बस्ते का रखरखाव करना आना चाहिए। 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को पौधों को पानी पिलाना, पक्षियों को दाना देना, वंदना करना, यज्ञ हवन करना, भोजन परोसना, अतिथि सत्कार करना कृषि कार्य करना, भाषण देना, लेखन कार्य करना, घर में लाईट ठीक करना, प्यूज बदलना, योग प्राणायाम, स्वाध्याय, टीवी मोबाइल चलाना, मरम्मत करना, साईकिल चलाना, पंचर निकालना आना चाहिए। यदि हमारे विद्यालय विद्यार्थियों को इन कार्यों में सक्षम बनाते हैं तो यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा।

गांधीजी के अनुसार विद्यालय ऐसी कर्म शालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करें। उनके तथा उनके विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयासों से इतना उत्पादन कार्य हो कि वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। गांधीजी के अनुसार विद्यालयों में 3H यानी Hand] Head] Heart को स्थान मिले। बालक हाथ से काम करना सीखें, बौद्धिक क्षमता का विकास हो, बालक संवेदनशील बनें।

आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यालयीन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बालक हो। विद्यालयीन व्यवस्था शास्त्रानुसार हो, स्वास्थ्य का पोषण करने वाली हो, पर्यावरण का संरक्षण करने वाली हो, कम खर्चीली हो, संस्कारक्षम हो। विद्यार्थियों के वस्त्र परिधान, दिनचर्या ऋतुचर्या, जीवनचर्या में वैज्ञानिकता का, आत्मनिर्भरता का समावेश हो। विद्यार्थियों को अर्थ शुचिता, संयमित उपभोग, आर्थिक स्वतंत्रता की शिक्षा दी जाए। हाथ से काम करने के अवसर अधिकाधिक उपलब्ध कराए जाए।

विद्यालय स्वावलंबी हो, विद्यालय के संचालन में समाज की सहभागिता हो, समाज या राज्य द्वारा इन विद्यालयों का योग क्षेम हो लेकिन समग्र योजना का संचालन आत्मनिर्भर शिक्षकों के हाथ में हो। वर्ष में एक बार गुरुदक्षिणा के रूप में प्राप्त राशि में शिक्षकों का निर्वाह हो, साथ ही विद्यालय के पूर्व छात्र अपने शिक्षकों व विद्यालयों को अभाव में न रहने दें।

हमारे विद्यालयों में श्रम संस्कृति का विकास हो। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य विषय को केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने तक सीमित नहीं रखा जाए बल्कि उसको सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित किया जाए ताकि उनमें स्वरोजगार का भावजगो। वे नौकर नहीं नौकरी देने वाले बने। कृषि विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई सैद्धांतिक कम प्रायोगिक अधिक कराई जाए। हमारे विद्यालयों में विश्व भारती के पौष मेले की तरह मेले या हुनर हाट का आयोजन किया जाए जिसमें स्थानीय शिल्पी, उद्यमी आए अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं, कलाकृतियों का प्रदर्शन करें तथा बिक्री करें।

इसी प्रकार हमारे विद्यालय सेवा के केंद्र बने सामुदायिक, गतिविधियों के केंद्र बनने चाहिए। विद्यालय के शिक्षक विषय के आचार्य के साथ-साथ समाज के आचार्य बने। प्रत्येक विद्यालय एक गांव या एकबस्ती को गोद लेकर उसे आत्मनिर्भर गांव या आत्मनिर्भर बस्ती में बदलने के लिए कार्य करें तो हमारा भारत शीघ्र ही आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा।

सचमुच आत्मनिर्भर भारत सरकारी एजेंडा नहीं है, यह समाज का जन आंदोलन है। इसमें विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे आत्मनिर्भरता के भाव को जन जन तक पहुंचाते हुए भारत को परम वैभव की ओर ले जाकर आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं -

आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा

वंदेमातरम का गूंजे जय जयकारा।

संदर्भ -

1. महात्मागांधी, हरिजन 19-10-1947
2. नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन 12-5-2020
3. बल्लाल कवि, भोज प्रबंध
4. महात्मा गांधी, भागलपुर के बिहार छात्र सम्मेलन में भाषण 15-10-1917
5. राजभाषा भारती मार्च 2022
6. भारतीय शिक्षा के व्यवहारिक आयाम, पुनरुत्थान विद्यापीठ, अहमदाबाद

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम

श्रीमती कांता वर्मा

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय लांजी, बालाघाट

सारांश-

भारत की अदभुतकला एवं संस्कृति भारत की आत्मनिर्भर की पहचान है। 2019 में कोरोना महामारी से विश्व की समस्त मानव सम्प्रदाय का जीवन संकट में था। इस उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के उपरांत कोविड 19 "आत्मनिर्भर भारत अभियान" आरम्भ हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वित्तमंत्री श्रीमती सीतारामण द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रम की घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत में सरकार द्वारा लोगों को स्वयं पर निर्भर रहते हुए अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आत्मनिर्भरता से व्यक्ति सृजनशील एवं सोचने की शक्ति का विकास होता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में कारगर प्रयास किया गया है। वास्तव में 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत अभियान से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा भारत आर्थिक रूप समृद्ध होगा।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना अपने आप में सकारात्मक पहलू है। गाँव और शहर के बीच संतुलन बनाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना संभव हो सकता है। गाँव समृद्ध होंगे तभी समृद्ध भारत का सपना साकार रहेगा। हमें वापिस प्राकृतिक स्रोतों, संसाधनों, रोजगार की संभावना, महिला सशक्तिकरण कृषि, पशुपालन, में अपार संभावनाओं को विकसित करना होगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा।

मुख्य शब्द - आत्मनिर्भर, अपार, अभियान, भारत।

आत्मनिर्भर का अर्थ -

आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वयं पर आश्रित रहना। इसके चार आयाम हैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक। गांधी जी के चरखे या ग्रामोदय की संकल्पना में हर व्यक्ति को काम और उनके हाथ में पैसा है। यह व्यक्ति के लिए सम्मान और राष्ट्र की समृद्धि दोनों के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है। भारत को विश्व गुरु का दर्जा भारत की संस्कृति, सांस्कृतिकता एवं धार्मिक ग्रन्थों का ज्ञान सभी काफी समृद्ध है, जीवित है और आज भी भी उनकी प्रमाणिकता है।

आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगार-

आज उद्यमिता के क्षेत्र में महिला प्रबंध संचालन व सहभागिता के क्षेत्र में तीव्रगति से सफलता प्राप्त कर रही है। भारत में सबसे अधिक महिलाएं कृषि और खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में काम करती हैं। ऐतिहासिक विकास के साथ महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक, परिस्थिति और जीवन शैली में आर्थिक सुधार हुआ है। महिलाएं परिवार की धुरी हैं उन्हें आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करने और विकास में हिस्सेदारी बनाये रखने के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता निश्चित रूप में भारत के औद्योगिक व आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एवं देश के आर्थिक विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक हो गई है। महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं में स्वरोजगार के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। महिलाओं की स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवल महिलाओं के कुछ विशेष योजनाएं प्रतिपादित की जाती हैं।

महिलाएं जागरूक हुई हैं एवं कर्तव्य के प्रति सजग हुई हैं लेकिन कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं जैसे देश सामाजिक ढाँचा, निर्णय क्षमता, शिक्षा का अभाव, ऋण प्राप्ति में कठिनाई आती है। महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए महिला सशक्तिकरण के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एवं कुछ स्थान आरक्षित करने होंगे।

कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता में गाँव की भूमिका-

गाँव की आत्मनिर्भरता के मुख्य दो बिंदु हैं सामाजिक व सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता। चोल शासन प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायतें संस्कृति की सबसे बड़ी संरक्षक थीं। पंचायतों को सुदृढ़ किया जाये तो यह सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। आत्मनिर्भर गाँव सही मायने में आत्मनिर्भर तभी होंगे जब वे न्यायिक पहलू से भी स्वआश्रित हों। ग्रामीण समाज परंपरागत रूप से जुड़ा है जिससे इनके पास आयुर्वेद का ज्ञान व उपलब्धता भरी हुई है। गांधी जी के चरखे या ग्रामोदय की संकल्पना में हर आदमी के हाथ में काम और कम या ज्यादा हर आदमी के हाथ में पैसा है। यह व्यक्ति के सम्मान और राष्ट्र की समृद्धि दोनों के लिए जरूरी है।

आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा कारक आर्थिक है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा विषय बेरोजगारी है। बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना हो तो हर हाथ में काम होना जरूरी है। लघु और कुटीर उद्योग को फिर से जिंदा करना होगा ताकि रोजगार के अवसर निर्मित किये जा सकें। उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए और उसका एक बड़ा स्रोत गांव ही है। यदि गांवों में उत्पादन की ईकाइयां लगे तो अनावश्यक ट्रांसपोर्टेशन और रोजगार के लिए पलायन दोनों रूक जायेंगे, तथा ग्राम आत्मनिर्भर बनेंगे।

आत्मनिर्भरता का दूसरा पहलू राजनीतिक आत्मनिर्भरता है। केंद्रीयकरण में स्थानीय स्वशासन के अवसर कम होते हैं तथा विकास का मार्ग बाधित होता है। 73वां संविधान संशोधन में लोकतंत्र में मील के पत्थर के रूप में काम किया। क्योंकि 1/3 व 1/2 आरक्षण पारित कर महिलाओं को स्थान दिया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर नीचले स्तर पर योजनाओं को लागू करने में कठिनाई नहीं होती है नेतृत्व का अवसर भी समान रूप से प्राप्त होता है। राजनीतिक स्तर पर जागरूकता रहती है पंचायतों के माध्यम से निर्णय किये जाते हैं जिससे सामाजिक समरसता बनी रहती है।

नवीन संभावनाएं -

सस्ता श्रम, बल, सस्ती संरचना, परिवहन आदि कुछ विशेषता हैं जिनके कारण उद्योग जगत गांव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। काल सेंटर, बीपीओओ इंटरनेट संबंधी रोजगार के नये अवसर ग्रामीण क्षेत्र की ओर देख रहे हैं। औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव गांवों में, रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन व रोजगार की असीम संभावनाओं से युक्त दिख रहा है।

कोविड-19 की चुनौतियों के बीच सरकार खोये हुए रोजगार के मौकों को वापस लाने का प्रयास कर रही है एवं रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यतः गरीब, श्रमिक और किसानों के लिए घोषणाएं की गई हैं जिनसे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार की जा सके। कोविड-19 के पश्चात् योजना प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता, श्रम संहिता में बदलाव, मुफ्त भोजन प्रवासियों (2 माह) 2021 तक एक देश, एक राशनकार्ड, गरीबों के लिए आवास परिसर नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये प्रति किसान के लिए राशि रखी गई।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाएं बनाई गई तथा कृषि अवसंरचना, सूक्ष्म व लघु उद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, आयुर्वेदिक खेती, मधुमक्खी पालन, फलों और सब्जियों, अनाजों कृषि उपपन्न, सुविधात्मक कृषि, संरचनात्मक सुधारों पर काम किया गया। जिसमें लगभग 11 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में समस्या परक बिन्दू -

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कम हो गया,
2. DISCOMS द्वारा नीति में परिवर्तन,
3. बौद्धिक संपदा प्रवर्तन नियम में कठिनाई,
4. अंतरिम क्षेत्रों में स्पष्टता की कमी (निवेशकों),
5. रक्षा क्षेत्र में 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध।

आत्मनिर्भर भारत अभियान लक्ष्य -

1. स्थानीय, उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर केन्द्रीत है।
2. वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी सामान की गुणवत्ता में सुधार।
3. आयात निर्भरता को कम करना।
4. नागरिकों को स्वतन्त्र व आत्मनिर्भर बनाना।

पंचायत की भूमिका -

सांस्कृतिक, सामाजिक, आत्मनिर्भरता बिना ग्राम पंचायत की संकल्पना पूर्ण नहीं हो सकती। पंचायत की यदि सुदृढ़ किया जाये, तो यह सामूहिक कार्यों के अतिरिक्त महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से निजात दिलाने में सफल होगा। गांव की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सकारात्मक पहलू यह होगा कि शहरो की ओर पलायन रूक जायेगा गांव में कच्चा माल बहुत मात्रा में मिलने के कारण लघु एवं कुटीर उद्योग का विस्तार होगा। गांव के विकास के रास्ते खुलेंगे और इस सब में पंचायत की मुख्य भूमिका हो सकती है। पंचायत के माध्यम से गांव को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यहां गांधी जी के ग्रामोदय की संकल्पना साकार होगी।

समस्या -

1. बढ़ती औद्योगिकीकरण की समस्या।
2. महिला के उद्यमियों के प्रति कठोर संवेदनहीन है।
3. शिक्षा व प्रशिक्षण की कमी है।

4. आधार भूत संरचनाओं के निर्माण में समस्या।
5. नक्सलवाद की समस्या।

सुझाव -

1. भविष्य की नई रणनीति तैयार करना होगा।
2. मुफ्त एवं विकास व्यापार को बढ़ाना।
3. नवोन्मेषकों के विकास और समर्थन पर ध्यान देना।
4. वैश्विक व्यापार और डेटा सेवा में अवसर उपलब्ध कराना।
5. भारत की व्यापार और निवेश रणनीति को स्थिरता प्रदान करना।
6. मांग में वृद्धि करना।
7. वित्त को संघटित करना।

निष्कर्ष -

आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ-साथ सरकार ने कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली जैसे कई अन्य साहसिक सुधार किये हैं जो द्रुत गति से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेंगे। हाल ही में न्यूयार्क के मैन पावर ग्रुप ने 44 देशों के रोजगार में कोविड- 19 रोजगार के मामले में सकारात्मक परिवेश दिखाने वाले दुनिया के 4 शीर्ष देशों में भारत भी शामिल है।

भारत का वास्तविक आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास पर आधारित है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक विकास कार्यक्रम अपनाये गये हैं। देश कोविड-19 जैसी बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में बेरोजगारी का समाधान नितांत आवश्यक है। इस संकटकाल में कृषि उद्योग करने वाले किसानों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। संकटकाल में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता होना अति आवश्यक था। लेकिन इस बात ने प्राकृतिक स्रोतों को विकसित करने पर बल दिया। जैसे कृषि, पशुपालन, नई तकनीकों का प्रशिक्षण उद्यम का विकास, महिला सशक्तिकरण, कर आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी की ओर अग्रसर होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. डॉ. सोनी एल.एम. यादव सिंह नागेन्द्र: 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत, जे.टी.एस. पब्लिकेशन नई दिल्ली पृष्ठ क्रमांक 130,131।
2. कुरुक्षेत्र फरवरी 2013।
3. <https://hi.wikipedia.org.date> 21/8/22 time 4:22
4. <https://www.dristias.com>. 07/07/2021/ time 4.20
5. <https://www.Dristias.com> 16/03/2022 time online 4.25
6. <https://mahilawarojgar.com>
7. <https://www.startupoinious.com/mahila.sashaktikaranyojna>.

महिला सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत

बृजलता कुमारी

शोधार्थी, ज्योति महिला विद्यापीठ जयपुर विश्वविद्यालय जयपुर (राज.)

डॉ० सी०एम० सारस्वत जी

शोध निर्देशक, ज्योति महिला विद्यापीठ जयपुर विश्वविद्यालय जयपुर (राज.)

हम उस देश की सन्तति हैं जो पूरी दुनिया में विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है। जिसने अपने ज्ञान, तप, त्याग, वीरता का परचम लहराया है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आए परन्तु अपने धैर्य और कौशल से हर कठिनाई का डटकर मुकाबला किया। सम्पूर्ण दुनिया में हमारा देश क्षेत्र फल की दृष्टि से सातवें स्थान पर है तथा जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है जिसमें भारत की जनसंख्या का लगभग 50% महिलाएं हैं जो पुरुषों के साथ हर परिस्थिति में कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ खड़ी रहीं हैं। मध्य काल में कुछ बाहरी आक्रमणों और प्रशासकों के अत्याचार और अनाचार की वजह से महिलाओं को लाचार व मजबूर कर दिया परन्तु वर्तमान समय में फिर से महिलाओं को अपने अधिकार व क्षेत्र पुनः प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं पुरुषों के समान शिक्षा और तरक्की के समान अवसर प्रदान कर महिलाओं को मजबूती प्रदान करने में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ

हमारा देश युगों-युगों से सभी क्षेत्रों में समर्थ व उन्नतिशील रहा है। वर्तमान में आत्मनिर्भर शब्द को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत शब्द का- अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ: self-reliant India से लिया जाता है। जिसका हिंदी में अर्थ देश की अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में से लगाया जाता है।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहले बार सार्वजनिक उल्लेख किया था जब वे कोरोना-वाइरस विश्वमहामारी संबंधित एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून 2014 में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा। सितंबर 2014 में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बतायें।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ -

1. अर्थव्यवस्था
2. बुनियादी ढाँचा
3. प्रौद्योगिकी,
3. जनसंख्या
4. डेमोग्राफी
5. देश की नारी शक्ति

नारी शक्ति ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके कई प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं। आज महिलाएं घर का चूल्हा-चौका करने और घर की चारदीवारी के बीच बिताने वाली जिंदगी से निकल नए मुकाम तय कर रही हैं। जी हां, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आज इनकी सहभागिता सुनिश्चित हो चुकी है। यहां तक कि जिन कार्य क्षेत्रों को पुरुषप्रधान माना जाता था अब उनमें भी ये शामिल हो गई हैं। आज भारत की नारी रेल चलाने से लेकर प्लेन तक उड़ा रही हैं। और इतना ही नहीं अन्तरिक्ष, आविष्कार, चिकित्सा, रक्षा सेवाओं में महिलाओं ने अपनी शक्ति का प्रभाव स्पष्ट कर दिया है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

- (i) आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।
- (ii) शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है।
- (iii) भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील हैं, आकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं।
- (iv) भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है।
- (v) हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं, जब हम लैंगिंग असमानता को दूर कर पाएँ और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सकें।
- (vi) भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरूरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा।

इसी कड़ी में भारतीय महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक और पहल की है। दरअसल, केंद्र सरकार ऐसा करके महिलाओं को उद्यम क्षेत्र में उतारना चाहती है ताकि उनके कौशल से भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिल सके। उद्यमिता से देश की महिलाओं को बनाया जा रहा “आत्मनिर्भर” जी हां, राष्ट्रीय महिला आयोग सर्वोच्च वैधानिक संगठन है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। “आत्मनिर्भर भारत” अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। परिणाम हमारे सामने हैं। वर्तमान में मुद्रा योजना की लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं। देश में पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। 60 हजार से ज्यादा नए स्टार्टअप, 45% में कम से कम एक महिला निदेशक इसी तरह, 2016 के बाद 60 हजार से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जो बताते हैं कि अब महिला किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी नहीं कहलाएंगी। पिछले 7 सालों में देश की नीतियां महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदनशील हुईं।

भारत उन देशों में है जो अपने यहां सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है। कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसके लिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास है। केवल इतना ही नहीं कला के प्रति अपने लगाव को बनाए रखते वाली महिलाओं को भी मौका मिल रहा है। एक आर्थिक लाभ का माध्यम बनाने और लुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने का इससे सुनहरा मौका और कहाँ मिलेगा। जी हां इन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा काफी मदद पहुंचाई जा रही है।

पहले महिला सशक्तिकरण को सीमित दायरे में देखा जाता था। गांव में गरीब परिवारों की महिलाएं इससे दूर थीं। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो 9 करोड़ गरीब महिलाएं भी हैं जिन्हें पहली बार गैस कनेक्शन मिला है, धुएँ से आजादी मिली है। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो करोड़ों माताएं-बहनें भी हैं जिन्हें उनके घर में शौचालय मिला है। महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो माताएं हैं जिनके सिर पर पक्की छत मिली है, जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास बने हैं। करोड़ों महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय सहायता मिलती है, जनधन बैंक खाता मिला है, सरकार की सब्सिडी सीधे महिलाओं के खाते में जमा होती है तो ये महिलाएं महिला सशक्तिकरण और बदलते हुए भारत का चेहरा बनती हैं।

आर्थिक स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण की असल कुंजी है। इसलिए एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य महिला उद्यमियों को उनके उद्यमशीलता उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच प्रदान करके देशभर में महिलाओं के लिए एक स्थायी प्रभाव पैदा करना है। ये महिलाएं यह ज्ञान और कौशल प्राप्त कर भारत के विकास की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने को तैयार हैं। आज भारत में ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जो किसी मल्टी नेशनल कंपनी की सीईओ हैं। न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

महिला सशक्तिकरण से लाभ

विभिन्न स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अवसर महिला उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी जागरूकता, क्षमता निर्माण, ऑनलाइन प्रशिक्षण और महिलाओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर आयोग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई

कदम उठाए हैं, जैसे- कोविड महामारी के दौरान, एनसीडब्ल्यू ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। महिलाओं को हर समय मदद पहुंचाने के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी जारी की।

इन सभी प्रयासों से निम्न अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सकेगा।

भागीदारी की दर में होगा सुधार

महिलाओं को उद्यमिता में केंद्र सरकार का समर्थन मिलने से उनमें विश्वास की लौ और अधिक तेज जलेगी। इसके लिए सरकार भी पुरजोर कोशिशें कर रही है। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए “एम्पावरिंग वूमन थ्रु एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम” लेकर आया है जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और अपना स्टार्टअप तैयार कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। इससे महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी को बल मिलेगा।

भाषाई विविधता को मिलेगा बढ़ावा

इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग “एम्पावरिंग वूमन थ्रु एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम” अंग्रेजी में शुरू कर चुका है जिसके जरिए बहुत से महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनकर कार्य कर रही हैं। लेकिन इस बार बारी है हिंदी भाषी महिलाओं की। जी हां, आयोग द्वारा भाषाई विविधता को बढ़ावा देने, भागीदारी की दर में सुधार लाने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने और क्षेत्रीय पहुंच का विस्तार करने के लिहाज से इस प्रोग्राम को अब हिंदी में फिर से संकल्पित किया गया है। यह एक व्यावहारिक, क्रिया-उन्मुख व्यवसाय और प्रबंधन पाठ्यक्रम है जो प्रतिभागियों को एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और आपके विचारों और अवसरों के परीक्षण की एक आसान प्रक्रिया से परिचित कराता है। चयनित प्रतिभागी “डू योर वेंचर” के बारे में सीखेंगे, जो उन्हें उद्यमियों द्वारा अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने के सामान्य रास्ते सिखाएगा। वे विचारों को उत्पन्न करने के लिए उपकरणों और तकनीकों को भी सीखेंगे और फिर क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करेंगे और प्रतिक्रिया एकत्र करेंगे।

2015 से अब तक, 185 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से किया जा चुका सम्मानित साल 2015 से लेकर अब तक, 185 महिलाओं को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। इस वर्ष भी, 34 पद्म पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक कभी इतनी ज्यादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला।

भारत सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है।

आज भारत उन देशों में है जो अपने यहां सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है। कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसके लिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास है। केवल इतना ही नहीं कला के प्रति अपने लगाव को बनाए रखते वाली महिलाओं को भी मौका मिल रहा है। एक आर्थिक लाभ का माध्यम बनाने और लुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने का इससे सुनहरा मौका और कहां मिलेगा। जी हां इन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा काफी मदद पहुंचाई जा रही है।

महिला सशक्तिकरण का व्यापक दायरा

पहले महिला सशक्तिकरण को देखा जाता था सीमित दायरे में देश में महिला सशक्तिकरण को सीमित दायरे में देखा जाता था, गांव में गरीब परिवारों की महिलाएं इससे दूर थीं। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो 9 करोड़ गरीब महिलाएं भी हैं जिन्हें पहली बार गैस कनेक्शन मिला है, धुएं से आजादी मिली है। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो करोड़ों माताएं-बहनें भी हैं जिन्हें उनके घर में शौचालय मिला है। महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो माताएं हैं जिनके सिर पर पक्की छत मिली है, जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास बने हैं। करोड़ों महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय सहायता मिलती है, जनधन बैंक खाता मिला है, सरकार की सब्सिडी सीधे महिलाओं के खाते में जमा होती है तो ये महिलाएं महिला सशक्तिकरण और बदलते हुए भारत का चेहरा बनती हैं।

आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की कुंजी

आर्थिक स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण की असल कुंजी है। इसलिए एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य महिला उद्यमियों को उनके उद्यमशीलता उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच प्रदान करके देशभर में महिलाओं के लिए एक स्थायी प्रभाव पैदा करना है। ये महिलाएं यह ज्ञान और कौशल प्राप्त कर भारत के विकास की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने को तैयार हैं। आज भारत में ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जो किसी मल्टी नेशनल कंपनी की सीईओ हैं। न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

विभिन्न स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अवसर महिला उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी जागरूकता, क्षमता निर्माण, ऑनलाइन प्रशिक्षण और महिलाओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर आयोग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे- कोविड महामारी के दौरान, एनसीडब्ल्यू ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। महिलाओं को हर समय मदद पहुंचाने के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी जारी की।

भागीदारी की दर में होगा सुधार

महिलाओं को उद्यमिता में केंद्र सरकार का समर्थन मिलने से उनमें विश्वास की लौ और अधिक तेज जलेगी। इसके लिए सरकार भी पुरजोर कोशिशें कर रही है। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए “एम्पावरिंग वूमन थ्रु एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम” लेकर आया है जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और अपना स्टार्टअप तैयार कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। इससे महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी को बल मिलेगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भारत की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार उनके योगदान और क्षमता को पहचानती है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई मजबूत कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और उनके दैनिक जीवन और उनकी दीर्घकालिक संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहल की है। केंद्र सरकार ने अपने कामकाज की बदौलत एक तरह से महिलाओं को एक साथ जोड़ दिया है।

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले, श्री नरेंद्र मोदी ने उन महिलाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त की थी जो असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में अपने परिवारों के लिए खाना पकाया करती थी। लकड़ी से निकलने वाले धुएं, और स्टोव के धुएं के खतरनाक प्रभाव से महिलाओं को मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों को बेहतर जीवन के लिए सरकार ने उन्हें बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, न केवल लिंग समानता की दिशा में परिवर्तनकारी पहल है बल्कि इसने जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत भी किया है। इस योजना का परिणाम हरियाणा में काफी हद तक दिखाई देने भी लगा है, जहां हर 1000 पुरुषों के लिए लिंग अनुपात 950 महिलाओं तक पहुंच गया है हाल तक यहां के आंकड़ें काफी चिंताजनक थे इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के बारे में जागरूकता लाकर समाज को बेहतर बनाना है। ये योजना सदियों पुरानी धारणाओं और प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में भी काम करती है, जाहिर है ये सब गतिविधियां महिलाओं के विकास के लिए सहायक है।

स्टैंड-अप इंडिया के तहत, महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण को मंजूरी दी गई हैद्य कौशल विकास योजना में लगभग 375 व्यापारिक उद्यमियों में से करीब आधे महिलाएं हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने न केवल महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत किया बल्कि उनके स्वास्थ्य और भलाई का भी ध्यान रखा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने मातृत्व विधेयक को भी पारित किया, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को और अधिक मातृत्व अवकाश और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

मुद्रा योजना

MUDRA (मुद्रा) एक नई संस्था है जो भारत सरकार की तरफ से गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाली गतिविधियों को फाइनेंस प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों की मदद की जाती है जिन्हें लोन की आवश्यकता 10 लाख रुपये से कम होती है।

सरकार ने व्यापार में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम के रूप में मुद्रा योजना में देखा जा सकता है। यहां उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर ऋण मिल सकता है।

महिला ई हाट योजना

महिला ई-हाट एक अनोखा ऑनलाइन मंच है जहां महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है साथ ही सरकार के इस कदम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनने का अवसर भी मिल रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ई-हाट तीन चरणों की श्रृंखला का पहला चरण मात्र है। दूसरे चरण में व्यापार और वाणिज्य के साथ एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल्स के साथ जुड़ना होगा और आखिरकार, यह एक महिला उद्यमियों के परिषद के रूप में परिणति हो रहा है, जो इस उद्यम को व्यापक बनाने और संस्थागत बनाने में मदद करेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना-

सरकार द्वारा लड़की की सुरक्षा और भविष्य के साथ साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में ही शुरू किया गया था। इसके अलावा 'नई रोशनी योजना' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। सरकार की ये योजना 'सबका साथ सबका विकास' के विजन से जुड़ी हुई है।

महिलाओं ने गैर-पारम्परिक क्षेत्रों और व्यवसायों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। पहली बार, 3 महिला लड़ाकू पायलटों को भारतीय वायु सेना में नियुक्त किया गया। देश में परिवर्तन और प्रगति की एक लहर चल पड़ी है और महिलाएं भी इस बदलाव का एक हिस्सा बन लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानता से आगे बढ़ रहीं हैं।

हर रोज आसानी से कई भूमिकाओं को निभाने वाली महिलाएं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। प्रेमीयुक्त बेटियां, माताओं, सक्षम सहकर्मियों और कई अन्य भूमिकाओं में वह हमारी चारों तरफ रहा करती है। महिलाएं बिना किसी दोष और कृपा के साथ अहम भूमिका निभाती है। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की सहायता और भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है। ताकि महिलाएं उद्यमिता प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबन बनें, शिक्षित हो, और घर परिवार की हर मोर्चे पर स्वास्थ्य से लेकर वित्तीय पैमाने पर सहायता करे। ताकि वह कंधे से कंधे मिलाकर न्यू इंडिया बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बनें।

“देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी”

“आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है”

“जब कोई सरकार महिला सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है, तो महिलाएं उसकी सत्ता से विदाई सुनिश्चित कर देती हैं”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और। कार्यक्रम की थीम 'शी द चेंज मेकर' का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। इसमें राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला एवं बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय और विद्यार्थी, स्वयंसेवी संगठन, महिला उद्यमी और व्यावसायिक संगठन शामिल हुए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई कालूभाई और श्रीमती दर्शना जरदोश, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा भी मौजूद थीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, "30 वर्ष का पड़ाव, चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का, बहुत अहम होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है।"

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में, आज देश की सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी।

उन्होंने कहा कि सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम एमएसएमई कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है, उतनी ही महिलाओं की होती है। इस बात को स्वीकार करना होगा कि पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज का ही विषय मान लिया था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। परिणाम हमारे सामने है। आज मुद्रा योजना की लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। देश में पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। इसी तरह, 2016 के बाद 60 हजार से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं, इनमें से 45 प्रतिशत में कम से कम एक महिला निदेशक हैं।

न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की उद्यमिता में महिलाओं की इस भूमिका को ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले, उसे बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2015 से लेकर अब तक, 185 महिलाओं को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। इस वर्ष भी, 34 पद्म पुरस्कार अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक कभी इतनी ज्यादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला।

सशक्त नारी, सशक्त भारत

महिला सशक्तीकरण के लिए मूल सिद्धांत हैं कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरुषों को प्राप्त हैं वह मिलना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों का आनंद मिलना चाहिए। अगर साफ शब्दों में कहें तो लिंग आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि परंपरागत मानदंड और ये प्रथा तेजी से बदल रहे हैं, फिर भी महिलाओं को ये जानना चाहिए कि उनके मूल और सामाजिक अधिकार क्या हैं। सशक्त महिलाओं का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ ही समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षम हो। महिला सशक्तीकरण का मतलब ये कि अब ये महिलाएं के साथ पितृसत्ता का स्थान ले रहा है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भारत की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार उनके योगदान और क्षमता को पहचानती है। सरकार ने महिला सशक्तीकरण को लेकर कई मजबूत कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और उनके दैनिक जीवन और उनकी दीर्घकालिक संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहल की है। केंद्र सरकार ने अपने कामकाज की बदौलत एक तरह से महिलाओं को एक साथ जोड़ दिया है।

हर रोज आसानी से कई भूमिकाओं को निभाने वाली महिलाएं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। प्रेम युक्त बेटियां, माताओं, सक्षम सहकर्मियों और कई अन्य भूमिकाओं में वह हमारी चारों तरफ रहा करती हैं। महिलाएं बिना किसी दोष और कृपा के साथ अहम भूमिका निभाती हैं। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की सहायता और भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है। ताकि महिलाएं उद्यमिता प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबन बनें, शिक्षित हों, और घर परिवार की हर मोर्चे पर स्वास्थ्य से लेकर वित्तीय पैमाने पर सहायता करें। ताकि वह कंधे से कंधे मिलाकर न्यू इंडिया बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बनें। सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से, हम महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने और पुरुषों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हिंदराइज के संस्थापक नरेन्द्र कुमार ने आत्मनिर्भर सेना शुरू की है, जिसके माध्यम से कई वंचित महिलाओं ने अपने छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू किया है। हिंदराइज सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में, हम आजीविका कार्यक्रमों में महिलाओं की सामाजिक सरोकारों की वकालत करते हैं।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारे निरंतर प्रयासों के माध्यम से, हम भारत के कुछ हिस्सों में एक निश्चित सीमा तक महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता हासिल करने में योगदान करते हैं। देश में महिलाओं की बेहतर स्थिति सभी मोर्चों पर राष्ट्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित करेगी।

निष्कर्ष

ग्रामीण परिवेश में आज भी महिलाओं के उत्थान के लिये बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। संसद में भी महिलाओं के प्रतिधित्व को बढ़ाने पर कार्य किया जाना चाहिये। महिला आरक्षण विधेयक को भी पारित कर महिलाओं को और अधिक सशक्त करने की जरूरत है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "लोगों को जगाने के लिये सबसे पहले महिलाओं को जागृत करना होगा" "कारण है कि वह हमें आगे बढ़ाती है तब हमारा परिवार चलता

है, गांव चलता है और राष्ट्र चलता है”। वहीं जब हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी। अभी हम कहे सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। जिस तरह पुरुषों को किसी भी मदद की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह एक ऐसा दिन भी आएगा जब महिलाओं को भी किसी भी चीज का हल निकालने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। और उस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण का देखा गया ये सपना सच हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. मिश्रा मनोज, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका सेवरा राजस्थान शिक्षा विकास राजस्थान
2. आर.लाल, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और लाल बुक डिपो मेरठ।
3. सिंह अशोक प्रताप, उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के प्रति अभिवृत्ति का व्यक्तित्व एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन
4. सिंह धर्मवीर, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे और चुनौतियां जनपद मेरठ।
5. डब्ल्यू हैरिस चेस्टर, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च तृतीय संस्करण मैकमिलन न्यूयॉर्क 1960
6. <https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/dwe-home-page/schemes-and-services/imsupy.html#>
8. <https://www.yojanaschemehindi.com/priyadarshani-indira-gandhi-mahila-sashaktikaran-rajasthan>

शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत

कुलदीप कुमार गौतम

शोधार्थी, ईश्वर शरण पी0जी0 कॉलेज, (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) प्रयागराज

शोध सारांश

मनुष्य के मस्तिष्क और शारीरिक विकास में दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः शारीरिक विकास पर ध्यान देना ही बुद्धि को समृद्ध करने वाला होता है, एक व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता है कि अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को सुचारू रूप से निरन्तर बेहतर बनाता जाये। वर्तमान भारत की योजनाओं में आत्मनिर्भर भारत योजना व्यक्ति और देश के विभिन्न पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करती है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य हैं। आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा में स्वदेशी दवाओं एवं विभिन्न चिकित्सालयों की स्थापना एवं कोरोना के समय के बाद से न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के अन्य देशों की सहायता भी भारत के आत्मनिर्भर योजना का हिस्सा रहा है। किन्तु इस योजना की कुछ सीमाएँ हैं। अतः इस शोध आलेख में इन्हीं बिन्दुओं पर विभिन्न दृष्टिकोण से मैंने देखने का प्रयत्न किया है।

बीज शब्द- शिक्षा और स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर भारत, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का बाजारीकरण, भूमण्डलीकरण, कोरोना वायरस, वैदिक शिक्षा, वैश्विक महामारी।

मनुष्य की आत्मनिर्भरता उसके शारीरिक, मानसिक शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। जैसा कि विदित है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अतः स्वास्थ्य और शिक्षा में गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके शैक्षिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य की मूल आवश्यकताएँ हैं जहाँ एक से व्यक्ति बाहरी/शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो वहीं शिक्षा से वह आन्तरिक एवं बौद्धिक रूप से सशक्त होता है। शिक्षा मनुष्य को संसार के विभिन्न प्राणियों से अलग एवं सभ्य बनाती है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के विकास को पारिभाषित किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनुष्य को आधुनिक बनाती है। डॉ० शिवबहाल सिंह ने अपनी पुस्तक विकास का समाजशास्त्र में कहा है कि शिक्षा अनिवार्य रूप से आधुनिकीकरण की पूर्व-शर्त है। यह लोगों को उनके अपने पास-पड़ोस से बाहर की दुनिया के बारे में जानने के योग्य बनाती है। यह उनके दृष्टिकोण और विश्व दृष्टि को तार्किक और मानवीय बनाकर उनका रूपान्तरण करती है।”

भारत में शिक्षा की प्रक्रिया में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो स्वरूप था वर्तमान भारत में उससे भिन्न है। प्राचीन भारत में विद्यालय आवासीय होते थे जिसमें विद्यार्थी रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। उस समय शिक्षा किसी एक वर्ग या वर्ण को दी जाती थी किन्तु कुछ अपवाद भी जरूर मिल जाया करते हैं। प्राचीन भारत की शिक्षा वर्ण के अनुसार हुआ करती थी वह आज की तरह सब के लिए एक समान न होकर ब्राम्हण के लिए वेद, पुराण एवं अन्य धार्मिक ग्रन्थ मूल पाठ्यक्रम थे तो दूसरी ओर युद्ध शिक्षा क्षत्रिय वर्ण के विद्यार्थी के लिए। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए डॉ० राम आहूजा ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘भारतीय समाज’ में लिखते हैं कि “ब्राम्हण युग में शिक्षा का प्रमुख विषय वैदिक साहित्य था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों का ज्ञान था। लेकिन शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। शिक्षा योग्यता एवं रुझान की अपेक्षा जाति के आधार पर दी जाती थी। स्त्रियों को शिक्षा से बहिष्कृत रखा गया था।” अतः प्राचीन काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था किसी विशेष वर्ग, जाति साथ लिंग को केन्द्र में रखकर दी जाती थी जिसमें स्त्री-शिक्षा का कहीं कोई स्थान नहीं था।

वर्तमान भारत विभिन्न जातियों, धर्मों और सभ्यताओं से मिलकर बना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यह यूँ ही नहीं इतना विशाल और ‘अनेकता में एकता’ लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यह यूँ ही नहीं इतना विशाल और ‘अनेकता में एकता’ की विशेषता वाला विश्व का एक मात्र राष्ट्र बन गया बल्कि इसने अपने इतिहास में एक विशाल परिवर्तन की परम्परा को संजोये हुए है। भारत की इसी राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन होता गया। जहाँ पर वैदिक भारत में केवल वेद या हिन्दू धार्मिक केन्द्र में थे वहीं पर समय के साथ मुस्लिम युग में मुस्लिम धर्म ने अपने वर्चस्व को सत्ता के साथ शिक्षा में भी महत्व दिया। यही परिवर्तन आगे चल कर ब्रिटिश भारत में अपने उपनिवेश को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा का आरम्भ किया। कहना न होगा कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ इसी ब्रिटिशकाल से हुआ। किन्तु यहाँ भी अंग्रेजों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था उसमें इसाई बनाये जाने व उनके उपनिवेश को बढ़ाये जाने के उद्देश्य अधिक थे। इस शिक्षा व्यवस्था में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता का आभाव था।

आज की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन मुगल एवं ब्रिटिश भारत की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित जरूर है किन्तु दोषों का त्यागकर बेहतर बनने का प्रयत्न करनी वाली रही है। जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और वर्तमान समय के अनुकूल अतः समकालीनता एवं प्रासंगिक शिक्षा पर विशेष रूप से आधारित रही है। इसके प्रमाण के रूप में भारत के आजादी के महज 75 वर्षों में भारत के विकास को देखकर यह निर्णय लिया जा सकता है कि भारत की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक रही है। किन्तु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कुछ सीमाएँ भी हैं। जब आज विश्व एक गाँव के रूप में, एक बाजार के रूप

में आ चुका है। जहाँ पर तकनीकों ने अपने बल पर मनुष्यों की सवंदनाओं तक पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया है। ऐसे में क्या भविष्य में भारत की यह शिक्षा व्यवस्था तेजी से विकसित हो रहे बाजार में अपने को स्थापित कर पायेगी? क्या यह युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी को खत्म कर पायेगी? क्या भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करने में योगदान कर पायेगी?

ऐसी समस्याओं से निदान के लिए हम अपने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त दोषों की पहचान कर उसे दूर करने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रामआहूजा जी ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज' में निम्नलिखित तीन दोषों को रेखांकित किया है -

1. "वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं करती जो हमारे बदले हुए समाज के लिए सार्थक हो।"³
2. वर्तमान शिक्षा ज्ञान की विशेष शाखा से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी, रोजगार सम्भावनाओं या निवेश माँग के आर्थों में हमारे विकास की अवस्था में अनुपयुक्त है।"⁴
3. मूल्य रूपरेखा प्रदान करने में भी शिक्षा असफल रही है समर्पित राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा अन्य पेशेवर लोग तैयार कर सके ताकि हमारा राष्ट्र ऊँचाइयों तक पहुँचने के लिए इन लोगों की लाभकारी समर्थक सेवाओं की सद्यवस्था पर निर्भर कर सके।"⁵

विश्व अपने भविष्य को बेहतर करने की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में भारत को भी अपने बदलते समाज के साथ अपने नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सरकार ने परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया है, न केवल समयानुकूल बदलाव हुए बल्कि नीतियों में परिमार्जन भी हुआ है किन्तु यदि कहीं दोष रहा है तो उनको हमारे समाज के समक्ष उपयोग करने में रहा है। उपरोक्त समस्याएँ इसीलिए आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं क्योंकि हमारे पास नीतियाँ तो रही लेकिन हम उनका उपयोग सही दिशा में करने में असफल रहे हैं।

भूमण्डलीकरण के इस दौर में जहाँ पूरा विश्व ही एक गाँव के रूप में परिवर्तित हो गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक से दूसरे राष्ट्र में अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। एक देश दूसरे से देश आगे होने की दौड़ में लगा है। अतः अपने वर्चस्व को दूसरे पर बनाना चाहता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृति का हर तरह से उपयोग करने में भी पीछे नहीं रहता है। जिसका परिणाम समूचे विश्व को भुगतना पड़ सकता है जिससे सम्पूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है। इसका परिणाम हम बीते सन् 2020 ई0 में चीन के एक प्रयोग के कारण भुगतान चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी ने पूरे विश्व के देशों को न केवल अपनी सीमाओं में बाँधकर रख दिया था बल्कि एक ही परिवार के दो सदस्यों को भी दूर कर दिया था। ऐसी स्थिति में विश्व के सभी देशों को स्वयं के लिए संसाधनों, सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हुई और यही कारण रहा कि भारत को भी अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता पड़ी। जिससे हम स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

आत्मनिर्भर भारत योजना का आरम्भ विश्व में व्याप्त बाजारीकरण के फलस्वरूप हुआ है। श्वात्मनिर्भर भारत का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा के 'Self reliant India' से समझा जाना चाहिए। जिसका अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था को स्वयं के प्राप्त संसाधनों से विकसित एवं नवनिर्मित कर अपनी एवं विश्व के अन्य देशों को सहायता प्रदान करना। विकिपीडिया के अनुसार आत्मनिर्भर भारत को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है - "भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालने करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और स्व-उत्पादक होने के सम्बन्ध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।"⁶

किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना उस देश को विभिन्न प्रकार विशाल व महान बनाता है और प्रायः सभी राष्ट्र शक्तिशाली बनने की होड़ में लगे हैं। ऐसे किसी देश के लिए स्वयं पर निर्भर होना मात्र उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक हो जाता है। आत्मनिर्भरता के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉ० शिवबहाल सिंह कहते हैं - "विकसित देश जिन देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं, उन पर प्रत्याप्त मात्रा में अपनी सत्ता का प्रयोग भी करते हैं। वे उन्हें अपनी शर्तों और दशाओं को मानने के लिए बाध्य करते हैं। ये शर्तें और दशाएँ ही इन देशों के अल्प विकास के प्रभाव के प्रमुख कारक हैं।" बहुत स्पष्ट तथ्य है कि जो देश किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है उसकी नीतियाँ उसकी नहीं बल्कि उसको सहायत देने वाले राष्ट्र के माफिक चलेंगी। जिससे वह अपने समाज के अनुकूल व्यवस्था को स्थापित करने में असफल होगा, उदाहरणार्थ भारत का ब्रिटिश काल देखा जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत योजना का आरम्भ सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री 'श्री नरेन्द्र मोदी' ने 12 मई 2020 ई0 को कोरोना वायरस महामारी सम्बन्धी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं। इस अभियान के तहत पाँच स्तम्भों (इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड) की बात की गई। इसी योजना के अन्तिम पैकेज में सुधार सम्बन्धी उपायों को 17 मई 2020 ई0 को वित्त मंत्री 'श्रीमती निर्मला सीतारमण' ने पेश किया। इस पैकेज के पाँचवें और अन्तिम भाग में ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार सुगमता एवं केन्द्र व राज्य सम्बन्धों को साथ-साथ चलने के सम्बन्ध में सुधार प्रस्तुत किये गये। जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार हेतु पहल निम्न प्रकार रही है -

(क) स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी पहल -

- (1) स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वाजनिक निवेश वृद्धि।
- (2) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में निवेश।
- (3) महामारी के भविष्य के किसी भी संकट से निपटने के लिए सभी जिलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लाक की स्थापना।

(4) शोध को बढ़ावा देने के लिए “ICMR” द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय संस्थागत प्लेटफार्म।

(5) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का अनुपालन।

(6) महामारी के रोकथाम के लिए सभी जिलों एवं खण्ड स्तर पर जाँच केन्द्र की स्थापना।

(ख) शिक्षा सम्बन्धी पहल -

1. पीएम-ई-विद्या प्रोग्राम जिसके अन्तर्गत, एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफार्म के लिए दीक्षा कार्यक्रम, ‘वन क्लास वन चैनल’ के आधार पर कक्षा 1 से 12 तक के लिए टीवी चैनल, शिक्षा के लिए रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का उपयोग एवं टॉप 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कोर्स प्रारम्भ किया जाना सम्मिलित है।
2. छात्रों और शिक्षकों की मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारम्भ।
3. विद्यालयों, प्राथमिक आयु वर्ग और शिक्षकों के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक फ्रेमवर्क का निर्माण।
4. वर्ष 2015 तक भारत के कक्षा 5 के छात्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन का प्रारम्भ।

उपरोक्त सुधार प्रावधानों पर सरकार नियम व बजट दोनों पास कर इस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है किन्तु समस्या फिर वहीं आकर ठहर जाती है कि क्या इससे पहले सरकारों ने प्रावधानों में कोई कमी थी? यदि थी भी तो उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

आज की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कुछ अवरोध है जिस सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में देखा जाये तब भारत में अभी अधिकतर अबादी गाँवों में निवास करती हैं जो अभी भी तकनीकी व्यवस्था से दूर हैं, कुछ शिक्षा से दूर होने के कारण डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं, कुछ को भाषायी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक शोध आलेख में कहा गया है कि “वे जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं, जबकि वे राज्य की अनिवार्यता के अनुरूप बनने में गरीबी, डिजिटल पहुँच के अभाव, घरों पर अधिक लोग होने, भुखमरी या बेघर होने के डर के कारण सक्षम नहीं थे।”⁸ कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना से ऐसे कुछ लोग पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकते हैं।

जिस तरह स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ समस्याएँ अभी हमारे समक्ष पूर्वतः बनी हैं उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ नई समस्याओं ने जन्म ले लिया है। जैसे शिक्षा का बाजारीकरण एवं शिक्षा का निजीकरण इन दो समस्याओं का सम्बन्ध भारत की उस जनता पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है जो निचले तबके के है या जो रोजमर्रा की जिन्दगी जीने के जद्दोजह में लगे हुए हैं। शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में एक लेख में कहा गया है कि - “भारत जैसे मुल्क वहाँ 80 फीसदी गरीब जनता है, जहाँ 50 रुपये की भी शुल्क लगाने का मतलब है गैर बराबरी की शिक्षा नीति को बढ़ावा देना होगा।”⁹ इसी लेख में आगे चलकर मुफ्त शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के सूक्ष्म अन्तर को लेखक ने उद्घाटित करने का प्रयत्न करते हुए कहा है कि “भारत सरकार आठवीं तक मुफ्त नहीं बल्कि निःशुल्क शिक्षा देती है। निःशुल्क का मतलब ट्यूशन फीस के अलावा यूनीफार्म, जूते, स्वेटर, कंप्यूटर, बस्ता आदि सभी चीजों का खर्च उठाना पड़ता है।”¹⁰ यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि न केवल प्राथमिक, माध्यमिक बल्कि उच्च शिक्षा भी आज उपभोक्ता में तब्दील हो चुकी है। पूँजीपतियों का मानना है कि हमें ज्यादा शिक्षित युवा नहीं चाहिए। क्योंकि ज्यादा पढ़े लोग अपने श्रम का ज्यादा धन लेंगे जबकि उन्हें अपने श्रम में सस्ते श्रमिक चाहिए।

वर्तमान शिक्षा पद्धति जहाँ एक आत्मनिर्भर भारत पर जोर देती है वहीं दूसरी ओर कुछ पूँजीपतियों के कम्पनियों के लिए अधिक से अधिक श्रमिक एवं विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को भी उनके सुपुर्द करने की ओर उन्मुख है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रामआहूजा ने आधुनिक शिक्षा में विशेष तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के पक्ष में निम्न निष्कर्ष दिये हैं -

1. “आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा सिद्धान्त को स्वीकार करें।”¹¹
2. “शिक्षकों की जवाबदेही की समस्या गम्भीर है विशेष रूप से उच्च शिक्षा में।”¹²
3. “हमें छात्रों में अध्ययन के प्रति गम्भीरता पैदा करनी है। ज्ञान किसके लिए सबसे कठिन प्रश्न है।”¹³
4. “व्यापार, वाणिज्य तथा नौकरी और सेवा के नये क्षेत्रों पर ध्यान देना है।”¹⁴

शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत की योजना में जहाँ एक ओर शहरी एवं शिक्षित जनता के लिए नये आयाम खुले हैं उनके लिए जीवन तकनीकी सुविधाओं से आसान हुआ है तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जनता के लिए इस योजना की अपनी सीमाएँ हैं। शिक्षा के निजीकरण से भी सर्वाधिक समस्याएँ ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए बनी रहेगी तो शहर में भी बेरोजगार एवं संघर्षरत आदमी के लिए समस्याएँ बढ़ेंगी। किन्तु आत्मनिर्भर भारत योजना एक बहुमुखी योजना भी है अतः आशा की जा सकती है आने वाले समय में सरकारें कुछ सुधार और कर नयी ऊर्जा के साथ देश को विकास के पथ पर गतिमान करेंगे।

संदर्भ

1. विकास का समाजशास्त्र, शिवबहाल सिंह, द्वितीय संस्करण 2020 ई0, रातव पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ, स0-209
2. भारतीय समाज, राम आहूजा, आवृत्ति संस्करण 2022 ई0, रातव पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ स0 210
3. वही, पृष्ठ-212

4. वही, पृष्ठ-212
5. वही, पृष्ठ 212
6. <https://www.wikipedia.org>
7. विकास का समाजशास्त्र, शिवबहाल सिंह, द्वितीय संस्करण 2020 ई0, रातव पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ, सं0-५७
8. कोरोना महामारी में डिजिटल स्वास्थ्य पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, डेबोरा लुप्टन, वर्ष-9, अंक-104, जनमीडिया, नवम्बर 2020, सम्पादक-अनिल चमड़िया, दिल्ली, पृष्ठ सं0-9
9. बाजार की दहलीज पर शिक्षा, अनिल सद्गोपाल, समय से संवाद-08, सम्पादक-स्वतंत्र मिश्र, अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 सं0-79
10. वही, पृष्ठ -80
11. भारतीय समाज, राम आहूजा, आवृत्ति संस्करण 2022 ई0, रातव पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ सं0 213
12. वही, पृष्ठ - 213
13. वही, पृष्ठ -213
14. वही, पृष्ठ - 213

एक पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम् हमारी भूमिका

श्रवण कुमार उपाध्याय

अध्यापक, स्कूल शिक्षा, अल्फा एडवांस विद्यालय, पीपाड़ शहर, जोधपुर, राजस्थान

भारतीय ज्ञान परम्परा चिन्तन प्रधान रही है। चिन्तन परम्परा को भारत को हर समय नया भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती वर्ष 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस की थीम "GLOBAL COOPERATION PROTECTING LIFE OF EARTH" रखी। जिसका अर्थ भारतीय परिवेश में “वसुधैव कुटुंबकम्” हैं। भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानने की संस्कृति है। अथर्ववेद के भूमि सुक्त में कहा गया है कि “माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्या” इसका अर्थ है कि सम्पूर्ण पृथ्वी माता है और इस पर निवास करने वाले समस्त जरायुज, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज इसकी सन्तान हैं।

अथर्ववेद के भूमि में पृथ्वी के संरक्षण की बात करते हुए कहा गया है कि:-

सत्यं बृहत्तमुग्रं दीक्षा तपोब्रह्म यज्ञः पृथिवी न धारयन्त।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी कृणोत॥ (अथर्ववेद 12/1/1)

इस सुक्त का भावार्थ इस प्रकार से है कि सत्यनिष्ठ, विस्तृत यथार्थ बोध, दक्षता, क्षात्रतेज, तपश्चर्या, ब्रह्मज्ञान एवं त्याग बलिदान के विचारों द्वारा पृथ्वी को संरक्षित करना चाहिए। ऋग्वेद में लिखा है।

द्यौश्च नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः।

मा दुर्विदन्ना निऋतिर्न ईशत तदेवानामवो अद्या वृणीमहे॥ (ऋग्वेद 10/36/2)

इस सुक्त का यह भाव है कि यदि पृथ्वी को प्रदूषित करेंगे, उसे हानि पहुँचेंगे तो भविष्य में विनाश, विपत्ति एवं संकट उत्पन्न होगा। यजुर्वेद में भी पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं। इसमें उल्लेख है कि पृथ्वी को हानि पहुँचाने पर समुद्र का जल स्तर बढ़ जायेगा जिसके कारण पृथ्वी जल में डूब जायेगी। पृथिवि मामार्मा मा हिंसीमो अहं त्वाम् (यजुर्वेद 10/23) पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन मण्डल के बारे में वेदों में उल्लेख प्राप्त होता है।

“महत् उल्ब, स्थाविर(भौतिक परत) अवि (रक्षण क्षमता)।

ऋग्वेद में ओजोन परत को नष्ट नहीं करने का स्पष्ट सन्देश है।

महत्तुल्ब स्थाविरं तदासीद्येनाविषाटितः प्रविवेशियापः। (ऋग्वेद 10/51/1)

यजुर्वेद में भी ओजोन परत नष्ट नहीं करने का भाव अंकित किया है।

वरुचिं त्वष्टुर्वरुणाय नाभिमविं जज्ञानां रजसः परस्मात्।

महीं साहस्त्रीमसुरम्य मायामग्ने मा हिंसीः पसे व्योमन॥ (यजुर्वेद)

इसमें अवि (रक्षा क्षमता ओजोन-परत) को विनष्ट नहीं करने का आदेश दिया गया है। पृथ्वी तत्व का पर्यावरण सम्बन्ध में चिन्तन करें तो पुराणों में पृथ्वी को स्वच्छ, सुन्दर, विमल, निर्मल रखने को कहा गया है। पृथ्वी सभी जीवों का आधार है। 18 महापुराणों में वामन पुराण में पृथ्वी को स्वच्छ बनाये रखने को कहा गया है। हमारी धरती जिसे हम पृथ्वी या वसुधा भी कहते हैं। ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ भारतीय संस्कृति का उद्घोष हैं। भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानती है। पृथ्वी का संरक्षण मानव जाति का संरक्षण है। सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। जैसे परिवार के सभी सदस्य प्रेमपूर्वक, सौहार्द से साथ रहते हैं तो वे उन्नति करते हैं। वैसे ही सम्पूर्ण राष्ट्र एक साथ मिलकर एक-दूसरे की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अथर्ववेद के अनुसार “यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्” यानि सम्पूर्ण विश्व एक घोंसला है। वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा से वैश्वीकरण अलग नीति है। वैश्वीकरण में केवल बाजार है। बाजार में व्यापार है। व्यापार में अधिक से अधिक लाभ की आशा की जाती है। जिसके कारण नैतिकता का पतन होने के साथ शोषण की ओर ले जाता है। वैश्वीकरण प्रत्येक राष्ट्र की जीवन शैली को बदल रहा है। जिसके कारण भोगवादी संस्कृति का उदय हो रहा है। भोगवाद पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है।

भारत के अतिरिक्त विश्व की सारी सभ्यताओं का विकास नगरों की दीवारों के भीतर हुआ। भारतीय संस्कृति का उद्भव वनों में हुआ। इसलिए भारतीय संस्कृति को ‘आरण्यक’ संस्कृति कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का मूल आधार रहा है। हम प्रकृति पर निर्भरता को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं।

हमें पर्यावरण के अन्तर्गत भूमि, वायु, वर्षा, वनस्पति, पेड़-पौधे, मनुष्य, वन्यजीव, सुय की रोशनी, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, पशु-पक्षि, कीटाणु, जीव-जन्तु, इन सब के संरक्षण हेतु प्रयास करना होगा। इन सब के साथ मानव को एकता, समता, नियमबद्धता, ओर पारस्परिक निर्भरता रखते हुए बचाना होगा। मानव ओर प्रकृति का शाश्वत सम्बन्ध है। हमें इस गहनता से विचार करना होगा कि मानव प्रकृति ओर प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। भारत को पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर कार्य करना होगा। मनुष्य भोग ओर भौतिक की अन्धी दौड़ में चाहे में चाहे कितनी भी प्रगति कर लें। यदि उसने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया तो सारी प्रगति एक पल ही विनाश हो जायेगी। भौतिक वाद की अन्धी दौड़ ने विश्व को विनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम प्रयास 1972ई को स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया। स्टॉकहोम के बीस वर्ष पश्चात सन 1992 ई जोहान्सबर्ग द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। सन 2005 ई जोहान्सबर्ग द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों में पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर बात रखी गई। वर्ष 1972ई में स्वीडन में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन की थीम “केवल एक पृथ्वी” (only one earth) थी। स्टॉकहोम व रियो डी जनेरिया के बीच के समय में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझोते हुए। ओजोन परत को नष्ट करने वाले प्रदूषक पर वियना कन्वेंशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, खतरनाक अपशिष्टों पर संचलन पर बेसल कन्वेंशन 1989, रॉटर होम कन्वेंशन 1998, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992, जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992, मरुस्थलीय का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1994 आदि।

भारत के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 1976 ई में संविधान का ब्यालिसवाँ संविधान संशोधन करके पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य के नीति व निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 क एवं मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51क (छ) जोड़े गये। 48क भारत का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन ओर वन्यजीवों की रक्षा राज्य, देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का ओर वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 51 क- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी ओर वन्यजीव है रक्षा करे ओर उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

भारत में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सन 1974 ई में जल प्रदूषण अधिनियम, सन 1981ई में वायु के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ओर सन 1986ई में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाये गये। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण व नियन्त्रण सेस अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, लोक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1980। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ई में राष्ट्रीय पर्यावरण के अनेक प्रावधानों का एकीकरण करते हुए एक बना दिया गया है। इसके अन्तर्गत नियमों में सुधार, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम, परियोजनाएं, केन्द्र, राज्य, ओर स्थानीय सरकारों द्वारा कानून, पुनरावलोकन के कार्यान्वयन की व्याख्या की गई है। भारत द्वारा पर्यावरणीय कानूनों पर व्यापक विचार किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में हमें पर्यावरण के प्रति सजगता दिखानी होगी। भारत में पर्यावरण की स्थिति बड़ी गम्भीर है। भारत में 12250 नदियों थी जो या तो लुप्त हो गई या नालों में बदल गई। जिसके कारण भूमि का कटाव व बाढ़ का ताण्डव होता है। हमें पर्यावरण के मुद्दे को गम्भीरता से लेना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आम नागरिक को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के अन्तर्गत भारत 12वें पायदान पर है। भारत में 45000 पेड़-पौधों, 81000 जीव जन्तुओं का आश्रय स्थल है। हमें इनको आने वाले समय के लिए बचाना होगा। भारत द्वारा अपने नागरिकों को स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति गुणवत्तायुक्त जीवन की मूल आवश्यकता के साथ स्वच्छ पर्यावरण में अपना जीवन जीवे। यूनेस्को द्वारा दिये गये पर्यावरण संरक्षण के मार्ग दर्शन के अनुसार भारत ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में जल, वनस्पति, वायु, भूमि आदि संकलित तत्वों को पर्यावरण सूची में सम्मिलित किया। पर्यावरण की समस्या केवल भारत की नहीं सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। पर्यावरण बचाने का प्रयत्न सारे विश्व को करना है। भारत के लिए आने वाले समय में पर्यावरण भी एक मुख्य समस्या है। इस समस्या के निवारण हेतु भारत को अनेक कठोर निर्णय लेने होंगे। हमें विकास ओर पर्यावरण के विरोध को समाप्त करना है। हमें भौतिक वादी ओर भोगवादी संस्कृति पर विचार करना होगा। भारत आज जलशक्ति, जनशक्ति, रक्षाशक्ति, ज्ञानशक्ति, ओर स्वस्थ शक्ति बनने जा रहा है। इन शक्तियों के साथ पर्यावरण शक्ति भी बनाना होगा। वर्तमान में हमारी भूमि उर्वरता शक्ति खो रही है। जिसके कारण रेगिस्तान में निरंतर वृद्धि हो रही है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग भारी मात्रा में किया जा रहा है जिसके कारण भूमि जहरीली हो रही है। साथ ही मानव में प्रकार की बिमारियों हो रही है। फसलों में भारी मात्रा कीट नाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार की हानियां हो रही है। एक शोध से पता चला है कि किसानों द्वारा जो बिना बीज के फल व सब्जियों की पैदावार की जा रही है उससे मनुष्य ओर जीवों के डीएनए में परिवर्तन आ रहा है। उर्जा के नये स्रोत के वेस्ट के निस्तारण की बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में इस पर नीति बनानी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आने वाले भारत में अनेक समस्याएं सुरक्षा के समान मुँह खोले खड़ी हैं। हम यह बात भी नहीं भूलनी है कि प्रकृति पर वर्तमान पीढ़ी का ही नहीं भविष्य की पीढ़ी का भी अधिकार है। हमें पृथ्वी को बचाये रखने के लिए धुलोक व भूलोक दोनों का ही संरक्षण करना होगा। धुलोक को नुकसान पहुंचाने पर उर्जा की हानि होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए छावा पृथ्वी में सूर्यादिक लोक, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी का समावेश है। अन्तरिक्ष व पृथ्वी में पोष्य-पोषक का सम्बन्ध है। सूर्य उर्जा का स्रोत, आकाश वर्षा का पृथ्वी दोनों का उपयोग कर अन्नादि उत्पन्न कर जीव जगत को संचालित करती है। वृक्ष ओर वनस्पति सूर्य से उर्जा प्राप्त कर ऑक्सीजन बनाता है। पृथ्वी को प्रदूषित करने पर जीवन समाप्त हो जायेगा। ईश्वर प्रदत्त सभी प्रदायक का न्युनतम उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण किया जाय। ईशावास्योपनिषद के प्रथम श्लोक में मानव को भौतिक प्रदार्थों का त्याग पूर्वक उपयोग करने की बात कहता है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगव्या जगत्।

तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विध्दन्म्॥ (ईशावास्योपनिषद्/1)

हमें सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यावहारिक उपाय करेंगे तभी हम पृथ्वी, विश्व, हमारे देश व राज्य को सुरक्षित कर सकेंगे। दुर्गासप्तशती में कहा गया है कि

यावत्भूमंडलं धत्ते सशैलवनकाननम्।

तावत्तिष्ठति में दिन्यां संतति पुत्रपौत्रिकी॥

अर्थात् जब तक धरती पर पर्वत ओर हरे-भरे वन रहेंगे तब तक हम ओर हमारी भावी पीढ़ीया जीवित ओर खुशहाल रहेंगी। भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ सहयोग व सहायता अस्तित्व के भाव रखती है। हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ सघर्ष का नहीं बल्कि एकात्मता का भाव रखती है। प्रकृति को कम-कम हानि पहुँचने की भावना जागृत करती है। हमें पृथ्वी को बचाने के लिए भारतीय ज्ञान परम्परा की संचेतना को समझना होगा।

वर्तमान समय में भारत के समुख अनेक समस्यायें हैं-जातिवाद, स्वार्थवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार, चोरी, लुट-पाट, डकैती, अपहरण, महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता, शोषण, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, बेरोजगारी, भय, हिंसा, जेहाद सहित अनेक समस्याओं के निस्तारण के साथ पर्यावरण संरक्षण करना होगा।

हम भारतवासियों को राष्ट्र की प्रत्येक समस्या को अपनी समस्या मानकर हमें अपने-अपने स्तर पर उसका निदान खोजना होगा। यजुर्वेद में लिखा है कि “बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये” यानि राष्ट्र के संरक्षण का उत्तरदायित्व प्रत्येक नागरिक का है। हमें जीवन का परम लक्ष्य “आत्मनों मोक्षार्थं जगद्धिताय” को स्वीकार करते हुए पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। हमें भोग ओर त्याग दोनों को साथ लेकर चलना होगा। “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा” ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं पर सभी का अधिकार है। उसका आवश्यकतानुसार उपयोग करना श्रेष्ठ है, उसका दुष्प्रयोग करना अपराध है।

“पृथ्वी मनुष्य की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पुरा करने के लिए नहीं” महात्मा गांधी

आधार ग्रंथ:-

- (1) शोध संचयन, अंक एक, वर्ष एक, 15 जनवरी 2010, शोध नेट
- (2) राजभाषा ज्योति, अंक 36, अक्टूबर 2019 - मार्च 2020 प्रकाशक एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद
- (3) वैविध्यपूर्ण भारतीय संस्कृति एक अवलोकन, डॉक्टर धीरज सिंह, प्रकाशक अखण्ड पब्लिकेशन्स हाऊस नई दिल्ली, संस्करण प्रथम वर्ष 2021
- (4) भाषा अंक 289, वैदिक ज्ञान विज्ञान विशेषांक, प्रकाशक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय नई दिल्ली, वर्ष 2020
- (5) संस्कृत विमर्श अंक 13-14 प्रकाशक संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष 2019
- (6) भारतीय ज्ञान परम्परा ओर विचारक लेखक रजनीश कुमार शुक्ल, प्रकाशक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, संस्करण प्रथम, वर्ष 2021
- (7) विधायन शोध पत्रिका पर्यावरण विशेषांक, अंक 19, जुलाई- सितम्बर 2020, प्रकाशक छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, छत्तीसगढ़
- (8) पुराणों में पर्यावरण, शोध प्रबंध, अनुसन्धाता मनोज सिंह, संस्कृत, पालि, प्राकृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, वर्ष 2002

आर्थिकसामाजिकराजनैतिकस्वरूपेषु आत्मनिर्भरभारतम् नूतनशिक्षानीति च

ज्ञानेन्द्र गौतम

शोधार्थी, शिक्षाविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयः

शोधसारः आत्मनिर्भरभारतम् आधुनिकभारतस्य निर्माणस्य आधारशीला वर्तते। कोविड 19 इति वैश्विक महामारी इत्यस्य प्रभावेन समग्रविश्वस्य जनस्वास्थ्यं अर्थव्यवस्था च प्रभावितौ। विश्वस्य आयात-निर्यातव्यवस्था अवरुद्धा। संसाधनानामभावः, जनानां आजीविकायाः समस्याः, पलायनं, अकालमृत्युः इत्यादयः भारतस्य आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिकक्षेत्रेषु च प्रतिकूलपरिस्थितेः निर्मिताऽभूत्। शिक्षाव्यवस्था च सम्पूर्णा अवरुद्धा। सम्पूर्णदेशे लाकडाउनिति व्यवस्था परिपालिता। कथमेतादृशसमस्याभिः समाधानमन्वेषणीया तथा देशस्य पुनर्संस्थापनं संभवेदिति विषये देशस्य बुद्धिजीविनः, चिकित्सकाः, वैज्ञानिकाः, राजनेतारः, सुरक्षाकर्मिणश्च संलग्ना जाताः। कोरोना इति व्याधिनः निवारणेन सह देशस्य सर्वस्मिन् क्षेत्रेषु विकाससम्पादनाय आत्मनिर्भरभारतमिति योजनायाः आयोजनं भारतसर्वकारेण कृतम्। आत्मनिर्भरभारतयोजनाद्वारा आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक तथा शैक्षिकस्वरूपं कथं विनिर्मितं विकसितं च इति अध्ययनद्वारा वर्णितानि। आर्थिकक्षेत्रे भारतीया अर्थव्यवस्था सुदृढीकरणं, सामाजिकक्षेत्रे लाभान्वितानां विविधायोजनानि, राजनैतिकक्षेत्रे भारतस्य दृढनेतृत्वं, विदेशनीति, स्वावलम्बनयुक्तनेतृत्वं, सामरिकक्षेत्रे भारतस्य स्वीयोत्पादनं सैन्यशक्तिं च, शिक्षाक्षेत्रे भारतस्य नूतनशिक्षानीति कथमात्मनिर्भरभारतनिर्माणे प्रभावयन्ति इत्यादयः शोधस्यास्य सारभूतं वर्णनं वर्तते।

प्रस्तावना- आत्मनिर्भर इत्यत्र आत्मेति “स्व” इत्यस्य परिचायकः “निर्भरिति” अनाश्रयं स्वावलम्बनमिति। अर्थात् स्वीयोपरि निर्भरशीलता इति। परन्तु विस्तृतरूपेण पश्यामश्चेत् न कश्चिद्राष्ट्रः परस्परसहयोगविना स्वविकाससम्पादने समर्थः वर्तते। अतः भारतस्य आत्मनिर्भरशीलतायाः तात्पर्यं किमिति? अत्र आत्मनिर्भरभारतस्य तात्पर्यं एवं स्यात् यत् भारते निर्माणं, प्रौद्योगिकक्षेत्रेषु नूतनविधिनां प्रयोगश्च। वैदेशिकनिवेशश्च भारते वर्धनं तथा परराष्ट्रसंसाधनानां क्रयणापेक्षया भारते एव विकसितसंसाधनम् तत्र वैदेशिकसहहायमपि अपेक्षते। परन्तु तच्च भारतस्य भूमौ निर्माणमिति सिद्धान्ताधारितव्यवस्थाधीनम् भवेदिति। यतोहि कस्यचिद्राष्ट्रस्य विकासः तदैव सम्भवति यदा तद्राष्ट्रस्य आवश्यकताः, व्यवस्थाः, कार्यकरणं च अन्यस्य राष्ट्रस्य आश्रयात् उपरि भवति तथा तद्राष्ट्रं आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक तथा शिक्षास्वरूपेषु आत्मनिर्भरं भवति। भारतीयस्वतन्त्रता-आन्दोलने भागं गृहीतवन्तः सर्वे यज्ञदातृणां लक्ष्यम् आसीद्यत् अस्माभिः वैदेशीकवस्तूनां बहिष्कारं कृत्वा स्वदेशीवस्तूनाम्, स्वभाषा, स्व-संस्कृतिः च स्वीक्रियताम्। स्वदेशी आन्दोलने जनैक्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मागान्धिमहोदयः कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था, लघूद्योगः, गृहोद्योगः, कुटीरुद्योगः, वस्त्रोद्योगः इत्यादीनां समर्थकः आसीत्। सैव राष्ट्रियस्तरेषु आत्मनिर्भरभारतस्य निर्माणस्य प्रथमप्रेरकः आसीत्। गान्धीमहोदयानुसारं स्वदेशीरित्यनेन तात्पर्यं स्वीयसमीपस्यैव विद्यमानतायाः उपयोगिता तथा सेवया सह वर्तते। अपि च भारतस्य अधिकांशजनानां निर्धनतायाः कारणम् आर्थिकं तथा औद्योगिकजीवनेषु स्वदेशी इत्यस्य नियमभङ्गेति तेन भणितम्। स्वदेशी विषये तेनोक्तं यत् स्वदेशी इति धार्मिकसिद्धान्तरूपेण अहं स्वीकरोमिति।¹ तथा स्वराज्यस्य तादृशी भारतस्य निर्माणं सः वाञ्छति स्म यः आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक तथा शिक्षास्वरूपेषु आत्मनिर्भरः स्यादिति। परन्तु खेदस्य विषयः अस्ति यत् स्वातन्त्र्यात् अधुना यावत् वयं देशस्य आर्थिकसामाजिकराजनैतिक तथा शिक्षाक्षेत्रं स्वावलम्बीं कर्तुं न शक्तवन्तः। स्वातन्त्र्यात् साम्प्रतं यावत् वैदेशीयमहाशक्तयः अन्येषु उत्पादकराष्ट्रेषु च आश्रिताः स्मः। अतः विषयेऽस्मिन् मेक ईन ईन्डिया, आत्मनिर्भर भारत तथा वोक्ल फॉर लोकल इत्यादियोजनाः महात्मा गान्धीनः स्वदेशी आन्दोलनस्य नूतन परिभाषेति आख्यायितं भारतस्य गृहमन्त्री अमितसाहमहोदयेन। स्वतन्त्रताप्राप्तेर्पश्चात् भारतस्य पुनर्निर्माणाय महात्मागान्धीना प्रचारितविचारानां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नूतनजीवनं प्रदातुं प्रयासः अस्ति यद् पूर्वं कतिपयवर्षेभ्यः विस्मृताः इति स्वीयभाषणेनोक्तम्।² भारतस्य आर्थिकोत्थानस्यावधारणा, भारतं विश्वनिर्माणकेन्द्रं “मैन्युफैक्चरिंग हब” तथा स्वदेशीयपदार्थानामपुयोगश्च गान्धीनः स्वदेशी आन्दोलनाद् उद्भूताः सन्ति इति तेन भणितम्। खादीवस्त्राणामुपयोगः न केवलं निर्धनजनानां सशक्तिकरणमपितुः भारतस्य स्वाभिमानस्य प्रतीकमिति महात्मागान्धिनः प्रस्तावितविचारः अद्यत्वेऽपि प्रासङ्गिकं वर्तते इति तेषां विचारः आसीत्।

अध्ययनस्योद्देश्यानि: प्रकृतानुसन्धानस्योद्देश्यानि भवन्ति-

1. आत्मनिर्भरभारतयोजनायाः आवश्यकतायाः अध्ययनम्।
2. आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक तथा शिक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरभारतस्य स्वरूपस्य अध्ययनम्।
3. आत्मनिर्भरभारतस्य नूतनशिक्षानीति इत्यस्य प्रासंगिकतायाः अध्ययनम्।

आत्मनिर्भरभारतयोजनायाः आवश्यकता

विश्वस्येतिहासे द्वितीयविश्वयुद्धस्य अनन्तरं कोविड-१९ इति वैश्विकस्तरस्य बृहत्तमदुष्प्रभावः इति गणयितुं शक्यते। वर्षद्वयं यावत् क्रमशः यावच्चलितेन आर्थिकमन्दतायाः कारणात् विश्वस्य अनेकदेशानां अर्थव्यवस्थाः नष्टाः अभवन्। अस्माकं देशेऽपि वैश्विकमहामारीत्यस्य प्रकोपस्य विरुद्धं युद्धं कुर्वन् पुनः

नूतनरीत्या उद्भवितुमनेकानां परिस्थितिनां सोढनमकरोत्। जनाः स्वकार्यं त्यक्तवन्तः, कार्यं नष्टवन्तः, एकस्मात् स्थानात् अन्यस्मिन् स्थाने प्रवासं कर्तुं बाध्यन्ते स्म। जनस्वास्थ्यं एवं चिकित्सा कर्मचारिणः समस्यानिवारणाय संलग्नाः।

एतादृशपरिस्थितौ आत्मनिर्भरभारतयोजनायाः आरम्भः १२ मई २०२० इति वर्षे प्रधानमन्त्रिणः घोषणयाऽभवत्। प्रधानमन्त्रिणा आत्मनिर्भरभारतस्य माध्यमेन २० सहस्रकोटिलाभार्थिनां कृते राहतकोषस्य घोषणा कृता। यद्भारतस्य सकलराष्ट्रीयोत्पादस्य १० प्रतिशतं मन्यते। अस्योद्देश्यं समृद्धं सशक्तं च भारतस्य निर्माणमस्ति। साम्प्रतं यावद् आत्मनिर्भर भारताभियानयोजनायाः १.०, २.० एवं ३.० समुद्घोषितानि वर्तन्ते। भारतसर्वकारस्य स्वावलम्बीभारतयोजना देशस्य अर्थव्यवस्थासुदृढां कर्तुं तथा नागरिकान् स्वाश्रयान् कर्तुं योजना अस्ति। कोविड-१९ काले महामारीद्वारा देशस्य हानि जाता ततः परं भारतस्य प्रधानमन्त्री आर्थिक-सहायतायाः घोषणाम् अकरोत्। सः जनान् एतत् समयं अवसररूपेण द्रष्टुं प्रेरितवान्। भारतसर्वकारेण २० लक्षकोटिरूप्यकाणां अनुदानार्थं स्वस्य सकलराष्ट्रीयउत्पादस्य १०% व्ययस्य घोषणा कृता तथा वित्तमन्त्रीनिर्मालासीतारमणेन वित्तीयवर्षस्य बजटस्य घोषणा १ फरवरी २०२१ दिनाङ्के कृता, यस्य मुख्यमुद्देश्यमासीत् कोविड-१९ कालखण्डे अर्थव्यवस्थां सुदृढीकरणम्। भारतसर्वकारेण रिजर्वबैंड्केन च स्वनिर्भरभारतअभियानद्वारा, 27.1 कोटिरूप्यकाणां निवेशः कृतं यद् जीडीपी इत्यस्य त्रयोदशप्रतिशतं वर्तते।^३ सकलराष्ट्रीयोत्पादस्य एतदनुदानं २०२१-२२ तमस्य वर्षस्य वित्तबजटस्य अनुसारमस्ति। अस्य अन्तर्गतं कृषकाणां आयस्तरं वर्धयितुं, महिलासशक्तिकरणं, सुशासनं इत्यादीनि सर्वाणि विकासस्य विषयाणि वर्धयितव्यानि इति उक्तम् अस्ति।

आत्मनिर्भरभारतस्य पञ्चस्तम्भाः स्वीकृताः सन्ति^४ अर्थव्यवस्था-आधारभूतसंरचना-प्रौद्योगिकी-गतिशील जनसांख्यिकी तथा आवश्यकतायाः पूर्तिरिति। अर्थव्यवस्था एतादृशी भवेत् यत् वृद्धिशीलपरिवर्तनापेक्षा तीव्रवेगी अर्थव्यवस्था स्यादिति। आधारभूतसंरचना “इनफ्रस्ट्रक्चरिति”, आधारभूतसंरचनायाः आधारेण अत्याधुनिकभारतनिर्माणं सम्भवति। प्रौद्योगिकी तादृशी भवेत् यत् एकविंशताब्दी आधारित चालितव्यवस्थायाः आधारेण भवेत्। गतिशीलं जनसांख्यिकीआधारितक्रियाशीलता स्वावलम्बीभारतस्य कृते ऊर्जारूपेण कार्यं कुर्यात्। मांग- आवश्यकता तथा वितरणं भारतस्य अर्थतन्त्रस्य प्रेरकौ वर्तते। भारतस्यमांग तथा आपूर्तिक्षमतायाः पूर्णोपयोगेति मोदिमहोदयेन आत्मनिर्भरभारतनिर्माणस्य पञ्चस्तम्भाः वर्णितानि।

आर्थिकस्वरूपात्मनिर्भरभारतं च

आर्थिकदृष्ट्या यदि भारतीयरूप्यकस्य स्तरं पश्यामः तर्हि १९४७ तमे वर्षे भारतस्य १ रू. ४.१६ अमेरिकीडॉलरस्य समानमासीत्। १९४८ तमे वर्षे ३.३१, १९६५ तमे वर्षे ४.७६, १९७३ तमे वर्षे ७.७४, १९८५ तमे वर्षे १२.३७, १९८८ तमे वर्षे १३.९२, १९९२ तमे वर्षे २५.९२, १९९५ तमे वर्षे ३२.९२, २००० तमे वर्षे ४४, २०१२ तमे वर्षे ५३.४४, २०२८ तमे वर्षे ७०.३९^५ च अस्ति। अत्र द्रष्टुं शक्यते यत् आङ्ग्लानां २०० वर्षाणां दासत्वात् स्वतंत्रप्राप्तिर्समये यत् रूप्यकमेतावत् प्रबलमासीत् तत् स्खलितं एतादृशं निम्नस्तरं यावत् समागतः। प्रतिदिनं रूप्यकाणां स्तरः कथं न्यूनः भवति इति चिन्तनीयम्। अद्यतनदिने प्रायः १ डॉलरः ८० इत्यस्य समानस्थितिं प्राप्तवान् अस्ति। अस्य बृहत्तमं कारणं वैदेशीय-उत्पादकानामाश्रयः, आत्मनिर्भरभारतस्य अवधारणायाः अभावः चास्ति। अतः वर्तमानसर्वकारः एवं बुद्धिजीविनः स्वावलम्बी भारतयोजनायाः अवधारणया विकासकार्ये संलग्नाः सन्ति।

भारतस्य औषध-स्वास्थ्य-उद्योगः अर्थव्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णक्षेत्रेषु अन्यतमः अस्ति। टीकानिर्माणप्रक्रियायां भारतस्य भूमिका अपि आर्थिकक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः महत्त्वपूर्णपक्षेषु अन्यतमः अस्ति। कोविड-महामारी-काले महामारी-विरुद्धं युद्धं कर्तुं तथा च कोविड-प्रभावित-राष्ट्रस्य कृते अपि टीकानां निर्माणं निःशुल्क-वितरणं च भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः अपि च समाज-कल्याणस्य भावनां दर्शयति। भारतं प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्थायाः दूरं सहकारी अर्थव्यवस्थायाः पक्षस्य वकालतं सर्वदा कुर्वन् आसीत्। भारते सूचनाप्रौद्योगिक्याः विकासः सशक्तः उद्योगः अभवत्। वैश्विकप्रौद्योगिक्यां भारते गूगलेन एककोटि अमेरिकीडॉलर, फेसबुकेन च ५ मिलियन अमेरिकीडॉलर निवेशः कृतः। IMF इत्यनेन २०२१ तमे वर्षे भारतस्य कृते ११.५% वृद्धिदरस्य अनुमानं कृतम् आसीत्। भारतं विश्वस्य प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमा तथा वर्धनशीला अस्ति यद् महामारीयाः मध्ये २-अङ्कीयवृद्धिं पञ्जीकृतं वर्तते। अद्यत्वे अयं देशः विश्वस्य पञ्चमः द्रुततरं वर्धमानः अर्थव्यवस्था इतिरूपेण परिचीयते।

सामाजिकस्वरूपमात्मनिर्भरभारतं च

यदि सामाजिकक्षेत्रे आत्मनिर्भरभारतस्य विषये चर्चा कुर्मः तर्हि कोटिशः युवानः तस्मात् लाभं प्राप्नुवन्ति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। आत्मनिर्भरभारतयोजना 1.0 इत्यनुसारं एतादृशयोजनाः समाहिताः भवन्ति यथा- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ईसीएलएस 1.0, इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग, विशेष तरलता योजना, तरलता स्वनिधि योजना इत्यादि। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 इत्यस्यानुसारं एलडीसी केस वाउचर योजना, महोत्सव अग्रिम, आंशिक ऋण गारंटी, अतिरिक्त पूंजी संचय इत्यादयः समायान्ति। आत्मनिर्भर भारत योजना 2022 इत्यनुसारं सामाजिकजनानां कृते 1800 कोटि आवासयोजना, ग्रामीण कर्मचारिणां सहस्रकोटिबूस्ट, कोविड संरक्षण हेतु 900 कोटि, तृ-क् अनुदानं, भारतीय टीका विकास, इत्यादिभिस्सह कृषि, विनिर्माण, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनादिनां कृते कुल 2,65,080 कोटिवित्तियबजट निर्धारितं वर्तते। वर्मान सर्वकारेण आत्मनिर्भर भारतस्य 3.0 अभियानमपि व्यवस्थापनं कृतं वर्तते।

वस्तुतः सामाजिकक्षेत्रे लाभार्थिनः सन्ति कृषकाः, निर्धननागरिकाः, काश्तकाराः, प्रवासी श्रमिकाः, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा मध्यमवर्गीयः उद्यमजानाः, मत्स्यपालकाः, पशुपालकाः, संगठित तथा असंगठितक्षेत्रस्य जनाः। सर्वकारीयसांख्यिकीय तथ्यानुसारं एतावत्पर्यन्तं 58.76 लक्ष्यजना 4.920.67 कोटि धनराशि आर्थिकसहाय्यतारूपेण प्राप्ताः सन्ति।^६ तथ्यमेतद् 30 अप्रैल 2022 पर्यन्तस्येति एबीपी. इति समाचारद्वारा प्राप्तं वर्तते।

राजनैतिकस्वरूपेण आत्मनिर्भर भारतम्

राजनैतिकदृष्ट्याः अपि भारतः एकः प्रमुखः देशः अस्ति। साम्प्रतं यदेकः सशक्तः आत्मनिर्भरदेशः इतिरूपेण उद्भूतः अस्ति। अस्यैकः अतीव महत्त्वपूर्णमुदाहरणं रूस-यूक्रेनयुद्धस्य समये भारतीयछात्राणां सुरक्षितं पुनरागमनमिति अन्तर्राष्ट्रीयक्षेत्रे भारतस्य प्रति सकारात्मकप्रभावरूपेण द्रष्टव्यम्। अपि च यस्मिन् काले रूस-यूक्रेन-युद्धं प्रचलति स्म, तस्मिन् समये ऊर्जा-आपूर्तिविषये पाश्चात्य-नेतृत्व-देशेभ्यः भारतस्य प्रतिक्रिया सुदृढ-आत्मनिर्भरतायाः कृते भारतस्य नेतृत्वं दर्शयति। अद्यत्वे भारतं विश्वस्य महाशक्तीभिस्सह नेत्रेषु दृष्टिपातं कृत्वा देशहिताय स्वस्य आवश्यकताः पूर्णं कर्तुं यत्किमपि प्रतिरोधं त्यक्त्वा समर्थरूपेण

निर्णयकर्तुं शक्नोति। रूसयूक्रेनयुद्धकाले विदेशमन्त्री डॉ. एस जयशङ्करस्य भारतस्य स्वतन्त्रस्य सशक्तस्य च विदेशनीतेः कृते अद्यत्वे सम्पूर्णे विश्वे चर्चायाः विषयः एव अस्ति। वार्ताद्वारैव अस्य समाधानमन्वेषणीया इति प्रधानमन्त्रिणा रूसदेशस्य राष्ट्रपतिभ्यः प्रदीयमानसन्देशेन भारतस्य अन्तराष्ट्रीयप्रभावं दर्शयति। आत्मनिर्भरभारत तथा मेक इन इन्डिया इत्यनयोः आयोजनद्वारा भारतस्य डीआरडीओ तथा रक्षाविभागः भारतीय स्वदेशनिर्भरशीलताधारेण स्वदेशी रक्षा-उपकरणानां निर्माणे निरन्तररूपेण कार्यं कुर्वाणः सन्ति।

आत्मनिर्भरभारतं नूतनशिक्षानीति च

भारतं आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक रूपेणैव शिक्षाक्षेत्रेऽपि आत्मनिर्भरकर्तुं, शिक्षाद्वारा स्वावलम्बी तथा सुयोग्यनागरिकाणां निर्माणाय नूतनशिक्षानीति 2020 इति अखिल भारतीय स्तरेषु कार्यान्वयनहेतोः प्रयतमानं वर्तते। महात्मागान्धीरपि आत्मनिर्भरयुक्तशिक्षाप्रणाल्याः समर्थकः आसीत्। सः शिक्षामुद्योगं च समानमेव स्वीकरोति स्म। महात्मागान्धीनः शिक्षास्वरूपाधारेणैव नूतनशिक्षानीतौ छात्राणां कृते व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्यविकासादिनां समावेशः वर्तते। महात्मागान्धीनः श्रमसिद्धान्तमाधारीकृत्य षष्ठीकक्षातः एव वोकेशनल कोर्स इति शिक्षायाः स्वरूपस्य चर्चा अत्र कृतं वर्तते।¹ षष्ठीकक्षातः एव कोडिंग इत्यस्य प्रशिक्षणं प्रचलति इति अत्र वर्णितम्।

नवीनशिक्षानीत्यां नैकेषु स्थानेषु स्थानीयभाषा, तकनीकी, कौशल, कला एवं कास्तकारी आदिनामुल्लेखः प्राप्यते। नवीनशिक्षानीतिः देशस्य अन्तः अत्याधुनिकसाधनानां, परिष्कृतशिक्षाव्यवस्थायाः च आधारेण विनिर्मितमस्ति। नूतनशिक्षानीति छात्रान् सक्रियीकरणेन सह निःशुल्कशिक्षणस्य व्यवस्थां करोति। नूतनशिक्षानीत्यनुसारं कलाविषयस्य छात्रेऽपि विज्ञानं वाणिज्यं च इत्यादिशिक्षायाः समर्थोऽस्ति। अद्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् उच्चशिक्षां प्राप्य अपि छात्राः आजीविकां न प्रप्नुवन्ति, तस्य मुख्यकारणं एकस्मिन् क्षेत्रे उच्चशिक्षितानां नागरिकानां अनुपातानुसारं सेवायाः अभावः अस्ति। यदि विषयानामवरोधः न अभविष्यत् चेद्, सम्भवतः अद्य शिक्षिताकर्मण्यजनानां संख्या भारते अतीव न्यूनाः स्यादिति।

भारतस्य नूतनशिक्षानीति समग्रदृष्टिकोणमाधारेण व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, हस्तशिल्प आदिभिस्सह छात्राणां चरित्रिकं तथा व्यक्तित्वविकासोपरि बलं प्रददाति। महात्मा गान्धीमहोदयः शिक्षायाः त्रयाणामायामानां समर्थनं चकार हैण्ड, हेड तथा हार्ट। अर्थात् बालकाः हस्तकौशलद्वारा कार्यकरणे समर्थाः स्युः। अर्थात् शिक्षा प्रयोगिक तथा यथार्थशिक्षाद्वारा स्वावलम्बनपूर्णजीवनायोपयोगी स्यात्। तेभ्यः क्रियाआधारितशिक्षा प्रदेयाः इति गान्धीमहोदयस्य विचारः आसीत्। तेषां बौद्धिकक्षमतायाः विकासेन सह सहानुभूतेः विकासः स्यादिति। अस्यां शिक्षानीतौ व्यावसायिकशिक्षा तथा कौशलविकासोपरि सर्वाधिकं महत्वं प्रदत्तं वर्तते। अत्र बालकस्य समग्रतायाः विकासेन सह नैतिकं तथा संवैधानिकमूल्यानां शिक्षायां समावेशोपरि चर्चा विहितमस्ति। हरिजनित्यधिकारः तथा कर्तव्यसन्दर्भे “हरिजनसेवकः” इति पत्रिकायां तेन भणितं यत् यदि व्यक्ति अधिकारं विहाय कर्तव्योपरि महत्वं प्रददाति चेत् शीघ्रैव मानवजातिषु व्यवस्था तथा शान्तेः स्थापना भवति। प्रस्तुतशिक्षानीति मौलिकाधिकारेण सह मौलिककर्तव्यस्य अनुपालनाय प्रेरयति। भारतस्य प्रधानमन्त्रीमहोदय नूतनशिक्षानीति विषये प्रोक्तं यत् एतत् न सर्वकारस्य नीतिरस्ति अपितु समाजस्य नीतिरस्ति इति।

भारतस्य प्रधानमन्त्री नूतनशिक्षानीतेः नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन इत्यस्य विषये उक्तवान् यत् नवाचारः कस्यापि देशस्य विकासाय महत्वपूर्णं वर्तते इति। येन अनुसंधानकार्यद्वारा प्रतिस्पर्धीवैश्विकयुगे सर्वोच्चता प्राप्नोतिरिति। कोरोनाव्याधिसमये अस्माकं देशे अनलाईनविद्यालयीयशिक्षा एतादृशं शैक्षिकवातावरणं निर्मितं भवति इति कस्यानुमानमासिति तेन चतुर्सप्ततिस्वतन्त्रभारतस्यसमारोहे लालकीलायां स्वीभाषणेनोक्तम्। कठिनं समयं अस्मभ्यं अवसरं क्षमतां च प्रददाति इति तेनोक्तम्। अद्यत्वे ग्रामीणस्तरेषु शिक्षापद्धतिषु आनलाईन शैक्षिकसंस्कृति विनिर्मिता वर्तते। ग्रामीणभारते अन्तर्जालसेवायाः समुपलब्धतायैः एकसहस्रदिनेषु षड्लक्षग्रामेषु अस्माभिः ऑप्टिकल फाइबर संस्थापनस्य आयोजना कृतं वर्तते इति सः भणितवान्।

नूतनशिक्षानीतिद्वारा महिला, दिव्यांगजनैः सह तृतीयलैंगिकजनेभ्यः च शिक्षायाः मुख्यधारया सह संस्थापनस्य वर्णनं प्राप्यते। लैंगिकपूर्वाग्रहः तथा सामाजिकावरोधस्य प्रतिकुलमत्र सर्वेषां कृते समग्रशिक्षायाः वर्णनं प्राप्यते। नवीन शिक्षाद्वारा एतादृशी शिक्षा आवश्यकी वर्तते यद् युवानां सर्वांगीणविकासेन सह आजीविकाप्रदाने समर्था स्यात्। एषा शिक्षानीति समाजे समता तथा समरसता संस्थापने महत्वपूर्णा वर्तते।⁸

NEP 2020 सर्वेषां कृते शिक्षा इति उद्देश्याधारीकृत्य राईट टु एजुकेशन इत्यनुसारं 14 वर्षाणि निःशुल्कशिक्षा इत्यस्य स्थाने 18 वर्षपर्यन्तं अभिवर्धनेन सह द्वादसकक्षापर्यन्तं शतपत्तिशत GER इति प्रवेशद्वारा एजुकेशन फार अल इति लक्ष्यं निर्धारितं वर्तते। एतदलक्ष्यं 2030 इति पर्यन्तं प्रापणीयमिति अस्योद्देश्यं वर्तते। नूतनशिक्षानीतौ भारतीय भाषाणां अध्यापनेन सहैव भारतीयभाषाषु अध्ययनस्य व्यवस्था अपि वर्तते।

निष्कर्षः भारतमेकं विकाशशीलराष्ट्ररूपेण परिचीयते। अस्य आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक-शैक्षिकं च स्वरूपं कथं आत्मनिर्भरयोजनाद्वारा सुदृढो भवति इति उद्देश्येन भारतसर्वकारः तथा राष्ट्रचिन्तकाः प्रयतमानाः वर्तन्ते। परराष्ट्रनिर्भरशीलता कोविडव्याधिसमये स्वात्मनिर्भरयोजनाविकासयितुमभिप्रेरयत्। स्वदेशी अर्थव्यवस्थायाः विकासः, सामाजिकहिताय पुनर्वासः तथा विविधायोजनानि, राजनैतिकपरिपक्वता तथा सुदृढः राजनैतिक एवं सामरिक शक्ति, स्वदेशी उपकरणानां निर्माणेन मेक इन इण्डिया अभियानमात्मनिर्भर भारतनिर्माणे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहन्ति। आत्मनिर्भरशीलस्वदेशीशिक्षानीति व्यावसायिक तथा कौशलविकासेन चारित्रिकविकासः-व्यक्तित्वविकास- मूल्यसंरक्षणे च सहायिका वर्तते।

सन्दर्भसूची-

- 1- Makein India, Atmanirbhar Bharat new definitions of Mahatma Gandhis Swadesi Movement: Amit Shah. <https://m.economices.com>
2. आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन से है 5 स्तम्भ?...www.narendramodi.in
3. सिंह, धर्मेन्द्र, नई शिक्षानीति और आत्मनिर्भरभारत को महात्मा गान्धी ने भी अपने चिन्तन में किया था शामिल www.jagaran.com
4. मोदी, नरेन्द्र, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा नई शिक्षा नीति, रिसर्च फाउण्डेशन, www.hindustantimes.com
5. आत्मनिर्भर भारत योजना 3.0 www.pmmodyojna.in

6. आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान 2022. www.hindi.nvsq.org
- 7- 1&USD to INR in 1947 till now, Historical Exchange Rates Explained.. www.bookmyforex.com
8. जोशी, अंशु, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद नई शिक्षा नीति www.hindivivek.org
9. कुमार, प्रो. निरंजन, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार कर सकेगी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, www.spmrf.org
10. आत्मनिर्भर भारत पैकेज अबतक की प्रगति. www.pib.gov.in
11. कोविड-19 के पश्चात् उभरती विश्व व्यवस्था में भारत से उम्मीदे, ..22 मिडि, 2021. www.mea.gov.in
12. The political success of Atmanirbhar Bharat, The Print, 27 january, 2021. www.theprint-in.translate.google
13. रक्षा क्षेत्र के लिए भारत की आत्मनिर्भरता बड़ी, हथियार बनाने के लिए करोड़ों का विदेशी निवेश हुआ प्राप्त. www.jagaran.com
14. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 59 लाख लोगों को मिला लाभ,.... www.abplive.com

फुटनोट

- 1 नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भरभारत को महात्मा गान्धी ने भी अपने चिन्तन में किया था शामिल
- 2 Makein India, Atmanirbhar Bharat new definations of Mahatma Gandhis Swadesi Movement: Amit Shah
- 3 आत्मनिर्भर भारत योजना,
- 4 आत्मनिर्भर भारत के कौन कौन से हैं पाँच स्तम्भ.. मोदी, नरेन्द्र.
- 5 1-USD to INR in 1947 till now, Historical Exchange Rates Explained..
- 6 ABRY Atmanirbhar Bharat....labh..
- 7 आत्मनिर्भर भारत स्वप्न....
- 8 आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद नई शिक्षा नीति

प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा एवं आत्मनिर्भर भारत

डॉ० वन्दना गुप्ता

सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

शोध सारांश: प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपनी संस्कृति को 'मानव संस्कृति' (मानव धर्म/संस्कृति) के रूप में वर्णित किया है। इसकी एक सार्वभौमिक अपील है- 'विविधता में एकता' का सिद्धांत, जो प्रकृति, ब्रह्मांड और जीवन का निहित नियम है। विविध समुदायों के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, अलग-अलग भोजन करने वाले, विभिन्न रीति-रिवाजों को निभाने वाले लोग भारत में सह-अस्तित्व से रहते हैं। इस प्रकार, भारत की सांस्कृतिक विरासत की आत्मा इस तथ्य में निहित है कि यह धर्मों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और विश्वासों का एक व्यापक संगम है। स्वयं के हुनर से स्वयं का विकास करना ही आत्मनिर्भरता का सही मतलब है। और यही हुनर/संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अन्तर्निहित होता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बने, फिर चाहे उसके रहन-सहन से हो या उसके तौर तरीके से जिसमें भारत की पारंपरिक संस्कृति की महती भूमिका रही है। हमारा भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक रहा है और इस देश की संस्कृति, रंग-रंग देखकर हम कह सकते हैं कि भारत पहले से ही सांस्कृतिक अवयवों में काफी आत्मनिर्भर है। प्रस्तुत शोध-पत्र में ऐसी ही प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति की आत्मनिर्भर भारत के विकास में उसकी भूमिका का सकारात्मक वर्णन करता है।

मुख्य प्रतिपाद्य: विश्ववरेण्य, यजुर्वेद, कृष्णवन्तो विश्वमार्यम्, प्राङ्मुखा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत, उत्सव, हस्तशिल्प, मेला, थाली, व्यंजनों, भोगवादी जीवनदृष्टि, संस्कृति, अन्तःसांस्कृतिक वार्तालाप।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय संस्कृति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जो विस्तृत भूमिका अदा की है उन्हीं का तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विषय का वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है -

प्रस्तावना- यजुर्वेद के सातवे मण्डल के चौदहवे सूक्त में कहा गया है कि-

“सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा।”

अर्थात् भारतीय संस्कृति विश्व की प्रथम उत्कृष्टम और विश्ववरेण्य संस्कृति है।

किसी देश की संस्कृति उसकी सम्पूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी खास व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल नहीं, अपितु असंख्य ज्ञात तथा अज्ञात व्यक्तियों के भगीरथ प्रयत्न का परिणाम होती है। सब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। संस्कृति की तुलना आस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूँगे की भीमकाय चट्टान से की जा सकती है जहां मूँगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए फिर नए कीड़ों ने घर बनाये, उनका भी अन्त हो गया और यह क्रम हजारों वर्ष तक निरन्तर चलता रहा। आज उन सब मूँगों के नन्हे-नन्हे घरों ने परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टानों का रूप धारण कर लिया। संस्कृति का भी इसी प्रकार धीरे-धीरे निर्माण होता है। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति की रचना भी इसी प्रकार हुई है और इन्हीं संस्कृतियों का प्रश्रय लेकर भारत समय समय पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता रहा है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल आधार-

“वसुधैव कुटुम्बकम्” की संस्कृति को आत्मसात किये हुए भारत सांस्कृतिक रूप से पूर्णतः सशक्त एवं समृद्ध है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिये ‘कल्चर’ शब्द प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के ‘कल्ट या कल्टस’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना। इसका शब्दार्थ है- उत्तम या सुधरी हुई स्थितिसंक्षेप में कहे तो किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरन्तर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन-पद्धति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, नवीन अनुसन्धान और आविष्कार जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊँचा उठता है तथा सभ्य बनता है।

सभ्यता (Civilization) से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है जबकि संस्कृति (Culture) से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। सभ्यता को संस्कृति का अंग माना गया है जिसके प्रगति से मानव निरन्तर प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कि ओर अग्रसर रहता चला आ रहा है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किन्तु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही

बने रहते हैं। इन्हें सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, उसे संस्कृति कहते हैं² और यही संस्कृति मानव को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौन्दर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नत करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संघटनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक् कृति संस्कृति का अंग बनती है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान-विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है। जन्म से मृत्यु तक हम जो संस्कार प्राप्त करते हैं वह हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है। जिन नियमों और आदर्शों के अनुसार मनुष्य संसार की शोभा बनता है उन्हे भी संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का अर्थ ही यह है कि वह मनुष्य को सम्यक दिशा में सम्यक रूप से अग्रसर करती है। मानव का बहुआयामी आचार और विचार श्रेष्ठ संस्कारों के सोपान पर आरुढ़ होकर संस्कृति का सृजन करता है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति एक विशिष्ट दर्शन- आस्था, विश्वास, अवधारणा और परिस्थिति पर आधारित होती है। भारतीय संस्कृति के मूलभूततत्त्व निम्न हैं-

1. अध्यात्मिकता और सत्यनिष्ठा
2. समर्पण भाव
3. त्याग निष्काम भाव और समरसता
4. प्रसिद्धि प्राङ्मुखता और अहंकार शून्यता।

अन्य देशों की संस्कृतियाँ जहाँ पुरातत्व और इतिहास की विषयवस्तु बन कर रह गयी है वहाँ हमारे देश की संस्कृति आज भी प्रचंड जीवंतता के भाव 'कृष्णवन्तो विश्वमार्यम्' का उद्घोष कर रही है।³ पाश्चात्य देशों में भी भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति की ऐसी जय यात्रा को देखकर गर्वित और हर्षित हुआ जा सकता है किन्तु जब दृष्टि अपने देश के संदर्भ में आती है तो सारा हर्ष चरमराकर टूटने लगता है। यहाँ विकसित हो रहे जीवन दर्शन को देखकर यही आशंका होती है कि भविष्य के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक महान संस्कृति के जन्मदाता देश के निवासी अपनी उसी संस्कृति को भुला बैठे जिसके कारण वह कभी जगद्गुरु के पद पर आसीन था और उसी देश से प्रकाश तथा आलोक प्राप्त कर अन्य देशवासी भी शांति की अभीप्सा को तृप्त करने के लिए लालायित रहते थे।

संस्कृति जीवन के निकट से जुड़ी है। यह कोई बाह्य वस्तु नहीं है और न ही कोई आभूषण है जिसे मनुष्य प्रयोग कर सकें। यह केवल रंगों का स्पर्श मात्र भी नहीं है यह वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। संस्कृति के बिना मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहेंगे। संस्कृति परम्पराओं से, विश्वासों से, जीवन की शैली से, आध्यात्मिक पक्ष से, भौतिक पक्ष से निरन्तर जुड़ी है। यह हमें जीवन का अर्थ, जीवन जीने का तरीका सिखाती है।

समृद्धि की निधि भारतीय संस्कृति -

सांस्कृतिक विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपने पुरखों से सीखी है। समय के साथ उन्होंने अपने अनुभवों से उसमें और वृद्धि की जो अनावश्यक था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। हमने भी अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखाजैसे-जैसे समय बीतता है, हम उनमें नए विचार, नई भावनाएँ जोड़ते चले जाते हैं और इसी प्रकार जो हम उपयोगी नहीं समझते उसे छोड़ते जाते हैं। इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरिक होती जाती है। जो संस्कृति हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे 'सांस्कृतिक विरासत' कहते हैं। यह विरासत कई स्तरों पर विद्यमान होती है। मानवता ने सम्पूर्ण रूप में जिस संस्कृति को विरासत के रूप में अपनाया उसे 'मानवता की विरासत' कहते हैं। एक राष्ट्र भी संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है जिसे 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत' कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत में वे सभी पक्ष या मूल्य सम्मिलित हैं जो मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं।⁴ वे मूल्य पूजे जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं और अटूट निरन्तरता से सुरक्षित रखे जाते हैं और आने वाली पीढ़ियाँ इस पर गर्व करती हैं।

वास्तु संबंधित रचनाओं, इमारतों, शिल्पकृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियाँ, दर्शन, ज्ञान के ग्रन्थ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी विरासत का हिस्सा हैं। भारतीय संदर्भ में गणित, खगोल विद्या और ज्योतिष के क्षेत्र में बौधायन, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान, भौतिकशास्त्र के क्षेत्र में कणाद और वराहमिहिर का, रसायनशास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन, औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक, योग के क्षेत्र में पतंजलि हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रगाढ़ खजाने हैं। संस्कृति परिवर्तनशील है लेकिन हमारी विरासत परिवर्तनशील नहीं है। इस देश की उदारता और जिंदादिली ने बड़ी संख्या में सैलानियों को इस जीवंत संस्कृति की ओर आकर्षित किया, जिसमें धर्मों, त्योहारों, कला, शिल्प, नृत्य, संगीत और कई चीजों का मेल है। 'देवताओं की इस धरती' में संस्कृति, रिवाज और परंपरा से लेकर बहुत कुछ खास रहा है।

समृद्ध भारतीय संस्कृति एवं आत्मनिर्भर भारत:

भारतीय संस्कृति पारंपरिक लेकिन समकालीन किसी भी देश के विकास एवं उसको आत्मनिर्भर बनाने में उसकी संस्कृति का बहुत योगदान होता है। देश की संस्कृति, उसके मूल्य, लक्ष्य, प्रथाएं और साझा विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संस्कृति कभी कठोर नहीं रही इसलिए यह आधुनिक काल में भी गर्व के साथ जिंदा है। यह दूसरी संस्कृतियों की विशेषताएं सही समय पर अपना लेती है और इस तरह एक समकालीन और स्वीकार्य परंपरा के तौर पर बाहर आती है। समय के साथ चलते रहना भारतीय संस्कृति की सबसे अनूठी बात है। भारत की कुछ बातें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इसके विभिन्न रंग इसकी विभिन्न विचारधाराओं में मिलते हैं जो इसे आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सहिष्णुता और अहिंसा पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसकी विशेषता इसकी सहिष्णुता रही है और यह आगे होकर हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करता है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन इसका सबूत है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसे 11 सितंबर 1893 को शिकागो में दिए अपने भाषण में अच्छी तरह दर्शाया था। 'दुनिया में भिक्षुओं की सबसे प्राचीन रीति, सत्यासियों का वैदिक व्यवहार और एक धर्म जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है।'

भारतीय मूल्य – सूक्ष्म, सही और अनंत ‘भारतीय जीवनशैली प्राकृतिक और असली जीवनशैली की दृष्टि देती है। हम खुद को अप्राकृतिक मास्क से ढँक कर रखते हैं। भारत के चेहरे पर मौजूद हल्के निशान रचयिता के हाथों के निशान हैं’। भारतीय संस्कृति का केनवास विशाल है और उस पर हर प्रकार के रंग और जीवंतता है। यह देश कई सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा का जीवंत उदाहरण रहा है और आज भी है।

धर्मनिरपेक्षता भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के मामले में सबसे आगे है। पूजा और अपने धर्म के पालन की आजादी भारत में विविध संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। ना किसी धर्म को नीची नजर से देखा जाता है, ना किसी को खास उंचा स्थान दिया जाता है। वास्तव में मुसीबत के समय सभी धर्म अपने सांस्कृतिक मतभेद होने के बाद भी साथ आते हैं और विविधता में एकता दिखाते हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भारत का इतिहास भाईचारे और सहयोग के उदाहरणों से भरा पड़ा है। इतिहास में अलग अलग समय में विदेशी हमलावरों के कई बार झेलने के बाद भी इसकी संस्कृति और एकता कभी नहीं हारी और हमेशा कायम रही।

भारत एक ऐसी धरती है जिसके अभिवादन के तरीके बहुत अलग अलग हैं। यहां हर धर्म का अपना अलग अभिवादन का तरीका है। उदाहरण के तौर पर हिंदू परिवारों में बाहरी लोगों या बड़ों को नमस्ते कह कर अभिवादन किया जाता है। दोनों हथेलियां जोड़कर चेहरे से नीचे रखकर ना सिर्फ दूसरों के लिए सम्मान दिखाया जाता है, बल्कि अभिवादन करने वाला भी बदले में स्नेह महसूस करता है। उसी तरह मुस्लिम आदाब कहकर अभिवादन करते हैं जिसमें सीधे हाथ को चेहरे के सामने इस तरह उठाया जाता है कि हथेली आखों के सामने हो और उंगलियां लगभग माथा छू रही हों। यह तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि कोई ‘हेलो’ या ‘हाय’ ऐसा जादू नहीं पैदा कर सकता। भारतीय लोग फूल माला से स्वागत करने के लिए मशहूर हैं। भारतीय शादियों में दूल्हा और दुल्हन के बीच फूल माला का आदान प्रदान अपने आप में एक रस्म है। लोग प्रार्थना करते हुए भी देवी देवताओं को फूल मालाएं प्रदान करते हैं।

समय बदल गया, लेकिन भव्यता हमेशा से भारतीय शादियों का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा रही है। भारत में शादी आज भी एक ऐसी संस्था है जिसमें दो लोग नहीं, दो परिवार एक होते हैं। इसलिए इसमें बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसमें खूब संगीत और नाच होता है। भारत में हर जाति और समुदाय में शादी की रस्मों का अपना तरीका होता है। हिंदू शादियों में पंजाबी विवाह में रोका रस्म करते हैं और सिंधी बेराना रस्म। इन सबमें एक रस्म आम है और वो हस्त मिलाप है, जिसे लोकप्रिय तौर पर पाणिग्रहण संस्कार कहा जाता है। मुसलमानों का भी शादी समारोह के उत्सव का अपना तरीका होता है जिसे निकाह कहते हैं। इस शुभ मौके पर दूल्हे का परिवार दुल्हन को मेहर देता है। शादी के समारोह में पारसी एक बर्तन में छोटा आम का पौधा लगाते हैं। इस रस्म का नाम ‘माधवसारो’ समारोह है। हर राज्य का शादी समारोह मनाने का अपना तरीका होता है।

भारतीय शादियों में और खासकर उत्तर में शादी से एक दिन पहले एक खास रात मनाई जाती है जिसमें मेहंदी या हिना जो कि एक प्रकार का पेस्ट होता है जिसे दूल्हे की हथेली पर लगाया जाता है और उसके बाद रंगीन नाच गाना होता है। इसे महिलाओं की हथेली पर भी शादी और सगाई जैसे खास मौकों पर लगाया जाता है। इस पेस्ट को कुछ घंटे या फिर रात भर रखा जाता है और पूरी तरह से सूख जाने के बाद धो दिया जाता है। इससे हथेली पर लाल-भूरा सा रंग आता है। भारत के कुछ हिस्सों में मेहंदी एक विशेष प्रकार की प्राचीन लोक कला भी है।

भारतीय महिला की सुंदरता उसके कपड़ों में होती है। दुनियाभर में पारंपरिक और एथिनिक फिर भी समकालीन भारतीय साडिध्यां मशहूर हैं। यह एक ब्लाउज के साथ पहनी जाती है जो शरीर के उपरी हिस्से को ढँकता है। ग्रामीण इलाकों में घाघरा चोली नाम का पहनावा बहुत मशहूर है। चोली एक छोटे ब्लाउज की तरह होती है जो शरीर के उपरी भाग को ढँकती है और घाघरा एक लंबी स्कर्ट की तरह होता है। एक संपूर्ण और शालीन परिधान के लिए महिलाएं दुपट्टा पहनती हैं, जो एक उचित लंबाई का नर्म और नाजुक कपड़ा होता है जिसे कंधे पर डाला जाता है। हालांकि मामूली बदलाव के साथ सलवार कमीज भारत के हर हिस्से में प्रसिद्ध पोशाक है। इस परिधान में दो पीस होते हैं – कमीज जो कि एक लंबा टाप होता है जो शरीर के उपरी भाग को ढँकता है और सलवार एक तरह की पतलून है। घाघरा चोली की तरह सलवार कमीज के साथ भी दुपट्टा ओढ़ा जाता है। पुरुषों के लिए भी परिधानों के प्रकार में कोई कमी नहीं है। धोती कुरता से लेकर शर्ट पेंट तक भारतीय पुरुष वह सब कुछ पसंद करते हैं जो अच्छी तरह से फिट हो और अच्छा दिखे। लेकिन पारंपरिक तौर पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारतीय पुरुष औपचारिक समारोह में कुरता पायजामा, धोती कुरता या शेरवानी पहनते हैं और दक्षिण भारतीय पुरुष शर्ट के साथ लुंगी पहनना पसंद करते हैं।

गहने पहनना भारत में एक लंबी परंपरा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में गहने सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदे जाते बल्कि शुभ अवसरों पर तोहफे में देने के लिए भी खरीदे जाते हैं। भारतीय समाज में इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है, इससे भारतीय संस्कृति में इनके महत्व और विशिष्टता का भी पता चलता है। भारतीय गहनों का अद्वितीय डिजाइन, कलात्मक लुक और सृजनात्मकता भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण भारत में लाख नाम की राल की पपड़ी व्यक्तिगत गहनों में इस्तेमाल होती है। गुजरात और राजस्थान की विशेषता, लाख की चूड़ियां और कंगन सभी राज्यों की महिलाओं द्वारा पसंद किए और पहने जाते हैं। गहने हर भारतीय महिला के लिए महत्वपूर्ण एक्सेसरी हैं। झुमके, नथनी, बाजूबंद, नेकलेस से लेकर पायल और कंगन तक भारतीय गहने महिलाओं को वह सब देते हैं जो उन्हें अपनी सुंदरता निखारने के लिए चाहिए होता है। गहनों के कुछ प्रकार जैसे मंगलसूत्र, नाक और पैर की उंगली के छल्ले, आमतौर पर विवाहित महिलाओं से जुड़े होते हैं जिन्हें उनकी शादी पर गहने स्वीधन के तौर पर दिए जाते हैं।

भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी सभी तरह के धर्मों के लोग मिल सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को किसी भी धर्म को चुनने और मानने का समान अधिकार है। भारत की तीन चौथाई से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म की है और देश के विभिन्न हिस्सों में आपको हिंदू तीर्थस्थान मिल जाएंगे। उत्तर भारत में आप कई धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और वाराणसी। देश के दक्षिण भाग में जहां आप भगवानों का आशीर्वाद पा सकते हैं वो सबरीमला, श्रृंगेरी, दक्षिणेश्वर बेलूर मठ और रामेश्वरम हैं। अगर आप पूर्वोत्तर में हैं तो गुवाहाटी के बाहरी इलाके में नीलाचल पर्वत पर स्थित कामरूप मंदिर जा सकते हैं। यदि आप गुजरात के आसपास घूम रहे हैं और

भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको द्वारकानाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए जो उस जगह बना है जहां मीराबाई ने प्राण त्यागे थे। आप सोमनाथ मंदिर भी जा सकते हैं जो कि भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ और असम में अजन पीर की दरगाह मुस्लिमों के तीर्थ हैं। पूर्वोत्तर में पोए मक्का है। माना जाता है कि एक वफादार मुस्लिम यहां मक्का में हासिल होने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का एक चौथाई पा सकता है। पंजाब में सिखों के लिए कई तीर्थस्थान हैं, जैसे अमृतसर में हरमंदिर साहिब, अमृतसर के पश्चिम में तरनतारन, आनंदपुर में तख्त श्री केशगढ़ साहिब, बठिंडा में तलवांडी साबो और गुरदासपुर के पश्चिम में डेरा बाबा नानक। 4329 मीटर की उंचाई पर स्थित हेमकुंड गुरुद्वारा दुनिया का सबसे उंचाई वाली गुरुद्वारा है। दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने यहां पहाड़ों में सालों तक ध्यान किया और अंत में भगवान से मिलने के लिए अपना शरीर यहां छोड़ दिया।

सिखों का एक अन्य प्रसिद्ध तीर्थ हिमाचल प्रदेश स्थित मणिकरण गुरुद्वारा है जो कि अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि इन झरनों में यूरेनियम और कई रेडियोधर्मी सामग्री है। सिखों की एक अन्य पवित्र जगह महाराष्ट्र में तख्त सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब है। भारत में आपको हर राज्य में बड़ी संख्या में चर्च मिल जाएंगे। यदि आप दक्षिण में हैं तो आंध्र प्रदेश में मेडक चर्च और गुंडला चर्च जा सकते हैं और केरल के कोच्चि में सेंट क्रूज चर्च जा सकते हैं। उत्तर भारत में भी कई प्रसिद्ध चर्च हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सेंट जोसेफ और नई दिल्ली में सेकंड हार्ट चर्च। यदि आप हिमाचल की वादियों का मजा ले रहे हों तो शिमला में क्राइस्ट चर्च और सेंट माइकल कैथेड्रल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धर्म के पालन में इतनी विविधता होने के बावजूद यहां लोगों में अभी भी एकता है। यह भारतीय मूल्य हैं, जो लोगों को एक साथ बांधे रखते हैं।

आमतौर पर भारत में दिन सूर्य नमस्कार के साथ शुरू होता है। इसमें लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं और मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और यह इस संस्कृति की अनूठी बात है। हिंदू धर्म में पेड़ों और जानवरों को भगवान की तरह पूजा जाता है। लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और कई त्यौहारों पर उपवास रखते हैं। वे सुबह का ताजा खाना गाय को और रात का आखिरी खाना कुत्ते को देते हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरह की उदारता नहीं देखी जाती। यहां सभी धर्मों में दिन की शुरुआत भजन से की जाती है और यही कीमती मूल्य बच्चों में बचपन से डाले जाते हैं। सुबह की प्रार्थना और नैतिक शिक्षा भारत में शिक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। यहां लोगों को उनकी जाति, रंग या नस्ल के आधार पर नहीं आंका जाता और यह भारत को रहने के लिए एक अनूठी जगह बनाता है।

एक चीज जो भारत के अलावा विश्व में कहीं और नहीं मिलती, वह है प्रदर्शन और दृश्य कला में विविधता। यहां सबकुछ कलात्मक है। सड़क किनारे शो से लेकर थियेटर में एक अत्यंत प्रबुद्ध नाटक तक आपको यहां कुछ भी और सबकुछ मिल जाएगा। प्रदर्शन, कला, नृत्य, नाटक, थियेटर और संगीत, हर कला अपने आप में अनूठी है। भारत में धर्म, पुराण और शास्त्रीय साहित्य ज्यादातर प्रदर्शन कला का आधार होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी मुख्य तौर पर नाट्य शास्त्र, पुराण और शास्त्रीय साहित्य और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के संकेतों का पालन करते हैं। प्रदर्शन कला का एक अन्य प्रकार रंगमंच है। हालांकि लोक थियेटर हर भाषा और हर क्षेत्र में प्रचलित है, पर व्यवसायिक थियेटर सिर्फ बड़े शहरी इलाकों और महानगरों में लोकप्रिय हैं। कठपुतली शो भारतीय रंगमंच का अहम हिस्सा थे। सदियों तक कठपुतली शो का इस्तेमाल जनता में सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और बच्चों में सच्चाई और ईमानदारी के नैतिक मूल्य पैदा करने के लिए किया जाता रहा।

भारतीयों के लिए संगीत आत्मा के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा भोजन शरीर के लिए है। वैदिक काल से ही यह हर भारतीय के दिल और दिमाग पर छाता रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूलतः दो तरह के स्कूल होते हैं - हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। संगीत नोटों के रागों की व्यवस्था शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण है। भारतीय गांवों में अपना खास तरह का संगीत होता है जिसमें लोक संस्कृति के रंग होते हैं। भारतीय फिल्मों का संगीत भी जनता को पसंद आता है।

फिल्मों में भी एक अन्य प्रकार की प्रदर्शन कला है जिसके लिए भारत दुनिया भर में लोकप्रिय है। हर साल देश में 1000 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण होता है जो ना सिर्फ घरेलू बाजार में लोकप्रिय है बल्कि एशियाई और यूरोपीय देशों में भी इनकी अच्छी खासी दर्शक संख्या है। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली या मराठी, भारत में हर भाषा में फिल्में बनती हैं। हालीवुड सितारों की तरह ही दुनिया भर में भारतीय सितारों को भी प्यार किया जाता है। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। अगर आप भारत में मूर्तियों और चित्रों को देखेंगे तो आप कहे बिना नहीं रह पाएंगे कि खूबसूरती भारतीय कलाकारों के हाथों में है। चित्रकारी में भारत का इतिहास अजंता और एलोरा की गुफाओं, ताड़ के पत्तों पर बौद्ध पांडुलिपियों और जैन ग्रंथों में प्रमुखता से दिखता है। चाहे अजंता के चित्रों का मुक्त रूप हो या पत्ता चित्रकारी या ग्लास चित्रकारी, भारत हमेशा से इस तरह की दृश्य कला के लिए मशहूर रहा है। भारतीय चित्रकारी में रचनात्मकता और रंगों का इस्तेमाल हमेशा से अनूठा और शालीन रहा है। अपनी संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए भारतीय कलाकार अन्य यूरोपीय कलाकारों के गुणों को भी आत्मसात करके भारतीय चित्रों को पारंपरिक स्पर्श के साथ समकालीन रूप भी देते हैं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार स्कूल में राजपूत, डेक्कन, कांगड़ा और मुगल हैं।

चोल राजवंश से लेकर आज के युग तक दृश्य कला के अन्य माध्यम मूर्तिकला में भारत शीर्ष पर रहा है। कांचीपुरम, मदुरै और रामेश्वरम का डेक्कन मंदिर, ओडिशा का सूर्य मंदिर और मध्य प्रदेश का खजुराहो, यह सब पवित्र स्थान भारतीय कलाकारों के शिल्प कौशल का शानदार नमूना हैं। सांची के स्तूप की मूर्तियां बुद्ध के जीवन और विभिन्न लोक देवताओं पर प्रकाश डालती हैं। वास्तुकला के स्पर्श के साथ अमरावती और नागार्जनघोंडा की मूर्तियां बुद्ध और उनके समकक्षों के सामाजिक जीवन को दिखाती हैं। एलोरा के मंदिर और एलिफंटा गुफाएं भारतीय मूर्तियों की महारत का खास नमूना हैं। वनस्पति और जीव जंतु, देवता और विभिन्न पौराणिक चरित्र, यह सब मिलकर इन सभी खूबसूरत दृश्य कलाओं की डिजाइन का आधार हैं।

भारत में एक बहुत प्राचीन और सुंदर दृश्य कला कुम्हारी की है। इस कला रूप में मिट्टी के ढेर को हाथों से आकार देकर खिलौने और पूजा के लिए देवता बनाए जाते हैं। भारत में मशहूर कुम्हारी में टेराकोटा और ब्लू गेज प्रमुख हैं। कुम्हारी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी पर मां दुर्गा और भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियां कुम्हारी, मूर्तिकला और चित्रकारी का संगम दिखाती हैं।

उत्सव मनाने के लिए तैयार! 'देवताओं की भूमि' को उत्सव मनाने के लिए कोई खास कारण नहीं चाहिए। उत्सव हर भारतीय के जीवन का मूलभूत हिस्सा हैं।

जनवरी से दिसंबर तक हर महीने में विशेष त्यौहार या मेला आता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, होली, राम नवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, ईद, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु परब और क्रिसमस, हर धर्म के त्यौहार का अपना महत्व है और इन्हें बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहां लोगों को नाचने के लिए फ्लोर की जरूरत नहीं होती। दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और होली के दौरान भारतीयों के नाच की असली प्रतिभा दिखाई देती है।

केवल यही नहीं, यह देश एक विशेष अंतराल पर हस्तशिल्प मेलों का भी आयोजन करता है। हर साल फरवरी में हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता और विदेशी सैलानी शामिल होते हैं। इस तरह के मेलों और त्यौहारों में आप असली भारत देख सकते हैं। यह थीम मेले और उत्सव देश को एकजुट करते हैं। इनसे लोगों को एकदूसरे की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानने का मौका मिलता है और इनकी सक्रिय भागीदारी से यह भी पता चलता है कि ये एकदूसरे के बारे में जानना कितना पसंद करते हैं। यहां सिर्फ एक प्रकार का भोजन नहीं होता।

कई राज्य और कई धर्म होने के कारण यहां व्यंजनों की संख्या भी बहुत है। अगर उत्तर भारत में छोले भटूरे, तंदूरी चिकन, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ढोकला, दाल बाटी चूरमा और बिरयानी हैं तो दक्षिण भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। मसाला डोसा से लेकर रवा उत्तपम, रसम, सांभर-लेमन राइस और तोरन, अप्पम और मीन तक दक्षिण भारतीय व्यंजनों में बहुत प्रकार हैं।

भारत में थाली की अवधारणा भी बहुत मशहूर है। थाली को परंपरागत तौर पर परोसा जाता है और इसमें आप एक ही भोजन में विविधता का मजा ले सकते हैं। किसी छोटे रेस्तरां में पेटभर खाने का सस्ता तरीका थाली ही है। यदि आप किसी होटल में जाते हैं तो आप कई प्रकार के काम्बो-भोजन का भी मजा ले सकते हैं। भारतीय मसालों के कई प्रकार हैं, जैसे काली मिर्च, धनिया बीज, इलायची, केसर और जीरा, जो ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि उसमें पोषण भी जोड़ते हैं। यदि खाने के अंत में मीठा ना हो तो भारतीय भोजन अधूरा है। चाहे एक कटोरी खीर हो या छोटा मीठा पान आदि हो, ये मुंह में मिठास और ताजगी दोनों भर देते हैं।

इतनी विविधता के बावजूद भारत में लोग एकजुट हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व महसूस करते हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो या सौंदर्य प्रतियोगिताएं, विश्व मंच पर भारत ने प्रतिभा और संस्कृति का प्रदर्शन किया है। कई शासक यहां आए लेकिन इसकी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और भारतीयों ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सहेज कर रखा है। समय के साथ चलने और लचीलेपन के कारण भारतीय संस्कृति आधुनिक और स्वीकार्य भी है। सांस्कृतिक प्रदूषण के तीव्रगति से फैलने के कारणों पर विचार करना आवश्यक है—

प्रथमता तो संस्कृति जिस रूप में आज है वह तर्क बुद्धि और उपयोगिता कि दृष्टि से अनुपयोगी प्रतीत होती है इसीलिए उसे रूढ़िवाद, अंधविश्वास, ढोंग, अविवेकपूर्ण, समय से पीछे की चीज सांप्रदायिकता आदि उपेक्षित वस्तु मान लेते हैं। संस्कृति की जो मूलभूत दार्शनिक रूप है, जिसके आधार पर समय-समय पर अनेक रीति-रिवाजों का परिवर्तन-परिवर्धन होता रहता, उन आधारभूत तथ्यों की जानकारी लोगो को नहीं रही। फलस्वरूप लोग यह समझने में समर्थ नहीं रहे कि मानव जाति के लिए कितनी कल्याणमयी है। आधुनिकता की धारा ने हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को इस प्रकार कलुशित कर दिया है कि अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा कि बात तो दूर उसके आदर्शों के प्रतीकों के लिए भी भावना असम्मानपूर्ण और वितृष्ण होती जा रही है।⁶

राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुये हमे कई दशक बीत गए किन्तु अंग्रेजियत की गुलामी से अभी तक पीछा नहीं छूटा। इसी का प्रभाव है कि सिर पर शिखा और कंधे पर यज्ञोपवीत व्यर्थ लगने लगा। रहन-सहन और वेश खविन्यास की दृष्टि से पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण हो रहा है जिस कारण कम मूल्य वाली भारतीय परिधान हमे पिछड़ेपन का आभास कराती है और पाश्चात्य परिधान गौरव। अंग्रेजी हुकूमत भले ही चली गयी हो, पर उनकी संस्कृति दिन दूनी रात चौगुनी फल-फूल रही है। सांस्कृतिक दृष्टि से गुलामी के बंधनो मे हम तेजी से बंधते जा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण इसलिए हानिकारक है क्योंकि समान संस्कृति के लोग आपस मे मानसिक दृष्टि से अधिक सम्बद्ध हो जाते हैं। लोगो की नृशंस यातनाएं और भारी प्रलोभन भरी सुविधाएं केवल इसी दृष्टि से दी जाती रही कि वे भय या लोभ से प्रेरित होकर अन्य संस्कृति अपना ले वास्तव मे सांस्कृतिक प्रदूषण का यही मूल कारण है।

पाश्चात्य संस्कृति जहाँ खाओ-पियो-मौज-करो के सिद्धान्त को प्रधानता देता है वहीं भारतीय संस्कृति 'सादा जीवन उच्च विचार' की नीति पर बल देती है। किन्तु भारत मे भी उसी भोगवाद का दुष्प्रभाव बढ़ने लगा है। सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकना इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी जातीयता और राष्ट्रीयता इतनी सबल बनी रहे कि हम दूसरे बौद्धिक साम्राज्य मे जकड़े जाकर अपने आपको अन्य संस्कृति के प्रति आत्मसमर्पण न कर दे। धन का अनावश्यक संग्रह, उद्योगों पर एकाधिकार, संपत्ति पर स्वत्व की निम्न स्तरीय लालसा आदि विकृतियाँ आ चुकी है।

भोगवादी जीवनदृष्टि का ही प्रतिफल है कि इन दिनों नारी को जननी के गौरवमय स्तर से गिराकर रमणी के रूप में देखा जाने लगा यह हमारे पतनशील संस्कृति की ही परिचायक है। सांस्कृतिक प्रदूषण हेतु हमारी वह मनोवृत्ति जिम्मेदार है जो पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में चौधियाई आंखों से उन आक्रमणों को खुला निमंत्रण देती है। उस आमंत्रण के साथ अपनी संस्कृति के प्रति हमारी उपेक्षावृत्ति ऐसा रूप धारण कर गयी है कि नई पीढ़ी के लोगो को तो भारतीयता क्या है यह तक पता नहीं है। व्यवहार क्षेत्र मे संस्कृति, इतिहास की तरह पढ़ने-लिखने और जानने याद रखने की वस्तु बनती जा रही है अतः उसका अवमूल्यन प्रारम्भ हो गया है।⁷ संस्कृति की विधायकता का निर्धारण हर कोई नहीं कर सकता उसी प्रकार मानव संस्कृति को सम्यक दिशा मे अग्रसर करने की व्यवस्था भी कुछ ही लोग कर सकते हैं मानव संस्कृति को सवारने मे वर्षों लग जाते हैं इसका दायित्व जिन कंधों पर होता है वो अपने परिवार की आवश्यकताओं पर भी समुचित रूप से ध्यान नहीं दे पाते इसीलिए दान-धर्म की व्यवस्था की गयी है।

निष्कर्ष: आज हमारी संस्कृति का भारी हास हो रहा है। घर-परिवार मे भी उसका भारी तिरस्कार हो रहा है। आज का नवयुवक भारतीय आचार-विचार, भाषा-वेश, रहन-सहन, रीति-रिवाज नापसंद करता है। उसे अन्य संस्कृति अधिक पसंद आ रही है। भारतीय संस्कृति का परिवर्तन अन्य संस्कृति के रूप मे तेजी से होता चला जा रहा है। यदि यही गतिविधि इसी क्रम मे चलती रही तो कुछ ही शताब्दी मे हमारा मानसिक और सामाजिक ढांचा अपनी मूल संस्कृति

को छोड़ दूसरी ही प्रकार का बन जाएगा साथ ही दैवी संस्कृति का वह दीपक जो संसार को शांतिमय प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ है, वह अस्त हो जाएगा। फिर करोड़ों वर्षों की वह सांस्कृतिक धरोहर काल के गर्त में समाने में समय न लगेगा वर्तमान में ही मूल संस्कृति की घटती मान्यता इसकी द्योतक है। जिनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति आदर-सम्मान है वे कभी भी यह पसंद नहीं करेंगे की उनकी संस्कृति आत्मघात करती हुई अपना अस्तित्व समाप्त कर ले। किसी भी राष्ट्र के राजनैतिक सामाजिक आर्थिक और नैतिक सुदृढ़ता के लिए संस्कृति की जड़ें मजबूत होना बहुत आवश्यक है।⁸

मगर विश्व में व्याप्त इस कोरोना महामारी की वजह से भारत को आत्मनिर्भर बनने का सपना एक बार फिर देखा और आत्मनिर्भर का सही मतलब समझा। इसके बाद ही भारत के दिल में आत्मनिर्भर बनने का सपना पलने लगा। वर्तमान में भारत का यह आत्मनिर्भर भारत बनने का अभियान उसी सपने को पूरा करेगा।⁹ इन वर्षों में, भारत में कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, त्योहारों और रीति-रिवाजों की कई शैलियों का विकास हुआ है और इस विस्तृत विविधता ने भारतीय संस्कृति को अद्वितीय बना दिया है, जिसकी ओर आज भी पूरी दुनिया देखती है। भारत की सांस्कृतिक विरासत अभी भी अपनी मूल विशेषताओं के साथ-साथ परिवर्तनों के साथ-साथ इसकी ताकत का एक प्रमुख संकेतक बनाए रखते हुए फल-फूल रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. आचार्य, श्री राम शर्मा, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, अखंड ज्योति संस्थान प्रकाशन, मथुरा, पृष्ठ 50-78।
2. यजुर्वेद, अनुवाद श्री राम शर्मा आचार्य, 7.14।
3. सिंह, परमेश्वर, भारतीय संस्कृति, परमेन्द्र कुटीर प्रकाशक, बहराइच, पृष्ठ 1-13।
4. "टू स्पार ग्रोथ: निर्मला सीतारमण आन पी0एम0 मोदीज, "आत्मनिर्भर भारत अभियान" हिन्दुस्तान टाइम्स 13 मई 2020, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2020।
5. "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का आह्वान किया" 12 मई 2020, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022।
6. "आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन-कौन से हैं 5 स्तम्भ? नरेन्द्र मोदी, 13 मई 2020, अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022।
7. पाण्डेय, नवीन कुमार (12 मई 2020) "आत्मनिर्भर भारत अभियान: पी0एम0 मोदी ने बताया, किन पांच पीलरों पर बनेगी आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत, नवभारत टाइम्स, अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022।
8. सरूकई, सुन्दर (2 नवम्बर 2020), "सेल्फ रेलियण्ट इण्डिया: सेल्फ आफ ए नेशन आर ए नेशनल सेल्फ ? जर्नल आफ ए सोशल एण्ड इकोनामिक डेवलेपमेंट; 1-9।
9. श्रीवास्तव, असीम (01 अक्टूबर 2019), "गांधी एट 150: ही बिलीब्ड इन नेचुरल सेल्फ-रूल, अभिगमन तिथि 22 जनवरी 2022।
10. सरकार, शंख्यानील: न्यू एजुकेशन पालिसी विल पेव पाथ फार आत्मनिर्भर भारत: पी0एम0 मोदी, हिन्दूस्तान टाइम्स, अभिगमन तिथि 22 जनवरी 2022।

नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० दीपा पंत

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, रा० स्ना० महा० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सारांश- भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को परिवार का आधार स्तम्भ माना गया है। वैदिक काल में दोनों को समान स्थान प्राप्त था। सदियों पहले हमारे ऋषि, मुनियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि नारी के बिना यह संसार अधूरा है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। भारत में लिंग भेद एक कटु सत्य है। हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आज भी कई ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ बनाई जा रही हैं जिससे महिलाओं के जीवन में अपेक्षित सुधार आ रहा है। आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विकास हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत में नारी शक्ति ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इनकी सहभागिता सुनिश्चित हो चुकी है।

बीज शब्द- आत्मनिर्भर, कुरीतियाँ, शताब्दी, सशक्तिकरण, सुधारक, आन्दोलन, औचित्यपूर्ण

प्रस्तावना- प्राचीनकाल से ही हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों से तुच्छ समझा जाता रहा है। सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में व्याप्य थीं इन कुप्रथाओं के चलते नारी का महत्व घटना आरंभ हो गया था। जिस स्त्री को देवी समझा जाता था वही विलास की वस्तु समझी जाने लगी। यह स्थिति तब और खराब हो गयी जब विदेशियों का हमारे देश में आगमन हुआ। नारी को मात्र पुरुष की वासना तृप्ति का साधन माना जाने लगा। तरह-तरह की यातनाओं को झेलती नारी के हृदय की भावना मानो लुप्त होती चली गयी। समाज में जागृति की लहर बीसवीं शताब्दी के आरंभ में चली। भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही सामाजिक आन्दोलन भी प्रारंभ हुआ। समाज सुधारकों के प्रयास से आधुनिक काल में महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठने लगी और महिला सशक्तिकरण जोर पकड़ने लगा। स्त्रियों को सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनी बेसेंट कहती हैं-“पुरुष का अधिकार एक स्वीकार्य सिद्धांत बन चुका है, परंतु दुर्भाग्यवश विश्व के विशेष दृष्टिकोण में केवल पुरुषों का अधिकार है न कि मानवीय अधिकार, और जब तक यह मानवीय अधिकार नहीं बनते तब तक समाज एक औचित्यपूर्ण, सुरक्षित नींव पर खड़ा नहीं हो सकता।”

जब हम ‘नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत’ की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ‘नारी सशक्तिकरण’ और ‘आत्मनिर्भर’ शब्दों का अर्थ समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जब महिलाएँ, अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं लेती हैं, घर व समाज में सम्मान प्राप्त कर देश के विकास में सहायक बनती हैं, तथा समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाता है यही ‘महिला सशक्तिकरण’ कहलाता है। ‘आत्मनिर्भर’ शब्द का अर्थ है, स्वयं पर निर्भर होना या इसे यूँ कहा जा सकता है स्वयं को किसी और पर आश्रित न करना। आत्मनिर्भर बनकर व्यक्ति अपने परिवार के साथ-साथ देश की प्रगति में सहायक बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ प्रतिभा या हुनर अवश्य होता है जिसके माध्यम से वह एक छोटे स्तर से खुद को आगे की ओर बढ़ाने के साथ-साथ बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है ताकि वह हर मुश्किल का सामना कर आगे बढ़ समाज में सम्मान का जीवन जी सके। सामान्य जीवन में भी व्यक्ति को विकसित व पूर्ण तभी माना जाता है, जब वह काफी हद तक स्वयं पर आश्रित हो जाता है।

वैदिक काल में महिलाओं को केवल शिक्षित ही नहीं किया जाता था, अपितु उन्हें युद्ध की कुशलता एवं कला में पारंगत भी किया जाता था ये महिलाएँ शौर्य एवं पराक्रम में किसी पुरुष से कम नहीं होती थी। भारतीय सनातनी संस्कारों में भी माना गया है कि जहाँ नारी की पूजा अर्चना होती है वहाँ स्वर्ग बसता है और देवता विराजमान होते हैं। भारतीय समाज में स्त्री को पुरुष का आधा हिस्सा माना गया है और उसे अर्द्धांगिनी का स्थान दिया गया है। स्त्री को राष्ट्र की नींव मानते हुए लिखा गया है- “नारी परिवार की नींव है, परिवार समुदाय की, तथा समुदाय राष्ट्र की।” हमारे देश की भूमि को सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पतिव्रता, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने अलंकृत किया है। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी, इन्हें मात्र भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा था। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया था। अधिकांश महिलाएँ नियति मानकर अन्याय को चुपचाप सहन कर रही थीं।

आधुनिक काल में समाज सुधारकों के प्रयास से महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठने लगी। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही सामाजिक आन्दोलन भी आरंभ हुआ। समाज में जागृति की लहर दौड़ी। राजा राममोहन राय, महर्षि दयानन्द आदि समाज सुधारकों द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। इन्हीं समाज सुधारकों के प्रयास के फलस्वरूप महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित आदि क्रान्तिकारी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। समाज की प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं धार्मिक मूल्यों अन्धविश्वास, आदि के संदर्भ में जो सुधार हुए वह प्रशंसनीय व उत्साहवर्धक हैं।

देश आजाद होने के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं जिसके लिए स्वयं महिलाओं का सराहनीय योगदान रहा है। महिलाओं ने परंपरागत रूढ़ियों को तो अस्वीकार किया ही, साथ ही समाज को यह चुनौती भी दी कि वे उन सिद्धान्तों को परिवर्तित करके रहेंगी जिससे उनकी स्थिति में गिरावट आती है। महिलाओं की इसी सोच के परिणामस्वरूप आज स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में अनेक परिवर्तन आए हैं। जो सिद्धान्त अस्वस्थकर हैं, या उनकी प्रगति के मार्ग में बांधक हैं, उन्हें वे तोड़ देना चाहती हैं। समय परिवर्तन के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में आश्चर्यजनक बदलाव आए हैं। जिस समाज में वर्चस्ववादी पुरुषों का आधिपत्य युग-युगान्तर से चला आ रहा हो, जहां परम्पराएं स्त्री को केवल बदहाली, बेचारगी ही दे पाई हो, नारी के सपनों का टूटना जहां आम बात हो, जहां नारी सिर्फ बंधनों में ही जकड़ी हो, जहां नारी का अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना अभिशाप समझा जाता हो, ऐसे समाज में नारी बराबरी या समकक्षता पाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहे या आजादी का स्वप्न देखने लगे तो यही महिला सशक्तिकरण है जिसे हम वर्तमान समय में देख रहे हैं।

देश आजाद होने के बाद जब भारत का संविधान बना तो संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के साथ ही पिता की सम्पत्ति में भी उनका हिस्सा निश्चित किया गया इससे भी महिलाओं को बल मिला। “औरतों की समानता के लिए संघर्ष का ठोस परिणाम नए भारतीय संविधान (1950) में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। नए संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को बराबरी की गारंटी दी। 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act 1956) ने लड़की को पिता की सम्पत्ति का उसके पुत्र के साथ बराबरी हकदार करार दिया।”¹³

भूमंडलीकरण के दौर में समाज में होने वाले परिवर्तनों को भांपकर महिलाएं अधिक से अधिक दक्ष होने की कोशिश कर रही हैं। घर से लेकर बाहर, अपने आस-पास जहां भी नजर डालें चारों ओर महिलाओं का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। आज जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं, तकनीक बढ़ रही है वैसे-वैसे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक सोच का ढांचा भी बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की सोच और स्थिति में भी निरंतर बदलाव आ रहा है जो कि भारतीय समाज के लिए शुभ संकेत है। महिलाएं अब समझने लगी हैं कि जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता। सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं को तोड़कर चाहरदीवारी से बाहर आकर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर नारी संघर्ष कर रही है उसमें चेतना जागृत हो गयी है, वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने होने का आभास करा रही है और सिद्ध कर रही है कि वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। आधुनिकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं में चेतना के साथ-साथ नय मूल्यों की भी स्थापना हो रही है ये ऐसे मूल्य हैं जो एक तरफ उनकी स्वतंत्रता के समर्थक हैं, तो दूसरी ओर उनमें दायित्वबोध का अहसास भी कराते हैं। महिलाएं अब पुरुषों पर आश्रित रहने की भावना का त्याग कर स्वयं निर्भीक, निडर रूप में आना चाहती हैं वह अपनी क्षमताओं को पहचानने लगी हैं। नारी स्वभाव के विषय में महादेवी वर्मा लिखती हैं—“नारी के हृदय में जो गंभीर ममता-सजल वीर भाव उत्पन्न होता है वह पुरुष के उग्र शौर्य से अधिक उदात्त और मदिव्य रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत रागद्वेष के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी पर नारी अपने सृजन की बांधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याणी सृष्टि की रक्षा के लिए ही रूढ़ बनती है। अतः उसकी वीरता के समकक्ष रखने योग्य प्रेरणाएं संसार के कोश में कम हैं। मातृ-शक्ति का दिव्य रक्षक उद्धारक रूप होने के कारण ही भीमाकृति चंडी, वत्सला अंबा भी हैं जो हिंसात्मक पाशिवक शक्तियों को चरणों के नीचे दबाकर अपनी सृष्टि के मंगल की साधना करती हैं।”¹⁴

महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की सकारात्मक सहभागिता आवश्यक है। नारी विकास के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों व नीति-निर्देशक तत्वों में भी कई प्रावधान हैं जिनमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं जिनमें मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेलपलाइन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि प्रमुख हैं। महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण ही अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण समाज में एक सकारात्मक उर्जा पैदा करने में सहायक है। स्वामी विवेकानन्द ने महिला शक्ति के विषय में लिखा है—“नारी शक्ति का प्रतीक है। सृष्टि में कोई शक्ति नहीं जो उन्हें शक्ति प्रदान कर सके, उन्हें तो केवल बोध भर कराने की आवश्यकता है, शेष तो वे स्वयं अपना कार्य कर लेंगी।”

आत्मनिर्भर भारत में नारी सशक्तिकरण कई रूपों में देखा जा सकता है आज हम देख रहे हैं कि रक्षा, वित्त, विदेश और शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हमारे देश की महिलाएं ही सुशोभित हैं। स्त्री शिक्षा की प्रगति को देखते हुए श्री के० एम० पणिक्कर लिखते हैं—“स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है।”¹⁵ वर्तमान समय में महिलाएं उस स्थिति में नहीं हैं जहां 70 या 35 साल पहले थीं। नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या पहले बहुत कम थी जो महिलाएं कार्य करती भी थी वे कुछ निश्चित पदों जैसे-अध्यापिका, नर्स, के पद पर ही कार्य करती थीं, लेकिन आज मौल, होटल, अदालत, पुलिस, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक, फौजी अफसर, पायलट हर रूप में महिलाएं कार्य कर रही हैं।

आत्मनिर्भर भारत में हर वर्ग में नारी चेतना जागृत करने में उपन्यासकारों, कहानीकार, कवियों, लेखकों, राजनेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विस्तृत होती अर्थव्यवस्था में महिलाएं अपनी पूरी भागीदारी निभा रही हैं। राजनीति एक ऐसा व्यवसाय है, जो मूक को भी बोलना सिखा सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण ने महिलाओं को निर्भीक और साहसी बनाकर उन्हें अत्याचार का विरोध करना सिखाया है साथ ही अपने पद का निर्वहन भी वह बखूबी कर रही है। “ग्राम पंचायतों से लेकर प्रधानमंत्री पदों पर स्त्रियों ने सफलतापूर्वक कार्य कर दिखाया है। भारतवर्ष में महिलाओं ने अनेक पदों, जैसे-मन्त्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आदि पर काम करके स्पष्ट कर दिया है कि उनमें राजनैतिक चेतना काफी बढ़ी है।”¹⁶

निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र, सशक्त बनी हैं वे सामाजिक और आर्थिक दासता के पुराने बंधनों को तोड़कर निरन्तर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। शैक्षणिक उपलब्धियों द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि मानसिक स्तर पर वे किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाओं पर हुए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यदि महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मिलें तो निश्चित ही वे अपने जीवन व समाज में परिवर्तन ला सकती हैं।

सन्दर्भ सूची-

1. स्त्री संघर्ष का इतिहास, राधा कुमार, पृ० 107,
2. भारतीय सामाजिक व्यवस्था, डॉ० एम० एम० लवानिया, शशि के० जैन, पृ० 212, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. आधुनिक भारत का इतिहास, रामलखन शुक्ल, पृ० 367, द्वितीय संस्करण-2001, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
4. पथ के साथी, महादेवी वर्मा, पृ० 43, लोकभारती प्रकाशन, पांचवा संस्करण-2015
6. भारतीय सामाजिक व्यवस्था, डॉ० एम० एम० लवानिया, शशि के० जैन, पृ० 243

आत्मनिर्भर भारत के विशेष संदर्भ में शिक्षा बनाम विद्या का तत्त्वदर्शन

डॉ० गोविन्द प्रसाद मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर एवं दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष, IGNTU (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), अमरकंटक (म.प्र.)

डॉ० नीलम मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर, गोरखपुर 273001 (उ.प्र.)

डॉ० कृष्णा चौधरी

सहायक प्राचार्य- दर्शनशास्त्र, एच.पी.एस.कालेज (भू.ना.म.वि.वि., मधेपुरा) निर्मली, सुपौल-847452 (बिहार)

शोधसार:

आत्मनिर्भरता से तात्पर्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति में स्वयं सक्षम व समर्थ होने से है जिसका सम्बन्ध व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी से है। आत्म निर्भर होना एक श्रेष्ठ गुण है जो सर्वतोमुखी उन्नति-प्रगति, सुख-शान्ति का मूल आधार है क्योंकि जो आत्मनिर्भर नहीं होता है वह पराश्रित होता है जो एक प्रकार की पराधीनता ही है और पराधीन कभी सुखी नहीं रहता-पराधीन सपनेहु सुख नहीं। इसलिए आत्मनिर्भर बनना प्रत्येक उज्ज्वल भविष्याकांक्षी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य है।

आत्मनिर्भर देशों के सम्बन्ध में देखा जाय तो भारत अन्धयुग की अपनी पराधीनता से पहले न सिर्फ एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था अपितु सोने की चिड़िया और जगद्गुरु के रूप में विभूषित होकर विश्व में विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित था जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं गुरुकुलों की महती भूमिका थी जहाँ सिर्फ शिक्षा रूपी जानकारी ही नहीं दी जाती थी अपितु जीवन जीने की कला-कौशल, चरित्र निर्माण व व्यावहारिक प्रशिक्षण रूपी विद्या भी दी जाती थी जिसे पाने के लिए अन्य देशों से भी विद्या पिपासु भारत की तरफ भागे चले आते थे।

आत्मनिर्भरता की उपलब्धि में कोरी शिक्षा के बजाय विद्या प्रधान शिक्षा की महती भूमिका है। 'शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष' धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना जबकि विद्या शब्द की व्युत्पत्ति 'विद्' धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, विवेचना या व्याख्या करना आदि है। विद्या में कौशल भी समाहित है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा कौशल रहित भी हो सकती है लेकिन विद्या हमेशा कौशल युक्त होती है। मानव जीवन में विद्या के महत्त्व को दर्शाते हुए हितोपदेश श्लोक 6 में कहा गया है कि—

विद्यां ददाति विनयं विनयाद याति पात्रताम्।

पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम्॥

वास्तविक शिक्षा के सम्बन्ध में आचार्य पं. श्रीराम शर्मा ने अखण्ड ज्योति, नवम्बर 1974, पृ. 3 पर 'शिक्षा की ही नहीं विद्या की भी आवश्यकता समझी जाए' शीर्षक से लिखा है कि "वास्तविक शिक्षा वह है जिससे मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों पथ का पथिक बन सके, जिससे मनुष्य का तन सबल, मन स्वच्छ, छल-प्रपंच रहित हो सके। जो मनुष्य को परोपकारी, बुद्धिमान तथा एक सुयोग्य नागरिक बनाये, वही सच्ची शिक्षा है।" आत्मनिर्भर भारत के पुनः निर्माण हेतु आज इसी प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता है।

बीज शब्द—आत्मनिर्भरता, सर्वतोमुखी उन्नति, उज्ज्वल भविष्याकांक्षी, विद्या पिपासु, अभ्युदय एवं निःश्रेयस

शिक्षा मानव जीवन के विकास की आधारशिला है। मानव ने आज जो भी प्रगति की है उसका प्रमुख आधार शिक्षा ही है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति की उन्नति-प्रगति तथा मानव कल्याण के लिए शिक्षा अति आवश्यक है।

शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के “शिक्ष” धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा का अर्थ है-सीखना व सीखाना एवं सीखने या सिखाने की प्रक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा को अंग्रेजी में Education कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ अंदर से आगे बढ़ना है जो लैटिन शब्द Educatum से बना है जिसका तात्पर्य है-शिक्षण की कला। इसीलिए आज Education का अर्थ व्यक्ति के अन्दर छिपी हुई समस्त शक्तियों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है के रूप में लिया जाता है।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।” महात्मा गांधी का मत है कि, “शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है।” अरस्तु के अनुसार, “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।” जबकि हरबर्ट स्पेन्सर मानते हैं कि “शिक्षा से तात्पर्य अन्तर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है।”

उपर्युक्त परिभाषाएं शिक्षा के व्यापक अर्थ को अपने में संजोई हुई हैं किन्तु आज की शिक्षा उक्त परिभाषा परक अपने उद्देश्यों से कोसों दूर होती जा रही है। आज की शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के बजाय आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा उन्मुख होती चली जा रही है। यह साक्षरता से प्रारम्भ होकर नौकरी पाने, अधिक से अधिक पैसा कमाने, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान अर्जित करने तक अधिकांशतः केन्द्रित हो गई है। इसका प्रमाण यह है कि समाज में जैसे-जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, शिक्षितों की संख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे लोभ, लालच, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, शोषण, लूट-खसोट, बेकारी, लाचारी, बीमारी, मजबूरी, व्यक्तिगत-पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का भी विस्तार होता चला जा रहा है। जैसे-जैसे शिक्षण संस्थान बढ़े, विद्यालय-महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बढ़े, छात्र छात्राओं, अध्यापकों की संख्या बढ़ी, पुस्तकालय बढ़े, ज्ञान-विज्ञान सूचना जानकारी और सूचना प्राप्ति के नित नये साधन बढ़े, तकनीकी प्रौद्योगिकी साधन व चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ीं, वैसे-वैसे शिक्षा का विस्तार तो हुआ किन्तु मानव का व्यक्तित्व, उसकी भावनाएं, नैतिकता एवं जीवनी शक्ति बौनी होती चली गई। भय, दहशत, नफरत, कड़वाहट, अलगाव, घृणा, षड्यंत्र, परस्पर ईर्ष्या-द्वेष मनोविकार, आधि-व्याधि-उपाधि आदि दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ती चली गई।

उपर्युक्त तथ्य इस सत्य के परिचायक हैं कि विद्या के बिना एकांगी शिक्षा अपने सर्वांगीण उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रही। भारतीय परम्परा में शिक्षा की जगह विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी, विद्यालय, विद्या की देवी सरस्वती जैसे शब्द भारतीय शिक्षण परम्परा में भरे पड़े हैं। विद्या की प्राप्ति मानव का पहला उद्देश्य बताया गया है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है जिसके लिए ऋग्वेद के ऋषि निर्देशित करते हैं-**मनुर्भव।** मनुष्य को पशु से अलग विशिष्ट बनाने वाले गुणों में विद्या प्रथम गुण है-

येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।

ते मर्त्य लोके भुविभारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति॥^१

उपर्युक्त श्लोक में विद्या के साथ-साथ तप (श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए प्रशन्नता पूर्वक कष्ट सहन करना^२) शील, सद्गुण, सदाचार धर्म आदि का अर्जन भी आवश्यक माना गया है तभी विद्या सार्थक है, और ऐसा विद्यावान ही पशु प्रवृत्तियों-तुच्छ वृत्तियों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह पशु के समान (नरपशु) ही है। यहां धर्म से तात्पर्य किसी पंथ या संप्रदाय के कर्मकांडों से नहीं अपितु नैतिक मूल्यों, सद्गुणों से है जिसके पालन से हमारा सर्वांगीण विकास होता है यानी हमें अभ्युदय (भौतिक प्रगति) और निःश्रेयस (आध्यात्मिक उन्नति) दोनों की प्राप्ति होती है-

यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः।

मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाने वाले, विद्यार्जन में सहयोगी धर्म का लक्षण बताते हुए मनु स्मृति में कहा गया है।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचं इन्द्रिय निग्रहः।

धीर्विद्या, सत्यम्, अक्रोधो दशकं धर्मलक्षणं॥^३

और ऐसी धर्म युक्त तप, संयम, सेवा प्रधान विद्या से ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाली सुख-सौभाग्य-शान्ति प्रदायिनी विनम्रता आदि अनेकों पात्रताओं का विकास होता है-

विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्॥^४

अर्थात् विद्या विनय देती है; विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख प्राप्त होता है।

स्पष्ट है कि आज की विद्या रहित एकांगी शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी इन विद्या प्रधान मूल्यों से शून्य, येनकेनप्रकारेण धनार्जन, अहंकार संतुष्टि एवं क्षणिक सुखप्राप्ति को ही सब कुछ मान बैठा है।

शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से विद्या की उत्पत्ति श्विदश् धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना, समझना, सीखना, अनुभव करना, विवेचना या व्याख्या करना आदि है। दूसरे शब्दों में कहें तो अध्ययन, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान और अनुभव विद्या है। यह जीवन जीने की कला है, कौशल है, सर्वांगीण विकास का सम्यक शिक्षण-प्रशिक्षण है। आचार्य श्रीराम शर्मा के शब्दों में-‘जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आदर्शों का उच्चस्तरीय निर्माण करता है, उसी ज्ञान को विद्या कहते हैं।’ विष्णुपुराण के अनुसार विद्याएँ 18 हैं-

अङ्गानि चतुरो वेदाः मीमांसा न्यायविस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्याः हि एताः चतुर्दशाः॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चौव ते त्रयः। अर्थशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या हि अष्टादशैव ताः॥

अर्थात्-चार वेद, छह वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष), मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र-ये ही चौदह विद्याएँ हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद, और गान्धर्ववेद इन तीनों को और चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल अठारह विद्या हो जाती हैं 'लोकनीति' नामक पालि ग्रन्थ में भी 18 विद्याओं-श्रुति, स्मृति, सांख्य, योग, नीति, वैशेषिक, गंधर्व (संगीत), गणित, धनुर्वेद, पुराण, चिकित्सा, इतिहास, ज्योतिष, माया (जादू), छन्द, हेतु विद्या, मन्त्र (राजनय), और शब्द (व्याकरण)-का उल्लेख है।

आचार्य श्रीराम शर्मा ने शिक्षा के साथ साथ विद्या की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि "वास्तविक शिक्षा वह है जिससे मनुष्य अभ्युदय (भौतिक प्रगति) और निःश्रेयस (आध्यात्मिक उन्नति) दोनों पथ का पथिक बन सके, जिससे मनुष्य का तन सबल, मन स्वच्छ, छल-प्रपंच रहित, परोपकारी, बुद्धिमान तथा एक सुयोग्य नागरिक बनावे, वही सच्ची शिक्षा है।"⁸

मानव जीवन के उत्थान में वही शिक्षा समर्थ है, जो उसके विवेक, पुरुषार्थ, सेवा, कृतज्ञतादि भावनाओं को विकसित करे। इसके साथ ही सभी अवस्थाओं में सुखी, प्रसन्न तथा प्रमाद हीन बनावे। आलस्य और प्रमाद मानव उत्कर्ष के प्रबल बाधक तत्व हैं। इसीलिये विद्यार्जन की भारतीय परम्परा में आचार्य विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश के समय ही इन बाधक तत्वों के प्रति सावधान करते हुए उन्हें प्रमाद से बचने के लिए संकल्पित करता है जिसका उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषद् में निम्नवत् हुआ है-**स्वाध्यायान्मा प्रमदः।**⁹ अर्थात् स्वाध्यायसे कभी प्रमाद मत करो।

सत्यात्र प्रमदितव्यम्।¹⁰ अर्थात् सत्यका पालन करनेसे कभी प्रमाद मत करो।

धर्मान् प्रमदितव्यम्।¹¹ अर्थात् धर्म का पालन करने से कभी प्रमाद मत करो। श्रेष्ठ कर्म ही धर्म हैं इसलिए कर्तव्य (धर्म) का पालन करने से कभी प्रमाद मत करो।

कुशलान् प्रमदितव्यम्।¹² अर्थात् कुशल कर्म से, आत्म रक्षा में उपयोगी कर्म से कभी प्रमाद मत करो।

भूतै न प्रमदितव्यम्।¹³ अर्थात् ऐश्वर्य देनेवाले मंगलमय कार्यों से कभी प्रमाद मत करो।

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्।¹⁴ अर्थात् स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद मत करो।

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।¹⁵ अर्थात् देवताओं के और पितरों के कार्यों से कभी प्रमाद मत करो।

उपर्युक्त संकल्प परिपाटी का पुनर्जागरण आज की शिक्षा प्रणाली में देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार में छात्र / छात्राओं के प्रवेश के समय होने वाले ज्ञानदीक्षा कार्यक्रम में देखा जा सकता है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में आचार्य अपने शिष्यों को आज की शिक्षा प्रणाली की तरह शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि बढ़ाने हेतु सिर्फ विभिन्न विषयों की जानकारी ही नहीं देता अपितु उसके समग्र विकास हेतु श्रेष्ठ नैतिक मूल्यों, सद्गुणों, भाव सम्बेदनाओं की भी विद्यार्थी के अन्दर प्रतिष्ठापना का प्रयास करता था। वह विद्यार्थियों को उपदेशित करता है कि-

ॐ सह नावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।¹⁶

अर्थात् वह परमात्मा हम दोनोंकी रक्षा करे। हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे। हम साथ-साथ मिलकर काम करें। हमारी शक्ति बढ़े। हमारी सामर्थ्य बढ़े। हम जो कुछ पढ़ें, वह तेजस्वी हो। हम एक-दूसरेसे द्वेष न करें। वैर न करें।

कार्पण्यं क्रोध इति तामसानि।¹⁷ अर्थात् कृपणता, कंजूसी और किसीपर क्रोध करना तामसिक होने के लक्षण हैं। इसलिए न तो कंजूसी करें और न क्रो।

सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्वा।¹⁸ अर्थात् सब प्राणियों को अभय देते हुए रहना चाहिए। हमसे किसी प्राणी को भय न हो, कोई हमसे डरे नहीं-ऐसा जीवन बिताना चाहिए।

अभयं सर्वभूतेभ्यः।¹⁹ अर्थात् सब प्राणियों से हमें अभय प्राप्त हो। हम किसी से भी न डरें।

आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देता है-

सत्यं वद। धर्मं चर।²⁰ अर्थात् सत्य बोलो। धर्मका पालन करो।

आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा अभिशाप वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा है जिसे शिक्षित समाज के अन्दर नित नये खुलते वृद्धाश्रमों में देखा जा सकता है जहां युवा पीढ़ी अपने से दूर अपने वृद्ध माता पिता को ले जा कर रख आ रही है। जबकि विद्या हमें माता-पिता और गुरु की देखभाल, सेवा-सुश्रुषा करने, सदैव देवभाव से उनका सम्मान करने की प्रेरणा देती है-

मातृदेवो भव।²¹ अर्थात् माता है देव जिसका, वह तू मातृदेव हो। माता को देवता मानकर उसकी सेवा करो।

पितृदेवो भव।²² अर्थात् पिता है देव जिसका, वह तू पितृदेव हो। पिता को देवता मानकर उसकी सेवा करो।

आचार्यदेवो भव।²³ अर्थात् आचार्य है देव जिसका, वह तू आचार्यदेव हो। आचार्य को देवता मानकर उसकी सेवा करो।²⁴

अतिथिदेवो भव। अर्थात् अतिथि है देव जिसका, वह तू अतिथिदेव हो। अतिथि को देवता मानकर उसकी सेवा करो।

आज भारत में शिक्षा एक बिजनेस-ब्यापार का माध्यम बन गया है। आये दिन समाज में शिक्षा माफियाओं के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। शिक्षालय धनार्जन के केन्द्र बनते जा रहे हैं जबकि आत्मनिर्भर भारत की प्राचीन विद्या प्रणाली में विद्यार्थी से अध्ययन समाप्ति के उपरांत भी शुल्क (दक्षिणा) के रूप में उससे कोई भौतिक वस्तु नहीं अपितु उससे एक श्रेष्ठ जीवन की मांग की जाती थी। अध्ययनोपरांत अपने घर वापस जा रहे विद्यार्थियों से आचार्य अध्ययन शुल्क (दक्षिणा) बताते हुए कहते हैं कि-

यत् तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः¹⁵ अर्थात्-तप करना, दान देना, सरल जीवन बिताना, किसीकी हिंसा न करना, किसी को न सताना और सच बोलना-ये ही दक्षिणा है।

इस प्रकार शिक्षा का सम्बन्ध जहाँ बहिरंग की प्रखरता मात्र से हैं वहीं विद्या 'अन्तरंग की पवित्रता और बहिरंग की प्रखरता' दोनों का सम्यक विकास करने वाली विधा है। इसमें IQ के साथ-साथ EQ का भी उन्नयन समाहित है। विद्या के मूल में मानव का सम्पूर्ण उत्कर्ष निहित है जिससे यह शिक्षा की तरह एकांगी न होकर मानव एवं मानवता के सर्वांगीण उत्कर्ष की सम्यक विधा है।

अन्त में हम पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में कह सकते हैं कि-ज्ञान की दो धाराएँ हैं। पहली आजीविका प्राप्त कराने वाली शिक्षा तथा दूसरी आत्मा, विवेक, भाव संवेदनाओं, मानवीय जीवन मूल्यों एवं सद्गुणों को विकसित करने के लिए विद्या। "शिक्षा का अर्थ होता है-जानकारी को व्यापक बनाना, बुद्धि विस्तार करना, ताकि वह दैनन्दिन जीवन में उपयोगी हो सके। विद्या का अर्थ होता है दृष्टिकोण परिष्कार, और भावोल्लास में उत्कृष्टता-निखार। जीवन को सुसंस्कारी बनाना आत्मिक प्रगति में सहायक भूमिका निभाना विद्या का प्रधान गुण है। दोनों समग्र मानवी विकास लिए आवश्यक हैं। शिक्षा जहाँ व्यक्ति के बहुमुखी लौकिक विकास के लिए उत्तरदायी है, वहाँ विद्या व्यक्ति परिशोधन, परिष्कार एवं आत्मिक उन्नयन की भूमिका सम्पादित करती है।¹⁶

बस्तुतः शिक्षा एवं विद्या परस्पर बिरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा एवं विद्या प्रणाली में परिवर्तन और सुधार ही मानवीय प्रगति का मूल-आधार है। शिक्षा की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति के अन्दर मानवीय गरिमा के अनुरूप सत्प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हों और व्यक्ति का समग्र रूप से व्यक्तित्व विकास हो। ऐसा विकास जिसमें नागरिकता, सामाजिकता एवं प्रगतिशीलता के सभी गुणों का समावेश हो। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में प्राचीन और नवीन शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित हो, जो व्यक्ति को आधुनिकता के साथ-साथ एक सही जीवन दर्शन व मार्ग प्रशस्त करा सके। यह तभी संभव है जब शिक्षा में विद्या का समावेश होगा अथवा शिक्षा को सुसंस्कारित किया जाएगा। इस आवश्यकता की पूर्ति ही समय की मांग है तभी वर्तमान दोषों से रहित एक श्रेष्ठ, समर्थ, शक्तिमान आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य सच्चे अर्थों में पूरा हो सकता है।

सन्दर्भ सूची-

1. ऋग्वेद संहिता-10.53.06
2. भर्तृहरि, नीति शतकं, श्लोक 13, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2017
3. डॉ. गोविन्द प्रसाद मिश्र, मेकल मीमांसा, जून 2021, पृष्ठ 121, इंगाराजविवि. अमरकंटक, म.प्र.,
4. वैशेषिक सूत्र 1 /2
5. मनु स्मृति, 6 /92
6. हितोपदेश, श्लोक 6
7. प्रज्ञोपनिषद्, पृ.4. 2-3
8. आचार्य पं. श्रीराम शर्मा-शिक्षा की ही नहीं विद्या की भी आवश्यकता समझी जाए, अखण्ड ज्योति, नवम्बर 1974, पृ. 3
9. तैत्तिरीय उपनिषद् 1/11
10. वही
11. वही
12. वही
13. वही
14. वही
15. वही
16. कठ उपनिषद्, शांति पाठ
17. मैत्री उपनिषद् 3/5
18. मैत्री उपनिषद् 6/8
19. प्राणाग्नि उपनिषद् 2/5
20. तैत्तिरीय उपनिषद् 1/11
21. वही
22. वही
23. वही
24. वही
25. श्रीकृष्णदत्त भट्ट, धर्मों की फुलवारी, खण्ड एक, वैदिक धर्म क्या कहता है (प्रथम भाग), पृष्ठ 55, सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी
26. छान्दोग्य उपनिषद् 3/17/4/
27. पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, पृष्ठ 24, युग निर्माण योजना मथुरा।

नारी सशक्तीकरण में आत्मनिर्भर भारत

रचना

सहायक प्रवक्ता के०सी०एम०टी०, बरेली

सारांश

जवाहरलाल नहेरू ने कहा था कि “लोगों को जगाने के लिए सबसे पहले महिलाओं को जाग्रत करना होगा”। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत बनाने का है क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता यह है कि हम कैसे इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प का क्रियान्वयन करें। आत्मनिर्भर भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश की महिलायें संशक्त, जागरूक एवं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी। हमारे भारतीय सनातनी संस्कारों में कहा गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः’ अर्थात् जहाँ नारी की पूजा अर्चना होती है वहाँ देवता निवास करतें हैं परंतु जहाँ नारी का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ किये गए सभी कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान आदि निष्फल हो जाते हैं इसलिए महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है परिवार एवं देश के विकास के लिए महिलाओं का संशक्त जागरूक एवं स्वावलम्बी होना आवश्यक है महिला संशक्तीकरण से आशय जब कोई भी महिला पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सके। महिलाओं को सही मायने में संशक्त बनाने के लिए समाज की उस निकृष्ट सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है जो नारी को दहेज प्रथा, अशिक्षा, घरेलू उत्पीड़न, भ्रूणहत्या, सामाजिक और आर्थिक असमानता, वैश्यवृत्ति आदि की ओर धकेलती है महिलाओं को सही मायने में संशक्त बनाकर ही हम नारी संशक्तीकरण को एक सही दिशा दे सकते हैं आज महिलायें समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएँ जैसी उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केन्द्र आदि आधुनिक युग में महिलायें अपने प्रति जागरूक संशक्त, आर्थिक रूप से मजबूत एवं अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हैं राष्ट्र के विकास में भी महिलाओं की भूमिका और योगदान को सही परिपेक्ष्य में रखकर ही एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सही दिशा में हो सकता है राष्ट्र के विकास में भी महिलाओं ने स्वयं के वर्चस्व को सिद्ध किया है जैसे-लता मंगेशकर, किरन बेदी, मैरी कॉम, बिचेन्द्री पाल, निर्मिला सीता रमण, सानिया मिर्जा आदि।

मुख्य बिन्दु-आत्मनिर्भर भारत, शिक्षा, महिला संशक्तीकरण

प्रस्तावना-

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति में से एक है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह अनमोल धरोहरों से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत है और हमेशा रहेगा। जिसके कारण भारत हमेशा विदेशियों के आकर्षण का केन्द्र भी रहा है। प्रारम्भिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था परन्तु उस समय स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। वर्तमान में भी स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में कोई भेद नहीं है स्त्रियों को पुरुषों की भाँति ही किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अन्तर केवल इतना है कि अब समान अधिकार के साथ समान अवसर भी सुलभ कराए जा रहे हैं परन्तु इनकी नींव वैदिक काल से ही रख दी गयी थी। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ स्वयं पर निर्भर होना अर्थात् खुद को किसी और पर आश्रित ना करना है आत्मनिर्भर होना प्रत्येक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का स्वप्न होता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना सर्वप्रथम महात्मा गाँधी जी ने देखा था उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा। वे बच्चों को आर्थिक श्रम का महत्व, स्वावलम्बी, और जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे जिससे स्कूलों में होने वाले उत्पादन से ही स्कूलों का व्यय निकल सके।

जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा साकार रूप प्रदान किया गया। 12 मई 2020 को पहली बार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणा की गई करोना वाइरस महामारी ने प्रत्येक भारतीय चाहे वह गरीब श्रमिक, किसान, पुरुष हो या स्त्री सभी को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में कई योजनाएँ शुरू की जिसमें उज्ज्वला योजना, प्री सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व सुमन योजना, समर्थ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ योजना आदि का शुभारम्भ नारी सशक्तीकरण के लिए किया गया क्योंकि सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र की निर्मात्रा होती है वैदिक काल से ही नारी हर क्षेत्र में सशक्त रही है। मध्यकाल में गिरावट आई लेकिन वर्तमान काल में नारी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है हर युग में महिलाओं ने अपना परचम लहराया और उन्हें भेद-भाव एवं उपेक्षा का सामना करना पड़ा। नारी के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को केवल साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है, नारी की साक्षरता, जागरूकता, उन्नति ही किसी भी राष्ट्र, समाज, परिवार के विकास में सहायक होती है जिसके

मजबूत कंधों पर देश, राष्ट्र समाज परिवार का भविष्य निर्भर करता है। रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने कहा है कि 'हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा स्रोत रही हैं झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किये हैं' कोविड-19 के दौरान हम सभी ने यह देखा भी है कि कोरोना योद्धाओं के रूप में महिलाओं, डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्करों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों को सेवाएं प्रदान की, टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई साथ ही सुचित्रा एला को स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए पदम-भूषण से सम्मानित किया गया। सरकार के निरन्तर आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में महिलाओं की भागीदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के पराक्रम को समझने की जरूरत है जिससे हमें आगे बढ़ने और फलने-फूलने में मदद करें। जिससे वह स्वयं को आत्मनिर्भर साथ ही देश को आत्मनिर्भर होने में सहयोग प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

भारत वर्ष एक सम्पन्न परम्परा एवं सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध शक्तिशाली देश है जहाँ महिलाओं को देवी के रूप में समझा जाता रहा है, दुर्भाग्यवश विदेशी शासन काल के दौरान अनेक कुरीतियां व विकृतियां पैदा हुयी जिससे महिलाओं का उत्पीड़न होना शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति काफी समय तक धीमी रही। गरीबी व निरक्षरता महिलाओं की प्रगति में एक बड़ी बाधा रही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़, सशक्त एवं जागरूक कर कृषि उद्योगों बैंकिंग सेवाओं और डिजिटलीकरण की सहायता से महिलाओं की सामाजिक और वित्तीय सशक्तीकरण की शुरुआत की जा सकी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. पचौरी गिरीश (2014) समकालीन भारत और शिक्षा (पृ0सं0-7,9) आर0 लाल बुक डिपो मेरठ।
2. पाल कुलविन्दर डॉ0 (2014 शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार (पृ0सं0 3-5) लक्ष्मी पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
3. पंकज जगन्नाथजायसवाल / लवनजी 2020 अगस्त २४ 2022
4. श्री बंडारू दत्तात्रेय (2022) नव भारत के निर्माण में महिलाओं की बड़ी भूमिका राजभवन हरियाणा ऋग्वेद-1/89 यजु0-22/26
5. जायसवाल डा0 सीताराम (1979) शिक्षा दर्शन, प्रकाशन केन्द्र लखनऊ

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के कदम

डॉ० अजय खेमरिया

विशेष संवाददाता, स्वदेश प्रकाशन समूह, ग्वालियर

पिछले 75 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में यदि भारत के विकास की बात करें तो ध्यान में आता है कि भारत ने पूरे विश्व में अपने लिए विशेष रूप से आर्थिक, अंतरिक्ष, विज्ञान, रक्षा-सुरक्षा, योग एवं आध्यात्म जैसे क्षेत्रों में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत एक वैश्विक ताकत बनाकर उभरा है। भारत आज न केवल अपने लिए सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है बल्कि विश्व के कई अन्य देशों के लिए भी सेटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम हो गया है। योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में तो भारत अनादि काल से विश्व गुरु रहा ही है, परंतु हाल ही के समय में भारत एक बार पुनः योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करने की ओर अग्रसर है। योग को सिखाने के लिए तो यूनाइटेड नेशन्स ने प्रति वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इसे पूरे विश्व में लगभग सभी देशों द्वारा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने पूरे विश्व में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, डिजिटल एवं ड्रोन तकनीकी में तो भारत ने अपना लोहा पूरे विश्व में ही मनवा लिया है। इन विभिन्न क्षेत्रों में विकास करते हुए भारत ने किस प्रकार आर्थिक, रक्षा, डिजिटल, आदि क्षेत्रों में हाल ही के समय में एक नया मुकाम हासिल किया है, इसे समझने का प्रयास इस लेख में किया गया है।

भारत ने 15 अगस्त 1947 को राजनैतिक आजादी प्राप्त की थी और 15 अगस्त 2023 को हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की ओर अग्रसर हैं। इस दौरान भारत की आर्थिक प्रगति पर यदि नजर दौड़ाएँ तो ध्यान में आता है कि कुछ देशों यथा, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, जर्मनी आदि जिन्होंने अपनी आर्थिक प्रगति की यात्रा वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात वर्ष 1945 अथवा इसके पश्चात भारत के साथ ही प्रारम्भ की थी, आज इन सभी देशों ने आर्थिक क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है एवं ये समस्त देश आज विकसित देशों की श्रेणी में आ गए हैं जबकि भारत अभी भी एक विकासशील देश के रूप में आर्थिक प्रगति बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। हालांकि पिछले 8 वर्षों के दौरान विशेष रूप से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से स्थिति में तेजी से बदलाव दृष्टिगोचर है। वैसे तो इस दौरान अर्थ के कई क्षेत्रों में नए नए रिकार्ड बनाए गए हैं परंतु विशेष रूप से गरीबी एवं आय की असमानता को कम करने में भारत ने विशेष सफलता पाई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक ने भी जमकर सराहना की है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है एवं यह अब 0.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत में गरीबों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 22.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019 में घटकर 10.2 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। भारत के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या बहुत तेज गति से कम हुई है। जहां ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2011 के 26.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 11.6 प्रतिशत पर आ गई है तो शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 7.9 प्रतिशत से कम हुई है। विशेष रूप से वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच गरीबों की संख्या अधिक तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के दौरान गरीबों की संख्या 3.4 प्रतिशत से घटी है वहीं वर्ष 2015 से 2019 के दौरान यह 9.1 प्रतिशत से कम हुई है और यह वर्ष 2015 के 19.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 10 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के दौरान तो गरीबी 3.2 प्रतिशत से कम हुई है यह कमी पिछले दो दशकों के दौरान सबसे तेज गति से गिरने की दर है। ग्रामीण इलाकों में छोटे जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छी रही है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2015 के 21.9 प्रतिशत से वर्ष 2019 में घटकर 11.6 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। बहुत छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 2013 और 2019 के बीच वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है वहीं अधिक बड़ी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज हुई है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में आ रही कमी दरअसल केंद्र सरकार द्वारा समय समय उठाए जा रहे कई उपायों के चलते सम्भव हो पाई है। भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। जबकि 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज बढ़कर लगभग 136 करोड़ हो गई है।

डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है भारत-पिछले 7.8 वर्षों के दौरान भारत ने डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अतुलनीय प्रगति की है एवं आज भारत में 83 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट एवं स्मार्ट फोन से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार भारत ने एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर लिया है। भारत में सार्वजनिक अधोसंरचना विकसित कर ली गई है ताकि देश के सभी नागरिक इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। यूपीफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके माध्यम से आज प्रतिदिन 100 करोड़ से अधिक बैंकिंग व्यवहार करने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधार कार्यक्रम की सफलता के बाद तो डिजिटल इंडिया एक नए दौर में चला गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया ने कमाल ही कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐप बनाए जाने पर विचार किया जा

रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना इलाज आसानी से करा सके। इसके लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। गावों में भी डिजिटल इंडिया पर कार्य किया जा रहा है। अब तो ड्रोन के लिए नए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग हो रहा है एवं ड्रोन के माध्यम से कृषि को किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है इस पर भी कार्य हो रहा है। ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव आदि कार्य किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

भारत बन रहा है दुनिया का फार्मसी हब—पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत के ड्रग्स एवं फार्मा उत्पाद के निर्यात में 103 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर अर्जित की गई है। ड्रग्स एवं फार्मा उत्पाद के निर्यात वर्ष 2013.14 में 90,414 करोड़ रुपये के रहे थे जो 2021.22 में बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। भारत अब औषधियों के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और इस क्षेत्र में विश्व का लीडर बनने की राह पर चल पड़ा है। आकार के मामले में भारतीय दवा उद्योग विश्व स्तर पर आज तीसरे स्थान पर है। भारत में वर्ष 2019-2020 में औषधियों का कुल वार्षिक कारोबार 289,998 करोड़ रुपये का रहा था। विश्व में उपयोग होने वाली जेनेरिक दवाइयों का 20 प्रतिशत भाग भारत निर्यात करता है। भारत में औषधि निर्माण के लिए 10,500 से अधिक औद्योगिक केंद्रों का मजबूत नेटवर्क है तथा 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियां भारत में औषधियों का निर्माण कर रही हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भी भारत ही है। भारतीय औषधि उद्योग की आज पूरे विश्व में धमक दिखाई दे रही है एवं भारत दुनिया का फार्मसी हब बनने की अपने कदम बढ़ा चुका है।

भारत ने पिछले 8 वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2014 से भारत ने सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में 1.97 गुना वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2013 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 27,542 मेगावाट थी जो 8 वर्षों में 156,608 मेगावाट हो गई है। भारत ने अपने लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार भारत ने आगामी 8 वर्षों में अपनी स्थापित बिजली का 40 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार आगामी 8 वर्षों में भारत में सौर और पावन ऊर्जा की संयुक्त स्थापित क्षमता 51 प्रतिशत हो जाएगी जो अभी 23 प्रतिशत है।

भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं एवं कई रक्षा उत्पादों का तो निर्यात भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी निर्मित तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद बनाकर उभरा है। मलेशिया ने अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। जिसमें चीन के जेएफ-17, दक्षिण कोरिया के एफए-50 और रूस के मिग-35 के साथ साथ याक-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान तेजस को पसंद किया है। आकाश मिसाइल भी भारत की पहचान है एवं यह एक स्वदेशी (96 प्रतिशत) मिसाइल है। दक्षिणपूर्व एशियाई देश वियतनाम, इंडोनेशिया, और फिलिपींस के अलावा बहरीन, केन्या, सउदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने आकाश मिसाइल को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल के साथ ही कई अन्य देशों ने तटीय निगरानी प्रणाली, राडार और एयर प्लेटफार्मों को खरीदने में भी अपनी रुचि दिखाई है। भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों यथा फिलिपींस, वियतनाम एवं इंडोनेशिया आदि को ब्रह्मोस मिसाइल भी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। कुछ अन्य देशों जैसे सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका आदि ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आज भारत से 84 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। इस सूची में कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश भी शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण, आदि निर्यात किए जा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र, रक्षा उत्पादों, फार्मा, नवीकरण ऊर्जा, डिजिटल व्यवस्था के साथ ही प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी, आटोमोबाइल, मोबाइल उत्पादन, बुनियादी क्षेत्रों का विकास, स्टार्ट अप्स, ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी भारत अपने आप को तेजी से वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर हो गया है। इस प्रकार आर्थिक प्रगति के बल पर भारत एक बार पुनः अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने जा रहा है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर भारत

आशीष कुमार

शोधार्थी, टी0एम0यू0, मुरादाबाद

सारांश-

शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल्य साधन है। शिक्षा ही किसी समाज और राष्ट्र की प्रगति का मूल्य आधार होती है। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके माध्यम से मनुष्य सही-गलत, उचित-अनुचित में भेद एवं अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति की श्रेष्ठतम प्रक्रिया तथा मुक्ति का साधन बताया गया है। शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ एवं आत्मनिर्भर बन सकता है।

महात्मा गाँधी जी ने शरीर, मन और आत्मा के विकास पर बल देते हुए कहा कि 'शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है।' यह सब तभी सम्भव हो सकता है जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो। प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। जिसके लिए भारतीय संस्कृति में छः दर्शनों में से एक दर्शन योग भी है। ऐसा विश्वास है कि जब से सभ्यता शुरू हुई तभी से योग किया जा रहा है जिसके माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है योग एवं प्रणायाम के द्वारा शरीर, मन और आत्मा को सरलता से नियन्त्रित किया जा सकता है। वर्तमान में योग शिक्षा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा आयाम है जो प्राचीन होकर भी आधुनिक प्रणाली के रूप में सामने आ रहा है। आधुनिक युग में मशीनीकरण, अधिक दबाव, तनाव एवं शारीरिक व मानसिक असन्तुलन पैदा करती है यदि हम योग प्रणायाम आदि क्रियाओं को अपनायें तब हमें एक श्रेष्ठ सन्तुलित एवं व्यवस्थित जीवन शैली प्राप्त हो सकती है साथ ही हमारा शारीरिक व मानसिक सन्तुलन बेहतर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवायें भी चलायी गयीं जिसमें आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ एण्ड वेल्लेस सेंटर्स, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत एवं सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आदि को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर का अर्थ स्वयं पर निर्भर होना है जिससे आपके पास जो दक्षता है उसके माध्यम से छोटे स्तर पर खुद आगे की ओर बढ़ना और बड़े स्तर पर अपने परिवार, समाज, देश के लिए कुछ करना। यदि हम स्वयं को आत्म निर्भर बनाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे तो निश्चित तौर पर अपने राष्ट्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता राष्ट्र के नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को आत्मसात् करते हुए स्वदेशी व कौशल के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान व कौशल जीविकोपार्जन का जरिया ही नहीं है यह जीने के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है।

मुख्य बिन्दु-शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्म निर्भर भारत

प्रस्तावना-

व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है आत्मनिर्भरता अगर कोई व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर रहता है तब उसे किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती है। भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक रहा है यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता अविष्कार की जननी है इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत का अविष्कार कोरोना महामारी के समय भारतीय व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये भी बहुत अधिक आवश्यक था। आत्मनिर्भर भारत न केवल एक शब्द है बल्कि यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूर दृष्टि पर आधारित एक सराहनीय प्रयास है जो भारतीय व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

आत्मनिर्भरता का सही अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। वास्तविक रूप में किसी दूसरे पर निर्भर न होकर स्वयं कोई ऐसा काम करे जिससे हमारा जीवन-यापन हो सके एवं भारत के सन्दर्भ में इसका वास्तविक अर्थ है कि हमारा देश प्रत्येक वस्तु के उत्पादन करने में सक्षम हो और इसके लिये हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पाँच आधार स्तम्भ बताए हैं-

1. मजबूत इकोनामी
2. इंफ्रास्ट्रक्चर
3. सिस्टम
4. डेमोग्राफी
5. डिमांड

उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कहा है कि हमारा लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर, मजबूत अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ा करना है किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता आवश्यक है।

12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया गया जिससे कि 130 करोड़ व्यक्ति आत्मनिर्भर हों और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हों। यह देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा चुने गये सभी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष बजट की घोषणा की गई जिसमें मुख्य रूप से देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का आरम्भ कोविड-19 के समय किया गया। भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा 27.1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया जो देश की जी0डी0पी0 में 13 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अन्तर्गत कई अन्य योजनायें भी शुरू की गई हैं

- 1- वन नेशन वन राशन कार्ड
- 2- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- 3- इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग
- 4- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
- 5- एलटीसी कैश वाउचर स्कीम
- 6- पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0
- 7- हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) 18000 करोड़
- 8- आर एण्ड डी ग्रांट फॉर कोविड सुरक्षा इंडियन वैक्सीन
- 9- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 6000 करोड़
- 10- सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर 65000 करोड़

इस योजना के अन्तर्गत किसान, गरीब नागरिक काश्तकार कुटीर उद्योग में काम करने वाले नागरिक, पशुपालक, संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े 4.5 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद दी जायेगी। साथ ही भारत के 10 करोड़ मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा।

1. मेक इन इंडिया
2. निवेश को प्रेरित करना
3. सरल स्पष्ट नियम कानून
4. नये व्यवसाय को प्रेरित करना
5. वित्तीय सेवा
6. कृषि प्रणाली

आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भी कहा है कि एक राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है वह अपने आप में सबसे अच्छा होता है जब तक भारत परतंत्र था यह अपने विकास के लिये अंग्रेजों पर निर्भर था किन्तु स्वतंत्रता के उपरान्त भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ और आज स्थिति यह है कि यह विश्व में कोहिनूर की भाँति चमक रहा है भारतीय प्रधानमंत्री ने कांफ्रेंस के माध्यम से सम्बोधित करते हुये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है भारत अगर प्रगति करता है तब वह दुनिया की प्रगति में भी अपना योगदान देगा। आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को उस बाज की तरह ऊँची उड़ान भरनी चाहिये जो कि सबसे ऊपर पहुँच कर भी हर जीव पर नजर रखता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का सपना था कि भारत स्वदेशी चीजों को अपनाये तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाये आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम चीन के सामान या किसी देश के सामान का आयात बन्द कर दें इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमारा स्वयं का सामान इतना सस्ता और अच्छा हो जिससे व्यक्ति विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाये क्योंकि कहा गया है कि जबरदस्ती कराया गया काम कुछ वर्ष लेकिन स्वेच्छा से किया गया काम उम्र भर चलता है।

निष्कर्ष

भारत वसुधैव कुटुम्ब की संकल्पना में विश्वास करता है अतः भारत प्रगति करता है तब इसका अर्थ यह है कि सम्पूर्ण विश्व की प्रगति में योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सरकार द्वारा वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौनें जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत में ही पी0पी0ई0किट की करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। आज भारत में एक दिन में सामान्यता 2 लाख से अधिक पी0पी0ई0 किट का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजनाओं के लोकार्पण के अन्तर्गत यह बताया कि देश में ऐसे उत्पाद बनाए जाएँ जो मेड इन इंडिया हो और मेड फॉर द वर्ल्ड हो। देश में मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जाए। रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए कई प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। देश में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण छोटी दुकानें, रेहड़ी-पटरी सड़क विक्रेता और फेरीवालों की अजीबिका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वाले और सभी सड़क विक्रेता अपना काम पुनः शुरू कर सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के लॉकडाउन की स्थिति का सबसे ज्यादा बुरा असर देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों पर पड़ा है। इन सभी नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के सूक्ष्म, लघु तथा

मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान की जायगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1- मुखर्जी डॉ. के. (2008) शिक्षा मनोविज्ञान अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा-7
- 2- भोगल डॉ. आर.एस. नागराजन सुश्री करुणा (2015) योग शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली
- 3- शैरी जी.पी. (2016) स्वास्थ्य शिक्षा विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा
- 4- शैरी जी.पी : स्वास्थ्य शिक्षा विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
5. www.indianfo-com
6. www.wikipedia-com
7. www.research-com

पर्यावरण एवं आत्म निर्भर भारत

डॉ० दीप लता

सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-171005

वर्तमान में मानव के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जिस प्रकार जल संकट, पर्यावरण प्रदूषण, ऋतु चक्र का परिवर्तन होना, वर्षा का समय पर ना होना, तापमान का बढ़ना तथा आतंकवाद सहित वर्तमान में (कोविड-19) कोरोना वायरस, लम्पी वायरस जैसी अनेक गंभीर समस्याएं हैं। आज इन सब समस्याओं में से पर्यावरण प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या ने विश्व के वातावरण एवं सौंदर्य को दूषित कर दिया है।

पर्यावरण शब्द परि तथा आ उपसर्ग पूर्वक 'वृ' धातु से ल्युट् प्रत्यय से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'चारों ओर का आवरण या आच्छादन।' इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह वस्तु जो प्राणी मात्र को चारों ओर से घेरती है और हम पर सीधा प्रभाव डालती है पर्यावरण कहलाती है।

कोविड-19 की तरह संपूर्ण विश्व की यदि कोई एक जैसी समस्या है तो वह पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। आज विश्व भर में इस समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस समस्या से मुक्ति मिल पाना कठिन है। क्योंकि महत्वाकांक्षी मानव ने अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के विपरीत तथा वेद ज्ञान के विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जिसका परिणाम यह है कि मानव ने स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। प्रकृति से अपने स्वार्थवश अत्यधिक छेड़छाड़ करना तथा वैदिक ज्ञान को न मानने से ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति पाने एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भावना से ही प्रत्येक व्यक्ति को वेद की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि वैदिक काल में भारत आत्मनिर्भर था उस समय के ऋषि-मुनियों सहित मानव जाति प्रकृति को देवतुल्य मानकर उनकी रक्षा हेतु विभिन्न विधि-विधानों को करते थे। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से पेड़ पौधों सहित जल, अग्नि इत्यादि को पूजनीय माना गया है। इसलिए प्राचीन काल से ही भारत की आत्मनिर्भरता हेतु प्रकृति के प्रति आदरभाव दृष्टिगोचर होता है।

वेद सृष्टि कल्याण और ईश्वर का वह वरदान है जिनके सम्यक् अध्ययन-अध्यापन से मनुष्य ऐहिक एवं पारलौकिक सुख की अनुभूति करता है। सृष्टि के प्रत्येक जनमानस में ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेदों में परम आस्था एवं श्रद्धा है। क्योंकि वेद ईश्वर के निःश्वास हैं-अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितम्।¹ वेद 'सर्नज्ञानमय' एवं सभी धर्मों का मूल हैं।² चारों वेदों में गृहस्थ जीवन से संबंधित दैनिक विधि-विधान सहित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, साहित्यिक, भौतिक, प्राकृतिक, श्राद्धकर्म, षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, वास्तु करण, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, नित्य-नैमित्तिक कृत्य, अभिचारिक कर्म तथा वैद्यक शास्त्र का वर्णन उपलब्ध है। वैदिक ऋषि-मुनियों ने यहां धार्मिक पक्ष सुदृढ़ बनाने के लिए धार्मिकता आदि अनेक यज्ञ-यागों का उल्लेख किया है वहीं मानव के कल्याणार्थ पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बातों का उद्घाटन भी किया है। मानव जीवन के लिए यहां खाना-पीना, रहना आदि शुद्ध एवं उत्तम वातावरण में होना चाहिए, वहीं प्राणी जगत् के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध एवं कीटाणु रहित वायु का होना भी आवश्यक है। उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए पर्यावरण का महत्त्व और उसका संरक्षण, प्रकृति से तालमेल किस प्रकार रखा जाए, विभिन्न रोगों के उपचार की विधियां तथा स्वस्थ विश्व की कामना हेतु अनेक उपयोगी तत्वों की खोज की है।

वेद में भूमि को माता और पर्जन्य को पिता की संज्ञा दी गई है अर्थात् जिस तरह माता-पिता के रक्त, मांस आदि से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है उसी तरह मातृभूमि में पर्जन्य की सहायता से उत्पन्न होने वाले अनाज, पानी, वायु एवं वृक्ष-वनस्पति जगत् से मनुष्य का उत्तम स्वास्थ्य बनता है। इसलिए जिस मातृभूमि से हमारे शरीर एवं पशु-पक्षी जगत् को उत्तम पोषण मिलता है। उसके हृदय को स्वार्थवश विदीर्ण करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। वेद के निम्न मंत्र में भी प्रकृति को शत्रुओं से बचाए रखने के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना की गई है, यथा-

यत् ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्त उर्जस्तन्वः संबभूवुः।

तासु नो धेह्यामि नः पयस्य माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पर्जन्यपिता स उ नः पिपर्तुः।³

अर्थात् हे मातृभूमि तेरे भीतर और ऊपर जो पदार्थ हैं उन सबकी और तेरी शत्रुओं के हाथ से रक्षा करने के लिए जो विद्वान्, बलवान् और धनवान् मनुष्य यत्न करते हैं, उनके संघ में हमें भी स्थान दे और हमें शुभ आशीर्वाद दे, क्योंकि तुम हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःख से छुड़ाने वाले हैं। इस मेघ (पर्जन्य) द्वारा अन्न, धान्यादि उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम सब का यह पालक पिता है अतः वह नियमित समय पर वर्षा कर हमारी रक्षा करें।

पुराणों में भी पर्यावरण संरक्षण की धारणा संपूर्ण रूप में उपलब्ध होती है। पुराणों में पवित्र भूमि भाग की शुद्धि का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है। पवित्र भूमि की मिट्टी ऊपर से खोदकर अलग कर देने से भूमि पर काष्ठफूस आदि डालकर जला देने से, गोबर आदि लीपने से, तथा मेघ के द्वारा की गई वृष्टि से भूमि शुद्ध हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा अपवित्रता को नष्ट कर देता है,⁴ जिससे वातावरण पवित्र होता है। पद्मपुराण के अनुसार भूमि शुद्ध रखने के लिए गौशाला, अग्निकुंड, वृक्षों की छाया का स्थान, पर्वत शिखर, निवास स्थान, भस्म, श्मशान और हरी घास, सर्प की बाबी में तथा ऐसे गर्त में जिस में जंतु निवास करते हों मल-मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए।⁵ इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः भारत को

आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान में पर्यावरण के संरक्षण हेतु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र पर्यावरण में मानव के विचार भी शुद्ध होंगे और वह भारत की उन्नति में सहायक होंगे।

वेद⁶ प्राकृतिक वस्तुओं को ईश्वर के शरीर रूप में वर्णित करता है। जिस प्रकार भूमि ईश्वर के पांव है, अंतरिक्ष पेट है, द्युलोक सिर है, सूर्य एवं चंद्रमा दो चक्षु हैं, अग्नि मुख है, वायु प्राण और अपान है, दिशाएं कान हैं, इस तरह इस सर्वधारक का ब्रह्मांड देह है। वेद में प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण हेतु ही उनकी तुलना ईश्वरीय शरीर रूप में की गई है। जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति वेद ज्ञान को आंतरिक मन से ग्रहण करेगा तो पर्यावरण सहित वैश्विक अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

वैदिक वाङ्मय के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। जिस तरह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दूषित खाद्य सामग्री, अत्यधिक बढ़ते हुए वाहन तथा वाहनों से उत्पन्न धूँएँ एवं ध्वनि प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, मिट्टी एवं वनस्पति जगत् का दूषित होना तथा अधिक वनों का कटान इत्यादि अनेक प्रकार का प्रदूषण हमारे भारत को खोखला करता जा रहा है। इनके निवारणार्थ वेद में अनेक शिक्षाएं उपलब्ध हैं जिन्हें अपनाने से स्वस्थ भारत सहित आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की जा सकती है।

सजीव जगत् में स्वच्छ वायु के बिना क्षण भर भी जीवित रहना संभव नहीं है। ईश्वर ने प्राणी जगत् के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर वनस्पति, पेड़-पौधों के रूप में वायु को चारों ओर फैला रखा है। पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करके हमें प्राण रूपी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। शुद्ध वायु जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद के मंत्र में पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए शांति मंत्र का स्तवन किया गया है—

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥⁷

मंत्र का भाव यह है कि हमारे लिए आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, विश्वदेव तथा ब्रह्मा सभी शांति प्रदान करने वाले हों, सर्वत्र शांति हो।

इस शांतिपाठ में पर्यावरण-संतुलन को बनाए रखने हेतु ऋषियों द्वारा प्रार्थना की गई है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि पर्यावरण की रक्षा एवं संतुलन को बनाए रखने के प्रति कितने सजग थे। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को देवी-देवता का स्वरूप बताकर उनके प्रति जनमानस का धार्मिक भाव बढ़ाया है। वस्तुतः प्रकृति को धर्म से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा ही था। ऋग्वेद के अनुसार शुद्ध वायु कई प्रकार के घातक रोगों के लिए सर्वोत्तम औषधि रूप है। जो हमारे हृदय के लिए भोजन के समान उपयोगी है और प्राण तंत्र को बढ़ाकर आयु को बढ़ाने वाली है, यथा—

वात आ वातु भेषजं शंभुमयोभु नो हृदे।

प्रण आयूषि तारिषत॥⁸

क्योंकि वैदिक यज्ञ-याग आदि भी वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन रूप हैं, यज्ञ में आहुति रूप में दिए गए हविर्द्रव्यों से उत्पन्न धुँएँ वातावरण को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र एवं रोग रहित करता है। यज्ञ से उत्पन्न धुँएँ से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से अन्न, जल, फूल, फल एवं नाना प्रकार की औषधिजन्य वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके कारण हवि से पार्थिव पदार्थ, वायु एवं सूर्य किरणें भी स्वच्छ होती हैं। इसी कारण वेद ने पर्यावरण प्रदूषण के समाधानार्थ यज्ञ को सभी रोगों, पापों एवं आत्मनिर्भर भारत के सुखी जीवन का मार्ग कहा है यथा—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वर्घं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥⁹

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के छोटे-बड़े, प्रतिदिन क्रियमाण यज्ञ भी पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं जिसमें समस्त विश्व का कल्याण निहित है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण एवं निरोग समाज के लिए वैदिक विधि विधानों सहित शुद्ध सामग्री को लेकर यज्ञानुष्ठान संपादित करने चाहिए।¹⁰

सृष्टि में छोटे-बड़े सभी प्रकार के जीवों के लिए जीवित रहने के लिए जिस प्रकार शुद्ध वायु महनीय है, उसी प्रकार जीवन के लिए जल की भी अनिवार्यता है। साधारणतः कहा भी जाता है 'जल ही जीवन है'। जीवन में जल का कितना महत्व है इस से हम भलीभाँति परिचित हैं। जल न केवल मनुष्य का ही जीवनाधार है बल्कि समस्त जीवमात्र एवं पेड़ पौधे इत्यादि का जीवन भी इसी पर ही संभव है। इसके इसी महत्व को दृष्टि में रखते हुए वैदिक ऋषियों ने इसे देवता मानकर इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा एवं स्तुति की है। वेद में शुद्ध एवं स्वच्छ जल को तेज, ज्ञान, माधुर्य एवं वीर्य गुणों से युक्त अमृतमयी कहा है यथा—

यो अनिध्मो दीदयदप्स्व३न्तर्यं विप्रास ईडते अध्वरेषु।

अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्यवान्॥¹¹

वेदानुसार शुद्धजल औषध तत्वों, तेजमय गुणों एवं सौ प्रकार से पवित्रता प्रदान करने वाला है, यथा-शं ता आपः शतपवित्रा भवन्तु।¹² भावप्रकाश¹³ के अनुसार भी वृष्टि का जल तीन रात्रि के पश्चात धूल कण मिट्टी के बैठ जाने पर स्वच्छ हुआ अमृत के समान गुणकारी माना गया है जो कि मानव शरीर पशु-पक्षी एवं वनस्पति जगत् के लिए लाभकारी होता है। जल संरक्षण की धारणा बनाए रखने के लिए पुराणों में जल के दूषित होने पर यातनाओं का भय एवं पाप लगने का वर्णन किया गया है। वामन पुराण के अनुसार जो पुरुष जल में विष्टा, कफ और मूत्र का विसर्जन किया करते हैं, उन्हें अत्यंत दुर्गंध वाले कूप से युक्त नर्क में डाल दिया जाता है।¹⁴ जो बावड़ी, तड़गों को विध्वंस कर देते हैं उनकी देह से चमड़ी को पृथक् करके नर्क में डाल दिया जाता है।¹⁵ जो मनुष्य कूप तथा बावड़ी का निर्माण करवाता है वह इस लोक और परलोक दोनों में बिना किसी संदेह के परमानंद को प्राप्त करता है।¹⁶ इसलिए आत्मनिर्भर

होने के लिए पर्यावरण की शुद्धता का प्रत्येक मानव को ध्यान रखना आवश्यक है। अथर्ववेद में कहा गया है कि घर के समीप रोग नाशक एवं आरोग्यवर्धक शुद्ध जल से भरा हुआ जलाशय होना चाहिए यथा-

इमा आपः प्रभ्राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः।

गृहानुप प्रसीदाम्यमृतेन सहाग्निना॥¹⁷

अर्थात् रोगरहित एवं आरोग्यवर्धक इस शुद्ध जल को मैं लाता हूँ। शुद्ध जल पान करने से मैं आयु को बढ़ाकर अकालमृत्यु से बच जाऊंगा। अन्न, घी, दूध तथा अग्नि सहित गृह में आकर अच्छी तरह बैठता हूँ।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जल विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सहित मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करने वाला प्राणों का रक्षक कृषि कर्म के लिए उपयोगी तथा विश्व कल्याणकारी है इसलिए उसका दुरुपयोग न करें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जल का भी बहुत अधिक महत्त्व है। आज जल भी प्रदूषण से अछूता नहीं है प्रदूषित जल अनेक रोगों को उत्पन्न करता है कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन ही जल प्रदूषण का मूल कारण है। इस प्रकार वैश्विक दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता को समझते हुए इसकी शुद्धता एवं पवित्रता को बनाए रखने के लिए वेद ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि जब जल, वायु शुद्ध होगी तभी भारत आत्मनिर्भर होगा तथा चारों ओर संपन्नता, खुशहाली और सुख-समृद्धि होगी।

वेद में ध्वनि प्रदूषण एवं खाद्य प्रदूषण के निवारणार्थ वर्णन भी मिलता है ध्वनि प्रदूषण से तात्पर्य अधिक शोर-शराबा होना, रेडियो, दूरदर्शन, उद्योगों एवं वाहनों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। लाऊडस्पीकर भी प्रदूषण का कारण है जिसका सीधा संबंध मानव के मस्तिष्क एवं श्रवण शक्ति पर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के विषय में अथर्ववेद में कहा गया है कि हमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक जोर से नहीं बोलना चाहिए आपस में वार्तालाप करते समय मधुर एवं धीमा बोलना चाहिए यथा-

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥¹⁸

अर्थात् भाई-भाई से द्वेष न करे, बहन-बहन से द्वेष न करे। एक मत से एक कर्म करने वाले होकर परस्पर शांति से मधुर भाषण करने वाले बनें।

खाद्य प्रदूषण भी भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है आज भारत देश में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें पूर्ण शुद्धता पाई जाए। वेद में दूध, सब्जियाँ, फल इत्यादि खाने पर बल दिया है। वेद के अनुसार कंदमूल खाद्य पदार्थों को जीवन के लिए उपयोगी माना है। वैदिक काल में ऋषि-मुनि अपना भरण-पोषण इन्हीं कंदमूल इत्यादि प्राकृतिक वस्तुओं से करते थे, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। वेद के अनुसार हम कोई भी पदार्थ खाएं उसे खूब अच्छी तरह चबाकर खाएं जिससे भोजन पचने में आसानी हो, यथा-

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव सगिरः।

प्राणानमुष्य संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम्॥¹⁹

इसके अतिरिक्त अंधाधुंध शहरीकरण और औद्योगीकरण, वनों का अत्यधिक कटान, वाहनों एवं कारखानों से निकलता धूँआ इत्यादि वातावरण में अधिक कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है। जिससे ऑक्सीजन की कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। विकलांग एवं मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी शुभ अवसर पर पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। वेद में तुलसी, पीपल, बरगद इत्यादि वृक्षों को शुद्ध एवं पवित्र माना है। अग्नि, सोम, सूर्य आदि देवताओं की तरह वेदों में पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षों को भी देवतुल्य कहा गया है। इसलिए लोक में पीपल की पूजा-अर्चना बड़े विधि-विधान के साथ की जाती है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अन्य पेड़ पौधे-पौधों की अपेक्षा पीपल अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। इसी कारण लोक में इसका महनीय स्थान है, यथा-

नमो वृक्षेभ्यः। वनानां पतये नमः। ओषधीनां पतये नमः। वृक्षाणां पतये नमः॥²⁰

इस प्रकार वेद में बताए गए वृक्षों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए और वनों का कटान रोकने के लिए संभव प्रयास करने होंगे। यदि आवश्यकता अनुसार हमें वृक्ष काटना पड़े तो उसके काटने से पूर्व ही नया पेड़ लगाना चाहिए। जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ ना पाए, यथा-

या ते रूद्र शिवा तनू शिवा विश्वहा भेषजी।

शिवा रूतस्य भेषजं तथा नो मृड जीवसे॥²¹

अत्यधिक पेड़ पौधों वाली पृथ्वी को वेद में सुखदायिनी कहा है। भारत को आत्मनिर्भर, स्वस्थ, निरोग एवं सुखमय बनाने के लिए शुद्ध पर्यावरण की अति आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण जैसी महान् समस्या के समाधान के लिए वेद ज्ञान को समझना एवं जीवन के लिए वेद की महत्ता को जानना परम आवश्यक है। पर्यावरण अर्थात् हमारे आसपास का वातावरण जितना अधिक दूषित होगा उतने ही अधिक हम रोग ग्रसित होंगे। इसलिए आज के परिवेश में पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति हेतु वैदिक शिक्षाओं को अपनाने पर बल दिया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सहित वैश्विक अनेक समस्याओं का समाधान वेद में उपलब्ध है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव जीवन एवं सृष्टि के चराचर जगत् को गंभीर समस्याओं से बचाए रखने का समाधान वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध है।

पर्यावरण को प्राणीहित के लिए सुरक्षित रख पाना दिन-प्रतिदिन चुनौती बनता जा रहा है। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। आज इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हम जब तक स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व को नहीं समझेंगे तब तक हम भारत

को आत्मनिर्भर एवं अपने आप को सभ्य-सुसंस्कृत नहीं कह सकते। अपने घर और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखना हमारा प्रथम दायित्व है। अतः वर्तमान समय की मांग है कि संपूर्ण स्वच्छता के मूल मंत्र को साकार करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु गंभीर चिंतन व मनन करें, ताकि हम भारत का नवनिर्माण कर आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें।

सन्दर्भ-सूची

1. शतपथ ब्राह्मण, 14-5-4-10
2. वेदोऽखिलो धर्ममूलम मनुस्मृति, 2/6-7
3. अथर्ववेद, 12-1-12
4. शिव पुराण 1-45
5. पद्म पुराण 2/30-34
6. अथर्ववेद 10/7/32-34
7. यजुर्वेद, 36-17
8. ऋग्वेद, 18-186-1
9. श्रीमद्भगवद्गीता 3/13-15, मनुस्मृति 3/76, शतपथ ब्राह्मण 5/3/5/17
10. यजुर्वेद 9/12, अथर्ववेद 3/31/12
11. अथर्ववेद 14/1/37, 3/13, यजुर्वेद 13/26-29
12. वही 14/1/40, 1/4/4
13. भावप्रकाश (वारिवर्ग) पृष्ठ 754, ऋग्वेद 5/83/6, अथर्ववेद 10/9/4
14. वामन पुराण 1-32
15. वही 1-23
16. शिवपुराण 2/2-3
17. अथर्ववेद 3/12/9, ऋग्वेद 10/9/4
18. अथर्ववेद 3/30/3-2, ऋग्वेद 10/136/3
19. अथर्ववेद, 6/135/3
20. यजुर्वेद 16/17-19
21. वही 16/49

हिंदी कहानी साहित्य में पितृसत्ता का दंश और भय के साये में स्त्रियां

दिव्या रामचंद्रन

पीएचडी शोधार्थी, हिंदी विभाग, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी, केरल

पितृसत्ता अंग्रेजी के Patriarchy का हिंदी समानार्थी शब्द है। अंग्रेजी में यह शब्द यूनानी शब्द पैटर (Pater) और आर्क (Arche) को जोड़कर बनाया गया है। पैटर का अर्थ पिता तथा आर्क का अर्थ शासन होता है। इस तरह patriarchy का शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। यह एक ऐसी मानसिकता है जहां पुरुष को श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यह मानसिकता स्त्री, पुरुष या इनसे इतर किसी की भी हो सकती है। जब हम भारत के संविधान की तरफ देखते हैं तो लैंगिक समानता के सिद्धांत की स्थापना बहुत पहले से ही रही है। संविधान स्त्रियों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। समानता के अधिकार के तहत कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान जैसे किसी भी कारणों से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जब हम गौर करते हैं तो संविधान में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और स्त्रियों की वास्तविक स्थिति के बीच में काफी अंतर मौजूद है। 21वीं सदी में भी समाज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज की समस्या, अनमेल विवाह, घरेलू हिंसा, बलात्कार, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याओं से देश जूझ रहा है। भारतीय समाज में पितृसत्ता व्यवस्था आज भी उतनी ही प्रबल तरीके से विद्यमान है जितना पहले हुआ करता था।

एंगेल्स कहते हैं—“पितृसत्ता का सबसे अधिक एवं पहला प्रभाव परिवार पर पड़ा, एकनिष्ठ परिवार का उदय हुआ। यह एकनिष्ठ परिवार असमान संबंध बनाए रखता है। लिंगभेद बनाए रखता है। यह केवल नारी के लिए एकनिष्ठ है, पुरुष के लिए नहीं।”

समाज में जो भी नियम, कानून, मान्यताएं आदि बने सभी पुरुषवादी सोच के अनुसार बने। इसी सोच ने स्त्री को दोगुने दर्जे की स्थिति में पहुंचा दिया। उसे अपने अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा। स्त्री को केवल भोग की वस्तु माना जाने लगा। यहां तक कि समाज में वंश पुरुषों के नाम से होने लगे साथ ही पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होने लगा। स्त्री को अपना घर छोड़कर पति के घर जाना पड़ा।

मिलेट का कहना है—“पितृसत्तात्मक दृष्टि से स्त्री का अर्थ है पैसिव या निष्क्रिय। यही आदर्श स्त्री है।”

पितृसत्ता द्वारा बनाए गए नियमों, रीति-रिवाजों को बिना सवाल किए मानने वाली स्त्री को पुरुष प्रधान समाज में आदर्श स्त्री माना जाता है। इस व्यवस्था पर विभा देवसरे का मानना है कि “यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर शासन, शोषण और दमन करते हैं।”

स्त्री परिवार में, स्कूल में, दफ्तर में, सड़क में सब कहीं असुरक्षित महसूस करती है। स्त्री सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कानून उपलब्ध हैं और कई नए कायदे कानून बनवाए जा रहे हैं। फिर भी स्त्री के प्रति जो अन्याय, अत्याचार एवं शारीरिक हमले हो रहे हैं उनका कोई खात्मा नहीं, वे दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी स्त्रियां प्रगतिशीलता एवं आधुनिकता के दौर में शिक्षित होकर चार दीवारों के बाहर आ चुकी है। शिक्षित स्त्रियों में स्व-अस्तित्व की, सामाजिक, धार्मिक जागृति एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता ने स्वतंत्र बनाया है। पुरानी रूढ़ि तथा परंपरा के बंधन अब वह तोड़ चुकी है। आज स्त्री पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। इतना सब होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष के समान स्वतंत्रता एवं निर्भयता के साथ रह नहीं सकती। क्योंकि वह पुराने बंधनों से मुक्त होकर भी आधुनिक समस्याओं से मुक्त नहीं है। आज भी उसे समाज में असुरक्षित होने का, आश्रित होने का, स्थिर जीवन बिताने का भय है। उसे कई तमाम हिंसात्मक हमला चाहे वह शारीरिक दुर्व्यवहार हो या मौखिक रूप से इन सब को झेलना पड़ रहा है। यही नहीं आज Victim blaming यानी पीड़ित को ही दोषी ठहराने का दौर चल रहा है और जब वह दोषी स्वयं एक स्त्री हो तो उस पर उंगली उठाने वाले बहुत अधिक होंगे। विक्टिम ब्लेमिंग के कुछ उदाहरण हम इस तरह से कह सकते हैं अगर किसी बच्ची का अपहरण या बलात्कार हो जाता है तो ऐसे शब्द कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे जैसे—‘उसे तो यह सब पहले से पता होना चाहिए था।’ या ‘उसने ही तो मुजरिम को ललकारा था।’ या ‘अरे उसने कपड़े ही ऐसे पहने थे’ या ‘उसका व्यवहार ही ऐसा था।’ इन शब्दों से बचना जीवन में बहुत जरूरी है। यह आपको कभी भी खुले विचार में जीने नहीं देंगे बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को भयभीत कराते हुए नियंत्रित करते हैं। वास्तव में पुरुष के मन में एक प्रकार का भय है जो सदियों से जारी है। उसके मन में असुरक्षा की भावना है और इस वजह से वह स्त्री को दबाकर कुचलकर नियंत्रण में रखना चाहता है। यह पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को उनके मूलभूत अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास, रोजगार के लिए समान अधिकार आदि सब से वंचित कर दिया। यह प्रवृत्ति कई सदियों से चलती आ रही थी। उसे यह समझाया गया कि वह अपने संपूर्ण जीवन काल में पुरुष के अधीन ही रहने योग्य है। बचपन में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन या देख-रेख में उसे जीवन गुजारनी पड़ती थी। स्त्रीवादी लेखिका सिमोन द बुवा ने घोषणा की कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। एक प्रकार का कंडीशनिंग वहां उत्पन्न होता है। आधुनिक समाज में स्त्रियों को भयभीत कराते हुए उन्हें नियंत्रण में लाने की प्रवृत्ति दिखाई

दी जाती है। स्त्रियों को जिस प्रकार का भय का सामना करना पड़ता है वह सभी सामाजिक रूप से और एक प्रत्येक मनोवैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। स्त्रियों के लिए डर उन्हें नियंत्रित एवं अक्षम्य बनाने की एक प्रकार के साधन के रूप में देखा जाता है। हम देख सकते हैं कि यह किस प्रकार अपना कार्य करता है। जैसे कि परिवार, विवाह, धर्म, कार्यस्थल, यौन शुचिता (धार्मिक ग्रंथों से) आदि। सबकी शुरुआत कहीं न कहीं से देखा जाए तो परिवार से ही शुरू होती दिखाई पड़ती नजर आती है। परिवार से ही सीख मिलती है। यह बोध लोगों तक साहित्य द्वारा प्राप्त हुआ। साहित्य एक ऐसा औजार है जो आम से आम व्यक्तियों के पास होता है और उसके माध्यम से लोगों में चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है लोगों को दुनिया देखने का एक नजरिया मिल जाता है। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में से कहानी एक ऐसी विधा है जो लोकप्रिय है और पाठक आसानी से उनका वाचन कर सकते हैं। आम जीवन में स्त्रियों के लिए सामान्य लगने वाली कई घटनाओं को समकालीन कहानियों के द्वारा कहानीकार विशेष रूप से दर्शाते हैं। इन कहानियों में स्त्री की असुरक्षितता चाहे वह बलात्कार के डर से हो, दहेज हत्या से हो, स्त्री भ्रूण हत्या से हो, तिरस्कार के डर से हो उनका खुला चित्रण कहानियों में मिलता है। हिंदी कहानी रचनाकारों में मनीषा कुलश्रेष्ठ, मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, ममता कालिया, कविता, नीलाक्षी सिंह, अल्पना मिश्र आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियां अनुभव के कारण प्रासंगिक हैं। स्त्री शोषण, अत्याचार, रीति-रिवाजों से जुड़े समस्या, दहेज उत्पीड़न जैसी समस्याओं को उन्होंने अपना विषय चुना। स्त्री के भय को लेकर कई सारे कहानियां आज मौजूद हैं। सपना सिंह की कहानी 'डर' हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें स्त्री की सामाजिक सुरक्षा की चिंता व्यक्त की गई है। हमारा समाज जिस तरह से हिंसक बनता जा रहा है और स्त्रियों के खिलाफ जिस प्रकार यौन हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस पर यह कहानी लिखी गई है। इस कहानी में यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि महिलाओं के दैनंदिन जीवन में भय किस प्रकार से कार्य करता है। और किस तरह भय की कंडीशनिंग होती जाती है। भय हर तरफ मौजूद है चाहे वह दृश्य रूप से हो सकता है या चाहे अदृश्य। ज्यादातर भय अदृश्य होता है लेकिन जन सामान्य सब उसकी विभीषिका को जानते हुए भी अनदेखा किया करते हैं। इस कहानी में ऐसी कई सारे घटनाएं उत्पन्न होती हैं जो हर लड़की अपनी आम जिंदगी में झेलती हैं। प्रस्तुत कहानी में तीन घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहली घटना में लड़की का गैंग रैप होने पर दोष लड़की को ही दी जाती है और उस कामुक टैक्सी ड्राइवर या किसी और को नहीं। दूसरी घटना में लड़कों के बुरी नजर से बचने के लिए लड़कियों को सचेत करते दिखाई देते हैं। इसमें भी दोष लड़की को ही समझी जाती है। तीसरी घटना में समाज पहले से ही तय कर लेता है कि एक आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए और उसे उसकी सीमा में बांध देते हैं। कहानी के अंत तक आते-आते बच्ची की मां को अपनी बच्ची को लेकर एक प्रकार का डर पैदा होता है। जब से लड़की पैदा होती है एक ही शब्द दिमाग में जोर देता है वह है 'बचना'। समाज की बुरी नजरों से बचते बचाते जीना। यह डर एक प्रकार का कंडीशनिंग प्रक्रिया है।

पुरुष प्रधान समाज की सामंती मानसिकता के चलते स्त्री समुदाय पूरी तरह से दुखित एवं पीड़ित है। उनकी स्वतंत्रता पर वे हावी हो जाते हैं। जयाजादवानी की कहानी 'परिदृश्य' की नायिका अपने पति की गुलाम बनते रह जाती हैं। वह पति के इर्द-गिर्द में ही रह जाती है। पति की सेवा करते हुए उनके आदेशों पर चलने के बावजूद भी वह खुश नहीं हो पाता है। कहानी में पति पूछता है—“सुनो, खाना तैयार है, हां”। पानी गर्म रख दिया है बाथरूम में, 'हां'। कमीज का बटन लगा दिया है—'हां'। प्रेस भी कर दी—'कर देती हूँ'। यह शेलफ इतनी गंदी क्यों है? क्या करती रहती हो तुम सारा दिन घर पर? कुछ नहीं होता तुमसे....”।¹

इस प्रकार पुरुष हमेशा स्त्री पर अपना वर्चस्व दिखाता है और उसे अपना अधीन करता है।

राजेंद्र मिश्रा जी की कहानी 'अपने से अलग' में सुवेश एक शादी-शुदा होने पर भी अन्य लड़कियों से शारीरिक संबंध रखता है। सुवेश अपने साथ काम करने वाली लड़की सुधा को अपने वश में करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है ऐसे में वह गर्भवती हो जाती है। यहां सुवेश अपने पत्नी के साथ-साथ अन्य स्त्रियों को भी धोखा देता है। उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता है। राजेंद्र मिश्र की एक और कहानी है 'बेघर'। इस कहानी की नायिका अमृता का पति अपने सहकर्मी के साथ नाजायज संबंध रखता है और उनका दांपत्य संबंध टूटने को होता है। तब विजय कहता है—“मैं अगर इस तरह किसी के साथ जाऊं? तुम्हें इसका हक नहीं है। मैं पुरुष हूँ अमि।”⁵

पति द्वारा हुए शोषण से पत्नी पूर्ण रूप से वाकिफ है। यहां विजय उसे कई तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी जाल में नहीं पड़ती है।

सुनीता सृष्टि की कहानी 'मैं हूँ ना तुम्हारे साथ' में पति पुत्र चाहता है मगर पत्नी लड़की। अस्पताल में पत्नी की मुलाकात दूसरी औरत से हो जाती है। वह औरत कहती है—“पैदा करके पल-पल मारने से तो बेहतर है कि उसे पहले से ही खत्म कर दिया जाए।”⁶

उस औरत की दो बेटियां थीं। लड़की को बोझ के रूप में आज भी लोग मानते हैं। समाज में आज भी स्त्री का जन्म पाप या बोझ के तौर से शिक्षित वर्ग भी देखते हैं।

स्त्रियों के लिए वर्तमान सामाजिक माहौल असुरक्षित है। उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़ आदि वारदात हमेशा सुनाई पड़ती है। स्त्री जीवन गर्भ के भ्रूण से लेकर मृत्यु तक सुरक्षित नहीं है राजेंद्र मिश्रा की कहानी 'दुष्कर्म' में एक विदेशी लड़की के साथ दिल्ली के नामी गुंडा प्रताप छेड़छाड़ करता है बलात्कार करने की कोशिश भी करता है। लेकिन वह बच जाती है। कहानी के अन्य स्त्री पात्र रोजी और राधा की बातों में उनकी असुरक्षित होने का भाव इस प्रकार झलकता है कि—“पता नहीं कहीं प्रताप कोई प्लानिंग न कर रहा हो। उसके साथ गुंडों का बड़ा ग्रुप रहता है। पहले वह लड़कियों को ग्रुप में लेता है फिर रेप कर मर्डर कर देता है। बाँडी का कहीं पता नहीं लगता। पुलिस का मानना है कि एक साल में वह कम से कम तीन घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसने एक ब्रिटिश टूरिस्ट का रेप किया है, पर वह किसी तरह बच गई।”⁷

कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार आज के जमाने में लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं।

रंजना जयसवाल की कहानी 'अथ मेलाघुमनीकथा', किरण अग्रवाल की 'जो इन पन्नों में नहीं है', अविचल गौतम की कहानी 'एक पल' आदि कहानियां अपने अस्तित्व के लिए तड़पकर जीवन व्यतीत करने के लिए विवश औरतों का चित्रण हैं। पुरुष प्रधान समाज उनकी अपनी स्वार्थ पूर्ती के लिए स्त्रियों को भयभीत कर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। समकालीन हिंदी कहानियों का अध्ययन करने पर यह समझ आता है कि आज स्त्री शिक्षित बनकर, आर्थिक स्वावलंबन के साथ अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए जीवन बिताना चाहती है। वह एक संतुष्ट जीवन जीना चाहती है जो बिना भय का हो। फिर भी आज वे तमाम तनावों के कारण मुक्त नहीं हैं। वह आज भी उतनी ही उपेक्षित एवं असुरक्षित है जितनी पहले हुआ करती थी। समकालीन कहानीकारों ने स्त्री की दशा को बिल्कुल सही तौर पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है।

सन्दर्भ

1. जगदीश्वर, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, पितृसत्तात्मकता और साहित्य, पृ 206
2. जगदीश्वर चतुर्वेदी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, पितृसत्तात्मकता और साहित्य, पृ 209
3. विभा देवसरे, स्वागत है बेटी, पृ 19
4. जया जादवानी, परिदृश्य, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, पृ 53
5. राजेंद्र मिश्र, अपने से अलग विस्थापन का दर्द, पृ 64
6. सुमिता सृष्टि, मैं हूँ न तुम्हारे साथ, युद्धरतआम आदमी, विशेषांक 2013, पृ 65
7. राजेंद्र मिश्रा, दुष्कर्म, विस्थापन का दर्द, पृ 138

समाज मनोविज्ञान में पर्यावरण की अवधारणा एवं आत्मनिर्भर भारत

डॉ० नरेश कुमार नेमा

सहा. प्राध्यापक मनोविज्ञान, स्वामी विवेकानंद शासकीय पी.जी. कालेज, नरसिंहपुर (म.प्र.)

सारांश

मनोविज्ञान में परिवेशीय प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी में उस समय प्रारंभ हुआ जब मनोभौतिक वेत्ताओं ने प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श का मानवीय प्रत्यक्षण के रूप में अध्ययन किया। इसमें मुख्य रूप से मानव स्थानगत व्यवहार, व्यक्तिगत स्थान, भूभागीयता तथा भीड़ व्यवहार इत्यादि का अध्ययन सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने में स्थापत्य अभिकल्प, नगरीय पर्यावरण वायु प्रदूषण तथा मौसम इत्यादि कारकों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। वर्तमान परिपेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पर्यावरण का संरक्षण तथा अवक्रमण भयंकर समस्या के रूप में उभर कर आये हैं। इससे न केवल भारत अपितु पूरा विश्व ग्रसित है। जिसमें पर्यावरण का असंतुलन पैदा होने की संभावना बन गई है। प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण शिक्षा तथा जन-जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया है।

पर्यावरण मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव व्यवहार और पर्यावरण का अंतर्संबंध का अध्ययन पर्यावरण मनोविज्ञान की विषयवस्तु है। सर्वप्रथम लेबिन (1951) ने $B=f(PE)$ सूत्र के माध्यम से बतलाया कि सामाजिक व्यवहार व्यक्ति तथा पर्यावरण दोनों के प्रकार्य के रूप में होता है। सामाजिक व्यवहार पर निर्मित वातावरण के प्रभाव में रूचि के कारण लेबिन व उनके सहयोगियों ने पहली बार अध्ययन किया कि भवनों की भौतिक विशेषताएं सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। लियोन फेस्टिंगलर, स्टेनलेसेक्टर तथा कुर्टवेक (1950) में इस सम्बन्ध में एक नया अनुपम अध्ययन किया कि किस प्रकार भवनों का अभिकल्प मैत्री विकास का प्रभावित करता है। एक्कीडोला (1976, 1977) ने बतलाया है कि स्थापत्य रूपांकन के लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्यावरण मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार मूल्यांकन में स्थापत्य विशेषज्ञ को यह जानकारी देने में समर्थ होता है कि किसी भवन की कौन सी विशेषतायें किसी निश्चित व्यवहारों के निष्पादन में बाधक या प्रेरक का कार्य कर सकती हैं। यहां पर पर्यावरण तथा सामाजिक व्यवहार को जानने के लिए मानव स्थानिक व्यवहार तथा सामाजिक व्यवहार पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों को जानना प्रासांगिक जान पड़ता है मानव स्थानगत व्यवहार का सीधा सम्बन्ध सामाजिक अन्तःक्रियाओं से है। जिसमें कोई व्यक्ति अपने भौतिक स्थान के संदर्भ में अंतःक्रिया करता है। वैयक्तिक स्थान एक अदृश्य सीमा रेखा है। जिसमें व्यक्ति अपने आसपास बनाकर रखता है, और जिसमें वह किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण पसंद नहीं करता है। इस संदर्भ में स्टाकहोमस (1978) ने सामाजिक अंतःक्रिया पर स्थान के प्रभाव के अध्ययनों में स्थानीयता, भीड़ और निजत्व को महत्वपूर्ण माना है। वास्तव में इन सम्प्रत्ययों का विकास ही अंतः वैयक्तिक स्तर पर अपने निजी व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया के संपादन के लिए स्थान की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। स्थानीयता के सम्प्रत्यय के निर्माण के अंतर्गत उपलब्ध स्थान, साधनों का नियंत्रण और स्वामित्व आते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोधों के आधार पर स्पष्ट किया है कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनमें व्यक्तिगत स्थान तथा सामाजिक अंतःक्रिया का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस संदर्भ में आस्टमैन (1975) ने सीमा निर्धारण मॉडल के अंतर्गत निजत्व को सामाजिक सम्बन्ध की इच्छा और एकांत की इच्छा के मध्य संतुलित बिन्दु माना है। न्यूमैन (1972) ने प्रतिरक्षणीय स्थान उपागम के अंतर्गत स्वामित्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब किसी क्षेत्र के निवासियों में उस क्षेत्र के प्रति स्वामित्व का बोध विकसित होता है तब ये वहां होने वाले क्रियाकलापों का दायित्व अपने उपर ले लेते हैं। निवासीय में स्वामित्व अपनेपन के द्वारा समन्वय की भावना का जन्म और निवासियों में स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकारों का उपयोग करने की नैतिक शक्ति का विकास होता है। फलतः उस क्षेत्र की सीमाओं में आपराधिक गतिविधियों में कमी आती है।

सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भीड़ या जनसंकुलन है। इसका सीधा अर्थ जनसंख्या घनत्व से है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर समूह के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सघनता तथा भीड़ में अंतर है। सघनता भौतिक संघटना है जबकि भीड़ सघनता के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। सघनता अलग-अलग माप के द्वारा भीड़ के अलग अलग अनुभवों को उत्पन्न करने में सहायक होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भीड़ के कारण व्यक्ति के उदोलन स्तर में अंतर आ जाता है। जिससे व्यक्ति का निष्पादन तथा सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इवान्स (1978) ने उदोलन परिकल्पना में बतलाया कि जब व्यक्ति प्रतिबल का सामना कर रहा होता है तो सघनता की वृद्धि के कारण शरीर क्रियात्मक उदोलन का जन्म हो जाता है। बाम और डेविस (1980) ने एक अध्ययन में पाया कि स्थापत्य संरचना में परिवर्तन से भीड़ के अनुभव, स्थान तथा निवास से संबंधित सामाजिक समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से कम किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रतिबल का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ग्लास, रिंग, सिंगर और पेसमेकर ने किया, इन्होंने प्रतिबलपूर्ण पर्यावरण तथा व्यक्तिगत नियंत्रण के पक्षों को उजागर किया। प्रतिबल उत्पन्न करने वाली

परिस्थितियों में कोलाहल, ताप एवं गर्मी तथा वायु प्रदूषण इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। कोलाहल को प्रायः एक बाधा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति, आर्वातन इत्यादि विशेषताओं को शामिल किया जा सकता है। शारीरिक निष्पादन, मानवीय स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले कोलाहल के प्रभावों को सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन का आधार बनाया है। कोलाहल तथा सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत मुख्य रूप से व्यक्ति के सामाजिक संबंधों पर प्रभाव देखा गया है। आकर्षणता, आक्रमकता तथा सहायतापरक व्यवहारों के अध्ययनों में पाया गया कि कोलाहल के कारण आकर्षणता में कमी, खराब, निष्पादन, सहायतापरक व्यवहारों में कमी तथा आक्रमक व्यवहार में वृद्धि उत्पन्न हो गई। तापमान पर किये गये अध्ययनों में मानव में हृदय गति में वृद्धि तथा उच्च रक्तचाप पाया गया। साथ ही तापमान में वृद्धि से कार्य निष्पादन कम हो जाता है, तथा सामाजिक संबंधों में कमी चिड़चिड़ापन आदि व्यवहारों में अंतर पाया जाता है।

वायु प्रदूषण का पर्यावरण तथा मानव के सामाजिक व्यवहार पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययनों में कार्य निष्पादन तथा अवधान में कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यवहारों पर भी वायु प्रदूषण का प्रभाव पाया गया जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक अन्तःक्रिया, सहायतापरक व्यवहार, आकर्षणता में कमी देखी गई। इसके शारीरिक लक्षणों में थकावट तथा सिरदर्द तथा सक्रियता में कमी आदि लक्षण देखे गये।

स्थापत्य अभिकल्प तथा सामाजिक व्यवहारों पर भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने व्यापक रूप से अध्ययन किये हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भवनों के रंग, भौतिक विशेषताएं, एवं भवन की फर्नीचर व्यवस्था आदि प्रमुख हैं। इनमें देखा गया है कि व्यक्तियों में रंग के प्रति अलग अलग पसंदी तथा नापसंदी पाई जाती है, साथ ही उनकी मानसिक प्रतिक्रियाएं तथा मनोदशा का प्रभाव रंग के हिसाब से तय होती है। इसी तरीके से कमरे की फर्नीचर व्यवस्था तथा बनावट से व्यक्तियों की सामाजिक अन्तःक्रियाएं या तो बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। साथ ही कमरे की स्थापत्य का भी सामाजिक अन्तःक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है इसमें कमरे का आकार दरवाजे तथा खिड़कियों की संख्या आदि को प्रमुख रूप से शामिल किया जा सकता है। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा नगरीय तथा ग्रामीण पर्यावरण का सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से नगरीय अतिभार, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दैहिक रोगों की भूमिका पर अध्ययन किये गये हैं।

वर्तमान में भारत जैसे विकासशील देश में प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या वृद्धि है। जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अतः बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकने हेतु शासकीय तथा जनभागीदारी स्तर पर लगाम लगाई जावे। भारत में वन संपदा की अंधाधुंध कटाई भी पारिस्थितिकी अवक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, वनों की कटाई को रोककर तथा सामाजिक वानिकी को बढ़ाकर पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। जल तथा वायु प्रदूषण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक औद्योगिक तथा नगरीकरण है। इसके कारण से स्वच्छ वायु तथा पीने योग्य पानी की उपलब्धता भी कम हो रही है। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि अवशिष्ट तथा गंदा पानी नदियों में न मिलाया जाये।

सुझाव -

1. मानव व पशु जनसंख्या को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करना।
2. पर्यावरण संरक्षण के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जाये।
3. पर्यावरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों व कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर प्रतिबंध तथा कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाये।
4. जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाये।
5. बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा वन्य प्राणियों के शिकार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधात्मक नियम लागू किये जावें तथा सामुदायिक सहभागिता व वन्य संरक्षण समितियों की स्थापना की जाये।
6. पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभिवृत्ति परिवर्तन तथा चेतना का विकास किया जाये।
7. जनसामान्य में पर्यावरण के प्रति समझ, उत्तरदायित्व व सहभागिता का विकास किया जाये।
8. पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय परिपेक्ष्य में उपलब्ध सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. भवनों की स्थापत्य डिजाइन तथा बनावट इस तरह रखी जाये जो कि पर्यावरण के अनुकूलित हो।
10. पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर योजनाओं का निर्माण तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जनसामान्य की सहभागिता।
11. पर्यावरणीय शिक्षा तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों को स्कूल तथा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
12. प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों तथा प्रदूषकों का स्तर निर्धारित किया जाये।
13. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों तथा कारखानों को प्रतिबंधित किया जाये।
14. पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को मापने के मापदण्ड तथा सुरक्षात्मक नियम बनाए जाएं।
15. कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा शोधकार्यों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाये।
16. पर्यावरण संबंधी आचार संहिता को लागू करना।
17. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा दोहन पर जोर दिया जावे।
18. पर्यावरण बचाव संबंधी परम्परागत कानूनों में संशोधन करके नये कानूनों का निर्माण तथा प्रभावी तरह से उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ-

- बरोलिया, डॉ.ए. (2009) पर्यावरण शिक्षा के नये आयाम, राधाप्रकाशन मंदिर, आगरा।
- भारद्वाज, डॉ.शक्ति, पर्यावरण विज्ञान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
- गोयल, डॉ.एम.के. (2005) पर्यावरण शिक्षा विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- Gregory, W. L. and Burroughs. (1989), Introduction to applied psychology. Scott fores man & Company. Publication.
- Prohansky, H.M. Itleson, W.H. and riolin. L.G (1976) Environmental psychology II edition . Holt Rinehart & Winston.
- Rastogi, G. D. (1992). Adhunik vyvaharic manovigyan, Bhargav Book Dipo house Agra.
- सिंह, अरूण कुमार (2005) समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास।
- तिवारी प्रेमसागर, (2000) पर्यावरण मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास।
- उपाध्याय, राधावल्लभ (2005) पर्यावरण शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
- वर्मा, धनंजय, पर्यावरण चेतना मध्य, प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।

डबिंग : अर्थ एवं महत्त्व (बांग्ला एवं हिन्दी फिल्मों का एक तुलनात्मक अध्ययन)

डॉ० जोतिमय बाग

विभागाध्यक्ष (हिन्दी), देशबन्धु महाविद्यालय, चित्तरंजन

पचास के दशक से ही पूरा विश्व एक दूसरे के सम्मुख, विश्व-युद्ध की पीड़ा से उपजे आह! ने एक दूसरे के प्रति भाई-चारे के महत्त्व को समझना शुरू किया। दूरिया अब नजदीकियों की ओर आतुर था। ऐसे में प्रथम अनिवार्य कार्य था कि एक दूसरे को समझना। इसके लिए साहित्य सबसे पहला सीढ़ी बना क्योंकि, किसी भी देश को जानने के लिए वहाँ के लोगों को जानना आवश्यक है। इसका प्रथम सीढ़ी है वहाँ के साहित्य को समझना क्योंकि, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। यही कारण था कि अब सभी देश एक दूसरे के साहित्य को समझना चाहता था। अतः अनुवाद का महत्त्व अब पहले से काफी बढ़ गया था।

बड़े-बड़े धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होना भी एक क्रांतिकारी कदम था। ईसाई, इस्लाम, हिन्दू, बुद्धिज्म आदि धर्मों की व्याख्या अब सर्वव्याप्त था। इससे धार्मिक पाखण्डों के व्यापार पर काफी असर पड़ा, और संपूर्ण विश्व विश्वशांति की ओर उन्मुख हो उठा।

भारत भी इससे अछूता न रहा, भारत में एक ओर जहाँ विदेशी साहित्य को समझा जाने लगा वहीं, भारतीय भाषाएँ भी एक दूसरे के करीब आ रही थी। नव-जागरण की चेतना का यह व्यापक असर था।

19वीं शताब्दी तक आते-आते अनुवाद का कार्य क्षेत्र और विस्तृत हो गया। सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अब अनुवादक की महत्त्वपूर्ण भूमिका बन गयी। 'ट्रांसलेटर', 'इन्टरप्रेटर' जैसे पदों का अवतरण हुआ।

अब जरा मनोरंजन (गैर-सरकारी क्षेत्र) की दुनिया का अवलोकन किया जाए। अनुवाद के कारण ही हम शेक्सपियर के नाटक कई भाषाओं में पाते हैं, और आनंद भी खूब लेते हैं। इसी प्रकार काव्य ग्रंथों का आनंद भी खूब लेते हैं।

अब हम अपने आलोच्य विषय सिनेमा पर आते हैं। सिनेमा के अनुवाद को अनुवाद न कहकर 'डब' कहा जाता है। पर होता यह भी एक प्रकार का अनुवाद ही है। डबिंग पर बात करने से पहले 'डबिंग' शब्द की परिभाषा और अर्थों पर बात होनी चाहिए।

Dubbing (अंग्रेजी शब्दकोशों में)

1. The replacement of a soundtrack in One language by One in another language.
2. The combination of several sound tracks into a single track.
3. The addition of a sound track to a film or broadcast.

American English

1. The Act or process of furnishing a film or tape with a new sound track or adding music, sound effects etc. to an existing one.

(Review of a film in Sunday Times)

"Very little dubbing was used in the film, with only a couple of lines modified in post-production."

हिन्दी में अर्थ समझने की कोशिश करते हैं:-

"किसी फिल्म या रेडियो या टेलीविजन प्रोडक्शन में (ध्वनि प्रभाव या नया संवाद) जोड़ने की प्रक्रिया को 'डबिंग' कहते हैं।

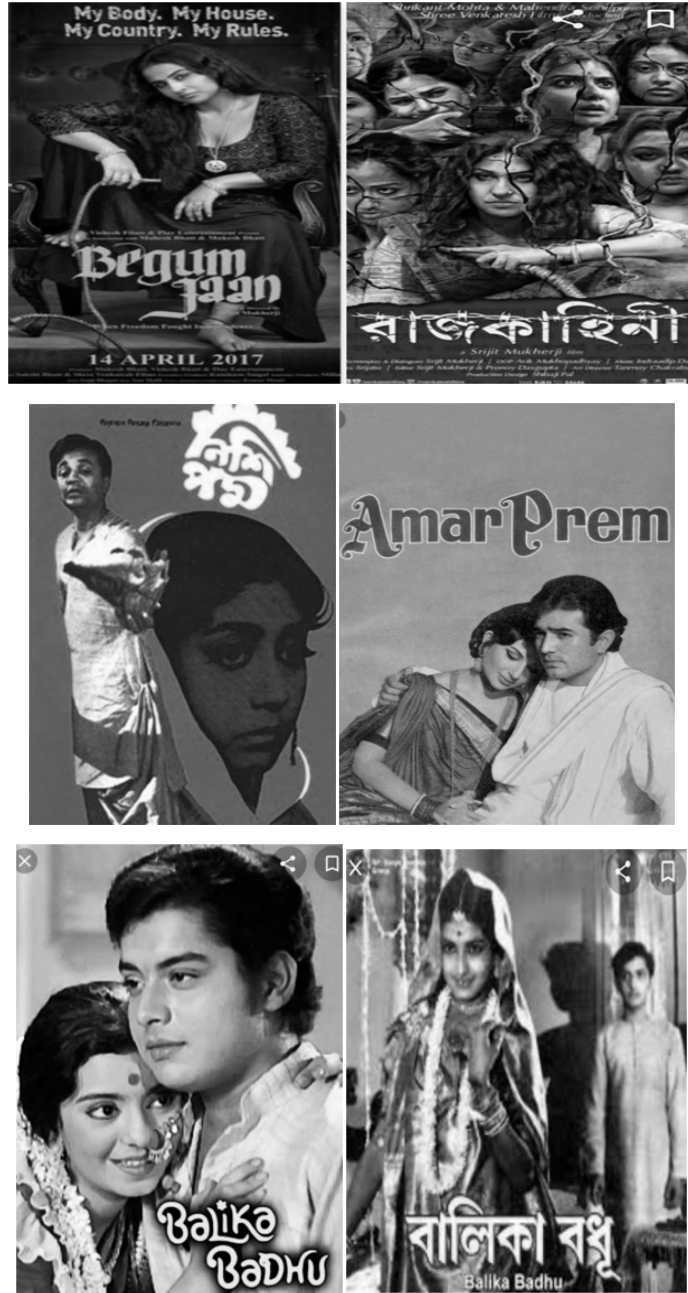
'सिनेमा' में अनुवाद यानि 'डबिंग' मुख्यतः दो रूपों में पाते हैं, प्रथम 'कृति अनुवाद' जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तान्त, डायरी लेखन आदि का फिल्मांकन। तुलसीदास (रामानंद सागर का रामायण), सूरदास (रामानंद सागर का श्रीकृष्ण) शरतचंद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि महान लेखकों को इस श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार के अनुवाद के लिए हमें (अनुवादक को) 'ट्रांसलेटर' की परिधि से बाहर जाना होगा। मात्र 'ट्रांसलेटर' (भाषानुवाद या शब्दानुवाद) की दुनिया से फिल्मों को जीवित करना 'फिल्म' और मूल कृति के साथ अन्याय होगा। इसको हम 'अनुवादक' की जगह 'साहित्यिक अनुवादक'

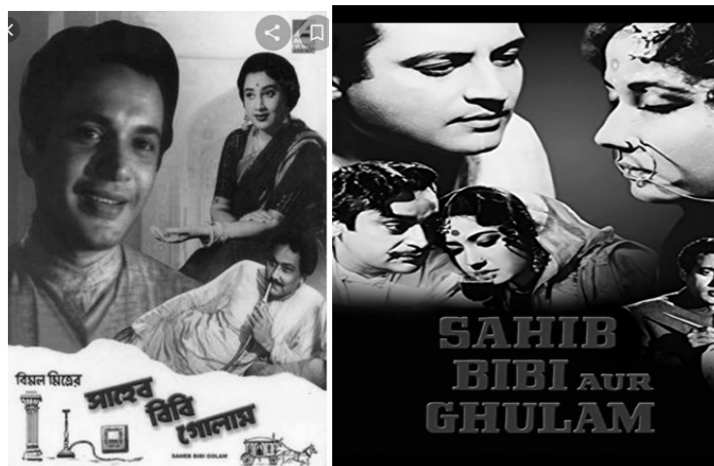
की दुनिया से देखें तो थोड़ा न्याय अवश्य कर पायेंगे। अर्थात् मैं अनुवादक और 'साहित्यिक अनुवाद' को पृथक मान रहा हूँ। क्योंकि एक का संबंध शाब्दिक ज्ञान से है तो दूसरे का भावनात्मक अनुभव से।

कहना न होगा कि शाब्दिक व्याख्या से भावनात्मक अनुभूति का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होता है। 'कृति अनुवादक' को शब्दों के साथ-साथ 'देशकाल', 'वातावरण', 'चरित्र' इत्यादि तत्वों के ज्ञान के साथ-साथ अद्भुत काल्पनिक शक्ति में भी महारत हासिल होनी चाहिए। क्योंकि 'फिल्मांकन' तक आते-आते फिल्मों की एक आवश्यक तत्व कौतुहल को बनाए रखने के लिए डबकार को काल्पनिक शक्ति का भी दुर्लभ परिचय देना होता है। खेद का विषय है कि हमारे पास 'डबकार' (कृति अनुवादक) का कोई अलग से पैरामीटर नहीं है।

अब डबिंग के दूसरे रूप यानि एक भाषा के फिल्म को दूसरे भाषा में डब करने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। यह भी एक प्रकार का 'अनुवाद' ही है। यहाँ अनुवादक से हर उपरोक्त लिखित विशेषता अपेक्षित है। फिल्मों में गीतकार, निर्देशक, पटकथा की ही तरह 'डब अदकार' भी बैक स्क्रीन का एक अहम हिस्सा होता है। फिल्मों में आने वाले भाव, क्रोध, हास्य, करुण, प्रेमादि अगर उसी भाव से प्रेषित नहीं किया गया तो यह मात्र भाषांतर रह जायेगा और फिल्मों में से कौतुहल एवं रसाभास का सर्वनाश हो जाएगा।

कभी-कभी एक भाषा की 'फिल्म' से प्रेरणा लेकर दूसरी भाषा में 'फिल्म' (सिनेमा) बनाया जाता है, ध्यान देने की बात है कि, यहाँ भी एक डबिंग हो रही है। यहाँ पात्र एवं चरित्र को ही डब अदाकार कह सकते हैं। यहाँ मैं बांग्ला फिल्म से प्रेरणा लेकर बनी हिन्दी फिल्मों की एक सूची दे रहा हूँ-





अतः यहाँ डबकार का क्षेत्र और जटिल हो जाता है। क्योंकि ऐसे में उन्हें मूल के नजदीक पहुँचने का चैलेंज होता है। उदाहरण के लिए 'गल्पो होलेओं शत्ती' सिनेमा में 'रबीघोष' नायक की भूमिका में थे, इसी सिनेमा से प्रेरणा लेकर हिन्दी में 'बावर्ची' फिल्म बनी जहाँ मुख्य भूमिका में 'राजेश खन्ना' थे।

दोनों फिल्म काफी चर्चीत रही। पर अधिक मेहनत राजेश खन्ना का रहा होगा क्योंकि, दर्शक उन्हें मूल सिनेमा जैसा ही आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से देखते हैं और ऐसे में मूल के नजदीक तक जाने का चैलेंज अदाकार के पास होता है। ठीक इसी तरह शरतचन्द्र के देवदास, चाहे वह दिलीप कुमार हो या शाहरुख खान दोनों को मूल के नजदीक जाने-पहुँचने का चैलेंज होता है। ऐसे फिल्मों में डबकार स्वयं पात्र होता है। यानि डबकार 'बैक स्क्रीन' में न होकर 'फ्रंट स्क्रीन' का हिस्सा बन जाता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डबिंग एक वृत्तुत फलक है। अनुवादक या इंटरप्रेटर की दुनिया से इतर इसका एक अलग दुनिया है। जहाँ देशकाल, वातावरण, चरित्र और ऐतिहासिकता का ज्ञान ही नहीं बोध भी होना चाहिए। हमें इसके लिए अलग दृष्टि एवं पैरामिटर निर्धारित करना होगा। इसके व्यावसयिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसके महत्त्व को समझना होगा।

संदर्भसूची

- 1) समय, सिनेमा और इतिहास-संजीव श्रीवास्तव
- 2) हिन्दी सिनेमा का इतिहास-मनमोहन चड्ढा
- 3) भारतीय सिनेमा का इतिहास-अनिल भार्गव
- 4) भारतीय सिनेमा-महेंद्र मिश्र
- 5) चलचित्र (बंगला)-जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
- 6) रवीन्द्रनाथ ओ चलचित्र-अरूण कुमार राँय

महिला विकास एवम् सशक्तिकरण में 'नाबार्ड' की भूमिका

डॉ० भारती यादव

एसोसिएट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, जे०एस० विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

श्री अमन गुप्ता

असिस्टेंट प्रोफेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, जे०एस० विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

सारांश: विकासशील समाज में विकास का एक आयाम आर्थिक अधिकारिता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। महिला विकास एवम् सशक्तिकरण का कार्य तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक संसाधनों में महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित नहीं की जाती। हमारे ग्रामीण जीवन की अनेक गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनमें महिलाएँ विशेषकर देशी ज्ञान की रक्षा एवं उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

मूल शब्द: सशक्तिकरण, संरक्षण, नाबार्ड

प्रस्तावना: विश्व की कुल गरीब जनसंख्या में 70 प्रतिशत महिलायें हैं तथा अशिक्षित आबादी में इनकी जनसंख्या 2/3 भाग है जबकि भारत वर्ष की कुल जनसंख्या में 50 प्रतिशत महिलायें हैं किन्तु श्रम-शक्ति में इनकी भागदारी 1/3 भाग है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के सपने को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि ऋण और वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार किया जाए ताकि महिलाओं को सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के तहत, समाज में उपलब्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक सभी संसाधनों का पुनर्वितरण इस ढंग से किया जाए कि इन पर महिलाओं की एक समान पहुँच एवं नियंत्रण बना रहे। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में भी महिलाओं की पहुँच बढ़ाने सम्बन्धी कार्यनीति के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता और स्थिति को ध्यान में रखते हुए लचीलेपन के साथ दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, निष्चय ही इससे महिलाओं में वित्तीय सुधारवादी सहयोग और प्रभावी क्षमता के निर्माण में सहायता मिलेगी। चूँकि नाबार्ड एक शीर्ष स्तरीय बैंक है। अतः यह अपनी बहुआयामी कार्यनीतियों के द्वारा स्त्री पुरुष असमानता के मुद्दों को परिलक्षित करते हुए अपनी ऋण योजनाओं और प्रोत्साहक कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है।

सशक्तिकरण से तात्पर्य:—किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।

महिलाओं के लिए नाबार्ड की पहल:-

नाबार्ड ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में कई प्रकार की कार्यनीतियाँ तैयार की हैं जिनके उद्देश्य निम्नानुसार हैं—

- बैंकिंग प्रणाली के जरिए प्रत्येक महिला उद्यमी को पुनर्वित्त देकर प्रोत्साहित करना।
- अलग-अलग अथवा सामूहिक कार्यकलाप तथा उद्यम विकास के लिए महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं के लिए जरूरी सेवाओं को सूचीबद्ध करना तथा जहाँ तक संभव हो उन्हें ऋण तथा उसमें जुड़ी अतिरिक्त सेवा प्रदान करना।
- ऋणों के फैलाव, लेन-देन लागतों में कमी करने तथा समय पर चुकाती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का उपयोग करना।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में महिला कक्षों की स्थापना, परिचयात्मक/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के आयोजन के लिए ऋण और सहायता सेवाएँ प्रदान करके संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।
- नाबार्ड के प्रधान कार्यालय, मुंबई में जुलाई 1992 से महिला कक्ष कार्यरत है और क्षेत्रीय कार्यालयों में महिलाओं के विकास हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गए हैं।

- नाबार्ड बैंकों, अशासकीय संगठनों तथा जिला स्तरीय अन्य कार्यसमितियों के लिए जेंडर सेसिटाइजेशन प्रोग्राम आयोजित करता है ताकि जागरूकता की प्रक्रिया से महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि की जा सके।

नाबार्ड द्वारा महिलाओं के विकास हेतु विशेष कार्य:-

नाबार्ड द्वारा महिलाओं के विकास हेतु चलाए जा रहे कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- इस योजना के अन्तर्गत नाबार्ड से प्रोत्साहन के तौर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा स्थापित महिला विकास कक्षों को सहायता प्रदान की जायेगी।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम एवं बैंक के स्टाफ हेतु जेंडर सेसिटाइजेशन कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पर किये गये व्यय एवं लागत शामिल हैं।
- बैंक के कुल ऋण प्रवाह में महिलाओं को दिये गये ऋण का स्तर कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिये।
- बैंक ने विकास कार्य योजना एवं सहमति ज्ञापन के अन्तर्गत संतोषजनक कार्य निष्पादन किया हो तथा उसे परिचालनगत लाभ की स्थिति प्राप्त हो गई हो।

महिलाओं के लिए सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने में आने वाली बाधाएँ:-

भारतीय ग्रामीण महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। इनमें उच्च प्रजनन दर, सम्पत्ति अधिकारों का अभाव, अशिक्षा, सामाजिक पक्षपात इत्यादि महत्वपूर्ण हैं जिनकी बजह से या तो वे छोटे व्यवसाय ही कर पाती हैं अथवा बहुत बारे वे छोटे व्यवसाय भी नहीं कर पाती हैं। वे बैंकों की परम्परागत बैंक योग्य ग्राहक की परिभाषा के अनुकूल नहीं कर पाती हैं। ग्रामीण गरीब महिलाओं की औपचारिक ऋण संस्थाओं तक पहुँच में आने वाली प्रमुख बाधाओं की जानकारी नीचे दी जा रही है:-

- महिला उधारकर्ताओं की पहचान करने में जो सामान्यतः बैंकों में नहीं आती, सीधे बातचीत करने में कठिनाई।
- गतिशीलता शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण का अभाव।
- भारी-भरकम, समय खपने वाले प्रलेखन और प्रक्रियाएँ।
- बैंकों के शाखा प्रबन्धकों और अधिकारियों का शहरों के प्रति रुझान।
- बैंकों की सेवा क्षेत्र ऋण योजनाओं में जेडर योजना का अभाव।

निष्कर्ष-

अन्त में यह कहा जा सकता है कि किसी भी विकासशील समाज में विकास का एक आयाम आर्थिक अधिकारिता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। महिला विकास एवं सशक्तिकरण का कार्य तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक संसाधनों में महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित नहीं की जाती।

महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्रों में पांव रखने के लिए महिला स्टार्ट-अप महत्वपूर्ण है। अब महिलाओं ने पूरी ऊर्जा के साथ उद्यमिता के क्षेत्रों में पांव जमाए हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, महिला उद्यमी 2030 तक लगभग 150-170 मिलियन नौकरियाँ पैदा करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से शुरू से ही उद्यमिता के बीज बोने का सार्थक प्रयास शुरू हो चुका है।

हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल-2022, बर्मिंघम, इंग्लैण्ड में आयोजित हुये, जिसमें स्वर्ण पदक-पी.वी. सिंधू (बैडमिंटन), निखत जरीन (बॉक्सिंग), वीनेष फोगाट (रेसलर) आदि को मिले। यह सिर्फ खेल में नहीं बल्कि सभी जगह लड़कियाँ, लड़कों से बेहतर कर रही हैं।

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के पहले भाग में ही केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6-12 सितम्बर के बीच केवल एक सप्ताह में 2614 स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को सामुदायिक उद्यम निधि का आठ करोड़ 60 लाख ऋण प्रदान किया है।

सर्वविदित है कि परम्परागत इकाईयाँ, लघु स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा, बीज संरक्षण, ऊर्जा प्रबन्धक आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिसका संचालन महिलाएं सफलता से करती आ रही हैं। नाबार्ड को महिलाओं की इस परम्परागत भूमिका को नया आयाम देने और आधुनिक विकास एवं तकनीक से उन्हें अधिक लाभ पाने योग्य बनाने के प्रयास करने होंगे। तकनीकी एवं चिकित्सा क्षेत्र में कार्य/अध्ययन कर रही महिलाओं को आर्थिक/सहायता/छात्रवृत्ति प्रदान कर महिला विकास के लिए ठोस प्रयास नाबार्ड को करने की जरूरत है ताकि महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न बन सकें। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृतकाल' इन्हें समर्पित हो।

संदर्भ-

1. कॉमनवेल्थ गेम्स रिपोर्ट-2022।
2. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण-सीमा सिंह
3. नारी शक्ति को वन्दन-नरेन्द्र मोदी।
4. शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य-अरूणा यादव।
5. भारत में महिला सशक्तिकरण-डॉ. खरे।
6. इंडियन हामून रिपोर्ट।

आत्म निर्भर भारत के विविध आयाम: आवश्यकताएँ, चुनौतियाँ एवं समाधान के सन्दर्भ में सामाजिक समायोजन

इन्दु कुमार तिवारी

(शोध छात्र), एम0ए0 (अर्थशास्त्र, गणित), एम0एड0, नेट (शिक्षाशास्त्र), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

आधुनिक काल में किसी भी देश के विकास के लिए आत्मनिर्भरता का होना आवश्यक है, जो देश आत्मनिर्भर नहीं है उनका विकास कम स्तर पर रहा है इसी कारण भारत देश के विकास के लिए आत्मनिर्भरता अभियान की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर का अर्थ किसी अन्य पर निर्भर न होते हुए खुद पर निर्भर होकर वस्तु का निर्माण अपने देश में करना आत्मनिर्भर भारत कहलाता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है। भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत की आत्मनिर्भरता है। इस प्रकार आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वयं को अपने बल पर खड़ा होना होता है और ऐसा करने वाला देश विकसित देश कहलाता है। इस पर हमारी भारतीय सरकार अनेक प्रयास कर रही है आगामी भविष्य में हमारा देश विकसित देशों में श्रेष्ठ देश होगा।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ना होगा। कोई भी देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा के मुख्य पहलू से सभी व्यक्तियों को न जोड़ा जाय। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाँधी जी की शिक्षा प्रणाली आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करती है। गाँधी जी शिक्षा के माध्यम से भारत को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत का ये सपना आज का नहीं है वरन् हमारे देश के महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का सपना था कि हमारा देश खुद अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करे और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे ये सपना वर्तमान में पूर्ण होता नजर आ रहा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ टैगोर जी भी भारत को शिक्षा में आत्मनिर्भरता के करीब लाने की भूमिका थी। एम0एस0 स्वामीनाथन लिखते हैं कि उनकी युवावस्था में “1930 के दशक के भारत में अधिकांश अन्य लोगों की तरह आदर्श और राष्ट्रवाद का दौर था। युवा और बड़ों ने एक स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साझा किया। जिसमें पूर्ण स्वराज और स्वदेशी आत्मनिर्भरता हमारे लक्ष्य थे।” भारतके योजना आयोग द्वारा सन 1951 से सन् 2014 तक प्रकाशित पंचवर्षीय योजनाएँ हैं जिसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य शामिल किया गया था।

आत्मनिर्भरता का सम्बन्ध यह नहीं होता कि हर विदेशों से आने वाले सामान पर रोक लगा दी जाये या जबरदस्ती रूप से आयात बन्द कर दी जाय। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हर वस्तु के निर्माण में भारत हो तथा वे वस्तुएं इतनी सस्ती हो कि लोग विदेशी वस्तुओं को खरीदना ही बन्द कर दें तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी वस्तुओं को अपनाये। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में कार्य करेगा क्योंकि कोई भी कार्य को बाध्य करके नहीं करवाया जा सकता है और ऐसा तब होगा जब स्वदेशी वस्तुओं के दाम विदेशी वस्तुओं से कम होंगे।

इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत के विविध आयामों में सामाजिक समायोजन की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाये और स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण में सहयोग दें। यह तभी हो सकता है जब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती से पकड़ा जाय और हर व्यक्ति को शिक्षित एवं स्वावलम्बी बनाया जाय। शिक्षा एक ऐसी धुरी है जिसके माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है जिसके योगदान में शिक्षक और समाज की मुख्य भूमिका रहती है। अपने देश की वस्तुओं का चुनाव हमारा समाज तभी करेगा जब वह वस्तु अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती और आवश्यकता के अनुकूल होगी।

आधुनिक समाज दिन-प्रतिदिन जटिल से जटिलतम होता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ एवं आकांक्षाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में विज्ञान के प्रति बढ़ते रुझान, भौतिकवादी प्रवृत्ति, तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता, सरल व सुखी जीवन जीने की कामना, आर्थिक सुदृढ़ता की आकांक्षा, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में सफलता की इच्छा, सुख-सुविधाओं एवं अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महात्वाकांक्षा, परिवार के लोगों की बालक से अपेक्षाएँ, बदलते सामाजिक एवं पारिस्थितिक वातावरण, पाठ्यक्रमों का बढ़ता बोझ जैसे कारकों के कारण बालक समाज में स्वयं को समायोजित करने में कठिनाई महसूस कर रहा है जिसके कारण बालक में बौद्धिक चिन्तन में ह्रास, मानसिक द्वंद, मूल्यों के निर्माण में स्वतंत्रता का अभाव, आकांक्षा-महात्वाकांक्षा को पूरा न कर पाने, तात्कालिक लाभकारी परिणामों को प्राप्त करने की लालसा तथा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने की स्थिति में स्वयं को सामाजिक रूप से समायोजन करने में अधिकांश बालक असमर्थ महसूस करते हैं जिसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

सामाजिक समायोजन अनुकूलन की वह दशा है जो मानसिक तनावों से मुक्ति प्रदान कर सामाजिक परिस्थितियों से समन्वय करने में सहायता करता है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से सम्बन्धित परिस्थितियों में सन्तुलन बनाये रखता है। सामाजिक कल्याण में योगदान की इच्छा से भारत आत्मनिर्भर और प्रभावी हो सकता है। निजी और सरकारी स्कूलों में छात्रों को अपने घरों में सहायक वातावरण जैसे-गृह संघर्ष, नैतिक, धार्मिक और मनोरंजन, सांस्कृतिक अभिविन्यास आदि चरों का सामाजिक समायोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि भारत के वासियों में विभिन्न प्रकार के मूल्यों, आदर्शों को विकसित किया जाये तो वे सामाजिक रूप से समायोजित हो सकेंगे तदुपरान्त समाज में उच्च सामाजिक समायोजन स्थापित कर सकेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।

आत्मनिर्भर भारत में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षित करना सबसे बड़ी सेवा है इसलिए शिक्षक ही एक अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माता है। उसी के आधार पर एक राष्ट्र की सफलताओं के ऊँचाईयों को मापा जा सकता है। एक शिक्षक के बिना विद्यालय या समाज ऐसे हैं जैसे आत्मा के बिना शरीर, हड्डियों व खून के बिना एक कंकाल, आकृति के बिना छाया।

भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष की आयु तक के छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी और संविधान में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक और शताब्दी विकास सफलता में सुधार किया जायेगा परन्तु पिछले तीन वर्षों में विद्यालयों में छात्रों की कमी आयी है लगभग तीन करोड़ 50 लाख बच्चे 6 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक अभी भी विद्यालय में नहीं जाते हैं। इस आश्चर्य जनक तथ्यों के पीछे मुख्य कारण यह है कि समाज में रहने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े व विशेष अधिकारों वाले व्यक्ति शैक्षिक सुविधाओं में अभी भी वंचित है। इस समस्याओं पर ध्यान देते हुए हमारी सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। तभी हमारा देश आत्म निर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ पायेगा।

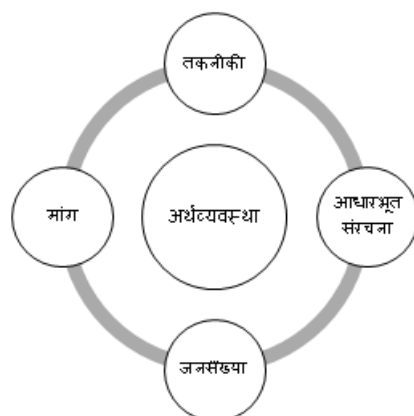
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना बनायी गयी और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के द्वारा 12 मई 2022में प्रारम्भ की गई जो कि मेक इन इंडिया के समक्ष है। जिसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि करना तथा विदेशी वस्तुओं का आयात कम करना है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है जिसे समाप्त करने का अच्छा मौका यह है कि यदि हम सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण देश में ही कर लें जिससे सभी रोजगारपरक भी होंगे और विदेशी माल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा लोग बेरोजगार भी नहीं रहेंगे।

कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में एक वर्ष से अधिक अवधि तक लाकडाउन लगा दिया गया। जिसके कारण हमारे देश में वित्तीय कमी होने के कारण देश पर आर्थिक संकट छा गया। इस संकट से बचने के लिए हमारे देश की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना प्रारम्भ की। हमारे विशाल देश को आत्मनिर्भर बनाना आसान काम नहीं है इसलिए भारतीय सरकार ने इसे अलग-अलग अभियानों में बांट दिया जो कि निम्नवत् है-

1. आत्मनिर्भर भारत अभियान (1.0)।
2. आत्मनिर्भर भारत अभियान (2.0)।
3. आत्मनिर्भर भारत अभियान (3.0)।

जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान (1.0) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और आत्मनिर्भर भारत अभियान (2.0) तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान (3.0) जो अभी प्रगति पर है।

आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख पांच स्तम्भ निम्न है-



1. जिसमें सभी नागरिकों को रोजगार मिले और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण हो तो ये कार्य अर्थव्यवस्था की सहायता से की जा सकती है।
2. हमें तकनीकी का सहारा लेकर ऐसे संसाधनों को बनाने की जरूरत है जिससे किसी भी वस्तु का निर्माण किया जा सके और किसी अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े।
3. हमारे देश में आधारभूत संरचना में मजबूती लाना होगा जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायता मिल सके।
4. हमारे देश में कच्चे माल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, कच्चे माल के बिना वस्तुओं का निर्माण सम्भव नहीं है इसी कारण कच्चे माल का निर्माण जरूरी है।

5. आज हमारे देश की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है जो कि देश की आर्थिक विकास में बाधा बन रही है। भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण की योजनाएं संचालित किये जायें और जो बेरोजगार हैं उनसे कच्चे माल और वस्तुओं का निर्माण शुरू करवाया जाये तो यही जनसंख्या देश के विकास का कारण भी बन सकती है।

आत्मनिर्भर भारत बनने के लाभ-

आत्म निर्भर भारत को कई तरह के लाभ होंगे जो भारत को एक नई पहचान दिलाने में मदद करेंगे जिसे निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है-

- आत्मनिर्भर भारत से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आयात अन्य पड़ोसी देशों से नहीं करना पड़ेगा और भारत स्वयं ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा।
- भारत के आत्मनिर्भर बनने से भारत में कई तरह की वस्तुओं का निर्माण होगा और भारत में उद्योग भी बढ़ेंगे। भारत उन वस्तुओं को विदेश में भी भेज सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- आत्मनिर्भर से भारत देशी और उद्योग बढ़ेंगे जिससे भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश के कुशल और सक्षम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे देश के आर्थिक स्तर मजबूत होंगे।
- देश में आत्मनिर्भरता से उद्योगों के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे देश में गरीबी भी कम होगी, व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत सबसे अधिक निजी उद्योगों को खोला जाये तथा विदेशी माल को बन्द किया जाये जिससे बाजारों में निजी उद्योगों की मांग बढ़े और भारतीय नागरिक कच्चे माल को वस्तु का रूप देकर आमदनी कमाएं और भारत आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हो सके। भारत के आत्मनिर्भरता से देश का प्रत्येक व्यक्ति समाज में व्यवस्थित रूप से जीवन जीने में समायोजित भी हो सकता है।

सन्दर्भ-

1. एजुकेशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेन्ट, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, नई दिल्ली, 1966।
2. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया-मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, नई दिल्ली, रिपोर्ट आफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948।
3. Pandey Naveen Kumar, 12 May 2022 आत्मनिर्भर भारत अभियान।
4. Sarukkai, Sundar (2 November 2020) "Self-reliant India : Self of a nation or a national self?"
5. Shrivastava Aseem, 1 October 2019, "Gandhi at 150 : He believed in natural self-rule."
6. Sarkar, Shankhyaneel, 19 Feb, 2021, "How education policy will pave path for Atmanirbhar Bharat : PM Modi."
7. Gopal Krishna Gita (2002), M.S. Swaminathan. One Man's quest for a Hungar-free world.
8. Misra, Udit (17 August 2020) "Explain speaking on economy Atmanirbhar Bharat; A brief and not-so-Affectionate history."
9. Jalan, Bimal (1972), "A policy frame for self-reliance."
10. Singh, Ajay (25 अक्टूबर 2021) "रक्षा क्षेत्र में शीर्ष देशों में भारत को लाने का लक्ष्य राजनाथ सिंह"
11. Krishna, Daya
12. Joshi, Shareen; Muchhal Siddharth Brennan, Connor, Pradhan, Ria; yang Joyce (फरवरी 2021) "Atmanirbhar Bharat"- Economic crises and self-Reliance in the covid-19 Pandemic."

मधुबनी जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अध्ययन

सुशील कुमार राय

शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

परिचय

भारत में छात्र अपने विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इस स्थानान्तरण में उन्हें नए जीवन के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार भी एक है। स्थानान्तरण की इस स्तर में छात्रों का व्यवहार भी पिछले स्तरों के व्यवहार से अलग होता है, इसकी वजह महाविद्यालय वातावरण होता है।

महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण कभी-कभी छात्रों पर इतना दबाव डालता है, कि उन्हें अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान छात्र इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अंदर जूनून भी विकसित कर लेता है। विद्यालय और महाविद्यालय छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जहां शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं।

(Mastha-Coat Worth 1998) के अनुसार-महाविद्यालय के जिंदगी छात्रों की दरअसल एक तरह से प्लेटफार्म की तरह है, जहां व्यस्क और सामाजिक जागरूकता प्राप्त करते हैं। और अपनी जीवन जिंदगी में आने वाले विभिन्न चरणों को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है।

(Gander 1993) एक दूसरे अहम उद्देश्य को देखते हैं जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, उनका कहना है, कि एक बच्चे की भावनात्मक जीवन उसके आने वाले जिंदगी को प्रभावित करता है।

(Katyal-Awasthi 2005) भावनात्मक बुद्धि के बारे में दलील देते हैं, कि ये खास महत्व के लायक हैं, क्योंकि लोग इसका उपयोग अपनी भावनाओं को समझने के लिए करते हैं। वह इनका उपयोग घर, विद्यालय और दूसरी कामों में भी करते हैं। भावनात्मक बुद्धि अपने अंदर व्यापक स्तर अर्थ रखती है, जिनके अंदर बहुत सी कौशल और प्रकृति व्यक्तिगत दूर पर पाई जाती है। Soft Skill और Inter Personal Skill भी कहते हैं ये Soft Skill विभिन्न इलाकों में विशिष्ट ज्ञान, समान बुद्धि, तकनीक और पेशेवर कौशल इत्यादि से आगे की कौशल है।

Inter Personal Skill व्यक्ति की वह प्रतिक्रिया है जो उसे दूसरों के भावनाओं को समझने के साथ-साथ दूसरे लोगों से संबंध भी बनाए रखने में मदद करती है।

(Daniel Goleman 1998 P375) भावनात्मक बुद्धि से तात्पर्य वह प्रतिभा है, जो हमें अपने और दूसरों के भावनाओं को पहचानने के आलावा उन्हें संतुलित में उपयोग करने और उन पर काबू प्राप्त करने में सहायक होती है।

सामाजिक व्यवहार (Social Behavior)

जीवन के विभिन्न चरणों तक पहुँचने के साथ-साथ सामाजिक व्यवहार लगातार बदलता रहता है। व्यवहार का विकास किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे जैविक और संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह मनुष्यों में सामाजिक व्यवहार विकास के सामान्य पैटर्न बनाता है। जिस प्रकार सामाजिक व्यवहार स्थिति और व्यक्ति की विशेषताओं दोनों से प्रभावित होता है, व्यवहार का विकास दोनों के संयोजन के कारण होता है-बच्चे के स्वभाव के साथ-साथ वे जिन सेटिंग्स से अवगत होते हैं।

संस्कृति (माता-पिता और व्यक्ति जो बच्चों में समाजीकरण को प्रभावित करते हैं बच्चे के सामाजिक व्यवहार के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि माता-पिता या देखभाल करने वाले आमतौर पर वे होते हैं जो बच्चे के सामने आने वाली सेटिंग्स और स्थितियों को तय करते हैं। बच्चे को इन विभिन्न सेटिंग्स में रखा जाता है (उदाहरण के लिए, खेल का मैदान और कक्षा) बातचीत और व्यवहार की आदतों को इतना अधिक बनाता है कि बच्चे को कुछ सेटिंग्स से दूसरों की तुलना में अधिक बार उजागर किया जाता है। सेटिंग के प्रभाव में जो विशेष प्राथमिकता लेता है, वे लोग हैं कि बच्चे को अपनी उम्र, लिंग और कभी-कभी संस्कृति के साथ बातचीत करनी चाहिए।

सामाजिक व्यवहार के विकास में भावनाएं भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके से जुड़ी होती हैं। सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न मौखिक और अशाब्दिक प्रदर्शनों के माध्यम से भावना को समझा जाता है, और इस प्रकार संचार में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मस्तिष्क और अंतर्निहित भावनाओं में होने वाली कई प्रक्रियाएं अक्सर सामाजिक व्यवहार के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के साथ बहुत अधिक सहसंबद्ध होती हैं। बातचीत का एक प्रमुख पहलू यह समझना है कि दूसरा व्यक्ति कैसा सोचता है और महसूस करता है, और भावनात्मक अवस्थाओं का पता लगाने में सक्षम होना व्यक्तियों के लिए एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और सामाजिक रूप से व्यवहार करने के लिए आवश्यक हो जाता है।

जैसे-जैसे बच्चा सामाजिक जानकारी प्राप्त करना जारी रखता है, उसका व्यवहार उसके अनुसार विकसित होता है। किसी को यह सीखना चाहिए कि एक निश्चित सेटिंग से संबंधित लोगों और बातचीत के अनुसार कैसे व्यवहार किया जाए, और इसलिए स्थिति के आधार पर सामाजिक संपर्क के उचित रूप को सहज रूप से जानना शुरू करें। इसलिए, आवश्यकतानुसार व्यवहार लगातार बदल रहा है, और परिपक्वता इसे आगे लाती है। एक बच्चे को अपनी इच्छाओं को उन लोगों के साथ संतुलित करना सीखना चाहिए जिनके साथ वे बातचीत करते हैं, और प्रासंगिक संकेतों का सही ढंग से जवाब देने और किसी अन्य व्यक्ति के इरादों और इच्छाओं को समझने की यह क्षमता उम्र के साथ बेहतर होती है। कहा जा रहा है कि, बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताएं (उनका स्वभाव) यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवहार और उन्हें दिए गए संकेतों को कैसे सीखता है, और यह सीखने की क्षमता सभी बच्चों में सुसंगत नहीं है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)

भावनाओं को महसूस करने, उनका उपयोग करने, किसी से संवाद करने, किसी को पहचानने, कुछ याद रखने, किसी का वर्णन करने, कुछ सीखने, प्रबंधन करने, सोचने-समझने और समझाने के सामर्थ्य को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता (मस्तिष्कपदसंज्ञा पदजमससपहमदबम) अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे व्यक्तिगत, व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर सकती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पारस्परिक विचारधारा की समझ को बढ़ाने के लिए बुद्धि, सहानुभूति और भावनाओं से जुड़ने की क्षमताओं को दर्शाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनात्मक जागरूकता जैसे भावनाओं का दोहन करने, सोचने, समस्या का हल करने की क्षमता और भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता शामिल होती है, जिसमें आपकी अपनी भावनाओं को विनियमित करना और अन्य लोगों को खुश करना या शांत करना भी शामिल होता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग

भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे पांच मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे-आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल।

आत्म-जागरूकता (Self Awareness) का मतलब है अपने वर्तमान समय की पूरी समझ होना और इस तरह की समझ का उचित आधार होना। आत्म-जागरूकता का अर्थ यह भी है कि आप किसी भी विशेष समय पर अपने मन में चल रही हर एक भावना को जानते हैं। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग ईर्ष्या और क्रोध से अच्छे से निपटना जानते हैं और कुछ करने से पहले अच्छी तरह सोचते हैं।

आत्म-नियमन (Self Regulation) का मतलब है हर सकारात्मक व नकारात्मक भावना की पहचान करना और यह महसूस करने में सक्षम होना कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा, इसका मतलब यह भी है कि आपको पता होना चाहिए कि अपनी भावना को कैसे नियंत्रित किया जाए।

प्रेरणा या मोटिवेशन (Inspiration OR Motivation) एक प्रमुख नेतृत्व कौशल होता है और एक अच्छे लीडर को यह पता होता है कि अपनी टीम या परिवार में लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए। ऐसे लोग अपनी भावनाओं के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में भी अच्छे से जानते हैं।

सहानुभूति (Empathy) का मतलब यह समझना होता है कि किसी व्यक्ति या कोई ग्रुप इस समय कैसा व क्या महसूस कर रहा है। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग, संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं और यह जानते हैं कि किस को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है। भावुक लोगों में अपने घर, समाज और काम पर संबंधों को प्रबंधित करने का उत्कृष्ट कौशल रखते हैं। इसके अलावा, वे तुरंत किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय नहीं बनाते हैं।

सामाजिक कौशल (Social Skill) अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी होता है और बुनियादी अस्तित्व के लिए सभी को सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है, अच्छा सामाजिक कौशल रखने वाले लोग स्वार्थी होने के बजाय सबके भले के बारे में सोचते हैं।

अध्ययन का लक्ष्य (Study Goals)

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के प्रभाव का पता लगाना।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (Boys) के भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के प्रभाव का पता लगाना।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (Girls) के भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के प्रभाव का पता लगाना।
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान छात्रों के भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के प्रभाव का पता लगाना।

विषय पर पहले से किए गए कार्य की समीक्षा (Review Of WorkAlready Done On The Topic)

1920 थार्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के प्रकारों पर विचार करते हुए सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल इंटेलिजेंस की धारणा दी जिसका अर्थ है सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए उचित विकल्प चुनने की क्षमता।

वर्तमान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत इस विशेषता को भी शामिल किया जाता है। 1940 में डेविड वेसलर ने लिखा कि व्यक्ति की सफलताओं में सिर्फ बौद्धिक पक्ष शामिल नहीं है बल्कि भावनात्मक पक्षों को महत्व दिए जाने की भी जरूरत है। 1950 के दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य के भावनात्मक पक्षों को महत्व को रेखांकित किया। 1983 में हावर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धिमत्ता सिद्धांत (Theory of Multiple Intelligences) प्रतिपादित किया जिसमें बुद्धिमत्ता के 8 में से 2 प्रकार ऐसे थे, जिनका गहरा संबंध भावनात्मक बुद्धिमत्ता माना जाता है। पहला था अंतरव्यक्तित्व बुद्धिमत्ता जिसके अंतर्गत दूसरों के इरादों, मनः स्थितियों, अनुभूतियों, स्वभावों, इच्छाओं तथा प्रेरणाओं को समझना।

अध्ययन का ओचित्य एवं महत्व (Rationale and Importance of Study)

1. पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के कुछ रूप तो शैशवावस्था में सीखे गए व्यवहार के अवशेष होते हैं, परंतु व्यवहार, जो सफल आयोजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं इसी समय प्रकट होते हैं, और विकसित होने लगते हैं। बाल्यावस्था के आरंभिक वर्षों में वे इतनी अच्छी तरह तो विकसित नहीं होते हैं। तथापि या समय इन व्यवहारों के विकास का निर्णायक काल होता है, क्योंकि इस काल में आधारभूत सामाजिक व्यवहारों के रूप निर्धारित होते हैं (फ्रीमैन, 1993) तीन वर्ष से कम के बच्चों की सामाजिक अंतः क्रिया निम्न स्तर की होती है, तत्पश्चात सामाजिक अंतः क्रिया में तीव्रता से वृद्धि होती है। बालक में विकसित सामाजिक व्यवहार का स्वरूप और परिणाम (जैसे बालक में प्रभुत्व का विकास, नेतृत्व के गुण, अधीनता, अज्ञापालन का गुण या अनुपालन की संस्थिति एवं मात्रा) बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसका परिवेश कैसा है? और बालक का लोगों के साथ संबंध कैसा है? रेयान (1949) ने विकासशील सामाजिक व्यवहारों का
2. अन्वेषणात्मक अध्ययन किया तथा परिणामों में पाया कि :स्कूल पूर्व आयु में जो सामाजिक अभिवृत्तियाँ निर्मित हो चुकी होती है वे थोड़े से सुधार और परिवर्तन के साथ आगे भी बनी रहती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) को अक्सर भावनाओं को देखने, उपयोग करने, समझने और प्रतिबन्धित करने की क्षमता के स्वरूप में परिभाषित किया जाता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान सकते हैं, सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनाओं भावनात्मक जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न भावनाओं के बीच अंतर कर सकते हैं और उन्हें उचित रूप से लेवल कर सकते हैं, और भावनाओं को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए समायोजित कर सकते हैं। हालांकि यह शब्द पहली बार 1964 में सामने आया, इसे विज्ञान पत्रकार डेनियल गोलमैन द्वारा लिखित (1995) की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में लोकप्रियता मिली। गोलमैन ने ईआई को कौशल और विशेषताओं की सारणी के रूप में परिभाषित किया जो नेतृत्व प्रदर्शन को संचालित करते हैं।

उद्देश्य (The Objectives) समान उद्देश्य (General Objective) उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव का पता लगाना।

उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव का पता लगाना। उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों गर्ल्स के सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव का पता लगाना उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान छात्रों के सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव का पता लगाना।

वर्तमान कार्य और प्रारंभिक परिणाम (Current work and preliminary results) सम्बंधित साहित्यों के पुनरवलोकन करने के वर्तमान परिपेक्ष्य से, यह पता चलता है की उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव के प्रयोग का शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव ओउर आज के इक्कसवीं शताब्दी मे आवश्यकता है।

कार्य योजना और निहितार्थ (Action plan and implication)

बिहार राज्य के मधुबनी जिला के जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्र एवं छात्राओं का सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभाव का सार्थक अंतर का पता लगाना है।

प्रस्तावित शोधकार्य की आवश्यकता (Need for proposed research) इस अध्ययन के निष्कर्ष से छात्रों के भावनात्मक व्यवहारों और सामाजिक आचरण को समझने में आसानी होगी जब वह माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं कक्षा के प्रारंभिक अनुभव के दबाव की वजह से कभी-कभी छात्र अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ छात्रों का अध्ययन से शौक खत्म हो जाता है। इस वजह से इनके अंदर गैर सामाजिक आचरण में वृद्धि होने लगता है इस अध्ययन के निष्कर्ष से शिक्षक के लिए छात्रों के अस्वीकार समाज के व्यवहार को समझने में सहायक साबित होंगे जो नए शिक्षण वातावरण में जाहिर करता है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष के द्वारा प्राप्त जानकारी से हम जान सकते हैं कि किस तरह छात्र सामाजिक दबाव के खिलाफ अपने भावना को ज्यादा स्थिर बना सकते हैं, जब वह महाविद्यालय के नए शिक्षण वातावरण में प्रवेश करते हैं।

परिकल्पनाएं

उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (Boys) के सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव के बीच कोई संबंध नहीं है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (Girls) के सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव के बीच कोई संबंध नहीं है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान के छात्रों की सामाजिक व्यवहार पर भावनात्मक बुद्धि के प्रभाव के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

निष्कर्ष-

भारत में छात्र अपने विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इस स्थानान्तरण में उन्हें नए जीवन के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार भी एक है। स्थानान्तरण की इस स्तर में छात्रों का व्यवहार भी पिछले स्तरों के व्यवहार से अलग होता है, इसकी वजह महाविद्यालय वातावरण होता है। महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण कभी-कभी छात्रों पर इतना दबाव डालता है, कि उन्हें अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान छात्र इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अंदर जनून भी विकसित कर लेता है। विद्यालय और महाविद्यालय छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जहां शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। छात्रों के भावनात्मक व्यवहारों और सामाजिक आचरण को समझने में आसानी होगी जब वह माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं कक्षा के प्रारंभिक अनुभव के दबाव की वजह से कभी-कभी छात्र अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ छात्रों का अध्ययन से शौक खत्म हो जाता है। इस वजह से इनके अंदर गैर सामाजिक आचरण में वृद्धि होने लगता है इस अध्ययन के निष्कर्ष से शिक्षक के लिए छात्रों के अस्वीकार समाज के व्यवहार को समझने में सहायक साबित होंगे जो नए शिक्षण वातावरण में जाहिर करता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष के द्वारा प्राप्त जानकारी से हम जान सकते हैं कि किस तरह छात्र सामाजिक दबाव के खिलाफ अपने भावना को ज्यादा स्थिर बना सकते हैं, जब वह महाविद्यालय के नए शिक्षण वातावरण में प्रवेश करते हैं।

Reference-

1. एल्सेवियर। 'प्रयोगशाला चूहा-दूसरा संस्करण'। www.elsevier.com 2018-11-18 को लिया गया।
2. Dr.Khan.A.N&Hussain,S.M (2014),Aspects of Education Psychology >published by educationalbook house Aligadh Muslim Univiersity market Aligadh
3. Goleman'sdeniel Emotional intelligence:why it can matter more than iq (1995)
4. <http://shodhgana.inflibnet.ac.in>
5. <http://bitstream/10603/3995/1010-chapter%202.pdf>
6. [http://www.dictionary.reference.com/Educational Intelligence.](http://www.dictionary.reference.com/Educational%20Intelligence)
7. katoch Anupama: International journal of Behavioural Social and movement Sciences.
8. Rohr Betty(2005) thesis, Emotional Intelligence correlates vwith exercise attitudes.

नारी शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत

कल्पना शर्मा

Research Scholar, Department of Hindi, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur (Rajasthan)

सार:-नारी शिक्षा, नारी और शिक्षा को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी का काम करती है। ऋग्वेद काल से ही नारी को भी पुरुष के समान ही शिक्षा का अधिकार है क्योंकि किसी भी प्रगतिशील देश के लिए उस देश की नारियों का शिक्षित होना अत्यावश्यक है और यदि नारी अशिक्षित होगी तो अपनी सन्तान का कल्याण कैसे कर पायेगी। इसके विपरीत अगर वह शिक्षित होगी तो अपनी सन्तान को ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य अशिक्षित सदस्यों को भी शिक्षित कर परिवार व समाज में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में अपना योगदान दे पायेगी साथ ही समाज में सम्मान की पात्र भी होगी। आज शिक्षित महिला एक कुशल गृहणी के साथ कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, आई ए एस अफसर और सेना में उच्च पद पर आसीन है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं ने अपना परचम लहराया है जैसे हाल ही चन्द्रयान-2 के प्रक्षेपण की टीम का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया, ये सब नारियों की शिक्षा तथा लगन का ही परिणाम है जो उन्हें देश सेवा की अग्रणी पंक्ति में स्थान मिल रहा है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार “ एक पुरुष के शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अर्थ है अकेले उसी का उपयोगी बनना किन्तु एक स्त्री यदि शिक्षित, समझदार और सुयोग्य है तो समझना चाहिये कि पूरे परिवार के सुसंस्कृत बनने का सुदृढ़ आधार बन गया।” बदलते परिवेश में नारी ने शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों जैसे बाल मनोविज्ञान, घरेलू, पाक शास्त्र, घरेलू चिकित्सा, छायांकन, शरीर विज्ञान तथा गृह शिल्प के अतिरिक्त ललित कला-चित्रकला, नृत्य, संगीत, आदि में भी अपनी विशेषता प्रदर्शित की है और यह सब सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रोत्साहन देने से ही हो पाया है।

की-वर्ड:-नारी, शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस, आत्मनिर्भर भारत

प्रस्तावना : वर्तमान में देश में समुचित विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित नारी की हैं क्योंकि शिक्षा समाज के विकास की रीढ़ हैं। शिक्षित समाज की अनेक व्याधियों का उन्मूलन कर मानव जाति की रक्षा तथा उसकी प्रगति के लिये आवश्यक है। शिक्षित नारी के बिना किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पं. जवाहर लाल नेहरू-“एक बालक को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है जबकि एक बालिका को करना सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है।” अर्थात् नारी को शिक्षित, स्वावलम्बी, सम्मानित और सामर्थ्यवान बनाए बिना समाज और राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती हैं। शिक्षा के द्वारा नारी जीवन की बहुत सी समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, कुपोषण, यौन अत्याचार, घरेलू हिंसा आदि को दूर किया जा सकता है। देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति का आधे से अधिक भाग आज अज्ञान, निरक्षरता तथा अशिक्षा के अंधकार में भटक रहा है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे बालिकाएं समाज में अपनी सशक्त, समान एवं उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती हैं। शिक्षित बालिका न केवल स्वयं लाभान्वित होती है बल्कि उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती हैं। इसी कारण 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महिला समानता के लिए शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था। शिक्षा के महत्व के कारण ही भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु बनाए गए कार्यक्रमों के प्रभाव से कुल साक्षरता में वृद्धि हुई है। राजस्थान में सरकार के द्वारा इसके निवारण हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिनमें से प्रमुख हैं-

1. आपकी बेटा योजना
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका (आवासीय) विद्यालय
3. कस्तूरबा गाँधी एस टी डी आर योना
4. गार्गी पुरस्कार योजना
5. इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना
6. कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना
7. बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा
8. ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
9. निःशुल्क साईकिल वितरण योजना
10. माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
11. राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना
12. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

13. अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा
14. अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद
15. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
16. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना-सबला
17. बालिका खेल प्रतिभा पुरस्कार
18. एकल पुत्री योग्यता

उपरोक्त योजनाओं के अलावा भारतीय महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक और पहल नारी को शिक्षित करने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की है। केन्द्र सरकार ऐसा करके महिलाओं का उद्गम क्षेत्र में उतारना चाहती हैं ताकि उनके कौशल से भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिल सके। भारत में महिला शिक्षा से उनकी भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। “आत्मनिर्भर भारत” अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। इसी के परिणामस्वरूप आज मुद्रा योजना की लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। देश में पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। नारी को सशक्त बनाने के लिये मोदी सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ घर बैठे महिलाओं को मिल रहा है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज में शिक्षित नारी को आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार का ये कदम महिलाओं को हौसला देता है ताकि वे अपने हक के लिए लड़ सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यमिता क्षेत्र में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 9 अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए पूंजी एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यवसाय में पूंजी की समस्या को देखते हुए सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिससे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के हर क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ेगी। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं बिना किसी गारंटी के 2.5 लाख तक का लोन लेकर अपना स्वयं का कोई व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं। ऐसे कई बैंक उपलब्ध हैं जो महिला उद्यमियों को उनका उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराती हैं। आज के दौर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों की चार दीवारों से निकलकर उद्यमिता क्षेत्र में शामिल होना चाहती हैं और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। आज के समय में सरकार पुरुष उद्यमी की बराबरी में महिलाओं को भी समान रूप से रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। सरकार द्वारा दिए गए इन अवसरों का फायदा उठाते हुए महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपने प्रयासों से ऊँचा मुकाम हासिल कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं पर जब नारी सार नहीं होती तो वह इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती और जीवन में आगे नहीं बढ़ पायेगी। नारी शिक्षा, एवं आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं-

1. **अन्नपूर्णा योजना**-यह योजना उन महिलाओं के लिए शुरू की गयी है जो पैक भोजन, स्नेक्स आदि खाद्य सामानों का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के अंतर्गत जो लोन की राशि दी जाती है उसका उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में व्यवसाय में जरूरत पड़ने वाली पैकेजिंग बॉक्सेस, बर्तन, टिफिन और रसोई उपकरण जैसी चीजों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, 50,000 तक की राशि दी जाती है जिसे महिलाएं 36 महीनों की मासिक किस्तों पर भुगतान कर सकती हैं। लोन का ब्याज दर बाजार दर के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
2. **भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन**-भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन योजना को उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, जो अपना व्यवसाय खुदरा क्षेत्र और MSME (Micro Small Medium Enterprises) से शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी को 20 करोड़ तक की लोन राशि दी जाती है और इस राशि पर लाभार्थीओं को 0.25% की छूट भी दी जाती है। इस योजना में लोन राशि पर 10.15% या उससे अधिक की ब्याज दर होती है।
3. **स्त्री शक्ति पैकेज**-इस योजना के अंतर्गत लोन एसबीआई बैंक की शाखाओं द्वारा उन महिलाओं को दिया जाता है जिनके पास बिजनेस या कंपनी के ओनरशिप (Ownership) में 50% हिस्सा हो और जिन्होंने राज्य एजेंसियों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (entrepreneurship development programme) चलाने में भाग लिया हो। इसके साथ ही स्त्री शक्ति पैकेज योजना के तहत, 2 लाख से अधिक की लोन राशि पर 0.50% तक ब्याज दर की छूट भी दी जाती है।
4. **उद्योगिनी योजना**-इस योजना में लोन पंजाब बैंक द्वारा लचीली शर्तों और रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है जिसके माध्यम से कृषि, खुदरा और लघु व्यवसाय उद्यमों में शामिल महिलाएं अपने व्यवसाय के लिए आसानी से लोन प्राप्त कर सकें। इस योजना में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं जैसे की महिला उद्यमी की आयु 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा महिला उद्यमी के परिवार की वार्षिक आय 45,000 से कम होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा पायेंगे। इस योजना के तहत SC और ST श्रेणियों की विधवा, निराश्रय या विकलांग महिलाओं को 10,000 तक के लोन पर 30% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
5. **देना शक्ति योजना**-देना शक्ति योजना में लोन विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing), कृषि, खुदरा स्टोर, या छोटे उद्यमों के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए देना बैंक द्वारा दिया जाता है। इस योजना में 20 लाख तक की राशि पर 0.25% का ब्याज दर होता है।
6. **सेंट कल्याणी योजना**-एक नया उद्यम शुरू करने या मौजूदा उद्यम का विस्तार या संशोधन करने में महिलाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टीएस योजना की पेशकश की जाती है। इस ऋण का लाभ उन महिलाओं द्वारा लिया जा सकता है जो गांव और कुटीर उद्योग,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्व-नियोजित महिलाओं, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खुदरा व्यापार और सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल हैं। इस योजना के लिए कोई संपादित सुरक्षा या गारंटर की आवश्यकता नहीं है और कोई बैंक कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेता है। योजना के तहत अधिकतम 1 करोड़ की राशि दी जा सकती है।

7. महिला उद्योग निधि योजना—महिला उद्यम निधि योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना में लोन लघु उद्योग में शामिल महिला उद्यमों को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लोन राशि को 10 वर्षों की अवधि में बढ़ी ही आसानी से चुकाया जा सकता है। इस योजना में ब्यूटी पार्लर, डे केंयर सेंटर, सिलाई इकाई से अलग-अलग लोन योजनाएं भी शामिल हैं। महिला उद्यम निधि योजना में दी जाने वाली अधिकतम राशि 10 लाख है।

8. ओरिएंट महिला विकास योजना—इस योजना के अंतर्गत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा लोन सिर्फ उन महिलाओं को ही लोन दिया जाता है, जिनकी व्यवसाय में कम से कम 51% का शेयर हो। इस योजना महिलाओं को लघु उद्योगों के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक लोन दिया जाता है इसके साथ ही लोन की राशि पर 2% ब्याज दर की रियायत भी दी जाती है। इस लोन को पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। लोन का पुर्नभुगतान महिला उद्यमियों द्वारा 7 वर्ष की अवधि में किया जा सकता है।

9. मुद्रा योजना—इस योजना में किसी भी कोलेट्रल सिक्क्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा लोन योजना उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जो नए उद्यमों और सौंदर्य सामग्री, सिलाई इकाइयों, शिक्षण केंद्र इत्यादि का बिजनेस शुरू करना चाहती है। मुद्रा लोन योजना मुख्य 3 भागों में बांटा गया है—

- शिशु-शिशु योजना में अधिकतम लोन राशि-50,000 रूपए है।
- किशोर-इस योजना में लोन की राशि 50000 से लेकर 5 लाख रूपए के बीच होती है।
- तरुण-इस योजना में अधिकतम लोन की राशि-10 लाख रूपए है। इस योजना का लाभ वे उद्यमी उठा सकते हैं जिनका व्यवसाय पहले से स्थापित है और वो अपने व्यवसाय को विस्तार करना चाहते हैं।

10. फ्री सिलाई मशीन योजना—इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर के तहत महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन सिखाना है। जिससे वे खुद के लिए एक कमाई का जरिया बना सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा रही हैं।

11. महिला शक्ति केंद्र योजना—इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक कर संरक्षण मिला है और वे सशक्त बनी हैं। सामाजिक भागीदारी के माध्यम से गांव-गांव कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अनुभव करा कर सशक्त बनाया जाता है। इस योजना से कई महिलाएं जुड़ी हैं।

भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने नवोदित महिला उद्यमियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए योजनाओं और विनियमों के रूप में कई नई पहल शुरू की हैं। एक आत्मनिर्भर सेना के रूप में, भारत सरकार अवसर चाहने वाली और एक सफल व्यवसाय में अपने सपने का निर्माण करने की इच्छा रखने वाली सभी महिला उद्यमियों की लगातार मदद कर रहे हैं। भारत सरकार उनके लिए एक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमारे संगठन आत्मनिर्भर सेना में महिला उद्यमी की सहायता के लिए पेशेवर कार्यशालाएं, उन्नत तकनीक और व्यावसायिक सत्र आयोजित करते हैं।

महिला उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी जागरूकता, क्षमता निर्माण, ऑनलाइन प्रशिक्षण और महिलाओं के व्यक्तित्व विकास को लेकर आयोग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे—कोविड महामारी के दौरान, एनसीडीब्ल्यू ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। महिलाओं को हर समय मदद पहुंचाने के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी जारी की।

निष्कर्ष :-कोरोना महामारी हमें जीवन जीने के नये ढंग सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है इसी कड़ी में हमें नारी शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में बदलाव के साथ शिक्षक और माता-पिता को भी उपर्युक्त योजनाओं के बारे में बताना होगा जिससे महिला शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ उन्हे आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकें।

सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव दिख रहे हैं आज महिला हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। समाज की उन्नति के लिए महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों की पहली गुरु माँ होती है जो उन्हे जीवन के उतार-चढ़ाव से अवगत कराती है साथ ही आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाकर समाज में जीवनयापन करने लायक बनाती है एवं समाज में फेली बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने में निश्चित तौर पर सहायक बनती है। हम महिला शिक्षा के लाभों की गिनती नहीं कर सकते पर यह कह सकते हैं कि शिक्षित महिला समाज, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकती है। इसलिए बालिका शिक्षा परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। देश को प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ाने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। महिलाओं में चेतना जागृत करने के लिए उन्हे शिक्षित करना अति आवश्यक है। विभिन्न संस्कृतियों, लोकाचारों, धर्मों, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरणों, प्रशासनतंत्रों, परम्पराओं एवं बच्चों के लालन-पालन में महिलाओं की उचित भागीदारी आवश्यक है। हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में महिलायें भी पुरुषों की तरह अपनी क्षमतायें प्रदर्शित कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य महिला व बाल विकास के कार्यक्रमों में सहायक सिद्ध होगा। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की सार्थकता तभी सार्थक होगी जब महिला विकास के ठोस कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से अपनाये जायें।

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और उभरता नवाचार

कमल कान्त

शोधार्थी, शिक्षा संकाय, आर.आर.पी.जी. कालेज अमेठी, सम्बद्ध डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

डॉ० सुभाष सिंह

प्रो०, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, आर.आर.पी.जी. कालेज अमेठी, सम्बद्ध डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध पत्र विभिन्न साहित्य की समीक्षा के आधार पर लिखा गया है। इस शोधपत्र में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन किया गया है तथा इन समस्याओं का समाधान करने एवं शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जिन नवाचारों (जैसे-बाल संसद, अभिनव युक्त शिक्षण, छात्र प्रोफाइल, खेल-खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता सरल अंग्रेजी माध्यम एवं कान्सैट मैपिंग आदि) का प्रयोग वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में किया जा रहा है उसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। नवाचार से आशय कम से कम खर्च पर विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर शिक्षा में गुणवत्ता लाना है एवं शिक्षक छात्र के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का सृजन एवं शिक्षा को रुचिकर एवं सरल बनाकर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना है।

मुख्य बिन्दु: प्राथमिक शिक्षा, समस्याएं एवं नवाचार

प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार है। यह एक ऐसे प्रकाश की तरह है जिससे बालकों की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। बालक के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य योगदान होता है। यही वह प्रथम सोपान है जिसकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र प्रगति के शिखर पर आसीन तब तक नहीं हो सकता है जब तक वह प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था न कर ले (विकास पीडिया, 2020)। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि शिक्षा के गिरते स्तर का क्या कारण है? तो वह इसके लिए कई कारण बता सकता है। सवाल यह नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है सवाल यह है कि क्या हम हमेशा समस्या की ही बात करते रहेंगे? तो इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इसके समाधान की बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस समस्या को हमने चिन्हित किया है उसका समाधान भी हम स्वयं कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक सामान्य व्यक्ति की यह अवधारणा बन गई है कि सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी कभी उन्नति के उत्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनना होगा। नेतृत्व करने का कार्य केवल शिक्षक का ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें समाज के सभी सदस्यों का सहयोग होना आवश्यक है। बिना इनकी सहायता के शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकती है। शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती है बल्कि यह समाज के प्रत्येक पहलू में विद्यमान है (शाला सारथी, 2021)।

सन् 1937 में महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गयी थी जिसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा से 8 तक की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी एवं उनके साथियों ने इसके लिए मातृभाषा एवं हस्तकौशल प्रधान पाठ्यचर्या तैयार किया और इसका सम्बन्ध जीवन से जोड़ा। तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा। आगे चलकर इसे दो भागों में विभाजित किया गया निम्न प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। हमारे संविधान की धारा-45 में यह घोषणा की गई थी कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारतीय शिक्षा की वर्तमान संरचना 10+2+3 है और इसकी प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या को तीन भागों में विभाजित किया गया है-कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक, कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक, कक्षा 9 तथा 10 माध्यमिक और +2 अर्थात् कक्षा 11 तथा 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है। स्पष्ट है कि इस समय हमारे देश में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत

आती है (लाल, 2016)। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा की संरचना 5+3+3+4 प्रस्तावित की गई है। प्रथम 5 वर्ष की शिक्षा को आधारभूत, वर्ष प्रारंभिक चरण, 3 वर्ष मध्य चरण एवं 4 वर्ष माध्यमिक चरण कहा गया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा अन्तः स्थापित अनुच्छेद 21(क) को मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है (मौर्य एवं अन्य, 2017)। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में बच्चों के अधिकार की बात करता है तथा इस अधिनियम को। अप्रैल, 2010 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू करने का यह आशय था कि प्राथमिक शिक्षा में उन विद्यार्थियों को शामिल करना जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं (भारत का राजपत्र, 2010)। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए अवरोध उत्पन्न करने में अनेक समस्याएं जिम्मेदार हैं जिनमें से कुछ समस्याओं की चर्चा निम्नवत् की गयी है।

- विद्यालय संरचना-शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की छुपी हुई शक्तियों का विकास किया जाता है लेकिन इन शक्ति के विकास के लिए केवल शिक्षक, पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं इनके साथ विद्यालय संरचना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय संरचना में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था, विद्यालय की दीवार एवं छत का भी ध्यान रखना होता है। वर्तमान समय में एक मध्यम परिवार का व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों की अवसंरचना बहुत ही खराब स्थिति में है। वहीं मध्यम से निम्न स्तर के परिवारों के पास केवल सरकारी विद्यालयों का ही सहारा रहता है (पाल, 2019)।
 - कक्षा में बच्चों की संख्या-कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी प्राथमिक शिक्षा की एक बड़ी समस्या है जहाँ पर गैरसरकारी एवं सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में (कक्षा-1ए, 1बी, 1सी) बाँट दिया जाता है तथा यहाँ शिक्षकों की संख्या भी अधिक होती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहती है वहीं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में एक ही कक्षा में कई कक्षा-वर्ग के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाते हैं जिससे शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय अनेक कठिनाई होती है इसका मुख्य कारण विद्यालय में कक्षाओं एवं शिक्षकों की कमी है। इसके साथ ही सरकारी शिक्षक को पढ़ाने के अलावा अनेक प्रकार के विद्यालयी एवं सरकारी कार्यों को भी करना पड़ता है (पाल, 2019)।
 - बाल श्रम-2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है जिसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियाँ हैं। दुनिया भर में कुल मिलाकर 15.20 करोड़ बाल (6.4 करोड़ लड़कियाँ और 8.8 करोड़ लड़के) मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है अर्थात् दुनिया भर में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है। पिछले कुछ सालों से बाल श्रमिकों की दर में कमी आई है। इसके बावजूद बच्चों को कुछ कठिन कार्यों में भी लगाया जा रहा है। जैसे बंधुआ मजदूरी और देह व्यापार। भारत में विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ईंट भट्टों पर काम करना, कपड़े तैयार करना, घरेलू कामकाज। खान-पान सेवाएं (जैसे चाय की दुकान पर) खेतीबाड़ी, मछली पालन और खानों में काम करना आदि। इसके अलावा भी बच्चों के शोषण होने का खतरा बना रहता है जिसमें यौन उत्पीड़न एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी शामिल है। बाल मजदूरी और शोषण के अनेक कारण हैं जिनमें गरीबी, सामाजिक मापदंड, किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी आदि शामिल है (यूनिसेफ, 2020)
 - शिक्षा की गुणवत्ता-वर्तमान समय में शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी समस्या है तथा यह लगातार गिरती जा रही है। इसका मुख्य कारण शिक्षकों की कमी से है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होती है कहीं दो शिक्षक सम्पूर्ण विद्यालय का संचालन करता है तो कहीं एक ही शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक दोनों की भूमिका का निर्वहन करता है। इससे विद्यालय संचालन एवं अध्ययन-अध्यापन में कठिनाई होती है। एक तरफ शिक्षक का कार्य एवं दूसरी तरफ विद्यालय संचालन का कार्य, शिक्षक के कार्य को कठिन बना देता है। जिससे शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
 - रुचिकर पाठ्यवस्तु की कमी-प्राथमिक स्तर में प्रचलित विषयवस्तु विद्यार्थियों को सीखने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर पा रही है। इसका कारण पुरानी विषयवस्तु का प्रयोग करना है। इसमें किसी तरह के बदलाव को अभी तक नहीं किया गया है। इन समस्याओं का समाधान करने एवं शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है। जिसका वर्णन निम्नवत् है-
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में अनेक पक्ष सम्मिलित होते हैं। इसके विकास में कला एवं शिल्प महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कलात्मक विधियों में शामिल विद्यार्थियों की विचार करने की क्षमता अन्य विद्यार्थी की अपेक्षा अधिक होती है। कलात्मक अभिरुचि में भाग लेने से विद्यार्थियों के मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। इसमें अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान सरलता से कर लेते हैं। उनमें कई गुणों विचारों का आदान-प्रदान, अनुशासन, आत्मसम्मान एवं व्यवस्थापन का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों में विभिन्न दक्षताओं के विकास के लिए विद्यालय द्वारा कलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाए (अरविंदों सोसाइटी, 2018)।
 - विद्यार्थियों में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, कला, संस्कृति व साहित्य के प्रति रुचि एवं देश-विदेश की स्थिति से परिचित होने के लिए बाल अखबार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नवाचार के माध्यम में पठन एवं लेखन कौशल का विकास होता है। इस नवाचार के माध्यम से उन विद्यार्थियों को सहायता मिलती है जो पढ़ने-लिखने में कमजोर होते हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। दैनिक बाल अखबार में विद्यालय के दिन प्रति दिन की क्रियाओं का लेख-जोख तैयार किया जाता है तथा सप्ताह या महीने के किसी दिन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है (अरविंदों सोसाइटी, 2018)।
 - प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी कच्ची मिट्टी की तरह होता है तथा इस कच्ची मिट्टी को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का कार्य शिक्षक का होता है। शिक्षक के अथक प्रयास के द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण होता है। अतः शिक्षक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। जिससे विद्यार्थी को भविष्य निर्माण की राह मिल सके। यह कार्य केवल विद्यार्थी के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र

के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होंगे (चोई एवं अन्य. 2019)।

4. प्रत्येक अभिभावक को यह चिंता होती है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। शिक्षक भी इस समस्या से ग्रसित होते हैं कि उनके अथक प्रयास के बाद भी विद्यार्थी पाठ्यवस्तु को आत्मसात नहीं कर पाते। यह एक सामान्य सी समस्या है लेकिन यदि किसी पाठ को कहानी एवं चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी को पढ़ने-सीखने में आनंद की अनुभूति होगी। इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे बचपन में मिलता है जब हम लोग चाचा चौधरी एवं नागराज की कॉमिक्स पढ़ते थे। इस कॉमिक्स में अक्षरों के साथ-साथ चित्रों का भी समावेश था। इसे पढ़ने पर यह सरलता से याद हो जाती थी तथा इसका स्मरण लंबे समय तक रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे इसे पढ़ने के साथ-साथ उसमें दिये गए चित्रों को देखते थे यह दो क्रियाएँ एक साथ हो रही हैं जिससे बच्चे इसे सरलता से समझ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए (अरविंदो सोसाइटी 2018)।
5. ग्रामीण परिवेश में विद्यालय की व्यवस्था में सुधार है लेकिन इस सुधार के बावजूद ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों को विद्यालय तक ले जाने की है। विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन करा दिया जाए तब भी विद्यार्थियों का विद्यालय में अनुपस्थित रहने की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा अभिभावकों के अशिक्षित एवं कम पढ़े लिखे होने के कारण वह विद्यालय आने में लज्जा महसूस करते हैं। इस समस्या का समाधान सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए विद्यालय में समय-समय पर जागरूकता सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन, अभिभावकों का सम्मान एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी अभिभावकों देना चाहिए। जिससे विद्यालय एवं समुदाय की खाई को समाप्त किया जा सके।
6. विद्यालयों में बहुत सी ऐसी विषयवस्तु होती है जिसे आसानी से याद नहीं किया जा सकता है जैसे-विज्ञान। इसे पढ़ने के लिए कान्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग किया जा सकता है। कान्सेप्ट मैपिंग का अर्थ जिसमें मुख्य या सांकेतिक शब्दों के माध्यम से वैचारिक आरेख चित्रित किया जाता है। यह विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठतम विधि है (बिर्बिली, 2006)।
7. प्राथमिक शिक्षा में उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा कई उपयुक्त कदम उठाए गए हैं लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए हम केवल सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य पर ही हम निर्भर नहीं रह सकते हैं इसके लिए हमें स्वयं भी प्रयास करना होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न हो सकता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभिभावक के द्वारा सप्ताह में केवल एक दिन विद्यालय जाकर विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। इसकी सहायता से विद्यालय की यथा स्थिति पता चलेगी। इसके साथ ही प्रतिदिन 1 से 2 घण्टे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देकर उनकी समस्याओं की पहचान कर उसका समाधान शिक्षकों के माध्यम से किया जा सकता है एवं इसके माध्यम से सामूहिक सहभागिता का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर संचालित नवाचारों के माध्यम से बालकों में सहयोग, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, सद्भावना, सहानुभूति, दूसरों के प्रति प्रेम एवं आदर की भावना, निःस्वार्थपरकता एवं अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। निष्कर्ष विद्यालय में सामूहिक जीवन की सार्वधिक महत्वपूर्ण विशेषता बालकों के द्वारा स्वयं को विद्यालय का अभिन्न अंग समझने, विद्यालय के कार्यों एवं उद्देश्यों के साथ अपने कार्यों एवं उद्देश्य का समन्वय, सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए परिलक्षित होता है (गुप्ता एवं अन्य. 2014)।

संदर्भ

1. भारत का राजपत्र (2010), निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 नई दिल्ली. Pp 1-21
2. लाल, बी.आर (2016), भारतीय शिक्षा का विकास इतिहास एवं समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेशन Pp-395-400।
3. विकासपीडिया (2020) शिक्षा <https://htvikashpedia.in/education>.
4. यूनिसेफ (2020), बाल श्रम एवं शोषण
5. गुप्ता, एस.पी.एवं गुप्ता. ए (2014), शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन व नियोजन, शारदा पुस्तक भवन -Pp-25-36
6. copyright/2021,scholarly research journal for humanity science and english language-
7. मौर्य, दी. एवं द्विवेदी. आर (2017) भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था बौद्धिक प्रकाशन P-62।
8. पाल, एस.के. (2019), भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों एवं शिक्षा के आधार का अध्ययन. जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कोलरी रिसर्जेंस इन एलाइड एजुकेशन. 5(16). Pp-237-243।
9. अग्निहोत्री पी. एवं कुमार पी. (2014). बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों का उनके आक्रमक व्यवहार का अध्ययन. प्राथमिक शिक्षक. 1(38).Pp-63-76।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
11. बिर्बिली. एम. (2006), मैपिंग नॉलेज कान्सेप्ट मैप्स इन एरली चाइल्डहुड एजुकेशन एरिक.2(8). Pp-1-10।
12. अरविंदो सोसाइटी. (2018), शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार 1 (3) (1-47)।
13. चोई, एन, कांग, एस, चो, एच.जे. एवं शेओ. जे. 2019). प्रमोटिंग यंग चिल्ड्रेन्स इंटरैस्ट इन लर्निंग इंग्लिश इन ए. एफ.एल. कांटेक्स्ट : द रोल ऑफ मदर्स. एरिक. Pp-1-12।
14. मंगल एस.के. एवं मंगल. यू. (2016). शिक्षा तकनीकी. पी०एच०ई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड Pp-528-529।
15. शाला सारथी, (2021), जीरोइनइन्वेस्टमेंट इन्वेन्स फॉर एजुकेशन इनिशिएटिवेस. झारखण्ड. विडियो.
16. <https://www.youtube.com/watch?v=VRT or A & e UIE & T = 177 s>

आत्मनिर्भर भारत: अवसर, सफलता और चुनौतियां

कुमारी बसुन्धरा

एम० एड० छात्रा, सी०आर०डी०पी०जी० कालेज, आर्यनगर, गोरखपुर

सारांश

आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का सपना होता है। किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की असल शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में ही है। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वापरि बना सकता है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करना। यदि हम खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे तो इसके साथ ही साथ हम निश्चित तौर पर अपने राष्ट्र के विकास में भी अभूतपूर्ण योगदान दे सकेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का भी यह सपना था कि भारत स्वदेशी चीजों को अपना कर अपनी एवं अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अग्रसर रहें।

प्रस्तावना

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना यानि खुद को किसी और पर आश्रित न करना। पिछले एक साल से कोरोना महामारी किन मुश्किलों से गुजरा है, महामारी देखते हुए भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर है। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है। ये और बात है कि मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक त्रुटियों के कारण ये कभी उभर नहीं पाया।

“आत्मनिर्भर” शब्द कोई नया नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के द्वारा बनाये गये सामानों और उससे आए हुए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भर कहा जाता है। कुटीर उद्योग या घर में बनाये गये सामानों को अपने आस-पास के बाजारों में ही बेचा जाता है। तो अन्य किसी का सामान अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है। जो समान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाया जाता है। उसे बोलचाल की भाषा में ‘लोकल’ सामग्री कहते हैं। पर सत्य तो यही है कि ये आत्मनिर्भरता का ही एक महत्वपूर्ण प्रारूप है। कुटीर उद्योग सामग्री, मत्स्य पाल इत्यादि। “आत्मनिर्भर भारत” के ही कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

आत्मनिर्भर की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह जैसे कार्य हमें आत्मनिर्भर की श्रेणी में लाकर खड़ा करती हैं। इस प्रकार से हम अपने परिवार से समाज, समाज से कस्बा, कस्बा से गांव, गांव से शहर, एक दुसरे से जोड़कर देखे तो इस प्रकार पूरे राष्ट्र के विकास में ही योगदान देते हैं। हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आस-पास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं। हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के सपने को मजबूत बनाने में अपना अहम सहयोग दे सकते हैं।

बीज शब्द: अवसर चुनौतियां आत्मनिर्भर बनाने में मददगार पांच स्तंभ

अवसर:

अगर किसी का सपना होता है कि आत्मनिर्भर बने तो वह सबसे अच्छा गुण कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध भी तो अपने ज्ञान के सुत्रों में से एक सूत्र इस संसार में दे गये हैं। अप्प दीपो भवः अर्थात् अपना प्रकाश स्वयं बनो और एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमेशा जगमगाते रहो। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं, जो कि बिना किसी देश की मदद से जीवन से लेकर राष्ट्रनिर्माण की वस्तुएं बना सकता है और आत्मनिर्भर के सपने को पूरी तरह से साकार कर सकता है।

कोरोना महामारी के दौर में यहाँ हमने पीपीई किट, वेलिटलेटर, सेनेटाइजर एन-95 मास्क और इस आपदा में संजीवनी साबित हो चुकी वैक्सीन का निर्माण भी अपने देश में ही शुरू कर दिया है। यही नहीं स्वदेश में निर्मित वैक्सीन को कई देशों (छोटे-बड़े) को निर्यात किया है। इन सभी चीजों का निर्माण भारत में करना ही ये दर्शाता है कि हम वाकई आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच कर सकते हैं। इनके उत्पादन से हमें अन्य देशों की मदद भी नहीं लेनी पड़ रही है। और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है।

चुनौतियां:

कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और परस्त हो चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की जरूरत अब आन पड़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकल के लिये वोकल बनकर उसे ग्लोबल बनाने का सपना भी चुनौतियों को अवसर में बदलने का मूलमंत्र साबित हो रहा है। पर यह जितना सहज दिख रहा है, उतना ही जटिल भी है। भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में अनेक काटें और चुनौतियां हैं। सरकार की सबसे

पहले उन चुनौतियों से दो-चार होना पड़ेगा तभी इस समाज में भूमंडलीकरण के इस दौरान में हम लोकल स्वीकार्यता और व्यापकता को धरातल पर यथार्थ रूप से उतार सकते हैं।

गौरतलब है कि हमारे देश में अनेक उपकरण मशीनें और कच्चा माल आज भी विदेशों से आयात करना पड़ता है। अगर आयात की जाने वाली मशीनों को यहीं पर बनाया जाता है। तो यहाँ बनाने वाले उत्पादों की लागत बढ़ जायेगी। दूसरी ओर, महामारी के चलते देश का प्रवासी मजदूर बड़े शहरों को छोड़कर अपनी गांवों को चले गये हैं। ऐसे में अनेक उद्योग कल कारखाने बंद हो गए हैं।

भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने में कुछ और भी निम्न चुनौतियाँ हैं जिसे समझना भी जरूरी है-

लागत और गुणवत्ता: भारत के स्वयं के उत्पादों में एक समस्या है जो सबसे बड़ी है। भारत के समान निर्माण में यह देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है और उनकी लागत कम हो सकती है।

आर्थिक समस्या:

भारत में जनसंख्या और गरीबी दोनों ही एक साथ तेज गति से बढ़ रही है। किसी भी नये उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है। पूँजी हालांकि भारत ने कई ऐसी योजना है जो किसी भी नये उत्पादन या व्यवसाय को चालू करने के लिए लोन मुहैया कराती है। परन्तु शुरुआती समय में देश को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है ताकि हमारी जनसंख्या का ठिक तरह से भरण-पोषण करने में हम असमर्थ रहें हैं। हम अब तक अपनी जनसंख्या के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए ही जूझ रहे हैं।

आधारभूत ढांचा:

कई आर्थिक व व्यापार विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक सबसे बड़ी कारण ही भारतीय औद्योगिक क्षेत्र (विशेषकर तकनीकी के संदर्भ में) में एक मजबूत आधार ढांचे के अभाव को माना जाता है हमारी बहुत भारी जनसंख्या जो हमारी कमजोरी हो गयी है। अन्य देशों ने इसमें अवसर देख लिया है और बाहर की वस्तुओं का आयात ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें इस समस्या को भी सुधारने की जरूरत है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार पांच स्तंभ:

अर्थव्यवस्था: भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें परिवर्तन करना संभव है। अर्थव्यवस्था ही एक ऐसा साधन है जो भारत को आत्मनिर्भर बनने की ओर मोड़ सकती है।

तकनीकी-भारत में तकनीकी बहुत हद तक विकसित है और इसी तकनीक के चलते भारत की तकनीकी इसी का एक मुख्य अंग है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर: भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करेगा।

मांग: भारत में कच्चे माल की मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमें पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम कच्चे माल का निर्माण भारत में करते हैं तो उस स्थिति में भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो सकेगा।

बढ़ती जनसंख्या: भारत की जनसंख्या भी जंगल में आग की तरह फैल रही है। इस पर नियंत्रण भी जरूरी है।

आत्मनिर्भर बनने के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा:

भारत में हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आयात चीन या अन्य पड़ोसी देशों से किया जाता रहा है। अगर भारत का यह आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होता है तो भारत का किसी अन्य देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और भारत स्वयं ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा।

देशी उद्योग में बढ़ोत्तरी: भारत में आत्मनिर्भर बनने से भारत में कई तरह की वस्तुओं का निर्माण होगा और भारत में उद्योग भी बढ़ेंगे भारत उन वस्तुओं को विदेश में भी भेज सकेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

रोजगार के अवसर: आत्मनिर्भर से भारत में देशी और घरेलू उद्योग बढ़ेंगे जिस वजह से भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश के कुशल और संक्षम लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा इससे देश के आर्थिक हालात भी सुधर सकेंगे।

गरीबी से मुक्त होगा: देश में आत्मनिर्भरता से उद्योग के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे इस देश में निश्चित रूप से गरीबी भी कम हो सकेगी।

पैसों की कमाई: भारत के आत्मनिर्भर बनने से देश में व्यापार के अवसर तो बढ़ेंगे ही साथ ही इस देश को अच्छी कमाई भी होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

आयात की जगह निर्यात बढ़ेगा: भारत के आत्मनिर्भर बनने से पहले देश अबतक जिन वस्तुओं का आयात करता था अब यदि भारत उसका निर्यात करने लगेगा तो देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ेगा।

आपदा के समय संकट मोचक बनेगा खजाना।

आत्मनिर्भर बनने से भारत से रोजगार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी जिससे संकट के समय वह धन देश की रक्षार्थ काम आ सकेगा आखिर देश का खजाना तो देशवासियों की ही खुन पसीने की कमाई और ये देशवासियों को ही सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के रूप में लौटाया जाता है।

एक सफल व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वह अपने कौशल को बढ़ाने का कोई भी मौका जाने नहीं देता और सदैव नया मौका ढूँढता रहता है। जिस युवाओं में कौशल के प्रति अगर आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है तो उसका जीवन ठहर सा जायेगा, जीवन व व्यक्तित्व को बोझ सा बना देगा खुद के लिए ही नहीं अपने जीवन व व्यक्तित्व को नाम सा बना देगा सर के लिए ही नहीं अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाएगा।

अतः अब वह समय आ गया है जब विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर महाभारत के अर्जुन की भाँति लक्ष्य भेदन की दिशा में आगे बढ़ें। कौशल के प्रति आकर्षण जीवन जीने की वास्तविक ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है। ज्ञान व कौशल केवल रोजी-रोटी और ये कमाने का जरिया मात्र नहीं है। जीने के लिए कौशल हमारी प्रेरणा बनता है। यह हमें नवीन उर्जा देने का काम करती है।

अतः अंत में कहा जा सकता है कि हम जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बढ़ें हुए जिस राष्ट्र का हमने खाया है। क्यों न उस राष्ट्र का कर्ज हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में शामिल करें। तभी हम पूरी तरह से कह पाएँगे कि मैं भारत का निवासी हूँ। एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र देश का आत्मनिर्भर नागरिक हूँ।

सन्दर्भ

1. "To spur growth : nirmala sitharaman or pm modi's atamanirbhar bharat ambiyan"
2. atamanirbhar bharat ambiyan not self containment pm assures global investors
3. Indigenous defence production must for india's self – reliance: pm narendra modi

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम

डॉ० कुमारी माधवी

शिक्षिका, लेडी के.सी.राय मेमोरियल स्कूल, रांची, झारखंड

प्रस्तावना—जो भी व्यक्ति, समाज अथवा देश आत्म निर्भर अर्थात् स्वयं पर निर्भर होता है वह सबसे ज्यादा सुखी होता है।

सारांश—कोरोनावायरस के कारण संपूर्ण विश्व में महामारी फैली जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। फलतः देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई। देश को इस विषम परिस्थिति से उबारने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में भारत सरकार के द्वारा 'आत्मनिर्भर योजना' को लाया गया।

गीता में भी कहा गया है—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ (श्रीमद्भगवद्गीता 6.5)

अर्थात् अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य स्वयं ही आत्मा का मित्र है और स्वयं ही आत्मा का शत्रु भी है।

इसके अन्तर्गत एक ऐसे भारत के निर्माण पर बल दिया गया है जिसमें भारत अपने ही देश में अपनी जरूरत का सामान तैयार कर ले। इससे देश के संसाधनों का समुचित उपयोग भी हो पायेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। अन्य देशों के प्रति निर्भरता को कम-से-कम करने पर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मूल भाग—आत्मनिर्भर का अर्थ होता है स्वयं पर अधिक से अधिक निर्भर होना। जो व्यक्ति समाज अथवा देश स्वयं पर निर्भर रहता है वह अधिक सुखी होता है। इस अर्थ में यह लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है 'अपना हाथ जगन्नाथ' ठीक उसी प्रकार की लोकोक्ति अंग्रेजी में भी प्रसिद्ध है—"God helps those who helps themselves" अर्थात् ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद खुद करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

अर्थात् अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः पूरी तरह से आत्म निर्भर हो यह तो संभव नहीं है, किन्तु अधिकांश मामलों में आत्म निर्भर रहने पर व्यक्ति, समाज और देश अधिक सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली हो सकता है।

उदाहरण के लिए कृषि को ही लें तो हमारे पूर्वजों के पास संसाधन बहुत ही कम थे फिर भी वे कृषि कार्य में आत्म निर्भर थे क्योंकि वे प्राकृतिक पद्धति आधारित खेती करते थे। कोरोना महामारी के समय में फिर से लोगो का रुझान प्राकृतिक संसाधनों की तरफ बढ़ा है। संसाधनों में अतिरिक्त खर्च, बाजारों का बन्द होना इत्यादि कारणों से लागत और आय दोनों असंतुलित हो गए हैं। अक्सर किसान उत्पादित फसल के सही और उचित मूल्य निर्धारण के न होने से आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। हालांकि यह तो बाजार के माँग और खपत पर आधारित होता है, अतः किसान के नियन्त्रण से बाहर है लेकिन लागत मूल्य के निर्धारण का विकल्प किसान के पास ही होता है और यदि वह स्वयं चाहे तो इसे कम कर सकता है। जैसे—

(क) आगामी वर्ष के लिए उन्नत किस्म के बीजों का भंडारण।

(ख) जैविक उर्वरकों एवं गोबर के खाद का प्रयोग।

(ग) कर्षण क्रियायें एवं निराई-गुड़ाई स्वयं करना।

(घ) वर्षा जल का संचयन सिंचाई के लिए करना।

(ङ) स्वयं सहायता समूह बनाकर सकल उत्पाद में वृद्धि होने पर सीधा कंपनी से संपर्क कर फसल बेचने की व्यवस्था करना। इत्यादि।

भारत के लिए आत्मनिर्भरता शब्द नया नहीं है। भारत ने कोरोना काल में हुए आर्थिक संकट से पूर्व भी आत्मनिर्भरता पर बल दिया था। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय में भी स्वराज के लिए राजनीतिक आत्म-निर्भरता के साथ-साथ महात्मा गांधी और रवींद्र नाथ टैगोर जैसे विचारकों ने न केवल एक राष्ट्र के संबंध में बल्कि स्वयं के संबंध में भी आत्मनिर्भरता की व्याख्या की नमक आन्दोलन के लिए दांडी मार्च, खादी वस्त्रों के निर्माण के लिए स्वयं सूत कातना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना आदि शामिल है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ टैगोर की भी भारत को शिक्षा में आत्म निर्भरता लाने में मुख्य भूमिका थी। अपनी युवावस्था के समय के विषय में एस.एस. स्वामीनाथन ने कहा है कि—युवा और बड़ों ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साक्षात् किया। पूर्ण स्वराज और स्वदेशी हमारे लक्ष्य थे।²

कोरोनावायरस के कारण संपूर्ण विश्व में जो महामारी फैली जिससे भारत में भी लॉकडाउन हुआ फलतः घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई अतः देश को महामारी के आर्थिक प्रभाव से बचाने के लिए भारत सरकार आत्मनिर्भरभारत के एक नए विचार के साथ सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई 2020 को पहली बार इस लोकप्रिय वाक्यांश का इस्तेमाल किया-विश्व की आज की स्थिति यह सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है-आत्मनिर्भर भारत हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि-‘एषः पन्थाः’ यानि यही रास्ता है।³

बाद में भारत सरकार के द्वारा एक पैकेज लाया गया जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया।⁴ इस अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएं की गईं। गरीब, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की गईं।⁵

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ हैं-अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी एवं माँग।⁶

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्वीकरण का विरोध न होकर दुनिया के विकास में मदद करना है।⁷

इस योजना का उद्देश्य 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम बनाना है। इसके द्वारा अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गयी है जो कि देश के ञक् 10% है। उम्मीद की गई कि यह योजना देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना 2021-22 वित्तीय बजट

योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2021 को की गई। इस योजना का आरंभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया जिसके तहत 27.1 करोड़ रुपए निवेश किया गया। इसका देश के GDP में योगदान 13% है। इसके तहत मुख्य रूप से किसानों की आय स्तर को ऊँचा उठाना, महिला सशक्तिकरण, सुशासन एवं अन्य विकास के कार्यों पर बल दिया गया है। इस योजना में तीन चरण हैं-1.0, 2.0 और 3.0 चरण।

1.0 चरण के अन्तर्गत-वन नेशन वन राशनकार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसीएलजीएस1.0, इमरजेंसी वर्किंग, कैपिटल फंडिंग, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एन बी एफ सी/एच एफ सी, लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है।

2.0 चरण के अन्तर्गत लॉन्च की गई योजनाएं हैं-एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, फेस्टिवल एडवांस, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, एडिशनल एक्सपेंडिचर।

चरण 1.0 और चरण 2.0 के बाद चरण 3.0 लागू किया गया है जिसके अंतर्गत बारह योजनाओं का समावेश किया गया है, जिसमें-हाउसिंग ऑल, बूस्ट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेन्ट जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पतञ्जली योगपीठ का कोरोना महामारी के समय में अमूल्य योगदान रहा है। सबसे पहले पतञ्जली ने ही कोरोना के उपचार के लिए ‘कोरोनील’ दवा का निर्माण किया। वर्तमान समय में लोगों की पसंद बन चुकी कोल्डड्रिंक और नूडल्स जैसे फास्ट फूड के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पतञ्जली के वैकल्पिक स्वदेशी, स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण किया है।

हमारे यहां त्योहारों में दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने की प्रथा है, कुछ लोग इसकी जगह बल्ब लगा लेते हैं, अगर इसके जगह दीपक जलाएं तो इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा।

इसी प्रकार बच्चों के खिलौने जो विदेश से आते हैं, उनमें हानिकारक रंगों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही घरों में खेल-खेल में हमारी दादी-नानी सुन्दर-सुन्दर खिलौने बना दिया करती थीं। अगर आज भी इन हुनरों की पहचान कर इन्हें छोटे-छोटे उद्योगों का रूप दिया जाय तो कई रोजगारों का सृजन होगा।

आज के समय में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम नित नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में अभी हाल में ही 2 सितम्बर 2022 को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौ सेना को सौंपा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ सेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया।⁸

इससे पहले भारत ने कोरोना का स्वदेशी वैक्सीन बनाया ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी इसे भेजकर “परोपकारः परमो धर्मः” की अपनी विचारधारा को चरितार्थ किया है। भारत की सदा से यह धारणा रही है कि-‘यांश्च पश्यामि यांश्च न, तेषु मा सुमतिं कृधि।’

अर्थात् हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मैं मनुष्य मात्र के प्रति चाहे मैं उसे जानता हूँ अथवा नहीं सद्भावना रख सकूँ।

संदर्भ-सूची

1. श्रीमद्भगवद्गीता 6.5-महर्षि वेद व्यास।
2. Gopalkrishnan gita(2002)M-S Swaminathan-One months quest for a huger&free world(PDF)-Produced for the Youth Employment Summit 2002- Education Development Centre, Inc-i i 122, 128-
3. Misra Udit (17Agust 2020) Explain Speaking on economy-Atmnirbhar Bharat: A brief and not so affectionate history- The Indian Express-
4. joshi at el 2021विकीपिडिया।
5. Mohanti Prasanna (14 नवंबर 2020) Rebooting economy 45 What isAtmnirbhar Bharat and where it will take India - Business Today-
6. पाण्डेय नवीन कुमार (12 मई 2020) आत्मनिर्भर भारत अभियान-पीएम मोदी ने बताया, किन पांच पीलरों पर बनेगी आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत। Navbharat Times-
7. 'To spur growth' Nirmala Sitaraman on PM Modi'sAtmnirbhar BharatAbhiyan - Hindustan Times (13may2020)-
8. प्रभात खबर, कोकर, इंडस्ट्रीयल एरिया, रांची 3 सितम्बर2022.
9. अथर्ववेद-(17.1.7)

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम जरूरत और मायने

रवीन्द्र कुमार

(सहायक आचार्य हिन्दी), शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय ताला सतना (मोप्रो)

सारांश:-भारत ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज के राजनीतिक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाव देखा तथा महात्मा गाँधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के विचारकों ने भी न केवल एक राष्ट्र के संदर्भ में बल्कि स्वयं के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की व्याख्या की। इसमें एक व्यक्ति का अनुशासन और एक समाज के मूल्य शामिल थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ टैगोर की भी भारत को शिक्षा में आत्मनिर्भरता के करीब लाने में भूमिका थी। एम एस स्वामीनाथन लिखते हैं कि उनकी युवावस्था में 1930 के दशक में भारत में अधिकांश अन्य लोगों की तरह आदर्शवाद और राष्ट्रवाद का दौर था। युवा और बड़ों ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साझा किया। पूर्ण स्वराज और स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) हमारे लक्ष्य थे। भारत के योजना का प्रमुख दस्तावेज 1951-2014 तक प्रकाशित बारह पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता की नींव रखी जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई तो योजनाएँ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 1991 में जून के विपरीत भारत के पास केवल दो सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया। ये योजनाएँ आत्मनिर्भरता की बात करती थी जबकि बिमल जालान जो आरबीआई गवर्नर बनें बताते हैं कि आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण योजनाओं के बीच झूलता और दोलन करता है जो भारत के बाहर के कारकों से भी प्रभावित होता है। उनका विचार स्पष्ट है कि आत्मनिर्भरता को अन्य आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ चलना होगा और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को उसी के अनुसार समझना और परिभाषित करना होगा।

परिचय:-आत्मनिर्भर भारत अंग्रेजी में इसे self Reliant india देश में अर्थव्यवस्था विकास के सम्बन्ध में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी और भारत सरकार द्वारा दिया गया एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने; कुशल प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और स्वउत्पादन होने के सम्बन्ध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

भारत में कोरोनावायरस महामारी की प्रष्टभूमि में महामारी प्रेरित लाकडाउन और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में पहले से मौजूद मंदी और महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण सरकार आत्मनिर्भरता के अनुकूलित विचार के साथ सामने आई। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लोकप्रिय रूप से हिन्दी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा विश्व की वर्तमान स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है “आत्मनिर्भर भारत” हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पन्थाः यानि यही रास्ता है। 1960-70 के दशक में भारत ने आत्मनिर्भरता की कोशिश की और यह कारगर नहीं हुआ। स्वामीनाथन अय्यर कहते हैं कि 1960 ई. के आत्मनिर्भरता की ओर वापस जाना फिर गलत दिशा में जाना प्रतीत होगा। सदानंद धूमने ने वाक्यांश से सम्बंधित शब्दावली और भाषा से सम्बंधित संदेह को उठाया कि अगर यह पूर्व उदारीकरण के पुनरूद्धार का संकेत था। अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी वह पिछले दशकों के स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी आंदोलन से विपरीत थी। हालांकि स्वदेशी को भी “वोकल फार लोकल” जैसे नारों के साथ रूपांतरित किया गया है साथ ही साथ वैश्विक अंतर्सम्बंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है। लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है।

कोरोना महामारी के कारण हुए तीसरे लाकडाउन की प्रष्टभूमि में भारत में कोरोनावायरस महामारी प्रेरित लाकडाउन, और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में पहले से मौजूद मंदी और महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण, सरकार आत्मनिर्भरता के एक अनुकूलित विचार के साथ सामने आई। 12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री मोदी ने पहली बार लोकप्रिय रूप से हिन्दी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है “आत्मनिर्भर भारत” हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पन्था यानि यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। जबकि भाषण हिन्दी में था, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा “आत्मनिर्भरता” के इस संदर्भ ने कुछ भ्रम पैदा किया। भारत सरकार आने वाले दिनों में एक आर्थिक पैकेज लेकर आई जिसे ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन’ के रूप में लेबल किया गया।

मोदी सरकार द्वारा उपयोग

नारे:-वोकल फॉर लोकल/लोकल के लिए वोकल

दुनिया के लिए बनाओ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग:-मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश

की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए।

संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इससे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। फण्ड ऑफ फण्ड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूँजी सुविधा दी गई है।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान करना होगा। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई। 2 लाख एमएफई की सहायता के लिए 'वैश्विक पहुँच के साथ वोक्ल फॉर लोकल' का शुभारम्भ किया जाएगा। एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए 'चौपियंस' पोर्टल लॉन्च किया गया है।

ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई जीडीपी में 29 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए घोषित 16 नीतियाँ निम्नलिखित हैं।

1. एमएसएमई सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ सम्पादित निःशुल्क स्वचलित ऋण
2. एमएसएमई के लिए रु 20 हजार करोड़ का अधीनस्थ ऋण
3. एमएसएमई के फण्ड के माध्यम से रुपये 50 हजार करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन
4. एमएसएमई की नई परिभाषा गढ़ी दी गई है।
5. एमएसएमई के लिए वैश्विक टेण्डर की सीमा बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
6. एसएमई के लिए अन्य हस्तक्षेप भी किये गए हैं।
7. 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन दिया गया है।
8. ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए कम हो गया है।
9. एनबीएफसीएस, एचसी, एमएफआई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता सुविधा प्रदान की गई है।
10. एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारण्टी योजना दी गई है।
11. डीआईएससीओएम के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन दिया गया है।
12. ठेकेदारों को राहत दी गई है।
13. ईआरए के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार किया गया है।
14. डीएस-टीसीएस कटौती के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये की तरलता प्रदान की गई है।
15. अन्य कर उपाय किये गए हैं।

'मेक इन इण्डिया' को प्रोत्साहन:- प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जुलाई 2020 को ऐप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 'ऐप अनोवेशन चौलेंज' लॉन्च किया। ऐप इनोवेशन चौलेंज का मंत्र है। 'भारत में भारत और विश्व के लिए बनाओ' (मेक इन इण्डिया फॉर इण्डिया एण्ड द वर्ल्ड)

भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेण्टिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुम्बई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और 'मेक इन इण्डिया' वाला पीपीई जाँच उपकरण बनाया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए 'मेक इन इण्डिया' नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पन्न में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इण्डिया' के बढ़ावा दिया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के भीतर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथियारों/प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। आयुध निर्माणियों (ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों) को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना:- भारत में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, व कपड़े धोने की दुकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है 'पीएम स्वनिधि योजना' इसके अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को सरकार द्वारा 10000 का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही अल्पकालिक सहायता '10000 छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के जरिए भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।

गरीबों श्रमिकों और किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएं-14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यतः गरीब श्रमिक और किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वह इस प्रकार हैं-

1. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की कोविड-19 पश्चात योजना
2. पिछले 2 महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता योजना

3. प्रवासियों को वापस करने के लिए एमजीएनआरईजीएस सहायता योजना
4. श्रम संहिता में बदलाव करके श्रमिकों के लाभ सुनिश्चित करना
5. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति योजना
6. मुद्रास इस ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं
7. 2021 तक एक देश एक राशन कार्ड द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ है
8. प्रवासी श्रमिकों शहरी गरीबों के लिए किराये की आवास परिसर बनाने की पहल
9. सीएलएसएस का उपयोग कर 6000 करोड़ रोजगार पक्का की किया जा रहा है
10. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपए की विशेष क्रेडिट सुविधा दी जा रही है
11. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करो रुपए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी गत निधि सुनिश्चित की गई है
12. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ढाई करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए 200000 रखे गए हैं

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की गई घोषणाएं:- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निम्न घोषणाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का कोष
2. सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के एक औपचारीकरण के उद्देश्य से एक नई योजना के लायक 10000 करोड़ दिए जा रहे हैं
3. प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं
4. पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए का सेटअप किया जाएगा
5. केंद्र सरकार जड़ी बूटियों की खेती के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी
6. मधुमक्खी पालन की पहल के लिए 500 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं।
7. 500 करोड़ रुपए के सभी फलों और सब्जियों को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जाएगा
8. अनाज खाद्य तेल तिलहन दालें प्याज और आलू जैसे आवश्यक भोजन में संशोधन लाया जाएगा
9. कृषि विपणन सुधारों को एक नए कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा जो अंतरराज्यीय व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करेगा
10. किसान को सुविधात्मक कृषि उपज के माध्यम से मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन दिया जाएगा

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर पशुपालक, मछुआरे, किसान संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग को मिलेंगे, जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

आत्मनिर्भर भारत के आयाम:-

1. वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्मकेंद्रिता से अलग है।
2. भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। क्योंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
3. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण या संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
4. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा के प्रथम चरण में वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
5. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा सरकार ने इन क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है।
6. इसमें फर्नीचर, फुटवियर और एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत के पांच मुख्य स्तंभ:-

1. अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो।
2. अवसंरचना ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
3. प्रौद्योगिकी 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली।
4. गतिशीलजनसांख्यिकी: जो भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
5. मांग: भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का विकास:- भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ हिस्सों में बड़ी प्रगति हुई है परन्तु अन्य चीजों में आज भी हम किसी न किसी रूप में अन्य देशों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वैश्विक बाजार में अपना स्थान बनाया है परन्तु हार्डवेयर के निर्माण में भारतीय कंपनियाँ उतनी सफल नहीं रहीं हैं। अन्य उदाहरण में भारतीय दवा उद्योग मोबाइल असंबली आदि हैं। जहाँ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है।

उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी:-

1. औद्योगिकी विकास के साथ-साथ ही उत्पादन के स्वरूप और कंपनियों/उद्योगों की कार्यशैली में बड़े बदलाव होंगे
2. ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों को इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ध्यान दिया जा सकता है।
3. उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि उत्पादों की पैकेजिंग या उन से बनने वाले अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

अभियान के समक्ष चुनौतियाँ:-

1. हाल की मे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय पूंजी वित्तीय तरलता की चुनौती के मामले में वृद्धि देखी गई है कोविड-19 महामारी से औद्योगिक गतिविधियों के रुकने और बाजार की मांग में कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है।
2. वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है ऐसे लागत को कम से कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी
3. विशेषज्ञों के अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में ना आने का एक मुख्य कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में एक मजबूत आधारित ढाँचे का अभाव है पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी न किसी रूप में आयात पर निर्भर रहें हैं।
4. सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को दी जाने वाली सहायता मुक्त व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मानकों के अनुरूप ही जारी की जा सकती है।

निष्कर्ष:-

कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के उपरांत देश के नागरिकों का सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है, जिससे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियों के होने के बावजूद भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से ना केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की गई अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे शामिल हैं।

संदर्भ सूची:-

1. आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बीच अंतर atmnirbharsena.org
2. www.dhyeyaias.com/hindi/currentaffairs/articles

सुरक्षा का क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत

डॉ० माया गुप्ता

(Assistant Professor), B.D.M.Mu.Girls Degree College, Department of Political Science, Shikohabad, Firozabad, U.P.

शोधसारांश-

इस शोध पत्र में भारत की सुरक्षा से संबंधित मामलों की चर्चा की जाएगी। सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत को 'वोकल फॉर लोकल'(VOCAL FOR LOCAL) होने के साथ ही अपनी आंतरिक रक्षा प्रणाली और बाह्य युद्ध प्रणाली को भी अपडेट करना होगा, जिससे कि हम सिर्फ आंतरिक रूप से ही नहीं, बल्कि बाह्य रूप से भी सशक्त हो सकें। आधारभूत राजनीतिक समस्याओं के साथ ही राजनीतिक व सामरिक, रवैये का विश्लेषण सुरक्षात्मक पैमाने पर किया जा रहा है।

जब हम आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्र में सशक्त होंगे, तभी हम विश्व के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरकर एशिया की प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। हमें महत्वपूर्ण सारे तथ्यों पर पूर्ण निगाह रखनी होगी। देश की आंतरिक रक्षा और साथ ही बाह्य सुरक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, तभी संभव हो पाएगा। इस शोध पेपर में भारत के सिर्फ बाह्य सुरक्षा को लेकर ही प्रश्न नहीं किए जाएंगे, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का भी विश्लेषण होगा। भारत के आत्मनिर्भर अभियान की व्याख्या के साथ ही, सुरक्षा के क्षेत्र में हमने कहां तक विकास किया इसकी भी चर्चा की जाएगी। इस शोधपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होगा की वर्तमान प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत को लेकर की गई तैयारियां और उनसे संबंधित तथ्य कितना सार्थक हैं। साथ ही सुरक्षा के क्षेत्र में भारत कितना आत्मनिर्भर है, या आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया है। भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, या भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो हमारे देश को सिर्फ आंतरिक रूप से नहीं यद्यपि बाह्य रूप से भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी हम विश्व गुरु के सपने को आधार प्रदान कर पाएंगे। सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए जहां भारत को जागरूक रहने और अपनी बातों को मजबूती से विश्व पटल पर रखने की आवश्यकता है, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अपने स्थान को प्राप्त कर सके।

अध्ययनकामहत्व-

इक्कीसवीं शताब्दी में विश्व राजनीति में मुख्य शक्ति के रूप में भारत का उदय महत्वपूर्ण है। जिससे दुनिया की प्रमुख शक्ति बनने की होड़ से वैश्विक प्रतिद्वंद्विता का जन्म हुआ है। समकालीन उभरती भू-राजनीति की व्याख्या व उभरती परम्परागत व गैर परम्परागत सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत बनने की आकांक्षा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन है। समसामयिक मुद्दा इसके अध्ययन की आवश्यकता प्रस्तुत करता है।

शोध-प्रविधि-

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इसमें अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस शोध पेपर में व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन की विधि द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

प्रस्तावना-

“राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य हैं-राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखण्डता तथा सीमाओं की सुरक्षा।”-पैडलफोर्ड और लिंकन सुरक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, वैश्विक परिक्षेत्र में राष्ट्रीय हित प्रत्येक देश के सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सुरक्षा का क्षेत्र राष्ट्रीय हित के ही आसपास घूमता है। सुरक्षा से आशय यह है की देश का मूलभूत मूल्य जिस पर वह आधारित है। विश्व सुरक्षा की परिभाषा यदि हम करें तो सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणा खतरों के नए क्षेत्र के निर्माण में लग जाती है। जिसमें मानव अस्तित्व की स्थिति को खतरा और खतरों की परिस्थितियों का सामना सुरक्षा की गैर पारंपरिक सुरक्षा कहा जा सकता है।

वर्तमान परिदृश्य सुरक्षा के गम्भीर वातावरण से गुजर रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध इसका स्पष्ट उदाहरण है। विश्व के देशों में नई सोच विकसित हुई है की सुरक्षा के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा, अन्यथा कि स्थिति में हम सुरक्षित नहीं हैं।

सुरक्षा के प्रकार-

मुख्यतः सुरक्षा दो प्रकार का होता है-आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रूप आंतरिक सुरक्षा माना जाता है। देश के विकास के साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु व्यवस्था को सुदृढ़ता के साथ ही खतरों के प्रति सचेत होना। स्वास्थ्य, पर्यावरण, अपराध, आतंकवाद,

नक्सलवाद और अलगाववाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। बाह्य सुरक्षा जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। यह समस्या तेजी से बढ़ती वैश्विक वित्त विश्व में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा कर रही हैं।

जिससे नवसाम्राज्यवाद, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका में कमी, शक्तिशाली देशों के द्वारा दबंगई की नीति, जो सीमा विस्तार को बढ़ावा दे रही है। छोटे और अविकसित देशों की सुरक्षा जो महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन की गुणवत्ता को दांव पर लगा रहे हैं। आतंकवाद हमारी सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रति सामाजिक संवाद सुरक्षा का सिद्धांत संभावित हमलों के प्रकारों को जानना है। हमलों के लिए प्रेरणा और उन उद्देश्यों से आपसी संबंधों से अवगत होना है। इस तरह के खतरे के खिलाफ सुरक्षा या बचाव के स्रोत पर हमला करना जवाबी उपायों को लेकर धमकी देना या हमला करना मुश्किल पैदा कर है। बाह्य सुरक्षा हमारी क्षेत्रीय और वैश्विक सम्बंधों के आधार पर निर्धारित होते हैं।

सुरक्षा का क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत

किसी भी राष्ट्र की प्रतिरक्षा के लिए सेना के तीनों अंगों का शक्तिशाली व सामंजस्यपूर्ण सम्बंध होना चाहिए। युद्ध, विज्ञान, तकनीकी के साथ ही नई और परिवर्तित परिस्थितियां स्थापित होनी चाहिए, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में रक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व डाला जा सके। युद्ध की नवीन तकनीकों में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका ज्ञान व समझ होना आवश्यक हैं। इन तीनों क्षेत्रों में जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जैसे-अमेरिका और चीन उनकी सेना शक्तिशाली किन कारणों से हैं तीनों क्षेत्रों में शक्तिशाली कैसे बने इसे जानना ही पड़ेगा। सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को भारत अनदेखी नहीं कर सकता है।

क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारत को विकसित करना चाहते हैं, जिसकी परिकल्पना हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, तो हमें सुरक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे लेकर आना होगा, जिससे कि वह सब कुछ किया जा सके जो एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आवश्यक हैं। भारत के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसकी अनदेखी करना अच्छा नहीं है। हमें कई मामलों में हमारी सेना ने में विजय दिलाई है परंतु हम चारों मोर्चे पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ओर से अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां एकीकृत निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए समितियों की श्रृंखला के साथ रक्षा विभाग स्थापित किया गया कि समितियों ने सचिव सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय में एक मिलिट्री विंग द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इनके पीछे विचार था कि रक्षा से जुड़े मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने को सुगम बनाया जा सके। सैन्य अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। जिससे की आंतरिक व बाह्य रूप के आत्मनिर्भर बन सके।

भारतीय आंतरिक सुरक्षा

आत्मनिर्भर भारत आत्म केंद्रित भारत से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के साथ ही चलना होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से जुड़े हुए आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन की जीवन में गुणवत्ता काफी बेहतर करना ही आत्मनिर्भर है।

आत्मनिर्भर भारत के मायने अलग-अलग है। इसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 के महामारी जैसे दुष्प्रभाव से लड़ना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में भारत की विकास के साथ उसका पुनर्निर्माण भी करना है। यह विचार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से भी सम्मिलित होता है, जिस पर गांव के विकास के लिए गांव को आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। भारत के विकास के लिए भारत को रणनीति अपनानी पड़ेगी वह है-लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और ला पर फोकस करना जिससे कि भारत का विकास हो सके। आत्मनिर्भर भारत की पांच प्रमुख स्तंभ हैं उसमें है-इकोनामी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी गतिशील जनसांख्यिकी, ब्रांच डेमोग्राफी डिमांड इन सब के साथ ही भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सकता है।

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए कई बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान किया गया है, जिससे कि इनकी वास्तविक स्थिति में सुधार किया जा सके, और विकास की गति से जोड़ा जा सके, जो देश की विकास को गति दे सके। आर्थिक सुधारों की घोषणा के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए विभिन्न क्रेडिट कार्य योजनाओं की घोषणा, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण की कंपनियां इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर भी फोकस किया जा रहा है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया की पहल पर जोर दिया जा रहा है। जिससे कि भारत में बनी हुई चीजों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, जैसे आई0 एनध0 एस0 नौसेना युद्धपोत का सेना को सौंपना। देश के विकास की स्थिति को आगे बढ़ाने हेतु रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई निवेश सीमा से बढ़कर चार कर दिया गया हैं। सामाजिक संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए स्कीम लागू की गई हैं। निजी क्षेत्र में इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई हैं। निजी कंपनियों के सभी क्षेत्रों में अनुमति के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं।

यद्यपि आर्थिक सुधारों में दीर्घकालिक उपाय ज्यादा है, बल्कि तात्कालिक राहत कब मिल रही है। जनधन खाता नहीं होने से जरूरतमंद लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से वंचित हो रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि खर्च निर्धारित बजट के अतिरिक्त खर्च होगा या अलग-अलग योजनाओं के बजट में कटौती कर इसे उसी में अर्जेंट किया जाएगा, पहले से घोषित पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग की जा रही हैं।

अब आगे की राह भारत को विश्वस्तर की बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। औद्योगीकरण को डिसेंट्रलाइज करते हुए गांव, कस्बों और छोटे शहरों में ले जाना होगा जिससे कि सुविधाएं आम व्यक्ति की पहुंच हो सके। और वह विकास को गति दे सके। मांग बढ़ाने के लिए ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत है। देश में समग्र सुधार जैसे श्रम सुधार, सिविल सुधार, कौशल सुधार, शिक्षा सुधार आदि को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। टैक्स सिस्टम को नेशनल बनाने टैक्स सिस्टम को रेशनल

बनाने सिंपल और स्पष्ट कानूनों की ओर बढ़ने से और स्ट्रॉंग फाइनेंस सिस्टम बनाने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला आधारित सुधारों को बढ़ावा, उद्योगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

भारतीय बाह्य सुरक्षा

आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में चुनौतियां काफी हैं। पैकेज का वित्तपोषण करना मुश्किल होगा, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के दौर में अन्य देशों की हलचल का भारत के बाजारों पर सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही भारत को विश्व के अन्य देशों के साथ स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को सुरक्षा राशि देने से विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के हालात भी बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। बुनियादी ढांचे का विकसित ना होना भी एक बड़ी चुनौती है। भारत को बाह्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी करने की जरूरत के साथ ही भारत एक ऐसा राज्य है। जिसकी रक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। जबकि (जीडीपी) सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में रक्षा बजट में वृद्धि समय की मांग है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) दुनिया के सैन्य बजट पर नजर रखता है। 2019 में पूरी दुनिया का रक्षा बजट 1917 अरब डालर था। रक्षा बजट के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.4 फीसदी हिस्सा रक्षा पर खर्च करता है। जबकि भारत का पड़ोसी देश चीन रक्षा बजट के मामले में दूसरे स्थान पर है। चीन अपनी जीडीपी का 1.9 फीसदी हिस्सा रक्षा पर खर्च करता है। वहीं भारत रक्षा बजट के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत अपनी जीडीपी का 2.4 फीसदी हिस्सा रक्षा पर खर्च करता है। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत को बाह्य रक्षा के लिए अपनी पकड़ मजबूत रखनी ही होगी, तभी हम एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में भारत को स्थापित कर पायेंगे। भारत को सिर्फ स्थलीय सीमा ही नहीं यद्यपि जलीय सीमा की सुरक्षा भी मजबूती से करना होगा।

निष्कर्ष

सामयिक अंतराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में अंतराष्ट्रीय संगठन भी अर्थहीन होते जा रहे हैं। समय के साथ भारत को रक्षा के क्षेत्र में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए सुरक्षा के क्षेत्रों के महत्वपूर्ण परिवर्तन करना होगा। भारतीय सेना का भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है 1965 के युद्ध में हम कह सकते हैं कि वायु सेना का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो 1971 के युद्ध में नौसेना के योगदान की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। यदि हम सुरक्षित होना चाहते हैं तो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण व सहयोगात्मक बनाना ही होगा। क्योंकि यदि सेना कमजोर है तो हम अपने आंतरिक क्षेत्र में सशक्त होकर भी सुरक्षित नहीं हैं। बाह्य सुरक्षा हेतु हमें सामयिक अंतराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार अपनी रणनीतियों में अवश्य ही बदलाव करना चाहिए। जिससे की वैश्विक परिदृश्य में भारत अपना उचित स्थान बना सकें।

बीजशब्द (Keyword)—आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षा परिदृश्य, आंतरिक क्षेत्र, बाह्य सुरक्षा, रक्षा बजट, जीडीपी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- बी0एल0फडिया व डा0कुलदीप फडिया (2016), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन,आगरा।
- बी0पी0दत्त, बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय,दिल्ली।
- शीला ओझा, भारतीय विदेश नीति, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
- पुष्पेश पंत, एवं पाल जैन, (2004) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-सिद्धांत व व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- Venkatshamy, Krishnappa & George, Princy (2012) Grand Strategy for India 2020 and Beyond, Pentagon Security International, IDSA] New Delhi-
- Bhasin, Avtar singh, India's foreign Relation & (2003)
- Goswami, Namrata, (2016) India's Approach to Asia : Strategy, Geopolitics and Responsibility, IDSA, Pentagon Press, New Delhi, 2016.
- Sharma, R.C. and Sinha, P.C. (1994) India's Own Policy, New Delhi, Khama Publisher).

Website&

- <https://www.tv9hindi.com/world/world-top-10-defence-budget-country-india-ranks-3rd-according-to-sipri-506601-html>
- <https://www.drishtias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/internal-security-of-india-and-their-challenges>

नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत

मनोज कुमार

पीएच.डी.शोधार्थी, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल शिमला-171005

‘जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा
यथायथ विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।’
—स्वामी विवेकानंद

किसी भी राष्ट्र या युग में सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में कन्या, पत्नी और माता तीनों रूपों में नारी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। नारी शब्द संस्कृत भाषा में नृ अथवा नर शब्द से डीन् प्रत्यय (नृ+डीन्=नारी) करके निष्पन्न हुआ है।¹ आचार्य यास्क नर शब्द को नृत् नाचना से बताते हैं—‘नराः मनुष्याः नृत्यन्ति कर्मसु’।² ऋग्वेद के एक मंत्र में नारी को ‘ब्रह्मा’ भी कहा गया है।³ हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति “मातृ देवो भव”⁴ एवं “नास्ति मातृसमो गुरुः”⁵ की गौरवमयी भावना से प्रेरित नारी विषय अवधारणा संस्कृत साहित्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान में नारियों की भूमिका सृष्टि के आरंभ से ही है। जगत के प्रारंभ से सृष्टि संचालन में नारी का अतुलनीय योगदान रहा है। संतान को जन्म देने वाली नारी ही होती है। नारी के अनेक रूप हैं। बाल्यकाल में वह कन्या के रूप में होती है, बड़ी होने पर वह किसी की पत्नी के रूप में होती है, तथा पुत्र एवं पुत्री के उत्पन्न होने पर वह “माँ” कहलाती है। इस प्रकार हर रूप में उसका सम्मान होता है। मातृत्व गुणों से भरपूर नारी का स्थान भारतीय परंपरा में आदिकाल से ही उच्चतम रहा है। स्मृति ग्रंथों में भी नारी के विविध रूपों में मातृरूप सबसे अधिक परिलक्षित होता है जैसे कि कहा गया है—“माता तेभ्यो गरीयसी”⁶ हमारे शास्त्रों में नारी को आदिकाल से ही पूजनीय माना गया है। भारतीय वैदिक काल से ही मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, भगवती सरस्वती, पृथ्वी देवी तथा अन्य अनेकों रूपों में नारी की पूजा की जाती है। इसलिए भारतवर्ष का यह उद्घोष सर्वमान्य है कि—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्रफलाः क्रियाः॥⁷

इस प्रकार नारी का पृथ्वी जगत में सबसे ऊंचा स्थान है। वर्तमान समय में कोई भी क्षेत्र हो हर क्षेत्र में आधुनिक भारतीय नारी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। भारत को विश्व की अनूठी संपदा बनाने में नारियों की अहम् भूमिका रही है। नारियों ने अपने अद्भ्युत शौर्य, पराक्रम, दक्षता तथा कार्य कुशलता से भारतीय कला, संस्कृति, वेद, वेदांत तथा साहित्य को गौरवान्वित कर भारत को सोने की चिड़िया बनाया है। यद्यपि विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है परंतु भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुंमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ नारियों की भागीदारी होना असलमायने में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरूपियों को नकारते हुए एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना है। आज हम अपने चारों ओर पाते हैं कि आज की महिलाएं समाज को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। समाज महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना कदापि नहीं बनाया जा सकता। आज महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को सलाम करने के लिए उन्हें समान अधिकार और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से हर साल 8 मार्च को “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” मनाया जाता है। ताकि उन असाधारण व्यक्तित्व वाली महिलाओं के अद्भ्युत साहस और उपलब्धियों, उनके हौसले, जज्बे, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं की आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल गाढ़ी जाए और आने वाली भावी किशोरियों के लिए प्रेरणादायक बन सकें।

भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग-अलग चरों पर निर्भर करता है जिसमें केंद्र बिंदु में शामिल है हमारी संस्कृति एवं भौगोलिक स्थिति के मापक, जो महिलाओं की संपूर्ण शक्ति का निर्धारण करते हैं। जब तक महिलाओं को सार्वभौमिक क्षेत्रों में समान रूप से दर्जा नहीं दिया जाता तब तक आत्मनिर्भर भारत एवं श्रेष्ठ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है—शक्ति देना या अधिकार देना।⁸ सशक्तिकरण से तात्पर्य समाज में लिंग, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न होकर सभी को जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त करना है। यदि समाज का एक भी वर्ग निर्वल, कमजोर एवं असहाय रहा तो समाज का समूचा विकास संभव नहीं है। सशक्तिकरण से महिलाओं को शैक्षिक, राजनैतिक, औद्योगिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में सशक्त, मजबूत व स्वावलंबी बनाने से है। देश में महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सक्षम होने का अवसर प्राप्त हो ताकि वह प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें।

अमर्त्यसेन ने अपनी पुस्तक ‘इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी’ में लिखा है कि महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इसमें लाभ मिलेगा। इसलिए राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास शासन की गुणवत्ता एवं महिलाओं की सक्षमता दोनों पर निर्भर करता है।⁹ महिलाएं सशक्त तभी हो सकती हैं जब वह सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर हो अर्थात् आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ शारीरिक निर्भरता, मानसिक आत्मनिर्भरता, शैक्षिक आत्मनिर्भरता इत्यादि से संपूर्ण रूप से सर्वांगी हो। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल महिलाओं को शक्ति देने पर ही नहीं होता अपितु उन्हें मुख्यधारा के केंद्र बिंदु पर स्थान दिलाना होता है ताकि वे आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ-साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हमारे समाज को उच्चता के पायदान पर ले जाएं। महिला

सशक्तिकरण का अभिप्राय मात्र अवला से सबला बनाना नहीं है बल्कि उनके चहुंमुखी विकास से है। शाब्दिक अर्थों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति संपन्न व साधन संपन्न बनाना है। सशक्तिकरण मौन संस्कृति को तोड़कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया विशेषकर शक्तिहीन महिलाओं को इस योग्य बनाती है जिससे उसमें स्वायत्तता, स्वनिर्णय, आत्मविश्वास का विकास पैदा हो जिससे हमारे समाज की हर एक महिला अपने साथ होने वाली दमनकारी एवं सामाजिक कुरूपियों के प्रभाव से मुक्त होकर सामूहिक समझ के आधार पर काबिलियत को प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि देश के विकास की तस्वीर उस देश की महिलाओं की क्या स्थिति है इस पर निर्भर करती है यदि महिलाएं स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं, और सुरक्षित वातावरण में हैं तो उस देश को विकसित होने के पायदान से कोई नहीं गिरा सकता। क्योंकि शिक्षा ने महिलाओं को बहुत आत्मसात होकर मानसिक, शारीरिक रूप से एक खंबे की तरह मजबूती प्रदान की है। हमने देखा है कि 21वीं सदी की महिलाएं अपनी आजाद बुलंद सोच और सत्य निष्ठा से अपनी जीवन शैली में जीवन के प्रति सजीता निर्णय लेती हैं। आज के समय में हमने पाया है कि किस तरह से शिक्षा ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से अपने बलबूते पर खड़े होकर अपने जीवन में मौजूद पुरुष चाहे पिता हो या पति हो पर अपनी निर्भरता भी कम की है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को किस प्रकार एक रसोई तक सीमित रखा गया है, मगर आज का परिवेश इतना बदल गया है कि महिलाएं अपने घर, संसार की शुरुआती भूमिका से होकर एक पत्नी तक अनेकों रिश्ते बड़ी सजीदगी से निभाती हैं, और इसके साथ साथ महिलाएं पुरुषों के साथ समांतर रूप से कंधे से कंधा मिलाते हुए कार्यालय में भी अपना दायित्व पूर्ण रूप से अदा करती हैं। महिलाएं अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सब के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं सरकारी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हमने पाया है कि अधिकतर महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जीवन की अनेकों समस्याओं से लड़ना पड़ता है ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर महिलाओं के पास अपनी सेहत की देखभाल करने का ना तो समय होता है ना सोच होती है ना ही सुविधा होती है ऐसे में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के पास तो घरों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं होती। ऐसे में सरकार ने अपनी प्रत्येक नीतियों में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा प्राथमिकता दी है। भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत अभियान योजना' के तहत 'हर घर शौचालय योजना' शुरू की है, इसके अतिरिक्त 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'जननी शिशु सुरक्षा' जैसे अनेकों कार्यक्रम चला रही हैं।

हमने देखा है कि अकेली महिला चाहे विधवा हो, तलाकशुदा हो या अविवाहित हो उसे किस प्रकार से तनाव जैसी अनेकों सामाजिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। किस तरह से एक अकेली महिला को समाज में दरकिनार किया जाता है। हमेशा से सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलु के आचरण में नकारा जाता है। अर्थात् सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है।¹¹ परंतु आज समय बदल रहा है आज कोई भी क्षेत्र हो महिलाएं सर्वत्र अपना परचम लहरा रही हैं, क्योंकि वह अपने मजबूत इरादों से सशक्त हैं। देश में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग हैं। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को उच्च स्थान देने एवं सशक्तिकरण की दिशा में लिए गए अनेकों कार्यरत प्रयास किए हैं जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित हैं इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम पहल करते हुए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' नामक योजना शुरू की है। इस योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण समाज की योजना है जिसका उद्देश्य है लोगों को बेटीयों के जन्म से संबंधित जो रूढ़िगत धारणा है उसे तोड़ा जाए। इसके अलावा लिंग निर्धारण की रोकथाम, भ्रूण हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनका विकास, शिक्षा प्रदान करके नारी को सशक्त बनाना भी इस योजना की प्राथमिकता है। एक महिला को शिक्षित करना मानो आने वाली 10 पीढ़ियों को तरक्की के रास्ते पर शिक्षित करने के समान है क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा औजार या तंत्र है जिससे महिलाओं को समाज में अपनी प्रतिष्ठा, उच्च समानता का दर्जा हासिल करने में सफलता मिलती है। इस विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रसार ही उनकी उन्नति कर सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो महिलाओं को तथा देश को उनकी अवनति से बचा सकता है अर्थात् दुर्दशा से ऊपर उठा सकता है।¹² महिला का सशक्त होना समाज में महिलाओं को अनेकों वास्तविक अधिकारों से पर्याप्त होना है और अपने अधिकारों के प्रति सक्षम बनाना है ताकि हर महिला अपने नैतिक कर्तव्यों से संपूर्ण समाज को अवश्य दिशा में बदल सके।

महिला सशक्तिकरण के बारे में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1997 में संसद के विरोध सत्र में राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 में यह स्वीकार किया गया कि महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन में सक्षम बन सकें। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति पर विचार करते हुए वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया। नारी सशक्तिकरण की महत्ता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2001 को 'नारी सशक्तिकरण वर्ष' घोषित किया।¹³ समय के साथ महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को न केवल समाज व परिवारों बल्कि सरकार के स्तर पर भी अनुभव किया गया। हमारे देश के संविधान में स्त्री-पुरुष के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं किया गया बल्कि समान अवसर प्रदान किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ मानवीय मूल्यों का भी सशक्तिकरण होना अति आवश्यक है तभी हमारे चारों ओर समानता, न्याय और शांति होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव हो सकेगा जब पुरुष इस बात को समझेंगे कि यह उनके लिए भी अच्छा होगा और राष्ट्र के विकास के लिए भी अच्छा रहेगा। याद रहे कि उत्तम पुरुष समानता से भयभीत नहीं होते।¹⁴ भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय ने स्टेप (स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंज्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन) कार्यक्रम प्रारंभ किया जिससे महिलाओं को कौशल व रोजगार संबंधी आर्थिक व संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना कौशल आधारित योजना को बढ़ावा देते हुए स्किल इंडिया कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसके तहत महिलाओं को सहायता, रोजगार एवं उद्यमशीलता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, आइ.टी. समर्थित सेवाएं आदि कौशल का भी परीक्षण दिया जा रहा है।

केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए कल्याणकारी योजना एवं निशुल्क शिक्षा व्यवस्था अतिरिक्त पोषाहार, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, छात्रवृत्ति तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के माध्यम से महिलाओं को सहायता दी जा रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर सबका ध्यान गया है। विश्व के सभी देशों में नारी राजनैतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। भारत में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में ऊंचे-ऊंचे पदों पर नारी आसीन है। चाहे समाज सेवा हो या राष्ट्र सेवा हर क्षेत्र में नारी का योगदान सराहनीय है। नारी यह सब कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र को सशक्त बना रही है। भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के विकास पर अनेकों परिवर्तन

हुए हैं सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उन्हें ग्रामीण विकास व स्वावलंबन के नए क्षितिज प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर 50% आरक्षण प्रदान कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए 'बालिका पंचायत'¹⁵ की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजनीति में बालिकाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण के विषय में सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से आत्मनिर्भर होकर सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं। सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाएं सामाजिक भ्रातियों से ऊपर उठकर समानता के संबंध में समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करेंगीं। सत्य तो यह है कि जब तक नारी का उत्थान नहीं होगा तब तक देश और समाज की उन्नति भी संभव नहीं है एक नारी की महानता समस्त परिवार को महान बना देती है। कवि जयशंकर के शब्दों में-

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग तल में,
पीयूष स्तोत्र-सी बहा करो, जीवन के सुंदर संमतल में॥

अतः अब वह समय आ गया है कि नारी से संबंधित सभी प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए तभी सशक्त समाज का निर्माण संभव है।

संदर्भ:

1. स्त्रियां नृ-नरयोर्वृद्धिश्च इति शाङ्गरवाद्यजो डीन् (4/1/73)
2. निरुक्त, 5/1/3
3. ऋग्वेद 8/33/19
4. ऐतरेय उपनिषद्, शिक्षावल्ली, एकादश अनुवाक, 2.
5. महाभारत, शांति पर्व, 342/18.
6. औशनस् स्मृति, पूर्वार्ध, श्लोक, 141.
7. मनुस्मृति, 3/56.
8. डॉ. आभा सिंह, महिला सशक्तिकरण के सम्मुख चुनौतियां; आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में, पृ० 29.
9. प्रतियोगिता दर्पण, सितंबर (2002), पृ० 374.
10. रालैंड: वूमेन एंड एंपावरमेंट: इल्यूस्ट्रेशन, फॉम थर्ड वर्ड, मैकमिलन, प्रेस, 1998
11. योजना, सितंबर, 2016, पृ० 7.
12. प्रव्राजिका, आत्मप्राणा-सिस्टर निवेदिता-रामकृष्ण पेठ-नागपुर, 2001, पृ० 32
13. डॉ. आभा सिंह, महिला सशक्तिकरण के सम्मुख चुनौतियां; आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में, पृ० 32
14. कमला भसीन, भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तिकरण, योजना, सितंबर, 2016, पृ० 12
15. जनरल अवेयरनेस ज्ञानम्, ज्ञानम् पब्लिकेशन, अक्टूबर 2022, पृ०. 41

मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रभावित करने के कारक

सलिला सिंह

शोधार्थी, डा.राम मनोहर लाल अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव

मार्गदर्शक, एसोसिएट प्रोफेसर बी.एड. विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा, (उ.प्र.)

मानव एक मनो-शारीरिक प्राणी है। उसका व्यवहार शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं होता है वरन् शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब शरीर तथा मन दोनों ही प्रभावशाली तथा समन्वित ढंग से कार्य करते हैं तब ही व्यक्ति को पूर्णरूपेण स्वस्थ कहा जा सकता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ शरीर के सभी बाह्य एवं आन्तरिक अंगों के अपनी-अपनी जगह सही होने और उनके सही रूप में कार्य करने से होता है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मन के अपनी जगह सही होने और उसके सही रूप में कार्य करने से होता है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोस्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार-मानसिक स्वास्थ्य सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। मन जब स्वस्थ रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है परंतु मन के अस्वस्थ रहने से कई प्रकार की चिंताएं बीमारी आदि घेर लेती हैं। जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्रसन्न हैं, अपेक्षाकृत उनकी तुलना में अधिक बीमार पड़ते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं और जिनका जीवन खुशहाल है। मस्तिष्क तथा शरीर के बीच गहरा रिश्ता होने के कारण, जब प्रतिबल देर तक बना रहता है, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक सक्रियता को भी प्रभावित करता है। दैनिक जीवन के कार्यों में भी व्यक्ति के सोचने-समझने तथा कार्य करने की क्षमता दीर्घकालिक प्रतिबल के कारण बाधित हो जाती है। व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, वहाँ यदि माँग अधिक है तो व्यक्ति अत्यधिक थकान का अनुभव करता है। साथ ही साथ उसमें कुछ अभिवृत्ति से सम्बन्धित समस्याएं भी आ जाती हैं।

शारीरिक क्षीणता के अन्तर्गत देर तक रहने वाली थकान, कमजोरी तथा ऊर्जा की कमी को लिया जा सकता है। मानसिक क्षीणता अथवा परिश्रान्ति के अन्तर्गत चिड़चिड़ापन, निराशा, असहायता तथा अन्धी गली में होने का अनुभव होता है। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की इस अवस्था को तकनीकी रूप से बर्नआउट कहा जाता है। यह मुख्य रूप से प्रतिबल से जुड़े जटिल तथा अनवरत कार्य करने से होता है। ऐसा जीवन के अन्य अनुभवों के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए परिवार के एक गम्भीर रूप से बीमार सदस्य की देखभाल करने वाले बार-बार अत्यधिक थकान का अनुभव करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य शरीर एवं मन की स्थिति एवं मनोभावों पर निर्भर करता है। दोनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति केवल शारीरिकरूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है कि शरीर एवं मन दोनों कुशलतापूर्वक एवं संतुलित रूप से काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में किए गए शोध में यह देखा गया है कि जीवन मंघटित होने वाली दुःखद घटनाओं जैसे-प्राकृतिक आपदा (भूचाल तथा बाढ़, परिवार में मृत्यु, बेरोजगारी, परीक्षा में असफलता आदि के कारण लोगों में मानसिक, शारीरिक तथा मनोदैहिक बीमारियाँ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जब लोगों को अवांछित, अनिश्चित तथा भय की स्थिति में अधिक दिन अथवा समय तक रहना पड़ता है और जब ऐसी दशाओं को बदलने के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, तब ऐसी दशा में व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

1 मानसिक स्वास्थ्य का संप्रत्यय

वर्तमान युग जहाँ एक ओर भौतिक संसाधनों से परिपूरित होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के सामने अनेक नई-नई उलझनें, समस्याएं तथा बाधाएं भी उत्पन्न कर रहा है। असमान्य रूप से बढ़ती हुई कई प्रतिस्पर्धा, साधनों की कमी तथा जनसंख्या में वृद्धि, जीवन मूल्यों की स्थिरता, तथा किसी भी तरह से धन प्राप्त करने की इच्छा, तुरंत धनवान बनने की चाह, स्वस्थ जीवन दर्शन का अभाव, इन्द्रियों की कभी न होने वाली तृप्ति आदि ऐसी स्थितियाँ हैं जो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर अनुपयुक्त प्रभाव डालती हैं।

कई अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य का स्तर परिवर्तनशील होता है और एक औसत व्यवहार से इसकी तुलना की जाती है। असमान्यता से अभिप्राय होता है कि सामान्य से दूर। मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनुष्य का कोई आदर्श माडल नहीं है। सामान्य एवं असामान्य का प्रत्यय देश विशेष की

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। अतः यह एक सांस्कृतिक कारक के रूप में दृष्टिगत होता है। यूलमैन एवं क्रैस्नर (1969) के अनुसार जो व्यवहार सामाजिक मानदंडों पर खरा उतरे वह उत्तम है जो अन्य लोगों को बाधित करे उसे परिवर्तित होना चाहिए। परंतु कौन सा व्यवहार समाज सम्मत होगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ लोगों का विचार है कि समूह में उचित समायोजन ही मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों में कुछ कमजोरियां कुछ मजबूत पक्ष, उसे अपनी योग्यताओं और सुरक्षा का एहसास, अपने वातावरण को समझना, दुनिया की वास्तविकता को समझना, निराशा, कुंठा को सहन कराना, शारीरिक या मानसिक समस्याएं आने पर अपने आवेगों पर नियंत्रण रखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का प्रत्यय एक मानसिक दशा है। जिसमें लोग दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कुशलता से निभाते हैं और अन्य लोगों के कार्य में बाधा नहीं डालते। यह मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह कुंठा, शोक, दर्द, तनाव, द्वंद, ईर्ष्या, भय एवं चिन्ता से अछूता नहीं रह सकता है। जब कोई भी व्यक्ति संवेगों को तीव्रता के साथ सहन करता है तथा प्रभावी ढंग से कार्य करता है तो वह अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। व्यक्ति वास्तविकता से पलायन के लिए विभिन्न तरीके अपना सकता है, रक्षायुक्तियां प्रयुक्त कर सकता है, क्षतिपूर्ति कर सकता है तथा समस्या के स्रोत को नकार सकता है।

2. मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक वर्तमान में मनुष्य दिन प्रतिदिन भौतिकवादी होता जा रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति का पर्यावरण भी अभौतिक से भौतिक होता जा रहा है। पर्यावरण के इस परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में नयी समस्याएं प्रारम्भ हो गयी हैं। यह समस्याएं व्यक्ति के व्यवहार को जटिलता की तरफ ले जा रही हैं। आज के व्यक्ति के सामने समस्याएं एवं बाधाएं अपेक्षाकृत अधिक हैं क्योंकि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण उसका जीवन अधिक गतिशील और जटिल है। वृद्धि और विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति सामाजिक और भौतिक पर्यावरण से घिरा रहता है। इसलिए उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा इन कारकों से प्रभावित होता रहता है। एक अकेला कारक ही बहुत से प्रभाव उत्पन्न करता है वहीं कई कारक मिलकर एक प्रभाव की उत्पत्ति कर सकते हैं।

3. मानसिक स्वास्थ्य व शिक्षा

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है-बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बिना बालकों की योग्यताओं का उचित विकास सम्भव नहीं है और जिन बालकों में भय, चिन्ता, निराशा तथा अन्य समायोजन सम्बन्धी दोष व्याप्त हो जाते हैं उनका मन पढ़ने में नहीं लगता और सीखने में उन्नति नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त समायोजन दोष वाले बालक विद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जिनको समझने व समाधान के लिए शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है।

बालकों में कुसमायोजन की समस्या अत्यन्त गम्भीर समस्या है। कुसमायोजन की समस्या के कारण उनमें अनेक प्रकार के शारीरिक, व्यवहारात्मक व सांवेगिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे-बोलते समय हकलाना, तुतलाना, सिर के बाल नोंचना, नख काटना, चिड़चिड़ापन, आक्रामक व्यवहार, लड़ना-झगड़ना, शैक्षिक उपलब्धि में कमी, चिन्ता, डर, हीनता का भाव, आत्म-दोष, मानसिक तनाव, बेचौनी आदि। यदि ऐसी स्थिति लम्बे समय तक बनी रहती है तो बालकों के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बहुत सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। वे नकारात्मक संवेगों से मुक्त होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को भलीभांति समायोजित भी कर लेते हैं। अपने साथियों व शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं और यह उनके सीखने में सहायक होता है। इसके विपरीत मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होते हैं, उनकी संवेगात्मक स्थिति भी ठीक नहीं होती, वे नकारात्मक संवेगों से ग्रसित होते हैं, वे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और अपनी परिस्थितियों के साथ सही समायोजन नहीं कर पाते। ये सब उनके सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बच्चों के समग्र स्वास्थ्य का एक अनिवार्य अंग है। इसका बच्चे के स्वास्थ्य तथा विद्यालय में, कार्यस्थल पर और समाज में उनकी सफलता प्राप्त करने की योग्यता के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है। मानसिक और शारीरिक, दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बच्चों और युवाओं को समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास करने तथा उन्हें एक सर्वतोन्मुखी, स्वस्थ वयस्क के रूप में विकसित होने में सहायता करता है। एक सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा अपनी संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है, मित्र बना सकता है और अपने चारों ओर विद्यमान विश्व को जान सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है-संवेदनाओं को अनुभव करने तथा बच्चे के इर्द-गिर्द विद्यमान अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध विकसित करने की किसी बच्चे की क्षमता। इसे बच्चों में होने वाला सामाजिक संवेदनात्मक विकास भी कहा जाता है।

4. मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भावनात्मक विकास का गहरा संबंध है। यदि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उनका भावनात्मक विकास भी सुदृढ़ रहेगा। भावनात्मक विकास सुदृढ़ रहने का आशय है-संवेदनशील बनना और अपने स्वभाव में सहिष्णुता लाना। यही समय होता है, जब बच्चा अच्छी आदतों को अपनाने के साथ-साथ मानवीय गुणों को भी अपने व्यक्तित्व में रचता है, जिससे वह देश, समाज में अच्छे नागरिक की श्रेणी में आकर उसे ऊपर उठाने में सहयोगी बनता है।

बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका

शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का सच्चा सूत्रधार है। वह भावी पीढ़ी का निर्माता है। अतएव उसका उत्तर दायित्व बहुत अधिक है। वह अपने इस महान उत्तरदायित्व का निर्वहन तभी करने में सफल हो सकता है, जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसा शिक्षक ही अपने बालकों का स्नेह और विश्वास प्राप्त कर सकता है और उनको सही शिक्षा देने और विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सफल हो सकता है। अतएव शिक्षकों

का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। बालकों को पढ़ाने के लिए अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। विद्यालयी स्तर पर बालकों की क्षमताओं का विकास करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। इस स्तर पर सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर मार्गदर्शन करें और बालकों के बीच रहकर, उनको सहयोगपूर्ण कार्य करने, समस्याओं को हल करने और उनको स्वेच्छानुसार कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें। इसके लिए बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत बालकों की अनुक्रिया को स्वीकार करना चाहिए, कक्षा में शिक्षण करते समय कक्षा के प्रत्येक बालक को उत्तर देने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न विकल्प जुटाने चाहिए, छोटे-छोटे सामूहिक कार्यों का आयोजन करके बालकों को उन कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालकों के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठक करके वार्तालाप करना चाहिए। विविध बालकों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार प्रेमपूर्ण एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। ऐसे बालकों की व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए कुशल और योग्य व्यक्तियों द्वारा उनके लिए व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शिक्षकों को विविध बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु उनके माता-पिता का सहयोग लेना चाहिए तथा विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए जिसके माध्यम से विद्यालय और बालकों के माता-पिता के बीच सम्पर्क बना रहे। इस प्रकार आज एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों को जाने समझे, कक्षा में उनके व्यवहार को समझे उनके सीखने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करे, उनके लिए उपयुक्त सामग्री व गतिविधियों का चुनाव करे, बच्चे की जिज्ञासा को बनाए रखे, उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें, व उनके अनुभवों का सम्मान करे। तात्पर्य यह कि आज की जटिल परिस्थितियों में शिक्षकों की भूमिका कहीं अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व महत्वपूर्ण हो गई है। सीखने-सिखाने की परिस्थितियों में उत्साहवर्धक, सहयोगी तथा सीखने को सहज बनाने वाले बनें जो अपने विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभाओं की खोज में उनकी शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं को पूर्णता तक जानने में उनमें अपेक्षित सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों व चरित्र के विकास में तथा जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने में समर्थ बनाएं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 'गुप्ता एवं गुप्ता, अल्का. (2008). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान: शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
- 'जीत, भाई योगेन्द्र. (1965). शैक्षिक एवं विद्यालय प्रशासन: विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
- 'मोहम्मद, सुलेमान. (2003). 'व्यवहारपरक विज्ञानों में शोध प्रणाली विज्ञान': पटना, शुक्ला बुक डिपो.
- 'मिश्रा, महेन्द्र (2009). समायोजन मनोविज्ञान: अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, प्रहलाद गली अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली.
- 'राय, पारसनाथ. (1999). अनुसंधान परिचय: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा.
- 'मंगल, एस.के. (2009). शिक्षा मनोविज्ञान: द्वितीय संस्करण, पी.एचआई लर्निंग प्रा. लि. नई दिल्ली
- 'भार्गव, महेश. (2010). आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन: एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.
- 'चौधरी, प्यारेलाल. (2006). सामाजिक अध्ययन शिक्षण: स्वाति प्रकाशन, जयपुर
- चौहान रीता (2014-2015) शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा।

कामकाजी महिलाएं और जीवन संतुष्टि : महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में

श्रीमती वंदना जैन

सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान स्वामी विवेकानंद शास. स्नात. महाविद्यालय, नरसिंहपुर

समस्या :- कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं की जीवन संतुष्टि का अध्ययन करना।

प्रस्तावना -

आत्म निर्भर भारत अभियान एक ऐसी योजना है, जिसका आगाज 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएं की गईं, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधार सके, अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा ताकि देश की इकॉनमी वापिस पहले जैसे हो सके।

एक दूरदृष्टि यह थी कि उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना और सम्पूर्ण भारत का विकास करना है। इस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ “स्वयं पर निर्भर होना”। कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉक-डाउन ने सारे विश्व में हर किसी के लिए खाने, पीने और रहने में परेशानी की इस संकट से उभरने के लिए भारत को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता रही। यूं तो भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है, स्वयं के हुनर से स्वयं का विकास करना ही निर्भरता का सही अर्थ है। अर्थात् स्वयं कोई काम करना जिससे जीवन-यापन हो सके। आत्मनिर्भर भारत की इस पहल में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कोविड-19 के पश्चात् महिलाओं में एक नेतृत्व की भावना तथा आर्थिक रूप से परिवार का स्तम्भ बनने की भावना जागृत हुई। वर्तमान समय में आर्थिक कठिनाई तथा अन्य कारणों से नारी का घर से बाहर निकलकर कार्यकारी जीवन अपनाना आवश्यक हो गया है, अब उसकी यह समस्या नहीं रह गई कि वह कार्यकारी जीवन अपनाए या नहीं अपितु उसकी प्रधान समस्या घरेलू जीवन व घर के बाहर के कार्य के मध्य संतुलन रखना है।

पारम्परिक भारतीय समाज में सभी की भूमिका धीरे-धीरे बदल रही है, इस परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका बहुआयामी हो गई है। कामकाजी महिला होने पर उसकी विभिन्न भूमिका कहाँ बदलती है, कहीं पत्नी की भूमिका, वहीं माँ बनना, गृहस्थी चलाना ये नहीं बदलता, इसके साथ ही नौकरी तथा कार्य। वर्तमान में आत्मनिर्भर बनने हेतु महिलाएं नौकरी एवं व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी महिलाओं का भविष्य का जीवन आनंददायक तभी हो सकता है जब वे अपने कार्य और जीवन के प्रति संतुष्ट हों।

महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी घर और बाहर दोनों की होती है, जिसमें पत्नी, माँ, गृहणी, कामकाजी महिला की भूमिका के साथ न्याय उसमें तनाव की स्थिति निर्मित करती है। परिवार तथा कार्यस्थल के बीच सामंजस्य स्थापित कर ही जीवन संतुष्टि प्राप्त करती है।

मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी व्यक्ति में जीवन संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से समझना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उसके जीवन के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट होना लगभग असंभव होता है।

जीवन संतुष्टि से आशय प्रत्येक पहलू से संतुष्ट होना है, अर्थात् आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रत्येक क्षेत्र में अपनी संपूर्णता। जीवन संतुष्टि एक नया आयाम है जिसे Quality of Life कहा गया है। एक ऐसा परिवार जहाँ सभी सदस्य खुश हों एक दूसरे के लिए प्यार, आदर, उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सभी उसके पास हों। QOL एक नया संप्रत्यय है इसीलिए इस संदर्भ में अधिक शोध नहीं हुए है, इसे जिंदगी व जीवन के संदर्भ में ही लिया गया है। जीवन संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक वैवाहिक जीवन, सामाजिक स्तर, व्यैक्तिक स्तर हैं।

काम काजी महिलाएं वे हैं जिनका कार्यक्षेत्र केवल उनके पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं होता बल्कि वे घर से बाहर आकर कहीं नौकरी करती हैं या स्वयं कोई व्यवसाय खड़ा कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहती हैं।

वर्तमान समय में महिलाएं धीरे-धीरे यह महसूस करने लगी हैं कि इन्सान के रूप में उनका भी एक निजी व्यक्तित्व है तथा उनके जीवन का उद्देश्य मात्र पत्नी या माँ बनना नहीं अपितु आर्थिक विषमता दूर करना भी है।

वर्तमान शोध में द्वन्द्व, कुंठा व अन्य कारणों को मद्देनजर रखते हुए यह परखना निश्चित किया गया कि कामकाजी महिला की व्यक्तिगत जीवन में जीवन संतुष्टि कैसी होगी ? उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, आर्थिक स्तर संतुष्ट होगा या नहीं अर्थात् एक कामकाजी महिला अपने चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार देखती है और किस प्रकार अपने जीवन संतुष्टि का आंकलन करती है।

पूर्व अनुसंधान -

1. प्रमिला कपूर (1976) ने भारत में विवाह और कामकाजी महिलाओं की समस्या पर अनुसंधान कर पाया कि महिला का कामकाजी व आर्थिक स्वतंत्रता विवाह में कुसमायोजन पैदा नहीं करता।
2. गायत्री (1980) ने अपने अध्ययन में पाया कि घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कामकाजी महिलाएं ज्यादा संतुष्ट थीं।
3. कार्यरत महिलाओं में घरेलू महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा आत्मविश्वास था।
4. फिरी (1976) ने अपने अध्ययन कर पाया कि गृहणियों की अपेक्षा कामकाजी पत्नियों में जीवन संतुष्टि अधिक पायी गई।
5. अमीना (1996) ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि जब नौकरी व परिवार में द्वन्द्व हो तो कामकाजी महिलाओं की जीवन संतुष्टि निम्न हो जाती है।

उद्देश्य :-

कामकाजी महिलाओं के आर्थिक, कार्यक्षेत्र तथा कुल जीवन संतुष्टि का अध्ययन करना।

1. स्वतंत्र चर : अ- कामकाजी महिलाएं
ब- गैर कामकाजी महिलाएं
2. परतंत्र चर : जीवन संतुष्टि स्तर

परिकल्पनाएं :-

1. कामकाजी महिलाओं की 'वैवाहिक क्षेत्र' में संतुष्टि गैर कामकाजी महिलाओं में श्रेष्ठ होगी।
2. कामकाजी महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में संतुष्टि गैर-कामकाजी से श्रेष्ठ होगी।
3. कामकाजी महिलाओं की 'कार्यक्षेत्र' में संतुष्टि गैर कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होगी।
4. कामकाजी महिलाओं की कुल जीवन संतुष्टि गैर कामकाजी महिलाओं से श्रेष्ठ होगी।

परिसीमाएं :-

केवल जबलपुर शहर में ही विभिन्न लघु व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं का चयन किया, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष थी, जो विवाहित रहीं जिनके परिवार तथा बच्चे साथ रह रहे थे, जो शिक्षित थीं।

अनुसंधान उपकरण :-

डॉ. आलम एव डॉ. श्रीवास्तव का जीवन संतुष्टि परीक्षण, मैनुअल।

योजना :-

वर्तमान शोध के लिए जबलपुर शहर के चूड़ी व्यवसाय, विभिन्न गारमेट उद्योग जहां महिलाएं कार्य कर रही हैं, चुना गया फिर प्रतिदर्श चयन, कुल न्यादर्श, प्रदत्त संकलन व अंकीकरण किया गया।

प्रतिदर्श एक झलक :-

कामकाजी N = 100

गैर कामकाजी N = 100

परिणाम व विवेचना :-

कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं की 'वैवाहिक क्षेत्र' में जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन -

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रांतिक अनुपात	टी-मान
कामकाजी	96	8.28	1.49	0.15	2.28	> 0.05
गैर कामकाजी	95	7.76	1.68	0.17		
स्वतंत्रता के अंश - 189		0.05 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 1.97				
		0.01 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 2.60				

दृष्टिकोण

परिणामों से स्पष्ट है कि कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं की वैवाहिक क्षेत्र में जीवन संतुष्टि में 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं होता है।
कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं की शैक्षणिक क्षेत्र में जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन -

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रांतिक अनुपात	टी-मान
कामकाजी	96	7.34	1.38	0.14	1.00	> 0.05
गैर कामकाजी	95	7.12	1.76	0.18		

स्वतंत्रता के अंश - 189 0.05 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 1.97

0.01 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 2.60

परिणामों से स्पष्ट है कि कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं की 'आर्थिक क्षेत्र' में जीवन संतुष्टि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं की 'कार्य क्षेत्र' में जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन -

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रांतिक अनुपात	टी-मान
कामकाजी	96	8.21	2.03	0.21	3.28	> 0.01
गैर कामकाजी	95	7.16	2.38	0.24		

स्वतंत्रता के अंश - 189 0.05 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 1.97

0.01 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 2.60

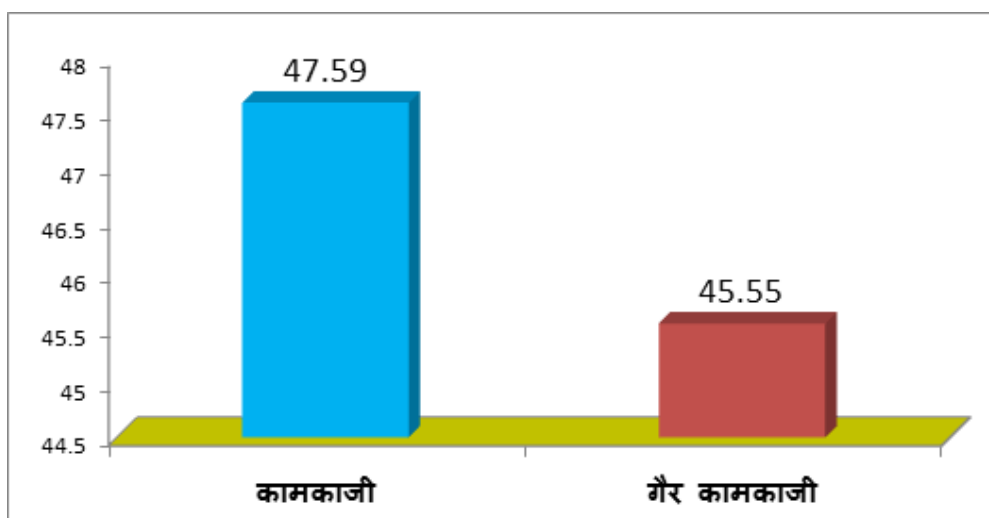
परिणामों से स्पष्ट है कि कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं की 'कार्य क्षेत्र' में जीवन संतुष्टि में सार्थक अंतर होता है।

कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं की 'कुल जीवन संतुष्टि' का तुलनात्मक अध्ययन -

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रांतिक अनुपात	टी-मान
कामकाजी	96	47.59	6.05	0.62	2.07	> 0.05
गैर कामकाजी	95	45.55	7.55	0.77		

स्वतंत्रता के अंश - 189 0.05 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 1.97

0.01 - स्तर पर सार्थकता हेतु न्यूनतम मान 2.60



परिणामों से स्पष्ट है कि कामकाजी एवं गैर कामकाजी महिलाओं की 'कुल जीवन संतुष्टि' में 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं होता है।

विवेचना :-

उपरोक्त अध्ययन यह बताता है कि कामकाजी होना जिससे अपने घर गृहस्थी का सामाजिक-आर्थिक पहलू सुदृढ़ हो जाये एवं स्वयं की QOL बढ़ जाए अपनी योग्यता का उपयोग कर आर्थिक स्वावलम्बन व स्वतंत्रता की खुशी प्राप्त कर सके।

सुझाव :-

1. महिलाओं की सीमित समय व सीमित कार्य के लिए नियुक्त करें।
2. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्टार्ट-अप या अन्य व्यवसाय के लिए ऋण मिले।
3. कामकाज के लिए बाहर रहने पर समाज अपना दृष्टिकोण बदले।

संदर्भ ग्रंथ

1. अलका रानी, 'भारत में पारिवारिक समाज शास्त्र का विकास' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 2006।
2. Singh K.P., "Carrer and family-woman Two roles" Indian Journals of Social Work, 1972, 33, 89-99.
3. कपूर प्रमिला, 'भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएं', प्रथम संस्करण 1976, राजकमल प्रकाशन-8, नेता सुभाष मार्ग, नई दिल्ली, 110002।
4. विकासात्मक मनोविज्ञान - रामजी श्रीवास्तव व अन्य मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2005।

कृषि तथा आत्मनिर्भर भारत

डॉ० दीप लता

निर्देशक, सहायक-आचार्य, संस्कृत-विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

प्रियंका

पूर्व शोधच्छात्रा, संस्कृत-विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

सारांश

वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल में कृषि एक सर्वश्रेष्ठ उद्योग है जिसमें समस्त सृष्टि का कल्याण निहित है। प्राणों की रक्षा करने वाले अन्न की उत्पत्ति कृषि से होती है प्राचीन भारत में भी मनुष्य भूमि, कृषि के उपकरण तथा सिंचाई के संसाधनों से परिचित थे। ऋग्वेद में खेत-क्षेत्र शब्द का प्रयोग करना स्पष्ट करता है कि अलग-अलग खेतों का अस्तित्व रहा है। जनजीवन कृषि पर आधारित था और 'कृषि कार्य करो' इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि कृषि करने के लिए प्रेरित किया जाता था। ऋग्वैदिक काल से ही मनुष्यों की जीविका का प्रथम साधन कृषि है। प्रारंभ से ही कृषि कार्य गौरवपूर्ण माना जाता था इसीलिए 'इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषाभिरक्षतु।' अर्थात् इन्द्र तथा पूषा देवों को इस कार्य में लगाया गया। यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता में कृषि कार्य को सामाजिक कल्याणार्थ उत्तम माना गया है। रामायण एवं महाभारत काल में भी प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। इसके बाद भी मध्यकालीन युग, स्वतंत्रता के पहले तथा बाद में कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो रही है। राष्ट्रीय आय में कृषि और उससे सम्बन्धित व्यवसाय जैसे पशुपालन, वन्य विज्ञान का हिस्सा 44%, स्थूल रूप में कुल निर्यात की कृषि वस्तुओं का अनुपात 50% के आसपास और कृषि से बनी वस्तुओं का अनुपात 20% के है। प्राचीन समय के रूढ़िवादी तरीकों और व्यवस्थाओं से अथवा केवलमात्र आधुनिक समय के आविष्कारों एवं प्रयासों से भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है इसीलिए नई और प्राचीन पद्धतियों को मिलाकर कृषि में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहना होगा।

मुख्य शब्द- कृषि, वैदिक, आत्मनिर्भर, आयाम, निवेश, प्रोटीन, आविष्कार।

प्रस्तावना

भारत में कृषि परम्परा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यह केवल खाद्य-पदार्थ उत्पादन की प्रणाली नहीं है बल्कि सम्पूर्ण मानवजाति की अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तम्भ है। सृष्टि के जीवन को दृढ़ता प्रदान करने में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि स्वयं में एक जीवन है, सम्पूर्ण प्राकृतिक विज्ञान है। इस चराचर जगत् को गतिशीलता प्रदान करने में, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक कृषि प्राणीजगत् के अस्तित्व एवं भरण-पोषण में मुख्य भूमिका निभाती आ रही है। भारत में कृषि जीवन का आधार, जीविका का साधन होने के साथ-साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर रूप में, उत्सव पर्व के प्रतीक रूप में और विभिन्न सभ्यताओं का पालन पोषण करते हुए निरन्तर विकास की ओर अग्रसर है।

वैदिक काल में कृषि

कृषि वैदिक काल से ही भारतीयों का एक प्रमुख उद्योग है। सबसे पहले कृषि कार्य में हल द्वारा बीज बोने का काम ऋग्वेद में मिलता है। जहां अश्विनी कुमारों ने सर्वप्रथम आर्यों को हल से बीज बोने का गुण सिखाया है। यथा-दशस्यन्ता मनवे पूर्व्यं दिवि यवं वृकेण कर्षथः।

अथर्ववेद में भी कृषि के बारे में विवरण मिलता है कि वैवस्वत मनु के वंश परम्परा में वेन का पुत्र पृथु राजा बना और उसने सर्वप्रथम कृषि का प्रारम्भ किया और अन्न की उत्पत्ति की।

यथा-तस्या मनुवैवस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम्।

तां पृथी वैन्योऽधोक् तां कृषिं सस्यं चाधोक्॥

बीजाई, कटाई आदि कार्य में हल चलाना, हंसिया, चलनी जैसे उपकरणों का प्रयोग करके गेहूं, जौ, धानादि फसलों को उगाया जाता था। ऋग्वेद में जुआ खेलने के बजाय कृषि के कार्य को करते रहने से सम्मान के साथ अन्न की उत्पत्ति करनी चाहिए। एक अन्य मन्त्र में क्षेत्रपति, सीता और क्षेत्रपति को लक्ष्य करके कृषि से सम्बन्धित जीवन का पता चलता है। यथा-

शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्

शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनम् अष्ट्राम उद् इङ्गय॥

अर्थात् जिस प्रकार बैलों की सहायता लेकर हल चलाकर, खेत जोत कर उसमें बीज बोया जाता है। उसके बाद वह बीज बढ़ा होकर फल देने वाला होता है। उसी प्रकार मानव शरीर रूपी खेत में अनेक प्रकार के कर्म रूपी बीजों को बोया जाता है और भविष्य में उसी अनुरूप फल मिलता है। अतः सभी कार्य सोच विचार करके करना चाहिए जिससे सुख एवं आनन्द की प्राप्ति हो सके। खेत जोत कर जौ, गेहूँ, धान, दाल, तिल जैसी फसलों को उगाने का विवरण ऋग्वेद और अथर्ववेद में विस्तार पूर्वक मिलता है। गृह्य और श्रौत सूत्रों में भी कृषि सम्बन्धित कार्यों, वर्षा से जुड़े विधि-विधान के साथ साथ चूहों और पक्षियों से फसलों की किस प्रकार रक्षा करें? इसका वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में भी बीज को बोना, खेत जोतना, फसलों की कटाई, मांडना आदि कृषि सम्बन्धित कार्यों का उल्लेख है। वर्तमान समय में अधिक फसल प्राप्ति के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है उसी तरह अथर्ववेद में भी उल्लिखित है कि लोग गाय के गोबर से खाद का प्रयोग करते थे। जैसे-

संजग्माना अबिभ्युषीरस्मिन् गोष्ठं करिषिणीः।

विभ्रती सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन॥

अर्थात् उत्तम खाद रूपी गोबर देने वाली, मधुररस युक्त दुग्ध देने वाली, निरोग एवं स्वच्छ स्थान पर विचरण करने वाली गौ माताएं श्रेष्ठ गौशाला में जाकर निवास करें। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी मनुष्य खाद का प्रयोग करते थे। खेतों में सिंचाई प्रबन्धन के लिए ऋग्वेद में दो प्रकार के जल का वर्णन है। 1. खनित्रिमा अर्थात् खोदकर निकाला गया जल। जैसे कुएं, बावड़ी इत्यादि। 2. स्वयंजा अर्थात् स्वयं उत्पन्न हुआ जल। जैसे नदी नालों का पानी। कुएं का पानी बड़ी बड़ी नालियों या नहर बनाकर खेतों तक ले जाया जाता था जिससे खेतों में नमी बनी रहती थी और खेत उपजाऊ होते थे। अथर्ववेद का एक संपूर्ण सूक्त ही कृषि से संबंधित है जिसमें कृषि कार्य के लिए आवश्यक ऋतु की अनुकूलता, भूमि की अवस्था एवं कठोर श्रम का वर्णन और इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हल से जोती गई भूमि को वर्षा के जल से सींचे तथा सूर्य अपनी उत्तम किरणों से उसकी रक्षा करें। इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। रामायण कालीन समाज में कृषि कार्य की महत्ता का ज्ञान लोगों की सभ्यता और संस्कृति से चलता है। राजा जनक के द्वारा हल चलाकर सीता माता की उत्पत्ति इसका एक प्रमाण है। यथा-

अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः।

क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता।

इसके अतिरिक्त धन सम्पदा से पता चलता है कि कृषि आय का प्रमुख साधन थी। यव (जौ), शाली, तण्डुल (चावल) इत्यादि फसलों का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लिखित है कि कृषि एवं पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। जब नन्द ग्राम के लोग इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे थे उस समय श्रीकृष्ण अपने पिता से पूछते हैं कि यह सब किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? तब नन्दराय कहते हैं कि हम मेघों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं उनका यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए अन्न से ही यह समस्त प्राणी जगत् धर्म, अर्थ, काम रूपी त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे-

तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे।

पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्य फलभावनः॥

पराशर मुनि का ऋषि पराशर एक मूल ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में निबद्ध कृषि से सम्बन्धित मंत्रों द्वारा संकलित है। इसमें कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, मेघ तथा उसकी जातियां, वर्षा माप (वर्षा का आकलन), अनुमान, अलग-अलग समय पर होने वाली वर्षा का कृषि पर प्रभाव, फसलों एवं भूमि की देखभाल, बैलों की सुरक्षा, गो-पर्व मनाना, गोबर की खाद बनाना, हल, जुताई, कटाई, रोपण, अन्न का संग्रह आदि विषयों पर विस्तृत रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन है कि अन्न ही प्राण है, बल है, सभी अर्थों का साधन है। अन्न से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है और बिना कृषि के अन्न की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः सभी कर्मों से पूर्व कृषि कर्म ही श्रेष्ठ है। यथा-

अन्नं प्राणा बलं चान्नमन्नं सर्वार्थसाधनम्।

देवासुरमनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीविनः॥

अन्नं हि धान्यसज्जातं धान्यं कृष्या विना न च।

तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कार्यम्॥

मध्य काल में कृषि-मध्यकालीन युग विदेशी आक्रमणकारियों, विद्रोहियों, राजा-रजवाड़ों का काल रहा है। जीवन निर्वाह के लिए इस युग में भी कृषि कार्य ही प्रमुख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कृषि को राज्य के स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखा गया। हल, भूमि उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक, अतिवृष्टि-अनावृष्टि के लिए भण्डारगृह, कृषि कार्य के उपकरण, फसलों की बिजाई के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण इत्यादि की व्यवस्था प्रभावी रूप में की जाती थी। भूमि का वर्गीकरण उन्नत, अच्छे बीजों की प्राप्ति, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, मानसून का पूर्वानुमान, कृषकों को राज्य से सहायता, बाढ़ व अकाल के समय राहत, लगाना निर्धारण तथा उसकी माफी, भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त, खेत-खलिहानों की व्यवस्था, वन संसाधनों का उपयोग, पशुपालन, फसलों का विक्रय, भूमि सुधार कार्यक्रम इत्यादि के विषय में व्यापक विवेचन प्रस्तुत किया है। इन व्यवस्थाओं ने आधुनिक कृषि व्यवस्था एवं कृषि नीतियों को अत्यधिक प्रभावित किया। अतिवृष्टि-अनावृष्टि के मापन की उन्नत व्यवस्था वर्तमान में भी वर्षा से होने वाले नुकसान को कम कर सकती है।

स्वतन्त्र भारत में कृषि-स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि 'सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर कृषि नहीं'। वर्ष 1960-61 में खेती को प्राथमिकता देते हुए सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके कारण किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। कृषि विकास में वित्तीय भूमिका को मजबूत करते हुए किसानों को उचित ब्याज दरों

और सही समय पर ऋण की सुविधा देने के लिए संस्थागत साख व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। सहकारी ऋण व्यवस्था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, नाबार्ड व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जैसे प्रभावी कदम उठाए गए। वर्ष 1951-1956 की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने, ग्रामीण जीवन के स्तर को ऊँचाई तक ले जाने, उसमें सुधार करने के लिए कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पञ्चवर्षीय योजना (1956-61) में सघन कृषि जिला कार्यक्रमों के आधार पर कृषि विकास का उद्देश्य रखा गया। इसके बाद भी पञ्चवर्षीय योजनाओं में कृषि से जुड़े कार्यों में सुधार करते हुए वर्ष 2012-17 की 12वीं पञ्चवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। साथ ही अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कृषि निर्यात नीति 2018 (एईपी), FAS कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजना, निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना आदि और कृषि के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।

आत्मनिर्भर भारत में कृषि-रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा उपकरणों में भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया। भारत को ना सिर्फ रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है बल्कि कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा। प्राचीन कहावत है कि 'सैनिक भी बिना भोजन के युद्ध नहीं लड़ सकते।' स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया- 'जय जवान जय किसान।' इसी में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वाक्य और जोड़ा- 'जय जवान जय किसान जय विज्ञान।' भोजन से लेकर मिसाइल तक आत्मनिर्भर होने के लिए इन दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि में आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें प्रत्येक वस्तु अपने घर पर पैदा करनी है। इसका मतलब यह है कि उन वस्तुओं में विशेषज्ञता हासिल करना जिनमें हमें तुलनात्मक लाभ मिले। कृषि अनुसन्धान एवं विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयास, में प्रयुक्त संसाधन, प्रयोगशाला से भूमि तक का विस्तार, पैदावार बढ़ाने के लिए निवेश, खरीद-फरोख्त में कुशलता, उपज का प्रसंस्करण और इसे किसानों के खेतों से उपभोक्ताओं तक ले जाना, इस प्रकार के कार्य एक देश को तुलनात्मक लाभ प्रदान करने में दूसरों से आगे बढ़ाता है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि सम्बन्धित आयाम निम्न प्रकार से हैं-

1. कृषि-आर एंड डी पर ध्यान-कृषि-अनुसन्धान और विकास कुल कारक उत्पादकता को बढ़ाता है और कृषि को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। कई बार जरूरी एवं उपयोगी बीजों को विकसित करने के लिए बुनियादी अनुसन्धान तथा विकास देश से बाहर अन्य देशों में होते हैं। उनका याद करके स्थानीय परिस्थितियों में देश के अनुसन्धान तथा विकास के साथ इन बीजों को उगाया जा सकता है और किसानों के खेतों में उगाने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार का एक मामला हरित क्रान्ति एवं श्वेत क्रान्ति के रूप में बहुत वर्षों पहले सामने आया था। इनमें हरित क्रान्ति का मुख्य उद्देश्य अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना एवं आयात में कमी करना है। इसके कारण भारत अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और भण्डारण क्षमता भी बढ़ी है। अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक, जैविक कृषि, मशीनों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं, खरपतवारों को नष्ट करने के तरीकों को अपनाया और कृषि आधारित उद्योगों की वृद्धि हुई है।
2. कृषि क्षेत्र में निवेश-भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि-जीडीपी का 1% कृषि-अनुसन्धान एवं विकास में निवेश करना चाहिए। लेकिन केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट से पता चलता है कि कृषि-आर एंड डी तथा शिक्षा पर यह खर्च कृषि-जीडीपी का लगभग 0.6% खर्च होता है। सरकार को अपनी नीतियों में इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
3. निजी क्षेत्र में भागीदारी-केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जो प्राइवेट क्षेत्र में भी अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमों में वृद्धि करें। विकास परियोजनाओं पर ज्यादा वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए प्रेरित करें, जिनमें भारत के वर्तमान कृषि व्यवस्था की चुनौतियों को दूर करने का सामर्थ्य हो। कुछ विश्वस्तरीय एवं स्थानीय कंपनियां जैसे महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, सिनजेटा, बायर, जैन इरिगेशन और एमएएचवाईसीओ अपने कारोबार का काफी हिस्सा आरएंडडी कार्यक्रमों एवं उच्चतम तकनीक के विकास पर खर्च करती है, जिससे सीमित शुद्ध बोए गए क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों, जल संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता तथा पोषक तत्वों से युक्त भोजन का उत्पादन करने की क्षमता को विकसित किया जा सके। लगातार बढ़ती जनसंख्या कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव एवं खाद्य असमानता के मध्य हमें यह देखना जरूरी है कि भोजन विषय में आवश्यक रूप से सोचा जाए। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण असंख्य लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा और खाद्य सुरक्षा एक विश्वस्तरीय चिंतन का विषय बन गया। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य पहल शराइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया और लोगों को पोषण सम्बन्धि लाभ से अवगत करवाया।
4. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22-2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि अनुसन्धान तथा विकास और कृषि विकास पर खर्च के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया। कृषि आर एंड डी पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया उर्वरक सब्सिडी का (0.88), बिजली सब्सिडी का (0.79) इत्यादि पर खर्च किए गए रुपए पर रिटर्न की तुलना में बेहतर रिटर्न (11.2) देता है। भारतीय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी लोकतुल्यता दुर्लभ संसाधनों के आबंटन में सर्वोत्तम विकल्प की ओर ले जाता है। वर्ष 2021-22 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत धीरे-धीरे दुनिया में कृषि एवं खाद्य उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत की कृषि विकास दर पिछले साल की तुलना में 3.9 % होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 20% की वृद्धि के साथ कुल कृषि निर्यात में 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार की स्थिति को निर्यात को बढ़ाने पर जोर देकर कृषि-निर्यात में वृद्धि के द्वारा देखा जा सकता है। (एपीडीए) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा सरकार ने विभिन्न प्रकार के अभियान जैसे बी2बी प्रदर्शनियों का आयोजन, उत्पाद विशिष्ट और सामान्य खरीद-फरोख्त के माध्यम से नए सम्भावित बाजारों की खोज ने विकास निर्यात के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। भारत में निर्यातकों को कुशल बनाने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला के परीक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए 220 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक काल से कृषि कार्य प्रमुख रहा है। भूमि उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक, अतिवृष्टि-अनावृष्टि के लिए भण्डारगृह, कृषि कार्य के उपकरण, फसलों की बिजाई के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण इत्यादि की व्यवस्थाएं प्राचीन समय से ही प्रयोग में लाई जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं ने आधुनिक कृषि व्यवस्था एवं कृषि नीतियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति 2018 (एईपी), FAS कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजना, निर्यात योजना के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना आदि और कृषि के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिससे पता चलता है कि भारत धीरे-धीरे दुनिया में कृषि एवं खाद्य उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अतः कृषि कार्य जितना अधिक होगा उतना अधिक भारत देश उन्नत एवं आत्मनिर्भर बनेगा। आधुनिक उपकरणों एवं यन्त्रों के माध्यम से कृषि कार्य करने से किसानों में भी जागरूकता आएगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

संदर्भ

1. ऋग्वेद, 8-22-6
2. अथर्ववेद, 8-10(4)-12
3. ऋग्वेद, 10-34-13
4. वही, 4-57-6
5. शतपथ ब्राह्मण, 1-6-1-3
6. अथर्ववेद, 3-14-3
7. ऋग्वेद, 7-49-2
8. वही, 8-69-12
9. अथर्ववेद, 3-17
10. रामायण, 1-66-13, 14
11. वही, 1-15-17, 2-49-3
12. श्रीमद्भागवदपुराण, 10-24-10
13. प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, कृषिपाराशरः, 1-6, 7
14. कौटिल्य, 2-24
15. <https://ballotboiindia.com>
16. तरुण गोयल, सामान्य ज्ञान, पृष्ठ 223-224
17. <https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/opinion/columns/budgeting-for-a-well-fed-self-reliant-india-agriculture>
18. <https://www.drishtiiias.com/daily-news-editorials/self-reliance-in-food>
19. <https://www.google.com/amp/s/hindi.krishijagran.com/others/protein-day-2022-protein-day-2022-theme/»3famp%41>
20. <https://www.drishtiiias.com/daily-news-editorials/self-reliance-in-food>
21. [https://www-ibef-org-translate-goog/exports/agriculture-and-food-industry-india_x_tr_sl%4en&_x_tr_tl%4hi&_x_tr_hl%4hi&_n_tr_pto%4tc\]sc](https://www-ibef-org-translate-goog/exports/agriculture-and-food-industry-india_x_tr_sl%4en&_x_tr_tl%4hi&_x_tr_hl%4hi&_n_tr_pto%4tc]sc)

परितोष चक्रवर्ती की रचनाओं में शिक्षित और आत्मनिर्भर के रूप में नारी का स्थान

कलमरेखा

शोधार्थी, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

डॉ० राजेश दुबे

निर्देशक, सहा-प्राध्यापक (हिंदी), शास-नवीन महाविद्यालय खरोरा (छ.ग.)

डॉ० मधु लता बारा

सह-निर्देशक, सहा-प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांश

लेखक परितोष चक्रवर्ती की रचनाओं में आत्मनिर्भर नारी का विशेष योगदान देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में नारी की भूमिका में विशेष योगदान दिखाई पड़ता है। शिक्षित और सक्षम नारी के रूप में अधिक है। परितोष चक्रवर्ती के उपन्यास 'अभिषाप्त दांपत्य' में पति-पत्नी के दांपत्य-जीवन के बारे में चित्रण किया गया है। जिसमें अधिकांश पति-पत्नी के बीच अलगाव अधिक देखने को मिलता है। जिसमें लगभग इस उपन्यास की सभी नारी शिक्षित और सक्षम रूप में शिक्षित होने के कारण आत्मनिर्भर होकर अपना काम-काज करके जीन-निर्वाह करते हुए दिखाया गया है। इस उपन्यास में कोई नारी डॉक्टर के रूप में कोई प्रोफेसर के रूप में तो कोई टीचर के रूप में अपने पति से अलग रहते हुए घर-परिवार। बच्चे संभालते हुए ऑफिस का भी कार्य करती हुई नजर आती हैं।

परितोष चक्रवर्ती की कहानियों में भी लगभग सभी नारी शिक्षित कामकाजी के रूप में अपना योगदान देती हुई दिखाई पड़ती हैं। दूसरी तरफ समझदार नारी के रूप में घर-परिवार चलाते हुए भी देखने को मिलता है। किस तरह वह घर-परिवार को बनाए रखने के लिए गृहणी के रूप में अपना योगदान देती हैं। पुरुष की तकलीफों में उसके साथ खड़ी रहती है सहयोगिनी के रूप में। परितोष चक्रवर्ती की रचनाओं में एक सफल नारी के रूप में देखने को मिलता है।

परिस्थितियों की प्रेरणा और सहयोग से नारी का स्वाभिमान एक नई दिशा की ओर करवट बदलने लगा। परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा उसके जागृत मन में उठने लगी। आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तभी वह पुरुष की दासता से मुक्त हो सकती है और समाज में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सकती है। नारी-समुदाय में शिक्षा के प्रचार-प्रसार करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्कालीन समाज-सुधारकों ने भी सराहनीय कार्य किए हैं। शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार होने के कारण स्त्रियों में एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर जीवन में प्रवेश करना आरंभ किया।

आधुनिक शिक्षा ने स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। परिणाम स्वरूप स्त्री भी पुरुष के समान परिवार का बोझ ढोती है। परंपरागत मान्यता यानी पुरुष रोटी कमाए और स्त्री परिवार पालन करे। आज टूट चुका है। आज की आधुनिक आत्मनिर्भर नारी पुरुषों के समान रोटी कमाती है। साथ-साथ घर के कामकाजों को भी निपटाती है। अतः उसे घर और दफ्तर दोनों जगह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। आत्मनिर्भरता के कारण आज की नारी जीवन की विकट समस्याओं पर स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है। क्योंकि “वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करके अपनी स्थिति को उच्च बनाने में संलग्न है। परदे में रहकर वह रक्त के आँसू बहाना प्रीतिकर नहीं समझती तथा वह अवगुण्ठन उसे सहन नहीं। यद्यपि युगों से नारी का कार्यक्षेत्र घर में सीमित रहा।”

आधुनिक शिक्षित नारी नौकरी की ओर आकर्षित है। इसका प्रमुख कारण है आज की आर्थिक स्थिति और शिक्षित नारी का स्वतंत्र चिंतन। आर्थिक परेशानियों से बाध्य होकर नारी कभी-कभी नौकरी के लिए घर से बाहर कदम रखती है और जहाँ आर्थिक विवशता का सवाल नहीं उठता। वहाँ नारी असंतोष

के लिए नौकरी करती है। साथ-साथ जीवन को ऊँचा उठाने की आकांक्षा भी उसमें होती है। परितोष के साहित्य में नारी की भूमिका विशेष रूप से देखने को मिलती है। वह नारी की शिक्षा को उच्च स्थान देते हैं। उनकी रचनाओं में नारी एक शिक्षित और समझदार नारी की तरह अपना जीवन-निर्वाह करती हुई दिखाई पड़ती है।

आज की सक्षम नारी की तरह अपनी समस्याओं से डटकर सामना करती हुई अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वयं जिम्मेदारी निभा रही है। इस उपन्यास की सभी नारी शिक्षित और सक्षम नारी का चित्रण है। सभी नारी पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर के रूप में कार्य कर रही हैं। हालाँकि दांपत्य-जीवन में पति-पत्नी के बीच आपसी मतभेद रहा है] लेकिन शिक्षित होने के कारण वह अपना जीविकोपार्जन की सुविधा खुद करती रही है। डॉ-रेणु इस उपन्यास की महिला-पात्र है। जो एक प्रोफेसर से शादी कर लेती है। खुद बहुत बड़ा डॉक्टर होने के कारण बीमार प्रोफेसर साहब का इलाज करके उसे ठीक करके स्वस्थ बनाया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉ. रेणु ने उस पर दया की भावना से शादी कर ली ताकि उसका अच्छे से देखभाल करके पूरी तरह स्वस्थ बना सके। रेणु उसके सौतेले बेटे की भी देख-रेख करती थी। इस तरह एक नारी आत्मनिर्भर के रूप में अपना दायित्व पूरा करती रही। रेणु डॉक्टर थी इसलिए डॉक्टरी सेवा में अधिक सेवा देना पड़ता। जिसके कारण प्रोफेसर नाराज होकर कहता है-“रेणु मैं तुम्हारे क्लिनिक में प्रयोग के लिए एक चूहा नहीं हूँ एक पढ़ा-लिखा पति हूँ। जीवन में और अधिक प्रयोगग झेलने की चाह नहीं है इसलिए जा रहा हूँ। बच्चे तुमसे ज्यादा हिल गए हैं अतः उन्हें यहीं छोड़े जा रहा हूँ। कभी इच्छा होगी तो आऊँगा नहीं तो नहीं।”²

प्रोफेसर अपनी पहली पत्नी के द्वारा छोड़े गए बेटे को भी रेणु के पास छोड़कर चला जाता है। रेणु डॉक्टर के रूप में आत्मनिर्भर थी इसलिए वह खुद को और उसके बच्चों को संभाल लेती है। इस तरह एक शिक्षित सक्षम नारी आत्मनिर्भर रूप में भूमिका निभाई है।

शेफाली भी ‘अभिषप्त दांपत्य’ उपन्यास की एक महिला पात्र है। जो पी-एच-डी-की रहती उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। शेफाली के पति उसे पढ़ाई से संबंधित गुरुजी मित्रों से चिढ़ना, शक करना, जिसके कारण शेफाली अपने छोटी सी बेटे को लेकर पति के घर से हमेशा के लिए मायके आ जाती है। धीरे से शेफाली कॉलेज में पढ़ने लगी, जिसे अपनी बेटे और माँ दोनों की जिम्मेदारी संभालती थी। इस तरह शेफाली भी एक शिक्षित और आत्मनिर्भर रूप में कार्य करके घर-परिवार चलाती थी।

नीति भी एक शिक्षित और सक्षम नारी के रूप में अपना जीवन-यापन करती है। नीति के ससुराल वाले भी बहुत तंग करते थे, जिसके कारण नीति भी अपने आत्मसम्मान को देखते हुए मायके में रहने लगी। नीति गणित में होशियार थी। जिसके कारण वह ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर का खर्च चलाती रही। ट्यूशन में इतने पढ़ने वाले बच्चे मिल गए कि कहीं नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह शिक्षित होने के कारण दूसरे पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने काम सक्षम नारी के रूप में खुद करती रही।

मिसेस बतरा भी इसी उपन्यास की महिला-पात्र है, जो एक पढ़ी-लिखी डॉक्टर रहती है, उसके पति मिस्टर बतरा उससे कम पढ़ा-लिखा रहता है, जिसके कारण वह दूसरों के बहकावे में आकर अपनी पत्नी पर शक करता है और अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। मिसेस बतरा एक महिला डॉक्टर थी। वह अपने घर में बच्चे भी संभालती और डॉक्टर का भी कार्य करके अपना फर्ज निभाती है। मिसेस बतरा शिक्षित और आत्मनिर्भर नारी के रूप में अपना जीवन-निर्वाह करती हुई दिखाई पड़ती है।

मिसेस तनु भी इस उपन्यास की शिक्षित और सक्षम महिला-पात्र है। शादी के कुछ साल पति-पत्नी दोनों एक ही छत के नीचे रहते जरूर हैं। लेकिन दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं। तनु अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल रही होती है। वह ऑफिस जाती है। अपना कार्य खुद संभालती है। अपने पति के भरोसे नहीं रहती। क्योंकि तनु कहती है-“दिवकत एडजस्टमेंट को लेकर कभी नहीं होती। दिक्कत होती है विचारों। रुचियों। पसंद-नापसंद के लादे जाने से। कोर्टशिप के दौरान जो आदमी आपकी हर बात में हामी भरता है। शादी के कुछ दिन बाद ही बदल जाता है। हमने भी प्रेम-विवाह किया और आज दोनों स्वंत्र हैं। नहीं। कोई मिला नहीं है। मैं आत्मनिर्भर हूँ। रोटी-कपड़े की कीमत पर गुलामी नहीं कर सकती थी।”³

तनु कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ न जाऊँ, इसका कार्यक्रम पतिदेव बनाकर दें। उनकी पसंद फिल्म से लेकर मेरे ब्लाउज की डिजाइन तक फैली हो। छोटी-छोटी सी बात पर चीखना-चिल्लाना और जानवरों जैसा व्यवहार सहन करने लायक सहनशीलता मुझमें नहीं है। वे दिन गए जब पुरुष की ज्यादातियों को औरतें सहती रहती थीं। तनु आज के समय में पूर्ण रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर के रूप में भूमिका निभाती हुई नजर आती है।

‘रिशते’ कहानी में शांता अपनी पढ़ाई-लिखाई करके सक्षम नारी बन जाती है। किस तरह वह परिवार से पढ़ाई के लिए लड़-झगड़ कर अपनी पढ़ाई जारी रखती है। बहुत संघर्ष करने के बाद शांता की नौकरी लेक्चरर के रूप में कॉलेज में हो जाती है। वह बहुत खुश होकर अपने भाई से कहती है-“देव मेरा अप्वाइंटमेंट सागर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर हो गया है।”⁴

शांता की पढ़ाई में तो शुरू से घर के लोग बाधा डाल रहे थे। अब नौकरी की बारी आई तब भी शांता का विरोध करना शुरू कर दिए कहने लगे-“घर की लड़की बाहर नौकरी करेगी! आखिर तनख्वाह के पैसों से होगा क्या। शादी कर लेनी थी। फिर आगे कुछ भी करती।”⁵ इस तरह शांता को बाहर जाने के लिए मना करना। लेकिन शांता का फिर भी हार नहीं मानना। वह कहती रही-“हम जायेंगे ही।”⁶ शांता का कहना है। वह कॉलेज में पढ़ाएंगी और उसी पैसे से वह अपना पी-एच-डी-भी कर लेगी। शांता भी एक सक्षम और आत्मनिर्भर नारी बन गई और आगे की पढ़ाई का खर्च खुद की कमाई के पैसों से कर लेगी।

परितोष चक्रवर्ती की रचनाओं में नारी संघर्ष करती हुई शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती गई। वह तो शुरू में पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा तो किसी को घर-परिवार-तो ससुराल वालों से तो अपने पति से सभी तरह से नारी को संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। लेकिन संघर्ष के साथ शिक्षित भी थी। जिसके कारण उसके जीवन की नाव डगमगाने के बजाय संभल गई और घर-परिवार संभालते हुए एक सक्षम नारी के रूप में अपना योगदान देती रही।

परितोष चक्रवर्ती ने अपनी रचनाओं में नारी को संघर्ष करते हुए जरूर दिखाया। लेकिन उसके साथ-साथ उसे सक्षम और आत्मनिर्भर भी बनाया और खुद जिम्मेदारी संभालते हुए न कि किसी पर आश्रित हुए इस तरह परितोष जी ने आज के यथार्थ समय के संघर्ष को झेलते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए परितोष जी ने आत्मनिर्भर नारी का चित्रण किया गया है। परितोष जी का रचनाओं में सक्षम और आत्मनिर्भर रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. बालकृष्णन, सुधा, नारी % अस्तित्व की पहचान (द्विसाठोत्तरी लेखिकाओं की कहानियों में)-वाणी प्रकाशन, संस्करण 2013, पृ. 13.
2. वही. पृ. 1-
3. वही. पृ. 15-
4. चक्रवर्ती, परितोष-अभिषप्त दांपत्य-दिल्ली % राजकमल प्रकाशन, संस्करण 1994. पृ-27
5. वही. पृ-60-
6. चक्रवर्ती, परितोष-घर बुनते हुए-सारांश प्रकाशन-संस्करण 1999, पृ-33-

आत्मनिर्भर गांवों में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

डॉ० अश्वनी

सह प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

संदीप

भूगोल विभाग, राजकीय महिला कॉलेज, फरीदाबाद, हरियाणा

प्रायः कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है या यूँ कहें कि भारत गांवों में बसता है। प्राचीन काल से स्थानीय स्वशासन में पंचायतों का योगदान सराहनीय रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज संस्थाओं को गांवों के विकास के लिए उत्तरदायी बनाया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी व 73 वें संविधान संशोधन की पंचायती राज संस्थाओं के विकास में मुख्य भूमिका रही है। 73 वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास में एक संवैधानिक मान्यता के साथ जिम्मेदारियां सौंपी। इस संशोधन ने 11वीं अनुसूची में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु 29 विषयों को सूचीबद्ध किया है जिन पर पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लालकिले से संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत शब्द नहीं, 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का आशय केवल आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, रचनात्मकता और स्किल्स को भी बढ़ाना है। हमें मेक इन इंडिया के साथ-साथ मेक फॉर वर्ल्ड की व्यापक संकल्पना के साथ आगे बढ़ना होगा। ग्रामीण विकास जिसमें कृषि, ग्रामीण उद्योग धंधे, स्कूल, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र, सड़कें, संचार साधन, जल आपूर्ति, बाजार व्यवस्थाएँ, साक्षरता आदि सम्मिलित हैं। ग्रामीण विकास केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि यह संपूर्ण जिंदगी की गुणवत्ता की संवृद्धि है जो ग्रामीण क्षेत्र में निम्नस्तर पर हर क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध हो। पंचायती राज से आशय एक ऐसी विकेंद्रित व्यवस्था से है जिसमें आम आदमी की भागीदारी के आधार पर समाज की व्यवस्था, नियोजन, प्रगति तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्य से किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सामाजिक समावेशन अच्छी तरह हो सकता है, संवैधानिक तौर पर भी पंचायती राज को इस संदर्भ में सशक्त आधारशिला भी दी गयी लेकिन फिर भी सामाजिक ताना बाने की जड़वादी सोच व राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज भी पंचायती राज संस्थाएँ सामाजिक समावेशन में सफल नहीं हो पा रही हैं। आज हमारे गांव भी वैश्वीकरण के प्रभाव व आधुनिकता के दौर में अपनी परंपरागत जीवन शैली को खोते जा रहे हैं। आज गांव भी शहरीकरण के प्रभाव में आकर अपने स्वरूप को बदल रहे हैं। आज गांवों की शहरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है जो कि समाजी मीडिया व उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में ओर तेज गति से बढ़ रही है। आज हमारे आत्मनिर्भर गांव संकट में हैं। इस तरह यह शोध पत्र समसामयिक पंचायती राज से संबंधित मुद्दों पर आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एक चर्चा का माहौल पैदा करता है।

गांवों की आत्मनिर्भरता पर एक समसामयिक संदर्भ में चर्चा

- ग्रामीण परिवेश पर आधुनिकता का जो प्रभाव पड़ा है उससे भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता भी प्रभावित हुई है। आज गांवों को भी विकास की बदलती संकल्पना ने प्रभावित कर दिया है। आज गांव भी अपने आप को भागम भाग की प्रतियोगिता में शामिल कर लिए हैं। आधुनिकता का अर्थ अपने आप को ग्रामीणता से दूर करना और यंत्रीकरण व औद्योगीकरण को अपनाना हो गया है। आधुनिकता के चक्कर में गांवों की आत्मनिर्भरता या कहें स्वावलंबन का विश्वास कहीं खोता जा रहा है।
- ग्रामीण जीवन पर शहरीकरण का बहुत प्रभाव पड़ा है। आज छोटे बड़ें सभी गांव अपने आपको कस्बों, टाउन या शहर में तब्दील करना चाह रहे हैं। ग्रामीणों की चाहत होती है कि उनका गांव से कोई हाईवे बन जाए या कोई बड़ी फैक्टरी बन जाए जिससे वे शहर बनने की तरफ अग्रसर हो जिससे वे विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाएं। इस तरह अपनी ग्रामीणता को छोड़कर पूरी तरह से सुख सुविधा व शहरों जैसा बनने के चक्कर में गांव भी शहरों पर आत्मनिर्भर हो गए हैं।
- गांवों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आज कृषि करने के परंपरागत तौर तरीके बदल गये हैं। बैलों की जगह ट्रैक्टर और आधुनिक औजारों पर कृषि निर्भर हो गई है जिससे किसानों की बिजली और मंहंगे उपकरणों से कृषि करना निर्भर हो गया है। परंपरागत कृषि औजारों व तरीकों को छोड़ने से छोटे छोटे किसानों की निर्भरता दूसरों के सुविधागत औजारों पर निर्भर हो गई है। गोबर की खाद्य की जगह रासायनिक उर्वरक उपयोग होने लगी है जो कि मंहंगी भी है। मंहंगे कीटनाशकों का प्रयोग ने खेती को खर्चीला बना दिया है। इस तरह यंत्रीकरण व मशीनीकरण से कृषि करने के तौर तरीके बदल गए हैं जिससे छोटे छोटे किसानों व मजदूरों की आत्मनिर्भरता प्रभावित हुई है। गांवों का इससे स्वभाव व प्रकृति भी बदल गई है।

- भारतीय ग्रामीण परिवेश पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है। गांवों का अपना रहन-सहन, खान-पान था जो की ग्रामीणता की विशेषताओं व सादा जीवन व उच्च विचार पर निर्भर था। आज गांवों में भी पश्चिमी कपड़े पहनना, शादी विवाह में दिखावा, घरों के निर्माण पर बेहद खर्च, फ्रिज, टी. वी., फिल्टर पानी पीना इत्यादि बेहद प्रभावकारी परिवर्तन हुए हैं जिससे हमारे गांवों का रहन सहन पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से हम दूसरे पर आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं।
- गांवों का जीवन पशुधन पर भी निर्भर था। आज हम देखते हैं कि पशुओं का पालने का कार्य कुछ ग्रामीणों तक ही सीमित हो गया है। पहले दूध दही व घी के लिए ज्यादातर ग्रामीण अपने स्वयंके पशुओं को पालकर घर चलाते थे लेकिन अब ग्रामीण भी दूध, दही, घी के लिए शहरों की डेयरी पर निर्भर हो गये हैं। पशुओं को नहीं पालना अब आधुनिक व सफाई का पैमाना बन गया है। शहरों व बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने गांवों के दूध दही के ताने बाने को बिगाड़ दिया है। भेड़ बकरी पालन व अन्य दूधारू पशुओं की जगह अब बड़े बड़े फार्म हाउस व व्यापारियों ने ले ली है। इस तरह पशुपालन के क्षेत्र में भी गांवों की आत्मनिर्भरता डगमगा रही है।
- गांव अपने कुटीर उद्योगों से आत्मनिर्भर थे लेकिन आज वैश्वीकरण व उद्योगीकरण के कारण कुटीर उद्योग गांवों से सिमटते जा रहे हैं। आज हम गांवों में भी परंपरागत व पुश्तैनी काम धंधों को बंद होते हुए देख सकते हैं। आज गांवों में भी बने बनाए चीनी सामान की भरमार है। प्लास्टिक के उत्पादन ने गांवों के कुटीर उद्योगों को बहुत ज्यादा नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है। आज कुटीर उद्योग धंधों के सामान को बनाना व अपने घरों में रखना एक फैशन हो गया है जो कि इतना ज्यादा मंहगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। फैशनपरस्ती ने कुटीर उद्योग धंधों से बनी हुई चीजों को बड़े बड़े शहरों के मालों तक पहुंचा दिया है जहां ग्रामीणोंका पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शहरीकरण व उद्योगीकरण ने बिचोलियों को बढ़ावा दिया है जिससे गांवों के किसान व मजदूर कुटीर उद्योग धंधों के लिए स्वामी से केवल एक सामान्य कारीगर बन कर रह गये।
- हमारे गांव अपने खान-पान व रहन-सहन की वजह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर थे। ग्रामीण अपने देशी नुस्खों व परंपरागत इलाज के तरीकों से आत्मनिर्भर थे। आयुर्वेद व यूनानी के घरेलू इलाजों से गांवों के लोग अपना इलाज करते थे। आज एलौपैथी व अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल से गांव वाले भी शहरीडॉक्टरों पर निर्भर हो गये हैं। आज गांववासी बीमार होते ही शहर की तरफ भागते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य व बिमारियों के इलाज के लिए भी गांव अपनी आत्मनिर्भरता खोते जा रहे हैं।
- शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह निजीकरण बढ़ा है उसका प्रभाव हम भारतीय गांवों में भी देख सकते हैं। आज ज्यादातर गांवों में प्राइवेट स्कूल खोले गये हैं। गांव वासी शिक्षा में गुणवत्ता को समझते हैं। आज किसान व गरीब मजदूर भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में दिलाना चाहते हैं। आज गांवों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है जिससे ग्रामीणों की अपने बच्चों को पढ़ाने की निर्भरता प्राइवेट स्कूलों पर बढ़ती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह पहले गुरुकुल व मदरसों की तरह परंपरागत शिक्षा संस्थाएं थी आज उनकी जगह आधुनिक कहें जाने वाली शिक्षण संस्थाओं ने ले ली है। आज कॉचिंग सेंटरों की भरमार गांवों में भी देखी जा सकती है। ट्यूशन पढ़ाने का चलन ग्रामीण प्रवेश में भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज गांव आत्मनिर्भरता खोते जा रहे हैं।
- गांवों का भाईचारा व प्यार-मोहब्बत जीवन का हिस्सा था। आज ग्रामीण जीवन के अंदर भी भाईचारा समाप्त होता जा रहा है जिससे एक आपसी समझ व एक दूसरे के विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। गांवों में राजनीति ने बहुत ज्यादा पैर पसार दिए हैं। गांवों में राजनीतिक दलों के आधार पर गुटबाजी बढ़ गई है जिससे मनमुटाव कभी कभी चरम पर पहुंच जाता है। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए आपसी सामंजस्य व भाईचारा बहुत ही जरूरी है जो कि आज गांवों में खोता जा रहा है।

उपरचर्चित पूरे संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की आत्मनिर्भर भारत में निम्न भूमिका हो सकती है-

73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 N) में निम्न कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये हैं जिनका विस्तृत तौर पर अध्ययन करने से पता चलता है कि ये सीधे तौर पर गांवों की आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए हैं।

1. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कट पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवसन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिस, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।

14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यासायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक कार्यकलाप।
22. बाजार और मेले
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास
26. समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक अस्तियों का अनुसरण।

- पंचायती राज संस्थाएं गांवों को स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती हैं। यदि ग्रामीण स्थानीय शासन की बात की जाए तो आज पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी मान्यता है और उनको प्रशासनिक व राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया गया है। आज पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। नौकरशाही पर निर्भरता पंचायती राज संस्थाओं से कम हो सकती है। इस तरह स्थानीय स्वशासन से गांव आत्मनिर्भर बनते हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं के पास गांवों में गली-सड़क बनवाना, बिजली व साफ सफाई की जिम्मेदारी है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की प्राथमिक जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की है जिससे गांवों की इनसे संबंधित समस्याएं यहीं पर सुलझ जाती है जिससे उन्हें सरकारी मशीनरी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। यदि पंचायती राज संस्थाएं इमानदारी व लगन से गांवों में बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दें तो हमारे गांव भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को स्कूली शिक्षा संबंधी बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं जिससे गांवों के स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है। बच्चों का स्कूलों में दाखिला, स्कूल भवनों का निर्माण, नये स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, स्कूलों में अनुशासन संबंधी मामले, अध्यापकों का समय पर स्कूल आना जाना, स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति इत्यादि विषय इस तरह के हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार है कि वे गांवों की शिक्षा में सहभागिता के माध्यम से विकास कर सकती हैं। इस तरह शिक्षा जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अहम विषय है वह गांवों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं व दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित किया इस तरह 73वें संविधान संशोधन द्वारा विकेंद्रीकरण की अवधारणा में महिलाओं व दलितों की भागीदारी को संवैधानिक मान्यता मिल गई है। अतएव पंचायतों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों में महिलाएं एवं दलित भी एक महत्वपूर्ण अंग विकेंद्रीकृत आयोजना का बन गई है जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया इस तरह 73वें संविधान संशोधन द्वारा विकेंद्रीकरण की अवधारणा में अनुसूचित जाति व जनजातियों की भागीदारी को संवैधानिक मान्यता मिल गई है। अतएव पंचायतों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों में अनुसूचित जाति व जनजातियां भी एक महत्वपूर्ण अंग विकेंद्रीकृत आयोजना का बन गई है।
- आज पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पंचायती राज संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा सकती है। आज जिस तरह पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या है इस तरह की समस्या का समाधान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है। हरे भरे गांवों को बनाए रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। पर्यावरण के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी है जो कि पंचायती राज संस्थाओं से पूरी हो सकती है।
- भारत में जातिवाद व धार्मिक आधार पर भेदभाव व झगड़ों को पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा खत्म करके भारत में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। गांवों में भाईचारा व आपसी प्यार मोहब्बत को पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सुरक्षित करके ग्रामीणों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है।
- गांवों के परंपरागत कुटीर उद्योग धंधों को पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा बढ़ावा देकर गांवों के पुश्तैनी काम धंधों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

- पंचायती राज संस्थाओं की गांवों के लड़ाई झगड़ों को आपसी बातचीत के माध्यमसे सुलझाकर न्याय व इंसोफ के क्षेत्र में गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से ग्रामीणों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बचाया जा सकता है। ये गांववासियों के पैसों को बचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभायेगा।

पंचायती राज संस्थाओं की यदि मुख्य समस्याओं जैसे ग्रामीणों की भागीदारी की कमी, गांवों का संपूर्ण विकास का होना, नौकरशाही का वर्चस्व, जनचेतना का अभाव, प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित और मानकीकृत नहीं है, पंचायती राज संस्थाएँ का राजनीतिकरण व गुटबाजी, पंचायतों में महिलाओं की कम हिस्सेदारी, स्थानीय अभिजन का प्रभुत्व, दलित नेतृत्व का कमजोर होना, पंचायती राज संस्थाओं का आपसी तालमेल न होना, पंचायती राज संस्थाओं को विकास का एकमात्र एजेंट समझना, ग्राम सभा सशक्त न होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार और अकुशलता की समस्याएँ के समाधान पर ध्यान दिया जाए तो ये गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

संदर्भ

- कुरैशी, अयाज अहमद (1996), पंचायती राज व्यवस्था, अयन प्रकाशन, दिल्ली।
- शुक्ल, आशुतोष (2007), पंचायती राज की बदलती तस्वीर, कुरुक्षेत्र, अगस्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- शर्मा, रविन्द्र कुमार (2010), शसामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध महिला सरपंच, कुरुक्षेत्र, जून, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- महीपाल (1999), 73वें संविधान संशोधन को अधिक कारगर बनाने की जरूरत, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- मिश्रा, स्वेता (1999), प्रशिक्षण के बिना पंचायती राज व्यवस्था अधूरी, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- मेंडर, हर्ष (1999), ग्रामसभाओं को संवैधानिक अधिकार, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

पूर्वोत्तर सांस्कृतिक विरासत-आत्मनिर्भर भारत

श्रीमती आराधना कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, महिला सेवा सदन डिग्री कालेज, प्रयागराज

“तू ही मेरे मन में तू ही जीवन में तू ही कण-कण में बसी मेरी माँ” ये कथन पूर्वोत्तर संस्कृति का आधार है।

भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्य अपनी विशिष्ट संस्कृतियों, विविध जन जातीय समूहों समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पतियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में से सात राज्य-असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा “सात बहनों के नाम से विख्यात है और आठवाँ राज्य सिक्किम इनके ‘भाई’ के रूप में जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों से समृद्ध यह क्षेत्र अपनी अनूठी भौतिक, आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताओं के होते हुये भी पारम्परिक और भावनात्मक रूप से एक है।

पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार ‘असम’-असम का अर्थ है आसमान, इस की राजधानी गुवाहाटी को ‘प्राग्जोतिश’ कहा जाता है। गुवाहाटी दो शब्दों के मेल गुवा + हाटी से बना है। युवा का अर्थ है ‘सुपारी’ और हाट का अर्थ है ‘बाजार’ इस तरह से यह शहर ‘सुपारी बाजार’ है। असम की संस्कृति का आधार स्त्री है जो न सिर्फ दुर्गा और काली की आराधना करती है-वरन् सदियों से मेखला चादर में लिपटी महिलायें चाय बागानों से ताजी पत्तियाँ चुनकर असम की अर्थव्यवस्था को सिंचती आ रही है।

‘बिहू’ असम का सबसे बड़ा उत्सव है, जो सात दिनों तक चलता है। यह उत्सव सांस्कृतिक एकता और कृषि कार्य में लगे सभी समूहों का आभार प्रकट करने का उत्सव है। ‘जादि’ असम की पारम्परिक बाँस की बनी टोपी है जिसे अतिथि को पहनाकर स्वागत किया जाता है। इसके साथ ही पारम्परिक गमछा और एक सींग वाला गैंडा प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया जाता है। ये सभी असम हस्तशिल्प के नायाब उदाहरण हैं।

असम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों में सुपारी का विशेष महत्व है। यहाँ अतिथि को बिना पान-सुपारी खिलाये जाने नहीं दिया जाता इसके साथ ही पान-सुपारी का प्रयोग पूजा व औषधि के रूप में भी किया जाता, स्त्री तथा पुरुष दोनों पान-सुपारी का प्रयोग करते हैं। वर की चारदीवारी सुपारी के वृक्षों को लगाकर बनायी जाती है।

असम कला का अद्भुत नमूना है बाँस की बनी वस्तुएँ हैं। उनके रोजमर्रा की छोटी से छोटी जरूरत से लेकर बड़े उद्योग इसी पर आधारित हैं-टोकरी, कुर्सी, टेबली, टेबली क्लॉथ, पर्दे, गलीचे, ब्रेसलेट रंगबिरंगी चूड़ियाँ, बालों के क्लिप, जूड़ा पिन, बाँस की बोतल, फोटो फ्रेम, गमले इसके अतिरिक्त बीस को कई रंगों से रंगकर उसमें खुशबूदार धूप और मसाले लगाकर अगरबत्ती बनायी जाती है।

लैंड ऑफ फेस्टिवल ‘नागालैंड’-पूरब का ‘स्विट्जरलैंड’ तथा ‘भूत जोलोकिया का घर’ के नाम से विख्यात नागालैंड में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मिलती है। 16 जन-जातियाँ तथा 66 उप जनजातियों के साथ नागालैंड अपने पूर्वजों की गाथाओं को संजोये हुये हैं। पूर्वजों की वीरता को दर्शाती इनकी पारम्परिक वेशभूष इन्हें अपनी मिट्टी से जोड़े रखती है।

इस राज्य में महिलाओं का बहुत सम्मान है। परिवार की मुखिया महिला तथा सम्पत्ति पर पहला अधिकार महिलाओं का होता है। नागाओं में कुँआरे युवक-युवतियों के सोने के लिए ‘मोरुग’ (कुमार गृह) होते हैं तथा सगोत्री विवाह वर्जित है।

यहाँ के वस्त्रों में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शालों का उपयोग किया जाता है। ‘मेत्सु’ शॉल गाँव के बुजुर्ग लोगों द्वारा पहना जाता है जबकि ‘रंग टोग्सु आओ’ महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पुरुष सिर पर रीछ या बकरी की खाल की टोपी, पंख, सींग तथा हाथी-दाँत व पीतल के भुजबन्ध पहनते हैं। इनमें शरीर गुदवाने का अधिक प्रचलन है। स्त्रियाँ उत्सवों तथा पर्वों पर पीतल के गहने, कौड़ियों व मोती की मालाएँ, रंग-बिरंगे वस्त्र पहनती हैं।

यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं-सुकरुण्ये, येमेशे सेकेरमी, मोत्सु माँग बुशू आदि। हार्नबिल राज्य द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है जिसमें-नागा कुश्ती, तीरदांजी, सौंदर्य प्रतियोगिता, नागा राजा मिर्च खाने की प्रतियोगिता आदि होते हैं।

नागालैंड अपने अनोखे रंग और डिजाइन के शॉल शोल्डर बैग, टेबलमैट आदि को बुनकर पारम्परिक कला को जीवित रखे हैं। यहाँ मुख्य रूप से मोटा कपड़ा बना जाता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के समान, हर्बल उत्पाद, बाँस की कलाकृति यहाँ के प्रमुख शिल्प हैं। लौहे, पीतल और टिन का उपयोग उत्तम किस्म के आभूषणों को बनाने में किया जाता है।

सॉडबर्ड ऑफ इण्डिया ‘मिजोरम’-इसका शब्दिक अर्थ है ‘पर्वत निवासियों की भूमि’ जबकि स्थानीय भाषा में यह राज्य ‘उच्च भूमि के निवासी’ कहलाती है। अपने स्वच्छ शुद्ध वातावरण को संजोये हुये 21 खूबसूरत पहाड़ी शृंखलाओं को लिये हुये हैं। यहाँ कई प्रजातियाँ हैं तथा पुरुष प्रधान मिजो समाज है जहाँ सख्ती के साथ ‘तल्वमंगैना’ का पालन किया जाता है। यह एक आचार संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति को जाति और पंथ के साथ अपने साथियों के प्रति दयालु उदार और अतिथि सम्मान पर बल देती है।

यहाँ के पारम्परिक पोशाक में सफेद और काला रंग अधिक देखा जा सकता है। महिलायें पारम्परिक परिधान 'कब्रेची ब्लाऊज पॉन्ची' के साथ पहनती हैं 'पूँछी' भी एक विशेष परिधान है। पुरुष वर्ग साधारण वस्त्र पहनता है जो लाल और सफेद रंग के बने होते हैं। अपने विशिष्ट 'बाँस-नृत्य' से विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले मिजोरम में गीत-संगीत का विशेष महत्व है। कृषि आधारित संस्कृति होने के कारण यहाँ के सारे नृत्य उत्सव उसी से जुड़े हैं। जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक गाथा की अभिव्यक्ति करते हैं। 'पावलकूट' त्योहार फसल कटाई के बाद ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है तथा 'छपरा कुट' चपचार कुट तथा थाफलावांग कुट प्रत्येक उत्सव की अलग-अलग वेशभूषा है इसके साथ ही चावल के बने पकवान उत्सव को पूरा करते हैं।

पुरुष विभिन्न प्रकार के बेंत और बाँस के शिल्प बनाते हैं जिन में विभिन्न प्रकार की टोकरीयाँ, बाँस के घर तथा फर्श आदि। लोकप्रिय वस्त्रों के उत्पादन हैं-पुओनदम, थंगो पुओन, पुओन पाई, जौलपून, विभिन्न प्रकार के मोतियों और चाँदी के गहने यहाँ की शिल्प के उदाहरण हैं।

पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य 'त्रिपुरा'-'त्रिपुरा सुन्दरी' के नाम से विख्यात त्रिपुरा का स्थानीय भाषा में अर्थ है 'तुई (पानी) + प्रा (निकट) त्र पानी के पास' जनजातीय रीति-रिवाजों, लोक कथाओं व लोक गीतों का अद्भुत संगम है। यहाँ 19 आदिवासी समूह हैं जिनमें से पाँच प्रमुख हैं जिन्हें 'पंच' कहा जाता है। आदिवासी समुदायों को दो भागों में विभाजित किया गया है-मूल निवासी तथा अप्रवासी।

'गरिया' यहाँ के प्रमुख धार्मिक नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समुदायों के नृत्य हैं-वागला, हाई हक नृत्य, ओवा नृत्य होजगिरी नृत्य ली-बांग नृत्य ये सभी नृत्य विविधता में एकता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही स्थानीय संगीत वाद्ययंत्र-'सुमुई' जो कि एक प्रकार की बाँसुरी है तथा 'खम' जो कि एक प्रकार का ड्रम तारों पर आधारित 'सारिडा' और 'योगपगांग' प्रमुख हैं जो विभिन्न समुदायों के लोक गीतों एवं नृत्यों में प्रयुक्त होते हैं।

त्रिपुरा के पारम्परिक वस्त्र हैं-रीसा, रिग्नाई और रिक्कुटा। 'रिगनै' कमर के चारों ओर लिपटा हुआ एक बहुत लम्बा और चौड़ा कपड़ा है जो घुटने तक होती। इसमें हस्तकला की कढ़ाई होती है। इसकी तुलना में 'रीसा' छोटा होता है जो शरीर के ऊपरी भाग के लिए होता है इसमें सुन्दर कढ़ाई होती है। हर कबीले का अपना 'रिग्नाई' होता है जिसमें विशेष डिजाइन और पैटर्न होता है। इसके साथ महिलायें विशेष रूप से मोतियों और सिक्कों की माला पहनती हैं। पुरुषों के लिए 'रिक्कुटा' गमच्छा वस्त्र है जिसे 'कुबाई' के नाम से जाना जाता है।

बादलों का निवास स्थान 'मेघालय'-'पूर्व का स्कॉटलैण्ड' के नाम से विख्यात मेघालय अपने प्राकृतिक रंग-रूप तथा कीड़ों को खाने वाला पौधा 'पिचर पौधे' के लिए विश्व विख्यात है। जनजातीय समूहों की रचनात्मकता, ईमानदारी और सहजता से समृद्ध है यहाँ की संस्कृति। तीन प्रमुख जनजाति-गारो खासी, जयंतिया के विविध मान्यताएँ एवं कला इसको समृद्ध बनाते हैं।

'खासी' जनजाति मातृ प्रधान और जयंतिया जनजाति मातृवंशीय हैं जिनमें मतृ व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारी परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है।

मेघालय के पहनावे में सादगी है। महिलायें पारम्परिक पोशाक 'जेनसेन' पहनती हैं जो बिना सिला हुआ कपड़ा है जिसे चारों ओर लपेटकर पहना जाता है। यह रेशम का बना होता है जबकि गारो जनजाति की ग्रामीण महिलायें-ईकिंग तथा डाकमंडा' पहनती हैं। 'एंडी' शॉल अन्य प्रमुख पहनावा है पुरुष मुख्य रूप से लंगोट पहनते हैं खासी जनजाति के पुरुष कमर के चारों ओर कपड़ा पहनते हैं इसका बहुत महत्व है इस वस्त्र को पगड़ी के रूप में बांधा जाता है। इनके आभूषणों में 'किंजरी केस' सीम शादनों क्रम 'पेला' और 'रिगिटोक' प्रमुख है। ये प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा पहना जाता है।

यहाँ के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग मदिरापान है। प्रमुख त्योहारों में 'पांब लांग-नॉगक्रम' जिसे नॉगक्रम भी कहा जाता है इसके अतिरिक्त शादसुकमिनसीम, बेहदीनखलम, बेहडेंखिलम, लाहू तथा पारम्परिक नृत्य है-डोरा गाटा, डूडूसुआल, लाहो, शाद सुकमि। जिनमें भैंस के सींगों, बाँसुरी और मृदंगों से निकले स्वर लहरियों के साथ नृत्य किया जाता है।

मेघालय अपने 'अनानासफाइबर' की वस्तुओं, मिट्टी के खिलौने गुड़ियाँ, लकड़ी पर नक्काशी, बेंत-बाँस की वस्तुओं (वुड काविगे, बम्बू वर्क, केनवर्क, स्टूल, बास्केट, बैम्बू फिशिंग ट्रैप, कैन कटेनर, ज्वेलरी ट्रे, फैन्स आदि) हाथ की बुनाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती आ रही के लिए प्रसिद्ध है।

मणियों की भूमि 'मणिपुर'-'अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ-साथ कृष्ण की अन्यनय भक्ति के साथ भारत के गहने के नाम से विख्यात मणिपुर अपने प्रत्येक कार्य के लिए प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ की संस्कृति कृष्ण की लीलाओं, प्रेम और लाइ हारोबा उत्सव से जुड़ी हुयी है। 'लाइहारोबा' पारम्परिक अनुष्ठानों, श्रुति साहित्य और नृत्य का संगम है।

मणिपुर का कोई भी उत्सव गीत और नृत्य के बिना पूरा नहीं होता। इन नृत्यों के लिये किये जाने वाले शृंगार और पहने गए विशेष परिधान मणिपुर की अपनी विशेषता है। मणिपुर के सभी त्योहारों पर बजने वाला पारम्परिक वाद्ययंत्र झुका हुआ 'मोनो स्ट्रिंग पेना' है। यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं-पुंग चोलम, माई नृत्य, खम्बा थाबी नृत्य और नूपा नृत्य शामिल है। यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं-लाई हारोबा, रास लीला, चिरओबा, निंगोल चाक-कुबा, रथा-यात्रा आदि।

मणिपुर में पुरुषों की पोशाक मुख्य रूप से सफेद धोती कुरता और सफेद पगड़ी तथा महिलायें विशेष प्रकार का कपड़ा पहनती हैं जिसे 'इनाफी' कहा जाता है ये एक प्रकार का शॉल है।

हथकरघा उद्योग राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। इसमें प्रमुख रूप से महिलायें हैं जो साड़ी, चादर, पर्दे, स्कार्फ तथा तकिये के कवर महीन डिजाइन के साथ बुने जाते हैं। 'कौन फक' नामक चटाई तथा तकिये ईश के रेशों से बनाये जाते हैं। इसके साथ 'फाक' डबल बुनाई की चटाई है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 'लॉंगपी मिट्टी' के बर्तन जो ग्राउण्ड काले सार्पिन पत्थर और जटिल डिजाइनों वाले होते हैं इसे सिर्फ नागा जनजातियाँ ही बनाती हैं।

आर्किड का स्वर्ग 'अरुणाचल प्रदेश'-यहाँ वर्ष भर हर पहाड़, नदी और झील के किनारे रंग-बिरंगे फूलों से लदे पेड़ वर्ष भर देखने को मिलते हैं। अरुणाचल की संस्कृति और कलाएँ प्रकृति, जनजातियों के जीवन व कृषि पर आधारित हैं। अरुणाचल में 26 से ज्यादा जनजातियाँ हैं और 100 से ज्यादा उप जनजातियाँ इन सबकी अपनी वेश-भूषा, त्योहार और नृत्य हैं। ये सभी मिलकर आदिवासी समुदायों का सबसे बड़ा राज्य बनाते हैं।

अरुणाचल के प्रत्येक जनजाति अपनी परम्पराओं और रीति-रिवाजों का पालन करती है। नृत्य लोगों की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारम्परिक नृत्य बारडोछम के अतिरिक्त पुजारिन मंत्र/पुजारी युद्ध नृत्य और बौद्ध अनुष्ठानों में अधिकतर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अहिला और पुरुष साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं समूहों में पोनुए/पोनू का प्रदर्शन किया जाता है सांगकेन फेस्टिवल, लोसार, सोलुग, न्योकुम, ट्री त्योहार, बौरी बूट, खान, गोमकुम, गोम्पा, तमालु मोपिन और अरान।

अरुणाचल की वेशभूषा जीवंत और रंगीन है। महिलायें कमर से नीचे लुंगी नुमावस्त्र तथा झबलानुमा वस्त्र कमर से ऊपरी भाग में पहना जाता है-पुरुष घुटनों से ऊपर तक धोती और ऊपरी भाग में फटका धारण करते हैं। पक्षियों के पंख से मुकुट बनाकर धारण करते हैं। उत्सव के समय इन वस्त्रों पर अलंकरण किया जाता है।

शिल्प के आधार पर अरुणाचल प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-बौद्ध जनजाति पर आधारित क्षेत्र में सुन्दर मुखौटा, मोनपा सुन्दर कालीन और चाँदी के लेख बनाये जाते हैं। अपतानी हिल मिरिस और आदिस में बाँस और बेंत के सामानों के अलावा अपतानी एडिस, गेल, शोल्डर बैग और मिशमी के काटे शॉल और जैकैट बनते हैं। वही दक्षिण पूर्वी भाग में लकड़ी की नक्काशी के अतिरिक्त, बकरी के बाल, हाथी दाँत, पीतल और चश्मा बनाया जाता है। लकड़ी पर नक्काशी और रंग-बिरंगी बाँस की बारीक बुनाई सुन्दर मुखौटे तथा आदिवासी समुदायों द्वारा प्रकृति के रंग और सौन्दर्य द्वारा अरुणाचल की गौरव गाथा को कहते हैं।

चावल की घाटी 'सिक्किम'-सात बहनों के भाई सिक्किम का लिम्बू भाषा में अर्थ है 'नवीन महल' यह राज्य एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जो विभिन्न जनजातियों आकर्षक लोक नृत्यों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, अद्भूत रंगों और विभिन्न पुष्पों से सुशोभित है।

सिक्किम में हिन्दू और बौद्ध धर्म की संयुक्त परम्परा को देखा जा सकता है। यहाँ अधिकांश उत्सव बौद्ध धर्म के मनाये जाते हैं किन्तु हिन्दु उत्सवों को भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रमुख त्योहार हैं-माघे संक्रांति, चौत्र दसाई (रामनवी), दसाई त्योहार, सोनम लोसांगू, नाम संगू, तेन्दो गे हलो रूम फाट (तेन्दो गे पर्वत की पूजा) लोसर उत्सव, होली, दुर्गा पूजा आदि।

सिक्किम प्रमुख रूप से तीन जनजातियों लेप्चा, भूटिया और नेपाली में विभक्त है इस कारण वेशभूष भी तीन तरह की दिखायी देती है-लेप्चा पुरुषों की पारम्परिक वेशभूष 'थोकारो-दम' है जिसमें सफेद पायजामा 'थेन्से' एक लेप्चा शर्ट और 'शबो' टोपी है जबकि भूटिया पुरुषों की पारम्परिक वेशभूषा 'खो' है जिसे 'बाखू' भी कहा जाता है। वहीं नेपाली पुरुष चूड़ीदार पायजामा, एक शर्ट जो किंदउरा शामिल होता है जो शूरवल के ऊपर पहना जाता है यह आसकोट, कलाई कोट और उनकी बेल्ट से जुड़ा होता है जिसको पटुकी भी कहा जाता है।

लेप्चा महिलायें डमवम या डुमिडम पहनती हैं। गहनों की बालियाँ नामचोक, लचक एकहार, ग्यार आदि पहनती हैं। जबकि भूटिया महिलायें 'खो' या 'बाखू' के साथ 'हजू' जो कि रेशमी फूलस्लीव ब्लाऊज है, कुशेन (जैकेट) टोपी (शबो और शबचू) आदि पहनती हैं। विवाहित भूटिया महिलायें पैगडन धारीधार एप्रेन आभूषणों में थेनचो, बाली, खाओ, फीरू, मोती आभूषण ये अधिकतर सोने के आभूषणों को प्राथमिकता देती है। नेपाली महिलायें पचौरी कपड़े का एक रंगीन टुकड़ा सिर से कमर तक निलंबित नृत्य प्रदर्शन के दौरान अलंकरण का उपयोग होता है।

सिक्किम के लोक-कलाओं में याक को पाया जाता है। इसके साथ ही पारम्परिक वाद्य यंत्र 'लिम्बस' के साथ जुगलबंदी करते हुये देखा जा सकता है। नर्तकियाँ चमकीली वेशभूषा और पारम्परिक मुखौटा पहनती हैं। यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं-रेचुग्मा, गाहटू किटो, ची रम्पू, बी यू मिस्टा, ताशी जलथा, एन ची चाम लू खगथाम, गुनंगमाला, ज्ञानघे और भाग्येद इसके अतिरिक्त लामा अपने मठ में मुखौटा नृत्य करते हैं। जो उनकी संस्कृति का सार है।

हस्तशिल्प की वस्तुओं में चोकसी टेबल, ऊनी कालीन बाँस व बेंत की बनी वस्तुयें थांका चित्रकला जो हाथ से बनायी जाती है जिसमें प्राकृतिक रंगों और गोल्ड डस्ट का प्रयोग किया जाता है।

उपसंहार-"इस विश्व में सच्चा आनन्द मनुष्य के सही इहलौकिक लक्ष्यों में निहित है और सच्चा आनन्द आत्मा, मन और शरीर के बीच स्वाभाविक समन्वय स्थापित करने और उसे बनाये रखने हैं। किसी संस्कृति का मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसने सामंजस्य की इस स्थिति को प्राप्त करने और अपने अभिव्यांजनात्मक उद्देश्यों और गतिविधियों के माध्यमों को किस सीमा तक खोज लिया है।"

संदर्भ सूची-

1. Google arts and culture.
2. hindi.gktoday.in
3. www.dhyeyaias.com
4. gloshe.com?Mçoram.
5. https://èem.bharat discovery.org>india.
6. https://èehindi feedom.com>amp

7. www.mapsofindia.com>culture
8. www.mcoramonlive.in?about
9. पूर्वोत्तर विशेष
10. www.livehindustan.com
11. <http://bharatdiscoveryorg.india>(मेघालय संस्कृति विशेष)
12. <https://www.इंडिया सरकार भारत>
13. wekipediamanipur
14. कुरुक्षेत्र 2021 अप्रैल 'लोककला और संस्कृति', नई दिल्ली
15. योजना 2011 दिसम्बर 'पूर्वोत्तर फोकस', नई दिल्ली।
16. योजना 2020 अगस्त सांस्कृतिक विविधता, नई दिल्ली
17. ignca.gov.in?textiles of manipur
18. bharat discovery.org>india> अरुणाचल प्रदेश
19. www.इंडिया.सरकार.भारत>अरुणाचल प्रदेश
20. www.gkexams.com>ask>33341-arunachalpradesh

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: जरूरत और मायने

सन्दीपना शर्मा

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, डी.ए.वी. कालेज, जालन्धर

आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपना अवलम्बन या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बन कर या निर्भर न रहकर अपने आप पर आश्रित होना। कोई भी व्यक्ति अपने को दीन-हीन बनाए रखना नहीं चाहता। हर व्यक्ति को मानवीय सम्मान और गरिमा पाने की भूख उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है। “परिश्रम द्वारा अर्जित पसीने की प्रत्येक बूँद मोती के समान बहुमूल्य होती है।” यही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। जीवन की यथार्थता और जीवन की विसंगतियों या विडम्बनाओं आपत्तियों या कष्टों को एक आत्मनिर्भर व्यक्ति ही भली-भान्ति समझ सकता है और यदि वह कर्म है परिश्रमी है तो उसके लिए कुबेर के खजाने सदा के लिए खुल जाते हैं इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में एक पंक्ति में कहा है: “स्वालम्बन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष”¹ आत्मनिर्भरता भारतीय संस्कृति का एक अति विशिष्ट गुण भी है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत उस सम्पूर्ण धरती का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। कई सभ्यताएँ व संस्कृतियाँ धीरे-धीरे अपनी आन्तरिक ऊर्जा और अदभूत विशेषताओं के कारण निरन्तर प्रगति एवं विकास कर रहा है। समय समय पर भारत में अनेक जातियाँ, सभ्यताएँ संस्कृति लोग, शासक भगोल, हूण, तुर्क, मुगल, पठान अंग्रेज, पुर्तगाली आदि।

आक्रमणकारी आए और भारत को कमजोर करने का प्रयास करते रहे। परन्तु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति ने उन्हें अपने अन्दर समाकर अपनी ही षाष्पत निरारता का अंग बना लिया। अपनी इसी जीजिविशा शक्ति के कारण, अपनी आत्मनिर्भरता वाली दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत को संस्कृतियों का संगम स्थल कहा जाता है। क्योंकि इसमें समन्वय की शक्ति है। डा. आलोक रस्तोगी के अनुसार “भारत न केवल दार्शनिक स्तर पर बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि प्रत्येक स्तर पर भारत समन्वय साधना पर विश्वास करने वाला देश है।”² भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। बाद में इसी निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न सम्प्रदायों यने अपनी अलग-अलग संस्कृतियों विकसित कर लो। लेकिन वर्तमान भारत में विदेशी यंत्र, निहित स्वार्थी तथा अनपढ़ता एवं जेहादी कट्टरपंथी के कारण भारतीय समाज एवं संस्कृति का सम्पूर्ण वातावरण विशैला हो रहा है। अक्सर अलगाव वादी और अराजकता वादी तत्व देश की अनेकता व एकता को चुनौती देते रहते हैं। लेकिन इस देश की संस्कृति के रंग ढंग में अब पहले से काफी परिवर्तन व बदलाव आ चुका है। अब भारतीय सजग हो चुका है जब भी भारत पर कोई ऐसी स्थिति आई है भारत ने अपनी सांस्कृतिक दृढ़ता के साथ इस प्रकार के संकट का डट कर मुकाबला किया है। अपनी आत्मनिर्भरता, एकजुटता एवं एकसूत्रता के बल पर न भारत कमी झुका है, न झुकेगा।

क्योंकि भारत के कोने कोने में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने चाहे वह किसी भी जाति, सम्प्रदाय से क्यों न जुड़ा हो उसने अपने आप के हूनर को विकसित कर लिया है। वह पहले से काफी सजग हो चुका है।

वास्तव में एक विकसित, सुदृढ़ संस्कृति की पहचान क्या है? कि हम किसी के भरोसे न रहे। हम दूसरों से अपने लिए कोई अपेक्षा न रखे। अपने जीवन यापन के लिए स्वयं कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने साधनों को हम स्वयं खोज उन्हें विकसित करें, उन्नत करें। इसके लिए हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अपने धर्म पर अडिग रहे। क्योंकि धर्म ही भारत के चिन्तन का मूलाधार है। डा. आर गुप्ता के अनुसार: “भारत का समस्त दार्शनिक चिन्तन धर्म की आधारशिला है। यह ब्रह्म विषयक चिन्तन अत्यंत गम्भीर है और भारतीय दर्शन को पाश्चात्य चिन्तक इसी लिए श्रेष्ठ मानते हैं”³ अतः आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें सबसे पहले अपनी शक्ति को अपने अन्तः करण को टटोलना होगा। उसे दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प के लिए तैयार करना होगा। ऐसा व्यक्ति तभी कर पाता है जब उसका परिचय जीवन की वास्तविकताओं से या विद्रपताओं से हुआ हो। अर्थात् जिसने जीवन की तमाम स्थितियों को या तो निकट से जाना हों, जिया हो, भोगा हो, या फिर उनसे उसका साक्षात्कार हुआ हो। या फिर कुछ या अनेक कारणों के चलते वह अपने लक्ष्य को पाने में विफल हो या उसे हासिल करने के लिए उसे दूसरों पर अनमने मन से या विवशतापूर्वक निर्भर रहना पड़े।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषण 12 मई 2020 को प्रधान मंत्री मोदी ने की थी जब वह जी न्यूज चैनल पर देश को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था: “कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह एक अच्छी पहल है कि भारत अब आत्म निर्भर बने। इस अभियान के तहत आने वाले कुछ सालों में अधिकतर वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाएगा।”⁴

इस कारण इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर रखा गया। वैसे तो आत्मनिर्भरता का सपना सन् 1947 के बाद महात्मा गांधी ने “सविनय अवज्ञा आन्दोलन” चलाकर दिखाकर था जिसमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रह कर स्वेदशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया था। विदेशी कपड़ों को पहनने पर पाबन्दी के लिए प्रोत्साहित किया गया और हाथ से बुने कपड़ों को ही पहनने की अपील की गई थी। तब यह महात्मा गांधी ने पहला कदम उठाया था। लेकिन 70 साल बाद जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली और हजारों की सख्या में लोग मौत के आगोश में समाने लगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक दहशत भर गई। जब लोगों ने अपने को खोया 52 दिन देश रूक सा गया। अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी। सरकारी कोश खाली होने लगा कोरोना महामारी की दवाईयों की तैयारी में सभी देश जुट गए। युद्ध स्तर पर इस महामारी से निपटने की होड़ लग गयी ऐसे में तत्कालीन भारतीय नेता व सरकार ने जहां

एक और देश की अर्थ व्यवस्था को कमजोर होने से बचाने के लिए भरसक प्रयास किया, लोगों के प्राण बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। पूरे भारत में हर वर्ग के लोगों ने विशेष रूप से डाक्टरों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी दलों, पुलिस विभाग, आर्मी, प्रशासन, व्यापारियों, धार्मिक सम्प्रदायों ने एक बाद पुनः इस आपदा से लड़ते हुए भारत को आत्मनिर्भरता की दृढ़ आधार शिला प्रदान की। तब अनुभव हुआ कि भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तब आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता महसूस हुई। जब पीपीटी किट सैनेटाइजर, मास्क, वैटिलेटर्स का अपने देश में निर्माण आरम्भ हुआ। जब भारत ने कोरोना वैक्सीन को खोजा व उसका निर्माण कर देशवासियों की नहीं अपितु अन्य देशों में भी वैक्सीन को सप्लाई की गई। तब लगा की हमे आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि 70 सालों में हमने इस और ध्यान नहीं दिया दिया होता तो आज भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती।

सन् 1947 में जब भारत को स्वतन्त्रता मिली तो उस समय वह जर्जर स्थिति में थीं अंग्रेजों की शोषण नीति के कारण देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया था। परन्तु पिछले 70 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी अब वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो भारतीय अर्थ व्यवस्था को नया मोड़ दे सकती है। यद्यपि भारत कृषि प्रधान देश है परन्तु आज भारत में विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने की क्षमता है। आज भारत कृषि उत्पादनों का निर्यात करता है। यहां तक कि कृषि टेक्नोलोजी में भी लगातार सुधार हुआ है। डा. साहनी के अनुसार:-“राष्ट्रीय कृषि टेक्नोलोजी परियोजना के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तंत्र को विकसित करने में विश्व बैंक सहायता करेगा जिससे कृषि से सुधार होगा।”⁶ कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसका भारतीय आत्मनिर्भरता पर पूरा योगदान है। देश की कृषि तकनीकी, कृषि मशीनरी, खाद्य एवं उर्वरक, सिंचाई और बाजार व्यवस्था सब में सुधार हुआ है। रोटोवेटर, सीड्रिल मशीन, लैंड लैवलर, ड्राइवर लैस ट्रैक्टर, प्लांटर, हार्वेस्टर जैसी कृषि तकनीकी ने कृषि की परिभाषा ही बदल दी है। कृषि रसायनों के इस्तेमाल में भारत का चौथा स्थान है। धीरे धीरे भारत इसमें सम्पूर्ण निर्भरता हासिल कर लेगा। इसी प्रकार भारत की तकनीक चाहे वह विज्ञान में हो या उद्योग में अब हर क्षेत्र में भारत की तकनीक काफी विकसित हो रही है। इसके चलते वह विश्व शक्ति बन सकता है।

दुनिया में भारत आज सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है और विश्व में दूसरे स्थान पर है। यदि भारत की इस बढ़ती आबादी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो यह भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। डा.जेके चोपड़ा: जनसंख्या विस्फोट को चुनौती घोरक में लिखते हैं:-

“भारत की बढ़ती आबादी आज उस मुकाम पर पहुँच गयी है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए तुरन्त उपाय नहीं किए गए तो देश एक गहरे संकट में फँस जाएगा और विकास का लक्ष्य सिर्फ एक सपना बन कर रह जाएगा।”

अतः विकास के सपने को साकार करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण अति आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के दो मूल कारण हैं अशिक्षा एवं गरीबी। लगातार बढ़ती आबादी के चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में वृद्धि तो हो ही रही है, कई तरह की आर्थिक समस्याएँ भी पैदा हो रही हैं, लेकिन भारत लगातार इन समस्याएँ से जूझ रहा है। एक समय था जब लोग लम्बे लम्बे पेड़ों को काटने के कारण यह आशंका करते थे कि जलपोतों का निर्माण कार्य बन्द हो जाएगा, कोयले के भण्डार खत्म होने से अर्थ व्यवस्था पंगु हो जाएगी। धीरे-धीरे, बाँधों, सुपर हाईवे, कोयला, तेल, गैस निकालने के लिए नई-नई तकनीकें आ गईं। लेकिन गैस व तेल का रिसाव, वनों का विनाश, बाढ़, प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मँहगाई, गरीबी, रोजगार उन्तत टेक्नोलोजी की समस्याएँ अभी भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। जहाँ लोग गरीब होते हैं वहाँ का बाजार संकुचित होता है और उत्पादन कम और उन्तत नहीं होता। आर्थिक प्रोत्साहनों का कोई प्रभाव नहीं दिखता। गरीब रोजी रोटी के जाल में फँस कर अपने कौशल को जगा नहीं पाता तब वहाँ तकनीक और उत्पादन के कौशल या तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

प्राथमिक शिक्षा पर समुचित ध्यान न दिए जाने की वजह से ज्ञानविहीनता और कौशलहीनता ही आदमी को गरीब बनाती है। यदि हम महिलाओं को ही साक्षर और कौशल युक्त बनाएँ तो परिणाम स्वरूप घर और श्रम बाजार में उनकी उत्पादकता और आएँ में वृद्धि होगी। जब तक इस दिशा में काम नहीं होता तब तक जनसंख्या की वृद्धि को रोक नहीं जा सकता। अतः जनसंख्या की प्रभावशीलता पर ध्यान देना होगा। इस सन्दर्भ में जे.के. चोपड़ा: “जनसंख्या विस्फोट की चुनौती” के अन्तर्गत लिखते हैं-

“गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में, ऊर्जा, खेती की जमीन और घर की भूमिका उतनी नहीं है, जितनी जनसंख्या की गुणवत्ता की है।”

भूमि की मात्रा की सीमितता के बावजूद सिंचाई, खाद, बीज इत्यादि के परिमाण और गुणवत्ता को बढ़ा कर उत्पादन को कॉफी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इससे लोगों की आय भी बढ़ेगी और जनसंख्या में कमी आएगी। यही कार्य और नीति पर अब भारत सरकार काम कर रही है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हीं मुद्दों पर तेजी से कार्य हो रहा है। जनसंख्या के सन्दर्भ में तमाम भ्रान्तियों को दूर करके ही हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकते हैं। और भारत को सुदृढ़ बना सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत बनने से देश को एक नई पहचान मिलेगी। पूरे विश्व में उसका सम्मान होगा। नई नई राहों का आविष्कार होगा। भारत विश्व को एक नई दिशा देने में समर्थ होगा। उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होगा। देश की आय में वृद्धि होगी। विदेशी धन स्वदेश आएगा नए नए रोजगार उत्पन्न होंगे। व्यक्ति स्तर में वृद्धि होगी देश में उद्योगों के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय दर बढ़ेगी।

गरीबी से मुक्ति मिलेगी। बाहर का धन देश में आएगा। अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी। रूपया मजबूत होगा। रूपया मजबूत होगा तो निर्यात बढ़ेगा। ज्यादा धन की बचत होगी। आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रहेगा। संकट की स्थिति में धन खर्च करने की सुविधा रहेगी तथा देश की रक्षार्थ धन काम आएगा। जैसे कारोना काल में, घर घर अनाज वितरण, दवाईयाँ बाँटने का काम, फ्री ईलाज, पीपीटी. किटें वैटिलेटरज का खर्च, आक्सीजन सैलेण्डर, मास्क आदि घरेलु उत्पादकों में प्रोत्साहन मिला और इस पर अपार धन राशि खर्च करके संकट से निपटा गया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ। इससे भारत

की पहचान बनी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई। लेकिन जहां यह सब हुआ वहां पर आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए देश को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है।

सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए देश के सामने जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती है इसे जल्दी से जल्दी नियंत्रण करना होगा। दूसरी समस्या है आर्थिक समस्या। घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता को कम लागत करके बढ़ाना होगा यदि गुणवत्ता अच्छी होगी तभी उसकी अंतर्राष्ट्रीय माँग होगी। इसके लिए मजबूत औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना होगा। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा। परन्तु ध्यान रहे निजी क्षेत्रों को पूर्णतया छूट न देकर उनपर आंशिक नियंत्रण भी रखना होगा। 2021-22 बजट में प्राइवेट सैक्टर की कंपनियों को निजी क्षेत्रों के हस्ताक्षेप के लिए खोल दिया गया। परन्तु इसके तहत विदेशी निर्भरताओं को कम करना होगा। पहले हम दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति चीन, अमेरिका, जपान, साऊदी अरब, कोरिया आदि के माध्यम से करते आए हैं। परन्तु अब इन वस्तुओं का निर्माण भारत में करना होगा जैसा कि रक्षा क्षेत्र में हो रहा है। बस केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्रोडक्ट और कम लागत में हो।

यह सच है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत ने विकास के सभी क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों से उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है, और भारत निरन्तर प्रयासरत है चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक, राजनीति, कूटनीति, युद्ध, शान्ति, सभी क्षेत्रों में इन वर्षों में उसकी सफलताएं ऐसी रही हैं कि कोई भी देश गर्व कर सकता है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ संसार के महान् और शक्तिशाली देशों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सक्षम हुआ है। परन्तु फिर भी हम इसको पूर्ण प्रयास नहीं कह सकते। इस सन्दर्भ में डा. रामप्रसाद किचलू: अपनी पुस्तक आधुनिक निबन्ध के अन्तर्गत लिखते हैं:-

“जब हम अपने देश की इन तमाम उपलब्धियों की गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो मन आशंकित हो उठता है क्योंकि आर्थिक विकास और भौतिक सम्पन्नता को ही हम अपना अन्तिम लक्ष्य नहीं मान सकते। आर्थिक आत्मनिर्भरता विकास की पहली सीढ़ी है, किन्तु उसे अंतिम साध्य नहीं मान सकते।” केवल उदर पोषण तो पशु-पक्षी और कीट पतंग भी कर लेते हैं। परन्तु मनुष्य जीवन का लक्ष्य उससे कहीं आगे जाने का है। केवल क्षुधातृप्ति या अपार धन संयम से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह ठीक है कि मानव जीवन के चार कार्यों/ उद्देश्यों में-अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष में अर्थ प्राप्ति केवल पहला उद्देश्य है परन्तु वह अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीढ़ी मात्र है। विडम्बना यह है कि विश्वस्तर पर अर्थ की इतनी प्रधानता हो गई है कि इसके संग्रह में पूरा विश्व अंधी प्रतिस्पर्द्धा की आग में पूर्णतया संलग्न है। और प्रत्येक देश इसे अपना युग धर्म मानने लगा है क्योंकि वही किसी भी व्यक्ति, राष्ट्र समाज की प्रतिष्ठा का एक मात्र साधन बन कर रह गया है। इन देशों में राजनीति अब खेल बन गई है जिनमें जनसेवा, ईमानदारी, नैतिकता चरित्रबल, त्याग, परोपकारिता, सच्चाई आदि का कोई महत्व नहीं रह गया। प्रायः सभी देशों में विशेष कर भारत में नेताओं ने सत्ता लोलुपता के कारण, व्यक्ति, समाज, जाति व सम्प्रदायों को टुकड़ों में बाँट दिया है और साम्प्रदायिक व जातीय संघर्षों से पूरे समाज का वातावरण अशांत, विशैला व कलुशित हो गया है। अब शान्ति, संतोष, खुशहाली, निर्भीकता खोजने पर भी नहीं मिलती। विघटित होते परिवारों व टूटती बिखरती जातियों और विश्रृंखल होते समाजों के बीच उन्नत विज्ञान, तकनीकी, गुणवत्ता, घरेलू उत्पादों प्रदूषण, बाढ़, वर्षा नियंत्रण मानदण्डों एवं व्यक्ति विकास के प्रयासों के बावजूद भारत के आत्मनिर्भर होने में कई कठिनाईयाँ मुँह बाएँ खड़ी हैं। परन्तु आशा यही की जा रही है कि कुशल नेतृत्व, सजग व प्रभावशाली कार्य प्रणाली एवं नैतिक जागृति के साथ व्यक्ति अपना अपने समाज का उन्नयन कर भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर अवश्य ले जाएगा।

सन्दर्भ सूची:-

1. डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी: स्वात्मनिर्भरता पृ. 197 श्रेष्ठ हिन्दी निबन्ध (12 वाँ संस्करण 2016)
2. मैथिलीशरण गुप्त: साकेत, पृ. 64
3. डा. आलोक कुमार रस्तोगी: 301 श्रेष्ठ निबन्ध: भारत की सांस्कृतिक एकता, पृ. 93 (12 वाँ संस्करण 2016)
4. डा. आर गुप्ता: भारतीय संस्कृतिक की विशेषताएँ, पृ. 207 (17 वाँ संस्करण 2016)
5. जी न्यूज 12 मई 2020 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्र के नाम सम्बोधन
6. डा. साहनी: सर्वोत्तम हिन्दी निबन्ध “आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर भारत, पृ. 195 (परिवर्द्धित संस्करण 2012)
7. जे.जे. चोपड़ा: हिन्दी निबन्ध ‘जनसंख्या विस्फोट की चुनौती, पृ. 232 (पुनर्मुद्रण संस्करण 2015)
8. राम प्रसाद किचलू: आधुनिक निबन्ध: स्वातंत्र्योत्तर भारत की उपलब्धियाँ: एक मूल्यांकन पृ. 285 (संस्करण 2009)

जनजातीय महिलाओं में वित्तीय समावेशन

राहुल भारती

शासकीय महा. जुन्नारदेव छिन्दवाड़ा

प्रस्तावना:-

भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि प्रथम मानव का जन्म आदि पुरुष स्वयं ईश्वर ने ही किया है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पहले पहल मानव का जन्म कब-कहाँ हुआ है? किन्तु दूर-दराज के वनों में एकांकी जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ अन्य पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए मानव ने समूह में रहना प्रारम्भ किया होगा। धीरे-धीरे वन्य जीवन का निर्वाह करने वाले मनुष्य का सामुदायिक संगठन छोटे-छोटे समूहों में विकसित हुआ होगा।

निःसंदेह आदिवासी धरती के प्राचीनतम मूल निवासी हैं और किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक अतीत की झलक संजोये हुए धरती में गढ़े हुए खजाने के समान हैं, जिन्हें विकसित देशों में जिप्सी के नाम से जाना गया है, और विकासशील देशों में इन्हें जनजातीय समुदाय, आदिवासी समाज या समकक्ष नामों से जाना जाता है।

वित्तीय समावेशन समाज के हर वर्ग के व्यक्ति, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोग, तक उपयुक्त वित्तीय उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई एक नीति है। इसमें वित्तीय उत्पाद तथा सेवाओं को मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्हें यथेचित मूल्य तथा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। आजादी के इतने सालों बाद भी देश की लगभग 50 फीसदी जनसंख्या की पहुँच औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक नहीं है। स्थिति देश के गाँवों में और भी दयनीय है क्योंकि लगभग 80 फीसदी गाँवों में भी कोई भी बैंक शाखा नहीं है जिसमें ग्रामीणों की देशी साहूकारों पर निर्भरता बरकरार है।

हमारे देश में आज भी लगभग 40 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या की पहुँच बैंकिंग सुविधाओं तक नहीं है। विशेषकर देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग का विस्तार आज भी आवश्यकता से काफी कम है। आदिवासी महिलाओं में यह स्थिति ओर विकट है। हमारे देश में आज भी 40 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अधिकांश ग्रामीण भूमिहीन, कृषि मजदूर हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए देशी साहूकारों पर अधिक निर्भर रहते हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में व्याप्त गरीबी को कम किए बिना तथा ग्रामीणों में संसाधनों में वृद्धि के बिना वित्तीय समावेशन सफल नहीं हो सकता। विश्व बैंक की ग्लोबल फाइनेंशियल इनक्लूजन डेटाबेस स्टडी के मुताबिक भारत में केवल 26 प्रतिशत महिलाओं का किसी वित्तीय संस्था में औपचारिक खाता है जो वैश्विक औसत 47 प्रतिशत से कम यहाँ तक कि विकासशील देशों में भी लगभग 37 प्रतिशत महिलाओं के औपचारिक बैंक खाते हैं। स्पष्ट है कि भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास अभी सफल हो सकते हैं जबकि महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ा जाए। ग्रामीण वित्तीय समावेशन में सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन है। हमारे देश में महिलाएं वित्तीय तंत्र में सबसे कम भागीदार हैं और न ही उन्हें विकास का लाभ हो रहा है।

जनजातीय महिलाओं की स्थिति:-

जनजातीय समुदाय अपने अलग भौगोलिक क्षेत्र अपनी परम्परा एवं आदिम संस्कृति में जीवन-यापन करते हैं। इसी कारण भारतीय संविधान ने भौगोलिक आधार पर विकास के अवसर प्रदान किये। वित्त संबंधी मामलों में वे अन्य सामाजिक समूहों से बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या मात्र 44.98 प्रतिशत जनसंख्या की पहुँच बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच है जो निराशाजनक है। 38.2 प्रतिशत आदिवासी महिलायें अपनी बचत को किस तरह उपयोग करे वे इस तथ्य को जानती नहीं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 30.01 प्रतिशत आदिवासी महिलायें सरकार के द्वारा चलाये गये सुक्ष्म वित्त संबंधी कार्यक्रमों को नहीं जानती हैं एवं उनमें मात्र 3 प्रतिशत आदिवासी महिलायें सुक्ष्म वित्त संबंधी कार्यक्रमों से ऋण लेती हैं। केवल 9 प्रतिशत आदिवासी महिलायें अपना बैंक खाता रखती हैं।

की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा कि, गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई महिलाओं की आवाज को हर तरीके से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुषों द्वारा किए जा रहे भेदभाव पूर्ण व्यवहारों का लक्ष्य हैं। भारत भी अछूता नहीं है।

भारत एक जटिल देश है। यहाँ सदियों से विभिन्न प्रकार की रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं का विकास हुआ है। ये रीति-रिवाज और परंपराएं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, हमारे समाज की सामूहिक चेतना का एक हिस्सा बन गई हैं। हम महिलाओं को देवी मान उनकी पूजा करते हैं य हम अपनी

माँ बेटियों, बहनों, पत्नियों और अन्य महिला रिश्तेदारों या दोस्तों को भी बहुत महत्व देते हैं लेकिन साथ ही भारतीय अपने घरों के अंदर और अपने घरों के बाहर महिलाओं से किए बुरे व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध हैं।

हर धर्म हमें महिलाओं के सम्मान और शिष्टता के साथ व्यवहार कर ना सिखाता है। आज के आधुनिक में समाज की सोच इतनी विकसित हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कुरीतियाँ और प्रथाएँ आदर्श बन गई हैं। जैसे सतीप्रथा, दहेज प्रथा, परदाप्रथा, भ्रूणहत्या, पत्नी को जलाना, यौनहिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभाव पूर्ण व्यवहार ऐसे सभी कार्यों में शारीरिक और मानसिक तत्व शामिल होते हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार अभी भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटने के लिए समाज में पुरानी सोच वाले लोगों के मन को सामाजिक योजनाओं और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बदलना होगा।

इसलिए महिला सशक्तिकरण की सोचन केवल महिलाओं की ताकत और कौशल को उनके दुखदायी स्थिति से ऊपर उठाने पर केंद्रित करती है बल्कि साथ ही यह पुरुषों को महिलाओं के संबंध में शिक्षित करने और महिलाओं के प्रति बराबरी के साथ सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य रूप से पांचकारण हैं :

- 5 महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना
- 5 महिलाओं को उनके अधिकार और उनको निर्धारित करने की स्वतंत्रता
- 5 समान अवसर और सभी प्रकार के संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार
- 5 घर के अंदर और बाहर अपने स्वयं के जीवन को विनियमित करने और नियंत्रित करने का महिलाओं को अधिकार
- 5 अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने में योगदान करने की महिलाओं की क्षमता।

वित्तीय समावेशन की अनिवार्यता:-

मध्यप्रदेश वह राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है, और अनुसूचित जाति की भी अधिक संख्या में निवास करती है। कमजोर सामाजिक समूहों को विकास की गति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन्हे विकास के आयामों से जोड़ा जाए। जिससे कि महात्मा गांधी के द्वारा की गई बात चरितार्थ हो जाये उन्होंने कहा कि “आर्थिक आजादी का अर्थ है हर व्यक्ति का आर्थिक उत्थान।” आजादी के 65 सालों बाद भी देश की लगभग 50 फीसदी जनसंख्या की पहुँच औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक नहीं है। यह स्थिति देश के गाँवों में और भी दयनीय है क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत गाँवों में कोई भी बैंक शाखा नहीं है जिसमें वंचित समूहों को देशी साहूकारों पर निर्भरता बरकरार है। पिछले एक दशक से देश की अर्थव्यवस्था ने अप्रत्याशित रूप से ऊँची विकास दर प्राप्त की किन्तु इस विकास का लाभ देश के आदिवासी समूहों एवं आदिवासी इलाकों तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि विकास शहरी क्षेत्रों तक ही संकेन्द्रित था। यही कारण है कि आज जनजातीय इलाकों को भारत के वित्तीय समावेशन को देश में समावेशी विकास की स्थापना के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

निष्कर्ष:-वित्तीय समावेशन आदिवासी क्षेत्र की विकास की दिशा में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वित्तीय समावेशन से आदिवासी ऋण, निवेश, पेन्शन, बीमा इत्यादि के लाभ से अवगत कराता है। वित्तीय तंत्र का हिस्सा बनकर आदिवासी महिलायें विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं मसलन मनरेगा जननी सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि का लाभ ले सकें। यह जरूरी है कि वित्तीय समावेशन के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी, और सामाजिक संस्थाएं एकजुट होकर कार्य तभी देश के जनजातीय क्षेत्रों को वित्तीय तंत्र की परीधि में लाया जा सकेगा।

संदर्भ

1. भारती आर. के. (1997) “ग्रामीण बैंकिंग-परिवर्तित परिदृश्य” आदित्य पब्लिशर्सजागेश्वरी माता कॉम्पलेक्स, पाठक वार्ड, बीना (म.प्र.)
2. वैद्य नरेश कुमार (2003) “जनजातीय विकास” प्रकाशक रावत पब्लिकेशन्स जयपुर
3. 2011 की जनगणना के आंकड़े

आत्मनिर्भर भारत में सेवापूर्व अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का एक अध्ययन

A Study of Emotional Intelligence Pre-service Teachers in Self Reliant India

मनोज कुमार

शोधछात्र, शिक्षा संकाय, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ० ज्योति पुरी

एसोसिएट प्रोफेसर एवं ज्वाइंट रजिस्ट्रार, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य उत्तराखण्ड राज्य के ऊधमसिंह नगर जनपद के सेवापूर्व अध्यापकों (बी0 एड0 प्रशिक्षुओं) संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का पता लगाना था। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीएड अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 150 छात्र अध्यापक एवं 150 छात्र अध्यापिकाओं कुल 300 का चयन सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि लॉटरी विधि से किया गया। प्रदत्तों का विश्लेषण कर उसका प्रतिशत निकाला गया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया है कि, बीएड प्रशिक्षुओं के संवेगात्मक बुद्धि में महत्वपूर्ण अंतर होता है। साथ ही यह भी पता चला कि, पुरुष एवं महिला प्रशिक्षुओं में एक विशेष अंतर होता है।

The present research work was to find out the emotional intelligence of pre-service teachers (B.Ed trainees) of Udham Singh Nagar district of Uttarakhand state. Keeping in view the objectives of the study, 150 student teachers and 150 student teachers studying in B.Ed final year, a total of 300 were selected by simple random sampling method lottery method. The percentage was calculated after analyzing the data. The study concluded that there is a significant difference in the emotional intelligence of BEd trainees. It was also found that there is a significant difference between male and female trainees.

मुख्य शब्द-आत्मनिर्भर भारत, सेवापूर्व अध्यापक, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता।

Key words: Self-reliant, India pre-service, Teacher Emotional Intelligence

प्रस्तावना-

भारत एक विकासशील राष्ट्र है तथा देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। किसी राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति वहाँ की शिक्षा प्रणाली से ही आंकी जा सकती है। इसी संदर्भ में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जा रहा है। तथा विभिन्न प्रकार से जागरूकता कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से 27.1 लाख करोड़ रुपये की मौद्रिक सहायता मिली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए छोटे बड़े उद्योगों एवं व्यापारियों को राहत पहुंचाना था।

देश के विकास में एवं उसे आत्मनिर्भर बनाने में अध्यापकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन में सेवापूर्व अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धिमत्ता का पता लगाया गया है। सेवा पूरा अध्यापक भी अध्यापक हैं जो अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें बी0 एड0 अंतिम वर्ष के प्रशिक्षुओं को रखा गया है।

आत्मा बुद्धि व्यक्ति के संवेग (क्रोध, प्रेम, दया, घृणा आदि) को नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाती है।

एक शिक्षक को संवेगात्मक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। इससे वह छात्रों पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं तथा अपने शिक्षा उद्देश्यों तक सफलतापूर्वक पहुँच सकते हैं।

उद्देश्य-

1. सेवापूर्व पुरुष अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धिमता का अध्ययन करना।
2. सेवापूर्व महिला अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धिमता का अध्ययन करना।

परिकल्पना-

1. सेवापूर्व पुरुष अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर समान है।
2. सेवापूर्व महिला अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर समान है।
3. सेवापूर्व पुरुष एवं महिला अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि के स्तर में एक महत्वपूर्ण अन्तर होता है।

शोध प्रारूप-

प्रस्तुत शोध प्रारूप में निम्नलिखित बिंदुओं को रखा गया है।

- शोध विधि-प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।
- न्यादर्श-प्रस्तुत शोध अध्ययन में ने आदर्श हेतु 300 सेवापूर्व महिला एवं पुरुष अध्यापकों को रखा गया है।
- उपकरण-प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं डॉक्टर श्रुति नारायण द्वारा निर्मित संवेगात्मक बुद्धि मापनी का प्रयोग किया गया है।
- सांख्यिकीय विश्लेषण-प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करके उनका प्रतिशत निकाला गया है।
- परिसीमन-प्रस्तुत शोध कार्य में डाटा एकत्र करने के लिए उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद में अध्ययनरत बी0एड0 प्रशिक्षुओं को लिया गया है।

उद्देश्य-1

सेवापूर्व पुरुष अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करना।

परिकल्पना-1

सेवापूर्व पुरुष अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर समान है।

तालिका-1: संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न स्तरों पर सेवापूर्व पुरुष अध्यापकों का प्रतिशत।

संवेगात्मक बुद्धि	उच्च	औसत	निम्न	योग
प्रतिशत	29.3	42.6	28	100
योग (N=150)	44	64	42	150

परिणामों की व्याख्या-

उपरोक्त अध्ययन में संवेगात्मक बुद्धि का मापन करने के लिये 300 में से 150 पुरुष सेवा पूरा अध्यापकों का चयन कर उनका प्रतिशत निकाला गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि 29.3 प्रतिशत (44) अध्यापकों का बुद्धि का स्तर उच्च है। 42.6 प्रतिशत (64) अध्यापकों का बुद्धि का स्तर औसत एवं 28 प्रतिशत (42) अध्यापकों की बुद्धि का स्तर निम्न है।

निष्कर्ष-

परिणामों से यह पता चलता है कि सेवा पूरा अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर सामान्य नहीं है। क्योंकि अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर उच्च, औसत एवं निम्न है। सेवापूर्व पुरुष अध्यापक के संवेगात्मक बुद्धि में महत्वपूर्ण अंतर है।

अतः परिकल्पना १ अस्वीकार की जाती है।

उद्देश्य-2

सेवापूर्व महिला अध्यापिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करना।

परिकल्पना-2

महिला अध्यापिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर समान है।

तालिका-2: संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न स्तरों पर सेवापूर्व महिला अध्यापिकाओं का प्रतिशत।

संवेगात्मक बुद्धि	उच्च	औसत	निम्न	योग
प्रतिशत	22	45.3	32.6	100
योग (N=150)	33	68	49	150

परिणामों की व्याख्या-

उपरोक्त अध्ययन में संवेगात्मक बुद्धि का मापन करने के लिए 300 में से 150 महिला सेवापूर्व अध्यापिकाओं का चयन कर उनका प्रतिशत निकाला गया है। तथा विश्लेषण से पता चला कि 22 प्रतिशत (33) अध्यापिकाओं का बुद्धि का स्तर उच्च है। 45.3 प्रतिशत (68) अध्यापिकाओं का संवेगात्मक बुद्धि का स्तर औसत तथा 32.6 प्रतिशत (49) अध्यापिकाओं का संवेगात्मक बुद्धि का स्तर निम्न है।

निष्कर्ष-परिणामों से प्राप्त प्रतिशत से यह पता चलता है कि सेवापूर्व महिला अध्यापिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि का स्तर समान नहीं है। अर्थात् सेवापूर्व महिला अध्यापिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि में महत्वपूर्ण अन्तर है।

अतः परिकल्पना 2 अस्वीकार की जाती है।

प्रस्तुत शोध एवं डेटा विश्लेषण से यह प्राप्त होता है कि सेवापूर्व अध्यापकों के संवेगात्मक बुद्धि में समानता नहीं है। तथा पुरुष एवं महिला छात्र अध्यापकों में भी एक निश्चित अंतर देखने को मिला।

अतः परिकल्पना 1 एवं परिकल्पना 2 अस्वीकार की जाती हैं, जबकी परिकल्पना 3 स्वीकार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- Gautam J. And Rathor A. (2020), study of teaching efficiency and emotional maturity of secondary level teacher trainees, Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika, vol-7 issue-12
- Sharma S and Sharma R 2016 Study of emotional intelligence of female and male teachers of secondary level, S.R.S.D. Memorial Shiksha Shodh Sansthan, Agra, India, vol-1 issue-1
- Gupta S.P. and Gupta L. (2014), Advance Educational Psychology, Sharda Pustak Bhawan.
- Chouhan R. (2014), Educational psychology, Agarwal Publication Agra, ISO: 9001:2008.
- Pathak P.D. and Chaturvedi M. (2010), Educational psychology, Agarwal Publication Agra-2
- Singh A.K. (2017) Research Methods in Psychology, sociology and Education.

कला एवं संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत

रंजीत सिंह

सहायक आचार्य, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद

जब से मानव सभ्यता का सूर्योदय हुआ है तभी से भारत अपने कला एवं संस्कृति के विकास, संरक्षण व स्थानांतरण को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सक्षम रहा है। भारत भूमि पर विविध आक्रमणकारियों ने समय-समय पर आक्रमण किए किंतु यहां की संस्कृति को वे समाप्त नहीं कर सके। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी अनेकता में एकता की भावना द्वारा प्रदर्शित होती है। यहां की संस्कृति एक समावेशी संस्कृति है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का समावेशन हुआ है। इस भूमि पर विभिन्न संस्कृतियों आईं किंतु वे भारतीय संस्कृति के मूल में समाहित होकर रह गईं। यूनान, मिस्र, रोम, सब मिट गए जहाँ से, अब तक तो है मगर बाकी नामो निशा हमारा। उपरोक्त पंक्तियां भारतीय संस्कृति व भारतीय कला को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करती हैं।

भारतीय संस्कृति विश्व इतिहास का एक चिरंतन सत्य है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व संस्कृति का एक गौरवशाली अध्याय रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों, महाकाव्यों व इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति सुदूर अतीत में एक सुव्यवस्थित तथा विकसित संस्कृति थी। भारत ही नहीं वरन विश्व के अन्य देशों में पर भी भारतीय संस्कृति की छाप पड़ी थी, जिसके उदाहरण आज भी विद्यमान हैं। आधुनिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो पाते हैं कि विगत कई शताब्दियों से विदेशी आक्रमणों, व्यापारियों तथा अन्य प्रयोजनों से आकर बसने वाले यहां पर एक नई संस्कृति का निर्माण किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान भारतीय संस्कृति एक सामासिक संस्कृति के रूप में हमारे सम्मुख है। आर्य, द्रविड़, हुड, कुशाण, मंगोल, मुसलमान, अंग्रेज, पुर्तगाली आदि जिस किसी भी जाति के लोग भारत में बसे हैं, आज उनका अपना मौलिक स्वरूप नष्ट हो गया है। जातिगत रक्त की शुद्धता अब यह दुर्लभ सी हो गई है। इन सभी संस्कृतियों पर एक संस्कृति है जिसे भारतीय संस्कृति की संज्ञा दी जाती है।

कवींद्र रवींद्र ने लिखा है कि “भारत देश महान मानवता का पारावार है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि किसके आवाहन पर मनुष्यता की कितनी धाराएं दुर्वार वेग से बहती हुई कहां कहां से आईं और इस महासमुद्र में मिलकर खो गईं। यहां आर्य हैं यहां अनार्य हैं। यहां द्रविड़ हैं तथा चीनी वंश के लोग भी हैं। शक, पठान, मुगल, न जाने कितनी जातियों के लोग इस देश में आए और सब के सब एक ही शरीर में समा कर एक हो गए। समय-समय पर जो लोग रक्त की धारा बहाते हुए एवं उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तान को पार कर एवं पर्वतों को लांघ कर इस देश में आए थे, उनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। वह सब मेरे भीतर विराजमान हैं। मुझसे कोई भी दूर नहीं है। मेरे रक्त में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है”।

भारत अति प्राचीन काल से ही अपने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहा है यहां विभिन्न संस्कृतियां समन्वय स्थापित करके विकसित हुईं। इस संस्कृति की समन्वय की भावना इसे विश्व संस्कृति से पृथक् करती है तथा उनके लिए अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल में भारतीय समाज का विभाजन भी यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था को दर्शाता है। समाज में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न कार्य हुआ करते थे जो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यों का महत्व, उपयोगिता सुनिश्चित करते थे। जैसे-लुहार कृषि उपकरणों को ठीक कर किसानों से अनाज प्राप्त करते थे। इसी प्रकार धोबी, नाई, चरवाहे, जुलाहे पत्थर काटने वाले, वैश्य, क्षत्रिय, सैनिक, इत्यादि के अपने विशिष्ट कार्य हुआ करते थे। जिसके आधार पर वह समाज की विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों से संबंध रखते थे तथा प्रत्येक के कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जिसके माध्यम से सभी की एक दूसरे के प्रति उपयोगिता सुनिश्चित होती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए स्वयं को समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण मानता था। कालांतर में मुगल एवं ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद भारत के कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा जो कालांतर में बढ़ता ही गया।

भारतीय कला का इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। कला के विविध रूप यथा चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, अलंकार, सौंदर्यशास्त्र इत्यादि कलाएं इसी भारत भूमि पर अपने स्वर्ण युग को छू चुकी थी। भारतीय चित्रकारी के प्रारंभिक उदाहरण प्रागैतिहासिक काल से जब मिलते हैं जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करता था। भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी 5500 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुरानी है। इसी प्रकार अजंता, एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी भी सातवीं शताब्दी की मानी जाती है। भारतीय कला संस्कृति प्रधान होने से यह धर्म प्रधान हो गई थी। अतः यह कह सकते हैं कि धर्म ही भारतीय कला का प्राण है। भारतीय कला में भी विविध संस्कृतियों का समन्वय रहा है। आधुनिक काल में भारतवर्ष में मुगलकालीन स्थापत्य कला व्यापक रूप से दिखाई देती है, जिसके प्रमुख उदाहरण मुगलों द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार की विभिन्न किले, मकबरे व ताजमहल के रूप में अपनी विशिष्टता संपूर्ण विश्व को दिखाते हैं।

आज भारत में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता महसूस किए जाने लगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए 5 स्तंभों की घोषणा की गई है जिसके आधार पर निश्चित ही भारत आत्मनिर्भरता को पुनः प्राप्त कर सकेगा तथा पर निर्भरता को न्यूनतम कर सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. आचार्य, महाप्रज्ञ (1994), चित्त और मन, जैन विश्व भारती प्रकाशन लाडनूँ।
2. आचार्य, महाश्रमण (2019), आओ हम जीना सीखें, जैन विश्व भारती प्रकाश, लाडनूँ।
3. मल्लीप्रज्ञा, श्रमणी (2009), शिक्षा दर्शन एवं मूल विकास, जैन विश्व भारती प्रकाशन लाडनूँ, राजस्थान।
4. पांडेय, रामशकल (2009), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
5. शर्मा, आर० ए० (2008), मानव मूल्य एवं शिक्षा, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
6. सिंह नीलिमा (2017), भारतीय शिक्षा का इतिहास, ओसियन पब्लिकेशन वाराणसी।

आत्मनिर्भर भारत में भावी अध्यापक

जहांगीर आलम

(असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी, हैदराबाद)

डॉ० शेख एहताशामुद्दीन

(असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी, हैदराबाद)

सार (Abstract):-

साधारण शब्दों में आत्मनिर्भरता का अर्थ है “खुद पर निर्भर होना” या किसी दुसरे पर आश्रित ना रहना। भारत प्राचीनकाल से ही आत्मनिर्भर रहा है। कुटीर उद्योग सामग्री, कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि इसके उदाहरण हैं जो हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिसके प्रयोग से हम दुनिया के बाजारों में अपनी धाक जमा सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ने आजादी के बाद से ही स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोनाकाल में “लोकल फॉर वोकल” का नारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें आत्मनिर्भर राष्ट्र की तरफ एक कदम ओर बढ़ा देना चाहिए।

भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को हमारे शिक्षकगण ही दृढ़ और सफल बना सकते हैं। वास्तव में शिक्षक विद्यार्थी तथा देश के भविष्य के निर्माता के साथ साथ एक आदर्श समाज का भी निर्माता होता है। वह बालकों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास भी करता है और उनको आने वाले काल की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यही बालक हमारे देश के भावी नागरिक है। इसके अलावा एक शिक्षक अनुयायी नहीं रहनुमा तैयार करता है। इसीलिए हमारे शिक्षा शास्त्रियों एवं चिंतकों ने शिक्षक को आध्यात्मिक जन्मदाता, समाज का सेवक, राष्ट्रनिर्माता जैसी उपमाएं दी हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत में भावी शिक्षक को कैसा होना चाहिए और उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षकगण कैसे आने वाली चुनौतियों से निपट सकते हैं? आदि जैसे प्रश्नों पर यह लेख प्रकाश डालता है।

प्रस्तावना:

“कोई भी समाज अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता”

(No people can rise above the level of its teacher)- NPE-(1986).

शिक्षक:

शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। यानी वह इंसान जो शिक्षण कार्य करता है, शिक्षक कहलाता है। प्राचीन काल से एक शिक्षक के लिए हमारे देश में गुरु का प्रयोग किया जाता रहा है। एक शिक्षक विद्यार्थी तथा देश के भविष्य के निर्माता के साथ-साथ एक आदर्श समाज का भी निर्माता होता है। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षार्थी के मन में सीखने की इच्छा को तथा प्रकृति के प्रति जिज्ञासा को जागृत करता है। वह बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ-साथ उसकी प्रतिभा को निखारने का भी काम करता है। कबीर दास जी ने तो गुरु की महिमा का बखान करते हुए यहां तक कह दिया है-

“गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाय।

बलिहारी गुरु अपने गोविन्द दियो बताय॥”

अर्थात्, यदि गुरु और गोविंद (भगवान) एक साथ खड़े हों तो ऐसी स्थिति में गुरु के श्रीचरणों में सर झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा से गोविन्द का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा राष्ट्र निर्माण की बुनियाद होती है। एक शिक्षक ही एक शिक्षित वर्ग, आदर्श समाज और देश के विकास का बुनियादी पत्थर होता है। आचार्य शंकर ने शिक्षक को पथ प्रदर्शक और शिक्षार्थियों का आध्यात्मिक जन्मदाता माना तो वहीं जॉन डीवी ने शिक्षक को ‘समाज का सेवक’ तथा ‘ईश्वर का प्रतिनिधि’ तक कहा। जहां एक ओर प्लेटो ने शिक्षक को निर्देशक कहा तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने गुरु को एक जलते हुए दिये की उपमा दी। फ्रोबेल ने माली कहा तो संत कबीर ने शिक्षक की तुलना कुम्हार तथा विद्यार्थी की घड़े से की। इसके अलावा शिक्षक को प्राचीनकाल से अब तक उसकी महिमा, भूमिका, स्तर तथा पद की गरिमा के हिसाब से कितने ही नामों से जाना गया, उदाहरणतः- ‘राष्ट्र का निर्माता, रोल

मॉडल, गाइड, इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, प्रिस्ट, पॉटर, लर्नर, रिसर्चर, फैसिलिटेटर, उपाध्याय, मौलवी, अध्यापक, आचार्य, गुरु, मोअल्लिम, उस्ताद और डिजिटल लर्नर आदि। लेकिन हम एक शिक्षक को और उसके कार्यों को कुछ चुनिंदा शब्दों या परिभाषाओं में नहीं बांध सकते। कोठारी कमीशन 1964ख्र66 में कहा गया था कि, 'भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बनता है।' वास्तव में अध्यापक का कार्य ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक ही अपने शिक्षार्थियों के जीवन को गढ़ता है, क्योंकि आज के शिक्षार्थी ही कल के राष्ट्र के भावी नागरिक हैं।

विचारों को आखरी सत्ता मानने वाला आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्व और गौरव देता है। आदर्शवाद ब्रह्मांड के दो अंग शिक्षक एवं बालक को मानता है। और दोनों का लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है। इस लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षक के बिना संभव नहीं है। इसलिए एक आदर्शवादी शिक्षक में आत्मज्ञान, आत्मअनुशासन और निर्देशन तथा आध्यात्मिकता आदि जैसे गुणों का भंडार होना चाहिए। शिक्षक को आदर्शवाद में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है।

प्रयोजनवादी शिक्षक को बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक, तथा सलाहकार मानते हैं। इनके अनुसार, शिक्षक के बालकों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए तथा बच्चों की रुचियों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के साथ परिवर्तन होती परिस्थितियों का ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए।

यथार्थवादी विचारधारा में शिक्षक को वस्तु, विषय तथा बालक की आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वह बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सकें तथा उसमें जिज्ञासा का संचार कर सकें और बच्चों में खोजी प्रवृत्ति जागृत कर सकें।

मानववाद का शिक्षक के बारे में मत यह है कि, एक शिक्षक को मानवीय गुणों से संपन्न होने के साथ-साथ वैज्ञानिक विधि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण उदार, व्यापक एवं मानवीय होना चाहिए। वह सम्पूर्ण संसार को परिवार की नजर से देखे और वह क्लास में ऐसा माहौल बना सके जिससे बच्चों को तर्क करने का मौका मिले।

प्रकृतिवादी शिक्षक से शिक्षा दिलाने का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि, समाज के कृत्रिम वातावरण में रहते हुए बच्चा दूषित हो जाता है। इनके अनुसार प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। जिसकी छत्रछाया में ही प्रकृति के अनुसार बच्चे का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास हो सकता है। अर्थात् प्राकृतिवाद शिक्षक के मुकाबले बालक को मुख्य स्थान देता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यथार्थवाद में शिक्षक को आदर्शवाद की तरह महत्व नहीं दिया गया है। किंतु प्रकृतिवाद की तरह शिक्षक को गौण भी नहीं समझा गया है। प्रत्येक विचारधाराएं शिक्षक के विषय में अलग राय रखती हैं। यदि आदर्शवादी विचारधारा को नजरअंदाज करें तो मूल्यहीनता में वृद्धि होगी और यदि यथार्थवादी विचारों को अनदेखा करें तो हम आज के आधुनिक शैक्षिक लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। अतः हम किसी भी विचारधारा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें सर्वसम्मिलित रूप से उस संतुलित विचारधारा को अपनाना होगा जो हमारे समक्ष एक आदर्श शिक्षक को प्रस्तुत कर सकें।

स्वामी विवेकानंद स्वशिक्षा में विश्वास रखते थे। वह हर व्यक्ति को खुद का शिक्षक मानते थे। स्वामी जी कहते थे कि, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह अंदर ही है, हम तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को नहीं सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सीखता है। बाहरी शिक्षक या व्यक्तित्व केवल सुझाव ही प्रस्तुत करता है। इनके मतानुसार एक शिक्षक दार्शनिक, मित्र, तथा पथ प्रदर्शक होता है, जो बच्चों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने में मदद करता है।

टैगोर ने शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक को महत्व देते हैं कहा है कि शिक्षा को केवल एक शिक्षक ही दे सकता है। एक शिक्षक में सेवा, त्याग, नैतिकता, सहयोग, समर्पण तथा अनुशासन जैसे गुण होने चाहिए जो बच्चों को प्रभावित कर सकें।

महान दार्शनिक प्लेटो ने अध्यापक का कार्य 'अंधकार युक्त सुरंग से निकालकर, प्रकाश में लाना बताया है।' अर्थात् शिक्षक का स्थान शिक्षा में एक निर्देशक का है। रूसो मानते हैं कि, जब मनुष्य/शिक्षक उसे शिक्षा देता है, तो इसका असर बच्चे की स्वाभाविक और व्यवहारिक शिक्षा पर पड़ता है। और वह शिक्षा, कुशिक्षा का रूप धारण कर लेती है। अर्थात् रूसो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को नकारते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षक को शिक्षा पद्धति में उच्च स्थान देते हुए 'समाज का सेवक' माना है। एक शिक्षक को विद्यालय में ऐसा वातावरण सृजित करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों में सामाजिक व्यक्तित्व एवम जनतांत्रिक मूल्यों का विकास संभव हो सके। जॉन डीवी ने शिक्षक को महत्व देते हुए उसे 'ईश्वर का प्रतिनिधि' तक कह दिया है। अतः जॉन डीवी के अनुसार, शिक्षक का मुख्य कार्य उचित वातावरण का निर्माण करना बताया है। वहीं दूसरी ओर फ्रोबेल ने किंडरगार्टन (बच्चों की फुलवारी) पद्धति में बच्चों को पौधा माना है। तथा शिक्षक को माली की संज्ञा दी है। अतः फ्रोबेल के अनुसार, एक शिक्षक को क्रिया विधियों कविताओं आदि का ज्ञान होना चाहिए।

आचार्य शंकर ने शिक्षक को महान व्यक्तित्व कहा। उन्होंने कहा कि एक गुरु को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही ग्रंथों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वरन उसे खुद ब्रह्म अनुभूति से संपन्न होना चाहिए। नैतिकता, चरित्रवान, जितेंद्रिय, परोपकार शीलता, साहस, पवित्र आचरण, मृदुभाषी, अनुशासन आदि जैसे गुण अध्यापक के आभूषण हैं। आचार्य शंकर शिक्षक को छात्र का पथ प्रदर्शक ही नहीं उसका आध्यात्मिक जन्मजात भी मानते हैं। स्वामी शंकर शिक्षण को शिक्षक का व्यवसाय ना मानकर शिक्षक का धर्म मानते हैं। इनके अनुसार, शिक्षक बोध कराने वाला, उपदेश देने वाला, शिक्षा का एक अनिवार्य अंश है। अतः इनके मुताबिक गुरु की कृपा के अभाव में शिक्षा की प्राप्ति कठिन है।

सांख्य दर्शन के मुताबिक, एक अध्यापक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान और प्रकृति एवं पुरुष से संबंधित ज्ञान होना परम आवश्यक है। ताकि वह छात्रों में आत्मज्ञान का संचार कर सके। जैन धर्म में भी अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहां शिक्षक को एक सर्वांगीण रूप से विकसित व्यक्तित्व माना गया है। इनके अनुसार, पंच महाव्रत शिक्षक के जीवन के अंग होने चाहिए। बौद्ध शिक्षण पद्धति में शिक्षकों के दो प्रकार बताए गए हैं। आचार्य एवं उपाध्याय। दोनों ही उच्च व्यक्तित्व के स्वामी होने चाहिए। इनमें उपाध्याय का दायित्व युवा भिक्षुओं को पवित्र पुस्तकों का ज्ञान देना होता था। जबकि आचार्य

का कार्य छात्रों के चरित्र एवं व्यवहार को निर्देशित करना। इसी कारण आचार्य को कर्माचार्य भी कहा गया। उपाध्याय का स्तर आचार्य से उच्च होता था। शिक्षक छात्र संबंध पिता पुत्र संबंध की तरह थे।

उपरोक्त विचारकों तथा स्कूल के नजरिए के मुताबिक एक शिक्षक के व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुण देखने को मिलते हैं।

एक शिक्षक को प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ चहुमुखी व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व में समायोजन, उत्तम चरित्र, सांवेगिक संतुलन, दूरदर्शिता, स्वाभिमान, परिवर्तनकारी, विवेकशील, प्रगतिशील, सहयोगी, धैर्यवान, सत्यवान, जिज्ञासु, कर्मठ, जुझारू, सहनशीलता, सेहतमंद, भरोसेमंद, ईमानदारी, परवाह करने वाला, वफादारी, हिम्मत, निष्ठा, चरित्रवान, जिम्मेदारी का भाव, खुशमिजाजी, विश्वसनीयता, आत्मसम्मान, निष्पक्षता, आंतरिक अभिप्रेरणा, आशावादिता, आत्मविश्वास आदि जैसे गुणों और मूल्यों का भंडार होना चाहिए। तभी वह एक उत्तम देश के लिए उत्तम नागरिक तैयार कर सकता है।

इसके अलावा उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर शिक्षक के अपनी जिंदगी में अपने उद्देश्य होते हैं, धारणाएं होती हैं, गुण और मूल्य होते हैं, अपनी आस्था होती है, और विश्वास होते हैं। शिक्षक की यह कोशिश होती है कि छात्र, शिक्षक के मूल्यों, आदर्शों को आत्मसात कर सकें। इस प्रकार एक श्रेष्ठ शिक्षक एक दार्शनिक भी होता है। जो अपनी विचारधारा से अपने शिष्यों को प्रभावित करता है। शिक्षक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। अतः उसकी दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव शिक्षा के हर भाग पर जरूर पड़ता है। यदि शिक्षक की विचारधारा देश की आवश्यकता के अनुकूल होगी तो वह देश एवं शिक्षार्थी का कल्याण कर सकता है अन्यथा नहीं। आचार्य चाणक्य का यह कथन आज भी सत्य ही प्रतीत होता है कि- “शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।”

चूंकि आज शिक्षक को समाज में ‘रोल मॉडल’ के रूप में देखा जाता है। तथा अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, बच्चे इमिटेशन से ही सीखते हैं। अर्थात् एक शिक्षक के व्यक्तित्व का असर बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को अपने शिष्यों और अपने विषय की जानकारी के साथ-साथ अपने आध्यात्मिक, नैतिक, सौंदर्यात्मकता, शारीरिक तथा सामाजिकता जैसे गुणों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शैक्षिक दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है, अतः एक शिक्षक का व्यक्तित्व इतना आकर्षक एवं प्रभावशाली हो, कि उसकी छत्रछाया में रहकर शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। इसके अलावा एक शिक्षक को समानता, निष्पक्षता तथा न्याय मूल्यों आदि का पोषक होना चाहिए और उसमें आलोचना करने की क्षमता, तार्किकता, तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि भी होने चाहिए ताकि वह अपनी विचारधारा बच्चों पर ना थोपकर बहुत सी विचारधाराओं में से उत्तम विचारधारा का चयन कर बच्चों के समक्ष रख सकें।

भावी, उदीयमान शिक्षक

“शिक्षक वह नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को बोझ बनाए, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है, जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे” – डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2014 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुशासन दिवस समारोह में कहा कि “ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। यह काम उम्मीद योग्य तथा ऊर्जावान शिक्षक ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास योग्य शिक्षकों की बहुत कमी है।” (कालिका प्रसाद, सेमवाल)

आज हमें नवाचार तथा परिवर्तन के पोषक शिक्षकों की एक फौज तैयार करनी होगी। हमें वो शिक्षक बनाने होंगे जो समाज में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों में अपनी मुख्य भूमिका निभाए। जो दूरदर्शी हों, जिज्ञासु हों, प्रतिभाशाली हो, एक संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हों तथा चहुमुखी प्रतिभा के धनी हों। हमें ऐसे शिक्षक ढूँढ निकालने होंगे, जो सिर्फ पैसों के लिए न पढ़ाए बल्कि वह जिनमें शैक्षिक प्रतिभा हो और जो शिक्षण कार्य में आत्मसंतुष्टि को अनुभव करें। जो शिक्षण कार्य को सेवाभाव, जिम्मेदारी, धर्म कर्म आदि समझ कर सकें। जिन्हें हम आगे भी भारतीय समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व सौंप सकें। और जो कुरीति, अंधविश्वास, शोषण, असमानता, आपसी क्लेश, ऊँच-नीच, कूपमंडुकता, तथा अन्याय रहित समाज का सृजन कर सकें। जिनकी मदद से हम भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाने जैसे स्वर्णिम स्वप्न को साकार कर सकें। अतः आज हमें ऐसे शिक्षक बनाने होंगे, जो सुकरात की तरह प्लेटो का सृजन कर सकें, चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त का सृजन कर सकें और अरस्तू की तरह सिकंदर का।

उपसंहार:

आज हमें खुद को नई जिम्मेदारियों, चुनौतियों और भूमिकाओं के लिए तैयार करना होगा। ताकि हम उस स्वप्न को साकार कर सकें जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों की अंतर्निहित संपूर्णता और सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को बाहर लाने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके तथा वह छात्रों में परिस्थिति के अनुसार दूरदृष्टि, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, समायोजन आदि को विकसित कर सकें। ताकि हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकें, ताकि हम अपने देश के विश्वगुरु बनने जैसे सपने को साकार कर सकें, ताकि हम आश्वस्त होकर तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकें।

संदर्भ:

सेमवाल, के. प्रसाद-2015-प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका-प्रवाह, मई, सितंबर-2015.

सक्सेना, संजय कुमार-शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत

Alam, Jahangeer, Hindustani Samaj me Mustaqbil ke Ustaad, Tehreek e Adab,

दोसी, प्रवीण, (2004): प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता, प्राइमरी शिक्षक-अप्रैल एनसीईआरटी-नई दिल्ली।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बौद्ध साहित्यिक ग्रन्थों का योगदान

पदमा ठाकुर

पीएच.डी. शोधार्थी, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, जिम्मेदारी और जवाबदेही आदि मानव विकास के प्रमुख बिन्दुओं पर निरन्तर कार्य करते हुए ही आत्मनिर्भर इस शब्द की पुष्टि होती है। एक राष्ट्र के रूप में यदि भारत पर दृष्टि डालें तो पराधीनता की बेडियों से मुक्त होते ही सम्पूर्ण राष्ट्र निःसन्देह छोटे छोटे लक्ष्यों को पूर्ण करता हुआ आत्मनिर्भर होने की दिशा में निश्चय ही अग्रसर रहा है। इसी के फलस्वरूप वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन विगत वर्षों से किया जा रहा है। इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में साहित्य की अनदेखी नहीं की जा सकती अपितु साहित्य भी किसी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता में सहायक सिद्ध हो सकती है। साहित्य के विषय में महात्मा गाँधी के विचार थे कि साहित्य जन मानस के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए लिखा जाना चाहिए।¹ साहित्य को जीवन का प्रतिबिम्ब भी कहा गया है। जीवन को प्रतिबिम्बित करने के लिए साहित्य के विभिन्न रूपों को अपनाया जाता है।² साहित्य के विषय में किसी साहित्यकार ने कहा है-अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है।³ साहित्य शब्द संस्कृत के सहित+यञ् से बना है जिसका अर्थ है साथ साथ। सहितयो शब्दार्थों भावों साहित्यम् अर्थात् शब्द और अर्थ का परस्पर विशिष्ट प्रकार का सम्बन्ध साहित्य है।⁴ अन्तःकरण में उपलब्ध ज्ञान में जिस समय हृदय (भाव) पक्ष का प्राबल्य होता है, उस समय साहित्य का प्रादुर्भाव होता है अर्थात् जीवन के जो पहलू हमें स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं उनके विषय में मनुष्य के अनुभवों को समझाने का एकमात्र साधन साहित्य है।⁵ भर्तृहरि ने साहित्य के वैशिष्ट्य को समझाते हुए इससे रहित व्यक्ति को पूंछ, सींग से रहित साक्षात् पशु की संज्ञा दी है-साहित्य संगीत कलाविहीनः, साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः।⁶

बौद्ध साहित्य के अन्तर्गत त्रिपिटक, अभिधम्म, सूत्रान्त, महावैपुल्य सूत्र आते हैं। इनके अतिरिक्त बौद्धों की गीता के रूप में प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्मपद एवं मिलिन्दपञ्चपाणि आदि ग्रन्थ हैं जो व्यावहारिक रूप से कष्टों के निदान एवं आनन्द के लिए प्रमुखतया विचारणीय हैं। किसी भी राष्ट्र का आत्मनिर्भर होना उसके प्रत्येक नागरिक के विचार स्वातन्त्र्य, आत्मविश्वास, परोपकार, अहिंसा, सत्य, करुणा, सहिष्णुता, संयम एवं सेवा भाव पर निर्भर करता है। इन सभी मानवीय मूल्यों से बौद्ध साहित्यिक ग्रन्थ ओत प्रोत हैं। स्व बुद्धि का आश्रयण लेने के लिए तथागत प्रेरित करते हैं। तत्त्वसंग्रह नामक ग्रन्थ में श्लोक उद्धृत है -

तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पण्डितैः।

परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्रचो न तु गौरवात्।⁷

शास्त्र में लिखे हुए को यथावत स्वीकार न करो, बुद्धि का आश्रयण करो। अपनी बुद्धि से परीक्षित हो जाए तभी उसे स्वीकार करो। जब विचारों का स्वातन्त्र्य रहता है तभी मनुष्य आत्मविश्वास को पाता है। अपने पर विश्वास रखने और स्वयं अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए जिस प्रकार गीता में अर्जुन उपदेश करते हैं

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।⁸

अर्थात् अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने को अधो गति में न डालें क्योंकि आप ही तो अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं।

आत्मदीपो भव का उपदेश बौद्धों में भी इसी प्रकार उपदिष्ट है

अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया।

अत्तना हि सुदन्तेन नाथं लब्धति दुल्लभं।⁹

अपना उद्धार करना स्वयं से ही सम्भव है। कोई अन्य आपका स्वामी नहीं बन सकता। आत्मानुशासन स्वयं कृत शासन से ही सम्भव है। इसलिए अपने को दीपक बनाओ, अपनी शरण में जाओ, दूसरे की नहीं।¹⁰ आत्मानुशासन मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक साधन है। बुद्ध ने स्वयं को भी केवल एक माध्यम के रूप में मानने की बात की है

एवमेव खो भिक्खवे, कुल्लूपमो मया धम्मो

देसितो नित्थणत्थाय, नो गहणत्थाय

कुल्लूपमं वो भिक्खवे, धम्मं देसितो आजानन्तेहि
धम्मा पि वो पहातब्बापगेव अधम्मा।।¹¹

भिक्षुओं, मैं बड़े की भाँति पार जाने के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ, पकड़कर रखने के लिए नहीं। बड़े की तरह धर्म को जानने वालों के लिए धर्म भी छोड़ने लायक है, अधर्म की तो बात ही क्या।

बौद्धों में स्व चिन्तन के साथ ही पर हित को भी इसी जिम्मेदारी के साथ निभाने की बात कही गई है कि जब मुझे अपना तथा अन्य प्राणियों का दुःख एवं भय प्रिय नहीं हैं तो कौन सी ऐसी बात है कि मैं केवल अपनी रक्षा चाहता हूँ अन्यो का नहीं?

यदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियं ।
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरं ।।¹²

इसी ग्रन्थ में अन्यत्र वर्णन मिलता है कि पर हित के लिए एक बोधिसत्त्व (बोधि को प्राप्त करने का इच्छुक) कामना करता है कि जब तक आकाश की स्थिति रहे जब तक इस सम्पूर्ण जगत् की स्थिति बनी रहे तब तक जगत् के दुःखों का नाश करते हुए मेरी भी स्थिति बनी रहे।

आकाशस्य स्थितिर्यावद् यावच्च जगतः स्थितिः।
तावन्मम स्थितिर्भूयाज्जगदुःखानि निघ्नतः।।¹³

दूसरों के दुःख संतप्त के सामने अपने मोक्ष को भी तुच्छ मानते हैं

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः।
तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम्।।¹⁴

त्रिपिटकों में से विनय पिटक में स्वयं चारिका करते हुए बुद्ध ने कहा है बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, दया के लिए विचरण करो। आरम्भ, मध्य, अन्त सभी अवस्थाओं में कल्याणकारक धर्म का उसके शब्दों और भावों सहित उपदेश करके, सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो।¹⁵ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की इस भावना के साथ यदि संसार का प्रत्येक मनुष्य अपना कार्य करें तो हिंसा, असत्य, असहिष्णुता इत्यादि नकारात्मकता से सम्पूर्ण राष्ट्र दूर रहेगा।

अहिंसा को ही सर्वोपरि मानने के कारण बौद्ध साहित्य में प्रसंग मिलता है कि हिंसा से रहित यज्ञ में भेड़ बकरे, गौवें मारे जाते हैं वह केवल अत्यधिक खर्चीले यज्ञ होते हैं, इसकी अपेक्षा बिना प्राणियों की हिंसा के किए यज्ञ महाफलदायक होते हैं, इनसे कल्याण होता है, वह महान् होता है और देवता भी प्रसन्न होते हैं।¹⁶

मानव जीवन में आत्मतृष्णा अर्थात् अपने अस्तित्व की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है जो बृहद् आकार लेकर व्यक्तिनिष्ठ न रहकर व्यवस्थानिष्ठ हो जाती है जिसके समाधान के रूप में चित्त परिष्कार ही सर्वोपरि सिद्ध हो सकता है। अतः धम्मपद का बीज वक्तव्य है कि -

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया।
मनसा चे पदुट्ठेन भासति व करोति वा।
ततो न दुक्खमन्वेति चवकं व वहतो पदं।।¹⁷

अर्थात् सभी शारीरिक, वाचिक, और चैतसिक धर्म मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही प्रधान है, सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है या कर्म करता है, दुःख उस व्यक्ति को कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा करता है।

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया।
मनसा चे पदुट्ठेन भासति व करोति वा।
ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी ।।¹⁸

अर्थात् सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही प्रधान है, सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है या कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति को कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा करता है।

अतः स्पष्ट है कि यदि आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम, अहिंसा, सत्य, त्याग, सहानुभूति, परहित का भाव परम आवश्यक है और बौद्ध साहित्य इन सभी मानवीय मूल्यों से ओत प्रोत है। यही कारण है कि जब विचार जगत् में उथल पुथल हो रही थी उस समय भगवान् बुद्ध का लोक में जन्म हुआ तथा उनका बौद्ध धर्म, दर्शन तथा बौद्ध साहित्य सभी प्रकार की मानवीय संकीर्णताओं को दूर कर सम्पूर्ण समाज में फैला। यह साहित्य जो बुद्ध के जीवन तथा उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए बना जो विश्व के साहित्य की एक अमूल्य निधि है इनके सिद्धान्तों को यदि राष्ट्रीय नीतियों, परियोजनाओं में राजनीतिक स्वरूप देकर प्रयोग में लाया जाए तो ये अवश्य ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि इसके चलते प्रत्येक मनुष्य एक आदर्श समाज के निर्माण में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

सर्दभ

1. भाषा व साहित्य पर गांधी की दृष्टि, दिव्य हिमाचल, मंगलवार, 20, सितंबर, 2022
2. राहुल सांकृत्यायन का कथा साहित्य, पृ 64
3. साहित्य का बदलता स्वरूप, गिरिराज साप्ताहिक, 21-27 सितम्बर, 2022
4. गुणवचनब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, 5,1,124
5. बौद्ध मनीषा, खण्ड 2, पृ 27
6. भर्तृहरि, नीतिशतक, 13
7. तत्त्वसंग्रह, कारिका, 3587
8. श्रीमद्भगवद्गीता, 6.5
9. धम्मपद, 12.4
10. अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा। दीघनिकाय, 2.3
11. मज्झिम निकाय, 1.22
12. शास्त्री, शान्तिभिक्षु, बोधिचर्यावतार, 8.95
13. वही, 10.55
14. वही, 8.108
15. चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सनां। देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यज्जनं केवल परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेथ। विनयपिटक, महावग्ग, 1.8
16. ये च यज्जा निरारम्भा यजन्ति अनुकूलं सदा।
अजेलका च गावो च विविधा नेत्थ हज्जरे।।
एतं सम्मग्गता यज्जं उपयन्ति महेसिनो।
एतं यजेथ मेधावी एसो यज्जो महप्फलो।।
एतं हि यजमानस्य सेय्यो होति न पापियो।
यज्जो च विपुलो होति पसीदन्ति च देवता।। संयुक्तनिकाय, 3.1.9
17. धम्मपद, 1.1
18. वही, 1.2

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौशल विकास का योगदान

डॉ० रामसुरेन्द्र यादव

असि. प्रोफेसर, राज.स्ना. महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी (उ.प्र.)

अखिलेश कुमार

शोधछात्र: डॉ.रा.म.लो. अवध वि.वि., अयोध्या

सारांश

मनुष्य हमेशा किसी न किसी तरह से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता रहा है। प्राचीनकाल से लेकर अद्यतन कौशल विकास किसी न किसी रूप में रहा है जैसे-कलाकारी, दस्तकारी, शिल्पकारी इत्यादि माध्यमों से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता रहा है। जिससे वह अपने तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नये उद्यमों की खोज करना, विद्यमान कारोबार करना मानव का मूल स्वभाव रहा है जिससे उसने सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय योगदान दिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वरोजगार में 'कौशल विकास' आत्मनिर्भर बनाने का एक अचूक अस्त्र हो सकता है। वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता (स्वरोजगार) में कौशल विकास कार्यक्रम बेरोजगारी से निपटने का एक सम्बल का कार्य कर रहा है। कौशल विकास आसानी से उद्यमों की स्थापना के लिए स्वयं को उपलब्ध कराता है।

मुख्य शब्द-आत्मनिर्भरता, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार, अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन।

प्रस्तावना

भारत एक युवा देश है एवं युवा शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग तभी सम्भव है जब युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं खोज की प्रवृत्ति जाग्रत हो। इसी उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम युवा कौशल दिवस मनाया गया, तथा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया। केंद्र एवं राज्य सरकार का लक्ष्य बहुत तेज गति से बढ़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर भारत को विश्व में मानव संसाधन की राजधानी बनाना है।

इस योजना का लक्ष्य भारत में तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाकर उसे विश्व माँग के अनुरूप ढालना है। इस योजना की घोषणा के समय पीएम मोदी ने भाषण देते हुए कहा था कि भारत में परम्परागत शिक्षण पाठ्यक्रम प्रचलन से जिससे कि हम विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ अपने आप को गतिशील नहीं बना पाए हैं। और आज भी बेरोजगार है। इसके लिए आवश्यक है, कि हम अपने पाठ्यक्रम में विश्व माँग के अनुसार बदलाव लाये, आने वाले दशकों में किस तरह के कौशल की माँग सबसे अधिक की जाएगी। उसका अध्ययन करके अपने देश में उस अध्ययन का निष्कर्ष के अनुसार यदि युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे तो भारत के युवाओं को रोजगार के सबसे अधिक अवसर मिलेंगे। इस तरह कौशल विकास योजना भारत देश के लिए एक आंदोलन ना होकर एक कार्यक्रम है।

कौशल विकास योजना का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष महत्त्व है। समाज के सभी वर्गों के बेहतर जीवन स्तर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, जल-स्वच्छता और कौशल की उपलब्धता के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कुशलता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मिलियन डॉलर की तरफ ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नये भारत का निर्माण भी करेगी।

कौशल विकास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। भारत सरकार निरन्तर यह प्रयास कर रही है कि आत्मनिर्भर सम्भावना वाले उद्योगों को पहचानकर उनके स्थापन क्षमता को बढ़ाकर रोजगार को बढ़ाया जा सके। श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोगों को कृषि से उद्योगों की ओर मोड़कर भी रोजगार सृजन किया जा सकता है। इससे जहाँ कृषि क्षेत्र पर भार कम होगा तो अन्य उद्योगों का विस्तार होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना होगा और बड़े पैमाने पर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा। देश के किसानों के साथ गाँवों के कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रयासरत है। कृषक उत्पादन संगठन (एफ.पी.ओ.) की तर्ज

पर गैर कृषि उत्पादक संगठन (ओएफपीओ) का ढाँचा तेजी से तैयार किया जा रहा है। हस्तशिल्प और हथकरघा जैसी गतिविधियाँ देश के सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को आजीविका मिल रही है।

शोध प्रविधि

यह शोध विश्लेषणात्मक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीय आँकड़े सरकारी प्रतिवेदनों, शोधपत्रों, पत्रिकाओं तथा इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौशल विकास योजना के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता का परीक्षण करना।
- ग्रामीणों में कौशल विकास योजना के द्वारा रोजगार प्रदान करने में सहायक होने का परीक्षण करना।
- कौशल विकास योजना ग्रामीण कामगारों का दूसरे शहरों में जाने की प्रवृत्ति को रोकने में कितना सहायक हुआ है। इसका परीक्षण करना।
- इस योजना से ग्रामीणों में कितनी आत्मनिर्भरता आयी है, इसका अध्ययन करना।

पूर्व साहित्य का अध्ययन

सरकार विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को चलाकर, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर, बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था कर, ग्रामीणों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाना चाहिए। जिससे ग्रामीण युवा कौशल विकास को अपने कैरियर के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बने।

आई सत्ता ने अपने शोध 'रूरल एंटरप्रायोरशिप इन इण्डिया' में पाया कि ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के लिए उद्यमिता, कौशल विकास एक बेहतर विकल्प है। आज शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के बीच बेमेल बहुत अधिक है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 54 प्रतिशत लोग मानते हैं कि माध्यमिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दसवीं कक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच 56 प्रतिशत छात्र पढ़ना छोड़ देते हैं। इन सभी तथ्यों और धारणाओं के बीच कुछ ही लोगों को रोजगार तथा प्रशिक्षण मिलता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएँ कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने में तथा उसके कारण उनको रोजगार प्राप्त करने की क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी। योजना का मुख्य लक्ष्य लोगों को पहले मिली शिक्षा को समझकर उनके वर्तमान कौशल को पहचानना भी है। कुल मिलाकर इसका लक्ष्य अगले एक वर्ष में 24 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है। मैकेंजिसे की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले 10 वर्षों में एक करोड़ 15 लाख युवाओं को कामगारों में समाहित करना होगा।

हैड हैल्ड हाई (एच.एच.एच.) इस परिप्रेक्ष्य में सफल उदाहरण है और वह भी ग्रामीण भारत में जहां आजीविका के आधुनिक साधनों के लिए तेजी से और भी विकल्प तैयार किये जाने चाहिए। एचएचएच के सर्वेक्षणों से पता चला है कि ऐसे युवा पर्याप्त संख्या में हैं, जिन्हें यदि किसी उपयोगी कार्य में लगा दिया जाए तो वे अपने जिलों में और अपने आस-पास रहना ज्यादा पसंद करेंगे। भारत में रोजगार की चुनौती का समाधान यह है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार का इच्छुक बनाने के बजाए, जो अपने जिलों में और ज्यादा युवाओं के लिए कैरियर के अवसरों का सृजन कर सकेंगे।

कौशल विकास योजना के उद्देश्य

कौशल विकास योजना केवल जेब में रुपए भरना है ऐसा नहीं बल्कि गरीबों के जीवन को आत्मविश्वास से भरना है इस प्रकार इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- (1) गरीबी के कारण जो बच्चों उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं उनके अंदर छिपे कौशल को विकसित करना है।
- (2) योजनाबद्ध तरीके से गरीबी और गरीब जवानों को संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना।
- (3) सभी राज्य और संघ राज्य को संगठित करके आई.आई.टी की कार्यों के माध्यम से दुनिया में स्वयं को स्थापित करना है।
- (4) गरीबी को दूर करने के साथ-साथ गरीब लोगों के परिवारों तथा युवाओं में नया सामर्थ्य भर के आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास लाना तथा देश में नई ऊर्जा लाने का प्रयास करना।
- (5) भारत के लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल एवं अवसर प्रदान करना ।

कौशल विकास योजना की विशेषता:

- (1) इस योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग बहुत ही संजिदगी से कराई जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होंगी अतः किसी भी तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने से पहले योग्यता की जांच की जाएगी।
- (2) सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्वाहन सेक्टर स्किल कौंसिल यानी एसएससी द्वारा किया जाएगा। इस कौंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षित करने वाले सभी लोग एनओएस और क्यूपीएस के नियमों का निर्वहन करेंगे।
- (3) इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ताओं को देखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नोकरी दी जाएगी।

- (4) एक बार प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर प्रशिक्षित युवाओं को रु. 8000 ओर कोर्स कम्प्लीट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान्य होगा, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में लिए जाने वाले परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।
- (5) इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इस योजना का ब्रांड एंबेसडर सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर भारतीय युवाओं के लिए महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को चुना गया है।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का घटता हुआ योगदान 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लगभग 70.7 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा 57.8 प्रतिशत लोग आजीविका हेतु कृषि से जुड़े हुए हैं (जनगणना-2011)। कृषि में कार्यरत लोगों की संख्या गिरती ही जा रही है। 1999 से किसान कृषि का त्याग कर रहे हैं तथा हमारे देश के आधे से ज्यादा (54.6 प्रतिशत) किसान कृषि को त्यागकर मजदूर बन गये हैं।

भारत सरकार द्वारा आरम्भ किये गये स्किल इण्डिया मिशन का लक्ष्य रोजगार के योग्य लोगों को कौशल प्रदान करते हुए रोजगार के लिए तैयार करना एवं कुशल कार्य बल तैयार कर इस समस्या का समाधान उपलब्ध कराना है। मिशन लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रदान करना तथा उनकी पसंद के कौशलों का प्रशिक्षण देते हुए उनको रोजगार सम्बन्धी योग्यता को बढ़ाना है। समावेशी वृद्धि के लिए सभी स्तरों पर कुशल मानव संसाधन अनिवार्य है। कौशल विकास को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसे कौशल प्रशिक्षण को एक ही समय में शिक्षा तथा रोजगार से जोड़ने की अटूट प्रक्रिया होना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियों और व्यवस्था यह कार्य अकेले पूरा नहीं कर सकती। कौशल प्रदान करने में निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, कौशल प्रशिक्षण के अनुभव वाले शिक्षण संस्थानों को जुटना पड़ेगा। सभी वर्गों को समान महत्त्व दिये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015 गति के साथ, मानक के अनुरूप एवं सतत रूप से व्यापक स्तर पर कौशल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती से निपटने का प्रस्ताव करती है। उसका लक्ष्य कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया द्वारा ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना है। जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भरता हो और कुशल भारत देश को प्रसन्न, स्वस्थ एवं सम्पन्न अर्थात् कुशल भारत होने की दिशा में ले जाएगा और इस तरह कुशल भारत, कौशल भारत का नारा चरितार्थ होगा।

भारत के लिए सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता है। तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करना है। रोजगार के योग्य नौजवानों को तैयार करने के लिए पूरा एक mechanism एक व्यवस्था एक structure तैयार करना इस mission के द्वारा उन सभी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करना भारत विश्व के लिए कुशल कार्य बल उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है ऐसा करने के लिए भारत में बल्कि पूरे विश्व में मानव शक्ति की जरूरतों का पता लगाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची-

1. योजना पत्रिका, 2016, 2020, 2021, 2022
2. कुरुक्षेत्र
3. अरूपा राव, भारतीय गाँवों की अर्थव्यवस्था
4. मिश्रा एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था
5. महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज्य
6. सांख्यिकी पत्रिका, भारत सरकार, नई दिल्ली

नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० आरती कुमारी

सहायक शिक्षिका, एस०एस०+2 उच्च विद्यालय, केरेडारी, हजारीबाग (झारखण्ड)

सृष्टि के आरम्भ से ही नर-नारी का सह-अस्तित्व बरकरार है। मानव जाति की सभ्यता एवं सामाजिक विकास का मूल स्रोत नारी है। नर के बिना नारी और नारी के बिना नर अपूर्ण है। सृष्टि के विकासक्रम से नर के समान नारी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। गर्भधारण से लेकर संतान का जन्म देने तथा उस शिशु के सुझ-बूझ आने तक का लालन-पालन मुख्यतः माँ स्वरूपा स्त्री ही करती है। नारी के विविध रूपों ने युगों-युगों से धर्म साहित्य एवं इतिहास को प्रभावित किया है। स्त्री ने पुरुष का पोषण किया है। उसे प्रेरणा दी है। महान विद्वान टॉमस मूर का मन्तव्य है

“स्त्री रात का तारा और प्रभात का हीरा है, वह तो ओस का कण है जिसमें कांटों का मुँह भी हीरों से भर जाता है।”

भारतीय जीवन पद्धति की समग्र गरिमा और अर्थवत्ता की आधार भित्ति परिवार परिकल्पना है। इसकी सार्थकता नारी के बिना असंदिग्ध है। जननी जाया और जीवन संगिनी जैसे रूपों में वह परिवार की संचालिका है एक ओर नारी जहाँ कोमलता, उदारता, सहनशीलता, करुणा, त्याग एवं ममता की प्रतीक है तो दूसरी ओर नारी का सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में महत्व कम नहीं है। यद्यपि जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में नारी की अपेक्षा पुरुषों का वर्चस्व अधिक दिखाई देता है। किन्तु कला एवं साहित्य के क्षेत्र में नारी का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन इतिहास से नारी का समग्र स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन कर लेने से नारी का सार स्पष्ट परिलक्षित संभव है।

भारतीय वैदिक साहित्य से नारी सृजन का स्रोत रही है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है अर्थात्-

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

यत्रोतास्तु न पूज्यन्ते सर्वासशास्त्राफलाक्रिया॥”²

वही दूसरा चेहरा नारी का होना अभिशप्त है। ‘मैत्रयणी संहिता’ में कहा गया है कि शराब और जुएँ के समान पुरुषों का तीसरा दोष स्त्री है। वही ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ में नारी को अर्द्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। रामायण और महाभारत में कई ऐसे दृश्य हैं जहाँ नारी की उदात्त चरित्र का जिक्र हुआ है। जैसे- सीता की पतिव्रता धर्म, कुन्ती की कौमार्य धर्म लेकिन वहीं द्रौपदी और शूर्पनखा जैसे चरित्रों ने युद्ध की झड़ी लगा दी। लेकिन यहाँ भी पुरुषों अपनी मानसिकता का दोष नारी पर मढ़ दिया। सिन्धु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि उस विकसित नगरीय सभ्यता में नारी का स्थान महत्वपूर्ण था। कई स्थानों पर यह कह दिया जाता है कि सैधव सभ्यता में शासन की बागडोर महिलाओं के हाथों में था अर्थात् मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ऐतिहासिक पराक्रम में महिलाओं का चरमोत्कर्ष वैदिक काल में देखा जाता है। जहाँ महिलाएँ सभा समिति में भाग ले सकती थी, यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वर चुनने का अधिकार था।

लेकिन नारी चेतना का पतन तीव्र रूप से उत्तर वैदिककाल में देखा जा सकता है। नारियों चारदीवारी में बन्द हो गईं। धर्म, अर्थ, शिक्षा, शासन सभी क्षेत्रों में बेडियाँ डाल दी गयीं और ये उपभोग की वस्तु के रूप में स्थापित हो गईं। यह स्थिति अगले हजार वर्षों यथावत रही कहीं-कहीं अपवाद स्वरूप महिलाएँ तीव्र विरोध का स्वर बनीं किन्तु पुरुष वर्चस्व व्यवस्था ने उसकी आवाज को दबा दी और भय और आतंक को माहौल बना रहा।

इतिहास के सभी कालों में काव्य में नारी विद्यमान है। हिन्दी साहित्य के काल विभाजन में प्रथम चरण के रूप में आदिकाल में नारी चेतना के विषय में मिला-जुला असर देखने को मिलता है। नारी का चित्रण तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के अनुरूप साहित्य में होता है।

“राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारणों से समाज में जो अवस्था नारी की होती है उसी का प्रतिबिम्ब कवि की नारी भावना होती है।”³

आदिकाल में भी नारी भावना गौण रही है। इस काल की नारी विलास की सामग्री होने के कारण पुरुष की निजी सम्पत्ति मानी जाती थी। एकाधिकार की भावना से इसे पतिव्रता धर्म की मर्यादा में कैद किया गया। इस युग की स्त्री शोषित और पुरुष की आश्रिता थी।

भक्तिकाल हिन्दी साहित्य में नारी चेतना एक नए तेवर में उपस्थित होती है। क्योंकि यह वह कालखण्ड है जहाँ राजसत्ता के रूप में रजिया सुल्तान, रानी कर्णवती जैसी शासिकाओं का जिक्र आता है वही साहित्यिक स्तर पर राजघराने की बहु मीराबाई का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और उनका समाज में प्रत्यक्ष रूप से आना ही नारी भावना का आरंभ है। मीराबाई ने जो कहना चाहा, कहा, किन्तु नारी धर्म के नाम पर किसी विवशता को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनने दिया। आज के नारीवादी आंदोलन के हिन्दी-साहित्य में प्रथम संकेत उनके पदों में मिलता है मीरा ने निर्भय होकर कहा

“राणा जी म्हाणे या बदनामी लागे मीठी। कोई निन्दो कोई बिन्दौ मैं चलूँगी चाल अनूठी।”⁴

भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहने के पीछे एक कारण यह भी है कि सदियों से दबी-कुचली स्त्री परंपरा को उच्च स्थान दिया गया है। कृष्णभक्त कवियों ने नारी को सामान्य और विशेष दो रूपों में देखा है। सामान्य रूप से नारी के प्रति परंपरागत दृष्टि रखकर उसकी निन्दा की गई और पति-सेवा ही उसका

धर्म बताया गया है। विशेष रूप से सामाजिक बंधनों का त्याग करना नारी के लिए पुण्यप्रद बताया गया। भक्तिकाल के कवियों ने राधा और यशोदा के रूप में स्त्री जीवन के दो अद्भुत आयाम उपस्थित किये हैं। गौरतलब है कि भक्तिकालीन सूफी काव्य नायिका प्रधान रहा। एक बार पुनः रीतिकाल में स्त्री चेतना का तीव्र पतन होता है। यँ तो स्पष्ट है कि साहित्य तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित रहे बिना नहीं रह सकता है। रीतिकाल इतिहास के उस संक्रमण काल में है, जहां विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे। स्थानीय शासन सत्ता छोड़कर भोग-विलास में लिप्त थे। सामाजिक रूप से नारियाँ कई मामलों में बहिष्कृत हो चुकी थी, इसलिए यह काल स्त्री भावना का अवतान है। इस युग में मुख्य रूप से स्त्री, पुरुष का खेल-खिलौना बनकर रह गई। उसे नीच अविश्वासी कहा गया तो शृंगार काव्य में आभूषणों से लदी सौन्दर्यपूर्ण कामपुतलिका से बढ़कर उसका कोई मूल्य नहीं था। इस युग के कवियों ने नारी मन की गूढ़ गहराइयों को अभिव्यक्ति नहीं किया। उसकी आत्मा के सात्विक सौन्दर्य की बात तो उनके कल्पनालोक से भी परे की बात थी।

आधुनिक काल में पुनः स्त्री चेतना को नए सिरे से परिभाषित करने का नवआंदोलन चल पड़ा। एक ओर जहाँ भारतवर्ष राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता की चाह रख रहा था वहीं दूसरी ओर साहित्य की रूढ़िवादी परंपरा टूट रही थी। हजारों वर्षों से जंग लगे रूढ़िवादिता की दीवारें एक-एक कर टूट रही थी। जो स्त्री मात्र भोग की वस्तु थी वह अब कई रूपों में हमारे सामने उभर रही थी। आधुनिक काल की आरंभिक चरण में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है जो नारी चेतना का एक अलग आंदोलन है

1. रमाबाई शिक्षा के क्षेत्र में नए आंदोलन का एक अलग रूप दे रही थी।
2. राजाराम मोहन राय द्वारा किये गए सामाजिक उत्थान जैसे सती प्रथा का अंत करना, नारी शिक्षा पर जोर बाल-विवाह निषेध आदि।
3. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह का शुरू करना।
4. विवेकानन्द ने संघ शक्ति में महिलाओं की भूमिका को लेकर उद्घोषणा की यदि हमें पाँच सौ पुरुषों की बजाय केवल पचास महिलाओं का साथ मिल जाय तो असाध्य काम को भी साध्य कर देंगे।
5. रामकृष्ण परमहंस ने तो अपनी पत्नी को साक्षात् देवी के रूप में दर्शन किये।

महिला जागरूकता के संदर्भ में भारतेन्दु-युग का विशेष स्थान है। महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किये। भारतेन्दु जी का मानना था कि जब तक भारतीय समाज में नर-नारी अर्थात् स्त्री-पुरुष समानता एवं नारी मुक्ति का नारा नहीं लगाया जाएगा तब-तक हमारा देश विकास के राह पर नहीं आ सकता है। वे लिखते हैं कि-

“नारी नर अरधंग की साँचे ही स्वामिनी होय।”⁵

भारतेन्दुयुगीन साहित्यकारों ने महिलाओं को न केवल शोषित समाज से मुक्त करने की चेष्टा की अपितु पुरुषों के कतार में शामिल करने की पुरजोर कोशिश की। परम्परागत दासत्व की व्यथा को वाणी देकर नारी के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अभिव्यक्ति किया गया। नारी में नवीन चेतना का शक्तिशाली मंत्र फूँककर भारतेन्दु युग ने द्विवेदी युग का मार्ग प्रशस्त किया। द्विवेदी युग की साहित्यिक नारी में शुद्ध नैतिकता एवं महान आदर्शों की भावना के साथ ही चेतना की भावना को अभिव्यक्त किया गया है। द्विवेदी युग में इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनामिश्रित उज्ज्वल कथायें लेकर आदर्श नारी चरित्रों के माध्य से स्वार्थ, त्याग, कर्तव्यपालन, आत्मगौरव आदि उच्चादर्शों की प्रेरणा दी गई जैसे-प्रिय प्रवास, साकेत, यशोधरा, मिलन आदि में उसका उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है। नारी के अबला रूप को सबला स्वरूप में देखने के दृष्टिकोण का विकास ‘मिलन’ की विजया में हुआ है-

“शक्ति नहीं जो नाथ तुम्हारा,

सुन भी सकूँ प्रयाण।

रहते प्राण न जाने दूँगी,

मेरे जीवन प्राण।”⁶

इस प्रकार नारी में न केवल वीरता ही नहीं वरन् वीरत्व संचार करने की शक्ति भी है। छायावादी युग में नारी विकास का समुचित अवसर मिला। वे स्वाधीनता आंदोलन में बहुत उत्साह, उमंग एवं वीरता से भाग लिया। उसके साथ ही साथ नारियों के मताधिकार उनके राजनैतिक स्वत्व तथा उनके लिए समान अवसरों की मांगें भी समाज के सम्मुख आई-

“अब प्रश्न यह नहीं रह गया, कि वे जीवन के कठोर कर्तव्यों के पालन में समर्थ होगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि वे पुरुषों के समान तलवार और बन्दूक धारण करके युद्ध क्षेत्र में जा सकती हैं। इसलिए पुरुषों और स्त्रियों के कार्यों के समान पृथक् करना सर्वथा अप्रासंगिक है। परिस्थितियों और शिक्षा मनुष्य को चाहे जिस काम के योग्य बना देती है।”

भारतीयों के मन में स्वराज्य प्राप्ति की भावना प्रबल हो उठी। राष्ट्रीय की इस लहर ने महिला वर्ग को भी प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप नारी अपनी खोई शक्ति पाने की दिशा में अग्रसर हुई-

“बहिनो, जग, इतिहास, प्रतिक्षण सिखलाता।

जो रखता है शक्ति, वही जग में सुख पाता।

दुर्बलता को त्यागने के लिए वीर, रमणी, व्रत लो।

मानव जीवन पाय देवियों, ध्येय न धरों।”⁸

छायावादोत्तर युग में नारियों की स्वाधीनता चेतना प्रमुख रही। आधुनिक परिस्थितियों में स्त्री की जीवनधारा ने जिस दिशा को अपना बनाया उसमें पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता ही सबसे अधिक गहरे रंगों में चित्रित हुई। इतने युगों के अनुभव से जान लिया है कि उसे सामाजिक प्रामाणिक प्राणी को रहने के लिए

केवल दान की ही आवश्यकता नहीं है आदान की भी है, जिसके बिना उसका जीवन ही नहीं कहा जा सकता। सन् 1960 ई० के आस-पास नारी शक्तिकरण जोर पकड़ी जिसमें चार नाम चर्चित हैं—उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्मू भंडारी एवं शिवानी आदि लेखिकाओं ने नारी मन की अन्तर्द्वंद्व एवं आप बीती घटनाओं को उकरेना शुरू किए और आज नारी सशक्तिकरण एक ज्वलंत मुद्दा है। मृदुला गर्ग के उपन्यास 'कठगुलाब' में भी नारी मुक्ति एवं चेतना का प्रखर सामने आता है। कृष्णा सोबती के उपन्यास—'समय सरगम' में स्वयं लेखिका बूढ़े होने की गरिमा के बीच भी जीवन का क्षण पूरी निजता से जी लेने की चाह एवं विचारों का गंभीर स्वर है। वही मैत्रेयी पुष्पा का लेखन स्त्री विमर्श में चेतना की मुखर अभिव्यक्ति द्वारा नारी की अस्मिता और उसके सशक्तिकरण की एक जमीन तैयार करता है।

प्रभा खेतान जी का 'छिन्नमस्ता' उपन्यास भी काफी चर्चित रहा है। इस उपन्यास में मारवाड़ी परिवार की एक-एक युवती अपनी ही घर में बेगाने होते जाते हैं। सभी भाई, पति द्वारा उत्पीडित किए जा रहे हैं। नारी उत्पीड़न की इस कथा को प्रभा खेतान ने बखूबी चित्रित किया है विवेच्य महिला लेखिकाओं के द्वारा साहित्य में नारी सशक्तिकरण से जुड़े सभी पक्षों को उजागर किया गया है। आज के युग में नारी हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। चाहे—राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र। नारी सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है।

भारत में नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रमुख भूमिका है। उसके द्वारा कई सारी योजनाएँ रोजगार कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं—

1. बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना
2. महिला हेल्पलाइन योजना
3. उज्ज्वला योजना
4. महिला शक्ति केन्द्र
5. पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।

सरकार की तरफ से नारी उत्थान से नारी दिशा में की गयी पहल के परिणामस्वरूप इनकी भागीदारी शिक्षा से लेकर सुरक्षा क्षेत्र तक में होने लगी है। इसके बावजूद अभी भी नारी शक्ति की जगह भोग्या बनी हुई है और दहेज व तलाक जैसे परंपराएँ उसके उत्थान में बाधा खड़ी किये हैं।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त विवरणों से समीक्षात्मक दृष्टिपात करने से यह सिद्ध हो जाता है कि हिन्दी साहित्यकारों ने महिलाओं को न केवल शोबित समाज से मुक्त कराने की चेष्टा की अपितु, पुरुषों के कतार में शामिल करने की पुरजोर कोशिश की। भारतेन्दु युगीन साहित्यकारों ने बाल-विवाह, अनमेल विवाह, बाल-विधवा के पुनर्विवाह आदि सामाजिक समस्याओं पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नारी अस्मिता की चर्चा कई प्रसंगों में महान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में करके तत्कालीन समाज को दर्पण दिखाने का काम किया। वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अतः स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए है, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष-प्रधान मानसिकता से पीडित हो रही है। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित है।

संदर्भ-सूची

1. वर्मा, डॉ० रामकुमार. कुललना. लखनऊ: भारती प्रकाशन, पृ० 148.
2. शास्त्री, पुं० हरगोविन्द (संपा०). मनुस्मृति. वाराणसी: चौखंबा संस्कृत सीरिज, प्रथम संस्करण, पृ० 03.
3. डॉ० शैलकुमारी. आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी-भावना. उत्तर प्रदेश: हिन्दुस्तान अकादमी, प्रथम संस्करण, 1981, पृ० 1.
4. चतुर्वेदी, परशुराम (संपा०). मीराबाई की पदावली. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग पन्द्रहवाँ संस्करण, 1985, पृ० 115.
5. तिवारी, डॉ० बल्लभदास. हिन्दी काव्य में नारी. मथुरा: जवाहर पुस्तकालय, प्रथम संस्करण, संवत्-2030, पृ० 803.
6. आधुनिक हिन्दी कविता में नारी भावना, पृ० 57.
7. चांद, कवितारु बहिनो से अंक, मई 1925.
8. शंखला की कड़ियाँ: महादेवी वर्मा, पृ० 143.

पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत: संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में

डॉ० अशोक कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, के०बी०पी०जी० कालेज, मीरजापुर

पर्यावरण को साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जीव (मानव) और उसके परिवेश का अटूट सम्बन्ध है। मानव जीवन का कोई पहलु इससे (पर्यावरण) से अछूता नहीं है। यदि हम आदिकाल की ओर प्रकाश डालें तो समझ सकते हैं कि आदिमानव को जीवित रहने के लिए ही परिवेश को जानना आवश्यक रहा होगा।

संस्कृति और पर्यावरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है। संस्कृति से अभिप्राय 'संस्कार' से है। यह परिमार्जन एवं शोधन की ही एक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य केवल उपयोगिता पर आधारित वस्तु जगत, परिवेश और व्यवहार का अतिक्रमण कर एक व्यापक चेतना और सौन्दर्यबोध का अंग बन जाता है। मनुष्य प्राकृतिक जगत में रहता है, उससे जीवन व शक्ति ग्रहण करता है किन्तु जैविक पर्यावरण के भीतर उसने अपने लिए एक सांस्कृतिक परिवेश भी बनाया है जिसके बिना उसका जीवन असंभव है। संस्कृति मानव का आध्यात्मिक अधिवास है। इसी कारण वह प्रकृति पर्यावरण धर्म, इतिहास और समुदाय से जुड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण पर संस्कृति आधारित हुई और संस्कृति ने पर्यावरण को समय-समय पर आत्मीय संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाया। इसी के साथ सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इस प्राकृतिक तत्वों को पहचानना भी आवश्यक था क्योंकि उन पर भी आदिमानव का जीवन निर्भर था।

सर्व प्रथम मानव संस्कृतियाँ नदियों के किनारे ही बसी क्योंकि नदी से पानी की आवश्यकताओं पूरी होती थी जो कि आरोग्यपूर्ण जीवन की एक परम आवश्यकता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों का जीवन तभी स्वस्थ, निरोगी और सुखी रह सकता है जब शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु हो। जिन पंच तत्वों से शरीर बनता है उसमें जल अति महत्वपूर्ण है। वेदों में मूलतः इन पंच महाभूतों को ही दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। मानव कृत संस्कृति का निर्माण मानव मन, बुद्धि एवं अहं से होता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने प्रकृति के पांच तत्वों के स्थान पर आठ तत्वों का उल्लेख है कि—

“भूमिरापोनलो वायुः एवं मनो बुद्धिरेवच।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।”

आज मानव और उसके परिवेश के बीच का यह सबन्ध परीक्षण का विषय बन गया है। इसका एक मात्र कारण है कि मानव ने प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति कर ली है। औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप कारखाने और फैक्टरियों की संख्या बढ़ गयी उससे उत्पन्न होने वाली आरोग्य के लिए हानिकारक वस्तुओं के कारण हवा पानी इत्यादि दूषित हो रहा है। यंत्रों की अत्यधिक मात्रा ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया है। वैश्विक तापमान का बढ़ना ओजोन की सतह में छेद जैसी समस्याओं से वैज्ञानिकों की नींद उड़ गई है। इसीलिए पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है।

पर्यावरण के मुख्यतः प्राकृतिक व सामाजिक दो रूप हैं। मानव प्राकृतिक की संतान है और वह समाज में रहता है। इसी कारण इसका सम्बन्ध दोनों से है। हमें प्रकृति और समाज के प्रति स्नेह और आदर भाव रखनी चाहिए यदि हम प्राचीन ग्रन्थों का अनुशीलन करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि ऋषि मुनि, कवि अपने ग्रन्थों में शिक्षा देते हैं कि प्रकृति के प्रति समादर की भावना और समाज के साथ बन्धुत्व की भावना मानव के सुखमय जीवन के मंत्र हैं।

प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख अंश है पंचभौतिक पर्यावरण। जिसमें पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और आकाश की गणना की गयी है। धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में हमें इनकी शुद्धता के प्रति दिया गया ध्यान देखने को मिलता है। सुबह उठकर मुन्य जो प्रातर्विधि करता है वह कहाँ-कहाँ न करें, पानी में न करे, उद्यान में न करे, रास्ते में न करें, आकाश में न करे इत्यादि। प्रातर्विधि के बारे में यह सब ज्ञात हो और उनका यदि पालन किया जाय तो पृथ्वी जल आकाश और हवा की अशुद्धता से रक्षा होगी।

मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक पर्यावरण स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए हमें पर्यावरण के दो भागों पर दृष्टि डालनी होगी जिस पर सामाजिक पर्यावरण पूर्ण रूप से निर्भर है। एक मानसिक पर्यावरण दूसरा बौद्धिक पर्यावरण। जब सामाजिक पर्यावरण दूषित होता है तब मानसिक पर्यावरण भी दूषित होता है। हर घर में शान्ति और प्रेम का निवास हो तो पुरा समाज ही स्वस्थ हो जाएगा। यही था आदर्श हमारे ऋषियों की दृष्टि में। जो आज भी मन ही मन ऐसे समाज की आशा करते हैं और उसी की इच्छा रखते हैं। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए परस्पर आदर भाव अपनाना होगा। यह आदर भाव केवल समाज के दूसरे हिस्सों से नहीं अपितु प्रकृति के साथ भी अपना सम्बन्ध स्थापित करना होगा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम सब प्रकृति के अंश हैं। इसी बात को हमारे ऋषियों ने जाना और समझा था। इसी को दूसरे को समझने के लिए पूरे विश्व को एक पुरुष के रूप में देखा। इसकी स्पष्ट अवलोकन हमें पुरुषसूक्त में देखने को मिलता है। प्राचीन समय में पर्यावरण जो जीवन दायिनी है उस समय भारत आत्मनिर्भर था। सभी प्राणी कीट-पतंग, जलचर, सरीसृप

यहाँ तक की पेड़-पौधे, वृक्ष इत्यादि सभी उसी विश्व पुरुष के अंश हैं। हमारे धर्मग्रन्थों में इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राणी-पक्षियों और पेड़-पौधों को एक और अलग-अलग देवी-देवताओं से सम्बन्ध कर दिया गया और दूसरी तरफ इनको हानी पहुँचाने वालों के लिए शासन करने की व्यवस्था की गई।³

किसी भी देश की समृद्धि का आधार वहाँ का संतुलित पर्यावरण होता है जिसमें मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच समन्वय होता है। आज के औद्योगिक युग में यह तादात्म्य टूटता जा रहा है। कारण भी स्पष्ट है सभ्यता संस्कृति के निरन्तर बढ़ते कदम औद्योगिक क्रान्तिमय युग तक आ गए। इसने हमें कृत्रिम वस्तुओं से प्रेम और प्राकृतिक सम्पदा से दूर रहना सिखाया। मानव जो सम्पूर्ण गतिविधियों का केन्द्र है। पर्यावरण के सर्वांगीण क्षरण से सर्वाधिक ग्रस्त है। पर्यावरण की चिन्ता मूलतः संस्कृति की चिन्ता है।

आज भी पर्यावरण संरक्षण सभी के लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि इसका सम्मान किये बिना आने वाला विकास अल्पजीवी होगा। आज इस समस्या पर चिन्ता करने का समय आ गया है। भारत में इसके प्रति सम्मान और संरक्षण की महती परम्पराएँ रही हैं। हमारे संस्कृत वाङ्मय में वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक पर्यावरण का वर्णन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। वैदिक धर्म का प्रारम्भिक रूप प्रकृति की पूजा था। प्रकृति प्रेमी ने वृक्षों, पौधों बहते स्रोतों तथा पर्वतों से यथार्थ सत्य को खोजने की चेष्टा की। पृथ्वी, सूर्य, वरूण, आकश अग्नि प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को ही विभिन्न देवताओं के नाम से सम्बोधित कर विभिन्न ऋचाओं से वैदिक ऋषियों ने उपासना की है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य प्रकृति के नाना विध रूपों का गुणगान है। वैदिक साहित्य से लेकर पुराण, महाभारत, काव्य, नाटक व कथा साहित्य का पर्यावरण विज्ञान में किसी न किसी प्रकार योगदान रहा है।

यज्ञ-वैदिक साहित्य का प्रमुख अंग रहा है। वेदों में यज्ञ-यागादि क्रियाकलाप का वर्णन मिलता है। इसके विभिन्न अर्थ हैं। इसमें त्याग भावना है। जिसका तात्पर्य है कि पहले अपनी श्रद्धानुसार दान करें बाद में स्वयं ग्रहण करें। गीता में भी इसे बताया गया है⁴—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः॥

यानि यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है और समस्त जीव अन्न से उत्पन्न होता है। यहाँ अन्न का अर्थ खाना खजाना नहीं है, अन्न का अर्थ ब्रह्म है। उस अन्न को उद्देय बनाकर प्राणी यज्ञ करता है।

प्राचीन समय से ही नदी, सरोवर और झरने आदि के रूप में प्रकृति प्रदत्त ये पवित्र उपहार भारतीयों का धार्मिक भावना के प्रतीक हैं। सम्पूर्ण शरीर की रक्त वाहिनी की भाँति हमारी नदियाँ हैं। डॉक्टर इकबाल ने राष्ट्रीय गीत 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा' में हिमालय के लिए कितना सुन्दर लिखा है, गोद में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, वो संतरी हमारा, वो पासवाँ हमारा। राष्ट्रीय जीवन और संस्कृति का प्रवाह जो पर्वतों, खेतों और वनों की सम्पदा से लेकर समुद्र तक फैला है, इन नदियों पर निर्भर है। अन्य की भाँति इस नदी की सुरक्षा प्रदान की। इस सन्दर्भ में गंगा उदाहरण रूप में द्रष्टव्य हैं। गंगा प्रतीक है लोक कल्याण की, उस मातृ शक्ति की जो आदर्श के इन शिखरों से निकलकर जन साधारण के विभिन्न धरातलों का निरन्तर जीवन रस से अभिषेक करती हैं। यह नदी जड़ शक्तियों के चेतन में विसर्जन की चिरंतन प्रवृत्ति का संकेत है। नदी पर बसे तीर्थ सदा से अध्यात्म और संस्कृति के केन्द्र और भौगोलिक चेतना के वाहक रहे हैं।

आचार्य मनु ने इस यथार्थ सत्य को बताया है कि नदी, तालाब झरनों तथा कूपों का निर्माण करना चाहिए क्योंकि ये हमारे असीम वैभव ओर प्रसन्नता के द्योतक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि स्वच्छ वातावरण के लिए सजग थे। प्रदूषण से बचने के लिए स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने पर्वतों और नदियों का सामीप्य चुना⁵—

“मधु वाता ऋतायते मधु क्षरति सिन्धवः।

माध्वीर्ण संतवोषधिः

हमारी परम्पराएँ, मान्यताएँ, रास्ते व तरीके की महीमा विचित्र है। विविधता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है यह भारतवर्ष। यदि हम अपने अतीत की ओर दृष्टि डालें तो हमें बहुत से ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में जीव रक्षा से जुड़ा हुआ होता है। रामायण के आदि कवि बाल्मीकि के मुख से क्राँच के बध के समय व्याध के प्रति निकला श्राप दया भाव को प्रदर्शित करता है⁶

“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा।

यत्क्रौँच मिथु नादेक भवधीः त्वं काममोहितम्।

इसी प्रकार 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में शकुन्तला के विछोह में कण्व ऋषि के आश्रम में रहने वाले मृग शावकों द्वारा ग्रास को उगलकर बाहर फेंक देना और मयूरों द्वारा नृत्य छोड़ देना, मनुष्यों और पशु-पक्षियों के बीच प्रेम को दर्शाता है। कण्व के आश्रम में भारतीय चिंतन के अनुरूप प्रकृति व जीवन समरस है। उनमें आत्मीय सम्बन्धों की अपूर्व स्थिति है। शकुन्तला की विदाई के अवसर पर कण्व ऋषि का कथन पर्यावरण संरक्षण का अनुठा उदाहरण है। अचेतन प्राणियों के प्रति चेतन मानव की आत्मीयता का प्रतीक है।⁷

पातुं प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या

नादत्ते प्रिय मण्डनापि भवतां स्नेहेन या पाल्त्वम्

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः

सेयं याति शकुन्तला पतिग्रहं सवैरनुज्ञापताम्।

आज पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न चिन्ता का विषय है। आज आवश्यकता है उन परम्पराओं को पुनर्जीवित करने की जो कालान्तर में निष्प्राण हो चुकी हैं। आज आवश्यकता है सांस्कृतिक मन गढ़ने की वह मन जो शक्ति रूप में सबके अन्दर विद्यमान हैं। जिसके बिना कोई कर्म नहीं होता⁸—यस्मान्न ऋतं किंचन

कर्म क्रियते तन्मे मनः। भारतीय साहित्य में पर्यावरण के विभिन्न अवयवों का अनुपम समन्वय है। यह यजुर्वेद का शान्ति पाठ⁹—“द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा आ शान्तिरेधि।”

इसी तरह विश्वबन्धुत्व की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। यह निश्चित है कि संस्कृति देश विशेष की सीमा में सीमित नहीं है। वह सर्व देश, सर्वकाल में ‘सत्यं शिवम् सुन्दरम्’ की निधि होती है। वास्तव में संस्कृति से अभिप्रायः है—मानव जीवन शक्ति, प्रगतिशील साधनाओं की विमल विभूति, राष्ट्रीय आदर्श की गौरवमयी मर्यादा और स्वतंत्रता की वास्तविक प्रतिष्ठा। इस विचार का चिन्तन करते हुए भारतीय परम्परा ने सदा संस्कृति निष्ठा के मंगलमय मार्ग को अपनाया। यह कहने में जरा भी संकोच नहीं की भारतीय आचार्यों ने संस्कृति को अलंकारों से अलंकृत करने की इच्छा न कर उसके द्वारा अपने आपको अलंकृत करने का प्रयत्न किया। इसका सुखद परिणाम यह निकला कि आत्मकल्याण के साधनों में विविधता आने पर भी सर्वभूतहित की भावना पर किसी प्रकार की आँच लगने नहीं पाई। यहाँ पर समस्त ब्रह्माण्ड के लिए विश्वपोषक मंगलकारी भावना है।¹⁰

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वेभद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।

इस मंत्र में न केवल अपने अनुयायियों के लिए अपितु सम्पूर्ण जगत के लिए प्रार्थना की गयी है: हमारे धर्म में, समाज व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा साहित्य व कला में जीवन की इसी उदात्त कल्पना और संस्कृति की धारा है जिसका संदेश सम्पूर्ण विश्व के लिए है—

“असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय

इसी प्रकार “वसुधैव कुटुम्बकम्”¹² अनेकता में एकता हमारी संस्कृति की पहचान रही है। बहुत्व से ही एक को महिमा प्राप्त होती है—“एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति।”

सत्य, अहिंसा आदि श्रेष्ठ गुणों की धारणा करती हुई हमारी संस्कृति ने संसार को विश्वबन्धुत्व की शिक्षा दी है। साथ चले मिलकर बोले। इसी सनातन मार्ग का अनुसरण करें जिस पर पूर्वज चले हैं।¹³

“सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते।

यही हमारा उद्देश्य हो जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। आज वर्तमान वास्तविक चेतना स्थिति को जानने के लिए एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन अवश्य किया जाना चाहिए। वैदिक काल की जातीय चेतना का चिन्तन करते हुए हम अपने आपको स्वाभाविक रूप से एक दूसरे जगत में अनुभव करने लगते हैं। अथर्ववेद में ऋषि गाता है।¹⁴

“पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति।”

अर्थात् हे मनुष्यों! परमात्मा के संसार और श्रोत (वेद) को देखो जो कभी नष्ट नहीं होता और न कभी पुराना होता है। स्पष्ट है कि वेदों में प्रत्येक प्राणिमात्र के लिए कामना की गई है। यही हमारी विश्वकल्याण की भावना का सुन्दर रूप है जिसे अपनाने से एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत का पर्यावरण के प्रति हमारे पूर्वजों ने जितना दिया है उसी को सम्भाल कर रखने की आवश्यकता है। अंत में यही कहना है कि ऐसे मन का संस्कार करें जिसमें सबका समान भाग हो, समान कर्तव्य और संकल्प हो। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी लॉकडाउन के बाद यही संदेश भारतवासी को दिया था।¹⁵

समानो मंत्रः समितिः समानी।

समानम् मनः सह चिन्तम् एषाम्।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीमद् भगवद्गीता अ० 7/4
2. विष्णु स्मृति (60.1.24)
3. गौतम धर्म सूत्र (1.2.23)
4. श्रीमद् भगवद्गीता, 3/14
5. ऋग्वेद 1/90/6
6. रामायण बाल्मीकि
7. अभिज्ञान शाकुन्तलम् चतुर्थ अंक
8. शिवसंकल्प मंत्र-3
9. यजुर्वेद शान्ति पाठ
10. वृहदारण्यक उपनिषद् (तैत्तिरीय) 1.4.14 (गरुड पुराण 35.51)
11. यजुर्वेद, महोपनिषद् अध्याय 6 मंत्र 71
12. ऋग्वेद (प्रथम मण्डल, 164 सूक्त, 46 ऋचा) (1.164.46)
13. ऋग्वेद (10.191.2)
14. अथर्ववेद (10.8.22)
15. ऋग्वेद (10.111.3)

आत्मनिर्भर भारत: चुनौतियां एवं संभावनाएं

डॉ० यशवन्त यादव

(सहायक आचार्य, इतिहास विभाग), सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, ३०३०

सारांश: “राम सहायक उनके होते, जो होते हैं आप सहायक”।

हरिवंश राय बच्चन की कविता की इन पंक्तियों से हमें स्वयं पर भरोसा रखने एवं आत्म निर्भर रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए।

आत्म निर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानि खुद को किसी और पर आश्रित न करना। कोरोना महामारी के दौरान लाकडाउन में सारे विश्व में हर किसी के लिए खाने, पीने और रहने में परेशानी पैदा हो गई। महामारी के इस संकट को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है, और इस कड़ी में आत्मनिर्भर बनकर आप खुद के परिवार के साथ-साथ आप अपने देश को फिर से प्रगति के मार्ग पर खड़ा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ है किसी कार्य के लिए स्वयं पर (अपने आप पर) निर्भर होना। अर्थात् अपने कार्यों को करने के लिए दूसरे किसी का इंतजार न करना। आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरे किसी का इंतजार न करना। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हम अपने काम खुद करने में ना तो शर्म महसूस करें और न ही अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ दें।

प्रमुख बीज शब्द: आत्मनिर्भर, राष्ट्रीय, कुटीर उद्योग, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटएलिविडिटी एडिक्लूजनएकाशतगार, वैश्विकयोजना, प्राकृतिक संसाधन, कच्चे माल, राष्ट्र निर्माण, इंटेन्ट स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल।

प्रस्तावना: अपना हाथ जगन्नाथ और ‘अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है’। इन दोनों कहावतों का सीधा-सीधा सम्बन्ध आत्मनिर्भरता से है। अपना हाथ जगन्नाथ कहावत का मतलब होता है कि अपने हाथों से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता है। आप जो भी काम अपने हाथ से करते हैं उसे यह मानकर चलिए कि वह काम भगवान के द्वारा किया गया है। दूसरी कहावत जो कहती है ‘अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है’ इसका मतलब है कि यदि आपको किसी काम का असली अनुभव ज्ञात करना है तो वह काम आपको पहले स्वयं करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा-“दैव दैव आलसी पुकारा”।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है-

“एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है,
दूसरी से उधार लेकर काम चलाने में नहीं।”

हिन्दी के महान आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कृत निबन्ध पढ़कर हमें आत्मनिर्भर बनने की सीख मिलती है। वस्तुतः जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में मनुष्य को समाज का अपेक्षित सहयोग भी मिलता है। लेकिन दूसरे पर निर्भर रहकर व्यक्ति अपने जीवन के सुखों का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए कहा गया है-“पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं”। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने “साकेत” में उर्मिला लक्ष्मण संवाद के रूप में स्वावलम्बन को महिमामंडित करते हुए लिखा है-

“यह पापपूर्ण परावलम्बन चूर्ण होकर दूर हो
फिर स्वावलम्बन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए”।

बालकृष्ण भट्ट ने “आत्मनिर्भरता” नामक निबन्ध की रचना की थी। आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था यह 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। भारत का Self Reliant बनाने के लिए इन पांच स्तम्भों को मजबूत बनाया जाना होगा।

1. अर्थव्यवस्था 2. अवसंरचना 3. प्रौद्योगिकी 4. गतिशील जनसांख्यिकी 5. मांग।

छोटे-बड़े जानवरों या पक्षियों को भी देखें तो हमें पता चलता है कि वे सभी आत्मनिर्भर हैं। अपने-अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी दूसरा व्यक्ति उन्हें खाना लाकर नहीं देता। उनके जन्म लेते ही उनके मां-बाप उन्हें छोड़ देते हैं और वे अपने सारे काम स्वयं करना सीखते हैं। खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने के लिए स्वयं खेलना पड़ता है। किसान जब कड़ी मेहनत के बाद खेत में तैयार फसल को काटता है तो उसे एक अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह यदि विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में उसे ही सफलता मिलती है, जो आत्मनिर्भर होता है।

मनुष्य को जन्म लेने के बाद अपने मां-बाप पर निर्भर रहना पड़ता है और थोड़ा बड़ा होने के बाद परिवार के साथ-साथ समाज का भी सहयोग लेना पड़ता है। इंसान पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पारस्परिक सहायता और सहयोग का प्रचलन है। यहां एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने का रिवाज है। आत्मनिर्भरता का अर्थ, अपने ऊपर निर्भर रहना है जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं वे ही आत्म निर्भर होते

हैं। आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आत्मनिर्भरता है। यानि किसी भी कार्य विशेष के लिए किसी और पर निर्भर न होकर स्वयं पर निर्भर होना, यानि उस कार्य को कर सकने में सक्षम होना।

परिवार में बच्चे अपने समान खरीदने के लिए पैसे संबन्धी जरूरतों के लिए अपने मां-बाप पर निर्भर होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की जरूरतों को उनके माता-पिता ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह बचपन से ही बचत करने की आदत डालें। आपके बचाये हुए पैसे आपको आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। दूसरों की वस्तुओं को देखकर अपने घर वालों से ज़िद करके उनके मेहनत से कमाए पैसे को बर्बाद न करें। बचत करने के अलावा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक-एक पैसा कमाना सीखना चाहिए। ताकि मुश्किल की घड़ी में बीमारी के समय में या किसी प्राकृतिक आपदा के समय में, जब पैसा नहीं कमाया जा सकता, वह बचाया हुआ और अतिरिक्त कमाया हुआ पैसा उनकी मदद करेगा। यदि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उसके क्या-क्या नुकसान होते हैं उसे हम निम्नांकित बिन्दुओं द्वारा देख सकते हैं-

- आप उपहास के पात्र बन सकते हैं।
- दूसरा व्यक्ति आपके काम को आपकी जरूरत के हिसाब से पूरा ना करें जिससे आपका नुकसान हो सकता है।
- दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होने से आपके काम में देरी हो सकती है।
- अपने रिश्ते या ओहदों का फायदा उठाकर दूसरे से काम करवाने के कारण आप घृणा और नफरत का पात्र भी बन सकते हैं।
- दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के कारण आप उस काम को खुद सीख नहीं पाते।
- औरों पर निर्भर होने की आदत के कारण जब वह कार्य आपको खुद करना पड़े तो आप को छोटा सा काम भी भारी लगता है।
- इससे आपको काम ना करने की आदत पड़ जाती है और आपके शरीर में आलस्य की वृद्धि हो जाती है।
- हम मानसिक रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि खाली दीमाग शैतान का घर होता है।
- दूसरों पर निर्भर व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं होता है।
- अपने हाथ से किए हुए काम का अलग ही सुख होता है।

हालांकि आत्मनिर्भरता शब्द नया नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के द्वारा बनाये गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसे से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है। कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामानों को अपने आस-पास के बाजारों में ही बेचा जाता है। यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता का है तो अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है। एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे मालों से जो सामान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाई जाती है तो हम उसे लोकल सामग्री कहते हैं पर सत्य यही है कि यही आत्मनिर्भरता का एक रूप है। कुटीर उद्योग सामग्री, मत्स्य पालन इत्यादि आत्मनिर्भर भारत के कुछ उदाहरण हैं।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना:

भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है। यहां हम हर प्रकार के चीजों को बनाने और उसका अपने जीवन में उपयोग कर अपने राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकता है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं, जो कि बिना किसी देश की मदद के जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण की वस्तुएं बना सकता है और आत्मनिर्भर के सपने को पूरा कर सकता है। आत्मनिर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी में बनाई गयी सामग्री इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य हैं जो कि हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाकर खड़ब करते हैं। इस प्रकार से हम अपने परिवार से गांव, गांव से जिला, एक दूसरे से जोड़कर देखें तो इस प्रकार पूरे राष्ट्र को योगदान देते हैं। इस तरह से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं। हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे मालों द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आस-पास के बाजारों में इसे बेच सकते हैं। इससे आप स्वयं के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की राह में अपना योगदान दे सकते हैं, और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सपने को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर होना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आजकल के लोगों में ज्यादातर बीमारियां इसीलिए हैं क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वे अपने सभी काम नौकरों के द्वारा करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आराम की आदत पड़ गई है। वे यह नहीं जानते कि यह आराम उनके लिए आने वाले समय में दुःखदाई होगा। इसलिए जितना हो सके हमें अपने हाथ से अपने काम करने चाहिए और तो और दूसरों के भी काम कर सकते हैं। यदि आपके पास भरपूर पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एक उंगली भी नहीं हिलायेंगे। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तब वह आत्मविश्वासी भी बन जाता है। वह ऊँची गर्दन कर शान से चलता है। ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं क्योंकि अपने आप काम करने वालों पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। जिस प्रकार आत्मनिर्भरता एक व्यक्ति के लिए अच्छी है उसी प्रकार यह देश के लिए भी लाभदायक है। कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि वह अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहे सभी देशवासियों का कर्त्तव्य है कि वह अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता दें। जब किसी देश के लोग स्वदेशी अपनायें तभी वह देश आत्मनिर्भर बन सकता है। बचपन में जो गुण अपना लिए जाएं वे उम्र भर साथ रहते हैं, इसलिए हम सभी को अपने और देश के विकास के लिए “अपना काम स्वयं करो” का नारा बुलंद करना चाहिए।

हर किसी का सपना होता है कि वो आत्मनिर्भर बने और यह वास्तव में किसी व्यक्ति में सबसे अच्छा गुण होता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो वह हर मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता है और मुसीबतों से खुद को आसानी से निकाल लेता है। हर व्यक्ति खुद में आत्मनिर्भर बनकर अपनी व अपने परिवार के साथ-साथ अपने देश के उत्थान में भी अपना पूरा सहयोग कर सकता है। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। आज हमें कोरोना महामारी की इस संकट में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर

होने का मतलब है कि आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है या फिर बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना है। आप खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण-पोषण इस कोरोना संकट में कर सकेंगे और इसके साथ ही अपने राष्ट्र में अपना योगदान दे सकेंगे।

हालांकि भारत को आत्मनिर्भर बनने का सपना नया नहीं है। यह सपना महात्मा गांधी ने आजादी के समय ही स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, पर गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार न हो सका। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से सारा विश्व बन्द पड़ा है, जिसके कारण छोटे लोगों से लेकर पूंजीपतियों तक को भारी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों को कमाने खाने की समस्या बढ़ गयी है। कोरोना महामारी के कारण किसी भी देश से सामानों का आदान-प्रदान बन्द हो गया इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने “लोकल फॉर वोकल” का भी नारा दिया। महामारी के दौरान ही चीन ने भारत के डोकलाम सीमा क्षेत्र में कब्जे करने की कोशिश की, जिससे भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए। सीमा के इस विवाद में भारत के सैनिकों की क्षति के कारण देश के हर कोने से चीनी सामान को बन्द करने की मांग के साथ ही चीनी सामानों को बन्द कर दिया गया। और प्रधानमंत्री ने सारे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनकर घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा हो सके। कोरोना महामारी के कारण वैश्विक वित्तीय संकट के बादल छा गए। इसी कड़ी में भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्र को आगे ले जाने का फेसला किया है। विश्व बन्दी के कारण सारे विश्व के उत्पादों पर भारी असर हुआ है। इसलिए भारत ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर देश की तरक्की पर अपना कदम आगे बढ़ाया है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए और भारत की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से आत्मनिर्भरता से लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने को देशवासियों से अपील की है। भारत इस ओर धीरे-धीरे अग्रसर भी हो रहा है। कोरोना महामारी काल में भी सभी देश अपने-अपने आन्तरिक स्थितियों और समस्याओं, बेरोजगारी, भुखमरी, चिकित्सा और कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और भारत भी उनमें से ही एक है। भारत को इन समस्याओं से लड़ने और देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में हम अग्रसर हैं।

भारत ने अपने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान, स्वराज्य के लिए राजनीतिक आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ाव देखा, महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के विचारकों ने भी न केवल एक राष्ट्र के सन्दर्भ में बल्कि स्वयं के सन्दर्भ में भी आत्मनिर्भरता की व्याख्या की। इसमें एक व्यक्ति का अनुशासन और एक समाज में के मूल्य शामिल थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ टैगोर की भी भारत को शिक्षा में आत्मनिर्भरता के करीब लाने की भूमिका थी। एम0एस0 स्वामीनाथन लिखते हैं कि उनकी युवावस्था में 1930 के दशक के भारत में अधिकांश अन्य लोगों की तरह आदर्शवाद और राष्ट्रवाद का दौर था। युवा और बड़ों ने एकस्वतन्त्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साझा किया। पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतन्त्रता) और स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) हमारे लक्ष्य थे।

1960-70 के दशक में भारत ने आत्मनिर्भरता की कोशिश की और यह कारगर नहीं हुआ। स्वामीनाथन अग्रसर कहते हैं कि “1960 के आत्मनिर्भरता की ओर वापस जाना फिर से गलत दिशा में जाना प्रतीत होगा। सदानंद धूमे ने वाक्यांश से संबन्धित शब्दावली और भाषा से सम्बन्धित संदेह को उठाया, की अगर यह पूर्व उदारीकरण के पुनरूद्धार का संकेत था। अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी, वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी, वह पिछले दशकों के स्वतन्त्रता पूर्व स्वदेशी आन्दोलन से विपरीत थी। हालांकि स्वदेशी को भी ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसे नारों के साथ रूपान्तरित किया गया है साथ ही साथ वैश्विक अन्तःसम्बन्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है, “मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है।”

आत्मनिर्भर भारत के फायदे: यदि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता है तो देश को इससे कई सारे फायदे होंगे जो लोगों और देश की तरक्की में बहुत सहायक होंगे—

- आत्मनिर्भर भारत बनने से हमारे देश में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी।
- हमारे देश को अन्य देशों से सहायता कम लेनी होगी।
- हमारे देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
- देश में बेरोजगारी के साथ-साथ गरीबी से मुक्ति में सहायता मिलेगी।
- भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकेगी।
- आत्मनिर्भर बनने के साथ भारतवस्तुओं का भंडारण काफी अधिक कर सकता है।
- देश आगे चलकर अन्य देशों से आयात कम और निर्यात ज्यादा कर सकेगा।
- आपदा कि स्थिति में भारत बाहरी देशों से मदद की मांग कम लेगा।
- देश में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश की तरक्की को शीर्ष तक ले जाने में सहायता मिलेगी।

1998 में प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी ने शब्द आत्मनिर्भरता का इस्तेमाल किया। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए पांच महत्वपूर्ण बताई हैं—

1. इंटेंट अर्थात् इरादा करना।
2. इन्क्लूजन या समावेश करना।
3. निवेश या इन्वेस्टमेंट करना।

4. इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करना।
5. नयी तकनीकी की खोज करना।
6. लोकल फॉर वोकल।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और नीतियां:

भारत के योजना आयोग का प्रमुख दस्तावेज 1951 से 2014 तक प्रकाशित 12 पंचवर्षीय योजनायें हैं, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई, तो योजनायें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 1991 के जून के विपरीत, भारत के पास केवल दो सप्ताह के विदेशी मुद्रा भण्डार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया। योजनायें आत्मनिर्भरता की बात करती थीं, जबकि बिमल जालान, जो आर0बी0आई0 के गवर्नर बने, बताते हैं कि आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण योजनाओं के बीच झूलता और दोलन करता है। उनका यह स्पष्ट कहना था कि आत्मनिर्भरता को अन्य आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ चलना होगा, और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को उसी के अनुसार समझना और परिभाषित करना होगा।

आत्मनिर्भर भारत 1.0 के अन्तर्गत योजनाएं:

- वन नेशन वन राशन कार्ड।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
- इसी0एल0जी0एस0 1.0।
- इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग।
- स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एन0बी0एफ0सी0/एच0एफ0सी0।
- लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।

आत्मनिर्भर भारत योजना 2.0 के अन्तर्गत योजनाएं:

- एल0टी0सी0 कैश वाउचर स्कीम।
- फेस्टीवल एडवांस।
- पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0।
- एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर।

आत्मनिर्भर भारत योजना 3.0 के अन्तर्गत योजनाएं:

- हाउसिंग फॉर आल (शहरी)।
- बूस्ट फॉर रूरल एंफ्लॉयमेंट।
- आर0-डी0 ग्रांट फॉर कोविड सुरक्षा इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट।
- इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव एंड डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट।
- बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट
- बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैनुफैक्चरिंग।
- सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर।
- बूस्ट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी:

- किसान, गरीब नागरिक, काश्तगार, प्रवासी मजदूर, कुटीर उद्योग में काम करने वाले नागरिक, लघु उद्योग में काम करने वाले नागरिक, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग, मछुआरे, पशु पालक, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति।

आत्मनिर्भर कैसे बने:

- आत्मविश्वास को मजबूत बनायें एवं कार्यों को सही ढंग से करें।
- मानसिक रूप से मजबूत बनकर।

- खुद को प्रेरित करा।
- स्वयं को स्वीकारें।
- दुनिया की न सोचकर।
- भावनाओं पर नियन्त्रण करा।
- ज्यादा जानकारी प्राप्त करा।
- अकेले काम करने की आदत डालकर।

आत्मनिर्भर भारत बनने के समक्ष संभावित चुनौतियां:

- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ अनेक जोखिम जुड़े हैं, क्योंकि इसके लिये बहुत अधिक विज्ञानी और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के अनुकूल नहीं है।
- 'विश्व व्यापार संगठन' में भारत द्वारा आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को चुनौती दी जा सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि में महामारी प्रेरित लॉकडाउन, और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में पहले से मौजूद मंदी और महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण सरकार आत्मनिर्भरता के एक अनुकूलित विचार के साथ समाने आई। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लोकप्रिय रूप से हिन्दी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है—“आत्मनिर्भर भारत”। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है—एषः पन्थाः यानि यही रास्ता है—आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार आने वाले दिनों में आर्थिक पैकेज लेकर आयी जिसे ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन’ के रूप में लेवल किया गया।

“मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूँढा करते हैं और उनके अनयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना अपनी सम्पत्ति आप स्थिर करना, दूसरे की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अन्ध भक्त न होना सीखना चाहिए।”

सन्दर्भ सूची:

1. जोशी, शरीन; मछल, सिद्धार्थ; बर्नन, कॉनर; प्रधान, रिया; यंग, जॉयस (फरवरी 2021): “आत्मनिर्भर भारत” इकोनॉमिक क्राइसिस एण्ड सेल्फ-रेलियन्स इन द कोविड-19 पैंडेमिक”।
2. प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी: स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर टेस्ट्स इन पोखरण” डिजिटल लाइब्रेरी, लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ इण्डिया, 27 मई 1998।
3. “टू स्पॉर ग्रोथ: निर्मला सीतारमण ऑन पी0एम0 मोदीज् “आत्मनिर्भर भारत अभियान” हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 मई 2020, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2020।
4. मोहन्ती प्रसन्ना (14 नवम्बर 2020) “रिबूटिंग इकोनॉमी 45: ह्वाट इज आत्मनिर्भर भारत एण्ड हेयर विल इट टेक इण्डिया?” अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022।
5. पी0एम0 नरेन्द्र मोदी कॉल्स फॉर ‘डिजिटल इण्डिया टू इम्प्रूव गवर्नेन्स’ बिजनेस टूडे, पी0टी0आई0, 15 अगस्त 2014, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022।
6. “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का आह्वान किया” 12 मई 2020, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022।
7. “आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन-कौन से हैं 5 स्तम्भ? नरेन्द्र मोदी, 13 मई 2020, अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022।
8. पाण्डेय, नवीन कुमार (12 मई 2020) “आत्मनिर्भर भारत अभियान: पी0एम0 मोदी ने बताया, किन पांच पीलरों पर बनेगी आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत, नवभारत टाइम्स, अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2022।
9. सरूकई, सुन्दर (2 नवम्बर 2020), “सेल्फ रेलियन्स इण्डिया: सेल्फ ऑफ ए नेशन ऑर ए नेशनल सेल्फ ? जर्नल ऑफ ए सोशल एण्ड इकोनॉमिक डेवलेपमेंट; 1-91।
10. श्रीवास्तव, असीम (01 अक्टूबर 2019), “गांधी एट 150: ही बिलिब्ड इन नेचुरल सेल्फ-रूल, अभिगमन तिथि 22 जनवरी 2022।
11. सरकार, शंख्यानील: न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल पेव पाथ फॉर आत्मनिर्भर भारत: पी0एम0 मोदी, हिन्दुस्तान टाइम्स, अभिगमन तिथि 22 जनवरी 2022।
12. गोपाल कृष्णनन, गीता: एम0एस0 स्वामीनाथन, वन मैन्स क्वेस्ट फॉर ए हंगर-फ्री वर्ल्ड, प्रोड्यूस्ड फॉर द यूथ इम्प्लॉयमेंट समिति 2002।
13. जालान, बिमल: ए पॉलिसी फ्रेम फॉर सेल्फ रेलियन्स, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
14. प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन: पत्र सूचना कार्यालय, 12 मई 2020, अभिगमन तिथि 30 जनवरी 2022।
15. शर्मा, समरत: मोदीज् आत्मनिर्भर भारत, हैज डाउन-साइड रिस्क्स टू; विल इण्डिया टेक प्री लिब्रिरेलिसेशन स्टैण्ड अगेन? द फाइनेंसियल एक्सप्रेस, अभिगमन तिथि 30 जनवरी 2022।

आत्मनिर्भर भारत- ग्रामीण जीवन में डिजिटल इण्डिया की भूमिका

डॉ० आभा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र, सी०एम०पी० डिग्री कालेज, प्रयागराज

शोध-सारांश

आज सुदूर गाँव में बैठा व्यक्ति भी पलक झपकते सारी दुनिया से सम्पर्क स्थापित कर लेता है तथा अपनी आवश्यकतानुसार जानकारी सहजता से प्राप्त कर ले रहा है। जिससे ग्रामीण जीवन में बदलाव आया और देश समृद्ध रूप से उभरकर सामने आ रहा।

डिजिटल इण्डिया का मुख्य उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान-विज्ञान के प्रति समाज के विकास को आगे बढ़ाना है। डिजिटल इण्डिया में आई०सी०टी० तकनीकों का प्रयोग कर सरकार जन साधारण तक सुविधाओं को पहुँचाने का प्रयास कर रही। 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा के कारण अब हजारों मील की दूरी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है।

प्रस्तावना-

जिस प्रकार विकास के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए तकनीक आवश्यक है उसी प्रकार विकास को सुगमता के लिए तीव्रता, समावेशीपन और सार्वभौमिकता के लिए डिजिटलीकरण आवश्यक है। आज मोबाइल टेलीफोन, ई-मेल, इंटरनेट, कम्प्यूटर वेबसाइट और केबल टी०वी० आदि हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। जिसके द्वारा भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करने की कल्पना निहित है। आज भारतीय गाँव विकास की ओर अग्रसर हैं और ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। डिजिटल इण्डिया के ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं जो व्यक्ति को सीधे विकास की राह से जोड़ते हैं और ग्रामीण घर बैठे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर लेता है। आज भारतीय विकास पथ की ओर अग्रसर हैं जिससे ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है और वह अनेकों तकनीकों का प्रयोग अपने आय को बढ़ाने, उद्योग-धन्धों को उन्नत करने के लिए कर रहा। डिजिटल इण्डिया के ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं जो व्यक्ति को सीधे विकास की राह से जोड़ते हैं और ग्रामीण घर बैठे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर लेता है। आज डिजिटल इण्डिया ने ग्रामीणों के कार्यों में सुगमता ला दी एवं उनकी उन्नति में सहायक हो रहे हैं।

डिजिटल इण्डिया के 9 स्तम्भ-भारत में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाया जा रहा है। डिजिटल इण्डिया के 9 स्तम्भ हैं-

1. ब्रॉडबैंड
2. पब्लिक इंटरनेट
3. सूचना
4. अली हार्वेस्ट
5. मोबाइल कनेक्टिविटी
6. नौकरियों के लिए
7. ई-क्रांति
8. ई-गवर्नेंस
9. इलेक्ट्रॉनिक्स

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इण्डिया- दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इण्डिया के कारण सीधे सरकारी पहुँच सम्भव हो पा रहा है तथा ग्रामीणों में डिजिटल तकनीक को लेकर जागरूकता भी आयी है। इसमें संदेशों का आदान-प्रदान किसान कॉल सेंटर, ई-चौपाल, ग्राम ज्ञान केन्द्र आदि उपयोगी ऐप्स हैं-

ई-चौपाल- पाँच छः गाँवों को मिलाकर एक स्थानीय व्यक्ति इसका संचालन करता है जिसमें गाँव की समस्याएँ हल की जाती हैं। साथ ही इसमें किसानों को उपयोगी जानकारी दी जाती है तथा उनकी समस्याओं को सुन-समझकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

ई-प्रशासन- इससे सरकार और ग्रामीणों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित होता है। यह भू-अभिलेख, सड़क परिवहन वाणिज्य कर, कोषागार, भू-पंजीयन आदि से जुड़ा है।

ई-कॉमर्स- यह व्यापार और वाणिज्य की ऑनलाइन लेन-देन की प्रक्रिया है इसमें घर बैठे कुशलतापूर्वक व्यवसाय किया जाता है।

ग्राम ज्ञान केन्द्र- इन केन्द्रों पर ग्रामीण तथा किसानों को कृषि सम्बन्धी नई जानकारी, बाजार भाव, कृषि उपज के विपणन की जानकारी बाजार की माँग तथा शिक्षा आदि की जानकारी सुलभ होती है।

टेली मेडिसिन- इसमें विशेष रूप में तैयार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जो रोगी तथा डॉक्टर दोनों को दो छोरों पर प्रदान किए जाते हैं। इन के जरिए रोग निवारण के उपकरण एक्स-रे, ई0सी0जी0, जाँच रिपोर्ट आदि रोगी तक पहुँचाये जाते हैं। डॉक्टर रोगी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा बात-चीत करके रोग का निदान और उपचार करते हैं।

किसान कॉल सेंटर- यह बदलते ग्रामीण की नई तस्वीर है। इन केन्द्रों से किसानों और ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन एवं अन्य कृषि सम्बन्धी जानकारी के साथ इन क्षेत्रों में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं के उचित समाधान दिए जाते हैं।

नैनो तकनीक- इसके द्वारा परजीवी फसलों या ट्रांसजेनिक क्राप्स तैयार कर मनचाहे स्वाद रंग, सुगंध व पौष्टिकता से भरपूर फसलों की प्रजातियों को तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पौधों में पोषक तत्व, खाद-पानी की कमी रोग व बीमारियों फसलों को खरपतवार के आक्रमण से बचाना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जाँच सब सम्भव है। साथ ही पशुओं में मन चाही विशेष नस्ल एवं उम्दा गुणों के पशुओं को तैयार किया जा रहा।

कृषि मेघ- इस में छवि विश्लेषण के माध्यम से बीमारी और कीट की पहचान फलों की परिपक्वता और उनके पकने का पता लगाने पशुओं आदि में बीमारी की पहचान से जुड़े डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें टूल-किट्स भी हैं।

कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म- दूरस्थ आदिवासी पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के किसानों का यह प्लेटफॉर्म है। जिसमें कृषि सेवाओं के डिजिटलीकरण उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

स्मार्ट एग्रीकल्चर- इसमें नई उत्पादन विधियों और प्रबन्धन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है अर्थात् स्मार्ट खेती उपग्रह आधारित विशिष्ट फसल प्रबन्धन, वस्तुओं के इण्टरनेट आधारित उपकरणों जैसे सेंसर रोबोट ड्रोन आदि के प्रयोग से कृषि उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती और बेहतर उत्पादन का प्रबन्धन करता है।

प्रिसिजन फार्मिंग- यह सूचना तकनीकी पर आधारित कृषि विज्ञान की एक आधुनिक अवधारणा है जो पर्यावरण हितैषी, किसानों के लिए उपयोगी तथा उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर से दबाव को कम करने में सहायक है। इसमें खेती की स्थानीय जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को प्रयोग किया जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- किसानों को सही फसल चुनने सूचना और सलाह जैसी सेवाएं प्रदान करने और जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

स्वचालित सिंचाई प्रणाली- वर्तमान समय में उपलब्ध सिंचाई विधियों में ड्रिप सिंचाई पद्धति को कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की एक तकनीकी है जो बताता है कि फसलों को कब और कितना पानी चाहिए तथा कितना पानी मिल चुका।

फसल बीमा ऐप- यह किसानों को अधिसूचित फसलों के लिए न सिर्फ फसल बीमा की गणना करता है वरन् उससे सम्बन्धित अन्य जानकारीयों भी उपलब्ध कराता है।

खेतीबाड़ी ऐप- जैविक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करना और अन्य आवश्यक जानकारीयों प्रदान करना।

ई-नाम- यह ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपी एमसी मंडियों को कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क के तौर पर काम करता है।

कृषि केन्द्र- यह देश का पहला ऑनलाइन कृषि मेगा स्टोर है जो कि बीज कीटनाशक उर्वरक सूक्ष्मपोषक तत्व कृषि रसायन कृषि मशीनरी सौर पम्प आदि कृषि उत्पादों की बिक्री करता है।

डिजिटल मंडी- यह आई0टी0 कानपुर द्वारा संचालित कृषि विपणन सूचना प्रणाली है।

ई-पशुधन हॉट- इसके द्वारा बिचौलियों की भागीदारी को कम किया जाता है तथा पशु प्रजनकों को सीधे पशु पालकों एवं किसानों से जोड़ने को काम करता है।

टी0एन0यू0 एग्रीटेक पोर्टल- इसमें पशुपालन, कृषि मशीनरी, बागवानी फिशरीज वानिकी रेशम पालन, जैविक खेती आदि के विषय के जानकारी देना।

डेयरी नॉलेज पोर्टल- इसमें पशुधन स्वास्थ्य प्रबन्धन पोषक आहार प्रजनन रोग एवं उपचार आदि की जानकारी मिलती है।

निष्कर्ष-

ग्रामीण क्षेत्रों डिजिटल इण्डियन अपने पैर पसार रहा है-ब्रॉडबैंड का निरन्तर विस्तार किया जा रहा तथा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क द्वारा सभी विकासखण्ड मुख्यालयों को जनपद मुख्यालयों से जोड़ा जा चुका है। डिजिटल इण्डिया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्तर को कम कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी रुका है। दूरस्थ चिकित्सा तथा दूरस्थ शिक्षा से ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा तथा दूरस्थल शिक्षा द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा रही।

सूदूर 'गाँव में बैठा व्यक्ति पलक झपकते सारी दुनिया से सम्पर्क स्थापित कर ले रहा। दूर-दराज का किसान ई-चौपाल द्वारा सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहा। आज डिजिटल इण्डिया द्वारा ग्राम एक सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता इससे महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहुँचाना सरल हो गया अब ग्राम विकास के पर्याय बन रहे हैं।

संदर्भ सूची

1. मीणा जनक सिंह, 2009 मार्च, 'ग्रामीण विकास में सूचना का अधिकार', प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली।
2. सिंह, जितेन्द्र, 2009, जून, 'ग्रामीण जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका' प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली।
3. सेतिया, सुभाष, 2009 मार्च, 'गाँवों में सूचना टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रभाव' कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।
4. शर्मा, अर्पिता, 2013 फरवरी, 'सूचना एवं संचार के साधनों से गाँवों का विकास' प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली।
5. मलिक, सिंह जगपाल, 2014 जुलाई, 'अत्याधुनिक तकनीकों का ग्रामीण विकास में योगदान', कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।
6. महतो, ललन कुमार, 2015, दिसम्बर, 'डिजिटल क्रान्ति से बदलता ग्रामीण समाज', कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।
7. सिंह, नीरज और राव एस0 मोहित 2020, दिसम्बर, 'डिजिटल इण्डिया नए भारत की आकांक्षा', कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।
8. सिंह, अशोक, 2020 दिसम्बर, 'साकार होती डिजिटल भारत की परिकल्पना', कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।
9. कुमार, विरेन्द्र, 2020 दिसम्बर, 'किसानों के जीवन का अहम हिस्सा बनती डिजिटल टेक्नोलॉजी', कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।

डिजिटल शिक्षा ग्रामीण सन्दर्भ में-आत्मनिर्भर भारत

डॉ० अदिती गोस्वामी

असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकल्टी), शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रयागराज

शोध-सारांश

‘गाँव के विकास में ही भारत का विकास निहित है।’

‘डिजिटल इंडिया’ के माध्यम से लोगों में संचार क्रांति आयी है, इसने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेश में बदलाव की बयार ला दी है। ‘डिजिटल इंडिया’ वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। डिजिटल शिक्षा से गाँव ‘वैश्विक गाँव’ में बदल रहे हैं। मोबाइल तकनीकी न सिर्फ नागरिकों को घर बैठे समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा रही वरन् डिजिटल शिक्षा और डिजिटल लर्निंग की रफ्तार को भी बढ़ा दिया है।

प्रस्तावना

“डिजिटल इंडिया को अब प्रत्येक के सिर्फ भारत सरकार की पहल के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि यह लोगों विशेषकर गरीब और वंचित तबकों तथा सरकारी तंत्र में मौजूद लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है।” – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सूचना प्रौद्योगिकी अब जीवन का महत्वपूर्ण भाग है जिसने शहरों के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश को भी बदला है। भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम ने कई क्रांति का सूत्रपात किया जो शहर के साथ-साथ ग्रामों को भी लाभ पहुँचा रही जिसमें नई कृषि विधियाँ, मौसम सम्बन्धी सूचनाएं, मंडी के ताजा भाव, डिजिटल पेमेंट तथा टेली परामर्श के साथ-साथ छात्र मोबाइल से शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि ‘डिजिटल इंडिया’ है क्या? भारतीय प्रतिभाग + सूचना प्रौद्योगिकी + कल का भारत। इस प्रकार से यह डी.ई.आर. टी.वाई. द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है जो तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है-

- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढाँचा।
- माँग पर संचालन एवं सेवाएं।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

यह डिजिटल इंडिया स्तम्भों पर खड़ा है-

- ब्राडबैंड-हाइवे
- सूचना सबकी फोन तक पहुँच
- मोबाइल कनेक्टिविटी-के लिए सार्वभौमिक पहुँच
- ई-गवर्नेंस- प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार
- ई-क्रांति-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
- सूचना- सभी के लिए
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
- नौकरियों के लिए-आईटी0
- अल्टी हारवेस्ट प्रोग्राम (जल्दी पैदावार कार्यक्रम)

ब्राडबैंड हाइवेज जिसमें सूचना संचार सभी को सर्वसुलभ हो रहा जिसने ग्रामीण एवं सूदूर क्षेत्रों के लोगों में शिक्षा की अलख जगा दी है। ‘डिजिटल इंडिया’ ग्रामीण एवं सूदूर क्षेत्रों के लोगों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी डिजिटल कार्यक्रम और आभासी कक्षाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डिजिटल शिक्षा

‘एक तकनीक या सीखने की विधि जिसमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरण शामिल है।’ कोरोना महामारी में डिजिटल शिक्षा एवं वर्चुअल लर्निंग का विकास हुआ। इसमें तकनीक या तकनीक का प्रभाव अर्थात् वर्चुअल और ब्लेंडेड लर्निंग की कई पद्धतियाँ सम्मिलित हैं।

ऑनलाइन लर्निंग

यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्थित शिक्षा है जो शिक्षक/छात्र बातचीत और कक्षा सामग्री वितरण के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है।" इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कम्प्यूटर मोबाइल लैपटॉप पर किया जाता है। यह निजी उपकरण पर इस्टॉल किये गये प्रोग्राम अथवा ऐप के जरिए भी उपयोग हो सकता है।

ऑनलाइन लर्निंग के प्रकार

ई-लर्निंग- इसमें सीखने की गतिविधियाँ पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से ऑनलाइन होती हैं तथा सीखने पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है।

ब्लेंडेड लर्निंग- इसका प्रयोग आमतौर पर वर्चुअल लर्निंग और कक्षा में होने वाले पारम्परिक अध्ययन का मेल है। इसमें पढ़ाने सिखाने के लिए आगे-सामने होने वाली पढ़ाई और संवाद के ऑनलाइन गतिविधियों को शामिल किया जाता है।

डिस्टेंस लर्निंग- इसमें छात्र भौतिक रूप से काफी दूर होते हैं अथवा कहे दूरवर्ती शिक्षा ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में मौजूद उन लोगों को शिक्षा देती हैं जो अपने गुरु तथा साथ पढ़ने वालों से दूर होते हैं।

वर्चुअल लर्निंग- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह सीखने का अनूठा और एकदम नया अनुभव है जिसमें शिक्षण संगठन के अन्दर और बाहर इंटरनेट का उपयोग कर पढ़ाया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन सामग्री के साथ वर्चुअल लर्निंग के वातावरण में दी जाती है।

वर्चुअल लर्निंग की विशेषताएँ-ग्रामीण क्षेत्र में वर्चुअल लर्निंग की विशेषताओं को समझना आवश्यक है-

- यह अध्ययन की एक पद्धति है।
- सम्पूर्ण संसार में उपस्थित ज्ञान के असीमित भण्डार को दूर से प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल सीखने की प्रक्रिया।
- अध्ययन की विभिन्न शैलियों का प्रयोग।
- लचीली अध्ययन पद्धति।
- समय और धन की बचत।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा- शिक्षा की पारम्परिक पद्धति में संशोधन कर उसमें डिजिटल तरीका अपनाकर शिक्षा सर्वसुलभ की गई। भारत में शिक्षा उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल साक्षरता का बड़ा अन्तर है।

ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शिक्षण पद्धति- डिजिटल शिक्षा एवं वर्चुअल लर्निंग में ग्रामीण या दूरवर्ती छात्रों के लिए अनूठी शिक्षण पद्धति की जरूरत होती है जिसके लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन प्रयोग होने वाले उपकरणों एवं संसाधनों को स्वीकार किया जाता है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग- इसको विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन की समस्याओं को दूर करने के लिए 2017 में आरम्भ किया गया। इसे कक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्र बेव पोर्टल तथा मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2020 में क्यू0आर0 कोड युक्त एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम प्रश्नोत्तरी तथा पाठ्यक्रम से जुड़ी ई-सामग्री उपलब्ध है। यह ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। स्थानीय भाषा में सामग्री भौतिक एवं डिजिटल दुनिया के बीच पुल का काम करती है यह लचीलापन एवं विकास का अनूठा संगम है।

ई-पाठशाला- डिजिटल भारत का अभिन्न अंग है ई-पाठशाला। ई-पाठशाला मोबाइल ऐप छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को ई-बुक आदि उपलब्ध कराकर सीखने के प्रति प्रोत्साहित करती है। साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिना छपी सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करती है।

स्वयं प्रभा चौनल- इसमें टी0वी0 चौनलों के जरिए डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इसमें स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए 32 चौनलों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है।

समग्र शिक्षा- इसके अन्तर्गत स्कूल शिक्षा की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के कम्प्यूटर के द्वारा पढ़ाई तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान के आई0सी0टी0 कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया।

शाला दर्पण- यह ग्रामीण क्षेत्रों एवं पूरे देश में मौजूद सभी केन्द्रीय विद्यालयों के ई-प्रशासन का प्लेटफार्म है।

शाला सिद्धि- यह राष्ट्रीय विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम है। केन्द्र शासित सरकार ग्रामीण स्कूलों समेत सभी स्कूलों को अपना मूल्यांकन करने तथा स्वयं में सुधार लाने में मदद करती है।

ई-ग्रंथालय- यह पुस्तकालय प्रबन्धन सॉफ्टवेयर है जो ग्रामीण भारत के स्कूलों एवं कॉलेजों में डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान- इसका लक्ष्य ग्रामीण जनता को डिजिटली साक्षर बनाना इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी-रेखा से नीचे के लोगों, महिलाओं, दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रम-

- शिक्षा वाणी।

- लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
- ऑनलाइन लैब्स
- परियोजना प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली
- मध्याह्न भोजन
- सुगम्य पुस्तकालय
- निगरानी योजना

ग्रामीण डिजिटल शिक्षा में चुनौतियाँ- ग्रामीण डिजिटल शिक्षा में कुछ चुनौतियाँ हैं जो डिजिटल शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं में से हैं-

- सभी के लिए इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता।
- शिक्षक प्रशिक्षण।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराना।
- सामाजिक सामंजस्य का भाव।
- टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है जिससे ग्रामीण छात्रों को समस्या।
- किसी मानक नीति का न होना।
- इंटरनेट की धीमी गति

निष्कर्ष- आज भारत डिजिटल शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह बच्चों के सीखने के लिए बहुत प्रभावी माध्यम है। डिजिटल लर्निंग छात्रों को एक लचीले विकल्प के रूप में देखता जो उन्हें अपने समग्र और गति के अनुसार सीखाता है। सरकार सभी गाँवों में पहले 3जी फिर 4जी और अब 5जी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ई-क्रांति के माध्यम से लगभग 41 नवाचार आरम्भ किये गये जो सीधे ग्रामीण क्षेत्रों को ई-एजुकेशन का लाभ पहुँचाने का प्रयास है। वह दिन दूर नहीं जब डिजिटल लर्निंग द्वारा शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षित कर शहर और ग्राम्य के मध्य की दूरी को समाप्त कर देगी।

संदर्भ सूची

1. द्विवेदी कल्पना, 2014 जुलाई, 'डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण विकास', नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र।
2. पाण्डेय, विजन कुमार, 2015 अक्टूबर, 'डिजिटल इण्डिया का भविष्य' प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली।
3. महतो ललन कुमार, 2015 दिसम्बर, 'डिजिटल क्रांति से बदलता ग्रामीण समाज' नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र।
4. दाधीच बालेन्दु शर्मा, 2016 जून, 'गाँवों में रफ्तार पकड़ता', डिजिटल इंडिया', नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र।
5. कपूर शीतल, 2020 जून, 'डिजिटल इंडिया', नई दिल्ली, योजना।
6. लेंका रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी, 2016 जून, 'गाँवों में रफ्तार पकड़ता', डिजिटल इंडिया', नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र।
7. कुमार, सन्नी, 2020 दिसम्बर, 'डिजिटलीकरण से शुरू हुआ जीवन का नया सफर', नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र।

नारी सशक्तिकरण में आत्मगनिर्भर भारत

डॉ० बिन्दु कनौजिया

असि० प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), प्रयाग महिला विद्यापीठ डिग्री, कालेज प्रयागराज उ०प्र०, पिन- 211001

प्राचीन काल से महिलाओं पर अन्नाउय और अत्याचार होते जा रहे हैं। जो सभी महिलाएं उस समय से लेकर आज तक सिर्फ सहती आ रही हैं। क्योंकि पुराने जमाने में सभी क्षेत्रों में पुरुषों का ही वर्चस्व था। इसलिए किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के सभी अधिकार पुरुषों के हाथों में ही थे। महिलाओं को पुरुषों के हाथों वर्षों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।

सभी महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, जिसमें वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं जिसके लिए उनको किसी भी पुरुष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्राचीन समय में महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता गया, वैसे-वैसे महिलाओं के सोच में बदलाव होता गया। जिस कारण उनको अपने ऊपर हो रहे अन्याय का एहसास होने लगा। जिसकी वजह से उनके मन में इस अन्याय से छुटकारा पाने की सोच जाग गई। उसी सोच की वजह से महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनी की शुरुवात हुई। क्योंकि जब खुदके निर्णय सबसे सामने रखने का उनको कोई अधिकार नहीं था, महिला सशक्तिकरण पूरे समाज में बहुत तेजी से फैल गया। इसी तेजी से फैलते हुए महिला सशक्तिकरण की वजह से समाज में रहने वाले पुरुषों के अन्याय से पीड़ित सभी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता हो गई थी। जिस कारण किसी भी काम के लिए हर बार पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। बल्कि इस समाज में उनकी जगह भी पुरुषों के हाथ में ही थी।

दुनिया के सभी विकसित देशों में रहने वाली महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। जहाँ वो हर उस मंजिल तक पहुँच गई हैं, जहाँ पहले सिर्फ पुरुष ही पहुँचा करते थे। लेकिन कुछ विकासशील देशों में आज भी महिला सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है। लेकिन देश के कई सारे क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति नहीं है। उनको अपने मन से जीने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। यह सब ज्ञानदातर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्ञानदा होता है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं का काफी विकास हुआ है। जहाँ वो शिक्षा प्राप्ति कर सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिला सशक्तिकरण की जरूरत बहुत ज्यादा है।

महिलाओं को आज के आधुनिक युग में भी पुरुषों के जैसा मान सम्मान नहीं मिलता है। क्योंकि जब किसी महिला का विवाह होता है, तो पुरुष उक्त महिला को अपनी सम्पत्ति मानता है। इसलिए वो हमेशा उस महिला का अपमान करता है। उसके साथ मारपीट करता है। लेकिन आज महिलायें सशक्त हो गईं। उनमें जीने की साथ ही हर कार्य करने की इच्छा की शुरुआत हो गई “सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्णयों की निर्माता खुद हो। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। अर्थात् सत्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिवर्तित कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का आशय है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिला कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिला आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है।

भारत में शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा रोजगार हैं, आकड़ों के अनुसार के अनुसार भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंजिनियरों में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिला मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है।

हमारा देश बहुत तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं। जब हम लैंगिंग असमानता को दूर कर पाएँ और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सकें।

- पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिंग असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किये गये।
- आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं सेवी समूह एन०जी०ओ० आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।
- महिलायें ज्यादा खुले दिमांग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिये सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं। इसके साथ-साथ अपराध भी बन रहा है।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएँ रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बन्धित होती हैं। बहुत से गठन और कई योजनाओं को महिलाओं की परिस्थिति को देखते हुए किया गया है। ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ-मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई जाने वाली योजना) आदि हैं।

1. बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ- यह योजना कन्याक भ्रण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रख कर बनायी गई है। लड़कियों के बेहतरों के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्राति लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
- स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को लिखलिखने का कार्य किया जाता है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है।
- यह योजना समुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केन्द्रित है।
- कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं-
अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
दहेज रोक अधिनियम -1961
बाल-विवाह रोकथाम एक्ट 2006
लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट- 1994

महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया है। इसके साथ ही महिलाएँ अपनी जिन्दगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं। प्रत्येक महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ने लगी इसके साथ ही वह आत्मनिर्भर बनती जा रही है। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें हक दे रहे हैं। पुरुष भी अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत करने लगे हैं कहा जाता है कि -“हक माँगने से नहीं मिलता छीनना पड़ता है और औरतों ने अपने हक अपनी कार्यलय से और एक जुट होकर मर्दों से हासिल लिया है हक”

“जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्कीज प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है उसे देखते हुए निकल भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज को पितृसत्तात्मक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदले और संवैधानिक तथा कानून प्रावधानों में भी बदलाव लाएं। आज समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हैं। फिर ऐसी बहुत सी महिलाये हैं जिन्हे सहयोग और सहायता की जरूरत है। इक्कसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की बढी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे लगी हैं। आज की नारी अब जागृत और सक्रीय हो चुकी है।

“नारी” जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।”

अगर महिलाओं को केवल ‘महिला दिवस’ मना लेने भर से संतुष्टि मिले तो शायद यह बेमानी होगा। हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। इसके लिए बचपन से लड़कियों को हर क्षेत्र में सहभागिता देने में उनको सहयोग करना होगा ताकि आने वाले समय में आत्म निर्भर बनकर अपने जज्बे को मजबूत करें और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सके।

संदर्भ सूची -

1. महिला सशक्ती करण प्रेम नारायण शर्मा 2013
2. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास-स्वा0 सुषमा विनायक-2013
3. शौर्य विद्रोह महिला-रमणिका गुप्ता 2012
4. महिलाओं की स्थिति-महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास संजीव कुमार झा प्रका0 2013

शिक्षा और स्वास्थ्य में आत्म निर्भर भारत

रेखा शुक्ला

(शोधार्थी, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ)

“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है”-अरस्तू।

प्रस्तावना

एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है आत्मनिर्भरता। जो कि शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों पर ही निर्भर होती है अरस्तू के अनुसार एक बालक तभी अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकता है जब वह शारीरिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हो इस प्रकार किसी भी देश के विकास के लिए बालकों या युवाओं का शिक्षित होने के साथ ही साथ स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है जिस प्रकार से कहा भी गया है कि “शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्”

अर्थात् मनुष्य का शरीर की धर्म करने के लिए उत्तम है एक बाला कभी स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा शिक्षित हो आत्मनिर्भरता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है की व्यक्ति शारीरिक मानसिक सामाजिक व भावात्मक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो क्योंकि किसी भी देश की प्रगति में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है तथा युवाओं की देश की प्रगति में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है हमारे भारत देश को आजाद हुए बहुत अधिक समय हो रहा है भारत में कई उपलब्धियों को प्राप्त किया है तथा कई क्षेत्रों में भारत ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है परंतु आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जो दूसरे देश की शक्तियों पर निर्भर हैं।

आत्मनिर्भरता की अवधारणा

आत्मनिर्भरता दो शब्दों से मिलकर बना है ‘आत्म’ और ‘निर्भर’ जिसमें ‘आत्म’ अर्थात् स्वयं तथा ‘निर्भर’ अर्थात् आश्रित। इस प्रकार स्वयं पर निर्भर रहना अर्थात् आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना ही आत्मनिर्भरता है आत्मनिर्भर होना ही सभी व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है इसीलिए किसी भी देशके आप निर्भर बनने के लिए उस देश के बच्चों तथा युवाओं का शिक्षित स्वस्थ व आप निर्भर होना अत्यंत आवश्यक है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

भारत देश ने स्वतंत्रता के बाद से कई उपलब्धियों को अर्जित किया है। सभी क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है और भारत की यह सभी उपलब्धियां विश्व के लिए उपयोगी है हमारे भारत देश में परमाणु बम से लेकर तक नीकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष में कई उपलब्धियों को स्थापित किया है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के दौरान इस जीवन रक्षक दवाइयों जैसे-कोविड वैक्सीन, मास्क आदि के उत्पादन और आपूर्ति में भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत ने आत्मनिर्भरता के नए आयामों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अनेक उपलब्धियों में से एक है जिसे साकार करने का हर संभव प्रयास सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर के किया जा रहा है। मोदी जी का मानना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी भी छात्र को शिक्षा के साथ ही साथ किसी एक मन पसंद कौशल में भी निपुण बनाया जाए जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें वह देश की प्रगति में अपने आत्मनिर्भर बन सकें वह देश की प्रगति में अपने स्वयं के प्रयास से योगदान दे सकें हमारा भारत देश हर प्रकार से संसाधनों जैसे प्राकृतिक सामाजिक भौली से संपन्न है परंतु इन संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग ना कर पाने के कारण युवाओं को इसका लाभ आपने गुणात्मक या कौशलात्मक विकास के लिए नहीं मिल पा रहा है इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस स्किलडेवलपमेंट हेतु शिक्षा में कौशलों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं का विशेष योगदान होता है क्योंकि युवा ही आगे चलकर देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्योंकि युवा आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता

“If you want any change in society, catch them young.”

अर्थात् आप यदि समाज में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो युवा आपका सबसे अच्छा माध्यम है अर्थात् किसी भी देश के सशक्त व आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा प्रणाली का सशक्त और गुणवत्तापूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती

है शिक्षित व्यक्ति ही देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं परंतु यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा को सैद्धान्तिक के साथ-साथ व्यवहारिक होना भी अत्यंत आवश्यक है व्यवहारिक शिक्षा छात्रों को वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता का विकास करती है तथा व्यवहारिक शिक्षा में गुणों का विकास भी सम्मिलित होता है तो यहाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम भी बनती है

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा आवश्यक

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है स्वामी विवेकानन्द जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त साधन हो जो मनुष्य में पूर्व से ही विद्यमान पूर्णता को पहचानने और उसकी प्राप्ति का कार्य करती है अतः शिक्षा की सहायता से आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाना चाहिए विवेकानन्द की दूरदर्शिता आज की शिक्षा पर सवाल करती है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता में सहयोग प्रदान करती है आत्मनिर्भरता कैसे सिखायी जाए इसके लिए शिक्षा की मूलभूत उद्देश्य को जानना आवश्यक है शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति को उसकी छिपी हुई प्रतिभाओं और गुणों से परिचित कराना है और यह सिखाना है कि वह इन प्रतिभाओं को कहाँ और कैसे अपने जीवन के संघर्षों को चुनौती में बदल कर सफलता प्राप्त कर सकता है और व्यक्ति को उसके इसी लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।

स्वास्थ्य जागरूकता और आत्म निर्भरता

जिस प्रकार शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है उसी प्रकार अच्छा स्वास्थ्य भी बालक को शारीरिक मानसिक व संवेगात्मकरूप से सशक्त बनाता है इस प्रकार पूर्ण रूप से स्वस्थव्यक्ति आत्मनिर्भर होकर अपना विकास कर सकता है।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना

भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियानों में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना भी प्रमुख हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना है जिसके लिए सरकार द्वारा बजट देने का ऐलान किया गया है स्वस्थभारत योजना के तहत आने वाले छह सालों में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेक्टर पर 64 हजार 180 करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा। जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ये कदम भी युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने का एक नवीन प्रयास है कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया तथा इस आपदा ने विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी इस हेतु आप निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने व इसमें युवाओं को आगे आने के लिए अभियान चलाना अति आवश्यक माना गया युवाओं का ध्यान भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार की तरफ आकृष्ट हुआ है तथा नए रोजगार की संभावनाओं को पहचाना है “आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना” इस ओर एक सार्थक पहल है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो कौशलों का विकास हो और प्रशिक्षित युवा देश में महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें इस प्रकार अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत आवश्यक है।

आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य लोगों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है ताकि भारत का हर व्यक्ति इस मुश्किल समय में एक दूसरे को सहारा दे सके। कोविड 19 के प्रकोप के चलते छोटे उद्योग, मजदूर, किसानों, श्रमिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए सभी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे उनकी कुछ मदद हो सके इस अभियान से लोगों में जागरूकता आएगी और लोगों की मदद भी होगी जिससे कि गरीब लोगों को किसी के आगे झुकना न पड़े और वह अपना जीवन यापन बिना किसी की सहायता से कर सकें।

आत्मनिर्भर भारत योजना शिक्षा वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करने का कार्य कर रही है नई संभावनाओं की तलाश करने का कार्य कर रही है जिससे इस क्षेत्र में युवा आगे आए अपने को किसी न किसी कौशल से प्रशिक्षित करें व आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकें।

आप निर्भर भारत योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि वह युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में किसी न किसी कौशल में निपुणता प्रदान कर सकें तथा आत्मनिर्भर बना सके ताकि युवा अपनी आय के स्रोत निकालने में या आय के साधनों की तलाश करने में स्वयं सक्षम हो सके

निष्कर्ष

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है अर्थात् शिक्षा के द्वारा बालक के शरीर, मन तथा आत्मा के सभी पक्षों का अनुकूलतम विकास करने का प्रयास किया जाता है इसलिए शारीरिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पक्ष माना गया है। अतः शिक्षा के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश करने व रोजगार का सृजन करने के लिए आप निर्भर भारत योजना अत्यंत आवश्यक व उचित कदम है शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है केंद्र तथा राज्य सरकारों को इस कार्य हेतु आगे आना चाहिए और शिक्षा की पाठ्यचर्या में आवश्यक परिवर्तन करके उसे अधिक से अधिक कौशल युक्त व व्यवसायोन्मुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

प्रतिवेदन व लेख

भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ(1962), रिपोर्ट ऑफ द स्कूल हेल्थकमेटी, खंड 1 नई दिल्ली।

भारत सरकार(1946), रिपोर्ट ऑफ हेल्थ सर्वे ऐंड प्लानिंग कमेटी खंड दो, दिल्ली।

पुस्तकें

गुप्ता, प्रो.एस.पी. व गुप्ता डॉ. अल्का (2010), भारतीय शिक्षा के समसामयिक प्रकरण, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

वेब साइट

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा उस

<https://ncert.nic.in>

पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना

<https://hindi.nvshq.org>

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: जरूरत और मायने

डॉ० रामसिया चर्मकार

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जिला-रायसेन

प्रस्तावना-

भारत फिर से दुनिया की 854.7 अरब डॉलर के साथ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पहले से ही 10 फीसदी आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी, जबकि 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 22 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि 50 फीसदी आबादी की इसमें हिस्सेदारी केवल 13 फीसदी ही है। भारत गरीब और काफी असमानता वाला देश बन गया है। 5 वर्षों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाल दिए हैं। राइट-ऑफ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी एक दशक में 60-80 प्रतिशत के बीच है। जिन्हें उद्योगपति कहते हैं, के लाखों करोड़ों के कर्ज को एनपीए के रूप में माफ कर दिया जाता है, और यह निर्णय किसी बैंक के द्वारा नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोगों के द्वारा किया जाता है। खुद की सुविधाओं पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, किन्तु जनता को दी जाने वाली रियायतों में इतना भ्रष्टाचार किया जाता है कि जनता सोच में पड़ जाती है कि क्या यह रियायत वास्तव में उसी के लिए था या फिर उसके नाम पर नेताओं और नौकरशाहों के लिए होती है। प्रत्येक चीज में अकिधतम जीएसटी लगाकर, अधिक जीएसटी संग्रह को सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर बखान से आम गरीब जनता के ऊपर हसना है। क्योंकि वह गरीब से और भी गरीब होती जा रही है। जिससे आत्मनिर्भर होने के लिए कहा जा रहा है उससे बेतहासा टैक्स वसूला जा रहा है और आये दिन प्रतिनिधियों के द्वारा अपने सुविधाओं में निरंतर वृद्धि किये जा रहे हैं। आत्मनिर्भर खुद पर भी उपयोग में लाना चाहिए। उद्योगपतियों के कर्ज को राइट ऑफ कर उनके द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को बेतहासा धन मुहैया कराना। जनता की खुद की कमाई को तय सीमा से बाहर निकालने और जमा करने पर शुल्क लगा दिया गया है किन्तु राजनीतिक दल चाहे जितना धन बैंकों से निकाले उन्हें शुल्क से बाहर रखा गया है।

मुख्य शब्द- आत्मनिर्भर भारत, नेता, उद्योगपति, कर्ज माफी, आर्थिक हिंसा, गैर बराबरी, आर्थिक असमानता जीएसटी, आम नागरिक।

उद्देश्य-

1. आत्मनिर्भर के मायने को समझना।
2. आजादी के आमृत महोत्सव के मायने को समझना।
3. आर्थिक असमानता।

शोध प्रविधि- शोध पत्र “आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: जरूरत और मायने” एक तरह से द्वितीयक सामग्री संकलन पर आधारित है। जिसमें विश्लेषणात्मक तथ्यों के आधार पर शोध पत्र को लिखा गया है। इन्हीं तथ्यों से शोध पद्धति के अध्ययन का आधार तय किया गया है। शोध पत्र का निर्माण कर शोध प्रविधि के माध्यम से समाचार पत्रों का अध्ययन किया गया है। इसके साथ और इंटरनेट में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शोध पत्र तैयार किया गया है। इस माध्यम से शोध पत्र पूर्ण करने में सहायता प्राप्त हुई है जो आगामी पाठकों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

आगामी प्रकाशित होने वाला जर्नल का शीर्षक जो कि “आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: जरूरत और मायने” है, इसके जानने, समझने, और लिखने के कई मायने हो सकते हैं। जरूरत यह है कि इसे लिखने वाला किस मायने से समझ व लिख रहा है। आत्मनिर्भर भारत शब्द पहले भी अपने अस्तित्व में रहा होगा। किन्तु कुछ वर्ष पूर्व यह शब्द सुर्खियों में तब आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश और देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत वर्ष 2021 के अंतिम तीन महीने में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। यानी भारत फिर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 10 फीसदी आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी, जबकि 1 प्रतिशत लोगों के पास ही है देश की 22 प्रतिशत धन है। जबकि 50 फीसदी आबादी की इसमें हिस्सेदारी केवल 13 फीसदी ही है। सवाल यह है कि यह धन किसके काम आ रहा है। भारत गरीब और काफी असमानता वाला देश बन गया है। पीछले 5 वर्षों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाल दिए हैं। ऐसे एनपीए राइट-ऑफ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में 60-80 प्रतिशत के बीच है। कुछ लोगों को, जिन्हें उद्योगपति कहते हैं, के लाखों करोड़ों के कर्ज को एनपीए के रूप में माफ कर दिया जाता है, और यह निर्णय किसी बैंक के द्वारा नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोगों के द्वारा किया जाता है। भारत के उद्योगपति गौतम अदाणी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 2022 में इनकी सम्पत्ति 12.4 लाख करोड़ रुपये है। कुछ दिन पहले 10.9 लाख करोड़ के साथ अदाणी तीसरे स्थान पर थे। इस समय गौतम अदाणी

पर 2.2 ट्रिलियन रुपये का कर्ज है। यदि वे होल्सिम का अधिग्रहण करते हैं तो उन पर 2.6 ट्रिलियन रुपये का कर्ज हो जाएगा। कोई भी व्यापार या अधिग्रहण कर्ज लेकर ही करते हैं उस धन से बहुत ही कम जो धन इनका हो जाता है। गौतम अदाणी 7 साल पहले यानी 2015 में अमीरों में 208वें स्थान पर थे। वही मुकेश अंबानी 7.4 लाख करोड़ के साथ 11वां स्थान पर है। देश में अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह 1,43,612 करोड़ रूपए रहा। यह पिछले साल अगस्त महीने के मुकाबले 28 प्रतिशत अधिक है। इस साल जनवरी से अब तक 8 में से 7 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रूपए से अधिक रहा। जीएसटी संग्रह में सबसे बड़ी भूमिका महंगाई की है। जीचे महंगी होने के कारण लोगों का जो भी छोड़ा बहुत बचत के रूप में घर में संरक्षित था वह धन अब जीएसटी के रूप में सरकार के पास जा चुका है जिसे सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देश की जनता के समक्ष पेश कर रही है कि देखें सरकार का जीएसटी लाना कितना सही है। भले इससे जनता चाहे अपनी रोज मर्चा की चीजों को चाहे रो कर ही खरीदें, यदि उन्हें जिन्दा रहना है तो। आने वाले समय में अभी और जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी।

ग्रीन इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की 99 प्रतिशत आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य-आधारित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मानक 2.5 से पांच गुना ज्यादा खराब इवा में सांस ले रही है। डिफरेंट एयर अंडर चन स्काई शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा अनुपाल डब्ल्यूएचओ के वार्षिक दिशा-निर्देशों से 5 गुना से भी अधिक पीएम 2.5 सांद्रता के संपर्क में हैं। वही देश में 62 फीसदी गर्भवती महिलाएं सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में रहती हैं, जबकि पूरी आबादी के लिहाज से भारत में प्रदूषण के सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर है। पीएम 2.5 मा मतलब है कि बेहद सूक्ष्म कणों से है, जो जिस्म के अंदर प्रवेश करते हैं, और फेफड़ों और श्वसन मार्ग में सूजन पैदा करते हैं, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली समेत दिल और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा पैदा हो जाता है। किन्तु भारतीय नेताओं ने अपने लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर लिया है जिसके कारण उनकी औसत आयु में वृद्धि हो रही है

इस वर्ष एडीआर ने खुलासा किया है कि 2004-05 और 2020-21 के बीच राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। अज्ञात स्रोतों से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने कुल 690.67 करोड़ रूपए जुटाए। इसमें 47.06 प्रतिशत आय चुनावी बॉन्ड से हुई है। एडीआर ने 8 राष्ट्रीय दलों और 27 क्षेत्रीय दलों के आयकर रिटर्न तथा चुनाव आयोग को दाखिल दान से संबंधित विवरण का विश्लेषण किया गया। 8 राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से 426.742 करोड़ रुपये तथा 27 क्षेत्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से 263.928 करोड़ रुपये की आय हुई। जनवरी 2022 के आरंभ में ही 10 दिनों के भीतर ही राजनीतिक दलों को चंद देने के लिए एसबीआई से लगभग 1,213 करोड़ रूपयें के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गये। 2018 से जनवरी 2022 तक इन 4 सालों में इलेक्ट्रोल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को 9,207 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इतना भारी भरकम चंदा कहाँ से और किसने दिया इसका कोई लेखा जोखा तक नहीं होता है। 10 हजार करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गये हैं। सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा चुका है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी कमाई और खर्च का पाई-पाई का हिसाब देना पड़ता है। वही दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए एक साथ ही कई कानूनों को ही बदल दिये हैं।

राजनीतिक पार्टीया आत्मनिर्भर- एसबीआई के आंकड़ों के अनुसार बैंक की भुवनेश्वर स्थित मेन ब्रांच से जुलाई में 108.5 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भुगतान कैंस में कराया गया है। जुलाई में ही दिल्ली की मुख्य शाखा से 70 करोड़ रुपये, हैदराबाद मेन ब्रांच से 71 करोड़ रुपये और कोलकाता स्थित मेन ब्रांच से 66.5 करोड़ रुपये निकाले गये हैं। राजनीतिक चंदा अब कालाधन बनाने का एक सशक्त साधन के रूप में इसका निर्माण किया गया है। देश का आम नागरिक जो अपनी मेहनत का धन जो कि बैंकों में रखता है उसी के धन को निकालने में कई सारे कानूनों को निर्मित करने के साथ ही एक दिन में एटीएम से केवल कुछ ही हजार निकाल सकते हैं। इसके बाद निकालने पर चार्ज लगना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पैसा जमा करने पर भी शुल्क लगना लगा दिया गया है, पर नेता पार्टी के नाम पर चाहे जितना धन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये संसद और विधानसभाओं में अपने पक्ष में सरल से सरल कानूनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि इन्हें जनता का सेवक कहा जाता है। हर दौर में हर किसी की जरूरत धन ही होता है, आम नागरिक की और ज्यादा, किन्तु उसे धन से ही दूर कर दिया गया है।

ऑक्सफैम ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व में बढ़ती आर्थिक असमानता, उसके दुष्प्रभाव और निदान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्थिक असमानता के कारण हर रोज 21 हजार लोग दुनिया में मरते हैं। यानी आर्थिक असमानता को बनाये रखना एक आर्थिक हिंसा है, और आर्थिक हिंसा हर रोज मार रही है और इसके गुनाहगारों को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती। क्योंकि व्यवस्था इन्हीं के द्वारा बनायी और चलायी जा रही है। इसे सफेद हिंसा भी कह सकते हैं जो कि एक ओर से एक तरफा की जाती है। महामारी काल में दुनिया के 10 अमीरों की पूँजी हर रोज 9 हजार करोड़ रुपये बढ़ जाती है। असमानता की विकरालता से स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, अशिक्षा-जनित लिंग आधारित हिंसा, भूखे और पर्यावरण-दोहन की वजह से इतनी मौतें होती है। आक्सफैम की इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि महामारी जहाँ गरीबों के लिए मौत बन कर आई, बेरोजगारी बढ़ी वहीं अमीरों के लिए यह वरदान साबित हुई क्योंकि उनकी संपत्ति पिछले 14 वर्षों से की तुलना में इन दों सालों में बढ़ी। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में (आर्थिक हिंसा) विस्तार से कहा गया है कि जहाँ एक ओर गरीबों पर बहु-आयामी मार पड़ी, जिससे मौतें हुई। वहीं 39 प्रतिशत नए लोग देश के बिलियनयर क्लब में शामिल हो गए। भारत में इस आर्थिक हिंसा के लेकर ऑक्सफैम ने सलाह दी है कि भारत में इनकम टैक्स ढांचे की पुनर्संरचना करनी चाहिए ताकि बेशुमार संपत्ति अर्जित करने वाले छोटे से वर्ग पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि की जा सके जिसे स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के कल्याण में लगाया जा सके। यह रिपोर्ट समाचार पत्र में जनवरी में छपी थी उस समय भारत में खाद्य सामग्री और काफी-पेन आदि पर टैक्स नहीं लगा था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो सलाह भारत सरकार को दी गई थी उस सलाह को खारिज करते हुए भारत सरकार ने कम वजन वाली चीजों को खरीदने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दी है। जैसे मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूँ और अन्य अनाज तथा मुरमुरे आदि। गरीबों की बहुत ही कम होती है और ये जीविका के लिए दुसरे शहरों और राज्यों में जीवन यापन करते हैं। गांवों और शहरों क्षेत्रों के निवासी जिनके पास रहने तक के लिए जगह नहीं है लोग रोज की जरूरतों के हिसाब से खरीदारी करते हैं, जो कि कुछ ही किलो के रूप में होती है। गरीब बिना टैक्स दिये किसी

भी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है। खाद्य वस्तुओं को एक साथ 25 किलो से ऊपर खरीदारी करने पर जीएसटी नहीं लगेंगी। केवल उन्हीं को जीने नहीं देंगे जो जीने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार ट्रेड पैक और चेक पर 18 प्रतिशत जीएसटी और एटलस सहिल नक्शे चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगा दी गई। सरकार को लगा कि भारत के बच्चों कुछ ज्यादा ही शिक्षा के प्रति सचेत हो गये हैं और शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। इसलिए शिक्षा में जीएसटी 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी गई। इसके अलावा सरकार को यह भी एहसास हो गया है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण लोग काफी लिखते हैं, इसलिए प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राईंग इंक, पेंसिल, कटर और पेपर नाइव्स पर भी जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई। लगा दी गई है। कागजों पर 12 प्रतिशत और स्याही पर 18 प्रतिशत जीएसटी। इतना ही नहीं 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है इसलिये तो सबमर्सिबल पंप, ट्यूबलैल टरबाइन पंप पर भी जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। आज जीएसटी बढ़ाने के बाद भी हीरे पर 1.5 प्रतिशत है और स्याही पर 18 प्रतिशत। यही तो आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है।

नेता आत्मनिर्भर- देश के कई राज्य लाखों के कर्ज में दबे हैं, फिर भी विधायकों पर फिजूलखर्ची में कोताही नहीं कर रहे। राजस्थान सरकार ने सभी 200 विधायकों को आईफोन तक बांट दिए हैं। जबकि यहां के विधायकों की औसत संपत्ति 7.39 करोड़ रुपए है। देश के 28 राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों में मुल 4 हजार से भी अधिक विधायक हैं। इसमें से 1914 विधायक सिर्फ 10 राज्यों में ही हैं। मध्यप्रदेश में 10 साल में 8.66 करोड़ रुपए बढ़ी विधायकों की संपत्ति। तमिलनाडु समेत कई राज्य सरकारें 5 साल में विधायकों का वेतन 3 से 4 गुना तक बढ़ चुकी है। इनकी औसत संपत्ति 10.5 करोड़ है। डॉ॰ रामसिया शर्मा जनप्रतिनिधियों के विषय में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं- हे जनता! मत बुरा मानना तुम चुनती हो, तुम्ही जानना तुम दरिद्र न घर, न कपड़े....भूख लगे तो जनगण गाओं। एक अन्य पंक्ति जब से हम सत्ता में आये इतना लूटे/इतना खाये घर वाले/चमचे/नातों के सौ पुशतों तक लोग अघाये रातों दिन अपनी पौ बारा फिर भी नहीं होत गुजारा रबड़ी रखी, खा रहे चारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।

विधायकों की औसत संपत्ति

राज्य	विधायकों की औसत संपत्ति	राज्य	विधायकों की औसत संपत्ति
महाराष्ट्र	22.42 करोड़	गुजरात	8.46 करोड़
हरियाणा	18.29 करोड़	राजस्थान	7.39 करोड़
पंजाब	13.34 करोड़	यूपी	5.85 करोड़
छत्तीसगढ़	11.63 करोड़	बिहार	4.32 करोड़
मध्यप्रदेश	10.17 करोड़	झारखंड	3.87 करोड़

मासिक सैलरी 1 से 2 लाख रुपए

राज्य	विधायकों की औसत सैलरी	राज्य	विधायकों की औसत सैलरी
महाराष्ट्र	2.32 लाख	पंजाब	1.14 लाख
यूपी	1.87 लाख	झारखंड	1.11 लाख
हरियाणा	1.55 लाख	मध्यप्रदेश	1.10 लाख
राजस्थान	1.42 लाख	छत्तीसगढ़	1.10 लाख
थ्रवार	1.30 लाख	गुजरात	1.05 लाख

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, विधायकों की औसत संपत्ति पिछले 10 वर्षों के दौरान 8 गुना तक बढ़ी है। वहीं, राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उसमें बहुत अधिक इजाफा नहीं हो पाया है। तस्वीर साफ है-विधायकों के अमीर होने की रफ्तार जनता के मुकाबले ज्यादा तेज है।

मध्यप्रदेश: 10 साल में ऐसे बढ़ी संपत्ति

वर्ष	विधायक औसत संपत्ति	प्रति व्यक्ति आय
2018	7.39 करोड़	90,998 रु.
2013	5.81 करोड़	52,169 रु.
2008	2.06 करोड़	32,453 रु.

गुजरात: 5 गुना अमीर हो गए विधायक

वर्ष	विधायक औसत संपत्ति	प्रति व्यक्ति आय
2017	8.46 करोड़	1,73,079 रु.
2012	8.03 करोड़	1,02,826 रु.
2007	1.73 करोड़	37,780 रु.

राजस्थान: प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ी

वर्ष	विधायक औसत संपत्ति	प्रति व्यक्ति आय
2018	7.39 करोड़	1,10,606 रु.
2013	5.81 करोड़	69,480 रु.
2008	2.06 करोड़	27,001 रु.

महाराष्ट्र: 18 करोड़ बढ़ी औसत संपत्ति

वर्ष	विधायक औसत संपत्ति	प्रति व्यक्ति आय
2019	22.42 करोड़	2,29,488 रु.
2014	10.87 करोड़	1,32,476 रु.
2009	4.77 करोड़	84,858 रु.

छत्तीसगढ़: लोग 4 गुना और विधायक 8 गुना अमीर

वर्ष	विधायक औसत संपत्ति	प्रति व्यक्ति आय
2018	11.63 करोड़	96,887 रु.
2013	8.88 करोड़	69,880 रु.
2008	1.47 करोड़	20,117 रु.

झारखंड: विधायकों से डेढ़ गुना कम वृद्धि

वर्ष	विधायक औसत संपत्ति	प्रति व्यक्ति आय
2019	3.87 करोड़	87,127 रु.
2014	1.84 करोड़	57,301 रु.
2009	91 लाख	34,721 रु.

मध्यप्रदेश- यहां विधायकों के लिए 2-3 बीएचके मकान का किराया सिर्फ 90 रु. मासिक। बिजली, पानी व मेंटेनेंस भी मुफ्त है।

छत्तीसगढ़- विधायकों के लिए मकान एलॉट होता है या 30 हजार मासिक किराया। प्लेन, ट्रेन, बस यात्रा को सालाना 8 लाख रु., 3 प्रतिशत पर कार लोन।

पंजाब- 2.60 लाख करोड़ रूपए के कर्ज में डूबे राज्य में 117 में से 93 विधायकों का इनकम टैक्स खुद सरकार भर रही है।

कर्नाटक- एक साल में प्लेन और ट्रेन से यात्रा करने के लिए 2 लाख रु. मिलते हैं। कार के लिए 7 प्रतिशत ब्याज पर 15 लाख तक लोन।

हिमाचल- 62 हजार करोड़ कर्ज में डूबे राज्य में माननीयों के टैक्स पर सालाना 3 करोड़ का खर्च। होम-कार लोन भी 4 प्रतिशत पर है।

हरियाणा- हर विधायक 15 हजार मासिक वतन पर सचिव रख सकता है। होम-कार के लिए 80 लाख रु. तक का सस्ता लोन।

एक ओर तो आम आदमी अपनी कमाई के हर हिस्से में सरकार को टैक्स चुका-चुकाकर सरकारी खजाना भर रहा है, और उसी खजाने से सरकारें करोड़पति विधायकों का आयकर टैक्स तक चुका रही हैं आम आदमी को लोन 12 से 16 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है, और विधायकों के लिए केवल 4 प्रतिशत में ही दिया जाता है। विधायकों का इनकम टैक्स तक गरीब जनता के जेब को काट कर भरा जाता है और इसका विरोध इन विधायकों के द्वारा कभी भी नहीं किया गया है कि उस जनता पर हमारा भार क्यों रखा गया है जिसके पास न तो खाने के लिए अनाज और न ही रहने के लिए जमीन।

उद्योगपति आत्मनिर्भर- केन्द्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 वर्षों में लगभग 11 लाख करोड़ रूपए लोन को माफ कर दिया गया है, जो कि यूपीए सरकार के तुलना में 5 गुना से भी अधिक है। केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11 लाख 19,482 करोड़ रूपए राइट ऑफ किये गये। यानी ऋण चुकाने की अब जरूरत नहीं है। पिछली केन्द्र की यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक 2.22 लाख करोड़ रूपए के लोन माफ किये थे, यानी मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज्यादा माफ किया गया। कोरोना काल में जहां जनता एक-एक रूपए के लिए तरस रही थी वही केन्द्र की सरकार ने महज 15 महीनों उद्योगपतियों के 2, 45, 456 करोड़ रूपए के कर्ज को राइट ऑफ कर दिया था। लोन ज्यादातर बिजनेस कैटेगरी वालों के एनपीए किया गया है। ये उद्योगपति जितना धन अपने उद्योगों से नहीं बना पाते उससे कहीं ज्यादा एनपीए को राइट ऑफ कराकर बना लेते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन और पॉलिसी कब और कहाँ काम में लायी जाती है, यह जानने का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है यदि इसे बनाया जाए, तब। इस महामारी के दौर में जिन्हें उद्योगपति कहा जाता है उनके द्वारा यह कहना चाहिए था कि सरकार उनके एनपीए को माफ करने के बजाय उतने ही धन को देश की जरूरत मंद जनता की जरूरतों की आपूर्ति में खर्च करें। पर यह शब्द देश के किसी भी उद्योगपतियों के द्वारा नहीं कहा गया, क्योंकि उन्हें इस बात

की जानकारी है कि इस एनपीए के खेल में देश की अधिकतम जनता जो कि गरीब है इस खेल में कहीं नहीं ठहरती, वो सिर्फ टैक्स देने के लिए जिंदा रहती है और इन टैक्स का उपभोग केवल कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ लोगों को केन्द्र बिन्दू बनाकर अधिकतम लोगों को घेर कर बनायी जाती है। और इसी को व्यवस्था कहते हैं।

जनता आत्मनिर्भर— मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन देते हुए कहा कि रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनों। इस उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 9.5 लाख युवाओं को 6 हजार करोड़ का रोजगार लोन दिये। एक दूसरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को व्यवसाय करने के लिए 10 हजार रूपए के लोन देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन इंदौर रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम स्व-निधि एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के हितग्राहियों से संवाद का। दूसरी ओर सीएम के लिए इस योजना के प्रचार के जो होर्डिंग लगे, वे उन हितग्राहियों के थे, जिन्हें 10 हजार के लोन मिले थे। 10 बाय 20 के 60 से अधिक बोर्ड आयोजन स्थल के एक किमी पहले से अंदर तक और डोम के दोनों ओर लगे थे। लोकल वेंडर से भी बनवाया जाता है तो वह 30 रूपए प्रति वर्गफीट में पड़ता है। इस तरह यदि 200 वर्गफीट का एक फ्लेक्स है तो उसकी लागत 6 हजार रूपए होती है। इस आयोजन की बात करे तो केवल 60 फ्लेक्स का न्यूनतम खर्च भी जोड़े तो वह 3.60 लाख रूपए होता है। केन्द्र के जल जीवन मिशन योजना के तहत 50 हजार युवाओं को रोगार प्रशिक्षण देना था। मप्र राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड ने 14 संस्थाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 8.50 करोड़ रु. का काम सौंपा। इसमें से 10 संस्थाओं के पास सवा छह करोड़ रु. का काम था। इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र और सील बनाकर पहले काम हासिल किया, फिर कागजों में कुछ मृतक और ओवरएज सहित करीब 19 हजार लोगों को ट्रेनिंग देना बता दिया। इस तरह प्रदेश के 50 हजार युवा ट्रेनिंग प्राप्त किये। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैंग ने मध्यप्रदेश सरकार के 31 विभागों के 12,259 करोड़ रूपए का हिसाब नहीं है जो कि जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2021 के मध्य कुल 2393 करोड़ का टेक होम राशन वितरित किया गया। 110.83 करोड़ का फर्जी आहार वितरण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल 600 करोड़ का आहार वितरित किया जाता है। मप्र के 50 जिलों में वितरित का कोई प्रामाणिक तंत्र नहीं है। इससे जाना जा सकता है कि गरीबों के नाम पर कौन पेट भर रहा है। यह देश के केवल एक राज्य की कुछ मामले हैं, देश के अन्य राज्यों की भी स्थिति समझी जा सकती है। जनता आत्मनिर्भर कैसे बने ? जबकि उसी के टैक्स पर निर्भर हैं। खुद कमाई क्यों नहीं करते हैं कि जनता पर कम से कम टैक्स का भार रहे।

निष्कर्ष— भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में 10 फीसदी आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57 फीसदी, जबकि 1 प्रतिशत लोगों के पास ही है देश की 22 प्रतिशत धन है। जबकि 50 फीसदी आबादी की इसमें हिस्सेदारी केवल 13 फीसदी ही है। भारत गरीब और काफी असमानता वाला देश है, जहां कुलीन वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का अमृत तो एक से दस प्रतिशत के लोग ही पी रहें हैं। पीछले 5 वर्षों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रूपये के ऋण बट्टे खाते में डाल दिए हैं। यह निर्णय किसी बैंक के द्वारा नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोगों के द्वारा किया जाता है। सरकारी संपत्ति को जिस तरह से ओने पोने दामों में निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है उससे निजी क्षेत्र आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर निजी क्षेत्र जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को गुप्त चंदा मुहैया करा रहा और राजनीतिक दल भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और जनता से कहा जा रहा है कि तुम भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो रहे हो। जीएसटी संग्रह में सबसे बड़ी भूमिका महंगाई की है। जीचे महंगी होने के कारण लोगों का जो भी थोड़ा बहुत बचत के रूप में घर में संरक्षित था वह धन अब जीएसटी के रूप में सरकार के पास जा चुका है जिसे सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देश की जनता के समक्ष पेश कर रही है कि देखो सरकार का जीएसटी लाना कितना सही है। भले इससे जनता चाहे अपनी रोज मर्मा की चीजों को रो कर ही खरीदें, यदि उन्हें जिन्दा रहना है तो। आने वाले समय में अभी और जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी। इस कड़ी का पहला पायदान 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाने का है जो 2024 के चुनाव में उपयोग होगा। जनता तो इस रकम को केवल सुने और खुश रहे। क्योंकि यह उपलब्धि जनता की नहीं सरकार में बैठे लोगों की है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारतीय नेताओं की औसत आयु में वृद्धि हो रही है और जनता की कम हो रही है।

संदर्भ सूची -

पुस्तक

1. शर्मा, डॉ रामसिया, मेरे आपसे संबंध (गीत संग्रह) प्रथम संस्करण 2022, पृ. सं. 102,108, एस. के. पब्लिकेशन, 130/121, शहरारा बाग, प्रयागराज-211003।

समाचार पत्र

1. दैनिक भास्कर-19/1/2022, पृ. सं. 8।
2. दैनिक भास्कर-27, 30, 31/08/2022, पृ. सं. 13, 1, 3।
3. प्रदेश टूडे-27/08/2022, पृ. सं. 1।
4. पीपुल्स समाचार (भोपाल)-3/9/2022, पृ. सं. 9।
5. पत्रिका- 2/9/2022, पृ. सं. 7, 11।
6. दैनिक भास्कर- 2, 3, 17/9/2022, पृ. सं. 1, 9, 11।
7. नव स्वदेश-10/9/2022, पृ. सं. 01।

INTERNET

1. WWW.BHASKAR.COM/DB-ORIGINAL/NEWS/ELECTION-2022-VS-SBI-ELECTRORAL-BOND-BJP-TOP-PARTIES-DONATIONS-129402682.HTML

2. <https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/package-of-commodities-containing-quantity-more-than-25-kg-will-not-attract-gst/articleshow/92945901.cms>
3. <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/book-copy-pencil-and-ink-expensive-agra-city-news-agr5333267162>
4. <https://ndtv.in/blogs/gst-packed-food-items-including-milk-and-curd-are-expensive-har-ghar-tiranga-abhiyan-3171001#:~:text=%E0%....4%A4>
5. <https://ndtv.in/india-news/rti-shows-500-percent-rise-in-loan-write-off-during-modi-govt-compared-to-upa-govt-2659735>
6. <https://www.tv9hindi.com/india/political-parties-got-10000-crore-above-donations-through-electoral-bonds-au458-1375420.html>
7. www.aajtak.com/amp/s/buseness/news/story/adani-group-debt-t-go-up-due-to-acquisition-of-holcim-india-buseness-know-the-details-tutd-1530423-2022-09-03
8. www.webdunia.com/national-hindi-news=big-scam-in-nutrition-scheme-in-mp-122090800097_1.html%3famp=1
9. www.punjabkesari.in/national/news/ national/news-punjab-kesari-delhi-poor-rich-world-inequqlity-lab-1507420%famp

आत्मनिर्भर भारत में सिनेमा जगत की भूमिका

डॉ० सरिता सिंह

सहायक आचार्य-राजनीति शास्त्र विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

सारांश:

यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान समय में मनोरंजन का सर्वाधिक प्रचलित साधन सिनेमा है। सिनेमा से अधिक प्रभावशाली और आम जनता तक सरलता से पहुंचने वाला माध्यम और कोई नहीं है, कहते हैं कि संगीत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है जो की सिनेमा की ही देन है। सिनेमा ने व्यक्ति के जीवन के हर आयाम को छुआ है। फिर चाहे वो सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक, या आध्यात्मिक हो। जबसे से सिनेमा का आभिर्भाव हुआ, तब से फिल्मों के माध्यम से समाज में चल रही कुरीतियों को जनता के मध्य पेश किया गया और उन्हें जागरूक भी किया गया। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना यानि खुद को किसी और पर आश्रित न करना। कोरोना महामारी के दौरान लाकडाउन में सारे विश्व मे हर किसी के लिए खाने, पीने और रहने में परेशानी पैदा कर दी है। महामारी की इस संकट को देखते भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है, और इस कड़ी में आत्मनिर्भर बनकर आपखुद के परिवार के साथ-साथ आप अपने देश को फिर से प्रगति के मार्ग पर खड़ा करने में मदद कर सकते है।

प्रमुख बीज शब्द:- वसुधैव कुटुंबकम्, सिनेमा, नेटफिलिक्स, आत्मनिर्भर, इलेक्ट्रानिक, महामारी, कोरोना, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी, Micro Small Medium Enterprises-MSMEs.

प्रस्तावना:

सिनेमा दुनिया भर के लाखों लोगों के मनोरंजन का साधन है। यह ऊब के खिलाफ एक उपकरण और नीरस जीवन से भागने का काम करता है। एक अच्छी फिल्म एक आरामदायक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है। यह आपको सभी परेशानियों से दूर, कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाता है। इसमें आपके दिमाग को तरोताजा और फिर से जीवंत करने की शक्ति है। हालाँकि, इससे जुड़े कुछ निश्चित नुकसान भी हैं। सिनेमा के नुकसान के साथ-साथ फायदे पर एक नजर है। भारत वसुधैव कुटुंबकम् की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा के प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभों यथा अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया था। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro Small Medium Enterprises-MSMEs) क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्र शामिल है, की घोषणा की गई थी।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ -

अर्थव्यवस्था: जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो।

अवसंरचना: ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।

प्रौद्योगिकी: 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली।

गतिशील जनसांख्यिकी: जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत है।

मांग: भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।

सिनेमा जगत एवं आत्मनिर्भर भारत:- कहते हैं कि सिनेमा उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है और आज इस उद्योग ने बहुत ही वृहद् रूप ले लिया है, इसके माध्यम से करोड़ों लोगो की आजीविका चलती है, भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण देन हिंदी फिल्में है जिसने हिंदी को न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। भारत की आजादी के पश्चात सिनेमा जगत में बनी देश भक्ति की फिल्मो ने लोगो के दिलो में देश भक्ति की मशाल को जलाये रखा है आज भी जब हम पुराने देश भक्ति के गीत सुनते है तो उसी वक्त मन देश भक्ति कि भावना से ओत प्रोत हो जाता है, भारतीय सिनेमा ने अपनी फिल्मों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति को जीवित रखने का सफलतम प्रयास किया है।

कहते हैं कि फिल्मों उस समाज का आईना होती है जिस समाज में आप रहते हैं सिनेमा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उसमें कुछ कर गुजरने की चाह को भी आगे बढ़ाती है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक पुरानी फिल्म की चर्चा करना चाहूँगी उसका नाम था घर-घर की कहानी, मुझे लगता है कि वर्तमान में हर अभिवाक को अपने बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिये इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गयी है कि एक परिवार में न केवल माता-पिता अपितु बच्चों का भी ये कर्तव्य है की वो संयमित जीवन जीते हुए फिजूलखर्ची से बचे एवं जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएँ, यह तो नहीं पता की इस फिल्म ने जब ये प्रदर्शित हुई तब लोगो पे क्या प्रभाव डाला होगा परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इसका प्रभाव निश्चित रूप से स्थाई साबित होगा।

पहली बोलती फिल्म आलमआरा से लेकर अबतक हिंदी सिनेमा एक बहुत लम्बा सफर तय कर चुका है। अच्छी बात यह है कि यह यात्रा केवल इसे बनाने की तकनीक में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है बल्कि सिनेमा बनाने के पीछे की सोच में भी तेजी से परिवर्तन आया है। आधुनिक सिनेमा सच्चे अर्थों में समाज का दर्पण बन चुका है, जो अपने मुख्य उद्देश्य मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज व आम आदमी की बुलंद आवाज बनकर उभरा है। फिर चाहे अंधविश्वास, धर्म, भ्रष्टाचार, आतंकवाद या समलैंगिकता जैसा कोई भी मुद्दा हो की भाग फिल्मों में हर मसले को निर्भीकता से खुलकर सामने रखती हैं। आज के सिनेमा में विचारशीलता है, गतिशीलता है, सामाजिक व्यवस्थाओं से आम आदमी को लड़ने की शक्ति प्रदान करने की चाह है। कई आधुनिक फिल्मों किसी राजनीतिक व्यवस्था या समाज के शक्तिशाली तबके पर निर्भर रहने की बजाय एक आदमी को आत्मनिर्भर होकर अपनी सब समस्याओं से लड़ने का हौसला देती हैं। उसे अपनी इच्छानुसार सिर उठाकर, स्वतंत्रता से जीने का सबक सिखाती हैं। आधुनिक फिल्मों बेहिचक और बिना संकोच आम आदमी की मनोवैज्ञानिकता के दरवाजे खटखटाती हैं। इसीलिए ऐसी फिल्मों बेहद पसंद की जाती हैं जो सच्चाई को बेपरवाह, बेखटके सबके सामने लाती हैं और साधारण व्यक्ति के दिल में घुसकर उसे सोचने-समझने पर मजबूर कर देती हैं। आज के दौर में कई ऐसी फिल्मों बनी हैं तथा बन रही हैं जिनका आधार या लक्ष्य आम आदमी को जागरूक करना है। इस समय, मैं आपके सामने आज के दौर की दो फिल्मों के नाम रख रही हूँ और वे हैं-पीके और अ वेडनेस्डे। इनके नाम पढ़ते ही आपके मस्तिष्क में तुरंत ये विचार आया होगा कि हाँ, ये दोनों ही फिल्मों आम आदमी को झिंझोड़ती हैं। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों ही फिल्मों में ऐसी क्या समानता है? शायद आपका उत्तर होगा कि ये दोनों ही अलग-अलग पृष्ठभूमि पर रची गई हैं और इनमें कोई समानता नहीं है। अ वेडनेस्डे जहाँ आतंकवाद सरकार, संविधान और कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है वहीं पीके का संबंध अंधविश्वासों व धर्म के नाम पर ढोंगी स्वामियों से है जो आदमी को अकर्मण्य तथा असंवेदनशील बनाकर हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों ही फिल्मों की आधारशिला एक ही है और वह है भय। यह भय ही है जो इन दोनों फिल्मों को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा शब्द जो केवल एक शब्द नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी रूप में अपना डेरा डाले हुए है। अँधेरे का डर, ऊँचाई का डर, पानी का डर या बंद जगहों का डर, इन फिल्मों ने इस भय की जनसाधारण की पहुँच को न ही केवल पहचाना है बल्कि इसका पूरा फायदा उठाकर आम इंसान दंगा को अपना मन टटोलने पर विवश कर दिया है।

पीके फिल्म बहुत खूबसूरती से व मनोरंजक ढंग से आदमी के हृदय में गहराया हुआ अपनी असफलताओं और कमजोरियों का डर दर्शाती है, यह फिल्म बताती है कि कैसे यह डर मनुष्य को भगवान पर या ढोंगी साधुओं पर निर्भर रहने पर मजबूर कर देता है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति स्वयं यह जानता है कि इसमें कुछ गलत है परन्तु उसके अन्दर का भय उसे अपने आप या समाज से विद्रोह करने की अनुमति नहीं देता। पीके जैसी फिल्मों उसकी सुप्त अंतरात्मा पर दस्तक देती हैं, उसे संबल और साहस देती हैं। अब यह आदमी अपने भय के साथ अकेला खड़ा है ऐसा महसूस नहीं करता। ये फिल्मों उसे बताती हैं कि यह उस अकेले की समस्या नहीं है पता नहीं कितने और इसके शिकार हुए हैं। हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बजाय यदि कुछ किया जाये तो उसके साथ-साथ समाज का भी भला होगा।

वेडनेस्डे फिल्म आतंकवाद जैसा मुद्दा उठाती है जिसे सामान्यतया और अनन्य रूप से सरकार की समस्या मानकर आम आदमी सरलता से अपने दायित्वों से हाथ झाड़ लेता है। यह फिल्म व्यक्ति को अपनी इस सोच पर पुनः विचार करके, एक साधारण व्यक्ति को उसकी ताकत का अहसास करवाती है। इस फिल्म के खत्म होते ही हर दर्शक अपने आपको कहीं बहुत ज्यादा सबल और सक्षम महसूस करता है। यह फिल्म आतंकवाद, जो एक जोंक की तरह खून चूसकर पूरे विश्व को सुरक्षा कवच टूटने के भय से ग्रस्त कर रहा है उसे खींचकर निकाल फेंकने का सुगम रास्ता दिखाती है।

आतंकवाद और धार्मिक गुरु, ये दोनों व्यवसाय ही डर की बुनियाद पर टिके हैं जो मैं फिर से कहूँगी हर व्यक्ति के दिल में कम और ज्यादा मात्रा में रहता ही है। यह भय दीमक की तरह इंसान के अंतर्मन पर मिट्टी की ऐसी परत चढ़ाता जाता है जिससे चाहकर भी व्यक्ति परी तरह छुटकारा नहीं पा सकता। अब बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है जब आदमी कहीं ने कहीं सब समझता है तब भी कुछ करता क्यों नहीं। उत्तर वही है भय नया रास्ता चुनकर अपनी जिम्मेदारियाँ न निभा पाने का भय, परिवार की नजरों से गिरने का भय या अपनों को खो देने का भय। यह भय उसकी शक्तियों पर सर्प की तरह कुंडली मार कर बैठा है जो अपनी ही योग्यता पर शंका पैदा करता है और आदमी आसान रास्ता अपनाता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। वह यह कहकर अपने आप को समझा लेता है कि एक हमारे ही करने से क्या समाज का उद्धार हो जाएगा?

मासूम जानों से खेलते, मानव के मूल अधिकारों की धजियाँ उड़ते, हर आतंकवादी हमले के बाद प्रत्येक आम आदमी के मन में कभी न कभी ये बात जरूर आती है कि इन आतंकवादियों को तो एक पंक्ति में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वह यह भी जानता है कि उसकी दृष्टि में न्यायसंगत होते हुए भी ये काम न तो वह स्वयं कर पाएगा और न ही सरकार। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि यह फिल्म कानून को अपने हाथ में लेने को सही बताती है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था के प्रति जो एक आम आदमी के मन में निराशा, कुंठा और रोष है उसे दर्शाती है। अ वेडनेस्डे फिल्म साधारण व्यक्ति के क्षोभ आर रोष की उसके सामने लाकर उसे एक आत्मिक संतुष्टि देती है।

इसके साथ ही पीके फिल्म कहीं न कहीं आज ही अनेक सामाजिक परिस्थितियों को खुलकर उजागर करती है। इसमें मीडिया के गिरते स्तर, अन्धविश्वास, ढोंगी स्वामियों के बढ़ते मायाजाल, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, वैश्यावृत्ति जैसे सामयिक विवादों को कुशलता व सहजता से बुना गया है। भारत पाकिस्तान के संबंध

कैसे दोनों देशों की आम जनता को प्रभावित कर रहे ये मसला भी बेझिझक उभारा गया है। वैश्वीकरण के दौर में जहाँ व्यक्ति अपने रोजगार और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाता है और कैसे अजनबी संस्कृति, धर्म, व भाषा के बीच सामंजस्य बिठाकर वहीं का हो जाता है। इस फिल्म में भले ही पीके को दूसरे ग्रह का प्राणी बताया गया है परन्तु अगर आप इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वह भी अपनी क्षमताओं व धारणाओं के साथ विदेश की भूमि पर कदम रखता है जहाँ एक ओर नए वातावरण से सीखता है वहीं दूसरी ओर अपने विचारों व क्षमताओं से उस देश की संस्कृति को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परवरिश उसे भिन्न संस्कार, विचार व क्षमता प्रदान करती है। क्या यह हम सबके लिए सही नहीं है? यदि आप कभी थाईलैंड गए हों तो बैंकॉक के हवाई अड्डे पर लगे हुए निर्देशों में विदेशियों को एलियन शब्द से संबोधित किया गया है। कुप्रथाओं या अराजक तत्वों से भिड़ने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति व आत्मविश्वास की जरूरत होती है। परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है जिसके लिए साहस और कभी-कभी दुस्साहस की भी आवश्यकता होती है। शायद बहुत से लोगों के मत में, अ वेडनेस्टे में जो नसीर ने किया वह दुस्साहस कहा जा सकता है या पीके में रांग नंबर अभियान कटरपथियों की दृष्टि में दुस्साहस ही कहा जाएगा। परन्तु मेरी दृष्टि में अगर कुछ बदलाव लाने की इच्छा हो तो वह लीक से हटकर चलने की माँग करता है जिसे समाज शुरू में स्वीकार नहीं करता। परन्तु ये फिल्में बिना समाज के डर के हमें आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और अपने अंदर के डर से दो-दो हाथ करने की ताकत देती हैं।

हिंदी सिनेमा हमेशा से ही लोगों को गहराई से छूने और प्रभावित करने में सक्षम रहा है। हमारे कपड़े, हमारा रवैया, जीवनशैली यहाँ तक कि भाषा में बदलाव और उसका फैलाव, ये सभी निर्धारित करने में हिन्दी फिल्मों का बड़ा हाथ रहा है और रहेगा। आधुनिक फिल्में समाज केन्द्रित हैं जो समाज के हर पहलू पर विचार करती हैं। साथ ही समसामयिक होने के कारण समाज के विकास में उन्नति में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ऐसी फिल्में मेरी पसंदीदा फिल्में हैं जो मुझे मेरे दिमाग के घोंड़े दौड़ाने पर विवश करती हैं। प्रत्येक साधारण व्यक्ति को जागरूक कर असाधारण ताकत प्रदान करती हैं। लोगों को शक्तिवान तथा सामर्थ्यवान बनाती हैं में उन्हें अपनी कुंठाओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं तथा अपने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का कोरा अहसास नहीं करवाती बल्कि उन्हें निभाने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है

सिनेमा के फायदे: यहाँ सिनेमा द्वारा दिए गए लाभों पर एक नजर है किशोरावस्था में फिल्मों को देखने का चलन एक जुनून के रूप में है। व्यक्ति जिस प्रकार की फिल्में देखना पसंद करता है, उसे देखकर उसका पसंद और व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्में समाजीकरण में मदद करती हैं क्योंकि वे चर्चा का एक सामान्य आधार प्रदान करती हैं। आप हमेशा समूह में या पार्टियों में बैठकर आपके द्वारा देखी गई सामग्री के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यह एक अच्छी बातचीत स्टार्टर के रूप में पेश करता है। यह राजनीति और खेल के विपरीत एक दिलचस्प विषय है जो बहुत से लोगों को उबाऊ लगता है। कई बार फिल्में लेखक की सबसे अजीब कल्पना दिखाती हैं। यह दुनिया को दिखाता है कि उन्नत ग्राफिक तकनीक के साथ अनदेखी और अस्पष्टीकृत है जो हमें अपनी कल्पना को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों की कला और संस्कृति का प्रतिबिंब:

विभिन्न फिल्मों में विभिन्न भूखंड होते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और दुनिया भर में विभिन्न स्थानों से संबंधित लोगों के आसपास से होते हैं। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों और उनके जीने के तरीके के बारे में उनके ज्ञान को व्यापक बनाने में मदद करता है। सफलता की कहानियाँ और आत्मकथाएँ लोगों को जीवन में हार न मानने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। फिल्मों में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनमें आपात स्थिति जैसे आग, बम विस्फोट, डकैती आदि दिखाए जाते हैं। हम शायद यह नहीं जानते कि अगर हम कभी भी उनके सामने आते हैं तो वास्तविक जीवन में ऐसे क्षणों में क्या करना है। फिल्में हमारी सोचने की क्षमता को सुधारने में मदद कर सकती हैं और हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि ऐसी स्थितियों में कैसे कार्य करें।

विशेष रूप से बच्चों में झूठी धारणा बनाने की दिशा में फिल्में बहुत योगदान देती हैं। दुनिया के हर हिस्से में स्थितियाँ और समाज अलग-अलग हैं। लोग स्क्रीन पर और वास्तविकता में अलग हालाँकि। कई लोग फिल्म की दुनिया और वास्तविकता के बीच की खाई को महसूस करने में असफल हो जाते हैं जो समस्याओं का कारण बनता है। फिल्म लेखक के विचारों और कल्पना का एक मात्र प्रतिनिधित्व है और वे हमेशा हमारे समय और धन के लायक नहीं होते हैं। अगर यह हमारे समय के लायक नहीं है और हम इसके अंत में निराश महसूस करते हैं तो किसी चीज में निवेश करने का क्या मतलब है? एक फिल्म लाने के लिए हिंसा, कार्रवाई, नग्नता आर अश्लीलता के अनावश्यक लाभ को जोड़ दिया जाता है, जिससे यह बच्चों और युवा वयस्कों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यह उनके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुछ लोगों के लिए फिल्में कई बार नशे की लत साबित हुई हैं। हर फिल्म देखने लायक नहीं होती। बेकार फिल्मों पर अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने के अलावा जीवन में कई अन्य उत्पादक और दिलचस्प चीजें हैं। कुछ हद तक फिल्मों में भागीदारी ठीक है, लेकिन सिनेमा के वार लिए अनुचित सनक और अधिक फिल्मों के लिए पैसे बर्बाद करना बहतर नहीं है।

जीवन में सिनेमा के प्रभाव:

- फिल्में एक छोटी कहानियाँ होती हैं जहाँ कुछ लोग साथ साथ काम करते हैं।
- फिल्में या कहानियाँ प्रेरणादायक होती हैं और वे हमें कई तरह से प्रभावित करती हैं।
- फिल्में समाज का दर्पण होती हैं।
- यह समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- हम फिल्मों से नए विचारों को सीखते हैं।
- फिल्में हमें बहुत प्रेरित करती हैं।

- फिल्मों को स्ट्रेस बस्टर यानी तनाव को खत्म करने के रूप में भी जाना जाता है।
- कुछ लोगों को फिल्मों की लत लग जाती है और यह अच्छी बात नहीं है।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदम:

- भारत को व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- भारत को इच्छाशक्ति (Intent), समावेशन (Inclusion), निवेश (Investment), बुनियादी ढाँचा (Infrastructure), और नवाचार (Innovation) पर ध्यान देने की जरूरत है।
- 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने की दिशा में भारत को भविष्य में और अधिक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता हो सकती है।
- हालांकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना नया है यह सपना महात्मा गांधी ने आजादी के बाद ही स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, पर गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार न हो सका।
- कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से सारा विश्व बन्द पड़ा है जिसके कारण छोटे लोगों से लेकर पूँजीपतियों तक को भारी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों को खान की समस्या बढ़ गयी है।
- कोरोना महामारी के कारण किसी भी देश से सामानों का आदान-प्रदान बन्द है। इसलिए मई के महीने में तालाबन्दी के दौरान आत्मनिर्भर बनने का आह्वाहन किया है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का भी नारा दिया जिसका अर्थ है कि लोकल में बना वस्तुओं का उपयोग और उनका प्रचार करना और एक पहचान के रूप में आगे बढ़ना।

निष्कर्ष:

महामारी के दौरान ही चीन ने भारत के डोकलाम सीमा क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की 20 जवान शहीद हो गए। सीमा के इस विवाद में भारत के सैनिकों को क्षति के कारण देश के हर कोने से चीनी सामान को बैन करने की माँग के साथ ही, चीनी सामानों को बन्द कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने सारे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनकर घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा हो सके। पिछले कुछ महीनों से विश्व कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद पड़ा है। इसके कारण सारे विश्व में वित्तीय संकट के बादल छाये हैं। इसी कड़ी में भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्र को आगे ले जाने का फैसला किया है। विश्व बंदी के कारण सारे विश्व के उत्पादों पर भारी असर हुआ है। इसलिए भारत ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर देश की तरक्की पर अपना कदम आगे बढ़ाया है। भारत को इच्छाशक्ति (Intent), समावेशन (Inclusion), निवेश (Investment), बुनियादी ढाँचा (Infrastructure), और नवाचार (Innovation) पर ध्यान देने की जरूरत है। अत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ अनेक जोखिम जुड़े हैं, क्योंकि इसके लिये बहुत अधिक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होगी। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के अनुकूल नहीं है। विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा आयात में कटौती की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों को चुनौती दी जा सकती है।

एक चीज के हमेशा दो पहलू होते हैं—एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। फिल्मों को अवश्य देखना चाहिए और अपने सभी नकारात्मक पहलुओं से बचने के लिए उन्हें एक सीमा तक प्रभावित करने देना चाहिए। इसी तरह, ऐसी फिल्मों में समय लगाना जो देखने लायक हैं, ठीक हैं, लेकिन उनकी लत लगने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमारा समय बर्बाद होगा, बल्कि हम उन अन्य चीजों को भी याद करेंगे जो वास्तव में हमारे समय के लायक हैं।

सन्दर्भ सूची:

1. सरकार, शंख्यानील: न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल पेव पाथ फॉर आत्मनिर्भर भारत: पी0एम0 मोदी, हिन्दुस्तान टाइम्स, अभिगमन तिथि 22 जनवरी 2022।
2. गोपाल कृष्णनन, गीता: एम0एस0 स्वामीनाथन, वन मैन्स क्वेस्ट फॉर ए हंगर-फ्री वर्ल्ड, प्रोड्यूसर फॉर द यूथ इम्प्लॉयमेंट समिति 2002।
3. जालान, बिमल: ए पॉलिसी फ्रेम फॉर सेल्फ रेलियन्स, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
4. प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन: पत्र सूचना कार्यालय, 12 मई 2020, अभिगमन तिथि 30 जनवरी 2022।
5. शर्मा, समरत: मोदीज आत्मनिर्भर भारत, हैज डाउन-साइड रिस्क्स टू; विल इण्डिया टेक प्री लिब्ररिलेसिंसन स्टैंड अगेन? द फाइनेंसियल एक्सप्रेस, अभिगमन तिथि 30 जनवरी 2022।
6. जोशी, शरीन; मछल, सिद्धार्थ; बर्नन, कॉनर; प्रधान, रिया; यंग, जॉयस (फरवरी 2021): “आत्मनिर्भर भारत” इकोनॉमिक क्राइसिस एण्ड सेल्फ-रेलियन्स इन द कोविड-19 पैडेमिक”।
7. प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी: स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर टेस्ट्स इन पोखरण” डिजिटल लाइब्रेरी, लोकसभा, पार्लियामेंट ऑफ इण्डिया, 27 मई 1998।
8. “टू स्पॉर ग्रोथ: निर्मला सीतारमण ऑन पी0एम0 मोदीज”, “आत्मनिर्भर भारत अभियान” हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 मई 2020, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2020।

9. मोहन्ती प्रसन्ना (14 नवम्बर 2020) “रिबूटिंग इकोनॉमी 45: हवाट इज आत्मनिर्भर भारत एण्ड हेयर विल इट टेक इण्डिया?” अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022।
10. पी0एम0 नरेन्द्र मोदी कॉल्स फॉर “डिजिटल इण्डिया टू इम्पूव गवर्नेन्स” बिजिनेस टूडे, पी0टी0आई0, 15 अगस्त 2014, अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022।
11. महेन्द्र मित्तल-भारतीय चलचित्र।
12. करूणा शंकर: भारतीय फिल्मों का इतिहास।
13. द्वारिका शास्त्रीय: पृथ्वीराजकूपर अभिनन्दन ग्रन्थ।
14. बी0डी0गर्ग भारतीय फिल्मों की पचास वर्ष बम्बई, 8 मार्च 1963।
15. प्रदीप सौरभ: इलमाजमुने, राजनीतिक सिनेमा के एक युग का अन्त, नवभारत टाइम्स, हिन्दी दैनिक, नगर संस्करण नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 1984।
16. बलराज साहनी: मेरी फिल्मी आत्मकथा।
17. कैलाश चन्द्र शर्मा युवा आक्रोश का प्रतीक अमिताभ, दैनिक नव ज्योति, जयपुर, रविवारीय परिशिष्ट, दिसम्बर 1983।
18. पंजाब केसरी हिन्दी दैनिक, नई दिल्ली, नगर संस्करण, अप्रैल 1984।

साहित्य में आत्मनिर्भर भारत का क्षेत्र

सरिता कुमारी

सहायक शिक्षिका, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, ईचाक, हजारीबाग।

इस देश की पवित्रता और रमणीयता पर रिझकर देवता भी अवतीर्ण होने को ललच उठते थे। इसके ही मंगलमय प्रभात में अन्य देशवासी अपनी अलसाई आँखों को खोलते थे। किंतु विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला यह भारत एक दिन विधि के क्रूर अट्टहास लक्ष्य बना सदियों तक इसके पाँवों में लौह-शृंखला झनझनाती रही देश के अनगिनत रणबाँकुरों के अथक प्रयास एवं आत्मबलिदान के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यद्यपि हिन्दी साहित्य की शुरुआत संवत् 1050 से लेकर विभिन्न कालों को पार करते हुए हमारा साहित्य काफी समृद्ध हुआ है, जिसमें देश के बहुत सारे कलाकारों, नाट्यकारों, निबंधकारों, कवियों का अमूल्य योगदान रहा है। कहा जाता है कि साहित्य के बिना यह जीवन मृत्यु के सामान है। यह भी सत्य है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। साहित्य में सहित का भाव होता है जहाँ सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना रहती है।

साहित्य में जीवन का अर्थ है गतिशीलता/प्राणी मात्र को हम तब तक जीवित मानते हैं जब तक उनमें आंतरिक और बाह्य गतियाँ विद्यमान रहती हैं। जब गति ठहर जाती है तो उसे निर्जीव या मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार साहित्य में भी जबतक गति रहती है तब तक यह सजीव माना जाता है। साहित्य की गतिशीलता और प्रगति जबतक रहती है वह जीवित कहलाता है जब उसका विकास रुक जाता तब उसे मृत मान लिया जाता है। मानव समाज के प्रारंभ से लेकर अब तक विश्व में न जाने कितने साहित्यों का जीवन समाप्त हो चुका है और अब भी कितने जीवित हैं तथा कितने भविष्य में आने वाले हैं। प्रकृति में गति का मतलब विकास है, परिवर्तन शीलता है, अतः सजीव है। साहित्य भी प्रकृति की अनुकृति है, जिसमें प्रगति, परिवर्तन और विकास अनिवार्य है, जो सजीव साहित्य का लक्षण है। साहित्य निर्माण का उद्देश्य मानव का कल्याण और मनोरंजन है। जबतक साहित्य जन साधारण के संघर्ष में रहता है। अर्थात् सामान्य जन अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते रहते हैं, तब तक उसमें निरंतर नवीन प्रयोग होते रहते हैं। किंतु जब वह विद्वानों के विलास का साधन बन जाता है, तब उसकी गतिशीलता का हास होने लगता है, वह केवल विद्वानों की मण्डली में सम्मिलित हो जाता है कालांतर में वैसा साहित्य अपनी गतिशीलता खोकर मृत साहित्य कहा जाने लगता है, उसमें प्रकृति को नवीन रूप में व्यक्त करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस समाज का रिश्ता ऐसे निर्जीव साहित्य मात्र से रहता है, वह निर्जीव समाज कहलाता है। हमारा साहित्य प्रकृति और नारी से पूर्णतः अविच्छिन्न है। प्रकृति और नारी को यदि साहित्य की सीमा से बाहर कर दिया जाय तो साहित्य निःशेष हो जाता है।

यह सत्य है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे सुधी समीक्षक ने हिन्दी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास को चार काल खण्डों में विभक्त किया साथ-ही-साथ उसका उन्होंने नामकरण भी किया है। आदिकाल नाम जिसे प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण वीरगाथाकाल किया है पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर-मध्यकाल को रीतिकाल तथा संवत् 1900 के बाद उन्होंने प्रकृति के आधार पर गद्य विकास का काल नामकरण किया है। यद्यपि राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा जैसे साहित्यकारों ने आदिकालीन सीमा सातवीं शताब्दी मानी है और यहाँ तक कहा है कि यदि सिद्ध साहित्य को साहित्य की काल सीमा से निकाल दिया जाय तो साहित्य के अध्ययन में बहुत सारी कमियाँ रह जाएँगी। आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है-सच तो यह कि हिन्दी का विपुल साहित्य आ० शुक्ल द्वारा अनदेखा रह गया। अपभ्रंश साहित्य के अन्तर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैक साहित्य और कुछ फुटकल रचनाएँ आती हैं। आ० शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश को प्रकृताभाष हिन्दी कहा है। नाथों, सिद्धों की रचनाएँ तार्किक, विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, स्वास निरोध, भीतरी चक्रों, नाडियों की स्थिति, अन्तर्मुख साधना के महत्त्व को उजागर करती हैं, वहीं रासो साहित्य भी मानव के मन-मस्तिष्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन की एक अनोखी कड़ी है। इस युग में लोकसाहित्य के साथ-साथ मैथिल कोकिल विद्यापती और खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो का नाम आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य की समृद्धि एवं समाज को एक आईना दिखाने का काम किया। आदिकालीन महत्वपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकार को यहाँ देखा जा सकता है-स्वयंभू कृत पउमचरित, पुष्पदंत कृत-महापुराण, सरहपा कृत-दोहाकोश, गोरखनाथ कृत-गोरखवाणी, चन्दबरदाई कृत-पृथ्वीराज रासो, जगनीक कृत-परमालारासो, नरपतिनाल्ह कृत-बीसलदेव रासो, विद्यापति कृत- कृतिलता, कृतिपताका आदि। आदिकालीन काव्य परमाल रासों में क्षत्रियों के जीन का अंकन करते हुए लिखा है-

“बारह बरस लौ कूकर जीवै, अरू तेरह लौ जियै सियार।

बरस अठारह क्षत्रिय जीवै, आगे जीवन कौ धिक्कार।।”

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा सुझाई गयी है-सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीराबाई जैसे भक्त एवं संत कवियों की वाणी ने हिन्दी साहित्य को गौरवान्वित ही नहीं किया वरण रामचरितमानस, सूरसागर जैसे अमर काल ग्रंथों द्वारा साहित्य की श्रीवृद्धि भी की। इन ग्रंथों ने न केवल हमें आध्यात्मिक सुख दिया वरण हम अपने समाज को एक अनुशासित ढाँचे में कैसे ढाल सकते हैं यह भी संदेश हमें आज तक प्राप्त होता रहा है। भक्तिकालीन निर्गुण संत कबीर एक कवि ही नहीं अपितु समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित है, उन्होंने साहसिकता और निडरता का परिचय देते हुए समाज में फैले अंधविश्वास बाह्याडम्बर को दूर करने का प्रयास तथा समाज को एक नया संदेश दिया।

संत मत का भवन कागद लेखी पर आधारित न होकर आँखन देखी की नींव पर आधारित है उसमें निगम आगम पुराणादि का इतना महत्व नहीं है जितना की अनुभव ज्ञान का है। भारतीय सम्यता एवं संस्कृति के महान पृष्ठ पोषक प्रतिनिधि महान समन्वयवादी संत तुलसीदास थे।

महत्ती काव्य रचना के महत्त प्रेरणा स्रोत, काव्य रचना का महान उद्देश्य, उत्कृष्ट विचार भावों का माधुर्य काव्य शैलियों का वैविध्य भाव की प्रौढ़ता, कलापक्ष की प्रौढ़ता, भावों का दार्शनिक चिंतन के साथ अपूर्व समन्वय इत्यादि ऐसे कारण दिखाते हैं जो भक्तिकाल को स्वर्णकाल का गौरव दिलाने के लिए यथेष्ट हैं। भक्तिकाल के कवि किसी वाद के चक्कर में नहीं पड़े, इन्हें किसी राजा का आश्रय भी नहीं मिला। संतों और भक्तों को आत्मा की पवित्रता और शुद्धता से प्रेरित जनकल्याणार्थ ही रचनाएँ की हैं। यहाँ कविता का उद्देश्य न तो कलाबाजी है न तो मनोरंजन। विचारों की जो उत्कृष्टता यहाँ मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

भक्तिकाव्य केवल उपादेयता और मानव कल्याण भावना के कारण स्पृहणीय नहीं है उनके काव्य सौंदर्य भी हैं, वह भी अत्यंत कल्याणपूर्ण उदात्त जनमन रंजनकारी और श्रेष्ठ कोटी का है।

हिन्दी साहित्य के संवर्धन में रीतिकाल का अपना विशेष महत्व है इस काल में भी रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त रचनाएँ हुई। यद्यपि उस काल के शासक विलासिता के पंक में डुबे हुए थे। रीतिकाल भाषा सौंदर्य एवं काव्यशास्त्र की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन उसमें भाव गाम्भीर्य उदात्त मानवीय चेतना आध्यात्मिकता की दृष्टि से भक्तिकाल से कोसो पीछे, बावजूद इस काल में बहुत सारी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो आनेवाली पीढ़ी को वीरता का संदेश देती हैं। बिहारीलाल, केशवदास, मतिराम, देव, भूषण चिंतामणी, बोधा, ठाकुर, घनानंद, आलम जैसे महत्वपूर्ण कवि इस काल में अग्र पांतेय हैं। भूषण कवि ऐसे पहले देशभक्त हैं जिन्होंने उस समय की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर काव्य लिखा है। इन्होंने शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है—

“इन्द्र जिमि जम्म पर, बाडव सुअम्भ पर
रावन सदम्भ पर रघुकुल राज है।
पौन वारिचाह पर, सम्भु रतिनाह पर
ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है।
X X X X
तेज तम अंस पर कान्ह जिमि कंस पर
त्यों मलिच्छ बस पर सेर सिवराज हैं।”

संसार के प्रत्येक साहित्य में पहले पद्य का विकास हुआ और बाद में गद्य का। किंतु विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख साधन गद्य है। फिर भी साहित्य की प्रथम रचना गद्य में न होकर पद्य में क्यों हुई है इसके मूल में मानव की भावनात्मक प्रवृत्ति ही प्रधान कारण है। प्रवृत्ति और विश्व के रहस्य से आतंकित होकर अज्ञात शक्तियों को सामने प्रार्थना करने के कारण मानव की अनुभूति का प्रस्फूटन पद में हुआ।

भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना होने के कारण देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में पूर्व प्रचलित अवधारणाओं में व्यापक रूप से परिवर्तन होना आरंभ हुआ। जिसका पूर्ण प्रभाव भारतेन्दु युग में देखने को मिलता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेन्दु युग की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतेन्दु जी को हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। साहित्यिक परिवर्तन की दृष्टि से यह कालखण्ड महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस काल में हिन्दी के प्रचार में जिन पत्र-पत्रिकाओं ने विशेष योग दिया, उनमें उदात्त, मार्तण्ड, कविवचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन अग्रणी हैं। इसी समय हिन्दी गद्य की सर्वांगीण प्रगति हुई जिनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि विधाओं में अनूदित तथा मौलिक रचनाएँ लिखी गयीं। इस काल में स्वयं भारतेन्दु, हरिश्चन्द्र, देवकीनंदन खत्री, श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधाकृष्णदास जैसे प्रतिभावान साहित्यकारों का विशेष योगदान है, जिन्होंने अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से साहित्य को उच्च शिखर तक ले जाने में महत्ती योगदान दिया और जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों यथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया।

“भारतेन्दु एवं उनके समानधर्मा रचनाकारों द्वारा हिन्दी साहित्य में जिस आधुनिकता का परिवर्तन हुआ, उसके प्रभाव से काव्य-भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। यद्यपि वह ब्रजभाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य-रूपों का पुनः प्रचलन और नये काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। हिन्दी में साहित्य का प्रधान माध्यम पहली बार बन रहा था और साथ ही कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी।”³

काव्य की दृष्टि से यह युग संक्रांति का युग था। साहित्य में ज्ञानाश्रित-बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। भारतेन्दु की कविता में देशभक्ति, शृंगार-भावना, राष्ट्रीयता और हास्य-व्यंग्य है। साथ ही उनकी कविताओं में साम्राज्यवाद का विरोध भी है। ‘भारत दुर्दशा’ नाटक में अपनी राष्ट्रीय पीड़ा स्वदेशी चेतना और जनता का आह्वान इन पंक्तियों में सुनाई पड़ता है—

“रोवहु सब मिलिकै, आबहु भारत भाई।
हा! हा! भारत दुर्दशा, न देखी जाई॥”⁴

आधुनिक हिन्दी कविता के द्वितीय चरण का प्रारंभ और विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेखन-प्रकाशन से होता है। जिनमें कविता के अलावे साहित्य के अन्य विधाओं पर भी लेखनी चलायी जाती है। अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल ‘स्नेही’, रामनरेश त्रिपाठी, सियारामशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी जैसे महत्वपूर्ण कथाकारों का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से जनजागरण का कार्य

किया। इस काल के कवियों ने केवल हिन्दी कविता को आधुनिक जीवन भाव-बोध से नए संस्कार दिया बल्कि इन्होंने खड़ी बोली की कठोरता को खत्मकर उसके कोमलता और हृदय ग्राह्यता के गुण भरे। 20वीं सदी का यह कालखण्ड हिन्दी कपिल को बहुत दूर तक प्रभावित करता है।

“द्विवेदी जी ने जिस लगन, निष्ठा, योग्यता और परिश्रम से सरस्वती का सम्पादन किया वह पत्रकारिता के इतिहास में अत्यंत विरल है। इसके माध्यम से उन्होंने गद्य की भाषा को व्यवस्थित किया। अभी तक पद्य की भाषा ब्रजभाषा बनी हुई थी। किन्तु उन्होंने गद्य की भाँति पद्य की भाषा के लिए भी खड़ी बोली को चुना।”⁵

छायावाद हिन्दी कविता अपनी अस्मिता की खोज करती हुई सामाजिक, रूढ़ियाँ से भाव-बंधनों से, छंद बंधनों से मुक्त है। इस धारा के चार प्रमुख कवि प्रसाद, निराला, पंत एवं महादेवी की कविताओं में नारी और प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण मिलता है। पाठक को इस काल की कविताओं में आत्मीयता, हार्दिकता, प्रेम की उदात्तता और स्वाधीन चेतना का दर्शन होता है। हिन्दी कविता के विकास का चौथा पायदान प्रगतिवाद है। इस धारा के प्रमुख कवि, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगेय राघव एवं रामविलास शर्मा जैसे सरीखे कवि हुए जिन्होंने मजदूर-किसान शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने वाली कविताएँ लिखी। प्रगतिवाद शोषितों के संगठित शक्ति में विश्वास करता है-

“मैंने उसको जब-जब देखा-लोहा देखा,
लोहा जैसा तपते देखा गलते देखा ढलते देखा,
मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा।”⁶

इसके आगे का वाद प्रयोगवाद है। यह नये ज्ञान का बोध एवं हासोन्मुख मध्यवर्गीय जीवन के चित्र प्रस्तुत करती है। ये यथार्थ से दूर नहीं भागते, इसी वाद से नयी कविता का आगमन होता है नई कविता न केवल भाव-विचार, अनुभूति एवं संवेदना के स्तर पर सशक्त और बहुआयामी हुई है, बल्कि जीवन एवं समाज के उपेक्षित क्षेत्रों में भी पहुँचने में सक्षम साबित हुई है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक भाव-बोध की जो क्षीणधाण भारतेन्दु युग की कविताओं में परिलक्षित हुई थी, वह क्रमशः द्विवेदी युग छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता के युग तक पहुँचकर अपना राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक एवं अछूते मानवीय अंचलों में नूतन स्वरूप ग्रहण किया और विभिन्न काव्यधाराओं में प्रवाहित होकर अपने पुरातन संस्कारों से मुक्त हुई। 21वीं सदी में कविता अपनी मूल्य स्वरूप को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है।

जिस प्रकार हिन्दी साहित्य को समृद्धि एवं सम्बल प्रदान करने में काव्य का उत्कृष्ट योगदान रहा है उसी प्रकार गद्यात्मक विधाओं का भी साहित्य को मजबूती और सम्पृष्टता प्रदान करने में वैभव व गौरवशाली इतिहास रहा है, गद्यात्मक विधा के अन्तर्गत-कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोतार्ज, यात्रा-वृत्तांत, साक्षात्कार, आत्मकथा के अन्तर्गत, अनगिनत रचनाएँ भरे पड़े हैं, जिनका अपना महत्व है। यहाँ कथा सम्राट प्रेमचंद का नाम लेना लाजमी होगा जिन्होंने दर्जनों भर उपन्यास और लगभग तीन सौ कहानी लिखकर साहित्य को उच्च कद प्रदान किया। नाटक विधा के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद एवं मोहन राकेश का नाम बड़ा ही आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक में ऐतिहासिक पृष्ठ को उठाकर वर्तमान समस्या से निजात दिलाने का मार्ग दिखलाया। इस प्रकार साहित्य की भिन्न-भिन्न विधाओं ने एक लम्बी यात्रा तय कर 22वीं सदी में प्रवेश की है अपने विषय वैविध्य को धारण किये मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में पाँव पसार रहा है और पथ-प्रदर्शक का काम कर रही है।

निष्कर्ष:

सम्प्रति देश में नवीन शैलियों के प्रयोग हो रहे हैं, जो जनभाषा के अत्यंत समीप है। कला और निबंध साहित्य में प्रगतिवादी कलाकार सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की केन्द्रीय सरकार दफ्तरीय उपयोग के लिए प्रयोजनफलक हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। हिन्दी साहित्य के आठवें दशक से कुछ ऐसे साहित्यकार अलग शैली के जन्मदाता हैं, जो अपने वातावरण को अधिक प्रकाशित करने में समर्थ हैं। साहित्य में अद्यावधि विभिन्न शैलियों के प्रयोग हो रहे हैं और यह हिन्दी साहित्य के लिए शुभ है। विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा भाषा प्रयोग में एक नई दिशा देकर साहित्य को नवजीवन प्रदान कर रहे हैं।

संदर्भ:

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, (संपा०) डॉ० नगेन्द्र/डॉ० हरदयाल (सह-संपादक), मयूर पेपर बैक्स, ए-95, सेक्टर-5, नौएडा-201301, पृ० 67.
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, (संपा०) डॉ० नगेन्द्र/डॉ० हरदयाल (सह-संपादक), मयूर पेपर बैक्स, ए-95, सेक्टर-5, नौएडा-201301, पृ० 314.
3. त्रिपाठी, डॉ० विश्वनाथ: हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-16, प्रथम संस्करण-1986, पृ० 79.
4. शर्मा, हेमंत (संपा०). भारतेन्दु समग्र. हिन्दी प्रचारक संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं०-1106, पिशाच मोचन, वाराणसी, संस्करण-1989, पृ० 460.
5. डॉ० नगेन्द्र (संपा०)/डॉ० हरदयाल (सह-संपादक). हिन्दी साहित्य का इतिहास. मयूर पेपर बैक्स, एस०आर०बी० 43-ए, शिक्षा रिक्वा ज्ञान, खण्ड इंदिरापुरम् संस्करण-2005, पृ० 105.
6. त्रिपाठी, डॉ० विश्वनाथ: हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-16, प्रथम संस्करण-1986, पृ० 119.

आत्म निर्भर भारत में कला योगदान

डॉ० पूर्णिमा वशिष्ठ

सहा० आचार्य ललित कला विभाग, चौ० चरण सिंह वि०वि०, मेरठ

हमारे भारत देश को आजाद हुए बहुत अधिक समय हो गया, भारत ने कई उपलब्धियों को प्राप्त किया है तथा कई छोटे बड़े क्षेत्रों में भारत ने अपने प्रतिभा अर्थात् कला का परिचय दिया है, परंतु आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दूसरे शक्तियों पर निर्भर हैं।

आत्मनिर्भरता दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और निर्भर जिसमें आत्म अर्थात् स्वयं, तथा निर्भर अर्थात् आश्रित जिसका अर्थ स्वयं पर निर्भर रहना अर्थात् आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना ही आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर होना ही सभी व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र के लिए प्रगति का मार्ग होता है।

आत्म निर्भर अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ: Self Reliant India देश की अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थ-व्यवस्था विकास के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस सन्दर्भ में इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था कुशल प्रतिस्पर्धा, और लचीली नीतियों का पालन करने जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और उत्पादकता को बढ़ावा देने में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्म निर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जायेगा। अपितु दुनिया के विकास में मदद की जायेगी।

किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों और युवाओं पर निर्भर करता है अर्थात् हमारा भारत देश युवाओं पर ही आत्मनिर्भर है, और विद्यार्थी ही हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

हमारे देश के विकास के लिए सभी विद्यार्थियों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए हमें देश के प्रत्येक बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है, जब हमारे देश के बच्चे और युवा शिक्षित होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत में विद्यार्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

विद्यार्थियों को अपने शिक्षा का उपयोग अपने अन्य कार्यों के लिए तथा देश और समाज के विकास के लिए करना चाहिए, विद्यार्थी देश के राष्ट्रीय विकास में मजबूती लाते हैं लेकिन इन्हें सही मार्गदर्शन ना मिले तो राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता।

केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाओं को चलाया गया है जिससे देश का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, इन योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

जिससे विद्यार्थी अपने ही देश में रहकर उद्योग धंधे स्थापित करें, जिससे हमारे भारत देश में रोजगार की उपलब्धि प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्माण देश में ही हो, लोगों को दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें।

12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख किया था। जब वे कोरोना वाइरस विश्वमहामारी से सम्बन्धित एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणा की गयी थी। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल निर्भर बनाने के बारे में बताया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ हैं। अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसंख्यिकी, डेमोग्राफी मांग। इतिहास की बात करे तो भारत ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान स्वराज के लिए राजनैतिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा दिया और स्वदेशी वस्तुओं को अपना कर भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक मदद की। महात्मा गाँधी जी और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के विचारकों ने भी न केवल एक राष्ट्र के सन्दर्भ में बल्कि स्वयं के सन्दर्भ में भी आत्मनिर्भरता की व्याख्या की है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की नींव के साथ टैगोर की भारत को शिक्षा में आत्म निर्भर के करीब लाने में भूमिका थी।

एम.एस. स्वामी नाथन लिखते हैं। कि उनकी युवावस्था में 1930 के दशक के भारत में अधिकांश अन्य लोगों की तरह आदर्शवाद और राष्ट्रवाद का दौर था युवाओं व व्यक्तियों ने एक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साझा किया।

इससे भी पूर्व इतिहास की चर्चा करे तो हमारे पूर्वजों ने भी “वसुधैव कुटूंबकम् की संकल्पना की थी। और पूरी पृथ्वी की अपने कुटुम्ब के समान ही रक्षा करने का प्रण किया। और इसी डगर पर चलने का प्रयास किया। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।

अब हम ‘आत्मनिर्भर भारत योजना में कला के योगदान की चर्चा कला विभिन्न, नाम, अर्थ, कार्य, व उद्देश्य के माध्यम से करेंगे। भारत वर्ष में उन सभी दैनिक क्रियाओं को कला माना गया है। जिनमें चतुराई, कुशलता, चमत्कार, विचित्रता, हस्तलाघव आदि सम्मिलित हो। प्राचीन से आधुनिक युग में कला के

विशिष्ट अर्थ प्रयुक्त किये जाने लगे हैं। किन्तु सामान्य आदमी कला को कौशल, विचित्रता, चमत्कार आदि के विस्तृत अर्थों में व्यवहार में लाता है। अनेक हस्तलाभपूर्ण असामान्य कौशल को प्रदर्शित करने वालों को कलाकार कह दिया जाता है कला शब्द को ललित कला कहकर विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। वास्तुकला, मूर्तिकला चित्रकला संगीत को भी ललितकला के अन्तर्गत ही माना गया है। दृश्य कलाएँ-चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, वास्तुकला, छापाकला, फैशन व डिजाइन, छायांकन, सिरेमिक, स्थापत्य कला, कम्प्यूटर कला, ग्राफिक कला आदि। मंचीय कला में संगीत, काव्य, नृत्य, नाटक, चलचित्र आदि।

व्यवहारिक कला किसी भी यन्त्र, मकान, सजावट की वस्तुएँ, वस्त्र, वर्तन, सुरक्षा के संसाधन या खेल सम्बन्धित वस्तुएँ या अन्य कोई भी प्रयोग में आने वाली सामग्री के डिजाइन तैयार करना (कच्चा खाका) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सरल शब्दों में हम कह सकते हैं। कि कला का उद्देश्य जागरूकता लाना है और वस्तुओं को आकार प्रदान करना, उनकी विशिष्टता पर भी ध्यान देना है। और इसको बाजार में किस तरह प्रस्तुत करना है। कि ग्राहक तक पहुँच सके और ग्राहक स्वयं आकर्षित होकर उत्पाद खरीद सके। इस कला का महत्वपूर्ण उद्देश्य संदेशों को सम्प्रेषित करना है। जिसके लिए विभिन्न माध्यमों जैसे-समाचार पत्र पत्रिका, डायरेक्ट मेल, आउटडोर मीडिया, वेबसाइट आदि का प्रयोग किया जाता है।

कला अपने शुद्ध रूप में आनन्द प्रदान करती है। वह उपयोगी नहीं होती है। किसी कॉलीन की बुनवाट में बनी हुई कलाकृति की उपयोगिता में आड़े नहीं आती है। कोई कुम्हार जब किसी बर्तन को नया रूप देने में आनन्द मग्न होता है। तब वह एक जैसे अनेक रूपों को श्रम से गढ़ता है। तब वह उसका व्यवसायिक कार्य हो जाता है। वह तो शुद्ध व्यवसाय है। कुम्हार, बढ़ई, सुनार, लुहार आदि सभी क्रय व्यवसाय है।

आत्मनिर्भर भारत मिशन को दो चरणों में लागू किया जायेगा।

1. उसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है।
2. रत्न आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाये। उपरोक्त मिशन के दोनों चरणों को रूप प्रदान कर जनता तक पहुँचाने में कार्य कुशलता, कारीगरों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि कला में ही वह शक्ति व आकर्षण है कि अनपढ़ व्यक्ति व अनजान बालक भी शीघ्रता से समझते हैं। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रत्येक बालक को चित्रावली के माध्यम से ही दैनिक जीवन की पहचान करायी जाती है। आत्म निर्भर भारत मिशन को सुचारु करने के लिए कला सबसे सच्चा, सस्ता, सुदृढ़ साधन है। इसके निम्न रूप योजना समृद्ध बनाने में योगदान करने वाले कार्य व उद्देश्य हैं।
 - उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी या धातु के बर्तनों की कारीगरों की तकनीकी कला व ज्ञान बढ़ाना और कम लागत पर नए उत्पाद विकसित करना।
 - प्रशिक्षित और आधुनिक/स्वचालित उपकरणों के माध्यम से बर्तनों की कारीगरी भी कला के अन्तर्गत आती है। नये बर्तनों के डिजाइन तैयार करना, ढलाई करना, उन पर डिजाइन उत्कीर्ण करना, खिलौने बनाना और छोटे उद्योगों को कारीगर व कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना।
 - निर्यात और बड़ी खरीदार कम्पनियों के साथ-सम्बन्ध स्थापित करके आवश्यक बाजार में सम्पर्क स्थापित करना विज्ञापन कला के द्वारा ही सम्भव है। और उत्पादन का बाजारीकरण, प्रचार-प्रसार आदि।
 - लोककला का कार्य धर्म, परम्परा, संस्कृति रीतिरिवाज को जीवित रखना जो वर्तमान में सजावट की वस्तुएँ, वस्त्रों साड़ी, बर्तनों, भित्ति चित्रों में देश-विदेशों तक अलग-अलग भारत के राज्यों की प्रसिद्धी की पहचान बनी हुई है।
 - भारत का वस्त्र व्यापार में सूती कपड़े पर लोककला की विदेशों में भी मांग है। जो लघु उद्योगों से शुरू होकर बड़ी-बड़ी कम्पनी में बदल गया इन डिजाइनर वस्त्रों को तैयार करने में कला की उपयोगिता पड़ती है। उपभोक्ता की मांग मौसम, फैशन के अनुरूप ही वस्त्र डिजाइन करना, फैवरिक की बुनाई व डिजाइन कर वस्त्र तैयार करना, जनता को खरीदारी के लिए प्रेरित करना। कला का ही कार्य है।
 - निर्यात और बड़ी खरीदार कम्पनी के साथ गठजोड़ करके आवश्यक बाजार से सम्पर्क विकसित करने के प्रयास किये जाते हैं।
 - स्थापत्य कला के अन्तर्गत भवनों के डिजाइन बनाना, भवनों की मजबूती, गुणवत्ता व नई-नई तकनीकी से सुन्दर इमारत बना यह स्थापत्य कला में आता है और नये आर्किटेक्चर तैयार करती हैं
 - ग्राफिक कलाओं की अगर चर्चा करे तो आधुनिक समय से इस कला के विभिन्न रूप हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि डिजिटल कला दुनिया की जान और भारत की पहचान बन चुकी है। डिजिटल माध्यम से संचार-प्रचार, लेआउट तैयार करना कम्पनी से जड़ने से सम्बन्धित, कार्यरूप, योजनाओं की सही जानकारी, उत्पादक तैयार करना, उसका प्रचार करना, आनलाइन खरीदारी करना, प्रोडक्ट बेचने के लिए विज्ञापन डिजाइन करना, वेबसाइट बनाना, यह सम्पूर्ण कार्य ग्राफिक कलाओं के अन्तर्गत आता है। आज के युग में प्रत्येक मनुष्य इसका उपयोग किसी न किसी रूप में कर रहा है। जिससे समय व धन की बचत होती है। और घर बैठे ही सही जानकारी फोन के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं।
 - दृश्य कला की उपयोगिता की बात करे तो इस कला का कार्य कुशल कारीगरों को तैयार करना, सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं के प्रति गाँव-गाँव, गली-गली छोटे व बड़े शहरों की जनता को जागरूक करना।
 - इसके लिए विज्ञापन के माध्यम टी.वी. समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, होडिङ्ग, मनादी, रैली, पोस्टर प्रदर्शन, स्लोगन, भित्ति चित्रण, नारे, नुक्कड़ नाटक, भाषण, प्रतियोगिताएँ, काव्यपाठ आदि से जनसमुदाय को जागरूक किया जाता है। क्योंकि कला ही ऐसा माध्यम है। जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है।

- बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण कन्या धन योजना, जल संरक्षण हरित भारत योजना, स्वच्छभारत, स्वस्थ भारत, आयुष्मान योजना, डिजिटल शक्ति योजना, पर्यावरण सुरक्षा, कोरोना बचाव टीकाकरण, पोलियो उन्मुलन, अमृत महोत्सव, शिक्षण सम्बन्धित, किसान सम्बन्धित और राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय मूल्यों व व्यापारिक जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए ही सबसे बड़ा माध्यम कला ही है।

इसलिए सरकार भी कला, परम्परा, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर सम्बन्धि ज्ञान विकसित करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही हैं जैसे छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना, कुशल कारीगरों का मुफ्त प्रशिक्षण, शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाने वाले विषयों को बढ़ावा देना गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति व लोन द्वारा शिक्षा, रिसर्च प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहित करना, सिलाई-कढ़ाई, पैकेटिंग, भोजन व्यवस्था, कला तकनीकी अन्य शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना आदि सशक्त कदम बढ़ाये जा रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लघु उद्योगों को लोन के द्वारा बढ़ावा देना सशक्त भारत की पहचान बन गयी है। और इसे अनेकों लाभ है। स्वदेशी अपनाओ से भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी सभी आत्म निर्भर होंगे, सभी के पास रोजगार होगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना भी साकार करेगा। आजकल वस्त्र उद्योग, स्थापत्य कला, दृश्य कला, मूर्तिकला, औद्योगिक, प्रौद्योगिक व देश विदेश में घटित-घटना, खेल सम्बन्धि, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि सभी डिजिटल माध्यम से सम्पूर्ण ऐतिहासिक, भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कला के अन्तर्गत मंची कलाओं का भी निर्माण हुआ है। जो सबसे लोकप्रिय कला है। जैसे फिल्म, थियेटर व एनीमेशन आदि और कोरोना महामारी के समय से शिक्षा भी इसी माध्यम से सम्पन्न करायी गयी है। शिक्षा प्रतियोगिता, परीक्षा व दैनिक जीवन की खरीदारी, खाना, घर बैठे पूर्ण होता है। यह सब नये भारत की आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है।

- आत्मनिर्भर भारत बनने के महत्वपूर्ण बातें-
- इरादा करना, समावेश करना, सार्वजनिक ढाँचे को मजबूत करना, नई चीजों की खोज करना।
- आत्म निर्भर भारत के लाभ-आत्मनिर्भर भारत से हमारे देश में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होगी।
- हमारे देश को और देशों से सहायता कम लेनी होगी, और इससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकेगी।
- देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बेरोजगारी व गरीबी से मुक्ति मिलेगी।
- भारत चीजों का भंडारण काफी अधिक कर सकता है।
- देश में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश की तरक्की को शीर्ष तक ले जाने में सहायता कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. कला विचार, शुकदेव श्रोत्रिय - पृ0 सं0 14-15
2. विशाल भारत, कला अंक (पत्रिका) - जन 1931 ई0
3. ललित कलाएं और मनुष्य, इरविन एडमैन पृ0 सं0-26
4. ग्राफिक डिजाइन, नरेन्द्र यादव- पृ0 सं0-12
5. सौन्दर्य व कला, नरेन्द्र यादव - पृ0 सं0-13
6. Graphic Design N.J. Blanchard W. Russell - Page No. 36
7. Advertising Design - Katz Helen - Page No. 55

सशक्त नारी, सशक्त भारत

श्रीमती लेखा मिर्जा

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, डॉ० अम्बेडकर राजकीय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली

भारत विविधताओं से युक्त देश है जो अपनी संस्कृति और विरासत के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। भारतीय समाज के पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने सदैव ही महिलाओं को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा। समय परिवर्तन के साथ महिलाओं ने जैविक और नैतिक दोनों संदर्भों में ये सिद्ध किया कि परिवार और समाज के भविष्य और विकास को आकार देने की क्षमता उनमें कहीं अधिक है। स्त्रियों को नियंत्रित करने के लिए ऐसी परम्पराओं और रीति-रिवाजों का सहारा लिया जाता है जो उसे घर की चाहर दीवारी या अन्य परिभाषित दायरों में बाँध देते हैं। इस दायरे की अभिव्यक्ति इन शब्दों में हो सकती है—“हमारे परिवारों में पुरुष सूर्य की तरह है, उनका प्रकाश उनका अपना होता है क्योंकि वह संसाधनों के मालिक हैं, उनके पास आय है, घूमने-फिरने और निर्णय लेने की आजादी है। महिलायें उपग्रहों की तरह हैं जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वह केवल तभी प्रकाशित होती है, जब सूर्य की रोशनी उन तक पहुँचती है”। इसके उपरान्त भी भारतीय महिलाओं ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुये उन ऊँचाईयों को छुआ है जो किसी भी राष्ट्र को गौरवान्वित करता हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, खेल, सिनेमा आदि कोई क्षेत्र स्त्री की अधिकारिता से अछूता नहीं है।

महिलायें हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए महिलाओं की भूमिका को कम करके राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर असंभव है। महिलाओं की विकास के प्रत्येक क्षेत्र में हिस्सेदारी है। प्रत्येक विकास नीति, योजना या परियोजना का महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है और बिना महिलाओं के योगदान के वह सफल भी नहीं हो सकता।

नारी को विश्व के सभी राष्ट्रों के समाज में सृष्टि की मेरुदण्ड के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत में नारी-गरिमा के उदाहरण से युक्त है, पर नारी की गरिमामयी उपस्थिति को सामाजिक स्वीकृति अपेक्षाकृत कम मिली है। वर्तमान समय में समाज में स्त्रियों का एक पृथक अस्तित्व है।

प्राचीन स्मृतिकारों ने नारी को जगत के विकास का मूल कारण माना है और पुरुष को इनका आदर करके घर-परिवार की प्रतिष्ठा को स्थायी बनाने का परामर्श दिया। अति प्राचीन काल से ही नारियों ने अपने त्यागमय जीवन से समाज एवं देश का मार्ग प्रशस्त करने वाले सुधारक, देशभक्त और मानवता को पोषित करने वाले व्यक्तियों को उत्पन्न किया। सामाजिक संरचना को सुस्थिर एवं सुदृढ़ बनाने में स्त्रियों ने अपने धैर्य का सदैव परिचय दिया और सभी व्यक्तियों की सुख-सुविधा, दूसरों की सेवा और लोक व्यवहार की सुरक्षा की। परिवार किसी भी राष्ट्र की प्रथम और मूल इकाई होता है जिसका आधार महिलायें होती हैं। नारी की महत्ता और उसकी गरिमा का वर्णन करते हुये कहा गया है कि नारी विद्या, श्रद्धा, पवित्रता, अन्नपूर्णा और सब कुछ है जो मानव प्राणी के समस्त अभावों, कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धा व सद्भावना से संचित किया जाये तो वह विश्व के कण-कण को सुनहरे अवसरों से ओत-प्रोत कर दे।

प्राचीन भारतीय समाज के अन्तर्गत स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्च रहा है। वैदिक युग में पुत्र एवं पुत्री के सामाजिक अधिकार में असमानता बहुत कम थी। पुत्र के समान पुत्रियों को भी उपनयन, शिक्षा-दीक्षा एवं यज्ञादि का समान रूप से अधिकार प्राप्त था। विश्ववारा, अपाला, अम्भृणीवाक, काक्षिवति, घोषा, जरिता, रोमाशा, लोपामुद्रा, गोपायना आदि नारियाँ मंत्रदृष्टा थीं जिन्हें ब्रह्मवाहिनी कहा जाता था। वैदिक युग में नारी प्राचार्या के रूप में अपिशाला और औदमेधी का नामोल्लेख है। गार्गी को उच्च शिक्षिता, विदुषी और यशस्विनी नारी का स्थान प्राप्त है। परन्तु 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गयी। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान विकास और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपयोग की वस्तु बना दिया। उपभोग की प्रवृत्ति ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया, जिससे महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया।

समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी जब सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गयी। इन परिस्थितियों को किनारे करते हुये महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रजिष्या सुल्तान, रानी दुर्गावती, नूरजहाँ, जीजाबाई, जहाँआरा, जेबुनिसा आदि एक महान योद्धा और प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित हुयी।

धीरे-धीरे स्त्री का सामाजिक स्तर नीचा होता गया और महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास पूर्णरूपेण दब गया। गाँधी जी ने यंग इण्डिया में लिखा है—“ये हमारी अभागी बहनें, जिन्हें पुरुषों ने अपनी हवस के लिए बेच दिया है, यह बड़े शर्म व दुःख की बात है। महिलाओं के लिए बड़ी ही अपमानजनक स्थिति है। पुरुष जो कानून बनाने वाला है, उसे महिलाओं के प्रति किए गए व थोपे गए अपमानजनक नियमों व कानूनों के लिए भयानक दण्ड चुकाना होगा”। भारतीय समाज ने आधी आबादी की उपेक्षा करके स्वयं की क्षति पहुँचायी है। भारतीय समाज का यह वर्ग अपेक्षित एवं प्रताड़ित रहा, जिसने समाज संतुलन

को बिगाड़ दिया। संसार एक रंगमंच है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को अभिनय करना पड़ता है। इस अभिनय में एक के प्रभाव की अतिशयता दूसरे को पीछे धकेल देती है। स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवहारों ने उनके विकास के तमाम रास्ते बन्द कर दिये जो किसी भी समाज के लिए घातक है। किसी भी देश के स्थायी विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता महत्वपूर्ण है। ये समानता पुनः स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए।

ये विडम्बना ही रही है कि शक्ति उपासक देश में महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ रही है। वे तो स्वयं 'स्वयंसिद्धा' हैं, परन्तु वर्चस्व कायम करने की होड़ ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर किया है।

दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास।

हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास।

जहाँ स्त्री को दया, माया, ममता से युक्त तथा नारी हृदय को स्वच्छ रत्नों की निधि बताया गया उसे समाज में नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? यहाँ की वैदिक परम्परा में विश्ववरा जैसी नारियों को अपौरुषेय और ईश्वरकृत वेदों का दर्शन कराया गया, जहाँ मैत्रेयी, गार्गी, विदुला जैसी नारियों ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन पुरुषों के सम्मुख किया, क्या उस संस्कृति में नारियों को सशक्तिकरण की आवश्यकता है?

सशक्तिकरण का अर्थ उन क्षमताओं का विकास करना है जिनके द्वारा महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें, उनके बुद्धि-विवेक का विकास हो सके ताकि वे सही गलत में विभेद कर सकें और जीवन की यात्रा को सुगम बना सकें। अधिकतर देश आज महिला-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण को विकास और साथ ही परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के कल्याण के लिए अनिवार्य मानते हैं। कोई भी राष्ट्र और समाज समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता यदि उसकी आबादी का 50 प्रतिशत आजादी और खुशी से वंचित हो।

विभिन्न सर्वेक्षणों में इस बात को स्वीकारा गया है कि आने वाला समय महिलाओं का होगा। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। विश्व के अन्य देशों के महिलाओं की स्थिति चाहे कितनी ही अच्छी हो पर भारत भी मौन-क्रान्ति से गुजर रहा है। शिक्षा से स्त्रियों में आत्मनिर्भरता महानगरों से गाँवों तक जा पहुँची है। इण्डिया बन स्टॉप.कॉम के आंकड़ों के अनुसार-

1. भारत में अमेरिका से अधिक औरते डॉक्टर, सर्जन्स, वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स हैं।
2. भारत में दुनिया की सबसे अधिक कामकाजी औरते हैं। इनमें पायलट से लेकर बस कंडक्टर तथा मजदूरी करने वाली औरतें शामिल हैं।
3. भारत में दुनिया की सबसे अधिक योग्य पेशेवर औरते हैं।

शिक्षा के प्रसार से स्त्रियों में न केवल नयी सामाजिक चेतना का विकास हुआ अपितु वे आत्मनिर्भर भी हुयी। पाणिक्कर ने लिखा है-"स्त्री शिक्षा ने विद्रोह उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है"। 2011 के जनगणना के आँकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत में, पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। साक्षरता दरों में वृद्धि से निश्चित ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज के प्रगति की ओर ले जाते हैं। एक पहिये पर भार डालकर समाज और राष्ट्र का विकास सम्भव ही नहीं है, अतः महिलाओं को शिक्षित करके राष्ट्र की नींव मजबूत की जाती है। जवाहर लाल नेहरू के अनुसार-"आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं"। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। इसके माध्यम से घर, परिवार, समाज तथा देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। उच्च शिक्षा में 'महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता' का उल्लेख महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति-2016 में किया गया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित होने से अनेक समस्याओं जैसे स्वतंत्रता एवं समानता के मुद्दों, नागरिकता एवं अधिकार, स्त्रीत्व से संबंधित मानदण्ड एवं विषम संरचना में कार्य करने का गुण विकसित होने से महिलायें विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक का कहना है कि-"समानता स्मार्ट अर्थशास्त्र है"। यदि कोई अर्थव्यवस्था अपनी आधी आबादी में निवेश की अनदेखी करती है तो अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर सकती है। उच्च शिक्षा में महिला-पुरुष समानता का लाभ अंततः अर्थव्यवस्था को भी मिलता है, जिससे विकास की गति तीव्र होती है।

जैसे-जैसे शैक्षिक प्रचार होता गया, वैसे ही वैसे सरकार के प्रशिक्षण युक्त व्यवसायों में महिलाओं की सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। श्रीमती पी0 सेन गुप्ता ने अपनी 'वीमेन वर्क्स ऑफ इण्डिया' में महिलाओं के निम्न कार्य प्रस्तुत किये हैं:-

1. शैक्षिक कार्य-शिक्षिका, प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, मुख्य आचार्य, बैंकिंग आदि।
2. स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य-डॉक्टर, परिचायिका, स्वास्थ्य, निरीक्षिका।
3. बागान सम्बन्धी कार्य-चाय, कॉफी, रबर के बागानों में कार्यरत महिलायें।
4. खान सम्बन्धी कार्य-कोयला, इस्पात, पत्थर, अभ्रक, मैगनीज, इस्पात आदि खानों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।
5. कारखाना सम्बन्धी कार्य-आटा मिले, तम्बाकू, कपड़े, तेल आदि।
6. कला सम्बन्धी कार्य-नृत्य, संगीत, सिनेमा, साहित्य, समाज सेवा आदि।
7. सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य-भवन निर्माण, नदी योजनायें, बाँध निर्माण आदि।
8. ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी कार्य-सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सेविकायें।
9. लघु व्यवसाय-रंगाई, सिलाई-कढ़ाई, बीड़ी बनाना, खिलौने बनाना आदि।
10. विधिक क्षेत्र-वकील, न्यायाधीश, कूटनीतिक क्षेत्र।

स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती है जिसे सशक्त और शामिल किये बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। राष्ट्र को सशक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण के पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। गाँधी जी ने कहा था-“महिलायें पुरुषों से बेहतर सैनिक साबित हो सकती हैं, बस उनको मौका देने की जरूरत है।” आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण की पहली शर्त है और निर्णय लेने की स्वतंत्रता इसका आधार। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के प्राप्त करने के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण अपरिहार्य है। वर्तमान में भारत में लगभग 432 मिलियन कामकाजी महिलायें हैं, जिनमें से 343 मिलियन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार-महिलाओं को समान अवसर देकर, भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर सकता है।

भारत पुरुष प्रधान देश है, सामान्य पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता यहाँ हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। महिलाओं की इसी निर्भरता की स्थिति को समाज ने स्वीकारा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष उपरान्त निर्भरता को भारत की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता में बखूबी परिवर्तित किया है। ये कटु सत्य है कि स्त्रियों को कुछ भी सरल तरीके या सरल मार्ग से नहीं मिलता बावजूद इसके कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता रहा हो। महिलाओं ने शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आज महिलायें आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरुष प्रधान समाज में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह न केवल शिक्षिका, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना, तकनीशियन, पायलट, वैज्ञानिक, पत्रकारिता, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में कदम रख रही हैं अपितु उनमें उच्चता को प्राप्त करके देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रही हैं। सरोजिनी नायडू, डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर, विजय लक्ष्मी पण्डित, अन्ना चाण्डी, सुचेता कृपलानी, कैप्टन दुर्गा बनर्जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इंदिरा गाँधी, किरण बेदी, मदर टेरेसा, बछेन्दी पाल, फातिमा बीबी, कल्पना चावला, कर्ममल्लेश्वरी, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, पी0वी0 सिन्धु आदि महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास रचा। वैश्वीकरण के दौर में भारत की महिलाओं ने सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त कर दिया है।

भारत की महिलायें राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार उनके योगदान और क्षमता को पहचानती है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई मजबूत कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, लिंग समानता की दिशा में योजनायें, स्टैण्ड अप इण्डिया के तहत महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण की मंजूरी दी गयी। सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं में न केवल उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया अपितु उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर भी बल दिया गया है।

बदलते परिवेश के साथ आधुनिक युग की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग, सतर्क एवं अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है। महिलायें हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और वे देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब राष्ट्र के विकास में महिलाओं की हिस्सेदारी, भूमिका और योगदान को सही रूप और दिशा प्रदान करें (OECD) द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, कॉरपोरेशन एण्ड डेवलेपमेंट के देशों का सुझाव है कि चाइल्ड केयर सब्सिडी से महिलाओं के कामकाजी होने की संभावना बढ़ जाती है। 2011 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार घर में रहने वाली एक तिहाई से भी ज्यादा महिलाओं ने बाहर जाकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। यह स्पष्ट है कि कार्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं में नागरिक एवं राजनैतिक चेतना विकसित होती है, जो समुदायों, समाज और अंततः देश के लिए लाभप्रद होती है।

भारतीय महिलायें ऊर्जा से युक्त, दूरदर्शिता, जीवन उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में-“महिलायें न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि रोशनी की लौ भी हैं।” अनादिकाल से महिलायें न केवल भारतीय विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं बल्कि वे हमेशा से मानवता की प्रेरणा स्रोत रही हैं। 2030 तक भारत सतत् विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सतत् विकास लक्ष्यों में प्रमुख है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों में महिलाओं की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिगम यंग के अनुसार-‘जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इस वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम “एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है।” सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में ही नहीं वरन् संकटकाल में भी महिलायें इनका सामना करने के लिए सदैव अग्रणी रही हैं। कोविड-19 के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में महिलाओं ने डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्करों, ऑनबाइटी कार्यकर्ताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी सेवायें मरीजों को दी हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में उनकी अहम भूमिका है।

भारत बायोटेक की संयुक्त एम0डी0 सुचित्रा एला को स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को-वैक्सीन विकसित करने में उनकी शानदार भूमिका के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। महिला दत्ता, एम0डी0, बायोलॉजिकल ने 12-18 वर्ष की आयु के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया। निःसंदेह महिलायें समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत हैं। ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ वर्ष के पहले भाग में ही केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केवल एक सप्ताह के लिए 2614 स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों को सामुदायिक उद्यम निधि का आठ करोड़ 60 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलायें न केवल खुद सशक्त बन रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के साथ-साथ समाज द्वारा बढ़ाया गया कदम ही महिलाओं को ऊँचाईयों तक पहुँचायेगा।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि-“आप किसी देश की स्थिति वहाँ की औरतों की देखकर जान सकते हैं। ये सच है कि विकास सूचकांक में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आशा की नयी किरण नजर आ रही है। महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, वे अपनी सोच, आकांक्षायें, सपने, लक्ष्य, मुख्यधारा से जोड़ने के लिये आतुर हैं। महिलाओं के सशक्त होने में तमाम अड़चने, सामाजिक रूढ़ियाँ विद्यमान हैं, लेकिन सारी समस्याओं को किनारे करके नारियों ने स्वयं को सशक्त किया है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में-“नरकृति शास्त्रों के सब बन्धन हैं नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधायें पहले ही कर बैठे नर”। इस वास्तविकता के साथ महिलायें निरन्तर आगे बढ़ रही हैं। कमद-कदम पर चुनौतियाँ हैं, वे उन्हें स्वीकार करती हैं और

अपना मार्ग स्वयं बनाती है। जिस सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का माना गया हो, वहाँ और व्यवस्थाओं में अपना मुकाम प्राप्त करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। आवश्यकता है महिलाओं के विकास से सम्बन्धित प्रयास हर स्तर पर वास्तविक रूप में हो, सिर्फ आंकड़ों में नहीं। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में—“महिलाओं को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं हल कर सकें। अन्य कोई यह कार्य उनके लिए नहीं कर सकता और न करना चाहिए। हमारी भारतीय महिलायें यह करने के लिए वैसे ही सक्षम हैं, जैसे दुनिया की अन्य महिलायें”।

संदर्भ सूची-

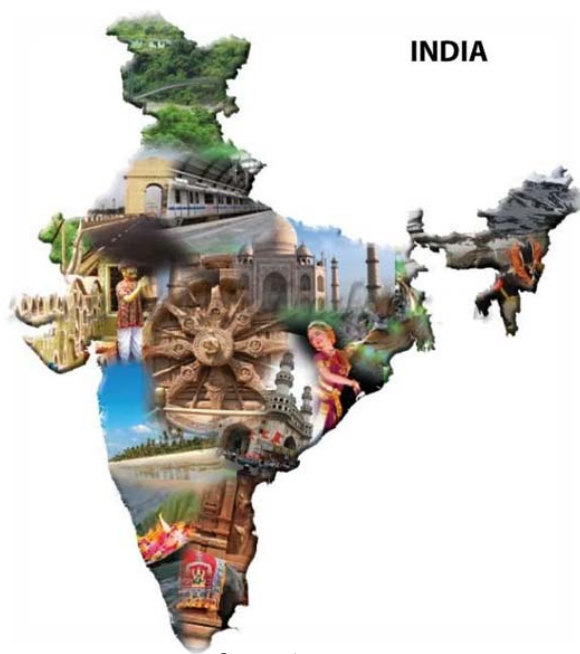
1. कुरुक्षेत्र, मार्च, 2007, महिला सशक्तिकरण, नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
2. योजना, सितम्बर, 2016, नारी सशक्तिकरण।
3. लिंग एवं समाज, डॉ० अमिता सिंह।
4. नागफनी, जुलाई-सितम्बर, 2022।
5. नारीवादी राजनीति-संघर्ष एवं मुद्दे, निवेदिता मेनन, हिन्दी मध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
6. समकालीन राजनीतिक मुद्दे-डॉ० बी०एल० फाड़िया, डॉ० कुलदीप झाड़िया।
7. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेब, जयपुर।
8. आहुजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन, जयपुर एवं दिल्ली।
9. नदीम, हसनैन, समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
10. जयशंकर मिश्र, (2006) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
11. डॉ० राजकुमार, नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
12. महिला सशक्तिकरण और नारीवाद-पी०डी० शर्मा।
13. महिला सशक्तिकरण-सम्पूर्ण पहलू, कृष्ण चन्द्र चौधरी।

कला एवं संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप

डॉ० अंजली राव

असिस्टेंट प्रोफेसर, चित्रकला-विभाग, जे.एस. यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद

कला एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति मानव जीवन की प्रेरक शक्ति और राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता है। कला से भी मानवीय जीवन अछूता नहीं है। कला एवं संस्कृति के बिना किसी भी देश का मानो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसकी पहचान उसका बज्रूद, उसका इतिहास वहां पनपी कला और संस्कृति पर निर्भर है। भारत एक अनूठी कला, सांस्कृतिक तथा परम्पराओं को अपनी गोद में समेटे हुये है। जिसका वर्णन अथाह है। जो कुछ शब्दों में नहीं किया जा सकता है। हम समस्त भारतवासी बहुत धनी हैं। जो हमने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया है। भारत में नृत्य, लोक परंपरा, चित्रकारी एवं लेखन (कैलोग्राफी), गीत संगीत, नाटक कला, कला-प्रदर्शन धार्मिक-संस्कारों तथा अनुष्ठानों के क्षेत्र में बहुत बड़ा संग्रह है। जो मानव सभ्यता के 'अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में परिचय करता है।



चित्र संख्या- 1

यहाँ आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति एवं रचनात्मकता का समावेश है। जब हम कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो अनायास ही प्राचीन काल का जिक्र होने लगता है। प्राचीन काल के मानव को समय लगा किन्तु उसने अपने जीवन यापन के लिये समय-समय पर आत्मनिर्भरता के प्रयासों की निरंतरता को बनाये रखा, जब उसने लकड़ी, पत्थर, और धातु के औजारों का निर्माण किया तब हमारी सभ्यता एक वास्तुकला को जन्म दे रही थी और जब उसने अपने उल्लासमयी जीवन में आनन्दोत्सव मनाये जाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया तब हमारी संस्कृति को जन्म दिया। प्राचीन काल का मानव सुविधाओं रहित आत्मनिर्भर बना। एक के बाद एक सभ्यताओं का जन्म हुआ। अनेक-युग आये और चले गये किन्तु भारत प्राचीन काल से ही अपनी कला और संस्कृति के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाये हुये है। यहाँ की रीति रिवाज, भाषायें, प्रथायें और परम्परायें और एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्धों में महान विविधताओं का उदाहरण हैं।

आजादी के बाद का आत्मनिर्भर भारत- 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय हम हर प्रकार से छिन्न-भिन्न थे चारों तरफ अराजकता व्याप्त थी। ऐसी परिस्थिति में भी भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति और कला को बचाये रखा। विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुये स्वयं को कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भरकस प्रकार किया इसी क्रम में हमने हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति तथा नीली क्रान्ति के सहारे समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया। उद्योगों में प्रगति के साथ-साथ हम कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। आजादी के बाद हमारे देश

के प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा, अम्रता शेरगिल, बी.सी सान्याल, सोमनाथ होर, एम एफ हुसैन, यामिनी राय, सुदर्शन पटनायक आदि ने भारत को एक नई पहचान दी।



चित्र संख्या-2

कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत की सहभागिता-

भारत में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिये सरकार द्वारा कला केन्द्र तथा सांस्कृतिक केन्द्रों को स्थापित किया गया। सम्पूर्ण भारत के सभी राज्यों में ऐतिहासिक धरोहरों, साहित्य संग्रह, तथा चित्रकारी से सुसज्जित गैलरियों को भारत सरकार ने संरक्षण प्रदान किया है। राष्ट्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर कला, संस्कृति नृत्य, मेले और त्यौहार, हस्तशिल्प, स्मारक, रंगमंच, संगीत, पुरातत्व तथा विरासत आदि को वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है। भारत सरकार ने कला एवं संस्कृति के उन्नयन तथा प्रचार-प्रसार के लिये देश में संस्थानों तथा योजनाओं का निर्माण किया है।

युवा कलाकारों के लिये छात्रवृत्ति योजना, कला प्रदर्शन अनुदान योजना, सांस्कृतिक विरासत विकास योजना, उत्कृष्ट व्यक्तियों को शिक्षावृत्ति के पुरस्कार योजना आदि का निर्वहन कर रही है। कुछ समय पहले सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केन्द्र [ABCD] प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको भारतीय राष्ट्रीय बैंक, संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केन्द्र खल्लाब, और राष्ट्रीय संस्कृति कोष [NCF] आदि की सहभागिता है। [ABCD] प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन उत्पादों को बढ़ावा देना, उजागर करना और उनका जश्न मनाना है। जिससे भारत से जी.आई उत्पादों के आर्थिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है।

आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियाँ

आत्मनिर्भर शब्द अपने आप में एक सशक्त शब्द है जो किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति का द्योतक होता है। राष्ट्र की आत्मनिर्भरता ही उसके समाज और संस्कृति की असल शक्ति होती है। जो उसे सर्वोपरि बनाती है। भारत प्राचीन ऋषि-मुनि आज के आधुनिक वैज्ञानिकों से भी श्रेष्ठ ज्ञान रखते थे जो बिना किसी तकनीक के सहारे कई जटिल समस्याओं को हल कर देते थे। मानव जीवन की प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य भी भारत से प्राप्त हुये हैं।

किन्तु आज के समय में भारतीय संस्कृति और कला पर पाश्चात्य संस्कृति का असर अधिक पड़ने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण प्राचीन काल के हमारे कुटीर उद्योग, काष्ठ कला, मृदा कला पर अपना अस्तित्व बचाने का संकट आन पड़ा है। हमारे जो छोटे कलाकर (कारीगर) आज अपने हुनर को छोड़ दूसरे कार्यों में लिप्त हो रहे हैं।



चित्र संख्या- 3

पहले समय में हम कच्चा माल अपनी कृषि से तैयार करके स्वयं ही देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे। किन्तु आज दूसरे देशों की आधुनिक मशीनों से तैयार माल को वरीयता देने लगे हैं। सरकार द्वारा हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिये अधिक से अधिक स्वदेशी का प्रयोग करें तथा अपनी कला और संस्कृति का सम्मान करें। महात्मा बुद्ध ने भी “अप्प दीपो भवः” अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो का संदेश दिया था। हमें अपने देश को आत्म निर्भर बनाने का श्रेष्ठतम प्रयास करना चाहिये जिससे हम विश्व पटल पर एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. आधुनिक चित्रकला - प्रो० रामचन्द्र शुक्ल
2. “प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आव्हान किया pib.gov.in.क~ 12 मई 2020 अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2022.

Web Link-

1. <https://hi.m.wikibooks.org>
2. tv9hindi.com
3. dvlivenews.com
4. in.pinterest.com

गाँधी जी और सामाजिक न्याय

अभय कुमार

शोध छात्र, दर्शन विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003

प्रो० अखिलेश्वर प्रसाद दुबे

शोध निर्देशक, दर्शन विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी बचपन से ही अपनी माँ के सानिध्य व माता तुल्य आया (दाई माँ) के साथ ज्यादा समय गुजारते थे। वे बहुत ही आज्ञाप्रिय, होनहार, ईमानदार तथा तर्कशील, बुद्धि विलक्षण के छात्र भी थे। एक बार बचपन में 10वीं की परीक्षा में इनके गुरु द्वारा बताये गए उत्तर को उन्होंने परीक्षा में नहीं लिखा और उत्तर में ये बताया कि जितना मुझे ज्ञान है, उतना ही मैं लिखूँगा, अंततः वे गुरु द्वारा परीक्षा के दौरान बताये गए उत्तर को अपनी उत्तरपुस्तिका में नहीं लिखे, जो आता था वे लिखे। ये क्रिया अन्य विद्यार्थियों के साथ एक न्याय की समझ से देखा जा सकता है।

पुनश्च: देखा जाए तो बचपन में इनके परिवार जो कि उच्च कोटि से अपना पहचान रखता था। अन्य निम्न वर्गों जो कि इनके राजकोट (मकान) में सफाई का काम करते थे तो वहाँ भी अपनी माता से तर्क कर बैठते थे कि माँ भंगी के साथ उठने, बैठने या खाने से कोई भंगी नहीं हो जाता है। अतः मानव के साथ नस्लभेद, न्याय के रूप में यहाँ गाँधी जी की तर्कशीलता देखी जा सकती है जोकि सामाजिक न्याय का अभिन्न हिस्सा है। गाँधी जी का सूत्र चिंतन के रूप में भी वे मानव मात्र के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय के रूप में परिलक्षित होता है। गांधीजी का ताबीज सूत्र “मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जब तुम्हें दुविधा हो या तुम्हारा अहम् तुम पर चढ़कर बोले, तो इसका अभ्यास करो: अपने मन-मस्तिष्क में स्वयं द्वारा अब तक देखे गए सबसे निर्धन व असहाय व्यक्ति की छवि को निहारो और फिर स्वयं से पूछो कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ: 1. क्या इससे उसको कुछ प्राप्त होगा या उसका कुछ फायदा होगा? 2. क्या इससे उसे अपनी नियति और जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होगी। 3. क्या इससे स्वराज्य सुलभ होगा अथवा देश के लाखों शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भूखे लोगों की स्वतंत्रता की शर्त पूरी होगी? तब तुम पाओगे कि तुम्हारी दुविधा या शंका तुम्हारे अहम् के साथ खुद-ब-खुद तिरोहित हो जाएगी और तुम्हें असीम सुख तथा आत्मसन्तोष की प्राप्ति होगी।” अर्थात् गाँधी जी का सूत्र था कि जब भी आप दुःख में हो तो अपने से नीचे के स्तर के मानव के दुःख के बारे में देखें तो आपकी समस्या स्वयं ही दूर जायेगी तथा कोई निर्णय भी ले तो यह जरूर ध्यान दे कि वे निर्णय संसार के सबसे निचले स्तर के मानव के लिए भी कल्याणकारी हो।

गाँधी जी का दार्शनिक विचार भी दीर्घकालीन व टिकाऊ समाधान को ढूँढने का अथक प्रयास था। इस प्रकार देखा जाए तो दर्शन वह अदृश्य नींव है जिस पर प्रत्येक सामाजिक संगठन का धौंस खड़ा है। यह समस्त सामाजिक गतिविधियों की धुरी एवं समस्त सामाजिक दर्शनों का ही नहीं समस्त विज्ञानों अथवा ज्ञान का भी आधार है।

सः ब्रह्मविद्यां सर्वविधाप्रतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपत्राय प्राह।

अर्थात्! ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जो समस्त विद्वानों का आधार है। - मुंडकोपनिषद्, 1.1.1

अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वे मानव थे जिन्होंने तीस करोड़ जनता को विद्रोह करने के लिए आन्दोलित किया, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी और जिन्होंने मानव राजनीति में पिछले दो हजार वर्षों के सर्व शक्तिमान धार्मिक स्तंभ का समावेश किया। गाँधी जी का उद्देश्य समाज के किसी विशेष अंग का पुनर्गठन न होकर मानव के समस्त अस्तित्व का पुनर्निर्माण था। वे एक सुधारक नहीं थे। अन्य सामाजिक क्रांतिकारी चिंतकों की भांति जीवन की समस्याओं के प्रति उनका भी एक विशिष्ट उपागम था।²

जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी शिक्षा प्राप्त कर विदेश से भारत वापिस लौट रहे थे तो अपने गुरु के कथनानुसार भारत भ्रमण के लिए वे ट्रेन में चढ़कर भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया। उन्होंने वहाँ एक दृश्य देखा कि एक स्त्री खेत में काम कर रही है जिसका शरीर का ऊपरी हिस्सा अर्धनग्न था, जिसको देखकर अचानक वह स्त्री गाँधी जी के सामने अपने को असहज महसूस की तो गाँधी जी के मन में यह विचार आया कि जब हमारे देशवासियों के पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है तो मुझे भी ये सूट-पैट-कोट पहनने का कोई हक नहीं है तो जो वे उस समय पगड़ी बांधे थे उसको उतारकर उस औरत को तुरन्त ही तन ढकने को कहाँ तथा अगले दिन वे गाँधी से महात्मा के वेश में परिलक्षित हो गए। उनका शरीर का वर्जन कुछ इस प्रकार था- शरीर दुबलापन, रंग साँवला, नाक लम्बी तथा एक चश्मा, एक पगडंडी, एक चादर बड़ी, तथा पैरों में एक खड़ाऊ जो कि एक साधारण मानव को जीवन जीने तथा तन को ढकने के लिए पर्याप्त था वे आजीवन मरते दम तक इन्हीं वेश-भूषा में दिखाई पड़ते थे। जो कि सामाजिक न्याय व समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

गांधी जी द्वारा चलाये गये आन्दोलनों तथा न्यायासिता का सिद्धांत एवं पर्यावरण पर उनके विचार सर्वविदित है कि शोषण के खिलाफ, सम्पत्ति के एकाधिकार के खिलाफ, जीवन की असुरक्षा के खिलाफ की न्याय को प्रदर्शित करता है।

गांधीजी ने दलितों तथा स्त्रियों के लिए भी न्याय के लिए जल और अहिंसा रूपी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए उनके साथ भी न्याय दिलाने का भरसक प्रयास किया। दलितों को 'हरिजन शब्द' जो कि ईश्वर का कहकर मान बढ़ाया तथा आलोचकों के उस दृष्टिकोण को जहां गांधी जी का दलित जो दो स्त्रियों के कांधे पर हाथ रखकर सैर करना खूब चर्चा का केन्द्र बना था। वहाँ एक महात्मा की दार्शनिक दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार था कि मैं मीरा और बेन के ऊपर हाथ रखकर चलता हूँ जो कि अन्य सांसारिक मानव की दृष्टि में गलत है लेकिन उन्हें इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि वे दृष्टि है "बिना स्त्रियों के सहारे आप एकपल भी खड़े नहीं हो सकते हो अतः उन्हें भी बराबर का मौका समाज में देना चाहिए तभी समाज का विकास हो सकता है। ये भी सामाजिक न्याय के रूप में देखा जा सकता है। गांधी जी के विभिन्न आन्दोलनों-असहयोग, सत्याग्रह, नमक इत्यादि आन्दोलनों का बस एक ही अर्थ था कि लोभ, क्रोध, मोह रूपी सांसारिक मानव से सभ्य मानव की सुरक्षा करना था रामराज्य की स्थापना कराया जहां समाज में किसी भी तरह की विंगतियों का उद्भव भी न हो सके।

गांधीवादी विचारधारा में समाज व सामाजिक न्याय का सम्बन्ध

गांधीजी का मानना था कि समाज व सामाजिक व्यवस्था सभी को समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि मानव एकाकी जन्म लेता है किन्तु ऐसा लगता है कि समाज में रहना उसका स्वभाव है। इसीलिए समस्त समाज विज्ञानों के जनक अरस्तु ने उसे सामाजिक प्राणी कहा था। क्योंकि समाज इतने अन्तरावललित एवं परस्पर पूरक बन गये हैं कि एक के बिना दूसरे की सत्ता, स्थिरता एवं प्राप्ति की कल्पना करना भी कठिन है। अतः समाज के बिना मानव केवल अन्ध पशु है और मानव के बिना समाज विंगत एवं अर्थहीन है। बहुत से व्यक्ति मिलकर एक समाज की रचना करते हैं जो बदले में उनके अस्तित्व को सुखमय एवं उनके जीवनदर्शन की उपलब्धि को संभव बनाता है। गांधीजी शासन शास्त्रज्ञ नहीं थे और हमें उपलब्ध उनकी असंख्य लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों में किसी समाज व्यवस्था के पुखानुमुख विवरण की खोज करना व्यर्थ है। किन्तु तो भी यह मत व्यक्त करना है यह अद्वितीय क्रांतिकारी।¹³

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा आजीवन चलाये गए आन्दोलनों में भी शोषण, भ्रष्टाचार, न्याय के प्रति सत्य और अहिंसा के धरातल पर सामाजिक ज्वलंत समस्याओं का दीर्घजीवी व टिकाऊ समाधान ढूँढने का प्रयास निरन्तर प्रभावी रहा।

भारत का संविधान भी मानता है कि धर्म, जाति, हिंसा, नस्ल, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। यदि किया जाता है तो करने वाले के खिलाफ दण्ड का प्रावधान था। प्रथम दृष्टया गांधीजी धर्म के प्रवाहित होते हैं और अंततः अन्य धर्मों का गहन अध्ययन कर पाते हैं "मजहब (धर्म) नहीं सिखाता आपस में बैर रखना" अर्थात् अपना धर्म को सम्मान दो, मगर अन्य धर्मों का भी आदर करो।

जाति के दृष्टिकोण में वे मानव को 'ईश्वर अंश जीव अविनासी' कबीरदास की उक्तियों से सहमत थे।

नस्लभेद-वे स्वयं डरबन में दक्षिण अफ्रीका जाते समय नस्लभेद के शिकार हुए जिसका परिणाम अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा।

भाषा-गांधीजी गुजराती भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार थे। फिर भी वे हिन्दी भाषा व अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते थे। अतः गांधीजी के लिए संविधान में उद्धृत नियम से सहमत थे, वे किसी भी मानव के साथ अन्याय होते देख तुरन्त ही आन्दोलन, सत्याग्रह व उपवास के अनशन पर बैठ जाते थे तथा उस व्यक्ति का समाज के समुदाय के न्याय के लिए सदैव तत्पर रहते थे।

यहाँ तक कि गांधीजी स्त्री उत्थान के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। वे उन शादी समारोह में तब तक नहीं जाते थे जब तक वह अन्तरजातीय विवाह न हो, वे केवल अन्तरजातीय विवाह में जाते थे तथा उनके साबरमती आरम में भी उच्च वर्ग के रहने के साथ एक भंगी परिवार को भी उन्हीं के समान रहने की सारी सुविधाएँ प्रदान की गई थी।

आर्थिक न्याय-गांधीजी आर्थिक न्याय के रूप में देखा जाय तो साबरमती आश्रम में सूत बनाने व सूत बेचने के हिसाब किताब में यदि 0.50 पैसे भी किसी के बनते थे तो गांधीजी उस व्यक्ति को ये मुद्रा भेंट करने के पक्ष में थे लेकिन जब कभी उनकी भावनाओं की कद्र नहीं होती थी तो गांधी दोषी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान भी रखते थे।

राजीतिक न्याय के लिए गांधीजी का मानना था कि किसी भी देश की समाज व्यवस्था राजनीति से प्रभावित होती है। अतः 'धर्म विहीन राजनीति पतन' का कारण होती है' अर्थात् जिस राजनीति में धर्म का सम्मान नहीं किया जाता है वे अन्ततः समाप्त हो जाती है तथा प्रजा में असंतोष प्राप्त होता है।

शारीरिक न्याय-मन, वचन, कर्म से किसी भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की हिंसा पक्ष या विपक्ष न करने की जिन्दगी पर अपील यह बताती है कि बैर-बैर कभी शांत भी होता है। अतः अहिंसा की स्थापना अत्यंत जरूरी है।

कर्मों के साथ न्याय-गांधी जी का मानना है कि संसार के सभी मानव अपना कर्तव्य ईमानदारी से करे तो उनके अधिकार स्वतः प्राप्त हो जायेगा। लेकिन संसार में अधिकार के लिए संघर्ष व कर्तव्य ईमानदारी से करने की प्रथा का पाया जाना दुःखकर है।

पूँजीवादी वर्ग को को दृष्टि की सिद्धांत के द्वारा अन्य प्राणियों के लिए भी उचित दृष्टिकोण रखना चाहिए। प्रकृति सबके लिए एक समान है तथा यहाँ कोई उच्च-निम्न से प्रभावित नहीं है। संसार के सारे मानव जीवन अनुसार दया करो। समाज के विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए गांधीजी से व्यवहारिक दर्शन का प्रयोग बहुत ही तर्कपूर्ण मानते थे।

सामाजिक न्याय हेतु गांधीवादी विचारधारा सदैव अहिंसा, सत्य के धरातल पर खड़ी रही किसी भी परिस्थितियों में हिंसा का साथ नहीं दिया। उनका शस्त्र था पड़ताल, धरना, असहयोग, हिजरत, सविनय अवज्ञा, उपवास इत्यादि। अंततः गांधीजी के आदर्श समान व्यवस्था के लिए उद्धृत किया है-"मैं पहले ही यह नहीं बता सकता कि पूर्णतः अहिंसा पर आधारित शासन कैसा होगा। फिर भी उनकी पुस्तक हिन्द स्वराज और उनके भाषाणों, लेखों वक्तव्यों आदि से उनके आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है।"¹⁴

अंततः हम कह सकते हैं कि गांधीजी ने सारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक दर्शन के पीछे मानव सम्बन्धों को सुधारने की चेष्टा की है। जहां मानव अनदार है, जहां उसे दास बनाने की प्रवृत्ति है, जहां उसका शोषण होता है, वहां गांधी जी उस स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं। गांधीजी का मानववाद प्रत्येक आंख से आंसू पोंछ डालना चाहता है। वह पृथ्वी पर जीवन को जीने योग्य बनाना चाहते हैं। अतः गांधीजी प्रत्येक मानव के साथ सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वह पक्ष हो या विपक्ष का हो। गांधी जी कहते हैं -

“रघुपति राघव राजाराम, पतिपतावन सीताराम

सबको सम्मिति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम।”⁵

गांधीजी द्वारा बताये गए ‘एकादश व्रत’ में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकने की संभावना स्वीकार होती है-

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह

शरीश्रम, अस्वाद, सर्वत्र, भयवर्जन।

सर्व धर्म समानत्व, स्वदेशी, स्पर्शभावना

ही एकादश सेवामी नम्रते व्रतनिश्चये।⁶

अर्थात् सामाजिक और राजनैतिक, व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन में इन्हीं व्रतों का आचरण गांधी जी करते हैं। उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों की इन्हीं मानव कृतियों से प्रेरित और अनुप्रभावित है।

गांधीजी के मानववाद में मानव को समदर्शी होना ही अंगीकृत है। गीता के अनुवाद वह ब्राह्मण, गो दानी, श्वास और चाण्डाल में अभेद-भावन करने वाला होना चाहिए। अत्यक, अछूत, पंचकोना, शूद्र आदि को जाने वाले समाज के यहां को गांधी ने उठाकर मानव कोटि में लाने का महान प्रयत्न किया।⁷

संदर्भ सूची -

1. डॉ., एस.एन. सुब्बाराव, सफल प्रबंधन: गांधी दर्शन, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2013, पृ.21
2. यंग इण्डिया, 12 मई 1920, 25 मई, 13 जुलाई, 25 अगस्त 1925
3. सर्वोदय समाज एक समस्त संस्कृत शब्द है जिसका अभिप्राय ही एक ऐसा समाज जिसका उद्देश्य है सबका अधिकतम कल्याण।
4. राम आहुजा, सामाजिक समस्याएँ, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2003, पृ.12
5. सम्पूर्ण वागऽमय गांधी,
6. गांधी ग्रन्थ, अनुवादक श्री प्रेमनारायण माथुर, समाजशास्त्र परिसर वनस्थली विद्यापीठ जयपुर, संस्करण, 2 अक्टूबर 1949
7. विद्या-विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गणि हस्तिनि। शुचि चौव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ (गीता 5-18)

जनजाति समाज में शैक्षणिक प्रसार एवं सामाजिक समस्याएँ

डॉ० संजय कुमार मीना

सारांश: प्रस्तुत शोध में जनजाति समाज में शैक्षणिक प्रसार एवं सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग इन आठ राज्यों में क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में पायी जाती है। राजस्थान में कई ऐसे समूह हैं जो प्रारंभ से सभ्य समाज से दूर आज भी ये लोग जंगलों व पहाडिछ्यों पर निवास करते हैं जिन्हे आदिवासी या पिछड़े हुऐ कहाँ जाता है। ये आदिवासी प्रारंभ से ही प्रकृति पुत्र रहे हैं ये राजस्थान के दक्षिणी भाग उदयपुर, डुंगरपुर, व बांसवाड़ा, आदि जिलों में प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं। यहां पर भील, मीणा, गरासिया, डामोर, व कथौड़ी प्रमुख जनजातियां हैं। इन जनजाति समाजों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, व पिछड़ापन है। जनजाति शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश मिशनरियों एवं अनेक समाज सुधारको गोविन्द गुरू, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पण्डया के अथक प्रयासों से प्रारंभ हुआ। 20 वी शताब्दी के उत्तरार्ध से दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों में शिक्षा के विकास के क्षेत्र मे ठोस नीतिगत निर्णय होते गये।यूनीसेफ आई.एल.ओ. यू.एन. एफ.पी.ए. और यूनेस्को जैसी संस्थाएँ करोड़ों रूपये आदिवासी शिक्षा पर व्यय कर रही हैं। जनजातियों के विकास हेतु एक अच्छी शुरुवात मानी जा सकती है

मुख्य शब्द:- जनजाति समाज, शिक्षा, सामाजिक समस्याएँ

प्रस्तावना: प्रस्तुत शोध में जनजाति समाज में शिक्षा का शैक्षणिक प्रसार व सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। भारतीय समाज को मोटे रूप में तीन भागों में बाटा जाता है जिनमें आदिवासी समाज प्रमुख है। जो अपेक्षित रूप से एक पृथक समाज है जिसकी निश्चित संस्कृति- भाषा एव धर्म है। आज आदिवासी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग इन आठ राज्यों में क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में पाये जाते हैं शेष जनजातियां अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में निवास कर रही हैं। जनसंख्यादृष्टि से विश्व मे भारत का अफ्रीका के बाद दूसरा स्थान है जिसमें लगभग 705 जनजातीय समाज देश के कुल क्षेत्र में 19 प्रतिशत भाग पर तथा 2474 गांवों में निवास कर रहे जिसमें 13 भारतीयों में एक जनजातीय सदस्य है। सविधान में अनुसूचित जनजातियों को विशेषाधिकार प्रदान करने हेतु 1952 मे एक सूची जारी की गई। इसे वर्ष 1956 मे संशोधित कर अन्य जनजातियों की समीक्षा एव संशोधन के बाद मे जनजातिय संशोधन आदेश 1976 के द्वारा राजस्थान में प्रमुख जनजातियां सम्मिलित की गई जो निम्न सारणी में वर्णित है।

राजस्थान में जनजातियों का क्षेत्रीय विभाजन

क्र.स.	राज्य का भौगोलिक संभाग	संभाग के क्षेत्र	प्रमुख जनजातिया
1.	दक्षिणी राजस्थान	उदयपुर, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, डुंगरपुर, सिरौही, चित्तोडगढ़ आदि	मीणा,डामोर,गरासिया, भील,भील-मीणा, आदि
2.	दक्षिणी -पूर्वी एवं पूर्वी राजस्थान	जयपुर, अलवर, स.माधोपुर, कोटा, बारा, भरतपुर, दौसा, अजमेर, टोक, बूंदी, झालावाड़ आदि	मीणा,भील-मीणा, भील, सहरिया, आदि
3.	पश्चिमी राजस्थान	चुरू, गंगानगर, सीकर, झुंझनू, जैसलमेर, जोधपुर, बाडमेर, जालौर, पाली, नागौर, बीकानेर आदि	नायक, धानका, सांसी, भील, मीणा, तथा कोकना आदि

दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में मुख्यतया भील, गरासिया, डामोर, मीणा है यह जनजातियां दक्षिणी राजस्थान की मूल जनसंख्या का लगभग 73 प्रतिशत है। आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा की है अशिक्षा का विकास इस क्षेत्र में इसलिए रूक गया कि आदिवासी दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। भारत में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात् शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से जनजातियाँ शैक्षणिक विकास की ओर अग्रसर होने लेगी वर्तमान में शिक्षा के विकास के कारण यह जाति निरन्तर विकास के नये-सोपान की सीढिछ्या चढ़ रही है इनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास तीव्र गति से होने लगा और शिक्षा की वजह से ही यह जनजातियां सुव्यस्थित तथा गौरवमय जीवन व्यतित कर रही हैं।

दक्षिणी राजस्थान में मीणा, भील, डामोर, गरासिया जनजातियां निवासित जो पहाडी और मैदानी भागों में अभावमय जीवन व्यतीत कर रही हैं इनका का जीवन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। राजस्थान मे 19 वी शताब्दी में शिक्षा साम्प्रदायिक आधार पर दी जाती है राजस्थान में जनजाति जनाधिक्य राज्य मेवाड़ एवं वागड़ राज्यों में अनेक शिक्षण संस्थाएँ भिन्न भिन्न सम्प्रदाय आर्य समाज, सनातन, जैन, मुस्लिम, इसाई धर्मावलम्बियों आदि के द्वारा स्थापित जो अपने धर्म के प्रति दायित्व का निर्वहन कर शिक्षा प्रदान करती थी इन शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य मात्र सम्बन्धित धर्म के मूल्यों

का ही अध्ययन व अध्यापन कराना था। इन शिक्षण संस्थाओं में जनजातियों को शिक्षा देना लक्षित नहीं था क्योंकि जनजातियों को इन धर्मों में असभ्य, जंगली व अस्पृश्यता के कारण शिक्षा ग्रहण में प्रयुक्त नहीं मानते थे।

स्वतंत्रतापूर्व शिक्षा का मुख्यतया आधारभूत ढाँचा हिन्दू संस्कृति पर आधारित था। अतः राज्य की अधिकांश जनता हिन्दू थी। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रारम्भिक केंद्र परिवार रूपी पाठशालाओं में प्रारंभ हुआ करता जिन्हें चौकी, पासोल व पाठशाला आदि नामों से जाना जाता था। राजनगर में ऐसी ही पाठशाला जहां लड़के वेद, साहित्य, पुराण, व्याकरण, नीति, विज्ञान, ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त करने आते उनसे किसी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं था। राजकुमारों को न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण ज्ञान और सैनिक शिक्षा के साथ राजनीति की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। पुस्तकें हस्तलिखित एवं पाठशालाएँ दिन एवं रात में लगती थी। मुस्लिम शिक्षा भी प्रचलन में थी अतः जनजातियों में शिक्षा का प्रसार न के बराबर था।

प्राचीन एवं मध्यकाल में हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म से प्रभावित शिक्षण संस्थाएँ अपना अस्तित्व बनाएँ हुए थी, समय समय पर शिक्षण संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन होते रहे, किन्तु शिक्षा का लक्ष्य धर्म से ही प्रभावित रहा। धार्मिक शिक्षा का अध्ययन करने का अधिकार केवल कुलीन वर्ग तक ही सीमित था, जनजातियों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं होने से परिवार ही बालक की शिक्षा का प्राथमिक पाठशाला हुआ करता था, और परिवार के माध्यम से ही बालक सामाजिक रीति-रिवाज के अतिरिक्त अक्षर ज्ञान एवं हिसाब किताब आदि का ज्ञान प्राप्त करता था, वर्ण व्यवस्था में शिक्षा के लिए क्षत्रिय और वैश्य ही योग्य माने जाते थे। इन्हीं वर्णों में वंशानुगत शिक्षा दी जाती थी, जनजातियों के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता था। बालक की प्राथमिक शिक्षा की शुरुवात परिवार से होती थी अतः परिवार के वृद्धजन की जनजाति मूलक शिक्षा ही महत्वपूर्ण होती थी।

ब्रिटिश काल सन 1818 की जनगणना में आदिवासियों का असहयोगात्मक एवं असभ्य व्यवहार के कारण इनकी गिनती नहीं की जा सकी। इन्हीं कारणों से जनजातियों में शिक्षा के अलावा अन्य विकास के मार्ग भी अवरूढ़ रहे तथा कालान्तर में जनजातियों में शिक्षा प्रारंभ करना असंभव कार्य था स्वतंत्रता पूर्व मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह के शासन काल में 13 जनवरी 1818 को ब्रिटिश शासन में सन्धि की गई इस सन्धि के पश्चात भी जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर मौलिकता का अभाव रहा। जनजातियों को ही नहीं अन्य समाज को भी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इनका मानना था कि इनको शिक्षा प्रदान कर दी गई तो हमारे शासन की अवनति हो जायेगी क्योंकि शिक्षा विवेक एवं तर्क को जन्म देती है और लोगों में जागरूकता पैदा करती है। शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध शहरों एवं बड़े कस्बों तक ही होता था इसी वजह से शिक्षा गांवों तक नहीं पहुँच पाई थी। गांवों में शिक्षा की पहुँच नहीं होने से पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के लिए शिक्षा के बारे में सोचना कल्पनामत्र ही था। इसका दुस्र परणाम आज भी जनजातियाँ भुगत रही हैं सन 1885 तक जनजातियों में शिक्षा का सुत्रपात भी नहीं हो पाया था, इनके लिए शिक्षा प्रारंभ करने में अथक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हाँलाकि सन 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये अनुदान स्वीकृत किया। तत्कालीन समाज में रियासती शिक्षा का प्रबन्ध उच्च वर्ग व शाही परिवार तक ही सीमित होता था देशी विद्यालय रियासत के बड़े मुख्यालय व ठिकानों पर खोले गये, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की पहुँच नहीं होती थी, क्योंकि शासकों का लक्ष्य ही नहीं था।

सन 1885 के आसपास महाराजाओं एवं ठिकानेदारों के प्रयासों से जनजातियों के लिए शिक्षा का प्रारम्भ किया गया। मेवाड़ के महाराणा द्वारा झाड़ोल, जावर, कोटड़ा, ऋषभदेव आदि क्षेत्रों में जनजातियों को शिक्षा हेतु पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी। मेवाड़ भील कोर द्वारा जनजातीय बच्चों को आशापुरा, खैरवाड़ा, उदयपुर, कोटड़ा, स्थित भील होम स्कूल एवं विद्यालयों में शिक्षा प्रारंभ हुई लेकिन ये विद्यालय जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में अल्पमात्र थे। अतः जनजातिय व्यापक क्षेत्र में शिक्षा के पुरजोर प्रयास भी नहीं किये गये और इनके व्यवहार, बोली भाषा को समझने योग्य अध्यापकों का होना भी नितांत आवश्यक प्रतीत होता था।

जनजाति शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश मिशनरियों एवं अनेक समाज सुधारक गोविन्द गुरू, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पण्डया के अथक प्रयासों से प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म प्रचारक विविन्न जनजाति प्रदेशों में गये और 1877 में डॉ. शेफर्ड ने मिशन के माध्यम से मेवाड़ में भीलों के उत्थान के लिए कार्य आरम्भ किया। उनकी शिक्षा के प्रति अभिरूची को देखते हुये महाराणा सज्जनसिंह ने उन्हें राज्य शिक्षा समिति का सदस्य मनोनित किया जिसके माध्यम से सर्वप्रथम खैरवाड़ा में मिशनरी विद्यालय की स्थापना की। इसी क्रम में स्कॉटिश प्रेस बिटेरिअन मिशन ने 1886 में उदयपुर में जनजातियों के लिए भील होम स्कूल नामक विद्यालय जो एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, जो दक्षिणी राजस्थान में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था, इसी संस्था के माध्यम से खैरवाड़ा व पीपली में जनजाति छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय शुरू किये गये जो रियासती शासनकाल में जनजातियों में शिक्षा के प्रसार को गति प्रदान करने एवं समाज कल्याण कार्य जैसा प्रतीत होता है। 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में ठोस नीतिगत निर्णय होते गये यूनीसेफ आई.एल.ओ. यू.एन.एफ.पी.ए. और यूनेस्को जैसी संस्थाएँ करोड़ों रुपये आदिवासी शिक्षा पर व्यय कर रही हैं। शिक्षा का अधिकार कानून राज्य में क्रियान्वित हो रहा है आदिवासी समुदाय पर इसके प्रभाव एवं समाज में शिक्षा के स्तर में आये बदलाव को देखना भी होगा। जनजाति समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार को बल मिलता गया। वर्तमान में कुछ जनजातियाँ शिक्षा प्राप्त करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि सामंती और पूँजीवादी से लड़ने का हथियार शिक्षा है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है। आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके जीवन में शिक्षा की ज्योत जलानी है। ज्ञान व शिक्षा के बगैर जीवन का अधिकार निरर्थक है।

सामाजिक समस्याएँ

- जनजाति क्षेत्र में व्यापक गरीबी और भूखमरी से मानव स्वास्थ्य ठीक नहीं।
- जनजाति समूह में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन।
- बीमा एवं बैंकिंग का प्रचार-प्रसार व व्यापक ज्ञान ना होना।
- नवयुवकों में अकुशलता और इनके समाधान का अभाव।

- बेरोजगारी का अधिक होना।
- जनजाति समुदाय में सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नशा-खोरी का प्रचलन अधिक होना।
- जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च होने से मूलभूत सुविधाओं का अभाव से आर्थिक प्रगति कम है ।
- पहाड़ी गांव होने से मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में कठिनाई।
- असिंचित भूमि अधिकांश पहाड़ी ढलानों पर होने से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं।
- खेतीहर भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होना
- परम्परागत पंचायतों का कमजोर होना और न्यायालयों में मुकदमे बाजी।
- जीवन कौशल विकास शिक्षा का अभाव और स्वरोजगार की संभावनाएं कम होना।
- खराब व प्रदूषित पेयजल का उपयोग करने से गम्भीर बीमारियाँ पैदा होना।
- छित्री आबादी होने से शिक्षण संस्थाओं का व्यापक प्रसार नहीं होना।

भारत का हर बच्चा और नागरिक, शिक्षित हो यह सपना आधुनिक भारत के समाज सुधारक व निर्माताओं ने देखा था। जनजातियों के शैक्षिक विकास के प्रसार में स्थानीय समाज सुधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है समय समय पर तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं की भूमिका भी अविस्मरणीय है इन्हीं की बदौलत बहुमुखी जनजातियों ने विकास के केवल निम्नस्तर को छुने के साथ-साथ शिक्षा व रोजगार की तरफ कदम बढ़ाकर एक सभ्य समाज में कदम रखने की शुरुवात कर दी है और उच्च पद तक भी पहुँच है मगर वह भी कुछ गिने चुने लोग ही है पर यह भी एक अच्छी शुरुवात मानी जा सकती है।

संदर्भ सूची:

1. सिंघल, ज्ञानेश्वर प्रसाद. शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में मेवाड़ के शासकों का योगदान, एक ऐतिहासिक अध्ययन (1433-1950) 1997
2. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद (1999)
3. शेफर्ड जी.सी. शेफर्ड ऑफ उदयपुर,
4. डॉ.माथूर, कमलेश. मेवाड़ में शिक्षा का विकास
5. डॉ.चौहान, यशपाल सिंह. जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की दशा एवं दिशाएँ,(2006), अंकुर प्रकाशन, उदयपुर
6. वार्षिक प्रतिवेदन: 2008-2009, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7. शर्मा, भगवती प्रसाद. मेवाड़ के ठिकानों में शिक्षा का विकास एवं प्रगति (1901-1991), 2001
8. <http://newswriters.in>tribal-commu>

नारी सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० आरती मीणा

असिस्टेंट प्रोफेसर, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में नारियों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। कहीं पर नारी को गृह की स्वामिनी¹ माना गया है और कहीं उसे प्रत्येक अवस्था में क्रमशः पिता, पति तथा पुत्र के अधीन स्वीकार किया गया है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन में नारी की स्थिति विरोधाभासपूर्ण रही है। सृष्टि के आदिकाल से ही नारी पुरुष के लिए आकर्षण की वस्तु रही है। पुरुष नारी के विषय में चिन्तन करता है, मनन करता है और नारी के प्रत्येक पक्ष को लेकर उसने अपने विचार व्यक्त किये हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक साहित्य में नारी के सम्बन्ध में अनेक धारणाएँ उपलब्ध होती हैं। नारी के सौन्दर्य ने किसी को मदोन्मत्त किया तो कोई इसे विष की बल्लरी कह कर इससे दूर रहने का संकेत करता है, कोई इसे विश्व के सभी मांगलिक कृत्यों की स्रोतस्विनी कहता है और कोई नारी को धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न मानकर अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है। कहीं पर 'ऐसे स्थानों पर देवताओं के रमन करने की बात कहीं गयी है जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता हो'² और अन्यत्र कहा गया है कि 'स्त्री रत्न के समान संसार में और कोई रत्न नहीं'³ कहीं पर नारी की अत्यन्त निन्दा की गयी है।⁴

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में नारी के पुरुष के साथ विविध सम्बन्ध बनते हैं जिसके आधार पर नारी के विविध रूप और नाम पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर बनते हैं यथा-माता, बहन, पुत्री, पत्नी। पत्नी, माता के रूप में नारी का पुरुष द्वारा सम्मानित एवं दैवीय स्वरूप दिखाई देता है, बहन एवं पुत्री के रूप में वह प्रेम की पात्र है और पत्नी के रूप में वह अपने पति के सर्वस्व की स्वामिनी है। अर्थात् नारी प्रत्येक रूप में पुरुष द्वारा संरक्षण, सहानुभूति और सम्मान प्राप्त करती है।

नारी से बधू के रूप में सास श्वसुर की सेवा शुश्रूषा करने, पत्नी के रूप में पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करने तथा माता के रूप में सन्तति का पालन पोषण करने की अपेक्षा की जाती है यह अवधारणा आज के युग की नहीं अपितु हजारों वर्ष पूर्व वैदिक युग में भी थी, जब स्त्री घर की चार दिवारों के भीतर रहती थी और फिर स्मृति काल, महाकाव्यकाल में भी स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती रही। आज जबकि स्त्री पुरुष के समान घर से बाहर निकल कर प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत है तो भी उसके गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों में कमी नहीं आयी है।

नारी शब्द के लिए मेना, स्त्री, म्ना, योषा, नारी, वामा, अबला, सुन्दरी, दुहिता और दारा आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं।⁵ कोशग्रन्थों की जब हम बात करते हैं तो शब्दकल्पद्रुम में स्त्री के चार भेदों का लक्षण सहित वर्णन किया गया है-

1. पद्मिनी - भवति कमलनेत्रा नासिकाक्षुद्रन्ध्रा
अविरलकुचयुग्मा दीर्घकेशी कृशांगी।
मृदुवचन सुशीला नृत्यगीतानुरक्ता,
सकलतनु सुपेशा पद्मिनीपद्मगन्ध्रा।
2. चित्रिणी - भवति रतिरसज्ञा नातिदीर्घा न खर्वा,
तिलकुसुमसुनासा स्निग्धदेहोत्पलाक्षी।
कटिबधनकुचाटया सुन्दरी सा सुशीला,
सकलगुणविचित्रा चित्रिणी चित्रवत्तत्र।
3. शंखिनी - दीर्घा सुदीर्घनयना सरसुन्दरी या,
कामोपभोगरसिका गुणशीलयुक्ता।
रेखात्रयेण च विभूषित कण्ठदेशा,
सम्भोगकेलिरसिका किल शंखिनी स्यात्
4. हस्तिनी - स्थूलाधरा स्थूलनितम्बभागा,
स्थूलाङ्गुली स्थूलकुचा सुशीला।
कामोत्सुका गाढरतिप्रिया च,
नितम्बखर्वा खलु हस्तिनी सा।।

उपर्युक्त वर्णनों से स्पष्ट है कि नारी शब्द के पर्यायवाची शब्दों की संख्या अत्यधिक है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्रात्मक देश है, ईश्वर अर्थात् अध्यात्म शक्ति के प्रति जो आस्था, श्रद्धा यहाँ दिखाई देती है वह विश्व के किसी भी अन्य देश में दुर्लभ है। सदियों से इस देश में नारी को देवी तुल्य मानकर उसकी पूजा की जाती रही है किन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी भारतीय समाज में पुरुष और स्त्री में भेद किया जाता है। स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है जिसके फलस्वरूप दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, अशिक्षा, नारी उत्पीड़न में बढ़ोतरी देखी जा सकती है चूँकि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथापि अनेक क्षेत्रों में अभी भी नारी की स्थिति यथावत् ही है। उसकी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आया है, इसलिए नारी सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है अर्थात् नारी वह योग्यता प्राप्त कर सकें, जिससे परिवार और समाज के बंधनों से निकलकर स्वयं के जीवन के निर्णयों की निर्माता बन सकें। श्री रविशंकर का कहना है कि “यदि महिलाओं को सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता जैसे विकारों से छुटकारा पाना है तो इसके लिए महिला सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है।”

नारी की भूमिका को जब हम आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के सन्दर्भ में देखते हैं तो पता चलता है कि वैदिककालीन समाज से लेकर वर्तमान समय तक नारी ने अपने वास्तविक स्वरूप को बदल लिया है। शिक्षा समस्त सामाजिक कुरीतियों और अज्ञान को दूर करने का माध्यम है इसलिए भारतीय समाज सुधारकों ने शिक्षा पर अधिक बल दिया जिसके फलस्वरूप पुरुषों के ही समान महिलाओं को भी शिक्षित किया जाने लगा। आज शिक्षित महिलाओं ने न केवल स्वयं को सभी क्षेत्रों में समर्थ बनाया अपितु समूची नारी जाति के जीवन स्तर को भी सशक्त बनाया है। आज नारी आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं चाहे राजनीतिक क्षेत्र हों या धार्मिक क्षेत्र।

महिला सशक्तिकरण की बात जब हम करते हैं तो देखते हैं कि आज भी हमारे भारतीय समाज में अनेक ऐसे रीति रिवाज, परम्पराएँ व मान्यताएँ हैं जो महिलाओं की प्रगति, उन्नति और समृद्धि में रुकावट का कार्य करती हैं और हमारे समक्ष एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देती हैं, यह समस्याएँ हैं –

- लैगिंग भेदभाव
- अशिक्षा
- बाल विवाह
- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध जैसे बलात्कार
- कन्या भ्रूण हत्या
- दहेज प्रथा
- कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण आदि।

उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण कानून 2001, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती प्रथा अधिनियम आदि को लागू किया।

नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है नारी और पुरुष की समानता पर बल। भारत सरकार द्वारा नारी को सशक्त और स्वावलम्बी बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कि निम्नानुसार हैं-⁶

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**– लड़कियों के कल्याण और पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 2015 में इस योजना को चलाया गया था। इस योजना के तहत लड़की और उसके परिवार को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- **नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन**– 15 अगस्त, 2011 में शुरू किया गया यह मिशन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार – दोनों ही स्तरों पर प्रारंभ किया गया था। इस मिशन की मदद से नारियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है।
- **कार्य महिला छात्रावास योजना**– घर-परिवार से दूर रहकर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कामकाजी महिला को रहने की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, महिला बिना किसी भय के सरकार द्वारा खोले गए इन छात्रावासों में रहकर अपनी नौकरी जारी रख सकती है।
- **महिला हेल्पलाइन योजना**– इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। हिंसा से प्रभावित महिलाएँ 24 घंटे टोल-फ्री टेलीफोन सेवा पर फोन कर मदद मांग सकती हैं, कोई भी महिला कभी भी 181 नम्बर पर फोन कर किसी भी प्रकार की सहायता पुलिस और सरकार से ले सकती है।
- **वन स्टॉप सेन्टर योजना**– घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध करवाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित अन्य सहायता भी प्रदान की जाती है।
- **स्वाधार गृह योजना**– इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियों को रहने के लिए आवास दिए जाते हैं, जो लड़कियाँ बेघर हो चुकी हैं उनके लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उन्हें उपलब्ध करवायी जाती हैं।
- **राजीव गाँधी राष्ट्रीय आंगनवाड़ी योजना**– ऑफिस में कार्यरत महिलाओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जो महिलाएँ एकल परिवार में रहती हैं वहाँ कार्यस्थल पर जाने के पश्चात् उनकी बच्चों की देखभाल हेतु सरकार द्वारा नर्सरी की व्यवस्था की गई है। यहाँ उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी और शाम को अपना काम खत्म करके महिलाएँ बच्चों को वापस अपने साथ घर ले जा सकेंगी, इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 मई, 2016 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन-बेहतर जीवन के नारे के साथ हुई थी। इस योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सबसे उत्कृष्ट योजना माना जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे कार्य करने वाली महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना, वनों की कटाई, वायु प्रदूषण को कम करना और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकारों से मुक्ति दिलाना था।

- **सुकन्या समृद्धि योजना**– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत माता पिता को अपनी बेटी का खाता किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 वर्ष के बीच खुलवा सकते हैं तथा इस योजना के तहत माता-पिता को बेटी के 14 वर्ष की उम्र होने तक राशि बैंक में जमा करवानी होती है और 18 वर्ष होने के पश्चात् इस राशि का 50: भाग निकाल सकते हैं, 21 वर्ष होने के पश्चात् इस पूरी राशि को निकाल सकते हैं।
- **फ्री सिलाई मशीन योजना**– इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की यह योजना प्रत्येक राज्य की 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध करवाती है, जिससे कि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विवाह विच्छेद के पश्चात् नारी के पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, साम्प्रतिक अधिकार के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयत्न किए गए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को न केवल भारत सरकार के द्वारा अपितु विश्व के अनेक संगठनों के द्वारा भी महत्व दिया जा रहा है। समाज का विकास, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, गरीबी का कम होना आदि नारी सशक्तिकरण से ही संभव है।

इस प्रकार वर्तमान युग में नारी की स्थिति दिन-प्रतिदिन प्रशंसनीय रूप से उन्नत होती जा रही है। आज की नारी शिक्षा के सर्वोच्च क्षेत्र में अध्ययन कर रही है, वह विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही हैं, सैन्य शिक्षा भी वह प्राप्त कर रही है। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो नारी अबला नहीं अपितु सबला है। नारियाँ युद्ध में भाग लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। नारियाँ शक्तिसम्पन्न हैं और इन्होंने इसे प्रमाणित भी किया है यथा -

“रथीरभूमुद्गलानी गविष्टौभरेकृता”

अध्यापिका, राजकीय कर्मचारी, व्यापार से लेकर संसदीय क्षेत्र तक में नारी ने स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करके उसने दिखा दिया है कि प्राचीन काल की भारतीय नारी में जो गुण विद्यमान थे, नारी ने उन्हें अभी तक खोया नहीं है, यद्यपि वे कुछ समय के लिए क्षीण पड़ गये थे। सरकार और लोगों में नारी के प्रति जागरूकता के परिणामस्वरूप ही सतत प्रयत्नों से आज की नारी स्वच्छन्द वातावरण में जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. भारतीय समाज एवं संस्कृति में स्त्री धर्म-डॉ. श्रीपति त्रिपाठी, आदित्य बुक सेन्टर, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2008।
2. संस्कृत महाकाव्यों में नारी के अधिकार एवं कर्तव्य-मंजू शर्मा, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2003।
3. संस्कृत वाङ्मय में नारी चित्रण-गंगा सहाय शर्मा, राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2012।
4. महिला सशक्तिकरण और भारत-राकेश कुमार आर्य, डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा.लि.), नई दिल्ली, 2020।
5. महिला सशक्तिकरण सम्पूर्ण पहलू-कृष्ण चन्द्र चौधरी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
6. महिला सशक्तिकरण-इन्द्रराज सिंह, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, प्रथम सं., 2020।

फुटनोट

1. ऋग्वेद, 3/53/4
महाभारत, 12/46/14
2. यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता।
3. न स्त्रीरत्नसम रत्नम्। चाणक्य सूत्र, 312
4. यदि जिह्वा सहस्रं स्याज्जीवेच्च शरदां शतम्।
अनन्यकर्मास्त्रीदोषाननुक्त्वा निधनं ब्रजेत्॥ महाभारत, 12/14/9
5. (क) मेनां मुनीनामपि माननीयाम्। कुमारसम्भवम्, 1/18/, 5/5
(ख) संस्कृत हिन्दी कोष, पृष्ठ सं. - 841
(ग) महाभाष्य, 4/4/9
(घ) या पुनः पूज्यमाना तु देवादीनां तु पूर्वतः।
यज्ञभागं स्वयं धत्त सा वामा तु प्रकीर्तिता। कालिकापुराण, अ. 77
6. विकीपीडिया

आत्मनिर्भर भारत में उच्च शिक्षा का महत्त्व

राशिदी रुकैया

असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड., बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा

सार

आत्मनिर्भर का अर्थ है दूसरों पर निर्भर ना होना। आत्मनिर्भर भारत मूल रूप से भारत में कोविड-19 महामारी के समय तैयार किया गया एक शब्द है। यह शब्द पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि है कि हमारे देश में ही सभी जरूरी वस्तुओं का उत्पादन शुरू करके भारत और भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत दुनिया के प्राचीन देशों में अपना एक विशेष स्थान रखता। यहां की संस्कृति रंग, ढंग और कला को देखकर यह साबित कर सकते हैं कि भारत पहले से आत्मनिर्भर रहा। आत्मनिर्भर का सही अर्थ हम जाने तो इसका यही मतलब है कि स्वयं के हुनर पर ही खुद का विकास और सुदृढ़ होना। चाहे वह विकास छोटे स्तर से हो या फिर बड़े स्तर पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जहां एक और उच्च शिक्षा की वर्तमान खामियों को दूर करने के प्रावधान हैं। तो दूसरी ओर 21वीं सदी के बदलते हुए भारत की आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी भी।

प्रस्तावना

वास्तव में स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता है मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति इच्छाओं को सुविधा अनुसार पूरा कर पाता है। उसे इसके लिए दूसरों के सहयोग की कतई आवश्यकता नहीं पड़ती है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सबसे पहली बार सार्वजनिक उल्लेख किया। जब वह कोरोनावायरस विश्व मारी संबंधित एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएं की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की। उच्च शिक्षा द्वारा युवकों को अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने योग्य बनाया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही प्रायः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से भी उच्च शिक्षा का बड़ा महत्व है। उसकी बड़ी आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए यह नितांत आवश्यक है की भावी पीढ़ी को कौशल युक्त उच्च शिक्षा प्रदान करें जिससे आज का नवयुवक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ

आत्मनिर्भर का सही मतलब तो यही होता है कि कोई भी व्यक्ति गांव या देश किसी दूसरे के सहारे या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होकर खुद पर निर्भर रहे। आत्मनिर्भर होना खुद के लिए अपने गांव, शहर, जिले और देश के लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारा शहर या देश आप निर्भर रहेगा तो हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे पर निर्भर है। हर काम या अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे की मदद की गुहार करता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी कमी है उसे खुद पर निर्भर होना चाहिए ना की किसी दूसरे पर। आसान शब्दों में बात करें तो लोकल सामग्री का उपयोग करना है आत्मनिर्भर का एक रूप है। आत्मनिर्भर भारत के उदाहरणों में मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग द्वारा प्राप्त सामग्री, खेती आदि शामिल है। इन सभी के सहयोग से हम अपने शहर से छोटे शहरों और गांवों में इसको पहुंचाकर राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान दे सकते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद छात्रों के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से विश्वविद्यालयों के स्तर के संस्थानों और कालेजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात केवल 25.2% है जो विकसित और अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। भारत में उच्च शिक्षा रोजगार की कमी और शिक्षा के निम्न गुणवत्ता के कारण कौशल विकास से ग्रस्त है।

भारत में उच्च शिक्षा की उपलब्धता

भारत सदियों तक विदेशियों के अधीन रहा, परतंत्रता के इस दौर में भारतीय शिक्षण संस्थान लगभग समाप्ति की कगार पर थे। ऐसे में देशी विदेशी लोगों के प्रयत्न से ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सुधार करते हुए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू

कर दिए। सन 1948 में उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसके बाद से उच्च शिक्षा की समीक्षा एवं इसमें सुधार के लिए समय-समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया जाता रहा। आज भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ विश्व स्तरीय संस्थान हैं। विदेशी छात्रों में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में उच्च शिक्षा के उद्देश्य

- ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो दूरदर्शी बुद्धिमान आत्मनिर्भर और बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो जो आप पर निर्भर भारत के कार्यों में सहयोग दे सकें
- व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सफल हो और आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग दे सकें
- ऐसे विकास विवेकशील नागरिक तैयार करना जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करें ज्ञान की सदा खोज करें व्यवसाय का प्रबंध करें और देश में भौतिक अभाव की पूर्ति करें।
- देश में विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास कर सकें
- ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति प्रशासन व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें
- नागरिकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकें।

उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियां

शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में अभी तक गुणवत्तापूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। आज भी हमारे उच्च शिक्षा कई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत के पास जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थानों की काफी कमी है और साथ ही इनमें शिक्षकों एवं आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। इसलिए आज भी यह सकल नामांकन अनुपात के अपने निर्धारित लक्ष्य के काफी पीछे हैं। दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है। समूचे देश के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात कितना असंतुलित है कि सोचकर ही स्थिति भयावह लगती है। नैक का शोध बताता है कि देश के 90 फिसदी कालेजों एवं 70 फिसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। कई विश्वविद्यालयों में पिछले कई सालों से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव

- सामरिक और सामाजिक चुनौतियों के उन्मूलन में विज्ञान की प्रभावी भूमिका है उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवसायिकता की अपेक्षा गुणात्मकता, समर्पण को महत्व दिया जाना चाहिए।
- वैज्ञानिक शोधों पर खर्च को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। वैज्ञानिक शोधों पर होने वाला खर्च एक तरह से निवेश है जिससे हम कई तरह से के प्रतिफल मिलते हैं।
- किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है। हमें इन कड़ियों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा तभी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आ पाएगा।
- भारत युवाओं का देश है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अहम योजनाओं को सफल बनाना है, तो इसके लिए युवाओं को सही राह दिखानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारे छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा दी जाए।

उच्च शिक्षा ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बेहद सक्रिय और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। मानविकी के विषयों में तर्क शक्ति सम्मेलन प्रेक्षण विवेचन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस समय भारत की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है। अगर इन्हें ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाए तो यह अपने बूते पर भारत को वैश्विक शक्ति बना दे सकते हैं। भारत देश को अगर सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए पढ़े लिखे तथा दक्ष कर्मियों की जरूरत है। हमें काफी बड़ी संख्या में इनकी जरूरत है और इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तनों की जरूरत। शैक्षिक संस्थान वस्तु नहीं पैदा करते हुए मनुष्य रचते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका परिष्कार और परिमार्जन करते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम किस तरह के मनुष्य की परिकल्पना कर रहे हैं? हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति और विशिष्टता के साथ उन क्षेत्रों को रेखांकित करें जिनमें प्रमाणित रूप से उसके द्वारा योगदान संभव है। देश की शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा के प्रति दृष्टि में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारें और शिक्षा विशेषज्ञ आपेक्षित शैक्षणिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाएं। निर्भर भारत के लिए हमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बदलकर रोजगार परक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो जिसमें नवीनता और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। भारत को अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी विदेशी संस्थान तो इसमें महज संयोग भर कर सकते हैं।

संदर्भ

- एमएचआरडी (2016). एनुअल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
- सिंह आरपी (2010). ओपनिंग अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी न्यूज नई दिल्ली।
- सिंह जेडी व अन्य (2001). प्रबंध व शिक्षा की समस्याएं, जयपुर रिसर्च पब्लिकेशंस।
- तिलक जन्माला (2007). हायर एजुकेशन इन इंडिया फंडिंग एक्सेस, और इक्विटी न्यूपा नई दिल्ली।
- https://www0061/NCERT_POSITION_PAPER_NATIONAL_FOCUS_GROUP_EDUCATIONAL_TECHNOLOGY_2_6?email_work_card=view-paper
- <https://www.spmrf.org/the-dream-of-a-self-reliant-india-can-be-realized-the-new-national-education-policy-2020/>
- <https://navbharattimes.indiatimes.com/india/new-education-policy-is-being-implemented-to-give-shape-to-the-resolve-of-self-reliant-india/articleshow/89242346.cms>
- <http://highereducation.mp.gov.in/?page=YaUdzi1xI9NpXhtb1tCJpg%3D%3D&orgid=1>
- <https://myvoice.opindia.com/2020/08/siksha-neeti-ya-aatmanirbhar-bharat/#bsht=CgRmYnNtEgYIAxAGA4>
- https://www.divyarashmi.com/2021/12/blog-post_749.html

आत्मनिर्भर भारत के विविध आयाम: आवश्यकता, चुनौतियां एवं समाधान

विनीता सिंह

शोधछात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश

सारांश:

किसी भी देश, समाज या व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके द्वारा अपने मुश्किल समय में हम अपनी तथा अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण में आत्मनिर्भरता हमें सुख व संतोष देने के साथ-साथ सशक्त भी बनाती है। आत्मनिर्भर से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति, के लिए दूसरों पर निर्भर ना होना। आत्मनिर्भरता एक सकारात्मक शब्द है। जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। यही बातें अपने देश पर भी लागू होती है आत्मनिर्भर भारत का प्रारंभ 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया इससे देश में छोटे तथा बड़े उद्योग आसानी से भारत में प्रारंभ हो सकते हैं। अपने देश में संसाधनों तथा प्रतिभा की कोई कमी नहीं है एक सही सोच तथा निर्णय से हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं परंतु किसी भी उद्योग के प्रारंभ करने से पहले पर्यावरण नीति को ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन को हम सही दिशा में कार्य कर अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण को बचा सकते हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण भौतिक तत्वों शक्तियों और परिस्थितियों का ऐसा समुच्चय है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारत की जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है जिससे बिजली, पानी, सड़के, यातायात की सुविधा, संसाधन इत्यादि वस्तुओं की मांग बढ़ी है। जिसकी वजह से वर्तमान समय में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख समस्याएं-ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, चिकित्सकीय कचरा, औद्योगिक कचरा व प्लास्टिक कचरा इत्यादि उत्पन्न हुई है। हालांकि कोविड काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से भारत के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार हुआ था। हमारी आज की आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को रोकें बिना प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व उन्हें बर्बाद होने से बचाना। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख चुनौती बढ़ता प्रदूषण, ओजोन का क्षरण, बढ़ता शहरीकरण, भूजल की सतह का नीचा या कम होना। भारत के पास कच्चे तेल, ईंधन तथा प्राकृतिक स्रोतों की कमी है इस कमी को पहचानते हुए भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशंसनीय सुधार किया है, सोलर पैनल लगाये जा रहे हैं तथा नागरिकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रस्तावना:

पर्यावरण मानव जीवन का मूल आधार है पर्यावरण से तात्पर्य वनस्पति जल हवा भोजन इत्यादि से है पर्यावरण का मानव जीवन से गहरा व सीधा संबंध है पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत एवं सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में देखा जाता है, पर्यावरण के अंतर्गत संपूर्ण जैविक व अजैविक तत्व समाहित किए जाते हैं। मानव प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता जा रहा है जिससे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। इससे मानव का जीना दूभर हो गया है। पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा है कि आज हम ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिस प्रकार एक पौधे के लिए उपयुक्त जलवायु प्रकाश तथा बाहरी वातावरण आवश्यक है उसी प्रकार किसी देश या संस्था की आत्मनिर्भरता के लिए वहां का पर्यावरण आवश्यक है मार्क्स के समय से ही यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति समाज एवं प्रशासन के समस्त क्रियाकलाप का स्वरूप उसका वातावरण है वातावरण संबंधी तत्व ना सिर्फ समाज में प्रभावशाली परिवर्तन लाते हैं बल्कि पर्यावरण संबंधी तत्व मानव या देश के विकास कार्यक्रमों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं वर्तमान में बढ़ते हुए जीवाश्म ईंधन रासायनिक पदार्थों परमाणु रिएक्टर का बढ़ता उपयोग जंगलों की अंधाधुंध कटाई प्रकृति का दोहन आदि न केवल पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं पृथ्वी पर बढ़ता दबाव रसायनों का अत्यधिक उपयोग वनोन्मूलन और मरुस्थलीय वृद्धि के कारण भूमि के अनेक हिस्सों की उपजाऊ क्षमता कम हुई है जहां एक ओर पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए भारत जन को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है तो दूसरी ओर पर्यावरण व मानव की आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता बढ़ रही रही है लोगों को समझ में आ रहा है कि मानव व पर्यावरण के बीच अच्छे संबंध पर उनका अस्तित्व निर्भर करता है।

आवश्यकता:

मानव जीवन के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है बिना इसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव अपने भौतिक सुखों के चलते पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने लगा।

पर्यावरण की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है इसलिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण की शिक्षा एक समाज या समूह तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण को बचाने की जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य को इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करना होगा कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। पर्यावरण के लिए जनसमूह को जागरूक होने की आवश्यकता है पर्यावरण को बचाने के लिए स्वच्छता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्लास्टिक की थैली आदि से जो गंदगी व प्रदूषण फैल रहा है वह एक चिंता का विषय है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यावरण संसाधनों के दोहन तथा अनियंत्रित उपयोग ने मानव जाति के समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं जैसे-प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, मृदा क्षरण, जीवों की विविधता में कमी इत्यादि। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु जनसमूह को इन समस्याओं के कारण एवं उसके दुष्प्रभाव की आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण को जानने की आवश्यकता है। साथ ही सभी समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली नीतियों, उपायों एवं कार्यक्रमों से परिचित होने की आवश्यकता है।

वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संसाधनों के दोहन तथा उसके अनियमित उपयोग ने पृथ्वी पर जीवन को तेजी से कम कर दिया है ऐसी कई पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई हैं जो मानव जाति तथा अन्य जीवों के होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। समय रहते यदि इन समस्याओं पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह मानव तथा पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

अतः यह समय की मांग है कि जनसमूह को पर्यावरण व मनुष्य के पारस्परिक निर्भरता के निहितार्थ की समझ हो, वे परिस्थितिक विनाश और मानवीय स्थिति के बिगड़ते संबंधों को समझने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने। पर्यावरण शिक्षा जनसमूह में ऐसे कौशल मूल्यों का विकास करती है जो उन्हें समस्याओं को समझने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करें।

भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरणीय संसाधनों के पुनर्निर्माण के दर को बढ़ाया जाए तथा साथ ही किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पहले उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर तो बना ले पर इसे रहने लायक ना छोड़ें। प्रायः देखा गया है कि जो देश प्रगति करने लगता है वह पर्यावरण की सुरक्षा के साथ समझौता कर लेता है हमें अपने देश के औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का भी पालन करना होगा।

वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियां:

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पथ पर हमारे समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं इसमें सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण की है विज्ञान ने जैसे-जैसे प्रगति हासिल की है वैसे वैसे पर्यावरण की चुनौतियां हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं आज हम मनुष्यों ने अपने पर्यावरण को इतना अधिक दूषित कर दिया है कि यहां जीवन जीना दूषित होता जा रहा है मानव ने संसाधनों का सर्वाधिक दुरुपयोग किया है वर्तमान समय में आत्मनिर्भरता की आड़ में मनुष्यों ने स्वयं को मशीन का पुर्जा बना दिया है जिसके कारण पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं यही समस्याएं भारत के लिए चुनौती का कार्य कर आत्मनिर्भरता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है वर्तमान समय में भारत के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां

जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने से रोकने में सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि किसी भी देश की वर्तमान स्थिति का आँकलन उसके आर्थिक विकास व जनसंख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि ने हमारे लिए बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, कुपोषण, अपराध, ईंधन जैसी गंभीर समस्या को उत्पन्न किया है। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण जन्म और मृत्यु दर में अंतर, गरीबी तथा अशिक्षा का होना है। 1970 के दशक में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा था “गरीबी स्वयं सबसे बड़ा प्रदूषण है।”

जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर समस्या में भारत जैसे विशाल देश में प्रदूषण की समस्या को सबसे अधिक बढ़ावा दिया है। प्रदूषण बढ़ने के कारण हमारे आसपास कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्या ने जन्म ले लिया है।

पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। प्रदूषण से न केवल पर्यावरण का हास हुआ है बल्कि स्वास्थ्य समस्या के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थतंत्र को भी क्षति पहुंचती है। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी ही निर्दयता के साथ दुरुपयोग कर रहा है। जिसके फलस्वरूप भूमि में विषैले पदार्थों की वृद्धि, जल स्तर में गिरावट के साथ साथ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2080 तक 3 अरब 20 करोड़ लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा जिससे महामारी में तीव्रता से वृद्धि होगी जिस से निजात पाने में हमारे पास संसाधन नहीं होंगे।

मानव अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता जा रहा है मानव अपने रहने के लिए घर बनाने हेतु जंगलों एवं वृक्षों की कटाई करता जा रहा है। भोजन के लिए पशुवध हो रहा है तथा पशुपालन में कमी आती जा रही है। जिससे पारिस्थितिकीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है इसका सीधा प्रभाव जीव-जंतु व वनस्पति पर पड़ रहा है।

समाधान:

भारत को आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में पर्यावरण से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पहले उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। हमें अपने देश में उद्योग धंधे को बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का पालन करना चाहिए। भारत सरकार ने भी पर्यावरण की रक्षा का दायित्व लिया है।

पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय संसद ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर अनुच्छेद 48 (क) जोड़ा तथा उसमें यह कहा गया कि “राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।” साथ ही अनुच्छेद 51(g) जोड़ा गया जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि “वह जंगलों, झीलों, नदियों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास करें।”

कारखानों, उद्योगों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए।

जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संसाधनों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थों को जल स्रोतों में मिलाने से रोका जाना चाहिए।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षक के बिना भारत का आत्मनिर्भर बनाना एक चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण में न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है बल्कि यह ऊर्जा के संरक्षण को भी प्रदर्शित करता है। यदि ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय रूपों को बदलने के लिए अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन) के सभी रूपों का उपयोग किया जाता है तो हमारे पर्यावरण में सकारात्मक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा (ईंधन, बिजली इत्यादि) को फिर से भरने में समय लगता है। यही कारण है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त उपयोग किए जा रहे पर्यावरण संसाधनों को पुनर्नवीनीकरण के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए जैसा कि 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा था कि कोयला से गैस बनाने के लिए बेहतर व आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोयले से बनने वाली गैस का उपयोग यातायात व रसोई के लिए हो जाएगा। वर्ष 2030 तक 100 मिलियन कोयला को गैसिफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कारणों के साथ ही पर्यावरण में प्रदूषण को भी कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। कम ईंधन खपत करने वाले वाहनों का उपयोग पर्यावरण के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है।

पॉलिथीन प्लास्टिक इत्यादि उत्पादों के उपयोग से बचकर पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए।

भारत अपनी जरूरत का लगभग 17% कच्चा तेल को पैदा करता है बाकी का 83% तेल आयात करता है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए आयात की मात्रा को कम कर निर्यात को बढ़ाया जाना चाहिए।

वन या वृक्ष देश की प्रगति के द्योतक हैं। वनों का राष्ट्र के पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है इसलिए अधिक मात्रा में वृक्षारोपण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

निष्कर्ष:

विश्व के अन्य देशों की भांति भारत भी पर्यावरण से सम्बन्धित अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या न केवल पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है बल्कि मानव अस्तित्व के लिए एक खतरा भी है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और विभिन्न विकास योजनाओं ने पर्यावरण का संकट उत्पन्न किया है। चरागाह नष्ट हो रहे हैं जिससे चारा जुटाने का भार जंगलों और खेती की जमीन पर आ गया है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अवशिष्ट द्रव्य भूमि की गुणात्मकता को समाप्त कर देता है। अत्यधिक पेड़ों की कटाई से भू-क्षरण की समस्या उत्पन्न हुई है।

उपरोक्त सभी कारण भारत को आत्मनिर्भर बनने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। भारत आत्मनिर्भर तभी बन सकेगा जब वह हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर होगा जैसे कि भारत में उत्पन्न संसाधनों से बनी वस्तुओं का उपयोग भारत ही करे। आत्मनिर्भर भारत के लिए यहां के उद्योगों में सुधार करना होगा, युवाओं को रोजगार, गरीबी को समाप्त करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही भारत अपनी जरूरत की अधिकांश वस्तुओं को अपने ही देश में तैयार करेगा तभी आत्मनिर्भर बनेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- सिंह, डॉ० शालिनी “पर्यावरण शिक्षा” ठाकुर पब्लिकेशन प्रा. लिमिटेड, लखनऊ, 2017
- विशवाल, तपन “अंतरराष्ट्रीय संबंध” ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2017
- ओझा, एस० के० “पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण” बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, 2016
- गोयल, डॉ० एम. के. “पर्यावरण शिक्षा” श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2 2016
- शुक्ला, डॉ० संजीव कुमार, सिंह, डॉ० दीपशिखा “पर्यावरणीय शिक्षा” साहित्य प्रकाशन, आगरा-2022
- <https://truncicle.Com/environmental-protection-atmnirbhar-bharat/?Amp>
- <https://jankriti.com/paryavaran/>
- Latest law.com
- <https://www.mlsu.ac.in/econ>
- Kaur, dr.H. Environment and ecology , pragati prakashan, meerut, 2009.

आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास: राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज का योगदान

नीरज वर्मा

शोध अध्ययन, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

डॉ० अखिलेश

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, रामनगर पी० जी० कालेज रामनगर, बाराबंकी (उ०प्र०)

सारांश

शिक्षा एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो मानवीय जीवन को बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न बनाती है। शिक्षा विहीन मनुष्य का जीवन एकांगी व नीरस होता है। बिना शिक्षा के न तो नैतिकता का बोध होता है और न ही भौतिक जगत का। शिक्षा ही शक्ति और समृद्धि का मूलधार है। सुदृढ़ शासन और प्रगति का मुख्य आधार ही शिक्षा है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपना ध्यान समाज की शिक्षा पर केन्द्रित किया।

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्रपति शाहूजी महाराज द्वारा शिक्षा में किये गए योगदान का विश्लेषण किया गया है। इसमें उनके द्वारा सभी के लिए शिक्षा का विचार, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, महिला शिक्षा, कृषि शिक्षा, शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाई गई रणनीति, जन शिक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास सम्मिलित हैं।

शब्द कुंजी

प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक समता व न्याय, आरक्षण

प्रस्तावना

प्लेटो ने अपनी चर्चित किताब 'रिपब्लिक' में एक ऐसे राजा की कल्पना की है जिसमें दार्शनिक जैसी मानवीय गरिमा, साहस और राजनीतिक श्रेष्ठता एवं बौद्धिकता का मेल हो। उसका कहना था कि ऐसा राजा मानव जाति को तमाम अभिशाप से मुक्त कर सकता है और अंधेरे से निकाल कर रोशनी की ओर ले जा सकता है। भारत में ऐसे राजाओं की गिनी-चुनी मिसालें ही हैं। उनमें से एक हैं-छत्रपति शाहूजी महाराज (26 जून, 1874- 6 मई, 1922), जिन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर की करीब 90 प्रतिशत आबादी को उन सभी अभिशापों से मुक्त करने के लिए ऐसे ठोस एवं निर्णायक उपाय किए, जो अभिशाप उनके ऊपर जाति व्यवस्था ने लाद रखे थे। उन्नीसवीं सदी में सामाजिक-धार्मिक सुधारों को करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी।

हर काल में क्रांति चाहे सामाजिक रही हो या आर्थिक अथवा राजनीतिक क्रांति के हर सूत्रधार को परंपरा जीवित जड़ता में ग्रस्त प्रतिद्वंद्वियों का कठोर विरोध भी झेलना पड़ता है इसके साथ सामान्य लोक भावना भी क्रांतिकारी पुरुषों का साथ देने में हिचकिचाती हैं। संसार के विभिन्न देशों के क्रांतिकारियों को विरोध का अभिशाप निरंतर सहना पड़ा किंतु इसी के साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि क्रांति के छोटे-छोटे स्फुलिंग अंततोगत्वा भीषण ज्वाला का रूप धारण करते हैं तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भस्म कर एक नए समाज की रचना करते हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज ने जब तत्कालीन धर्म के ठेकेदारों से सामाजिक समानता की बात कही तो वे उनका विरोध करने पर उतर आए। छत्रपति शाहूजी जातियों और वर्णों में खंडित भारत को सामाजिक समानता तथा भेदभाव रहित अखंड राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अस्त्र के रूप में चुना। उनका मानना था कि शिक्षा ही शक्ति और समृद्धि का मूलधार है। सुदृढ़ शासन और प्रगति का मुख्य आधार ही शिक्षा है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपना ध्यान समाज की शिक्षा पर केन्द्रित किया। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपनी राजगद्दी के लोभ का सर्वथा त्याग किया और अपने राज्य में दलितों, पिछड़ों, निर्बल और अछूतों की शिक्षा व सामाजिक समानता के लिए आजीवन संघर्षरत रहे।

जीवन परिचय

छत्रपति शाहूजी का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर रियासत के रीजेंट जयसिंहराव अप्पा घाटगे के घर माता राधाबाई की कोख से कुर्मी (कुन्वी) जाति में हुआ था। शाहूजी के बचपन का नाम यशवंत राव था। जब ये केवल तीन वर्ष थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता जयसिंहराव अप्पा घाटगे

ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कोल्हापुर में ही की थी। यशवंत राव को कोल्हापुर रियासत के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनंदीबाई ने 17 मार्च सन 1884 को गोद लिया था। शाहूजी ने अपनी उच्च शिक्षा राजकुमार कॉलेज, राजकोट में पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधि सर स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रशासनिक मामलों की शिक्षा ली। 20 मार्च 1886 को इनके पिता अप्पा घाटगे की मृत्यु हो गयी। 2 अप्रैल 1894 को शाहूजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए और राज्यसत्ता संचालन के सभी अधिकार अपने हाथों में लिए, इससे पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक रीजेंसी काउंसिल राज्य के मामलों का ध्यान रखती थी। उनके राज्यारोहण के दौरान यशवंतराव का नाम बदलकर शाहूजी महाराज कर दिया गया। उनका विवाह 1891 में बड़ौदा के मराठा सरदार गुंजीराव खानविलकर की पुत्री लक्ष्मीबाई खानविलकर से हुआ था। शाहूजी दंपति के चार संतानें थीं। शाहूजी आजीवन बहुजनों को सामाजिक समानता और न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। इस महामानव का निधन 06 मई 1922 को हुआ।

शैक्षिक कार्य

छत्रपति शाहूजी का मानना था कि समाज की प्रगति में कई बाधक तत्व हैं उनमें से एक है जाति-व्यवस्था। उनका कहना था कि जब तक इस जाति का विनाश नहीं होगा तब तक सामाजिक समता व सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता और मनुष्यता की दुनिया नहीं बन सकती। छत्रपति शाहू महाराज जानते थे कि समाज में सभी को समानता बिना शिक्षा दिए संभव नहीं है। पारंपरिक समाज में कई अंधविश्वास, विचार और विश्वास थे जिन्होंने समाज में समानता के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रखा था। शाहूजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो जीवन के युद्ध में बहुत उपयोगी है, इस युग में जीवित रहने के लिए संघर्ष बढ़ रहा है और केवल शिक्षित ही जीवित रहेगा। उनका विचार था कि उचित पोषण के बिना मनुष्य कमजोर हो जाता है और ज्ञान के बिना मनुष्य पिछड़ा हो जाता है। इसलिए शिक्षा कई समस्याओं को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वे जानते थे कि जनता का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए उन्होंने सत्ता संभालते ही तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के अध्ययन एवं सुधार हेतु 'शिक्षा सुधार समिति' गठित की। शाहूजी की शैक्षिक नीति अत्यंत स्पष्ट एवं सरल थी जिसका उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों व शिक्षा से वंचित वर्गों में अधिकाधिक शिक्षा का संचार हो जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सके। शाहूजी के समय में शिक्षा पर उच्च वर्ग का आधिपत्य था। शिक्षा के अभाव में समाज के बहुसंख्यक वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यह स्थिति शाहूजी महाराज के लिए चुनौती थी। इसके निराकरण के लिए उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न पिछड़ी जातियों के लिए विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया। शिक्षा सर्वसुलभ हो सके इसलिए प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई व उनमें पढ़ने वाले अधिसंख्यक विद्यार्थियों की जाति से सम्बंधित शिक्षक की नियुक्ति की। राज्य में संचालित निजी विद्यालयों को वित्तीय सहायता का प्रबंध किया जिससे शिक्षा के प्रसार को गति मिल सके। शाहूजी ने प्रशिक्षित शिक्षकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनिंग स्कूल खोले। छत्रपति शाहूजी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में अनेको बालिका विद्यालयों की स्थापना की।

शाहूजी ने जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति का सहारा बने। उनके द्वारा किये गए शैक्षिक सुधारों ने समाज को एक नयी दिशा देने का कार्य किया।

अस्पृश्य/बहुजनों की शिक्षा व्यवस्था

छत्रपति शाहूजी महाराज ने अस्पृश्यों के लिए स्कूल और छात्रावास खोलकर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा करते हुए, उन्होंने अस्पृश्य समुदाय से पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की और शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने प्रांत में शिक्षा के माध्यम से पिछड़े समुदायों के उत्थान की नीति अपनाई। कोल्हापुर में विभिन्न समुदायों के छात्रों के लिए कई छात्रावास स्थापित किए गए थे। उन्होंने इस काम के लिए 'शिक्षा प्रसार बोर्ड' (विद्या प्रसार मंडल) नामक एक संगठन की स्थापना की, लेकिन अस्पृश्यों को शिक्षा के लिए राजी करना कठिन काम था क्योंकि वे शिक्षा के प्रति उदासीन थे। इसलिए इन मुद्दों को दूर करने के लिए शाहूजी महाराज ने कड़ी मेहनत की। उनके राज्याभिषेक के समय उनके प्रांत में केवल 05 स्कूल अस्पृश्यों के लिए मौजूद थे और छात्रों की संख्या 168 थी। 1907-1908 के दौरान अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की संख्या 16 हो गई और छात्रों की संख्या 416 हो गई। महाराज के अथक प्रयासों से अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई। 1912 में, अस्पृश्यों के लिए स्कूलों की संख्या 27 हो गई और इन चार वर्षों के दौरान छात्रों की संख्या 636 हो गई। वह व्यक्तिगत रूप से इन योजनाओं के वित्तीय प्रावधानों का अवलोकन करते थे। छत्रपति शाहूजी महाराज और भाऊराव पाटिल ने सतारा जिले में शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए धन संग्रह की एक अनूठी योजना तैयार की। उन्हें कुश्ती में बहुत दिलचस्पी थी और उनके संरक्षण में कई पहलवान थे। उस समय कोल्हापुर प्रांत में लोग कुश्ती में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने विभिन्न गांवों में कुश्ती मैचों के टिकट बेचने की योजना को अंजाम दिया और उससे प्राप्त धन को शिक्षा के प्रसार पर खर्च किया। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने प्रांत में अस्पृश्यों के लिए छात्रावासों का निर्माण शुरू किया और अस्पृश्यों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की। 1907 में उन्होंने कोल्हापुर में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की एक शाखा की स्थापना की। इसी मिशन के तहत 'मिस क्लार्क स्टूडेंट हॉस्टल' की स्थापना की गई। इसके अलावा, उन्होंने अपने महल में 50 अस्पृश्य छात्रों के लिए एक मुफ्त छात्रावास और मेस खोला। उन्होंने अपने प्रांत में इस काम को अंतहीन रूप से जारी रखा। उन्होंने उन संगठनों के लिए भी उदारता से दान दिया जो अस्पृश्यों के उत्थान के लिए समर्पित थे। अस्पृश्यों में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने 24 नवंबर 1911 को सबसे महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार उनके प्रांत में अस्पृश्यों के लिए सभी प्रकार की शिक्षा निशुल्क कर दी गई थी। अस्पृश्यों के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार की ओर से विशेष छात्रवृत्ति दी जाती थी। उन्होंने अस्पृश्यों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 अप्रैल 1919 को एक आदेश जारी कर दो हजार पांच सौ रुपये की मंजूरी दी और उन्हें किताबें, स्लेट और पेंसिल की पेशकश की। उनके एक आदेश में कहा गया है कि, 'प्रांत के शिक्षा विभाग को अस्पृश्यों और मुख्यधारा के लोगों जैसे अमेरिकी मिशन, सेंट जेवियर, विल्सन कॉलेज और आर्य सोसाइटी के स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय स्कूलों में बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अस्पृश्य

छात्रों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें स्कूलों में नामांकित करना चाहिए' (कीर, 1976)। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जो निजी और सरकारी संगठन शिक्षा विभाग के तहत भवन और मुफ्त जमीन के रूप में अनुदान प्राप्त करते हैं, वे अछूतों के साथ उच्च जाति के लोगों की तुलना में अधिक स्नेह और सम्मान के साथ व्यवहार करें। मुख्यधारा के लोगों के पास खुद को शिक्षित करने के कई तरीके हैं लेकिन, अस्पृश्यों के पास इसे हासिल करने के लिए ऐसे माध्यम नहीं हैं। यदि प्रधानाचार्य या शिक्षक अस्पृश्यों के साथ समान व्यवहार करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया साथ ही, ऐसे मामलों में निजी संस्थान का अनुदान रद्द करने के आदेश दिए। शाहू महाराज द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, यदि स्कूल विभाग का कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना त्याग पत्र भेजना चाहिए। उसे पेंशन नहीं मिलेगी। अनुदानित और अन्य सहायता प्राप्त संगठन इसका उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी। इस प्रकार शाहू महाराज के आंदोलन ने पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा के प्रति रुचि विकसित की और उन्हें उनके मानवाधिकारों के बारे में जागरूक किया। शाहूजी महाराज के शैक्षिक कार्यों ने अस्पृश्यों को उनकी स्थिति के बारे में जागरूक किया और उनके प्रांत में अस्पृश्यों की शिक्षा के अनुपात में वृद्धि की।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विचार

सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि नौकरशाही और प्रशासनिक शक्ति हमेशा शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त लोगों के हाथ में होती है लेकिन शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच घनिष्ठ संबंध है इससे वे भलीभांति परिचित थे। शिक्षा और अधिकारिता के बीच इस संबंध का प्रयोग छत्रपति शाहूजी द्वारा अपने राज्य में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अपने विचार के माध्यम से किया गया। शाहूजी महाराज दलित वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में और अपने राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निशुल्क शिक्षा का विचार शुरू किया। शिक्षा के माध्यम से वे निचली जाति के समुदाय को प्रशासन में शामिल करना चाहते थे। उनके काल में अस्पृश्यों को शिक्षा के दीर्घकालीन लाभों की जानकारी नहीं थी। अतः छत्रपति शाहूजी ने उन सभी को अनिवार्य रूप में शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। वह प्रशासन और नौकरशाही में सवर्ण समुदायों की केंद्रित शक्ति से परिचित थे। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि निचली जातियों को सत्ता हस्तांतरित करने से पहले पूरे समाज में ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। उनका विचार था कि निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ही एकमात्र स्फूर्तिदायक टॉनिक है जो निम्न वर्गों को अतीत के बोझ को उतारने में सक्षम बनाएगी (कुंभर, 1992)। छत्रपति शाहूजी महाराज का मानना था कि शिक्षा के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ राजनेता, महान योद्धा एक अनपढ़ देश में पैदा नहीं होते (कीर, 1976)। इसलिए लोगों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। उन्होंने जनता के लिए शिक्षा के महत्व और इसे निशुल्क और अनिवार्य बनाने की आवश्यकता की पहचान की। उत्तरजीविता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है, इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर करने के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज ने एक घोषणा जारी की कि सभी माता-पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजें। यदि वे इसमें देरी करते हैं, तो ममलेदार प्रत्येक माता-पिता पर 1 रुपये प्रति माह का जुर्माना लगायेंगे। शाहूजी महाराज ने 1911 से समाज के पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की स्थापना की। शैक्षिक व्यय को वहन करने के लिए, उन्होंने अधिकारियों, डॉक्टरों और व्यापारियों पर कर लगाया जिनकी आय 100 रुपये से अधिक थी वे शैक्षिक उपकरण के लिए अपनी आय का 2% भुगतान करते थे।

उच्च शिक्षा

छत्रपति शाहूजी महाराज ने न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा के महत्व को भी पहचाना है। 1910-11 के दौरान उन्होंने 1911-12 में 15 छात्रों और 10 छात्रों को बॉम्बे (मुंबई), पुणे, मद्रास (चेन्नई) और अन्य स्थानों में उच्च शिक्षा लेने के लिए भेजा। उच्च शिक्षा के संबंध में शाहू महाराज ने इन छात्रों को न केवल पारंपरिक शिक्षा लेने के लिए बल्कि चिकित्सा विज्ञान में व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी भेजा। 1913-14 के दौरान उन्होंने 6 छात्रों को मेडिकल कॉलेज, बॉम्बे, मेडिकल स्कूल पोन्ना, पूना ट्रेनिंग कॉलेज और डेक्कन कॉलेज, पुणे में भेजा।

कृषि शिक्षा

राज्य में कृषि शिक्षा के महत्व को देखते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज ने किंग एडवर्ड कृषि संस्थान, कोल्हापुर (1912) की शुरुआत की थी। यह संस्थान आधुनिक कृषि में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 30 हजार रुपये का दान एकत्र किया और इसे राज्य के खजाने में 6 प्रतिशत ब्याज दर पर जमा किया, उन्होंने इसमें स्वयं प्रति वर्ष 1200 रुपये अपनी तरफ से दिए जिससे कृषि शिक्षा देने हेतु बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति व उन्हें बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें। उनका मानना था कि दिन-प्रतिदिन कृषि व्यवस्थित होती जा रही है और कृषि में सफलता पाने के लिए हमें उस विषय पर किताबें पढ़नी चाहिए। यह दर्शाता है कि भारत में कृषि शिक्षा के संबंध में महाराज के कितने अच्छे विचार थे और वे कितने दूरदर्शी थे।

महिलाओं के लिए शिक्षा

शाहूजी महाराज के समय में धार्मिक और रुढ़िवादी परम्पराओं की मान्यताओं के कारण महिलाओं की स्थिति अमानवीय थी। समकालीन समाज में बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण अस्तित्व में थी। शाहूजी महाराज का मानना था कि महिलाओं को शोषण से मुक्ति और विकास के लिए आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की शिक्षा के लिए शाहूजी महाराज ने महत्वपूर्ण प्रयास किए, खासकर पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए 3 मार्च 1913 को उन्होंने राधाबाई अक्कासाहेब महाराज छात्रवृत्ति और श्री नंदकुवर महारानी, भावनगर, कोल्हापुर राज्य में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। जैसा कि नटराजन, 1966 ने अपने लेखन में दर्ज किया है कि उस समय की पिछड़ी जाति की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा लेने में झिझकती थीं, इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए महाराज ने छात्राओं को आश्वस्त

करने के लिए पिछड़े समुदायों की महिला सेवकों को नियुक्त किया था। छत्रपति शाहू महाराज ने छात्राओं को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने का भी प्रयास किया। 1911 से 1914 तक कुल 8369 लड़कियों ने इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की थी।

निष्कर्ष

छत्रपति शाहूजी महाराज स्वभाव से दूरदर्शी और वास्तव में लोकतांत्रिक थे और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, पिछड़ों के सशक्तिकरण, महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व को महसूस किया। छत्रपति शाहूजी महाराज विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण से भी अवगत थे, उन्होंने न केवल पारंपरिक शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया, बल्कि औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा के लिए भी प्रयास किए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उस युग में सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा को महसूस किया। उन्होंने न केवल इसे महसूस किया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक कार्यक्रम पर भी काम किया।

मेरा मानना है कि इन रणनीतियों का महत्व खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता और आवश्यकता अभी भी है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर काम किया था, अब सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य कौशल शिक्षा की आवश्यकता है। कौशल शिक्षा या तो कृषि, तकनीकी शिक्षा, व्यापार शिक्षा, सेवा क्षेत्र में कौशल-उन्मुख शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा में हो सकती है। यदि हम महाराजा की दृष्टि की भावना को अपनाते हैं तो यह निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में बदलाव लाएगी।

संदर्भ

1. भगत, आर० टी, (1999); शिक्षामहर्षि राजर्षि शाहू महाराज, सिद्धराज प्रकाशन, पुणे।
2. कवलेकर, के०के (1979); गैर-ब्राह्मण आंदोलन दक्षिणी भारत, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।
3. कीर, धनंजय (1976); 'शाहू छत्रपति: एक शाही क्रांतिकारी', लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे।
4. कुंभर, नागोजीराव (1992); 'राजर्षि शाहू महाराज', प्रबोधन प्रकाशन, लातूर।
5. सिंह, श्याम सुन्दर (2016); 'छत्रपति शाहूजी महाराज संघर्ष और इतिहास', सम्यक प्रकाशन, दिल्ली।
6. महोपारे, राहुल (2006) 'आर्थिक नीतियां और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के कार्यक्रम' पी-एच०डी० थीसिस, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।
<http://hdl.handle.net/10603/140066> Retrived on 01/09/2022
7. शिंदे, जयसिंहराव बी० (1995); 'कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज के शैक्षिक विचारों और कार्यों का अध्ययन', पी-एच०डी० थीसिस, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। <http://hdl.handle.net/10603/135782> Retrived on 02/09/2022

कला और संस्कृति में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० राखी शर्मा

सहायक प्राध्यापक, बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

कला:

कला शब्द 'कल' धातु से बना है। कला का शाब्दिक अर्थ है। जो सुंदर यानि जो आनंद प्रदान करती हो। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसके द्वारा मानव अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है अर्थात् "मानव की कल्पना द्वारा निर्मित अद्भूत रचना जो सबको चकित कर दे कला है। प्लेटो ने कहा है, समतल परातल पर तीन ठोस ज्यामितिक आकृति का अनुकरण कला है।" कला न ज्ञान है, न शिल्प है, न ही विद्या है, बल्कि जिसके द्वारा हमारी आत्म परमानंद का अनुभव करती है, वही कला है। महात्मा गाँधी जी ने कहा है, "कला आत्मा का ईश्वरी संगीत है।

कला के प्रकार

(1) प्राचीन भारतीय कला:- यह प्राचीन वैदिक संहिताओं एवं सूत्र साहित्यों, ग्रंथों एवं महाभाष्यों के अध्ययन से मिली है। "प्राचीन भारत में चौसठ प्रकार की कलाओं से लोग परिचित थे।" वर्तमान में यह संख्या घटकर 6 रह गयी हैं। (1) संगीत (2) नृत्य (3) कविता (4) मूर्तिकला (5) चित्रकला (6) भवन निर्माण कला।

इनके अन्य विभेद में ललित कला, शास्त्रियकला, लोककला प्रमुख है। किन्तु कला एक क्रिया है, जैसे - चन्द्रमा का घटना-बढ़ना इन्द्र धनुष का बनना आदि। कला वह मानविय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण, ध्यान से देखना, गणना, चिंतन एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करना है।" इसे तकनीक भी कहते हैं, क्योंकि बिना तकनीक को समझे उस कलाकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह कला शिल्प है, किसी सामग्री को काट-छाँट कर या तराश कर ही उसे कोई रूप दिया जाता है तो वह शिल्प है, जैसे मूर्तिकला, वस्तुकला आदि। कला एक प्रकार का कौशल है, अर्थात् कलाकृति को प्रभावशाली, नवीन एवं आकर्षक बनाने हेतु मानसिक चिंतन-मनन एक अनिवार्य प्रक्रिया है।" कला कल्पना का आधार होती है। इसे भावपूर्ण भाषा भी कहते। रविन्द्रनाथ के आग्रह पर शान्ति निकेतन में कलाशिक्षा को रखा गया। नेहरूजी के आग्रह पर नवरचित भारतीय संविधान की हस्तलिपि एवं पाण्डुलिपि को सजाया गया था।

"जब दुनियाँ में संस्कारों एवं कला की परिभाषा लिखी जाए तो मेरे देश की तस्वीर ही इनके नजर में आएगी।"

हिन्दू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधार शिला पर स्थित है। विश्व को हरदम अनुठा और सर्वश्रेष्ठ योगदान भारत ने दिया है।

संस्कृति एक परिचय:-

अंग्रेजी शब्द कल्चर लेटिन भाषा के 'कल्टस' से लिया गया है। जिसका अर्थ है, विकसित करना या परिष्कृत करना है। संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सकें। संस्कृति उस विधि का प्रतिक है जिसमें हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसके दो उपभाग हैं: (1) भौतिक वेशभुषा, भोजन, घरेलू सामान आदि। (2) अभौतिक - विचारों, आदर्श, भावनाएँ, विश्वास से हैं। संस्कृति एक देश से दूसरे देश एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है।

मानव संस्कृति मानव द्वारा सीखी एवं प्राप्त की जाती है। जो अनुवांशिक भी हो सकती है एवं समाज व समुह द्वारा प्राप्त भी की जा सकती है। यह संचयी होती है एवं परिवर्तनशील भी। यह स्थित नहीं रहती समय के साथ बदलती रहती है, अतः गतिशील होती है।

आज भारत आत्मनिर्भर देश बन गया है। यदि इसके मानचित्र को देखे तो यह एक ऐसा विशाल देश है। जो स्वयं में भौतिक और सामाजिक वातावरण को समेटे हुए हैं। विभिन्न धर्मों और रीति-रीवाज को मानने वाले लोगों को देखते हैं। उनके पहनावे, भाषा को देखते हैं। इन सब में नृत्य तथा संगीत के क्षेत्र में विविधता के साथ एकात्मकता भी है। जो एकता बनाए रखती है। बिना कला-संस्कृति के मानव जीवन अंधकारमय सा होता है। विश्व को अनुठा एवं हमेशा सर्वश्रेष्ठ योगदान भारत ने दिया है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परम्पराओं, प्रदर्शन कला, संस्कारों, चित्रों एवं लेखन का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। संस्कृति मंत्रालय प्रदर्शन, दृश्य और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता हेतु कई योजनाएँ लागू है। वही बदलती हुई संस्कृति में महिलाओं के प्रति सोच बदली है। अब उसे सशक्तिकरण की ओर ले जाने का प्रयास है। गाँवों की संस्कृति को छोड़कर शहरीकरण देखा गया है। इसी प्रकार भारतीय कला विश्व में प्रसिद्ध है। लोककलाओं को भी आगेआने का अवसर मिलने लगा है। आज कलाकार का अपने देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में सम्मान मिलने लगा। इन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। संस्कृति की बात करें तो भारत की कुछ बातें जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं-अभिवादन के तरीके फुल माला से स्वागत करना, भारतीय शादियाँ, भारतीय परिधान जिसमें साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। मेहदी, धार्मिकता, प्रकृति की पूजा सबकुछ कलात्मक है। इन सब में हमारा देश गर्व महसूस करता है।

पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत

पूजा साह

शोधार्थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय (प्रयागराज)

शोध सारांश-मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से प्रभावित भी होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। इसी तरह पर्यावरण भी मानव जीवन को संभव बनाने वाला घटक है। मानव और अन्य कई प्रजातियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तथा उससे प्रभावित भी होती हैं। यह पर्यावरण कृत्रिम संरचना नहीं है बल्कि प्राकृतिक संरचना है। अतः पर्यावरण के प्रति हमारा संवेदनशील होना अत्यधिक आवश्यक है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की उन्नति, विशेषकर अर्थव्यवस्था में सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिपर्धा के लिए तैयार करने वाला संकल्प है। इस अभियान में देश के हर वर्ग के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प है। तुलसीदास ने कहते हैं-‘पराधीन सपनेहु सुख नाहि’ अर्थात् पराधीन होने पर सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। सुख की प्राप्ति स्वाधीन होने में ही है। गाँधी जी का स्वराज की अवधारणा हो या मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दोनों का संबंध इसी स्वाधीनता से है। जहाँ सिर्फ विदेशी से स्वाधीनता की बात नहीं है बल्कि उनके नीति-नियमों से भी स्वाधीनता की बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लें बल्कि अपने संबंध को मजबूत रखते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान अपने को अधिक से अधिक सक्षम बनाने तथा देशी उत्पादन बढ़ाने की बात करता है। अपने स्वदेशी वस्तुओं को महत्त्व देने तथा उसे वैश्विक ब्रांड बनाने की बात करता है।

बीज शब्द- पर्यावरण, आत्मनिर्भर भारत, जैविक और अजैविक घटक, भौतिक विकास, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, स्वराज, प्राकृतिक आपदा, आयात-निर्यात, ग्लोबल चौर।

पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है ‘परि’ और ‘आवरण’। ‘परि’ का अर्थ होता है जो हमें चारों ओर से और ‘आवरण’ का अर्थ होता है जो हमें घेरे हैं। अर्थात् पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं जिस आवरण से हम सब प्राणी घिरे हैं। वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों का समुच्चय है जैवमंडल। इस जैवमंडल में तमाम तरह के जैविक, अजैविक घटक तथा उनके क्रियाकलाप मौजूद हैं। ये प्रत्येक घटक चाहे छोटे जीवाणु हो या मनुष्य तथा पेड़-पौधा, नदी, जलवायु तक हो एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक-दूसरे को करते हैं। प्रकृति तथा मानव के बीच अन्योन्याश्रित संबंध होता है।

मानव जीवन तभी संभव है जब तक प्रकृति के साथ उसका संबंध आत्मीय है। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन है। आज के समय में पर्यावरण का ज्ञान सभी के लिए बहुत आवश्यक है। दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे आर्थिक विकास तथा अन्य देशों से आर्थिक प्रतिस्पर्धा के होड़ में हम प्रकृति के साथ अंधाधुंध और अनियंत्रित छेड़-छाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण आज एक ज्वलंत मुद्दा है। सरकार इस समस्या के निवारण के लिए तमाम तरह के एजेंडा लायी लेकिन यह लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता के अभाव में मात्र एजेंडा बनकर ही रह गया, व्यवहार में उतना सफल नहीं हो पाया।

बीसवीं सदी से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए थे। भारत में पर्यावरण का पहला विद्रोह ‘नील विद्रोह’ से शुरू हुआ था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तथा वे किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। जिसका असर न केवल जमीन पर बल्कि किसानों के स्वास्थ्य पर भी पड़ा। इसके अलावा चिपको आंदोलन, वन्य जीव संरक्षण आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि अनेक आंदोलन हुए। जिस समय पर्यावरण को लेकर चिपको आंदोलन और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन चल रहे थे, उसी समय औद्योगिक विकास के मॉडल सामने लाये जा रहे थे जिसका विरोध लोगों द्वारा किया गया।

पर्यावरण शब्द पहले से था लेकिन इसका अधिक प्रचार-प्रसार, उसके प्रति जागरूकता की बात तब सामने आयी जब पर्यावरण लगातार तेजी से संकटों से घिरता गया। तमाम प्रकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे वन्य जीव संरक्षण कानून 1971, वन संरक्षण अधिनियम 1980, लाए गए। पर्यावरण पर वैश्विक स्तर पर नियम तथा कानून बनाए गए। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संकट और जलवायु पर गंभीर विचार-विमर्श होने शुरू हो गए। विश्व के बहुत से देशों ने भागीदारी भी की। पर्यावरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 ई. में एक बड़ा सम्मेलन किया जिसे ‘स्कॉटहोम समिट’ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद छत्तीस सिद्धांतों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे (यू.एन.इ.पी) संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। 1992 ई. में ब्राजील में रियो सम्मेलन हुआ जिसे ‘अर्थ समिट’ भी कहा जाता है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन रोकथाम तथा जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ था। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और 2015 ई. का पेरिस सम्मेलन हुआ जिसमें 150 देशों सम्मिलित हुए। इसमें 17 (एस.डी.जी.) सस्टेनबल डेवलपमेंट गोलस तय किए गए जिसे 2030 ई. तक हासिल कर लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले पर्यावरण नृविज्ञान, जीव-विज्ञान जैसे अनुशासनों का अंग था लेकिन बाद के दिनों में इसे स्वतंत्र अनुशासन के रूप में बताया तथा पढ़ाया जाने लगा। रामनिवास द्विवेदी लिखते हैं- “वैश्विकरण के दौर में पर्यावरण अध्ययन उपर्युक्त संदर्भों में एक स्वतंत्र अनुशासन बना, जो पहले जीव-विज्ञान, नृविज्ञान जैसे अनुशासनों का अंग था।”

20वीं तथा 21वीं सदी में तमाम तरह के भौतिक, औद्योगिक तथा तकनीकी विकास हुए। लेकिन इन विकासों का नुकसान सबसे ज्यादा प्रकृति को हुआ। प्रकृति जिसके कारण हमारा जीवन संभव है, उसी प्रकृति का अंधाधुंध दोहन ग्लोबल वॉर्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, समुद्र जल स्तर का बढ़ाव, भू-स्खलन जैसी बहुत समस्याएँ हमारे सामने केकर आई। आज के समय में बहुत सारे समस्याओं में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। अनुपम मिश्र ने लिखा है- “पर्यावरण, वातावरण सब हमारी धरती को जीवनदायी तत्वों से घेरे रखने के अर्थ में थोड़ा-बहुत प्रचलित रहे हैं। इन शब्दों से जिन तत्वों का संकेत मिलता है, उन पर कहने लायक संकट औद्योगिकक्रांति के बाद आना शुरू हुआ। खेती में लगा समाज अपनी किस्म से इन तत्वों पर उतना बोझ नहीं डालता था, इन्हे उस हद तक नहीं निचोड़ता था कि वे दुबारा संभल न पाएँ। उस दौर में हमारी गति, हमारी प्रगति, हमारी शक्ति, हमारी तकनीक ऐसी आसुरी नहीं बन पाई थी कि वह हमें ही भस्म कर दे। लेकिन ऐसा दौर आ ही गया। खेती न सिर्फ उद्योग में बदली, वह स्वयं एक बड़ा उद्योग बन गयी। हाथ का काम छिना, मशीनों ने रफ्तार पकड़ी, फिर इन सब ने विकास का ऐसा रूप धारण किया, ऐसा नया अवतार लिया कि दुनिया की कोई भी विचारधारा उससे अच्छी नहीं बच पाई।”¹² भौतिक विकास ने प्रकृति पर एक तरह से हमला ही किया है। हम यह नहीं मानते कि भौतिक विकास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए कि उससे हमारे कुछ पाने और देने दोनों की भावना मौजूद हो पर विकास को जो रूप निरंतर विकसित होता रहा है उसने प्रकृति को बस संसाधन के रूप में ही देखा है। प्रकृति के उस जीवन को नजरअंदाज किया है, जिसमें बहुत से जीव-जंतु, पशु-पक्षी रहते हैं। उनके जीवन को अनदेखा किया गया है। जिसका नतीजा यह हुआ कि दिन-प्रतिदिन जीव-जंतुओं की तमाम प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, जिसने न केवल केवल जैव विविधता जैसी आवश्यक चीजों में कमी आ रही है बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। जो भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण है। जिसका शिकार कमजोर, गरीब, महिलाएँ, बच्चें, बूढ़े आदि ही अधिक हैं। रश्मि रावत लिखती हैं- “पर्यावरण के विध्वंस से प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। विकास के पूँजीवादी रास्ते ने भौतिक लिप्सा की जो होड़ बढ़ाई है उसने ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दिया है जो पर्यावरण की अपूरणीय क्षति के लिए जिम्मेदार है।”¹³ यह औद्योगिक विकास मानव तथा प्रकृति दोनों के शोषण पर आधारित है। इसने जहाँ प्रकृति को लूटा वहीं नीचले तबके के लोगों को उनके जल, जंगल, जमीन से भी अलग किया। उनको अपने जड़ों से उखाड़ फेंका तथा शहर की ओर भागने पर मजबूर किया। उनके खेतों को भेड़ों का चारागाह बनाया, नदी को नाला, आवास को उद्योग स्थल में तब्दील किया गया। यह शोषण केवल पूँजीपतियों ने ही नहीं किया बल्कि सत्ताधारियों ने भी अपना लाभ देखते हुए इस कार्य में उनका साथ दिया। जंगल के मूल निवासी आदिवासी आदि ने जब इस विकास के मॉडल को अस्वीकार किया तथा अपने जल, जंगल, जमीन के लिए आवाज उठायी उसे रोका गया और जंगल तथा प्रकृति से प्यार के कारण जब वे चुप न रहे विरोध करते रहे तो उन्हें तरह तरह की यातनाएँ दी गई। सत्ताधारियों ने उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मान लिया। डॉ. राजकुमार ने लिखते हैं- “ज्ञान-विज्ञान के विकास के साथ औद्योगिकीकरण का जो स्वरूप सामने आया वह प्रकृति और मनुष्य के शोषण पर आधारित था। यूरोप ने प्रकृति और मनुष्य का शोषण सिर्फ उपनिवेशों में ही नहीं, उससे पहले अपने यहाँ भी किया था। ग्रामीण आबादी की बड़े पैमाने पर तबाही इसका प्रमाण है। खेतों को भेड़ों के चारागाह में तब्दील कर दिया गया और किसानों को शहरों की ओर धकेल दिया गया।.... सत्ता के द्वारा मनुष्य और प्रकृति के संसाधन के रूप में दोहन से विकास का वह सिलसिला कायम हुआ, जिसकी तार्किक परिणति ने प्रकृति और पर्यावरण को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया। अब तो समूची पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया लगता है। पहली बार ये अहसास दुनिया के पैमाने पर हो रहा है कि भौतिक विकास भी एक सीमा है और प्रकृति के साथ आप अनियंत्रित छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके बावजूद विश्व की पूँजीवादी व्यवस्था इस चेतावनी को दरकिनार करते हुए अपने लोभ-लाभ के लिए विकास के उसी मॉडल को आगे बढ़ा रही है जो प्रकृति और मनुष्य के दोहन और शोषण पर टिका है।”¹⁴ अब जंगल को उसी के मूल निवासी के हवाले करने का वक्त आ गया है। जिनसे हमने न केवल उनका जंगल छीना बल्कि उनके निवास को भी उजाड़ा तथा अपने और उनके दोनों लिए मुसीबत भी खड़ी की। जिसका नतीजा भीषण बाढ़ आदि के रूप में देख सकते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि बाढ़ हमारे घर में घुस गयी जबकि असलियत यह है कि हम उनके घरों में जबरन घुस गए, बिना उसके और अपने कल के बारे में सोचे। प्रकृति एक सीमा तक ही चुपचाप सहती है उसके बाद अपना प्रकोप दिखाने में जरा भी देर नहीं करती। उस प्रकोप से बचाव हमारे बड़े से बड़े विकास भी नहीं कर पाते हैं। जसिंता केरकेट्टा अपनी एक कविता में लिखती हैं- “इन दिनों अचानक/बढ़ गया है उनका प्रेम/जानवरों के लिए/चिंतित हैं वे सबसे ज्यादा/जानवरों के खाल बचा लेने को! इसलिए उधेड़ देना चाहते हैं/वक्त की सख्त खाल जो बजती है उनके खिलाफ/वे करना चाहते हैं गिदड़ सियार और/जंगली सूअर के हवाले सारा जंगल”¹⁵ ये जंगली सियार, सूअर, गिदड़ ही जंगल के असली हकदार हैं जिसे हम अपने भौतिक विकास के आगे नहीं देख पा रहे हैं। एक ओर हम जितना भौतिक विकास कर रहे हैं आत्मिक रूप से उतना ही संकुचित होते जा रहे हैं। भयावह भौतिक उन्नति हमारे अंदर घोर असंयम को पैदा करती जा रही है जो हमारे लिए अभिशाप बनकर ही उभर रही है।

प्रकृति के साथ इसी खिलवाड़ का नतीजा के रूप में कोविड-19 को हम देख सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे प्रकृति को प्लास्टिक से ढकते जा रहे हैं ऐसे में प्रकृति ने भी हमें अपने को पी.पी.ई. कोट के रूप में प्लास्टिक से कवर करने पर मजबूर कर दिया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महामारी के दौरान 12 मई 2020 ई. को किया। आत्मनिर्भर का सामान्य अर्थ है अपने ऊपर निर्भर होना। अतः जिन-जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है उसके उत्पादन तथा वितरण स्वयं करें। पूर्णतः दूसरों पर निर्भर न रहें। यह अभियान आपदा को अवसर में बदलने वाला है। ग्लोबल चैन में खुद को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रखना है। इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जिसे सफल बनाने के लिए बीस लाख करोड़ के निवेश की बात है। इस आभियान की खास बात यह है कि इसमें समाज के सभी तबके के साथ चाहे किसी वर्ग या वर्ण का हो मिलकर विकास करने की बात की गई है। सभी के साथ मिलकर विकास की राह पर चलने की बात की गई है। एम.एस.एम.ई अर्थात् छोटे मझोले उद्योग के विकास की बात की गई है। इस स्वनिर्भरता से हम न केवल अपने देश का हित कर सकते हैं बल्कि विश्व कल्याण की भावना भी इसमें निहित है। इस अभियान को हासिल करने और सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पाँच पीलर्स की बात की हैं- इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड।

इकोनॉमी-इसके तहत जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर-इसके तहत मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है।

टेक्नोलॉजी- टेक्नोलॉजी में विकास की बात की गई है।

डेमोग्राफी- युवा शक्ति में विश्वास तथा ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की बात की गई है।

डिमांड- देश की मांग को ध्यान में रखने तथा उत्पादन की बात की गई है।

सरकार ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी पर भी फोकस किया है। आत्मनिर्भरता के अर्थ को इस संकुचित अर्थ में नहीं लिया जा सकता कि हमें अपने देश में उत्पादन तथा वितरण करके अपने देश तक ही सीमित हो जाना है और विश्व से आयात-निर्यात का संबंध खत्म कर लेना। बल्कि इस अभियान का मकसद अपने देश के उत्पाद को निर्यात कर वैश्विक संबंध को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात् ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि अपने देश के उत्पाद की खरीददारी अपनी प्राथमिकता हो। कोविड-19 के समय पी.पी.ई कीट तथा वेंटिलेटर का उत्पादन तथा वितरण कर हमने न केवल अपने देश बल्कि अन्य देशों को भी सहायता प्रदान की। "आत्मनिर्भर भारत देश में अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है।"⁶

इस अभियान के तहत कई अच्छी चीजें हुईं जिनमें से एक यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। ग्रामीण लोगों का कला-कौशल जो बड़े-बड़े उद्योगों तले दब गया था, उसे फिर से उभरने का मौका मिला। कला-कौशल के इस दबे रूप के सामने आने से उन्हें रोजगार तो मिला ही साथ ही आत्म निर्भरता की भावना में भी वृद्धि हुई और उनके आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा मिला और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। अतः इस स्कीम से न केवल अर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास को भी बढ़ावा मिला।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। महात्मा गाँधी ने भी अपनी पुस्तक में 'हिंद स्वराज' में 'स्वराज' की बात की थी तथा उसे अधिक महत्व दिया था। वर्तमान आत्मनिर्भर भारत अभियान भी उसी से जुड़ी हुई लगती है। जहाँ गाँव की स्वावलंबी होने की बात है, गाँव के कुटीर उद्योग में बढ़ावा देने की बात कही गई है। चरखा और खादी का विकास इस अभियान से जुड़ा है। भारत में बंगाल विभाजन के बाद भी एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। इस समय भी अपने देश के उत्पादन को महत्व दिया गया तथा अपने देश के उत्पादन के प्रति आत्मगौरव की भावना का उदय हुआ। यह स्वदेशी आंदोलन एक विचार की तरह पनपा और पूरे देश में फैल गया। गाँधी जी ने लिखा है- "हम अपने ऊपर राज करें वही स्वराज है; और वह स्वराज हमारी हथेली में है।....अंग्रेजों को देश से निकालने का मकसद सामने रखने की जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज हिंदुस्तानी बनकर रहें तो हम उनका समावेश यहाँ कर सकते हैं। अंग्रेज अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें, तो उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है।" गाँधी जब स्वराज की बात करते हैं तो स्वराज वहाँ एक ऐसा स्वराज है जो उस देश का, वहाँ के व्यक्ति का खुद का है। जहाँ उनके नीति, नियम, संस्कृति की प्रधानता है। जहाँ व्यक्ति अपने देश के नियम से संचालित है न कि अन्य किसी के। गाँधी जी उस स्वराज के प्रारूप का विरोध करते हैं जिसमें स्वराज का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति है उनके नीति नियमों से नहीं। यह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गुलामी में रहना ही है। जो स्वराज केवल चमड़ी से हिंदुस्तानी हो, खून से अंग्रेजी ऐसे स्वराज को गाँधी नकारते हैं। गाँधी जी जिस स्वराज की कल्पना करते हैं वह अंग्रेजों से मुक्ति की बात नहीं करती बल्कि अंग्रेजी नीतियों की गुलामी से मुक्ति की बात करती है।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी आत्म केंद्रित हो जाने से अलग है। यह एक समावेशी भावना है। इसमें भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं करता बल्कि इसके साथ स्वदेशी पर भी ध्यान केंद्रित करना है। देश को स्वनिर्भर बनाना है, विदेशों से होने वाले आयात को घटाकर अपने देश के उत्पादन को बढ़ाना है। लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना है। जिन छोटी-छोटी चीजों के लिए जैसे दीपावली में जलने वाले लाइट से लेकर मोबाइल, एप्प आदि के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं उससे खुद को मुक्त करना। आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा जाता है- "आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं है अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।"⁸ आत्मनिर्भर भारत का मकसद भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार तथा उन्नति के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है। अपनी शक्ति तथा ऊर्जा को पहचानना और उसे देश के हित में खर्च करना। चूँकि आत्मनिर्भर भारत की बात कोविड महामारी के समय की गई पर इसकी आवश्यकता या जरूरत को केवल उसी समय एक सीमित नहीं रखना है बल्कि इसके साथ ही भविष्य के लिए कुछ रचनात्मक करना भी है।

एक ओर आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार तथा अपने देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेबल तक पहुँचाना चाहता है। जिसकी प्रथमिकता यह है कि अपने देश की अर्थिक उन्नति हो, उसकी अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक सक्षम बने। दूसरी ओर दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाला पर्यावरण संकट है। वैश्विक स्तर पर देखें तो आर्थिक उन्नति का सबसे अधिक नुकसान पर्यावरण को ही सहना पड़ रहा है। बेतहाशा आर्थिक उन्नति इसी पर्यावरण के दोहन पर आधारित है। विश्व के अधिकतम देश पर्यावरण के बारे में बिना सोचे उसके खनिज पदार्थों का, संसाधनों का केवल अपने लाभ के लिए अपरिमित दोहन कर रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है प्रकृति से उसे लिया नहीं बल्कि एक प्रकार से लूटा जा रहा है। नदी के सतह में जो रेत पायी जाती है जिसे 'रीवर बेड' कहा जाता है जो न केवल नदियों के लिए बल्कि उनमें पायी जानी वाली तमाम प्रजातियों के लिए भी जीवनदायी होती है। उसमें अनेक प्रजातियाँ निवास करती है। जो नदियों को प्रदूषित होने से भी बचाती है। यह रीवर बेड बहुत सारे सुक्ष्म प्रजाति के जीव-जंतुओं का प्रजनन स्थल भी है, लेकिन कंक्रीट सभ्यता में नदी के इस बेड को बिना सोचे समझे उजाड़ा जा रहा है। जिससे नदी में पायी जाने वाली जीव-जंतु के साथ हमारा जैव विविधता भी प्रभावित हो रहा है। प्रकृति के प्रति मानव सभ्यता का यह रवैया न केवल प्रकृति बल्कि मानव सभ्यता के लिए खतरे का आगाज है। डॉ. राजकुमार ने लिखा है- "पर्यावरण की चिंता सिर्फ शौक या शगल नहीं, मजबूरी

है। इसका मतलब यह भी है कि हमें विकास के ऐसे मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा जो सिर्फ भौतिक समृद्धि पर आधारित न हो। अभी तक हम विकास को आर्थिक समृद्धि और खुशी का पर्याय मानते आए थे। अब ये समझ आ रहा है कि विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं है और आर्थिक समृद्धि का मतलब खुशी भी नहीं है। इनके रिश्ते ज्यादा जटिल और बहुआयामी हैं और उनमें से किसी एक पक्ष पर जोर देने से विकास की अवधारणा एक-आयामी हो जाती है। विकास का मतलब मनुष्यता का भी विकास है। प्रकृति या पर्यावरण का विनाश नहीं है।” पर्यावरण के विनाश के जिम्मेदार हम आनेवाली पीढ़ी तक के बारे में नहीं सोच रहे कि उनके लिए भी कुछ छोड़ना है। आज यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। विकसित पूँजीपति देशों ने आर्थिक उन्नति के लिए प्रकृति को खोखला, खाली करते जा रहे हैं। आज का समय प्रकृति के प्रति किए गए हमारे व्यवहार के लिए जवाबदेह होने का समय है। जहाँ प्रकृति अपने साथ हुए अन्याय के बारे में पूछ रही है। गंगा निकली थी घर से झिलमिल-झिलमिल/पानी के आईने में अपना चेहरा देख/जैसे मुस्कुराती हों चमकीली मछलियाँ/अब अपने आँचल में सारी गंदगी समेट/पुछ रही है तुमसे-सच-सच बताना/तुम तक आते-आते क्यों इतनी गंदी हो जाती है गंगा?¹⁰

आत्मनिर्भर भारत अभियान में तमाम अच्छाईयों के बावजूद प्रकृति तथा पर्यावरण के प्रति उसकी दृष्टि उपेक्षित रह गयी है जो उसकी सीमा है। इसमें आर्थिक उन्नति के प्रति जागरूकता की बात तो है पर पर्यावरण के प्रति यह जागरूकता गौण है। जबकि अच्छे विकास के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है और अतिशयता से बचने की जरूरत। गाँधी जी के स्वराज में और इसमें एक अंतर यह भी देखा जा सकता है। गाँधी जी के स्वराज के मॉडल में प्रकृति के प्रति भी चिंता है, इसकी संरक्षण की बात है, प्रकृति उपेक्षित नहीं है। अतः कह सकते हैं कि आर्थिक विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर, उसका ध्यान रखते हुए बढ़ना चाहिए।

संदर्भ

1. हिंदी साहित्य ज्ञानकोश, खंड-4, प्रधान संपा. शंभुनाथ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2019, पृ. सं. : 2046
2. वही, पृ. सं. : 2049
3. वही, पृ. सं. : 2059
4. डॉ. राजकुमार, हिंदी की साहित्यिक संस्कृति और भारतीय आधुनिकता, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2015 पृ. सं. : 18
5. केरकेट्टा, जसिंता, ईश्वर और बाजार, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2022 पृ. सं. : 77
6. हिंदी साहित्य ज्ञानकोश, खंड-4, प्रधान संपा. शंभुनाथ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2019, पृ. सं. : 2046
<https://hi.m.wikipedia.org>
7. गाँधी, महात्मा, हिंद स्वराज, शिक्षा भारती, दिल्ली, संस्करण : 2017, पृ. सं. : 48
8. <https://hi.m.wikipedia.org>
9. डॉ. राजकुमार, हिंदी की साहित्यिक संस्कृति और भारतीय आधुनिकता, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2015 पृ. सं. 19-20
10. केरकेट्टा, जसिंता, ईश्वर और बाजार, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2022 पृ. सं. : 183

इन्हीं हथियारों से क्रांतिकारी विचारों का दस्तावेज

अमर कुमार चौधरी

STATE ADDED COLLEGE TEACHER (SACT), हिन्दी विभाग, गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, कोलकाता

सारांश- 'इन्हीं हथियारों से' अमरकांत जी द्वारा रचित एक क्रांतिकारी और यथार्थवादी उपन्यास है। जिसके केंद्र में बिहार राज्य का बलिया जिला है। बलिया यानि वीरों या बलिदानियों की जन्म-भूमि। यहाँ सदा देश और समाज के लिए बलिदान होनेवाले लोग पैदा हुए इसलिए इसका नाम बलिया पड़ा। अमरकांत जी के शब्दों में-“कोई कहता है राजा बलि के नाम पर बलिया बना, कोई कहता है बाल्मीकि के नाम पर, पर मेरा यह कहना है कि यह बलिदानी भूमि है, यहाँ सदा देश और समाज के लिए बलिदान होनेवाले लोग पैदा हुए, इसलिए इसका नाम बलिया पड़ा।”¹ सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात्र इसी धरती से प्रारंभ हुई थी और यहीं के ग्रामीण निम्न मध्य वर्गीय पात्र अपने अहिंसा, असहयोग, एकता और सत्याग्रह आदि रूपी हथियारों से बलिया को सन 1942 में ही ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद कर लिया था। हिन्दुस्तान की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रथम चिनगारी बलिया के वीर सैनिक मंगल पांडे की बंदूक से निकली, वह समूचे देश में फैल गई। इस उपन्यास के निम्न मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय पात्र उस तरह की निराशा, हताशा और मोहभंग के शिकार नहीं हैं, जैसे की अमरकांत के कथा साहित्य के अधिकांश पात्र हैं। कारण यह है कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में आजादी का संकल्प है न कि आजादी के बाद का मोहभंग। यहाँ जीवन में भरपूर आशा, विश्वास, उत्तेजना और भविष्य को लेकर सुनहरे सपने हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का संकल्प है। अमरकांत जी के शब्दों में-“यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। सन 40 से 47 के बीच का समय व्यक्त हुआ है। बलिया का 42 का आंदोलन मशहूर है। 10 दिन तक आजाद सरकार ने काम किया था। मेरा उपन्यास उसी पीरियड के बहाने एक यथार्थवादी परिकल्पना है। आंदोलन की खामियों और खूबियों का जायजा लिया गया है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा, प्रेम प्रसंग आदि भी हैं। इसमें इतिहास का अनुभव पुनर्रचित है।”²

बीज शब्द- खामियाँ, बेबाक, बोरिया-विस्तर, इक्का-दुक्का, इंगित, जीवंत, वामपक्षीय।

प्रस्तावना- अमरकांत जी का यह उपन्यास इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि अपने देश को आजादी दिलाने के लिए सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किए। इस स्वतंत्रता आंदोलन में स्कूल के बच्चे, नौजवान, शिक्षक, व्यापारी, लेखक, कलाकार, वकील आदि सभी लोग शामिल थे और सबके समक्ष एक ही चुनौती थी-देश की आजादी। इस आजादी की लड़ाई में अमीर-गरीब सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर एक-दूसरे का साथ दे रहे थे। आज कोई अमीर या गरीब नहीं है सभी लोग भारतीय हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अपनी आवाजों को बुलंद किया है। हिंदुस्तान की जनता क्रांतिकारी जोश से भर गई थी। लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त कारवाई करना चाहते थे। “सन 1942 का ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस आंदोलन के साथ देश और उसकी अस्मिता दोनों एक साथ जाग उठे। दासता से मुक्ति के प्रयास अब एकांगी न रहा, राजनीतिक क्षेत्र समेत शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में जागरूकता की नई लहर दौड़ी। समूचा देश आजादी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकता के सूत्र में बांध गया। राजनीतिक नेताओं के साथ लेखक, कलाकार आदि भी इस अभियान के साथ जुड़ गए।”³ जिसके लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना किया गया। इस मंत्रिमंडल के बनने से बहुत से प्रतिबंध हटा दिए गए अनेक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे क्रांतिकारी छोड़ दिए गए। जो किताबें जब्त की गई वे खुलकर बेची जाने लगी। समाचार पत्र स्वतंत्रता के पक्ष में सही समाचार और बेबाक टिप्पणियाँ छापने लगे। यहाँ तक कि इतिहास-पुस्तकों के नए संस्करण आ गए जिनमें कांग्रेस तथा अन्य दलों के स्वातंत्र्य आंदोलन के विवरण विस्तार से छापे गए थे। इन घटनाओं से जनता में खास करके शिक्षित नौजवानों में अभूतपूर्व जागरूकता देखने को मिला। इसी समय देश में वामपक्षीय दलों के मजदूर-किसान आंदोलन भी सक्रिय थे। इस दिशा में समाजवादी पार्टी और साम्यवादी पार्टी विशेष रूप से सक्रिय थे। दोनों पार्टियाँ किसानों और नौजवानों को नए ढंग के आंदोलन के लिए तैयार कर रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण बलिया जिले के थे। इसलिए बलिया की जनता खास तरह से नौजवानों पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव अधिक था।

उद्देश्य- अमरकांत जी के इस उपन्यास में कोई मुख्य पात्र नहीं है लेकिन जीतने वाला है उनका अपना महत्व है। सभी पात्र चाहे वह उच्च वर्ग का हो अथवा निम्न वर्ग का अपना विशिष्ट पहचान रखता है। इन पात्रों में नीलेश, दयाशंकर, गोबर्धन, नफीस, रातनसिंह, रमाशंकर, सुरेश्वर प्रसाद, सुरंजन शास्त्री, गोपालराम, नम्रता, देला, आनंदी और भगजोगिनी आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। इतने पात्रों का महत्वपूर्ण होने का कारण है-‘भारत के विभिन्न प्रांतों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष।’ भारत के प्रायः सभी प्रांतों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे थे विशेषकर बिहार राज्य के बलिया प्रांत में अधिक तीव्र और प्रभावशाली था। बलिया के प्रत्येक नागरिकों के अंदर स्वतंत्रता रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी जिसमें वे ब्रिटिश सरकार को भष्म करना चाहता है। प्रांत की स्त्रियाँ भी पुरुष पात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में शामिल थी। स्त्रियाँ भी अपनी क्षमता अनुसार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाल ली थी। “वस्तुतः बलिया की समूची जनता आजादी के लिए व्याकुल थी। उसने आजादी के हर आंदोलन में आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था और आज वह इस आखिरी लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार थी। इस समय न कोई धर्म, न कोई जाति, न क्षेत्र। बस पूरा हिंदुस्तान। एक विशाल, अटूट चट्टान।”⁴

उपकल्पना—अमरकांत के इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आजादी के इस लड़ाई में सभी पार्टी के मुख्य नेता अपनी-अपनी रोटी सेकने या अपनी अंगुली सीधा करने में नहीं लगे थे बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। सभी पार्टी के लोग एकता के सूत्र में बंधे थे क्योंकि उन लोगों की मान्यता थी कि एकता की भावना से ही मजबूती मिलेगी और आपस में लड़ाई करने से पार्टी तथा संघर्ष कमजोर हो जाती है। “आजादी की लड़ाई हैं, हमें एक-दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। एकता की भावना से काम करने और कुर्बानी देने में जो आनंद है, वह किसी चीज में नहीं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आपस में लड़ते हैं, यह ठीक नहीं। हमें तो गांधीजी का रास्ता ठीक लगता है, सब साथ चले, सब एक-दूसरे को प्यार करो।”⁵ साथ ही साथ इस आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर और किसी क्रांतिकारी पार्टी के पास न पर्याप्त सदस्य थे और न ही नए सदस्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने की कोई योजना। फिर भी ये क्रांतिकारी रहस्यमय ढंग से भूमिगत रहते, सबसे अलग-थलग होकर काम करने में क्रांति की सार्थकता समझते थे।

आलेख का मुख्य भाग—अमरकांत जी का यह उपन्यास गुलामी के जंजीर में जकड़े लोगों के भीतर स्वतंत्रता की भावना को जागृत करता है। मनुष्य गुलामी पसंद नहीं करता है क्योंकि गुलामी भयंकर अभिशाप है। गरीब से गरीब मजदूर भी नमक के साथ सुखी रोटी खाना पसंद करेगा किन्तु किसी का गुलाम बनाकर स्वादिष्ट भोजन खाना स्वीकार नहीं करेगा। आज उन्हें अपने अधिकार और शक्ति का स्मरण हो गया है उन्हें यह भी भली-भांति ज्ञात हो चुका है कि ब्रिटिश शासन काल का अवशान निकट है। उपन्यास का क्रांतिकारी पात्र सुरंजन शास्त्री अपने लोगों से कहता है—“आप क्षितिज की ओर देखिए, एक बड़ी आंधी आने के आसार है। यह आंधी गुलामी को नष्ट कर देगी, अतताइयों को मिटा देगी। आप इसे आजादी की आंधी कहिए, गांधी की आंधी कहिए, बुद्धिआ आंधी कहिए, महाआंधी कहिए, मनुष्य के इतिहास की यह सुपरिचित आंधी है। हाँ, यह प्राचीनतम आंधी है। मानव इतिहास में यह अक्सर आई है। जहां गुलामी है। जहां जुल्म है अन्याय है, तानाशाही है, वहाँ बार-बार आई है। मुक्ति की आंधी है यह।”⁶ इस आंधी का परिणाम यह हुआ कि जो ब्रिटिश शासन भारत के कंधे पर एक लाश के समान भारी बोझ था, उसे भारतीयों ने अपने कंधे से उतार कर लाश को बोरिया-बिस्तर समेत समुन्द्रपार उसे अपने देश भेज दिया।

अमरकांत जी अपने इस उपन्यास में स्वतंत्रता के तुरंत बाद की भारतीय राजनीतिक परिस्थिति को भी चित्रित किए हैं जिनमें उन्होंने भारतीय एकता और संप्रभुता को दर्शाया है। शहरों तथा गांवों की साधारण जनता तथा सभी पार्टियों के मुख्य क्रांतिकारी नेता इस बात पर बहुत प्रसन्न थे कि उनका स्वाधीनता आंदोलन हर क्षेत्रों में अपने मुख्य सिद्धांतों से कभी भी भटका नहीं। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के कितने ही अत्याचारों को सहना पड़ा उनके धोखेबाजी से कितने भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी जान गवाई। फिर भी आजादी की लड़ाई में कभी रुकावट नहीं आने दी। भारतीय जनता अपनी शक्ति और संयम का परिचय देते हुए देश की आजादी के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दी। “मगर साधारण जनता-शहर और गांवों की-तथा उनके नेता खुश थे कि उनका आंदोलन हर जगह अपने सिद्धांतों से भटका नहीं और सत्ता पक्ष की क्रूरता और धोखेबाजी के बावजूद संयम रखा गया निरंतर। गर्व उनको इस बात का भी था कि लोगों ने हँसते-हँसते जान दे दी, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली। आपस में मतभेद थे, बहसे भी हुई, गलत समझ से इक्का-दुक्का अनुचित घटनाएं भी हो गई, फिर भी कुल मिलाकर साधारण जनता राष्ट्रीय आंदोलन की उच्चतम परंपराओं और आदर्शों पर ही चली। और जब सर्वोच्च नेता का आदेश हुआ तो अपने-अपने गांव लौटकर पंचायत व्यवस्था के अनुसार शासन काम-काज चलाने की कोशिश करने लगे।”⁷ स्वतंत्रता उपरांत देश के शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सर्वोच्च क्रांतिकारी दल के श्रेष्ठ नेता को देश का मुखिया सर्व सहमती से बनाया गया। मुखिया के आदेश पर सभी क्रांतिकारी दलों के नेता शहरों और गांवों में पंचायत व्यवस्था के अनुसार शासन का काम-काज आरंभ किए। पंचायतों द्वारा काम चलाने का अनुभव ग्रामीण क्रांतिकारियों को कुछ तो था ही, जिसमें नए विचार और नई जरूरतों का भी समावेश किया गया। गांवों में जगह-जगह स्थानीय शासन परिषद की स्थापना किया गया तथा उस परिषद में उन्हीं लोगों को सदस्य या पदाधिकारी बनाया गया जो शिक्षित, बुद्धिमान और देश भक्त थे और जिन्होंने आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया था।

निष्कर्ष—इस प्रकार कहा जा सकता है कि अमरकांत जी का यह उपन्यास क्रांतिकारी चेतना से ओत-प्रोत एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। जिनमें उन्होंने भारतीयों के भीतर अपने देश के प्रति मर-मिटने की भावना को इंगित किया है। देश और देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा है। अतः यह उपन्यास सच्चे अर्थों में क्रांतिकारी विचारों का जीवंत दस्तावेज है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-8।
2. अमरकांत, कुछ यादें कुछ बातें, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ संख्या-132।
3. शाह डॉ. साधना, हिन्दी कहानी संरचना और संवेदना, वाणी प्रकाशन दिल्ली, द्वितीय संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-20।
4. अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-98।
5. अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-94।
6. अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-13।
7. अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण-2008, पृष्ठ संख्या-448।

शिक्षा तथा कौशल विकास में आत्मनिर्भर भारत

पुष्पा देवी

बेसिक शिक्षा विभाग, पीलीभीत

प्रस्तावना

मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा, पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने दिमाग का पूर्ण विकास कर सकता है। वर्तमान युग में शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना होगा। आज पूरी दुनिया में सब कुछ आधुनिक होता जा रहा है तकनीक से जुड़ी चीजों को समझने व सीखने में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा की जरूरत किसी एक धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों को ही नहीं है बल्कि सभी को है। आज स्त्री व पुरुष दोनों समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा लोगों के सोचने का नजरिया बदल देती है और चीजों को समझने की शक्ति का विकास करती है। लोगों में आत्मविश्वास, व्यावहारिकता, समाजिकता पैदा करती है। शिक्षा मनुष्य का वह गुण है जो वास्तव में मनुष्य बनाता है। शिक्षा का महत्व आज भी उतना ही है जितना पुराने काल में था। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है जो कौशल विकास पर जोर दे। पूरी दुनिया के बदलते हालात देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। जिसके तहत उन्होंने व्यापक राहत पैकेज दिए जाने की बात भी कही थी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की जनता से वोकरा फॉर लोकल होने की अपील भी की गई। मौजूदा समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले राहत पैकेज द्वारा लघु एवं अन्य उद्योगों को सहायता प्रदान की जा रही है।

आत्मनिर्भरता एक ऐसी कला है जो किसी की मानसिक दशा के मजबूत ढांचे पर आधारित है। मानसिक ढांचे को रंग-रूप देने का कार्य शिक्षा पर ही आधारित होता है। आत्मनिर्भरता की बुनियाद है शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा एक उपकरण है, जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता को पहचानने और उसकी प्राप्ति का काम करती है। शिक्षा के द्वारा बच्चे में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना आवश्यक है। आत्मनिर्भरता कैसे सिखाई जाए इसके लिए शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों को जानना जरूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उसकी छिपी हुई प्रतिभाओं से रूबरू कराना है और यह सिखाना है कि वह इन प्रतिभाओं को कहाँ और कैसे अपने जीवन के संघर्षों को चुनौती में बदलकर सफल हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर उम्र के व्यक्ति का विभिन्न संदर्भों में सीखने की प्रक्रिया वर्णित है व्यक्ति केवल विद्यालय में ही नहीं वरन घर, बाहर, कार्यस्थल कहीं भी सीखने की प्रक्रिया में रहता है। एक देश के आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास होना बहुत जरूरी है। कौशल विकास का अर्थ केवल रोजगार प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों में गुणात्मक सुधार कर कार्य प्रदर्शन को बेहतर और उत्पादक बनाना है। कौशल विकास उनके रोजगार को तो सुनिश्चित करेगा ही उनके आर्थिक स्थिति को भी सशक्त करने में सहायक होगा। यह लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित करता है। कौशल विकास आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता लाने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है कौशल विकास दशा व दिशा दोनों में परिवर्तन लाने का सकारात्मक प्रयास करता है। कौशल विकास द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की कुशलताओं का विकास करके अपने खुद के व्यवसाय को शुरू कर सकता है। कौशल विकास द्वारा उत्पादक में वृद्धि होती है। व्यक्ति की आय के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। कौशल विकास एक ऐसा शब्द है, जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षता व क्षमता का समावेश होता है। कौशल विकास पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य किसी कोर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर खुद में कोई नई स्किल डेवलप करना है। कौशल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को उन विचारों और कौशलों में सुधार करने में मदद करेंगे, जो उनके पास पहले से है। यह उनके भविष्य को बढ़ावा देगा। कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम शिक्षा और उचित प्रशिक्षण से कौशल विकास संभव है। कौशल विकास से आत्मनिर्भरता संभव है। वर्तमान युग की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा पद्धति में रोजगारोन्मुखी बदलाव की जरूरत है। जिससे पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थी इतना कुशल एवं कौशल प्राप्त कर लें कि वह आत्मनिर्भर बन सकें। उसे रोजगार के लिए इधर-उधर भटकना ना पड़े। वर्तमान युग दूरसंचार क्रांति का युग है। तकनीकी युग में युवाओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान कर कौशल विकास विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इस जनसंख्या का उपयोग कौशल विकास के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है समान शिक्षा पद्धति और युवाओं को कौशल विकास आधारित रोजगार शिक्षा दी जाए। कौशल विकास के क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं को शिक्षा क्षेत्र से जोड़कर कौशल विकास को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कौशल विकास के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता भी जरूरी है। जिससे कौशल विकास की नींव मजबूती से खड़ी हो सके। कौशल विकास को पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, वचनबद्धता और सत्यनिष्ठा के साथ युवाओं के विकास के साथ राष्ट्र के विकास से जोड़कर कार्यान्वित किया गया तो यकीनन कौशल विकास वरदान साबित होगा। इससे युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग भी होगा और युवा आत्मनिर्भर भी होगा। यदि कौशल विकास में निपुणता प्राप्त कर युवा शक्ति आत्मनिर्भर हो गई तो राष्ट्र सर्व संपन्न होगा और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ेगा। देश

का कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता यह कदम दुनिया के लिए अनुकरणीय होगा। कौशल विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उचित स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है।

विकास शब्द का अर्थ संकुचित ना होकर व्यापक है। साधारण शब्दों में विकास का अर्थ उन्नति, प्रगति, अच्छा जीवन कल्याण आदि से है। विकास शब्द का संबंध समाज के प्रत्येक पहलू से है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई प्रकार के रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे- कृषि कोर्स, आईटीआई कोर्स, मोटर वाहन कोर्स, फर्नीचर तथा फिटिंग आदि के प्रकार के कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल भारत मिशन के अंतर्गत भारत के प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक विजिबल आकांक्षा मॉडल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की पहल की है। इन मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों को प्रधान मंत्री कौशल केंद्र पी.एम.के.के. के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन कौशल और ऋण योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी.एम.के.वी.वाई. और कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास है।

कौशल निर्माण में निजी क्षेत्र की संभावनाएं-निजी क्षेत्र कई प्रकार के कौशल निर्माण में मदद कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2022 प्रशिक्षण कोर्स की सूची-

- स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विड डिसेबिलिटी कोर्स
- हॉस्पिटैलिटी तथा टूरिज्म कोर्स
- टैक्सटाइल्स कोर्स
- टेलीकॉम कोर्स
- सिविलियरिटी सर्विस कोर्स
- पावर इंडस्ट्री कोर्स

बाजार में मांग का पूर्वानुमान-यह क्षेत्र रोजगार उत्पन्न करता है। इसका उपयोग करता है। क्षेत्र को बाजार से उत्पन्न होने वाली मांग के बारे में आभास रहता है। वह रोजगार परक कुशल जनशक्ति की एक संसाधन स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। समय की मांग के अनुसार कौशल में प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण की स्थापना-निजी क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि कौशल का प्रशिक्षण रोजगारोन्मुखी होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण के अनुरूप हो। ताकि विश्व बाजार में भी भारत प्रतिस्पर्धा कर सके।

प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ व्यवस्थित एवं व्यवहारिक तालमेल-सरकारी योजनाओं के प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पहुंच, जानकारी, विशेषज्ञता एवं अपनी जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ एक व्यवहारिकता करना।

कौशल विकास कार्यक्रमों में व्यवसायिक प्रशिक्षण-कौशल विकास तभी व्यावहारिक रूप से प्राप्त कर सकता है जब प्रशिक्षक उचित मार्गदर्शन द्वारा युवाओं को कुशल श्रम शक्ति में परिवर्तित कर सके।

सी.एस.आर. कोष का उपयोग-निजी क्षेत्र के पास २% कोष का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रम में निवेश करने के लिए अपेक्षित है।

शोध कार्य पर बल-पारंपरिक व्यवसाय के अतिरिक्त नई तकनीक एवं आविष्कार पर आधारित कौशल विकास की संभावनाओं पर बल दे ताकि विश्व पटल पर हम अपना आविष्कार योगदान दे सकें। उद्यमिता विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण में उद्यमिता की धीमी गति एवं उद्यमिता के लिए प्रतिकूल वातावरण जिम्मेदार है। उद्यमिता के लिए एक सशक्त एवं स्थाई वातावरण बनाने के लिए सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। मेक इन इंडिया, ई गवर्नेंस जैसी राष्ट्रीय योजनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

किशोर एवं गुप्ता के 2009

<http://pradhanmantri-yojana.in/pradhan-mantrikaushal-vikas-yojana>

Internet resource: <http://www.skilldevelopment.gov.in/industry.html>

सामाजिक उत्थान और आत्मनिर्भर भारत में भगवत गीता का योगदान

खुशबू लाटा

शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

प्रो० (डॉ०) मंजू शर्मा

शोध पर्यवेक्षक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

वर्तमान समय में मानवता एक कठिन दौर से गुजर रही है, हर कोई न केवल वित्तीय मामलों से, बल्कि मन की शांति के लिए जूझ रहा है, जीवन इतना थका हारा क्यों हो गया है? आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यह कठिन प्रश्न शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया अब भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को आशान्वित भाव से देख रही है। हम भारतीय सामान्य रूप में, आमतौर पर हमारे प्राचीन ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, जो पश्चिमी देशों और कई अन्य देशों में गहराई से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और इस महान ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं, जो हमें हमारे प्राचीन ऋषियों ने आसानी से विरासत में दिया है। वर्तमान देश की समस्या सामाजिक मूल्यों में गिरावट हो रही है। बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाये।

कीवर्ड—सामाजिक मूल्य, सामाजिक उत्थान, आत्मनिर्भर, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक ज्ञान आदि।

प्रस्तावना

श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसी धार्मिक साहित्य की पुस्तकों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले प्रकाशन ने भी कई आकार में अर्थ और भाष्य के साथ श्रीमद्भगवद्गीता के प्रकाशन द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है। विश्व को भगवद्गीता के रूप में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वास्तविक ज्ञान की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। किसी भी स्तर, लिंग, जाति, पंथ, धर्म या रंग से प्रत्येक व्यक्ति अमीर या गरीब, बड़ा या छोटा, बुजुर्ग या किशोर सभी की समस्याओं का समाधान भगवद्गीता में मिलता है। हम इसे जीवन “प्रबंधन पुस्तक” के रूप में मान सकते हैं।

भगवद्गीता को मोटे तौर पर तीन खंडों में ज्ञान, कर्म और व्यवहार में विभाजित किया गया है। भगवद्गीता खोए हुए पथिक को रास्ता दिखाती है, सभी को यथोचित और योग्य उत्तर देती है। जब अर्जुन ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था और उसका मन खिन्न हो गया था, उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें हमारी आत्मा की क्षणिक और शाश्वत उपस्थिति के बारे में ज्ञान दिया और कैसे धर्म, योग्य मार्ग, उचित कार्यों के साथ उत्थान के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखने और जो कुछ भी है उसका व्यापक दृष्टि से समाधान ढूंढने के लिए कहा था। मन और उससे जुड़े आयाम हमारे जीवन में कभी न खत्म होने वाले कष्टों का मुख्य कारण हैं, अच्छे समय में भी, हम सच्चे अर्थों में खुश नहीं हैं। अंततः शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर कई समस्याओं से लड़ते रहते हैं। इन सभी मुद्दों के पीछे का सरल कारण हमें हमारे स्कूल जीवन या कॉलेज जीवन में इन आयामों के बारे में कभी नहीं सिखाया गया है। हमारे स्कूली दिनों से भगवद्गीता का यह अनमोल ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब बच्चा अपने मन को शांत करना सीख जाता है, तो जाहिर है कि वह खुशी और मन की शांति के साथ किसी भी लक्ष्य/उद्देश्य को प्राप्त करेगा, तब हम इसे वास्तविक सफलता कह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने योग साधना पर प्रमुखता से ध्यान दिया। निश्चित समय-अवधि में किया गया ध्यान अभ्यास हमारी क्षमता के बारे में स्पष्टता लाता है, तनाव को समाप्त करता है, अनावश्यक स्मृतियों को मिटा देता है और सर्वशक्तिमान के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है।

भगवान कृष्ण ने कहा, विभिन्न कार्यों को करते हुए, इसे भगवान के कार्य को कर रहे हैं ऐसी भावना सदैव अपने मन में रखें और परिणाम के बारे में सोचें बिना कार्य को वरीयता दें ताकि कार्य अधिक गहराई और प्रभावी ढंग से हो सकें। जो कुछ भी आपके कार्यों का परिणाम होगा उसे विनम्रता से स्वीकार करें, सही समय आने पर आपको उसका फल मिलेगा। हम आज की दुनिया में विशेष रूप से युवाओं के साथ देख रहे हैं, हर क्रिया को सफलता या असफलता

के पैमाने में देखा जाता है। अंत में आशा, अवसाद, आक्रामकता, उद्दीग्न मन सभी के लिए नकारात्मक वातावरण बनाने में कारणीभूत होता है। मन की शांति और आनंदपूर्ण तरीके से कार्यों को करने का तरीका जानने के लिए भगवद्गीता पढ़ें, ताकि हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में भी धीरे-धीरे प्रगति करते रहें।

श्रीमद् भगवद् गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु। ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेकसे नवाजा है, जिसका प्रयोग कर इस ज्ञान को हमें अपने आचरण में उतारना होगा। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं जो जीवन-मृत्यु के दुर्लभ सत्य को अपने में समेटे हुए है, बल्कि एक सच्चे मित्र व गुरु की तरह उपदेश भी देती है। यह केवल किसी मनुष्य विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए है। इसमें अध्यात्म एवं धर्म के बीच मोक्ष और सिद्धि को प्राप्त करने का उपदेश है। गीता में उपदेशित वाक्य और उससे प्राप्त शिक्षा को यहाँ विश्लेषित कर बिंदुवार प्रस्तुत किया गया।

1. कर्म की प्रधानता या निष्काम कर्म की भावना
2. सभी के प्रति क्षमा भाव-सहृदय और स्नेह की प्रतिमूर्ति भगवान श्रीकृष्ण के क्षमाशील होने का भाव मँदिया।
3. स्वयं पर नियंत्रण-भीष्म पितामह के व्यक्तित्व में सहृदयता, सरलता के साथ स्वयं पर नियंत्रण करनेकी क्षमता को देखा गया।
4. देने की प्रवृत्ति-दानवीर कर्ण, महाभारत के ऐसे पात्र हैं, जिन्होंने दूसरों की मदद कर समाज में दानवीर की उपाधि पाई।
5. क्षमाशील व्यक्तित्व-धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा निरंतर परिवारजनों के प्रति क्षमा का भाव सदैव हृदय में रखा गया।
6. असत्य पर सत्य की विजय-परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन और विषम हो सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना।

भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान सर्वोच्च और सर्वव्यापी है। विपरीत परिस्थितियों के दौरान, आपके निकट और प्रियजन आपको छोड़ सकते हैं, फिर भी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं आपसे बिना शर्त प्रेम करता रहूँगा। इसलिए, हर कार्य को प्रेम के साथ मेरी क्रिया के रूप में करें। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, इसलिए अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए और काम-सुख के लिए किसी भी बुरे काम को न करें।

गीता हिन्दू धर्म का प्राचीन ग्रन्थ है और यह प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत समावेशित है। इसकी प्रमाणिकता उपनिषदों और 'ब्रम्हसूत्र' के बराबर मानी गयी है। भारत में जब बौद्ध धर्म का हरास हो गया था उस समय विभिन्न धर्म और उसके धर्मावलम्बी अपने-अपने मत को उत्कृष्ट रूप प्रदान करने के लिए उठ खड़े हुये जिनमें से प्रमुख-अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि प्रमुख थे। गीता की विभिन्न टिकायें आचार्यों द्वारा एक ओर अपने मत के समर्थन, प्रोत्साहन और वृद्धि के लिए लिखी गयी तथा दूसरी ओर दूसरे सम्प्रदायों के खण्डन के लिए लिखी गई है।

निष्कर्ष

आत्मा अक्षय ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान शक्ति की विभिन्न मात्रा से क्रिया शक्ति का उदय होता है, प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति के गुण सत्त्व, रज, तम का जन्म होता है। सत्त्व-रज की अधिकता धर्म को जन्म देती है, तम-रज की अधिकता होने पर आसुरी वृत्तियाँ प्रबल होती और धर्म की स्थापना अर्थात् गुणों के स्वभाव को स्थापित करने के लिए, सतोगुण की वृद्धि के लिए, अविनाशी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त आत्मा अपने संकल्प से देह धारण कर अवतार गृहण करती है। सम्पूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ है बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाये रखो तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप से करते रहो। स्वभावगत कर्म करना सरल है और दूसरे के स्वभावगत कर्म को अपनाकर चलना कठिन है क्योंकि प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्मा है, जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया है उसमें सरलता से उसका निर्वाह हो जाता है। श्री भगवान ने सम्पूर्ण गीता शास्त्र में बार-बार आत्मरत, आत्म स्थित होने के लिए कहा है। स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक्त होना सरल है अतः इसे ही निश्चयात्मक मार्ग माना है। यद्यपि अलग-अलग देखा जाय तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का गीता में उपदेश दिया है परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो सभी योग बुद्धि से श्री भगवान को अर्पण करते हुए किये जा सकते हैं इससे अनासक्त योग निष्काम कर्म योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। यह से मानव के सामाजिक उत्थान और आत्मनिर्भरता को ओर कदम आगे बढ़ते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. श्रीमद्भगवद् गीता
2. द्विमासिक पत्रिका 'रचना' अंक 105 नव. दिसं. 2013 एवं जन.फर. 2015
3. कल्याण अंक-जुलाई, अगस्त
4. नैतिक मूल्य और भाषा
5. अहा! जिन्दगी दिस. एवं जन 2014

ग्रामीण भारत की सामुदायिक संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत

डॉ० मनोज कुमार गुप्ता

सहायक आचार्य, डॉ० अम्बेडकर पीठ, डॉ० बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ० अम्बेडकर, नगर, इंदौर (म.प्र.)

डॉ० वन्दना गुप्ता

सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

सारांश

स्वावलंबन का चिंतन भारत की समावेशी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। निजी जीवन से लेकर लोक और सामाजिक जीवन का हर पहलू संवहनीय विकास पर आधारित रहा है। आत्मनिर्भरता को महज आर्थिक संदर्भों में देखा-समझा जाना संकुचित परिभाषा होगी। यह एक व्यापक आयाम है। भारतीय संदर्भ में ग्राम्य व्यवस्था को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। गांवों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता से आशय व्यक्तिगत निर्भरता की जगह सामुदायिक निर्भरता से है। सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों के आलोक में समाज की पहचान प्रमुखतः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के रूप में देखा जाता रहा है। चार्ल्स मैटकोफ भारतीय गांवों को स्व-शासित एवं आत्मनिर्भरता आधारित एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो अपनी अधिकाधिक जरूरतों की पूर्ति अपने गांव के भीतर ही कर लेती है। आधुनिक संदर्भों में भारतीय गाँव और उनकी सामुदायिक संस्कृति का स्वरूप और परिवेश दोनों बदला है। ऐसे समय में जब हम विश्व गाँव की संकल्पना को साकार करने को अग्रसर हैं। स्थानीय को वैश्विकता से और वैश्विकता को स्थानीयता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में महात्मा गांधी का ग्राम चिंतन ध्यान में आता है। गांधी भी गांवों के विकास में भारत के विकास को देखते और मानते थे। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व की दूरदर्शिता सहित गाँवों की भूमिका और ग्रामीण जीवन की सामुदायिक चेतना की अहम भूमिका सामने आई। आधुनिक होती दुनिया में 60 प्रतिशत के करीब ग्रामीण आबादी वाले सामुदायिक चेतना सम्पन्न भारत के लिए आत्मनिर्भरता पर चिंतन करना बेहद समीचीन हो जाता है। यह चिंतन महज आर्थिक विकास के सोपान के अध्ययन का नहीं अपितु इस अध्ययन में आधुनिक ग्रामीण सामुदायिक जीवन के साथ आत्मनिर्भर भारत के जरिये संवहनीय विकास दृष्टि का अध्ययन शामिल है।

शब्द कुंजी-सामुदायिकता, आत्मनिर्भरता, भारत, गाँव, स्वावलंबन, संवहनीय।

शोध दृष्टि- प्रस्तुत शोध खपत्र ग्रामीण भारत की दार्शनिक एवं सांस्कृतिक चेतना में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन तथा स्वराज्य के चिंतन को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित शोध दृष्टि अपनाई गयी है।

प्रस्तावना

सतत और संवहनीय विकास के लिए आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और स्थानीयता की समग्रता का दर्शन भारत की ज्ञान और कर्म आधारित जीवन शैली में विद्यमान रहा है। भारतीय चिंतन प्रकृति के नियमों पर आधारित रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ज्ञानेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों को समभाव रूप से विकसित किए जाने की परंपरा रही है। कृष्ण और सुदामा के बारे में सभी सुनते आये हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के मूल में केवल ज्ञानावलंबी ही नहीं बल्कि स्वावलंबी होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता विकास का सार्टकट नहीं है। यह निरंतरता और स्थायित्व का द्योतक है। भारत के गाँव इसका उदाहरण हैं। भारत की प्रथम एवं द्वितीय नगरीकरण सभ्यता का विकास भी गाँव से ही हुआ है। स्वावलंबन भारत की सनातन परंपरा में रचा बसा है। यह प्रकृति और प्राणी मात्र के दोहन की नहीं अपितु उसके साथ सहचर्य की संस्कृति है। जब हम सहचर्य के विचार से विकास के रास्ते पर बढ़ते हैं तो ग्रीड नहीं नीड आधारित जीवन शैली का अनुपालन करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बावजूद भारत इतने कम समय में अपने आपको दुनिया के समक्ष उसी तरह अगर खड़ा कर पाया है तो उसमें गांवों की भूमिका अहम है। यह मानव जाति के अस्तित्व के संकट का दौर रहा है। चुनौतियों के बीच संभावनाओं की तलाश आत्मनिर्भरता के रूप में आई। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र ग्रामीण भारतीय सामुदायिक संस्कृति के पुनरुत्थान का मंत्र साबित हुआ। जिस स्वावलंबन की बात आत्मनिर्भर भारत के जरिये की जा रही है वह व्यक्तिगत जीवन के साथ व्यापक अर्थों में सामाजिक जीवन को भी लक्षित करती है। गाँव को भारत के विकास का मॉडल मनाने वाले गांधी की संकल्पना में आत्मनिर्भरता का ही दर्शन दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी ने हिन्द स्वराज

की रचना ग्राम्य स्वराज्य को केंद्र में रखकर ही की। ब्रिटिश साम्राज्य से पहले भारत के गाँव समृद्धि के पर्याय थे। उन्होंने भारतीय गाँवों की परंपरागत कृषि, विनिमय, शिक्षा और सामाजिकता को कमजोर बल्कि खत्म करने का कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता और बदहाली गाँवों में प्रवेश हुई।

स्वाधीनता आंदोलन के समानान्तर गाँवों को पुनः उनकी स्थिति में लाने के प्रयास चल रहे थे। अवध का किसान विद्रोह और चौरी-चौरा का घटनाक्रम ग्रामीण भारत की थाती को बचाने के अभियान के रूप में रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन आधारित भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वाहक कुशल, परिश्रमी एवं स्वाभिमानी रहे हैं। आजादी के बाद गाँवों के ढांचागत विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लेकर पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानीकरण के प्रयास गाँव स्वावलंबन की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। आधुनिक भारत के आत्मनिर्भर गाँवों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान आधुनिक होते गाँव के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रहा है। टिकाऊ आधारभूत ढांचा तैयार करने के क्रम में सुदूर गाँवों तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य और इंटरनेट सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास गाँवों के पुनरुत्थान से जुड़ा है। आधुनिक होते गाँव आज भी अपनी जरूरतों की बहुत सारी वस्तुओं के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं हैं। आधुनिक तकनीक और नवाचार को अपनी संस्कृति के स्वाभाविक गुण के रूप में देखें तो हमारा अचार, विचार और व्यवहार आत्मनिर्भर के संकल्प को पूरे करनेवाले होंगे।¹ कालांतर में गाँवों के बारे जो नैरेटिव सेट किया गया कि गाँवों का मतलब अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, बदहाली और पिछड़ापन है जो कि अब पुरानी धारणा हो गयी। स्वाधीनता के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान, गाँवों को भारत की शान और विकास के पर्याय के रूप में पुनर्स्थापित करने का संकल्प है। भारतीय गाँवों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विश्वदृष्टि स्पष्ट है। सामुदायिकता और स्वावलंबन के बीच स्थानीय स्वशासन के जरिये गाँवों की समृद्धि वापस आ रही है। परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा, स्वदेशी को बढ़ावा, ट्रांसपोर्ट और तकनीकी की पहुँच तथा बैंकिंग की सहजता भारत की गाँव संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयासों का एक मजबूत आधार है। कृषि से लेकर स्वास्थ्य और संस्कारों में देशज ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना रची-बसी हुई है। ग्रामीण शिल्पी तो सामुदायिक संस्कृति और सामाजिक वैशिष्ट्य के वाहक रहे हैं। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सूत्र का प्रकटीकरण आधुनातन के स्वीकार और पुरातन संस्कार की निरंतरता के बीच ही संभव है।

सामुदायिकता का सांस्कृतिक महत्व

सामाजिक संबद्धता और परस्पर सहयोग की भावना के बीच सामुदायिकता की पहचान बनती है। मैकाइवर, डेविस, आगबर्न और निमकॉफ से लेकर एच. मजूमदार ने समुदाय को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। समग्रता में देखें तो किसी सीमित भौगोलिक परिक्षेत्र में निवासित समूह के रहन-सहन, आचार-व्यवहार, संस्कार एवं संस्कृति की परस्पर अंतर्संबद्धता और सहयोग के आधार पर रहने वाली सामाजिक इकाई को समुदाय कहते हैं। प्रायः सामुदायिकता गाँवों से संदर्भित किया जाता है। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। सनातन संस्कृति से लेकर आज तक गाँवों का महत्व बरकरार है। समुदाय आधारित समाज व्यवस्था कहीं न कहीं विविधता में एकता की संकल्पना से भी जुड़ा है। भारतीय ग्रामीण जीवन के आलोक में सामुदायिकता की बात करते हुए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, प्रकृति से निकटता, बोली-भाषा और लोकचेतना आदि की समरूपता ध्यान में आती है। सामुदायिकता की संस्कृति विकेन्द्रीकरण की संस्कृति भी कही जा सकती है। गाँवों की आंतरिक संरचना में भले ही आज कुछ परिवर्तन आया है लेकिन उसकी महत्ता किसी भी मायने में कम नहीं हुई है। सीधे अर्थों में यदि देखें तो सामुदायिक संस्कृति दरअसल आत्मनिर्भरता की संवाहक है। बसते उसे समयानुकूल बदलाओं को स्वीकार अपनी सैद्धांतिकी के दायरे में रहकर करते रहना होगा। समुदाय का सांस्कृतिक महत्व इस माने में भी है कि वह आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों की निरंतरता के साथ लोक संस्कृति, भाषा-बोली और कौशल क्षमता का हस्तांतरण भी एक पीढ़ी से दूसरी में करता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला आर्थिक-सांस्कृतिक हस्तांतरण उत्पादन प्रणाली और संसाधनों तक पहुँच प्रभावित किए बिना संभव होगा? संभवतः नहीं। आज ग्रामीण समुदाय को एक ऐसी इकाई के रूप में देखे जाने की जरूरत है जो भविष्य के भारत की दिशा तय करने वाली है। समुदाय को एक इकाई मान लें तो समुदाय के भीतर होने वाले हर सकारात्मक अथवा नकारात्मक बदलाव का असर प्रत्येक व्यक्ति पर परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पड़ता ही है। समुदाय का सांस्कृतिक महत्व धर्म, अध्यात्म, अर्थ और जीवन शैली तथा संस्कार के स्तर पर देखने को मिलता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्तित्व विकास पर परिवेश का व्यापक प्रभाव पड़ता है। सामुदायिकता का सांस्कृतिक महत्व स्वशासन और स्वावलंबन के मूल्यों को विस्तार देना है, और यही आत्मनिर्भरता का निहित उद्देश्य भी है।

आत्मनिर्भर गाँव से आत्मनिर्भर भारत

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गाँव है। भारतीय संदर्भ में गाँव महज एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की निरंतरता है। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी परंपरागत संस्कृति और लोकजीवन को समझना होगा। कृषि, पशुपालन और प्रकृति केन्द्रित अर्थव्यवस्था वाली भारतीय ग्राम्य संस्कृति के आधुनिक होते स्वरूप का अध्ययन आत्मनिर्भर गाँव से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का बुनियादी पहलू है। समुदाय आधारित ग्राम व्यवस्था में बाह्य निर्भरता को न्यूनतम रखे जाने का सहज प्रयास किया जाता रहा है। सीमित संसाधनों में असीमित संभावनाओं की युक्ति ही आत्मनिर्भर गाँव से आत्मनिर्भर भारत का सूत्र है। आत्मनिर्भरता को दो दृष्टियों से देखना होगा-पहला, 'स्वावलंबन' और दूसरा 'स्वराज्य'² स्वावलंबन एक रूप में संसाधनों की निर्भरता का द्योतक है। जिससे जीवन के अस्तित्व का विषय जुड़ा है। 'स्वराज्य' एक रूप में जीवन और समाज व्यवस्था से संबंधित है। स्वराज्य दूसरे अर्थों में स्वतन्त्रता अथवा स्वतंत्र निर्णय का अर्थ प्रकट करता है। समता और समानता आधारित विकासगामी रणनीतियों के जरिये आत्मनिर्भरता की संकल्पना का विस्तार आसानी से किया जा सकता है। यदि आत्मनिर्भरता स्वावलंबन और स्वराज्य सिद्धांतों की व्यावहारिकता पर संभव है, तो निश्चित तौर पर स्वावलंबन यानि साधनों तक सहज पहुँच और संसाधनों के उपयोग की सर्वसमावेशी उपलब्धता आवश्यक है।

ऐसी परिस्थिति में जब एक बार फिर गाँवों को विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। तब गाँवों की परंपरागत संस्कृति, समाज, आर्थिक-राजनीतिक इकाइयों सहित धार्मिक पहलुओं और प्रकृति के साथ घनिष्टता के इतिहास को देखने और समझने की आवश्यकता है। यह समझ केवल

किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभवजन्य ज्ञान से संभव होगा। विकास के आधुनिक मानकों का अनुसरण जब भारत की मूल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के स्तर पर किया जाएगा तभी समुन्नत विकास का मार्ग सरल होगा। गाँव इसके लिए सबसे आवश्यक और प्रभावी प्रयोगशाला बनेंगे। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में आत्मनिर्भर गाँव बेहद जरूरी हैं। स्वदेशी अभियान से लेकर जैविक उत्पादों का निर्माण तथा विनिमय, गाँव और नगर के बीच आत्मनिर्भरता रूपी सेतु के बिना संभव नहीं है। इसके लिए नीतिगत निर्णयों के साथ क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग जरूरी है। मौजूदा सरकार इस दिशा में गंभीरता से ध्यान दे रही है। गांवों से होकर गुजरने वाली विकास यात्रा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तय करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो रही है।

आत्मनिर्भरता के मायने

देशज ज्ञान और कौशल क्षमता संवर्धन को लेकर नए संदर्भों में जो कार्य किया जा रहा है, वह सतत विकास से सीधे तौर पर जुड़ा है। भारतीय गांवों से विलुप्त होते परंपरागत रोजगार और कौशल के पुनरुत्थान में आत्मनिर्भर भारत अभियान की महती भूमिका है। अपनी जरूरतों के लिए स्वयं की निर्भरता के साथ निर्णयकारी भूमिका में आने की स्थिति आत्मनिर्भरता है। एमएसएमई सेक्टर में भारत सरकार ने जो इनवेस्टमेंट किया है उसका असर सकल घरेलू उत्पाद में सुधार के रूप में हुआ। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के फंड को 2020-21 में 65 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की संकल्पना का यह महत्वपूर्ण कदम रहा।¹ सहजीवन और सह-अस्तित्व आधारित समाज व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में स्वावलंबन आधारित नीति का व्यावहारिक अनुपालन आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना गांवों के उत्थान से राष्ट्र उत्थान का अभियान है। जिसका निष्पादन आधुनिक भारत के आर्थिक-सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को हमेशा से ग्राम्य जीवन में खोजा जाता रहा है।

गांधी का मानना रहा है कि, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि भारत की आत्मा गाँव में बसती है तो आत्मा की कुशलता के लिए गांवों की कुशलता का ध्यान आवश्यक हो जाता है। असल मायने में गांवों की समृद्धि ग्राम्य जीवन की समृद्धि से ही संभव है। 21वीं सदी का दूसरा दशक परिवर्तनकारी दशक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि गांवों की आंतरिक दुनिया में कई सारी चुनौतियाँ और बाधाएँ हैं। समरूपता, सहचर्य परस्परिक सौहार्द के बीच सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी भी मौजूद है। इन संदर्भों में भी आत्मनिर्भरता के मायनों को समझने की जरूरत है। जब हम गांवों को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में स्वीकारते हैं तो निश्चित रूप से संस्कृति के बदलाव को भी संभव बनाया जा सकता है। समृद्ध संस्कृति निरंतर सामंजस्य बनाने का भरपूर स्थान रखती है। भारतीय सनातन परंपरा में संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित होते रहे हैं तभी यह इतनी प्राचीन और जीवंत है। आत्मनिर्भरता आर्थिक-सामाजिक संस्कृतियों के बीच सामंजस्य को सुदृढ़ करने का परिवेश निर्मित करने की क्षमता रखती है।

आत्मनिर्भर भारत की विश्वदृष्टि

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की सांस्कृतिक चेतना वाले भारत की विश्वदृष्टि आजादी के अमृतकाल में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय रही है। भारतीय संस्कृति मनुष्य मात्र की नहीं अपितु प्राणिमात्र के कल्याण की बात करती है। भारत उस संस्कृति का वाहक है जहां आवश्यकता से अधिक संचय और आवश्यकता से अधिक व्यय को अनैतिक बताया गया है। यह दृष्टि असमानता को मिटाकर समानता का पथ प्रदर्शित करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का विस्तार आत्मनिर्भर विश्व के रूप में होना ही भारत की विश्वदृष्टि है। सतत एवं स्थायी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति भी संसाधनों के सीमित संग्रह और सीमित उपभोग से संभव होगी। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जेंडर समानता, ससम्मान कार्य और आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संतुलन, शांति और सद्भाव जैसे सभी स्तरों पर सुधार के लिए दुनिया के हर नागरिक का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। भारत इसकी शुरुआत अपने घर से कर चुका है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट ने पूरी दुनिया के समक्ष चुनौती के साथ अवसरों का मार्ग भी खोला है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक चुनौती को आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिये अवसर में बदलते का जो आह्वान और नीतिगत प्रयास किया है वह विश्व समुदाय के लिए अनुकरणीय है। परस्पर सहमति से पूरकता के भाव को लेकर स्वावलंबनसे स्वराज्य की अवधारणा आधुनिक भारत की दूरदर्शिता का परिचय कराती है। भारतीय गाँव अपनी निरंतरता में इन उद्देश्यों को समाहित किए हुए हैं।

निष्कर्ष

भारतीय ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक इकाइयों परस्पर सहयोग और सहचर्य पर आधारित रही हैं। जाति-धर्म-संप्रदायगत विविधता के बावजूद गाँवों की समृद्धि और स्वावलंबन का श्रेय समुदायिकता को ही जाता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में यह सामुदायिक भावना केवल कृषि, कारीगरी और आजीविका से जुड़ी इकाइयों में ही नहीं बल्कि सामाजिक ताने-बने में भी रचा बसा होता है। गांवों की सामाजिक परिवेश में पूरा गाँव एक बड़े परिवार के रूप में प्रतीत होता है। आपदा की स्थिति हो या खुशियों को मनाने का मौका हो गाँव एकजुटता से शामिल होता है। ग्रामीण भारत की सामुदायिक संस्कृति के आलोक में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सामुदायिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता का महत्व बढ़ जाता है। कृषि सहित ग्रामीण भारत की छोटी-छोटी आर्थिक इकाइयों को मजबूत कर आत्मनिर्भरता बधाई जा सकती है। इसके लिए सरकारी प्रयासों और नीतियों के समानान्तर ही नागरिक समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। भारत के विश्वगुरु बनने की संकल्पना को साकार करने में ग्रामीण भारत की आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की समृद्धि महत्वपूर्ण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आध्यात्मिक चिंतन तथा वसुधैव कुटुंबकम् की सामाजिक चेतना वाले भारत में आत्मनिर्भरता के जिस संकल्प बीज का पुनरुत्थान हो रहा है, उसमें भारत सहित पूरी दुनिया को समृद्धि करने का तत्व समाहित है।

1 आजाद. एस. के. ‘आत्मनिर्भर भारत निर्माण में भारतीय संस्कृति और मूल्यों की भूमिका’

<http://vskjharkhand.org/index.php/13-rss-media-cell-senior-reporter/856-666-505>

- 2 राय. विजय कुमार .(12/10/2021).गांव की आत्मनिर्भरता: अर्थ और स्वरूप. यथावत वेबपोर्टल
<https://yathavat.com/कवर-स्टोरी /village-self-reliance-meaning-and-nature/>(Access: 02/10/2022 Time: 05:00 pm)
- 3 Summary of announcements : Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan. PRS Legislative Research
<https://prsindia.org/policy/report-summaries/summary-announcements-aatma-nirbhar-bharat-abhiyaan> (Access: 01/10/2022 Time: 09:00 pm)

संदर्भ सूची-

- Dube, S.C .(1955). *Indian Village*. Routledge and Kegan Paul, London.
- Cohn, Bernard 2000 (1971). *India: The Social Anthropology of a Civilization*. OUP, Delhi.
- Madan, Vandana (2002). *The Village in India* (ed.), OUP, New Delhi.
- श्रीनिवास, एम. एन. (सं. 2016). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- भारतीय संस्कृति में ग्रामीण समुदाय द्वारा डॉ. अमित कुमार शर्मा
http://www.bharatbrand.com/bharat_gramin_samudai.htmlAccess: 01/10/2022 Time: 09:00 pm)

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत : अतीत के झरोखे से

डॉ० पवन कुमार

सहायक प्राध्यापक-हिंदी, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राजिंदर नगर, नई दिल्ली

शोध सारांश

शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भारत ने ही किया था। आजकल केन्द्रीय पात्रता परीक्षाओं के माध्यम से संस्थानों में प्रवेश लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज से हजारों वर्ष पूर्ण शलाका प्रश्न पद्धति के आधार पर प्रवेश दिया गया था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अधिकांश लोगो के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि शायद भारत में संस्कृत भाषा के माध्यम से रटत विद्या करवाई जाती है। ऐसा भ्रम फैलाया जाना एक सुनियोजित षड्यंत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भारत का अतीत इतना वैभवशाली है कि सम्पूर्ण विश्व इसके समक्ष नतमस्तक होगा। हजारों वर्ष पूर्व भारत में वेद, पुराण, उपनिषदों के साथ-साथ भारत में विज्ञान 20 से अधिक विज्ञान की शाखाएँ थी।

प्रमुख शब्द

शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्र, आत्मनिर्भर, भारत, अतीत, झरोखे

विस्तार

“भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ० ए पी जे अब्दुल कलम ने 04 अक्टूबर 2001 को एक भाषण में कहा था कि -भारत ने सन 1750 में रॉकेट विकसित कर लिया था, इसके प्रमाण भारत में भले ही उपलब्ध न हो, किन्तु इंग्लैण्ड में उपलब्ध हैं।”

विश्व के अधिकांश देशों से विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए भारत आते थे। भारत में नैतिक शिक्षा और जीवन जीने की कला के साथ साथ 20 से अधिक प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन करवाया जाता था, जिनमें से प्रमुख विज्ञानों का उल्लेख कर रहा हूँ।

खगोल विज्ञान

यह विज्ञान भारत की ही विश्व को देन है, प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कॉपरनिकस से एक हजार वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था। वहीं न्यूटन से एक हजार वर्ष पूर्व वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी।

गणित

आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीधराचार्य इत्यादि ने अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित और त्रिकोण मिति पर मौलिक कार्य किया परन्तु किन्ही कारणों से श्रेय यूरोप को दिया गया।

चिकित्सा विज्ञान

सुश्रुत, चरक जैसे वैज्ञानिकों ने चिकित्सा जगत का मार्गदर्शन किया। शालिहोत्र नामक चिकित्सक ने पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया।

“उस बैद्य विद्या के विषय में कुछ अधिक कहना व्यर्थ है

सुश्रुत चरक रहते हुए सन्देश करना व्यर्थ है।

अनुवादकर्ता आज भी उपहार उनके पा रहे

हैं आर्य आयुर्वेद के सब देश सद्गुण गा रहे॥”²

— राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

भौतिकी

छठी शताब्दी में कणाद ऋषि ने कहा कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से बना है।

रसायन विज्ञान

आचार्य नागार्जुन ने दसवीं शताब्दी में 44 ग्रन्थ लिखे।

धातु विज्ञान

लौह स्तम्भ कुतुबमीनार में, 7.5 मीटर ऊंचा कर्णाटक में, उड़ीसा में 10.5 मीटर लम्बा कोर्णाक मंदिर में जंग विहीन लौह स्तम्भ

रत्न विज्ञान

भारत का रत्न विज्ञान भी उच्चकोटि का था, वज्र (हीरा), पदमराग, मुक्ता, महानील, इन्द्रनील, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, शंख, गोमेद, भुजंग मणि, पिंड भ्रमर, उत्पल इत्यादि रत्नों का ज्ञान मात्र नहीं उन्हें निकलना और आभूषण बनाने के विज्ञान में भी तज्ञ थे।

प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक

भारत के प्रथम वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस जी हैं इनका पहला आविष्कार Crescograph है। जो पेड़ों की लंबाई व चौड़ाई मापने के लिए है।

प्राचीन भारत के वैज्ञानिक

वैज्ञानिकाश्च कपिलः कणादः सुश्रुतस्थता।

चरको भास्कराचार्यो वराहमिहिरः सुधिः॥

नागार्जुनो भरद्वाज आर्याभट्टो बसुर्बुधः ।

ध्येयो वेंकटरामश्च विज्ञा रामानुजादयः॥¹

(श्लोक 26 एवं 27, एकात्मता सूत्रोत्तर)

- कपिल, कणाद. सुश्रुत, चरक, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, नागार्जुन, भरद्वाज, आर्यभट्ट, बसु, वेंकटरमण, रामानुज इत्यादि सहस्रों वैज्ञानिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूलाधार थे। जो वैज्ञानिक विषयों में तज्ञ थे तथा विश्व में को इनका शानी नहीं था।

आधुनिक भारत के वैज्ञानिक

- ए पी जे अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर, बीरबल साहनी, होमी जहाँगीर भाभा, प्रेम चंद पाण्डेय, कैलाशनाथ कौल, श्रीराम शंकर अभयंकर, सी. एन. आर. राव, सी वी रमन, विजय पी. भटकर, हरगोविन्द खुराना, तेज पी० सिंह, हरीशचन्द्र, मणीन्द्र अग्रवाल-संगणक, नरेन्द्र करमरकर-गणित, जगदीश चन्द्र बसु, जयन्त विष्णु नार्लीकर, लालजी सिंह, मेघनाद साहा, रघुनाथ अनंत माशेलकर, सर शान्ति स्वरूप भटनागर, सुब्रह्मण्यन् चन्द्रशेखर, शंकर अबाजी भिसे, श्रीनिवास रामानुजन् सत्येन्द्र नाथ बसु, सर एम. विश्वेश्वरय्या, सुन्दरलाल होरा, वेंकटरामन् रामकृष्णन्, विक्रम साराभाई, अतुल गुर्तु प्रमुख हैं।

निष्कर्ष

2000 हजार वर्ष पूर्व नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला की धूम थी। शिक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था। 18वीं शताब्दी में भारत के प्रत्येक गाँव में गुरुकुल था और आज से लगभग 180 वर्ष पहले भी शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद के लगभग 500 विश्वविद्यालय थे।

“16 से 17 वर्षों तक भारत में प्रवास करने वाले शिक्षाशास्त्री लुडलो ने लिखा है कि भारत में एक भी गाँव ऐसा नहीं जिसमें गुरुकुल नहीं हो और एक भी बालक ऐसा नहीं है जो गुरुकुल न जाता हो।”⁴

मैकाले की नीति ने गुरुकुल व्यवस्था पर विराम लगा दिया और योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजी भाषा का उत्थान किया। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में दिया लार्ड मैकाले का भाषण-लार्ड मैकाले का मूल भाषण “मैंने भारत की ओर-छोर की यात्रा की है पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख माँगता हो या चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार सम्पदा देखी है। उच्च उदात्त मूल्यों को देखा है। इन योग्यता मूल्यों वाले भारतीयों को कोई कभी जीत नहीं सकता यह मैं मानता हूँ, तब तक; जब तक कि हम इस मुल्क की रीढ़ ही ना तोड़ दें, और भारत की रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और साँस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें। उसकी सँस्कृति को बदलें ताकि हर भारतीय यह सोचे कि जो भी विदेशी है वह बेहतर है। वे यह सोचने लगें कि अंग्रेजी भाषा महान है, अन्य देशी भाषाओं से। इससे वे अपना सम्मान खो बैठेंगे। अपनी देशज जातीय परम्पराओं को भूलने लगेंगे और फिर वे वैसे ही हो जाएँगे जैसा हम चाहते हैं, सचमुच एक आक्रान्त एवं पराजित राष्ट्र।”⁵ योजनाबद्ध तरीके से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने एवं एक समृद्ध तथा शक्तिशाली शिक्षा व्यवस्था को धराशायी करने का कुत्सित प्रयास मैकाले द्वारा किया गया।

भारत के लोगो के लिए श्रद्धा के केंद्र श्रीराम वनवास पर जाते समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्रृंगेरीपुर के निषाद गुह से मिलने जाते हैं। निषाद गुह मुनि वशिष्ठ के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। इस घटना का उल्लेख मात्र इसलिए किया जा रहा है कि एक दो अपवादों को छोड़कर यह बात स्पष्ट हो सके कि प्राचीन भारत में शिक्षा को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, एक ओर जहाँ जनजातीय समाज का निषाद और दूसरी ओर क्षत्रिय कुल के राम एक ही गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ की देखरेख में अध्ययन करते थे। द्रौपदी, गार्गी जैसी विदुषियों में महामुनियों को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दशरथ की मृत्यु हो जाने पर उनके शव को इस विशेष प्रकार के तेल में रखा गया, जब तक भरत कैकय देश में आ नहीं गए।

शिक्षा के क्षेत्र में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भारत चिरकाल से ही आत्मनिर्भर रहा है। इतिहास पुनः स्वयं को दोहराएगा और भारत पुनः ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ एवं सहायक ग्रंथ सूची

1. जोशी, मुरली, मनोहर, पाथेय कण, प्राचीन भारत का विज्ञान विशेषांक, वर्ष 31, अंक 03, पृष्ठ संख्या 16, 2015, संपादक-कन्हैया लाल चतुर्वेदी
2. सोनी, सुरेश, पाथेय कण, प्राचीन भारत का विज्ञान विशेषांक, वर्ष 31, अंक 03, पृष्ठ संख्या 25, 2015, संपादक-कन्हैया लाल चतुर्वेदी
3. श्लोक 26 एवं 27, एकात्मता स्रोत, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली
4. <https://vidyabharti.wup.org/https://vidyabharti.wup.org/भारत-में-शिक्षा-के-गौरवशाली-अतीत-और-पतन-के-कारण/dated 30/09.2022, 00.35AM>
5. <https://suchkesath.wordpress.com/2020/07/01/लार्ड-मैकाले-की-आधुनिक-शि/dated 29.09.2022 11.46PM>

बौद्ध शिक्षा का वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ० बी०के० गुप्ता

(प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष), जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट, ग्रेजुएट कॉलेज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

वंदना सिंह

शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पोस्ट, ग्रेजुएट कॉलेज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

शोध सारांश

वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में हमें शिष्यों एवं गुरुओं को आधुनिक आविष्कारों से प्राप्त होने वाली सुख सुविधाओं से वंचित ना करके, मानवतावादी, सादगीपूर्ण जीवन और श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनुप्राणित करना चाहिए। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा संस्थाओं से संबंधित सभी कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता और अधिकार होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इस तत्व को समाविष्ट करके अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज भारतीय विश्वविद्यालयों के समस्त उपकुलपतियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिक्षा की विभिन्न पक्षों में, जिनमें प्रशासन भी शामिल है, किस सीमा तक छात्रों को सम्मिलित किया जाए और उन्हें अधिकार प्रदान किए जाए।

हमारा देश भारत आदमी प्रेम, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का उपासक माना जाता है। अतः भारत को एक बार फिर से अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाकर इन सिद्धांतों का विश्व में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। शांति, अहिंसा, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम् का सिद्धांत विश्व में फैलाने का कार्य भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के द्वारा आज भी किया जा सकता है। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संस्थायेबाह्य नियंत्रण से मुक्त थी और उनका संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया गया था। आज हमारे देश में ऐसी सहस्त्रों शिक्षा संस्थाये हैं जो ना तो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हैं और ना जिनका संगठन ही लोकतंत्रात्मक/जनतंत्रीय हैं। इन संस्थाओं का स्वरूप बौद्ध शिक्षा प्रणाली के शिक्षण संस्थाओं के संगठन अनुरूप जनतंत्रीय तथा बाह्य नियंत्रण से मुक्त बनाया जाना चाहिए। बौद्ध प्रणालीमें शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की नींव पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट अनेक स्तरों में विभाजित किया गया है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में लोक भाषा (पाली) को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आज उसी आधार पर लोकभाषाओंया मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

बीज शब्द- मानवतावादी, शिक्षा प्रणाली, अहिंसा, शांति, प्रेम, वसुधैव कुटुंबकम्, लोकतंत्रात्मक, भ्रातृत्व भावना, मातृभाषा।

प्रस्तावना

मानव जाति अतीत में घटित अनेकानेक घटनाओं के परिणाम के ज्ञान का उपयोग अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ व उज्ज्वल बनाने में करती हैं। इसके लिए इतिहास का अध्ययन करके अतीत को समझना परम् आवश्यक है। स्पष्ट है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने तथा इसके ज्वलंत समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास में भारतीय शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करना तर्कसंगत ही होगा। बुद्ध के रूप में गौतम बुद्ध आजीवन 'बहुजन सुखाय बहुजन हिताय' का लोगों को उपदेश देते रहें तथा स्वयं जनकल्याण का कार्य करते रहे। उनके उपदेशों में मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक एवं सामाजिक आदर्शों की शाश्वतता इतनी अधिक है कि अतीत की भांति आज भी वे मानव जाति के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। बुद्ध ने मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने न तो स्वर्ग का दरवाजा ही जनता के लिए मुफ्त में खोला और ना ही मोक्ष प्राप्ति का लाभ ही जनता को दिया। ऐसी दशा में कुछ अवश्य ही महत्वपूर्ण बातें होंगी जिनसे या धर्म विश्व धर्म बन गया।

बौद्ध धर्म की सफलता के लिए प्रधानतया इस धर्म के त्रिरत्न ही कारण था। 1. बुद्ध 2. संघ और 3. धर्म। बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता यह है कि इस धर्म में सभी मनुष्यों का समान अधिकार स्वीकार किया गया है। वैदिक धर्म यद्यपि बड़ा ही उदार, व्यापक है परंतु उसमें एक बड़ी ही कमी है कि वह सब मनुष्यों का समान अधिकार नहीं मानता। यद्यपि भगवान ने गीता में ब्राह्मण तथाचांडाल के बीच के भेद दर्शन को मिटाना है। परंतु यह समदर्शिता व्यवहार के क्षेत्र में विशेष नहीं लाई गई। यह केवल पुस्तक केपृष्ठों तक सीमित रही।

बौद्धकालीन शिक्षा उदय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। बौद्ध धर्म वास्तव में विशाल हिंदू धर्म का एक परिवर्तित रूप था। हिंदू धर्म में संस्कारों तथा ज्ञान पर अधिक बल था जबकि बौद्ध धर्म में निजी आचरण पर अधिक बल था। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नैतिक चरित्र का विकास करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, व्यक्तित्व का विकास करना तथा जीवन के लिए तैयार करना था। शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्जा संस्कार से होता था। 8 वर्ष की आयु में बालक मठ में जाकर प्रवज्जा ग्रहण करता था तथा इसके उपरांत मठ में ही रहता था। तब बालक को 'सामनेर' कहते थे। बौद्धमठों में छात्रों को दसशिक्षा पदार्थात् 1. अहिंसा, 2. श्रेष्ठ आचरण, 3. सत्यव्रत, 4. सत आहार, 5. अमादकता, 6. अनिंदा, 7. सरल जीवन, 8. नृत्य ना देखना, 9. अपरिग्रह तथा 10. बहुमूल्य पदार्थों का दान ना लेना, का पालन करना होता है।

आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीयत्व-

यद्यपि बौद्ध कालीन शिक्षा का भारत में लोप हो चुका है तथापि इसके कुछ तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय हैं यथा

1. **छात्रों का जीवन**-बौद्धकाल में छात्र के जीवन के दो मुख्य आदर्श थे सादगी और श्रेष्ठ विचार इन आदर्शों के बावजूद उनके लिए तपस्यापूर्ण जीवन के बजाय सुख सुविधापूर्ण जीवन को अच्छा माना जाता था। इसलिए उनको भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान की गई थी। आधुनिक भारत में मध्यमार्ग का अनुसरण सर्व था उचित प्रतीत होता है। छात्रों को आधुनिक आविष्कारों से प्राप्त होने वाली सुख-सुविधाओं से वंचित ना करके सादगी और श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनुप्राणित किया जा सकता है।
2. **छात्रों के अधिकार**-बौद्ध काल में जब छात्रों को भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाती थी तब उसे पूर्ण स्वतंत्रता और जीवन संबंधी सभी अधिकार प्राप्त हो जाते थे। आधुनिक भारतीय शिक्षा में इस तत्व का अत्यंत महत्व है। छात्रों को अपनी शिक्षा-संस्थान से संबंधित सभी कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता और अधिकार होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में इस तत्व को समाविष्ट करके अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। आज भारतीय विश्वविद्यालयों के समस्त उपकुलपतियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिक्षा के विभिन्नपक्षों में, जिनमें प्रशासन में शामिल है, किस सीमा तक छात्र को सम्मिलित किया जाये और उन्हें अधिकार प्रदान किए जाये।
3. **अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र**-बौद्धकाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। सुदूर देशों से आने वाले छात्र अध्ययन समाप्त करके अपने देशों को लौटते थे और वहां दया, प्रेम, अहिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व बंधुत्व, और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे। हमारा देश आज भी प्रेम, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का उपासक माना जाता है। अतः भारत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाकर इन सिद्धांतों का विश्व में व्यापक प्रचार किया जा सकता है। शांति, अहिंसा, प्रेम और 'वसुधैवकुटुम्बकम्' का सिद्धांत फैलाने का कार्य भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के दौरान भी किया जा सकता है।
4. **शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन**-बौद्धकाल में शिक्षा संस्थायेबाह्य नियंत्रण से मुक्त थी और उनका संगठन जनतंत्र आधार पर किया गया था। आज हमारे देश में ऐसी सहस्र शिक्षा संस्थाये हैं जो ना तो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हैं और ना ही जिनका संगठन ही जनतंत्र है। इन संस्थाओं का स्वरूप बौद्ध काल की शिक्षा - संस्थाओं के अनुरूप जाना वांछनीय है। बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठों में दी जाती थी, जिस में सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था।
5. **कक्षा शिक्षण और स्वाध्याय का शुभारंभ**- शिक्षण के क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को पहले देन यह है कि उसने लोक भाषा (पाली) को शिक्षा का माध्यम बनाया, आज उसी आधार पर मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है दूसरी देन यह है कि उसने कक्षा (सामूहिक) शिक्षण का शुभारम्भ किया और तीसरी देन यह है कि स्वाध्याय विधि का विकास किया। स्वाध्याय विधि के लिए पुस्तकालयों का निर्माण सर्वप्रथम बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही शुरू किया गया आज तो पुस्तकालयों शिक्षकों का पूरक माना जाता है।
6. **जन शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का विकास**- बौद्ध ने सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों एवं विहारों में की या जन शिक्षा क्षेत्र में पहला कदम था। परंतु ना तो उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया। बहरहाल उन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार तो दिया। आज अधिकार के साथ-साथ सुविधा प्रदान करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है वैसे तो शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। साथ ही उनके लिए पुरुषों की भांति इतने कठोर नियम बना दिए थे कि बहुत कम बालिकाओं एवं विहार में प्रवेश लेती थी। परंतु स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत इस प्रणाली में कर दी गई थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की यह उसकी बड़ी देन है।

अनुसंधान के उद्देश्य

1. धर्म में संस्कृति का संरक्षण करना।
2. बौद्ध धर्म के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना।
3. बौद्धिक शिक्षा में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर चर्चा करना।
4. बौद्ध दर्शन के शैक्षिक मूल्य पर चर्चा करना।
5. स्त्री पुरुषों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना।
6. बौद्ध दर्शन के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।
7. बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा के महत्व पर चर्चा करना।

अनुसंधान क्रियाविधि -

प्रस्तुत अध्ययन की दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण अध्ययन के दौरान दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के दौरान दार्शनिकों के माध्यम से बौद्ध धर्म और वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के दौरान बौद्ध शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरान्त व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया।

अध्ययन का स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन की दार्शनिक व्यक्ति के कारण द्वितीयक आंकड़ों का शोधन एवं विश्लेषण अध्ययन के दौरान वर्तमान संदर्भ में किया गया है।

निष्कर्ष

बौद्ध दर्शन में शिक्षा की स्थिति, विस्तार एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य वस्तुतः व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना था, परंतु बौद्ध शिक्षा में शारीरिक विकास की उपेक्षा नहीं की गई थी। उद्देश्यनुरूप ही पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। आध्यात्मिक विषयों के साथ-साथ लौकिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। धर्म तथा दर्शन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा केंद्रों में बौद्ध शिक्षा दर्शन के अतिरिक्त आने दर्शनों का भी अध्ययन कराया जाता था। अन्य दर्शनों की गूढ़ एवं सत्य तथ्य बौद्ध दर्शन में स्वीकार किए जाते थे। भिक्षुओं तथा भिक्षुणी के लिए नियम तथा आचार संहिता थी, जिनका पालन करना अनिवार्य था। जहां एक और प्रतिभाशाली बुद्धिमान छात्र के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। तथा मंदबुद्धि छात्र के पृथक् शिक्षण व्यवस्था थी तथा अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता था। छात्र आचार्य सम्बन्धव्यवहारिक तथा मधुर थे। छात्र अपना कर्तव्य पालन करते थे वही आचार्य भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते थे। वैदिक शिक्षा की भांति बौद्ध शिक्षा में भी शास्त्रार्थ तथा अनुसंधान को महत्व दिया जाता था। कतिपय छात्र ज्ञान प्राप्ति हेतु अपना पूर्ण जीवन उत्सर्ग कर देते थे।

स्त्रियों के लिए अलग विद्यालयों का उल्लेख कहीं भी नहीं प्राप्त होता है, अतः एव कहा जा सकता है कि शिक्षा की व्यवस्था थी। स्त्रियों को भी पुरुषों की ही भांति समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा प्रदान करने में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था, योग्य छात्र किसी भी वर्ग से संबद्ध थे, उन्हें निष्पक्षता से शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण शिक्षा के समानांतर विहार तथा मठों में शिक्षा का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में इन विहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया जिसके परिणाम स्वरूप तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला तथा अन्य शिक्षा केंद्र एवं विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। इन शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मानदंड स्थापित किए, संपूर्ण विश्व में आज भी दिखाई देता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली वंचित बालकों को कोई दूसरा अवसर नहीं देती जो उसकी संकीर्ण प्रवेश द्वार में घुस नहीं पाते और जो आर्थिक या सामाजिक कारणों की व्यवस्था से त्रस्त होकर इससे बाहर निकल जाते हैं। या वर्तमान शिक्षा प्रणाली निहित स्वार्थों की सहायता करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, यथा स्थिति को प्रोत्साहित करती है और शैक्षिक समानता के अवसरों का गला घोटती हैं। इसके दुष्परिणाम में फंस कर सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी स्वतंत्रता के पश्चात भी हम पूर्ण नहीं कर सकते देश में आज भी लगभग 25% लोग निरक्षर हैं। इस कारण बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रासंगिकता है। वस्तुतः वर्तमान शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है वर्तमान शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का समावेश कर हम वर्तमान समाज को पुनः एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षा जहां एक और लाखों करोड़ों लोगों में शिक्षा के माध्यम से प्राण फूंकने में समर्थ है, तो दूसरी और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, एस० के०: शिक्षा के तात्विक सिद्धांत
2. अल्टेकर, ए०एम०: प्राचीन भारतीय शिक्षा दर्शन
3. अग्रवाल, वासुदेव शरण: कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन
4. उपाध्याय, राम जी: भारत की सांस्कृतिक साधना
5. कबीर, हुमायूँ: भारतीय शिक्षा दर्शन
6. चतुर्वेदी, सीताराम: शिक्षा दर्शन
7. चतुरसेन, आचार्य: बुद्ध और बौद्ध धर्म
8. नरेंद्र देव, आचार्य: बौद्ध धर्म-दर्शन
9. मिश्र, आत्मानंद: भारतीय शिक्षा के प्रवर्तक
10. मिश्र, उमेश: भारतीय दर्शन
11. कल्याण, शिक्षा वार्षिकांक

भारतीय समाज और सिनेमा

खेमराज आर्य

सहायक प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर, मध्यप्रदेश

सिनेमा ने मानव के भूत, वर्तमान और भविष्य काल के लौकिक और अलौकिक जीवन का सजीव चित्रण किया है। भारतीय सिनेमा का आरंभ 'राजा हरिश्चन्द्र' जैसी धार्मिक फिल्मों से हुआ, लेकिन, शीघ्र ही भारतीय सिनेमा 'भारतीय समाज का आईना' बन गया और सामाजिक मुद्दों को इसने अपने विषयों में शामिल कर लिया। देश की स्वतंत्रता के बाद अनेक नई समस्याओं ने सिर उठाया और नये तरह का सामाजिक वातावरण उभर कर सामने आया। बेरोजगारी, बेगारी, गरीबी, किसानों की बदहाली, ऋणग्रस्तता, अपराध, दूषित राजनीति, छुआछुत, ऊँच-नीच, जैसी विसंगतियों ने फिल्मकारों को अच्छे विषय प्रदान किये और इन विषयों पर बनने वाली फिल्मों का नया दौर प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान के बदलते दौर तक भी जारी हैं।

वर्तमान में सिनेमा में वही दिखाया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज में घटित हो रहा है। समाज में मानवीय मूल्य, प्रेम, परोपकार, दया, करुणा, नफरत, हिंसा-प्रतिहिंसा, अहिंसा, मनोवैज्ञानिक दबाव, राजनीतिक जागरूकता, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ईमानदारी, उत्तरदायित्वता, सुशासन-कुशासन, मिलावटखोरी, पर्यावरणीय मुद्दे, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व सांस्कृतिक मुद्दे, सामाजिक परिवर्तन, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आदि सभी विषयों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को विश्व और भारतीय सिनेमा में दिखाया जा रहा है। सिनेमा समाज का आईना है। समाज में व्याप्त बुराइयों और चुनौतियों को इसके द्वारा सामने रखा जा रहा है तथा ये भी दिखाया जा रहा है कि समाज की इन बुराइयों और चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। सिनेमा समाज के लोगों को अपने उत्तरदायित्वों को सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से पूरा करने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी सुचारू रूप से कर रहा है।

"सिनेमा व्यक्ति की जिम्मेदारियों और संभावनाओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है।" उपरोक्त कथन प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय का है, जिसके द्वारा वह यह सिद्ध कर रहे हैं कि, 'सिनेमा (फिल्म) व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को जानने का सबसे प्रमुख माध्यम है। इसके द्वारा हम व्यक्ति के मानवीय, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि उत्तरदायित्वों को निभाते हुए पात्रों को सिनेमा के पर्दे पर देखते हैं। किस तरह हर चुनौतियों को हराकर नायक अपने उत्तरदायित्वों को पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों आदि के साथ अपनी भूमिका निभाता है। उसे आमजन स्वयं से जोड़कर भी देखते हैं और फिल्मों के पात्रों को स्वयं के जीवन में घटित घटनाओं से जोड़कर भी देखने लगता है। उत्तरदायित्वों के निभाने के साथ ही हर चुनौतियों को पराजित करने की भावना भी हमारे मन में उद्देलित होती है। हम स्वयं नई-नई संभावनायें पाल लेते हैं, और हम भी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करके सफलता तक पहुँच भी जाते हैं।

"भारतीय सिनेमा भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति का पर्याय था, है और आगे भी रहेगा। जिस भारतीय सिनेमा की शुरुआत मूक फिल्म से हुई, वह अब 100 वर्षों से अधिक का समय तय कर समाज का दर्पण बना हुआ है, तो मनोरंजन का लोकप्रिय साधन भी है। यह विश्व सिनेमा से स्पर्धा करते हुए अपनी कामयाबी की नई-नई कहानियाँ गढ़ रहा है, तो सपनों का सौदागर बने हुए नायाबअभिव्यक्तियों को पंख भी लगा रहा है।" भारतीय सिनेमा भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति का वाहक था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय समाज, सभ्यता संस्कृति में अनेक परिवर्तन हमें भारतीय जनमानस के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, परम्पराओं, व्यवहार, विवाह पद्धतियों, सामाजिक संबंधों, पारिवारिक रिश्तों आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। आज सिनेमा भारतीय समाज का सच्चा आईना बना हुआ है। जैसा पहले कहा जाता था कि, 'साहित्य समाज का दर्पण है' आज भी उसी प्रकार कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण है। जो समाज में घटित हो रहा है वही सिनेमा में दिखाया जा रहा है, फिर चाहे वो पारिवारिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आदि बदलावों के साथ-साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बदलाव भी देखे जा सकते हैं।

सिनेमा की शुरुआत मूक फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' 3 मई, 1913 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का निर्माण भारतीय सिनेमा के जनक 'दादा साहेब फाल्के' जैसे जुझारू, समर्पित शख्स ने अपने निजी प्रयासों से किया था। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी फिल्म थी। सबसे पहले इसको बम्बई के 6 कोरोनेशन थियेटर में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया चाहे इस फिल्म में आवाज नहीं थी।

सिनेमा समाज का दर्पण होने के साथ-साथ ही मनोरंजन का वर्तमान भारत में सबसे प्रमुख व सर्वप्रिय साधन भी है। सिनेमा ने अपने जन्म के समय से ही भारतीय दर्शक सिनेमा के द्वारा अपने अंदर की थकान, पीड़ा, दर्द, चुनौतियों को सिनेमा में देखकर दूर करने लगा और आज भी कर रहा है। सिनेमा के पर्दे पर चलते चरित्र उसे स्वयं जैसे लगने लगते हैं तथा वो अपने सारे पारिवारिक, सामाजिक और रिश्तेदारियों सम्बंधी तनावों व दुखों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में एक नई आशा व उम्मीद का संचार हो जाता है।

भारतीय सिनेमा को यूरोप, अमेरिका आदि के साथ-साथ विश्व के अन्य सिनेमा से प्रारंभ से ही कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे भारतीय सिनेमा ने विश्व सिनेमा में अपनी नई पहचान बनाई है और विश्व पटल पर भारतीय सिनेमा के निर्माता, निर्देशकों, संगीतकारों, गीतकारों, नायक-नायिकाओं और सहायक नायक-नायिकाओं ने भी अपनी अलग ही पहचान स्थापित की है। आज भारत में विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनती हैं।

हिन्दी के साथ-साथ मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, भोजपुरी आदि भाषाओं की उत्कृष्ट फिल्में भारत में निर्मित हो रही हैं। अतः भारतीय सिनेमा विश्व सिनेमा के रंगमंच पर अपनी नई-नई कहानियों को जन्म दे रहा है।

भारतीय हिन्दी सिनेमा को देखकर भारत के छोटे-छोटे शहरों, कस्बों व गाँवों के अनेक युवक-युवतियाँ अपनी आँखों में कई नये सपने लेकर मुम्बई शहर में जाते हैं और वहाँ पहुँचकर सफलता के नये सोपानों का निर्माण भी करते हैं। मुम्बई शहरदेश के नवयुवकों-युवतियों को सपने देखने के लिए विवश भी करता रहता है। सिनेमा ने प्रत्येक भारतीय को सपनों का सौदागर बनाने का काम भी किया है। कुछ के सपने अधुरे रह जाते हैं और कुछ के पूरे हो जाते हैं। जिन्होंने अपनी प्रतिभा को कड़ी मेहनत से सिद्ध करके सफलता का नया इतिहास लिखा और जिन्होंने इसकी उपेक्षा की तो परिणामस्वरूप सिनेमा ने उसे आसमान से जमीन पर लाकर पटक भी दिया है। सिनेमा के द्वारा अपनी भावनाओं को कलाकारों ने एक नायाब तरीके से प्रस्तुत करके अभिव्यक्त किया है।

“राजा हरिश्चंद्र” 3 मई 1913 ई. को मुम्बई के 6 कोरोनेशन थियेटर में प्रदर्शित की गई थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म ‘आलम आरा’ अर्देशिर ईरानी के निर्देशन में 1931 ई. में प्रदर्शित की गई थी। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता अर्देशिर ईरानी, निर्देशक मोती बी. गिडवानी के द्वारा मुम्बई के मैजिस्टिक सिनेमा घर में 1937 ई. में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा की रूपरेखा ही परिवर्तित हो गई। इसके बाद भारतीय सिनेमा पंख लगाकर सतरंगी दुनिया का निर्माण करने लगा, जो भारतीय जनमानस के मनोरंजन का एक प्रमुख माध्यम बन गया जो आज भी है और आगे भी रहेगा।¹³

भारतीय सिनेमा ने जब भारतीय समाज की यथार्थ और समस्याओं को सामने रखा तो भारतीय जनता को इसमें अपना अक्स नजर आने लगा और ऐसी फिल्मों में भारतीय जनमानस के दिल में घर करने लगी। यहाँ पर गुजरे दौर की कुछ चर्चित प्रमुख फिल्मों की जानकारी इस प्रकार है जिनसे भारतीय जनमानस और समाज का सीधा जुड़ाव रहा है—

“सर्वप्रथम 1957 ई. में प्रदर्शित वी. शांताराम की फिल्म ‘दो आँखें बारह हाथ’ महात्मा बुद्ध और महात्मा गाँधी के हृदय परिवर्तन के दर्शन से प्रेरित थी।”¹⁴ इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे निर्दयी डाकुओं को एक आहिंसावादी जेलर अपने सद्ब्यवहार व आचरण से इनके मन को परिवर्तित करके हिंसा व बदले के मार्ग से अहिंसा व दया के मार्ग पर लेकर आता है।

“महबूब खान द्वारा निर्देशित ‘मदर इण्डिया’ ने न सिर्फ भारतीय जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी बल्कि भारतीय सिनेमा इतिहास में महबूब खान को अमर कर दिया।”¹⁵ इस फिल्म में एक भारतीय नारी के संघर्ष को चित्रित किया गया है, कि कैसे पति के न होने/पलायन करने पर समाज में कदम-कदम पर अकेली महिला को किन-किन समस्याओं व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? और वो इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। और अंत में तो वो अपने डाकू पुत्र की गोली मारकर हत्या भी कर देती है, क्योंकि वो एक नारी का अपहरण करके ले जाने का प्रयास करता है। पूरी कहानी भारतीय नारी के संघर्षरत जीवन पर आधारित है जो कि वास्तविकता को दर्शाती है।

“दिलीप कुमार और वैजयंती माला के बेहतरीन अभिनय से सजी बी.आर. चौपड़ा की फिल्म ‘नया दौर’ (1957 ई.) मानव बनाम मशीन के संघर्ष की अत्यंत संवेदनशील और सार्थक अभिव्यक्ति है।”¹⁶ इस फिल्म का गीत ‘ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना’ आज भी प्रत्येक भारतीय में चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या फिर प्रौढ़ हो में भी जोश, उत्साह, उमंग व ऊर्जा का संचार कर देता है। किस तरह से मशीनों के अविष्कार ने मानव की कार्यकुशलता, दक्षता और कलाओं का विनाश किया है, कई रोजगार से लगे लोगों को बेरोजगार कर दिया और इसके साथ ही मानवीय श्रम का पतन व मानव के शारीरिक परिश्रम करने के कारण उसके सम्मान में कमी आई इसको भी बाखूबी व बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया था। मानव सिर्फ अपना लाभ देखता है, इस लाभ के लालच में वो मानवीयता को भी भूल जाता है। इसके साथ ही मानवीय परिश्रम से ही हर समस्या व चुनौती का हल किया जा सकता है यह भी इसमें दिखाया गया है।

“गुरुदत्त की ‘प्यासा’, फ्रांस आस्टेन की ‘अछूत कन्या’, बिमल रॉय की ‘दो बीघा जमीन’, सत्यजीत राय की ‘पाथेर पंचाली’, राजकपूर की ‘आग’, ‘आवारा’, ‘प्रेम रोग’, ‘राम तेरी गंगा मैली’, ‘प्रेम ग्रंथ’, एन.चंद्र, सुभाष आर. दुर्गाकरी की ‘अंकुश’ जैसी फिल्मों ने विविध सामाजिक विषयों को बड़ी मजबूती से उठाया तथा मिल का पत्थर साबित हुई।” इन फिल्मों में वैश्यावृत्ति, छुआछुत (अस्पृश्यता), ऋणग्रस्तता, शोषण, डाकू समस्या, झोपडपट्टी, विधवा की दयनीय दशा, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार आदि विषयों को प्रमुखता से उठाया गया था।

समानांतर सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर और संजीदा फिल्मकार श्याम बेनेगल ने फिल्म ‘अंकुर’ के माध्यम से क्रूर-शोषणकारी जमींदारी प्रथा का सजीव चित्रण करके किसानों पर किये जाने वाले शोषण को प्रभावकारी तरीके से अभिव्यक्त किया था। इसी प्रकार राजेश खन्ना व आशा पारेख के अभिनय से सजी रोमांटिक फिल्म ‘कटी-पतंग’ में भी विधवा विवाह जैसे सामाजिक विषय को दिखाया था। मनोज कुमार की ‘रोटी, कपड़ा और मकान’, ‘शोर’, ‘उपकार’ आदि फिल्मों में आम-आदमी के दुःख-दर्द को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये फिल्में पूरी तरह से सामाजिक सरोकारों और विसंगतियों पर केन्द्रित थी। इनमें झूठी शान-शौकत, भ्रष्टाचार, महंगाई, धन की महता आदि मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था।

अब कुछ नई फिल्मों की बात कर ली जाये जो सामाजिक विषयों पर केन्द्रित होने के साथ ही सामाजिक बुराइयों पर भी गंभीर चोट करती प्रतीत होती हैं। “आमिर खान की फिल्म ‘पीपली लाइव’ भारत के उन लोगों की कहानी है, जो हाशिए पर हैं तथा जिनकी सुध यानि खोज-खबर लेने वाला कोई भी नहीं होता है। हाँ! चुनावों के समय इन्हें अवश्य याद कर लिया जाता है। यह फिल्म अंतिम पायदान पर खड़े हुए वंचितों-शोषितों की पीड़ा को बयाँ करती है, वही इसके लोकप्रिय गीत ‘महंगाई डायन खाये जात हैं’ में आम-आदमी का दर्द छिपा हुआ है।”¹⁸

“इसके साथ ही ‘तारे जमीं पर’ में भी आमिर खान ने एक अच्छा मुद्दा उठाते हुए यह संदेश दिया है कि अभिभावकों को बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं व इच्छाओं को जबरदस्ती नहीं लादना चाहिए। फिल्म का एक संवाद है कि, ‘बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षा लादना बालश्रम से भी बुरा है।’”¹⁹

“तिग्मांशु धुलिया की फिल्म ‘पानसिंह तोमर’ भी समाज की विद्रुप व्यवस्था, शासन-प्रशासन पर भी करारी चोट पहुँचाती है।”²⁰ किस प्रकार सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त एक प्रसिद्ध अंतराष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन विद्रुप व्यवस्था से अप्रसन्न होकर उसे मजबूरी

में डाकू (बागी) बनना पड़ता है। प्रकाश झा की 'अपहरण', 'गंगाजल', 'आरक्षण' आदि फिल्में भी समाज में मौजूदा व्यवस्था की पोल खोलती हुई दिखाई देती हैं।"¹¹

वर्तमान समय में भारतीय सिनेमा में हिन्दी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, राजस्थानी आदि भाषाओं की फिल्मों में समय के साथ भारतीय समाज में आये परिवर्तन के सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। लेकिन इस सिनेमा में कुछ फिल्मकार केवल धन, नाम और शानो-शौकत के लिए अश्लीलता, फुहड़ता, आदि का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही कुछ फिल्मकार व नायक-नायिकायें अंडरवर्ल्ड व माफिया का सहारा भी लेते रहे हैं तथा ड्रग्स जैसे विषय भी इससे से जुड़ चुके हैं। इन बुराइयों के कारण भारतीय सिनेमा का नकारात्मक रूप भी सामने आता है।

सारांश

भारतीय सिनेमा का इतिहास एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें उसने अनेक उतार-चढ़ाव वाले पड़ावों को देखा है। प्रारंभिक सिनेमा जहाँ धर्मप्रधान था, वही बाद में इसके सामाजिक विषयों को प्रमुखता से उठाकर उनको सामने लाकर भारतीय जनमानस को जागरूक करके सामाजिक विसंगतियों, बुराइयों से बचने की शिक्षा भी दी जाती रही है और दी भी जा रही है। इसके साथ ही सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ईमानदारी, देशभक्ति, मानवता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, दया, करुणा, परोपकार, धैर्य, संवेदना, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता, विश्वबंधुत्व आदि मानवीय गुणों का विकास प्रत्येक मानव में हो सके इसका भी कार्य कर रहा है। सिनेमा में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई जाती है। सत्य को संघर्ष अवश्य करना पड़ता है, लेकिन आखिर में सत्य की ही जीत होती है। यह भारतीय सिनेमा में प्रारंभ से ही दर्शाया जा रहा है और आज भी दिखाया जा रहा है। भारतीय जनमानस का स्वस्थ मनोरंजन करने के साथ-साथ सिनेमा उसके नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा भी प्रदान करता है।

अंत में "हम फिल्मों के संदेशपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, शिक्षाप्रद और मनोरंजक स्वरूप को कायम रखे, ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिनेमा जनशिक्षा का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें सभी को प्रभावित करने की आसीम क्षमता भी है। ऐसे में फिल्म निर्माताओं को व्यावसायिकता के साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाना चाहिए।"¹²

संदर्भ :-

1. अग्रवाल, अनिल, 'निबंध मंथन', मंथन प्रकाशन, प्रयागराज (इलाहाबाद), 32वां संस्करण, पृष्ठ- 215।
2. वही, पृष्ठ- 215।
3. वही, पृष्ठ- 215।
4. वही, पृष्ठ- 216।
5. वही, पृष्ठ- 216।
6. वही, पृष्ठ- 216।
7. वही, पृष्ठ- 216।
8. वही, पृष्ठ- 216।
9. वही, पृष्ठ- 216।
10. वही, पृष्ठ- 216।
11. वही, पृष्ठ- 216।
12. वही, पृष्ठ- 217।

महिला सशक्तिकरण में आत्मनिर्भर भारत

डॉ० चेतना उपाध्याय

सहायक प्राध्यापक (विधि), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंगपुर [मध्य प्रदेश]

AatmaNirbhar Bharat campaign is linking the abilities of women with the development of the country

प्रधान मंत्री ने “आत्मनिर्भर भारत मिशन” तैयार किया और इस वर्ष के 12 मई को कोरोना वायरस महामारी से संबंधित आर्थिक पैकेज के दौरान इसकी घोषणा की। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि संरचनात्मक सुधार एक प्रणालीगत, नियोजित, एकीकृत, अंतर-जुड़े और भविष्य की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे देश के आत्मनिर्भर बनने के पाठ्यक्रम को बदल देंगे।

भारत के वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि “आत्मनिर्भर भारत” का मतलब बाकी दुनिया से कट जाना नहीं है”।

कानून और आईटी मंत्री, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब “दुनिया से अलग-थलग करना नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत है, प्रौद्योगिकी का स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है।”

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने एमएसएमई के भीतर एक समावेशी और व्यापक कवरेज की घोषणा की है, जिससे कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी की गुंजाइश बढ़ रही है, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ रहा है, और अन्य क्षेत्रों जैसे सौर निर्माता क्षेत्र।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच मूलभूत स्तंभ

आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पाँच मूल भूतस्तंभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज़ेनिम है।

1. अर्थव्यवस्था (Economy)– अर्थव्यवस्थाकोवृद्धिशीलपरिवर्तन (Incremental Change) की जगह बड़ी उछाल (Quantum Jump) पर आधारित किया जायेगा।

2. प्रौद्योगिकी (Technology)– प्रौद्योगिकीसंचालितव्यवस्थापरजोरदियाजायेगा।

3. अवसंरचना (Infrastructure)– ऐसे अवसंरचना का विकास किया जायेगा जो पूरे विश्व में आधुनिक भारत की पहचान बने।

4. मांग (Demand)– भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर उसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जायेगा।

5. गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography)– भारत दुनिया की सबसे बड़ी Democracy हैं। और हमारी असली ताकत भी यही है। जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत बनेगी।

जब पीएम ने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) एक घंटे की जरूरत है और बेहतर भारत के लिए इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे मन में सवाल आता है कि क्या महिला सशक्तिकरण के बिना यह संभव है?

महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 50% आबादी हमारी महिलाओं की है। परिवार, समाज और देश के लिए लचीलापन, जुनून और प्रतिबद्धता अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग समय पर दिखाई जाती है, जैसे महिलाओं की गरिमा की रक्षा, स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा का उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण, कला, साहित्य और संस्कृति, खेल, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र विकास, पर्यावरण प्रबंधन, व्यक्ति और समाज की आध्यात्मिक प्रगति, प्रशासन और सिविल सेवा, नेतृत्व, राजनीतिक आंदोलन, सोशल मीडिया विज्ञापन पत्रकारिता और समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ाई।

ऐसे कई उदाहरण हैं जो स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि जब महिला को समान महत्व और दर्जा दिया जाता है या जब वह कुछ ऐसा बनाने का फैसला करती है जो समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है, तो वह इसे किसी भी क्षेत्र में बहुत प्रभावी ढंग से और कुशलता से करती है।

कुछ असाधारण महिला योग्यता साबित करती हैं और जब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं तो एक महिला इसे बड़ी सफलता क्यों बना सकती है,

- **बछेंद्री पाल (खेल):**– जब पर्वतारोहण की बात आती है तो यह बेहद प्रसिद्ध नाम है। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- **गोदावरी दत्ता (कला-पेंटिंग):**– यह महान माँ एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मधुबनी चित्रकला की सुंदर कला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।

- **रोहिणी गोडबोले (विज्ञान और इंजीनियरिंग-परमाणु):-** भारतीय भौतिक विज्ञानी, उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर में प्रोफेसर। उन्होंने 150 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं। वह वर्तमान और भविष्य के टकराने पर नए कण उत्पादन में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, बड़े हैड्रॉन कोलाइडर में भौतिकी और अगले रैखिक कोलाइडर, क्यूसीडी फेनोमेनोलॉजी, प्रोटॉन, फोटॉन और न्यूक्लियस प्लस सुपरसिमेट्री और इलेक्ट्रोवेक भौतिकी के संरचना कार्यों के लिए जाना जाता है। वह 2019 में पद्म पुरस्कार विजेता हैं।
- **राजकुमारी देवी (कृषि):-** प्यार से किसान चाची के नाम से जानी जाती हैं। वह मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और सफल फसल सुनिश्चित करने के लिए खेती के टिप्स देती रही हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए 300 से अधिक महिलाओं को संगठित किया है। वह 2019 में पद्म पुरस्कार विजेता हैं।
- **सालुमरादा थिम्मक्का (सामाजिक कार्य: पर्यावरण):-** कर्नाटक स्थित पर्यावरणविद् सालुमरादा थिम्मक्का को हुलिकल और कुदुर के बीच राजमार्ग के 4 किमी के हिस्से में 385 बरगद के पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए जाना जाता है।
- **जमुना टुडू (सामाजिक कार्य):-** इन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरणविद् जमुना टुडू को लकड़ी माफिया से मुकाबला करने के लिए जाना जाता है। इस गॉडफ्रे फिलिप्स बहादुरी पुरस्कार विजेता के पास झारखंड में वन भूमि के आसपास काम करने वाले 300 समूह हैं। वह पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं।
- **नर्तकी नटराज (नर्तकी):-** वह ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली व्यक्ति हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में काउंटी का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है। तमिलनाडु की रहने वाली, उन्होंने नृत्य विद्यालय नर्तकी नृत्य कलालय शुरू किया और वल्लियमबलम स्कूल ऑफ डांस चलाती हैं।

रानी लक्ष्मीबाई, माता जीजाबाई, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, सुषमा स्वराज, किरण बेदी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सिंधुताई सपकाल, नीता अंबानी, आशा भोसले, इंदिरा नूई, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा जैसी अनगिनत महिला दिग्गज। डॉ. रत्नमाबाई, लक्ष्मी सहगल, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, मैडम भीकाजी काम... लिस्ट लंबी है.....

विकास के इतिहास में महिलाओं का योगदान काफी स्पष्ट है, हालांकि, एक समाज के रूप में, हम एक महिला की गरिमा को बनाए रखने में विफल रहे हैं। हमें अपनी मानसिकता और दृष्टि को बदलने की जरूरत है, न कि महिला को केवल हाउसकीपर या सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखने की। हमारे प्राचीन शास्त्रों और संस्कृति से पता चलता है कि हमें कैसे विश्वास रखना चाहिए, सम्मान बनाए रखना चाहिए और महिला का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम देवी लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा का सम्मान करते हैं...

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक एजेंट के रूप में महिलाएं आत्मनिर्भर भारतीय आंदोलन में कटौती करने में विफल रहीं। आत्मनिर्भर भारत के व्यापक रोड मैप में केवल पांच बार “महिलाओं” का उल्लेख किया गया है, सबसे उल्लेखनीय उल्लेख है-“अब सभी व्यवसाय महिलाओं के लिए खुले हैं और अब महिलाएं रात में सुरक्षा उपायों के साथ काम कर सकती हैं।” हालांकि, श्रम बाजार में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे किसी भी सुरक्षा उपाय के निर्माण के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

आत्मनिर्भर भारत में महिला सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियां

1. लिंग अंतर

विश्व आर्थिक मंच 2006 से एक वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के साथ लिंग आधारित असमानताओं पर नजर रख रहा है, जिसमें भाग लेने वाले देशों द्वारा चार आयामों-लिंग असमानता: आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक पर रैंक प्रदान करके वार्षिक प्रगति का लेखा-जोखा रखा गया है। 2019 की रिपोर्ट में, WEF ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में अंतर को पाटने में लगभग 257 साल लगेंगे।

नया साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ओर अग्रसर होगा, और जैसे ही हम एक नए दशक में कदम रखते हैं, यह विराम का समय है, प्रतिबिंब और नए संकल्प के लिए। महिलाएं भारत की आबादी का 50% हिस्सा बनाती हैं, और महिला सशक्तिकरण में वह क्षमता है जो भारत को सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। आधे आसमान पर महिलाओं का कब्जा है, लेकिन यह कार्यबल में 20% की भागीदारी में परिलक्षित नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए न केवल सामाजिक समावेशन लक्ष्यों का भाग्य रखता है, बल्कि भारत को अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी महिलाओं को कार्यबल का सक्रिय हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं का विकास एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता दोनों है।

पिछले साल, हमारे प्रधान मंत्री ने महिला सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण का आह्वान किया था, इसे राष्ट्र निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में मुख्यधारा में शामिल किया था। इस विवर्तनिक बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए, प्रयासों और धन के अभिसरण की अधिक आवश्यकता है। श्री नरेंद्र मोदी को इस बार महिला शक्ति के लिए एक और जन आंदोलन छेड़ना चाहिए और सरकारों और नागरिकों की समान रूप से अधिक भागीदारी को आमंत्रित करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए किया था, जब सरकार के सभी हथियार और कई कार्यक्रम पोछे के साथ मार्शल किए गए थे। और नल और शौचालय के लिए झाड़ू। भारतीय अपने देश को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त रखने में अपनी भूमिका के बारे में पूरी तरह जागरूक हो गए और पांच वर्षों में 92 मिलियन से अधिक ग्रामीण शौचालयों का निर्माण किया गया। महिलाओं के विकास के लिए ऐसी ही ऊर्जा पैदा करने के लिए हमें एक और ऐसे तूफान की जरूरत है।

2. महिलाओं की सुरक्षा और भलाई

भारतीय महिला का स्थायी व्यक्तित्व एक गृहिणी, देखभाल करने वाला, एक परिवार का केंद्रक और सबसे बढ़कर, भारतीय लोकाचार में शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। फिर भी, जब हम इन प्रतीकों का जश्न मनाते हैं, तो हम स्टीरियोटाइप के पीछे की वास्तविक महिला की दृष्टि खो देते हैं। भारतीय महिला कौन है? वह गांव में रहती है या शहर में? क्या वह एक कामकाजी हाथ है या वह घर में रहती है? क्या वह खेत में, किसी कारखाने में या किसी कार्यालय में काम करती है? क्या उसकी भारतीय या पश्चिमी पोशाक उसे परिभाषित करती है? क्या वह एक रूढ़िवादी कल्पना के पीछे छिपी है या एक बड़े विश्वदृष्टि के संपर्क में है? और अंत में, क्या ये द्वंद्व एक दूसरे के विपरीत हैं?

महिलाएं अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को जटिल अंतःक्रियाओं और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर अनुभव करती हैं और चलाती हैं, क्योंकि इस तरह का सशक्तिकरण एक ऐसे वातावरण से संबंधित होगा जिसमें महिलाओं के पास आत्म-वृद्धि के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में विकल्प चुनने की क्षमता, आत्मरक्षाकीस्वतंत्रता और शक्ति होती है।

महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार एक सुरक्षा प्रतिमान को बढ़ावा देती है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती निवारक, सुरक्षा, अनुशासनात्मक और दंडात्मक उपायों पर काम करती है। महिला सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह, तस्करी और यौन शोषण की रोकथाम के लिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए अस्थायी आश्रय के रूप में कार्य करने वाला श्वन स्टॉप सेंटर, 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रदान करने वाली महिला हेल्पलाइन प्रतिक्रिया, और महिला पुलिस स्वयंसेवक जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। महिलाओं के हितों और अखंडता की रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कई नियम भी पारित किए गए हैं, जैसे विरासत बंदोबस्ती, घरेलू हिंसा विधेयक और एक महिला के अपने घर से बाहर न निकलने के अधिकार की रक्षा करना। सरकार ने व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता की रक्षा करके महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि महिलाओं के स्वामित्व वाले एफपीओ और एमएसएमई सरकारी खरीद के 3% में महिलाओं की भूमिका के लिए धक्का देते हैं।

3. भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा

बड़ी संख्या में भारतीय महिलाएं अपने अस्तित्व और बुनियादी अधिकारों के लिए दैनिक संघर्षों से गुजरती हैं, शोषण और बहिष्कार का अनुभव करती हैं। महिलाओं के पास अपनी आवाज सुनने के तरीकों की कमी है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। लिंग आधारित हिंसा व्यक्तिगत क्षेत्र में सबसे अधिक परिलक्षित होती है क्योंकि भारत में लगभग 40% मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के होते हैं। गरीबी, समान अवसरों की कमी, परिवार का आकार, खराब स्वास्थ्य, पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण, विकलांगता, दुर्व्यवहार, शिक्षा की कमी, ज्ञान, जागरूकता, आय सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण, और न्यायिक और प्रशासनिक बाधाओं को नेविगेट करने में असमर्थता के बीच परस्पर क्रिया, लिंग पर जोर देती है। उद्यम और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के लिए लगातार प्रवेश बाधाएं जैसे ऋण और बाजारों तक पहुंच की कमी, भूमि के स्वामित्व की अनुपस्थिति, कम उम्र में विवाह, बच्चे का जन्म, और वित्तीय और डिजिटल निरक्षरता आर्थिक भागीदारी के लिए तैयारियों की समग्र कमी का कारण बनती है।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए और बदलाव के लिए गति का निर्माण करने के लिए, लाखों महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए व्यक्तिगत संघर्षों की दिन-प्रतिदिन की वास्तविकताओं में सशक्तिकरण को व्यापक अभिव्यक्ति देने के लिए पॉकेट-आकार के पायलट कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि कई विनियम और कार्यक्रम महिलाओं के हितों और अखंडता की रक्षा करते हैं, उन्हें गहन और समन्वय करने की आवश्यकता है।

महिलाएं और आत्मनिर्भर भारत

COVID-19 महामारी ने समाज के हर वर्ग और विशेष रूप से गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इस संकट का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है और इसने हर क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। यह पूरे देश और उसके बाहर आर्थिक गतिविधियों की लंबाई और चौड़ाई में एक स्नोबॉलिंग प्रभाव डालने वाला है। चल रहे लॉकडाउन में पीड़ित महिलाएं खामोश हैं। महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और उन्होंने हमेशा हमारे समाज को आकार देने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं को एकीकृत करने का सबसे व्यवहार्य समाधान है। श्रोकल फॉर लोकलशकी अवधारणा तभी संभव है जब महिलाओं, जिनकी आबादी कुल की लगभग आधी है, को कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है और आर्थिक गतिविधियों के मामले में समान रूप से भाग लिया जाता है।

यह आज की वास्तविकता है कि एक बड़ी प्रवासी आबादी (अंतर राज्य के साथ-साथ अंतर्राज्यीय) अपने गांवों और छोटे शहरों में लौट आई है; और बेरोजगारी और आजीविका के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। तो, आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) की महिलाओं के जीवन में एक भूमिका है और इसके विपरीत। अतः महिलाओं को शामिल करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना अनिवार्य है; और तदनुसार जमीनी स्तर पर हर महिला तक पहुंचने के लिए उचित कार्यवाई, सिफारिशें और समाधान करें।³

महिलाओं की व्यापक श्रेणियों की परिकल्पना:

महिला सशक्तिकरण के वर्तमान स्तर और स्तर पर, आत्मनिर्भर भारत के लिए महिलाओं को शामिल करने के लिए व्यापक श्रेणियों की महिलाओं की परिकल्पना की जानी चाहिए:⁴

- क) पूरी तरह से स्थापित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं
 - बी) कुछ कौशल रखने वाली या छोटे प्रतिष्ठान वाली महिलाएं
 - ग) महिलाओं को कौशल सेट और कौशल विकास की आवश्यकता है।
- इन श्रेणियों में, श्रेणी (बी) और (सी) के तहत महिलाओं की पहचान की जानी चाहिए आत्मनिर्भर भारत के लिए उचित और व्यवस्थित रूप से उचित समर्थन प्रदान किया गया।

आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर महिलाओं के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:⁵

1. देशभर में महिलाओं की आजीविका पर COVID-19 के प्रभाव पर एक फील्ड अध्ययन शुरू करना क्षेत्र।
2. श्रेणी (सी) के अंतर्गत महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
3. जरूरतमंद महिलाओं के लिए सतत आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम
4. महिलाओं और उनकी भागीदारी के लिए विशेष रूप से तैयार प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम
5. कुशल महिलाओं को रोजगार देने के लिए सामाजिक उद्यमों के साथ साझेदारी करना
6. सूक्ष्म और लघु व्यवसायों में महिलाओं का समर्थन करें
7. उचित ऊष्मायन और महिला उद्यमियों का हाथ पकड़ना
8. अनिवार्य गैर-भेदभावपूर्ण और यौन उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल
9. सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई पक्षपात नहीं; और उन उपयुक्त और जरूरतमंद महिलाओं का समर्थन करना।

कई क्षेत्रों में एक साथ सामूहिक प्रयास:-

लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कई सारे क्षेत्रों में एक साथ सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो निम्न हैं⁶:-

1. भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने स्तर से सहयोग करना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सब को अपने-अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान भी हमें व हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने में पूरा पूरा सहयोग करता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को जीने का, शिक्षा, रोजगार, विचारों की अभिव्यक्ति व अन्य सभी चीजों के समान अवसर प्रदान करता है। और सारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से ले सकता है।
हमारा संविधान कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी रोजी-रोटी के लिए प्रयास कर सकता है। नए उद्योग धंधों को स्थापित कर सकता है। जो किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनने की तरफ सबसे पहला और अहम कदम है।
2. हमारे युवा व हमारे देश के छात्र आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। ये विद्यार्थी अपार संभावनाओं और असीमित प्रतिभाओं के धनी होते हैं। वैसे भी भारत के छात्रों व युवाओं की प्रतिभा का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। अधिकतर विकसित देशों में भारत के युवा अपनी सेवाएं बड़ी कुशलता पूर्वक दे रहे हैं।
सरकार ने नए उद्योग धंधों को स्थापित करने व नये आविष्कारों को इजाजत देने के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है जिसमें सरकार इन युवाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देकर अपने देश में ही अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में दूसरा अहम कदम है।
3. हमें समुद्र से लेकर हरियाली (वनों) तक सभी को संरक्षित करना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का भी भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। हमें अपने देश में मिलने वाले कच्चे माल का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना सीखना होगा। इसके लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों व जैव विविधता व वनों, यहां तक कि अपने समुद्र को भी बचाना आवश्यक है। क्योंकि जंगलों से हमें कई तरह के उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल व अमूल्य औषधियों प्राप्त होती है। साथ में इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है जिससे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है।
4. हमारे समाज में अभी भी जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव गहरी पैठ बनाये हुए है। जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ा बाधक है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें जाति, धर्म व लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर समान रूप से अपनी व देश की आर्थिक तरक्की के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। अगर हर व्यक्ति अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करेगा, तो देश खुद-ब-खुद मजबूत बन जाएगा।
5. भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों पर अपना जीवन यापन करती है हालाँकि आज भारत में कृषि के पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर किसानों ने वैज्ञानिक तरीकों को अपना लिया है जिससे अच्छी पैदावार हो रही है।
लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। कृषि ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपने देश के लिए खाद्यान्नों की जरूरत को तो पूरा कर ही सकता है साथ में खाद्यान्नों के निर्यात से भी अच्छी खासी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र की तरफ पढ़े लिखे युवाओं का रुझान भी बढ़ा है। कई अच्छे पढ़े-लिखे प्रतिष्ठित युवा भी कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाने में विशेष रुझान दिखा रहे हैं।

6. स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। ये भी हमें आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी “लोकल उत्पादों को वोकल” बनाने की बात की है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के खिलौने बनाने के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं बताई हैं।
7. हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लोककला, रीति रिवाजों, पूर्वजों की धरोहरों व आध्यात्मिक ज्ञान व भारतीय विद्याओं को भी सहेज व समेट कर रखना होगा और अधिक से अधिक युवाओं को इन सब से जोड़कर इसे रोजगार का जरिया बनाना होगा, क्योंकि हमारी यही सांस्कृतिक धरोहर दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है।
8. भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि स्वस्थ भारत बनाना भी आवश्यक है। क्योंकि जब देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो, वह किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
किसी भी राष्ट्र के विकास में वहाँ के स्वस्थ नागरिक मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक काम चाहे वह उद्योग धंधे हो या कृषि व्यवसाय या किसी भी अन्य तरह के क्षेत्र की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं।
9. युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने की अति आवश्यकता है। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को अपने मनपसंद की शिक्षा लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे युवा अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर अपनी क्षमता का विकास करें और भविष्य में उनकी वही शिक्षा उनके लिए रोजगार का जरिया बन जाए। अगर हर हाथ के पास काम होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा।
10. हमारे देश में प्राकृतिक पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। भारत में होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन (जैसे कुम्भ मेला) शेष विश्व के लोगों को आकर्षित करते हैं।

उपसंहार

हमें अपने भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ व विश्वसनीय भारत बनाना होगा। इसमें हमारे युवा अपनी ऊर्जा व नए नए विचारों से नए नए तरह के व्यवसायों, अविष्कारों को जन्म देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

देश के बड़े-बड़े उद्योगपति व सरकार इन लोगों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब भारत में ही हर तरह की वस्तुओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ बनाया जाएगा। तो भारत को अपनी जरूरत के लिए किसी अन्य देश के मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।

कोई कंपनी खोलकर लोगों को रोजगार देगा, तो कोई कुटीर उद्योग से अपने लिए स्वरोजगार पैदा करेगा। कोई अपने गांव में मिलने वाले सामान को “लोकल से ग्लोबल” बनाएगा तो , कोई नया आविष्कार कर एक मिसाल कायम करेगा। यानी बड़े अपने अनुभव से और नवयुवा अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे।

संदर्भ

1. <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/youth2020/atmanirbhar-bharat-and-women-empowerment-26777/>
2. ¹ <https://myvoice.opindia.com/2020/10/aatmanirbhar-bharat-and-women-empowerment/>
3. <https://www.smilefoundationindia.org/article-realising-the-vision-of-a-women-led-atma-nirbhar-bharat.html>
4. <https://www.thesangaexpress.com/>
5. <https://www.thesangaexpress.com/Encyc/2020/8/9/Role-of-Women-in-Atmanirbhar-Bharat-Self-reliant-India-.html>
6. <https://keepinspiringme.in/essay-on-aatm-nirbhar-bharat-in-hindi/>

महिला सशक्तिकरण का गांधीवादी परिपेक्ष

वंदना शर्मा

अतिथि विद्वान, बीएड विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

परिचय

इस बात से शक नहीं है कि, गांधी युग के साथ ही स्त्री जागृति के एक खास युग का आरंभ होता है, गांधी जी का आदर्श यह था कि पुरुष पुरुष रहते स्त्री स्त्री रहते पुरुष बने पुरुष के स्त्री बनने का अर्थ यह है कि वह स्त्री की नम्रता और विवेक को धारण करें, और स्त्री को पुरुष बनने का मतलब है कि वह अपनी वीरता त्याग कर हिम्मतवाली बहादुर बने स्त्री और पुरुष की बराबरी को गांधी जी ने पेश किया था वह समाज में आज भी मौजूद है गांधी जी ने कहा है “1आदमी जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है, उसमें सबसे घटिया नारी जाति का दुरुपयोग है, अबला नहीं है नारी है।” आधुनिक भारत गांधीजी सहित अन्य उन्हें व्यक्तिगत प्रयासों तथा कई सुधार संगठन द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के उद्धार की समस्या के प्रति जन चेतना उत्पन्न हो चुकी है, महिलाओं के संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण को उनके सामान्य जीवन दर्शन में ही रखकर भली-भांति समझा जा सकता महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए हम को सर्वप्रथम सशक्तिकरण का अर्थ जानना आवश्यक है, सशक्तिकरण से अभिप्राय यानी लोगों को अधिक से अधिक अधिकारों का उपयोग करने एवं परतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा मिलने से है इसका अर्थ हम आप निर्भरता से ले सकते हैं, तात्पर्य यह है कि कोई भी स्त्री अथवा पुरुष बिना आत्मनिर्भर हुए सशक्त हो ही नहीं सकता है, जबकि महिलाओं के साथ तो यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि महिलाओं के साथ सदैव से भेदभाव होता आ रहा है, जिसका परिणाम यह रहा कि समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत ही निम्न रही है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश गांधी युग से पूर्व भारत में महिला शिक्षा सामाजिकता राजनीतिक भागीदारी में न्यूनतम रही है लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण का आधार कहा जा सकता है गांधीजी के अनुसार लैंगिक समानता की स्थापना के लिए समानता का संस्कार बचपन से ही प्रारंभ होना चाहिए लेकिन गांधीजी ने पाश्चात्य नारीवाद विचारों की उग्रता का विरोध किया गांधीजी भारतीय नारी के लिए पाश्चात्य नारी की परिस्थिति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे गांधी जी का विश्वास था कि स्त्रियों की उपस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए समाज में सम्मानजनक व गरिमा युक्त पद प्रदान करने के लिए उन कथा गीता धार्मिक ग्रंथ और आदर्श चरित्र का प्रचार करना चाहिए, जिनके आदर्श से सामान्य जनता भलीभांति परिचित हो सके। गांधीजी लैंगिक समानता की भूमिका को समानता के रूप में नहीं बल्कि दोनों स्त्री पुरुष के प्रति समान सम्मान की भावना तथा उनकी समान कानूनी स्थिति के रूप में देखते थे।

इस प्रकार हम गांधी जी के चिंतन में प्रगतिशील और परंपरा का समन्वय देख सकते हैं गांधी जी ने स्त्री की अबला छवि को और स्वीकार किया स्त्री को सभी उच्च मानवीय गुणों तथा प्रेम, त्याग, करुणा, संयम आत्म पणन से युक्त माना। गांधी जी के शब्दों में “यदि शक्ति से हमारा तात्पर्य पशु बल से है तो निसंदेह पुरुष स्त्री से उच्च किंतु यदि शक्ति का तात्पर्य नैतिक शक्ति से है तो इस्त्री की शक्ति का मुकाबला नहीं किया जा सकता।”

19वीं सदी में महिलाओं की समस्याओं के बारे में सजगता पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में उनकी स्थिति तक ही सीमित था बहुत कम लोगों ने उस मूलभूत असमानता और अन्याय के बारे में सोचा। जिसका महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से सामना करना पड़ता था, उस समय महिला को ना तो पुरुष के समान साथी माना जाता था, और ना ही महिला को एक एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था।

महिला का कोई अस्तित्व नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय विदेशी ताकत भी महिलाओं को कभी पुरुषों के बराबर का सहयोगी बने ऐसी सोच ना थी। इसके ठीक उलट महिलाओं की स्थिति के बारे में गांधीजी अपनी संवेदनशीलता और गहन जानकारी के कारण अन्य लोगों से अलग नजर आते हैं।

गांधी जी ने वर्ष 1921 में यंग इंडिया के अपने एक लेख में कहा था कि पुरुष द्वारा खुद बनाई गई बुराइयों में से कोई भी इतनी अपयश जनक पाशविक और अप्रिय नहीं है जितनी भी मानवता के आधे हिस्से यानी महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार है हालांकि महिला कमजोर लिंग नहीं है

गांधीजी महिलाओं की समानता और अन्याय पूर्ण स्थिति को सामान्यता स्वीकार करते हैं और सीधे तौर पर यह कहते हैं कि “अगर मेरा जन्म एक महिला के रूप में हुआ मैं रहता तो मैं पुरुष के ढोंग के खिलाफ बगावत कर देता”

प्रयोगवादी होने के कारण गांधी जी ने कस्तूरबा के साथ अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके संबंध तभी सच्चे बन पाए थे, जब उन्होंने (बा) के साथ बर्ताव के तरीके बदल दिए। उनके सभी अधिकार उन्हें दिए। गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका और उनके जीवन यापन शैली में चर्चा करते हुये इस बात पर बल दिया है कि महिला और पुरुष हाला की स्थिति में एक समान है, फिर भी वह बिल्कुल एक जैसे नहीं है। वर्षों पहले कही गई

यह बात गांधीजी की बुद्धिमत्ता का एक बेशकीमती उदाहरण है आज के युग में यह गांधी जी की ही सोच थी कि महिला अपने आप में एक व्यक्तित्व है उसकी भी अपनी एक सोच है

जिंदगी के बारे में कोई योजना बनाने के विषय पर गांधी जी कहते हैं कि महिलाओं को भी अपनी किस्मत आजमाने का उतना ही हक है जितना कि एक पुरुष को है। गांधीजी ने एक महिला को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिए जाने की अपनी सोच का विस्तार देते हुए कहा है कि “मूलभूत रूप से महिला और पुरुष एक ही हैं। और लाक्षणिक तौर पर दोनों में आत्मा भी समान है।” 1921 के असहयोग आंदोलन में गांधीजी ने यह प्रयास किया था कि महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़कर महिलाओं के संघर्षों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जोड़ दिया जाए लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा क्या क्रम बनाया कि वह घर में रहकर आंदोलन में हिस्सा ले सकें यह कहा जा सकता है कि अभी भारत में महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सशक्त होने के लिए लंबा सफर तय करना है गांधीजी के भारतीय राजनीति में सक्रिय होने के समय भी नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, परंतु उनके आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। वर्तमान शोध प्रबंध का उद्देश्य जानना है कि महात्मा गांधी को भारतीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भूमिका के संदर्भ में क्या विचार थे उन्होंने इस दिशा में क्या प्रयास किए तथा इसका क्या परिणाम रहा।

बिना किसी संकोच से हम यह कह सकते हैं कि महिला अधिकारों के संबंध में आज जो अनुकूल वातावरण हमें दिखाई दे रहा है उसकी न्यू गांधी जी की ही देन है। महिलाओं के प्रति गांधी जी का सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ सहृदय मानते थे। वह नारी को अबला करने के सख्त खिलाफ थे। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का यह उदाहरण जानने योग्य है कि उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को दुत्कारना है, “यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें उनकी वीरता की कई मिसाल मिलेंगी। महिला देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प ले ले तो कुछ ही महीनों में आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश रूप बदल सकती है।” महात्मा गांधी महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत चिंतित रहते थे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कुतियों के बारे में उनके मन में काफी कड़वाहट थी। गांधीजी मानते थे कि बाल विवाह पर्दा प्रथा सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कृतियों के कारण ही महिलाएं उन्नति नहीं कर पाती हैं। शोषण अन्याय अत्याचार सहन करने को विवश है। यह बात सही है कि गांधी जी ने महिलाओं के लिए कोई भी आंदोलन नहीं चलाया किंतु अपनी लेखनी से वह इन कृतियों पर प्रहार करते हैं।

गांधी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास किए वह कभी कम नहीं हो सकता है गांधी जी ने महिलाओं को आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने की अपेक्षा उनकी नैतिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए प्रयास किया। गांधीजी के लिए लैंगिक समानता का अर्थ व्यवसाय में भी समानता नहीं है, वह पुरुष और महिलाओं के बीच कार्यों के विभाजन में विश्वास रखते थे। गांधी जी की विचारधारा महिलाओं के लिए बड़ी संवेदनशील थी किंतु फिर भी कभी भी उन्होंने महिलाओं को अपने मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक मंच बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया महिलाओं की नैतिक शक्ति के रूप में जो छवि गांधीजी के मन में बसी थी उसका मुख्य आधार था लैंगिक इच्छा से उनकी मुक्ति। ताकि पुरुषों की गुलाम ना बने। गांधी जी ने कभी भी महिलाओं के लैंगिक जीवन को महत्व नहीं दिया। गांधीजी चाहते थे कि पुरुष पूरे परिवार के लिए भरण पोषण के साधन जुटाए और स्त्रियां बच्चों के लालन पालन एवं प्रबंध की जिम्मेदारी निभाएं। उनके शब्दों में पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है कि वह परिवार के लिए रोटी और स्त्रियों का यह दायित्व है बच्चों को लालन पालन में श्रेष्ठ भूमिका अदा करें। गांधी जी कहते हैं कि समस्त रूढ़ियों और सामाजिक नियम केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, और वे सभी स्त्रियों के विरुद्ध हैं। मगर लंबी गुलामी व प्रताड़ना की वजह से स्त्रियां हीन भावना से ग्रसित हो गई हैं। और उन्होंने पुरुषों को श्रेष्ठ और अपना मालिक मान लिया है अपने को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है स्त्रियां यदि इसका विरोध कर ले तो उन्हें उनके अधिकार लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा।

गांधीजी का मानना था कि पुत्र और पुत्री में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए भारतीय समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है का आदर्श रहा है

निष्कर्ष

आजादी से लेकर अब तक गांधीजी के महिला सशक्तिकरण की उपयोगिता का यह परिणाम रहा है कि जो भी सरकारें हुई सभी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अलख जगाया महिलाओं के हित के लिए कार्य किए और उनकी प्रासंगिकता को बरकरार रखा आज हम यह कह सकते हैं कि मुद्दा नारी के विकास का नहीं नारी की शक्तियों के विकास का है और आज हमें यह गर्व होना चाहिए कि हम लड़कियों के जन्म पर खुशियां मनाएं अपने बेटियों पर समान रूप से गर्व करें हमें समाज में नहीं बल्कि घरों के अंदर भी महिला पुरुष के भेद को रोकना चाहिए महिलाओं को खुद से जुड़े फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए सही मायने में हम सभी नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण भूमिका होती है चाहे वह शोध से जुड़ी गतिविधियां हूं शिक्षा का क्षेत्र हो महिलाएं काफी अच्छा कार्य कर रही हैं सरकार महिलाओं के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है किंतु अधिकतर महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। सरकार का यह प्रयास है कि महिलाओं को अधिक लाभ उठाएं और महिलाओं को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएं वर्तमान समय में नारी नामक एक पोर्टल बनाया गया है पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने दो 1 से 2 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया इस पोर्टल में महिलाओं के लिए 350 सरकारी योजनाओं से संबंधित व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है।

इस प्रकार अपने विचार एवं कार्यों से गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया जो अन्य किसी भी समाज सुधारक की तुलना में गांधीजी की महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गांधीजी का योगदान महत्व कहा जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो विचार रखे वह अत्यंत ही प्रयोगवादी थे समाज में स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित करना स्त्रियों के ऊपर लगाए गए अबला कलम को दूर करना

इसरो के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना उनमें आत्मविश्वास व आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए प्रयास करना और गांधी जी का विश्वास था कि महिलाओं में जो आंतरिक नैतिक बल है

वह उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करें पूर्व के समाज सुधारकों की तुलना में गांधीजी का महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को समाज में आगे लाने का महत्व योगदान मानते हैं गांधी जी को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि आजादी महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका कर सकती है गांधीजी ने महिलाओं के लिए जो भी प्रयास किए उनका उनका महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सत्य के प्रयोग
2. यंग इंडिया
3. हरिजन पत्रिका

मिथिलेश्वर के उपन्यासों में नारी सशक्तिकरण: एक मूल्यांकन

मधु त्रिवेदी

(शोधार्थी), हिंदी विभाग, वि०भा०वि, हजारीबाग, झारखण्ड, 825301

सुबोध सिंह शिवगीत

शोध निर्देशक, हिंदी विभाग, वि०भा०वि, हजारीबाग, झारखण्ड, 825301

उपन्यास हिंदी साहित्य की अभिनव एवं महत्वपूर्ण विधा है। यह साहित्य की सबसे अधिक लचीली, चमकीली और नुकीली विधा है, जो कभी भी, कोई भी रूप धारण कर पाठकों के मनोभावों को आंदोलित करती है।

बदलते युग में उपन्यास साहित्य ने एक नई पहचान दी है। नई सदी को सशक्तिकरण की सदी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 'सशक्तिकरण' का अर्थ है-स्वयं व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार।

पुरुष प्रधान दुनिया में विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं के जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां एवं उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जिसके कारण महिलाओं को मानसिक व शारीरिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। आज समय के बदलते परिवेश में शारीरिक सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु बनी है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना 'नारी सशक्तिकरण' है। नारी सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शारीरिक या मानसिक आदि स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करता है और उन्हें जागरूक एवं सशक्त भी बनाता है।

सशक्तिकरण के प्रश्नों को सामने लाने में प्रशंसनीय कार्य हिंदी-उपन्यास विधा ने किया। इस विधा की विकास यात्रा में रचनाकारों की अहम् भूमिका रही।

प्रेमचंद से प्रभावित कथाकार मिथिलेश्वर ने सामाजिक या विश्वजनीन स्थितियों का व्यापक निरूपण उपन्यासों में किया है। सामाजिक विसंगतियों से उत्पन्न जीवन संकट एवं बदलते मानव मूल्यों में घुटता परिवार आदि कई विषयों के प्रति मिथिलेश्वर साहित्यिक कर्तव्य निभाने में उत्तम मानवीयता दिखाई हैं। इनके उपन्यासों में 'झुनिया', 'युद्धस्थल', 'प्रेम न बाड़ी ऊपजै', 'यह अंत नहीं', 'सुरंग में सुबह' तथा 'माटी कहे कुम्हार से' प्रसिद्ध हैं।

'झुनिया'- कथाकार मिथिलेश्वर का पहला उपन्यास है। सामंती संस्कृति की मौजूदगी के कारण झुनिया लगातार शोषित होती रही है। बेचारा हरिहर अपनी पुत्री को खेत मालिकों के आगे लगातार बिछते देख रहा है। हरिहर गरीब मजदूर है। कुछ भी करने में असमर्थ, बुढ़ापे की मार अलग, बिलकुल लाचार और विवश है। वह बेटी को बार-बार दुष्कर्मियों से लूटने से उसे बचा नहीं पाता है।

प्रस्तुत उपन्यास में झुनिया के यौन शोषण का यथार्थ चित्रण है। वहीं गाँव के युवक सोमारू के प्रति झुनिया का समर्पण भाव उजागर है। उपन्यासकार ने झुनिया के मनोभाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-"वह सोमारू को कैसे बताए कि जो खाना जूठा और बासी है, उसे अपने प्रिय के सामने परोसना कितना कष्टदायक होता ह...?"

उपन्यास के अंत में झुनिया सामाजिक विसंगतियों का पर्दाफाश करती है। वह सोमारू के साथ यह प्रण करके गाँव छोड़ती है कि समर्थ होकर वापस आएँगे और सामंती शोषण करने वाले दुराचारियों को क्रूरता से बदला लेकर परास्त करेंगे।

'युद्धस्थल'- उपन्यास मुख्य रूप से डायन जीवन की त्रासदी का ज्वलंत दस्तावेज है। यह अंधविश्वास का जीता - जागता नमूना है। उपन्यास में भरतपुर गाँव की रामशरण बहू बांझ और विधवा है। इसी कारण से ग्रामीणों के मन में उसके प्रति 'डायन' की मुहर लग जाती है। मुहर लग जाने के बाद रामशरण बहू के लिये कलंक मुक्ति का दूसरा विकल्प नहीं है।

दिन-प्रतिदिन रामशरण बहू अफवाहों की मकड़जाल में फँसती जाती है। वैधव्य जीवन के बाद जगतनारायण सिंह उसके लिये संरक्षक बनते हैं। वे रामशरण बहू के लिये सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। दुर्भाग्यवश सर्पदंश के कारण वे भी चल बसते हैं।

हाँ, ग्रामीणों के लिये रामशरण बहू के प्रति एक चिंता थी कि बांझ और वैधव्य जीवन जीने वाली औरत के जमीन का हकदार कौन होगा? ठाकुरबारी के महंत की आरजू-मिन्नत कुछ इस प्रकार है-"ठाकुरबारी के नाम अपनी जमीन दान दे दीजिए...आपका परलोक बन जाएगा...आपके मरने के बाद आपकी जमीन की फसल ठाकुरबारी में आएगी.... ईश्वर का भोग लगेगा... साधू-संत प्रसाद पाएंगे... आपकी कीर्ति अमर रहेगी..."

पर, रामशरण बहू भी हार मानने वाली नहीं थी। वह मन-ही-मन निश्चय कर ली थी कि समाज उसे शांति से नहीं रहने दिया है। उसका जीना दुसवार कर दिया है। इसी कारण वह अपनी जायदाद भी किसी को नहीं देगी। पिछड़ी जाति की विधवा औरत दुखन की माँ है, जो दाई का काम करती है। रामशरण बहू के लिये एकमात्र सहारा दुखन की माँ है।

ग्रामीणों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर सारी जिम्मेवारी रामशरण बहू पर ही सौंप दी जाती है। अंततः नौबत ऐसी आती है कि दूधनाथ चौधरी का पुत्र पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। उसके परिवार वाले ग्रामीण उपचार, झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र और ओझाओं के चक्कर में काफी देर कर देते हैं। परिणामस्वरूप बच्चा मर जाता है। दूधनाथ चौधरी और उसके परिवार वाले रामशरण बहू को अपने घर लाकर ओझाओं के सामने में नंगाकर, उसके पूरे शरीर को चेइला से जलाकर परिवार के औरत-मर्द सभी मिलकर उसकी जान ले लेते हैं।

अपनी मालकिन के प्रतिशोध का बदला लेने के लिये दुखान की मां कहती-“मालकिन, आपको जलाकर वह कसाई जिन्दा नहीं रहेगा ...सारा गाँव जुट गया है... “अब फैसला होकर रहेगा!”³

निःसन्देह यही वह पक्ष है जिसने इस उपन्यास की कथा को असाधारण बना दिया है। आर्थिक असमानता और जातिगत विषमता के कारण डायन के रूप में बेगुनाह औरतों की मुक्ति के लिये आवाज उठाता यह उपन्यास नारी सशक्तीकरण का जीवंत परिचय देता है।

‘प्रेम न बाड़ी ऊपजै’- यह उपन्यास प्रेम में छलावे पर आधारित है। उपन्यास के केंद्र में मध्यमवर्गीय शिक्षित तथा उदार परिवार की लड़की मोना तथा उच्चवर्गीय परिवार का लड़का नवयुवक रूपेश है। जहाँ आम घरों में लड़कियों के साथ लड़कों का घुलना-मिलना अनुचित माना जाता है वहीं मोना के पिताजी की मान्यता है कि “वर्जनाओं और परम्परा-पोषित रूढ़ियों से विकृतियों और कृकर्मों को जितना बढ़ावा मिलता है, उतना खुलेपन और उन्मुक्तता से नहीं।”⁴

ठीक इसके विपरीत ये दोनों प्रेमी- युगल घर से भागकर शादी कर लेते हैं। प्रेम पलायन के बाद जिन विडम्बनाओं को मोना झेलती है उस यथार्थ का सामना करना असंभव है। वे दोनों एक नई जमीन की तलाश में मुम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता जैसे महानगरों का अन्तहीन सफर करते हैं। परंतु उन्हें कोई ठौर नहीं मिलता। कलकत्ता के मुसाफिरखाने में मोना को मिली ‘दाई माँ’ मानवीय संवेदना की मिसाल साबित होती है। उपन्यास में प्रेमी-युगल एक-दूसरे से छले नहीं गए हैं। दोनों सुख-दुःख का संकल्प लेकर ही घर त्याग करते हैं। पर, प्रेम में हताशा और निराशा के अलावे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। रूपेश कलकत्ता में मोना को अकेले छोड़कर गाँव वापस आ जाता है। मोना कहती है-“परिस्थितियों की पूर्व समझ मेरे अन्दर क्यों नहीं हुई थी। और परिस्थितियों को प्रतिकूल दिशा में जाने से रोकने की क्षमता मेरे अन्दर क्यों नहीं आयी थी ...? शायद मेरी उम्र के कच्चेपन और अनुभवहीनता का परिणाम हो यह ...।”⁵

अपरिपक्व, अव्यवस्थित और अभिजात्य लड़के के ऊपर मोना द्वारा की गयी भावुक निर्भरता का परिणाम ही उसे मिला। वह सोचती है-“अपने अब तक के अनुभवों से मैं यह जान सकी हूँ कि जो स्त्री अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उसे वास्तविक सुरक्षा कभी मिलती भी नहीं।”⁶

इन्हीं चंद पंक्तियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इस नये उपन्यास के जरिये कथाकार ने भावना और संवेदना को नवीन दिशा से जोड़ते हुए मोना को आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेते दिखाया है।

‘यह अंत नहीं’- यह उपन्यास गाँव की अंतहीन संघर्ष की गाथा है। उपन्यास के केंद्र में खवासडीह की लड़की चुनिया तथा पहाड़पुर का लड़का जोखन के दाम्पत्य जीवन के इर्द-गिर्द कथा बुनी गई है। कथा के केंद्र में बिहार के भोजपुर जिले में अगड़े-पिछड़े का जातीय संघर्ष बखूबी से वर्णित है। नतीजा अपराधीकरण का रूप ले लेता है।

चुनिया और जोखन ने नन्हटोली, बड़टोली, कहरटोली, बलरामपुर, सिताबपुर, खवासडीह, पहाड़पुर, रघुनाथपुर, सुखरामडिहरा जैसे गाँवों में जीने-खाने का काम किया है। कथाक्रम के विस्तार में कई घटनाओं के तारतम्य को जोड़ा गया है। चुनिया का जमींदार श्रवण सिंह के पुत्र निखिल सिंह से बदला लेना, कल्लन सेठ के पोखर पर छेदी डकैत को धराशायी कर देना, सिताबो की क्रूरता का बदला लेना, इन्द्रासन श्रीवास्तव के घर काम करके अंतिम समय तक निर्वाह करना और जोखन के अपहरण के बाद उसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से खोज निकालना आदि जोखिम भरे कार्यों में चुनिया को हर जगह सफलता मिलती है।

इन घटनाओं से जूझते हुए चुनिया एक नये युग की नारी सशक्तीकरण का परिचय देती है। पुलिस-प्रमुख ने सबको सुनाकर चुनिया से कहा भी-“तुम्हारी जैसी निर्भीक और बुलंद हौसले की महिला को तो महिला-पुलिस के किसी अच्छे पद पर होना चाहिए था...। तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी को मैं दाद देता हूँ।”⁷

चुनिया अपनों के लिये किसी भी तरह की जोखिम लेने को तैयार है। चुनिया और जोखन के लिये तो पूरा गाँव ही अपना है। इनके लिये अब मार्ग और मंजिल से दूर सिर्फ अपना कर्म और संघर्ष ही विश्वसनीय है। अब चुनिया किसी भी प्रतिकार के लिये समझौता करना नहीं चाहती है। वह बिना लड़े हार नहीं मानेगी। वह अपने कर्म और संघर्ष को ही हथियार बनायी है जो उसके पास है।

‘सुरंग में सुबह’- यह उपन्यास लोकतन्त्र पर आधारित राजनीतिक उपन्यास है। उपन्यास के पात्र भी कथाकार के अंचल से जुड़े हैं। कथाक्रम को विस्तार देने में केन्द्रीय मंत्री राव मानवेन्द्र बाबू, उनका प्रतिद्वंद्वी आर. अण्डमान, उनकी बेटी नन्दिता या फिर जनार्दन, अंजलि, चौती, घनश्याम जैसे तथा अन्य पात्र भी उपस्थित हैं।

सामाजिक अराजकता, अपढ़ जनता की मानसिक जड़ता, ग्रामीण जीवन की रूढ़िबद्धता, दरिद्रता तथा हत्या, सामूहिक नरसंहार, अपहरण, दलित उत्पीड़न, नारी शोषण आदि घटनाओं को उपन्यास में उभारा गया है।

इनके अलावे हैरत कर देने वाली बात कथा में तब आती है जब सत्ता के हवस के पीछे नन्दिता अपने पिता के प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष अपनी देह परोस देती है। परंतु राव मानवेन्द्र बाबू परमहंस जैसा मौन साधे बैठे रहते हैं।

वहीं ग्रामीण पात्र अंजलि, जनार्दन से रागात्मक संबंध जिन परिस्थितियों से बुनी है, स्वाभाविक जाना पड़ते हैं। जनार्दन जैसा व्यक्तित्व नन्दिता के संपर्क में रहने के बावजूद भी अंजलि के साथ एक सीमा में बंधा रहता है।

ग्रामवासियों को हक दिलाने के लिये अंजलि आगे बढ़ती है। ग्रामीणों की गुलाम मानसिकता और अज्ञानता के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत करती है। वह कहती है- “कभी-कभी तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हमारे लोग अपने लाभ-हानि का ख्याल क्यों नहीं करते हैं? किसी बाहरी चमक के प्रभाव में या किसी जाति या धर्म के प्रभाव में क्यों आ जाते हैं? हम लगातार लोगों को जगाने में लगे हैं। लेकिन लोग हैं कि अपनी चेतना बदल ही नहीं पा रहे हैं।”⁸

जब तक जनता पूर्ण साक्षर नहीं होगी तब तक सुरंग में सुबह की तस्वीर स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। आँखों में सपने हों तो मंजिल की तरफ बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। जनता को समझदार बनाकर ही लोक लोकतन्त्र के बिचौलियों और लूटें से देश को बचाने का कार्य संभव है। इसी उद्देश्य को संभव करने के लिये अंजलि अग्रसर है।

‘माटी कहे का कुम्हार से’- यह उपन्यास जुझारू स्त्री के जीवन का कथात्मक उपन्यास है। उपन्यासकार की पैनी नजर झुग्गी-झोपड़ी में पलने वाली अनाथ मुनिला के जीवन संघर्ष को विस्तार देती है।

न जाने मुनिला के किस पाप से झोपड़पट्टी के बचपन में ही उसके माँ बाप-चल बसे। झाबुआ गाँव में पति मुनीलाल से सदा के लिये बिछड़ना पड़ा। बजरंगपुर में भी दूसरे पति का सहारा छिन गया। वह सेठ के बेटे के अपहरण का साक्षी बनी। उसका पूरा जीवन दुःखों का पहाड़ बना रहा। अब वह अपना दुःख आगे बढ़ाना नहीं चाहती। किसी भी गलत कार्यों के लिये प्रतिकार करना ही मुनिला के लिये बस बचा रह गया है।

मुनिला जहाँ प्रेम और करुणा से भरी हुई है, वहीं मानिनी, निडर और बिलकुल बेबाक है। उसमें समस्याओं से सामना करने का अदम्य साहस है। मुनिला जहाँ भी जाती है, स्त्री पर हो रहे अत्याचार का प्रतिरोध करती है। अकेली वही औरत है जो अपने सीमित परिवेश में रहकर भी सामाजिक समरसता के लिये संघर्ष करती है। कहा भी गया है-‘अनवरत संघर्ष से अपनी मंजिल आदमी पा ही लेता है।’

माटी कहे कुम्हार से नामक उपन्यास में मुनिला को एक ऐसे पात्र के रूप में उभारा गया है, जो कभी हार नहीं मानती, जो किसी के आगे झुकती नहीं, दलित स्त्री होते हुए भी शोषण से मुक्ति के लिये हर वर्ग से सामना करती है और कमजोर वर्ग के साथ एक निर्णायक के रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित होती है। अंततोगत्वा संघर्षों से सामना करते-करते मुनिला की जिन्दगी सार्थक हो गई है।

कुल मिलाकर हम देखते हैं कि मिथिलेश्वर जी के उपन्यासों के स्त्री पात्र अन्याय के नीचे दबकर जीने से बेहतर हक के लिये मरना चाह रही हैं। आज भी मिथिलेश्वर जी का उपन्यास नारी सशक्तिकरण का बेजोड़ जीता-जागता नमूना है, जो समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- (1.) मिथिलेश्वर. झुनिया, दिल्ली,, नवीन शाहदरा, आलेख प्रकाशन पृ० सं०-52.
- (2.) मिथिलेश्वर. युद्धस्थल दिल्ली, शाहदरा, सरस्वती विहार, प्रथम संस्करण-1981, पृ०सं०-34.
- (3.) मिथिलेश्वर. युद्धस्थल दिल्ली, शाहदरा, सरस्वती विहार, प्रथम संस्करण-1981, पृ०सं०-183.
- (4.) मिथिलेश्वर. प्रेम न बाड़ी ऊपजै, नयी दिल्ली, लोदी रोड, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-2019, पृ०सं०-17.
- (5.) मिथिलेश्वर. प्रेम न बाड़ी ऊपजै, नयी दिल्ली, लोदी रोड, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-2019, पृ०सं०-173.
- (6.) मिथिलेश्वर. प्रेम न बाड़ी ऊपजै, नयी दिल्ली, लोदी रोड, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-2019, पृ०सं०-172.
- (7.) मिथिलेश्वर. यह अंत नहीं, दिल्ली, दरियागंज, किताबघर प्रकाशन-2013, पृ० सं० 381.
- (8.) मिथिलेश्वर. सुरंग में सुबह, नयी दिल्ली, लोदी रोड, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-2006, पृ०सं०-255.
- (9.) मिथिलेश्वर. माटी कहे का कुम्हार से, नयी दिल्ली, लोदी रोड, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन-2006, पृ०सं०-481.

नारी सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता: स्त्री-विमर्श एवं साहित्यकार डॉ० प्रभा पंत के साहित्य संदर्भ में

मनीष जोशी

(शोधार्थी), सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, (उत्तराखण्ड)

समकालीन महिला साहित्यकारों में डॉ० प्रभा पंत एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिन्दी साहित्य जगत में वह एक गम्भीर साहित्यकार के रूप में तो प्रतिष्ठित हैं ही इसके अतिरिक्त एक शिक्षाविद्, समाजसेवी एवं परामर्शदात्री के रूप में भी, विख्यात हैं। इनके दृष्टिकोण की व्यापकता तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार इन्हें अपने सहवर्ती साहित्यकारों से भिन्नता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। डॉ० प्रभा पंत की कहानियों के महत्व को स्पष्ट करते हुए हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ० हरिसुमन बिष्ट लिखते हैं, “इनकी कहानियों में जीवन के अनेक तथ्य एवं सत्य उद्घाटित हुए हैं। महीन बुनावट की इनकी कहानियाँ कहानी सृजन को संपूर्ण सजगता से परिभाषित करती हैं। कहानियों में प्रभा ने जीवन्त पात्रों को सिर्फ दूर से देखा नहीं, निकट से परखा भी है। जिसका सुखद परिणाम यह है कि इनकी कहानियों में अनुभव एवं अनुभूतियों की प्रामाणिकता है।”¹ डॉ० प्रभा पंत की कहानियों के कथ्य स्त्री विमर्श (यौन हिंसा, पारिवारिक टकराव एवं विघटन, अलगाव, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, वर्तमान समाज का स्त्री विषयक दृष्टिकोण) को प्रस्तुत करते हुए नारियों के लिए हताशा नहीं वरन् उनको सशक्त करने का एक माध्यम हैं।

महिला सशक्तिकरण के इस युग में स्त्री-विषयक विमर्श पर्याप्त चर्चा में है। स्त्री विमर्श का तात्पर्य है, पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री को भी पुरुष के समकक्ष लाकर उसके अधिकारों, विचारों, कार्यों तथा निर्णयों को समानता देने की बात करना तथा स्त्री की केन्द्रीय भूमिका को मान्यता प्रदान करना। ‘स्त्री विमर्श’ स्त्री तथा विमर्श दो शब्दों से मिलकर बना है; ‘स्त्री’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ‘ऋग्वेद’ में मिलता है, स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार परिवार की सूत्रधारक होने से उसे स्त्री कहा गया। स्त्री शब्द ‘सत्यै’ धातु से बना है जिसका अर्थ लज्जा होना लिया जाता है। ‘विमर्श’ का अर्थ है विचार करना। हिन्दी में विमर्श के लिए समानार्थी शब्द विचार, विवेचन, परीक्षण, समीक्षा तर्क आदि बताए गये हैं। कहा जा सकता है कि स्त्री का विमर्श करना ही स्त्री विमर्श है। स्त्री का व्यक्तित्व, उसकी क्षमताओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, अधिकारों, कर्तव्यों तथा उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों अर्थात् सभी क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर विचार करना ही स्त्री विमर्श है। पुरुषों से अथवा पुरुषों का विरोध स्त्री विमर्श में कहीं भी नहीं आता है। स्त्री विमर्श के सम्बन्ध में प्रख्यात समकालीन साहित्यकार तस्लीमा नसरीन ने स्वीकार करती हैं हमारा विरोध पुरुष जाति से नहीं है, विरोध है पुरुष की उस सामन्ती रूढ़िवादी मनोवृत्ति से जो नारी को दासी से अधिक का महत्व नहीं देता है। डॉ० प्रभा पंत की कहानियाँ स्त्री विमर्श की सुन्दर तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। उनकी गहन अनुभूतियों का स्पर्श इन कहानियों को अधिक जीवन्त बना देता है।

डॉ० प्रभा पंत की कहानियाँ मानवमनोविज्ञान की जीवन्त तस्वीर प्रस्तुत करने के साथ ही स्वयं में अनेक सामाजिक मूल्यों को भी समाहित किए हुए हैं। ये मूल्य कभी पाठक को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं तो कभी सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इन विशेषताओं के अतिरिक्त डॉ० पंत की कहानियों में नारी सशक्तिकरण के स्वर भी मुखरित होते सुनाई देते हैं। इनके साहित्य में स्त्रीजीवन की विसंगतियाँ अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई हैं। डॉ० पंत की कहानियाँ इस बात को सिद्ध करती हैं कि नर नारी एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। नर-नारी की पूरकता और नारी की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है, “स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है। यदि शक्ति का अभिप्राय पार्श्विक शक्ति से है तो स्त्री सचमुच पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली है। यदि शक्ति का मतलब नैतिक शक्ति से है तो स्त्री पुरुष से कहीं अधिक शक्तिमान है।”²

इससे यह स्पष्ट है कि मानवता के विकास क्रम में स्त्री अधिक मानवीय है और मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में उसका स्थान पुरुष से भी ऊँचा है।

हमारे आदर्श समाज में स्त्री को गृहलक्ष्मी, अर्द्धांगिनी, ममता की मूरत, त्याग की देवी आदि विशेषणों से सम्बोधित किया जाता है, परन्तु यही समाज किसी-न-किसी रूप में उसका शोषण भी करता है। महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार आज के समाज का सबसे बड़ा यथार्थ है। वर्तमान समय में अनेक प्रौढ़ महिलाएँ, किशोरियाँ एवं बालिकाएँ दरिद्रों की वासना का शिकार हो रही हैं। जिनमें से कुछ की हत्या कर दी जाती है तो कुछ आत्महत्या कर लेती हैं। डॉ० प्रभा पंत की कहानियाँ स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों को प्रकाश में लाने के साथ ही ऐसे आततायियों के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। इस संदर्भ में डॉ० परमानन्द चौबे जी का कथन है, “नारी के हाथ में, नारी के हाथों से ही पानी का गिलास थमाकर प्रभा पंत ने न केवल नारी के सुकोमल मनोभावों को सिंचित किया है, वरन् इस उक्ति को भी झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया है- औरत ही औरत की दुश्मन होती है।”³ (पंत, डॉ० प्रभा, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ अविचल प्रकाशन, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) भूमिका) डॉ० प्रभा पंत ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज के सत्य को उद्घाटित करते हुए उसे सद्गर्भ पर लाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। वर्तमान समाज में हो रहे बालिकाओं के यौन उत्पीड़न की दर्दनाक घटनाएँ प्रतिदिन जनसंचार के विभिन्न माध्यमों

के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो रही हैं, जो कि सम्पूर्ण समाज के लिए लज्जा एवं चिन्ताजनक स्थिति है। डॉ प्रभा पंत ने इन घटनाओं तथा शोषण के इस यथार्थ को अपनी कहानियों में विशेष स्थान दिया है। लेखिका की कहानी शहिबाएँ एक बलात्कारी दरिंदे के कुकृत्यों एवं उसको दिए गए कठोर दण्ड से संबंधित है। हिबा एक पुलिसकर्मी है, जो कि समाज में हो रहे महिला उत्पीड़न विशेषतः बालिकाओं के यौन शोषण तथा कानून के द्वारा अपराधियों को सामान्य दण्ड दिए जाने के कारण उद्वेलित होकर एक बलात्कारी दरिंदे को अपने तहखाने में कैद करके उसे कठोर दण्ड देती है। वह कहती है, 'जब तो मैं तुझे मारूँगी और न ही इस घुटन से आजाद होने दूँगी कैदी जमीन पर अपना माथा पटक-पटक कर मिनतें करने लगा- मेरे नाक-कान जो चाहे काट दो... मुझे नामर्द बना दो... मेरे जिस्म पर मेरे गुनाहों को गुदवा दो.. जो जी चाहे मुझे वो सजा दो, पर अल्लाह के वास्ते मुझे इस कैद से रिहाई दे दो।'

'रिहाई दे दूँ तुझे, ताकि तू फिर से मसल सके नन्हीं-नन्हीं कलियों को अपने घिनौने हाथों से।' हिबा चीख कर बोली। तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं तुझे। ये चूहे तेरे जिस्म को कुतर-कुतर कर, तुझे ऐसे हलाल करेगे, जैसे तू उन बच्चियों को करता रहा अब तक।"⁴ (वही पृष्ठ, 55,56) कहानी का दूसरा चरण हिबा की बालपन की मित्र शीबा की स्मृतियों तथा उसके सगे सम्बन्धियों के द्वारा किए गए शारीरिक शोषण स्मृतियों से सम्बन्धित है तथा अन्तिम चरण में इंस्पेक्टर मित्र के द्वारा कठोर दण्ड का आश्वासन दिए जाने पर हिबा के द्वारा अपराधी को कानून को सौंपने का वर्णन है, अब मैं समझ चुकी हूँ अमन, जब तक मर्द सोच नहीं बदलेगा, तब तक औरत को, औरत होने की सजा मिलती रहेगी। अपनी दोस्त शीबा के ख्यालों में खोई हिबा बोलती चली जा रही थी... 'सजा देना अमन... इस दरिन्दे को ऐसी सजा देना कि ऐसे नामर्दों की रूह फना हो जाये, थराने लगे इस जैसे हैवान... तभी सुकून मिलेगा मेरी दोस्त शीबा की रूह को...।'⁵

यौन उत्पीड़न की शिकार स्त्रियों कभी भय के कारण तो कभी संस्कारवश मौन रहने को विवश हो जाती हैं और कभी स्वयं को अपराधी मानकर आत्महत्या कर लेती हैं। भारत के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया के द्वारा में किए गए एक सर्वेक्षण में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि लगभग सौ में से सत्तर प्रतिशत महिलाओं का किसी ना किसी स्थान पर यौन उत्पीड़न हुआ तथा उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई क्योंकि उन्होंने समझा कि इसका कोई समाधान नहीं है। यौन उत्पीड़न भेदभावपूर्ण, दमनकारी, शोषणकारी होता है और वह शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। डॉ प्रभा पंत ने अपनी कहानियों में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज तो उठाई ही है, साथ ही साथ उसके समाधान की ओर संकेत भी किया है। डॉ. प्रभा पंत की कहानी शफॉस यह संदेश देती है कि स्त्रियों के द्वारा अपना जीवन समाप्त कर लेना इस समस्या का समाधान नहीं है बल्कि अपराधियों को दण्ड देकर तथा दिलवाकर समाज से इस कुकर्म को कम किया जा सकता है। प्रस्तुत कहानी में प्रिया, मोहित की प्रतीक्षा इसलिए कर रही थी कि वह अपने दीदी जीजाजी को लेकर विवाह संबंधी चर्चा के लिए आने वाला है, परन्तु सांझ के अंधेरे में मोहित अकेला आता है और क्षणभर में प्रिया के विवाह संबंधी सुखद स्वप्नों को ध्वस्त करके चला जाता है। प्रिया के द्वारा अपना जीवन समाप्त करने का विचार आने पर मेघा जी उसे समझाती है; "जब तक बलात्कार की शिकार महिलाएँ आत्महत्या करती रहेगी, तब तक किसी नाबालिग लड़की का ही नहीं, युवती और प्रौढ़ महिलाओं का भी बलात्कार होता रहेगा, किन्तु जिस दिन से स्त्रियों ऐसे हिंसक नर पशुओं के विरुद्ध समाज में सिर उठाकर चलना सीख जाएगी, उसी दिन से मानवता और अपनी माँ की कोख को कलंकित करने वाले ऐसे कापुरुष सिर झुकाकर चलने लगेंगे।"⁶

नारी-स्वतंत्रता का सबसे मौलिक और निर्णायक प्रदर्शन प्रेम और विवाह में उसकी अपनी इच्छा के चुनाव में प्राप्त होता है। अगर वह इस मामले में स्वतंत्र नहीं है तो वास्तव में वह स्वतंत्र नहीं है, समसामयिक मूल प्रश्न नारी-स्वाधीनता का है। प्रश्न विवाह का नहीं, प्रेम का है, बंधन का नहीं, मुक्ति का है। यदि विवाह में बंधन है तो चाहे वह विधवा-विवाह हो अथवा कुमारी का दोनों का आग्रह व्यर्थ है। वर्तमान समय में महिला उत्पीड़न का एक कारक घरेलू हिंसा है। इसके अन्तर्गत केवल शारीरिक शोषण ही नहीं, अपितु मानसिक उत्पीड़न भी आता है। घरेलू हिंसा में स्त्री के साथ, परिवार के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं अत्याचारों को सम्मिलित किया जाता है। पति-पत्नी एक दूसरे से भिन्न न होकर, एक-दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों मिलकर एक प्रसन्नचित परिवार का प्रणयन करते हैं और यही परिवार एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। डॉ. प्रभा पंत की कहानी शमायाएँ एक ऐसी स्त्री के जीवन पर आधारित है, जो सास-ससुर की दहेज सम्बन्धी प्रताड़ना एवं पति के मौन से संतुष्ट हो जाती है। उसके लिए सास-ससुर की प्रताड़ना से अधिक कष्टप्रद उसके पति का मौन रहना था। इस कहानी के द्वारा लेखिका ने एड्स, दहेज उत्पीड़न आदि से सम्बन्धित तथ्यों को उजागर करते हुए इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डाला है कि अनैच्छिक विवाह में भावनात्मक निर्वाह असम्भव हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने माया के माध्यम से सम्पूर्ण स्त्री जाति को अपने अस्तित्व एवं आत्मसम्मान को बनाए रखने का संदेश प्रदान किया है, "अब मैं एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ के समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हूँ तो अपना शेष जीवन मैं अपने साथ जीना चाहती हूँ। वह माया जो सजा शून्य हो गई थी, उसे पुनः चेतना युक्त करता चाहती हूँ। वह स्वप्न जो मैंने विवाह से पूर्व भी देखे थे, अब मैं उन्हें पूर्ण करना चाहती हूँ।"⁷

परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं के द्वारा घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कोई भी आर्थिक कार्य करना सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना जाता था। वर्तमान में महिलाओं को आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वतंत्रता एवं समानता के सावैधानिक अधिकारों, बढ़ती हुई जनसंख्या, महिलाओं में बढ़ती जागरूकता एवं शिक्षा तथा सुविधाओं और विलासता के साधनों की माँग ने महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान समय में शिक्षा एवं बढ़ती जागरूकता के चलते कुछ महिलाएँ आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने का प्रयास कर रही हैं, परन्तु पुरुषवादी संकुचित दृष्टिकोण स्वयं से बेहतर काम करने वाली महिलाओं को किसी न किसी रूप से हतोत्साहित करता रहता है। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य ही है कि एक ही कार्यक्षेत्र में कार्यरत सहकर्मी एक-दूसरे के सहयोगी न होकर विरोधी बन जाते हैं। कहानी 'हो सकता था' की पात्र कुमुद के विशाद का एक कारण उसके सहकर्मियों के द्वारा किए जाने वाले कटाक्ष ही थे, "ऑफिस में जो लोग कुमुद की बहुमुखी प्रतिभा से ईर्ष्या करते थे, वह उसके असफल होने पर व्यंग्यबाण चलाने का एक भी अवसर नहीं चूकते थे। ऐसे लोगों के ताने सुन-सुनकर बेचारी कुमुद मन मसोसकर रह जाया करती थी। समाज, भाग्य और भ्रष्टाचार से लड़ने का सामर्थ्य उसमें ना था, किन्तु परिश्रम और प्रयास में वह कभी पीछे नहीं रही। मैंने कभी भी उसे किसी से लड़ते झगड़ते नहीं या पलट कर जवाब देते नहीं देखा ना ऑफिस में ना बाहर।"⁸ इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कहानी एक और यथार्थ इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि

बढ़ती महत्वकांक्षा मनुष्य के अवसाद का कारण होती हैं तो दूसरी और यह संदेश भी देती है कि अपने मनोभावों को यथासमय अभिव्यक्त न कर पाने से केवल पश्चाताप ही होता है।

पुरुषवादी दृष्टिकोण के कारण स्त्री अपनी स्वायत्त इच्छा एवं अपना व्यक्तित्व खो देती है और प्रत्येक क्षण पुरुषों की इच्छानुसार परिचालित होती रहती है। इस संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही स्त्री, समाज का महत्वपूर्ण अंग न होकर केवल भोग की वस्तु बनकर रह जाती है, “पुरुष को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है, जबकि स्त्री स्वतंत्र होते हुए भी आजीवन परतन्त्र हो रहती है। पुरुष की स्वतंत्रता ने जब से स्वच्छन्दता का रूप ले लिया, तभी से समाज में वेश्यालय खोले जाने लगे। आज होटलों में मनचाही कॉलगर्ल्स भोजन की तरह, मूल्य के अनुसार परोसी जा रही हैं।”⁹

डॉ. प्रभा पंत के अनुसार स्त्री मुक्ति व स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंद आचरण या देह प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज में पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों को प्राप्त अधिकारों का सही उपयोग है। भारत में नारी जागरण या नारी स्वतंत्रता संबंधी जैसे आंदोलन शुरू हुए, वैसे नारी में ‘स्व’ की भावना जागृत होने लगी। अब वह वह अपनी अस्मिता को पहचानने लगी है। नारी को शोषण से मुक्त कराने और उसकी स्वतंत्र अस्मिता को स्थापित करने का प्रयास लेखिका करती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसी स्त्री की छवि को अंकित किया है जो स्वयं संघर्ष करती है। अपनी लड़ाई खुद लड़ती है और अधिकारों को स्वयं प्राप्त करती है, डॉ. प्रभा पंत के कथा साहित्य में स्त्री चेतना के विविध आयाम दिखाई देते हैं। स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याएँ, संघर्ष, स्वतंत्रता, अधिकार चेतना, स्वावलंबन, अस्तित्व और अस्मिता आदि स्त्री चेतना के कई तथ्य सामने आते हैं। साठोत्तर काल से आज तक अनेक महिला लेखिकाओं ने अपने साहसपूर्ण मौलिक दृष्टि के साथ जीवन की विषमताओं को अपनी कृतियों में विश्लेषित किया है। एक साहित्यकार के रूप में डॉ. प्रभा पंत मानव जीवन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील लेखिका हैं। डॉ. पंत महिला होने के नाते महिलाओं की भावनाओं, संवेदनाओं अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति स्वभावतः अधिक सचेत हैं। वे जानती हैं, एक सामान्य महिला को कैसे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। ‘माया’ कहानी की नायिका माया अपने कर्तव्यों की सीमा के प्रति स्पष्ट सोच रखती है। एक प्रगतिशील लड़की होने के कारण उसने दहेज विरोधी विवाह किया था, परन्तु विवाह के पश्चात् यह दहेज विरोध उसे काफी महंगा पड़ा। रिश्तों की गरिमा बनाए रखने तथा पुत्र की उचित परवरिश करने हेतु माया ने अपने स्वाभिमान को दबाए रखा तथा उचित समय की प्रतीक्षा की। जब माया ने बेटे के जीवन की दिशा निर्धारित कर दी और तब भी ससुराल पक्ष का मानसिक उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ तो माया अपने स्वाभिमान व अस्मिता की रक्षा हेतु एक अच्छे भविष्य की खोज में घर से निकलकर नारी अस्मिता के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, ‘यह मेरा अन्तिम पत्र है।...मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वह घर जिसे वर्षों समाज मेरा समझता रहा, और वह पुरुष जिसे लोग मेरा पति कहते रहे, जबकि सत्य यह है कि वह सिर्फ मेरे पुत्र का पिता है, और मैं उसकी वंशवृद्धि का साधन मात्र आज तक मैं अपने बेटे के भविष्य की संवारने के लिए अपने आत्मसम्मान को भुलाकर, उस व्यक्ति के साथ एक ही छत के नीचे रही और अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करती रही एक अजनबी की तरह, किन्तु अब मैं एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ के समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हूँ तो अपना शेष जीवन मैं, अपने साथ जीना चाहती हूँ।’¹⁰

डॉ. प्रभा पंत ने स्त्रियों के प्रति इस विकृत, अनैतिक तथा वस्तु समझने वाले पुरुषवादी दृष्टिकोण के यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए अपनी कहानियों के द्वारा समाज की संकीर्ण मानसिकता को परिवर्तित करने तथा नारी को सशक्त करने का पूर्ण प्रयास किया है। डॉ. प्रभा पंत स्त्री के हाथों में उस मशाल को देना चाहती हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी।

संदर्भ सूची:

1. माली, दिनेश (2016), साहित्य सफर एक दशक, लखनऊ, ऑनलाइन गाथा एंडलैस टेल पृष्ठ सं. 290।
2. स्वायंत्र्योत्तर कथा साहित्य में नारी (शोध पत्र), उनिता, पद्मवअंजपवद जीम त्मेमंतबी ब्वदबमचज, टवस 3, अप्रैल 2018 पृष्ठ सं. 169।
3. पन्त, डॉ. प्रभा, मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ अविचल प्रकाशन, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) भूमिका।
4. वही पृष्ठ सं. 55, 56।
5. वही पृष्ठ सं. 67।
6. वही पृष्ठ सं. 77।
7. वही पृष्ठ सं. 96।
8. वही पृष्ठ सं. 21।
9. वही पृष्ठ सं. 88।
10. वही पृष्ठ सं. 96।

महादेवी वर्मा के साहित्य में आत्म निर्भर भारत की सशक्त नारी

विनीता शुक्ला

शोधार्थी, ग्राम-जतपुरा पोस्ट-भोजपुर, जिला- गढवा, झारखण्ड

हिंदी साहित्य जगत में छायावादी कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित महादेवी वर्मा ने अपने निबंधों में भारतीय समाज में नारी की दशा को सूक्ष्मता से देखा परखा तथा एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। एक और जहां उनकी कविताओं में नारी सुलभ कोमलता भावुकता की अधिकता है वहीं उनके निबंध वैचारिक और बौद्धिकता प्रधान हैं। महादेवी जी ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक स्त्रियों की दशा और दिशा का गूढ़ अवलोकन किया। वैदिक समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी, विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में वे अपना वर स्वयं चुन सकती थीं। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि वेद कालीन भारत में हमें जिस प्राचीनतम समाज का परिचय मिलता है उसमें नारी की स्थिति के मूल में न आतंक की भावना है हीनता की ग्रंथि है। अदिति बंधनमुक्त देवत्व सृजन की देवी, सरस्वती ज्ञान, ईडा मेधा तथा पृथ्वी मातृशक्ति का प्रतीक मानी गयी। वे कहती हैं कि जिन्हें समाज अधिकारों से हीन रखना चाहता है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं देता किंतु वैदिक काल में शिक्षा क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष ही नारी का स्थान है। इसके लिए वे मैत्रेयी, गार्गी आश्वलायन आदि विदुषी महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि यह क्रम सातवीं आठवीं शती तक चलता रहा। शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने श्रृंगेरी में और द्वारका के मठों में अध्यापन किया और उनका शिष्य संप्रदाय भारती संप्रदाय के उपनाम से जाना जाता है। शिक्षा के समान ही समाज की दूसरी महत्वपूर्ण संख्या विवाह है जिसमें विभिन्न प्रकृति तथा क्रम वाले दो व्यक्ति स्नेह तथा नैतिक बंधन में आबद्ध होते हैं भारत में उसे पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान माना गया। पति पत्नी में से किसी को श्रेष्ठ या हीन होने का प्रमाण नहीं मिलता है। महिलाओं को इसमें स्वयं अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। इसके बाद धीरे-धीरे उपनिषद काल से महिलाओं की स्थिति में न्यूनता आने लगी। महादेवी वर्मा संभवतः इसका कारण युद्ध को मानती हैं उनके अनुसार युद्ध में संतानवती माताएं सामान्यतः रक्षणीय हो जाती हैं। वे कहती हैं कि युद्धों ने समाज में नारी की स्थिति को इतना प्रभावित किया कि यह सहयोगिनी से पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाने लगी। महाभारत और रामायण का समाज इसका ज्वलंत प्रमाण है। साध्वी पत्नी की अग्निपरीक्षा या निर्वासन पत्नी को द्युत में धन-संपत्ति के समान दांव पर लगाकर हार जाना आदि स्वस्थ समाज के सूचक नहीं कहे जा सकते। युद्ध ने द्रौपदी को ना गरिमामयी पत्नी बनने दिया न ही ममतामयी माँ बनने का सौभाग्य दे पाया। बौद्ध काल तक यह स्थिति और चिंतनीय हो गई। स्मृति युग तक पहुंचते-पहुंचते समाज की संस्कृति तथा विकृति ऐसी संधि तक पहुंच गई कि पूर्व आदर्श तथा तत्कालीन यथार्थ का एक ही बिंदु पर मिलना अनिवार्य हो गया। आदर्श और यथार्थ के संधि स्थल पर खड़े समाज के मनुस्मृति में एक ओर आदर्श कहता है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' तो दूसरी ओर यथार्थ घोषित करता है। "स्त्री स्वातंत्र्यं न अर्हति" इसके बाद की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वे लिखती हैं कि मध्ययुग के महत्वपूर्ण अवदानों में चौतन्य का आविर्भाव, सगुण भक्तों द्वारा समाज में शक्ति, शील और सौंदर्य की प्रतिष्ठा, निर्गुणोपासक संतों द्वारा जीव-मात्र की समानता का उद्घोष, तंत्र साधकों द्वारा मानवी शक्तियों में अलौकिकता का प्रतिपादन आदि कहे जाएंगे। जाति पाति, जन्मना, उच्च नीच आदि की भित्तियों को गिराने का कार्य भी उसी युग में आरम्भ हुआ। इन सब प्रवृत्तियों से नारी-समाज में परिवर्तन स्वाभाविक था। एक ओर हमें युद्धों में सहयोग देनेवाली तथा जौहर व्रत करने वाली पद्मिनी, कर्ण देवी जैसी वीरांगनाएं प्राप्त हुईं और दूसरी ओर मीरा, सह जो, दया बाई आदि साधिकाएं। साहित्य में नारी चित्रण समाज के अनुसार ही होता है। मध्ययुगीन परिस्थितियों पर विचार करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि वस्तुतः उस युद्ध में स्त्री के अधिकार और कर्तव्य संबंधी मान्यताओं की परीक्षा कठिन ही है। सीता पत्नी होने के कारण कष्ट सहने को बाध्य थी और राधा पत्नी ना होने के कारण। सच तो यह है कि मानवीय रूप में नारी को स्वीकार कर उसके मानवीय अधिकारों का प्रश्न 19 वीं सदी के सुधारकों ने उठाया महर्षि दयानंद राजा राममोहन राय आदि ने उस सामान्य नारी की व्यथा का अनुभव किया जिसके पास अधिकार के नाम पर दासता थी और कर्तव्य के नाम पर प्राणदान, लेखिका के अनुसार, भारत का सामान्य ज्ञान जिसमें स्त्री भी सम्मिलित है शिक्षित ना होकर भी संस्कृत है जीवन मूल्यों से उसका परिचय अक्षरों द्वारा ना होकर अनुभव द्वारा हुआ है अतः उनका संस्कार समय के साथ गहरा होता गया है। स्वतंत्र संघर्ष में शिक्षित पर संस्कृत शिक्षित पर असंस्कृत दोनों वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा उस में नारी की परंपरागत सीमाओं में इतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना उसके मानसिक जगत में स्वाभाविक हो गया। उसकी तुलना उन पक्षियों से की जा सकती है जो जाल से मुक्त ना होकर भी जाल के साथ ही आकाश में उड़ जाते हैं बेड़ियां टूटी नहीं रूढ़ियां छूटी नहीं किंतु उसने मुक्ताकाश का पा लिया इस प्रकार मुक्ति और बंधन दोनों साथ रहे और मेरे विचार में आज भी हैं। इस संबंध में स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय नारी किसी भी अर्थ में ना संप्रदायिक है और न विध्वंसक, चंदन और रुई के दृष्टांत से वे यह स्पष्ट करती हैं कि परिस्थिति विशेष पर शीतल चंदन में जैसे अग्नि प्रकट हो जाता है और रुई जैसी हल्की वस्तु कठिन हो जाती है उसी नियम से अपने शील और सहनशीलता के लिए विख्यात नारी में विध्वंसक विद्रोह जाग उठता है और तब समाज सांस्कृतिक

संकट की स्थिति में पहुंच जाता है। यह विद्रोह भारतीय नारी में न स्वतंत्रता संग्राम में जागा था और न स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय। यह आक्रोश पूर्ण विद्रोह आज जागा है और इसके अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण हैं। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि महादेवी जी ने वर्षों पूर्व जो प्रश्न उठाए थे वह आज भी प्रासंगिक हैं। संविधान में महिलाओं को लैंगिक समानता का अधिकार प्राप्त है किंतु क्या व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। संविधान में दहेज प्रथा पर रोक है क्या समाज में दहेज का लेन-देन बंद हुआ है। आज भी हमारे समाज की सोच नहीं बदली है, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, संविधान में कानून जितना कठोर बनाया जा रहा है महिलाओं के प्रति अपराध में इतनी ही वृद्धि होते देख महादेवी वर्मा देश के नव युवकों को धिक्कारते हुए कहती हैं कि जिस समाज में बलात् नारी अपहरण की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हों उसके युवकों को सुख की नींद आना संसार का आठवाँ आश्चर्य है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिवेश में नारी जीवन की जटिलता के कई पक्षों का तटस्थ भाव से अवलोकन किया तथा पुरुषवादी समाज में उनकी दुर्दशा का कारण पुरुषत्व के एकाधिकार के साथ स्वयं के अधिकारों के प्रति उदासीनता बताया है। पौराणिक उदाहरण में परशुराम की माता और परित्यक्ता सीता का दृष्टांत में यह बताया गया है कि नारी जीवन का एक ही मोल था पुरुषत्व का अहंकार तुष्ट करना। शास्त्रोक्त पंक्ति है शस्त्री न स्वातंत्र्यं अर्हति यानि स्वर्णपिंजर हो या लौहपिंजर स्त्री तो बंदिनी ही है। क्या नारी के बड़े से बड़े त्याग को आत्म निवेदन को संसार ने अपना अधिकार नहीं किंतु उसका अद्भुत दान समझकर नम्रता से स्वीकार किया है। कम से कम इतिहास तो नहीं बताता कि उसके किसी बलिदान को पुरुष ने उसकी दुर्बलता के अतिरिक्त कुछ और समझने का प्रयत्न किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि कोमलता के आवरण में छुपे दुर्बलता को त्यागने पर उद्यत ही नहीं होती। दुर्बलता मनुष्य जीवन का अभिशाप है और रहेगी तो अबला नारी समाज के लिए अभिशाप है। वे कहती हैं की समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है और यह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। उनका पूरा विश्वास है कि भारतीय नारी जिस दिन अपने अधिकारों के प्रति संपूर्ण प्राण वेग से जाग जाएगी उस दिन इसकी गति को रोकना असंभव होगा। समाज में व्यक्ति का उपयोग और विकास की दिशा में उसका सहयोग ही उसके अधिकार सुनिश्चित करता है। महादेवी जी कहती हैं कि यदि बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन लाना संभव ना हो तो नारी की आंतरिक शक्तियों को जागृत करके परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। वे स्वयं अत्यंत निर्भीक साहसी और सशक्त महिला थीं। उन्होंने जो कहा वह जीकर दिखाया। उन्होंने बाल विवाह को अस्वीकार करके आजीवन एकाकी रहकर अदम्य साहस का परिचय दिया। वे कहती हैं की अन्याय के प्रति मैं स्वभाव से असहिष्णु है परंतु वंश के प्रति वंश में मेरा विश्वास कभी नहीं रहा है। अंधकार को यदि दूर भगाना है तो हमें आलोक का वरण करना होगा, विकृति को हटाने के लिए शक्तियों को उलझा देना वैसा ही है जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार को भगाने के लिए दूध से धो धोकर सफेद बनाने का प्रयास करना। 1942 में प्रकाशित उनके निबंध संग्रह शृंखला की कड़ियाँ में तत्कालीन समाज में स्त्री जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विडंबनाओं पर कुठाराघात किया गया है तथा समाज का यह कटु सत्य दिखाया है कि एक ओर देवी के पद पर स्थापित स्त्री कैसे दूसरी ओर घर के मलिन कोने की बंदिनी बना दी जाती है। इस संग्रह में वे नारी जाति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करते हुए आह्वान करती हैं कि इन शृंखला की कड़ियों को तोड़ने का साहस तुम्हें स्वयं करना होगा। डॉ माधुरी शुक्ला कहती हैं कि महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी समाज के लिए एक ऐसा संविधान बनाया है जो अपने आप में इतना पूर्ण है कि नारियों की अधिकांश समस्याओं का समाधान उसमें मिल जाता है। इस संविधान का नाम है शृंखला की कड़ियाँ, यह ग्रंथ युगो तक नारियों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। यद्यपि वर्तमान समय में स्त्रियों की दशा में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुआ है तथापि जो प्रश्न महादेवी जी ने तब उठाये थे वे आज भी प्रासंगिक हैं। वे भारतीय नारी को न तो पुरुष की अनर्थानुसारिणी देखना चाहती थीं और न ही पाश्चात्य समाज की अंधानुकारिणी। वे तो चाहती थीं कि स्त्री अपने नारीत्व की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। ऐसे में जबकि आज की स्त्री दोराहे पर खड़ी दोहरे दायित्व का भार निर्वहन कर रही है तब महादेवी जी ने स्त्रियों से संबंधित जिन अनेक जटिल समस्याओं पर प्रकाश डाला है वे और भी आवश्यक हो गये हैं। उनके गद्य साहित्य में शास्त्र पुराण की गाथा एवं वर्तमान में नारी अपहरण, सतीप्रथा, विधवा जीवन, परवशता, पितृगृह में स्नेह और अधिकार से वंचित आदि अनेक समस्याओं को दिखाया गया है जो नारी जीवन की करुण कहानी कहते हैं। मायके में स्नेह और अधिकार से वंचित पतिगृह में पराये घर से आयी हुई स्त्री का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं।

इसके साथ ही वे आधुनिक नारी की उच्छृंखलता पर लिखती हैं कि नारी जब अपनी स्थिति पर असंतोष प्रकट करती है तो पुरुष से तुलना कर स्त्रियोचित श्रेष्ठता को त्रुटि समझकर अपना स्त्रीत्व ही क्षत विक्षत कर डाला। उसने उस कोमलता को ही नष्ट करने का प्रण ले लिया जो उसे बाहरी कठोर संघर्ष से बचाने के लिए पुरुष पर आश्रित करती है। साथ ही यह देखा जाता है कि पाश्चात्य स्त्रियाँ भी सबकुछ पाकर अपने चिरंतन नारीत्व को नहीं भूल पायीं तभी तो सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा पुरुष को आकर्षित करने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ पायीं। ये आंदोलनकारिणी नारियों को आगाह करते हुए कहती हैं कि कृपाण और कंकण के संयोग से कहीं तुम्हारी सर्जकता और विकासक्रम न शिथिल हो जाये क्योंकि तुम्हारा कार्य निर्माण करना है ध्वंस नहीं। हमारे इतिहास में नारी की वीरता के असंख्य उदाहरण हैं क्रूरता के नहीं अतीत में हो सकते हैं सर भविष्य में तो नहीं है अतीत में हो सकते हैं पर भविष्य में तो नहीं है वे कहती हैं कि अपने सृजन और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण नारी जीवन के कोमल रहस्य और विकासशील पक्ष का पर्याय है अतः किसी भी संस्कृति और समाज के विकास का मापदंड उस में नारी की स्थिति ही मानी जाती है। आज की भारतीय नारी उस क्षेत्र में भी साहस के साथ आगे बढ़ रही है जिस पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार समझा जाता था। आज की भारतीय स्त्री को हम दो वर्गों में देख रहे हैं। एक वो वर्ग है जो अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए घर और बाहर दोनों जगह सामंजस्य स्थापित करके अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवा रही है तो दूसरी ओर मध्य और नवीन युग के संधि स्थल में खड़ी नारी को अपने पराधीनता के गूढ़ कारणों की छानबीन करने का अवकाश भी ना मिला अतः उसने पुरुष से अपनी तुलना करके सामाजिक अंतर का कारण ढूँढने के लिए स्त्रीत्व को ही क्षत विक्षत कर डाला। इसका एक मुख्य कारण पुरुषों का आर्थिक एकाधिकार को माना गया। इन स्त्रियों का अधिकार के प्रति प्रखर जागरूकता को देखते हुए भविष्य के प्रति समाज को सचेत किया है कि यदि अर्थ संबंधी विषमताओं में संशोधन नहीं हुआ तो स्त्री विद्रोह दिशाहीन आँधी का रूप ले लेगा जो सिवाय ध्वंस के पीछे और कुछ नहीं छोड़ेगा और यह समाज के लिए हितकर नहीं होगा। साथ ही उस नारीवर्ग की ओर भी ध्यान आकर्षित

किया गया है जो अर्थाभाव के कारण लज्जाहीन पापपूर्ण जीवन जीने को विवश हैं। आज की उन स्त्री वर्ग को देखते हुए क्या यह आशा का सत्य होती हुई प्रतीत नहीं होती जो मात्र अर्थ लाभ के लिए स्वयं को एक शरीर विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं समझतीं, नारीत्व की गरिमा को नहीं समझतीं।

आज भले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के अभियान के साथ जोड़ रहा है। महिलाओं को अनेक तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास लगभग सफल हो रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। नौकरी पेशा महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कई सुविधाएं दी जाती हैं जैसे मातृत्व अवकाश विशेष अवकाश आदि। संविधान में उनके लिए समान अधिकार के कानून बनाए गए हैं। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है परंतु क्या यह सब जमीनी स्तर पर लागू है। जब तक समाज में की सोच नहीं बदलेगी, महिलाओं को एक स्वस्थ, निर्भीक और सामान्य वातावरण नहीं मिलेगा तब तक ये सब मात्र कानूनी अलंकरण ही कहे जाएंगे। साथ ही स्त्रियों को भी अपनी नारीत्व की प्रकृति बरकरार रखते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। अत्याचार सहना अन्याय का विरोध न करना पराश्रित रहना दुर्बल मानसिकताएँ आत्मविश्वास की कमी रोककर दूसरों की सहानुभूति बटोरना आदि

दुर्बलताओं को त्यागकर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ स्वावलम्बी बनकर स्वर्क्षा के साथ दूसरों की रक्षा के लिए सबल सहारा बनना आदि गुण भारतीय नारी को सशक्त बनाएंगे और आधी आबादी अबलाएँ अशक्तएँ दुर्बलता आदि शृंखला की कड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेगी तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी।

भारत की स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम एवं नारी शक्ति का योगदान

नन्दलाल मणि त्रिपाठी

पीताम्बर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

संदर्भ -

किसी भी युग में किसी भी समाज का अस्तित्व कि कल्पना ही नहीं की जा सकती है ब्रह्म भी बिना नारी शक्ति के अधूरा है यदि सनातन में ब्रह्मा विष्णु शंकर देव हैं तो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तीन त्रिदेवियों नारी शक्ति बिना देव शक्ति संतुलित नहीं होती चूंकि ब्रह्म सत्ता निरपेक्ष एवं विभेद रहित होती है अतः पूर्ण ब्रह्म को अर्ध नारीश्वर कहा जाता है। जितने भी अवतार या प्रवर्तक हुये हैं जिनके द्वारा समय समाज युग को नई दिशा दृष्टि प्रदान किया गया है उनका अस्तित्व ही नारी से है। चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन, हो या सिख धर्म हो या स्लाम हो जिस समय समाज में नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता एवं उसे मात्र सृष्टिगत परम्परा का एक अनिवार्य अंग तक ही सीमित रखा जाता है उस समाज के पतन हो जाता है इसीलिये धर्म संविधान एवं समाज में नारी की विशिष्टता को परिभाषित कर उसे विशेष स्थान प्रदान किया गया है।

1. भारत में नारी के अस्तित्व को खतरा---

सन 713 ईस्वी में भारत में प्रथम बार प्रथम इस्लामिक प्रवेश हुआ जो संयोग कहा जाय या दुर्भाग्य जिससे भारत में आंशिक गुलामी कि नींव रखी जिसके कारण इस्लामी समाज ने भारत में जड़ जमाना शुरू कर दिया जिसका केंद्र केरल के तटीय क्षेत्र थे उसके बाद दसवीं सदी तक भारतीय समाज कि संस्कृति संस्कारों सभ्यता भाषा दूषित होना प्रारम्भ हो गया ग्यारहवीं सदी में गजनवी, उसके बाद गोरी, तैमूर, शेरशाह शुरी, खिलजी आदि आदि ने भारत को इस कदर रौंदा जैसे किसी अनाथ के साथ कोई सबल व्यवहार करता हो जिसके कारण भारत कि वैदिक संस्कृति विकृत हो गयी भारत बिखर गया और आयातित संस्कृत भाषा संस्कार के कारण भारतीय समाज वर्णसंस्कृत के लिये बाध्य विवश हो गया। जिसका वर्तमान प्रभाव दूषित मानसिकता का धर्मनिरपेक्ष के रूप में आज भी मौजूद है और जिसका प्रयोग भी ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार गोरी, गजनवी, तैमूर, लोधी, बाबर आदि द्वारा किया जाता रहा। भारत में इस्लामी प्रवेश का प्रभाव नारी समाज के आत्मसम्मान पर बहुत गहरा पड़ा चूंकि इस्लाम में औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने एवं मर्दों के मिजाजपुर्सी का साधन ही अधिक स्वीकार किया जाता है अतः भारत में इन आक्रांताओं ने नारी समाज के अस्मिता को तार तार किया। अपने साथ भी लौटते समय बंधक बनाकर औरतों को ले जाया गया जहां भारतीय नारियों ने जानवरों से भी बदतर जीवन में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसी का एक उदाहरण खिलजी से भयाक्रांत महारानी पद्मिनी का जौहर था जोधाबाई द्वारा अपने पराजित पिता के द्वारा अकबर कि शर्त का विरोध करने का साहस नहीं था भारतीय इतिहास में राम गुप्त एक बिलासी राजा था जो हूणों से युद्ध हार गया हूणों ने रामगुप्त के समक्ष उसकी बेहद सुंदर पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सौंपने की शर्त रखी रामगुप्त ने शर्त स्वीकार कर लिया जब यह बात रानी ध्रुवस्वामिनी को पता चली तो उसने अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय से यह बात बताई चंद्रगुप्त ने भाभी का वेश धारण कर हूणों के शिविर में जाकर हूणों को परास्त किया फिर भाई राम गुप्त का वध किया और बाद में भारत के इतिहास का चक्रवर्ती सम्राट बना यह इतिहास जोधाबाई नहीं दोहरा पाई क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई चंद्रगुप्त नहीं था इस्लामी आक्रांताओं के काल 713 से 13 वी सदी तक जब तक कि बाबर द्वारा भारत में मुगल शासन कि स्थापना नहीं कर दी गयी तब तक आक्रांता आते लूट पाट करते जाते समय पराजित राजाओं के रनिवास के रानियों को बंधक बना जानवरों कि तरह ले जाते जहां वो घुट घुट कर दम तोड़ देती। बाबर के मुगल शासन कि स्थापना के बाद भारत में जो वैदिक शासन व्यवस्था में नारियों कि स्थिति थी समाप्त हो गयी और भारतीय नारी अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने को बेचौन प्रताड़ित होती रही। यही काल भरत में मध्यकाल के रूप में ऐतिहासिक रूप से परिभाषित है।

2. मध्यकाल एवं नारी

बाबर द्वारा मुगल शासन स्थापना के बाद एवं भारत कि बीर लड़ाकू जाति राजपूतों के परिवार में अकबर द्वारा संबंध स्थापित करने के बाद राजपूत दो वर्गों में बंट गया एक वर्ग मुगलों कि चाकरी चाटूकारिता करता सत्ता सुख में लीन था तो एक वर्ग मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष छेड़ रखा था इस द्वंद में भारत में नारी कि स्थिति और भी असम्मानित एवं नारकीय हो गई जब मुगलों का शासन उत्कर्ष पर था एवं इस्लामीकरण करना उनका मकसद जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे उसी समय सिख धर्म भारत में भारत कि मर्यादा गरिमा गौरव कि स्थापना के लिए आया जिसमें नारी जाति को यूद्ध , नेतृत्व, धार्मिक बराबरी के अधिकार प्रदान किये समय के साथ मुगल शासन का कमजोर होना वास्कोडिगामा का भारत खोज यूरोपीय देशों का भारत के प्रति आकर्षण पश्चिमी देशों का व्यापार के लिये भारत आगमन भारत कि द्विवर्णसंस्कृत को बहु वर्णशरिय की तरफ ठकेल दिया जिसमें वैदिक व्यवस्था लोप

हो गयी और एक अजीबो गरीब संस्कृति ने जन्म ले लिया जिसके कारण भारत में नारी समाज को बहुत प्रभावित किया और नारी समाज स्वयं के अस्तित्व के सोचने लगी इसी दौरान कुछ नारियों ने जागृत हो भक्ति शौर्य के माध्यम से नारी समाज को उनकी शक्ति उपयोगिता से पुनः परिचित कराया एवं जागृत करने का प्रयास किया जिसमें प्रमुख हैं मीरा बाई, अक्का, रामी, महादेवी, जाना बाई, लालदेई आदि ।

3. अंग्रेजों का शासन

सोलहवीं शताब्दी में प्रथम अंग्रेज व्यापार करने बादशाह शाहजहां कि अनुमति से भारत आया ईस्टइंडिया कम्पनी बाद में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन भारत का शासन हो गया सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई एवं झलकारी बाई ने भारत कि नारी समाज की सोई या मृत पड़ी चेतना को जागृत करने का आदर्श एवं प्रेरणा प्रस्तुत किया जिसने भारत में दबी नारी जाति को स्वर दे दिय जिसके कारण नारी उत्थान के अनुष्ठानों का को शक्ति मिली राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, रामकृष्ण मिशन, ज्योतिबा फुले आदि द्वारा कुप्रथाओं के जैसे बालविवाह, सतीप्रथा, के अंत तो नारी शिक्षा समानता के क्रांति कि मशाल जल उठी जिसके कारण स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नारी शक्ति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो स्वतंत्रता के बाद भारत की नारी को विरासत कि बुनियाद मिली जिसपर उनके मान सम्मान एवं समाज राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का शुभारंभ हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से स्वतंत्रता उपरांत भारतीय नारी समाज को बुनियाद प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण नारियां तपस्विनी, मैडमकामा, सरला देवी, गांधी जी के आवाहन के बाद बीना दास, शांति घोष, स्मृति चौधरी, प्रीति लता वाडेकर, बनलता दास गुप्त, राजकुमारी अमृत कौर, अरुण आसफ अली, सुचेता कृपलानी, दुर्गाबाई देशमुख, लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित, मेडलिन स्लेट (मीरा बेन) ऐनिबेसेन्ट, भगनी निवेदिता आदि अनेको नाम जिनके द्वारा भारतीय समाज में नारी के स्थान सम्मान कि जागृति जागरण के लिए संघर्ष करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में नारी कि महत्ता को महत्वपूर्ण स्थान दे राष्ट्र एवं समाज के विकास में बराबरी का दर्जा देने एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के ईश्वरीय व्यवस्था के लिये प्रेरित किया।

4. स्वतंत्रता के साथ भारत में नारी कि स्थिति

सन 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत कि कुल जन संख्या 37.6 करोड़ थी एवं साक्षरता दर 18 प्रतिशत था जिसमें महिलाओं कि साक्षात्कार दर 6 प्रतिशत थी । लगभग 1234 वर्षों के उथल पुथल एवं अराजक शासन व्यवस्थाओं से मुक्त हो भारत आजाद हुआ और राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी के लिए संविधान निर्माण में व्यवस्था एवं प्राविधान किया जिसमें समय समय पर समय एवं आवश्यकता अनुसार संसोधन कि व्यवस्था है को प्रस्तुत कर नारी समाज के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जिनमें

5. कुछ प्रमुख निम्न है

महिला सम्मान अधिकार अनुच्छेद-14, राज्य द्वारा कोई भेद भाव नहीं अनुच्छेद-15, अवसरों में समानता अनुच्छेद-16, समान कार्य समान वेतन अनुच्छेद-39, अपमान जनक प्रथा परित्याग-51, प्रसूति सहायता-अनुच्छेद-42, अनैतिक व्यापार निवारण एक्ट-1956, दहेज प्रतिशोध अधिनियम-1961, कुटुम्ब न्यायालय-1984, सती निषेध-1947, राष्ट्रीय महिला आयोग-1990, गर्भ धारण पुर्लिंग चयन प्रतिरोध-1994, घरेलू हिंसा अधिनियम -2005, विवाह प्रतिशेष्ट अधिनियम-2006, भारतीय महिलाओं को अपराध के विरुद्ध सुरक्षा संसोधन -2013, आदि आदि अनेको प्राविधान एवं संशोधन है एवं किये जाते है जिनकी आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से भारत कि वैदिक व्यवस्थाओं में नारी सम्मान गौरव आत्मविश्वास कि पुनुरुत्थान है जो आक्रांताओं के आक्रमण एवं शासन से वर्णसंकृत हो चुकी थी ।

स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा--भारत को स्वतंत्रता भी भय एवं असमंजस कि स्थिति में प्राप्त हुई सन 710 से 1857 तक का आम भारतीय कमजोर एवं कायर समाज जो राष्ट्र कि रक्षा कुछ हजार कबीलों से नहीं ल कर सका और माँ भारती को लूटने के लिये उन कसाईयो के समक्ष मूक दर्शक बना रहा जिनका मानवता या मानवीय मूल्यों से कोई वास्ता नहीं था। जिसके कारण 1234 वर्षों तक स्वयं अपमान का विषपान करते रहे तो अपने समाज कि क्या रक्षा करते जिसमें नारी समाज प्रमुख था जिसकी परिणीति स्वतंत्रता के समय धार्मिक उन्माद में द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा जिसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र पर पड़ा नारी समाज भी अछूता नहीं रहा स्वतंत्रता के समय रक्तपात एवं दहशत अभी तक इतिहास को कलंकित करता है एवं करता रहेगा। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद सर्व प्रथम कन्या शिक्षा नारी शिक्षा को प्राथमिकता से लागू करने कि कोशिश किया जिससे कि भारतीय नारी में आत्मविश्वास, साहस, का सांचा कर उनके स्वयं के राष्ट्र समाज में महत्व को प्रत्यक्ष किया जा सके एवं उन्हें उनकी समान सहभागिता के लिये जागृत एवं जिम्मेदार बनाया जा सके जिसका परिणाम भी परिलक्षित होने लगा अब जबकी भारत अपनी स्वतंत्रता का 75 वां वर्ष अमृतमहोत्सव मना अमृत काल में प्रवेश कर चुका है भारत में कुल साक्षरता 84.7 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं कि साक्षरता दर 70.31 प्रतिशत है शिक्षा के हर आयाम ऊंचाई पर भारत कि नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है । प्राइमरी शिक्षा में 100 पुरुषों पर 183 महिलाएं पढा रही है अपर प्राइमरी में 100 पुरुषों पर 83 महिलाएं है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में 100 पुरुष पर 73 महिलाएं है । भारत में आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश की आधी आबादी नारी शक्ति मात्र 18 प्रतिशत ही काम काजी है जिनकी शिक्षा स्वस्थ, एवं कृषि में भागीदारी अधिक है।

6. स्वतंत्रता एवं भारतीय नारी समाज की राजनैतिक चेतना एवं भागीदारी

स्वतंत्रता के बाद भारत में नारी समाज में राजनीतिक जागरूकता को समझने के लिए राष्ट्र के आस पास यानी क्षेत्रीय स्तर पर नारी कि अद्यतन स्थिति को तदुपरांत विश्वव्यापी स्थिति को संक्षेप में समझना आवश्यक है भारत के पड़ोसी देश लंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, आदि ऐसे राष्ट्र है जहाँ के लोकतांत्रिक शैशव काल में ही नारी शक्ति शिखरतम हो गयी जैसे माओ भंडारनायक, इन्द्रीरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना वाजेद, खलीदा जिया, इसमें विद्या

देवी जी का अति विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है जिन्होंने अवश्य अर्श से फर्श की ऊंचाई तय किया शेष नारी गरिमा महिमा जो भी दक्षिण एशिया कि है उनको राजनीतिक विरासत मिली थी समाज कि साधारण नारी कि तरह संघर्ष से ये शिखरतम नही थी जिसके कारण इन राष्ट्रों में आम नारी शक्ति के साहस संघर्ष पर कोई गहरा प्रभाव नही पड़ा जबकि भारत मे आम पृष्ठभूमि से संघर्ष एव चुनौतियों से लड़ती जिन नारी शक्तियों ने राजनीतिक शिखर प्राप्त किया उनमें जयललिता, मायावती, ममता,आदि है जिनको विरासत में कुछ भी प्राप्त नही था जिनके प्रभाव प्रेरणा से भारतीय नारिशक्तियों में राजनीतिक आकांक्षाओं ने उड़ान भरना शुरू किया और उनमें विश्वास का सांचा किया राजनीतिक रूप से आंकड़े जो स्पष्ट करते हैं पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है जिसके कारण पंचायतों में सदस्य और अध्यक्ष 59000 से अधिक महिलाएं हैं भारतीय संसद में मात्र 14.36 प्रतिशत महिलाएं हैं देश कि बिभन्न राज्य विधान सभाओं में कुल 4896 सदस्यों में मात्र 418 महिलाएं हैं केंद्र सरकार में कुल 07 महिलाएं मंत्री हैं राज्य सरकारों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी 10 प्रतिशत महिलाएं राज्य सरकारों में मंत्री हैं यानी कुल आबादी कि आधी आबादी की राजनैतिक हिस्सेदारी आजादी के पचहत्तर वर्ष बाद भी मात्र औचारिक यह नारी समाज एव आज के समाज के लिए सोचने समझने का विषय है। 1947 में आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज्य, सुमित्रा महाजन, अम्बिका सोनी, राजमाता सिंधिया, नंदिनी सत्थति, गिरिजा व्यास, मीरा कुमार आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत मे नारी शक्ति को नई दिशा दृष्टि प्रदान कर राजनीतिक जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया तो वर्तमान में निर्मला सीता रमण, स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी, आदि द्वारा अपनी अति महत्वपूर्ण उपस्थिति से भारतीय नारी समाज मे नई चेतना उत्साह का सांचा प्रवाह नित्य निरंतर करने का प्रायास किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कि कैबिनेट में 12 मंत्री हैं जो यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वहाँ नारी कि स्थिति क्या है जबकि आस्ट्रेलिया कि कुल आबादी दो करोड़ दस पन्द्रह लाख ही है।

लगभग 1234 वर्षों कि आंशिक एव पूर्ण गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली 1234 वर्षों के काल खंड में भारतीय समाज की वास्तविक पहचान समाप्त हो चुकी थी सातवी ईसवी तक भारत कि भाषा संस्कृत एव समाज सांस्कारिक था मगर आक्रांताओं की बर्बरता के समक्ष उनकी आयातित संस्कृत को कब आत्म साथ कर लिया और अपने मूल संस्कृति को भूल गए पता ही नही चला मुगलों कि गुलामी के दौर में एक कहावत प्रचलित थी (पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह कुदरत का खेल) स्पष्ट है उस दौर में अरबी फारसी के जानकार ही विशिष्ट विद्वान होते थे बाद में ब्रिटिश हुकूमत कि गुलामी ने अंग्रेजी कि अहमियत बढ़ा दी परिणाम आज विल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि आज अंग्रेजी अंग्रेजियत भारत कि रंगों में दौड़ रहा है जबकि मुगल कालीन फारसी उर्दू अरबी आज भी न्यायालयों में प्रयोग कि जाति है यह तो मात्र प्रत्यक्ष सम्पूर्ण भारतवासी जनता है भाषायी वर्णसंस्कृत है हिंदी बोलने पढ़ने वाला पिछड़ा एव रोजगार के लिए भटकता नजर आता है जैन एव बौद्ध धर्म के सनातन से प्रवर्तन के बाद भी वैदिक संस्कृत का लोप नही हुआ था क्योंकि इन दोनों के प्रवर्तक जन्म से सनातनी थे एव उसमें प्याप्त कुरीतियों को समाप्त जो उनके अनुसार थी करने के उद्देश्य से प्रवर्तन कर जीवन दर्शन के नए सिद्धान्त प्रस्तुत किये जो मूल रूप से वैदिक सिद्धान्तों के ही संशोधन थे मगर 1234 वर्षों कि गुलामी एव भयाक्रांत करने वाली बर्बरता ने वैदिक व्यवस्थाओं का समूल नाश कर दिया परिणाम स्वरूप समाज मे जीवन रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन करना ही बेहतर समझा जिससे विशुद्ध वैदिक समाज भी बदरंग बहुरंगी हो गया जिसके परिणाम भारत को आजादी के समय एव अब तक भुगतने पड़ रहे हैं 1234 वर्षों कि गुलामी के बाद मिली स्वतंत्रता में भारतीय समाज स्वय को ही नही समझ पा रहा था जिस समाज मे नारी को गृह लक्ष्मी देवी का दर्जा प्राप्त था एव कन्या को नव दुर्गा के रूपों में स्वीकार किया जाता था आजादी के 75 वर्षों बाद जब राष्ट्र स्वतंत्रता का अमृतमहोत्सव मना रहा है और अमृत काल मे प्रवेश कर चुका हो भारतीय समाज मे कन्या नारी महिला औरत कि स्थिति में सकारात्मक सुधार विकास परिवर्तन तो अवश्य हुये हैं मगर अपेक्षित कदापि नही।

वर्तमान कि एक समस्या लिंग परीक्षण एव भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, पारिवारिक विघटन से बढ़ते तलाक के मामलों ने भारतीय समाज को बहुत पीछे धकेल दिया है पश्चिमी समाज मे विवाह एक समझौता है जो टूटता रहता है मगर नारी समाज पर फर्क इसलिये नही पड़ता कि वहाँ नारी समाज पुरुषों के समान ही आत्म निर्भर है वैवाहिक समझौते के टूटने से उनके ऊपर बहुत फर्क नही पड़ता भारत मे बहुसंख्यक विवाहित महिलाएँ पति के ऊपर निर्भर रहती हैं और उसमें स्वयं के जीवन का विश्वास रखती हैं जो वैदिक संस्कृत है मगर उनको सम्मान देने से आज का समाज कदराता है कन्याओं की अपेक्षा लड़कों को अधिक तरजीह दिया जाता है कन्या को बोझ समझा जाता है कारण कन्या कि शिक्षा दीक्षा एव वैवाहिक बोझ लगता है जिसके कारण लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण कि हत्या की नई परम्परा ने सामाजिक सोच कि विकृत के स्वरूप जन्म ले लिया संतोष कि बात यह है कि वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि समाज की सोच में सुधारात्मक परिवर्तन आया है और भारत मे लिंगानुपात की दर 1000 पुरुषों पर 1020 औरतों का है जो सकारात्मकता की सामंजिक सोच को स्पष्ट करता है। लेकिन महिलाओं कन्याओं के प्रति आपराधिक घटनाओं दहेज हत्याओं के अद्यतन आंकड़ों पर गौर करे तो चौकाने वाले तथ्य सामने आते हैं महिलाओं पर हुए अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज हुए जो 64.5% प्रति एक लाख कि दर से हैं प्रतिदिन 87 बलात्कार 49 मर्डर के मामले प्रति एक लाख में 15.3% कि औसत दर से बढ़ा है दहेज के 25000 मामले प्रति वर्ष एव प्रति घण्टे एक दहेज उत्पीड़ितन का औसतन मामला आता है परिवार न्यायालयों में कुल 4.70 करोड़ मामले विचाराधीन हैं लिविंग रिलेशन का जस्टिस के जी बालाचंद्रन का फैसला मनोरंज का साधन अधिक दहेज प्रथा से मुक्ति का साधन कम है हालांकि यह नीर्णय ही दहेज प्रथा कि भयंकर समस्या के निवारण एव धीरे धीरे सामंजिक स्वीकारता के आधार पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया था बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार ने अवश्य सामाजिक सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन का शुभारंभ किया है।

7. सरकारी अर्धसरकारी सेना आदि सेवाओं में महिलाओं की स्थिति

केंद्र सरकार में कुल 30.87 अधिकारियों कर्मचारियों में महिलाओं कि संख्या 33739 यानी कुल 11% है भारत मे कुल डॉक्टरों की संख्या 12.89 लाख में महिलाओं की भागीदारी 13% है 15 लाख कुल इंजीनियरों में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% है कुल सी ए 88983 महिलाएं हैं जो 7 % हैं आई सी ए आई 54960 महिलाएं हैं।

भारत मे उच्च सेवाओं में महिलाओं के योगदान पर गौर किया जाय तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को 1951 में सम्मिलित किया गया तब पहली अधिकारी अन्ना राजन मलहोत्रा बनी थी वर्तमान में कुल महिलाओं की संख्या 11569 है भारतीय पुलिस सेवा कि बात करे 1972 में पहली महिला आई पी एस किरण

बेदी जी बनी थी वर्तमान में महिलाओं का योगदान 9% है। नेता जी ने आज़ाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट की स्थापना की थी एवं लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन नियुक्त किया। सेना में कुल महिलाओं की संख्या 9118 है। सेना की पहली महिला अधिकारी प्रिया झिंगन थी।

भारत में महिलाओं की पसंद के क्षेत्र हैं अध्ययन, एयर होस्टेज, पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंजीनियरिंग फ़ैसन डिजाइन डॉक्टर्स बनाना है।

प्राइवेट नौकरियों में एवं स्व रोजगार में महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत बहुत भी 15 प्रतिशत है। भारत के ग्रामिण अंचलों में महिलाएं स्व रोजगार में सिलाई, बुनाई, बकरी पालन, या दुग्ध व्यवसाय में अधिक हैं।

प्राइवेट नौकरियों में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, प्राइवेट बैंक एवं बीमा कम्पनी आदि सम्मान के सूचक हैं तो इसके बाद प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, माल, सेल्स गर्ल विपणन, अब पेट्रोल पंप पर महिलाओं को कार्य करने का अवसर उपलब्ध है जहां छोटी छोटी सेलरी में महिलाओं का शोषण अधिक है।

8. सौंदर्य के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिलाओं का वर्चस्व

1966 में पहली बार रीता फरिया विश्व सुंदरी भारत से चुनी गई थी उसके बाद, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, हरनाज, मनुश्री छिल्लर, डायना हेडन, सुष्मिता सेन आदि ने भारत की स्वतंत्रता के बाद सौंदर्य के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया और राष्ट्र का गौरव मान बढ़ाया।

9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं

भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली, प्रथम वैज्ञानिक अन्ना मणि मौसम एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉ असीमा चटर्जी कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कमला रण दिखे, ई के जानकी, कमला सोहानी, आनंदी बाई गोपाल राव जोशी, डॉ दर्शन रंगनाथन, शिवानी मीणा, आकांक्षा कुमारी, ए ललिता, शिवी, शकुन्तला ए भगत आदि द्वारा प्रथम भारतीय महिला के रूप में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश कर भारतीय महिलाओं को गौरवान्वित करते हुए उन्हें दिशा दिशा दृष्टि कोण एवं मार्गदर्शन दिया गया जिसके कारण आज भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़, चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रौशन किया।

10. सिनेमा जगत में भारतीय महिलाएं

सन 1931 में भारत में पहली फिल्म बनी आलम आरा जिसने समाज में एक नए क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराए। भारत में सिनेमा जगत की पहली नायिका थी देविका राय उसके बाद भारतीय सिनेमा एवं अंतरराष्ट्रीय सिनेमा जगत में भारतीय महिलाओं ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया जिसमें सिनेमा संगीत भी सम्मिलित था। मीना कुमारी, मधुबाला, नर्गिस, नूतन, तनुजा, हेमा मालिनी, श्री देवी आदि नायिकाओं ने तो गीता दत्त, सुरैया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, आदि अनेकों नाम जिन्होंने अपनी कला संगीत से भारत ही नहीं अपितु विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित किया और उनकी शृंखला कि नई पीढ़ियां नए नए राष्ट्रिय एवं अंतरराष्ट्रीय आयाम स्थापित कर रही हैं।

11. साहित्य जगत और भारतीय महिलाएं

झुम्पा लाहिड़ी, सरोजनी नायडू, मृदुला सिन्हा, अंजुम हसन, अनिता नायर, अजित कौर, अपर्णा वैदिक, अमृता प्रीतम, अलका सरावगी, अशिता, एम के इंदिरा, इंदिरा डान्गी, एम लीलावती, एलिस एक्का, कपिला वात्स्यायन, कमला लक्ष्मण, कमला सुरय्या, कृष्णा अग्निहोत्री, खदीजा मुमताज, ग्रेस कुजूर, चित्रा मुद्गल, इसमत् चुगताई, लक्ष्मी कुमारी चूडावत, जूलिया स्ट्रेची, ज्योतिर्मयी देवी, शोभा डे, तरन्नुम रियाज, तैमसूला आओ, एम के विनोदिनी देवी, निर्मला देश पांडेय, सुनीता देश पांडेय, नंदिनी साहू, नयनतारा सहगल, नालापत बाल मणि अम्मा, निर्मला पुतुल, पी बलसला, सुष्मिता बनर्जी, बर्निता बागची, बसंता कुमारी पटनायक, मालती वेडकर, ममांग दड़, मलिका अमर शेख, मल्लिका सेन गुप्ता, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, ज्योत्स्ना मिलन, मीना अलेक्जेंडर, मृणाल पांडेय, मृदुला गर्ग, रसीद जहाँ, राधा कुमार, भार्गवी राव, रुक्मणी भाया नायर, रोज केरकेट्टा, रोमिला थापर, लीला मजूमदार, वंदना टेटे, शमा जैदी, शहनाज हबीब, शुमोना सिन्हा, समीना अली, सुगत कुमारी, सुभद्राकुमारी चौहान, शुशीला शामद, हेमांगी शर्मा। आदि महिला साहित्यकारों द्वारा साहित्य के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन स्वतंत्रता के साथ ही किया जा रहा है जिसके कारण साहित्य के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं का योगदान साहित्य को एक नए पहचान आयाम तो दे ही रहा है साथ ही साथ राष्ट्र को साहित्य के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान किया जा रहा है।

12. उद्योग के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं

वंदना लूथरा, किरण मजूमदार शा, नैना लाल किदवई, सूची मुखर्जी, इंद्रा नुई आदि भारतीय महिलाओं ने भारतीय औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका का विशेष निर्वहन करते हुए नारी शक्ति में निहित असीमित क्षमताओं को समाज राष्ट्रिय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आद्योगिक विकास में भारतीय महिलाओं का परचम लहराया है जो वर्तमान में नारी शक्ति को आद्योगिक क्षेत्रों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये परगदर्शक एवं प्रेरणा प्रदान कर रही है।

कारपोरेट जगत में शीर्ष महिलाओं में शिखा शर्मा, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, भारतीय जीवन बीमा निगम की पहली महिला प्रबंध निदेशक रुषा सांगवान आदि ने अपनी क्षमता एवं योग्यता से भारतीय नारी को एक नए आत्म विश्वास: कि शक्ति से ओत प्रोत करते हुए भारत के विकास में नारी शक्ति सहयोग सहभागिता के नए आयाम ऊंचाई एवं दृष्टि दिशा प्रदान किया है।

13. खेल के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं

नवजीत कौर ढिल्लो, सीमा पुनिया, पूनम यादव, हिमा दास, राखी हलधर, दीक्षा डागर, मीरा बाई चानू, लवलीना बोरगोहन, पी वी सिंधू, भारतीय महिलाओं ने एथलेटिक्स में 1951 से 2020 के अंतराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सर्वाधिक 156 मेडल जीते हैं निशाने बाजी में 137, कुश्ती में 73, बैडमिंटन में 70, तीरंदाजी में 70, तीरंदाजी में 65, बॉक्सिंग में 45, हांकी में 10 भारतीय महिलाओं का दबदबा रहा है एशियन गेम में भारतीय महिलाओं ने 201 स्वर्ण, 240 रजत, 257 कांस्य पदक जीते हैं, राष्ट्र मण्डल खेलों में 58 स्वर्ण 61 रजत, 38 रजत भारतीय महिलाओं द्वारा हासिल कर स्वयं की शक्ति के साथ राष्ट्र को गौरवान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त

क्रिकेट की पहली कप्तान शांता रंगा स्वामी, तो वर्तमान में हनप्रीत कौर स्मृति मंधाना झूलन गोस्वामी, आदि ने क्रिकेट को नई ऊंचाई आयाम प्रदान किया। भारतीय महिला हांकी टीम द्वारा एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, एशिया कप में 2 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, एशियाई चैंपियन ट्राफी 1 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य, राष्ट्रमण्डल खेल 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य प्री लीग में 1 रजत जीतकर हांकी जैसे तेज खेल में अपनी मंशा एवं उपलब्धियों से भारत को सम्मानित करते हुए नई ऊंचाई आयाम प्रदान किया गया है।

कुश्ती में साक्षी मलिक, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, बबिता फोगाट, अल्का तोमर, आदि महिलाओं ने इस भ्रम को तोड़ते हुए कि कुश्ती सिर्फ पुरुषों का खेल है के मिथक को तोड़ते हुए भारत में महिलाओं के नए शौर्य के आयाम से परिचित करवाया। पी टी ऊषा, बुला चौधरी, ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने संघर्ष एवं खेल उपलब्धियों से देस का मान बढ़ाते हुये नई पीढ़ी कि लड़कियों को खेल के प्रति आकर्षित किया जिससे खेल के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है।

14. मीडिया एवं महिलाएं

मीडिया में महिलाओं की भूमिका चार धुरियों के इर्द गिर्द घूमती है मीडिया बहुलबाद, मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया सुरक्षा, महिलाएं भारत कि स्वतंत्रता के बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, पत्रकारिता, सोशल मीडिया में प्रभावी सक्रिय सकारात्मक सहभागिता भूमिका का निर्वहन कर एक नए आयाम के नारी को राष्ट्रीय विकास में सम्मिलित एवं प्रस्तुत प्रमाणित किया है।

15. नृत्य एवं कला

तीजन बाई पण्डवानी, गिरिजा देवी, सोनल मान सिंह, एम सुभ लक्ष्मी, आदि लोक नृत्य, लोक गीत, आदिवासी संस्कृति एवं कला एवं नृत्य क्षेत्र में महिलाओं ने स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं जिससे कि नई पीढ़ी कि लड़कियों को नई ऊर्जा प्रेरणा प्रदान करती है जिसके कारण नृत्य एवं कला के क्षेत्र में भारतीय नारी शक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नारी गौरव को राष्ट्र गौरव कि परम्परा में सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

16. स्टार्टअप भारतीय नरिया

फाल्गुनी नायर, देविता सराफ सूची मुखर्जी, सबीना चोपड़ा, सैरी चहल, नीरू शर्मा, ऋचा कार, राधिका घई अग्रवाल, जया झा, श्रद्धा शर्मा आदि महिला शक्तियों ने स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के पचाहत्तरवें वर्ष एवं अमृतमहोत्सव एवं अमृत काल तक नए स्टार्टअप के रूप में भारतीय नारी शक्ति के नए आयाम को प्रस्तुत करते हुये भारतीय नारी शक्ति को शिखर पर स्थापित किया है।

निष्कर्ष--- 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर स्वतंत्रता के पचाहत्तर वर्षों के इतिहास स्वतंत्रता संघर्ष को स्मरण रखते हुये स्वतंत्रता के अमृतमहोत्सव एवं अमृतकाल में प्रवेश तक भारतीय महिला शक्ति ने भारत के विकास की गौरवशाली यात्रा के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिससे भारत के राष्ट्रीय आयाम में बहुत परिवर्तन आये हैं जिसमें भारतीय नारी के भी विविध सकारात्मक सार्थक आयामों भूमिकाओं का अति महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन यह यात्रा एक सुखद शुभारम्भ के उत्कर्ष का पड़ाव हो सकता है जिसे और शक्ति प्रखर निखर होकर निरंतर आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है साथ ही साथ समाज में गुणात्मक सांस्कारिक परिवर्तन के लिये विनम्र शौम्य क्रांति कि आवश्यकता होगी इस संदर्भ में भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी जी कि दृढ़ इच्छाशक्ति कन्याओं एवं नारी समाज के निर्बाध विकास एवं उत्कर्ष के लिए हर सम्भव प्रायास करते रहते हैं लिंगानुपात में गुणात्मक सुधार 2014 में उनके व्यक्तिगत प्रायास का ही परिणाम है खेल जगत में महिलाओं की हिस्सेदारी एवं सफलता का सम्पूर्ण उपलब्धि मोदी जी के व्यक्तिगत सोच एवं उन्से याथार्त के धरातल पर उतारने कि सक्रियता एवं सहयोग का ही परिणाम है। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को प्राप्त है तो भारत के प्रधानमंत्री महान युग पुरुष राष्ट्रशिरोमणि ने दो कदम आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसी महिला को प्रस्तवित किया जो वर्तमान में भारत कि राष्ट्राध्यक्ष है जो भारतीय समाज में सदियों से उपेक्षित आदिवासी वर्ग से आती है जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से संघर्ष करते हुए राष्ट्र के शीर्ष राष्ट्रपति तक पहुंचते हुये भारतीय नारी समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है जो मोदी जी के बिना सहयोग इच्छाशक्ति के सम्भव नहीं था। बहुत स्पष्ट है मोदी जी द्वारा नारी शक्ति के विकास एवं शसक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण सार्थक सकारात्मक प्रायास किए जा रहे हैं जो परिणामों में परिलक्षित हो रहा है यही विश्वास भारतीय नारी को राष्ट्रिय विकास के विभिन्न आयामों में नई सफलतायें ऊंचाई प्रदान करने में सफल सक्षम होगा।

शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता

डॉ० अनूप कुमार मिश्रा

(पी.एच.डी. हिन्दी), सहायक आचार्य-राम जानकी महाविद्यालय, कानपुर देहात

किसी भी राष्ट्र, समाज, व्यक्ति के उन्नयन, विकास और सुधार में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा मानव जीवन को गतिशीलता प्रदान करती है। आधुनिक समय में मानव जीवन अनेकों वैज्ञानिक अविष्कारों, तकनीकियों से आच्छादित होता जा रहा है। विद्यालयी परिवेश में शिक्षा देने का कार्य शिक्षक करते हैं और शिक्षक ग्रहण करने का कार्य विद्यार्थी करते हैं। इस प्रकार शिक्षण का स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाले विचारों का परस्पर आदान-प्रदान है।

भारत वर्ष में सर्वप्रथम 1952-53 में मुदालियर आयोग द्वारा शैक्षिक तकनीकी को महत्व देते हुए विभिन्न विद्यालयों में इसके मंतव्यों को समाहित करके शिक्षण नियोजन को बनाने की अनुशंसा की गयी। इसी क्रम में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गयी। 1961 में “राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद” की स्थापना स्वायत्तासी संस्था के रूप में की गयी। इसमें आठ संघटक हैं जो परस्पर मिलकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। इसका एक संघटक शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति है जो तकनीकी का प्रचार-प्रसार, शोध तथा नवीन नवाचारों की खोज करके शैक्षिक तकनीकी को उन्नतशील बनाता है। भारत में दृश्य-श्रव्य से सम्बन्धित शैक्षिक तकनीकी का सूत्रपात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1972) से हुआ। इसके प्रचार प्रसार के समुचित चयन की व्यवस्था की गयी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक तकनीकी के प्रचार-प्रसार में बढ़कर हिस्सा लिया।

नई शिक्षा नीति की घोषणा स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में की गयी तो इसमें शैक्षिक तकनीकी के महत्व को स्वीकार करते हुये कहा गया कि “विभिन्न सूचनाओं के सम्प्रेषण, शिक्षक प्रशिक्षण, कला संस्कृति के प्रति अनुराग, जीवन मूल्यों के प्रति विश्वास तथा शिक्षा की विविध समस्याओं के निदान एवं उसको विकासोन्मुख बनाने में शैक्षिक तकनीकी बहुत सहायक सिद्ध हुई है। दिन प्रतिदिन भारत में शैक्षिक तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं अन्वेषण बड़ी तत्परता के साथ किया जा रहा है। कम्प्यूटर इंटरनेट शिक्षा का अनिवार्य अंग बनते जा रहे हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है, जिसका प्रयोग आजकल बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इंटरनेट का वर्णन करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी शहर का वर्णन करना है यह कोई साफ्टवेयर नहीं है न यह कोई प्रोग्राम है, य न तो हार्डवेयर है न यह किसी प्रकार की प्रणाली। यह तो वास्तव में एक स्थान है, जहाँ आपको अनेक सूचनायें प्राप्त हो सकती हैं, आप दूसरों को मुफ्त में यह धन लेकर, ये सूचनायें उपलब्ध करा सकते हैं तथा विभिन्न लोगों से वार्ता कर सकते हैं।

इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है, जिससे कम्प्यूटर्स के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जिससे कि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनायें प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डाक्यूमेंट्स, वैज्ञानिक ऑकड़े, रूचि सूची तथा विभिन्न प्रकार का विज्ञापन एवं संस्थानों के विषय में सूचनायें उपलब्ध होती हैं। ये सूचनायें विश्व के किसी भी कोने से प्राप्त की जा सकती हैं, ये सूचनायें बड़ी सरलता से और त्वरित गति से प्राप्त हो जाती हैं। यदि घर में टेलीविजन और निजी कम्प्यूटर हो तो अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से हम भली भाँति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के मुक्त प्रवाह और ज्ञान में भागीदारी के फलस्वरूप हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नवीन संचार और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के जरिये स्थापित नेटवर्क से उपलब्ध ज्ञान एवं कौशल तक पहुँचाने के असीम अवसर पैदा हो रहे हैं।

सत्यनारायण पट्टनायक तथा ए० श्रवणान (1998)-ने इंटरनेट संचार भारतीय परिप्रेक्ष्य नामक लेख में इंटरनेट पर एक दृष्टि डालते हुए इंटरनेट का विवरण प्रस्तुत किया है। इनके शब्दों में-इंटरनेट अत्याधुनिक संचार नेटवर्क है, जो सूचना और संचार क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें करोड़ों कम्प्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, यह डिजिटल श्रोत और रिसीवर को जोड़ने की प्रक्रिया है, इंटरनेट को मोटे तौर पर कम्प्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक प्रोटोकाल (सूचना के आदान-प्रदान सम्बन्धी नियम) के जरिये संचार करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सर्वाधिक विविध श्रोतों से सूचनाओं तक पहुँचा जाता है, जिसमें व्यक्तियों और विश्व भर के संगठनों का योगदान होता है, उन्हें नेटवर्क ऑफ सर्वर्स कहा जाता है। इंटरनेट का एक वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसे मात्र वेब भी कहा जाता है। जो विभिन्न संगठनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, आम अथवा खास हितों से सम्बद्ध समूहों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा बनाये गये वेब पृष्ठों में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे पाठ्य सामग्री, तस्वीर, एनीमेशन, मल्टीमीडिया आदि। इसे हासिल करने के लिये सामान्य शुल्क अदा करना पड़ता है और कभी-कभी बिना किसी लागत के यह जानकारी उपलब्ध हो जाती है। वेबपृष्ठों से ईमेल, कान्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन्स जैसी सेवायें और अन्य व्यवसायिक सुविधायें उपलब्ध होती हैं, इंटरनेट पाठ्य सामग्री अथवा सूचना को विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का एक नया माध्यम है, जो अत्यन्त शीघ्र सस्ते में और आसानी से संचार करता है, हालांकि यह स्वयं अन्तरक्रिया नहीं करता किन्तु उपयोगकर्ता कम्प्यूटरों की बदौलत इस पर नियंत्रण रखते हैं, जो उन्हें नेटवर्क पर सूचना भेजने और प्राप्त करने में मदद पहुँचाते हैं।

जैसे-जैसे तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग एवं अनुसंधान होते जा रहे हैं। वैसे-वैसे शिक्षक की योग्यता व उत्तरदायित्वों में वृद्धि होती चली जा रही है। आज शिक्षा जगत् को पुराने विचारों वाले शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। आज जरूरत है दक्ष, प्रशिक्षित, प्रगतिशील तथा तकनीकी से भरपूर शिक्षकों की जो आज के वैज्ञानिक युग के साथ-साथ अपने कदम मिलाकर चल सकें। शिक्षकों ने इस ओर अब जागरूक होना प्रारम्भ कर दिया है कि अपने शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब शिक्षक सोचने लगे हैं कि वे क्या, क्यों और कैसे पढ़ा रहे हैं? अपने शिक्षण कार्य को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है।

किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण प्रक्रिया में शिक्षा एक सशक्त साधन है, जो किसी राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित कर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देने योग्य बनाती है। नागरिकों के विकास से उस समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे राष्ट्र ऊँचाई के शिखर पर पहुँचता है। शिक्षा के प्रमुख अंग शिक्षक, शिक्षार्थी, और पाठ्यक्रम में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है। अध्यापक की कुशलता के लिये अध्यापक शिक्षा अतिआवश्यक है क्योंकि शिक्षक जन्मजात नहीं होते वरन् अध्यापक शिक्षा के द्वारा कुशलता अर्जित कर एक दक्ष शिक्षक का निर्माण किया जाता है। अध्यापक शिक्षा द्वारा शिक्षक को व्यवसायिक कुशलता के साथ-साथ भावी समस्याओं को हल करने योग्य बनाती है। शिक्षक का कार्य मात्र पाठ्यक्रम समाप्त करना ही नहीं है बल्कि राष्ट्र के भावी नागरिकों को शिक्षित कर इस योग्य बनाना कि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक समायोजन कर सके। आज की अध्यापक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ छात्र की जिज्ञासा पूर्ति के लिये अध्यापक को कम्प्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण, सेटेलाइट, इंटरनेट के युग में, शिक्षक को छात्र की योग्यता रुचि आयु के अनुसार उसके भावी भविष्य को दिशा देने के लिये विषय ज्ञान के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी के विषय में निपुण होने की आवश्यकता है। परिवर्तित हुए बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में “सूचना और संचार प्रौद्योगिकी” जैसे विषय के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सम्प्रत्यय की समझ के साथ-साथ कम्प्यूटर का अध्यापक शिक्षा में प्रयोग कर एम0एस0 वर्ल्ड, पावर प्वाइंट, एक्सेल का प्रयोग तथा इंटरनेट और शैक्षिक वेबसाइटों के सर्वेक्षण के द्वारा अध्यापक के लिये ज्ञान के असीमित द्वारा खोल दिये हैं।

भारत में सूचना संचार तकनीकी के कई मॉडल उपलब्ध है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के प्रसार का प्रभावशाली रूप से विस्तार हुआ है। किसान मोबाइल संदेश तकनीकी भी उन्ही में से एक है। सूचना प्रयोग के बढ़ते प्रयोग के साथ ही उसके अपराधिक दुरुपयोग की घटनायें भी निरंतर बढ़ रही हैं। जैसे नेट बैंकिंग में पासवर्ड की धोखाधड़ी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट आतंकवादी द्वारा इंटरनेट मॉबाइल तथा ई-मेल आदि का दुरुपयोग, ई-मेल एकाउण्ट अथवा वेबसाइट की हैकिंग आदि अपराधिक गतिविधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन्हें साइबर अपराध कहते हैं जो कि धीरे-धीरे एक बड़ी चुनौती बन गये हैं। अतः साइबर सुरक्षा के आभाव में देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

देश और दुनिया में बढ़ती तकनीकी के आयामों के बीच एक रिपोर्ट आयी है, जिसमें बताया गया है कि भारत में सिर्फ 36 फीसद लोग ही इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। भारत में केवल 33 फीसदी महिलायें ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 38 फीसदी शहरी महिलायें और 28 फीसदी ग्रामीण महिलायें इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। वहीं पुरुषों की बात करें तो पूरे देश में 67 फीसदी पुरुष इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं शहर में इनकी संख्या 62 फीसदी और गाँव में 72 फीसदी है।

आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड हम सबके जीवन में एक सबसे बड़ा रोल पैदा कर रहा है और करने वाला है। आज कल पिता-पुत्र भी पति-पत्नी भी वाट्सप पर मैसेज भेजते हैं। ट्विटर पर लिखते हैं कि शाम को क्या खाना है। इतने हद तक उसने अपना प्रवेश कर लिया है। जो टेक्नोलाजी का जानकार है। उसका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है। अंग्रेजी, चाइनीज, हिन्दी और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन सबका दायित्व बनता है कि हम भारतीय भाषाओं को भी और हिन्दी भाषा को भी टेक्नोलाजी के लिये किस प्रकार से परिवर्तित करें। जितना तेजी से इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हमारी स्थानीय भाषाओं से लेकर के हिन्दी भाषा तक नये साफ्टवेयर तैयार करके नये ऐप्स तैयार करके जितनी बड़ी मात्रा में लायेंगे, अपने आप में भाषा का बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है।

सन्दर्भ सूची:

1. कुमार, अमित, अमन एवं एस0 के0 नारंग, कम्प्यूटर शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, पृष्ठ सं0-92।
2. शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध-डॉ0 पूनम मदान, पृष्ठ सं0-3
3. शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार- अग्रवाल पब्लिकेणन्स डा ०एस0पी0 कुल श्रेष्ठ पृष्ठ सं0-545-546।
4. शिक्षण अधिगम के सिद्धान्त-श्रीमती राजकुमारी शर्मा-राधा प्रकाश मंदिर प्रा0लि0, पृष्ठ संख्या2।
5. हिन्दी शिक्षण-डॉ0 अवनीन्द्र शील-साहित्य रत्नालय, कानपुर पृष्ठ संख्या-426
6. शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध-डॉ0 पूनम मदान, पृष्ठ सं0-3
7. शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबन्धन-एस0पी0 सुखिया अग्रवाल पब्लिकेणन्स, पृष्ठ संख्या-154।
8. हिन्दी शिक्षण- डॉ0 अवनीन्द्र शील-साहित्य रत्नालय, कानपुर पृष्ठ सं0-450।
9. शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध-जे0सी0 अग्रवाल, अग्रवाल पब्लिकेणन्स, आगरा-2, पृष्ठ संख्या-95।
10. शोध धारा, 2014-15, डॉ0 माधुरी पाण्डेय गर्ग, पृष्ठ सं0-51।
11. कम्प्यूटर एवं संचार तकनीकी, डा0स्मिता श्रीवास्तव, अग्रवाल पब्लिकेणन्स पृष्ठ सं0-318।
12. गवेषणा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा अंक-105/2015, पृष्ठ सं0-110

साहित्य में आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र

डॉ० फतेह सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष: हिन्दी -विभाग, शोध एवं अध्ययन केन्द्र, नेशनल पी०जी० कॉलेज भोपाँव,
जनपद : मैनपुरी, राज्य : उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश:- आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग भारत की आजादी के समय एवं भारत आजाद होने के उपरांत पंचवर्षीय योजना में और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी द्वारा सन 1997-98 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने भाषण में अनेक बार प्रयोग किया है तथा वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून 2014 में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा। सितंबर 2014 में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बताया। आत्मनिर्भर भारत अभियान', उनकी मूल अवधारणा के अनुसार एक महत्वकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान की अहम कड़ी के रूप में कार्य करेगा। साहित्य भाव और ज्ञान का साहित्य सृजन के क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशन विभाग द्वारा साहित्य प्रकाशित होता रहता है भारत ने आजादी के बाद अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वर्तमान में भारत जितनी तरक्की कर रहा है उसको निरंतर साहित्य के रूप में निरंतर प्रकाशित कर रहा है

बीज शब्द:- साहित्य, आत्मनिर्भर, अनुभूति, निर्मिति, सौन्दर्य, सहभाव, डी. आर.डी. ओ., धार्मिक साहित्य, धर्मतर साहित्य,

मूल आलेख:- साहित्य शब्द का व्युत्पत्ति, अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा- 'सहितस्य भाव साहित्य' अर्थात् 'सहित' का भाव साहित्य है। साहित्य शब्द का विग्रह दो तरह से किया जा सकता है। सहित=सहित=सहभाव, अर्थात् हित का साथ होना ही साहित्य है। साहित्य शब्द अंग्रेजी के स्पजमतजनतम का पर्यायी है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द स्मजमत से हुई है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति करानेवाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। (ललित कला अथवा अंग्रेजी का म्पदम तब शब्द उस कला के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका आधार सौंदर्य या सुकुमारता है। जैसे- चित्रकला, नृत्य शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत आदि। किन्तु आधुनिक धारणाओं के साथ ललित कला में अपेक्षित सौन्दर्यभाव रमणीयता का भाव धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है। अतः हर ललित कला सौंदर्य की निर्मिति करनेवाली हो, यह संभव नहीं। यथार्थ के अंकन के साथ सौंदर्य इस शब्द का बदलता अर्थ हम देख रहे हैं। साहित्य की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर इस शब्द के अनेक अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। 'साहित्य' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'सहित' शब्द में यत् प्रत्यय के योग से साहित्य शब्द की निर्मिति हुई है। "साहित्य=सहित+यत्, साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव अर्थात् 'साथ होना' ही साहित्य है।" कुछ विद्वानों के अनुसार हितकारक रचना का नाम साहित्य है। ज्ञान और अनुभव के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। साहित्य विशिष्ट और कलात्मक शैली में लिखी गयी रचनाओं का भंडार होता है साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। साहित्य के माध्यम से हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है विविध क्षेत्र ऐसे हैं जिनका ज्ञान हमें साहित्य के माध्यम से ही होता है आधुनिक युग में 'साहित्य' शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के 'लिटरेचर' शब्द की भाँति दो अर्थों में होता है। व्यापक अर्थ में वह समस्त लिखित एवं मौखिक रचनाओं के अर्थ में प्रयुक्त होता है जबकि संकुचित अर्थ में वह 'काव्य' के पर्याय के रूप में गृहीत होता है। दूसरे शब्दों में एक ओर वह समस्त प्रकार के ग्रंथ समूह को सूचित करता है तो दूसरी ओर वह एक विशेष कोटि की रचनाओं तक ही सीमित है। "पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक को 'ज्ञान का साहित्य' कहा है, तो दूसरे वर्ग की रचनाओं को 'भावना का साहित्य' की संज्ञा दी है प्रसिद्ध विद्वान डी क्विन्सी ने दोनों की तुलना करते हुए लिखा है कि जहाँ ज्ञान के साहित्य का लक्ष्य सिखाना होता है, वहाँ भावना के साहित्य का लक्ष्य भावनाओं को जागृत करना होता है।"

आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ, आशय और परिभाषा :-

आत्मनिर्भर एक विशेषण और यौगिक शब्द है। जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। यहाँ दो शब्द हैं-आत्म+निर्भर। अब हम एक-एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं।

आत्म:- यास्क 'निरुक्त' ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा है-आत्मा 'अत्' धातु से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सतत चलना। यह शब्द अत्+मनिण् से बना है। यहाँ अत् धातु का अर्थ है सतत गमन अथवा गतिशीलता। कृदन्त प्रत्यय 'मनिण्' भाववाचक संज्ञा बनाता है। प्रयोग करते समय मनिण् का मन् शेष रहता है, इस प्रकार शब्द बना आत्मन् आत्मन् नकारान्त (न् से अंत होने वाला) पुल्लिङ्ग शब्द है। कर्ता कारक एक वचन में यह शब्द 'आत्मा' बनता है। इस प्रकार आत्मा का सरल अर्थ हुआ 'जो सतत गतिशील है'।

आचार्य शङ्कर आत्मा शब्द की व्याख्या करते हुए लिङ्ग पुराण से यह श्लोक उद्धृत करते हैं-

“यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयानिह।

यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥”

(जो व्याप्त करता है, ग्रहण करता है, सम्पूर्ण विषयों का भोग करता है और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है, उसको आत्मा कहा जाता है।)

निर्भर:- आत्मनिर्भर का दूसरा शब्द है निर्भर। निर्भर शब्द बना है: निर् + भृञ् + अच् से। यहां निर् उपसर्ग है। निर् उपसर्ग रहित या निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाता है जैसे- निर्जन (जन रहित), निरपराध (अपराध रहित), निराकार (आकार रहित), आदि। भृञ् धातु के साथ अच् अर्थात् स्वर जोड़ने पर रूप बनेगा -‘भर’। निर्+भर= निर्भर का अर्थ हुआ ‘... के बिना पालन रहित’। जब कहा जाता है कि ‘रमेश मोहन पर निर्भर है’ तो इसका अर्थ होता है - रमेश का पालन या भरण मोहन के बिना नहीं है।

आत्मनिर्भर का अर्थ और परिभाषा:- आत्मनिर्भर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ‘आत्म’ और ‘निर्भर’, यह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। ‘आत्म’ शब्द का आशय स्वयं से हैं और ‘निर्भर’ शब्द से आशय उन सभी कामों से हैं जो आप खुद करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। आत्मनिर्भरता आपको दूसरों की परवाह किए बिना, वो करने की आजादी देती है जो आप चाहते हैं। साथ ही, अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अधिक आत्मनिर्भर लोग खुद को ज्यादा खुश महसूस करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी जिन्दगी को अपने हाथों में लेने के काबिल हो जाते हैं, तब ज्यादा राहत और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। दुनिया निर्भरता पर आधारित है। अर्थात् दुनिया में जो भी कुछ है वो किसी न किसी पर निर्भर है और ये निर्भरता ही दुनिया को संचालित करती है।

दुनिया में सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं फिर चाहें वो व्यक्ति, समाज, शहर हो या राज्य, देश, महाद्वीप आदि ये सब एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, और होना भी चाहिए लेकिन किस हद तक? क्योंकि निर्भरता जब अत्यधिक हो जाती है तब ये कमजोर बना देती है। और इसलिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना चाहिए।

आत्मनिर्भर भारत के आयाम:-

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्मकेंद्रिता से अलग है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम् की संकल्पना में विश्वास करता है। क्योंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण या संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

आत्मनिर्भरता का महत्व एवं लाभ:-

- (क) **आत्मविश्वास में वृद्धि:-** आत्मनिर्भर व्यक्ति में दूसरों से ज्यादा आत्मविश्वास होता है।
- (ख) **साहस में वृद्धि:-** आत्मनिर्भर व्यक्ति में किसी दूसरे पर अवलंबित इंसान की तुलना में अधिक साहस होता है।
- (ग) **नेतृत्व के गुण में वृद्धि:-** आत्मनिर्भरता से नेतृत्व के गुण में वृद्धि होती है।
- (घ) **श्रेष्ठ की छवी बनना:-** आत्मनिर्भर व्यक्ति में दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ छवी बनती है जिसके प्रति समाज में सब आदर भाव रखते हैं।
- (ङ) **दूसरे होंगे आप पर निर्भर:-** आत्मनिर्भर होने से अन्य लोग आप पर निर्भर होने लगते हैं, क्योंकि समाज कमजोरों पर नहीं बल्कि बलवानों पर निर्भर है।
- (च) **समाज में सम्मान:-** आत्मनिर्भरता समाज में व्यक्ति को मान और सम्मान दिलाती है, यानि समाज उसकी इज्जत करता है, जो समाज पर कम अवलंबित होते हैं।
- (छ) **श्रेष्ठ पद पर पहुंचाने में मददगार:-** आत्मनिर्भरता व्यक्ति, समाज, राज्य, देश आदि को श्रेष्ठ पद पर पहुंचाने का बहुत ही उत्तम जरिया है। क्योंकि श्रेष्ठ पद पाने के लिए व्यक्ति में बल, साहस, निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुण होने चाहिए जो आत्मनिर्भरता से प्राप्त होते हैं।

साहित्य सृजन में आत्मनिर्भर भारत:-साहित्यिक स्रोत-

साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं-

1. धार्मिक साहित्य - ऐतिहासिक स्रोत
2. धर्मोत्तर साहित्य - ऐतिहासिक स्रोत

धार्मिक साहित्य :

धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। भारतवर्ष अति प्राचीन काल से धर्म प्रधान देश रहा है। प्राचीन काल में भारत में मुख्यतः तीन धर्मों की प्रधानता थी- ब्राम्हण या हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इन धर्मों के धर्मग्रंथ भी अपनी अपनी धर्म की विशेषताओं के साथ साथ अलग अलग समय के इतिहास वर्णन की क्षमता रखते हैं।

धार्मिक साहित्य को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। 1. ब्राम्हण साहित्य 2. बौद्ध साहित्य 3. जैन साहित्य

ब्राम्हण साहित्य:- ब्राम्हण ग्रंथों में सर्वप्रमुख स्थान वेदों का है। इसके अतिरिक्त वेदांग, उपनिषद्, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियां, आरण्यक, उपवेद, समेत सूत्र ग्रंथ भी इतिहास संबंधी जानकारी देते हैं।

वेदः ऐतिहासिक स्रोत- वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। यह ब्राम्हण साहित्य में सर्वप्राचीन है तथा इतिहास बोध में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वेदों के संकलन कर्ता महर्षि द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये 4 हैं- ऋग्वेद-ऋचाओं के संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। यह प्राचीनतम वेद है, इसकी रचना लगभग (1500-1000) ई.पू. में सप्तसैधव प्रदेश (पंजाब) में की गई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त उपनिषद् हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्मग्रन्थ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गये हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किन्तु मुख्य उपनिषद् 19 हैं। (वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित) एवं 10462 ऋचायें हैं।

सामवेद- इसकी रचना (1000-600) ई.पू. में कुरु पांचाल देश में की गई थी। साम का शाब्दिक अर्थ होता है 'गान'। अतः यह गायी जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें 75 मौलिक मंत्र हैं, शेष ऋग्वेद से उद्धृत हैं।

यजुर्वेद- यजुर्वेद:- इस वेद का रचनाकाल (1000-600) ई.पू. माना जाता है। इसकी रचना कुरु-पाञ्चाल देश में की गयी। यजुर्वेद शब्द यजुः शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'यज्ञ'। इसमें तत्कालीन समय के समाज में होने वाले यज्ञ कर्मकांडों, राज्याभिषेक, आदि की पर्याप्त जानकारी मिलती है।

अथर्ववेद :- इस वेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा (1000-600) ई.पू. में की गयी। इसमें 20 काण्ड और 731 मंत्र हैं।

आरण्यक:- आरण्यकों का रचना काल 1000 ई.पू. से 600 ई. पू. है। आरण्यकों की संख्या 6 है।

उपनिषद्:- उपनिषद् हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्मग्रन्थ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गये हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किन्तु मुख्य उपनिषद् 19 हैं।

वेदांग:- वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ये 6 हैं -

(1) शिक्षा (2) कल्प (3) व्याकरण (4) निरुक्त (5) छंद और (6) ज्योतिष। ये सब वेदों के अंग समझे जाते थे।

स्मृतियाँ:- स्मृतियों का स्थान भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उच्च है। ये पद्य में हैं। सूत्र साहित्य के बाद स्मृति शास्त्र का उदय हुआ। स्मृतियों का रचना काल 200 ई.पू. से 600 ई. तक है।

महाकाव्य:- वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्यों का समय आता है।

पुराण:- भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है।

इनकी संख्या 18 है। इनकी रचना का श्रेय सूत लोमहर्षण व उनके पुत्र उग्रश्रवा या उग्रश्रवस को जाता है। पुराणों का रचना काल 400 ई.पू. से 400 ई. के मध्य माना जाता है। 'पुराण' का शाब्दिक अर्थ 'प्राचीन' होता है। अतः पुराण साहित्य के अंतर्गत वे समस्त प्राचीन साहित्य आते हैं जिसमें प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि का वर्णन हो।

बौद्ध साहित्य:-बौद्ध मतावलंबियों ने जिस साहित्य का सृजन किया उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए प्रचुर सामग्रियाँ निहित हैं। ये बौद्ध ग्रंथ बौद्ध काल के विषय में पर्याप्त जानकारी देते हैं। तथा इनसे महाजनपद काल के राजाओं, राजवंशों तथा राज्य क्षेत्रों की भी जानकारी मिलती है। तथा उनके द्वारा अपनाए गए धर्मों की भी जानकारी मिलती है। इन्हीं ग्रंथों में बौद्ध संघ, भिक्षुओं, भिक्षुणियों, के लिए आचरणीय नियम/विधान वर्णित है। बौद्ध ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक (विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक) हैं। बौद्धों का मत है कि उनके पिटकों का संकलन बौद्ध संगीतियों में किया गया। त्रिपिटक' बौद्ध ग्रंथों में प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक के नाम हैं-विनयपिटक सुत्तपिटक, एवं 'अभिधम्म पिटक'। विनयपिटक एवं सुत्तपिटक का संकलन प्रथम बौद्ध महासंगीति (483 ई.पू.) में या 'अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध महासंगीति (2 ई.पू.) में हुआ। त्रिपिटक से ईसा से पूर्व की सदियों के भारत के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।

जैन साहित्य:- जैन आगम, कल्पसूत्र, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सुत्त, उत्तराध्ययन सूत्रयह श्वेतांबर पंथ का ग्रंथ है। इसमें महावीर के निर्वाण के कुछ समय पहले दिए गए उपदेश संग्रहित हैं। आचाराग सुत्त में जैन भिक्षु के आचार-नियमों का उल्लेख है।

धर्मेत्तर साहित्य:-कौटिल्य कृत "अर्थशास्त्र", कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनी की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का "मुद्राराक्षस", कात्यायन के वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य, शुक्रनीतिसार आदि साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं अनेक साहित्यिक ग्रंथ हिन्दी के साथ विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं

आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह दूरदर्शी दर्शन है जिसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अवतरित होकर अपनी छवि को निखार सकेगा। इस अभियान को सफल बनाकर भारत अपनी बुलंदियों और उपलब्धियों को छूते हुए सदियों पुरानी अपने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' आदर्श को पुनर्स्थापित कर पूरे विश्व को प्रभावित कर सकेगा।

निष्कर्ष:- कहा जा सकता है हमारा देश विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृतियों का अजायबघर है यहां विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं उनकी अपनी भाषा रीति रिवाज प्रथा और परंपराएं हैं भारत देश में लगभग 1000 भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे भारतीय संविधान सभा ने 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है इन सभी भाषाओं में प्राचीन काल से लेकर अब तक विराट फलक पर धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन हुआ है रक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि आदि क्षेत्रों में भारत निरंतर विकास कर रहा है "रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डी.आर.डी.ओ. द्वारा प्रकाशन कार्य निरंतर जारी है" और इस क्षेत्र में साहित्यकार और वैज्ञानिक अपना पूर्णरूपेण योगदान दे रहे हैं भारत साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है किन्तु वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के दौर में पूरा विश्व विश्व ग्राम बन गया है ऐसी स्थिति में जिस ज्ञान की हमारे पास कमी है उसको दूसरे राष्ट्रों से अर्जित करने में कोई बुराई है कबीर दास जी ने कहा

साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय । सार सार को कह रहे थोथा देई उड़ाय ॥

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. हिंदी साहित्य कोश-संपादक धीरेंद्र वर्मा
2. साहित्यिक निबंध-गणपति चंद्रगुप्त पृष्ठ 4
3. यास्क-‘निरुक्त’,
4. लिङ्ग पुराण-आचार्य शङ्कर ,चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी का आवरण पृष्ठ
5. कतकव. हवअ. पद डीआरडीओ ई-जर्नल सेवाएं 01 जनवरी 2009 से अस्तित्व में आई।
6. धार्मिक साहित्य-ऐतिहासिक स्रोत 2. धर्मेत्तर साहित्य-ऐतिहासिक स्रोत
7. नैट स्रोत

सामाजिक उत्थान और आत्म निर्भर भारत

डॉ० रीना उनियाल तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विभाग, डी.ए.वी. (पी.जी.) कालेज, देहरादून, उत्तराखण्ड

सार

हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। इस सम्पूर्ण विश्व का एक भाग होने से, भारत का विकास, विश्व का विकास है। आत्मनिर्भर भारत, की संकल्पना में, भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और उपयोगी हिस्सा बनाने और स्व-उत्पादक होने की अवधारणा निहित है। भारतीय लोकतंत्र के आत्मनिर्भर होने का उद्देश्य और अर्थ, लोकतंत्र के बहुसंख्यकों (किसानों और मजदूरों) की आत्मनिर्भरता से ही संभव है। इसके लिये राष्ट्र को वो साधन और संसाधन सुनिश्चित करने होंगे जिसे पाकर किसान, मजदूर, भारतवर्ष का बहुसंख्यक वर्ग अपने परिवार और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। आर्थिक आत्मनिर्भरता को महात्मा गांधी राजनैतिक स्वाधीनता की कुंजी कहते थे।

आत्मनिर्भर भारत से ही सामाजिक उत्थान सम्भव है। सामाजिक उत्थान के द्वारा ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रस्तुत लेख में आत्मनिर्भर भारत के लिये चुनौतियाँ, नीतियाँ एवं उनके क्रियान्वयन के द्वारा सामाजिक उत्थान की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्दावली-आत्मनिर्भरता, सामाजिक उत्थान, आत्मनिर्भर भारत योजना, मुख्य स्तम्भ, चुनौतियाँ, नीतियाँ एवं क्रियान्वयन।

प्रस्तावना- जीवन में परिवर्तन लाना है तो आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता से ही समाज का विकास संभव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता एक अत्यंत जटिल एवं विवादास्पद विषय है, परन्तु जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़त बेरोजगारी के प्रतिस्पर्धात्मक युग में आत्मनिर्भरता ही एक मात्र विकल्प है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक अभियान के रूप में देश की जनता के सम्मुख दूरदर्शी दर्शन के रूप में रखा है। इसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अवतरित होकर अपनी छवि को निखार सकेगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और यात्रा भारत के प्रत्येक लोक जन को सशक्त बनाने की यात्रा है।

उत्तर आधुनिकता के इस युग में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण जैसी प्रक्रियाओं के साथ मानव की भौतिक आवश्यकताओं में असीमित वृद्धि हुई है। रोजगार के बड़े स्तर में लोगों की सहभागिता भी बढ़ी और परम्परागत कार्य, हुनर एवं अपनी पहचान पीछे छूटती चली गई। बाजार वादी व्यवस्था के पैर जमाने से आर्थिक, शैक्षणिक, तकनीकी क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी कमजोर पड़ गई। इससे देशों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी कमजोर हुई। आज अधिकांश देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से उत्पादित वस्तुओं के सहारे जीवन को गति दे रहे हैं। ऐसे में रोजगार और कार्यक्षमता दोनों प्रभावित हुए। ऐसी स्थिति में कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के दौरान यह एहसास किया गया कि यदि आने वाले समय में यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बने तो, एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरी ओर भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीबी के दलदल की तरफ बढ़ती जाएगी। इस स्थिति में समाज के प्रत्येक तबके की उन्नति और सुखद जीवन के लिए, एक बार फिर लोगों को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भर- यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। यह 'आत्म' और 'निर्भर' दो शब्दों से मिलकर बना है।

आत्म-स्वयं से

निर्भर-वे सभी काम जो मनुष्य करता है अथवा दूसरों से करवाता है।

आत्मनिर्भरता-दूसरों पर आश्रित होने के बजाय स्वयं पर निर्भर होना।

आत्मनिर्भरता, मनुष्य को जो वह चाहता है, वो करने की आजादी देती है।

अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अधिक आत्मनिर्भर व्यक्ति स्वयं को ज्यादा प्रसन्न अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने जीवन को अपने हाथों में लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं तब ज्यादा राहत और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। इस संसार में सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं फिर चाहे वो व्यक्ति, समाज, शहर हो या राज्य। सभी देश, महाद्वीप आदि सब एक दूसरे पर ही निर्भर हैं और होना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि दूसरे पर निर्भरता किस हद तक? दूसरों पर निर्भरता जब बहुत बढ़ जाती है तब ये कमजोर बना देती है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरों पर हमारी निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भरता का महत्व एवं लाभ -

(क) आत्मविश्वास में वृद्धि- आत्मनिर्भर व्यक्तियों में दूसरे व्यक्तियों से अधिक आत्मविश्वास होता है।

(ख) साहस में वृद्धि- आत्मनिर्भर व्यक्ति में किसी दूसरे पर आश्रित व्यक्ति से अधिक साहस होता है। वह निर्णय लेने में, किसी कार्य को करने में कभी घबराता नहीं है।

(ग) नेतृत्व के गुण- आत्मनिर्भरता से नेतृत्व के गुण में वृद्धि होता है।

(घ) श्रेष्ठ छवि बनना- आत्मनिर्भर व्यक्ति में दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ छवि बनती है, जिसके प्रति समाज में सभी का आदर होता है। साहस में वृद्धि- आत्मनिर्भर व्यक्ति में किसी दूसरे पर आश्रित व्यक्ति से अधिक साहस होता है। वह निर्णय लेने में, किसी कार्य को करने में कभी घबराता नहीं है।

नेतृत्व के गुण- आत्मनिर्भरता से नेतृत्व के गुण में वृद्धि होती है।

श्रेष्ठ छवि बनना- आत्मनिर्भर व्यक्ति में दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ छवि बनती है। जिसके प्रति समाज में सभी का आदर प्राप्त होता है।

आत्मनिर्भर व्यक्ति पर दूसरे निर्भर- आत्मनिर्भर होने से अन्य लोग आप पर निर्भर होने लगते हैं। समाज बलवानों पर निर्भर करता है, कमजोरों पर नहीं।

सम्मान प्राप्ति- आत्मनिर्भरता व्यक्ति को मान और सम्मान दिलाती है।

श्रेष्ठता की ओर ले जाना- आत्मनिर्भरता व्यक्ति समाज, राज्य, देश आदि को श्रेष्ठ पद पर ले जाने का बहुत ही बल, साहस, निर्णय लेने की क्षमता, परिश्रमशीलता, आदि गुणों को विकास होता है, जो उसे श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बनाते हैं।

आत्मनिर्भरता एक विकल्प है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पूर्ण रूप में आत्मनिर्भरता एक अत्यंत जटिल एवं विवादास्पद विषय है। परन्तु जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी के प्रतिस्पर्धात्मक समय में आत्मनिर्भरता ही एकमात्र विकल्प है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान एक दूरदर्शी दृष्टि है जो हमारे देश को प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलम्बी बना कर अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा देती है। यह अभियान देश की विदेशी निर्भरताओं को समाप्त कर, बाह्य वस्तुओं पर निर्भरता को नियंत्रित करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले स्वदेशी उत्पादों को अपने देश में तैयार करने की सीख देता है। कोरोना माहमारी से उत्पन्न विवशता और आर्थिक तनाव को दूर करने हेतु 12 मई 2020 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' प्रारम्भ करने की घोषणा की। यह अभियान मुख्य रूप से भारतीय संसाधनों से निर्मित वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाने की मंत्रणा देता है। इसके अंतर्गत घोषित विविध कार्यक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि इस अभियान का उद्देश्य भारत के उद्योगों में सुधार लाकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन करता है। आत्मनिर्भर भारत का मूलमंत्र, इस अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों, गरीबों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिये की गई घोषणाएं हैं। वैश्वीकरण को समाहित करते हुए विश्व कल्याण इस अभियान की प्रमुख देन है।

आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

पृष्ठभूमि

कोविड-19 माहमारी का विश्व व्यापी प्रभाव- कोविड-19 माहमारी के फैलाव का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल के रूप में दिखाई दिया। विमान यात्राएँ बंद होना, पर्यटन का थम जाना, मनोरंजन उद्योग का बंद होना, विभिन्न देशों की सीमाएँ बंद होने, वैश्विक श्रम बल के अनुमानतः 38 प्रतिशत भाग पर रोजगार का संकट, तेल संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लड़खड़ा जाने से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कई आवश्यक उत्पादों और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता के चलते देश की स्थिति बिगड़ गई। भारत की वर्तमान विशाल जनसंख्या के साथ स्वास्थ्य, कृषि, तकनीकी पर्यावरण संरक्षण की संभावनाओं को देखते हुए देश के शीर्ष नेतृत्व ने एहसास किया कि चीन पर निर्भरता को कम कर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नजरअंदाज किए बिना आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर आधारित अर्थव्यवस्था को तैयार किया जाना चाहिए।

देश की बेहाल अर्थव्यवस्था, बाह्य निर्भरता, विशाल जनसंख्या, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियाँ, कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण, वसुधैव-कुटुम्बकम् (भारत स्वयं विकास करते हुए विश्व की प्रगति में योगदान दे), देश के नेतृत्व और देशवासियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की शुरुआत नए ढंग से की गई।

प्रमुख स्तम्भ

आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख पाँच स्तम्भ हैं-

- (क) **अर्थव्यवस्था-** देश की वर्तमान मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित की जाए जो वृद्धिशील परिवर्तन की जगह लम्बी छलांग पर आधारित हो।
- (ख) **आधारभूत संरचना-** जो आधुनिक भारत की पहचान बन कर विदेशी कम्पनियों को आकर्षित करें।
- (ग) **प्रौद्योगिकी-** एक ऐसी आधुनिक प्रणाली जो 21वीं सदी के सपनों को साकार करें। उसमें समाज और देश डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाने की क्षमता है।
- (घ) **गतिशील जनसांख्यिकी-** भारत की जीवंत गतिशील सांख्यिकी, आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत और ऊर्जा का अनवरत स्रोत है। इसका उपयोग कर भारत आत्मनिर्भर बन कर 'वसुधैवकुटुम्बकम्' की भावना को साकार कर सकता है।
- (ङ) **माँग-** भारत के पास अपना बड़ा घरेलू बाजार और माँग दोनों हैं। माँग और पूर्ति की प्रक्रिया की पूरी क्षमता से उपयोग कर भारत वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता के अभियान को सफल बना सकता है।

बहुआयामी क्षेत्र- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। करीब 20 लाख करोड़ रुपये का यह आर्थिक पैकेज देश के विकास से संबंधित बहुआयामी क्षेत्रों के लिए है। यह आर्थिक पैकेज- करोड़ों भारतीयों की आजीविका के प्रमुख साधन-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

उद्योगों के पुनर्जीवन और विकास से संबंधित है। भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केन्द्रित यह आर्थिक पैकेज कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, मजदूरों, मध्यम वर्ग सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये 'वोकल फार लोकल' के नारे से स्थानीय उत्पादों का गर्व से प्रचार करने और इन उत्पादों को वैश्विक बनाने में मदद मिलेगी। स्थानीय उत्पाद देशवासियों की जरूरत के साथ-साथ जिम्मेदारी भी है। हमारा देश तब तक अपने पैरों पर खड़ा होकर उत्थान नहीं कर सकता है, जब तक कि देशवासी स्वयं स्थानीय उत्पाद खरीद कर गर्व से उनका प्रचार नहीं करते। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के स्वप्न को तभी साकार किया जा सकेगा जब घरेलू बाजार में नेतृत्व के लिए स्थानीय ब्रांड को तकनीकी विशेषता, बेहतर गुणवत्ता और किफायती दर पर निर्मित किया जाए। आत्मनिर्भर भारत के मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौनों जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहनों को सुनिश्चित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए विभिन्न क्रेडिट गारन्टी योजनाओं के साथ-साथ सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने, बड़े उद्योगों, कारखानों को लगाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है।

सामाजिक उत्थान-सामाजिक उत्थान का अर्थ है-समाज में स्तर में परिवर्तन तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन की विशेषता और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन।

सामाजिक जीवन और आर्थिकी दोनों को बढ़ाने के लिए सामाजिक उत्थान आवश्यक है। सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक उत्थान की दिशा में गरीबी बेरोजगारी शिक्षा की कमी, स्त्री सशक्तिकरण की कमी बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। समाज व्यक्तियों से बनता है किसी देश के निवासी, शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न कौशलों को सीख कर, आत्मनिर्भर बनते हैं तथा स्वयं, समाज, राज्य, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। आर्थिक संपन्नता से समाज में उनकी स्थिति में सुधार आता है। सामाजिक उत्थान से तात्पर्य- जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों, आवश्यकताओं, इच्छा पूर्ति हेतु सक्षम होना है।

आत्मनिर्भर भारत योजना द्वारा सामाजिक उत्थान-

उत्थान-आत्मनिर्भरता की अवधारणा एवं इसका सफल क्रियान्वयन, भारत को आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान की ऊँचाईयों की तरफ ले जाएगा, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होने से राष्ट्र सशक्त एवं मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत, मात्र एवं अभियान ही नहीं, वरन् एक विचार है जो स्वदेशी मॉडल से प्रभावित है। इस अभियान द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपभोग, स्वयं उन वस्तुओं का उत्पादन ताकि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता में कमी लाते हुए उसे समाप्त किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान से विविध क्षेत्रों में सर्व जन की सहभागिता बढ़ने से बेरोजगारी और गरीबी कम होगी, जिससे सामाजिक उत्थान भी संभव होगा।

आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक उत्थान के विभिन्न पक्ष-

- **निजी क्षेत्रों को महत्व**- शिक्षा, तकनीकी, हुनर, कौशल के आधार पर जनसंख्या के अधिकांश भाग, अन्तिम व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना, रोजगार प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मुख्य लक्ष्य है। इससे व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम होंगे, सरकारी क्षेत्रों पर निर्भरता कम होगी। जिसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्रों को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।
- **समान अवसर की उपलब्धता**- भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा लोक जन के ज्ञान, हुनर, क्षमता के आधार पर उन्हें कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण, सस्ते दर पर ऋण, कच्चे माल, बाजार के साथ विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने से सभी को समान अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा।
- **क्षेत्रीय पहचान**- विगत कुछ दशकों में आधुनिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप लोग आधुनिक संसाधनों को बड़े स्तर पर अपनाते हुए, दूसरे देशों से निर्मित वस्तुओं पर आश्रित होने लगे। भारत की क्षेत्रीय पहचान एवं उससे जुड़ी कलायें जो कि उसकी सांस्कृतिक पूंजी है, को आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और बड़े स्तर पर लोगों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित होने से उनका सामाजिक उत्थान भी संभव है।
- **परम्परागत रोजगारों का निर्माण एवं परम्परागत बाजारों की पुनः स्थापना**- भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ परम्परागत एवं हस्त निर्मित सामग्रियों के स्थान पर मशीनों एवं आधुनिकी से निर्मित एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली वस्तुओं का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जैसा कि मिट्टी के कुल्हड़ के स्थान पर प्लास्टिक एवं कागज के कप, दियों के स्थान पे चाईनीज लड्डियाँ आदि। परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन एवं उपयोग से एक ओर मृत पड़े परम्परागत रोजगारों के सृजन के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। परम्परागत बाजारों की पुनः स्थापना से लोग अपने द्वारा निर्मित सामान को बिना बिचौलियों के माध्यम से बेच सकते हैं। जहाँ हमें उसका निर्धारित मूल्य प्राप्त होने से बेरोजगारी, गरीबी दूर होगी एवं देश आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के पथ पर आगे बढ़ेगा।
- **बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से मुक्ति**- बेरोजगारी और उसके कारण गरीबी से अधिकांश जनसंख्या का सामाजिक स्तर बहुत निम्न है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से दक्ष लोगों को और व्यक्ति की क्षमता एवं सामर्थ्य के आधार पद काम प्रदान करके बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी जैसी विकराल समस्याओं से बाहर निकाला जा सकता है।
- **शिक्षा के क्षेत्र में सबकी भागीदारी**- शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी की पूर्ण भागीदारी में गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, वे महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिससे भारत की जनशक्ति एवं उनके आश्रित अपनी शैक्षणिक यात्रा पूर्ण कर सकें एवं सामाजिक उत्थान कर सकें।

- **वोकल फार लोकल गाँव, कस्बा, शहर सभी बाजार की ओर-** 'बाजार तक जन्म लेता है जब किसी सेवा अथवा वस्तु की पूर्ति करने वाले नई व्यक्ति हों और कई व्यक्ति अपना संगठन, उस वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करना चाहते हों'-हेरी, एम. जानसन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फार लोकल के संदेश के साथ स्थानीय और स्वदेशी निर्माण स्थानीय बाजार तथा स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं पर बल देता है। लोग अपने हुनर एवं कार्यक्षमता के आधार पर रोजगार करके बाजार खड़ा कर सकते हैं। स्वयं के रोजगार से गाँव, कस्बा, शहर की यात्रा बाजार की तरफ आगे बढ़ेगी।
- **विश्व गुरु भारत के वसुधैव कुटुम्बक के विचार को साकार रूप-** भारत देश की प्राचीनतम संस्कृति मूल्य एवं मान्यताएँ, मानवतावाद को स्थापित करती है। हमारे देश की वसुधैव कुटुम्बक की विचार परंपरा उसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करती है। आत्मनिर्भर भारत योजना के द्वारा आने वाले समय में हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में समर्थ होगा। भारत की मानवतावादी विचारधारा निरन्तर आगे बढ़ती रहेगी। यह समर्थता हमारे विश्व गुरु के स्वप्न को एक बार पुनः साकार करेगी।
- **मजबूत राष्ट्र-** आत्मनिर्भर भारत अभियान से लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी। स्थानीय एवं लोक कलाओं, कौशलों, रोजगारों को पुनर्जीवित करके हम अपनी परम्परागत संस्कृति का संरक्षण भी करेंगे, लोगों के सशक्त होने से राष्ट्र भी सशक्त एवं मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा अपनी खोई पहचान को स्थापित करके, प्रत्येक लोक जने को सशक्त बनाने की यात्रा है।

निष्कर्ष- प्रस्तुत पत्र के अन्तर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा है। क्षेत्रीय पहचान को पुनः स्थापित करने के साथ-साथ परम्परागत रोजगारों, बाजारों को पुनर्जीवित करने की संकल्पना है। देश में विचारों के विभिन्न गुटों से बँटे व्यक्तियों को, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने, वसुधैव कुटुम्बकम्, संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण और हस्तांतरण की दिशा में किया जाने वाला सार्थक प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक लोक जन, विविध स्तरों पर आत्मनिर्भर बन, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। भारत आर्थिक विकास की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा जिससे सामाजिक उत्थान भी संभव हो सकेगा। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन और संचालन से देश को अनेक लाभ होंगे-प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि, रोजगार के अधिक अवसर, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, अन्य देशों से आयात कम और निर्यात अधिक, स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण से तरक्की, संकट के समय बाहरी देशों पर निर्भरता की कमी से राष्ट्र की मजबूती, आत्म गौरव और आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति लोगों का लगाव, समर्पण और दृढ़ संकल्प से भारत आने वाली सदी की सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहेगा और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर होगा।

संदर्भ-

1. आयरिस एलिसा, 'भारत की नई आत्मनिर्भरता', Council on Foreign Relations] 12 May 2020 www.cfr.org-translate-goog
2. चौरसिया दुर्गेश, कुमार, रंजीत रंजन, 'राग' ज्ञानेन्द्र कुमार, कुमार, सिद्धार्थ, प्रवीण शैली आत्मनिर्भरता: विकल्प अथवा अवसर, Krishijagaranhindi-krishijagarn-com] 9 Aug- 2021
3. नटराजन, अशोक, सामाजिक विकास की चुनौतियाँ, Cadmus 6 Nov. 2020, <https://www.cadmusjournal.org>
4. पोखरियाल, संजय, आत्मनिर्भरता का प्रयास रोजगार और आय संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। <https://www.jagarn.com/editorial/apnibaat-self-relianc-efforts-can-play-an-important-role-in-employment>. 30 July 2020
5. राय, गांधीजी, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान की अवधारणा'- प्रमुख क्षेत्र एवं संभावनाएँ
6. लहरी, विमल कुमार, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान: संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक परिवर्तन की एक नई यात्रा, 'अधिगम' अंक 19 जून 2021
7. आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा आर्थिक प्रोत्साहन, <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/self-reliant-india-mission-and-economic-stimulus>.
8. आत्मनिर्भरता से समाज का विकास संभाव, <https://www.jagran.com>jharkhand>
9. आत्मनिर्भरता के अर्थ और अनर्थ, <https://downtoearthorg.in>, 18 May 2020
10. आत्मनिर्भरता Stem Learning Mishra Krishna, <https://stemlearning-in> 1 July 2020
11. आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2021, <https://hindi.nushq.org/aatm-nirbhar-bharat-abhiyan/>

‘साहित्य में आत्मनिर्भर भारत’

मनोज मोदनवाल

शोधछात्र हिन्दी विभाग, एम०एम०एच० कॉलेज, गाजियाबाद,,संबद्ध-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

शोध सारांश-

आत्मनिर्भरता किसी भी देश की प्राथमिक पहचान होती है। जब हम आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषा एवं साहित्यिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे तभी विश्व में हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी। ‘आत्मनिर्भर भारत’ भारत सरकार के सभी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, जिसमें साहित्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और भारतीय समीक्षकों तथा कवियों द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? तथा साहित्य के प्रगति के लिए कौन-कौन से मापदण्ड अपनाये गये और इसकी सीमाएँ क्या रही हैं? इस शोध आलेख में इन्हीं बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक तार्किक तथा तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द-आत्मनिर्भर भारत, साहित्य का स्वरूप, साहित्य पर मीडिया का प्रभाव, शिक्षा व साहित्य पर कोरोना महामारी का प्रभाव, भूमण्डलीकरण का साहित्य पर प्रभाव।

यदि सामान्य रूप में देखा जाय तो आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं पर जातिता होता है। जिसका तात्पर्य अपनी इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य पर आश्रित न होना। यह कहा जाता है कि आत्मनिर्भर जीवन जीना पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। दुनिया-भर के सभी जीवों की मूल प्रवृत्ति अपने सन्तानों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। जिसमें जीव-जन्तु, पक्षी पर्यंत से लेकर दुनिया के समस्त जीवों ने अपने नवजात शिशुओं को भोजन का प्रबन्ध करना और स्वतंत्र रहना सिखाते हैं। मनुष्य भी अपने बच्चों को जन्म से लेकर आजीविका अर्जित करने योग्य बनने तक भोजन, आश्रय, शिक्षा तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

किसी देश के लिए आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य यह है कि वह देश आर्थिक क्षेत्र में तथा उत्पादकता में और भाषा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक तथा साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध हो। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारे सभी गतिविधियों का विकास भी होता रहता है। और जब हम, दूसरे के अधीन रहते हैं तो जीवन जीने के समस्त साधन उपलब्ध होने पर भी स्वस्थता मस्तिष्क तथा सुख-शांति व सुकून की प्राप्ति नहीं होती है जिसे ‘पराधीन सपनें सुख नहीं’ उक्ति इसी यथार्थ को चरितार्थ करती है।

इक्कीसवीं शताब्दी के हर क्षेत्र में बहुत ही उथल-पुथल समय रहा है इस समय के हर क्षेत्र में परिवर्तन की लहर गुंज रही थी तभी मानवता के सभी कार्यक्षेत्रों को विध्वंस करने के लिए कोरोना जैसे महामारी का प्रकोप पूरे विश्व स्तर पर दिखाई दिया। एक तरह से यह भी ज्यादा अत्याधुनिक बनने का ही परिणाम रहा है और चीन जैसे देशों के महागलतियों के कारण पूरा विश्व इस कहर को भोगता हुआ दिखाई दिया। इसका परिणाम यह रहा कि जीवन और आजीविका दोनों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। दुनिया में अद्वितीय मंदी छा गयी। विश्व के सभी देशों के जी.डी.पी. में तीव्र संकुचन हुआ और अर्थव्यवस्था को भी भारी क्षति पहुँची। समस्त देशों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाये गये जिसमें भारत जैसे देश में भी जीवन और आजीविका में से किसी एक को बचाने की विवशता उत्पन्न हो गई चूँकि श्रमिक प्रणाली ही धर्मस्य प्रथमांकुरः’ तात्पर्य यह है कि आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही प्रथम धर्म है। ऐसे में आत्म निर्भरता जैसे शब्द का कितना महत्व है इसे भी देखा जा सकता है।

हम कितने आत्मनिर्भर हैं यह हमारे प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है जिसे शिवबहाल सिंह ‘ने अपनी पुस्तक ‘विकास का समाजशास्त्र’ में कहा है कि, “कोई भी देश और समुदाय आत्मनिर्भर होना चाहेगा। बड़े देश अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों एवं कच्चे माल की बदौलत उन छोटे देशों की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भरता का दावा कर सकते हैं, जो प्राकृतिक सम्पदा में उनसे पीछे हैं।”

आजादी के 75वें वर्ष में जब हम आजादी का ‘अमृत महोत्सव’ मना रहे हो तब हमें एक नये भारत की परिकल्पना करनी चाहिए। जो हमें हमारा पुराना गौरव वापस दिला सके। यह सपना तभी साकार रूप में परिवर्तित दिखाई देगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। हमें अपने शक्ति का संचय करना कितना आवश्यक है इस बात की पुष्टि कवि जयशंकर प्रसाद के पंक्ति में देखा जा सकता है-

“शक्ति के विद्युत्कण, जो व्यस्तर विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय।”²

ऐसे विषम परिस्थितियों में जरूरी है कि हम और हमारा राष्ट्र हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जिसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हुए राहत पैकेजों की घोषणा की गयी। उसी दौरान ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की भी घोषणा की गयी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुवात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 12 मई 2020 को हुई किया गया। इसकी शुरुवात तब की गई जब वे कोविड महामारी के दौरान आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। इस अभियान में पाँच आधार स्तम्भ बताये गये हैं जो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली, जीवन्त जनसांख्यिकी, माँग आदि को आधार बनाया गया है। जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों पर आर्थिक पैकेजों का अनुदान दिया

गया, जिसमें शिक्षा और साहित्य पर आवश्यकता से कम ध्यान दिया गया जो की इन दोनों का एक स्वस्थ और समृद्धशील समाज बनने में अहम भूमिका होती है। हम वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी शिक्षा और साहित्य के मामले में कितने आत्मनिर्भर थे इस बात की पुष्टि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्ता की रचना ग्रन्थ 'भारत-भरती' के इस पंक्ति में देखा जा सकता है-

“जिसकी प्रभा के सामने रवि-तेज भी फीका पड़ा
अध्यात्म-विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा।
मानस-कमल सबके यहाँ दिन-रात रहते थे खिले,
मानो सभी जन ईश की ज्योतिश्छटा में थे मिलें।”¹³

साहित्य की आत्मनिर्भरता को जीवन की आत्मनिर्भरता स्वीकार किया जाता है। क्योंकि इससे हमारी व्यवहारिक तथा सांस्कृतिक चेतना समृद्ध होती है। जिस बात की पुष्टि अतुल वैभव जनमीडिया पत्रिका के एक लेख में करते हुए कहते हैं कि-

“भाषा अभिव्यक्ति और विचारों को प्रकट करने के साथ-साथ चिंतन करने, संस्कृति निर्माण और साहित्य निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होती है।”¹⁴ इस प्रकार अतुल वैभव जी ने भाषा प्रसार के माध्यम से साहित्य का विस्तार और उसके समृद्धि की बात करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत एक सभ्य नागरिकता वाला देश रहा है और हर समाज की अपनी संस्कृतियाँ होती हैं जिसमें साहित्य का भी पुष्पित और पल्लवरवित होना अनिवार्य हो जाता है इस तथ्य की पुष्टि अतुल वैभव करते हुए कहते हैं कि, “प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और उस संस्कृति की झलक उस भाषा और समाज के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है।”¹⁵

साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं उसका पथप्रदर्शक भी होता है। साहित्य समाज को दिशा देता है, जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध होगा वह उतना ही उसका पहचान विश्व पटल पर प्रदर्शित होता है। इसके लिए हमें साहित्य में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता बराबर बनी रहती है। इस बात की व्याख्या अतुल वैभव अपने लेख में वैज्ञानिक तरीके से करते हुए कहते हैं कि, “साहित्य समाज का निर्माण करता है, साहित्य समाज को दिशा देता है तथा उसे विकासवान बनाए रखता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक पूर्व धारणा पर शोध करके नई धारणाओं की खोज करता है, उसी प्रकार साहित्यकार, साहित्य के माध्यम से अपनी रचनात्मकता (शोध) से समाज को नई दिशा देने का प्रयास करता है।”¹⁶

साहित्य की आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है यह इस बात की पुष्टि करता है कि हम समाज के प्रति कितने जागरूक हैं कितने कवि मैथिलीशरण गुप्त अपनी पुस्तक ‘भारत-भरती’ में कहते हैं कि-

उस साम्प्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए,
सकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए,
मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन-चित्र है,
वह भ्रष्ट है तो सिद्ध फिर वह जाति भी अपवित्र है।”¹⁷

इक्कीसवीं शताब्दी के बाजारीकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का दौर माना जाता है, जिसमें बाजार ने विज्ञापन का सहारा लेकर साहित्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। इस बाजारीकरण का खाका वर्ष 1991 में भूमण्डलीकरण के आगमन से ही खींचा जा चुका था, जो कि आज इसे अपने विस्तार रूप में देखा जा सकता है। हम साहित्य में पूर्ण आत्मनिर्भरता को इस लिए नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि बाजार ने साहित्य को आशा से अधिक प्रभावित किया है। साहित्य ही वह माध्यम है जिसके आधार पर समाज में क्या हो रहा है उसकी प्रस्तुति की व्याख्या करता है जिसमें सभी आयामों को (जैसे-सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक) स्थितियों से जुड़े सभी सरोकार तथा पक्षों को पाठक के समक्ष रखने का काम साहित्य करता है।

इधर कुछ वर्षों से साहित्य का भी जनतंत्रीकरण हो रहा है जिसमें सभी धर्म, सम्प्रदाय तथा लगभग लैंगिक विषमता का भेदभाव लगभग समाप्त हो गया है। इस बात की चर्चा डॉ० माधव हाड़ा अपने एक लेख में डॉ० बाबू जोसफ द्वारा सम्पादित पुस्तक 'भूमण्डलीकरण और हिन्दी कविता' में करते हुए कहते हैं कि, “बाजार की संस्कृति के उत्पाद और उद्योग में बदलने का लाभ यह हुआ है कि इसका उपयोग पहले की तरह अब कुछ वर्गों तक सीमित नहीं रहा। इसके उपभोग में जाति, धर्म, सम्प्रदाय और वैशिक भेदभाव समाप्त हो गया है। साहित्य भी संस्कृति का एक रूप है, इसका भी व्यापक और त्वरित गति से जनतंत्रीकरण हुआ है।”¹⁸

बाजारीकरण ने हमारे साहित्य व भाषा पर ऐसा प्रहार किया है, जिसमें दुनिया को बदलते हुए देखा जा सकता है। यदि सत्य रूप से कहा जाय तो साहित्य के क्षेत्र में हम पूर्ण आत्म निर्भर नहीं हैं क्योंकि मीडिया ने इसे अपने स्वर में जैसा चाहा वैसा कहलवाया है। जिसमें ‘बन गया तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर’ उक्ति चरितार्थ होती है। वैश्वीकरण के दौर में अपनी खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए आज के कविजन प्रतिबद्ध दिखाई पड़ते हैं, जिसमें शशोक वाजपेयी ने अपनी कविता ‘सदी के अन्त में कविता’ में कहते हैं कि-

“अगर वक्त मिला होता
तो मैं दुनिया को बदलने की कोशिश करता
आपकी दुनिया को नहीं
अपनी दुनिया को जिसको सम्हालने-समझने
और बिखरने से बचाने में ही वक्तन बीत गया।”¹⁹

आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे योजनाओं की सुरुवात करने के पीछे सरकार की जितनी मंशा अन्य क्षेत्रों को विकसित करना रहा है, उतनी ही यदि साहित्य के क्षेत्र में कुछ प्रोत्साहन दिया गया होता तो आज साहित्य का सूरत और सीरत दोनों का ही नजरिया कुछ और ही होता।

निष्कर्ष:-

‘आत्मनिर्भर भारत’ भारत सरकार द्वारा चलाये गये सभी योजनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय योजना रही है। जिसके द्वारा अमूल चूल सुधार किया गया। इसी के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत भाषा और साहित्य का भी विकास होता रहा जिसमें साहित्य के गरिमा को बढ़ाने के लिए आज के कवियों में राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, तथा अरुण कमल आदि कवियों ने समाज व साहित्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाये हुए हैं।

संदर्भ ग्रन्थज सूची

1. विकास का समाजशास्त्र, शिवबहाल सिंह, द्वितीय संस्करण 2020 ई0, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ० के.
2. कामायनी, जयशंकर प्रसाद, तृतीय संस्करण 2012, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ० सं. 29
3. भारत-भारती, मैथिलीशरण गुप्त, पैतालिसवाँ संस्करण 2015 ई0, लोकभारती प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ०सं0 37
4. भाषा, साहित्य और संस्कृति पर बाजारवादी मीडिया का प्रभाव, अतुल वैभव, वर्ष-9, अंक- 104, जनमीडिया नवम्बर 2020, सम्पादक-अनिल चमड़िया, दिल्ली, पृ० सं. 16
5. वही, पृ० सं०16
6. वही, पृ० सं.16
7. भारत-भारती, मैथिलीशरण गुप्त, पैतालिसवाँ संस्करण 2015 ई0, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० सं० 130
8. साहित्य के समक्ष ग्लोबलाइजेशन, बाजार और मीडिया की चुनौतियाँ, माधव हाड़ा, संपादक डॉ0 बाबू जोसफ़क भूमण्डलीकरण और हिन्दी कविता, अमन प्रकाशन, कानपुर पृ० सं0 14,
9. सदी के अन्त में कविता, अशोक वाजपेयी, उद्भवना विशेषांक, अक्टूबर-मार्च 1998, पृ० सं0 54

सूचना संप्रेषण तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत: शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में

कु० लवलीन शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.सी.जी शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

प्रस्तावना:-

वर्तमान युग औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास युग है। आज वही देश विकास की दौड़ में आगे माना जाता है जहां तीव्र गति से आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक देश की सरकार विभिन्न उपाय अपनाती है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आर्थिक प्रगति बनाए रखने हेतु हर संभव प्रयास करती है। यह तो तय है कि आर्थिक विकास में मानव और प्रकृति दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव को आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण मानने के साथ ही उसके विकास की अवधारणा का उदय हुआ चूँकि मानव संसाधन आर्थिक विकास का अनिवार्य तत्व है, अतः उसके विकास के बिना आर्थिक प्रगति की कल्पना भविष्य में दिवास्वप्न ही बनकर रह जाएगी ऐसे में आर्थिक विकास को मानव विकास से जोड़कर देखने की महती आवश्यकता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उपजी आर्थिक मंदी अब किसी से छुपी नहीं है, विश्व के अग्रणी आर्थिक रूप से संपन्न देशों को भी इस विकराल समस्या ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। 25 मार्च 2020 से घोषित लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां ठप रही हैं एवं अधिकांश निर्माण कार्य बंद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति में कमी आयी है और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आई है। देश की अर्थव्यवस्था की इस कमी को पूरा करने और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शक्तिशाली हिस्सा बनाने के लिए कुशल प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और स्व उत्पादक होने के संबंध में 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएं की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएं की गईं इसके तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी, ढांचा प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी और मांग आदि को रखा गया। इन पांच स्तंभों में से प्रौद्योगिकी ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए ऑनलाइन शिक्षा और आईसीटी:-

कोरोना संकट के दौरान शिक्षा पर भी संकट उत्पन्न हुआ। स्कूल कॉलेजों को वर्तमान स्थिति तक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे इससे बाहर आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया कि कोरोना संकट की यह समकालीन स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बाधा नहीं बनेगी और छात्रों को अपनी सीखने की गति के साथ पूरी तरह से होना चाहिए और शिक्षकों को भी देश में प्रमुख तालाबंदी (स्वबाकवूट) के दौरान पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

‘आत्मनिर्भर भारत’ हमेशा से हमारे कई प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, नीति निर्माताओं और सत्तारूढ़ शासनों का सपना रहा है। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर समकालीन परिदृश्य तक के साक्ष्यों को लेते हुए, शिक्षा हमेशा ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने का एक मजबूत उपकरण रही है। ‘हमारे देश में। तेनाली रमन (रामकृष्ण) ने सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में ‘आत्मनिर्भर’ बनने के लिए शिक्षा प्रदान करने, परिवर्तन के लिए शिक्षा देने की बात की, न कि केवल आजीविका के लिए। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक ‘टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन’ में स्पष्ट रूप से आत्मनिर्भरता और समाज में गहन शिक्षा प्रदान करने के बीच एक मजबूत संबंध का उल्लेख किया है।

नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा कि “राष्ट्र की नियति कक्षाओं में तैयार की जा रही है”। 21वीं सदी में शिक्षा के प्रसार ने कई रूप धारण कर लिए हैं। यह न केवल कठोर कक्षा संरचनाओं का हिस्सा है बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के ऑनलाइन तरीकों का भी हिस्सा है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अब केवल व्याख्यान के पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने अपनी शाखाएं फैला ली हैं और कई अन्य रूप ले लिए हैं।

इस कोरोना महामारी (COVID 19) के दौरान, टेलीविजन और अन्य संबंधित ऑनलाइन मोड का उपयोग करके स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं ताकि भारत के युवाओं को नुकसान न हो। भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका इस प्रकार है-

- पीएम ईविद्या ‘कार्यक्रम’ की घोषणा की गई जिसके तहत शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को क्रमशः 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस हमारे देश में अधिक प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा को बढ़ावा देना और अंततः आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाना है।

- शिक्षा की दिशा में एक विशेष कार्यक्रम में ३ दीक्षा शामिल होगी (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) जिसमें सभी कक्षाओं के लिए विभिन्न ई-कंटेंट के साथ-साथ क्यूआर कोडेड पाठ्यपुस्तकें शामिल होंगी और इस प्लेटफॉर्म को 'वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' कहा जाएगा।
- दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट और विशेष ई-सामग्री के माध्यम से सीखने का प्रावधान किया गया।
- सरकार मनोसामाजिक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ छात्रों, शिक्षकों, परिवारों और अन्य सभी हितधारकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को मजबूत करने के लिए सहायता देकर योगदान देने के लिए 'मनोदर्पण' नामक एक विशेष पहल शुरू की गयी है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हमारे देश में इस महामारी की स्थिति के दौरान छात्रों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए एक नए 'अकादमिक कैलेंडर' के विकास के रूप में भी एक पहल की है। इस कैलेंडर को विभिन्न तकनीकी और सोशल मीडिया उपकरणों के संबंध में शिक्षकों को उनके अपने स्थान पर बैठकर दिलचस्प और विचारोत्तेजक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन, सहायता और सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। यह टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, एसएमएस और अन्य विविध प्रकार के सुलभ उपकरणों जैसे विभिन्न विभिन्न स्तरों के उपकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें अन्य ऑनलाइन गतिविधियों को शामिल करना, साप्ताहिक समय सारिणी और उन गतिविधियों को नियमित आधार पर और मजेदार तरीके से पूरा करने के लिए समय सारिणी शामिल है। लगभग 200 पाठ्यपुस्तकों को भी इसमें जोड़ा गया है।- paathshalaplatform-
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों के माध्यम से केवी, एनवी, सीबीएसई और एनसीईआरटी के सहयोग से स्काइप के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट सत्रों में नवीनतम प्रगति के साथ आया, क्रमशः चैनल पाणिनी, एनआईओएस के चैनल शारदा और एनसीईआरटी के चैनल किशोर मंच। पहले केवल 3 चैनल थे लेकिन अब क्रमशः 12 चैनल जोड़े जाने हैं।
- इस कोरोना महामारी संकट के दौरान शिक्षार्थियों के लिए अपने घरों में बैठकर प्रभावी ढंग से ज्ञान प्राप्त करना और सीखना अधिक उपयोगी है। सभी शिक्षार्थी अब प्रातः 7:00 बजे से रिकॉर्ड किए गए पाठों में उत्तरोत्तर स्वयं को संलग्न कर सकते हैं। दोपहर 1:00 बजे तक जिसके बाद दोपहर 1:00 बजे से लाइव सत्र दिये गये। क्रमशः डीटीएच चैनल और एनआईओएस यूट्यूब चैनल पर शाम 7:00 बजे तक। लाइव प्रसारण के दौरान सीधे स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबरों पर या एनआईओएस वेबसाइट के 'स्टूडेंट पोर्टल' पर फोन कॉल के माध्यम से छात्रों को सत्रों के किसी भी विवरण या किसी भी अन्य प्रश्न के बारे में पूछने के लिए सक्षम करने का प्रावधान भी रखा गया।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का यह आंदोलन वास्तव में यहीं समाप्त नहीं होता है। टाटा स्काई और एयरटेल डीटीएच ऑपरेटरों ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर तीन स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों को प्रसारित करने पर सहमति व्यक्त की है।

COVID-19 संकट भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया के बाकी हिस्सों में सुधार के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति की तरह लगता है। यह स्थिति अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हुई लेकिन हाँ, इसने आम आदमी के दिलों में कई उम्मीदें जगा दीं। इस कठिन समय के दौरान इसने ऑनलाइन शिक्षा के दायरे को बढ़ा दिया है। इसने इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटकर शिक्षा क्षेत्र के समग्र दायरे को व्यापक बनाया है। ऑनलाइन शिक्षा के नए क्षितिज को एक चुटकी नमक के साथ देखा जा सकता है और इस पर और काम किया जा सकता है और फिर से सुधारा किया जा सकता है। यह एक नया चलन है जो यहां दशकों से मौजूद है और डिजिटल इंडिया के सपने को मजबूत करेगा। नीति निर्माताओं, कुशल और अकुशल श्रम शक्ति, देश के मानव संसाधन के साथ-साथ प्रकृति के लिए भी अपनी ताकत को फिर से बनाए रखना और कठोर लेकिन उपयोगी, परिचालन और कुशल परिवर्तन लाना एक चुनौती है।

ऑनलाइन मोड या टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिन्हें कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है और जिनके पास संबंधित संसाधन हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पास ऐसे संसाधनों तक पहुंच नहीं है? उनकी शिक्षा के बारे में क्या है और उनका आगे क्या भविष्य है? 'आत्मनिर्भरता' न केवल 'के पास' के लिए है, बल्कि 'नहीं' के लिए भी है। एक शिक्षाविद, या किसी अन्य हितधारक के रूप में, यह सरकार का दायित्व है कि वह इस मामले को गंभीरता से देखे और उन सभी के लिए काम करे जो शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन युवा दिमाग जो नए भारत का निर्माण कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

<https://www.academics4nation.org>
<https://www.indiabudget.gov.in/anbp>
<https://aatmnirbharsena.org/blog/digital-india-for-atmanirbhar-bharat>

स्वस्थ पर्यावरण से आत्मनिर्भर भारत की ओर

डॉ० एस् कृष्णा

सहायकाचार्या, शिक्षाशास्त्र, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, क.जे. सोमैया परिसर, मुम्बई

पर्यावरण प्रदूषण सम्प्रति एक प्रमुख वैश्विक समस्या के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश रूप जीवनधायक तत्वों का शुद्धिकरण आज मानव की सर्वप्रमुख आवश्यकता है, अन्यथा इस धरातल पर विकसित हो रहा जीवन संशयापन्न हो जायेगा। इस समस्या के समाधान को वैदिक उपादान हमारे लिए सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हमारा विशाल वैदिक साहित्य ऐसे संसाधनों से युक्त है, जिससे पर्यावरण शुद्धि संभव है। वैदिक संस्कृति में यज्ञ लौकिक और पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि के साधन माने गये थे। इस यज्ञ के दो भाग थे, द्रव्य और देवता। द्रव्य का तात्पर्य उन यज्ञीय ओषधियों (उपादानों) से है, जो हवि के रूप में अग्नि में डाले जाते हैं। देवता का तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक तत्वों से है, जिनके लिये यज्ञ में आहुतियां दी जाती थी, जिससे उन प्राकृतिक शक्तियों का सायुज्य प्राप्त किया जा सके। इन देवताओं की विविध वैदिक मन्त्रों के द्वारा स्तुति भी की जाती थी। इन वैदिक कृत्यों का मुख्य प्रयोजन पर्यावरण संवर्धन एवं शुद्धिकरण था।

प्रश्न यह उठता है कि यह पर्यावरण क्या है? परि उपसर्ग एवं आङ् उपसर्गपूर्वक वृज् धातु से ल्युट् प्रत्यय संयुक्त करने पर पर्यावरण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यदस्मिन् परितः आवृणोति, येन वयं परिवृतः वा परितः तत् पर्यावरणम्, मानवजीवनं च प्रभावयन्ति ते पर्यावरण शब्देन गृह्यन्ते। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो पदार्थ हमें चारों से आवरित करता है अथवा जिन पदार्थों से हम सभी ओर से आवृत हैं, वही पदार्थ पर्यावरण के प्रमुख संघटक होने से पर्यावरण कहलाते हैं। इन पर्यावरणीय पदार्थों में पृथ्वी एवं पृथ्वी पर स्थित सभी जलस्रोत जैसे नदियां, पर्वत, झरने इत्यादि, वनस्पतियां जैसे पुष्प, पादप, लता और फलादार वृक्ष आदि, वायुमण्डल, पृथ्वीमण्डल और आकाशीय पदार्थ पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। इन सभी पदार्थों से व्याप्त वातावरण से न केवल बाह्य पर्यावरण की अपितु हमारे भौतिक शरीरों की भी सृष्टि हुई है। इनमें से किसी तत्व की विषमता अथवा प्रदूषण हमारे जीवन को संकट में डाल देती है। इन पदार्थों की शुद्धता हमारे लिये आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में यह पर्यावरणीय तत्व प्रदूषित एवं विनष्ट हो रहे हैं, फलतः असंख्य प्राकृतिक विसंगतियां उत्पन्न होकर अनेक व्याधियों और भूकम्पादि दैवी आपदाओं को जन्म दे रही हैं।

इस प्रकार यह आवरण भी दो प्रकार के हैं ख प्रथम आत्मा के अत्यन्त समीप का आवरण करने वाले पदार्थ, दूसरे बाह्य जगत् के रूप में प्राप्त होने आवरणीय पदार्थ। आत्मा को आच्छादित करने वाले नजदीकी पदार्थों में मन, बुद्धि, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियां एवं वागादि कर्मेन्द्रियां हैं। इसके अतिरिक्त आत्मा को आवरित करने वाला जो पदार्थ है, वह है-पञ्चमहाभूतों से निर्मित शरीर। ये पञ्चमहाभूत हैं ख आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। समस्त स्थूल शरीर इन्हीं पञ्चमहाभूतों से निर्मित होते हैं। 'तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी' (तैत्तिरीयोपनिषद्) इत्यादिश्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि परमात्मा के सृष्टि सम्बन्धी संकल्प करने के पश्चात् उससे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुई। इन पञ्चकृत महाभूतों से जरायुज, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज इन चतुर्विध शरीरों की उत्पत्ति हुई एवं इनके भोग्य पदार्थ के रूप में अन्न की सृष्टि हुई, और औषधियां उत्पन्न हुई। यही हमारे चारों ओर फैली हुई बाह्य प्रकृति या पर्यावरण है। श्रुति कहती है-

'जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः'-(माण्डूक्योपनिषद् मन्त्र 3), जो पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पञ्च प्राणवायु तथा मन, बुद्धि, और अहङ्कार रूपी साधनों से स्थूलविषयों का भोग करता है, अतएव इसे 'एकोनविंशतिमुखः' एवं 'स्थूलभुक्' कहा गया है। ये सभी आत्मा के आवरक हैं। आशय यह है कि वैदिक साहित्य के अनुसार आत्मा के ऊपर आवरित अन्तः प्रकृति एवं बाह्यप्रकृति ही पर्यावरण है।

इस पर्यावरण की शुद्धता के लिये वैदिक युग में अनेक यज्ञानुष्ठान किये जाते थे। वन एवं लताएं लगाई जाती थीं, वन्य पशुओं की रक्षा की जाती थी, एवं जलस्रोतों की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वैदिक युग में बाह्य पर्यावरण की शुद्धता के साथ ही आन्तर पर्यावरण की शुद्धता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जिसके स्वभाव में पवित्रता होगी, उसके विचारों में पवित्रता होगी, वही लोक के लिये श्रुति कहती है-

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति।

दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ (शु. यजु. 34। 1)।

वस्तुतः लोक के सारे कर्म मन के द्वारा संकल्पित होने पर ही सम्पन्न होते हैं, अतएव मन की पवित्रता आवश्यक है। शिवसंकल्प सूक्त में कहा गया है-

सुषारथिरश्वान्निव यन्मनुष्यान्नेनीयतेभीषुभिर्वाजिन इव।

हत्प्रतिष्ठं यदजिर्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ (शु. यजु. 34। 6)

जिस प्रकार उत्तम सारथि रथ के घोड़े को ठीक मार्ग पर ले जाता है। यह मन हमारे हृदय में स्थित है, शीघ्रगमनवान् हैं, एवं समस्त प्राणियों के चित्त में ओतप्रोत है, अतएव इसकी शुद्धता अनिवार्य है।

न केवल अन्तरिन्द्रिय मन की शुद्धता पर अपितु वागादि कर्मेन्द्रियों की शुद्धता पर भी वैदिक युग में पर्याप्त ध्यान दिया गया है। वाग् वह तत्त्व है, जो हमारी अन्तःकरण की अधिष्ठात्री देवी कही गयी है। हमारी अन्तः प्रकृति के रूप में विख्यात इस वाक् को वाग्देवी, सरस्वती इत्यादि संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। यह मित्र, वरुण इत्यादि देवताओं को धारण करने वाली है। यह अश्विनी कुमारां (प्राण-अपान) को भी धारण करती है। वस्तुतः शोभन वाणी हमें अनेक ऊर्जाओं से युक्त करती है। हमारे लिये धन एकत्र करती है, यह हमारे हृदय में साम्राज्ञी के रूप में स्थित है। श्रुति कहती है-

अहं राष्ट्री सङ्मनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्

तां मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यावेशयन्तीम् (ऋग्वेद. वाक्. 10।25।3)

हमारी आर्ष परम्परा अग्नि, पृथ्वी, जल आकाशादि पांच भौतिक तत्त्वों में देवतत्व कल्पित करके उसकी शुद्धता के लिये प्रयासरत थी। इस पर्यावरण का सबसे महत्त्व पूर्ण संघटक पृथ्वी है। इस पृथ्वी की शुद्धता पर वैदिक ऋषियों ने पर्याप्त ध्यान दिया था। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता एवं प्राणियों को उसकी सन्तान कहा गया है, एवं पर्जन्य को पिता कहा गया है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध उत्सृजित करती है, उसी प्रकार समस्त ओषधियों और अन्नों को धारण करने वाली पृथ्वी हमें गौ और अन्न प्रदान करें-

माता पुत्राय मे पयः, जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं माता भूमिः पुत्रोहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु (अथर्ववेद पृथ्वीसूक्त 12।104-10) यह पृथ्वी ही समुद्रों और नदियों तथा जलों को धारण करती है। समस्त प्राणी इस पर रहते हैं, यहीं श्वास लेते हैं। अतएव पृथ्वी की शुद्धता अनिवार्य है। श्रुति कहती है कि जिस पृथ्वी पर सर्वतः विचारणशील जल निर्बाधरूप से प्रवाहित होता है, वह अपने वर्चस्व से हमें अभिसिंचित करें-

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।

सा नो भूमिः भूरिधारा पयोदुहामधो उक्षतु वर्चसा । (अथर्व. 12।1। 9)

आशय यह है कि समस्त सृष्टि को धारण करने वाली पृथ्वी की शुद्धता आवश्यक है। वस्तुतः ऋषियों के मानस में पृथ्वी तत्त्व के संरक्षण की संवेदना थी, वही मंत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। पृथ्वी को खोदते समय वे पृथ्वी की स्तुति करते हैं, कि हे पृथ्वी मैं तुम पर जो खोदता हूँ, वह शीघ्र उगे। हे पवित्र स्थानों वाली पृथ्वी तुम्हारे मर्मस्थल पर क्लेश न हो-

यत् ते भूमे विश्वनामि क्षिप्रं तत् रोहतु।

या ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिषम्।

इसी प्रकार शृणोत ग्रावाणः, ओषधे त्रायस्वैनम्, मा मा हिंसीः, आदि वैदिक श्रुतियां भी इसमें प्रमाण हैं, कि वैदिक काल में पृथ्वी, वन, पर्वत इत्यादि की स्तुतियों का प्रयोजन इनकी अक्षुण्णता बनाये रखना एवं मानव की संजीवनी शक्ति में वृद्धि करना था।

आज इन संसाधनों का निर्ममता से दोहन हो रहा है। जंगल कट रहे हैं। पर्वत तोड़े जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि नष्ट हो रही है। भूकम्प, जलप्लावन, जैव आदि प्राकृतिक आपदाएं जन्म ले रही हैं। फलतः मानव जीवन क्षीण हो रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिये यदि हमारे आर्ष विचार को प्रमुखता दी जाय, तो इसका समाधान संभव है। आज पुनः आवश्यकता है, इन भूमण्डलीय पदार्थों में देवतात्व कल्पित करके इनके संवर्धन एवं संरक्षण की। इस भावना का निष्ठापूर्ण पालन करने से इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार ऋषियों ने न केवल वन संरक्षण अपितु मृदा संरक्षण पर, अपितु कृषि पर भी ध्यान केन्द्रित किया था। ऋषि कहता है-

अक्षैर्मादीव्यः कृषिमित्कृषष्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः।

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमार्यः॥ (ऋ. 10।34। 13)

वर्तमान में पशुपालन एवं खेती की घोर उपेक्षा हो रही है। वैदिक काल में गाय के दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र सभी को महत्ता दी गयी थी। उसे आयुष्य कारक और अन्नोत्पादक माना गया था। गौ के विषय में भारद्वाज कहते हैं, कि गाय आयुष्य, बल एवं वीर्य प्रदान करने वाली है-

यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित् कृणुता सुप्रतीकम्

भद्रं गृहं कृणुथा भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते उच्यते सभासु॥

वैदिक युग में गो को प्रमुख देवता माना गया है। जिसकी सन्तानें कृषि के लिये एवं गव्य आयुष्य के लिये आवश्यक थे। गाय का दान श्रेष्ठ दान समझा जाता था। यदि इन वैदिक उपादानों का वर्तमान में प्रयोग किया जाय तो कृषि संवर्धन, एवं पशु संवर्धन हो सकता है। इनके द्वारा भूमि का संरक्षण भी संभव है। वेदों में न केवल पृथ्वी, अपितु अग्नि, उषस्, सूर्य आदि तैजस् पदार्थों में भी देवत्व की कल्पना की गयी है। अग्नि सूक्त, उषस् सूक्त आदि इसमें प्रमाण है। अग्नि में आहुति करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। मेघों की सृष्टि होती है, इसीलिये अग्नि को देवताओं का ऋत्विज् एवं रत्नों को धारण करने वाला कहा गया है ख अग्निमीडे पुरोहितम्, यज्ञस्य देवमृत्विजं, होतारं रत्नधातमम् (ऋ. अग्निसूक्त 1।1।1)।

गीता में भी कहा गया है-

अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः॥ (गीता 3।14)

पर्यावरण का द्वितीय महत्त्वपूर्ण तत्त्व जल है। जिसकी महत्ता को दर्शाते हुए विश्वामित्र नदी से कहते हैं -

अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमतिं नदीनाम्

प्रपिन्वध्वम् इषयन्तीः सुराधाः आवक्षणाः पृणध्वंयात शोभम्। (ऋ.3।33।12)

हमारे नदी समुद्र सरोवर झरने इत्यादि जल के प्राकृतिक साधन वर्तमान में प्रदूषित हो रहे हैं। इसका कारण जल में मलादि के प्रवहण एवं औद्योगिक कचरों का प्रवहण है। फलतः हमारी जीवम शरदः शतम् की कल्पना का क्षरण होने लगा।

हमारे ऋषियों ने इन जल स्रोतों के प्रवाह की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। यज्ञ भी जल शुद्धि के साधन थे। पर्जन्य-सूक्त, वरुणसूक्त, नदीसूक्त, आपःसूक्त इत्यादि के मन्त्र इन जलीय संसाधनों की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः इन जलीय पदार्थों में देवतात्व की कल्पना इनके संरक्षण की महत्ता को दर्शाती है। यदि इस वैदिक भावना से वर्तमान में जल स्रोतों की शुद्धता एवं संवर्द्धन पर ध्यान दिया जाये, तो हमें अनेक असाध्य रोगों से छुटकारा मिल सकता है, और जल ही जीवन है, यह प्राचीन उक्ति पूर्णतः चरितार्थ हो सकती है।

पर्यावरण का तृतीय महत्त्वपूर्ण तत्त्व अग्नि है। इस अग्नि को हमारे ऋषियों ने प्रथमदेव के रूप में कल्पित किया। इसे दैवी ऋत्विज कहा गया। अग्नि को सभी देवों का आवाहक कहा गया है-अग्निमीडे पुरोहितम्, (ऋ. 1.1.11)।

इस अग्नि के तीन रूप हैं। इसका भौतिक रूप चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है। जो लौकिक अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा आदि के रूप में स्तूयमान है। प्राणियों के शरीर में वर्तमान अग्नि को वैश्वानर कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है-अयमग्निर्वैश्वानरः, योयं अन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते (शत. ब्रा. 4.4.18।10।1)।

वस्तुतः यह अग्नि मनुष्य की संजीवनी शक्ति है। मंदाग्नि दोषग्रस्त प्राणियों में अनेक उदर विकार आ जाते हैं। ऋग्वेद में अग्नि को ऋत का स्रोत कहा गया है। समस्त देवता इसी के विविध रूप हैं। तथा ब्रह्माग्नि के रूप में अग्नि का आध्यात्मिक स्वरूप हमारे चिन्तन का विषय है। अर्थात् यह त्रिविध अग्नियां मानव जीवन की निरन्तरता के लिए आवश्यक हैं। यदि वैदिक ऋषियों की भांति इस अग्नि के संरक्षण पर ध्यान दिया जाय, तो अनेक व्याधियों का निवारण स्वतः हो जायेगा।

पर्यावरण का चतुर्थ तत्त्व वायु है, जो प्राणधायक है। इसके भी आध्यात्मिकादि त्रिविध रूप हैं। आध्यात्मिक वायु समस्त चराचर प्राणियों के लिये उपयोगी है। वायु प्रदूषण श्वास एवं हृदय सम्बन्धी विविध रोगों को जन्म देता है। जिसमें टी. बी., मधुमेह, रक्त चाप आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रदूषण वायुमण्डल का हो रहा है। हम भले ही बच जायें, किन्तु अशुद्ध वायु के प्रयोग से नहीं बच सकते हैं। इसके निवारण के लिये वायु का शुद्धिकरण नितान्त आवश्यक है।

हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस प्रदूषण को रोकने के लिये यज्ञों का आविष्कार किया था। इस हेतु प्रतिदिन, महीने भर एवं वर्ष पर्यन्त चलने वाले अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, दर्शपौर्णमास तथा ज्योतिष्टोमादि यज्ञों का विधान किया गया था। इन यज्ञों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती थी। ओम् तेजोसि तेजो मयि धेहि, वीर्यं मसि वीर्यं मयि देहि। बलमसि बलं मयि देहि, सहोसि सहो मयि धेहि।

यज्ञ से प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा प्राणिमात्र के लिये आवश्यक है, इससे उन्हें बल, प्राण प्राप्त होता है, इस ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो यज्ञ से प्रसन्न होकर आकाश एवं भूमण्डल के प्रदूषण को दूर करते हैं। तथा देवों की स्तुतियों और यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र ध्वनि प्रदूषण को दूर वातावरण शुद्ध करते हैं। आशय है कि यज्ञ से प्राणी दीर्घायु होते हैं। मन्त्र और यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध करके उसे सबके लिये उपयोगी बनाते हैं। वायु और अग्नि की सहायता से ये यज्ञ चतुर्दिक् व्याप्त होते हैं। ऋतुओं के सन्धि काल में किये जाने वाले वैश्वानर यज्ञ रोगादि विकृतियों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं।

पर्यावरण का पञ्चम तत्त्व आकाश है। समस्त पदार्थ आकाश में स्थिति प्राप्त करते हैं। इस आकाश को वैदिक मनीषियों ने सबका पिता कहा। इसे द्यौ, द्युलोक आदि संज्ञाओं से विभूषित किया था। यदि वैदिक साहित्य पर दृष्टिपात किया जाये तो द्यौ तत्त्व द्युलोक के देवताओं में प्राचीनतम हैं। द्यौ को वैदिक ऋषियों ने माता पिता कहकर संबोधित किया है, जो आकाशतत्त्व के प्रति वैदिक मनीषियों के महत्त्वपूर्ण सम्बन्धों को निर्देशित करता है। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्, द्यौः पिता नः पिपतुः आदि वैदिक ऋषियों के उदार इसी महत्ता के परिचायक हैं। वस्तुतः सबका स्थापक आकाश तत्त्व है, आकाश के बिना किसी भी पदार्थ की स्थिति संभव नहीं है। द्युस्थानीय देवों में सूर्य की भी गणना हुई है। तैत्तिरीयोपनिषद् में इस आकाश को आत्मा से उत्पन्न पदार्थों के क्रम में पहले स्थान पर रखा गया है। तस्माद्वा एतस्माद्वा एतस्यादात्मन आकाशः सम्भूतः, वर्तमान में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण इस तत्त्व को प्रदूषित कर रहा है। फलतः पवित्र ध्वनियां मानव तक नहीं पहुंचती। प्राणी के नीरोग और स्वस्थ रखने के लिये आज इस समस्या को रोकना आवश्यक हो गया है।

निष्कर्ष यह है कि इस पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण प्राणी विविध रोगों से ग्रस्त हो गये। भोजन योग्य अन्न एवं जल के प्रदूषण के कारण हमारे यहां अनेक असाध्य रोगों ने अपनी जड़ें जमा लीं। संक्रामक रोगों का प्रसार बढ़ गया। इस पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो एक दिन ऐसा आयेगा जब पृथ्वी पर प्राण वायु नहीं रह जायेगा। पेय जल का अभाव होगा। कहीं बाढ़ आयेगी, तो कहीं भूकम्प। अनेक विस्फोटक बीमारियां जन्म लेंगी, फलतः समूची प्रकृति असंतुलित हो जायेगी।

आशय यह है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचने के लिये हमें एक बार पुनः अपनी प्राचीन वैदिक परम्परा का आश्रय लेना होगा, अन्यथा जीवन वरदान न होकर अभिशाप सिद्ध होगा। हमारे वैदिक ग्रन्थों में जो त्रिविध तापों की शान्ति की कामना की गयी है, वह पर्यावरण की शान्ति के लिये हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन त्रिविध दुःखों से मुक्ति के लिये पर्यावरण शुद्धता अनिवार्यता है। इससे हमारे विश्वशान्ति और अभ्युदय की कल्पना साकार होगी एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, की कल्पना पूर्ण होगा।

अतः यज्ञ विनाश के नहीं, अपितु सृष्टि के वर्धक है। यज्ञ सृष्टिकारक है। यज्ञ के माध्यम से आहवनीय पदार्थ सूक्ष्म रूप में वायु मण्डल में पहुंच कर वृष्टि में सहायक होते हैं। यदि आज हम वैदिक यज्ञ, मन्त्रोच्चारण और प्रकृति में दैवी शक्तियों की कल्पना पुनः करने लगे, तो समग्र विश्व के पर्यावरण प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। मानव जीवन की वृद्धि हो सकती है। भूमण्डल में सुख एवंशान्ति तथा समृद्धि प्रवाहित हो सकती है। जिससे स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, जिससे आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी।

हजारीप्रसाद द्विवेदी के साहित्य-चिंतन में आत्म-निर्भर समाज

ललित मोहन

शोधार्थी, हिंदी विभाग, डी. एस. बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

सारांश

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का प्रखर चैतन्य उनको हिंदी साहित्य में एक कालजयी रचनाकार की श्रेणी में प्रतिस्थापित करता है। उन्होंने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं को अपने रचनाकर्म का अंग बनाया। आज आत्म-निर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उनका साहित्य एक अनिवार्य अभिकल्प बन जाता है। सर्वप्रथम यहाँ आत्म-निर्भरता को समझना आवश्यक हो जाता है। आत्म-निर्भरता में निर्भरता दासत्व नहीं है, वह दासता से मुक्ति की ओर ले जाने का एक उपक्रम है। निर्भरता में एक विशेष प्रकार की सहभागिता का भाव रहता है। साथ ही आत्म क्या है, यह भी जान लेना आवश्यक है। यहाँ आत्म संपूर्ण भारतीय समाज का आत्म है। भारतीय समाज और उसका आत्म दोनों में सामंजस्य ही आत्म-निर्भरता को जन्म देगा। आत्म-निर्भरता तब होती है जब हम मन से, वृत्ति से, विचार से, और कृति से, सब तरह से अपने आपको उस दृष्टि से सक्षम पाते हैं कि हम आत्म-निर्भर बन सकें। आत्म-निर्भरता का सीधा संबंध मनुष्य के अंतर से जुड़ा है, जिसमें उसकी सोच, उसके विचार और यहाँ तक कि उसके दृष्टांत भी सम्मिलित हैं, जिनको समझने की आवश्यकता है। आत्म-निर्भर भारत की कुंजी को पकड़ना अभी शेष है। आत्म-निर्भर भारत तभी होगा जब इस देश के गाँव आत्म-निर्भर होंगे। जिस देश के गाँव नदियों की तरह सूख रहे हों, उस देश में आत्म-निर्भरता की अवधारणा सार्थक नहीं है। जब तक समाज को जोड़ने का कोई नया पराक्रम, तौर-तरीका और नयी विधा विकसित न की जाती तब तक आत्म-निर्भरता सजीव नहीं होगी।

बीज शब्द— आत्म-निर्भरता, दासत्व, स्वावलंबन, संवेदना, अनुभूति, मंगल-विधायिनी, सारग्राहिणी, तरजीह, सुप्रतिष्ठित, परमुखापेक्षिता, दारिद्र्य, समावेशी।

प्रस्तावना

साहित्य से हम संवेदना, अनुभूति और तर्क के स्तर से आत्म-निर्भर बन सकते हैं, यह प्राथमिक कार्य है—एक उच्च कोटि के साहित्य का। यह आत्म-निर्भरता रवीन्द्रनाथ टैगोर, कबीर, कालिदास आदि अनेक महापुरुषों के साहित्य से आचार्य द्विवेदी को प्राप्त हुई है। रवीन्द्रनाथ जी के लिए वे लिखते हैं, उनका सारा जीवन मनुष्य को उसकी महिमा के प्रति सचेतन करने का प्रयास है, संकीर्ण राष्ट्रीयता और धार्मिकता को शिथिल करने के लिए महान् संघर्ष का प्रयास है, और मनुष्य में प्रेम, औदार्य और भ्रातृभाव को उद्बुद्ध करने का प्रयत्न है।¹ आज आवश्यकता है एक उत्तम सानिध्य की, जिस पर अटूट विश्वास बना रहे प्रत्येक जन को आत्म-निर्भर होने का। यह अटूट विश्वनीयता जाग्रत करता है—साहित्य। हम राजनीति करनेवालों के दुहरे चरित्र से कभी भी स्वावलंबी नहीं बन सकते। देश को आँकड़ों के आधार पर विश्व-प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों से तुलना करके एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थान दिलाया जा सकता है, किंतु वास्तविक उन्नति तभी दिखेगी जब देश का वह व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाये, जो समाज के अंतिम पायदान पर प्रतिस्थापित किया गया है। इस संदर्भ में द्विवेदी जी लिखते हैं, हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीति और हमारी नव-निर्माण की योजनाएँ तभी सर्व-मंगल-विधायिनी बन सकेंगी जब कि हमारा हृदय उदार और संवेदनशील होगा, बुद्धि सूक्ष्म और सारग्राहिणी होगी और संकल्प महान् और शुभ होगा।²

आत्म-निर्भरता का केंद्रीय तत्त्व है—शिक्षा। शिक्षा कौशल को जन्म देती है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह न्याय-अन्याय, ऊँच-नीच, गरीबी-अमीरी तथा शोषित-शोषक के मध्य फैली असमानता को सहजता से जान सकेगा। तब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य के साथ-साथ एक आत्म-निर्भर समाज की संकल्पना को साकार रूप दे सकेगा। आत्म-निर्भरता मनुष्य को उसकी वेदना से मुक्त कराने का एक प्रयास है। उसकी यह पीड़ा किसी भी स्तर की हो सकती है। आवश्यकता है उसकी वेदना के सभी स्तरों को परखा जाय और एक समावेशी विकास मॉडल तैयार किया जाय। समावेशी विकास या आत्म-निर्भरता के लिए समाज के सभी आयामों यथा, राजनीति, अर्थनीति, विचारनीति, धर्मनीति, आदि पक्षों में सामंजस्यता स्थापित करना। इस बात को द्विवेदी जी इस रूप में कहते हैं, समन्वय का अर्थ यह है कि हम मनुष्य की मूल एकता को स्वीकार करें, और उस विशाल मानवतावादी दृष्टि को अपनायें जो समग्र मनुष्यजाति को सामूहिक रूप से नाना प्रकार की कुशिक्षा, कुसंस्कार और अभावों के बन्धन से मुक्त करके उसे जीवन की उच्चतर चरितार्थता की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है।³

आत्म-निर्भरता के लिए मनुष्य को एक ठोस जमीन की आवश्यकता है, जहाँ पर वह अडिग भाव से टिक सके। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है—आस्था। यह आस्था जनतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास या अविश्वास की सूचक है। आत्म-निर्भरता के लिए हमें अपने अन्दर एक ऐसा वातावरण जाग्रत करना होगा, जिससे हम समाज के बाह्य और आंतरिक सभी समस्याओं से निपटने के लिए सजग हो जायें। आत्म-निर्भरता जैसे विश्वास को जगाने के लिए सबसे

पहले साधारण जन की समस्याओं की सही जाँच और निराकरण के पश्चात् उनमें आत्मविश्वास को जगाना होगा। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् अनेक बातों से साधारण जन स्वयं को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस करता है। आज आत्म-निर्भरता जैसी पहल या सोच को जाग्रत करने वाले थोथे नेताओं के सामने आचार्य द्विवेदी का यह कथन प्रश्नचिह्न बनकर उपस्थित होता है, घंटों ईमानदारी से पसीना बहाकर भी जब अपनी मेहनत की कमाई से उसे पेट-भर अन्न नहीं मिलता तो कोई भी तर्क उसे व्यवस्था की शुद्धता का यकीन नहीं दिला सकती.....जब सिफारिशों को योग्यता से अधिक तरजीह मिलती है तो युवक के चित्त से विश्वास पैदा होने की परंपरा ही लुप्त हो जाती है.....¹⁴ 2047 के विश्व-गुरु बनने वाले भावी भारत के लिए आधारभूमि तैयार करते हैं आचार्य द्विवेदी के ये विचार। इसी सन्दर्भ में वे जन-जागृति को सर्वसाधारण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। जन-जागृति को भारतवर्ष के उत्थान का अहम अंग मानते हुए वे लिखते हैं, भारतवर्ष क्या है, हमें इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष उन करोड़ों दलित और मूक जनता से अभिन्न है, जिन्हें छूने में भी पाप अनुभव किया जाता है.....जन-जागृति यदि सचमुच हुई तो उसका सीधा अर्थ होगा इस स्तर-भेद पर सीधी चोट।¹⁵

आत्म-निर्भर बनने के लिए हमें विदेशी राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से पूर्व भारतवर्ष को मानव-धर्म की श्रेणी में स्थापित करने की प्राथमिक आवश्यकता है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सर्वसाधारण की जागृति को भी साथ लेकर चलना होगा। जब तक समाज के गर्भ से स्तर-भेद की लकीर मिट नहीं जाती, तब तक हम सहस्र प्रयासों के बावजूद भी आत्म-निर्भर नहीं बन सकते हैं। समाज को ऊपरी स्तर से देखने वालों के लिए भारत आत्म-निर्भर राष्ट्र बन सकता है, किंतु वस्तुस्थिति का सही-सही अवलोकन किए बिना हम न ही आत्म-निर्भर बन सकते हैं और न ही विश्व-गुरु। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भट्टिनी का यह कथन आज के समाज में व्याप्त स्तर-भेद पर एक प्रहार है, मैंने अनेक देश देखे हैं, अनेक समाज देखे हैं, अनेक जातियां देखी हैं.....परन्तु आर्यावर्त-जैसी विचित्र समाज-व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी है। यहाँ इतना स्तर-भेद है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं।¹⁶ आचार्य द्विवेदी की हमेशा यही सोच रही है कि समाज के इस स्तर-भेद को मिटाकर एक मानव समाज की स्थापना की जाय

आत्म-निर्भरता के सन्दर्भ में साहित्य और साहित्यकार की स्थिति भी स्पष्ट करनी आवश्यक हो जाती है। कवियों और लेखकों में आत्म-निर्भरता का होना आवश्यक है। वे जिन मुद्दों को रचना में उकेरते हैं उन्हें साहस के साथ अभिव्यक्ति दें। जहाँ तक आचार्य द्विवेदी का मत है कि साहित्य में संप्रेषणीयता के साथ-साथ उसमें समूची जनता में जागृति उत्पन्न करने का गुण अवश्य रहना चाहिए, अगर हमें संसार में महान् राष्ट्र बनकर रहना है तो हमें अपनी समूची जनता को ज्ञान-विज्ञान के प्रति उत्सुक और मनुष्य के न्याय-अधिकारों के प्रति जागरूक बना देना होगा.....हमें जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए साहित्य चाहिए-साहित्य जो मनुष्य-मात्र की मंगल-भावना से लिखा गया हो और जीवन के प्रति एक सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर आधारित हो।¹⁷ यहाँ सुप्रतिष्ठित दृष्टि ही जन-कल्याण और जनात्म-निर्भर होने की ओर ईशारा है। साहित्यकारों के साहित्य का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, जिससे मनुष्य में आत्मावलंब की सृष्टि हो सके, इस सन्दर्भ में वे लिखते हैं, मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है।¹⁸ यहाँ परमुखापेक्षिता से बचाना ही मनुष्य को आत्म-निर्भर बनाने का सूचक है।

आत्म-निर्भरता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है-बन्धन से मुक्ति। वैसे तो समाज बन्धन और बांधाओं का ही जाल है, फिर भी कुछ अनैतिक बन्धन हैं जिनका उल्लेख रवीन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य द्विवेदी करते रहे हैं, उन्होंने (रवीन्द्रनाथ ने) बार-बार याद दिलायी है कि बन्धन बाहर का नहीं भीतर का है। यह जो पद-पद का भय है, लोक से, परलोक से, राजा से, मुसाहिब से, मरण से, दारिद्र्य से बार-बार भीत होना है, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है।¹⁹ इसी सन्दर्भ में नारी के बन्धनों की जड़ता को समाप्त करना भी लेखक का एक अपरिहार्य लक्ष्य रहा है। यहाँ उसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष के मध्य समन्वय लाना है। इस प्रकरण में यहाँ रवीन्द्रनाथ जी के विचारों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, हमारे देश में भी कृत्रिम बन्धनमुक्त स्त्रियाँ जब अपने पूर्ण मनुष्यत्व की महिमा प्राप्त करेगी, तभी पुरुष भी अपनी पूर्णता प्राप्त करेगा।²⁰

निष्कर्षतः आत्म-निर्भर भारत के लिए प्रामाणिक शर्त है-संपूर्ण मनुष्य कल्याण-समावेशी विकास। यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय के अंदर मुष्यता के साथ-साथ भारतीयता की भावना जाग्रत हो जाए। सरकार की सभी योजनाएँ लाभ के लिए नहीं अपितु मनुष्य-हित के लिए क्रियान्वित की जाए। अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब तक जाति, धर्म तथा ऊँच-नीच के गह्वर से ऊपर उठकर मनुष्यत्व की श्रेणी न पा ले, तब तक वह आत्म-निर्भर नहीं बन सकता। अभी हमें आत्म-निर्भरता के लिए मनुष्य को जमीनी स्तर से ऊपर उठाने की आवश्यकता है। जब विचार, तर्क और अनुभूति के स्तर पर हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे तब हम प्रत्येक स्तर पर यथा-सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि आर्थिक स्तर पर भी स्वावलंब प्राप्त कर लेंगे। साहित्य तथा साहित्यकार मनुष्य को इस श्रेणी के पायदान पर स्थापित करने का अथक प्रयास करता रहा है।

संदर्भ सूची

1. सं. द्विवेदी मुकुन्द, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 08, मृत्युंजय रवीन्द्र, पृ. 299
2. सं. वही, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 10, पृ. 97
3. सं. वही, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 09, पृ. 383
4. वही, पृ. 437
5. वही, पृ. 439
6. सं. वही, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 01, बाणभट्ट की आत्मकथा (उपन्यास), पृ. 216
7. सं. वही, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 10, पृ. 97
8. वही, पृ. 101
9. सं. वही, हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 08, मृत्युंजय रवीन्द्र, पृ. 302
10. वही, पृ. 305

नारी सशक्तीकरण में आत्म निर्भर भारत

डॉ० श्रद्धा सिंह

अतिथि विद्वान विधि, विभाग विधि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

- महिला पुरुष के मध्य असमानता समाज में व्याप्त एक चिंतनीय विषय है समाज की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं भी दायम दर्जे पर है छ लैंगिक शोषण, घरेलू हिंसा, शोषण, दाहेज प्रताड़ना जैसी समस्याओं को आज भी झेल रही है छ विभिन्न धार्मिक, सामाजिक राजनीतिक क्रांतियों, आंदोलनों एवं कानूनों के माध्यम से नारी सशक्तीकरण में आत्म निर्भर भारत की ओर उन्मुख रही हैं छ आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर रही है
- नारी सशक्तीकरण में आत्म निर्भर भारत में महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य उसके अर्जित बोध से है छ यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वैधानिक उपाय, कार्यक्रम, योजनाएं, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों सहायक भूमिका निभाते रहे हैं छ प्रस्तुत लेख में नारी सशक्तीकरण में आत्म निर्भर भारत का विश्लेषण किया गया है
- महिला सशक्तीकरण का अर्थ-महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य मौनसंस्कृति को तोड़कर अपने अधिकारों के प्रति चेतना एवं स्त्री के अस्तित्व बोध एवं सर्वांगीण विकास से है। यह महिलाओं में शिक्षा तथा स्वतन्त्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार है,

जिससे वह स्वावलम्बी बन सके एवं समानता तथा सहभागिता के सिद्धान्त के आधार पर पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। की सामान्यतः महिला सशक्तीकरण को पुरुषों के विरुद्ध व आन्दोलन माना जाता है, यह भ्रामक है। यह केवल महिलाओं की प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने तथा उन्हें समानता एवं -ष सामाजिक न्याय दिलाने का अभियान है। आज विश्व के प्रत्येक देश में महिलाओं के समुचित विकास और सशक्तीकरण हेतु अनुकूल वातावरण का तेजी से विस्तार हो रहा है, जो उस देश की प्रगति का सूचक है।

न नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में महिलाओं के विकास हेतु नीतियों में दो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए-महिलाओं-का सशक्तीकरण एवं विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाएं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक, आर्थिक 7 एवं न्यायिक सशक्तीकरण की रणनीति का सुझाव दिया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39, 47, 44 तथा अनुच्छेद 243 (घ) (न) (3), 325, 326 स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों, सुरक्षा एवं न्याय की पुष्टि करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की शुरुआत 08 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में की गई जिसके अन्तर्गत राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र के द्वारा प्रत्येक राज्य में संचालित परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में महिला सशक्तीकरण हेतु कुछ प्रमुख योजनाएं एवं विधान निम्नानुसार है

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, 1982 किशोरी बालिका 1992 एवं महिला समृद्धि योजना, 1993 महिला स्व-सहायता समूह कार्यक्रम, 1993

- राष्ट्रीय महिला कोष, 1993
- स्वास्थ्य सखी एवं बालिका समृद्धि योजना, 1997
- ननी सुरक्षा योजना, 2005

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, 2009

- अन्य नीतियों एवं विधान

राष्ट्रीय महिला नीति, 2001, 2016 कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2013

- डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1999

दाहेज निरोधक अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं का अभद्र प्रस्तुतीकरण अधिनियम, 1986 राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग।

पुलिस बल में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण इसके अतिरिक्त मातृत्व अवकाश में विस्तार, विवाह से संबंधित वेबसाइटों का पुनः सुधार सभी कम्पनियों द्वारा अपने निदेशक मण्डल में एक महिला की नियुक्ति अनिवार्य एवं सभी जिलों में महिला कल्याण संस्थाओं का निर्माण किया गया। विविध क्षेत्रों में महिला विकास एवं प्रतिनिधित्व वर्तमान में महिलाओं को हाउस वाइफ न कहकर होम मैनेजर की संज्ञा दी जाती है, जो बिना किसी तनख्वाह के परिवार के हर कार्य को खूबसूरती से सम्भालती है। ग्लोबल जेण्डर गैप इण्डेक्स 2013 के मुताबिक गृहणियाँ 15 घण्टे अवैतनिक कार्य करती हैं। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद

के 33 प्रतिशत बचत दर का 70 प्रतिशत भाग भारतीय गृहणियों की बदौलत आता है। महिलाओं में घर, समाज एवं देश की दिशा बदलने का जज्बा होता है।

वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है, जहाँ महिलाओं ने कदम न रखा हो। पहले कुछ क्षेत्र जैसे-सेना, हवाई उड़ान, रेलवे, व्यापार महिलाओं के लिए लगभग वंचित माने जाते थे, आज वे उन क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता तथा बृद्धि के बल पर सफलता हासिल कर रही हैं।

जनगणना वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में महिला शिक्षा में 116 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, विशेषतः व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में उनका प्रतिशत 196 फीसदी बढ़ा है, फलतः निजी एवं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ी है। आज के दौर में महिलाओं ने केवल अपना परचम बौद्धिक कौशल में नहीं बल्कि खेल में भी अपना नाम बनाया है कई नारी अपने देश भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए स्वर्ण पदक सिल्वर मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लाए हैं जैसे मीराबाई चानू (गोल्ड मेडल)

ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। उन्होंने 49kg कैटगरी में कुल 201kg वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने स्नैच में 88kg और क्लीन एंड जर्क में 113kg वजन उठाया।

बिंदियारानी देवी (सिल्वर मेडल)

महिलाओं के 55 किलोग्राम भारवर्ग कैटगरी में वेटलिफ्टर बिंदियारानी देवी ने भारत को सिल्वर दिलाया। उन्होंने स्नैच में 86kg और क्लीन एंड जर्क में 116kg वजन यानी कुल 202kg वजन उठाकर सिल्वर अपने नाम किया। वह महज 1kg से गोल्ड चूंक गई।

सुशीला देवी (सिल्वर मेडल)

सुशीला देवी लिकमाबाम ने जूडो के 48 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में सुशीला का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की मिचेला व्हाइटबोई से था, जहाँ उन्हें अतिरिक्त समय में हार का सामना करना पड़ा।

महिला लॉन बॉल्स टीम (गोल्ड)

लॉन बॉल्ड के महिला फोर इवेंट में भारतीय टीम ने पहली बार गोल्ड जीता। लवली चौबे, पिंकी, नयनमोनी सैकिया, रूपा रानी ने भारत को यह पदक दिलाया। फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से मात देकर गोल्ड जीता

तुलिका मान (सिल्वर)

भारतीय महिला जूडो खिलाड़ी तुलिका मान ने +78kg भारवर्ग में भारत को सिल्वर दिलाया। वह गोल्ड की दावेदार थी लेकिन फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

साक्षी मलिक (गोल्ड)

साक्षी मलिक ने महिलाओं के 62 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग में गोल्ड जीता। उन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गोंडिनेज गोंजालेस को चित किया। साक्षी इस मैच में 4-0 से पीछे चल रही थीं लेकिन उन्होंने अपने एकमात्र दांव में गोंजालेस को चितक कर गोल्ड पर कब्जा कर लिया।

दिव्या काकरन (ब्रॉन्ज)

फ्रीस्टाइल कुश्ती में महिलाओं की 68 किग्रा कैटगरी में दिव्या काकरन ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। वह क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की ब्लेसिंग ने एकतरफा शिकस्त दी थी। ब्लेसिंग के फाइनल तक पहुंचने के कारण दिव्या को रेपचेज में मौका मिला और यहां उन्होंने कैमरून की ब्लेंडिन एनगिरी को शिकस्त देकर कांस्य पदक अपने नाम किया।

प्रियंका गोस्वामी (सिल्वर मेडल)

महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में भारत की प्रियंका ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने यहां अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 43 मिनट 38.83 सेकंड का समय निकाला।

जैसमीन (ब्रॉन्ज मेडल)

बॉक्सिंग में महिलाओं के लाइटवेट (57-60 किग्रा) स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारतीय मुक्केबाज जैसमीन इंग्लैंड की जेमा पेज रिचर्डसन से 2-3 से हार गई, उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा

पूजा गहलोत (ब्रॉन्ज मेडल)

कुश्ती में महिलाओं के 50kg वर्ग में पूजा फाइनल में तो जगह नहीं बना पाई लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने स्कॉटलैंड की क्रिस्टेले एल को एकतरफा शिकस्त दी। उन्होंने 12-2 के अंतर से जीतकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया।

सेना (रक्षा) के क्षेत्र में महिलाएं ऑफिस से निकलकर बॉर्डर पर तैनात हैं, कमाण्डों की सख्त ट्रेनिंग के बाद वहाँ अपना सेवाएं दे रही हैं, इसी प्रकार नक्सली क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के बतौर बेखोफ अपनी कर्तव्य निर्वहन कर रही हैं। विविध क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं

पेप्सिको सी.ई.ओ. इन्द्रा नुई, आर.बी.आई. की डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की एम डी. एवं सी.ई.ओ. चन्दा कोचर, न्यूयार्क में वित्तीय सलाहकार चन्द्रिका कृष्णमूर्ति टण्डन, रायपुर (बस्तर) मध्यप्रदेश सी.आर.पी.एफ. की पहली महिला ऑफिसर ऊषा किरण (जो जनजाति लड़कियों की रोल मॉडल बनी), मिग 29 चलाने वाली सबसे युवा पायलट आयशा, गीता जौहरी गुजराज की पहली महिला डी. जी.पी. (कार्यवाहक), तनुश्री पारीक, बी.एस.एफ. की पहली महिला अधिकारी (बीकानेर, राजस्थान), हर्षिनी कन्हकर देश की पहली फायर इन्जीनियर, अरुण चतुर्वेदी-जेट पायलट, मुम्बई इण्डियन्स की मालकिन नीता अंबानी, राजस्थान रॉयल्स की शिल्पा शेट्टी, राजस्थान की परिधि वर्मा जो 90 प्रतिशत विजुअल डिसएबिलिटी के बाद भी आई. आई. एम. लखनऊ से कैम्पस प्लेसमेंट में चयनित हुई एवं वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार की ओर से श्रमण ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित की गई।

खेलजगत में पी. वी. सिन्धु, सायनानेहवाल, गीताफोगाट. पी. टी. उषा, दीपिका कुमारी (तीरंदाजी) एम.सी. मेरीकॉम, सानिया मिर्जाइत्यादि अरूणिमा सिन्हा-पहली विकलांग पर्वतारोही आज अनेक महिलाओं के लिए आदर्श बनी हैं।

साहित्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, महाश्वेता देवी, मृणाल पाण्डेय, अरुन्धति राय, अमृता प्रीतम, पद्मा सचदेव, किरण देसाई कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। कला के क्षेत्र में लता मंगेशकर, सोनलमानसिंह, मृणालिनी साराभाई, गिरजादेवी, अन्तरिक्ष क्षेत्र में कल्पना चावला एवं सुनिता विलियम्स। किरण बेदी को एक सख्त एवं अनुशासन प्रिय पहली महिला आई.पी.एस अधि कारी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रहा है जहां महिला ने सफलता अंकित नहीं की।

चुनौतियां:

उपर्युक्त तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू तमाम संवैधानिक प्रयासों, कार्यक्रमों, नीतियों के पश्चात भी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का निरन्तर बढ़ता ग्राफ है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध 2014 में 339457, 2015 में 329243 तथा 2016 में 338954 रिकार्ड दर्ज किये गये। 2016 में क्राइम रेट 55.2 रही हैं, जिनमें सबसे अधिक अपराध घरेलू हिंसा, बलात्कार, पति एवम् संबंधियों द्वारा निर्ममता, महिला की गरिमा भंग के दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में तेजाबी हमले, ऑनर किलिंग, सहजीवन, सेरोगेसी, कन्या भूषण हत्या के आंकड़े भी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लग रहा है।

इसी प्रकार भारत में महिलाएं कार्यक्षेत्र से बाहर हो रही हैं। इसका कारण उनकी क्षमताओं में कमी नहीं बल्कि निरंतर बढ़ते जाने वाला भेदभाव है। देश की कार्यशक्ति का हिस्सा बनने वाली महिलाओं का प्रतिशत पिछले बारह वर्षों में दस प्रतिशत नीचे आ गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (एसोचेम) द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत माताएं अपने ख बच्चों की परवरिश के लिए नौकरियाँ छोड़ना चाहती हैं, इसके कुछ प्रमुख कारण कार्यस्थल में शोषण, लैंगिक पक्षपात तथा काम का असुविधाजनक समय आदि हैं। विश्वभर में कमोबेश यह स्थिति बनी हुई है। अथक प्रयासों एवं कई वर्षों की मेहनत के पश्चात् सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तालाब को गैर कानूनी घोषित किया गया है लेकिन अपने हित के लिये उसी समाज के मठाधीश इसे विधेयक नहीं बनने देने के लिये प्रयासरत हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों करोड़ों रुपये के बजट प्रावधानों के बावजूद ये परिस्थितियां हमारी प्रशासनिक, कानूनी, न्यायिकव्यवस्था एवं समाजीकरण की संस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं, वर्तमान सदी में हम किस ओर जा रहे हैं? क्या विभिन्न विभागों में तालमेल का अभाव, संकुचित मानसिकता, पुरुषवादी सोच, भ्रष्टाचार, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव, सामाजिक रूढ़ियांइनका कारण हैं। ऐसे कई अनगिनत प्रश्न हैं जिन पर सम्बन्धित चिंतन, मनन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

वास्तविकतायह है कि योजनाएं, कार्यक्रम, विधान कितने ही उत्कृष्ट कोटि के क्यों न हों, किन्तु जब तक वाछित वर्ग तक उनका प्रचार, प्रसार, क्रियान्वयन, उपलब्धता, न हो तो वे निरर्थक साबित होते हैं। समाज की आधी आबादी को बराबर, सम्मानजनक के स्थिति दिलाने में पुरुषों की समान सहभागिता अपेक्षित है। कानूनी व्यवस्था को सरकार, प्रशासन, पुलिस एवं न्याय प्रणाली सभी स्तरों पर जवाबदेह बनाया जाये। 'जेंडर सेन्सिटाइजेशन' के प्रति परिवार एवं विद्यालय स्तर पर बच्चों को शिक्षित किया जाये एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जाये। महिलाएं स्वप्रेरणा से स्वसंगठित हो, जागरूक हों तथा शिक्षित, सम्पन्न, संसाधनों से युक्त महिलाएं विभिन्न संगठन में आगे आकर असहाय, गरीब, अशिक्षित, पीड़ित, जरूरतमन्द, महिलाओं की सहायता करें, उनका मार्गदर्शन करें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का कथन कि भारत 2020 तक विश्व की एक शक्ति तभी बन सकेगा जब हम स्त्रियों को यथोचित सम्मान प्रदान करें तथा उन्हें सच्चे अर्थों में स्वतन्त्र बनाने में सहयोग करें।

उद्यमिता से आत्मनिर्भर भारतीय महिलाएं

डॉ० प्रिया सोनी खरे

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, सी०एम०पी० कॉलेज (इलाहाबाद विश्वविद्यालय), प्रयागराज

डॉ० जितेन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, सी०एम०पी० कॉलेज (इलाहाबाद विश्वविद्यालय), प्रयागराज

सारांश: महिला उद्यमिता का सीधा संबंध महिलाओं की नेतृत्व क्षमता से है क्योंकि जबतक महिलाएं नेतृत्व की ओर आगे नहीं आयेगी तब तक राष्ट्र का आर्थिक विकास अपूर्ण है। स्वयं से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता महिलाओं को सशक्त बनाती है। भारत में अभी भी महिलाएं घर की चार दीवारों के भीतर ही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष कार्य किये हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0 3.0 तीन चरणों में कार्यरत है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 व्यवसाय तथा नौकरी दोनों ही क्षेत्रों के लिए कार्यरत है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने अन्नपुर्ण योजना, ओरियंटल महिला विकास योजना, मुद्रा योजना महिला उद्यमी, उद्योगनी योजना, स्त्री शक्ति योजना जैसी कई योजनाएं महिला उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ की। उद्यम और उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं अपना स्थान बनाने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयासरत हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में महिलाओं की समझ उनके लिए अधिकारों के नये अवसर खोल रही है।

सूचक शब्द:- महिला उद्यमिता, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आर्थिक विकास, महिला उद्यमिता योजना।

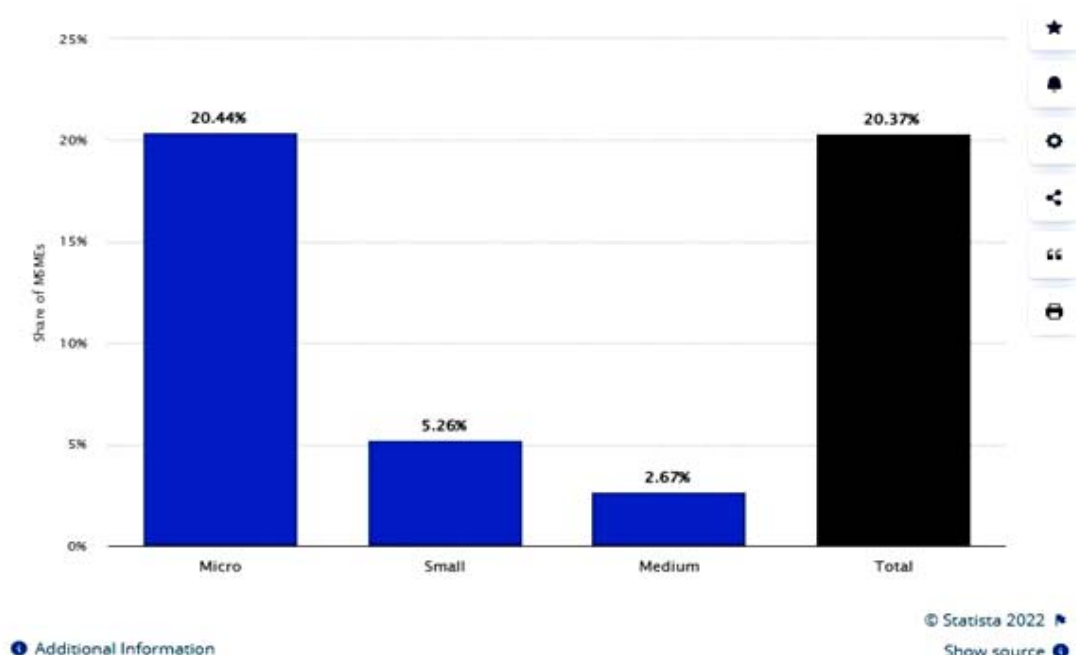
प्रस्तावना

शिक्षित और संपन्न समाज में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है। प्राचीन काल से ही महिलाएं ज्ञान, कला और कौशल के क्षेत्र में अद्वितीय रही हैं। उद्यमिता आदि काल से उनकी कार्यक्षमता और कार्य कुशलता में परिलक्षित होती है। परन्तु मध्यकालीन भारत में तथाकथित सामाजिक मान्यताओं ने महिलाओं की सहभागिता को प्रभावित किया है। तत्पश्चात् स्वतंत्र भारत और वर्तमान भारत में महिलाएं आर्थिक औद्योगिक और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सक्षम प्रकार से दर्ज करा रहीं हैं।

महिला उद्यमिता से तात्पर्य उन महिलाओं से है जो उद्योग के क्षेत्र में नयी संभावनाओं और दिशाओं को स्वीकार कर स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। प्रतिस्पर्धा के युग में महिलाएं नवाचार को अपनाकर और चुनौतियों का सामना कर स्वयं के अस्तित्व को स्थापित कर नवीन भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर रहीं हैं। उद्यमिता उद्योगों को समाज तथा नवीन सृजनात्मक चिंतन परंपरा से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है, और महिलाएं अपनी मौलिकता के साथ मानव शक्ति, एवं आत्मनिर्भर व्यवसायिक इकाई के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। भारत विकसित देशों से विकासशील देश की श्रेणी की तरफ सशक्त रूप से बढ़ रहा है। जिसका श्रेय महिलाओं का देश के विकास के योगदान को जाता है।

12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना का आरंभ तत्कालीन माननीय भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 30 मार्च 2022 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संचालन को निर्धारित किया। यह योजना भारत की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका का निर्वाहन करेगी। 1 फरवरी 2021 के वित्तीय वर्ष बजट में आत्मनिर्भर योजना पर विशेष ध्यान दिया गया। कोरोना महामारी के समय में देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक के द्वारा 27.1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आत्मनिर्भर भारत अभियान में किया गया जो देश की जीडीपी में 13 प्रतिशत का प्रतिभाग है। आत्म निर्भर भारत अभियान मुख्य रूप से महिला उद्यमिता और किसानों की आर्थिक दशा में सुधार पर बल देता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की कार्यकुशलता को देश की उन्नति के साथ जोड़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016 में पूरे भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण



स्रोत-<https://www.statista.com/statistics/1118549/india-share>

छठे आर्थिक सर्वेक्षक के अनुसार देश में महिला उद्यमी की संख्या 80.5 लाख है और महिलाओं ने 1.35 करोड़ लोगों को अपने उद्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं। 34.3 प्रतिशत महिला उद्यमी कृषि क्षेत्र से हैं जबकि 65.7 प्रतिशत महिला उद्यमी अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये आँकड़े उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हैं जो बहुत अधिक सशक्त नहीं है परन्तु गत वर्षों में महिला उद्यमिता के क्षेत्रों में अथक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग की महिलाएं कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर उद्यम में पूर्ण उत्साह के साथ प्रतिभाग कर रही हैं। महिलाओं में व्यवसायिक दक्षता और तकनीकी ज्ञान को प्रदान करने के लिए केन्द्र, राज्य, स्थानीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महिला उद्यमिता मंच 'Women Entrepreneurship' Platform (WEP)

8 मार्च 2018 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमिता मंच की औपचारिक शुरुवात हुई। यह मंच नीति आयोग और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त प्रयास है। हैदराबाद में 8 वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 में WEP पर विचार किया गया। यह मंच महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, गति, उद्यमिता कौशल, वित्तीय सहायता, अनुपालन, विपणन सहायता और सामाजिक उद्यमिता जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

अभियान समर्थ 'सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम' (MSME)

मंत्रि श्री नारायण राणे ने महिला दिवस 2022 को महिला उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत समर्थ अभियान की घोषणा की। यह अभियान स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भरता में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया गया। समर्थ अभियान से महिला उद्यमियों को अनेक लाभ प्राप्त होंगे, जैसे - निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के आरक्षित रहेगा। उद्यम पंजीकरण के अन्तर्गत डैडम् के पंजीकरण में महिला उद्यमियों के लिए विशेष अभियान। वर्ष 2022-23 तक महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जायेगा और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की वाणिज्यिक योजनाओं पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

उद्योगिनी योजना (2020)

उद्योगिनी योजना ग्रामीण क्षेत्र की कार्यकुशल महिला उद्यमियों के लिए महिला विकास निगम के लिए चलायी गयी योजना हैं। जो महिलाओं को वित्तीय सहायता, वित्तीय जानकारी तथा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। इस योजना ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों में महिला उद्योगिनीयों को समर्थन देने का कार्य किया और सस्ता ऋण जो कि सरकारी और प्राइवेट बैंक द्वारा महिला उद्यमियों को उपलब्ध कराने और लघु उद्योग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

अन्नपूर्णा योजना

31 अक्टूबर 2015 को भारत सरकार ने इस योजना का आरम्भ बामूरी, जयपुर से किया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 50000 रुपये ऋण महिला उद्यमियों को खाद्य वस्तुओं से संबंधित उद्योग आरम्भ करने के लिए दिया जायेगा जिसके लिए महिला उद्यमियों को गारंटर की आवश्यकता होगी और ब्याज भी बाजार

दर के हिसाब से देना होगा। इसके अतिरिक्त ओरियंटल महिला विकास योजना, मुद्रा योजना, स्त्री शक्ति पैकेज, सेंट कल्याणी योजना आदि कई तरीके की ऋण योजना महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा बैंको द्वारा चलाई जा रही हैं।

चुनौतियाँ

उद्यमिता के क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र की महिलाओं को पुरुषों से अलग समस्याओं को सामना करना पड़ता है। ऑकड़ों के अनुसार देश में 12 करोड़ युवा महिलाएं हैं, जो यदि सही प्रशिक्षण और नवाचार के साथ उत्पादन कार्यों को समय से करना आरंभ कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे सकती हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO Round 68) के अनुसार 31 प्रतिशत महिलाएं जो ग्रहणी हैं उनमें कार्य करने के प्रति रुझान बढ़ा है। पढ़ी लिखी 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं बाहर के कार्यों में प्रतिभाग कर रहीं हैं।

महिला उद्यमियों की प्रथम चुनौती धन की व्यवस्था न होने जबकि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी वित्तीय सहायता योजना चलाई है। परन्तु ऋण देने वाले बैंक महिलाओं की कार्य के प्रति प्रतिबद्धता को कम आँकते हैं उनको ऐसा लगता है वह कभी भी अपना व्यवसाय बंद कर सकती हैं। अतः गारंटर मिलने में महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है।

भारत में महिला साक्षरता दर तो बढ़ी है परन्तु अभी भी शत प्रतिशत साक्षरता नहीं प्राप्त हुई है। महिलाएं अभी भी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहीं हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी अथवा अपूर्ण शिक्षा के साथ व्यवसाय प्रबंधन कार्य उनके लिए चुनौती के रूप में सामने आता है।

स्वतंत्र उद्यम शुरू करने के लिए आरंभ में संघर्ष करना पड़ता है। अतः महिलाएं एक स्थिर नौकरी को प्राथमिकता देती हैं। सामाजिक और पारिवारिक दबाव में जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। भारतीय परिवार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने से ज्यादा आवश्यक पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करना है। परिवार और कार्य में संतुलन बैठाना महिला उद्यमी के लिए सहज नहीं है। व्यवसाय से सम्बन्धित ज्ञान, समझ को मजबूत बनाने के लिए व्यवसाय सम्बन्धित संस्थाओं स्टेक होल्डरस आदि से नेटवर्क बनाना पड़ता है और महिला उद्यमी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ नेटवर्किंग कौशल को विकसित नहीं कर पाती। कोई भी व्यवसाय कठिन परिश्रम, लगन और पूर्ण समर्पण से ही सफल बनता है, परन्तु महिला उद्यमियों के साथ व्यवसाय में ही सारा समय देना संभव नहीं होता है। सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई चुनौतियों का महिलाओं को निरंतर सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूचना का अभाव, प्रशिक्षण की कमी, व्यवसाय में गतिशील न हो पाना जैसी समस्याओं का सामना महिला उद्यमियों को करना पड़ता है।

समाधान

1. सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं को नय लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2. मजबूत संस्थागत प्रबंधन द्वारा महिलाओं को उद्यम के क्षेत्रों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
3. सरकार द्वारा चलाई जा रही मुद्रा योजनाओं की जानकारी ग्रामिण महिला उद्यमियों तक पहुँचाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।
4. उत्पाद के बाद उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाना एक पड़ी चुनौती है, जिसके लिए उद्यम विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं को समय समय पर उद्यम विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए।
5. भारत में महिलाओं की शत प्रतिशत साक्षरता के लिए सरकार को बुनियादी स्तर पर योजनाओं को क्रियावित करना चाहिए।
6. भारत में महिलाओं के व्यक्तित्व को उद्यमपूर्ण बनाने के लिए आत्मप्रभावकारिता के निर्माण तथा समस्त चुनौतियों के साहसपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक सरोकारों से लड़ने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
7. परिवार और कार्य में संतुलन बैठाने के लिए महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी जागरूक किया जाना आवश्यक है। जिससे महिलाएं भी अपनी प्राथमिकता समझ पाये और अपने उद्यम को उचित समय दे पाये।
8. महिला उद्यमियों को उद्योग से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और अपने संप्रेषण कौशल को विकसित कर व्यवसाय सम्बन्धित नेटवर्किंग को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

निष्कर्ष

उद्यम और उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं अपना स्थान बनाने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयासरत हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में महिलाओं की समझ उनके लिए अधिकारों के नये अवसर खोल रही है। महिला उद्यमिता पूर्णरूपेण महिलाओं द्वारा संचालित और नियंत्रित व्यवसायिक शाखा है। वैसे तो भारत में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और उद्योग के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार की संभावनाएं हैं। यह महिलाओं में आया एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसका मुख्य कारण शहरीकरण, औद्योगिकरण साक्षरता और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता है। शहरो की अपेक्षा गाँवों में महिला उद्यम ज्यादा विकसित होता नजर आता है। महिलाएं तो संपूर्ण क्षमता परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में लगा रही हैं परन्तु परिवार समाज और राष्ट्र को भी महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उनके पंखों को एक लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार करना होगा।

सदर्थ ग्रंथ सूची -

- Hisrich, R. D., & Öztürk, S. A. (1999). Women entrepreneurs in a developing economy. *Journal of management development*.
- Naser, K., Mohammed, W. R., & Nuseibeh, R. (2009). Factors that affect women entrepreneurs: evidence from an emerging economy. *International Journal of Organizational Analysis*.
- Shikhare, G. S. (2020). Atmanirbhar bharat abhiyan and swadeshi. *Dogo Rangsang Research Journal*, 10(07), 1-10.
- Bajaj, B., & Narayan Singh, S. (2022). The Role of Atmanirbhar Bharat Abhiyan in Indian Economy Transformation through Innovation. *The Role of Atmanirbhar Bharat Abhiyan in Indian Economy Transformation through Innovation (January 4, 2022)*.
- Aayog, N. I. T. I. (2017). Government of India. *Nourishing India—National Nutrition Strategy*.
- Kapur, R., & Narayan, S. (2020). Women Empowerment in India: More needs to be done. *ISAS Insights*, (628).
- Patnaik, B. C. M., Satpathy, I., & Rachayeeta, P. (2016). Issues of micro, small and medium enterprises (MSME) in India. *International Journal of Innovative Research and Development*, 5(6), 1-5.
- Shaik, M., Ramesh, K. V., Kumar, K. A., & Babu, G. S. (2017). Performance of MSMEs sector in India. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)*, 4(3), 11-15.

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारतीय

डॉ० परीक्षित लायेक

उप-प्राचार्य, श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

सार

महिला सशक्तिकरण एक बहस का विषय है। पहले के समय में उन्हें पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन उत्तर-वैदिक और महाकाव्य काल के दौरान उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई बार उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया जाता था। बीसवीं सदी की शुरुआत (राष्ट्रीय आंदोलन) से उनकी स्थिति धीरे-धीरे और धीरे-धीरे बदल गई है। इस संबंध में, हमने ब्रिटिश लोगों के नाम का उल्लेख किया। उसके बाद, भारत की स्वतंत्रता, सवैधनिक निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने दृढ़ता से पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति की मांग की। आज हमने देखा है कि महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक पदों पर कब्जा कर लिया है। फिर भी, उन्होंने समाज के कुछ भेदभाव और उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त नहीं किया है। कई महिलाएं अपनी क्षमताएं स्थापित करने में सफल रही हैं। इसलिए प्रत्येक को नारी की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सावधान रहना चाहिए।

परिचय

‘महिला सशक्तिकरण’ शब्द का ही अर्थ है कि महिलाएं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं—उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। यह दर्दनाक सच्चाई लंबे समय से अस्तित्व में है। यह हाल के वर्षों में महिलाओं को तुच्छता और शक्तिहीनता के रसातल से बाहर निकालने के लिए उल्लेखनीय कार्य शुरू हुआ है। पितृसत्तात्मक समाज ने दुनिया भर में महिलाओं की स्वतंत्रता का दमन किया। महिलाओं को वोट देने या यहां तक कि कोई राय रखने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं अपने घरों में कैद थीं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का अर्थ केवल घर में सेवा करने से कहीं अधिक है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक महिलाओं ने मानव निर्मित बाधाओं को पार करना शुरू किया, दुनिया ने महिलाओं के उदय को देखना शुरू कर दिया। पुरुषों के विपरीत, महिलाएं कभी भी अपने विपरीत लिंग की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करती हैं। वे सभी दबे-कुचले लोगों का हाथ पकड़ते हैं—पुरुष और महिला दोनों—और वे उन्हें दुर्भाग्य से बाहर निकालते हैं क्योंकि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।

महिला सशक्तिकरण का इतिहास एक निश्चित तिथि से शुरू नहीं होता, यह एक संचयी प्रक्रिया है। हालाँकि, कुछ आंदोलन, विरोध, क्रांतियाँ हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के कारण को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाया।

प्राचीन काल की तुलना में बाद के वक्त में भारत में नारी का सम्मान पहले जैसा नहीं रहा।

• सामान्य घरेलू ग्रामीण महिलाएं अब भी घर की चारदीवारी में रहने को मजबूर हैं। सामान्य जीवन की सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी उन्हें नहीं मिल पाती।

• शिक्षा के सन्दर्भ में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं।

- शहरी क्षेत्रों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण औरतों की तुलना में ज्यादा है।
- भुगतान के मामले में भी औरतों को पुरुषों की तुलना में करीब 20 प्रतिशत कम मेहनताना मिलता है।
- भारत की पूरी आबादी का करीब 50% हिस्सा महिलाओं के नाम है। अतः समाज के इतने बड़े वर्ग का अगर संतुलित सशक्तिकरण न हो तो समाज की रीढ़ की हड्डी भी सशक्त नहीं हो सकती और इसकी जिम्मेदार वर्तमान पीढ़ी ही कहलाएगी।
- लैंगिक असमानता भी महिला सशक्तिकरण के पीछे छिपा एक ज्वलंत कारण है। समाज के अलग अलग तबके में इतिहास के अलग अलग दौर में घर बाहर हर जगह औरत को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर दबाया गया। और यह विश्व के कई देशों में परिलक्षित हुआ।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएँ मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं।

महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही हैं कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा—

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
2. महिला हेलपलाइन योजना
3. उज्जवला योजना

4. सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप)
5. महिला शक्ति केंद्र
6. पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। वे अधिनियम निम्नलिखित हैं-

- (i) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956
- (ii) दहेज रोक अधिनियम 1961
- (iii) एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976
- (iv) मेडिकल टर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987
- (v) लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994
- (vi) बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006
- (vii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

निष्कर्ष

महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण ही अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में सहायक है। हमारा देश भारतवर्ष बड़ी तीव्र गति से आर्थिक तरक्की के पायदान चढ़ रहा है। इसीलिए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्रखर गति और सही दिशा देनी होगी। महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना भी होगा और इनका निराकरण भी करना होगा। हमारी सोच में एक आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। यह सही है की आज के भारत में महिलाएँ उच्च पदों पर आसीन हैं और अनेक औरतें घर की चौखट से निकल कर उद्यम और सेवा क्षेत्र में नये मुकाम हासिल कर रही हैं पर फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और मुकाम पाने होंगे।

आज की भारतीय नारी को समाज द्वारा थोपी गयी बेड़ियों और बंदिशों को तोड़कर जीवन की राह पर बढ़ना होगा तभी नारी सही मायने में सशक्त हो सकती है। लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है पर इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। समाज के हर वर्ग को, सरकारों को और सबसे महत्वपूर्ण खुद नारी को “नारी सशक्तिकरण” के मसले पर अभी बड़ा लम्बा रास्ता तय करना होगा एक सटीक और अडिग उद्देश्य के साथ।

महिला सशक्तिकरण के अनेक आयाम हैं। अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से जुड़े जो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं, उनके अलावा बहुत से कार्यक्रम हैं, जिनका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है। इनमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हैं। बुनियादी रूप से यह सामाजिक बदलाव का विषय है, जिसमें पूरे समाज की भूमिका है। सरकारी कार्यक्रमों की सफलता भी काफी हद तक सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, पर जितना काम इस दिशा में हुआ है, उससे भविष्य उज्ज्वल नजर आता है।

सन्दर्भ सूची

1. सोमनाथ जी. जॉन, एम्पावरिंग द आप्रेसेड पृष्ठ संख्या 161, नई दिल्ली सेज 2001।
2. एलेन रॉबर्ट श्द न्यू पेइन इंग्लिश डिक्शनरी पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली पृ. संख्या 4561 I
3. चितरंजन ओझा शनारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण रिगल पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. कविता शर्मा स्त्री सशक्तिकरण के आयाम रजत पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. प्रेम नारायण शर्मा शमहिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास भारत बुक सैन्टर 17-अशोक मार्ग, लखनऊ।

वर्तमान समय में भारत में मानव अधिकार आयोग की उपयोगिता

डॉ० रणजीत सिंह यादव

यूजीसी नेट, पीएचडी राजनीति विज्ञान, कार्यलय पुलिस अधीक्षक, (स्थापना शाखा), जिला श्योपुर म0प्र0-476337

सारांश:

वर्तमान समय में मनुष्य का अनेक सरकारों, राष्ट्रों, मानव संगठनों आदि के द्वारा मनुष्य के अधिकारों का शोषण किया जा रहा है इस शोषणकारी नीति से मनुष्य को अपने अधिकार दिलाने के लिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई जब से इस आयोग की स्थापना की गई है यह आयोग निरंतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर ही प्रयत्नशील है आज विश्व के लगभग हर देश में मनुष्य का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शोषण किया जा रहा है और इन संगठनों के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों को उनके अधिकारों को दिलाया जा रहा है।

प्रमुख शब्द:- मानव, अधिकार, सरकार, संगठन, संस्कृति, विश्वव्यापी, घोषणा, अल्पसंख्यक, कुशलता, घोषणा पत्र आदि।

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है अधिकारों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बहारी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अमरीकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। सन 1941 ई० में अमरीकी कांग्रेस का दिये गये संदेश में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतंत्रताओं पर बल दिया था भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतंत्रता, आभाव की स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता-से सभी अधिकार विश्व में सभी स्थान पर सभी को प्राप्त होने चाहिए अटलांटिक चार्टर से लेकर छिद्दतीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनों में मित्र-राष्ट्रों के द्वारा मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं पर बार-बार बल दिया गया विश्वशांति तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्राथमिक सुझाव 1944 में डर्म्बाटन ओक्स सम्मेलन में स्वीकार किये गये उस समय यह कल्पना नहीं की गई थी कि मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने को प्रस्तावित संगठन का एक वुनियादी उद्देश्य निर्धारित किया जाए लेकिन जब दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तो सोवियत संघ के प्रतिनिधि मंडल की पहल कदमी पर ही घोषणा पत्र तैयार करने वालों ने मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान के संबंधित प्रावधानों की आवश्यकताओं को स्वीकार किया था

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर बल दिया गया है चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र को मानव अधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन देने का ही अधिकार है, कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है चार्टर के अंतर्गत मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का केवल उल्लेख है, परंतु इनकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। वास्तव में, चार्टर इस संबंधों में राष्ट्रों के मध्य सहयोग को अधिक आवश्यक मानता है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का उद्देश्य जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के भेदभाव के बिना सब लोगों के मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रता में वृद्धि करना तथा उनके प्रति सम्मान का भाव जगाना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के “मानव अधिकार आयोग” को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का मसविदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। लगभग तीन वर्षों के प्रयत्नों के बाद “मानव अधिकार आयोग” ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसविदा तैयार किया, इस मसविदे को महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। मानव अधिकार के घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं इस घोषणा पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया अर्थात् काम करने के और समान काम के लिए समान पारिश्रमिक पाने के अधिकार का, ट्रेड यूनियनों में संगठित होने के अधिकार का, विश्राम तथा सामाजिक भरण पोषण के अधिकार का, शिक्षा के साथ संस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार का, जीवन के अधिकार का, विचार, धर्म, शांतिपूर्वक सभायें करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।

मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र:

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के लिए कार्य प्रारंभ हो गया था इसी उद्देश्य से महासभा ने मानव अधिकार आयोग को दो प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने का काम सौंपा:- एक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में, तथा दूसरा, आर्थिक, सामाजिक एवं

सांस्कृतिक अधिकारों को संबंध में है इन प्रतिज्ञा पत्रों का आशय मानव अधिकारों की ओर अधिक स्पष्ट व्याख्या करना तथा उनके पालन करवाने की व्यवस्था करना था इन प्रसविदाओं का उद्देश्य यह था कि महासभा की स्वीकृति के पश्चात इन्हें सदस्य राज्यों के सम्मुख संधिपत्र के रूप में पेश किया जायेगा तथा जो राज्य इस पर हस्ताक्षर कर देंगे उन पर ये बाध्यकारी रूप से लागू होंगे हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के अपने-अपने देश में आवश्यक कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने की व्यवस्था करनी होगी 16 दिसम्बर 1966 को अपने प्रस्ताव के द्वारा महासभा ने मानव अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों को राज्यों के हस्ताक्षर तथा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें अनेक मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों दो प्रसविदायें तथा एक ऐच्छिक प्रोटोकोल है, जो इस प्रकार है 1 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसविदा 2 आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, 3 राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रसविदा की बैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। 16 दिसम्बर 1966 को महासभा ने सर्वसम्मति से इन प्रतिज्ञापत्रों को अपनाया। 19 दिसम्बर 1966 का इन प्रतिज्ञापत्रों को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। प्रत्येक प्रतिज्ञापत्र के लिए 35 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होना आवश्यक था। ऐच्छिक प्रोटोकोल के लागू होने के लिए यह आवश्यक था कि नागरिक तथा राजनीतिक प्रतिज्ञापत्र के लागू होने के बाद 10 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जावे। इसे महासभा द्वारा 66 मतों से पारित किया गया, 12 राज्यों ने विरुद्ध मत दिया तथा 38 राज्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया दिसम्बर 2000 तक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रतिज्ञापत्र का 146 राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया था, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रतिज्ञापत्र का 147 राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया था तथा 80 राज्यों ने ऐच्छिक प्रोटोकोल का अनुसमर्थन कर दिया था। 23 मार्च 1976 को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र 1966 लागू हो गया, क्योंकि उक्त तिथि को निर्धारित राज्यों की संख्या ने इसका अनुसमर्थन कर दिया तथा यह उक्त तिथि को लागू हो गया था। वे दोनों प्रसविदाएं मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 1948 पर आधारित हैं। मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, उपयुक्त दोनों प्रतिज्ञापत्र तथा ऐच्छिक प्रोटोकोल मिलकर मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र कहलाते हैं।

इस प्रतिज्ञापत्र के अंतर्गत पी एफ 18 सदस्यीय मानव अधिकार समिति का गठन किया गया है जो इससे संबंधित देशों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार करती है। इन रिपोर्टों के जरिये यह देखा जाता है कि संबंधित देश में प्रतिज्ञापत्र के प्रावधानों को लागू करने के लिए किस तरह के कदम उठाये गए हैं। यह समिति प्रतिज्ञापत्र से संबंधित देशों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर अपनी सिफारिशें पेश करती है इसके अतिरिक्त यह समिति प्रतिज्ञापत्र को लागू करने में मदद देने के उद्देश्य से सरकारों की अपनी टिप्पणियों के जरिये मदद भी करती है। कई बार यह समिति किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश के प्रतिज्ञापत्र को लागू न करने पर भी विचार कर सकती है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में बहुधा कहा जाता है कि यह महासभा द्वारा पारित घोषणा होने के कारण बन्धनकारी नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बहुत समय से प्रयास कर रहा है कि मानव अधिकारों के विषय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि की जाये जिससे मानव अधिकारों को विधिवत् प्रोत्साहित तथा कार्यान्वित किया जा सके। अतः उपयुक्त वर्णित प्रतिज्ञापत्रों का लागू होना एक महान् उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन:- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष घोषित किया। इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन तेहरान में आयोजित मानव अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें एक कार्यक्रम और एक मुख्य घोषणा का अनुमोदन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन (जिसमें 170 से अधिक देशों, 841 गैर सरकारी संगठनों और बड़ी संख्या में विशेष रूप से आमंत्रित लोगों तथा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया) 25 जून 1993 को आस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ। सम्मेलन के औपचारिक समापन सत्र में पारित वियना घोषणा में संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों और ऐसी स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए, जिनके द्वारा विश्वव्यापी स्तर पर मानवाधिकारों पर निगरानी रखी जा सके और उनकी रक्षा की जा सके, “मानव अधिकार दशक” मनाने की घोषणा की जाये। घोषणा में संयुक्त राष्ट्र महासभा से यह सिफारिश की गई कि मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद बनाया जाये, ताकि वियना घोषणा और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न घोषणाओं में तय किये गये मानवाधिकार कार्यक्रमों को लागू करने तथा उन पर निगरानी रखी जा सके।

वियना घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया कि आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिए आवश्यक उपाय तत्काल किये जाये। घोषणा में संकेत किया गया कि आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी के बीच संबंध है। इन दोनों से ही मानवाधिकारों, लोकतंत्र और राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखण्डता को खतरा है। इसमें रंगभेद और जातीय भेदभाव के चिरकालिक अवशेषों की भी निंदा की गई है। घोषणा में आत्मनिर्णय के अधिकार को भी मंजूरी दी गई है। अन्ततः वियना सम्मेलन की घोषणा में इस बिंदु पर प्रकाश डाला गया कि लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार परस्पर-सम्बद्ध अवधारणाएं और आदर्श हैं, अतः सम्मेलन ने विकास को बुनियादी या मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है जिसको बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्यों का दायित्व है।

मानवाधिकार आयोग:

आर्थिक और सामाजिक परिषद् द्वारा 1946 में स्थापित मानवाधिकार आयोग महासभा को मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रस्ताव, सिफारिशें और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बाद के वर्षों में यह आयोग संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों के संबंध में एक प्रमुख मंच बनकर उभरा। इस आयोग में देशों, अन्तः शासकीय और गैर सरकारी संगठनों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। इस आयोग में 53 सदस्य देश शामिल हैं। इन देशों को 03 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इस आयोग की हर वर्ष 06 सप्ताह के लिए जेनेवा में बैठक आयोजित की जाती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् ने 1946 में इस आयोग की मदद के लिए एक उप-आयोग गठित किया था जिसका काम अल्पसंख्यक के साथ भेद भाव को रोकना और उनका संरक्षण करना है। इस उप-आयोग में विश्व के सभी क्षेत्रों के 26 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है और यह नस्ली, धार्मिक, जातीय और भाषायी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने से संबंधित मुद्दों की जांच और उन पर अपनी सिफारिशें पेश करता है।

भारत में मानव अधिकार:

2011 की जनगणना पर आश्रित आंकड़ों के अनुसार (25.96) प्रतिशत भारतीय निरक्षर है। अनुमान है कि वर्तमान समय में 6-14 वर्ष तक की आयु के 63 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है 135 मिलियन बच्चों के लिए अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलभ नहीं हैं जबकि 226 मिलियन लोगों के लिए पेयजल का आभाव है तथा 640 मिलियन लोगों के लिए प्रारंभिक आरोग्यदायक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 15 से 49 वर्ष के बीच की आयु वाली 88 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। जहां तक भोजन तथा पोषण की बात है 62 मिलियन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषणग्रस्त हैं, जहां तक वच्चों की बात है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं—अनेक संकटापन्न उधोगों में लगे हुए हैं। निर्धनता तथा आय के संबंध में स्थिति यह है कि विश्व के एक तिहाई निर्धन व्यक्ति भारत में रहते हैं। स्थिति की जटिलता राज्यों के मध्य विस्तृत असमनताओं से संयुक्त है। इस प्रकार केवल 7 वर्ष की आयु से उपर की 93.91 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, जबकि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तुलनीय आंकड़े क्रमशः 63.82, 67.06 तथा 69.72 प्रतिशत हैं। भारत के लोगों ने स्वतंत्रता के बाद मानव अधिकारों पर हुए जो प्रहार सहन किए, उनमें कोई भी इतना घृणास्पद नहीं था जितने घृणास्पद आतंकवादियों द्वारा किये जा रहे हिंसात्मक अपराध हैं। जम्मू कश्मीर राज्यों में आतंक के बातावरण के कारण लगभग 30,000 कश्मीरी पण्डित घाटी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। 13,775 से अधिक सिविलियनों और 4,690 सुरक्षा बलों के कार्मिकों की जानें गयी हैं। वर्ष 2008 से 2009 के दौरान 9 राज्यों में उग्रवाद के अंतर्गत क्रमशः 721 एवं 908 व्यक्ति मारे गये। 01 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के कुल 3,707 मामले हुए। जेलों में भीड़, ज्यादातर, विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या की वजह से होती है, जो मानव गरिमा को अत्यधिक विसंगतिपूर्ण बनाती रही हैं। विभिन्न बन्दीगृहों में बंद कैदियों की संख्या 3,85,135 विचाराधीन कैदी हैं। इनका प्रतिशत कुल कैदियों का 66.2 प्रतिशत से अधिक बैठता है। विचाराधीन कैदियों में अधिक संख्या समाज के गरीब वर्ग के लोगों की है जो गांवों से संबंधित हैं। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों द्वारा मेरठ जेल का दौरा किये जाने पर वहां लगभग 3,000 लोग जेल में बंद पाए गए जबकि उस जेल की घोषित क्षमता 650 व्यक्तियों के रखे जाने की है। संविधान के अनुच्छेद 23, 24, 39 (द) एवं (च) और 41, 45 तथा 47 के होते हुए एवं 1948 से लेकर 1986 तक 12 अधिनियम पारित किये जाने के बाद भी बालश्रम की समस्या बनी हुई है और आज लगभग 2 मिलियन बच्चे संकटापन्न उधोगों में काम कर रहे हैं। हाथ से मैले की सफाई मानव गरिमा के प्रति घोर आपराधिक तरीका है और स्वाधीनता के 69 वर्ष बीते जाने के बाद भी इस अपमानजनक प्रचलन को जिसमें हाथ से मैल साफ किया जाता है, हमारे देश में अभी तक जारी रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद मानव अधिकारों के उलंघन की व्यापक घटनायें बराबर हो रही हैं। मानव अधिकारों की वैश्विक घटना के 05 वर्ष बीत जाने के बादजुद भी विश्वभर की मुख्य खबरों में मानवाधिकारों के व्यापक उलंघनों की घटनाएं छाई रहती है। पर कुछ हद तक मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों, समस्यामूलक क्षेत्रों की निगरानी, खासकर वच्चों के प्रति व्यवहार, महिलाओं प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के प्रयासों को कुल स्थिति में आए सुधारों को श्रेय दिया जाता है।

वास्तव में मानव अधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के उपाय तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यक्रम में महासचिव कोफी अन्नान ने घोषणा की थी कि मानव अधिकारों का मुद्दा संगठन के विविधतापूर्ण दायित्वों में हमेशा प्रमुख रहेगा तथा इन अधिकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने की बात सभी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल हो जाएगी। मानव अधिकार तो संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों के अनिवार्य अंग बनते जा रहे हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त की जोरदार कार्यवाही और संयुक्त राष्ट्र के भागीदारी के बीच सहयोग एवं तालमेल बढ़ाने के लिए किए गए उपाय मानवाधिकारों के लिए संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की योग्यता और कुशलता बढ़ाने के ठोस प्रयासों की अभिव्यक्ति है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- 1 मानव अधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र उधघोषणा साधारण सभा संकल्प 53/144 दिनांक 09 दिसम्बर 1998
- 2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आईएनए नई दिल्ली
- 3 2006 के अधिनियम संख्या 43 की धारा 2 के खण्ड (ब) द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 26.11.2006 से प्रभावी।

सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अरविन्द कुमार

(रिसर्चस्कॉल), समाजशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी.जी.कॉलेज- बाराबंकी, ३०८०,
(संबद्ध- डॉ० राममनोहरलोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, ३०८०)

डॉ० सीताराम सिंह

(प्रोफेसर), समाजशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी.जी.कॉलेज- बाराबंकी, ३०८०,
(संबद्ध- डॉ० राममनोहरलोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, ३०८०)

शोधसारांश-

भारत गांवों का देश है यही गांव के लोग यदि जागरूक नहीं होंगे तो देश कभी तरक्की की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है वर्तमान समय में इस बात को छुठला या नहीं जा सकता है कि गांव अब शहरों से पीछे नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण सूचना प्रौद्योगिकी है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला शक्ति के कारण इस्तेमाल से देश की आर्थिक समृद्धि को तेजी से बढ़ाया जा सकता है महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ है समूचे समाज को सामर्थ्य बनाना है, भारत में महिला सशक्तिकरण के चार प्रमुख आधार हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक परिस्थितियां पहली तीन बातों के लिए सरकारी कार्यक्रम मददगार हो सकते हैं पर चौथा आधार सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है अलबत्ता शिक्षा और आध्यात्मिक संस्कृति में आ रहे परिवर्तन खासतौर से बदलती तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है वह कार्यकारी घंटों में दो तिहाई का योगदान करती महिलाएं अधिकांश का पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं वह बच्चों और बड़ों की देखभाल करती और पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग करती हैं ग्रामीण महिलाएं घर का कार्य शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं जी.डी.पी में इसकी गणना नहीं होती है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति संबंधी 'राष्ट्रीय समिति रिपोर्ट' में कहा गया महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक मानदंड विवाह के प्रति दृष्टिकोणविवाह की आयुपरिवार में महिला का स्थान सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला की अपेक्षित भूमिका महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार के प्रति जागरूकता लाने में भी सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम काफी कारगर साबित हुए जैसे- ग्रामीण महिला टेक्नोलॉजी पार्क (आर.डब्ल्यू.डी.पी) "बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ" अभियान को मूर्त रूप देने और ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ग्रामीण महिला टेक्नोलॉजी पार्क की पहल भारत सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की है, इस प्रकार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य विज्ञान से परिचित कराना है इनमें किसी भी उम्र की महिलाएं शामिल होसकेंगी। शिक्षित होना भी जरूरी नहीं इसमें सामान्य कंप्यूटर शिक्षा परंपरा का हुनर तराशने के साथ हेल्प किया डिजिटलमार्केटिंग, फूडप्रोसेसिंग की जानकारी भी मिलेगी सीएसआईआर उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट के तहत ग्रामीण महिला प्रतियोगी की पार्क में विभिन्न उत्पादों जैसे-हैंडसेनीटाइजर, मास्क एवं तरल कीटनाशक के निर्माण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जिससे यह बात साबित हुई कि ग्रामीण महिलाओं को भी सहायता मिले तो वे भी अच्छा परिणाम दे सकती हैं।

प्रस्तावना-

आज विश्व में भारत को नई पहचान मिली है वह सूचना प्रौद्योगिकी में हो रही है प्रगति से ही है इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में किए गए संदेशों को अधिक सरल-सहज और रुचिकर बनाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब सूचना प्रौद्योगिकी कीडिजिटल भाषाओं को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भाषा के अनुरूप के लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाए, जिससे देश के सर्वाधिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास कार्यक्रम जैसे-कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता अभियान, व्यापार, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। आज क्षेत्र में वर्तमान युग कंप्यूटर एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी का युग है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी का नाम दिया जाता है दैनिक जीवनमेंसूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रमुख भविष्यवाणीकी जा सकती सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन के व्यस्त कार्यक्रम और जिम्मेदारी के बावजूद मानव जीवन को प्रभावित करने में हमेशा विजई रही है ग्रामीण महिलाओं के लिएसूचना प्रौद्योगिकी योजना "साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमन सीड कार्यक्रम" के तहत यह योजना विशिष्ट लक्ष्य समूह के रूप में महिलाओं

पर केंद्रित है इस योजना का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं पर कार्य करना है जो महिलाओं के लिए 'जीवन की गुणवत्ता' से जुड़ी हो महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के शोध विकास उन्मूलन को बढ़ावा देना भी इस परियोजना के उद्देश में शामिल है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार के नए अवसरों का सृजन और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के लिए ग्रामीण महिला के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजना तैयार की गई। लोनलीक्राउड के अनुसार, आज के समाज में औद्योगिक नगरीकरण, नवाजचारों और विकसित प्रौद्योगिकी के व्यवहार के नए ढंग विकसित हुए। बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के कारण एक ऐसी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जिससे कम समय में व्यक्ति अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

वर्तमान समाज को 'सूचना समाज' के नाम से संबोधित करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया को छोटा बना दिया है इसी कारण मेंमैकलुहान ने इसे ग्लोबलविलेज की संज्ञा दी है।

इस प्रकार कंप्यूटर, माइक्रो विद्युत उपकरण और पूर्व रूप टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और लेजर के द्वारा निरंतर विकास हो रहा है इसका प्रभाव संपूर्ण सोसाइटी पर वर्तमान में सूचना क्रांति को गति प्रदान करने एवं प्रतिदिन नया रूप धारण करने सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ग्रामीण एवं शहरी निर्विवाद से सर्वोपरि है सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान समय में मानवीय विचार को एक स्वरूप देने के लिए विभिन्न रूपों में संसाधन संप्रेषण अधिग्रहण एवं पुनरावृत्ति अधिकारियों को त्रुटि रहित एवं कुशलता पूर्वक होता है वर्तमान परिदृश्य में सूचना संचार के जरिए आज हम आधुनिक युग में इंटरनेट, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इलेक्ट्रॉनिक मेल, संचार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास का अनूठा तोहफा है। मनोरंजन के साधन और घर बैठे खरीदार तथा फिल्म व्यापार जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की तरक्की का रास्ता निकाल सकते हैं शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी कर सकते हैं।

- मुख्य शब्द-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण, इंटरनेट, महिलाएं

— सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिलाओं के विकास में योगदान—

कृषि में राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (NEGP&A)-

- टेलीफोन-इंटरएक्टिववॉइसरिस्पॉस
- कंप्यूटर की वेबसाइट-विशेषज्ञता की समझदारी, परामर्श, समुदाय
- उपग्रह-परामर्श, बैंकिंग, नेटवर्किंग
- इंटरनेट ब्रॉडबैंड-जानकारी साझा करना, सोशल मीडिया, ई-समुदाय, बैंकिंग, बाजार, प्लेटफार्म, ट्रेडिंग आदि।
- सेंसरनेटवर्कस-त्वरित (रियल टाइम) जानकारी, बेहतर गुणवत्ता तथा जानकारी एवं बेहतर
- जानकारी भंडारण एवं विश्लेषण-सुषमा कार्रवाई करने की योग्य जानकारी

— सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भमें बात करें तो एक विषय के रूप में दो स्वरूप है-

सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है-

समाज में यह कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी ओर युवा वर्ग जनसंचार के चमक के माया जाल में फंसा जा रहा है। यह युवाओं में तेजी से पनप रहे मनोविकारों, दिशाहीनता और कर्तव्य को संचार माध्यमों के दुष्परिणामों से जोड़कर देखा जा सकता है पश्चिम का अंधा अनुसरण करने की प्रवृत्ति उन्हें आधुनिकता का पर्याय लगने लगी है। इनसे युवाओं की पूरी जीवन शैली, खानपान, वेशभूषा और बोलचाल सभी समग्र रूप से शामिल हैं मद्यपान और धूम्रपान उन्हें एक फैशन का ढंग लगने लगा है। नैतिक मूल्यों के हनन में ये कारण मुख्य रूप से उत्तरदाई है आपसी रिश्ते नातों में बढ़ती दूरियां और परिवारों में बिखराव की स्थिति इसके दुखदाई परिणाम हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले माध्यम हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रामीण युवा वर्ग पर इन सभी सूचना संचार माध्यमों ने अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। इनका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आज के पुरुषों या महिला जनसंचार माध्यमों के बिना अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में मोबाइल और इंटरनेट अत्याधुनिक तकनीकों के उदाहरण हैं जिनका निसंकोच उपयोग अधिकांश युवाओं द्वारा किया जा रहा है मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिसे दूर बैठे व्यक्ति के साथ बातें की जा सकती हैं तथा अपने हसीन पलों को चित्रों के रूप में कैद किया जा सकता है यह तो इसका सदुपयोग है परंतु आज ग्रामीण या शहर के सभी युवा वर्ग चाहे लड़के या लड़कियां हो या महिला हो इस माध्यम का गलत उपयोग एस.एम.एस जैसे दूर व्यसनों में फंस जाती है किसी प्रकार इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों में सबसे प्रभावशाली है जिसमें दूरियों को कम कर दिया है इसका अधिकतर उपयोग युवा वर्ग द्वारा किया जाता है, यह ज्ञानवर्धक में तो सहायक है परंतु आज वर्तमान समय में युवा द्वारा उसका दुरुपयोग अधिक होता जा रहा है हालांकि सरकारी व्यक्तियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का सही उपयोग किया जा रहा है। तमाम अश्लील साइटों पर जाकर अपनी उत्कंठा को शांत करते हैं परंतु यह नहीं जानते हैं कि उनका और समाज का दोनों का पतन होता है साथ ही इंटरनेट के अधिक उपयोग में साइबर क्राइम जैसे अपराध करने की नई विधा उत्पन्न कर दी है जिससे ग्रामीण युवा एवं महिला वर्ग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पतन की ओर अग्रसर हो रहा है जो हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार के माध्यमिक ने शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार और जनमत समाज को गतिशील बनाने तथा सूचना का बाजार बनाने, में सहयोग किया, वही अश्लीलता, हिंसामनोविकार, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति तथा समाज को नैतिक और सांस्कृतिक पतन की ओर अग्रसर किया है। अब हमारे युवाओं को इसका ध्यान करना होगा किसकी ओर जाना चाहते हैं।



साहित्यिक पुनरावलोकन-

- **पिल्लार्ईऔर शांत (2008),**“आईसीटी एंड एंपावरमेंट प्रमोशन अमंग पूअर: हाव केन वी मेक इट है पन? समरिफ्लेक्शन ऑन केरलाज एक्सपीरियंस”-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप गरीब महिलाओं में रोजगार को कैसे प्रोत्साहन मिला है, इसे ‘केरला’ के कुछ अनुभवों से प्रेरित किया गया है।
- **मिस्टर, एस(2003);** ¶पार्ट-2 -ग्लोबलाइजेशन एंड आईसीटी: एंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉरवूमेन”-वैश्वीकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर खुलकर सामने आए हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है।
- **डी. रीसमैनदलोल्लीक्राउड (1950)** “आज के समय में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, नवाचारों एवं विचारों में प्रौद्योगिकी के कारण व्यवहार के नए ढंग की विकसित हुए हैं बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सामाजिक परिवर्तन की इस पद्धति को हम सूचना क्रांति का नाम देते हैं।”
- **जिप(1994)-** “इनका अध्ययन बताता है कि भविष्य में कृषि तकनीकी, कृषिविकास केलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगीतथा ज्ञान के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

शोध समस्या के उद्देश्य-

1. सूचना प्रौद्योगिकीतक ग्रामीणमहिलाओं की पहुंच का अध्ययन करना।
2. सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के प्रभाव को ज्ञात करना।
3. सूचना प्रौद्योगिकी के साधन जैसे- कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के संबंध में उत्तरदाता जानते हैं कि नहीं इन साधनों के प्रभाव को ज्ञात करना।
4. सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता, आत्मविश्वास, वयक्तिक पक्षों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएं-

किसी भी प्रकार का शोध कार्य करने से पहले हम कुछ परिकल्पनाएं निश्चित करते हैं ये परिकल्पना सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है प्रस्तावित शोध पत्र मेंकुछ परिकल्पना एक निश्चित की गई है जो इस प्रकार हैं-

1. नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों की पर्याप्त पूर्ति करके ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशाओं को सुधारा जा सकता है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी से ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक बदलाव तीव्र गति से हो रहा है।
3. क्या ग्रामीण महिलाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के विकास की गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4. शिक्षितव कार्यशील महिलाएं, अशिक्षित व घरेलू महिलाओं की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी से अधिक प्रभावित होती हैं।

नोट- उक्त वर्णित उद्देश्य एवं अध्ययनों के आधार पर ही सामाजिक शोध में तीन प्रकार के शोध प्रारूप बनाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं-

- अन्वेषणात्मक एवं निरूपणत्मक शोध प्रारूप
- वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शोध प्रारूप
- परीक्षणात्मकप्रारूप

- यहसामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को नए रोजगार सृजन करती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है इससे भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायता मिलती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा सामाजिक निर्णय लेने में होता है।



- ग्रामीण महिलाओं के लिए रोशनी उम्मीद कीसूचना प्रौद्योगिकी-

1. ब्रांडबैंडहाईवेज
2. मोबाइल कनेक्टिविटी
3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम
4. ई- क्रांति
5. सबके लिए सूचना, सबके लिए जानकारी
6. इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता
7. रोजगार मूलक सूचना प्रौद्योगिकी
8. अर्लीहार्वेस्ट प्रोग्राम
9. सुगम्य भारत ऐप
10. एग्रीमार्केटएप
11. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
12. भारत ब्रांड नेटवर्क
13. ई- बस्ता
14. उमंग एप
15. ई-पंचायत
16. राष्ट्रीय कृषि बाजार

अब इन कार्यक्रमों को महिलाओं की नजर से देखें कि कैसे उनके लिए उम्मीद की किरण जगाता है पहली बात तो हर क्षेत्र में इसकी अनिवार्यता में ही महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है यानी जैसे-जैसे यह क्रांति बढ़ेगी, देश के हर हिस्से में पहुंचेगी, आज शहरी महिलाएं डिजिटल बदलाव को लेकर अनभिज्ञ नहीं हैं छोटे-बड़े शहर की हर लड़की और महिला किसी न किसी रूप में तकनीक से जुड़ी हैं देशभर में हो रही घटनाओं से वह किसी न किसी माध्यम से अवगत हो रही हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति अभी उतनी तेज से नहीं बदली है यही वजह है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का चेहरा खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में तकनीक का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं बनेंगी गांव के स्तर पर सरकारी योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाली महिलाओं को सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी की पहचान बनाना और सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से उनके उड़ान में ताकत आएगी सबसे अच्छी बात तो यह दिखाई दे रही है वह है ग्रामीण महिलाओं का कौतूहल से भरा मासूम चेहरा.... रोशनी से चमकती आंखें.. जो इसी बहाने मुख्यधारा से जुड़ने का शुभ स्वप्न देख सकेंगी.....वह सब इस तरह से कर सकेंगी जो शहर की महिलाएं कर रही हैं.... उनका अधिकार भी है...सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पर ही सही....सार्थकता कि कहीं कोई एक बूंद तो झोली में आए, ... मंदर इसी से बनेगा।

अध्ययन प्रविधि: (अध्ययन क्षेत्र व विषय वस्तु)-

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के अनुसार विकास खंड के पांच गांव का चयन कर वहां के रहने वाली ग्रामीण महिलाओं का पर अध्ययन किया गया है पाँच गांवों का चयन दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है। मसौली विकास खंड से जिन पाँच गाँवों का चयन किया गया है वे हैं-

1. देवीदीन पुरवा
2. ठाकुर बक्स पुरवा
3. धर्मपुरकटरा
4. तुलसीपुर
5. अंबौर

उन पाँच गांवों उद्देश्य पूर्णनिर्दर्शन पद्धति की सहायता से 300 महिलाओं का चयन कर उनसे तथ्य संकलित किए गए हैं।

-प्रकृति- प्रस्तुत शोध की प्रकृति अन्वेषणात्मक/सर्वेक्षण विधि है।

तथ्य संकलन के स्रोत-

तथ्य संकलन की प्रविधियों को दो भागों में बांटा गया है-

प्राथमिक स्रोत-

प्रस्तुत शोध में संकलन की अनेक विधियों में से अनुभवात्मक अध्ययन में साक्षात्कार, अनुसूचीव अवलोकन के द्वारा सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। वांछित तथ्यों को प्रदान करने वाले प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की गई है। इस अनुसूची को एक मार्ग निर्देशिका के रूप में अधिक प्रयोग किया गया है व्यवस्थित अनुसूची को लेकर उत्तर दाताओं से समय सुनिश्चित किया गया है प्रदत्त समय पर उपस्थित होकर एक-एक प्रश्न को पूछकर उत्तरको समय लिखा है सही तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अवलोकन और साक्षात्कार का सहारा लिया गया है प्रश्नों का उत्तर लिखने में अनेक हाव-भाव को भी ध्यान में रखा है।

द्वितीयक स्रोत-

इसके अंतर्गत पूर्व अध्ययन, लेख, समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन, इंटरनेट आदि रही हैं, जिनसे उपलब्ध समुचित उपयोग किया गया है।

तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण-

सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिलाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों में रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि सम्मिलित हैं और रेडियो, इंटरनेट, यूट्यूब समाज में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है ग्रामीण महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में आर्थिक अर्थव्यवस्था की सेहत और विकास के लिए महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर प्रणाली वाला कृषि क्षेत्र देशवासियों के लिए खाद्य पोषण सुनिश्चित करता है इंटरनेट पैठ का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण उद्यमिता को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन है नई तकनीकें ग्रामीण क्षेत्र में अवसर पैदा करें जो पहले कभी नहीं थे। आज एक ग्रामीण महिला उद्यमी ऑनलाइन स्टोर बनाकर उत्पाद को सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों को जोड़ने तथा वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले महत्वपूर्ण स्तंभों के पहुंच में भी सुधार किया है जो लंबी अवधि में महत्वपूर्ण ग्रामीण आर्थिक उत्पादकता पर प्रभाव। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है और रेडियो टेलीविजन, यूट्यूब, इंटरनेट ने महिलाओं की मनोवृत्ति, विचार, आदर्श सोच दृष्टिकोण आदि को परिवर्तित करने में विशेष योगदान दिया है। अखबार एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं न केवल विश्व के समाचारों से अवगत होती हैं बल्कि कृषि जगत के बारे में भी जानकारी प्राप्त करती है इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों से नवीन ज्ञान एवं तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान कर गांव के उत्थान के साथ-साथ महिलाओं के विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान अदा करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

तालिका-1: सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उत्तरदाताओं के विचार-

महिलाओं पर प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
महिलाओं का सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता	93	31.00
महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार	69	23.00
महिलाओं के आर्थिक निर्भरता में सहायक	60	20.00
ग्रामीणकृषि उत्पादनकेस्तरमें वृद्धि	36	12.00
कृषि कार्य में इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता	24	08.00
अन्य	18	06.00
योग	300	100.00

सारणीके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 31% उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण महिलाओं का सशक्तिकरण एवं आत्म निर्भरता 23% महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 20% उत्तरदाताओं की राय में सूचना प्रौद्योगिकी के महिलाओं के आर्थिक निर्भरता में सहायक हुई है। 12% ग्रामीण कृषि उत्पादन के स्तर में वृद्धि हुई है। 8% कृषि कार्य में इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता और 6% उत्तरदाताओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण महिलाओं पर अन्य प्रभाव उत्पन्न किए हैं।

तालिका-2: महिला सशक्तिकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में उत्तर दाताओं के विचार-

प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1. नई कृषि तकनीक का डिजिटलीकरण	84	28.00
2. ग्रामीण महिलाओं की वैचारिकी में शैक्षिक परिवर्तन	42	14.00
3. कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि	36	12.00
4. ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाओं का ज्ञान	33	11.00
5. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता में वृद्धि	33	11.00
6. महिलाओं में कृषि प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक सोच का विकास	33	11.00
7. अन्य।	09	03.00
योग	300	100.00

सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है 28% उत्तरदाताओं का कहना था कि ग्रामीण समाज में नई कृषि तकनीक के इंटरनेट के माध्यम से डिजिटलीकरण हुआ है। 14% उत्तरदाता के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की वैचारिकी में शैक्षिक बदलाव हुआ। 12% उत्तरदाताओं के अनुसार कृषि उत्पादन में सकारात्मक एवं निरंतर वृद्धि हुई। 11% उत्तरदाताओं की राय के अनुसार महिलाओं में कृषि प्रणाली की व्यवस्था के प्रति सकारात्मक सोच का विकास हुआ। 11% उत्तरदाताओं का कहना है कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम एवं योजना का ज्ञान हुआ। 11% उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सूचना की वृद्धि हुई। 3% उत्तरदाताओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का ग्रामीण महिलाओं एवं समाज पर अन्य प्रभाव भी पड़ा है।

— सारांश एवं निष्कर्ष—

भारत जैसे विशाल देश में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आज देश की शहरी और ग्रामीण हिस्सों के बीच सेतु बनाने के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक बन गया है। “भारत विचार शिखर सम्मेलन” में अपने मुख्य भाषण में ‘प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी’ ने भारत को अवसरों की भूमिकी उपमा देते हुए उल्लेख किया कि शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं इस अभियान ने इंटरनेट की पैठ बढ़ई जो अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है जिसके चलते घरों में महिलाओं के लिए अपार लाभ की संभावनाएं पैदा हुई हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ‘जीवन की गुणवत्ता’ में सुधार की क्षमता प्रदान की है उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन बाजारों, भोजन के घर पहुंचने की सुविधा और निरंतर मनोरंजन तक पहुंचने शहरी और ग्रामीण आबादी के अनुभव के अंतर को कम कर दिया है। फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की योजना पंचायत स्तर पर ‘कनेक्टिविटी’ प्रदान करना है। सरकार ने 2020-21 में भारत ने कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया था ताकि एक लाख ग्राम पंचायतों को हाइपरलिंक किया जा सके। और यह महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भी है ‘प्रधानमंत्री घर तक फाइबर’ स्कीम 2020 में शुरू की गई। सूचना प्रौद्योगिकी के तहत कॉमन सर्विस सेंटर ने भारत के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम किया। महिलाएं अब निश्चित रूप से मोबाइल रखना चाहती हैं फिलहाल गांव में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं के आने के बाद कई तरह की सुविधाओं को चार चांद लग गए हैं अब गांव में

हर जगह जन सूचना-केंद्र एवं 'साइबरकैफे' खुल रहे हैं जहां से गांव के लोग आसानी से अपनी जरूरत के बारे में जान सकते हैं ग्रामीण महिलाएं भी कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उचित प्रयोग कर जानकारी प्राप्त कर रही हैं इससे एक तरफ उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है दूसरी तरफ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं साथ ही उनका शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति भी हो रही है।

संदर्भ-

1. कुरुक्षेत्र, फरवरी 2021 पृष्ठ संख्या (16- 2548)
2. डॉ. मनोहर के सनप "सूचना और संचार की भूमिका" महिला सशक्तिकरण में प्रायोगिक का क्रॉनिकलनाबेल वाडिया इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च आईएसएसएन: 2230-966 खंड- 24-25 फरवरी 2015
3. एम. मुखर्जी मोनादीप 'कुरुक्षेत्र', "सूचना एवं संचार मंत्रालय प्रसारण भारत सरकार" सी.जी.ओ नई दिल्ली, फरवरी 2021 पृष्ठ सं.(36-44,46)
4. पी.बी.काणे- हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
5. के.स्वाति: 2016 "महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका" पृष्ठ संख्या (9,146,151)
6. डॉ निर्मलासिंह व ऋषि गौतम: "ग्रामीण समाज और संचार": बदलते आयाम (kukufm-com)
7. पी.वी.श्रीनिवास, (अगस्त 2017), 'कुरुक्षेत्र', सूचना एवं संचार मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ संख्या (40, 41, 42)
8. बालेंदु शर्मा दधीचः(मई 2018), कुरुक्षेत्र "ग्रामीण विकाससूचना एवं संचार तकनीकी का योगदान", पृष्ठ संख्या (21,22,23)

Website-

<http://ignited.in/I/a/232179>

https://m-hindi.webdunia.com/current-affairs/digital-india-and-women-115070100055_1.html?amp=1

Kukufm.com

आत्मनिर्भर भारत की पहल : 'वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल तक'

ममता शत्रुघ्न माली

(प्राध्यापिका), श्रीमती एस. के. सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, मुंबई

सार :

आत्मनिर्भर अर्थात् स्वयं पर निर्भर होना अथवा स्वयं पर निर्भर होने की स्थिति होना। आत्मनिर्भर ही किसी पर आश्रित न होने को दर्शाता है। क्या किसी मनुष्य अथवा जीव के लिए पूर्णतः स्वयं से निर्भर अर्थात् आत्मनिर्भर होना संभव है? मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, फिर उसकी समाजिकता का क्या? आत्मनिर्भर होना अर्थात् आत्मकेन्द्रित होना तो नहीं? व्यक्ति स्तर पर आत्मनिर्भर होने से तात्पर्य है किसी कार्य को कर सकने में सक्षम होना। व्यक्ति स्तर पर आत्मनिर्भर होने से तात्पर्य यह भी है कि आर्थिक दृष्टि से सबल व सक्षम हों जिससे वह अपनी जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

भारत देश आत्मनिर्भरता का एक ज्वलंत उदाहरण है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साध्य एवं सिद्ध करने हेतु आवश्यक है कि हम सब भारतवासी इसे जुड़ों से विकसित करें। देश के तीव्र विकास के लिए आवश्यक है कि हम सब 'लोकल' के लिए 'वोकल' बनें। इसके साथ ही विकास के चरम को साध्य करने के लिए 'लोकल' को 'ग्लोबल' स्तर तक पहचान बनाने हेतु सहायक बनें। दरअसल 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल से ग्लोबल तक' का सफर ही हमारे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत विकास का द्योतक है। यही वह चार आधार स्तम्भ हैं जो व्यक्ति, समाज और देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक हैं। पर्यावरण और परिचित परिजनों के सहयोग से ही इस आत्मनिर्भर भारत के पहल को साकार रूप दे सकते हैं।

प्रस्तावना :

आत्मनिर्भर भारत अपने आप एक बृहत संकल्पना है। जितना विस्तार भारत का है उतना ही विस्तार 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना का है। इसीलिए इसे एक बहुआयामी संकल्पना भी कह सकते हैं। आत्मनिर्भरता की बात जब हम सोचते हैं तो केवल आर्थिक पक्ष पर ही गौर करते हैं। हमारी मंशा भी यही रहती है कि आत्मनिर्भर होना अर्थात् केवल आर्थिक रूप से सशक्त व सबल होना ही है। यह स्पष्ट रूप से सत्य भी है इसमें कोई दो राय नहीं किन्तु भारत की दृष्टि से विचार करें तो आर्थिक के साथ ही साथ हमें तमाम क्षेत्रों के पक्षों पर भी आत्मनिर्भरता को प्रश्रय देना होगा। यही कारण है कि इस संकल्पना को बहुआयामी की संज्ञा दी जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ ही गांवों में भी अधिकांश रूप में बसता है। 'कृषि' स्वयं में आत्मनिर्भरता का सूचक है। जिस देश की माती सोना उगलती हो उस देश को आत्मनिर्भर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बशर्ते कि उस देश की माती में उस गुणवत्ता को बरकरार रखें जो सोना उगलती हो। इसके साथ ही भारत के गांवों में देश की पहचान कराती संस्कृति, कला, धार्मिक अनुष्ठान, हुनर, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योग भी अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए पाये जाते हैं। हाल ही में वैश्विक स्तर पर फैली महामारी 'कोरोना' ने जब लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना प्रारम्भ किया था और कोरोना की दूसरी लहर के समय जब लोगों की जान पर बन आई थी तब हमारे भारत ने वेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टैस्ट किट, वेक्सिन बनाकर केवल भारतवासियों की जिंदगी का बल्कि विदेशों को भी मदद में सहकार्य कर भारत देश सम्पूर्ण विश्व में आत्मनिर्भरता का परिचायक बना है। भारत ने उस समय और आज तक भी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारन अभियान चलाया है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। यों तो 'आत्मनिर्भर भारत' कोई नई संकल्पना नहीं है। गांधीजी के युग में भी जब औद्योगिकीकरण और गांवों का शहरीकरण हो रहा था तब भी गांधीजी ने भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता की बात की थी। 'नमक सत्याग्रह' इसी आत्मनिर्भरता का परिचायक ही तो है। चरखा चलाकर सूत कातना यह भी आत्मनिर्भरता का ही ज्वलंत उदाहरण है। केवल गांधी जी ने ही नहीं 'आजाद हिन्द फौज' के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी 'आत्मनिर्भर भारत' के स्वप्न को साकार करने का भरसक प्रयास किया था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का मानना था कि यदि हमें गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि और कुटीर उद्योग को महत्व दिया करते थे।

देश में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में 'आत्मनिर्भर भारत संकल्पना' यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी जी द्वारा किया गया कथन है। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीली नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने और स्व-उत्पादित होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका पहली बार इस संकल्पना का सार्वजनिक उल्लेख किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ - अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी, माँग आदि हैं। आत्मनिर्भर भारत की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ

अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की चर्चा की गई। भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी इस दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ हैं:-

- 1) अर्थव्यवस्था (Economy) - जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है।
- 2) अवसंरचना (Infrastructure) - ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बनें,
- 3) प्रौद्योगिकी - (Technology) - 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है।
- 4) गतिशील जनसांख्यिकी (Vibrant Demography) - जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
- 5) माँग (Demand) - भारत की माँग और आपूर्ति शृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

इसे ही संक्षेप में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं:-

- 1) ईंटें या नि इरादा करना।
- 2) इंकलुशन या समावेश करना।
- 3) इनवेस्टमेंट अर्थात् निवेश करना।
- 4) इनफ्रास्ट्रक्चर अर्थात् सार्वजनिक ढाँचे को मजबूत करना।
- 5) नयी चीजों की खोज करना।

भारत देश का प्राचीन दौर आत्मनिर्भरता का परिचायक रहा है। कहते हैं भारत देश गाँवों में बसता है। लेकिन यह गाँव ही सही मायनों में 'आत्मनिर्भरता' के परिचायक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुटीर उद्योगों पर वहाँ का जनजीवन आश्रित रहा है। इन्हीं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत निर्मित सामानों की बिक्री से ही अर्जित धन से किसी घर का भरण-पोषण किया जाता है जो कि अपने आप आत्मनिर्भरता का एक ज्वलंत उदाहरण ही है। यही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता भी है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में ही दिसम्बर 1938 में ही सुभाष चन्द्र बोस द्वारा अपने हरिपुरा अधिवेशन में देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया था कि, "भारत के सामने औद्योगिकीकरण ही एकमात्र रास्ता है। हमें औद्योगिकीकरण के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए और इसकी बुराइयों को कम करने के उपाय तलाशने चाहिए। इसके साथ ही, हमें अपने कुटीर उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए, जहाँ कारखानों की अपरिहार्य प्रतिस्पर्धा से बचाव की संभावना हो।.....आधुनिक कारखानों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद कौन-कौन से घरेलू उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है और किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.....भारत जैसे देश में कुटीर उद्योगों के लिए बहुत जगह होगी, विशेष रूप से कृषि से जुड़े हाथ-कटाई और हाथ से बुनाई सहित उद्योगों के मामले में.....गृह-शिल्प जैसे मिट्टी के खिलोने बनाना, देव-देवियों की मूर्तियाँ तैयार करना, रंगें कागजों के फूल, पेड़, पत्तियाँ, गुलदस्ते, चीनी लालटेन आदि बनाना, कुटीर शिल्प के ढंग पर बटन बनाना, बागवानी करना, मूर्ति कला, अचार, बड़ी, चटनी आदि तैयार करना, सूत काटना, कृषि कार्य को बढ़ावा देना आदि.....कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने ने केवल गरीबी का निर्मूलन होगा बल्कि समाज को लाभ प्राप्त होने से समाज का विकास होगा। काम ना मिलने से गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है व भीख मांगने जैसी कुप्रवृत्ति का जन्म होता है। गृहशिल्प में आर्थिक लाभ कम होता है परंतु काम करने के प्रति रुचि और मजदूर वर्ग को प्रोत्साहन प्राप्त होने से कार्य करने की भावना बलवती होती है। भारत देश को यदि उसके कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाये तो देश से गरीबी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।" संक्षेप में कहें तो भारत देश के युगदृष्टा सुभाषचंद्र बोस के सपनों का भारत आत्मनिर्भर भारत बनाना ही था यह कहने का तात्पर्य है कि भारत में कृषि को, प्रकृति पर पूर्णतः आश्रित उद्योगों को, लघु व कुटीर उद्योगों को, भारत की शिल्प कला को यदि प्रोत्साहन प्रदान किया जाये, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाये व उनका मनोबल बढ़ाया जाये तो देश को 'आत्मनिर्भर' बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सुभाष वैज्ञानिक शिक्षा के साथ ही मूलोद्योगी शिक्षा को महत्व देते थे।

सुभाषचंद्र बोस के इसी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का बीड़ा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया है यह दरअसल कुटीर उद्योगों से तात्पर्य ही है कि घरों से, छोटे पैमाने पर कच्चे माल द्वारा अच्छी गुणवत्ता के आधार पर तैयार की गई सामाग्री अथवा वस्तु आदि। एक आम भाषा में कहा जाए तो कच्चे मालों से जो सामान घरों में हमारे जीवन के उपयोग के लिए बनाई जाती है उसे ही हम लोकल सामाग्री कहते हैं और यही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता का एक रूप है। इसी कड़ी में हम परिवार से गाँव, गाँव से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से राज्य, राज्य से देश और देश से विदेश को जोड़ सकते हैं। यह कड़ी जितनी मजबूत बनेगी उतनी ही विकास को भी बढ़ावा देगी। 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के कई सकारात्मक पहलू हैं मसलन।

- आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से देश में उद्योगों को सुअवसर प्राप्त होगा।
- आत्मनिर्भर भारत से देश में बेरोजगारी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत से युवाओं और जनता में स्वावलंबन और आत्मविश्वास की भावना प्रबल होगी।
- आत्मनिर्भर भारत निर्माण से देश की गरीबी और भूखमरी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
- देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्राप्त होगी।
- आयात और निर्यात में देश तरक्की पथ पर आरूढ़ होगा।
- देश की आर्थिक स्थिति के मजबूत होने से पारिवारिक, सामाजिक, और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक विकास की ओर अग्रसर होंगे।

कहने का तात्पर्य है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में केवल हमें वैचारिक स्तर पर और व्यावहारिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। इसीलिए हमें 'लोकल' के लिए 'वोकल' बनना होगा। तभी हम 'ग्लोबल' तक पहुँच सकते हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में यह अत्यंत आवश्यक भी है कि हम केवल कुएँ के मेंढक बन उसे संसार की परिधि मानकर संकुचित व सिमट कर न रह जाएँ बल्कि ग्लोबल स्तर पर उठें और पहचान बनाने हेतु संकल्प करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान अंतर्गत बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, किसानों की आय को दुगुना करना, सुशासन, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण और अन्य विकास से संबंधित विषय शामिल हैं।

निष्कर्ष :

'आत्मनिर्भर भारत' अर्थात् 'स्विल इंडिया'। एक ऐसा भारत जो किसी भी क्षेत्र में अग्रसर रहे। एक ऐसा भारत जो अपनी प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर प्रगति की दिशा में आगे बढ़े। इसी दिशा में आगे बढ़ते समय अपने ग्रामीण जनजीवन को भी अपने साथ हाथ से हाथ और उसके विकास हेतु उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। यही सच्चे अर्थों में 'आत्मनिर्भर भारत' की पहचान होगी। आज हम जिस लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल की बात करते हैं दरअसल उसका बीजवपन तो औपनिवेशिक काल और उससे भी पूर्व प्राचीन काल में हो गया था। आज केवल हमें उसके लिए दिशा और राह बनानी है। एक सच्चा भारतवासी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने ही देश में बनें उत्पादनों का अधिकाधिक उपयोग और सदुपयोग कर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग कर योगदान दें। यही हमारी इस अभियान यात्रा का उद्देश्य और लक्ष्य को सार्थक करने का प्रयास होगा।

भारत-पाकिस्तान संबंध आतंकवाद के विशेष परिपेक्ष्य में

डॉ० ममता धाकड़

सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा M0प्र0 461331

सारांश:-

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विभाजन हो जाने के बाद पाकिस्तान का एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ स्वतंत्रता के पश्चात दोनों ही पड़ोसी देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुये हैं जिसके कारण दोनों ही देशों के बीच हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। पाकिस्तान भारत में निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है जिसके कारण हमारे आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, जबकि भारत हमेशा ही शांति का समर्थक रहा है और चाहता है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म कर शांति की स्थापना की जा सके।

प्रमुख शब्द:- स्वतंत्रता, आतंकवाद, राष्ट्र, संघर्ष, युद्ध, शांति, अल्पसंख्यक, विभाजन, विवाद, शैथिल्य, मित्रता, इत्यादि

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के मध्य विवादास्पद संबंधों की लम्बी श्रृंखला वाले उदाहरणों में भारत-पाकिस्तान संबंध अति प्रमुख हैं। दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक समानता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक समीपता, आर्थिक आत्मनिर्भरता के बावजूद मित्रता के बजाय “दूर के पड़ोसी” बाले संबंध बने रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक इनके संबंध स्पर्धा, संघर्ष, एवं युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकले हैं। इनके संबंध संघर्ष से शांति, फिर संघर्ष, फिर शांति की ओर अग्रसर हुये हैं, परंतु मित्रता व सहयोग से परे रहे हैं। इनके बीच लगातार शीतयुद्ध व चार बार वास्तविक युद्ध हो चुके हैं, दोनों देशों के बीच बहुत समय तनाव शैथिल्य या मधुर संबंधों का काल रहा है। सामान्यता: अंग्रेजों से आजादी प्राप्त होने के समान अवसर होने की बजह से भारत एवं पाकिस्तान को मित्र होना चाहिये था, परंतु ऐसा नहीं हुआ शायद विभाजन के दौरान भारत से मुसलमानों का पाकिस्तान में पलायन तथा हिन्दू एवं सिखों का पाकिस्तान से भारत आना तथा इस प्रक्रिया में होने वाले नरसंहार की बजह से दोनों देशों के बीच वैमनस्य के भाव पैदा हो गये थे। भारत व पाकिस्तान के विभाजन स्वरूप चार प्रमुख समस्याएं उभर कर आई जिनके कारण प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना रहा। ये विवादास्पद मुद्दे थे (क) पंजाब व बंगाल की सीमाओं का विभाजन (ख) सेनाओं का बंटवारा (ग) असैनिक सेवाओं का विभाजन तथा (घ) सरकारी संपदा एवं देनदारी की समस्या। यद्यपि इनमें से अधिकतर विषयों का समाधान प्रारंभिक कुछ वर्षों में ही हो गया था, परंतु इसके दौरान आई आपसी कटुता का प्रभाव संबंधों पर साफ रूप से दृष्टिगोचर रहा। आपसी संदेह के कारण दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग की बजाय अलगाव के मार्ग अपना लिया था।

भारत-पाकिस्तान विभाजन से जुड़ा एक अन्य मुद्दा अल्पसंख्यकों की देखभाल का था, भारत व पाकिस्तान के विभाजन परिणामस्वरूप दोनों ही तरफ से बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करके एक दूसरे के यहां आये। प्रथम, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होने के कारण शायद हिन्दुओं को भारत एवं मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान को अपना हितैषी राज्य मानने का भ्रम पैदा हुआ। इसलिए बड़ी संख्या में मुसलमान भारत से तथा हिन्दू व सिख पाकिस्तान से पलायन करके दूसरी जगह चले गये। द्वितीय कारण शायद आर्थिक भी था वहां से होने वाली बड़ी संख्या में जूट वर्तमान भारतीय क्षेत्रों को भेजा जाता था। विभाजन से पूर्व पूर्वी पाकिस्तान का ज्यादातर जूट वर्तमान भारतीय क्षेत्रों को भेजा जाता था। परंतु विभाजन के बाद रुपये के अवमूल्यन की समस्या को लेकर यह व्यापार प्रायः बन्द हो गया था। क्योंकि भारत में ये अवमूल्यन होने से जूट की कीमत बढ़ने से यह निर्यात नहीं हो सकता था इससे वहां के मुस्लिम व्यापारियों में हिन्दू भारतीयों के प्रति घृणा एवं रोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। सन् 1947 के भारत-पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप 14.5 मिलियन हिन्दू पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बन गए तथा 40 मिलियन मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हो गए। अतः दोनों ओर से भारी संख्या में शरणार्थियों के रूप में दोनों देशों में विस्थापितों के रूप में आ बसे। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में इन विस्थापितों की संख्या 74.80 लाख थी। इसमें से लगभग 49.05 लाख लोग पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये थे। इसी प्रकार लगभग 25.75 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये जिनकी संख्या बाद में 1957 में बढ़ कर करीब करीब 41.16 लाख तक पहुंच गई थी। इस समस्या के समाधान हेतु 08 अप्रैल 1950 को नेहरू व लियाकत अली के बीच एक समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप इस समस्या की तीव्रता में काफी कमी हो गई थी।

भारत-पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी एक प्रमुख समस्या सिन्धु और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर थी इस समस्या को समझने हेतु दो प्रमुख बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्रथम, सिन्धु नदियों की व्यवस्था राजनैतिक विभाजन की दृष्टि से नहीं बनाई गई थी, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से विभाजन के उपरांत पाकिस्तान को 18 मिलियन एकड़ भूमि सिंचाई योग्य मिली थी और भारत को केवल 05 मिलियन एकड़ सिंचाई वाली भूमि उपलब्ध हुई थी। इसके अतिरिक्त इस सिंधु नदी क्षेत्र में भारत की 20 मिलियन जनसंख्या रहती थी जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 मिलियन थी। द्वितीय, इस सिन्धु

नदी क्षेत्र में कुल सात नदियां सम्मिलित थी जिसमें सिंधु स्वयं पश्चिम में थी तथा काबुल एवं उसकी पांच सहायक नदियां (जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज व व्यास) पूर्व में स्थित थी। इनमें से काबुल को छोड़ कर सिंधु, जेहलम, तथा चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती है। तथा ये सिंधु क्षेत्र के 80 प्रतिशत पानी को बहा ले जाती है दूसरी ओर रावी व सतलुज मुख्य रूप से तथा व्यास पूर्णरूप से भारत में से बहती है।

भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीमाओं की स्थापना को लेकर विवाद उठे लेकिन रेडक्लीफ आर्वाड पर अलगीर बागे के निर्णय के बाद सिद्धांत रूप से यह मुद्दा मई 1950 में समाप्त हो गया। लेकिन वास्तविक सीमा बन्दी में अंतर है। सीमा बन्दी का कार्य इतना सरल नहीं था इसका कारण षयद दोनों के मध्य लम्बी सीमा को रेखांकित करना था। पश्चिम में (कश्मीर सीमा को छोड़कर) दोनों की सीमायें 1503 मील थी तथा पूर्वी क्षेत्र में इस सीमा की लम्बाई लगभग 2481 मील थी। अतः इतनी सीमाओं की निशानदेही में समय तो लगना ही था। इसी कारण समय-समय पर सीमाओं की असली रेखाओं को लेकर छुटपुट बारदातें अक्सर होती रहती थी पंजाब से जुड़ी सीमा के इन विवादों का हल विभिन्न द्विपक्षीय सम्मेलनों एवं समझौतों के माध्यम से हुआ। सीमाओं से जुड़ी दूसरी समस्या कच्छ के क्षेत्र का सीमांक करने की थी। गुजरात प्रांत से जुड़ी पश्चिमी पाकिस्तान की यह सीमा दलदल ग्रस्त थी। यह दलदल मुख्य रूप से वर्षा, नदियों के पानी की बाढ़ तथा समुद्र से आने वाले पानी के कारण प्रायः स्थाई रूप ग्रहण कर चुका है। विवाद का विषय पाकिस्तान द्वारा कुल क्षेत्र से 3500 वर्गमील का क्षेत्र अपने हक में मांगने से था। इसका तुरन्त समाधान नहीं हो सका अंततः दो दशक बाद संयुक्त राष्ट्र प्राधिकरण के माध्यम से 19 फरवरी 1968 में हल हुआ जिसके अनुसार 350 वर्गमील का क्षेत्र पाकिस्तान को मिला था। विभाजन के परिणामस्वरूप हुए नरसंहार को देखते हुए बड़ी संख्या में हिन्दू व सिख पाकिस्तान से भारत एवं मुसलमान भारत से पाकिस्तान पलायन कर गये। परन्तु ऐसा करते समय दोनों देशों के नागरिकों द्वारा अपने घर, संपत्ति, फैक्ट्री, भण्डार, दफ्तर आदि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के छोड़ दिए तथा खुद दूसरे देश में शरणार्थी भी बन गए, इस समस्या की गहनता का अहसास उनके द्वारा छोड़ी गई चल अचल संपत्ति की मात्रा से लगाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लोगों द्वारा 67,29,000 एकड़ भूमि छोड़ी गई जिसमें से लगभग 43,07,000 एकड़ भूमि नदियों द्वारा सिंचित थी इसी प्रकार भारत में मुसलमानों द्वारा लगभग 47,35,000 एकड़ भूमि छोड़ी गई, जिसमें से 13,26,000 एकड़ नहर द्वारा सिंचाई की जाने वाली भूमि थी। इस संदर्भ उनकी संपत्ति का सही अनुमान तथा दोनों देशों द्वारा उनके समाधान हेतु उचित व्यवस्था दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बना। एक अनुमान के अनुसार हिन्दुओं एवं सिक्खों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति लगभग आठ विलियम डॉलर की थी तथा मुसलमानों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्ति की लगभग आठ सौ मिलियन डॉलर थी परन्तु पाकिस्तान इस आकलन से सहमत नहीं था तथा हमेशा महसूस करता था कि भारत द्वारा इस प्रकार की रकम बढ़ा चढ़ाकर आंकी गई है। विभिन्न विवादों के बावजूद दोनों देशों ने इस विषय को हल करने संबंधी अनेक प्रयास किये गये थे।

भारत-पाकिस्तान के मध्य सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद विवाद कश्मीर को लेकर रहा है जिसके कारण आज तक दोनों देशों के बीच वैमनस्य का भाव बना हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्थानीय राजाओं के राज्यों को अंग्रेजी अधीनता से स्वतंत्र करते हुए भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की छूट दी गई थी। इसी के अंतर्गत कश्मीर राज्य भी आता था लेकिन वहां के शासक राजा हरिसिंह ने काफी समय तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसी दौरान अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सरकार की सहायता में कुछ कबीले कश्मीर पर आक्रमण करने हेतु श्रीनगर (कश्मीर की राजधानी) की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्होंने काफी प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया तथा वे श्रीनगर से मात्र 35 मील की दूरी पर थे तब राजा ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। इसी संदर्भ में उसने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर राज्य के विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर किये गये। इस विलय के बाद भारत ने कश्मीर की ओर बढ़ रहे कवाइली आक्रमण को रोकने का प्रयास किया परन्तु जब इन आक्रमणकारियों ने कश्मीर का कुछ इलाका भी अपने अधिकार में ले लिया तथा नेहरू पाकिस्तान से की जाने वाली अपील का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब भारत ने 01 जनवरी 1948 को यह विवाद संयुक्त राष्ट्र को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की दृष्टि से पेश किया गया। सन् 1947 से लेकर 1953 तक संयुक्त राष्ट्र में इस समस्या पर वाद-विवाद हुआ तथा अंततः संयुक्त राष्ट्र के भारत-पाक आयोग ने 13 अगस्त 1948 तथा 06 जनवरी 1949 को हुए समझौते के आधार पर तीन महत्वपूर्ण चरणों में फैसला किया (1) युद्ध विराम (2) अल्पकालीन संधि (3) जनमत संग्रह। इसका प्रथम चरण (अर्थात् युद्ध विराम) 01 जनवरी 1949 से प्रभावी हो गया लेकिन बाद के दो चरण उनकी व्याख्या को लेकर दोनों देशों में उत्पन्न हुए गतिरोधों के कारण लागू नहीं हो सके। इसलिए इस आयोग द्वारा 05 दिसम्बर 1949 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की स्थिति परिवर्तित हो गई है लेकिन ज्ञापन अपरिवर्तित है। यही विवाद का आज मुख्य कारण है।

आतंकवाद का स्वरूप:-

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंकवाद संभवतः एक नवीन शब्द है जिसने समस्त विश्व का इन दिनों ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। फिर भी आतंकवाद की सर्वसम्मत और सर्वव्यापी परिभाषा आज तक नहीं खोजी जा सकी है। बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित वैध व्यवस्था के खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाही को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। आतंकवाद एक ऐसी कार्यवाही है जो प्रत्यक्ष, नियमित, संधटित और केन्द्रीकृत नहीं होती है, इसकी परिभाषा, अवधारणा, स्वरूप, कार्यशैली रणनीति और शक्ति, परिधि, समयगत और परिस्थितिगत बदलते रहे हैं। समकालीन स्थापित राजसत्ता अपने मानदण्डों के आधार पर आतंकवाद की परिभाषा और उनके लक्ष्यों को वैध या अवैध घोषित करती हैं। राजसत्ता के लिए आतंकवादी समाजविरोधी, शान्ति का दुश्मन और खलनायक हो सकता है लेकिन वह बहुतों का हीरो भी हो सकता है। 1970 ई0 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संधि ने आतंकवाद की एक समुचित परिभाषा का निर्धारण किया जिससे इसे नियंत्रित करने की दिशा में समुचित कदम उठाया जा सके। अतः इस मुद्दे पर विचार विमर्श के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव में मुख्य बल आतंकवादियों की मनोवृत्ति पर यह तर्क दिया गया कि केवल उन्हीं कृत्यों को आतंकवाद की सीमा परिधि में रखा जाना चाहिये जिनका उद्देश्य किसी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाना या उससे रियायतें लेना हो जबकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित परिभाषा के विरुद्ध की जा रही हिंसा और दमनात्मक कार्यवाही को भी इसमें सम्मिलित करने की मांग की गई। आतंकवाद एक विपैले चरित्र की अपज

है। समाज में व्याप्त बहुआयामी विषमता एवं असंतुलन क्षेत्रीय असमानतायें एवं औपनिवेशिक मूल्य दृष्टियां जातीय, वर्णगत वर्चस्वादिता, धर्मगत राज्य व कट्टर राष्ट्रवाद तकनीकी कौशल का नकारात्मक प्रयोग, राजसत्ता का कुलीनीकरण जैसी घातक प्रवृत्तियां फासीवाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बीज खाद जल जमीन प्रदान करती है।

आतंकवाद एक बीमार (रूग्ण) सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद है। इसकी उत्पत्ति राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मांगों की तरफ एक लम्बे समय तक ध्यान न देने या एकाकीपन के परिणामस्वरूप होती है। आज की स्थिति में असंतोष, हताशा, निराशा, उपेक्षा, शोषण, और अत्याचार इसके प्रमुख कारण हैं। जब तक न्याय मिलने में विलम्ब या कुप्रबन्ध रहेगा आतंकवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। इन्हीं कारणों से नई सदी का आतंकवाद पहले से कहीं अधिक व्यापक गहरा और शक्तिशाली बन चुका है। आतंकवादियों के पास राकेट, राकेटलंचर, तोपे, मशीनगनों, शक्तिशाली बम, आर.डी.एक्स. जैसी बिस्फोटक सामग्री, हेलीकॉप्टर, गुप्त विमान, गोपनीय उद्योग व बैंक खाते, शक्तिशाली संचार प्रणाली, भूमिगत रेडियो व टी.वी.स्टेशन आत्मधाती हमले दस्ते जैसे विध्वंसकारी संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आतंकवाद की अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती है। मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अभी तक विश्व की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार और सेना के पास नहीं है मरने मारने का संकल्प लिये उच्च सैनिक विस्फोट से लैस चलता फिरता कोई भी युवक युवती मानव बम बना वह व्यक्ति 6 से 8 किलोग्राम आर डी एक्स को बेल्ट में भरकर अपनी कमर में बंधे रहता है जो वास्टिंग कैप और बैटरी से जुड़ी है। बेल्ट में भरे बिस्फोट का विस्फोटन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आधारित है जिसे मात्र एक छोटे से बटन दबाकर विस्फोटित किया जा सकता है। सन 1980 से 2000 की अवधि में आतंकवादी कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए लगभग 275 मानव बमों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सबसे ऊपर लिट्टे है जिसने तबाही मचाने के लिए सबसे ज्यादा 168 बार मानव बमों का प्रयोग किया, जिसमें हजारों लोग मारे गये और अरबों-खरबों की सम्पत्ति नष्ट हुई। लिट्टे के बाद दुसरे स्थान पर हिजाबुल्लाह एवं सीरिया समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लामी जेहादी ने इसी अवधि में 52 बार मानव बमों का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त ओसामा बिन लादेन का अलकायदा फिलीस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा फिलीस्तीन लिबरेशन फ्रंट एवं पीकेके के नाम से प्रसिद्ध तुर्की का बुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पाकिस्तान का लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद नामक उग्रवादी संगठन बड़ी संख्या में मानव बमों द्वारा हमला करने की क्षमता रखते हैं और हमला करते रहे हैं।

दक्षिण एशिया क्षेत्र में आतंकवाद:-

भारत के गृहराज्य मंत्री सी०एच० विद्यासागर राव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारत में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लिट्टे, हरकत उल मुजाहिद्दीन समेत 31 प्रमुख उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें से कुछ ने पाकिस्तान अथवा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में अपने अड्डे बना रखे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों ने पड़ोसी देशों में अपने कैम्प स्थापित कर लिये हैं। उल्फा तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एन०एल०एफ०टी० तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर्स ने बांग्लादेश में तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड और इसके सभी गुटों ने म्यांमार और बांग्लादेश में अपने कैम्प स्थापित किये हुये हैं। जम्मू कश्मीर राज्य देश के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तानी कूटनीतिक चाल का प्रमुख केन्द्र बिन्दु होने के कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत की संकल्पना के अनुसार वह 1947 के विभाजन को हमेशा अधूरा मानता रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति, जनरल जिया-उल-हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध तब शुरू किया, जब पाकिस्तान ने यह देख लिया कि परोक्ष युद्ध में उन्हें कोई मिल रही है अघोषित युद्ध राज्य में असंतुष्ट युवकों की भावनाओं को भड़का कर और गुमराह करके चोरी छिपे शुरू हुआ इसके परिणाम स्वरूप 1989-90 के वर्ष में घाटी से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर कश्मीरी युवकों को सीमा पार कराई गई पाकिस्तान ने स्थानीय युवकों को विघटनकारी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया, उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिये और इन्हें उत्पाद मचाने के लिए वापस भेज दिया। बाद में जब इन स्थानीय लोगों का मोह भंग हुआ उन्हें स्थानीय समर्थन कम होने लगा तो पाकिस्तान को इस राज्य में पाकिस्तानी और भाडे के विदेशी सैनिकों की घुसपैठ कराने पर मजबूर होना पड़ा। आज जम्मू कश्मीर में इस समय भाडे के 1500-2000 भाडे के विदेशी जिनकी घुसपैठ पाकिस्तान द्वारा राज्य में आतंकवाद को कायम रखने और उस पर नियंत्रण बनाये रखने की चाल के लिए किया है भाडे के ये विदेशी सैनिक पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के हैं जो इस्लामिक रूढ़िवादी उग्रवाद के लिए एक केन्द्र के रूप में पाकिस्तान द्वारा निभाई जा रही खतरनाक भूमिका को उजागर करता है।

उसने इस राज्य को हथियाने के लिए बार-बार प्रयत्न किये पहली बार सैनिकों के सक्रिय समर्थन के बाद कबाइलियों की घुसपैठ करवाकर और उसके बाद तीन युद्ध करके तथा वर्ष 1999 में कारगिल में अविश्वेकपूर्ण घुसपैठ को भारत द्वारा करारा जबाब दिया। नवम्बर 2000 को भारत द्वारा कश्मीर में घोषित एकतरफा संघर्ष विराम मई 2001 तक चला तब काफी अटकलें लगी थी कि शायद इस समस्या का, जिसमें अभी तक 65,000 से भी अधिक कश्मीरी नागरिकों और भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जानें गई हैं, का कोई समाधान निकल आये। लेकिन आज भी इसी पाक समर्थित आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान की सीमायें सीमा पर आमने सामने हैं। यह स्थिति किसी भी दिन युद्ध में बदल सकती है इस समस्या के गंभीर मोड़ लेने का कारण एक बार फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गुप्तचर शाखा आई.एस.आई. के इशारे पर 13 दिसम्बर 2001 की सुबह 11:40 बजे भारतीय संसद पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादी संसद के भवन परिसर में बाहरी सुरक्षा को तोड़कर घुस गये इनमें से एक मानव बम भी था। यदि इन पांचों आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार नहीं दिया होता तो इनका निशाना भारत का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व था।

निष्कर्ष:-

भारत एवं पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश होते हुए भी दोनों के मध्य संबंध तनावपूर्ण बने हुये हैं पाकिस्तान निरंतर भारतीय क्षेत्र में निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है जिससे भारतीय अंतरिक सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है पाकिस्तान का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी

कटिलता से आतंकवाद को बनाये रखता है और भारत को परेशान कर सकता है कश्मीर समस्या के समधान से भारत सहज हो जायेगा और व्यापक विकास के रास्ते पर आगे कदम बढाने में समर्थ हो सकेगा। यही भावना पाकिस्तान को घाटी में आतंक की आग को भडकाए रखने के लिए विवश कर रही है।

संदर्भग्रंथ सूची:-

- 1 सुरेन्द्र चोपडा, “पाकिस्तान: कॉन्फ्लिक्ट एण्ड कॉर्परेषन” सतीष कुमार सम्पा0, ईयरबुक ऑन इण्डियाज फॉरेन पालिसी, 1983-84 नई दिल्ली, 1986 पृ0 61
- 2 ए0 अप्पादोराय एवं एम0एस0राजन, इण्डियाज फॉरेन पालिसी एण्ड रिलेशज, नईदिल्ली 1985पृ0 56-57
- 3 भारत सरकार पुनर्वास मंत्रालय रिपोर्ट, 1951-52 नई दिल्ली 1952 पृ0 1 इसके अतिरिक्त देखिए रिपोर्ट 1957-58 नई दिल्ली 1958 पृ0 1
- 4 एम0एस0राजन इण्डिया इन वर्ल्ड अफेयर्स 1954-56 बम्बई 1964 पृ0 492
- 5 संपादकीय “कारगिल सैक्सस एण्ड कंपलिकेशनज फंट लाइन” 30 जुलाई 1999
- 6 परवीन स्वामी, स्ट्रेटेजीफ फोलिज फ्रंट लाइन 02 जुलाई 1999
- 7 दि टाइम्स ऑफ इण्डिया 03 सितम्बर 1999
- 8 जे.एन. दीक्षित इनवेजन ऑफ कारगिल हिन्दुस्तान टाइम्स 23 जून 1999